लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

सातवां सत्र
(पंद्रहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 82
Dated 30 Jan 2013

(खंड 15 में अंक 1 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी. डी. टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

डा. रविन्द्र कुमार चड्डा
संयुक्त सचिव

प्रतिपा श्रीवास्तव
निदेशक

प्रमेश कुमार शर्मा
अपर निदेशक

रचनजीत सिंह
संयुक्त निदेशक

अरुणा वशिष्ठ
सम्पादक

भूषण कुमार
सहायक सम्पादक

© 2010 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलतः अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुनः प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुनः प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अन्तर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनायें सुरक्षित रहें।

विषय सूची

पंचदश माला, खंड 15, सातवां सत्र, 2011/1932 (शक)

अंक 2, मंगलवार, 22 फरवरी, 2011/3 फाल्गुन, 1932 (शक)

विषय	कॉलम
मंत्रियों का परिचय	1-2
प्रधानमंत्री द्वारा वक्तव्य	
2जी स्पेक्ट्रम के आबंटन पर संयुक्त संसदीय समिति का गठन	2-10
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 1 से 3	10-36
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 4 से 20	36-239
अतारांकित प्रश्न संख्या 1 से 230	239-1049
सभा पटल पर रखे गए पत्र	1050-1052
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	1052-1053
वित्त संबंधी स्थायी समिति	
31वां प्रतिवेदन	1053
गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति	
(एक) 148वां प्रतिवेदन	1053
(दो) साक्ष्य	1053
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद के विकास के लिए कानून बनाए जाने की आवश्यकता पर राष्ट्रीय स्तर पर बहस शुरू करने तथा उससे संबंधित सभी विषयों पर कार्रवाई करने के संबंध में सरकार की मंशा	
श्री अजय माकन	1054-1055
समितियों के लिए निर्वाचन	
(एक) प्राक्कलन समिति	1055

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

(दो) लोक लेखा समिति 1055-1056

(तीन) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति 1057-1058

(चार) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति 1058-1059

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) लक्षद्वीप के द्वीपों और निकोबार द्वीपसमूहों में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को दुर्गम क्षेत्र भत्ता दिए जाने का प्रावधान किए जाने की आवश्यकता।

श्री हमदुल्लाह सईद 1082

(दो) रेलगाड़ियों में सुरक्षा तंत्र को मजबूत किए जाने तथा उन्हें निर्धारित समय के अनुसार चलाए जाने की आवश्यकता

श्री एंटो एंटोनी 1082-1083

(तीन) देश में सीमेंट के मूल्यों में हुई तीव्र वृद्धि को वापस लिए जाने की आवश्यकता।

श्री के. सुधाकरण 1083

(चार) महाराष्ट्र के गढ़चिरौली-चिमूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के उन आदिवासियों, जिन्हें वहां जमीन आबंटित की गई है, को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु एक केंद्रीय योजना बनाए जाने की आवश्यकता।

श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे 1083-1084

(पांच) खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा संचालित खादी भवनों का नवीकरण करने तथा दक्षिण क्षेत्र में कार्य कर रहे ट्रेडिंग स्टाफ की सेवाओं को नियमित किए जाने की आवश्यकता।

श्री चार्ल्स डिएस 1084-1085

(छह) आंध्र प्रदेश के वारंगल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में काजीपेट में एक वैगन फैक्टरी स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री राजय्या सिरिसिल्ला 1085

(सात) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में नशामुक्ति-सह-पुनर्वास केंद्र खोले जाने के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किए जाने तथा उक्त उद्देश्य के लिए केंद्रीय अनुदान स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता।

श्री के.डी. देशमुख 1085-1086

(आठ) गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की रिक्तियों को भरे जाने की आवश्यकता।

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल 1086

(नौ) राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश को हल्के और भारी ड्यूटी क्रेन उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता।

श्री वीरेन्द्र कश्यप 1086-1087

(दस) राष्ट्रीय राजमार्ग-3 के इन्दौर-देवास बाईपास को छह लेन वाला बनाए जाने तक इस पर टोल टैक्स के उद्ग्रहण को आस्थगित किए जाने की आवश्यकता।

श्रीमती सुमित्रा महाजन 1087

(ग्यारह) बिहार के पटना-सहरसा वाया सुपौल के बीच रेल सेवाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता।

श्री विश्व मोहन कुमार 1087-1088

(बारह) श्रीलंकाई नौसेना द्वारा भारतीय मछुआरों पर की जा रही कथित ज्यादतियों से उनकी रक्षा किए जाने की आवश्यकता।

श्री आर. थामराईसेलवन 1088

(तेरह) देश के स्कूलों में मातृभाषा में विशेषकर राज्य की क्षेत्रीय भाषा में शिक्षण सुनिश्चित कराने के लिए कानून बनाए जाने की आवश्यकता।

श्री ए. सम्पत 1088-1089

(चौदह) वन्य जीव संरक्षण कानून को मजबूत बनाए जाने तथा जंगली जानवरों की शिकारियों से रक्षा के लिए इसका प्रभावी क्रियान्वयन किए जाने की आवश्यकता।

श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर 1089

(पन्द्रह) आंध्र प्रदेश में आदिलाबाद में सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया की इकाई का पुनरुद्धार किए जाने की आवश्यकता।

श्री रमेश राठैड़ 1089-1090

(सोलह) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत छपरा और गोपालगंज के बीच चार लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कराए जाने की आवश्यकता।

श्री ओम प्रकाश यादव 1090

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

श्री पी.सी. चाको 1091-1107

श्री मनीष तिवारी 1108-1115

श्री राजनाथ सिंह 1115-1140

श्री मुलायम सिंह यादव 1140-1148

डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क 1148-1154

श्री सुदीप बंदोपाध्याय 1155-1163

श्री अर्जुन चरण सेठी 1163-1168

श्री आनंदराव अडसुल 1168-1171

श्रीमती सुप्रिया सुले 1171-1177

श्री जगदम्बिका पाल 1177-1178

कार्य मंत्रणा समिति

23वां प्रतिवेदन 1140

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन 1107-1108

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 1179-1180

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 1180-1188

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 1189-1190

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 1190-1192

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य

श्री पी. सी. चाको

श्रीमती सुमित्रा महाजन

श्री इन्दर सिंह नामधारी

श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना

श्री अर्जुन चरण सेठी

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह

डॉ. एम. तम्बिदुरई

श्री बेनी प्रसाद वर्मा

डॉ. गिरिजा व्यास

महासचिव

श्री टी. के. विश्वानाथन

लोक सभा

मंगलवार, 22 फरवरी, 2011/3 फाल्गुन, 1932 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदया *पीठासीन* हुईं]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: माननीय प्रधानमंत्री।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप प्लीज़ बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप लोग बैठ जाइए। आप लोकतंत्र की बात करिये मगर इसको नीचे रखिये।

...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.01 बजे

मंत्रियों का परिचय

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री (डॉ. मनमोहन सिंह): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपकी अनुमति से आपका तथा आपके माध्यम से इस सम्माननीय सभा का मेरे सहयोगियों, जिन्हें हाल ही मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया है, से परिचय कराना चाहता हूं।

1.	श्री प्रफुल पटेल	-	भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री
2.	श्री श्रीप्रकाश जायसवाल	-	कोयला मंत्री
3.	श्री सलमान खुर्शीद	-	जल संसाधन मंत्री और अतिरिक्त प्रभार, अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

4.	श्री बेनी प्रसाद वर्मा	-	इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

राज्य मंत्री

5.	श्री अश्विनी कुमार	-	योजना, संसदीय कार्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री
6.	श्री के.सी. वेणुगोपाल	-	विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री

पूर्वाह्न 11.02 बजे

प्रधानमंत्री द्वारा वक्तव्य

2जी स्पेक्ट्रम के आबंटन पर संयुक्त संसदीय समिति का गठन

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री (डॉ. मनमोहन सिंह): अध्यक्ष महोदया, 2जी स्पेक्ट्रम के आबंटन से जुड़े विवाद की वजह से संसद का बहुमूल्य शीतकालीन सत्र बिना काम काज के समाप्त हो गया था। हमारा देश ऐसी स्थिति को सहन नहीं कर सकता, जिसमें संसद को पंगु बना दिया जाए और उसे महत्वपूर्ण विधायी काम काज न करने लिए जाए। मैं समझता हूं कि संसद की कार्यवाही ठप्प करके हम उस जनता की सेवा नहीं करते, जिसने हमें चुनकर यहां भेजा है।

महोदया, हमारी सरकार भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध है, और इस दिशा में सरकार ने पारदर्शिता के साथ तेजी से कार्रवाई की है। 2जी स्पेक्ट्रम के आबंटन की जांच उच्चतम न्यायालय की देखरेख में सी.बी.आई. कर रही है। इसके अलावा, यह मामला संसद की लोक लेखा समिति के पास भी है, और सरकार उसके साथ पूरा सहयोग कर रही है। न्यायमूर्ति श्री शिवराज पाटिल की अध्यक्षता में गठित एक स्वतंत्र जांच समिति की रिपोर्ट भी हमारे पास है, जो सार्वजनिक भी की जा चुकी है। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भी तेजी से कार्रवाई की है।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

महोदया, चूंकि सभी प्रभावशाली कदम उठाए जा रहे हैं, इसलिए हमें उम्मीद थी कि संयुक्त संसदीय समिति के मुद्दे पर जोर न देने के लिए हम विपक्ष का मना लेंगे। हम अपने गंभीर प्रयासों के बावजूद सफल नहीं हो सके। यदि महत्वपूर्ण बजट सत्र के दौरान भी संसद को नहीं चलने दिया जाता है, तो हमारे लिए उस स्थिति को सहन कर पाना बहुत मुश्किल होगा। इन विशेष परिस्थितियों के कारण संयुक्त संसदीय समिति के गठन के लिए हमारी सरकार सहमत हो रही है।

महोदया, हम एक कार्यशील लोकतंत्र हैं और हमें अपने मतभेदों का निराकरण टकराव की भावना से नहीं, बल्कि सहमति और मेलजोल की भावना से करने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे आशा है कि इससे प्रगति के पथ पर अग्रसर होते भारत में नया आत्मविश्वास पैदा होगा। इसलिए, मैं माननीया अध्यक्ष महोदया से अनुरोध करता हूं कि वे संयुक्त संसदीय समिति के गठन की दिशा में आगे बढ़ें। इस संबंध में एक औपचारिक प्रस्ताव शीघ्र ही प्रस्तुत किया जाएगा।

श्री गुरुदास दासगुप्त (घाटल)**:** देर आए दुरुस्त आए।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा)**:** अध्यक्ष महोदया, मैं प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करने के लिए खड़ी हुई हूं। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने आपसे आग्रह और अनुरोध किया है कि आप जेपीसी का गठन करें।

अध्यक्ष महोदया, यह सत्ता पक्ष या प्रतिपक्ष की जय-पराजय का प्रश्न नहीं है, यह लोकतंत्र की विजय है। भारतीय लोकतंत्र की यह खूबसूरती है कि हम जटिल से जटिल परिस्थिति में भी मिल बैठकर रास्ता निकाल लेते हैं। कभी रास्ता जल्दी निकलता है, कभी देरी से। इस बार देरी से हल निकला, लेकिन इस हल को ढूंढने में प्रधानमंत्री जी के अलावा जो आपकी स्वयं की भूमिका रही, नेता सदन की भूमिका रही और संसदीय कार्यमंत्री जी की जो भूमिका रही है, उस सबका नोटिस लेते हुए और उनके प्रति भी धन्यवाद करते हुए, मैं अपने साथी सांसदों से यह कहना चाहूंगी कि अब जीत-हार की बहस छोड़कर, इस लोकतंत्र की महान शक्ति के आगे नतमस्तक होते हुए, हम सदन की कार्यवाही प्रारंभ करें, यही उचित होगा।

अध्यक्ष महोदया: बसुदेव आचार्य जी। आप बहुत संक्षेप में बोलिएगा।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा)**:** अध्यक्ष महोदया, मैंने प्रश्नकाल के निलम्बन के लिए नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदया: नहीं, हम अभी इस पर विचार नहीं कर रहे हैं।

श्री बसुदेव आचार्य: यह मूल्यवृद्धि से संबंधित है।

अध्यक्ष महोदया: हम मूल्यवृद्धि के मुद्दे को बाद में लेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य: आप मुझे शून्यकाल में बोलने की अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदया: ठीक है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: मुलायम सिंह जी, आप किस विषय पर बोलना चाहते हैं?

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी)**:** अध्यक्ष महोदया, मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन आपको देर करने की आवश्यकता नहीं थी। यही बात उसी वक्त स्वीकार कर ली जाती तो पूरा सत्र क्यों बंद होता। हम सत्र चलाने के पक्ष में हैं और विपक्ष ज्यादा चाहता है कि सदन चले, क्योंकि हम अपने सवाल उठाते हैं और सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं। हम समझते हैं कि विपक्ष कभी भी नहीं चाहता कि सदन न चले। देर से ही चले, लेकिन पूरे देश की जनता को आपने जना दिया, जिसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। यदि इसे तुरन्त स्वीकार कर लेते तो शायद कोई जान नहीं पाता। लेकिन अब गांव-गांव और घर-घर में जनता जान गई है। आपको तो दोनों तरफ से नुकसान हुआ है कि जनता भी जान गई कि सरकार अड़ी हुई है और भ्रष्टाचार को छिपाना चाहती है। अंततोगत्वा आपने यह स्वीकार कर लिया है, जिसके लिए धन्यवाद। मुझे खुशी होगी, यदि ऐसी कमेटी बने जो इस पर ठोस निर्णय ले, ताकि भविष्य में कोई ऐसा उदाहरण सामने न आए।

[अनुवाद]

श्री गुरुदास दासगुप्त: महोदया, यह सरकार की प्रशंसा करने का प्रश्न नहीं है और न ही यह सरकार को बधाई देने का प्रश्न है। सरकार ने केवल अपना कर्त्तव्य निभाया है। सरकार के नाते, प्रधानमंत्री होने के नाते यह सरकार और उससे बढ़कर प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि संसदीय मानदंडों का पालन किया जाए तथा संसद चले। संसद उस तरफ या इस तरफ की तनातनी के व्यवहार के आधार पर नहीं चलाई जा सकती। संसद केवल आम राय से ही चलाई जा सकती है।

यह अच्छा है कि सरकार को सद्बुद्धि आई है। मैं सराहना नहीं कर रहा हूं अपितु मैं यह कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री ने अपना काम किया है। यह अच्छी बात है कि अब ऐसा किया गया है। देर आए दुरुस्त आए।

अध्यक्ष महोदया: धन्यवाद।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदया

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप बोल चुके हैं।

[अनुवाद]

यदि आपको वही बात कहनी है तो कृपया अपने आपको सम्बद्ध करें तथा इस संबंध में अपनी पर्ची सभापटल पर भेजें।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: मैं इस पर बोलना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदया: आपने अभी बोला है। अब आप प्रश्नकाल चलने दीजिए। आप सुषमा जी और मुलायम सिंह जी से एसोसिएट कर लीजिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: श्री के. चन्द्रशेखर राव

...*(व्यवधान)*

श्री के. चन्द्रशेखरराव (महबूबनगर)**:** महोदया, मैं इस विषय पर अपने आपको सम्बद्ध करता हूं ...*(व्यवधान)*

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम)**:** महोदया, मैं भी अपने आपको इस विषय पर सम्बद्ध करता हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री रमेन डेका (मंगलदोई)**:** महोदया, मैं भी श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा व्यक्त विचारों से अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

श्री अर्जुनराम मेघवाल (बीकानेर)**:** महोदया, मैं भी नेता प्रतिपक्ष, श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से अपने आप को सम्बद्ध करता हूं।

अध्यक्ष महोदया: ठीक है।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदया, मैं अपने आप को उन सभी नेताओं के साथ सम्बद्ध करता हूं जो पहले ही बोल चुके हैं। हम शुरू से यह मांग करते रहे हैं कि ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आचार्य जी, कृपया अपनी सीट पर बैठिए। अब, डा. एम. थम्बिदुरई बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: हम पहले दिन से यह मांग करते रहे हैं कि इस प्रकार के घोटाले की जांच के लिए जेपीसी गठित की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदया: धन्यवाद। अब आप बैठिए, श्री आचार्य।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: इसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जा रहा है।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदया: मैंने डा. एम. थाम्बिदुरई का नाम बोला है। इसलिए, आचार्य जी आप जो बोल रहे हैं, उसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जा रहा है।

...*(व्यवधान)**

डा. एम. थम्बिदुरई (करूर)**: महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका अत्यंत आभारी हूं।**

अढ़ाई वर्ष से, हमारी नेता सुश्री जयललिता इस मुद्दे को उठाती रहीं थी। उन्होंने 2जी स्पैक्ट्रम घोटाले के बारे में अनेक बयान दिए। हमने भी सदन में इस मामले को कई बार उठाया है। कई बार अध्यक्ष महोदया ने भी हमें इस मामले का उल्लेख करने की अनुमति दी। तदुपरान्त, सभी विपक्षी दलों ने एक साथ 2 जी स्पैक्ट्रम घोटाले की जांच हेतु जेपीसी के गठन की मांग की। अतः महोदया, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं जो जेपीसी के गठन हेतु आगे आए। मुझे आशा है कि उक्त समिति में सभी दलों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। सरकार को केवल सांसदों की संख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहिए। यदि सरकार इन बातों की उपेक्षा करती है, तो यह एक समस्या होगी। इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

करता हूं कि जे पी सी में सभी राजनैतिक दलों के नेताओं को शामिल किया जाएगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदया : आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अब, श्री अर्जुन चरण सेठी। कृपया संक्षेप में बोलें।

श्री अर्जुन चरण सेठी (भद्रक): मैं अत्यंत संक्षेप में बोलूंगा। महोदया, आपने मुझे कुछ शब्द बोलने की अनुमति दी, अत: आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदया, ऐसा कहा जाता है, 'देर आए दुरुस्त आए'। आपने और सदन के नेता श्री प्रणब मुखर्जी ने इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए बहुत प्रयास किए और अन्तत: हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस गतिरोध को समाप्त करने के निश्चित रूप से एक अच्छा कार्य किया। अब एक सुविचारित निर्णय लेने के लिए सदन की बैठक हो रही है ताकि इस मसले का समाधान किया जा सके जैसाकि माननीय प्रधानमंत्री पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि जे पी सी का गठन किया जाएगा।

महोदया, मैं पुन: आपको धन्यवाद देता हूं। सदन का अध्यक्ष होने के नाते, आपने प्रतिपक्ष तथा सत्तापक्ष दोनों को इस बारे में मनाने के लिए काफी प्रयास किए। इसलिए, मैं महोदया आपको प्रधानमंत्री महोदय तथा सदन के नेता को धन्यवाद देता हूं। आप सभी ने इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए अच्छा कार्य किया है।

अध्यक्ष महोदया: आपका धन्यवाद।

अब, श्री चन्द्रशेखर राव।

श्री के. चन्द्रशेखर राव: वर्ष 2009 में और गत वर्ष, 10 दिसम्बर को भारत सरकार ने तेलंगाना राज्य बनाने के बारे में घोषणा की थी। इस मामले में 600 युवक पहले ही आत्महत्या कर चुके हैं।

अध्यक्ष महोदया: मुझे स्थगन प्रस्ताव के बारे में आपका नोटिस मिल चुका है। उसे स्वीकृत नहीं किया गया है। लेकिन आप इसे 'शून्य-काल' में उठा सकते हैं। मैं 'शून्य-काल' में आपको समय दूंगी।

[हिन्दी]

श्री के. चन्द्रशेखर राव: मैडम, जेपीसी प्रधान मंत्री जी ने एनाउंस कर दी, यह अच्छा हुआ। ...*(व्यवधान)* लेकिन तेलंगाना राज्य बनाने के मुद्दे पर आज हमने एडजर्नमेंट मोशन दिया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: ठीक है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: अब प्रश्नकाल है श्री के. सुधाकरण।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): विपक्ष की मांग पूरी हुई, भ्रष्टाचार के खिलाफ जेपीसी का गठन हुआ। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: अभी प्रश्न-काल चलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): जो नुकसान हुआ, उसकी भरपाई कैसे होगी? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप एसोसिएट कर लीजिए, सुषमा जी बोल चुकी हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न-काल शुरू हो चुका है।

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): अध्यक्ष महोदया, सब लोग प्रधान मंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: ठीक है, प्रश्न-काल को भी चलाना है, प्रश्न-काल चलाने दीजिए। सब लोग एसोसिएट कर लीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए। अजनाला जी, आप बैठ जाइए। शरद यादव जी, आप बहुत संक्षेप में बोलिए।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री शरद यादव (मधेपुरा)**:** अध्यक्ष महोदया, कल राष्ट्रपति जी का भाषण हुआ, आज जब सदन चला तो हम सब लोगों की इच्छा थी, क्योंकि पूरा देश बेचैन है। अदालत खुली है, मीडिया खुला हुआ है, सिर्फ इस देश की चुनी हुई जो सबसे बड़ी पंचायत है, वह चुप है। आज वह चुप्पी तोड़ने का रास्ता प्रधान मंत्री जी, यूपीए के लोगों ने शुरू किया, जो एक ठीक कदम हैं इस पार्लियामेंट को छोड़ आज हर तरह से हर संस्था सक्रिय है। जेपीसी का गठन किया है, लेकिन उसमें एक मुद्दा लिया है।

कोई बात नहीं। हम एक कदम तो आगे बढ़े, लेकिन कॉमन वैल्थ आदि अनेक मुद्दे हैं। यहां कलमाड़ी जी बैठे हैं। आदर्श हाउसिंग सोसायटी और एस. बैंड आदि ऐसे अनेक मुद्दे हैं जिनकी तरफ ध्यान गया है। वे मुद्दे उतने ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जितना की यह मुद्दा है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: शरद जी, जब बहस होगी, तब इन पर विस्तार से बात होगी। अब आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री शरद यादव: अध्यक्ष महोदया, महंगाई से सारा देश हा-हाकार कर रहा है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न काल शुरू किया जाए - श्री शरद यादव जब इस प्रस्ताव पर चर्चा हो, तब आप विस्तार में विचार कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शरद यादव: अध्यक्ष महोदया, आप कृपया मेरी बात सुन लीजिए। मैं अपनी बात केवल एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदया: शरद यादव जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री शरद यादव: अध्यक्ष महोदया, मैं केवल एक सैंटेंस बोल रहा हूं। मैं एक सैंटेंस से ज्यादा नहीं बोलूंगा।

अध्यक्ष महोदया: हां, बोलिए।

श्री शरद यादव (मधेपुरा)**:** अध्यक्ष महोदया, इस ठीक कदम को उठाने के लिए मैं सारे सदन, प्रधानमंत्री जी और आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं।

पूर्वाह्न 11.16 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: अब प्रश्नकाल - श्री के. सुधाकरण, प्रश्न संख्या 1।

प्रतिबंधित कीटनाशकों का उपयोग

*1. **श्री के. सुधाकरण :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसे कीटनाशकों/खरपतवारनाशकों का अन्धाधुन्ध उपयोग किए जाने की जानकारी है जिनके उपयोग पर उन देशों में ही प्रतिबंध लगाया गया है जिनमें उनका उत्पादन किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने प्रतिबंधित कीटनाशकों का अधिक मात्रा में उपयोग किए जाने के कारण कृषि उपज के आयात के संबंध में यूरोपीय देशों द्वारा जारी की गई सलाह पर ध्यान दिया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में कीटनाशकों के उपयोग को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) देश में कीटनाशकों के उपयोग को कीटनाशी अधिनियम, 1968 के तहत विनियमित किया जाता है। कीटनाशकों के उपयोग की अनुमति उनकी प्रभावोत्पादकता तथा मानव

व पशुओं के लिए सुरक्षा के दावे को सत्यापित करने के पश्चात् दी जाती है। नई वैज्ञानिक सूचना के आधार पर उपयोग हेतु अनुमत कीटनाशकों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। भारत में 67 कीटनाशकों के उपयोग की अनुमति दी गई है जिन पर कुछ देशों द्वारा या तो रोक लगाई गई है या कठोर प्रतिबंध लगाया गया है। मीडिया में कुछ रिपोर्टें आई हैं जिनमें मण्डी में उपलब्ध सब्जियों में प्रतिबंधित कीटनाशक पाए गए बताए गए हैं। तथापि, ''राष्ट्रीय स्तर पर कीटनाशक अवशेषों की मानिटरिंग'' की केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम के अधीन कीटनाशक अवशेषों का पता लगाने के लिए एकत्रित किए गए सब्जियों सहित कृषि जिन्सों के नमूनों के विश्लेषण से अब तक कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अधीन प्रतिबंधित किसी कीटनाशक के उपयोग किए जाने का संकेत नहीं मिला है। अधिनियम के अधीन प्रतिबंधित नहीं किए गए कीटनाशकों के संबंध में, कुछ ऐसे मामले हुए हैं जहां मुख्य रूप से जागरूकता की कमी के कारण कुछ क्षेत्रों में मात्रा, फसलों, और अनुप्रयोग की पद्धति के संबंधी निर्धारिणों का पालन नहीं किया गया।

(ग) और (घ) सरकार ने कीटनाशकों हेतु अधिकतम अवशेष स्तरों (एमआरएल) की समन्वित सूची के संबंध में 1 सितम्बर, 2008 से प्रभावी यूरोपियन कमीशन्स (ईसी) के विनियमों का संज्ञान लिया है। यूरोपियन कमीशन द्वारा निर्धारित कठोर अधिकतम अवशेष स्तरों के मुद्दे को द्विपक्षीय विचार-विमर्श में यूरोपियन संघ के साथ उठाया गया है।

(ङ) केन्द्र व राज्य सरकारें किसानों को शिक्षित करने तथा कीटनाशकों के दुरुपयोग के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कीटनाशकों के सुरक्षित तथा विवेकपूर्ण उपयोग पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती है। सरकार एक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम ''भारत में कीट प्रबंधन दृष्टिकोण का सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण'' के माध्यम से समेकित कीट प्रबंधन (आईपीएम) की रणनीति को लोकप्रिय बना रही है जिसमें कीट नियंत्रण की कल्चरल, मैकेनिकल, बायोलोजिकल व अन्य पद्धतियों और कीटनाशकों के सुरक्षित व विवेकपूर्ण उपयोग पर जोर दिया जाना शामिल है।

श्री के. सुधाकरण: महोदया, उत्तर में यह उल्लेख किया है कि भारत में 67 कीटनाशकों के उपयोग की अनुमति है जिन पर कुछ देशों द्वारा या तो प्रतिबंध लगा दिया गया है या उनके उपयोग को कड़ाई से सीमित कर दिया गया है। जब कीटनाशकों के उत्पादक अपने ही देश में उनके उपयोग पर रोक लगा देते हैं तो यह स्पष्ट रूप से मनुष्य के लिए उनके खतरे की गंभीरता को स्पष्ट करता है।

सरकार हमारे देश में ऐसे कीटनाशकों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने में क्यों हिचकिचा रही है? क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एंडोसल्फान, जिसने केरल के कासरगोड जिले में कई परिवारों के जीवन को बर्बाद कर दिया है, अमेरिका और यूरोप के देशों सहित कई देशों में एक प्रतिबंधित कीटनाशक है? परन्तु भारत में इसके उपयोग पर रोक नहीं है। क्या सरकार की भारत में इसके उपयोग पर रोक लगाने की कोई योजना है? सरकार ने पीड़ितों और उनके परिवारों का पुनर्वास करने के लिए क्या उपाय किए हैं अथवा किए जाने का प्रस्ताव है क्योंकि उनमें से अधिकांश की मृत्यु हो चुकी है और बहुत से लोग मानसिक और शारीरिक रोगों से पीड़ित हैं।

श्री के. चन्द्रशेखर राव: महोदया, मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: श्री चन्द्रशेखर राव जी, आपने एडजर्नमेंट मोशन दिया है। मैंने कहा है कि उसके स्थान पर आप इस विषय को शून्य काल में उठाइए। आपको इस विषय को शून्यकाल में उठाने हेतु समय दिया जाएगा।

[अनुवाद]

श्री शरद पवार: महोदया, ऐसे बहुत से कीटनाशक हैं जो कुछ देशों में प्रतिबंधित हैं, परन्तु भारत में उनके उपयोग की अनुमति है। उनके उपयोग की अनुमति न केवल भारत में अपितु, अन्य कई देशों में भी है। इनकी संख्या 16 है। हम सदैव किसी विशेष कीटनाशक के मानव और पशुओं पर प्रभाव के बारे में विस्तृत जांच करने के लिए विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों की नियुक्ति करते हैं। ...*(व्यवधान)* यदि हमें इसके अच्छे परिणाम मिलते हैं तो हम उसे स्वीकृत कर लेते हैं।

यहां, एंडोसल्फान के बारे में एक विशेष प्रश्न पूछा गया था। यह सत्य है कि लगभग 60 देशों में एंडोसल्फान के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है, परन्तु 40 ऐसे देश हैं जहां पर एंडोसल्फान के उपयोग की अनुमति है। ब्राजील, आस्ट्रेलिया और चीन जैसे देशों में आज भी एंडोसल्फान के उपयोग की अनुमति है।

गत कुछ वर्षों से हमें कुछ शिकायतें और मीडिया रिपोर्टें प्राप्त हो रही हैं कि केरल के कासरगोड़ जिले में विशेष रूप से पादरे नामक गांव में कुछ मामले सामने आए हैं। वहां मनुष्यों और बच्चों पर इसका कुछ प्रभाव पड़ा है इसलिए, लोगों में गुस्सा है। उक्त

जानकारी प्राप्त हो जाने के पश्चात् भारत सरकार ने विभिन्न समितियां नियुक्त की। यह केवल आज की बात नहीं है अपितु, समितियां नियुक्त की गई थी ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री जगदीश शर्मा: अध्यक्ष महोदया, अंग्रेजी का हिन्दी इंटरप्रेटेशन सुनाई नहीं दे रहा है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: अभी दिखवा रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री शरद पवार: ये समितियां नियुक्त की गई और विशेषज्ञों की समिति की रिपोर्ट एंडोसल्फान के उपयोग के विरुद्ध नहीं थी।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री जगदीश शर्मा: अध्यक्ष महोदया, हमको अंग्रेजी आती नहीं है और हिन्दी सुनाई पड़ती नहीं है तो कैसे काम चलेगा? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री शरद पवार: क्या माइक कार्य नहीं कर रहा है? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: चैक कर रहे हैं, अभी आ जायेगी।

मंत्री महोदया, आप दोनों भाषाओं में बोल दीजिए।

श्री शरद पवार: 1991 में पहली कमेटी डॉ. एस.एन. बनर्जी के नेतृत्व में एपाइण्ट की थी। डॉ. एस.एन. बनर्जी, प्लांट प्रोटैक्शन एडवाइजर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थे। 1999 में डॉ. आर.बी. सिंह, डायरेक्टर, इंडियान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, पूसा की अध्यक्षता में दूसरी कमेटी एपाइंट हुई। तीसरी कमेटी 2003 में डॉ. ओ.पी. दूबे, असिस्टेंट डायरैक्टर जनरल (प्लांट प्रोटैक्शन) आई.सी.ए.आर. की अध्यक्षता में एपाइंट हुई और चौथी कमेटी 2004 में डॉ. सी.डी. माई, एग्रीकल्चर कमिश्नर के नेतृत्व में एपाइंट की। इन चारों कमेटियों की रिपोर्ट यह आई है।

[अनुवाद]

उन्होंने एंडोसल्फान के उपयोग को जारी रखने की सिफारिश की है। वैज्ञानिकों की रिपोर्ट के अनुसार, वास्तविक समस्या केरल में विशेषरूप से कासरगोड़ जिले में है। ...*(व्यवधान)*

श्री डी.वी. सदानन्द गौडा: यह समस्या कर्नाटक में दक्षिण कन्नड़ जिले में भी है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: उत्तर सुन लीजिए। आप बैठिए।

[अनुवाद]

श्री शरद पवार: अत:, कासरगोड जिले में इस विशेष कीटनाशक का उपयोग छिड़काव के माध्यम से किया जाता था। यह सलाह दी गयी थी कि इसका छिड़काव न किया जाए परन्तु, केरल सरकार के एक संगठन ने काजू की फसल पर इसका छिड़काव किया है जो कि कीटनाशक बोर्ड के दिशानिर्देशों के विरुद्ध है। उन्होंने इस संबंध में पूर्व अनुमति नहीं ली है और यह कार्य अनुमति लिए बिना किया गया। यह एक कारण हो सकता है जिसके परिणामस्वरूप स्थानीय लोगों के सामने समस्याएं आ रही हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री पी.के. बिजू: केरल सरकार पहले ही इस पर प्रतिबंध लगा चुकी है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप बैठिए।

[अनुवाद]

श्री शरद पवार: हमने यह अनुरोध किया है कि वे इसके उपयोग पर रोक लगाएं। ये रिपोर्टें मिलने के पश्चात् एंडोसल्फान का उपयोग रोक दिया गया है। केरल सरकार वर्तमान में एंडोसल्फान के उपयोग की अनुमति नहीं दे रही है।

हाल ही में, हमें केरल सरकार से भी एक पत्र प्राप्त हुआ है, और हमें केरल की तर्ज पर कर्नाटक में भी इसे लागू करने में कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु, इसका एक अन्य पक्ष भी है। ऐसे कई राज्य हैं, कई किसान संगठन हैं, और अनेक किसान नेता हैं जिन्होंने अलग दृष्टिकोण अपनाया है। वे इस विशेष कीटनाशक का उपयोग करना चाहते हैं, और उन्होंने यह कहा है कि उनका अनुभव बहुत अच्छा रहा है और देश में केरल जैसे मामले कहीं और सामने नहीं आए हैं।

श्री जी.वी. सदानन्द गौडा: मंत्रिमंडल कर्नाटक में इस पर पहले ही प्रतिबंध लगा चुका है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्य अपना दूसरा पूरक प्रश्न पूछें।

...*(व्यवधान)*

श्री के. सुधाकरण: फिर भी, कासरगौड में कुछ आपदाएं आई हैं। परन्तु, इस संबंध में बहुत लोग पीड़ित हुए हैं और उन सभी पीड़ितों का पुनर्वास करना सरकार का नैतिक दायित्व है। क्या सरकार ने एंडोसल्फान कीटनाशक के पीड़ितों और उनके परिवारों का पुनर्वास करने के लिए कोई कदम उठाए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है, जिनमें से अधिकांश लोगों की मृत्यु हो चुकी है और बहुत से लोग मानसिक और शारीरिक बीमारियों से पीड़ित हैं। सरकार की इस मामले में नैतिक बाध्यता है। कृपया केरलवासियों की मांग की अनदेखी न करें।

श्री शरद पवार: हमारी भी यह इच्छा है कि केरल सरकार को इन सभी लोगों की देखभाल की जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

श्री आर. ध्रुवनारायण: धन्यवाद, महोदया। कई निर्यात योग्य कृषि उत्पाद; कीटनाशकों के अंधाधुंध उपयोग के फलस्वरूप कीटनाशकों के अवशेष मिलने के कारण अस्वीकार किए जा रहे हैं। इस संबंध में मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहूंगा कि निर्यात योग्य वस्तुओं के लिए एस जी एस या कोडेक्स मानक अपनाने के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की है।

श्री शरद पवार: हमने कोडेक्स मानकों का सदैव पालन किया है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री जगदीश शर्मा: अध्यक्ष महोदया, हाउस में कैसे काम चल रहा है? इसमें हिन्दी नहीं आ रही है, माइक काम नहीं कर रहा है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: क्या आपके पास आ रहा है?

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: यदि आप दोनों भाषाओं में बोल सकते हैं तो बोलिए।

[हिन्दी]

हिन्दी में बोलिए।

श्री शरद पवार: भारत सरकार प्रोजेक्ट्स के नार्म्स के बारे में पर्टिकुलर है। हम प्रोजेक्ट्स का समर्थन करते हैं और उसे आब्जर्व करते हैं, इसलिए हमारे एक्सपोर्ट के लिए ऐसी कोई समस्या पैदा नहीं होती है। एक या दो आइटम्स के संबंध में समस्या पैदा हुई थीं, उसके लिए करेक्टिव मेजर्स भारत सरकार ने लेने की शुरूआत की है।

श्री हरिभाऊ जावले: अध्यक्ष महोदया, यह प्रश्न अन्न सुरक्षा मिशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि सरकार एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम, भारत में कीट प्रबंधन दृष्टिकोण का सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण के माध्यम से समेकित कीट प्रबंधन की रणनीति को लोकप्रिय बना रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि भारत में अपने 67 कीटनाशकों के उपयोग की अनुमति दी है। पांच-छः सालों से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और अन्य कई प्रकार के कीट फसलों पर आक्रमण कर रहे हैं मेरा निवेदन है कि सरकार 67 कीटनाशकों में से जो प्रभाव विहीन हो गए हैं, उनको बंद करे और जिन नए कीटनाशकों पर रिसर्च हुई है, उनकी अनुमति दी जानी चाहिए। अच्छे और प्रभावी ढंग से रणनीति बनाने के लिए और इसकी निगरानी के लिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो समिति आप बनाएंगे, अगर वह जिला स्तर पर सांसदों की अध्यक्षता में बन जाए, तो इसकी निगरानी अच्छी तरह से हो सकेगी, क्या आप सांसदों की अध्यक्षता में समिति बना सकते हैं?

श्री शरद पवार: महोदया, इसमें एक बात साफ है कि जिन पेस्टीसाइड्स की इजाजत दी गयी है, इसकी जांच एक बार ही की जाती है, ऐसी स्थिति नहीं है। हर साल एक-दो बार अलग-अलग जगह पर सैंपल लेकर देखा जाता है कि इसका इफैक्ट क्या है और इस बात पर हमेशा ध्यान दिया जाता है। भारत सरकार ने देश के सभी राज्यों में स्पेशल लैबोरेट्रीज बनायी हैं। ये लैबोरेट्रीज अलग-अलग जगहों पर जाकर सैंपल्स लेती हैं। एग्रीकल्चर स्वदेशी मार्केट से जो कृषि माल आता है, उसका सैंपल लेकर, उस पर पेस्टीसाइड्स का असर क्या है, कहां तक है, इसके बारे में जांच की जाती है। जब यह पता लगता है कि किसी को नुकसान हो रहा है तो उसको रोक देते हैं या जब पता लगता है कि इसकी उपयुक्तता खत्म हो गयी है, तो भी उसे रोक देते हैं। यदि कोई नया प्रस्ताव आता है, उसकी

स्टडी करने के बाद, वह फायदे का हो और उसका कोई बुरा असर न हो तब उसे क्लियरेंस दिया जाता है।

[अनुवाद]

श्री पी. करूणाकरण: अध्यक्ष महोदया, कासरगोड जिला मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है। इसलिए मुझे एक प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाये।

श्री भर्तृहरि महताब: उपयोग में लाए जा रहे कीटनाशक मिट्टी में भी धंस जाते हैं और जिस व्यक्ति के पास भूमि का स्वामित्व रहता है, वह वास्तव में भूमि का न्यासी है क्योंकि भूमि मानव समुदाय की है। लेकिन जिस तरह से हमारे देश में कीटनाशकों का उपयोग किया जा रहा है - सरकार ने वक्तव्य दिया है कि हमारे देश में 67 प्रतिबंधित कीटनाशकों का उपयोग किया जा रहा है - राष्ट्रीय स्तर पर हम अपने लोगों के स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव का पता लगाने में असमर्थ रहे हैं।

कीटनाशकों के कारण भूमि का अपक्षरण हो रहा है। मैं सरकार से केवल यह जानना चाहूंगा कि क्या उन कीटनाशकों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है जो भूमि का वास्तव में अपक्षरण कर रहे हैं और लोगों के स्वास्थ्य पर भी एक तरह से प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं।

श्री शरद पवार: प्रयोगशालाएं वास्तव में इन सभी पहलुओं का बारीकी से पता लगाती हैं तथा उसके बाद ही मंजूरी देती हैं।

श्री पी. करूणाकरण: अध्यक्ष महोदया, मैंने यह मुद्दा पहले भी उठाया है। मैं माननीय मंत्री से सहमत हूं कि इस मुद्दे के संबंध में समुचित अध्ययन किया जाना चाहिए। लगभग 16 अध्ययन पहले ही कराए जा चुके हैं। कासरगोड में लगभग 11 गांवों में 400 लोग पहले ही मृत्यु का शिकार हो चुके हैं और 4000 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। केरल सरकार कई कदम उठा रही है। साथ ही 74 देशों* ने एंडोसल्फान पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसकी उत्पत्ति अमेरिका में 1950 में हुई थी तथा स्वयं अमेरिका ने इस पर 2010 में प्रतिबंध लगा दिया है। इस पर और अध्ययन किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

अध्यक्ष महोदया: कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

श्री पी. करूणाकरण: जी हां, महोदया। इसके गंभीर प्रभाव पड़ते हैं जो कासरगोड, कर्नाटक, पलाक्कड और इडुक्की में व्याप्त हैं। मंत्री ने कहा है कि इसके बारे में कुछ कमीशन भी हैं। यह सत्य है लेकिन इसके साथ-साथ स्वास्थ्य विशेषज्ञों एवं पर्यावरण विशेषज्ञों का समान मत है कि एंडोसल्फान के कारण ही बहुत गंभीर रोग हुए हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार और अधिक समय बर्बाद किए बगैर एंडोसल्फान पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय करेगी तथा राज्य के पीड़ितों, व्यथित लोगों के लिए विशेष पैकेज देने हेतु आवश्यक कदम भी उठाएगी।

श्री शरद पवार: जैसा कि मैंने कहा है, विशेष रूप से यह मुद्दा बहुत ही विवादास्पद हो गया है। अनेक राज्य अनेक बातें कर रहे हैं। उन्होंने विभिन्न तरीके अख्तियार किए हैं। कुछ राज्य, विशेषकर केरल और कर्नाटक ने भिन्न रुख अपनाए हैं। जैसा मैंने कहा है कि हमने 1992 से ही वैज्ञानिकों की चार समितियां गठित की हैं तथा सभी चार समितियों की रिपोर्ट एंडोसल्फान के पक्ष में रही हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि यदि छिड़काव सही नहीं है, तो उसे रोक देना चाहिए। लेकिन मीडिया, पर्यावरण तथा खासकर केरल में बड़े वर्गों की प्रतिक्रिया को पूरी तरह जानते हुए, हाल में भारत सरकार ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् के अंतर्गत एक समिति के गठन का निर्णय किया है तथा वे इस पर विस्तार से गौर करेंगे एवं हम उनकी सिफारिशें स्वीकार करेंगे।

सब्जियों और फलों के मूल्यों में वृद्धि

*2. †**डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :**

श्री नारनभाई कछाड़िया :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में प्याज, टमाटअर, लहसुन और सेब सहित सब्जियों और फलों के मूल्यों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारणों को दर्शाते हुए तत्संबंधी मद-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्याज सहित उक्त वस्तुअओं के निर्यात कोटे में वृद्धि किए जाने से इन उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा मूल्यों को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) फलों और सब्जियों का थोक मूल्य सूचकांक जिसमें प्याज, टमाटर, सेब और लहसुन शामिल है, दिनांक 8 जनवरी, 2011 को 205.8 के स्तर से कम होकर दिनांक 5 फरवरी, 2011 को 173.3 के स्तर पर आ गया, इस प्रकार इसने हाल ही में 15.8% की गिरावट दर्ज की।

(ग) और (घ) प्याज सहित फलों और सब्जियों का निर्यात कोटा नहीं है। वास्तव में, वर्ष 2010-11 में नवम्बर तक प्याज का निर्यात 11.58 लाख टन था जो नवम्बर, 2009-10 तक निर्यात की गई 13.83 लाख टन की मात्रा से कम था।

महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में नवम्बर तथा दिसम्बर, 2010 के दौरान हुई असामयिक वर्षा के परिणामस्वरूप खरीफ की प्याज फसलों को हुए नुकसान के कारण, प्याज के मूल्य में दिसम्बर, 2010 में बढ़ोत्तरी दर्ज हुई। हालांकि, देरी से आई खरीफ फसल के उत्पादन में सुधार के साथ, मंडियों में प्याज के थोक मूल्यों में तेजी से गिरावट आई है। उदाहरण के लिए पिंपलगांव मंडी में प्रतिदर्श मूल्य जो दिसम्बर, 2010 के तीसरे सप्ताह में 3800/- रुपए प्रति क्विंटल के शीर्ष स्तर पर पहुंच गए थे, फरवरी, 2011 के तीसरे सप्ताह में कम होकर लगभग 887/- रुपए प्रति क्विंटल पर आ गए हैं व दिनांक 9 फरवरी, 2011 को न्यूनतम मूल्य गिरकर 200 रुपए प्रति क्विंटल तक हो गया है।

(ङ) ऐसे उत्पादों के मूल्यों के नियन्त्रण को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने सितम्बर, 2010 से दिसम्बर, 2010 तक प्याज का न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) को 275 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन से बढ़ाकर 1200 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन करने सहित बहुत-से कदम उठाए हैं। इसके अतिरिक्त, दिनांक 22 दिसम्बर, 2010 से प्याज के निर्यात पर रोक लगा दी गई तथा घरेलू आपूर्ति को बढ़ाने के लिए प्याज के शुल्कमुक्त आयात की अनुमति दी गई। उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए सरकार ने रियायती दर पर जनवरी, 2011 के दौरान दिल्ली में नैफेड के माध्यम से प्याज का वितरण किया। फरवरी, 2011 के दूसरे सप्ताह में बैंगलोर रोज़ तथा कृष्णापुरम जैसी किस्मों के निर्यात पर रोक हटाने के लिए सरकार द्वारा एक निर्णय लिया गया क्योंकि ये घरेलू तौर पर उपभोग नहीं की जाती हैं, इन्हें लम्बे समय तक भंडारित नहीं किया जा सकता है तथा इसके अलावा किसान रोक से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हैं। हाल ही में सरकार ने देश भर में प्याज के आगम में सुधार तथा घटते हुए मूल्यों को ध्यान में रखते हुए प्याज की सभी किस्मों पर से पूर्ण रूप से रोक हटा ली है और न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) को घटाकर 600 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन कर दिया है।

फलों, सब्जियों तथा अन्य बागवानी फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, सरकार दो मिशन तथा (i) उत्तर-पूर्वी तथा हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन (एचएमएनईएच) तथा (ii) शेष राज्यों में राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) कार्यान्वित कर रही है। मिशन के अन्तर्गत सृजित की गई आधारभूत सुविधाओं तथा नर्सरियां, ऊतक उत्पादन (टिस्यु कल्चर) इकाइयां, रोग पूर्वानुमान इकाइयां, पौध स्वास्थ्य क्लीनिक, वाटर टैंक, नलकूप, हरित गृह/शेड नैट, यन्त्रीकरण आदि ने गुणवत्तायुक्त पौध सामग्री के उत्पादन और आपूर्ति में तथा बागवानी फसलों के उत्पादन और उनकी उत्पादकता में सुधार करने में भी सहायता मिली है। मिशन के कार्यान्वयन में अभिज्ञान बागवानी फसलों के 21.75 लाख हैक्टेयर के अतिरिक्त क्षेत्र को शामिल करने में सहायता की है। इसके अतिरिक्त, उत्पादकता बढ़ाने के लिए 3.4 हैक्टेयर रोगग्रस्त तथा अनुत्पादक बागों का उद्धार किया गया है। प्रमुख आधारभूत ढांचा जो सृजित हुआ है, में गुणवत्तायुक्त पौध सामग्री के विशाल उत्पादन के लिए 3166 नर्सरियां शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, 88 रोग पूर्वानुमान इकाइयां, 93 ऊतक उत्पादन (टिस्यु कल्चर) इकाइयां, 95 पौध स्वास्थ्य क्लीनिक तथा 78 जैविव नियन्त्रण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। मिशन बागवानी फसलों की कार्बनिक खेती के अन्तर्गत 1.91 लाख हैक्टेयर के क्षेत्र को लाने में भी सफल हुआ है तथा इसने 8.0 लाख हैक्टेयर के क्षेत्र में एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएम) तौर तरीकों के अपनाए जाने को सुगम बनाया है। परिणामस्वरूप, बागवानी फसलों का उत्पादन 2004-05 में 170.8 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़कर 2009-10 में 223.0 मिलियन मीट्रिक टन हो गया है। फलों एंव सब्जियों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता भी 2004-05 में 391 ग्राम प्रतिदिन से बढ़कर 2008-09 में 466 ग्राम प्रतिदिन हो गई है।

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदया, प्रश्न का 'क' और 'ख' खंड देखा जाए। उसमें दिया गया है – फल, सब्जियों के मूल्यों में वृद्धि। यदि हां, तो इसके कारणों को दर्शाते हुए तत्संबंधी मदवार ब्यौरा क्या है। कारण और मदवार ब्यौरा पूछा गया है। सरकार का उत्तर है कि जनवरी में मूल्य वृद्धि 205.8 के स्तर तक हो गई थी जिसमें 15 फीसदी की कमी आ गई है। इनका यही उत्तर है। कारण कहां है, इसमें क्या पेच है, यह नहीं दिया गया है, इसलिए उत्तर संजोषजनक नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह

की महंगाई से देश में आम जनता में तीन तरह की समस्याएं, पीड़ाएं पहुंच रही हैं। वे क्या-क्या हैं। संकट एक, मूल्य वृद्धि से सब लोग तबाह होते हैं, लेकिन गरीब लोग ज्यादा तबाह होते हैं। संकट दो, विपत्ति पर विपत्ति। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप प्रश्न पूछिए।

...*(व्यवधान)*

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: यह काफी लम्बी भूमिका है।

...*(व्यवधान)*

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: मंत्री जी को उत्तर देने में सहूलियत हो जाएगी। जब उत्तर संतोषजनक नहीं है तो उसे साफ करना पड़ेगा। ...*(व्यवधान)* विपत्ति नम्बर एक है कि महंगाई से गरीब लोगों पर मार है। दो, सरकार के बयानों से विपत्ति पर विपत्ति है। सरकार का बयान है - सरकार के बस में नहीं है, हम ज्योतिषी नहीं है, लोग ज्यादा खाने लगे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप प्रश्न पूछिए।

...*(व्यवधान)*

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: यह कहा गया था कि हिन्दुस्तान के लोग ज्यादा खाने लगे हैं, इसलिए अनाज की कमी हो गई है। गरीब आदमी ज्यादा खरीदने लगे हैं, ज्यादा खर्च करने लगे हैं, इसलिए महंगाई बढ़ रही है। कोई बोलता है अलादीन का चिराग नहीं है। कोई मंत्री कुछ कहते हैं तो कोई मंत्री कुछ और कहते हैं। यह गरीब लोगों के साथ मजाक है। संकट तीन, आम आदमी लूटे जा रहे हैं, लेकिन उत्पादक किसान को ठीक मूल्य नहीं मिलता। आम उपभोक्ता शोषित होते हैं, लेकिन किसानों को वह मूल्य नहीं मिलता। कभी कहा जाता है कि उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, उत्पादकता बढ़ानी पड़ेगी। कभी निर्यात रोका जाता है, तो कभी चालू हो जाता है। इस तरह के जो रंग-बिरंगे बयान आ रहे हैं, वे भारी पीड़ादायक हैं। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: रघुवंश बाबू, आप इस पर नोटिस दे दीजिए, इस पर विस्तार से चर्चा करवा लीजिए। अभी आप अपना प्रश्न पूछिए।

...*(व्यवधान)*

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: हमारा प्रश्न है कि इन तीन तरह के संकटों को हटाने के लिए जैसे फल-सब्जियों की महंगाई रोकने, किसानों को सहूलियतें देने और गरीब लोगों पर इसकी मार न पड़े, उसके लिए क्या ठोस उपाय हैं, इस बारे में मंत्री जी सदन में बतायें।

श्री शरद पवार: महोदया, मूल्य वृद्धि का सवाल देश के सामने है। इसे नियंत्रित करने के लिए कुछ न कुछ कदम उठाये जा रहे हैं। यहां कृषि मूल्य की बात भी आयी है। खासतौर पर यहां प्याज और बाकी चीजों के बारे में सवाल पूछा गया है। यह बात सच है कि प्याज की कीमत एक महीने में ऊपर गयी थी, खासतौर पर जहां सबसे ज्यादा प्याज पैदा होता है - महाराष्ट्र का नासिक डिस्ट्रिक्ट, गुजरात का भावनगर डिस्ट्रिक्ट और राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हलकों में बारिश ऐसे समय आ गयी जो कभी आती नहीं थी, जिससे फसल का बड़ा नुकसान हो गया। मार्केट में प्याज कम आने की वजह से उसकी कीमतें ऊपर हो गयी थीं, यह बात सच है। ऐसी परिस्थिति में रास्ता निकालने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाये। सरकार ने बाहर से प्याज इम्पोर्ट करने की इजाजत दी और हिन्दुस्तान से बाहर जो प्याज जाता था, उस पर भी रोक लगा दी गयी। नेफेड के आर्गेनाइजेशन के माध्यम से दिल्ली जैसे शहर में सब्सीडाइज्ड कीमत पर प्याज बेचने का बंदोबस्त किया गया, मगर आज परिस्थिति अलग है। जिस प्याज की कीमत 3,800 रुपये पर क्विंटल होलसेल में थी, वह 200 रुपये तक आ गयी। इस इश्यू को लेकर किसानों का आंदोलन कई जगह शुरू हो गया है। आज किसान तरस रहे हैं, क्योंकि उनका भारी नुकसान हो रहा है। सब चीजों की कीमतें आज नीचे आ गयी हैं। ऐसे समय पर किसानों को सहयोग देने की आवश्यकता है और सहयोग देने के लिए हमने जो एक्सपोर्ट पर बैन लगाया था, उस एक्सपोर्ट को खोलने की आवश्यकता थी। इसलिए पिछले 15 दिनों में भारत सरकार ने एक्सपोर्ट के लिए इजाजत देने का निर्णय लिया। इस परिस्थिति में किसानों को राहत देने के लिए जिस कार्रवाई करने की आवश्यकता थी, वह की गई है। यह एक टैम्परेरी समस्या थी और इस टैम्परेरी समस्या से हम लोग बाहर निकल रहे हैं। मगर इस समस्या से बाहर निकलते समय किसानों का नुकसान न हो, इस पर भी हमें ध्यान देना होगा। इसलिए उस तरह से हम कदम उठाना चाहते हैं।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदया, माननीय मंत्री जी के उत्तर से भेद खुल गया। वह भेद क्या है? इन्होंने स्वयं कहा कि प्याज का मूल्य 3800 रुपये से घटकर 200 रुपये हो गया यानी उसमें कमी हो गयी। भेद यही है कि जब किसान उत्पादन करके बाजार में चला गया तो उसका सामान महंगा हो गया और जब किसान का

उत्पादन हुआ तो फिर वह सस्ता हो गा। इसे कोई पूछता नहीं है, भेद यही है। ...*(व्यवधान)* मैं देखता हूं कि आज गांव के बाजार में प्याज दो रुपये किलो है। जब मैं पटना आया तो उसकी कीमत दस रुपये किलो थी। जब दिल्ली आया तो वही दस रुपये पाव है। अब उपभोक्ता की यह स्थिति है। जहां उत्पादन होता है, वहां मूल्य दो रुपये किलो है और यहां दस रुपये पाव है जबकि गांव में दस रुपये किलो बिक रहा है। यह किसानों का संकट है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : रघुवंश प्रसाद जी, आप प्रश्न पूछिये। आप अपना प्रश्न बनाइये और पूछ लीजिए।

...*(व्यवधान)*

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदया, मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि रंग-बिरंगे बयानों से इस समस्या का हल नहीं होगा। किसानों को उत्पादित चीजों की कीमत मिले, आम उपभोक्ता शोषित भी न हों, इसके लिए पालिसी और एक्शन यानी नीति और कार्यक्रम बनाने की जरूरत है। जैसे दूध कोआपरेटिव में है, उसी तरह सरकार सब्जी को भी कोआपरेटिव में लाएं ताकि गरीब आदमी से जो सामान कलैक्ट करके बाजार में महंगे दामों में मिलता है, उससे आम उपभोक्ता को भी सहूलियत हो।

इसमें आम उपभोक्ता को सहूलियत होगी, किसानों को भी उचित मूल्य मिलेगा। इस तरह की पॉलिसी और इस तरह के एक्शन पर क्या सरकार विचार करना चाहती है? कार्रवाई करना चाहती है?

श्री शरद पवार : महोदया, सरकार इस बारे में गेहूं, चावल, पल्सेज आदि कुछ ऐसे आइटम्स हैं, जिनकी कीमत तय करके आवश्यकता होने पर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करती है और उनकी खरीद का बंदोबस्त भी सरकार करती है। सरकार गेहूं खरीदती है, चावल खरीदती है, ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : मंत्री जी को उत्तर देने दीजिए। शांत हो जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदया, ऐसा नहीं हो रहा है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : मुलायम सिंह जी, मंत्री जी को उत्तर देने दीजिए। आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : महोदया, खरीदारी नहीं हो रही है, अगर खरीदारी होती तो यह समस्या सामने नहीं आती। आप इसकी दुबारा जांच कराइए। ...*(व्यवधान)*

श्री शरद पवार : भारत सरकार ने गेहूं की खरीद की है। भारत सरकार के गोदामों में गेहूं है। जब नया सीजन शुरू होगा ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप लोग बैठ जाइए। मंत्री जी को अपना उत्तर पूरा करने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : आप लोग बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री जगदीश शर्मा : बिहार में धान की खरीद नहीं हो रही है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप लोग बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : अगर आप लोग बोलते रहेंगे, तो मंत्री उत्तर कैसे देंगे। उन्हें उत्तर देने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री शरद पवार : महोदया, आज पंजाब जैसे राज्य में जितना गेहूं और चावल मार्केट में आता है, उतना फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया खरीदती है। यही स्थिति पड़ोसी राज्यों में भी है। कुछ राज्यों में वहां की सरकार का सहयोग नहीं होने से समस्या पैदा हो जाती है, मगर जहां तक सब्जी की बात है, सरकार के लिए सब्जी खरीदने की बात असंभव है, सरकार सब्जी नहीं खरीद सकती है, उसे स्टॉक नहीं कर सकती है। मगर सब्जी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं और कुछ कदम उठाने की तैयारी सरकार की ओर से है। ...*(व्यवधान)*

श्री नारनभाई कछाड़िया : महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को यह पता है कि बिचौलिए के कारण केन्द्रीय भण्डारण में भण्डारित सब्जियों के जनता तक नहीं पहुंचने के कारण महंगाई अपनी चरम सीमा तक पहुंच जाती है? बिचौलिए के खिलाफ सरकार क्या कानून बनाना चाहती है और प्याज, लहसुन इत्यादि आवश्यक वस्तुओं की पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों को क्या प्रोत्साहन दे रही है? चालू वित्त वर्ष में सरकार ने प्याज और लहसुन के अनुसंधान पर कितनी धनराशि खर्च की है?

श्री शरद पवार : महोदया, जहां तक अनुसंधान पर किए गए खर्च की बात है, इसके फिगर्स मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं है, मगर मैं फिगर्स देने के लिए तैयार हूं क्योंकि यह काम कंटीनिवस होता है। प्याज और लहसुन के बारे में दो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स इस देश में हैं, वे काम करते हैं।

जो दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि इसका उत्पादन और उपलब्धता बढ़ाने के लिए सरकार क्या कुछ सोच रही है, मैं बताना चाहूंगा कि आज हॉर्टिकल्चर मिशन की स्कीम है जिसमें 2300 करोड़ रुपये की लागत अभी तक लगाई गयी है। ऐसी ही स्कीम नॉर्थ-ईस्ट के लिए अलग से बनाई है और वहां इसके माध्यम से मदद की जाती है। अब हम यह सोच रहे हैं कि देश में हर राज्य की राजधानी और दस लाख की आबादी के ऊपर वाले जो शहर हैं, उनमें 50 किलोमीटर में खास तौर पर सब्जी का एक विशेष प्रोग्राम हम बनाना चाहते हैं। इसकी तैयारी हमारे मंत्रालय ने शुरू कर दी है और मैं इसका फाइनल नक्शा सदन के सामने जल्द जी रख सकूंगा।

[अनुवाद]

डॉ. काकोली घोष दस्तिदार : माननीया महोदया, आपके माध्यम से मैं आजकल भारत में आम आदमी की दुर्दशा की ओर सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हमारा दल अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, रेल मंत्री माननीया ममता बनर्जी के नेतृत्व में ऐसी स्थिति के बारे में बहुत चिंतित है जिसमें समाज के सभी वर्ग विशेषकर-मध्य वर्ग, निम्न मध्य वर्ग तथा गरीब - इस तरह की मूल्य वृद्धि के बागे बेबस हो रहे हैं। महोदया, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहत हूं कि पिछले वर्ष हम सूखे की स्थिति के बारे में बोल रहे थे जो मूल्यवृद्धि और कृषिगत मुद्रास्फीति के लिए जिम्मेदार थी। यद्यपि इस वर्ष ऐसी स्थिति नहीं है। इसलिए अभी भी मूल्यवृद्धि क्यों मौजूद है? आपके माध्यम से मैं माननीय कृषि मंत्री से पूछना चाहूंगा कि क्या जमाखोरी रोकने या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के प्रावधान के बारे में राज्य सरकारों के साथ कोई परामर्श किया गया है ताकि गरीब आदमी को रोजमर्रा की वस्तुएं कम दाम पर मिल सकें। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अभी अभी कहा कि कुछ राज्य पर्याप्त सहयोग नहीं कर रहे हैं, मैं इस संबंध में पश्चिम बंगाल की स्थिति जानना चाहूंगा पश्चिम बंगाल में जमाखोरी समाप्त करने के कितने मामले सामने आए अथवा कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं तथा क्या पश्चिम बंगाल में सरकार ने केन्द्र सरकार को सहयोग देने का आश्वासन दिया है? समूचे देश में कितने राज्यों ने इस संबंध में उपाय करने हेतु केन्द्र सरकार को सहयोग देने पर सहमति प्रदान की है तथा लोगों के साथ खड़े होने का आश्वासन दिया है?

श्री शरद पवार : मेरा माननीय सदस्य से अनुरोध है और मैं उनको यह बताना चाहूंगा कि सार्वजनिक वितरण का विषय कृषि मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है। कृषि मंत्रालय का उत्तरदायित्व उत्पादन करना है और हम उत्पादन पर ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं।

[हिन्दी]

जहां तक मुझे इससे पहले की स्थिति के बारे में जो मालूमात हैं, उसके आधार पर मैं कुछ जानकारी दे सकता हूं। हर राज्य में महंगाई को कंट्रोल करने के लिए और जो कालाबाजारी आदि करते हैं, उसे रोकने के लिए देश में कानून हैं और उन कानूनों को पूरी तरह से अमल करने की जिम्मेदारी राज्यों की है। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुलाई थी। उसमें इस इश्यू पर डिटेल से डिसकशन हुआ था और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अनुरोध किया गया था कि उन्हें इन कानूनों का इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए तथा ऐसे गलत लोगों पर रोक लगाने के लिए आपको मेहनत करना आवश्यक है। कई

राज्यों ने इसमें अच्छा योगदान दिया है, लेकिन कुछ राज्यों ने इस पर कदम नहीं उठाया है, उसकी पूरी जानकारी मेरे पास नहीं है, क्योंकि यह विषय मैं नहीं देखता हूं। लेकिन मैं सदन के सामने संबंधित मंत्रालय से सारी जानकारी लेकर आपके सामने रखने को तैयार हूं।

[अनुवाद]

डॉ. के.एस. राव : महोदया, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल ही में फलों और सब्जियों के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि हुई है जिसने न केवल देश भर में अपितु सभा में भी तनाव उत्पन्न कर दिया है। इसका मुख्य कारण यह है कि अधिकांश चीजें जल्दी खराब होने वाली हैं। मैं सभा में काफी समय से इस बारे में बोल रहा हूं। इसका महत्व इसलिए भी है क्योंकि इनका उत्पादन ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि समुदाय द्वारा किया जाता है तथा इसका उपयोग समाज के निम्न मध्य वर्ग तथा गरीब तबकों द्वारा किया जाता है। इसका कारण यह भी कि यह अमीरों या उच्च मध्यम वर्ग के लोगों को प्रभावित नहीं करता जहां आवश्यक वस्तुओं की हिस्सेदारी बहुत कम है। अत: पाबंदी अथवा शुल्क मुक्त निर्यात इस मामले का समाधान नहीं है। हमें इस देश में उत्पादन को बढ़ावा देना है क्योंकि किसान संपूर्ण देश की आवश्यकता को पूरा करने हेतु उत्पादन करने में सक्षम है। उन्होंने यहां, वक्तव्य दिया कि किसी वस्तु की कीमत जो पहले 3800 रुपए प्रति क्विंटल थी 40 दिनों में अब वह कम होकर 200 रुपए प्रति क्विंटल हो गयी है। इसका मतलब है कि एक किसान, जो अपना सारा जीवन लगाकर उत्पादन करता है, उसकी स्थिति और भी खराब हो गई है। अत: हमें उपभोक्ता के साथ-साथ किसानों का भी ध्यान रखना होगा जिनकी संख्या इस देश में काफी अधिक है। इनकी संख्या जनसंख्या का 70 प्रतिशत है। अत: मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या वे मूल्य स्थिरीकरण निधि के संबंध में विचार करेंगे। अगर एक किसान को यह मौका मिलता है कि वह 3800 रुपए की कीमत पर देश के बाहर अपने उत्पाद को बेच सके, तो उसे परेशान नहीं करना चाहिए। वे इस संबंध में मूल्य स्थिरीकरण निधि प्रदान कर सकते हैं तथा नयी प्रौद्योगिकी भी ला सकते हैं, भंडारण सुविधा प्रदान कर सकते हैं तथा लोगों को तीन प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण देकर भंडारण शुरू करने के लिए प्रोत्साहन दे सकते हैं। वे विद्युत राजसहायता भी प्रदान कर सकते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या वे ये सुविधाएं प्रदान करने के संबंध में तथा किसानों के साथ-साथ उपभोक्ताओं को सस्ता ऋण, भंडारण सुविधा तथा मूल्य स्थिरीकरण निधि प्रदान करने पर विचार करेंगे।

श्री शरद पवार : कृषि मंत्री के रूप में, मेरे लिए यह सबसे अधिक प्रसन्नता का विषय होगा यदि इस प्रकार की सुविधाएं इस देश के कृषि समुदाय को उपलब्ध होती हैं। स्पष्ट तौर पर कहूं तो विशेष रूप से जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं के संबंध में कुछ बाध्यताएं हैं। सरकार टमाटर और इस प्रकार की अन्य सब्जियों को नहीं खरीद सकती और न ही इनका रखरखाव कर सकती है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि मैं इस कार्य को नहीं देखता हूं। यह सरकार के लिए यह संभव नहीं है। यही वजह है कि सरकार ने गेहूं, चावल, दाल, ज्वार और अगर आवश्यकता हो तो बाजरा और इस प्रकार की वस्तुओं को खरीदने का सजग निर्णय लिया है। ये वस्तुएं सभी राज्यों में राज्य सरकार और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध हैं।

सौभाग्य से आज हमारे पास भंडार की स्थिति काफी अच्छी है। मैं आज की तिथि के अनुसार गेहूं की फसल की स्थिति के बारे में जानता हूं। यह साल काफी अच्छा साल होगा जिसमें गेहूं का रिकार्ड उत्पादन होगा। यहां इस प्रकार की स्थिति है। यही वजह है कि देश में उपलब्धता की कोई कमी नहीं होगी परंतु साथ ही हमें उत्पादक को भी अच्छी कीमत देनी होगी।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अपराध

†

***3. श्री राम सुन्दर दास :**

श्री दानवे रावसाहेब पाटील :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अपराध की अनेक घटनाएं प्रकाश में आई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, छेड़छाड़, हत्या, बैंक डकैती, वाहन/मोबाइल/लैपटॉप की चोरी, डकैती, अपहरण, चेन झपटने आदि सहित अपराध-वार प्रकाश में आए/दर्ज किए गए मामलों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान सुलझाए गए/अनसुलझे ऐसे मामलों की अलग-अलग संख्या क्या है तथा अभियुक्तों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई और सभी मामलों को सुलझाने हेतु क्या कदम उठाए गये;

(घ) उक्त अवधि के दौरान व्यक्तियों को पकड़ा गया और रैंक-वार कितने पुलिस कर्मियों को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में कोताही बरतने के लिए गिरफ्तार किया गया; और

(ङ) महिलाओं एवं बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु उठाए गए कदमों सहित इन अपराधों को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या ठोस उपाय किये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) अपराध की घटनाओं में थोड़ी वृद्धि के बावजूद दिल्ली में अपराध बिल्कुल नियंत्रण में रहा है। दिल्ली में प्रति लाख की आबादी पर अपराध, जो अपराध की तुलना करने के लिए सामान्यतः विश्व स्तर पर अपनाया जाने वाला मानदंड है, में कमी दिखाई दी है, जो प्रति लाख की आबादी पर आई पी सी अपराध की कुल घटनाओं के मामले में वर्ष 2001 में 392.66 से घटकर वर्ष 2010 में 281.34 हो गई है।

(ख) पिछले तीन वर्षों में से, प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष अर्थात् 2008, 2009, 2010 एवं 2011 (31.01.2011 तक) के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मामलों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :-

क्रम सं.	अपराध शीर्ष	2008	2009	2010	2011 (31.01.2011 तक)
1	2	3	4	5	6
1	डकैती	24	36	32	03
2	हत्या	554	552	565	41
3	हत्या का प्रयास	389	369	311	26
4	लूटपाट (बैंक लूटपाट सहित)	541	515	599	47
5	दंगा	71	57	53	02
6	फिरोती के लिए अपहरण	24	29	18	01
7	बलात्कार	428	425	458	17
	बलात्कार (दो या अधिक अभियुक्तों की संलिप्तता)	38	44	49	00
8	झपटमारी	606	605	859	83
	सोने की चेन/ मंगलसूत्र की झपटमारी	771	740	812	19
9	घायल होना	1936	1938	1925	148
10	सेंधमारी	1926	1733	1502	128
11	मोटर वाहन की चोरी	11020	13224	14966	1132
12	घर में चोरी	1539	1948	1868	154
13	अन्य चोरी (मोबाइल एवं लैपटॉप सहित)	6308	6559	6254	585
14	महिला के साथ छेड़छाड़	611	552	601	29
15	अन्य अपहरण/ व्यपहरण	1567	2536	3208	229
16	घातक दुर्घटना	2015	2272	2104	147
17	सामान्य दुर्घटना	6589	5342	5116	422
18	आई पी सी की अन्य धाराओं के अंतर्गत अपराध	12393	10775	9992	750
	कुल आई पी सी	49350	50251	51292	3972

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष अर्थात् 2008, 2009, 2010 एवं 2011 (31.01.2011 तक) के दौरान अभियुक्तों के विरुद्ध की गई कार्रवाई तथा गिरफ्तार किए गए पुलिस कर्मियों सहित ऐसे सुलझाए गए/अनसुलझे मामलों की कुल संख्या के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :-

सुलझाए गए/अनसुलझे मामलों का ब्यौरा

वर्ष	सूचित किए गए	सुलझाए गए	अनसुलझे
1	2	3	4
2008	49350	29906	19444
2009	50251	27190	23061
2010	51292	23953	27339
2011 (31.1.2011 तक)	3972	1352	2620

अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई

वर्ष	गिरफ्तार किए गए	चालान किए गए	दोषसिद्ध किए गए	दोषमुक्त किए गए	विचारण लंबित	जांच लंबित	छोड़ दिए गए
2008	43381	37864	5331	1216	31317	1866	3651
2009	39886	30431	2753	516	27162	5667	3788
2010	32956	19649	1040	296	18313	10634	2673
2011 (31.1.2011 तक)	1342	142	05	00	137	1200	00

गिरफ्तार किए गए पुलिस कर्मी आपराधिक मामले

रैंक	2008	2009	2010	2011
इंस्पेक्टर	3	1	2	0
सब-इंस्पेक्टर	7	3	6	0
असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर	5	1	2	0
हैड कांस्टेबल	21	14	14	0
कांस्टेबल	56	43	29	0
कुल	92	62	53	0

भ्रष्टाचार के मामले (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम)

रैंक	2008	2009	2010	2011
असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस	0	1	0	0
इंस्पेक्टर	2	2	1	0
सब-इंस्पेक्टर	5	3	3	0
असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर	6	3	2	0
हैड कांस्टेबल	7	7	9	0
कांस्टेवल	14	5	9	0
कुल	34	21	24	0

समस्त अनसुलझे मामलों को निपटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। संबंधित कर्मचारी को बता दिया गया है और वरिष्ठ अधिकारियों को जांच की गहन पर्यवेक्षण करने का निदेश दिया गया है।

(ङ) महिलाओं एवं बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु उठाए गए कदमों सहित अपराधों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा किए गए उपाय निम्नानुसार हैं :-

- दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें बी पी ओ, कारपोरेट तथा मीडिया कार्यालयों को निदेश दिया गया है कि महिला कर्मचारियों की सुरक्षा एवं संरक्षा के लिए विशेष कदम उठाएं, जैसे कि यह सुनिश्चित किया जाए कि वे कैब में अकेले यात्रा न करें और उन्हें बिल्कुल घर तक छोड़ा जाए तथा उनके साथ सुरक्षा गार्ड हो।

- प्रत्येक पुलिस थाने में महिला की शिकायतों को सुनने के लिए महिला सहायता-डेस्क का सृजन किया गया है, जहां तक महिला कांस्टेबल को प्रात: 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक दो शिफ्टों में प्रतिनियुक्त किया जाता है।

- महिला सहायता-डेस्क के सुचारु कार्यकरण के लिए ए सी पी/सी ए डब्ल्यू एवं उनके स्टाफ द्वारा औचक जांच की जाती है।

- समस्त पुलिस कर्मियों विशेषकर स्थानीय कर्मचारी तथा महिला पुलिस को महिलाओं एवं बच्चों से निपटने के बारे में अवगत करवाया गया है और सुग्राह बनाया गया है।

- दिल्ली पुलिस द्वारा एक विस्तृत स्थायी आदेश सं. 68, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम-2000 तथा किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण नियमावली-2007) के तहत पुलिस का कर्तव्य जारी किया गया है।

- समस्त पी सी आर वैनों को रात्रि के दौरान संकट में फंसी महिलाओं की सहायता करने का निदेश दिया गया है। कोई भी महिला 100 नंबर को डायल कर पी सी आर वैन बुला सकती है और उन्हें निकटतम सुरक्षित स्थान तक छोड़ दिया जाएगा।

- महिलाओं के प्रति अपराध बहुल इलाकों में बीटों और पी सी आर वैनों में महिला कर्मचारियों की तैनाती की गई है।

- मॉरिश नगर पुलिस थाने को प्रमुख रूप से महिला पुलिस थाना के रूप में चयनित किया गया है जिसकी प्रमुख एक महिला थाना प्रभारी हैं और वहां लगभग 90% महिला कर्मचारी हैं।

- बसों, बाजारों, सिनेमा, चौराहों, विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/विद्यालयों इत्यादि में औचक निरीक्षण किया जाता है।

- समर्पित हेल्प लाइन, ई-मेल, एस एम एस तथा फैक्स नंबरों के साथ अपराध शाखा में एक 'अश्लील कॉल विरोधी प्रकोष्ठ' स्थापित किया गया है।

[हिन्दी]

श्री राम सुन्दर दास : अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करें कि इसके बावजूद भी दिल्ली में अपराध क्यों बढ़ रहे हैं?

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री.पी. चिदम्बरम) : अध्यक्ष महोदया, जैसा कि माननीय सदस्य ने चाहा था उसके उत्तर में हमने आंकड़े दिये हैं। परन्तु यह कहना कि दिल्ली में अपराध बढ़ रहे हैं, ऐसा वक्तव्य है जिसका ध्यान से विश्लेषण किए जाने की आवश्यकता है। निश्चित संख्या के संबंध में कहें तो पिछले तीन वर्षों में जघन्य या गैर-जघन्य अपराधों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। यह लगभग 50,000 प्रतिवर्ष है। परन्तु अगर आप प्रति लाख की जनसंख्या में अपराध को देखें तो दिल्ली की जनसंख्या 2010 में 1.38 करोड़ से बढ़कर 1.82 करोड़ हो गयी है। प्रति लाख की जनसंख्या पर अपराध 2001 के 392 से घटकर 2010 में 281 हो गया है। मैं सादरपूर्वक कहना चाहूंगा कि इन आंकड़ों से हम यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि दिल्ली में अपराध बढ़ रहे हैं। परन्तु अपराध हुए हैं, बहुत सारे अपराध हुए हैं और यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम पुलिस तंत्र में सुधार करें। परन्तु यह कहना उचित नहीं होगा कि दिल्ली में अपराध बढ़ रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री राम सुन्दर दास : अध्यक्ष महोदया, माननीयय मंत्री जी ने उत्तर दिया है, लेकिन यह सर्वविदित है कि दिल्ली में अपराध बढ़ते जा रहे हैं और यह सरकार की जानकारी में भी है। एक दिन भी ऐसा नहीं है, जिस दिन दो-चार अपराध न होते हों।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि सरकार ने अपराधों को रोकने के लिए ऐसे कौन-से ठोस कदम उठाए हैं, जिनसे लगे

कि सरकार चाहती है कि देश की राजधानी दिल्ली में अपराध बंद हों और लोग अपने आपको सुरक्षित महसूस करें।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : महोदया, कई वर्षों से काफी योजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं। उसमें से कुछ हैं 'आंख और कान' योजना, इसके लिए टॉल फ्री नम्बर है। हम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के निकटवर्ती राज्यों जैसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड और राजस्थान के साथ समन्वय करते हैं। एक जोनल इन्टीग्रेटेड पुलिस नेटपर्क है जो राज्यों के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान करता है।

और अधिक पुलिस कर्मियों की भर्ती करके और अधिक वाहन, पुलिस स्टेशन स्थापित करके, मामलों को तुरंत रजिस्टर करके कई और नयी पहलें की गई हैं। मैं समझता हूं कि बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। जैसा कि मैंने कहा कि दिल्ली जैसे बड़े शहर में, विश्व के किसी अन्य बड़े शहर की तरह अथवा भारत में कलकत्ता, मुंबई जैसे शहरों में कुछ अपराधों को रोका नहीं जा सकता। हमें पुलिस तंत्र को सुधारना होगा। बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। मैं यह समझता हूं कि दिल्ली भारत के अन्य शहरों की ही तरह सुरक्षित है और यह कहना कि दिल्ली सुरक्षित नहीं है, तो मैं यह बताना चाहूंगा कि यह सही नहीं है ...*(व्यवधान)* मैं यह कहना चाहूंगा कि यह सही नहीं है। दिल्ली उतनी ही सुरक्षित है जितना कि भारत का कोई अन्य शहर।

बात यह है कि दिल्ली में मीडिया नैसर्गिक रूप से दिल्ली में होने वाले अपराध के बारे में बताता है और अगर आप कलकत्ता अथवा मुंबई अथवा बंगलूरू में मीडिया की निगरानी करें तो आप यह पायेंगे कि वे भी अपने शहरों में होने वाले अपराध के बारे में बताते हैं। मैं यह समझता हूं कि दिल्ली किसी भी अन्य शहर की ही तरह सुरक्षित है तथा हम पुलिस तंत्र को सुधार करने का प्रयास करेंगे।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : श्री दानवे रावसाहेब पाटील।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : कृपया माननीय सदस्य को प्रश्न पूछने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप कृपया संक्षेप में प्रश्न पूछिए।

श्री दानवे रावसाहेब पाटील : अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी ने बताया है कि दिल्ली में अपराध कम हो रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा तैयार की गई क्राइम इन इंडिया-2009 में बताया गया है कि दिल्ली देश के दूसरे शहरों में सबसे ज्यादा असुरक्षित शहर है, जिसमें ज्यादा क्राइम हो रहे हैं। क्राइम इन इंडिया-2009 में बताया गया है कि ज्यादातर अपराध महिलाओं के साथ हो रहे हैं। वर्ष 2009 में महिलाओं के साथ बलात्कार की संख्या 452 थी। वर्ष 2010 में यह संख्या बढ़कर 524 हो गई। वर्ष 2009 में कुल वारदात 5972 थी, जो वर्ष 2010 में बढ़ कर 7500 के करीब हो गई।

महोदया, देश में दिल्ली सबसे असुरक्षित शहर है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि देश की राजधानी दिल्ली में अपराध की संख्या को कम करने के लिए क्या कदम उठाने जा रहे हैं?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : अध्यक्ष महोदया, मेरे पास वर्ष 1998 से 2010 तक के आंकड़े हैं और वे आंकड़े महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के मामलों में किसी तीव्र वृद्धि को नहीं दर्शाते हैं ...*(व्यवधान)*। वास्तव में वर्ष 2007 से महिलाओं के साथ छेड़खानी के मामलों में गिरावट हुई है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

सूखे की स्थिति

*4. **श्री पोन्नम प्रभाकर :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के अनेक राज्य लगातार सूखे का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने प्रभावित राज्यों को सहायता प्रदान करने तथा इस स्थिति से निपटने हेतु कोई कार्य योजना आरंभ की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) बिहार, झारखण्ड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल ने दक्षिण-पश्चिम मानसून 2010 के दौरान कम वर्षा के कारण वर्ष 2010 में क्रमशः 38, 24, और 17 जिलों को सूखा प्रभावित के रूप में घोषित किया है।

(ग) और (घ) प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में तत्कालिक आवश्यक उपाय करना राज्य सरकारों की प्राथमिक जिम्मेवारी है। भारत सरकार वित्तीय और संभार तंत्र संबंधी समर्थन देकर राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। तत्काल आवश्यक उपाय करने के लिए राज्य विपदा अनुक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के अंतर्गत राज्यों के पास निधियों की सुलभ उपलब्धता है। भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकारें 8 पूर्वोत्तर राज्यों (सिक्किम सहित), जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जिनके लिए अनुपात 9:1 है, के मामले को छोड़कर 3:1 के अनुपात में एसडीआरएफ में अंशदान देते हैं। यदि गंभीर किस्म की प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए एसडीआरएफ के अलावा अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होती है तो उन पर राज्य सरकार द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत करने की स्थापित प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रीय विपदा अनुक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से विचार किया जाता है।

ऊपर उल्लिखित सभी 4 राज्यों ने सूखा राहत हेतु एनडीआरएफ से सहायता देने के लिए ज्ञापन प्रस्तुत किया। बिहार केवल (28 जिलों के लिए), झारखण्ड (24 जिले) और पश्चिम बंगाल (11 जिले) के संबंध में ज्ञापन पर विचार करने के बाद एसडीआरएफ खाते में उपलब्ध 75 प्रतिशत शेष के समायोजन के अधीन सरकार द्वारा क्रमशः 1459.54 करोड़ रुपए, 855.30 करोड़ रुपए और 724.99 करोड़ रुपए अनुमोदित किए गए हैं। उड़ीसा और बिहार के शेष 10 जिलों के लिए प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यातायात प्रबंधन

*5. श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र/बड़े शहरों में यातायात तथा संचार तंत्र एवं आदर्श यातायात प्रणाली" योजना कार्यान्वित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है एवं इसके कार्यान्वयन की स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार ने यातायात प्रतिबंधों, भीड़भाड़, मार्ग में बदलाव और वैकल्पिक मार्गों का सुझाव देने के संबंध में दैनिक यात्रियों को ऑन-लाइन सूचना/समाधान प्रदान करने की कोई योजना भी तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त स्कीम/योजनाओं को कब तक पूरी तरह से कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर)/बड़े शहरों में यातायात और संचार नेटवर्क तथा मॉडल यातायात प्रणाली" नामक योजना स्कीम को 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 200 करोड़ रुपए के परिव्यय से अगस्त, 2009 में अनुमोदित किया गया था और इसे सरकार द्वारा अभी कार्यान्वित किया जाना है। प्रस्तावित आईटीएस परियोजना में शुरू में यह परिकल्पना की गई थी कि इसे राष्ट्रमंडल खेल 2010 से पहले कार्यान्वित किया जायेगा लेकिन बाद में यह निर्णय लिया गया कि समय की कमी के कारण इस परियोजना को राष्ट्रमंडल खेल 2010 से पहले कार्यान्वित किया जाना संभव नहीं है। आईटीएस परियोजना के लिए शुरूआती बोलियां दिनांक 06.03.2010 को आमंत्रित की गई थीं और बोलियां प्रस्तुत करने अंतिम तारीख दिनांक 21.6.2010 को निर्धारित की गई थी। तथापि, प्रक्रिया के दौरान कोई बोली प्राप्त नहीं हुई और तदुपरांत दिनांक 28.07.2010 को फिर बोलियां आमंत्रित की गई। आई टी एस परियोजना के लिए दिनांक 24.11.2010 को निविदा खोली गई और तीन बोलियां प्राप्त हुईं तथा परामर्शदाताओं द्वारा इनका मूल्यांकन किया जा रहा है और शीघ्र ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

2 योजना के लिए वर्ष-वार आबंटन नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपए)

2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12
बजट अनुमान	व्यय	बजट अनुमान	व्यय	बजट अनुमान	व्यय	बजट अनुमान	व्यय	बजट अनुमान
20.00	0.00	32.00	3.76	40.00	10.63	80.00	0.00	66.50

(ग) और (घ) दिल्ली पुलिस ने सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटो मोबाइल मैन्यूफैक्टचरर के साथ मिलकर नागरिकों को प्रतिबंधों, अवरोधों और मार्ग प्रतिवर्तन आदि के बारे में सूचित करने के लिए दिल्ली यातायात पुलिस की सरकारी वैबसाइट पर लिंक स्थापित किया है। शुरू में यह योजना 19वें राष्ट्रमंडल खेल 2010 के लिए बनाई गई थी और अब इसे पूरी दिल्ली के लिए किया गया है। पोर्टल, गतिशील है और अवरोधों आदि से संबंधित सूचना ठीक समय पर प्रदर्शित की जा सकती है। पोर्टल, इंटरनेट पर उपलब्ध गूगल मैप का प्रयोग करता है और इसकी निम्नलिखित मुख्य विशेषताएं है :-

(i) अवरोध, सुझाए गए चक्करदार मार्ग और यातायात के अन्य प्रतिबंध जैसी डायनामिक यातायात सूचना ऑनलाइन मैप पर भरी गई है।

(ii) अवरोध या प्रतिबंध के मामले में वैकल्पिक मार्ग का सुझाव।

(iii) दुर्घटना, जल भराव, यातायात अवरुद्ध आदि होने के कारण प्रतिबंध से संबंधित सूचना का समय पर प्रदर्शन।

(ङ) साइबर राजमार्ग परियोजना, वित्तीय वर्ष 2011-12 में पूरी होने की संभावना है। "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर)/बड़े शहरों में यातायात और संचार नेटवर्क तथा मॉडल यातायात प्रणाली" को अगस्त, 2013 तक पूरा किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

मानव दुर्व्यापार

***6. श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर :**
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में हो रहे मानव दुर्व्यापार का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या दिल्ली सहित देश में ऐसे गिरोहों के सदस्यों द्वारा दत्तकग्रहण के नाम पर दुर्व्यापार करके लाए गए ऐसे शिशुओं/बच्चों के बेचे जाने का पता चला है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसी घटनाओं को रोकने और दोषी लोगों को दंडित करने के लिए किए गए उपायों/जारी किए गए दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरूदास कामत) : (क) और (ख) मानव के कथित दुर्व्यापार के दृष्टांत सूचित किए गए हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एन सी आर बी) द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार मानव दुर्व्यापार से संबंधित कानून के विभिन्न उपबंधों के तहत वर्ष 2007, 2008 और 2009 के दौरान दर्ज किए गए मामलों की संख्या क्रमशः 3991, 3029 और 2848 थी।

(ग) और (घ) एन सी आर बी द्वारा ऐसी सूचना केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है।

(ङ) भारत सरकार ने मानव दुर्व्यापार-रोधी एकीकृत यूनिटें स्थापित करने के लिए विस्तृत योजना मंजूर की है। इसके अलावा, सरकार ने सलाह जारी की हैं जिनमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे प्रत्येक पुलिस स्टेशन में विशेष रूप से 'महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध डेस्क' स्थापित करें।

[हिन्दी]

मलिन बस्तियों में रहने वालों/ शहरी निर्धनों हेतु योजनाएं

***7. राजकुमारी रत्ना सिंह :**
श्री मनसुखभाई डी. वसावा :

क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मलिन बस्तियों में रहने वालों और शहरी निर्धनों के लिए किन-किन शहरों में योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं और उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इन योजनाओं के अंतर्गत परियोजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उसका परिणाम क्या है;

(घ) क्या इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन की गति और गुणवत्ता संतोषजनक है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) स्लमवासियों और शहरी गरीबों के लिए

कार्यान्वित की जा रही सरकार की मुख्य स्कीमों में निम्नलिखित शामिल हैं; जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (शहरी गरीबों हेतु बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी) एवं एकीकृत आवास तथा स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) घटक) और स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई)।

जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) 3 दिसम्बर, 2005 को इस उद्देश्य से शुरू किया गया था कि शहरों और नगरों में अवस्थापना सुविधाओं को बढ़ाने के साथ-साथ स्लमवासियों/शहरी गरीबों के लिए आश्रय और बुनियादी अवस्थापना सुविधाओं का प्रावधान किया जा सके। जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत शहरी गरीबों हेतु बुनियादी सेवाओं संबंधी उपमिशन में राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को देश में 65 चुनिंदा शहरों में स्लमवासियों/शहरी गरीबों हेतु आवास और अवस्थापना सुविधाओं हेतु परियोजनायें शुरू करने के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता मुहैया की जाती है। अन्य शहरों तथा नगरों को इसी प्रकार की सहायता के लिए एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के तहत शामिल किया जाता है। मिशन की अवधि 2005-06 से 2011-12 तक 7 वर्षों की है। बीएसयूपी के अंतर्गत जिन शहरों के लिए परियोजनाएं अनुमोदित की गयी हैं उनके राज्यवार नाम संलग्न विवरण-I में दिये गये हैं। आईएचएसडीपी के अंतर्गत जिन शहरों के लिए परियोजनाएं अनुमोदित की गयी है उनके राज्यवार नाम संलग्न विवरण-II में दिए गये हैं।

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजन का उद्देश्य शहरी गरीबों को व्यक्तिगत/समूह उद्यम लगाने में सहायता देकर तथा सामाजिक रूप से उपयोगी सार्वजनिक परिसंपत्ति के निर्माण में उनके श्रम का उपयोग करके उन्हें लाभप्रद रोजगार देना है, वर्ष 1997 से चल रही स्कीम के दिशानिर्देशों को 2009 में संशोधित किया गया है। संशोधित स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एनजेएसआरवाई) स्कीम के निम्नलिखित पांच घटक हैं;

(1) शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम (यूएसईपी)

(2) शहरी महिला स्वयं सहायता कार्यक्रम (यू डब्ल्यू एस पी)

(3) शहरी गरीबों में रोजगार संवर्द्धन हेतु कौशल प्रशिक्षण (स्टेप-अप)

(4) शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम (यूडब्ल्यूईपी)

(5) शहरी समुदाय विकास नेटवर्क (यूसीडीएन)

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में सभी शहरों/नगरों पर लागू है। एसजेएसआरवाई के विभिन्न घटकों के तहत शामिल करने के लिए शहरों/नगरों का चुनाव राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश प्रशासन को करना होता है।

(ख) और (ग) सरकार ने, शहरी गरीबों हेतु बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी), एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) और स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना सहित विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन के बारे में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राज्य और शहर स्तर पर नियमित समीक्षायें की हैं। समीक्षाओं का मुख्य उद्देश्य, वास्तविक तथा वित्तीय प्रगति एवं गुणता की निगरानी करना, कार्यान्वयन में कठिनाइयों और मुख्य मुद्दों की पहचान करना और उनके समाधान के लिए उन्हें संबंधित प्राधिकारियों के साथ उठाना है। समीक्षाओं से पता चला है कि स्कीमों के कार्यान्वयन में प्रगति और गति यद्यपि कुल मिलाकर संतोषजनक है लेकिन यह विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में अलग-अलग है। स्थानीय स्तर पर कार्यान्वयन में क्षमता संबंधी कठिनाई को मुख्य मुद्दा पाया गया है।

(ग) और (ङ) स्कीमों के कार्यान्वयन की गति और गुणता के संबंध में सरकार ने महत्वपूर्ण मुद्दों के समाधान, कार्य योजनाएं तैयार करने, परियोजनाओं को चालू करने/कार्यान्वियन में तत्परता लाने और गुणता आश्वासन प्रणालियों को सुधारने के लिए सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को परामर्शिका जारी की है। तृतीय पक्ष द्वारा निरीक्षण और निगरानी (टीपीआईएम) प्रणाली हेतु फ्रेमवर्क स्थापित कर लिया गया है; स्वतंत्र तृतीय पक्ष निरीक्षण और निगरानी के लिए सूचीबद्ध एजेंसियां बीएसयूपी और आईएचएसडीपी के तहत परियोजनाओं की निगरानी कर रही हैं और भारत सरकार सहित विभिन्न स्तरों पर प्राधिकारियों को फीडबैक दे रही हैं। विभिन्न स्तरों पर क्षमता संबंधी कठिनाइयों के समाधान के लिए सरकार ने बेहतर शहरी शासन और गरीबी उपशमन के लिए क्षमता विकास का राष्ट्रीय पहल-प्रयास शुरू किया है ताकि राज्यों और राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा राज्य स्तरीय संसाधन केन्द्रों का, जेएनएनयूआरएम और एसजेएसआरवाई के तहत निर्धारित धनराशि से प्रशिक्षण और अन्य क्षमता विकास कार्यकलाप शुरू करने में सहायता दी जा सके।

विवरण-I

बी-एस-यू-पी शहर

क्रम सं.	सिटी	क्रम सं.	सिटी	क्रम सं.	सिटी
1	हैदराबाद	22	धनबाद	43	अमृतसर
2	विजयवाड़ा	23	बैंगलोर	44	पुदुचेरी
3	विशाखापटनम	24	मैसूर	45	अजमेर-पुष्कर
4	गुवाहाटी	25	तिरूवनंतपुरम	46	जयपुर
5	इटानगर	26	कोच्चि	47	चेन्नई
6	चंडीगढ़	27	भोपाल	48	कोयंबटूर
7	रायपुर	28	इंदौर	49	मदुरै
8	पटना	29	जबलपुर	50	गंगटोक
9	बोधगया	30	उज्जैन	51	अगरतला
10	दिल्ली	31	ग्रेटर मुम्बई	52	इलाहाबाद
11	अहमदाबाद	32	नागपुर	53	आगरा
12	राजकोट	33	नासिक	54	लखनऊ
13	सूरत	34	नांदेड़	55	मथुरा
14	वडोदरा	35	पुणे	56	मेरठ
15	पणजी	36	इम्फाल	57	कानपुर
16	फरीदाबाद	37	शिलांग	58	वाराणसी
17	शिमला	38	आईजोल	59	देहरादून
18	जम्मू	39	कोहिमा	60	हरिद्वार
19	श्रीनगर	40	भुवनेश्वर	61	नैनीताल
20	रांची	41	पुरी	62	कोलकाता
21	जमशेदपुर	42	लुधियाना	63	आसनसोल
				64	तिरूपति

विवरण-II

एचआईएसडीपी शहर

क्र.सं.	राज्य का नाम	जिले का नाम	कस्बों की सं./शहरी स्थानीय निकाय
1	2	3	4
1	आंध्र प्रदेश	कुरनूल	अदोनी
2	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	अनकपल्ले (चरण-1)

1	2	3	4
3	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	अनकपल्ले (चरण-2)
4	आंध्र प्रदेश	गुंटूर	बापतला-अवसंरचना
5	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	बीमुनिपलम
6	आंध्र प्रदेश	निजामाबाद	बोधन जिला आदिलाबाद
7	आंध्र प्रदेश	नलगोंडा	भुवनगिरी अवसंरचना
8	आंध्र प्रदेश	गुंटूर	चिलकलुरिपेत
9	आंध्र प्रदेश	प्रकासम	चिरल
10	आंध्र प्रदेश	चित्तूर	चित्तोर
11	आंध्र प्रदेश	कुरनूल	धोले जिला करनूल
12	आंध्र प्रदेश	महबूबनगर	गडवाल (चरण-1)
13	आंध्र प्रदेश	महबूबनगर	गडवाल अवसंरचना (चरण-2)
14	आंध्र प्रदेश	नेल्लोरे	गुंटूर
15	आंध्र प्रदेश	गुंटूर	गुंटूर अवसंरचना चरण-1
16	आंध्र प्रदेश	गुंटूर	गुंटूर सिटी (चरण-2)
17	आंध्र प्रदेश	कुडप्पा	इंदिरा प्रियदर्शिनी कालोनी, रजम्पेत
18	आंध्र प्रदेश	वारंगल	जनगांव
19	आंध्र प्रदेश	कुडप्पा	कुडप्पा-बुग्ग वंक (चरण-1)
20	आंध्र प्रदेश	कुडप्पा	कुडप्पा-मृत्युज्यं कटा वंक (चरण-2)
21	आंध्र प्रदेश	कुडप्पा	कुडप्पा अवसंरचना चरण-3
22	आंध्र प्रदेश	कुडप्पा	कुडप्पा आजाद नगर कालोनी चरण-4
23	आंध्र प्रदेश	कुडप्पा	कुडप्पा मामिलापल्ली हाउसिंग कालोनी चरण-5
24	आंध्र प्रदेश	दु	काकीनाडा (दुमुलपेट चरण-1)
25	आंध्र प्रदेश	ईस्ट गोदावरी	काकीनाडा नेल्लोर (चरण-2)
26	आंध्र प्रदेश	ईस्ट गोदावरी	काकीनाडा शहर (चरण-3)
27	आंध्र प्रदेश	करीमनगर	करीमनगर

1	2	3	4
28	आंध्र प्रदेश	नेल्लोरे	कवली (चरण-1)
29	आंध्र प्रदेश	नेल्लोरे	कवली (चरण-2)
30	आंध्र प्रदेश	खम्मम	खम्मम (पोलेपल्ली)
31	आंध्र प्रदेश	खम्मम	कोठगुडम
32	आंध्र प्रदेश	कुरनूल	कुरनूल (चरण-1)
33	आंध्र प्रदेश	कुरनूल	कुरनूल (चरण-2)
34	आंध्र प्रदेश	गुंटूर	मचेर्ल
35	आंध्र प्रदेश	कृष्णा	मचिलिपत्नम
36	आंध्र प्रदेश	चित्तूर	मदनपल्ले
37	आंध्र प्रदेश	महबूबनगर	महबूबनगर (चरण-1)
38	आंध्र प्रदेश	महबूबनगर	महबूबनगर अवसंरचना (चरण-2)
39	आंध्र प्रदेश	अदीलाबाद	मंचेरियल अवसंरचना
40	आंध्र प्रदेश	नलगोंडा	मिर्यलगुद, (चरण-1)
41	आंध्र प्रदेश	नलगोंडा	मिर्यलगुद अवसंरचना (चरण-2)
42	आंध्र प्रदेश	नलगोंडा	नलगोंडा (चरण-1)
43	आंध्र प्रदेश	नलगोंडा	नलगोंडा, अवसंरचना, (चरण-2)
44	आंध्र प्रदेश	गुंटूर	नरसारोपेट अवसंरचना
45	आंध्र प्रदेश	महबूबनगर	नारायणपे
46	आंध्र प्रदेश	अदीलाबाद	निर्मल
47	आंध्र प्रदेश	निजामाबाद	निजामाबाद
48	आंध्र प्रदेश	प्रकासम	ओंगोले
49	आंध्र प्रदेश	खम्मम	पल्वंच टाउन जिला, खम्मम
50	आंध्र प्रदेश	ईस्ट गोदावरी	पेड्डापुरम
51	आंध्र प्रदेश	गुंटूर	पोन्नुर
52	आंध्र प्रदेश	कुडप्पा	पुलिवेंदुल

1	2	3	4
53	आंध्र प्रदेश	कुडप्पा	प्रोड्डातुर कदप
54	आंध्र प्रदेश	ईस्ट गोदावरी	रजहांद्रथ (चरण-1)
55	आंध्र प्रदेश	ईस्ट गोदावरी	रहमुंद्र सिटी (चरण-2)
56	आंध्र प्रदेश	मेडक	रमचंद्र पुराम
57	आंध्र प्रदेश	कुडप्पा	रायचोटी
58	आंध्र प्रदेश	गुंटूर	रेपल्ले जिला गुंटूर
59	आंध्र प्रदेश	ईस्ट गोदावरी	समल्कोत (चरण-1)
60	आंध्र प्रदेश	ईस्ट गोदावरी	समल्कोत टाऊन (चरण-2)
61	आंध्र प्रदेश	मेडक	सांगरेड्डी जिला मेडक
62	आंध्र प्रदेश	गुंटूर	सत्तेनपल्लि
63	आंध्र प्रदेश	मेडक	सिद्दिपेट
64	आंध्र प्रदेश	करीमनगर	स्रिचिल्ल
65	आंध्र प्रदेश	नलगोंडा	सूर्यपेत (चरण-1)
66	आंध्र प्रदेश	नलगोंडा	सूर्यपेत अवसंरचना (चरण-2)
67	आंध्र प्रदेश	रंगरेड्डी	तंडुरू
68	आंध्र प्रदेश	गुंटूर	तेनाली जिला गुंटूर
69	आंध्र प्रदेश	चित्तूर	तिरूपति (चरण-1)
70	आंध्र प्रदेश	चित्तूर	तिरूपति (चरण-2)
71	आंध्र प्रदेश	चित्तूर	तिरूपति (चरण-3)
72	आंध्र प्रदेश	चित्तूर	तिरूपति (पाडीपेटा तथा अवीलाला) (चरण-2)
73	आंध्र प्रदेश	गुंटूर	विनुकोंडा
74	आंध्र प्रदेश	महबूबनगर	वनपर्थी (चरण-1)
75	आंध्र प्रदेश	महबूबनगर	वनपथ्य-अवसंरचना (चरण-2)
76	आंध्र प्रदेश	खम्मम	येलांडू जिला खम्मम
77	आंध्र प्रदेश	मेडक	जहीराबाद मेडक
	कुल		56

1	2	3	4
1	अंडमान और निकोबार आइलैण्ड	अंदमंस	पोर्ट ब्लैर
2	अंडमान और निकोबार आइलैण्ड	अंदमंस	पोर्ट ब्लैर
अंडमान और निकोबार आइलैण्ड			1
1	अरुणाचल प्रदेश	दिबंग वल्लेय	रोइंग टाऊन
अरुणाचल प्रदेश			1
1	आसाम	करीमगंज	बदरपुर
2	आसाम	कर्बि अंग्लोंग	बोकजन
3	आसाम	नगांव	धिंग
4	आसाम	धुब्री	धुब्री
5	आसाम	गोलाघाट	गोलाघाट
6	आसाम	नगांव	कमपुर टाउन
7	आसाम	कोकझर	कोकझर
8	आसाम	करीमगंज	करीमगंज
9	आसाम	नगांव	लंक
10	आसाम	दर्रंग	मंगलादोड़
11	आसाम	नगांव	नगांव
12	आसाम	नलबाड़ी	नलबाड़ी
13	आसाम	कमरुप	पलश्वरि
14	आसाम	बरपेा	सर्थेबरि टाउन
15	आसाम	नलवाड़ी	थिउ
16	आसाम	तिनसुकिया	तिनसुकिया
	कुल		16
1	बिहार	भोजपुर	आरा
2	बिहार	अररिया	अररिया सिटी
3	बिहार	औरंगाबाद	औरंगाबाद

1	2	3	4
4	बिहार	किशनगंज	बहादुरगंज
5	बिहार	बेगुसराय	बेगुसराय
6	बिहार	भागलपुर	भागलपुर
7	बिहार	नालंदा	बिहारशरीफ
8	बिहार	अररिया	जोगबनी
9	बिहार	मुजफ्फरपुर	कांटी
10	बिहार	किशनगंज	किशनगंज चरण-2
11	बिहार	माधेपुरा	माधेपुरा चरण-1
12	बिहार	माधेपुरा	माधेपुरा चरण-2
13	बिहार	मुजफ्फरपुर	मोतीपुर
14	बिहार	मुंगेर	मुंगेर
15	बिहार	पश्चिम चम्पारन	नरकटियागंज
16	बिहार	पुर्णिया	पुर्णिया
17	बिहार	समस्तीपुर	रोसड़ा
18	बिहार	सहरसा	सहरसा
19	बिहार	शेखपुरा	शेखपुरा
20	बिहार	सुपौल	सुपौल
	कुल		19
1	छत्तीसगढ़	रायपुर	अभनपुर
2	छत्तीसगढ़	दुर्ग	बलोद
3	छत्तीसगढ़	दुर्ग	बेमतारा
4	छत्तीसगढ़	रायपुर	भाटपाड़ा
5	छत्तीसगढ़	दुर्ग	भिलाई
6	छत्तीसगढ़	बिलासपुर	बिलासपुर चरण-1
7	छत्तीसगढ़	बिलासपुर	बिलासपुर चरण-2

1	2	3	4
8	छत्तीसगढ़	रज्नंदगांव	दोंगरगांव
9	छत्तीसगढ़	रज्नंदगांव	दोंगरगांव
10	छत्तीसगढ़	दुर्ग	दुर्ग
11	छत्तीसगढ़	बस्तर	जगदलपुर
12	छत्तीसगढ़	दुर्ग	जमुल
13	छत्तीसगढ़	कवर्धा	कवर्धा
14	छत्तीसगढ़	रज्नंदगांव	खैरगई
15	छत्तीसगढ़	दुर्ग	कुम्हरि
16	छत्तीसगढ़	धमतरी	कुरूड़
17	छत्तीसगढ़	रायगढ़	रायगढ़
18	छत्तीसगढ़	रज्नंदगांव	राजनदगांव
	कुल		17
1	दादरा एवं नगर हवेली	दादरा और नगर हवेली	सिल्वसा चरण-1
2	दादरा एवं नगर हवेली	दादरा और नगर हवेली	सिल्वसा चरण-2
	दादरा एवं नगर हवेली		1
1	दमन एवं दीव	दमन	दमन
	दमन एवं दीव		1
1.	गुजरात	अमरेली	अमरेली
2	गुजरात	आनंद	अंक्लव
3	गुजरात	अमरेली	बगसर
4	गुजरात	आनंद	बोरिअवि
5	गुजरात	भावनगर	भावनगर
6	गुजरात	दोहद	दाहोद
7	गुजरात	अहमदाबाद	धंदुक
8	गुजरात	वलसाड़	धरमपुर

1	2	3	4
9	गुजरात	सुरेन्द्रनगर	धरंगधारा
10	गुजरात	राजकोट	गोंदल
11	गुजरात	पंच महल्स	हलोल
12	गुजरात	सुरेन्द्रनगर	हलवाड
13	गुजरात	साबरकंथ	हिम्मतनगर
14	गुजरात	जामनगर	जामनगर
15	गुजरात	जामनगर	जामनगर एमसी (स्कीम सं0.) 18631) वाम्बे के अंतर्गत
16	गुजरात	राजकोट	जेतपुर
17	गुजरात	गांधीनगर	कालोल
18	गुजरात	महेसन	कदि
19	गुजरात	आनंद	खमबात
20	गुजरात	सुरेन्द्रनगर	लिम्दि
21	गुजरात	भावनगर	महुवा
22	गुजरात	कच्छ	मांडवी
23	गुजरात	साबरकंथ	मोदस
24	गुजरात	नवसारी	नवसारी
25	गुजरात	नवसारी	नवसारी प (स्कीम सं.) 18794) वाम्बे के अंतर्गत
26	गुजरात	पाटन	पाटन
27	गुजरात	आनंद	पेल्लढ
28	गुजरात	साबरकंथ	प्रंतिज
29	गुजरात	राजकोट	राजकोट एमसी (स्कीम सं.) 1881) वाम्बे के अंतर्गत
30	गुजरात	सूरत	सोंगध
31	गुजरात	आनंद	उम्रेथ

1	2	3	4
32	गुजरात	जुनगध	उना
33	गुजरात	महेसन	उंच
34	गुजरात	राजकोट	उपलेता
35	गुजरात	वड़ोदरा	वड़ोदरा एम सी (स्कीम सं. 18020) उंदेर वम्बय
36	गुजरात	वड़ोदरा	वड़ोदरा एमसी (स्कीम सं. 18021) वाम्बे के अंतर्गत
37	गुजरात	वलसाड़	वलसाड़
38	गुजरात	वलसाड़	वापी
	कुल		37
1	हिमाचल प्रदेश	सोलन	बद्दी
2	हिमाचल प्रदेश	कांगड़ा	धरम्वाल
3	हिमाचल प्रदेश	हमीरपुर	हमीरपुर
4	हिमाचल प्रदेश	सोलन	नालागढ़
5	हिमाचल प्रदेश	सोलन	परवानू
6	हिमाचल प्रदेश	सोलन	सोलन
	कुल		6
1	हरियाणा	अम्बाला	अम्बाला सिटी
2	हरियाणा	अम्बाला	अम्बाला सदर
3	हरियाणा	अम्बाला	अम्बाला बंधुनगर
4	हरियाणा	अम्बाला	अम्बाला नारायणगढ़
5	हरियाणा	भिवानी	भिवानी
6	हरियाणा	भिवानी	ददरी
7	हरियाणा	हिसार	हिसार
8	हरियाणा	यमुना नगर	जगाधरी
9	हरियाणा	झज्जर	झज्जर

1	2	3	4
10	हरियाणा	जींद	जींद
11	हरियाणा	पंचकुला	कालका
12	हरियाणा	कुरूक्षेत्र	लाडवा
13	हरियाणा	पंचकुला	पंचकुला चरण-1
14	हरियाणा	पंचकुला	पंचकुला चरण-2
15	हरियाणा	पंचकुला	पंचकुला चरण-3
16	हरियाणा	पंचकुला	पिंजोर
17	हरियाणा	रेवाड़ी	रेवाड़ी
18	हरियाणा	यमुना नगर	यमुना नगर
	कुल		14
1	जम्मू एवं कश्मीर	अनंतनाग	अनंतनाग
2	जम्मू एवं कश्मीर	बरमुल	बंदीपोर
3	जम्मू एवं कश्मीर	डोडा	बनिहाल
4	जम्मू एवं कश्मीर	बरमुल	बारामूला चरण-1
5	जम्मू एवं कश्मीर	बरमुल	बारामूला चरण-2
6	जम्मू एवं कश्मीर	कठुआ	बशोली
7	जम्मू एवं कश्मीर	डोडा	बतोते
8	जम्मू एवं कश्मीर	बढ़गांव	बुदम (आवासीय)
9	जम्मू एवं कश्मीर	बुदम	बुदम (अवसंरचना)
10	जम्मू एवं कश्मीर	जम्मू	डीएएलबी, कश्मीर (स्कीम सं. 18064) वाम्बे के अंतर्गत
11	जम्मू एवं कश्मीर	श्रीनगर	गंदरबल (आवास)
12	जम्मू एवं कश्मीर	श्रीनगर	गंदरबल (अवसंरचना)
13	जम्मू एवं कश्मीर	बरमुल	हजिन चरण-1
14	जम्मू एवं कश्मीर	बरमुल	हजिन चरण-2

1	2	3	4
15	जम्मू एवं कश्मीर	कुपवाड़ा	हंदर चरण-1
16	जम्मू एवं कश्मीर	कुपवाड़ा	हंदर चरण-2
17	जम्मू एवं कश्मीर	जम्मू	खोउर
18	जम्मू एवं कश्मीर	अनंतनाग	कुलगांव चरण-1
19	जम्मू एवं कश्मीर	अनंतनाग	कुलगांव चरण-2
20	जम्मू एवं कश्मीर	कुपवाड़ा	कुपवाड़ा
21	जम्मू एवं कश्मीर	बदगाम	मगम चरण-1
22	जम्मू एवं कश्मीर	बदगाम	मगम चरण-2
23	जम्मू एवं कश्मीर	अनंतनाग	मतन चरण-1
24	जम्मू एवं कश्मीर	अनंतनाग	मतन चरण-2
25	जम्मू एवं कश्मीर	रजौरी	नौशेरा
26	जम्मू एवं कश्मीर	कठुआ	परोले
27	जम्मू एवं कश्मीर	पूंछ	पूंछ
28	जम्मू एवं कश्मीर	जम्मू	रामगढ़
29	जम्मू एवं कश्मीर	उधमपुर	रामनगर चरण-1
30	जम्मू एवं कश्मीर	उधमपुर	रामनगर चरण-2
31	जम्मू एवं कश्मीर	उधमपुर	रियासी चरण-1
32	जम्मू एवं कश्मीर	उधमपुर	रियासी चरण-2
33	जम्मू एवं कश्मीर	पुलवामा	शोपियां चरण-2
34	जम्मू एवं कश्मीर	पुलवामा	शोपियां चरण-2
35	जम्मू एवं कश्मीर	बारामुला	सोपोर चरण-1
36	जम्मू एवं कश्मीर	बारामुला	सोपोर चरण-2
37	जम्मू एवं कश्मीर	श्रीनगर	श्रीनगर द. (स्कीम सं. 18632) वाम्बे के अंतर्गत
38	जम्मू एवं कश्मीर	बारामुला	सुम्बल (एचओयूएसआईएनजी)

1	2	3	4
39	जम्मू एवं कश्मीर	बारामुला	सुम्बल (आईएनएफआरएएसटीआरयूसीटीयूआरइ)
40	जम्मू एवं कश्मीर	रजौरी	थाना मंडी
	कुल		27
1	झारखंड	पश्चिमी सिंहभूम	चाईबासा
2	झारखंड	चतरा	चतरा चरण-1
3	झारखंड	गिरीडीह	गिरीडीह
4	झारखंड	गुमला	गुमला
5	झारखंड	हजारीबाग	हजारीबाग
6	झारखंड	लोहरदगा	लोहरदगा
7	झारखंड	जामताड़ा	मिहिजम
8	झारखंड	पलामू	मेदिनीनगर
9	झारखंड	बोकारो	फुश्री
10	झारखंड	सरायकेला-खर्सवन	सरायकेला
	कुल		10
1	केरल	अलप्पुज्ह	अलप्पुज्ह
2	केरल	एर्नाकुलम	अंगमल्य
3	केरल	तिरूवनंतपुरम	अतिंगल
4	केरल	एर्नाकुलम	अलुव
5	केरल	अलप्पुज्ह	चेर्थल
6	केरल	कोट्टायम	चंगनस्सेर्य चरण-1
7	केरल	कोट्टायम	चंगनस्सेर्य चरण-2
8	केरल	थ्रिस्सूर	चवक्कद
9	केरल	थ्रिसूर	चलकुच
10	केरल	पलक्कड	चित्तूर ट्टटामंगलम
11	केरल	थ्रिसूर	गुरूवयूर

1	2	3	4
12	केरल	थ्रिसूर	इराजालाकडा चरण-1
13	केरल	थ्रिसूर	इराजालाकडा चरण-2
14	केरल	थ्रिसूर	कोदुंगल्लूर
15	केरल	कोट्टायम	कोट्टायम
16	केरल	कसरगोद	कान्हनगड़ चरण-1
17	केरल	कसरगोद	कान्हनगड़ चरण-2
18	केरल	दयनद	कालपेट्टा
19	केरल	कन्नूर	कन्नूर
20	केरल	कसरगोद	कसरगोद
21	केरल	एर्नाकुलम	कोथमंगलम
22	केरल	कोझीकोड	कोईलंदी
23	केरल	कोझीकोड	कोझीकोड
24	केरल	थ्रिसूर	कुन्नकुलम
25	केरल	कुन्नूर	कुथुपुरंब
26	केरल	मलप्पुराम	मलप्पुराम चरण-1
27	केरल	मलप्पुराम	मलप्पुराम चरण-2
28	केरल	कुन्नूर	मतनूर चरण-1
29	केरल	कुन्नूर	मतनूर चरण-2
30	केरल	एर्नाकुलम	मूदतुपुज्ह
31	केरल	तिरूवनंतपुरम	नेदुमनगह
32	केरल	तिरूवनंतपुरम	नेय्यतिंकर
33	केरल	कोल्लम	उत्तरपरदूर चरण-1
34	केरल	कोल्लम	उत्तरपरदूर चरण-2
35	केरल	पलक्कड	ओत्तपलम चरण-1
36	केरल	पलक्कड	ओत्तपलम चरण-2

1	2	3	4
37	केरल	कन्नूर	पय्यन्नुर
38	केरल	पलक्कड	पलक्कड
39	केरल	पथनम्थित	पथनम्थित
40	केरल	मलप्पुराम	पेरितलमन चरण-1
41	केरल	मलप्पुराम	पेरितलमन चरण-2
42	केरल	एर्नाकुलम	पेरम्बदूर
43	केरल	मलप्पुराम	पोन्नी
44	केरल	कोल्लम	पुनलुर
45	केरल	पलक्कड	शोरनुर
46	केरल	कोल्लम	दक्षिण परदूर
47	केरल	कन्नूर	तालिपरम्बा
48	केरल	थ्रिसूर	थ्रिसूर
49	केरल	कन्नूर	थलासेरीसंशोधित
50	केरल	इदुक्कि	थोडुपुज्झा
51	केरल	मलप्पुराम	तिरूरसिटी
52	केरल	तिरूवनंतपुरम	वर्कल
53	केरल	कोझीकोड	वतकर
	कुल		45
1	कर्नाटक	बागलकोट	बागलकोट संशोधित
2	कर्नाटक	बीदर	बसवकल्प
3	कर्नाटक	बेलगाम	बेलगाम संशोधित
4	कर्नाटक	बेल्लारी	बेल्लारी
5	कर्नाटक	गडग	बेतगिरी संशोधित
6	कर्नाटक	बिदर	भलकी संशोधित
7	कर्नाटक	गुलबर्गा	चिन्चोली

1	2	3	4
8	कर्नाटक	कोलर	चिंथमनी
9	कर्नाटक	बैंगलोर रूरल	दोड्डबल्लपुर
10	कर्नाटक	गडग	गजेन्द्रगद संशोधित
11	कर्नाटक	कोलर	गोविबिदनुर
12	कर्नाटक	गुलबर्ग	गुलबर्ग (आरइवीआइएसइडी)
13	कर्नाटक	हासन	हासन (आरइवीआइएसइडी)
14	कर्नाटक	चित्रदुर्ग	हिरियुरटाउन
15	कर्नाटक	हासन	होलेनर्सिपुर संशोधित
16	कर्नाटक	धारवाड़	एचयूबीएलआई-चरण-1
17	कर्नाटक	धारवाड़	एचयूबीएलआई-चरण-2
18	कर्नाटक	धारवाड़	एचयूबीएलआई-चरण-3
19	कर्नाटक	चिकमंगलूर	कदुर संशोधित
20	कर्नाटक	बैंगलोर रूरल	कनकपुर
21	कर्नाटक	कोपाल	कोपाल
22	कर्नाटक	मंडया	मंडया
23	कर्नाटक	कोलर	मुलुबगिलू
24	कर्नाटक	मंडया	नागमंगला संशोधित
25	कर्नाटक	मैसूर	नंजंगुद संशोधित
26	कर्नाटक	तुमकुर	पवगाह
27	कर्नाटक	बैंगलोर रूरल	रमनगर
28	कर्नाटक	बेलगाम	सौंदती
29	कर्नाटक	गुलबर्ग	शाहपुर
30	कर्नाटक	शिमोगा	शिकारीपुरा
31	कर्नाटक	शिमोगा	शिमोगा
32	कर्नाटक	कोलर	सिदलगत

1	2	3	4
33	कर्नाटक	रायचूर	सिंध्नौर
34	कर्नाटक	तुमकुर	सिरा
	कुल		32
1	मेघालय	रि भोइ	नोंग्पोह
2	मेघालय	वेस्ट गरो हिल्ल्स	तुरा
3	मेघालय	ईस्ट गरो हिल्लस	विलियमनगर
	कुल		3
1	मध्य प्रदेश	बालाघाट	बालाघाट
2	मध्य प्रदेश	जबलपुर	बरेल
3	मध्य प्रदेश	भोपाल	बेरसिया
4	मध्य प्रदेश	इंदौर	बेत्म
5	मध्य प्रदेश	ईस्टनिमर	बुरहानपुर
6	मध्य प्रदेश	छिंदवाड़ा	चंदमेत
7	मध्य प्रदेश	छिंदवाड़ा	छिंदवाड़ा
8	मध्य प्रदेश	दमोह	दमोह
9	मध्य प्रदेश	इंदौर	देपालपुर
10	मध्य प्रदेश	देवास	देवास (परियोजना-1)
11	मध्य प्रदेश	देवास	देवास (परियोजना-2)
12	मध्य प्रदेश	विदिशा	गंजबसोदा
13	मध्य प्रदेश	इंदौर	गौतमपुर
14	मध्य प्रदेश	ग्वालियर	ग्वालियर
15	मध्य प्रदेश	छिंदूरे	हराय
16	मध्य प्रदेश	हौशंगाबाद	हौशंगाबाद
17	मध्य प्रदेश	हौशंगाबाद	इटारसी
18	मध्य प्रदेश	रतलाम	जओरा

1	2	3	4
19	मध्य प्रदेश	खरगोने	खरगोने
20	मध्य प्रदेश	जबलपुर	कतंगी
21	मध्य प्रदेश	कटनी	कटनी
22	मध्य प्रदेश	ईस्ट निमर	खांडवा (परियोजना-1)
23	मध्य प्रदेश	ईस्ट निमर	खांडवा (परियोजना-2)
24	मध्य प्रदेश	राजगढ़	खुज्नेर
25	मध्य प्रदेश	विदिशा	कुरवई
26	मध्य प्रदेश	विदिशा	लतेरी
27	मध्य प्रदेश	मंडसौर	मंडसौर
28	मध्य प्रदेश	जबलपुर	मझोली
29	मध्य प्रदेश	रैसेन	मंडीदीप
30	मध्य प्रदेश	छिंदवाड़ा	मोहगांव
31	मध्य प्रदेश	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर
32	मध्य प्रदेश	टीकमगढ़	ओरछा
33	मध्य प्रदेश	बारवानी	पानसेमल
34	मध्य प्रदेश	जबलपुर	पाटन
35	मध्य प्रदेश	झबुआ	पेत्वद
36	मध्य प्रदेश	रेवा	रेवा
37	मध्य प्रदेश	सतना	सतना
38	मध्य प्रदेश	सागर	सागर
39	मध्य प्रदेश	छिंदवाड़ा	सौंसर
40	मध्य प्रदेश	जबलपुर	शहपुर
41	मध्य प्रदेश	सिंगरोली	सिंगरोली
42	मध्य प्रदेश	विदिशा	सिरोंजि
43	मध्य प्रदेश	विदिशा	सिरोंजि (अतिरिक्ता)
44	मध्य प्रदेश	विदिशा	विदिशा
	कुल		41

1	2	3	4
1	मिजोरम	चम्फै	चम्पाई चरण-1
2	मिजोरम	चम्फै	चम्पाई चरण-2
3	मिजोरम	कोलासिब	कोलाशिव चरण-1
4	मिजोरम	कोलासिब	कोलाशिव चरण-2
5	मिजोरम	लुंगलेई	लुंगलेई
6	मिजोरम	ममित	ममित
7	मिजोरम	सैहा	सैहा
8	मिजोरम	सेर्छिप	सेर्छिप
	कुल		6
1	मणिपुर	विश्नुपुर	विश्नुपुर
2	मणिपुर	इम्फाल ईस्ट	जिरिबम
3	मणिपुर	थोबल	कक्चिंग
4	मणिपुर	बिश्नुपुर	मोइरंग
5	मणिपुर	मनिपुर	मुडा (स्कीम सं. 18884) वाम्बे के अंतर्गत
6	मणिपुर	थोबल	थोबल
	कुल		6
1	राजस्थान	अलवर	अलवर
2	राजस्थान	भीलवाड़ा	असिंद
3	राजस्थान	श्री गंगानगर	अनूपगढ़
4	राजस्थान	जोधपुर	बिलरा
5	राजस्थान	हनुमानगढ़	भद्र
6	राजस्थान	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा
7	राजस्थान	पाली	बाली नगर
8	राजस्थान	बाड़मेर	बलोत्र
9	राजस्थान	बरन	बरन

1	2	3	4
10	राजस्थान	बाड़मेर	बाड़मेर
11	राजस्थान	झालावर	भवानी मंडी
12	राजस्थान	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा
13	राजस्थान	बीकानेर	बीकानेर चरण-1
14	राजस्थान	बीकानेर	बीकानेर चरण-1
15	राजस्थान	जलोरे	भीनमल
16	राजस्थान	प्रतापगढ़	छोति सद्रि
17	राजस्थान	बरन	छाबरा
18	राजस्थान	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़ चरण-1
19	राजस्थान	चित्तौगड़गढ़	चित्तौड़गढ़ चरण-2
20	राजस्थान	पाली	फल्न
21	राजस्थान	सवाई माधोपुर	गंगापुर
22	राजस्थान	भीलवाड़ा	गुलब्पुर
23	राजस्थान	हनुमानगढ़	हनुमानगढ़
24	राजस्थान	जैसलमेर	जैसलमेर चरण-1
25	राजस्थान	जैसलमेर	जैसलमेर चरण-2
26	राजस्थान	पाली	जैतरना
27	राजस्थान	झालावर	झलर्पतन
28	राजस्थान	झालावर	झलवर
29	राजस्थान	जलोरे	झलोरे
30	राजस्थान	जोधपुर	जोधपुर चरण-1
31	राजस्थान	जोधपुर	जोधपुर चरण-2
32	राजस्थान	कोटा	कैथून
33	राजस्थान	अजमेर	केकरी
34	राजस्थान	कोटा	कोटा

1	2	3	4
35	राजस्थान	चित्तौड़गढ़	नीमबहेड़ा
36	राजस्थान	पाली	पाली
37	राजस्थान	जोधपुर	फलोदी
38	राजस्थान	जैसलमेर	पोकन
39	राजस्थान	चित्तौर्गर्ह	प्रतापगढ़
40	राजस्थान	सिरोही	पिंडवारा
41	राजस्थान	सिरोही	पिलिबंग
42	राजस्थान	हनुमानगढ़	खत्सर
43	राजस्थान	पाली	रानी नगर
44	राजस्थान	चित्तौड़गढ़	खत्भत
45	राजस्थान	पाली	सद्रि
46	राजस्थान	सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर
47	राजस्थान	सीकर	सीकर
48	राजस्थान	जलोरे	संचोर
49	राजस्थान	कोटा	सांगोड़
50	राजस्थान	पाली	सोजत
51	राजस्थान	पाली	सुमरपुर
52	राजस्थान	गंगानगर	सूरतगढ़
53	राजस्थान	पाली	तखलाई
54	राजस्थान	टोंक	टोंक चरण-1
55	राजस्थान	टोंक	टोंक चरण-2
56	राजस्थान	उदयपुर	उदयपुर
	कुल		51
1	महाराष्ट्र	अमरावती	अचलपुर
2	महाराष्ट्र	अकोला	अकोला सिटी चरण-1

1	2	3	4
3	महाराष्ट्र	अकोला	अकोला सिटी चरण-2
4	महाराष्ट्र	अकोला	अकोला चरण-3
5	महाराष्ट्र	पुणे	आलन्दी
6	महाराष्ट्र	जलगांव	अमलनेर
7	महाराष्ट्र	जालना	आमबाद
8	महाराष्ट्र	अमरावती	अमरावती चरण-1
9	महाराष्ट्र	अमरावती	अमरावती चरण-2
10	महाराष्ट्र	अमरावती	अमरावती चरण-3
11	महाराष्ट्र	अमरावती	अंजनगांव-सुर्जि
12	महाराष्ट्र	वर्धा	आरवी
13	महाराष्ट्र	सांगली	आस्था
14	महाराष्ट्र	औरंगाबाद	औरंगाबाद
15	महाराष्ट्र	पुणे	बारामति
16	महाराष्ट्र	भांदरा	भांदरा सिटी
17	महाराष्ट्र	थाना	भिवंडी चरण-1
18	महाराष्ट्र	थाना	भिवंडी चरण-2
19	महाराष्ट्र	जालना	भोकर्धन
20	महाराष्ट्र	बुल्दन	बुलढाणा
21	महाराष्ट्र	चंद्रपुर	चंद्रपुर
22	महाराष्ट्र	अमरावती	चंदूर बाजार चरण-1
23	महाराष्ट्र	अमरावती	चंदूर रेलवे टाउन चरण-2
24	महाराष्ट्र	जलगांव	चोपडा
25	महाराष्ट्र	यवतमल	दव्ह सिटी
26	महाराष्ट्र	अहमदनगर	देओललि प्रवर
27	महाराष्ट्र	वर्धा	देवली

1	2	3	4
28	महाराष्ट्र	गढ़चिरोलि	देसाईगंज
29	महाराष्ट्र	बुल्दन	देउलगांव राजा सिटी
30	महाराष्ट्र	धुले	धुले
31	महाराष्ट्र	धुले	दोंदेंच वर्वदे चरण-1
32	महाराष्ट्र	धुले	दोंदेंच वर्वदे चरण-2
33	महाराष्ट्र	औरंगाबाद	गंगापुर
34	महाराष्ट्र	बिद	गेओरै
35	महाराष्ट्र	वर्धा	हिंगघाट
36	महाराष्ट्र	हिंगोली	हिंगोली चरण-1
37	महाराष्ट्र	हिंगोली	हिंगोली सिटी चरण-2
38	महाराष्ट्र	सांगली	इस्लामपुर
39	महाराष्ट्र	कोल्हापुर	इचलकरंजे
40	महाराष्ट्र	जालना	जालना
41	महाराष्ट्र	जलगांव	जामनेर
42	महाराष्ट्र	कोल्हापुर	जयसिंगपुर
43	महाराष्ट्र	नागपुर	कलमेश्वर
44	महाराष्ट्र	औरंगाबाद	कन्नद सिटी
45	महाराष्ट्र	सतारा	कराद
46	महाराष्ट्र	वाशिम	करंजा जिला वासिम
47	महाराष्ट्र	नागपुर	कतोल
48	महाराष्ट्र	बुल्दन	खेमगांव
49	महाराष्ट्र	नागपुर	खप
50	महाराष्ट्र	अहमदनगर	खोपरगांव
51	महाराष्ट्र	कोल्हापुर	कोल्हापुर चरण-1
52	महाराष्ट्र	कोल्हापुर	कोल्हापुर चरण-2

1	2	3	4
53	महाराष्ट्र	लातूर	लातूर
54	महाराष्ट्र	बुल्दन	लोनर टाउन, जिला, बुलढाणा
55	महाराष्ट्र	पुणे	लोनवाला
56	महाराष्ट्र	मालेगांव	मालेगांव चरण-1
57	महाराष्ट्र	मालेगांव	मालेगांव चरण-2
58	महाराष्ट्र	मालेगांव	मालेगांव चरण-3
59	महाराष्ट्र	मालेगांव	मालेगांव चरण-4
60	महाराष्ट्र	मालेगांव	मालेगांव चरण-5
61	महाराष्ट्र	मालेगांव	मालेगांव चरण-6
62	महाराष्ट्र	मालेगांव	मालेगांव चरण-7
63	महाराष्ट्र	मालेगांव	मालेगांव चरण-8
64	महाराष्ट्र	बुल्दन	मलकापुर सिटी
65	महाराष्ट्र	नागपुर	मोहप
66	महाराष्ट्र	नंदेद	मुदखेद
67	महाराष्ट्र	अकोला	मुर्तिजापुर (संशोधित)
68	महाराष्ट्र	उसमानाबाद	नल्दुर्ग
69	महाराष्ट्र	नागपुर	नारखेड़
70	महाराष्ट्र	उसमानाबाद	ओसममबाद
71	महाराष्ट्र	यवतमल	पंढरकवाडा
72	महाराष्ट्र	परभणी	परभणी
73	महाराष्ट्र	जालना	परतूर
74	महाराष्ट्र	परभणी	पथ्रि
75	महाराष्ट्र	भंडारा	पौनी जिला भंडारा चरण-1
76	महाराष्ट्र	भंडारा	पौनी जिला भंडारा चरण-2
77	महाराष्ट्र	सतारा	फलटन

1	2	3	4
78	महाराष्ट्र	वर्धा	पुलगांव
79	महाराष्ट्र	चंद्रपुर	राजुरा
80	महाराष्ट्र	नागपुर	रामटेक
81	महाराष्ट्र	वाशिम	रिसोद
82	महाराष्ट्र	सांगली	सांगली (बाल हनुमान कालोनी 1 एवं 2) चरण-1
83ए	महाराष्ट्र	सांगली	सांगली दुर्गानगर, संजय नगर) चरण-2
83बी	महाराष्ट्र	सांगली	सांगली इंदिरा नगर भाग-1 एवं 2 चरण-3
83सी	महाराष्ट्र	सांगली	सांगली चरण-4
84	महाराष्ट्र	नागपुर	सॉनेर
85	महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	सांवतवाडी
86	महाराष्ट्र	अमरावती	शेंदुर्जन घाट
87	महाराष्ट्र	धुले	शीरपुर वर्वदे चरण-1 जिला धुले
88	महाराष्ट्र	अहमदनगर	श्रिअमपुर
89	महाराष्ट्र	बुल्दन	सिंद्खेद राजा सिटी
90	महाराष्ट्र	सोलपुर	सोलपुर
91	महाराष्ट्र	सांगली	तासगांव
92	महाराष्ट्र	गोंदिय	तिरोरा चरण-1
93	महाराष्ट्र	गोंदिय	तिरोरा सिटी, चरण-2, जिला गाडिया
94	महाराष्ट्र	भांदरा	तुमसर
95	महाराष्ट्र	नागपुर	उम्रेद सिटी
96	महाराष्ट्र	औरंगाबाद	वज्जपुर
97	महाराष्ट्र	सतारा	वाई
98	महाराष्ट्र	वर्धा	वर्धा
99	महाराष्ट्र	अमरावती	वरुद
100	महाराष्ट्र	वाशिम	वाशिम

1	2	3	4
101	महाराष्ट्र	यवतमाल	यवतमल
102	महाराष्ट्र	नासिक	येवता
कुल (*परियोजना क्रम सं 83-ए एवं बी रद्द कर दी गई और क्रम सं. 83-सी) में मिला दी गई।			83
1	नागालैंड	दीमापुर	दीमापुर
2	नागालैंड	कोहिमा	सूडा (योजना सं. 18885) वाम्बे क अंतर्गत
	कुल		2
1	उड़ीसा	अनुगुल	अंगुल एनएसी चरण-1
2	उड़ीसा	बालेश्वर	बालासोर चरण-1
3	उड़ीसा	बालेश्वर	बालासोर चरण-2
4	उड़ीसा	बारगढ़	बारगढ़ चरण-1
5	उड़ीसा	मयुर्भज	बारिपाड़ा
6	उड़ीसा	गंजम	बहरामपुर
7	उड़ीसा	भद्रक	भद्रक चरण-1
8	उड़ीसा	भद्रक	भद्रक चरण-2
9	उड़ीसा	कलहंदि	भवानीपटना
10	उड़ीसा	सुंदर्गढ़	बिरमित्रपुर
11	उड़ीसा	बालंगीर	बोलंगीर
12	उड़ीसा	झारसुगुडा	ब्रजराज नगर
13	उड़ीसा	कटक	कटक चरण-2
14	उड़ीसा	धेंकनल	धेंकनल चरण-1
15	उड़ीसा	जजपुर	जाजपुर
16	उड़ीसा	खोर्ध	जलि चरण-1
17	उड़ीसा	खोर्ध	जलि चरण-2
18	उड़ीसा	जजपुर	जेय्पोरे
19	उड़ीसा	झारसुगुडा	झारसुगुडा

1	2	3	4
20	उड़ीसा	केंद्रपारा	केंद्रपारा चरण-1
21	उड़ीसा	केंदुझर	केओंझगढ़
22	उड़ीसा	नुअपाडा	खरिअर रोड चरण-2
23	उड़ीसा	खोर्ध	खुर्द चरण-1
24	उड़ीसा	मलकानगिरि	मलकानगिरि
25	उड़ीसा	नबरंगपुर	नबरंगपुर
26	उड़ीसा	नयागढ़	नयागढ़
27	उड़ीसा	गजपति	पारलेखमुंडी
28	उड़ीसा	सुंदर्गढ़	राउड़केला चरण-1
29	उड़ीसा	सम्बलपुर	सम्बलपुर
30	उड़ीसा	सोनापुर	सुबर्नपुर
31	उड़ीसा	अनुगुल	तल्चर
32	उड़ीसा	जजपुर	व्यसनगर
	कुल		29
1	पंजाब	जलंधर	जलंधर चरण-1
2	पंजाब	जलंधर	जलंधर चरण-2
3	पंजाब	पटियाला	राजपुरा
	कुल		2
1	पुडुचेरी	करइकाल	करइकाल
	कुल		1
1	सिक्किम	ईस्ट	सिंगतम
	कुल		1
1	तमिलनाडु	कंचीपुराम	अचरपक्कम
2	तमिलनाडु	नमक्काल	अलम्पलयम
3	तमिलनाडु	थिरूवल्लुर	अरनि टाउन पंचायत

1	2	3	4
4	तमिलनाडु	अरियालुर	अरियालुर
5	तमिलनाडु	विरुधुनगर	अरूपुक्कोतै
6	तमिलनाडु	इरोड	अवल्पूंदुरै
7	तमिलनाडु	थेनी	बोदिनयकमुर
8	तमिलनाडु	कुड्डालोर	चिदम्बरम
9	तमिलनाडु	दी निल्गिरिस	चूनूर
10	तमिलनाडु	थेनी	कुमबुम
11	तमिलनाडु	इरोड	धरपुराम
12	तमिलनाडु	धर्मपुरी	धर्मपुरी
13	तमिलनाडु	डिंडिगुल	डिंडिगुल
14	तमिलनाडु	इरोड	इरोड
15	तमिलनाडु	सालेम	गंगवेल्लि
16	तमिलनाडु	इरोड	गोबिचेट्टीपलायम
17	तमिलनाडु	सालेम	इदप्पदि
18	तमिलनाडु	कपुर	इनाम करुर
19	तमिलनाडु	कंचीपुराम	कंचीपुराम
20	तमिलनाडु	सिवगंगा	करइकुडी
21	तमिलनाडु	कंचीपुरम	करूंगुज्हि
22	तमिलनाडु	सालेम	करूपपुर
23	तमिलनाडु	कपूर	करुर
24	तमिलनाडु	डिंडिगुल	कोडइकानाल चरण-1
25	तमिलनाडु	डिंडिगुल	कोडइकानाल चरण-2
26	तमिलनाडु	इरोड	कोदुमुदी टाउन
27	तमिलनाडु	नमक्काल	कोमरपलयम
28	तमिलनाडु	तूथुकुदि	कोविलपट्टी

1	2	3	4
29	तमिलनाडु	धर्मपुरी	कृष्णागिरि
30	तमिलनाडु	इरोड	कुगलुर
31	तमिलनाडु	थंजावुर	कुम्बकोनम चरण-1, 2 एवं 3
32	तमिलनाडु	इरोड	लक्कम्पति
33	तमिलनाडु	कंचीपुराम	मामल्लापुरम
34	तमिलनाडु	तिरुचिरप्पल्लि	मनप्पै
35	तमिलनाडु	थिरुवरुर	मन्नारगुडि
36	तमिलनाडु	मदुरै	मेलुर
37	तमिलनाडु	कोयंबटूर	मेत्तूपालयम
38	तमिलनाडु	सालेम	मेत्तुर
39	तमिलनाडु	नमक्काल	मोहनुर
40	तमिलनाडु	नागपट्टिनम	नागपट्टिनम
41	तमिलनाडु	कन्नियकुमरि	नगेर्चोइल
42	तमिलनाडु	नमक्काल	नमक्काल
43	तमिलनाडु	कंचीपुराम	नंधीवरम गुडूवंचेरी टाउन पंचायत
44	तमिलनाडु	इरोड	पी.मेत्तूपालयम
45	तमिलनाडु	सालेम	पी.एन.पत्य
46	तमिलनाडु	कोयंबटूर	पल्लचि
47	तमिलनाडु	इरोड	पल्लपलयम टाउन
48	तमिलनाडु	थंजावुर	पतुक्कोत्तै
49	तमिलनाडु	पेरम्बलुर	पेरम्बलुर
50	तमिलनाडु	पुदुक्कोट्टी	पुदुक्कोट्टी
51	तमिलनाडु	नमवकाल	आर पुहूटी नमक्काल
52	तमिलनाडु	रमनथपुराम	रमनथपुराम
53	तमिलनाडु	वेल्लौर	रानीपेट

1	2	3	4
54	तमिलनाडु	सालेम	सालेम
55	तमिलनाडु	इरोड	सथयमंगलम
56	तमिलनाडु	नमक्काल	सीरपल्लि
57	तमिलनाडु	नागपट्टिनम	सिर्कलि
58	तमिलनाडु	सिवगंगा	सिवगंगै
59	तमिलनाडु	विरुधुनगर	सिवकसि
60	तमिलनाडु	कंचीपुराम	श्रीपेरेमबुदूर
61	तमिलनाडु	थंजावुर	थंजावुर
62	तमिलनाडु	कपुर	थंथोनि
63	तमिलनाडु	सालेम	थेडावूर, सालेम
64	तमिलनाडु	थेनी	थेनी अल्लिनगराम
65	तमिलनाडु	कोयंबटूर	थिरपुर
66	तमिलनाडु	कंचीपुराम	थीरू काजूकदरम
67	तमिलनाडु	तिरुनेल्वेलि	थिरूनेल्वेलि
68	तमिलनाडु	तिरुवनमलै	थिरुवनमलै
69	तमिलनाडु	तिरुचिरप्पल्लि	थुरैयुर
70	तमिलनाडु	नमक्काल	तिरुचेंगोदे
71	तमिलनाडु	तिरुचिरप्पल्लि	तिरुचिरप्पल्लि
72	तमिलनाडु	वेल्लौर	तिरुपतौर
73	तमिलनाडु	थिरूवरूर	तिरुवरुर
74	तमिलनाडु	चेन्नई	औएनएससीबी स्कीम सं. 18496) वाम्बे के अंतर्गत
75	तमिलनाडु	तुतिकोरिन	तुतिकोरिन
76	तमिलनाडु	दी निल्गिरिस	उधगमंदलम
77	तमिलनाडु	कोयंबटूर	उदुमल्पेत
78	तमिलनाडु	इरोड	उधुकुलि टाउन

1	2	3	4
79	तमिलनाडु	वेल्लौर	वनियाम्बदी
80	तमिलनाडु	सालेम	वीरगनुर टी ओडब्ल्यूएन, सालेम
81	तमिलनाडु	नमक्काल	वेलूर
82	तमिलनाडु	विल्लुपुरम	विल्लुपुरम
83	तमिलनाडु	विरुधुनगर	विरुधुनगर
84	तमिलनाडु	कांचीपुरम	वलजबाद
	कुल		83
1	त्रिपुरा	दक्षिण त्रिपुरा	बेलोनिया टाउन
2	त्रिपुरा	वेस्ट त्रिपुरा	रनिबजर
3	त्रिपुरा	वेस्ट त्रिपुरा	सोनमुर
4	त्रिपुरा	वेस्ट त्रिपुरा	तेलिअमुर
5	त्रिपुरा	दक्षिण त्रिपुरा	उदयपुर
	कुल		5
1	उत्तर प्रदेश	औरइया	अचालदा
2	उत्तर प्रदेश	जालौन	आदल सराय काल्पी टाउन जिला जालौन
3	उत्तर प्रदेश	बिजनौर	अफजलगढ़
4	उत्तर प्रदेश	कौशाम्बि	अझुब
5	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़	अलीगढ़ चरण-1
6	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़	अलीगढ़ चरण-2
7	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़	अलीगढ़ चरण-3
8	उत्तर प्रदेश	कानपुर देहत	अम्रौध
9	उत्तर प्रदेश	ज्योतिबा फुले नगर	अमरोहा
10	उत्तर प्रदेश	प्रतापगढ़	अंतु
11	उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद	अर्थल
12	उत्तर प्रदेश	एटा	अवगर्ह
13	उत्तर प्रदेश	आजमगढ़	आजमगढ़

1	2	3	4
14	उत्तर प्रदेश	उन्नाव	अकमपुर सिटी
15	उत्तर प्रदेश	रायबरेली	बछवन
16	उत्तर प्रदेश	कुशि नगर	सेवराही (अम्बेडकर नगर) चरण-1
17	उत्तर प्रदेश	कुशि नगर	सेवराही (मालवीय नगर) चरण-2
18	उत्तर प्रदेश	औरइया	बबरपुर
19	उत्तर प्रदेश	बलिया	बलिया
20	उत्तर प्रदेश	मुजफ्फरनगर	बनत
21	उत्तर प्रदेश	बागपत	बरौत
22	उत्तर प्रदेश	बस्ती	बस्ती
23	उत्तर प्रदेश	फैजाबाद	बीकापुर जिला फैजाबाद
24	उत्तर प्रदेश	प्रतापगढ़	बेल्ह
25	उत्तर प्रदेश	मुरादाबाद	भतवाली
26	उत्तर प्रदेश	औरइया	भिकमपुर
27	उत्तर प्रदेश	चंदौली	बिछारी, मुगलसराय
28	उत्तर प्रदेश	औरइया	बिधूना
29	उत्तर प्रदेश	बांदा	बिसांडा जिला बांदा, उत्तर प्रदेश
30	उत्तर प्रदेश	सीतापुर	बीसवान जिला सीतापुर
31	उत्तर प्रदेश	कानपुर नगर	बिटूर जिला कानपुर
32	उत्तर प्रदेश	बुलंदशहर	बुग्रसि
33	उत्तर प्रदेश	बुलंदशहर	बुलंदशहर
34	उत्तर प्रदेश	चंदौली	चकिया
35	उत्तर प्रदेश	चंदौली	चंदौली चरण-1
36	उत्तर प्रदेश	चंदौली	चंदौली चरण-2
37	उत्तर प्रदेश	बुलंदशहर	चतरि
38	उत्तर प्रदेश	मथुरा	छत्त

1	2	3	4
39	उत्तर प्रदेश	कन्नौज	चिब्रमौ चरण-1
40	उत्तर प्रदेश	कन्नौज	चिब्रमौ चरण-2
41	उत्तर प्रदेश	मिर्जापुर	चुनार
42	उत्तर प्रदेश	गौतम बुद्ध नगर	दादरी चरण-1
43	उत्तर प्रदेश	गौतम बुद्ध नगर	दादरी चरण-2
44	उत्तर प्रदेश	गौतम बुद्ध नगर	दंकौर
45	उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद	डासना
46	उत्तर प्रदेश	कानपुर देहत	देरपुर
47	उत्तर प्रदेश	औरइया	दिबियपुर
48	उत्तर प्रदेश	एटा	एटा
49	उत्तर प्रदेश	फैजाबाद	फैजाबाद चरण-1
50	उत्तर प्रदेश	फैजाबाद	फैजाबाद यिटर चरण-2
51	उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद	फरीदनगर
52	उत्तर प्रदेश	फर्रुखाबाद	फर्रुखाबाद टी.ए.
53	उत्तर प्रदेश	फतेहपुर	फतेहपुर
54	उत्तर प्रदेश	सुलतानपुर	घांसीगंज, सुलतानपुर
55	उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद	गाजियाबाद
56	उत्तर प्रदेश	गाजीपुर	गाजीपुर
57	उत्तर प्रदेश	सोनभद्रा	घोरवल
58	उत्तर प्रदेश	मथुरा	गोकुल
59	उत्तर प्रदेश	खेरी	गोला टाउन जिला लखीमपुर
60	उत्तर प्रदेश	हरदोइ	गोपर्मो
61	उत्तर प्रदेश	गोरखपुर	गोरखपुर (चरण-1)
62	उत्तर प्रदेश	गोरखपुर	गोरखपुर (चरण-2)
63	उत्तर प्रदेश	कानपुर देहत	गौसेगंज

1	2	3	4
64	उत्तर प्रदेश	संत कबीर नगर	हरिहरपुर (चरण-1)
65	उत्तर प्रदेश	संत कबीर नगर	हरिहरपुर (जवाहर नगर) चरण-2
66	उत्तर प्रदेश	संत कबीर नगर	हरिहरपुर (पटेल नगर) चरण-3
67	उत्तर प्रदेश	संत कबीर नगर	हरिहरपुर (चरण-4)
68	उत्तर प्रदेश	ज्योतीबा फुले नगर	हासनपुर
69	उत्तर प्रदेश	मेरठ	हस्तिनापुर, मेरठ
70	उत्तर प्रदेश	उन्नाव	हैदरबाद
71	उत्तर प्रदेश	इटावा	जसवंत नगर (चरण-1)
72	उत्तर प्रदेश	इटावा	जसवंत नगर (चरण-2)
73	उत्तर प्रदेश	गौतम बुद्ध नगर	जेवर
74	उत्तर प्रदेश	बिज्नोर	झलु चरण-1
75	उत्तर प्रदेश	बिज्नोर	झलु चरण-2
76	उत्तर प्रदेश	कानपुर देहत	झिंझक
77	उत्तर प्रदेश	ज्योतीबा फुले नगर	जोय
78	उत्तर प्रदेश	जालौन	कदौर टाउन जिला जालौन
79	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	काकोरी
80	उत्तर प्रदेश	बुलंदशहर	खानपुर
81	उत्तर प्रदेश	मेरठ	खर्खुद
82	उत्तर प्रदेश	अम्बेडकर नगर	किछौच
83	उत्तर प्रदेश	मैनपुरी	किशिन
84	उत्तर प्रदेश	मथुरा	कोसी कला
85	उत्तर प्रदेश	सुलतानपुर	कोएरिपुर
86	उत्तर प्रदेश	प्रतापगढ़	कुंद टाउन जिला, प्रतापगढ़
87	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद	कुरॉन
88	उत्तर प्रदेश	हमीरपुर	करारा जिला हमीरपुर

1	2	3	4
89	उत्तर प्रदेश	राय बरेली	लालगंज
90	उत्तर प्रदेश	देवरिया	लार
91	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद	लाल गोपालगंज
92	उत्तर प्रदेश	मेरठ	लवर
93	उत्तर प्रदेश	मउ	मउ सिटी
94	उत्तर प्रदेश	मथुरा	महवन
95	उत्तर प्रदेश	माहोबा	माहोबा टाउन, जिला माहोबा उत्तर प्रदेश
96	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	महोन
97	उत्तर प्रदेश	महाराजगंज	महाराजगंज
98	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	मलीहाबाद
99	उत्तर प्रदेश	चित्रकूत	मानिकपुर जिला, चित्रकूत उत्तर प्रदेश
100	उत्तर प्रदेश	कौशाम्बि	मंझनपुर
101	उत्तर प्रदेश	मिर्जापुर	मिर्जापुर
102	उत्तर प्रदेश	मिर्जापुर	मिर्जापुर सिटी
103	उत्तर प्रदेश	फर्रुखाबाद	मोहम्मदबाद
104	उत्तर प्रदेश	मुरादाबाद	मुरादाबाद
105	उत्तर प्रदेश	चंदौली	मुगलसराय
106	उत्तर प्रदेश	मथुरा	नंदगांव
107	उत्तर प्रदेश	बांदा	नरैनी
108	उत्तर प्रदेश	बरेली	नवाबगंज
109	उत्तर प्रदेश	बरेली	नवाबगंज
110	उत्तर प्रदेश	बिज्नोर	नेहतौर
111	उत्तर प्रदेश	एटा	निधौलि कला
112	उत्तर प्रदेश	पीलीभीत	नुरिया हुसैनपुर, हुसैनपुर जिला पिलीभीत
113	उत्तर प्रदेश	जालौन	ओरइ टाउन (लहरियापुरा) जिला जालौन, उत्तर प्रदेश

1	2	3	4
114	उत्तर प्रदेश	बलरामपुर	पच्पेर्द
115	उत्तर प्रदेश	राय बरेली	पर्सदेपुर
116	उत्तर प्रदेश	हरदोई	पाली जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश
117	उत्तर प्रदेश	औरइया	फफूंद
118	उत्तर प्रदेश	जालौन	पिछोर नजदीक बजरंग कालोनी जिला झांसी उत्तर प्रदेश
119	उत्तर प्रदेश	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़
120	उत्तर प्रदेश	गौतम बुद्ध नगर	रबुपुर
121	उत्तर प्रदेश	राय बरेली	रायबरेली (चरण-1)
122	उत्तर प्रदेश	राय बरेली	रायबरेली (चरण-2)
123	उत्तर प्रदेश	बाराबंकी	रामनगर
124	उत्तर प्रदेश	रामपुर	रामपुर चरण-1
125	उत्तर प्रदेश	रामपुर	रामपुर चरण-2
126	उत्तर प्रदेश	उन्नाव	रसूलबाद
127	उत्तर प्रदेश	मथुरा	रय
128	उत्तर प्रदेश	रायबरेली	रायबरेली
129	उत्तर प्रदेश	गाजीपुर	सदत
130	उत्तर प्रदेश	सहारनपुर	सहारनपुर चरण-1
131	उत्तर प्रदेश	सहारनपुर	सहारनपुर चरण-2
132	उत्तर प्रदेश	बहराईच	सलारगंज
133	उत्तर प्रदेश	संत रविदास नगर	संत रवि दास नगर
134	उत्तर प्रदेश	हरदोई	एसएएनडीआईएलए, हरदोई
135	उत्तर प्रदेश	बरेली	सॉन
136	उत्तर प्रदेश	आजमगढ़	सराय मीर
137	उत्तर प्रदेश	कन्नौज	सौरिख
138	उत्तर प्रदेश	गोरखपुर	सेह्जंव

1	2	3	4
139	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद	शंकर्गर्ह
140	उत्तर प्रदेश	कानपुर देहत	शीवली
141	उत्तर प्रदेश	कानपुर नगर	शिव्रजपुर
142	उत्तर प्रदेश	कानपुर देहत	सिकंदरा
143	उत्तर प्रदेश	खेरी	सिंगहि
144	उत्तर प्रदेश	मुरादाबाद.	थकुर्द्वर चरण-1
145	उत्तर प्रदेश	मुरादाबाद	थकुर्द्वर चरण-2
146	उत्तर प्रदेश	कन्नौज	तिर्व
147	उत्तर प्रदेश	कन्नौज	तिर्व खस
148	उत्तर प्रदेश	उन्नाव	उगु
149	उत्तर प्रदेश	बुदौन	उझनि
150	उत्तर प्रदेश	मुरादाबाद	उम्रि कला
151	उत्तर प्रदेश	उन्नाव	उन्नाव
152	उत्तर प्रदेश	बलरामपुर	उतरौल
153	उत्तर प्रदेश	मथुरा	वृंदावन
	कुल		135
1	उत्तराखंड	अलमोड़ा	अलमोड़ा
2	उत्तराखंड	चम्पवत	चम्पवत
3	उत्तराखंड	उधम सिंह नगर	दिनेशपुर
4	उत्तराखंड	नैनीताल	हलद्वानी, इंदिरा नगर
5	उत्तराखंड	नैनीताल	हलद्वानी, काठगोदाम
6	उत्तराखंड	उधम सिंह नगर	जसपुर चरण-1
7	उत्तराखंड	उधम सिंह नगर	जसपुर चरण-2
8	उत्तराखंड	उधम सिंह नगर	किच्च्व
9	उत्तराखंड	उधम सिंह नगर	काशीपुर

1	2	3	4
10	उत्तराखंड	नैनीताल	कलदुंगि
11	उत्तराखंड	नैनीताल	लल्कुअन
12	उत्तराखंड	नैनीताल	लंदौर चरण-1
13	उत्तराखंड	नैनीताल	लंदौर चरण-2
14	उत्तराखंड	उधम सिंह नगर	महुअखेर गंज
15	उत्तराखंड	देहरादून	मुस्सोरिए
16	उत्तराखंड	उधम सिंह नगर	महुदव्र
17	उत्तराखंड	हरिद्वार	मंग्लौर
18	उत्तराखंड	गढ़वाल	पौड़ी
19	उत्तराखंड	पिथौरगाई	पिथौर्गई नगर
20	उत्तराखंड	गढ़वाल	श्रीनगर
21	उत्तराखंड	देहरादून	विकास नगर
	कुल		18
1	पश्चिम बंगाल	जलपाईगुड़ी	अलीपुरद्वार चरण-1
2	पश्चिम बंगाल	जलपाईगुड़ी	अलीपुरद्वार चरण-2
3	पश्चिम बंगाल	हुगली	अमरबाग
4	पश्चिम बंगाल	उत्तर चौबीस परगना	अशोकनगर कल्यंगई चरण-1
5	पश्चिम बंगाल	उत्तर चौबीस परगना	अशोकनगर कल्यंगई चरण-2
6	पश्चिम बंगाल	उत्तर चौबीस परगना	बदुरिअ चरण-1
7	पश्चिम बंगाल	उत्तर चौबीस परगना	बदुरिअ चरण-2
8	पश्चिम बंगाल	दक्शिन दिनजपुर	बलुरघाट चरण-1
9	पश्चिम बंगाल	दक्शिन दिनजपुर	बलुरघाट चरण-1
10	पश्चिम बंगाल	बंकुरा	बंकुरा चरण-1
11	पश्चिम बंगाल	बंकुरा	बंकुरा चरण-2
12	पश्चिम बंगाल	उत्तर चौबीस परगना	बसिरहाट चरण-1

1	2	3	4
13	पश्चिम बंगाल	उत्तर चौबीस परगना	बसिरहाट चरण-2
14	पश्चिम बंगाल	मुर्शिदाबाद	बेल्दंग चरण-1
15	पश्चिम बंगाल	मुर्शिदाबाद	बरहामपुर
16	पश्चिम बंगाल	नाडिया	बिरनगर चरण-1
17	पश्चिम बंगाल	नाडिया	बिरनगर चरण-2
18	पश्चिम बंगाल	दक्षिण चौबीस परगना	बिश्नुपुर
19	पश्चिम बंगाल	बिर्भुम	बोलपुर
20	पश्चिम बंगाल	उत्तर चौबीस परगना	बोनगांव
21	पश्चिम बंगाल	बर्द्धमान	बरदवान
22	पश्चिम बंगाल	नाडिया	चक्दह चरण-1
23	पश्चिम बंगाल	नाडिया	चक्दह चरण-2
24	पश्चिम बंगाल	मेदिनिपुर	चंद्रकोन
25	पश्चिम बंगाल	मेदिनिपुर	कोंटाई चरण-1
26	पश्चिम बंगाल	मेदिनिपुर	कोंटाई चरण-2
27	पश्चिम बंगाल	कूच बिहार	कूच बिहार चरण-1
28	पश्चिम बंगाल	कूच बिहार	कूच बिहार चरण-2
29	पश्चिम बंगाल	नाडिया	चूपेर्स कैंप
30	पश्चिम बंगाल	बर्द्धमन	दैंहत चरण-1
31	पश्चिम बंगाल	बर्द्धमन	दैंहत चरण-2
32	पश्चिम बंगाल	उत्तर दिनजपुर	दलखोला चरण-1
33	पश्चिम बंगाल	उत्तर दिनजपुर	दलखोला चरण-2
34	पश्चिम बंगाल	दर्जिलिंग	दार्जीलिंग
35	पश्चिम बंगाल	हॉर	धुलियन
36	पश्चिम बंगाल	जलपाईगुडी	धुप्गुरि

1	2	3	4
37	पश्चिम बंगाल	दक्षिण चौबीस परगना	डायमंड हार्बर
38	पश्चिम बंगाल	कोच बिहार	दिनहाटा
39	पश्चिम बंगाल	बिर्भुम	दुब्रजपुर
40	पश्चिम बंगाल	मेदिनिपुर	एग्र चरण-1
41	पश्चिम बंगाल	मेदिनिपुर	एग्र चरण-2
42	पश्चिम बंगाल	मल्दह	एंग्लिश्बजर चरण-2
43	पश्चिम बंगाल	दक्शिन दिनजपुर	गंगारामपुर चरण-1
44	पश्चिम बंगाल	दक्शिन दिनजपुर	गंगारामपुर चरण-2
45	पश्चिम बंगाल	मेदिनिपुर	घातल चरण-1
46	पश्चिम बंगाल	मेदिनिपुर	घातल चरण-2
47	पश्चिम बंगाल	उत्तर चौबीस परगना	गोबर्दग चरण-1
48	पश्चिम बंगाल	उत्तर चौबीस परगना	गोबर्दग चरण-2
49	पश्चिम बंगाल	बर्द्धमन	गुश्कर
50	पश्चिम बंगाल	उत्तर चौबीस परगना	हावड़ा
51	पश्चिम बंगाल	मेदिनिपुर	हल्दिया चरण-1
52	पश्चिम बंगाल	मेदिनिपुर	हल्दिया चरण-2
53	पश्चिम बंगाल	कूच बिहार	हल्दिबरि चरण-1
54	पश्चिम बंगाल	कूच बिहार	हल्दिबरि चरण-2
55	पश्चिम बंगाल	उत्तर दिनजपुर	इस्लामपुर
56	पश्चिम बंगाल	जलपाईगुडी	जलपाईगुडी चरण-1
57	पश्चिम बंगाल	जलपाईगुडी	जलपाईगुडी चरण-2
58	पश्चिम बंगाल	मुर्शिदाबाद	जंगिपुर चरण-1
59	पश्चिम बंगाल	मुर्शिदाबाद	जंगिपुर चरण-2
60	पश्चिम बंगाल	पुरूलिय	झालदा

1	2	3	4
61	पश्चिम बंगाल	मेदिनिपुर	झारग्राम चरण-1
62	पश्चिम बंगाल	मेदिनिपुर	झारग्राम चरण-2
63	पश्चिम बंगाल	मुर्शिदाबाद	जियागंज अजीमगंज चरण-1
64	पश्चिम बंगाल	मुर्शिदाबाद	जियागंज अजीमगंज चरण-2
65	पश्चिम बंगाल	दक्षिण त्वेंत्फोउर पर्गनस	जोयनगर
66	पश्चिम बंगाल	दर्जिलिंग	कलिम्पोंग
67	पश्चिम बंगाल	उत्तर दिनजपुर	कलियगंज
68	पश्चिम बंगाल	बर्द्धमन	कालना
69	पश्चिम बंगाल	मुर्शिदाबाद	कांदी चरण-1
70	पश्चिम बंगाल	मुर्शिदाबाद	कांदी चरण-2
71	पश्चिम बंगाल	बर्द्धमन	कातवा
72	पश्चिम बंगाल	मेदिनिपुर	खरर
73	पश्चिम बंगाल	मेदिनिपुर	खड़गपुर चरण-1
74	पश्चिम बंगाल	मेदिनिपुर	खड़गपुर चरण-2
75	पश्चिम बंगाल	मेदिनिपुर	खड़गपुर चरण-3
76	पश्चिम बंगाल	मेदिनिपुर	खिर्पे
77	पश्चिम बंगाल	नाडिया	कृष्णनगर चरण-1
78	पश्चिम बंगाल	नाडिया	कृष्णनगर चरण-2
79	पश्चिम बंगाल	दर्जिलिंग	कुर्सेओंग
80	पश्चिम बंगाल	जलपाईगुडी	मल मुनिचिपलित्य
81	पश्चिम बंगाल	कूच बिहार	मथभंगा
82	पश्चिम बंगाल	कूच बिहार	मथभंगा
83	पश्चिम बंगाल	कूच बिहार	मेखलीगंज

1	2	3	4
84	पश्चिम बंगाल	बर्द्धमन	मेमरि चरण-1
85	पश्चिम बंगाल	बर्द्धमन	मेमरि चरण-2
86	पश्चिम बंगाल	मेदिनिपुर	मिद्नपोरे चरण-1
87	पश्चिम बंगाल	मेदिनिपुर	मिद्नपोरे चरण-2
88	पश्चिम बंगाल	दर्जिलिंग	मिरिक
89	पश्चिम बंगाल	मुर्शिदाबाद	मुर्शिदाबाद
90	पश्चिम बंगाल	नाडिया	नबद्वीप चरण-1
91	पश्चिम बंगाल	नाडिया	नबद्वीप चरण-2
92	पश्चिम बंगाल	उत्तर चौबीस परगना	नलहाटी
93	पश्चिम बंगाल	मालदा	ओल्ड मालदा
94	पश्चिम बंगाल	मेदिनिपुर	पंस्कुर चरण-1
95	पश्चिम बंगाल	मेदिनिपुर	पंस्कुर चरण-2
96	पश्चिम बंगाल	पुरूलिय	पुरूलिया
97	पश्चिम बंगाल	पुरूलिय	रघुनाथपुर
98	पश्चिम बंगाल	उत्तर दिनजपुर	रायगंज चरण-1
99	पश्चिम बंगाल	उत्तर दिनजपुर	रायगंज चरण-2
100	पश्चिम बंगाल	मेदिनिपुर	रम्जिबनपुर
101	पश्चिम बंगाल	बिर्भुम	रम्पुर्हत
102	पश्चिम बंगाल	नाडिया	राणाघाट चरण-1
103	पश्चिम बंगाल	नाडिया	राणाघाट चरण-2
104	पश्चिम बंगाल	बिर्भुम	सैंथिअ
105	पश्चिम बंगाल	नाडिया	शांतीपुर
106	पश्चिम बंगाल	जलपाईगुड़ी	सिलिगुड़ी चरण-1
107	पश्चिम बंगाल	जलपाईगुड़ी	सिलिगुड़ी चरण-2

1	2	3	4
108	पश्चिम बंगाल	जलपाईगुड़ी	सिलिगुड़ी चरण-3
109	पश्चिम बंगाल	कोल्कत	स्र्न्द (योजना सं. 18665)
110	पश्चिम बंगाल	बंकुरा	सोनमुखि
111	पश्चिम बंगाल	बिर्भुम	सुरी
112	पश्चिम बंगाल	नाडिया	तहेरपुर चरण-1
113	पश्चिम बंगाल	नाडिया	तहेरपुर चरण-2
114	पश्चिम बंगाल	उत्तर चौबीस परगना	ताकि चरण-1
115	पश्चिम बंगाल	उत्तर चौबीस परगना	ताकि चरण-2
116	पश्चिम बंगाल	मेदिनिपुर	तामलुक
117	पश्चिम बंगाल	हुगली	तरकेस्वर चरण-1
118	पश्चिम बंगाल	हुगली	तरकेस्वर चरण-2
119	पश्चिम बंगाल	कूच बिहार	तुंफगंज चरण-1
120	पश्चिम बंगाल	कूच बिहार	तुंफगंज चरण-2
	कुल		81
	सकल योग		830

गन्ने का लाभकारी मूल्य

*8. **श्री राजू शेट्टी : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य की गणना/उसका निर्धारण करते समय राज्यों में मौजूद विभिन्न जलवायु/भौगोलिक/सामाजिक-आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वे मानदंड क्या हैं, जिनके आधार पर वर्ष 2010-11 के गन्ने की पेराई के मौसम के दौरान उचित और लाभकारी मूल्य की गणना की गई और इन मानदंडों को अंतिम रूप दिए जाने तथा उचित और लाभकारी मूल्य निर्धारित किए जाने में शामिल संस्थाओं के नाम क्या हैं; और

(घ) गन्ने की खेती की आदान लागत का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और वर्ष 2010-11 के दौरान उचित और लाभकारी मूल्य की गणना करने हेतु किन आंकड़ों का उपयोग किया गया?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार की ओर से कृषि लागत एवं मूल्य आयोग गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य की सिफारिश करता है। मूल्य निर्धारित करते समय आयोग व्यापक रूप से देश के कटिबंधीय और उप कटिबंधीय दोनों क्षेत्रों के प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों को कवर करता है। कृषि

पैदावार की लागत के आंकड़े प्राप्त करने संबंधी व्यापक स्कीम के अधीन उचित और लाभकारी मूल्य के संबंध में विचार करने के लिए आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों को कवर किया जाता है। गन्ना उत्पादन में होने वाले व्यय (इनपुट) संबंधी आंकड़े एकत्र करने के लिए अपनाए जाने वाले तौर तरीकों के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को एक समान (होमोजीनियस) कृषि जलवायु अंचलों में विभाजित किया जाता है। लागत अनुमानों की सटीक प्रस्तुति करने के लिए प्रत्येक राज्य में सम कृषि जलवायु अंचल (होमोजीनियस एग्रो-क्लाइमेटिक जोन) से प्रचालनात्मक जोन के नमूने का चयन किया जाता है। अत: गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य के निर्धारण में प्रत्येक गन्ना उत्पादक राज्य में मौजूद कृषि जलवायु परिस्थितियां स्वत: निहित हैं।

(ग) उचित और लाभकारी मूल्य का निर्धारण करने के लिए ध्यान देने योग्य पैरामीटर अथवा घटकों का विवरण गन्ना (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2009 में दिया गया है ये निम्नलिखित हैं :-

(i) गन्ने की उत्पादन लागत;

(ii) वैकल्पिक फसलों से उत्पादकों को होने वाला लाभ और मूल्य का आम रुझान;

(iii) उचित मूल्य पर उपभोक्ताओं के लिए चीनी की उपलब्धता;

(iv) वह मूल्य जिस पर चीनी उत्पादकों द्वारा गन्ने से उत्पादित चीनी बेची जाती है;

(v) गन्ने से चीनी की प्राप्ति (रिकवरी);

(vi) सह उत्पादों अर्थात् शीरा, खोई और प्रैस मड की बिक्री से प्राप्त राशि अथवा उनकी परिकल्पित कीमत; और

(vii) जोखिम और लाभ को ध्यान में रखते हुए गन्ना उत्पादकों के लिए अतिरिक्त राशि (मार्जिन)।

गन्ना पेराई मौसम 2010-11 के लिए गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य की सिफारिश करते समय उपर्युक्त पैरामीटरों को ध्यान में रखा गया था।

(घ) गन्ने की खेती की अनुमानित लागत के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं, जिनका संबंधित राज्यों के लिए 2005-06 से 2007-08 तक के तीन वर्षों के लिए उपलब्ध वास्तविक लागत आंकड़ों के आधार पर अनुमान लगाया गया है और वर्ष 2010-11 तक आदान (इनपुट) लागत सूचकांक संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

गन्ने की अनुमानित उत्पादन लागत (रुपए प्रति क्विंटल)

राज्य	2010-11 के अनुमान		
	पैदावार	परिवार श्रम सहित आदान लागत	कुल लागत
आंध्र प्रदेश	769.95	101.53	134.44
हरियाणा	587.30	69.64	114.43
कर्नाटक	901.20	53.22	74.60
महाराष्ट्र	855.42	75.71	96.23
तमिलनाडु	1016.46	75.20	95.89
उत्तर प्रदेश	553.12	49.49	79.91
उत्तराखंड	492.83	51.58	82.54
अखिल भारत भारित औसत		63.40	90.12

विवरण-II

गन्ना : खेती/उत्पादन की लागत के अनुमान और संबंधित आंकड़े

लागत मद	आंध्र प्रदेश		हरियाणा		कर्नाटक		महाराष्ट्र		तमिलनाडु		उत्तर प्रदेश		उत्तराखंड	
	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
प्रति हैक्टेयर खेती की लागत (रु.)														
ए1	36631.48	46854.86	28766.52	23160.02	33592.03	23030.85	48966.95	49642.70	50080.98	54713.91	16666.87	16999.11	16056.53	12474.30
ए2	37140.72	47709.35	28766.52	23160.02	33592.03	23030.85	48966.95	49642.70	50080.98	54713.91	16666.87	1699911	16056.53	12474.30
ए2+एफएल	43862.56	57379.42	31304.07	26269.60	37517.86	26600.98	54990.71	55728.33	57693.14	62255.12	22437.04	23276.46	18348.93	14411.55
बी1	38979.82	49224.84	32411.89	28656.24	35128.63	24342.00	54937.66	55036.93	55787.51	59462.18	19344.52	19317.03	17591.19	14795.90
बी2	68159.40	73534.84	58648.59	50952.71	54668.76	40182.77	69078.25	66971.33	72181.81	75540.71	35423.03	34566.53	30670.02	30593.22
सी-1	45701.66	58894.91	34949.44	31765.82	39054.46	27912.13	60961.43	61122.57	63399.67	67003.39	25114.69	25594.38	19883.59	16733.16
सी-2	74880.95	83204.91	61186.13	54062.29	58594.59	43752.91	75102.02	73056.97	79793.98	83081.91	41193.20	40843.89	32962.42	32530.47
सी-2*	75836.71	83904.04	61186.13	54062.29	59724.84	44216.74	76694.04	73791.38	81543.64	84088.52	41193.20	40843.89	33233.56	32715.93
पैदावार प्रति हैक्टेयर	839.85	782.50	645.35	536.47	903.74	887.30	866.00	875.36	996.74	1109.07	567.06	523.37	461.39	526.34
मुख्य उत्पाद की कीमत	96931.28	79782.42	81749.78	64153.80	93990.83	73019.14	78293.82	65513.33	101752.50	117886.50	67122.84	55403.78	58922.21	57605.43
प्रति हैक्टेयर (रु.)														
सह उत्पाद की कीमत	417.88	226.09	2163.39	2761.36	1804.72	1238.51	6532.74	6078.72	2293.38	2294.70	4086.23	3463.02	4498.54	4023.86
प्रति हैक्टेयर (रु.)														
अस्पष्ट	115.42	101.96	126.68	119.59	104.00	82.29	90.41	74.84	102.09	106.29	118.37	105.86	127.71	109.45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
मूल्य (रु./क्विं.)														
उत्पादन लागत प्रति क्विंटल (रु.)														
ए1	43.56	59.16	43.40	41.50	36.32	25.63	52.38	51.79	48.97	48.33	27.69	30 09	32.33	22.15
ए2	44.04	60.21	43.40	41.50	36.32	25.63	52.38	51.79	48.97	48.33	27.69	30.09	32.33	22.15
ए2+एफएल	52.00	73.12	47.26	46.95	40.73	29.48	58.61	58.26	56.61	55.06	37.30	41.86	36.95	25.59
बी1	46.45	62.54	48.92	51.29	38.02	27.13	58.70	57.41	54.71	52.57	32.09	34.29	35.42	26.28
बी2	80.50	93.45	88.54	90.95	59.37	44.54	73.71	69.89	70.94	66.84.	58.58	61.80	61.76	54.33
सी1	54.66	75.15	52.75	56.87	42.27	31.05	65.14	63.81	61.99	59.18	41.99	45.84	40.04	29.72
सी2	88.71	106.06	92.37	96.52	63.62	48.46	80.15	76.29	78.22	73.45	68.49	73.35	66.37	57.77
सी2*	89.84	106.95	92.37	96.52	64.85	48.98	81.85	77.05	79.93	74.34	68.49	73.35	66.92	58.10
सी3	98.82	117.64	101.67	106.17	71.33	53.87	90.03	84.76	87.92	81.77	75.34	80.69	73.61	63.91
सामग्री और श्रम आदान प्रति हैक्टेयर														
मद														
बीज (क्विं.)	35.20	20.59	27.44	14.27	44.02	10.16	31.43	35.28	40.58	33.33	26.64	25.87	8.47	11.19
उर्वरक (किलोग्राम न्यूट्रिएंट्स)	245.50	289.84	194.44	194.45	460.45	338.58	555.16	546.38	455.41	486.05	190.14	182.06	191.93	86.52
खाद (क्विं.)	12.15	18.85	47.14	0.00	12.02	5.88	16.64	14.55	51.50	51.76	15.99	18.59	-	12.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
मानव श्रम (जन घंटे)	2601.01	2587.90	1385.08	1142.01	2200.70	1422.42	2081.20	2010.59	2363.09	2631.84	1331.47	1362.91	1050.84	727.26
पशु श्रम (जोड़ के घंटे)	36.83	29.42	20.78	13.34	89.57	75.84	85.06	76.10	11.96	8.42	20.16	23.56		0.51

टिप्पणी यदि निर्दिष्ट न हो तो अनुमान अनंतिम है।

लागत ए1 - उत्पादन में नगद और जिंस में वे सभी वास्तविक खर्चे मालिक द्वारा वहन किए गए

लागत ए2 - लागत ए1 + पट्टे पर भूमि के लिए अदा किराया

लागत सी1 - लागत बी1 + परिवार श्रम की संगणित कीमत

लागत सी2 - लागत बी2 + परिवार श्रम की संगणित कीमत

लागत सी2• - सांविधिक न्यूनतम अथवा वास्तविक मजदूरी, जो अधिक हो, को हिसाब में लेकर अनुमानित सी2 लागत

लागत सी3 - लागत सी2 • + किसान द्वारा किए गए प्रबंधन कार्य के कारण लागत सी2• का 10%

लागत ए2 + एफ1 - लागत ए2 • परिवार श्रम की परिकलित कीमत

लागत बी1 - लागत ए1 • अपनी पूंजीगत संपत्ति (भूमि छोड़कर) की कीमत का ब्याज

लागत बी2 - लागत बी1 • अपनी भूमि का किराया कीमत (भू-राजस्व का निवल) और पट्टे पर भूमि के लिए अदा किराया

स्रोत: अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि मंत्रालय

गन्ना : प्रति हेक्टेयर खेती की लागत के ब्यौरे (रुपये में)

लागत मद	आंध्र प्रदेश		हरियाणा		कर्नाटक		महाराष्ट्र		तमिलनाडु		उत्तर प्रदेश		उत्तराखंड	
	2006-07	2007-08	2006-07	2007-8	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
प्रचालन लागत	42979.12	56119.96	30977.38	25884.90	37102.12	26175.76	53937.90	54729.28	56979.11	61527.08	21869.94	22729.04	17739.11	13789.34
मानव श्रम														
दिहाड़ी	22104.44	31859.94	11618.21	10009.13	13773.98	9981.23	12826.02	12621.49	27830.98	32818.99	4246.19	5099.61	8126.67	4754.03
संबद्ध	363.67	600.61	3704.59	2652.17	1020.25	194.79	932.12	1287.65	1727.29	1400.59	471.22	751.16	438.08	686.76
परिवार	6721.84	9670.07	2537.55	3109.58	3925.83	3570.13	6023.76	6085.63	7612.16	7541.21	5770.17	6277.35	2292.40	1937.25
जोड़	29189.95	42130.62	17860.35	15770.88	18720.06	13746.15	19781.90	19994.77	37170.43	41760.79	10487.58	12128.12	10857.15	7378.04
बैल श्रम														
किराए के	286.55	229.86	420.23	224.60	1077.17	1352.96	2018.05	1715.16	147.44	148.74	118.22	173.84		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
अपनी	571.14	427.52	-	5.76	1256.10	918.8	2051.68	1855.72	146.07	13.31	504 40	464.34	-	20.46
जोड़	857.69	657.38	420.23	230.36	2333.27	2271.76	4069.73	3570.88	293.51	162.05	622.62	638.18	-	20.46
मशीन श्रम														
किराए के	547.08	521.48	-	0.00	1008.16	1261.05	5581.68	7572.03	1121.10	1390.73	845.89	625.29	-	399.63
अपनी	10.89	15.56	1577.78	1614 35	37.46	101.45	219.60	139.67	143.30	104.94	337.09	243.02	220.37	184.07
जोड़	557.97	537.04	1577.78	1614.35	1045.62	1362.5	5801.28	7711.70	1264.40	1495.67	1182.98	868.31	220.37	583.70
बीज	3988.84	2337.40	3230.71	1627.04	5135.76	1176.67	3991.46	4636.96	4391.71	4086.86	3125.91	3135.54	1208.26	2186.45
उर्वरक और खाद														
उर्वरक	2943.41	3560.57	2375.22	2400.17	6000.16	4260.88	7498.16	7323.21	5809.44	6063.00	2314.39	2264.80	2507.66	1144.57
खाद	240.03	440.43	514.42	0.00	534.51	293.83	999.36	947.28	926.71	949.53	333.48	399.89	-	434.72
जोड़	3183.44	4001.00	2889.64	2400.17	6534.67	4554.71	8497.52	8270.49	6736.15	7012.53	2647.87	2664.69	2507.66	1579.29
कीटनाशक	723.29	957.38	1105.21	896.27	22.14	52.5	110.96	102.98	373.74	212.08	64.18	217.78	202.32	233.26
सिंचाई प्रभार	2345.16	2729.60	2220.53	2006.11	1359.05	1681.72	8866.57	7580.10	3845.23	3609.81	2791.76	2108.67	1834.72	1110.96
कार्यशील पूंजी पर ब्याज	2132.78	2732.35	1672.93	1339.72	1951.55	1329.75	2818.48	2861.40	2903.94	3175.64	947.04	967.75	908.63	697.18
विविध	-	37.19	-	-	-	-	-			11.65				
निर्धारित लागत	31901.83	27084.95	30208.75	28177.39	21492.47	17577.15	21164.12	18327.69	22814.86	21554.83	19323.26	18114.85	15223.31	18741.13
अपनी भूमि की किराया कीमत	28670.05	23455.51	26236.69	22296.47	19540.13	15840.77	14140.59	11934.40	16394.30	16078.52	16078.51	15249.50	13078.83	15797.31
पट्टे की भूमि का अदा किराया	509.23	854.49	-	-	-	0	-				000	0.00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
भू राजस्व, उपकर और कर	5.11	4.24	–	0.35	18.99	16.82	199.75	207.46	163.54	216.24	25.40	23.62	19.27	22.56
औजारों और कृषि भवन का ह्रास	369.11	400.73	326.68	384.35	396.75	408.41	853.06	791.59	550.49	511.80	541.71	523.81	590.55	599.66
निर्धारित पूंजी पर ब्याज	2348.33	2369.98	3645.38	5496.22	1536.60	1311.15	5970.72	5394.24	5706.53	4748.27	2677.64	2317.92	1534.66	2321.60
जोड़ लागत	74880.95	83204.91	61186.13	54062.29	58594.59	43752.91	75102.02	73056.97	79793.97	83081.91	41193.20	40843.89	32962.42	32530.47
प्रचालन लागत (नयी विधि पर आधारित)	43934.88	56819.09	30977.38	25884.90	38232.37	26639.59	55529.92	55463.69	58728.77	62533.69	21869.94	22729.04	18010.25	13974.80
मानव श्रम (नयी विधि पर आधारित)	30145.71	42829.75	17860.35	15770.88	19850.31	14209.98	21373.92	20729.18	38920.09	42767.40	10487.58	12128.12	11128.29	7563.50
जोड़ लागत (नयी विधि पर आधारित)	75836.71	83904.04	61186.13	54062.29	59724.84	44216.74	76694.04	73791.38	81543.64	84088.52	41193.20	40843.89	33233.56	32715.93

गन्ना : खेती/उत्पादन की लागत का अनुमान और संबंधित आंकड़े

लागत/मद	आंध्र प्रदेश		हरियाणा		कर्नाटक	महाराष्ट्र		तमिलनाडु		उत्तर प्रदेश		उत्तराखंड	
	2006-07	2005-06	2006-07	2005-06	2006-07	2006-07	2005-06	2006-07	2005-06	2006-07	2005-06	2006-07	2005-06
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
प्रति हेक्टेयर खेती की लागत (रु.) ए1	36631.48	35260.59	28766.52	24833.04	33592.03	48966.95	58761.13	50080.98	46445.81	16666.87	16724.30	16056.53	11761.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ए2	37140.72	35260.59	28766.52	24833.04	33592.03	48966.95	58761.13	50080.98	46445.81	16666.87	16724.30	16056.53	11761.06
ए2+एफएल	43862.56	39863.88	31304.07	26947.90	37517.86	54990.71	64943.79	57693.14	53350.99	22437.04	22551.25	18348.93	14289.21
बी1	38979.82	37570.29	32411.89	28577.80	35128.63	54937.66	63682.87	55787.51	51993.51	19344.52	20438.65	17591.19	12995.59
बी2	68159.40	62354.77	58648.59	51242.41	54668.76	69078.25	78474.21	72181.81	67571.34	35423.03	35618.07	30670.02	28466.42
सी1	45701.66	42173.58	34949.44	30692.66	39054.46	60961.43	69865.53	63399.67	58898.69	25114.69	26265.59	19883.59	15523.74
सी2	74880.95	66958.06	61186.13	53357.29	58594.59	75102.02	84656.89	79793.98	74476.52	41193.20	41445.02	32962.42	30994.57
सी2•	75836.71	69035.96	61186.13	53357.29	59724.84	76694.04	85459.07	81543.64	74476.52	41193.20	41445.02	33233.56	30994.57
पैदावार प्रति हैक्टेयर	839.85	687.49	645.35	580.07	903.74	866.00	824.89	996.74	943.57	567.06	568.93	461.39	490.77
मुख्य उत्पाद की कीमत प्रति हैक्टेयर (रु.)	96931.28	81512.67	81749.78	67699.96	93990.83	78293.82	81764.30	101752.50	99920.19	67122.84	66934.81	58922.21	57280.77
सह उत्पाद की कीमत प्रति हैक्टेयर (रु.)	417.88	1102.27	2163.39	1108.47	1804.72	6532.74	6966.06	2293.38	1995.94	4086.23	3918.51	4498.54	5062.65
अस्पष्ट मूल्य (रु./क्विं.)	115.42	118.57	126.68	116.71	104.00	90.41	99.12	102.09	105.90	118.37	117.65	127.71	116.72
उत्पादन लागत प्रति क्विंटल (रु.)ए1	43.56	51.31	43.40	41.82	36.32	52.38	66.00	48.97	48.03	27.69	27.93	32.33	22.02
ए2	44.04	51.31	43.40	41.82	36.32	52.38	66.00	48.97	48.03	27.69	27.93	32.33	22.02
ए2+एफएल	52.00	57.21	47.26	45.71	40.73	58.61	72.55	56.61	55.43	37.30	37.45	36.95	26.75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
बी1	46.45	54.39	48.92	**48.48**	38.02	58.70	71.48	54.71	53.76	32.09	33.92	35.42	24.33
बी2	80.50	89.52	88.54	**86.77**	59.37	73.71	87.97	70.94	70.35	58.58	59 03	61.76	53.29
सी1	54.66	60.96	52.75	**52.18**	42.27	65.14	78.42	61.99	60.71	41.99	43.76	40.04	29.06
सी2	88.71	96.08	92.37	**90.48**	63.62	80.15	94.91	78.22	77.30	68.49	68.86	66.37	58.03
सी2•	89.84	99.06	92.37	**90.48**	64.85	81.85	95.81	79.93	77.30	68.49	68.86	66.92	58.03
सी3	98.82	108.97	101.67	**99.53**	71.33	90.03	105.39	87.92	85.03	75.34	75.75	73.61	63.83
सामग्री और श्रम आदान प्रति हैक्टेयर													
मद यूनिट													
बीज (क्विंटल)	35.20	67.33	27.44	**34.77**	44.02	31.43	62.05	40.58	67.31	26.64	30.85	8.47	-
उर्वरक (किलोग्राम न्यूट्रिएंट्स)	245.50	254.76	194.44	**222.76**	460.45	555.16	643.16	455.41	485.43	190.14	198.19	191.93	134.14
खाद (क्विंटल)	12.15	28 11	47.14	**24.19**	12.02	16.64	52.77	51.50	88.03	15.99	24.42	-	-
मानव श्रम (जन घंटे)	2601.01	2567.73	1385.08	**1141.50**	2200.70	2081.20	2471.69	2363.09	2391.11	1331.47	1412.41	1050.84	1009.22
पशु श्रम (जोड़ के घंटे)	36.83	33.66	20.78	**18.65**	89.57	85.06	105.39	11.96	10.88	20.16	16.51	-	2.50

टिप्पणी यदि निर्दिष्ट न हो तो अनुमान अनंतिम है।

लागत ए1 - उत्पादन में नगद और जिंस में वे सभी वास्तविक खर्चे मालिक द्वारा वहन किए गए

लाग ए2 - लागत ए1 + पट्टे पर भूमि के लिए अदा किराया

लागत सी1 - लागत बी1 + परिवार श्रम की संगणित कीमत

लागत सी2 - लागत बी2 + परिवार श्रम की संगणित कीमत

लागत सी2• - सांविधिक न्यूनतम अथवा वास्तविक मजदूरी, जो अधिक हो, को हिसाब में लेकर अनुमानित सी2 लागत

लागत सी3 - लागत सी2• + किसान द्वारा किए गए प्रबंधन कार्य के कारण लागत सी2• का 10%

लागत ए2 + एफ1 - लागत ए2 • परिवार श्रम की परिकलित कीमत

लागत बी1 - लागत ए1 • अपनी पूंजीगत संपत्ति (भूमि छोड़कर) की कीमत का ब्याज

लागत बी2 - लागत बी1 • अपनी भूमि का किराया कीमत (भू-राजस्व का निवल) और पट्टे पर भूमि के लिए अदा किराया

गन्ना : प्रति हैक्टेयर खेती की लागत के ब्योरे (रुपए में)

लागत/मद	आंध्र प्रदेश		हरियाणा		कर्नाटक	महाराष्ट्र		तमिलनाडु		उत्तर प्रदेश		उत्तराखंड	
	2006-07	2005-06	2006-07	2005-06	2006-07	2006-07	2005-06	2006-07	2005-06	2006-07	2005-06	2006-07	2005-06
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
प्रचालन लागत	42979.12	39510.79	30977.38	26643.79	37102.12	53937.90	63876.54	56979.11	52671.52	21869.94	21800.11	17739.11	13546.28
मानव श्रम													
दिहाड़ी	22104.44	15770.18	11618.21	9353.50	13773.98	12826.02	13429.17	27830.98	20981.21	4246.19	3866.90	8126.67	6036.27
संबद्ध	363.67	1300.13	3704.59	1815.63	1020.25	932.12	595.36	1727.29	1421.41	471.22	835.81	438.08	461.46
परिवार	6721.84	4603.29	2537.55	2114.86	3925.83	6023.76	6182.66	7612.16	6905.18	5770.17	5826.95	2292.40	2528.15
जोड़	29189.95	21673.60	17860.35	13283.99	18720.06	19781.90	20207.19	37170.43	29307.80	10487.58	10529.66	10857.15	9025.88
बैल श्रम													
किराए के	286.55	234.58	420.23	537.12	1077.17	2018.05	1813.73	147.44	202.67	118.22	98.31	-	-
अपनी	571.14	459.05			1256.10	2051.68	2072.26	146.07	91.47	504.40	313.60	-	125.01
जोड़	857.69	693.63	420.23	537.12	2333.27	4069.73	3885.99	293.51	294.14	622.62	411.91	-	125.01
मशीन श्रम													
किराए के	547.08	650.83	-	1008.16	-	5581.68	6687.66	1121.10	1535.66	845.89	780.13	-	-
अपनी	10.89	17.09	1577.78	1557.89	37.46	219.60	238.73	143.30	107.54	337.09	405.46	220.37	
जोड़	557.97	667.92	1577.78	1557.89	1045.62	5801.28	6926.39	1264.40	1643.20	1182.98	1185.59	220.37	-
बीज	3988.84	6993.73	3230.71	4054.57	5135.76	3991.46	7309.53	4391.71	6931.26	3125.91	3227.55	1208.26	-
उर्वरक और खाद													
उर्वरक	2943.41	3283.17	2375.22	2640.22	6000.16	7498.16	8605.92	5809.44	5841.43	2314.39	2391.25	2507.66	1643.71
खाद	240.03	604.30	514.42	194.29	534.51	999.36	3115.14	926.71	1664.00	333.48	469.72	-	-
जोड़	3183.44	3887.47	2889.64	2834.51	6534.67	8497.52	11721.06	6736.15	7505.43	2647.87	2860.97	2507.66	1643.71
कीटनाशक	723.29	981.00	1105.21	939.15	22.14	110.96	180.28	373.74	370.89	64.18	52.37	202.32	395.40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
सिंचाई प्रभार	2345.16	2545.89	2220.53	1993.68	1359.05	8866.57	10256.24	3845.23	3926.66	2791.76	2592.46	1834.72	1708.16
कार्यशील पूंजी पर ब्याज	2132.78	2053.38	1672.93	1442.88	1951.55	2818.48	3393.76	2903.94	2692.14	947.04	939.60	908.63	648.12
विविध	–	14.17	–	–	–	–	–	–	–				
निर्धारित लागत	31901.63	27447.27	30208.75	26713.50	21492.47	21164.12	20780.35	22814.86	21805.00	19323.26	19644.91	15223.31	17448.29
अपनी भूमि की किराया कीमत	28670.05	24784.48	26236.69	22664.62	19540.13	14140.59	14791.35	16394.30	15577.83	16078.51	15179.43	13078.83	15470.83
पट्टे की भूमि का अदा किराया	509.23	–	–	–	–	–	–	0.00	–	–	–		
भू राजस्व, उपकर और कर	5.11	2.20	–	–	18.99	199.75	213.33	163.54	160.92	25.40	23.54	19.27	24.24
औजारों और कृषि भवन का ह्रास	369.11	350.90	326.68	304.13	396.75	853.06	853.93	550.49	518.56	541.71	727.60	590.55	718.69
निर्धारित पूंजी पर ब्याज	2348.33	2309.69	3645.38	3744.75	1536.60	5970.72	4921.74	5706.53	5547.69	2677.64	3714.34	1534.66	1234.53
जोड़ लागत	74880.95	66958.06	61186.13	53357.29	58594.59	75102.02	84656.89	79793.97	74476.52	41193.20	41445.02	32962.42	30994.57
प्रचालन लागत (नयी विधि पर आधारित)	43934.88	41588.69	30977.38	26643.79	38232.37	55529.92	64678.72	58728.77	52671.52	21869.94	21800.11	18010.25	13546.28
मानव श्रम (नयी विधि पर आधारित)	30145.71	23751.50	17850.35	13283.99	19850.31	21373.92	21009.37	38920.09	29307.80	10487.58	10529.66	11128.29	9025.88
जोड़ लागत (नयी विधि पर आधारित)	76836.71	69035.96	61186.13	53357.29	59724.84	76694.04	85459.07	81543.64	74476.52	41193.20	41445.02	33233.56	30994.57

[अनुवाद]

किसानों द्वारा आत्महत्या

***9. श्री नित्यानंद प्रधान :**

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में देश में किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले प्रकाश में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान प्रकाश में आए ऐसे मामलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान संबंधित राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार विभिन्न राज्यों में कृषि संबंधी कारणों से किसानों द्वारा आत्महत्याओं की संख्या के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) भारत सरकार कृषि संबंधी संकट की समस्या का समाधन करने के लिए 2006 से चार राज्यों यथा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र के 31 जिलों को कवर करते हुए पुर्नवास पैकेज का कार्यान्वयन कर रही है। इस पैकेज के अंतर्गत 30 सितम्बर, 2010 तक 19163·91 करोड़ रु. की धनराशि जारी की जा चुकी है। पैकेज के गैर-ऋणों घटकों के कार्यान्वियन की अवधि को दो और अधिक वर्षों अर्थात् 30 सितंबर, 2011 तक बढ़ा दिया गया है।

3 लाख रु. तक के फसल ऋण के समय पर भुगतान के लिए ब्याज परिदान को वर्ष 2010-11 के लिए 1 प्रतिशत से 2 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया था, इससे उन किसानों को जो समय पर अपने फसल ऋण का भुगतान कर देते हैं, उनके लिए ब्याज की प्रभावी दर 5 प्रतिशत तक कम हो गई।

सरकार ने कृषि ऋण छूट और ऋण राहत स्कीम 2008 को भी कार्यान्वित किया है जिसमें लगभग 3·69 करोड़ किसानों को लाभान्वित करते हुए अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, 65,318·33 करोड़ रु. की अनुमानित राशि शामिल है। संधरणीय आधार पर किसानों की स्थिति में सुधार करने तथा कृषि में पुनरुद्धार करने के लिए सरकार द्वारा विभिन उपाय किए गए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, पनधारा प्रबंधन और मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता इत्यादि जैसी विभिन्न स्कीमों के माध्यम से कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश में पर्याप्त बढ़ोतरी करना शामिल है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के दिशा-निर्देशों को भी सरकार द्वारा जुलाई, 2009 में संशोधित कर दिया गया है जिसमें स्कीम के अंतर्गत सिंचाई सुविधा, बागवानी पौध रोपण और लघु एवं सीमांत किसानों से संबंधित भूमि विकास कार्यों के लिए प्रावधान किया गया है। किसानों के लाभार्थ पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रमुख अनाजों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में पर्याप्त बढ़ोतरी हुई है।

विवरण

राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 2007 से 2010 के दौरान कृषि संबंधी कारणों से किसानों द्वारा आत्महत्या की संख्या दर्शाने वाली सारणी

क्रम सं.	राज्य का नाम	अवधि रिपोर्ट की तारीख	आत्महत्याओं की संख्या
1	2	3	4
1	आंध्र प्रदेश	2007	507
		2008	439
		2009	248
		2010 (19·11·2010)	18 (अक्तूबर, 2010 तक)

1	2	3	4
2	कर्नाटक	2007-08	182
		2008-09	156
		2009-10	128
		2010-11 (13.01.2011)	22 (30.10.2010 तक)
3	महाराष्ट्र	2007	590
		2008	627
		2009	503
		2010 (10.11.2010)	234 (31.08.2010)
4	केरल	2007	68
		2008	22
		2009	03
		2010 (25.11.2010)	शून्य
5	तमिलनाडु	2007	01
		2008	शून्य
		2009	शून्य
		2010 (11.2010)	शून्य
6	पंजाब	2007	24
		2008	12
		2009	15
		2010 (20.09.2010)	04 (Till July 2010)
7	गुजरात	25.11.2010	शून्य
8	असम	15.12.2010	शून्य
9	अरुणाचल प्रदेश	28.09.2010	शून्य
10	बिहार	03.12.2010	शून्य
11	छत्तीसगढ़	06.01.2011	शून्य
12	गोवा	22.11.2010	शून्य

1	2	3	4
13	हरियाणा	19.11.2010	शून्य
14	हिमाचल प्रदेश	25.11.2010	शून्य
15	जम्मू व कश्मीर	24.12.2010	शून्य
16	झारखंड	18.06.2010	शून्य
17	मणिपुर	02.12.2010	शून्य
18	मेघालय	05.08.2010	शून्य
19	मध्य प्रदेश	19.08.2010	शून्य
20	मिजोरम	07.10.2010	शून्य
21	नागालैंड	18.08.2010	शून्य
22	उड़ीसा	25.11.2010	शून्य
23	राजस्थान	23.11.2010	शून्य
24	सिक्किम	16.10.2010	शून्य
25	त्रिपुरा	14.12.2010	शून्य
26	उत्तर प्रदेश	30.08.2010	शून्य
27	उत्तराखंड	03.12.2010	शून्य
28	पश्चिम बंगाल	13.12.2010	शून्य
29	अं.नि.द्वी.स.	14.01.2011	शून्य
30	रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार	25.11.2010	शून्य
31	दमन एवं दीव	19.11.2010	शून्य
32	दादरा व नागर हवेली	15.12.2010	शून्य
33	लक्षद्वीप	04.12.2010	शून्य
34	पुडुचेरी	24.03.2010	शून्य
35	चंडीगढ़	29.11.2010	शून्य

मेट्रो रेल परियोजनाएं

***10. श्री पी.टी. थॉमस :**

डा. एम. तम्बिदुरई :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने बंगलौर, जयपुर, हैदराबाद और कोच्चि सहित देश के विभिन्न भागों में मेट्रो रेल परियोजनाओं हेतु स्वीकृति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितनी

परियोजनाएं पूरी हो गई हैं/निर्माणाधीन हैं तथा ऐसी प्रत्येक परियोजना की लंबाई और लागत कितनी है;

(ग) क्या ऐसी परियोजनाओं की लागत वहन करने हेतु केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच हिस्सेदारी पद्धति निर्धारित की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजना-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश के महानगरों/मझोले शहरों में मेट्रो रेल संपर्क उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न राज्यों से प्राप्त/केन्द्र सरकार के विचाराधीन प्रस्तावों का ब्यौरा और उनकी स्थिति क्या है?

शहरी विकास मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (घ) केन्द्र सरकार ने प्रत्येक परियोजना की लंबाई लागत और केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के बीच निधि की सहभागिता पद्यति के लिए यथा निर्णित ब्यौरे के साथ-साथ संलग्न विवरण-I में दिए गए अनुसार देश के विभिन्न भागों में मेट्रो रेल परियोजनाओं को अनुमोदन/स्वीकृति प्रदान की है।

(ङ) देश में महानगरों/मध्यम शहरों में मेट्रो रेल की सम्बद्धता मुहैया कराने के लिए केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों का विवरण और उनकी स्थिति संलग्न विवरण-II के रूप में संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण-I

राज्य-वार मेट्रो रेल परियोजनाएं, उनकी लंबाई, अनुमानित लागत और वित्तपोषण पद्धति (संक्षिप्त रूपों को सारणी के अंत में स्पष्ट किया गया है)।

क्रम सं.	परियोजना	लम्बाई (किमी)	लागत (करोड़ रु. में)	निधि की हिस्सेदारी (करोड़ रु. में)	
1	2	3	4	5	
1	दिल्ली एमआरटीएस चरण-I	65.05	10571	भारत सरकार इक्विटी	1464.00
				जीएनसीटीडी इक्विटी	1464.00
				उप ऋण भारत सरकार	252.00
				उप ऋण जीएनसीटीडी	252.00
				भारत सरकार के माध्यम से जेआईसीए ऋण	6839.00
				डीएमआरसी द्वारा संपत्ति विकास	300.00
				योग	10571.00
2	दिल्ली एमआरटीएस चरण-II	54.68	11691.36	भारत सरकार इक्विटी	2459.695
				जीएनसीटीडी इक्विटी	2459.695
				उप ऋण भारत सरकार	175.00
				उप ऋण जीएनसीटीडी	175.00
				भारत सरकार के माध्यम से जेआईसीए ऋण	5056.970
				डीएमआरसी द्वारा संपत्ति विकास	960.000
				डीएमआरसी द्वारा आंतरिक रूप से उपार्जित	405.000
				योग	11691.360

1	2	3	4	5	
3	दिल्ली मेट्रो का गुडगांव तक विस्तार	14.47	1589.44	हरियाणा का हिस्सा	
				हरियाणा सरकार की भूमि	20.00
				हरियाणा सरकार का अनुदान	461.85
				भारत सरकार का अनुदान	116.59
				डीएमआरसी द्वारा रोलिंग स्टॉक	98.00
			उप योग		694.44
				दिल्ली का हिस्सा	
				भारत सरकार की भूमि के लिए उप ऋण	24.50
				जीएनसीटीडी की भूमि के लिए अप्रधानऋण	24.50
				भारत सरकार की इक्विटी	111.00
				भारत सरकार अनुदान	111.00
				जीएनसीटीडी की एक्विटी	111.00
				जेआईसीए ऋण	352.00
				उप योग	734.00
				उप ऋण के रूप में हरियाणा का हिस्सा केन्द्रीय कर निम्नलिखित द्वारा	
				भारत सरकार	55.00
				हरियाणा सरकार	20.00
				उप योग	75.00
				उप ऋण के रूप में दिल्ली का हिस्सा केन्द्रीय कर निम्नलिखित द्वारा	
				भारत सरकार	30.00
				जीएनसीटीडी	30.00
				हरियाणा सरकार	24.00
				उप योग	84.00
				सकल योग	1589.44
4	दिल्ली मेट्रो का नोएडा तक विस्तार			उत्तर प्रदेश सरकार भूमि	32.00
				उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुदान	488.80
	न्यू अशोक नगर, नई दिल्ली से सेक्टर-32 नोएडा तक	7.0	827.00	भारत सरकार अनुदान	
				डीएमआरसी द्वारा रोलिंग स्टॉक	93.00
				उप योग	736.00

1	2	3	4	5	
				उप ऋण के रूप में केन्द्रीय कर निम्नलिखित द्वारा	
				भारत सरकार	69.00
				उत्तर प्रदेश सरकार	22.00
				उप योग	91.00
				सकल योग	827.00
5	केन्द्रीय सचिवालय से बदरपुर	20.16	4012.00	भारत सरकार की इक्विटी	612.50
				जीएनसीटीडी की इक्विटी	612.50
				उप ऋण भारत सरकार	322.00
				उप ऋण जीएनसीटीडी	322.00
				जेआईसीए ऋण	2143.00
				योग	4012.00
6	द्वारका सेक्टर-9 से सेक्टर-21 तक मेट्रो लिंक	2.76	356.11	डीडीए अनुदान	275.00
				डीएमआरसी द्वारा रोलिंग स्टॉक	81.00
				योग	356.11
7	एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लिंक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आईजीआई एयरपोर्ट	19.2	3076.00	एयरपोर्ट आपरेटर अनुदान	350.00
				भारत सरकार की इक्विटी	599.00
				जीएनसीटीडी इक्विटी	599.00
				ग्राही इक्विटी	461.00
				ऋण ग्राही	1067.00
				योग	3076.00
आईजीआई एयरपोर्ट से द्वारका सेक्टर-21		3.50	793.00	भारत सरकार की इक्विटी	158.60
				जीएनसीटीडी इक्विटी	158.60
				डीडीए अनुदान	217.40
				ग्राही निवेश	77.50
				ऋण ग्राही	180.00
				योग	793.00
8	बंगलौर मेट्रो (कर्नाटक)	42.3	8158.00	भारत सरकार की इक्विटी	1223.70
				कर्नाटक सरकार की इक्विटी	1223.70
				उप ऋण भारत सरकार	815.80
				उप ऋण कर्नाटक सरकार	1223.70

1	2	3	4	5	
				जेआईसीए ऋण भारत सरकार के माध्यम से	3671.10
				योग	8158.00
9	कोलकाता ईस्ट-वेस्ट मेट्रो कॉरीडोर (प. बंगाल)	14.67	4874.58	भारत सरकार की इक्विटी	701.50
				प. बंगाल सरकार की इक्विटी	701.50
				उप ऋण भारत सरकार	467.50
				उप ऋण प. बंगाल सरकार	751.14
				जेआईसीए ऋण भारत सरकार के माध्यम से	2252.94
				योग	4874.58
10	चेन्नई मेट्रो (तमिलनाडु)	45.046	14600.00	भारत सरकार की इक्विटी	2190.00
				तमिलनाडु सरकार की इक्विटी	2190.00
				अप्रधान ऋण भारत सरकार	730.00
				केन्द्रीय कर अप्रधान ऋण तमिलनाडु सरकार	844.00
				जेआईसीए ऋण भारत सरकार के माध्यम से	8646.00
				योग	14600.00
11	मुंबई मेट्रो लाइन-1 (महाराष्ट्र) (सार्वजनिक निजी सहभागिता मोड पर)	11.00	2356.00	इक्विटी ग्राही	380.00
				इक्विटी एमएमआरडीए	134.00
				ऋण	1192.00
				वीजीएफ अनुदान भारत सरकार	471.00
				वीजीएफ अनुदान महाराष्ट्र सरकार	179.00
				योग	2356.00
12	मुंबई मेट्रो लाइन-2 (महाराष्ट्र) (सार्वजनिक निजी सहभागिता मोड पर)	31.87	7660.00	इक्विटी ग्राही	1609.00
				ऋण	3753.00
				वीजीएफ अनुदान भारत सरकार	1532.00
				वीजीएफ अनुदान महाराष्ट्र सरकार	766.00
				योग	7660.00
13	जयपुर मेट्रो स्तर-1 (राजस्थान)	28.918	1250.00	राजस्थान सरकार और इसकी एजेंसियों/बैंकों आदि द्वारा इक्विटी/अनुदान/ऋण	
				योग	1250.00

1	2	3	4	5	
14	हैदराबाद मेट्रो (आंध्र प्रदेश) (सार्वजनिक निजी सहभागिता मोड पर)	71.16	12132.00	भारत सरकार वीजीएफ	1458.00
				पीपीपी सहभागी द्वारा अंशदान	10674.00
				कुल लागत	12132.00

संक्षिप्त रूप:

जीओआई	भारत सरकार	डीएमआरसी	दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लि.
जीएनसीटीडी	रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार	एनसीआर	रा. राजधानी क्षेत्र
जीओएच	हरियाणा सरकार	आईजीआई	इंदिरागांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट
जीओयूपी	उत्तर प्रदेश सरकार	डीडीए	दिल्ली विकास प्राधिकरण
जीओके	कर्नाटक सरकार	हुडा	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण
जीओएपी	आंध्र प्रदेश सरकार	एमएमआरडीए	मुंबई महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण
जीओडब्ल्यूबी	प. बंगाल सरकार	जेआईसीए	जापान इन्टरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी
जीओटीएन	तमिलनाडु सरकार	सब. डेब्ट	अप्रधान ऋण
जीओएम	महाराष्ट्र सरकार	वीजीएफ	व्यवहार्यता अन्तराल निधिकरण

विवरण-II

केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त मेट्रो रेल परियोजना प्रस्तावों, जो स्वीकृत नहीं हुए का विवरण

क्रम सं.	परियोजना	लम्बाई (किमी)	लागत (करोड़ रु. में)	स्थिति
1	2	3	4	5
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र				
1	फरीदाबाद के लिए दिल्ली मेट्रो का विस्तार	13.875	2,533.	10.8.2010 को हुई बैठक में अधिकार प्राप्त समिति द्वारा 'सिद्धांत रूप से' प्रस्ताव की सिफारिश की गयी है।
2	वैशाली गाज़ियाबाद, (उ.प्र.) के लिए आईएसबीटी आनंद विहार से दिल्ली मेट्रो का विस्तार	2.574	320	10.8.2010 को हुई बैठक में अधिकार प्राप्त समिति द्वारा 'सिद्धांत रूप से' प्रस्ताव की सिफारिश की गयी है।
3	बहादुरगढ़ (हरियाणा) के लिए दिल्ली मेट्रो का विस्तार	11.781	1,432	हरियाणा सरकार को व्यापक व्यवहार्यता योजना वैकल्पिक मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने, आधुनिक शहर बस सेवा आरंभ करने तथा अनिवार्य सुधारों के साथ-साथ लागत भागीदारी पर वित्तीय प्रतिबद्धता तथा जीएनसीटीडी की सिद्धांत रूप से स्वीकृति प्राप्त करने की सलाह दी गई है।
4	दिल्ली एमआरटीएस चरण-III	103.050	35,242 (केन्द्रीय कर सहित)	डीएमआरसी ने आगे की कार्रवाई के लिए 10.2.2011 को संशोधित डीपीआर प्रस्तुत किया है।
5	कोच्चि मेट्रो रेल (केरल)	25.3	2,991.5	स्वीकृत नहीं

1	2	3	4	5
6	कोलाबा-माहिम/बांद्रा कॉरीडोर लाइन-III (महाराष्ट्र)	20.4	12,000	जेआईसीए ऋण हेतु परियोजना को वित्त मंत्रालय को भेजा गया है।
7	चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना चरण-II वाशरमेनपेट से विमको नगर तक विस्तार (तमिलनाडु)	9.051	3001	तमिलनाडु सरकार ने स्वीकृति हेतु अक्तूबर 2010 में डीपीआर प्रस्तुत किया। शहरी विकास मंत्रालय द्वारा डीपीआर को योजना आयोग, रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय को टिप्पणी/सलाह हेतु परिचालित किया है।

कृषि विकास

*11. **श्री एन. चेलुवरया स्वामी :**

डा. संजय सिंह :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2009-10 के दौरान देश में कितने प्रतिशत कृषि विकास दर्ज किया गया;

(ख) क्या यह कृषि विकास 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित लक्ष्य से कम है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त योजना की शेष अवधि में लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ) द्वारा जारी त्वरित अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2009-10 (आधार 2004-05) के दौरान कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि 0.4% रही है।

(ख) और (ग) 11वीं पंचवर्षीय योजना हेतु निर्धारित कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र में 4% के वृद्धि लक्ष्य की तुलना में योजना अवधि के पहले चार वर्षों अर्थात 2007-08 से 2010-11 के दौरान औसत वार्षिक वृद्धि 2.9% रही है। वर्ष 2009-10 के दौरान देश के अधिकांश भागों में गंभीर सूखे तथा कुछ राज्यों नामतः बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में सूखे/कम वर्षा के कारण कृषि सम्बद्ध क्षेत्रों की जीडीपी में औसत वृद्धि को आघात लगा।

(घ) देश में कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए, विभिन्न फसल विकास योजनाएं तथा कार्यक्रम नामतः राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), एकीकृत तिलहन, दलहन, पाम ऑयल तथा मक्का योजना (आइसोपॉम), कृषि वृहद प्रबंधन योजना (एमएमए) के अंतर्गत चावल/गेहूं/मोटे अनाज हेतु एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), राज्य सरकारों के माध्यम से कृषि मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। उपरोक्त योजनाओं के अतिरिक्त चालू वर्ष अर्थात 2010-11 के दौरान पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाने तथा वर्षा सिंचित क्षेत्रों में 60000 दलहन तथा तिलहन ग्रामों के एकीकृत विकास हेतु दो नए कार्यक्रम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के अंतर्गत प्रारंभ किए गए हैं। आइसोपाम के दलहन घटक तथा दलहन उत्पादन हेतु दो संभावित राज्यों नामतः असम तथा झारखंड के विलय के साथ दिनांक 01.04.2010 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को मजबूत बनाया गया है। ब्लॉक प्रदर्शनों के रूप में एक नया कार्यक्रम "त्वरित दलहन उत्पादन कार्यक्रम (ए3पी)" देश के 16 दलहन उत्पादक राज्यों में पांच दलहन फसलों के प्रत्येक 1000 हैक्टेयर की 1000 इकाइयों को कवर करने के लिए प्रारंभ किया गया है। इसके अतिरिक्त, एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना "राष्ट्रीय बागवानी मिशन" भी देश में बागवानी फसलों के उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करने, प्रौद्योगिकी प्रसार, विस्तार, फसल कटाई पश्चात प्रबंधन तथा विपणन हेतु कार्यान्वित की जा रही है। केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ) द्वारा जारी सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के अग्रिम अनुमानों (2004-05 के मूल्यों पर) के अनुसार, कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्र में वृद्धि 2010-11 हेतु 5.4% अनुमानित है।

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत परियोजनाएं

*12. **श्री सुरेश कुमार शेटकर :**

श्री एस. पक्कीरप्पा :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सहित देश के विभिन्न शहरों में जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाएं/योजनाएं आरंभ की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष का तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार कितनी धनराशि स्वीकृत/जारी तथा उपयोग की गई;

(घ) जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत शहरों को शामिल करने हेतु सरकार द्वारा क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत और अधिक शहरों को शामिल करने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के शहरी अवस्थापना और शासन घटक के तहत विगत तीन वर्षों के उपयोग हेतु जारी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता तथा अनुमोदित लागत और वचनबद्ध अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से अनुमोदित परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) शहरी अवस्थापना और शासन घटक के तहत वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर तथा निम्नलिखित मानकों/मानदण्डों के अनुसार शहरों/शहरी समूहों का चयन किया गया है :-

क	वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 4 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहर/शहरी समूह	:	7
ख	वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 1 मिलियन से अधिक लेकिन 4 मिलियन से कम जनसंख्या वाले शहर/शहरी समूह	:	28
ग	वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 1 मिलियन से कम जनसंख्या वाले चुनिंदा शहर/शहरी समूह (राज्य की राजधानियां और धार्मिक/ऐतिहासिक तथा पर्यटन की महत्ता वाले अन्य शहर/शहरी समूह	:	30

(ङ) और (च) यह प्रस्ताव किया गया था कि जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के शहरी अवस्थापना और शासन घटक के तहत वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 5 लाख और इससे अधिक जनसंख्या वाले निम्नलिखित 28 शहरों/शहरी समूहों को शामिल किया जाए :-

क्रम सं.	राज्य का नाम	कस्बे का नाम
1	आंध्र प्रदेश	गुंटूर, वारंगल
2	छत्तीसगढ़	दुर्ग-भिलाई नगर
3	गुजरात	भावनगर, जामनगर
4	कर्नाटक	बेलगांव, मंगलौर, हुबली-धारवाड़
5	केरल	कोजीकोड
6	मध्य प्रदेश	ग्वालियर
7	महाराष्ट्र	अमरावती, भिवान्डी, औरंगाबाद, कोल्हापुर, सोलापुर
8	उड़ीसा	कटक
9	पंजाब	जालंधर
10	राजस्थान	बीकानेर, जोधपुर, कोटा
11	तमिलनाडु	सेलम, जिरूपुर, तिरुचिरापल्ली
12	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, मुरादाबाद

संसाधन की कमियों के कारण, योजना आयोग और वित्त मंत्रालय इन शहरों को जेएनएनयूआरएम के यूआईजी घटक में शामिल करने पर सहमत नहीं हुए।

विवरण

(लाख रुपए में)

राज्य का नाम	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या			स्वीकृत परियोजनाओं की लागत			वचनबद्ध अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता			उपयोग हेतु जारी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता		
	2007-08	2008-09	2009-10	2007-08	2008-09	2009-10	2007-08	2008-09	2009-10	2007-08	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आंध्र प्रदेश	9	9	3	226639.00	107216.50	37595.00	91532.30	44993.75	13935.00	48916.54	21398.95	24885.07
अरुणाचल प्रदेश	0	1	0	0.00	9128.50	0.00	0.00	8215.65	0.00	2006.94	2053.91	2006.94
असम	1	0	1	28094.00	0.00	12536.00	25284.60	0.00	9000.00	791.26	6321.15	7112.41
बिहार	0	7	0	0.00	67486.01	0.00	0.00	37628.03	0.00	461.93	1955.62	7441.39
चण्डीगढ़	0	0	1	0.00	0.00	13421.00	0.00	0.00	10738.80	1544.92	405.20	0.00
छत्तीसगढ़	0	1	0	0.00	15623.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	1272.80	0.00	12145.60
दिल्ली	0	2	25	0.00	49922.00	534015.00	0.00	17472.30	186904.60	0.00	2220.58	17248.00
गोवा	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
गुजरात	15	11	4	143552.23	136364.81	45483.26	70210.79	54381.69	20604.09	24563.54	47035.34	47788.21
हरियाणा	2	1	0	10714.70	49349.00	0.00	5359.35	24674.50	0.00	1339.84	9147.46	0.00
हिमाचल प्रदेश	0	1	1	0.00	7236.00	5474.00	0.00	5788.80	3880.00	0.00	0.00	2619.01
जम्मू तथा कश्मीर	1	1	0	14837.00	12100.00	0.00	13353.30	10000.00	0.00	6877.36	2500.00	0.00
झारखंड	0	4	0	0.00	76149.48	0.00	0.00	48268.46	0.00	0.00	6682.46	5384.66
कर्नाटक	27	6	2	166457.64	98097.00	6215.00	76849.98	32222.25	4332.00	18955.86	12992.94	21578.53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
केरल	1	3	1	2456.00	27118.00	2210.00	1964.80	18405.20	1105.00	6319.93	3350.50	2439.45
मध्य प्रदेश	4	3	2	42246.26	48551.64	37388.00	23129.06	24275.82	20115.70	7914.35	15931.43	12343.27
महाराष्ट्र	12	21	2	187465.61	353805.27	22169.78	75275.77	141429.89	10336.86	56827.52	88349.54	88649.86
मणिपुर	1	1	1	2580.71	2564.82	10250.13	2322.64	2308.34	9225.12	580.66	0.00	288337
मेघालय	0	2	0	0.00 -	21795.72	0.00	0.00	19616.15	0.00	0.00	4904.04	0.00
मिजोरम	1	0	0	1681.80	0.00	0.00	1513.62	0.00	0.00	378.41	0.00	756.82
नागालैंड	1	0	1	2525.60	0.00	5042.43	2273.04	0.00	4538.19	179.00	389.26	1702.81
ओडिसा	0	2	1	0.00	23523.00	7182.00	0.00	18818.40	4500.00	9978.37	3338.00	2491.60
पंजाब	3	1	1	42778.00	7249.00	4578.00	21389.00	3624.50	2289.00	4145.29	4939.22	3346.62
पुडुचेरी	1	1	0	20340.00	4966.00	0.00	16272.00	3972.80	0.00	4068.00	993.20	0.00
राजस्थान	5	4	0	42833.80	46247.94	0.00	27561.44	28317.97	0.00	10654.03	20281.38	2826.10
सिक्किम	1	0	1	2392.01	0.00	7261.66	2152.81	0.00	6535.49	538.20	538.20	1663.87
तमिलनाडु	12	23	1	136734.13	279835.92	22675.00	60731.11	101845.69	9000.00	16093.02	28446.11	37723.44
त्रिपुरा	0	1	1	0.00	7826.00	10221.00	0.00	7043.40	9000.00	0.00	1760.85	2250.00
उत्तर प्रदेश	11	13	4	174380.83	282687.97	65132.77	87189.91	143592.93	31500.00	21365.55	43078.75	47632.21
उत्तराखंड	3	6	1	12334.13	16504.53	6283.00	9867.30	13205.62	4628.00	1523.85	2678.56	7546.69
पश्चिम बंगाल	8	13	12	52214.60	159100.41	111113.68	18275.18	55685.13	44822.75	5687.25	22857.17	27717.88
कुल	119	138	66	1313258.05	1910448.52	966246.71	632508.00	866787.27	406990.60	252984.42	354549.82	390183.81

[हिन्दी]

कृषि भूमि

*13. श्री वीरेन्द्र कुमार :
श्री पी. लिंगम :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कृषि भूमि लगातार घट रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या देश में कृषि उत्पादों की उपलब्धता तथा मूल्य स्थिरता पर उक्त स्थिति का प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (ङ) गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए क्षेत्र अन्तरण के कारण देश में कृषि/कृषि योग्य भूमि विगत पांच वर्षों के दौरान मामूली रूप में कम हुई है। वर्ष 2003-04 के दौरान 183.19 मिलियन हैक्टेयर की तुलना में देश में कृषि भूमि वर्ष 2008-09 के दौरान 0.80 मिलियन हैक्टेयर कम होकर 182.39 मिलियन हैक्टेयर हो गई है। हालांकि, कृषि क्षेत्र में उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के परिणामस्वरूप खाद्यान्नों का उत्पादन उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है तथा कृषि/कृषि योग्य भूमि में मामूली गिरावट का देश में कृषि उत्पादों की उपलब्धता तथा मूल्य स्थिरता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ने की संभावना है।

देश में खाद्यान्नों का उत्पादन तथा उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए, विभिन्न फसल विकास योजनाएं तथा कार्यक्रम नामतः राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), एकीकृत तिलहन, दलहन, पाम ऑयल तथा मक्का योजना (आइसोपॉम), कृषि वृहद प्रबंधन योजना (एमएमए) के अंतर्गत चावल/गेहूं/मोटे अनाज हेतु एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), राज्य सरकारों के माध्यम से कृषि मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। उपरोक्त योजनाओं के अतिरिक्त चालू वर्ष अर्थात 2010-11 के दौरान पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाने तथा वर्षा सिंचित क्षेत्रों में 60000 दलहन तथा तिलहन ग्रामों के एकीकृत विकास हेतु दो नए कार्यक्रम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के अंतर्गत प्रारंभ किए गए हैं। आइसोपाम के दलहन घटक तथा दलहन उत्पादन हेतु दो संभावित राज्यों नामतः असम तथा झारखंड के विलय के साथ दिनांक 01.04.2010 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को मजबूत बनाया गया है। ब्लॉक प्रदर्शनों के रूप में एक नया कार्यक्रम "त्वरित दलहन उत्पादन कार्यक्रम (ए3पी)" देश के 16 दलहन उत्पादक राज्यों में पांच दलहन फसलों के प्रत्येक 1000 हैक्टेयर की 1000 इकाइयों को कवर करने के लिए प्रारंभ किया गया है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं तथा क्षारीय तथा अम्लीय मृदा सुधार व विकास और मृदा स्वास्थ्य तथा उर्वरता के प्रबंधन संबंधी राष्ट्रीय परियोजना आदि के माध्यम से भूमि विकास और मृदा स्वास्थ्य/मृदा उर्वरता को भी सुनिश्चित किया गया है।

महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराध

*14. श्री राधा मोहन सिंह :
श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में महिलाओं तथा बच्चों के प्रति होने वाले विभिन्न अपराधों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार सामूहिक बलात्कार सहित अपराध-वार ऐसे कुल कितने मामले दर्ज किए गए हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान अभियुक्तों के खिलाफ की गई कार्रवाई सहित सुलझाए गए/अनसुलझे ऐसे मामलों की अलग-अलग राज्य-वार संख्या क्या है तथा सभी मामलों को सुलझाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों को कोई निदेश जारी किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरुदास कामत) : (क) से (ग) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एन सी आर बी) के अनुसार, वर्ष 2007, 2008 और 2009 के दौरान देश में महिलाओं के प्रति अपराध के कुल क्रमशः 185312, 195856 और 203804 मामले सूचित किए गए थे। इनके ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। इसी प्रकार, वर्ष 2007, 2008 और 2009 के दौरान देश में बच्चों के प्रति अपराध के कुल क्रमशः 20410, 22500 और 24201 मामले सूचित किए गए थे। इनके ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं। वर्ष 2010 के दौरान मासिक अपराध सांख्यिकी के आधार पर महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराध के विभिन्न शीर्षों के तहत पंजीकृत किए गए मामलों के राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार अनंतिम आंकड़े क्रमशः संलग्न विवरण-III और IV में दिए गए हैं। एन सी आर बी द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी के अनुसार, सामूहिक बलात्कार से संबंधित आंकड़े केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

(घ) और (ङ) गृह मंत्रालय ने दिनांक 4 सितम्बर, 2009 को सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को एक विस्तृत सलाह जारी की है जिसमें, उन्हें अन्य बातों के साथ-साथ महिलाओं के प्रति हिंसा के दोषी पाए गए लोगों को तत्काल और प्रभावकारी दण्ड देने, जांच-पड़ताल की गुणवत्ता सुधारने, महिलाओं के प्रति अपराध की जांच में होने वाली देरी को कम करने, जिलों में महिलाओं के प्रति अपराध प्रकोष्ठ स्थापित करने, पुलिस कार्मिकों को महिलाओं के प्रति सुग्राही बनाने, विशेष महिला अदालतें और काल सेन्टरों में रात्रि की पारी में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने जैसे समुचित उपाय करने की सलाह दी गई है। अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने "महिला प्रकोष्ठ" स्थापित कर दिए हैं। कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने भी जिला स्तर पर 'समस्त महिला पुलिस स्टेशन स्तर पर 'महिला डैस्क' भी स्थापित किए हैं।

विवरण-I

वर्ष 2007-09 के दौरान महिलाओं के प्रति अपराध के अन्तर्गत पंजीकृत मामले (सीआर), आरोप पत्रित मामले (सीएस), दोषसिद्ध मामले (सीवी), गिरफ्तार (पीएआर), आरोपपत्रित व्यक्ति (पीसीएस), दोषसिद्ध व्यक्ति (पीसीवी)

क्र. सं.	राज्य	2007						2008						2009					
		सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	आंध्र प्रदेश	24738	20967	3911	35121	34088	6093	24111	20107	2948	35831	35377	4507	25569	20907	2668	36465	34101	4118
2	अरुणाचल प्रदेश	185	128	16	203	155	20	175	122	18	180	139	25	164	147	25	182	158	25
3	असम	6844	4148	821	8797	5755	851	8122	4776	836	8531	5814	1007	9721	5324	622	11810	6435	892
4	बिहार	7548	5941	764	14955	11842	1425	8662	5654	881	14223	12348	1603	8803	5423	788	14457	12000	1822
5	छत्तीसगढ़	3775	3637	580	5855	5764	1038	3962	3796	682	6026	5896	1097	4002	3928	669	6337	6259	866
6	गोवा	80	48	10	145	88	14	130	89	22	176	144	48	164	97	20	235	158	27
7	गुजरात	8260	7763	298	21665	21625	581	8616	8165	289	22194	22258	631	8009	7449	236	21170	21336	825
8	हरियाणा	4645	3368	636	7071	6876	1111	5142	3690	869	7421	7397	1407	5312	3726	851	7350	7371	1403
9	हिमाचल प्रदेश	1018	727	53	1476	1302	76	979	796	86	1494	1462	143	954	899	65	1428	1527	122
10	जम्मू और कश्मीर	2521	2192	123	4411	4398	183	2295	1619	92	3233	3233	176	2624	2125	207	4095	4086	362
11	झारखंड	3317	2383	829	4528	4047	854	3183	2584	579	4932	4503	947	3021	2797	1076	4309	4205	1645

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
12	कर्नाटक	6569	5576	685	11302	11049	1412	6890	5904	486	12780	11972	1081	7852	6387	368	13941	13432	833
13	केरल	7837	7267	470	11210	11440	805	817	7203	553	11353	11410	851	8049	7759	664	11132	11694	1068
14	मध्य प्रदेश	15370	15030	3737	25990	25989	6932	14908	14447	4941	26163	26100	10908	15827	15887	3657	28262	28193	6430
15	महाराष्ट्र	14924	13516	597	36040	34625	1073	15862	14748	698	38390	37015	1224	15048	14393	636	41095	39858	1116
16	मणिपुर	188	3	1	133	3	1	211	6	0	147	6	0	194	8	0	183	10	0
17	मेघालय	172	67	16	130	71	30	208	75	25	161	90	24	237	130	12	178	190	12
18	मिजोरम	151	142	84	152	163	95	162	147	125	177	158	134	150	160	117	165	235	123
19	नागालैंड	32	25	38	58	40	49	47	36	24	68	40	26	46	49	26	72	62	54
20	उड़ीसा	7304	6098	547	10424	9902	1391	8303	6618	633	10910	10760	1185	8120	6576	486	11346	11142	742
21	पंजाब	2694	1672	274	4211	3358	708	2627	1852	378	4233	3943	779	2631	1849	565	4100	3428	1034
22	राजस्थान	14270	8693	2446	14548	14528	4138	14491	8925	2619	14097	14080	4099	17316	10092	2408	15455	15460	4006
23	सिक्किम	55	33	2	63	44	2	48	49	9	55	56	9	41	63	19	76	66	25
24	तमिलनाडु	7811	5963	2116	11601	10449	3338	7220	5834	2104	11345	10304	3185	6051	4858	1596	9450	9499	2977
25	त्रिपुरा	1067	1078	133	1107	1175	222	1416	1292	87	1774	1517	90	1517	1406	87	2727	1910	121
26	उत्तर प्रदेश	20993	15626	6918	48291	39978	17392	23569	17802	8900	57874	46420	22787	23254	17364	8555	63332	47745	23471
27	उत्तराखंड	1097	810	329	2711	2059	804	1151	918	354	1690	1694	1227	1188	999	397	2064	1963	974
28	पश्चिम बंगाल	16544	14424	467	22175	22423	667	20912	15120	540	24328	22167	650	23307	18648	467	20671	19766	651

1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
कुल राज्य	180009	147325	26901	304373	283236	51305	191519	4	29388	319786	296304	59851	199171	159450	27287	332087	302289	55744
29 अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	56	36	3	80	50	6	80	55	0	85	87	0	92	64	2	126	108	2
30 चंडीगढ़	230	128	28	290	232	40	143	92	22	216	138	39	150	64	43	158	148	69
31 दादरा और नगर हवेली	18	14	1	21	17	1	28	26	0	64	54	0	20	18	3	20	34	4
32 दमन और दीव	11	7	1	57	30	1	15	11	0	51	69	0	13	7	0	38	17	0
33 दिल्ली संघ शासित	4804	2587	646	5648	4739	1022	3938	2784	482	3115	4237	856	4251	2569	623	2753	3339	800
34 लक्षद्वीप	5	2	0	2	2	0	4	1	1	2	1	1	1	3	0	2	3	0
35 पुदुचेरी	179	178	32	337	351	69	129	113	17	191	194	27	106	119	19	152	176	47
कुल संघ शासित	5303	2952	711	6435	5421	1139	4337	3082	522	3724	4780	923	4633	2844	690	3249	3825	922
कुल अखिल भारत	185312	150277	27612	310808	288657	52444	195856	155456	29910	323510	301084	60774	203604	162294	27977	335336	306114	56666

स्रोत: भारत में अपराध

नोट: पुलिस और न्यायालयों द्वारा निपटान संबंधी जानकारी में पिछले वर्षों के लंबित मामलों की जानकारी शामिल है।

• महिलाओं के प्रति कुल अपराध में निम्न शीर्ष शामिल हैं:- महिलाओं एवं लड़कियों का बलात्कार, अपहरण एवं व्यपहरण, दहेज हत्या, छेड़छाड़, यौन शोषण, पति और रिश्तेदारों द्वारा निर्दयता, लड़कियों की खरीद-फरोख्त, दुर्व्यापार (निवारण) अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम, महिलाओं का अभद्र प्रदर्शन और सती निवारण अधिनियम।

विवरण-II

वर्ष 2007-09 के दौरान बच्चों के प्रति कारित* कुल अपराध के तहत पंजीकृत मामले (सीआर), आरोप पत्रित मामले (सीएस), दोषसिद्ध मामले (सीवी), गिरफ्तार व्यक्ति (पीएआर), आरोपपत्रित व्यक्ति (पीसीएस), दोषसिद्ध व्यक्ति (पीसीवी)

		2007						2008						2009					
क्र. सं	राज्य	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	आंध्र प्रदेश	1489	1225	136	1729	1695	178	1321	1137	127	1661	1726	178	1719	1267	121	2065	1789	196
2	अरुणाचल प्रदेश	4	10	0	4	6	0	24	18	0	20	18	0	33	29	0	27	29	0
3	असम	167	96	54	170	102	56	183	93	18	112	109	15	44	77	12	48	70	7
4	बिहार	675	227	13	975	391	22	766	561	26	1363	1086	36	1016	598	18	1468	1170	45
5	छत्तीसगढ़	1024	970	219	1081	1079	296	1167	1099	278	1271	1266	305	1319	1273	251	1497	1498	283
6	गोवा	70	30	6	71	49	7	80	53	11	104	61	18	92	63	15	123	111	15
7	गुजरात	1110	803	73	1241	1199	108	1074	788	60	1197	1210	141	968	677	42	980	995	138
8	हरियाणा	325	135	34	394	401	85	269	227	58	325	334	81	363	235	70	317	318	122
9	हिमाचल प्रदेश	151	95	6	114	113	3	205	130	23	189	165	29	221	182	31	232	202	37
10	जम्मू और कश्मीर	26	34	0	24	24	1	10	10	5	10	10	5	18	8	2	8	8	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11	झारखंड	74	72	17	75	77	56	71	57	5	141	98	5	60	51	20	149	108	47
12	कर्नाटक	266	174	12	225	204	9	388	235	18	324	285	13	308	260	10	315	315	6
13	केरल	487	431	49	512	525	66	549	441	29	666	726	33	587	513	44	698	658	51
14	मध्य प्रदेश	4290	3929	1036	5305	5492	1735	4259	4035	1073	5620	5574	1866	4646	4315	1100	5838	5813	1477
15	महाराष्ट्र	2707	2005	82	3157	2841	102	2709	2033	89	3082	2937	110	2894	2280	119	3086	2960	162
16	मणिपुर	49	0	0	21	0	0	89	0	0	6	0	0	72	1	0	40	0	0
17	मेघालय	71	28	0	43	16	0	62	40	0	53	48	0	83	40	0	66	42	0
18	मिजोरम	64	63	63	64	63	63	22	23	1	21	22	1	14	12	2	15	13	1
19	नागालैंड	7	9	5	6	9	5	3	1	0	6	1	0	0	1	0	0	1	0
20	उड़ीसा	201	182	6	208	212	11	141	134	20	199	200	20	194	164	4	200	197	4
21	पंजाब	527	289	52	373	327	82	389	243	67	385	328	88	729	368	102	891	547	132
22	राजस्थान	1252	704	46	745	747	51	1223	643	91	732	723	98	1407	719	125	899	901	122
23	सिक्किम	31	7	0	25	9	0	24	19	8	14	26	6	40	29	8	33	31	8
24	तमिलनाडु	441	250	47	460	309	77	886	439	115	566	537	136	634	501	58	659	595	64
25	त्रिपुरा	63	63	5	70	67	7	163	117	21	160	116	11	163	106	18	100	68	8
26	उत्तर प्रदेश	2248	1684	1118	3553	2916	1841	4078	2585	1325	5760	4113	2339	3085	2224	1278	4736	3876	2216
27	उत्तराखंड	101	72	19	101	80	23	38	39	32	58	76	62	33	25	21	36	43	57
28	पश्चिम बंगाल	381	170	16	343	196	13	513	322	13	453	389	22	484	225	10	375	277	14
	कुल राज्य	18291	13757	3114	21090	19149	4897	20486	15522	3510	24498	22183	5618	21218	16243	3481	24901	22625	5213

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	10	5	1	9	6	1	47	30	0	52	40	0	41	29	6	63	49	7
30	चंडीगढ़	53	21	32	52	32	39	66	20	13	59	29	17	71	36	19	64	44	27
31	दादरा और नगर हवेली	11	7	0	6	7	0	17	13	1	25	17	1	11	11	3	15	21	4
32	दमन और दीव	3	1	0	6	2	0	4	2	0	10	5	0	2	1	0	1	1	0
33	दिल्ली संघ शासित	2019	859	166	1247	1215	192	1854	899	206	1097	1012	320	2839	905	203	985	1178	212
34	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	पुदुचेरी	23	28	0	22	39	0	26	12	2	25	13	2	21	26	3	20	29	6
	कुल संघ शासित	2119	921	199	1342	1301	232	2014	976	222	1268	1116	340	2985	1008	234	1148	1322	256
	कुल अखिल भारत	20410	14678	3313	22432	20450	5129	22500	16498	3732	25766	23299	5958	24201	17251	3715	26049	23947	5469

* बालकों के प्रति कुल अपराध में निम्न शीर्ष शामिल हैं : बाल हत्या, हत्या, बलात्कार, अपहरण एवं व्यपहरण, आत्महत्या के लिए उकसाना, बालकों का अनाश्रित छोड़ना एवं परित्याग, अवयस्क लड़कियों की खरीद-फरोख्त, वेश्यावृत्ति के लिए लड़कियों की खरीद, वेश्यावृत्ति के लिए लड़कियां को बेचना और बच्चों के प्रति कारित अन्य अपराध

स्रोत: भारत में अपराध

नोट: पुलिस और न्यायालयों द्वारा निपटान संबंधी जानकारी में पिछले वर्षों के लंबित मामलों की जानकारी शामिल है।

विवरण-III

वर्ष 2010 के दौरान महिलाओं के प्रति कारित अपराध की घटनाएं (अनंतिम)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बलात्कार	अपहरण एवं व्यपहरण	दहेज हत्या	पति और उसके रिश्तेदारों द्वारा निर्दयता	छेड़छाड़	यौन शोषण	लड़कियों की खरीद फरोख्त (21 वर्ष तक)	सती निवारण अधिनियम	दुर्व्यवहार निवारण अधिनियम	महिलाओं का अभद्र प्रदर्शन	दहेज निषेध अधिनियम	कुल	टिप्पणी (ये आंकड़े अमुक माह तक हैं)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
आन्ध्र प्रदेश	1266	1528	889	9593	4561	3700	43	0	438	1544	1694	25246	दिसम्बर
अरुणाचल प्रदेश	22	11	8	8	32	0	0	0	0	3	27	103	जून
असम	1316	1341	101	2770	740	12	2	0	8	28	82	6400	अक्तूबर
बिहार	691	1224	646	728	193	19	41	9	6	3	1093	4852	अक्तूबर
छत्तीसगढ़	927	344	108	817	1580	309	0	0	4	407	5	4501	नवम्बर
गोवा	28	19	1	14	36	15	0	0	13	0	0	126	नवम्बर
गुजरात	400	1174	96	5193	660	86	14	0	28	1	10	7662	दिसम्बर
हरियाणा	543	717	250	2238	413	398	0	0	27	0	6	4592	अक्टूबर
हिमाचल प्रदेश	156	156	11	272	341	67	0	0	1	0	0	1005	दिसम्बर
जम्मू और कश्मीर	213	714	9	152	903	232	9	0	1	225	0	2458	नवम्बर
झारखंड	176	166	55	101	47	2	2	0	3	4	70	626	मई
कर्नाटक	518	563	295	3226	2344	73	9	0	250	629	993	8898	नवम्बर
केरल	557	166	19	4349	2654	489	0	0	281	31	22	8567	नवम्बर
मध्य प्रदेश	2808	1068	738	2917	6861	3291	7	0	9	152	31	17872	नवम्बर

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
महाराष्ट्र	1389	1116	380	6113	3324	1480	8	0	213	28	30	14060	दिसम्बर
मणिपुर	28	120	1	11	28	2	0	0	2	51	0	243	दिसम्बर
मेघालय	111	23	1	20	35	0	0	0	3	0	0	193	अक्टूबर
मिजोरम	88	6	1	0	72	1	0	0	1	0	0	168	दिसम्बर
नागालैंड	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	नवम्बर
उड़ीसा	448	290	190	823	842	101	0	0	0	0	757	3451	जून
पंजाब	459	646	130	893	280	28	12	0	76	3	1	2528	नवम्बर
राजस्थान	1312	2101	502	9391	1983	18	0	0	63	58	3	15431	नवम्बर
सिक्किम	16	1	0	2	12	0	0	0	1	0	0	32	नवम्बर
तमिलनाडु	528	776	86	1426	1226	180	0	0	235	6	179	4621	दिसम्बर
त्रिपुरा	219	82	32	350	337	6	0	0	0	57	0	1083	नवम्बर
उत्तर प्रदेश	1470	6300	2476	8344	2674	1983	0	0	6	18	316	22587	दिसम्बर
उत्तराखंड	109	226	84	307	118	196	0	0	1	0	1	1041	नवम्बर
पश्चिम बंगाल	1993	2466	601	12812	2509	149	10	2	43	1	43	20629	अक्टूबर
कुल (राज्य)	17773	22329	7902	72869	34805	12817	157	11	1712	3249	5363	178987	
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	22	4	1	9	31	8	0	0	3	0	0	78	दिसम्बर
चंडीगढ़	18	20	6	26	12	5	0	0	3	0	0	89	जुलाई
दादरा और नगर हवेली	3	7	0	0	7	0	0	0	1	0	0	18	दिसम्बर

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
दमन और दीव	1	1	0	0	1	0	0	0	3	0	0	6	अक्टूबर
दिल्ली	400	1638	124	1284	563	72	0	0	25	0	15	4121	नवम्बर
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	दिसम्बर
पुदुचेरी	3	13	2	6	47	22	0	0	9	0	9	110	दिसम्बर
कुल (संघ शासित)	447	1683	132	1324	661	107	0	0	44	1	24	4423	
कुल (अखिल भारत)	18220	24012	8034	74193	36466	12924	157	11	1756	3250	5387	183410	

स्रोत: मासिक अपराध सांख्यिकी

नोट: 1. आंकड़े अनंतिम हैं।

2. महाराष्ट्र से संबंधित आंकड़ों में जून के आंकड़े नहीं हैं, उड़ीसा के आंकड़ों में जनवरी के आंकड़े नहीं हैं, राजस्थान के आंकड़ों में जून के आंकड़े नहीं हैं, तमिलनाडु के आंकड़ों में सितम्बर के आंकड़े नहीं हैं। अण्डमान निकोबार के आंकड़ों में सितम्बर और दादरा और नगर हवेली के आंकड़ों में जुलाई और नवम्बर के आंकड़े नहीं हैं।

विवरण-IV

वर्ष 2010 के दौरान बच्चों के प्रति कारित अपराध की घटनाएं (अनंतिम)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बाल हत्या	भ्रूण हत्या	आत्महत्या के लिए उकसाना	निराश्रित छोड़ना एवं परित्याग	बच्चों का अपहरण एवं व्यपहरण	वेश्यावृति के लिए अवयस्क लड़कियों की खरीद	वेश्यावृति के लिए लड़कियों को बेचना	वेश्यावृति के लिए लड़कियों की खरीद	बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम	कुल	टिप्पणी (आंकड़े अमुक माह तक है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	आन्ध्र प्रदेश	17	1	0	75	402	35	4	10	9	553	दिसम्बर
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	जून
3	असम	0	0	0	0	7	34	0	0	0	41	अक्तूबर
4	बिहार	0	0	0	0	96	155	8	0	3	262	अक्तूबर

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	छत्तीसगढ़	2	4	0	23	115	2	1	1	1	149	नवम्बर
6	गोवा	0	1	0	3	15	0	0	0	0	19	नवम्बर
7	गुजरात	5	9	0	134	379	39	0	0	8	574	दिसम्बर
8	हरियाणा	0	3	0	16	156	19	0	0	1	195	अक्तूबर
9	हिमाचल प्रदेश	1	0	0	5	82	0	0	1	4	93	दिसम्बर
10	जम्मू और कश्मीर	2	0	0	1	2	0	0	0	0	5	नवम्बर
11	झारखंड	0	0	0	0	6	7	0	0	0	13	मई
12	कर्नाटक	4	2	1	41	103	75	0	0	2	228	नवम्बर
13	केरल	0	0	2	7	50	5	0	0	5	69	नवम्बर
14	मध्य प्रदेश	19	35	9	118	98	14	0	0	4	297	नवम्बर
15	महाराष्ट्र	19	9	5	141	293	40	0	2	3	512	दिसम्बर
16	मणिपुर	1	0	0	0	21	3	0	0	1	26	दिसम्बर
17	मेघालय	0	0	0	0	0	12	0	0	0	12	अक्तूबर
18	मिजोरम	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	दिसम्बर
19	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	नवम्बर
20	उड़ीसा	1	0	0	0	25	1	0	0	0	27	जून
21	पंजाब	14	20	1	11	96	2	0	0	1	145	नवम्बर
22	राजस्थान	7	18	1	116	61	11	0	0	0	214	नवम्बर
23	सिक्किम	19	0	0	0	4	0	0	0	0	23	नवम्बर
24	तमिलनाडु	1	0	0	6	27	1	0	0	1	36	दिसम्बर

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	त्रिपुरा	0	0	0	0	7	8	0	0	0	15	नवम्बर
26	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	दिसम्बर
27	उत्तराखंड	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	नवम्बर
28	पश्चिम बंगाल	1	0	0	0	299	262	147	5	7	721	अक्तूबर
	कुल (राज्य)	115	102	19	697	2349	725	160	19	50	4236	
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2	2	0	0	4	0	0	0	0	8	दिसम्बर
30	चंडीगढ़	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	जुलाई
31	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	दिसम्बर
32	दमण और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	अक्तूबर
33	दिल्ली	3	3	0	49	825	0	0	0	0	880	नवम्बर
34	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	दिसमबर
35	पुदुचेरी	0	0	0	3	1	0	0	0	0	4	दिसम्बर
	कुल (संघ शासित)	5	5	0	52	832	0	0	0	0	894	
	कुल (अखिल भारत)	120	107	19	749	3181	725	160	19	50	5130	

स्रोत: मासिक अपराध सांख्यिकी

नोट: 1. आंकड़े अनंतिम हैं।

2. महाराष्ट्र से संबंधित आंकड़ों में जून के आंकड़ें नहीं हैं, उड़ीसा के आंकड़ों में जनवरी के आंकड़े नहीं हैं, राजस्थान के आंकड़ों में जून के आंकड़े नहीं हैं, तमिलनाडु के आंकड़ों में सितम्बर के आंकड़े नहीं हैं, अण्डमान निकोबार के आंकड़ों में सितम्बर के और दादरा और नगर हवेली के आंकड़ों में जुलाई और नवम्बर के आंकड़े नहीं हैं।

कीमतों में वृद्धि

*15. डा. बलीराम :

श्री अधलराव पाटील शिवाजी :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यान्नों और दलहनों सहित आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा कीमतों को नियंत्रित करने के लिए क्या तंत्र विद्यमान हैं;

(ग) इसे नियंत्रित करने के लिए जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई करने सहित क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या इस संबंध में राज्यों को कोई निदेश/सलाह जारी की गई; और

(ङ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) पिछले एक वर्ष के दौरान आवश्यक वस्तुओं के मूल्य व्यवहार में एक मिश्रित रुझान देखा गया है। चीनी, तूर दाल, मूंग दाल, मसूर दाल जैसी दालों, आलू और प्याज के खुदरा मूल्यों में गिरावट आई जबकि चावल, गेहूं, चने की दाल और उड़द जैसी दालों, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल और वनस्पति तेल के मूल्यों में वृद्धि हुई है। जैसा कि चार महानगरों अर्थात दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में पिछले वर्ष के रुझानों द्वारा देखा गया है जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। चावल और गेहूं के मूल्यों में वृद्धि को आंशिक रूप से न्यूनतम समर्थन मूल्य में हुई वृद्धि से जोड़ा जा सकता है। चने की दाल और उड़द दाल और खाद्य तेलों के मूल्यों में वृद्धि अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि और मांग व आपूर्ति के बीच असंतुलन के कारण हुई जिसके कारण आयात का सहारा लिया गया। सीजनल कारकों के अलावा, मौसम ने भी कुछ सब्जियों के मूल्यों में वृद्धि में योगदान दिया।

सरकार ने 21 आवश्यक वस्तुओं के मूल्य आंकड़ों और उपलब्धता के रुझानों की निगरानी तथा विश्लेषण करने के लिए उपभोक्ता मामले विभाग में एक मूल्य निगरानी कक्ष स्थापित किया है। मूल्य निगरानी कक्ष सचिवों की समिति और मूल्यों संबंधी मंत्रिमंडल समिति जैसी उच्च स्तरीय बैठकों में विचार-विमर्श करने के लिए एजेंडा नोट तैयार करता है, जो नियमित रूप से आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों और उपलब्धता की समीक्षा करते हैं और मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए उपयुक्त आवश्यक कार्रवाई की सिफारिश करते हैं, इसमें जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए चुनिंदा वस्तुओं के मामले में आयात और निर्यात नीति में परिवर्तन, स्टॉक सीमाएं अधिरोपित करना शामिल है।

(ग) से (ङ) सरकार ने मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए राजकोषीय, मौद्रिक और प्रशासनिक उपाय किए हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का प्रवर्तन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें करती हैं। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और चोर बाजारी को रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और चोर बाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 दोनों के उपबंधों के तहत आवश्यक कार्रवाई करने के लिए शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।

राज्य सरकारों की प्रशासनिक विनियामक उपायों के जरिए कदाचार, मुनाफाखोरी और जमाखोरी को रोककर आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से बार-बार दोनों अधिनियमों को कड़ाई से लागू करने और इन अधिनियमों के प्रवर्तन की निगरानी करने का भी अनुरोध किया जाता है। आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और चोर बाजारी सहित मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए भारत सरकार ने कदम उठाए हैं। सरकार द्वारा उठाए गए सभी कदम संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्यवाही की है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को चोर बाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 के तहत ऐसे व्यक्तियों को नजरबंद करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं जिनकी गतिविधियां समुदाय को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने में बाधक पाई जाती हैं। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा केंद्र सरकार को दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 2009 और 2010 में राज्य सरकारों द्वारा उक्त अधिनियम के तहत जारी किए गए नजरबंदी आदेशों का ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :-

वर्ष 2009 और 2010 में राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए नजरबंदी आदेश

राज्य का नाम	2009	2010
1	2	3
गुजरात	31	79

1	2	3
तमिलनाडु	112	120
उड़ीसा	02	02
महाराष्ट्र	02	02
आंध्र प्रदेश	-	01
छत्तीसगढ़	-	01
कुल	147	205

(II) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 2009 और 2010 के दौरान आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत नियमों के उल्लंघन के लिए मारे गए छापों, जब्त किए गए माल के मूल्य और बुक किए गए व्यक्तियों के ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के परिणामस्वरूप थोक मूल्य सूचकांक आधारित मूल्य वृद्धि दर 25.12.2010 के 18.32 प्रतिशत से घटकर 5.2.2011 को 11.05 प्रतिशत हो गई है।

विवरण-I

आवश्यक वस्तुओं के दैनिक खुदरा मूल्य में उतराव-चढ़ाव का प्रतिशत

(रु. प्रति कि.ग्रा.)

वस्तु/केंद्र	चालू तिथि 15.02.2011	1 माह पूर्व 15.01.2011	3 माह पूर्व 15.11.2010	1 वर्ष पूर्व 15.02.2010	उतार चढ़ाव का %		
					1 माह में	3 माह में	1 वर्ष में
1	2	3	4	5	6	7	8
चावल							
दिल्ली	23	23	22.5	23	0	2.22	0
मुंबई	20	20	21	19	0	-4.76	5.26
कोलकाता	20	22	20	18	-9.09	0	11.11
चेन्नई	22	22	22	22	0	0	0
गेहूं							
दिल्ली	15.5	15	14	15	3.33	10.71	3.33
मुंबई	21	20	21	20	5	0	5
कोलकाता	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	व्यापार नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	व्यापार नहीं
चेन्नई	24	24	23	22	0	4.35	9.09
आटा							
दिल्ली	17	17	16	17	0	6.25	0
मुंबई	24	24	24	21	0	0	14.29
कोलकाता	17	17	17	17	0	0	0
चेन्नई	23	23	24	23	0	-4.17	0

1	2	3	4	5	6	7	8
चना दाल							
दिल्ली	38	35	35	37	8.57	8.57	2.70
मुंबई	39	38	38	37	2.63	2.63	5.41
कोलकाता	38	38	36	35	0	5.56	8.57
चेन्नई	38	38	36	33	0	5.56	15.15
तूर दाल							
दिल्ली	74	69	68.5	77	7.25	8.03	-3.90
मुंबई	66	68	71	70	-2.94	-7.04	-5.71
कोलकाता	64	60	55	78	6.67	16.36	-17.95
चेन्नई	70	62	62	70	12.90	12.90	0
उड़द दाल							
दिल्ली	76	68	79	69	11.76	-3.80	10.14
मुंबई	77	76	78	70	1.32	-1.28	10
कोलकाता	60	60	60	62	0	0	-3.23
चेन्नई	68	68	72	70	0	-5.56	-2.86
मूंग दाल							
दिल्ली	72	68	75	79	5.88	-4	-8.86
मुंबई	77	76	78	88	1.32	-1.28	-12.5
कोलकाता	75	75	70	85	0	7.14	-11.76
चेन्नई	70	68	65	80	2.94	7.69	-12.5
मसूर दाल							
दिल्ली	55	54	54	60	1.85	1.85	-8.33
मुंबई	57	58	57	52	-1.72	0	9.62
कोलकाता	48	50	48	58	-4	0	-17.24
चेन्नई	50	46	46	सूचित नहीं	8.70	8.70	सूचित नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8
चीनी							
दिल्ली	33	34	31	43	-2.94	6.45	-23.26
मुंबई	32	33	31	43	-3.03	3.23	-25.58
कोलकाता	32	33	33	41	-3.03	-3.03	-21.95
चेन्नई	31	32	31	42	-3.12	0	-26.19
मूंगफली का तेल							
दिल्ली	132	134	123	112	-1.49	7.32	17.86
मुंबई	85	85	79	100	0	7.59	-15
कोलकाता	120	110	120	95	9.09	0	26.32
चेन्नई	82	82	88	75	0	-6.82	9.33
सरसों का तेल							
दिल्ली	79	78	70	70	1.28	12.86	12.86
मुंबई	84	84	81	75	0	3.70	12
कोलकाता	70	70	66	62	0	6.06	12.90
चेन्नई	79	76	74	72	3.95	6.76	9.72
वनस्पति							
दिल्ली	77	77	66	57	0	16.67	35.09
मुंबई	77	73	65	56	5.48	18.46	37.5
कोलकाता	65	64	56	38	1.56	16.07	71.05
चेन्नई	75	72	66	54	4.17	13.64	38.89
चाय (खुली)							
दिल्ली	150	149	148	157	0.67	1.35	-4.46
मुंबई	188	179	179	165	5.03	5.03	13.94
कोलकाता	100	100	100	100	0	0	0
चेन्नई	260	260	240	340	0	8.33	-23.53
नमक (पैक)							
दिल्ली	14	13	12	12	7.69	16.67	16.67

1	2	3	4	5	6	7	8
मुंबई	14	13	12	12	7.69	16.67	16.67
कोलकाता	8	8	8	8	0	0	0
चेन्नई	14	14	12	12	0	16.67	16.67
आलू							
दिल्ली	7	9	16.5	9	-22.22	-57.58	-22.22
मुंबई	15	21	19	13	-28.57	-21.05	15.38
कोलकाता	5	7	9	5	-28.57	-44.44	0
चेन्नई	11.5	16	17	12	-28.12	-32.35	-4.17
प्याज							
दिल्ली	18	60	28	24	-70	-35.71	-25
मुंबई	18	52	35	18	-65.38	-48.57	0
कोलकाता	15	50	28	24	-70	-46.43	-37.5
चेन्नई	13.75	38	35	16	-63.82	-60.71	-14.06
दूध							
दिल्ली	25	25	24	22	0	4.17	13.64
मुंबई	28	28	28	23	0	0	21.74
कोलकाता	21	21	21	21	0	0	0
चेन्नई	20.5	20.5	20.5	20.5	0	0	0

स्रोतः राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के नागरिक आपूर्ति विभाग

विवरण-II

वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए कदम इस प्रकार हैं :

(क) अल्पकालिक उपाय

I. राजकोषीय उपाय

1 राजकोषीय उपाय

(1) चावल के लिए 1.10.2011 तक गेहूं और प्याज के लिए अगले आदेशों तक, दालों के लिए 31.3.2012 तक, खाद्य तेलों (कच्चा) के लिए 30.9.2011 तक आयात शुल्क घटाकर शून्य और रिफाइण्ड हाइड्रोजनीकृत तेलों व वनस्पति तेलों के लिए 30.9.2011 तक 7.5% किया गया।

(2) स्किम्ड मिल्क पाउडर के लिए शुल्क दर कोटे के तहत शुल्क को एक वित्तीय वर्ष में 10,000 मीट्रिक टन तक के आयात के लिए 15% से घटाकर 5% कर दिया।

(3) वर्ष 2010-11 के दौरान एन डी डी बी को शून्य शुल्क पर 30,000 टन मिल्क पाउडर और 15,000 टन मिल्क फैट के आयात की अनुमति दी गई।

(4) खुले सामान्य लाइसेंस के तहत 31.3.2011 तक शून्य शुल्क दर कच्ची चीनी और सफेद/रिफाइंड चीनी के आयात की अनुमति दी गई।

प्रशासनिक उपाय

(1) आयातित कच्ची चीनी और सफेद/रिफाइंड चीनी के संबंध में लेवी की अनिवार्यता को हटा दिया गया है।

(2) गैर-बासमती चावल और गेहूं के निर्यात पर आगामी आदेश तक खाद्य तेलों (नारियल तेल और वन आधारित तेल को छोड़कर) के निर्यात पर 30.9.2011 तक और दालों (काबुली चना और जैविक दालों को अधिकतम 10000 टन प्रति वर्ष को छोड़कर) के निर्यात पर 31.3.2012 तक प्रतिबंध लगाया गया।

(3) खाद्य तेलों के 5 कि.ग्रा. तक के ब्रांडेड उपभोक्ता पैकों में निर्यात की अनुमति दी गई जिसकी अधिकतम सीमा एक वर्ष में 10,000 टन होगी। खाद्य तेलों के निर्यात पर प्रतिबंध की अवधि को इन रियायतों/छूटों के साथ 30.9.2011 तक बढ़ा दिया गया है।

(4) खाद्य तेलों के शुल्क दर मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं।

(5) दालों, धान और चावल के मामले में स्टॉक सीमा आदेश को 30 सितम्बर, 2011 तक तथा खाद्य तेल, खाद्य तिलहन और चीनी के लिए 31 दिसम्बर, 2011 तक बढ़ा दिया गया है।

(6) प्याज (दिसम्बर, 2010 के लिए 1200 अमरीकी डालर प्रति टन) और बासमती चावल (900 अमरीकी डालर प्रति मीट्रिक टन) के निर्यात को विनियमित करने के लिए न्यूनतम निर्यात मूल्य प्रयोग करना।

(7) चावल (गरीबी रेखा से नीचे के लिए 5.65 रुपए प्रति कि.ग्रा. और अंत्योदय अन्न योजना के लिए 3 रुपए प्रति कि.ग्रा.) और गेहूं (गरीबी रेखा से नीचे के लिए 4.15 रुपए प्रति कि.ग्रा. और अंत्योदय अन्न योजना के लिए 2 रुपए प्रति कि.ग्रा.) के लिए केंद्रीय निर्गम मूल्यों को 2002 से कायम रखा गया।

(8) वायदा बाजार आयोग द्वारा वर्ष 2007-08 में चावल, उड़द और तूर के भावी सौदा व्यापार पर लगाया गया निलम्बन वर्ष 2010-11 के दौरान जारी रहा। चीनी के भावी सौदा व्यापार को 27.5.2009 से 30.9.2010 तक निलंबित किया गया है।

(9) 2009-10 के चीनी वर्ष के लिए लेवी चीनी के रूप में अपेक्षित चीनी उत्पाद के अनुपात को 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। हालांकि, वर्ष 2010-11 चीनी मौसम के लिए लेवी की अनिवार्यता को 10% घटा दिया गया।

(10) जनवरी, 2011 के लिए 17.00 लाख टन गैर लेवी चीनी उपलब्ध कराई गई है जिसमें 16.56 लाख टन सामान्य गैर-लेवी चीनी आयातित कच्ची चीनी से संसाधित 0-44 लाख टन चीनी शामिल है। इसके अलावा, 2.18 लाख टन लेवी चीनी का कोटा भी रिलीज किया गया है। अतः जनवरी, 2011 के लिए 19.18 लाख टन चीनी उपलब्ध कराई गई।

(11) अंत्योदय अन्न योजना, गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर के राशन कार्डों के स्वीकृत सदस्यों के लिए जनवरी और फरवरी, 2010 में प्रतिमाह प्रति परिवार 10 कि.ग्रा. की दर से गेहूं/चावल का अतिरिक्त आबंटन किया गया है। यह मौजूदा आबंटन से अतिरिक्त है, जबकि गेहूं का आबंटन 108,00 रु. प्रति टन के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किया जाएगा और चावल का आबंटन 15373.10 रु. प्रति टन के न्यूनतम समर्थन मूल्य से व्युत्पन्न मूल्य पर किया जाएगा।

(12) खाद्यान्नों के 30.66 लाख टन विशिष्ट तदर्थ अतिरिक्त आबंटन 19.5.2010 से सभी कार्डधारकों के लिए 20.11.2010 तक गेहूं के लिए 8.45 रु. प्रति कि.ग्रा. और चावल के लिए 11.85 रु. प्रति कि.ग्रा. तक उद्याम वैधता के साथ किया गया है।

(13) प्रचलित गरीबी रेखा से ऊपर केंद्रीय निर्गम मूल्यों पर गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए प्रतिमाह 4.57 लाख टन खाद्यान्न अतिरिक्त आबंटन 2.8.2010 को किया गया। यह प्रारंभ में 6 माह की अवधि के लिए उन राज्यों के लिए लागू होगा जहां गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए किया गया आबंटन 15 कि.ग्रा. प्रति परिवार प्रतिमाह से कम था।

(14) 25 लाख टन के खाद्यान्न का आबंटन सितम्बर, 2010 को सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को विशेष तदर्थ अतिरिक्त आबंटन के तहत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए सितम्बर, 2010 से 6 माह में वितरण हेतु गरीबी रेखा से नीचे निर्गत के मूल्यों पर किया गया है।

(15) इसके अलावा, 25 लाख टन के खाद्यान्न का आबंटन 6.1.2011 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जनवरी से जून, 2011 तक के दौरान गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए वितरण हेतु गरीबी रेखा से नीचे निर्गत मूल्यों पर किया गया है।

(16) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जनवरी से जून, 2011 के

दौरान गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों को वितरण हेतु 25 लाख टन के खाद्यान्न का एक अतिरिक्त तदर्थ आबंटन किया गया जिसमें 8.45 रुपए प्रति कि.ग्रा. की दर से गेहूं और 11.85 रुपए प्रति कि.ग्रा. की दर से चावल दिया गया।

(17) इसके अलावा, खुला बाजार बिक्री योजना दखल के अंतर्गत राज्य सरकारों को अतिरिक्त आबंटन किया गया।

(18) दिल्ली में नेफेड, केंद्रीय भंडार, राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ और मदर डेयरी के खुदरा बिक्री केंद्रों में बिक्री के माध्यम से पीली मटर की लोकप्रियता बनाने का भी प्रयोग किया गया।

(19) प्याज के निर्यात (सभी किस्म) जिसमें बंगलौर रोज प्याज और कृष्णापुरम प्याज ताजा अथवा शीतित, जमा हुआ अस्थायी रूप से तैयार अथवा सुखाया हुआ प्याज शामिल है, किन्तु इसमें कटा हुआ प्याज, टुकड़ा अथवा पाउडर वाला प्याज शामिल नहीं है, को 22 दिसम्बर, 2010 से निर्यात की अनुमति नहीं दी गई।

(20) प्याज और शैलेट्स को 21 दिसम्बर, 2010 से मूल सीमा शुल्क से पूर्ण छूट दी गई है। परिणामतः इन वस्तुओं को विशेष 4 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क, शिक्षा उपकर और माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर से भी छूट दी जाएगी। यह छूट ओपन एंडिड है और इसमें कोई वैधता की शर्त नहीं है जिसमें अंतिम तारीख दी गई हो।

(21) नेफेड और एन सी सी एफ, दिल्ली में अपने फुटकर बिक्री केन्द्रों से कम कीमतों पर प्याज बेच रहे हैं।

(22) मूल्य स्थिति और राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ वीडियो कन्फ्रेंस के जरिए की गई। अनेक राज्य सरकारें अपनी सहकारिताओं/कृषकों के बाजारों के जरिए बाजार में दखल कर रही हैं।

(23) नेफेड/एन सी सी एफ को प्याज की बिक्री पर होने वाले घाटों की प्रतिपूर्ति 31.1.2011 तक एक माह की अवधि के लिए लैंडिड लागत के 30 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के साथ प्रतिपूर्ति की जा रही है। ये दोनों एजेंसियां 31.1.2010 के बाद बिना सब्सिडी के प्याज आयात करती रहेंगी और दिल्ली तथा अन्य केंद्रों में बेचती रहेंगी।

(ख) मध्यकालिक उपाय :

मध्यकालिक उपाय के रूप में सरकार ने कृषि में उत्पादन और उत्पादकता में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जैसी पहलें की हैं।

(ग) उठाए गए अन्य कदमों में शामिल हैं :

(1) माननीय मंत्री जी ने सभी मुख्यमंत्रियों को दिनांक 23.9.2009 और 21.12.2009 के अपने पत्रों द्वारा कदाचार को रोकने, आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को नियंत्रित करने, अल्पकालिक उतार-चढ़ावों का पता लगाने के लिए मूल्यों की नियमित और गहन निगरानी के लिए एक उपयुक्त तंत्र लगाने (और सुदृढ़ करने) और प्रत्यक्ष बाजार दखल के जरिए उपभोक्ताओं के लिए कम मूल्यों पर पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखने के लिए शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई करने की सलाह दी है। इसके अलावा, मंत्री जी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से दालों की आर्थिक सहायताप्राप्त आपूर्ति करने और जागरूकता आंदोलनों के जरिए पीली मटर को लोकप्रिय बनाने और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और चोर बाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 को कड़ाई से लागू करने और जमाखोरों और कालाबाजारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा।

(2) दिनांक 6.11.2009 से अभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य सचिवों के साथ चार वीडियो कन्फ्रेंस आयोजित किए गए और उनसे कदाचार को रोकने के लिए बेईमान तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया।

(3) सभी मुख्य सचिवों को जमाखोरी के खिलाफ विशेष अभियान चलाने और 15 दिनों के अंदर वास्तविक रिपोर्ट भेजने के लिए अनुरोध किया गया।

(4) गरीब और कमजोर वर्गों को मूल्य संचलन के प्रतिकूल प्रभाव से राहत पहुंचाने वाले उपायों पर विचार करने के लिए मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन 6 फरवरी, 2010 को आयोजित किया, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री ने की। अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में कुछ मुख्यमंत्रियों और संबंधित केंद्रीय मंत्रियों के एक कोर ग्रुप की बैठक माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 8.4.2010 को हुई और जिसमें अन्य बातों के अलावा उपभोक्ता मामलों से संबंधित एक कार्यदल के गठन (जिसके अध्यक्ष गुजरात के मुख्यमंत्री होंगे तथा आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सदस्य होंगे) करने की सिफारिश की गई, जो किसान को खेत पर मिलने वाले मूल्य और खुदरा मूल्यों के बीच के अंतर को कम करने की कार्यनीति का सुझाव देगा तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का बेहतर कार्यान्वयन और संशोधन के लिए सिफारिश देगा। इनमें शामिल हैं - वितरण संबंधी की कार्यकुशलता में सुधार, मध्यस्थता की लागतों को कम करना, उचित मूल्यों पर आवश्यक वस्तुओं का खुदरा

व्यापार के लिए सरकार का दखल और अल्प और दीर्घकालिक उद्देश्यों को पूरा करने की दृष्टि से सांविधिक उपबंधों का प्रवर्तन शामिल है।

(5) जनवरी, 2011 में मंत्रिमंडल सचिव/सचिव ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों के साथ एक वीडियो कन्फ्रेंस आयोजित की गई जिसमें कदाचार को रोकने और उचित मूल्यों पर आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति प्रदान करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम और चोर बाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम के उपबंधों के प्रवर्तन की आवश्यकता को दोहराया गया और यदि आवश्यक हो तो आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए राज्य दखल और वैकल्पिक व्यवस्था को सुकर बनाने पर जोर दिया गया।

(6) माननीय मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण ने भी दिनांक 4.2.2011 के पत्र के तहत इस मामले पर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्रियों को भी लिखा है।

(7) माननीय मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण ने अन्य बातों के साथ मूल्यों में वृद्धि को रोकने और उपभोक्ताओं के लिए उचित मूल्यों पर आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए दक्षिण क्षेत्र के खाद्य/सार्वजनिक वितरण/उपभोक्ता मामलों के मंत्रियों की एक बैठक 3.2.2011 को तिरुवनन्तपुरम में, उत्तरी क्षेत्र के लिए (7.2.2011 को नई दिल्ली में), पूर्वी क्षेत्र के लिए (13.2.2011 को कोलकाता में) और (पश्चिम क्षेत्र के लिए (17.2.2011 को मुंबई में) बैठकें आयोजित की।

विवरण-III

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, के तहत की गई कार्रवाई वर्ष 2009 के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना - 31.12.2009 तक

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	छापों की संख्या	गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या	अभियोजित व्यक्तियों की संख्या	दोषसिद्ध व्यक्तियों की संख्या	जब्त किए गए माल का मूल्य (लाख रुपए में)	तक सूचित
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आंध्र प्रदेश	7873	43	शून्य	1	233.31	
2	असम	2382	5	शून्य	शून्य	शून्य	दिसम्बर
3	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	3	3	शून्य	शून्य	दिसम्बर $
4	बिहार	17	8	शून्य	शून्य	1.69	नवम्बर
5	छत्तीसगढ़	751	36	90	66	858.27	दिसम्बर
6	दिल्ली	93	98	76	शून्य	शून्य	दिसम्बर
7	गुजरात	28025	30	89	शून्य	528.31	दिसम्बर
8	गोवा	30	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	दिसम्बर
9	हरियाणा	107	8	1	शून्य	0.82	दिसम्बर
10	हिमाचल प्रदेश	24642	3	2	शून्य	10.99	दिसम्बर•
11	जम्मू और कश्मीर						दिसम्बर
12	झारखण्ड						सूचित नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8
13	कर्नाटक	1659	137	9	3	24.58	सूचित नहीं
14	केरल	48829	21	2	शून्य	121.47	दिसम्बर
15	मध्य प्रदेश						दिसम्बर***
16	महाराष्ट्र	1688	2565	1562	शून्य	13842.38	सूचित नहीं
17	मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	दिसम्बर
18	मेघालय	8	शून्य	4	शून्य	शून्य	नवम्बर**
19	मिजोरम	366	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	दिसम्बर
20	नागालैण्ड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	दिसम्बर
21	उड़ीसा	35494	7	149	9	14.56	दिसम्बर
22	पंजाब	122	54	34	26	464.52	दिसम्बर
23	राजस्थान	281	3	62	शून्य	36.89	दिसम्बर
24	सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य		शून्य	मार्च
25	तमिलनाडु	16404	4775	1471	7	623.25	दिसम्बर
26	त्रिपुरा	66	2	2	शून्य	0.65	दिसम्बर
27	उत्तरांचल						दिसम्बर
28	उत्तर प्रदेश	39684	1023	1491	शून्य	1929.48	सूचित नहीं
29	पश्चिम बंगाल	161	117	16	शून्य	90.4	दिसम्बर
30	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	208	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	दिसम्बर
31	चंडीगढ़	8	9	शून्य	शून्य	7.97	दिसम्बर
32	दादरा और नगर हवेली	3	2	शून्य	शून्य	0.22	दिसम्बर
33	दमण और दीव						दिसम्बर
34	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	सूचित नहीं
35	पांडिचेरी	512	63	68	15	15.53	नवम्बर
	योग	209413	9012	5131	127	18805.29	

*- अगस्त और सितम्बर को छोड़कर **- अगस्त और सितम्बर को छोड़कर

***- अक्तूबर को छोड़कर $- अगस्त को छोड़कर

स्टॉक नियंत्रण आदेशों के उल्लंघन के अलावा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अपराधों के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना - 31.12.2010 तक

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	छापों की संख्या	गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या	अभियोजित व्यक्तियों की संख्या	दोषसिद्ध व्यक्तियों की संख्या	जब्त किए गए माल का मूल्य (लाख रुपए में)	तक सूचित
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आंध्र प्रदेश	9014	शून्य	शून्य	शून्य	114.53	नवम्बर - क
2	असम	69	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	मई
3	अरुणाचल प्रदेश	332	29	20	10	शून्य	अगस्त - ख
4	बिहार	64	20	शून्य	शून्य	शून्य	सितम्बर - ग
5	छत्तीसगढ़	211	1	18	14	757.58	अगस्त - घ
6	दिल्ली	58	15	26	4	शून्य	दिसम्बर
7	गुजरात	82	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	दिसम्बर ङ
8	गोवा	30296	139	88	17	428.99	दिसम्बर
9	हरियाणा	167	49	5	शून्य	361.62	अक्तूबर
10	हिमाचल प्रदेश	13036	शून्य	शून्य	शून्य	6.04	जुलाई
11	जम्मू और कश्मीर						सूचित नहीं
12	झारखण्ड						सूचित नहीं
13	कर्नाटक	2016	138	शून्य	2	317.78	अक्तूबर
14	केरल	23490	32	21	3	20.477	अक्तूबर
15	मध्य प्रदेश						सूचित नहीं
16	महाराष्ट्र	1700	2581	1366	शून्य	1120.92	अक्तूबर
17	मणिपुर	9	5	5	5	0.47	अक्तूबर
18	मेघालय	49	5	2	3	0.2965	जुलाई
19	मिजोरम	84	शून्य	शून्य	शून्य	11.62	सितम्बर
20	नागालैण्ड	2	26	शून्य	शून्य	0.39	सितम्बर
21	उड़ीसा	56341	6	239	शून्य	5.27	सितम्बर

1	2	3	4	5	6	7	8
22	पंजाब	169	19	12	8	1.27	नवम्बर
23	राजस्थान						सूचित नहीं
24	सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	नवम्बर
25	तमिलनाडु	18894	6995	1257	43	708.69	दिसम्बर
26	त्रिपुरा	245	7	7	शून्य	7.07	अक्तूबर
27	उत्तरांचल						सूचित नहीं
28	उत्तर प्रदेश	29723	558	1211	शून्य	6262.85	सितम्बर
29	पश्चिम बंगाल	214	99	20	शून्य	281.36	नवम्बर
30	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	193	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	सितम्बर
31	चंडीगढ़	10	9	शून्य	शून्य	9.16	अक्तूबर
32	दादरा और नगर हवेली	1	1	शून्य	शून्य	35	दिसम्बर
33	दमण और दीव	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	जुलाई-छ
34	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	दिसम्बर-ज
35	पांडिचेरी	580	20	32	39	3.67	सितम्बर
	योग	187049	10754	4329	148	10455.1	

क - सितम्बर, 2010 को छोड़कर
ख - फरवरी, अप्रैल, मई, 2010 को छोड़कर
ग - मार्च और अगस्त, 2010 को छोड़कर
घ - जन., फर., जून और जुलाई 2010 को छोड़कर
ङ - नवम्बर, 2010 को छोड़कर
च - जुलाई 2010 की प्राप्ति के अनुसार
छ - केवल जुलाई 2010
ज - जुलाई, सितम्बर, अक्तूबर, नवम्बर 2010 को छोड़कर

डेयरी सहकारिताएं

***16. श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी :**
श्री राधे मोहन सिंह :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में डेयरी सहकारिताओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान कार्यरत/आर्थिक दृष्टि से रुग्ण/बंद हुई सहकारिताओं की राज्यवार कुल संख्या क्या है;

(ग) क्या सरकार ने बंद पड़ी डेयरी सहकारिताओं को पुन: चालू करने तथा आर्थिक दृष्टि से रुग्ण बताई गई इन सहकारी संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान उठाए गए इन कदमों तथा प्रदान की गई सहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है और बंद पड़ी/आर्थिक दृष्टि से रुग्ण हुई कितनी सहकारिताएं लाभान्वित हुई हैं?

कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) डेयरी सहकारिताओं को संबंधित राज्य सहकारिता समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत किया जाता है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) उन डेयरी सहकारिता संघों/परिसंघों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है जिन्हें राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा तकनीकी/वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। ऐसे डेयरी सहकारिता संघों/परिसंघों जिनके लिए एनडीडीबी के पास उपलब्ध गैर कार्यात्मक डेयरी सहकारिता संघों/परिसंघों की सूची के साथ-साथ वार्षिक लेखा प्राप्त किए गए हैं, की वर्तमान स्थिति को संलग्न विवरण-I में दर्शाया गया है।

(ग) और (घ) भारत सरकार की रुग्ण डेयरी संघों/राज्य दुग्ध परिसंघों को पुनर्जीवित करने के लिए "सहकारिताओं को सहायता" नामक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना के तहत चालू वर्ष तथा विगत तीन वर्षों के दौरान रुग्ण डेयरी सहकारिताओं को पुनर्जीवित करने के लिए दी गई राज्यवार वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दर्शाया गया है।

विवरण-I

उन डेयरी सहकारिता संघों/परिसंघों (डीसीयू/एफ) की स्थिति जिनके लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को द्वारा विगत तीन वर्षों के संबंध में वार्षिक लेखे प्राप्त हो गए हैं।

(संख्या)

राज्य	2006-07		2007-08		2008-09	
	संचित निवल लाभ के साथ डीसीयू/एफ	संचित निवल हानि के साथ डीसीयू/एफ	संचित निवल लाभ के साथ डीसीयू/एफ	संचित निवल हानि के साथ डीसीयू/एफ	संचित निवल लाभ के साथ डीसीयू/एफ	संचित निवल हानि के साथ डीसीयू/एफ
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	4	3	4	3	4	4
असम	0	1	0	1	0	1
छत्तीसगढ़	0	1	0	1	0	1
गोवा	1	0	1	0	1	0
गुजरात	14	0	14	0	14	0
हरियाणा	1	6	2	5	2	5
हिमाचल प्रदेश	उ.न.	उ.न.	0	1	0	1
कर्नाटक	10	4	10	4	10	3
केरल	2	2	1	3	2	2
मध्य प्रदेश	2	4	2	4	2	4
महाराष्ट्र	12	10	12	13	12	13
नागालैंड	उ.न.	उ.न.	1	0	1	0
पंजाब	4	8	4	8	4	8
राजस्थान	7	10	6	10	6	8
सिक्किम	उ.न.	उ.न.	0	1	0	1

1	2	3	4	5	6	7
तमिलनाडु	0	11	0	14	0	15
उत्तर प्रदेश	3	29	3	28	3	27
उड़ीसा	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	2	0
प. बंगाल	5	2	5	2	5	2
बिहार	4	2	3	3	5	1
कुल	69	93	68	101	73	96
	162		169		169	

उ.न. उपलब्ध नहीं

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के पास उपलब्ध गैर कार्यात्मक डेयरी सहकारिता संघों/परिसंघों की सूची

क्रम सं.	राज्य	डेयरी सहकारिता का नाम
1	2	3
1	आंध्र प्रदेश	कुड्डपा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारिता
2	मध्य प्रदेश	सागर जिला सहकारिता दुग्ध उत्पादक संघ लि.
3	महाराष्ट्र	यवतमाल जिला सहकारिता दुग्ध उत्पादक संघ लि.
4	उत्तर प्रदेश	मिर्जापुर जिला सहकारिता दुग्ध उत्पादक संघ लि.
5	पश्चिम बंगाल	गौड (मालदा) जिला सहकारिता दुग्ध उत्पादक संघ लि.
6	संघ शासित क्षेत्र	दक्षिणी अंडमान जिला सहकारिता दुग्ध उत्पादक संघ लि.
7	जम्मू एवं कश्मीर	जम्मू दुग्ध उत्पादक सहकारिता संघ लि.
8	जम्मू एवं कश्मीर	कश्मीर दुग्ध उत्पादक सहकारिता संघ लि.

विवरण-II

सहकारिताओं को सहायता नामक योजना के तहत विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान रुग्ण डेयरी सहकारिता संघों/परिसंघों (डीसीयू/एफ) के पुनर्वास के लिए प्रदान की गई राज्यवार वित्तीय सहायता को दर्शाने वाला विवरण।

क्रम सं.	राज्य का नाम	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11 (17.02.2011 तक)	
		डीसीयू/एफ की संख्या	जारी राशि (लाख रुपए में)	डीसीयू/एफ की संख्या	जारी राशि (लाख रुपए में)	डीसीयू/एफ की संख्या	जारी राशि (लाख रुपए में)	डीसीयू/एफ की संख्या	जारी राशि (लाख रुपए में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	मध्य प्रदेश	-	0.00	1	250.00	-	0.00	-	0.00
2	उत्तर प्रदेश	2	188.57	1	75.00	2	89.09	2	102.86
3	हरियाणा	1	94.51	2	89.00	1	65.49	-	0.00
4	महाराष्ट्र	-	0.00	1	5.00	1	5.00	-	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	पश्चिम बंगाल	1	46.92	-	0.00	-	0.00	-	0.00
6	असम	-	0.00	1	45.00	1	320.00	-	0.00
7	पंजाब	-	0.00	3	336.00	4	604.93	4	619.14
8	तमिलनाडु	1	175.00	1	100.00	1	35.49	-	0.00
	कुल	5	505.00	10	900.00	10	1120.00	6	722.00

[अनुवाद]

नक्सलवादी/माओवादी प्रभाव का फैसला

***17. श्री बिभू प्रसाद तराई :**

श्रीमती रमा देवी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नक्सलवाद/माओवाद के प्रभाव में वृद्धि, इसके नए क्षेत्रों में फैलने एवं छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों में इनके द्वारा एक कोरीडोर स्थापित किए जाने के प्रयासों पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने इस समय सक्रिय हथियारबंद नक्सलियों/माओवादियों की संख्या का आकलन किया है और ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए कदम उठा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) नक्सली खतरों से निपटने के लिए उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों तथा नक्सल विरोधी कार्रवाई में मिली सफलता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरुदास कामत) : (क) और (ख) सी पी आई (माओवाद) ने वर्ष 2010 के दौरान छत्तीसगढ़ और बिहार से लगी आंध्र प्रदेश - उड़ीसा सीमा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में स्थित अपने वर्तमान गढ़ों को जोड़ने और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों के नए क्षेत्रों में फैलने के प्रयास किए।

(ग) और (घ) वर्ष 2010 में माओवादियों के सशस्त्र संवर्ग की अनुमानित संख्या 8680 थी। राज्य सरकारें, अपने-अपने राज्यों में नक्सल समस्या के संबंधित विभिन्न मुद्दों से निपटती है। केन्द्र सरकार, विकास और सुरक्षा, दोनों क्षेत्रों में कई तरीकों से राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करती है। वर्ष 2010 के दौरान विभिन्न राज्यों में चलाए गए नक्सल-रोधी अभियानों के दौरान 172 नक्सली मारे गए, 2916 नक्सली गिरफ्तार किए गए और 266 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। मारे गए नक्सलियों, गिरफ्तार किए गए नक्सलियों और जिन नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया उनका राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों के विभिन्न जिलों में विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं के तहत त्वरित विकास किए जाने के अतिरिक्त राज्य पुलिस और अर्द्ध-सैनिक बलों को सुदृढ़ और आधुनिक बनाने, अवसंरचना और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।

विवरण

वर्ष 2010 में नक्सल-रोधी अभियान

क्रम सं.	राज्य	मारे गए नक्सली	गिरफ्तार किए गए नक्सली	जिन नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया
1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	13	289	141
2	बिहार	5	364	13
3	छत्तीसगढ़	83	902	6
4	झारखंड	15	359	23
5	मध्य प्रदेश	0	0	2

1	2	3	4	5
6	महाराष्ट्र	3	76	22
7	उड़ीसा	10	247	48
8	उत्तर प्रदेश	0	77	1
9	पश्चिम बंगाल	42	536	6
10	अन्य	1	66	4
	कुल	172	2916	266

खाद्य प्रसंस्करण केन्द्र

*18. **श्री पी. कुमार :**

डा. पी. वेणुगोपाल :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में नए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों/केन्द्रों और खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों/केंद्रों तथा खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना हेतु प्रत्येक राज्य को दी गई वित्तीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा उद्यमिता विकसित करने और खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण हेतु प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए और अधिक खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना करने हेतु क्या क़दम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय देश में अपने स्तर पर कोई खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों/केंद्रों और खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना नहीं करता है। परन्तु यह मंत्रालय एक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण स्कीम कार्यान्वित कर रहा है जिसके माध्यम से उद्यमियों को देश में यूनिटें स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

यह मंत्रालय देश में खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केंद्रों (एफपीटीसी) की स्थापना के लिए केंद्र अथवा राज्य सरकार के संगठनों, शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण संस्थानों, स्कूलों और महाविद्यालयों, आईटीआईज, एनजीओज, सहकारिताओं को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। स्कीम का उद्देश्य ग्रामीण उद्यमशीलता का विकास और स्थानीय तौर पर उत्पादित की गई कच्ची सामग्री का उपयोग करके खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण हेतु प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण और ऐसे उत्पादन-सह-प्रशिक्षण केंद्रों पर "हैंडस-ऑन प्रशिक्षण" देना है।

(ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण स्कीम के अंतर्गत देश में नई खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना तथा मौजूदा यूनिटों के प्रौद्योगिकीय उन्नयन व विस्तार हेतु संयंत्र एवं मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत की सामान्य क्षेत्रों में 25% की दर से परन्तु अधिकतम 50.00 लाख रुपए और दुर्गम क्षेत्रों जैसे जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप एवं आईटीडीपी क्षेत्रों में 33.33% की दर से परन्तु अधिकतम 75.00 लाख रुपए की सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना के लिए मंत्रालय एकल उत्पाद लाइन केंद्र के लिए 6.00 लाख रुपए अर्थात् 4.00 लाख रुपए अचल पूंजी लागतों और 2.00 लाख रुपए चल बीज पूंजी हेतु और बहु-लाइन उत्पाद केंद्र की स्थापना के लिए 15.00 लाख रुपए अर्थात् 11.00 लाख रुपए अचल पूंजी लागतों और 4.00 लाख रुपए चल बीज पूंजी के लिए वित्तीय प्रदान करता है।

(ग) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना के लिए मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में और खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केंद्रो का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) मंत्रालय देश में खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना के लिए आवेदन-पत्र मंगाने हेतु जागरूकता कार्यक्रम चलाने, कार्यशालाएं आयोजित करने, सेमिनार आयोजित करने, प्रिंट मीडिया में विज्ञापन देने जैसे विभिन्न कदम उठा रहा है।

विवरण-I

11वीं योजना के दौरान सहायता प्राप्त खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का राज्य-वार ब्यौरा*

(लाख रुपये)

क्रम सं.	राज्य का नाम	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11 (22.11.2010 तक)	
		अनुमोदित	जारी की गई राशि	अनुमोदित	जारी की गई राशि	अनुमोदित	जारी की गई राशि	अनुमोदित	जारी की गई राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	43	947.49	48	908.999	41	677.05	27	288.915
2.	अंडमान एवं निकोबार	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	1	17.67	3	376.14	0	0
4.	असम	12	442.17	•	176.79	22	418.74	11	247.54
5.	बिहार	5	83.915	2	42.3	2	35.59	6	102.11
6.	चंडीगढ़	6	138.08	0	0	0	0	0	0
7.	छत्तीसगढ़	0	0	10	163.725	4	45.46	26	228.495
8.	दिल्ली	0	0	7	160.65	2	50	1	16.3
9.	गोवा	1	17.00	1	24.57	1	24.26	2	40.6
10.	गुजरात	32	544.06	39	714.81	42	665.18	54	1092.716
11.	हरियाणा	19	418.72	23	349.415	11	134.96	11	255.78
12.	हिमाचल प्रदेश	12	325.09	5	152.745	10	269.58	7	175.34
13.	जम्मू एवं कश्मीर	9	109.855	3	22.05	7	59.73	4	48.59
14.	झारखंड	2	9.09	0	0	3	44.09	4	84.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	कर्नाटक	34	529.62	35	629.895	24	269.55	20	435.74
16.	केरल	47	876.8	32	545.37	33	567.53	16	241.69
17.	मध्य प्रदेश	10	172.32	14	201.87	18	273.03	14	207.185
18.	महाराष्ट्र	95	1696.805	121	1802.633	113	1717.3	61	902.965
19.	मणिपुर	3	61.74	3	45.51	6	163.75	0	0
20.	मेघालय	1	8.19	2	159.57	2	123.02	2	66.62
21.	मिजोरम	0	0	0	0	1	11	0	0
22.	नागालैंड	1	27.485	4	178.205	1	64.99	0	0
23.	उड़ीसा	6	129.41	2	38.68	6	84.4	10	213.28
24.	पाण्डिचेरी	2	31.3	0	0	0	0	0	0
25.	पंजाब	32	481.45	61	841.36	13	172.37	16	271.49
26.	राजस्थान	35	566.075	44	551.975	27	325.46	48	643.939
27.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	तमिलनाडु	53	951.79	36	594.355	41	672.11	26	405.94
29.	त्रिपुरा	2	39.98	1	13.86	0	0	0	0
30.	उत्तर प्रदेश•	63	1123.425	43	875.475	32	560.63	46	894.33
31.	उत्तराखंड	9	339.78	6	163.15	12	307.57	9	191.3
32.	पश्चिम बंगाल	35	653.56	19	390.135	10	136.48	8	155.76
	कुल	569	10725.2	579	9765.767	487	8249.97	429	7210.625

• आंकड़े समन्वय बैंक अर्थात् एचडीएफसी बैंक के समन्वयाधीन हैं।

विवरण-II

11वीं योजना के दौरान सहायता प्राप्त खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केंद्रों का राज्य-वार ब्यौरा

(लाख रुपये)

क्रम सं.	राज्य का नाम	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11 (14.02.2011 तक)		कुल	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	आंध्र प्रदेश	04	13.50	01	2.47	07	33.07	2	7.59	14	56.63
3.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	असम	-	-	-	-	02	8.00	1	4.00	03	12
5.	बिहार	-	-	01	2.00	-	1.13	1	3.99	2	7.12
6.	दिल्ली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	गुजरात	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	हरियाणा	01	1.99	01	1.46	05	19.90	3	13.49	10	36.84
9.	हिमाचल प्रदेश	02	9.30	-	-	-	-	1	4.00	03	13.30
10	जम्मू एवं कश्मीर	-	-	01	4.00	-	-	-	-	01	4.00
11.	कर्नाटक	01	7.20	-	-	04	15.60	2	8.00	07	30.80
12.	झारखंड	01	1.60	-	-	-	0.85	-	-	01	2.45
13.	केरल	01	7.00	-	-	-	-	-	-	01	7.00
14.	महाराष्ट्र	04	10.00	01	4.00	04	20.66	3	11.50	12	46.16
15.	मध्य प्रदेश	13	25.61	10	20.00	02	5.00	4	17.00	29	67.61

1	2	3	4	5	6.	7	8	9	10	11	12
16.	मणिपुर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17.	मिजोरम	01	7.50	–	–	–	–	–	–	01	7.50
18.	मेघालय	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19.	नागालैंड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20.	उड़ीसा	01	2.00	–	–	05	19.12	4	19.75	10	40.87
21.	पंजाब	01	1.62	–	–	–	–	–	–	01	1.62
22.	पुदुच्चेरी	–	–	–	–	01	11.00	–	–	01	11.00
23.	राजस्थान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24.	तमिलनाडु	02	3.69	–	3.00	–	–	–	–	02	6.69
25.	त्रिपुरा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26.	उत्तर प्रदेश	07	24.76	02	6.08	–	1.00	–	0.87	09	32.71
27.	पश्चिम बंगाल	02	4.00	01	2.90	02	12.00	1	6.00	06	24.90
28.	उत्तराखंड	–	–	01	3.90	–	–	1	4.00	02	7.90
29.	छत्तीसगढ़	–	–	–	–	–	–	3	12.00	3	12.00
	कुल	41	119.77	19	49.81	32	147.33	26	112.19	118	429.1

भगदड़ के मामले

*19. **श्री एस.एस. रामासुब्बू :**

श्री चंद्रकांत खैरे :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पूजा स्थलों और तीर्थ स्थानों पर भगदड़ होने की अनेक घटनाओं का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान केरल सहित राज्य-वार एवं लिंग-वार कुल कितने व्यक्ति मारे गए/घायल हुए;

(ग) क्या सरकार ने पीड़ितों के परिवारों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने तथा तीर्थयात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को भीड़ प्रबंधन तथा बचाव प्रक्रियाओं संबंधी जारी किए गए निदेशों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरुदास कामत) : (क) और (ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, वर्ष 2008-2011 के दौरान हुई भगदड़ की प्रमुख घटनाओं के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :-

स्थान	तारीख	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	व्यक्तियों की संख्या	
			मारे गए	घायल हुए
कनकदुर्ग मंदिर, विजयवाड़ा	03.01.2008	आंध्र प्रदेश	06	-
माता जानकी मंदिर, करीला	26.03.2008	मध्य प्रदेश	08	11
जगन्नाथ मंदिर, पुरी	04.07.2008	उड़ीसा	06	03
नैनादेवी मंदिर, बिलासपुर	03.08.2008	हिमाचल प्रदेश	147	150
चामुण्डा देवी मंदिर, जोधपुर	30.09.2008	राजस्थान	215	100
लेव्वा पटेल सांस्कृतिक भवन, राजकोट	20.12.2009	गुजरात	09	50
जेट्टीघाट, काकद्वीप, साउथ 24 परगना	14.01.2010	पश्चिम बंगाल	07	16
प्रतापगढ़	04.03.2010	उत्तर प्रदेश	63	28
हरिद्वार, कुम्भ	14.04.2010	उत्तराखंड	05	14
जगन्नाथ मंदिर	13.07.2010	उड़ीसा	01	02
पुल्लुमेदू इदुक्की जिला	14.01.2011	केरल	102	71

*हर एक मामले में महिला-पुरूष वार आंकड़े केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

(ग) और (घ) चूंकि, ऐसे अवसरों पर प्रबंध तथा कानून एवं व्यवस्था का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का होता हैं, अत: ऐसी घटनाओं में प्रभावित लोगों/परिवारों को चिकित्सा सहायता और अन्य आवश्यक राहत उपलब्ध कराना राज्य सरकार का कार्य है। राज्य सरकारों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई के अलावा प्रधानमंत्री राहत कोष से समय-समय पर मृतकों के सगे-संबंधियों और घायलों को अनुग्रह अनुदान का भी भुगतान किया गया है। केरल, जहां अभी हाल ही में दिनांक 14.01.2011 को भगदड़ मच गई थी, के मामले में राज्य सरकार द्वारा पीड़ितों के परिवारों को 2.5 लाख रुपए और सबरीमाला मंदिर के अभिरक्षकों द्वारा 2.5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतक के सगे-संबंधियों को 1.00 लाख रुपए और घटना में घायल

हुए लोगों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राहत भी स्वीकृत की गई है।

(ङ) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिनांक 01.10.2008 को विस्तृत सलाह जारी की गई थी जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इस प्रकार की भीड़-भाड़ को संभालने की आवश्यकता के प्रति जागरूक रहने और किसी विशेष समय में मंदिर/श्राइन का दर्शन करने के लिए प्रबंध करने योग्य संख्या में लोगों को आने की अनुमति देने, प्रत्येक प्रवेश/निकास स्थानों पर समुचित आवागमन नियंत्रण प्रक्रिया/प्रणाली, ध्वनि सेचतक प्रणाली लगाने, लोगों को वहां से बाहर निकालकर लाने की प्रक्रिया आदि में स्टाफ को नियमित रूप से प्रशिक्षण देने, भविष्य में भगदड़ की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने जैसे उपायों का सुझाव दिया गया है। इसके अलावा, सुरक्षा एजेंसियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर, समय-समय पर सलाहें जारी की जा रही हैं। ऐसी अंतिम सलाह दिनांक 01.07.2010 को उड़ीसा सरकार को रथ-यात्रा के अवसर पर किसी भगदड़ की संभावना को टालने के लिए यथोचित उपाय करने के लिए जारी की गई थी।

[हिन्दी]

राष्ट्रमंडल खेल के प्रसारण में अनियमितताएं

***20. श्री धर्मेन्द्र यादव :**

श्री आनंदराव अडसुल :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा उन्नीसवें राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के प्रसारण से संबंधित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के कथित मामलों की जांच करने के लिए गठित उच्चस्तरीय जांच दल ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उन पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई/की जा रही है;

(घ) क्या सरकार ने उक्त खेलों के दौरान बरती गई अनियमितताओं में कथित संलिप्तता के कारण विदेशी फर्मों सहित कुछ फर्मों का भुगतान रोकने के निवेश दिए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसी फर्मों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा उन्हें कुल कितनी धनराशि का भुगतान किया जाना है और यह भुगतान कब तक किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) जी, हां।

(ख) मेजबान प्रसारण पर एचएलसी की प्रथम रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष विवरण के रूप में संलग्न हैं। एचएलसी की रिपोर्ट www.india.gov.in नामक वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

(ग) से (ङ) मंत्रालय ने रिपोर्ट की जांच कर ली है और अपनी टिप्पणियां मंत्रिमंडल सचिवालय को अग्रेषित कर दी हैं। इस संबंध में सरकार द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं :

(i) महानिदेशक, दूरदर्शन को दिनांक 19.02.2011 को उनके कार्यकाल की समाप्ति पर उनके मूल कैडर में प्रत्यावर्तित कर दिया है।

(ii) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को प्रसार भारती के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं महानिदेशक, दूरदर्शन से उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों पर दो सप्ताह के भीतर स्पष्टीकरण मांगने और उपयुक्त कार्रवाई की अनुशंसा करने के निदेश दिए गए हैं।

(iii) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को प्रसार भारती के साथ संयुक्त रूप से मैसर्स सिस लाइव द्वारा किए गए दावों की समीक्षा करने और उनके अपने वित्तीय सलाहकारों के परामर्श से इस बात को सुनिश्चित करने के निदेश दिए गए हैं कि अधिक भुगतान नहीं किया गया है। किए गए किसी भी प्रकार के अधिक भुगतान के मामले में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को यथोचित विधिक सलाह प्राप्त करने के पश्चात वसूली हेतु उपयुक्त कार्रवाई करने के निदेश दिए गए हैं और

(iv) साथ ही सरकार और प्रसार भारती के बीच संबंधों से संबंधित मामले और मुख्य कार्यकारी अधिकारी व प्रसार भारती बोर्ड के बीच संबंधों से संबंधित मुद्दे तथा अभिशासन संरचना एवं ऐसे मामलों के संबंध में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा स्थापित पर्यवेक्षण तंत्र से भी संबंधित मुद्दों को प्रसार भारती से संबंधित मौजूदा मंत्री-समूह, जिसे अपना कार्य तेजी से निष्पादित करने के निदेश दिए जा रहे हैं, के विचारार्थ भेजने के भी निदेश दिए गए हैं ताकि आवश्यक सुधारात्मक प्रशासनिक एवं विधायी उपाय यथाशीघ्र किए जा सकें।

(v) इस रिपोर्ट की एक प्रति आगे की यथोचित कार्रवाई हेतु कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के माध्यम से केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को भेज दी गई है।

विवरण

मेजबान प्रसारण पर एचएलसी की प्रथम रिपोर्ट

अध्याय 5: प्रमुख निष्कर्ष

5.1 अभिशासन संरचना

5.1.1 सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा स्थापित अभिशासन संरचना अधिदेशित कार्य को करने में सफल सिद्ध नहीं हुई। यद्यपि, इसने मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रसार भारती की अध्यक्षता में गठित मेजबान प्रसारण निगरानी समिति (एचबीएमसी) को सिफारिशें करने और पर्यवेक्षण समिति से अनुमोदन प्राप्त करने में सक्षम बनाया, तथापि, सूचना एवं प्रसारण मंत्री की अध्यक्षता में गठित उक्त समिति पूर्वोक्त समिति द्वारा प्राधिकार के दुरुपयोग को रोकने अथवा यहां तक कि यथोचित प्रक्रिया का अनुपालन कराए जाने में अक्षम रही।

5.1.2 चूंकि प्रसार भारती राष्ट्रमंडल खेल, दिल्ली, 2010 के लिए मेजबान प्रसारक था, तथापि इस दायित्व के निर्वहन में प्रगति का मुद्दा सचिवों की समिति (सीओएस) और मंत्री-समूह (जीओएम) के लिए चिंता का विषय बन गया। प्रसार भारती के अंदर व्याप्त कलह पर चर्चा की गई और समस्याओं का हल निकालने और निर्णय लेने में तेजी लाने में अक्षमता पर ध्यान दिया गया। दरअसल, 20 अक्तूबर, 2009 को शहरी विकास मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित पुनर्गठित मंत्री-समूह की चौथी बैठक में सचिव, सूचना एवं प्रसारण ने मंत्री-समूह को सूचित किया था कि "राष्ट्रमंडल खेल, दिल्ली, 2010 के निर्माण एवं कवरेज के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति किए जाने के मामले में प्रसार-भारती की मेजबान प्रसारण प्रबंधन समिति द्वारा सरकार को प्रस्तुत की गई सिफारिशों में सर्वसम्मति नहीं थी। उन्होंने बताया कि कार्यवृत्त/सिफारिशों के दो सेट प्राप्त हुए थे जिसके फलस्वरूप मंत्रालय द्वारा इस मामले में निर्णय ले पाना संभव नहीं था।"

5.1.3 जून, 2009 में अपने पुनर्गठन के पश्चात मंत्री-समूह ने 5 मार्च, 2010 तक 17 बैठकें की, उक्त तारीख को प्रसार भारती ने सिस लाइव के साथ अंतिम रूप से करार किया था। इन बैठकों में प्रसार भारती कार्यसूची का एक भाग था लेकिन कोई खास परिणम नहीं निकले। यद्यपि, सचिवों की समिति ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रसार भारती को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कहा लेकिन वह सिस लाइव को संविदा देने के अपने इरादे में अडिग रहे और तत्पश्चात उसके कार्य को जूम कम्यूनिकेशन्स को सौंप दिया। जब 5 मार्च, 2010 को ये उद्देश्य प्राप्त कर लिए गए तब यह विषय मंत्री-समूह की कार्यसूची से हट गया।

5.1.4 प्रसार भारती का कार्य संचालन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सदस्य कार्मिक और सदस्य वित्त के शासकत्रय को सौंप दिया गया है। व्यवहार में इसका भी वही हश्र हुआ अर्थात् विलंब, दुष्क्रियात्मकता और चारों तरफ अविश्वास की भावना व्याप्त थी। किए गए अनेक नियंत्रणोपाय मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्राधिकार के दुरुपयोग को रोकने में असमर्थ रहे तथा प्रसार भारती बोर्ड और सरकार इस भ्रष्टाचारी घटना में नि:सहाय दर्शक बने रहे।

5.2 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रसार भारती और महानिदेशक (दूरदर्शन) की भूमिका

5.2.1 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रसार भारती और महानिदेशक (दूरदर्शन) इन संस्थाओं में अन्य लोगों के साथ सांठ-गांठ करके निम्नलिखित बातों को अंजाम देने में सफल रहे -

- प्रतिस्पर्धा को हतोत्साहित करने के लिए निविदा प्रक्रिया में प्रतिबंधात्मक एवं अनम्य शर्तें अधिरोपित करना।
- न्यायोचित निर्णय निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण सूचना को गलत तरीके से प्रस्तुत करना और उसे दबाना।
- रुचि अभिव्यक्ति (ईओआई), प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) आदि के सम्मुख स्थापित परिपाटियों की अवमानना करना जिसके फलस्वरूप अपनाई गई चयन प्रक्रिया का सिस लाइव को अनुचित लाभ प्राप्त हुआ।
- सिस लाइव को संविदा सौंपने के बाद के लाभ व रियायतें प्रदान करना - चयनित सेवा प्रदाता का खेलों के निर्माण एवं कवरेज के लिए चयन किया गया।
- सिस लाइव द्वारा जूम कम्युनिकेशन्स नामक एक अपात्र कंपनी को 'अवैधानिक' संविदा अभ्यर्पण के बारे में अनभिज्ञता जाहिर करना जबकि दोनों संविदाओं पर 5 मार्च, 2010 को 'बैक-टु-बैक' हस्ताक्षर किए गए थे और सिस लाइव ने 8 मार्च, 2010 को जारी प्रेस रिलीज में इस आशय की घोषणा की थी।

5.2.2 प्रसार भारती ने मेजबान प्रसारण संचालनों को समग्र रूप से आउटसोर्स करके आयोजना, कार्य-विधि प्रणाली एवं प्रबंधन में कोई भूमिका ग्रहण नहीं की और निम्नलिखित बातों की उपेक्षा की :-

- उपस्करों की पूर्ति में परिमाणात्मक एवं गुणअत्तात्मक विचलन तथा

- महत्वपूर्ण कार्मिकों, अन्य स्टाफ सदस्यों और वितरण योग्य अन्य सामग्री की पूर्ति न करने जैसे संविदा के उल्लंघन के मामले।

5.2.3 प्रसार भारती ने अपने पूर्व-विचारित उद्देश्य को संपन्न कार्य के रूप में प्राप्त करने के निर्णयों में जानबूझ कर विलंब किया।

5.2.4 इस कार्य/निष्क्रियता से इस बात के पूरे संकेत मिलते हैं कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रसार भारती और महानिदेशक, दूरदर्शन तथा सेवा प्रदाताओं सिस लाइव/जूम कम्युनिकेशन्स के बीच सांठ-गांठ थी।

मलिन बस्ती में मूलभूत सुविधाएं

1. **श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे :**
श्री पी.सी. मोहन :

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मलिन बस्तियों एवं नगरों में रहने वाले बड़ी संख्या में लोग मूलभूत सुविधाओं की गंभीर कमी से जूझ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा मलिन बस्ती क्षेत्रों लोगों में मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई;

(ग) सरकार द्वारा चलाई जा रही वाल्मीकि/अंबेडकर आवास योजनाओं के अंतर्गत आगामी पांच वर्षों के दौरान राज्य-वार अनुमानित कितनी मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को आवास इकाइयां प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) वर्ष-वार कितने आवासों का निर्माण किए जाने की संभावना है तथा राज्य-वार इनके कब तक पूरा किए जाने की संभावना है; और

(ङ) मलिन बस्तियों में वृद्धि को रोकने के लिए तथा शहरी मलिन बस्तियों में पर्यावरणीय सुधार हेतु क्या कदम उठाए गए?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) और (ख) जी, हां। स्लमों और शहरों में रहने वालों की बड़ी संख्या बुनियादी सुविधाओं के अत्यधिक अभाव का सामना कर रही है। मुख्य समस्याएं किफायती कीमतों पर मालिकाना हक की सुरक्षा किफायती आवास, जलापूर्ति, सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा संबंधी मुद्दे हैं। सरकार ने शहरी गरीबों को बुनियादी सेवा कार्यक्रम के तहत देश के 65 चयनित शहरों में शहरी गरीबों के लिए आवास एवं बुनियादी सुविधाओं हेतु शहरों एवं कस्बों को सहायता मुहैया कराने के लिए दिसम्बर, 2005 में जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन आरंभ किया। अन्य शहरों/कस्बों हेतु आवास एवं स्लम उन्नयन कार्यक्रमों के लिए एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) आरंभ किया गया है। इसका उद्देश्य गरीबों सहित स्लमवासियों को पर्याप्त आश्रय एवं बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराकर स्वास्थ्यकर और अनुकूल वातावरण द्वारा विकास करना है। जे एन एन यू आर एम की अवधि वर्ष 2005-06 से आरंभ होकर 07 वर्ष की है। बीएसयूपी और आई एच एस डी पी के अंतर्गत शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाएं मुहैया कराने हेतु जेएनएनयूआरएम के तहत स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नलिखित हैं :-

स्कीम	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	अनुमोदित कुल परियोजना लागत	अनुमोदित कुल केन्द्रीय अंश	स्वीकृत रिहायशी इकाइयों की कुल संख्या
बीएसयूपी	479	27813.58	14027.18	1036819
आईएचएसडीपी	977	9957.72	6760.72	523283
कुल	1456	37771.30	20787.90	1560102

(ग) से (ङ) बाल्मीकि-अम्बेडकर आवास योजना (वाम्बे), जेएनएनयूआरएम के तहत एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) में मिला दी गई है। बीएसयूपी और आईएचएसडीपी के तहत अब तक स्वीकृत रिहायशी इकाइयों का राज्य/संघ राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। अनुमान है कि जेएनएनयूआरएम के परिणामस्वरूप, स्लमवासियों/शहरी गरीबों के लिए 1.5 मिलियन मकानों का निर्माण होगा।

इनमें, स्लम एवं पर्यावरणीय सुधारों संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए सरकार ने राजीव आवास योजना (आर ए वाई) नामक एक नई स्कीम की घोषणा की है जिसका उद्देश्य उन राज्यों को सहायता प्रदान करना है जो स्लम-वासियों को सम्पत्ति का अधिकार देने के इच्छुक हैं। राजीव आवास योजना का प्रारंभिक चरण जिसे स्लम मुक्त शहरी आयोजना स्कीम का नाम दिया गया है, स्लम सर्वेक्षण, स्लमों की जी आई एस मैपिंग और स्लम-मुक्त शहर और राज्य योजनाएं तैयार करने जैसे कार्यकलापों में सहायता मुहैया करने के लिए पिछले वित्त वर्ष में आरंभ की गई है।

विवरण

जेएनएनयूआरएम-शहरी गरीबों हेतु बुनियादी सेवाएं (बी एस यू पी) (उप-मिशन-II)

कुल अनुमोदित परियोजना

दिनांक 15.11.2010 की स्थिति के अनुसार

(करोड़ रु. में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य का नाम	मिशन शहर	अनुमोदित परियोजनाएं	कुल अनुमोदित परियोजना लागत	अनुमोदित रिहायशी यूनिटों की कुल संख्या (नए+उन्नयन)	अनुमोदित कुल केन्द्रीय अंश	अनुमोदित कुल राज्य अंश	स्वीकृत प्रथम किस्त (केन्द्रीय अंश का 25%)	स्वीकृत द्वितीय किस्त (केन्द्र अंश का 25%)	स्वीकृत तृतीय किस्त (केन्द्रीय अंश का 25%)	स्वीकृत चतुर्थ किस्त (केन्द्रीय अंश का 25%)	जारी कुल अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	आंध्र प्रदेश	3	36	3010.18	134694	1497.42	1512.77	374.35	337.91	227.68	66.86	874.86
2	असम	1	2	108.44	22.80	97.60	10.84	24.40	24.40	0.00	0.00	48.80
3	अरुणाचल प्रदेश	1	2	49.25	852	43.95	5.31	10.99	0.84	0.00	0.00	11.83
4	चंडीगढ़ (यूटी)	1	2	564.94	25728	396.13	168.81	99.03	99.03	75.03	0.00	198.06
5	छत्तीसगढ़	1	6	462.49	30000	364.99	97.50	91.25	78.05	0.00	0.00	169.29
6	बिहार	2	18	709.98	22372	312.76	397.23	78.19	0.00	0.00	0.00	78.19
7	दिल्ली	1	17	2783.78	73820	1229.28	1554.51	307.32	43.85	11.54	0.00	228.90
8	गुजरात	4	19	1709.94	106044	822.46	887.48	205.62	167.18	146.10	109.65	621.68
9	गोवा	1	1	10.22	155	4.60	5.62	1.15	0.00	0.00	0.00	1.15
10	हरियाणा	1	2	64.23	3248	31.18	33.05	7.79	7.79	7.79	7.79	31.18
11	हिमाचल प्रदेश	1	2	24.01	636	18.27	5.74	4.57	0.00	0.00	0.00	4.57
12	जम्मू और कश्मीर	2	5	162.39	6677	134.44	27.95	33.61	3.19	0.00	0.00	33.61
13	झारखण्ड	3	11	370.67	12226	251.59	119.08	62.90	0.00	0.00	0.00	62.90
14	कर्नाटक	2	18	747.18	28118	407.97	339.21	101.99	63.96	1.22	0.00	164.49
15	केरल	2	7	343.67	23577	233.56	110.11	58.39	50.60	16.38	0.00	125 37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	मध्य प्रदेश	4	22	704.65	41446	344.26	360.48	86.07	45.44	16.40	0.00	147.91
17	महाराष्ट्र	5	60	6817.86	182841	3234.10	3583.76	808.53	403.99	174.15	46.36	1409.68
18	मणिपुर	1	1	51.23	1250	43.91	7.32	10.98	0.00	0.00	0.00	10.98
19	मेघालय	1	3	51.74	768	40.35	11.39	10.09	5.94	5.94	0.00	16.03
20	मिजोरम	1	4	91.32	1096	80.11	11.21	20.03	7.23	0.00	0.00	27.26
21	नागालैंड	1	1	134.50	3504	105.60	28.90	26.40	26.40	26.40	0.00	79.20
22	उड़ीसा	2	6	74.62	2508	54.18	20.44	13.54	9.95	0.00	0.00	13.54
23	पंजाब	2	2	72.43	5152	36.15	36.28	9.04	9.04	8.32	0.00	26.39
24	पुडुचेरी	1	3	135.98	2964	83.20	52.78	20.80	1.06	1.06	0.00	21.86
25	राजस्थान	2	4	458.64	23151	257.30	201.34	64.33	21.14	0.00	0.00	85.47
26	सिक्किम	1	3	33.58	254	29.06	4.52	7.26	7.26	0.70	0.00	15.23
27	तमिलनाडु	3	51	2327.32	91318	1041.80	1286.53	260.45	147.39	83.42	25.93	494.42
28	त्रिपुरा	1	1	16.73	256	13.96	2.77	3.49	3.49	3.49	3.49	13.96
29	उत्तर प्रदेश	7	67	2342.51	67992	1144.24	1198.27	286.02	263.18	86.73	0.00	531.77
30	उत्तराखंड	3	12	86.03	1799	65.33	20.70	16.33	1.28	0.00	0.00	17.61
31	पश्चिम बंगाल	2	91	3293.05	140113	1607.42	1685.62	402.21	198.11	105.22	11.78	682.65
	कुल	63 शहर	479	27813.58	1036819	14027.18	13786.49	3507.11	2027.70	997.58	271.86	6248.82
	डीपीआर तैयारी शुल्क			20	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.59
	पीएमयू			118	0.00	0	79.76	0.00	0.00	0.00	0.00	5.12
	पीआईयू			15								16.82
	टीपीआईएमए											
	सीबीपी											2.01
	सकल योग	63 शहर	479	27813.58	1036819	14027.18	13786.49	3507.11	2027.70	997.58	271.86	6281.36

दिनांक 16.08.2010 की स्थिति के अनुसार

एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी)

कुल अनुमोदित परियोजना

दिनांक 15.11.2010 की स्थिति के अनुसार

(करोड़ रु. में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	नगरों/यूएलबी की संख्या	कुल अनुमोदित परियोजना की सं.	कुल अनुमोदित परियोजना लागत	अनुमोदित रिहायशी यूनिटों की कुल संख्या (नए+उन्नयन)	कुल केन्द्रीय अंश	कुल अनुमोदित राज्य अंश	प्रथम किस्त (अनुमोदित केन्द्रीय अंश का 50%)	अनुमोदित द्वितीय किस्त	कुल जारी एसीए
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	आंध्र प्रदेश	56	77	1139.10	47896	783.10	355.99	382.28	221.77	551.78
2	अरुणाचल प्रदेश	1	1	9.95	176	8.96	1.00	4.48	0.00	4.48
3	अंडमान एवं निकोबार	1	2	15.15	40	13.64	1.52	6.82	0.00	5.53
4	असम	16	16	84.99	8668	70.22	14.77	35.11	0.00	35.11
5	बिहार	19	20	275.22	12956	162.48	112.74	81.24	0.00	81.24
6	छत्तीसगढ़	17	18	225.60	17922	158.83	66.78	79.41	28.19	104.57
7	दादर एवं नगर हवेली	1	2	5.74	144	3.34	2.40	1.67	0.00	1.67
8	दमन एवं दीव	1	1	0.69	16	0.58	0.11	0.29	0.00	0.29
9	गुजरात	37	38	381.78	28424	243.20	121.06	124.76	0.00	119.35
10	हरियाणा	14	18	272.26	16426	209.70	62.57	104.85	0.00	104.85
11	हिमाचल प्रदेश	6	6	55.34	1616	37.07	18.26	18.54	0.00	18.54
12	जम्मू एवं कश्मीर	27	40	114.46	6670	87.97	21.64	41.22	4.42	41.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	झारखंड	10	10	217.93	11544	131.33	86.60	62.79	0.00	55.05
14	कर्नाटक	32	34	398.13	17237	222.56	175.57	111.28	40.04	136.45
15	केरल	45	53	273.32	26295	201.60	71.71	100.68	39.67	130.70
16	मध्य प्रदेश	41	44	319.26	20739	221.83	97.43	110.97	4.76	115.73
17	मिजोरम	6	8	39.27	1950	29.78	9.49	14.89	0.00	14.89
18	राजस्थान	51	56	776.37	40874	518.45	257.92	259.23	23.77	219.69
19	मेघालय	3	3	41.48	912	22.43	19.05	11.21	0.00	11.21
20	मणिपुर	6	6	43.38	2829	32.35	10.08	16.33	0.00	13.03
21	महाराष्ट्र	83	102	1803.93	90072	1228.48	575.44	575.97	34.48	600.15
22	नागालैंड	2	2	90.13	2761	44.74	43.60	22.67	7.25	29.92
23	उड़ीसा	29	32	284.67	13049	191.88	92.79	92.90	9.01	92.90
24	पंजाब	2	3	63.42	4658	33.77	29.64	16.89	0.00	16.89
25	पुडुचेरी	1	1	17.03	432	5.48	11.55	2.74	0.00	2.74
26	सिक्किम	1	1	19.91	39	17.92	1.99	8.96	0.00	8.96
27	तमिलनाडु	83	84	515.88	37585	372.10	127.13	183.89	137.26	281.99
26	त्रिपुरा	5	5	43.64	3115	38.05	5.59	19.03	15.52	22.19
29	उत्तर प्रदेश	135	153	1165.08	43035	751.74	413.34	375.84	67.89	366.82
30	उत्तराखंड	18	21	161.28	5032	90.57	70.71	45.28	0.00	45.28
31	पश्चिम बंगाल	81	120	1103.33	60171	826.59	276.25	413.37	163.46	498.79
	कुल	830	977	9957.72	523283	6760.72	3154.75	3325.59	797.49	3732.01

[अनुवाद]

छोटी जोतों के लिए प्रौद्योगिकी

2. **श्री रामसिंह राठवा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे तथा सीमांत किसान उनके द्वारा प्रबंधन की जाने वाली छोटे भूखंडों के लिए उचित सामान्य तथा निम्न लागत वाली प्रौद्योगिकियां के अभाव में विवश हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्तमान प्रौद्योगिकियां मंहगी तथा बड़े किसानों के बड़े भूखंडों के लिए ही उपयुक्त हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) छोटे तथा सीमांत किसानों को उपयुक्त प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव) : (क) साधारण व कम लागत वाली प्रौद्योगिकियां जो विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए उपयुक्त हैं, देश में पहले से ही उपलब्ध हैं।

(ख) वर्तमान में उपलब्ध प्रौद्योगिकियां बड़ी और छोटी भू-जोतों दोनों के लिए उपयोग की जाने हेतु उपयुक्त है।

(ग) और (घ) कृषि मंत्रालय केन्द्रीय क्षेत्रीय स्कीमों नामतः वृहत कृषि प्रबंधन (एमएमए), राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) का कार्यान्वियन कर रहा है जो वृद्धित उत्पादकता के लिए कृषि आदानों के प्रभावी उपयोग के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियों को शामिल करने के अलावा किसानों जिसमें छोटे और सीमांत किसान भी शामिल हैं को कम कीमत पर उपयुक्त कृषि यंत्र और उपस्कर उपलब्ध कराती हैं। इस प्रकार के औजारों और उपस्करों की सूची विवरण के रूप में संलग्न हैं।

विवरण

निम्नलिखित स्कीमों के तहत राजसहायता पर उपलब्ध औजारों एवं उपकरणों की सूची

वृहत कृषि प्रबंधन (एमएमए)	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम)	राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम)
1	2	3
40 एचपी तक के ट्रैक्टर	रोटावेटर	पावर मशीन (20 बीएचपी तक रोटावेटर/उपकरण के साथ
पावर टिलर	पावर वीडर	पावर मशीन 20 बीएचपी और अधिक सहायक यंत्र/उपकरण सहित
कम्बाईन हार्वेस्टर	सीड ड्रिल (पशु/ट्रैक्टर चालित)	ऊर्जा चालित आरा और पौध संरक्षण उपकरणों सहित ऊर्जा चालित मशीन/उपकरण
स्वतःनोदित रीपर, पैडी ट्रांसप्लांटर और इसी प्रकार की स्वतःनोदित मशीने	बहुफसल रोपक	-
आलू रोपक, आलू डिगर, मूंगफली डिगर, स्ट्रिप टिल ड्रिल क्लीनर कम ग्रेडर, ड्रायर, मोबाइल फल हार्वेस्टर, पावर वीडर, मिनी राईस मिल, दाल मिल, जीरो टिल सीड ड्रिल, रेज्ड बेड प्लांटर, शुगरकेन कटर प्लान्टर, पोस्ट होल डिगर, रोटावेटर, स्ट्रारीपर, रीपर कम बाइन्डर, हैपी सीडर, वेजीटेबल टांसप्लान्टर आदि	छोटे फार्म किसान उपकरण (हैंड वीडर, व्हीलहो, रेक, रोटरी टिलर, रिजर, मार्कर, फरो ओपनर आदि)	-

1	2	3
हस्तचालित उपकरण/औजार	सिंचाई पम्प	-
पशुचालित उपकरण		
पशुचालित उपकरण कैरियर जैसे मल्टी टूल कैरियर और पेडीसीडर	कोनोवीडर	-
ऊर्जा चालित उपकरण (ट्रैक्टर/पावर टिलर चालित) जैसे-एमबी/डिस्कप्लो, हैरो कलटीवेटर, बीज सह उर्वरक ड्रिल	जीरो टिल ड्रिल	-
पावर थ्रेशर (सभी प्रकार के)	नेप सैक स्प्रेयर	-
डीजल/विद्युत पम्प सैट	पम्प सैट	-
कोनोवीडर	स्प्रिन्कलर सैट	-
पौध संरक्षण उपकरण जैसे हस्तचालित, ऊर्जा चालित, ट्रैक्टर माउनटेड, एरोब्लास्ट स्प्रेयर	-	-

जल की कमी

3. **श्रीमती प्रिया दत्त :**

श्री मनोहर तिरकी :

श्री जय प्रकाश अग्रवाल :

श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली तथा मुम्बई सहित प्रमुख महानगरीय तथा अन्य शहरी नगरों में जल/पेयजल की अत्यधिक कमी के संबंध में कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी नगर-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) दिल्ली तथा मुम्बई सहित देश के शहरी क्षेत्रों में पेयजल समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए;

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन नगरों को कितना वित्तीय आबंटन किया गया तथा इसका कितना उपयोग किया गया;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार पेयजल की कमी की समस्या से निपटने के लिए किसी नई योजना को क्रियान्वित करने पर विचार कर रही है;

(च) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(छ) अंतर्राज्यीय नदियों के विवाद सुलझाने तथा इनमें प्रदूषण को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) और (ख) महानगरीय शहरों में पेयजल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता का आकलन नवंबर, 2003 में किया गया। ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। जल संसाधन मंत्रालय ने राज्य जल संसाधन/सिंचाई विभागों (विवरण-II) से प्राप्त सूचना के आधार पर वर्ष 2021 तक 35 महानगरीय शहरों के लिए घरेलू प्रयोजन हेतु जल की मांग का आकलन किया है। 28 राज्यों के लिए सेवा स्तरीय बेंचमार्किंग के लिए प्रायोगिक परियोजनाओं के अनुसार, प्रति व्यक्ति जलापूर्ति सहित कवरेज के संबंध में स्थिति संलग्न विवरण-III में दी गई है।

(ग) और (घ) मंत्रालय विभिन्न स्कीमों यथा जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) और छोटे

तथा मझौले कस्बों हेतु शहरी अवस्थापना विकास स्कीम के तहत शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त जलापूर्ति सुविधाएं मुहैया कराने में राज्य सरकारों/शहरी स्थानीय निकायों के प्रयासों में सहायता प्रदान कर रहा है। ब्यौरा विवरण-IV में दिया गया है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) अंतर-राज्य नदियों के विवाद सुलझाने के लिए विभिन्न न्यायाधिकरण यथा कावेरी न्यायाधिकरण, कृष्णा न्यायाधिकरण इत्यादि हैं। भारत सरकार जल प्रदूषण रोकने के लिए सीवरेज शोधन और ठोस कचरा प्रबंधन उपायों को बढ़ावा दे रही है।

विवरण-I

क्रम सं.	शहरी समूह/शहर 2001 की जनगणना अनुसार	नवंबर, 03 की स्थिति अनुसार प्रति व्यक्ति जलापूर्ति
1	2	3
1	ग्रेटर मुंबई	268
2	कोलकाता	173
3	दिल्ली	218
4	चेन्नई	106
5	बंगलुरू	141
6	हैदराबाद	164
7	अहमदाबाद	139
8	पुणे	283
9	सूरत	139
10	कानपुर	124
11	जयपुर	170
12	लखनऊ	164
13	नागपुर	176
14	पटना	107
15	इंदौर	149
16	वडोदरा	169
17	भोपाल	180
18	कोयंबटूर	108
19	लुधियाना	117
20	कोच्ची	124
21	विशाखापट्नम	131
22	आगरा	134
23	वाराणसी	191
24	मदुरै	88
25	मेरठ	185
26	नासिक	140
27	जबलपुर	95
28	जमशेदपुर	90
29	आसनसोल	120
30	धनबाद	70
31	फरीदाबाद	120
32	इलाहाबाद	111
33	अमृतसर	135
34	विजयवाड़ा	137
35	राजकोट	88

विवरण-II

क्षेत्रीय समितियों द्वारा तैयार शहरी क्षेत्रों में जल संसाधनों की अपेक्षाओं और इसकी उपलब्धता के बारे में स्थिति रिपोर्टों से प्राप्त जल की मांग, जल की उपलब्धता और जल के वर्तमान एवं भावी स्रोत दर्शाने वाला विवरण

(संबंधित राज्य सरकार के संबंधित विभाग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर)

क्रम सं.	शहरी समूह	जल की मांग		जल उपलब्धता/
1	लुधियाना (पंजाब)	242 (एमएलडी) (घरेलू) + 125 (एमएलडी) (औद्योगिक)	580(एमएलडी) (घरेलू) + 160 (एमएलडी) (औद्योगिक)	375 (एमएलडी)
2	अमृतसर (पंजाब)	175(एमएलडी) (घरेलू) + 42.11 (एमएलडी) (औद्योगिक)	267(एमएलडी) (घरेलू) + 52.64 (एमएलडी) (औद्योगिक)	232.56 (एमएलडी)
3	फरीदाबाद (हरियाणा)	औद्योगिक के लिए 29.5 एमजीडी (133 एमएलडी) सहित 89.5 एमजीडी (406 एमएलडी) एवं शेष अन्य उपयोगों के लिए	160.77 एमजीडी (730 एमएलडी) सहित 41.8 एमजीडी (189 एमएलडी) औद्योगिक और अन्य उपयोगों के लिए शेष	40 एमजीडी (182 एमएलडी) वर्तमान कमी 49.5 एमजीडी (225 एमएलडी) है।
4	भोपाल (मध्य प्रदेश)	255(एमएलडी) (घरेलू) + 80(एमएलडी) (औद्योगिक)	482(एमएलडी) (घरेलू) + 80(एमएलडी) (औद्योगिक)	कुल आपूर्ति 265 (एमएलडी) है। कमी 70 (एमएलडी) है।
5	इन्दौर (मध्य प्रदेश)	318.20 (एमएलडी) (घरेलू) कोई मुख्य उद्योग नहीं	671 (एमएलडी) (घरेलू) किसी उद्योग का उल्लेख नहीं।	कुल आपूर्ति 183.5 एमएलडी है। कमी 134.70 एमएलडी है।
6	जबलपुर (मध्य प्रदेश)	214.312(एमएलडी) (घरेलू) + 25(एमएलडी) (औद्योगिक)	327(एमएलडी) (घरेलू) + 25(एमएलडी) (औद्योगिक) जो कि केवल वर्तमान मांग है।	कुल आपूर्ति 145 एलएलडी है। कमी 94.51 एमएलडी है।
7	हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)	956 (एमएलडी) (210 एमजीडी)	817 (एमएलडी) (400 एमजीडी)	कुल आपूर्ति 770 एमएलडी (170 एमजीडी) है। कमी 186 एमएलडी (40 एमजीडी) है।
8	विशाखापट्नम (आंध्र प्रदेश)	314(एमएलडी) (69 एमजीडी) + 264(एमएलडी) (58 एमजीडी) औद्योगिक आवश्यकता	521(एमएलडी) (115 एमजीडी) + 592(एमएलडी) (130 एमजीडी) औद्योगिक आवश्यकता	वीएमसी क्षेत्र के लिए कुल जलापूर्ति 168 एमएलडी (37 एमजीडी) है। कमी 146 एमएलडी (32 एमजीडी) है।

विवरण-II

क्षेत्रीय समितियों द्वारा तैयार शहरी क्षेत्रों में जल संसाधनों की अपेक्षाओं और इसकी उपलब्धता के बारे में स्थिति रिपोर्टों से प्राप्त जल की मांग, जल की उपलब्धता और जल के वर्तमान एवं भावी स्रोत दर्शाने वाला विवरण

(संबंधित राज्य सरकार के संबंधित विभाग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर)

आपूर्ति	जलापूर्ति का वर्तमान स्रोत	भविष्य की मांग को पूरा करने के संसाधन
भविष्य में कोई कमी नहीं होगी।	ट्यूबवैल के माध्यम से भूजल। उद्योग अपना स्वयं का प्रबंध कर रहा है।	50% कैनाल (सिधावन कैनाल) के माध्यम से एवं 50% ट्यूबवैल द्वारा। अनुमान है कि उद्योग अपना प्रबंध स्वयं करेगी।
भविष्य में कोई कमी नहीं होगी।	ट्यूबवैल के माध्यम से भूजल। उद्योग अपना स्वयं का प्रबंध कर रहा है।	50% कैनाल (यूवीडीसी प्रणाली) के माध्यम से एवं 50% ट्यूबवैल द्वारा। अनुमान है कि उद्योग अपना प्रबंध स्वयं करेगी।
प्रक्षेपित जल आपूर्ति मांग को कैनाल प्रणाली द्वारा पूरा किया जायेगा 1 ट्यूबवैल एवं रैनी वैल्स	टयूबवैल द्वारा	कैनाल जल (मेवात कैनाल) एवं भूजल
पहचाने गये स्रोत से 630 (एमएलडी)	कोलार नदी, ऊपरी झील, ट्यूबवैल एवं डगवैल	कोलार नदी, ऊपरी झील, भूजल नर्मदा नदी.
487.5 (एमएलडी) की अतिरिक्त आवश्यकता है। जिसे नर्मदा नदी पर परियोजना निर्माण करके दूर किया जायेगा।	नर्मदा नदी यंशवत सागर जलाशय एवं भूजल	नर्मदा नदी पर अतिरिक्त जल परियोजना। नर्मदा नदी पर एक मुख्य परियोजना की भी आवश्यकता है।
2021 के लिए अपेक्षित अनुमान निर्धारित स्रोतो से प्राप्त किया जायेगा।	खंडरी बांध एवं गौर नदी। परियात बांध एवं फगुआ घाट नर्मदा नदी एवं भूजल	तिलवाड़ा घाट के नजदीक नर्मदा नदी पर इनटेक हेतु स्थान पहचाना जा चुका है जिससे जल एवं भूजल की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा किया जा सके।
निर्धारित किये गये स्रोत से 2200 एमएलडी (440 एमजीडी)	ओसमान सागर, इमायत सागर, मंजीरा फेज-I एवं II तथा मंजीरा फेज-III एवं IV। बोरवैल से भूजल	भविष्य में पानी की मांग को पूरा करने के लिए एचएमडब्ल्यूएसएसबी द्वारा तैयार किये गये प्रस्ताव में तीन चरणों में नार्गाजुन सागर के आगे के किनारे से कच्चा पानी खिचने की व्यवस्था करती है।
वीएमसी क्षेत्र के लिए जलापूर्ति 168 एमएलडी (37 एमजीडी) है। कमी 353 एमएलडी (78 एमजीडी) की होगी।	मूदासरलोवा, येलेरू, रेवा, दा, मेघादृगेदा, थाटीपुडी, जलाशय स्कीम एवं गोस्थानी नदी।	येलेरु के बाये तरफ के मुख्य कैनाल एवं थाटीपुडी जलाशय से वर्तमान जल निकासी बढ़ाना। झंझावती जलाशय से पानी निकालना एवं गोदावरी नदी से अतिरिक्त पानी निकालना।

विवरण-II

क्षेत्रीय समितियों द्वारा तैयार शहरी क्षेत्रों में जल संसाधनों की अपेक्षाओं और इसकी उपलब्धता के बारे में स्थिति रिपोर्टों से प्राप्त जल की मांग, जल की उपलब्धता और जल के वर्तमान एवं भावी स्रोत दर्शाने वाला विवरण

(संबंधित राज्य सरकार के संबंधित विभाग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर)

क्रम सं.	शहरी समूह	जल की मांग		जल उपलब्धता/
9	विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश)	150(एमएलडी) (33 एमजीडी)	270(एमएलडी) (60 एमजीडी)	कुल आपूर्ति 155 एमएलडी (34 एमजीडी) है।
10	बंगलौर (कर्नाटक)	1176 एमएलडी एलडीआर 1680 एमएलडी एचडीआर	2232 एमएलडी(एचजीआर एवं एलडीआर) 1910 एमएलडी (एचजीआर एवं एलडीआर) 3189 एमएलडी(एचजीआर एवं एलडीआर) 2729 एमएलडी(एचजीआर एवं एलडीआर)	705.5 एमएलडी
11	नागपुर (महाराष्ट्र)	361 एमएलडी	600 एमएलडी (155.25 एलपीसीडी की खपत दर हेतु) 670 एमएलडी (172.50 एलपीसीडी की खपत दर हेतु)	430 एमएलडी
12	ग्रेटर मुम्बई (महाराष्ट्र)	3878 एमएलडी (जीएमएमसी मानक के आधार पर कुल आवश्यकता) 2056 एमएलडी (सीपीएचईईओ मानक के आधार पर घरेलू आवश्यकता)	5081 एमएलडी (जीएमएमसी मानक के आधार पर कुल आवश्यकता) 2741 एमएलडी (सीपीएचईईओ मानक के आधार पर घरेलू आवश्यकता)	2906 एमएलडी (सतह जल) 60 एमएलडी (भूजल)
13	नासिक (महाराष्ट्र)	199 एमएलडी (सीपीएचईईओ मानक के आधार पर) 179 एमएलडी (135 एलपीसीडी के साथ एनएमसी के अनुसार)	345 एमएलडी (सीपीएचईईओ मानक के आधार पर)	7 एमएलडी गैर घरेलू मांग सहित कुल जलापूर्ति 185 एमएलडी है।
14	पुणे (महाराष्ट्र)	635 एमएलडी (जीएमएससी मानक के आधार पर कुल आवश्यकता) 468 एमएलडी (सीपीएचईईओ मानक के आधार पर घरेलू आवश्यकता)	777 एमएलडी (सीपीएचईईओ मानक के आधार पर)	वर्तमान में पीएमसी एरिया को 750 एलएलडी जल आपूर्ति की जाती है

विवरण-II

क्षेत्रीय समितियों द्वारा तैयार शहरी क्षेत्रों में जल संसाधनों की अपेक्षाओं और इसकी उपलब्धता के बारे में स्थिति रिपोर्टों से प्राप्त जल की मांग, जल की उपलब्धता और जल के वर्तमान एवं भावी स्रोत दर्शाने वाला विवरण

(संबंधित राज्य सरकार के संबंधित विभाग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर)

आपूर्ति	जलापूर्ति का वर्तमान स्रोत	भविष्य की मांग को पूरा करने के संसाधन
निर्धारित स्रोतों से 270 एमएलडी (60 एमजीडी) है।	कृष्णा नदी (सतह स्रोत) एवं भूजल से कृष्णा नदी में इनफिलट्रेशन गैलरी सहित)	कृष्णा नदी (सतह स्रोत) एवं भूजल से (कृष्णा नदी में इनफिलट्रेशन गैलरी सहित)
2575 एमएलडी	1 अर्कवाथी 2 कावेरी i. चरण-I ii. चरण-II iii. चरण-III	कावेरी चरण-IV फेज-I फेज-II कावेरी चरण-V 2025 तक जल की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त। 2025 के बाद मांग को पूरा करने के लिए बी डब्ल्यूएसएसबी को नये संसाधनों को खोजना पड़ेगा।
2670 एमएलडी	गोरेवाड़ा टैंक कान्हन नदी एवं पेंच सिंचाई परियोजना	कान्हन नदी पर रहारी बैरेज (350 एमएलडी) जमघट एचई परियोजना 1827 एमएलडी। 450 एमएलडी की अतिरिक्त भूजल
5293 एमएलडी (सतह जल) 228 एमएलडी (भूजल)	तुलसी झील, वेहड़ झील, तनसा बांध, वैतरणा बांध, अपर वैतरणा बांध, भदसा बांध एवं भूजल	मीडिल वैतरणा, गरगई, पिंजल, कालू परियोजना एवं भूजल
325 एमएलडी सतह स्रोत से तथा 16 एमएलडी भूजल स्रोत से	गंगापुर डैम एवं दरना डैम	गंगापुर डैम एवं दरना डैम तथा गौतमी एवं कश्यपी डैम के साथ निर्माण
खंडक वासला परियोजना से 892.20 एलएलडी तथा भूजल से 29.64 एमएलडी अतिरिक्त	खंडक वासला परियोजना एवं तेमगढ़	पीएमसी को नए स्रोत निर्धारित करने की आवश्यकता है क्योंकि खड्क वासला परियोजना से जल लेने की स्वीकृति 2002 तक वैध है।

विवरण-II

क्षेत्रीय समितियों द्वारा तैयार शहरी क्षेत्रों में जल संसाधनों की अपेक्षाओं और इसकी उपलब्धता के बारे में स्थिति रिपोर्टों से प्राप्त जल की मांग, जल की उपलब्धता और जल के वर्तमान एवं भावी स्रोत दर्शाने वाला विवरण

(संबंधित राज्य सरकार के संबंधित विभाग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर

क्रम सं.	शहरी समूह		जल की मांग	जल उपलब्धता/
15	कोलकाता (प. बंगाल)	2258.4 एमएलडी	3124 एमएलडी	3207.7 एमएलडी
16	आसनसोल (प. बंगाल)	136.35 एमएलडी	206 एमएलडी	165 एमएलडी
17	कानपुर (उत्तर प्रदेश)	588.50 एमएलडी	1226.50 एमएलडी	310 एमएलडी
18	आगरा (उत्तर प्रदेश)	270.97 एमएलडी	425.79 एमएलडी	आंकड़ा रिपोर्ट में नदी दर्शायी गई है।
19	लखनऊ (उत्तर प्रदेश)	431 एमएलडी	776 एमएलडी	410 एमएलडी
20	वाराणसी (उत्तर प्रदेश)	210 एमएलडी	330 एमएलडी	235 एमएलडी
21	इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)	180 एमएलडी	300 एमएलडी	140 एमएलडी
22	मेरठ (उत्तर प्रदेश)	267.37 एमएलडी	400.20 एमएलडी	267.37 एमएलडी
23	पटना (बिहार)	आंकड़ा रिपोर्ट में नहीं दशाई गई है	628 एमएलडी (6.28 लाख किलो लीटर प्रति दिन)	135 एमएलडी (1.35 लाख कि.ली. प्रति दिन) एवं 60000-80000 कि.ली. प्रतिदिन
24	जमशेदपुर (झारखण्ड)	आंकड़ा रिपोर्ट में नहीं दशाई गई है	601 एमएलडी (6.01 लाख किलो लीटर प्रति दिन)	वर्तमान आवश्यकता सतही जल स्रोत से पूरी की जाती है।
25	धनबाद (झारखण्ड)	आंकड़ा रिपोर्ट में नहीं दर्शाया गया है	653 एमएलडी(6.53 लाख किलो लि. प्रति दिन)	वर्तमान आवश्यकता सतही जल स्रोत से पूरी की जाती है।
26	चेन्नई (तमिलनाडु)	809 एमएलडी	1230 एमएलडी	299 एमएलडी
27	कोयम्बटूर (तमिलनाडु)	249.441 एमएलडी	437.858 एमएलडी	153.284 एमएलडी 99.157 एमएलडी का अंतर

विवरण-II

क्षेत्रीय समितियों द्वारा तैयार शहरी क्षेत्रों में जल संसाधनों की अपेक्षाओं और इसकी उपलब्धता के बारे में स्थिति रिपोर्टों से प्राप्त जल की मांग, जल की उपलब्धता और जल के वर्तमान एवं भावी स्रोत दर्शाने वाला विवरण

(संबंधित राज्य सरकार के संबंधित विभाग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर)

आपूर्ति	जलापूर्ति का वर्तमान स्रोत	भविष्य की मांग को पूरा करने के संसाधन
भविष्य की आवश्यकताएं सतह एवं भूजल स्रोत से प्राप्त की जा सकती है।	केयूए के लिए सतह जल का स्रोत केवल हुगली नदी है। जल शोधन यंत्र जल आपूर्ति के लिए कार्य कर रहे हैं। गहरे टयूबैल एवं हैंड ट्यूवैल द्वारा भी भूजल उपयोग किया जाता है	भविष्य की मांग नए प्लांट लगाकर तथा मौजूदा शोधन संयंत्रों की क्षमता बढ़ाकर जैसे गार्डन रीच वाटर वर्कस एवं पलटा वाटर वर्क्स के द्वारा दूर किया जाना प्रस्तावित है।
भविष्य में आपूर्ति की कमी 14 एमएलडी अनुमानित है।	दामोदर, अजय एवं बराकर नदी	आरसीएफए पार्ट-III जलापूर्ति स्कीम की पूर्णतः भूजल संसाधन का पता लगाना।
1600 एमएलडी	गंगा नदी, कैनाल एवं ट्यूबवैल	गंगा बैरेज कानपुर
गोकुल बैरेज एवं आगरा बैरेज से 345 क्यूसेक	यमुना नदी एवं ट्यूबवैल	गोकुल बैरेज एवं प्रस्तावित आगरा बैरेज
भविष्य की आवश्यकता शारदा सहायक कैनाल प्रणाली से पूरी की जाएगी	गोमती नदी एवं ट्यूबवैल	शारदा सहायक कैनाल प्रणाली का तीसरा एवं चौथा जल कार्य
भविष्य की आवश्यकता द्वितीय जल संबंधी कार्य से पूरी की जाएगी	गंगा नदी एवं ट्यूबवैल	
भविष्य की आवश्यकता द्वितीय जल संबंधी कार्य से पूरी की जाएगी	यमुना नदी एवं ट्यूबवैल	भावी जरूरतों को पूरा करने के लिए द्वितीय जल संबंधी कार्य प्रस्तावित की गई है।
आंकड़ा रिपोर्ट में नहीं दर्शायी गई है	ट्यूबवैल	
2021 एवं उसके बाद की भावी आवश्यकताओं को भूजल से दूर किया जा सकता है	72 उच्च क्षमता ट्यूबैल	भूजल अधिक मात्रा में उपलब्ध है। 2021 एवं उसके बाद के समय के लिए भावी आवश्यकता पूरी की जा सकती है
भावी उपलब्धता केवल सतही जल स्रोत से	डिमना लेक, सितारमपुर लेक, मैंगो ब्रिज के नजदीक लो हाइट वेयर द्वारा निर्मित स्वर्ण रेखा पर पौंडिंग से पंपिंग द्वारा	स्वर्ण रेखा पर चाडिल डैम तथा खरकई नदी पर इचाडैम
भावी उपलब्धता सतही जल स्रोत से	दामोदर नदी पर जमादावा पर छोटा जलाशय	बोकारो बैराज एवं कोनार डैम
भावी उपलब्धता सतही जल, भू जल एवं समुद्री जल स्रोत से	पुंदी, चोलावरम एवं रेडहिल्स जलाशय प्रणाली एवं भूजल	अंतराल कृष्णाजल आपूर्ति परियोजना द्वारा की जायेगी। शेष आवश्यकता अन्य स्रोतों से प्राप्त की जाए।
276.254 एमएलडी 161.604 एमएलडी का अंतर	सिरूवानी नदी स्रोत पिल्लूर जल आपूर्ति स्कीम	पिल्लूर नदी स्कीम-II, नेलीथूरई के नजदीक भवानी नदी से कोंडम पलायम एवं वादावल्ली टाउन पंचायत के लिए स्कीम तथा अलयार नदी स्कीम

विवरण-II

क्षेत्रीय समितियों द्वारा तैयार शहरी क्षेत्रों में जल संसाधनों की अपेक्षाओं और इसकी उपलब्धता के बारे में स्थिति रिपोर्टों से प्राप्त जल की मांग, जल की उपलब्धता और जल के वर्तमान एवं भावी स्रोत दर्शाने वाला विवरण

(संबंधित राज्य सरकार के संबंधित विभाग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर)

क्रम सं.	शहरी समूह	जल की मांग		जल उपलब्धता/
28	मदुरै (तमिलनाडु)	215.04 एमएलडी	264.53 एमएलडी	115 एमएलडी 99.96 एमएलडी का वर्तमान अंतर
29	कोच्ची (केरल)	274.2 एमएलडी	358.7 एमएलडी	250 एमएलडी
30	राजकोट (गुजरात)	135 (घरेलू मांग) 162 एमएलडी (कुल मांग)	315 एमएलडी	94 एमएलडी 69 एमएलडी की कमी
31	सूरत (गुजरात)	573 एमएलडी	1440 एमएलडी	स्थापित क्षमता (सतही+भू) 673 एमएलडी है। औसत जल आपूर्ति 540 एमएलडी है।
32	वडोदरा (गुजरात)	275.90 एमएलडी	460 एमएलडी	275.85 एमएलडी वर्तमान में कोई कमी नहीं है।
33	अहमदाबाद (गुजरात)	आंकड़ा रिपोर्ट में नहीं दर्शाया गया है	279 एमजीडी (1266 एमएलडी)	प्रतिदिन औसत जलापूर्ति 529.786 एमएलडी है।
34	दिल्ली (दिल्ली)	क. 893 एमसीएम* (2445 एमएलडी) ख. 1326.56 एमसीएम** (3632 एमएलडी)	क. 1574 एमसीएम (4310 एमएलडी) ख. 2288 एमसीएम (6265 एमएलडी)	1231.04 एमसीएम प्रति वर्ष (3369 एमएलडी)
35	जयपुर (राजस्थान)	361.1 एमएलडी (बीआईएस मानक) 349 एमएलडी (सीपीएचईईओ मानक)	796.5 एमएलडी 885 एमएलडी	वर्तमान जलापूर्ति 313 एमएलडी की है।

क) *सीपीएचईओ मानदण्ड @ 172 एलपीसीडी के अनुसार

ख) **दिल्ली जल बोर्ड प्रस्ताव @ 274 एलपीसीडी के अनुसार

नोट : यह ब्यौरा राज्य सरकारों के संबंधित विभागों द्वारा जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार को दिए गए आंकड़े/सूचना के आधार पर है।

विवरण-II

क्षेत्रीय समितियों द्वारा तैयार शहरी क्षेत्रों में जल संसाधनों की अपेक्षाओं और इसकी उपलब्धता के बारे में स्थिति रिपोर्टों से प्राप्त जल की मांग, जल की उपलब्धता और जल के वर्तमान एवं भावी स्रोत दर्शाने वाला विवरण

(संबंधित राज्य सरकार के संबंधित विभाग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर)

आपूर्ति	जलापूर्ति का वर्तमान स्रोत	भविष्य की मांग को पूरा करने के संसाधन
भावी उपलब्धता प्रस्तावित जलापूर्ति स्कीम से बढ़ाने की संभावना है।	वैगई जल आपूर्ति स्कीम के माध्यम से सतही जल। 6 पिकप वेल्स से उप सतही जल। मिलाकल, थैटकामपथू, कलेक्टरवेल, कोचयेडी, मनालू एवं थिरूपुवनम	कल्लर नदी आपूर्ति स्कीम। कावेरी नदी स्रोत, मदुरै नगर निगम में तथा उसके आस-पास टैंकस एवं आपूर्ति चैनल का पुर्नरुद्धार तथा रिवरवेडस से पानी खींचने की अपेक्षा वैगई डैम से सीधे अतिरिक्त जल लाने हेतु प्रस्ताव।
विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वियन द्वारा मांग के लगभग समान उपलब्धता की जायेगी।	कोच्ची जलापूर्ति स्कीम और सात अन्य जलापूर्ति स्कीमें	वर्तमान संसाधनों से अलग, दो बढ़ाने की स्कीमें और चार नई जलापूर्ति स्कीमें।
94 एमएलडी 221 एमएलडी की कमी	आजी-1 जलापूर्ति स्कीम, न्यारी-1 जलापूर्ति स्कीम, न्यारी-II जलापूर्ति स्कीम, माही नहर से पेयजल	यह सुझाव दिया जाता है कि मिट्टी के बांध को ऊंचा करके न्यारी-I बांध की क्षमता बढ़ाना और वाटर वियर को चौड़ा करना। वितरण नेटवर्क बढ़ाना प्रस्तावित भी किया जाता है।
जलापूर्ति मास्टर प्लान में वर्ष 2021 में 24X7 जलापूर्ति की परिकल्पना की गई है।	तापी नदी जल का मुख्य स्रोत है। जल कार्य वरच्चा, सारथाना, कटरगाम और रांडर हैं।	वर्षा जल रिचार्जिंग और हारवेस्टिंग प्लान मौजूदा अवसंरचना का आधुनिकीकरण, निजी क्षेत्र की भागीदारी आदि।
275.85 एमएलडी भविष्य में 184 एमएलडी की कमी दिखाई गई है।	श्री स्याजी सरोवर माही नदी फाजलपुर में फ्रेंचवल, पोएचा, राइक, होडका ट्यूबैल	वडोदरा नगर निगम ने 2 मास्टर प्लान तैयार किए हैं। नर्मदा नदी बेसन की स्रोत वृद्धि और वितरण प्रणाली का उन्नयन।
भविष्य में 334 एमजीडी अनुमानित आपूर्ति (1516 एमएलडी)	डीडी डब्ल्यू पर फिल्टर प्लांट, फ्रेंचवल रासका परियोजना, इंटेक वेल-I, बोरवेल	डीडी डब्ल्यू पर फिल्टर प्लांट, फ्रेंचवल रासका परियोजना, इंटेक वेल-I, इंटेकवेल-II और बोरवेल
4017.28 एमसीएम प्रतिवर्ष (11000 एमएलडी)	यमुना नदी, गंगा नदी, भाखड़ा स्टोरेज और भूजल	वर्तमान स्रोतों के अलावा, जल प्रस्तावित टेहरी रेणुका, किसाऊ और लखवरव्यासी बांध से उपलब्ध किया जाना भी प्रस्तावित किया जाता है।
प्रस्तावित सतही जल स्रोत से पानी की उपलब्धता बढ़ने की संभावना है।	ट्यूब वैल, रामगढ़ लेख और शहरी क्षेत्र से बाहर ट्यूब वैल, हैंडपंप, कैविटी वैल	वर्तमान विशालपुर बांध से और प्रस्तावित इसरदहा बांध से

विवरण-III

एसएलबी संकेतकों का सार-जलापूर्ति

बेंचमार्क	प्रति व्यक्ति जलापूर्ति 135 एलपीसीडी	
शहर	लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन में कीमत	विश्वसनीयता ग्रेड
1	2	3
अहमदाबाद	121	डी
अमृतसर	104	डी
बैंगलौर	88	ए
बेहरामपुर	81	सी
भोपाल	126	डी
भुवनेश्वर	92	डी
बोकारो	298	डी
चंडीगढ़	158	बी
धास	37.3	डी
दिल्ली	144	सी
धर्मशाला	198	डी
गुंटूर	109	डी
हैदराबाद	122	बी
इम्फाल	110	डी
इंदौर	73	सी
जालंधर	165	डी
कोल्हापुर	133	सी
कोझीकोड	197	सी
नासिक	91	सी
पालमपुर	175.8	डी
पिंपरी-चिंचवाड	246	ए
रायपुर	कोई आंकड़ा नहीं	कोई आंकड़ा नहीं
शिमला	113.2	डी
सूरत	147	डी
तिरूचिरापल्ली	79	डी
त्रिवेन्द्रम	124	सी
उधगमंदलम	71	डी
उज्जैन	96	सी

एलएलबी संकेतकों का सार-जलापूर्ति

	कवरेज		प्रति व्यक्ति आपूर्ति		एनआरडब्ल्यू		उपभोग मीटरिंग		निरंतरता		शिकायत निवारण		आपूर्ति की गुणवत्ता		लागत वसूली		संग्रहण क्षमता	
बेंचमार्क	100%		135 एलपीसीडी		20%		100%		24 घंटा		80%		100%		100%		90%	
शहर	मूल्य % में	आर जी	एलपी सीडी में मूल्य	आर जी	मूल्य % में	आर जी	मूल्य % में	आर जी	घंटे में मूल्य	आर जी	मूल्य % में	आर जी	मूल्य % में	आर जी	मूल्य % में	आर जी	मूल्य % में	आर जी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
अहमदाबाद	85.4	बी	121	डी	31.0	डी	शून्य		2	बी	99.2	ए	94.8	बी	53.9	ए	60.3	ए
अमृतसर	66.4	डी	104	डी	57.0	सी	8.5	बी	11	डी	99.3	बी	60.0	ए	61.9	बी	40.7	बी
बंगलौर	50.8	बी	88	ए	51	ए	97.5	ए	3	डी	86.7	सी	82.7	ए	92.2	बी	97.1	ए
बेहरामपुर	29.2	डी	81	सी	34.0	सी	शून्य		1	बी	73.3	डी	100.0	डी	49.1	बी	50.8	बी
भोपाल	34.8	बी	126	डी	30	डी	1.4	बी	0.5	डी	90.1	ए	90	ए	51.1	बी	68.2	बी

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
भुवनेश्वर	45.0	बी	92	डी	69.5	डी	0.8	डी	2	बी	99.4	डी	100.0	बी	बी	32.1	93.9	बी
बोकारो	99.5	डी	298	डी	2.5	बी	63.6	ए	1.3	डी	कोई आंकड़ा नहीं	डी	100.0	बी	कोई आंकड़ा नहीं	कोई आंकड़ा नहीं	कोई आंकड़ा नहीं	कोई आंकड़ा नहीं
चंडीगढ़	87.0	बी	158	बी	31.0	बी	73	बी	17.5	ए	100.0	बी	100.0	ए	64	बी	89.0	बी
चास	9.3	बी	37.3	डी	42.5	डी	शून्य	लागू नहीं	इंटरमिट	डी	100	सी	शून्य	लागू नहीं	61.4	डी	25	डी
दिल्ली	71.5	बी	144	सी	52.4	बी	55.3	ए	3	बी	73.0	ए	99.5	ए	41.6	बी	86.3	बी
धर्मशाला	97.3	बी	198	डी	6.0	डी	39.7	बी	1.5	डी	100.0	सी	100.0	ए	42.2	डी	97.8	बी
गुंटूर	50	बी	109	डी	52.7	डी	2.4	बी	1.0	डी	40	बी	99.3	सी	144.9	बी	46.3	बी
हैदराबाद	66.0	बी	122	बी	38	बी	63.3	ए	0.3-2	डी	52.0	ए	99.4	सी	69.0	बी	77.1	ए
इंफाल	47.1	बी	110	डी	73.0	डी	शून्य		2	बी	82.4	बी	100.0	सी	16.6	डी	42.8	डी
इंदौर	38	बी	73	सी	59	डी	0.04	डी	0.75	डी	82	बी	90	बी	34.7	बी	61.7	बी
जालंधर	69.9	बी	165	डी	52.8	डी	2.9	सी	12	डी	98.7	ए	72.1	सी	66.9	बी	44.9	बी
कोल्हापुर	83.5	बी	133	सी	45.8	सी	100	ए	3	बी	75	बी	91.4	बी	105.6	बी	95.6	बी
कोझीकोड	38.5	ए	197	सी	45.9	ए	83.7	ए	7	डी	79	ए	100	ए	105	ए	86	ए
नाशिक	99.5	ए	91	सी	57.8	बी	96.7	बी	3	बी	93.3	ए	99.7	ए	77.5	बी	92.4	बी
पालमपुर	93.7	बी	175.8	डी	59.5	डी	0	डी	12	डी	100	बी	100	ए	16.1	बी	61.9	डी
पिंपरी-चिंचवाड	81	बी	246	ए	24.3	बी	96.9	बी	6	डी	कोई आंकड़ा नहीं	डी	99	ए	41.2	ए	48.3	ए
रायपुर	20.0	कोई आंकड़ा नहीं	कोई आंकड़ा नहीं	कोई आंकड़ा नहीं	कोई आंकड़ा नहीं	कोई आंकड़ा नहीं	शून्य		1.5	कोई आंकड़ा नहीं	कोई आंकड़ा नहीं	कोई आंकड़ा नहीं	97.8	कोई आंकड़ा नहीं	25.8	कोई आंकड़ा नहीं	कोई आंकड़ा नहीं	कोई आंकड़ा नहीं
शिमला	97.8	बी	113.2	डी	23.7	डी	59.8	बी	1.5	डी	85	डी	100	बी	97.9	बी	82.6	बी
सूरत	86.6	बी	147	डी	20.4	डी	0.4	बी	3	बी	94.8	बी	100.0	ए	92.3	ए	94.0	ए
तिरुचेरापल्ली	41.7	बी	79	डी	37.1	बी	37.6	डी	2	बी	100.0	बी	100.0	ए	197.4	बी	57.6	बी
त्रिवेन्द्रम	68.3	ए	124	सी	18.2	बी	81.4	ए	18	ए	100	ए	77	ए	223	ए	35.1	ए
उद्योगमंडल	51.5	बी	71	डी	44.1	डी	87.2	बी	4	डी	78.3	सी	100.0	बी	27.5	डी	77.6	बी
उज्जैन	50	बी	96	सी	50	डी	4.3	सी	1	बी	100	सी	100	बी	28	बी	65.5	बी

विवरण-IV

यूआईडीएसएसएमटी : 31.01.2011 की स्थिति के अनुसार अनुमोदित राज्यवार कस्बावार जलापूर्ति परियोजनाएं

1	आन्ध्र प्रदेश	अदीलाबाद	800.00	640.00
2	आन्ध्र प्रदेश	अदोनी	573.00	458.40
3	आन्ध्र प्रदेश	अनकपल्लि	366.00	292.80
4	आन्ध्र प्रदेश	अनंथपुर	6500.00	5200.00
5	आन्ध्र प्रदेश	बेल्लम्पल्लय	1887.00	1509.60
6	आन्ध्र प्रदेश	भीमुनिपटनम	1064.00	851.20
7	आन्ध्र प्रदेश	भोंगीर	2037.00	1629.60
8	आन्ध्र प्रदेश	बोधन	1807.00	1445.60
9	आन्ध्र प्रदेश	चिरल	619.00	495.20
10	आन्ध्र प्रदेश	धर्मावरम	5945.00	4756.00
11	आन्ध्र प्रदेश	थोने	4476.00	3580.80
12	आन्ध्र प्रदेश	एलुरु कॉर्प	5959.00	4767.20
13	आन्ध्र प्रदेश	गुडुर	6487.00	5189.60
14	आन्ध्र प्रदेश	गुंतकल	1685.00	1348.00
15	आन्ध्र प्रदेश	हिंदपुर	1630.00	1304.00
16	आन्ध्र प्रदेश	जम्मलमडुगु	1169.00	935.20
17	आन्ध्र प्रदेश	जानगांव	1570.00	1256.00
18	आन्ध्र प्रदेश	कादिरी	4546.00	3636.80
19	आन्ध्र प्रदेश	कामारेड्डी	2235.00	1788.00
20	आन्ध्र प्रदेश	कंडूकर	4560.00	3648.00
21	आन्ध्र प्रदेश	कवली	1869.00	1495.20
22	आन्ध्र प्रदेश	कुरनूल	3309.00	2647.20
23	आन्ध्र प्रदेश	मचेर्ल	91.00	72.80
24	आन्ध्र प्रदेश	महबूब नगर	6838.00	5470.40

25	आन्ध्र प्रदेश	मंचेरिअल	2287.00	1829.60
26	आन्ध्र प्रदेश	मंगलागिरी	130.00	104.00
27	आन्ध्र प्रदेश	मरकापुर	3338.14	2670.51
28	आन्ध्र प्रदेश	मिर्यलगुद्	236.86	189.49
29	आन्ध्र प्रदेश	नगरि	3540.00	2832.00
30	आन्ध्र प्रदेश	नलगोंडा	444.00	355.20
31	आन्ध्र प्रदेश	नारायणपेट	903.00	722.40
32	आन्ध्र प्रदेश	निर्मल	2709.00	2167.20
33	आन्ध्र प्रदेश	निजामाबाद	3592.00	2873.60
34	आन्ध्र प्रदेश	नुजिवद	4119.00	3295.20
35	आन्ध्र प्रदेश	ओंगोले	1554.00	1243.20
36	आन्ध्र प्रदेश	पलमनेरु	4340.00	3472.00
37	आन्ध्र प्रदेश	पिंदुगुरल्ल	3454.00	2763.20
38	आन्ध्र प्रदेश	पीठापुरम	1966.00	1572.80
39	आन्ध्र प्रदेश	पोन्नुर	1243.00	994.40
40	आन्ध्र प्रदेश	प्रोद्दुतुर	1680.00	1344.00
41	आन्ध्र प्रदेश	पुलिवेंदुल	3300.00	2640.00
42	आन्ध्र प्रदेश	पुंगानुर	3036.00	2428.80
43	आन्ध्र प्रदेश	पुत्तुर	3904.00	3123.20
44	आन्ध्र प्रदेश	रजम्पेत	3413.00	2730.40
45	आन्ध्र प्रदेश	रामचंद्रपुरम	1162.00	929.60
46	आन्ध्र प्रदेश	रमागुंदम	404.00	323.20
47	आन्ध्र प्रदेश	रयचोत्य	3182.00	2545.60
48	आन्ध्र प्रदेश	रायदुर्ग	4239.00	3391.20
49	आन्ध्र प्रदेश	संगरेड्डी	1412.00	1129.60
51	आन्ध्र प्रदेश	सिपिट	4512.00	3609.60

52	आन्ध्र प्रदेश	श्रीकाकुलम	2092.00	1673.60
53	आन्ध्र प्रदेश	श्रीकलहस्थी	1881.00	1504.80
54	आन्ध्र प्रदेश	सूर्यापेट (फेज-1)	2348.00	1878.40
55	आन्ध्र प्रदेश	सूर्यापेट (फेज-2)	960.00	768.00
56	आन्ध्र प्रदेश	तनुक	1457.00	1165.60
57	आन्ध्र प्रदेश	तेनाली	8085.00	6468.00
58	आन्ध्र प्रदेश	वेंकटगिरी	6962.00	5569.60
59	आन्ध्र प्रदेश	विनुकोंडा	960.00	768.00
60	आन्ध्र प्रदेश	वनपथी	2808.00	2527.20
61	आन्ध्र प्रदेश	वारंगल (एमसी)	16446.00	14801.40
62	आन्ध्र प्रदेश	जहीराबाद	1409.00	1268.10
	आन्ध्र प्रदेश कुल		179570.00	145722.30
63	असम	होजाइ	1055.54	949.99
64	असम	लखिपुर (काचर)	815.88	734.29
	असम कुल		1871.42	1684.28
65	बिहार	मुजफ्फरपुर	9872.25	7897.80
	बिहार कुल		9872.25	7897.80
66	छत्तीसगढ़	बिलासपुर	4142.60	3314.08
67	छत्तीसगढ़	कोंडगांव	451.55	361.24
68	छत्तीसगढ़	रायगढ	1524.50	1219.60
	छत्तीसगढ़ कुल		6118.65	4894.92
69	दादर और नगर हवेली	सिलवासा/आमली	1864.73	1491.78
	दादर और नगर हवेली कुल		1864.73	1491.78
70	गुजरात	अमेलि	1082.45	866.36
71	गुजरात	बलसिनोर	521.60	417.28
72	गुजरात	बरदौली	512.64	410.11

73	गुजरात	भरूच	1371.98	1097.58
74	गुजरात	भावनगर	2096.07	1676.86
75	गुजरात	बिल्लिमोर	806.25	645.00
76	गुजरात	बोरियवि	434.35	347.48
77	गुजरात	चक्लसि	713.20	570.56
78	गुजरात	चलल	503.64	402.91
79	गुजरात	चोत उदेपुर	371.67	297.34
80	गुजरात	दकोर	451.98	361.58
81	गुजरात	धनेर	416.35	333.08
82	गुजरात	धोराजी	841.61	673.29
83	गुजरात	ध्रगध्र	1461.04	1168.83
84	गुजरात	द्वारका	1665.81	1332.65
85	गुजरात	गंदेवि	362.94	290.35
86	गुजरात	गोधरा	1446.53	1157.22
87	गुजरात	गोंदल	1434.04	1147.23
88	गुजरात	हिम्मतनगर	814.94	651.95
89	गुजरात	जामनगर	2015.31	1612.25
90	गुजरात	जासदन	337.90	270.32
91	गुजरात	जेतपुर	2384.09	1907.27
92	गुजरात	जुनगध	1598.64	1278.91
93	गुजरात	कदि	523.51	417.81
94	गुजरात	कपद्वंज	823.58	658.86
95	गुजरात	कथलाल	392.44	313.95
96	गुजरात	के गोंद	1080.96	864.77
97	गुजरात	खेमभट	881.93	705.54
98	गुजरात	केशोद	496.59	397.27

99	गुजरात	लुनवाड़ा	477.04	381.63
100	गुजरात	महुध	528.52	422.82
101	गुजरात	मेहसाड़ा	940.74	752.59
102	गुजरात	मोदस	856.90	685.52
103	गुजरात	पालीताना	473.69	378.95
104	गुजरात	पेथपुर	428.20	342.56
105	गुजरात	पेत्लद	1063.28	850.62
106	गुजरात	प्रंतिज	279.93	223.94
107	गुजरात	राधनपुर	224.53	179.62
108	गुजरात	रजुल	366.89	293.51
109	गुजरात	सर्वकुंडला	555.45	444.36
110	गुजरात	शेहेर	369.72	295.78
111	गुजरात	सोजीन्ना	533.45	426.76
112	गुजरात	सोगंध	334.30	267.44
113	गुजरात	सुरेन्द्रनगर	765.13	612.10
114	गुजरात	सुतरपाडा	657.74	526.19
115	गुजरात	उम्रेथ	762.96	610.37
116	गुजरात	उंझ	1699.78	1359.82
117	गुजरात	उपलेता	1450.48	1160.38
118	गुजरात	वलसाड	618.59	494.87
119	गुजरात	वीजापुर	273.04	218.43
120	गुजरात	विरगम	770.22	616.18
121	गुजरात	वाधवान	1539.28	1231.42
	गुजरात कुल		43814.40	35051.52
122	जम्मू और कश्मीर	भद्रवह	1177.98	1060.18
123	जम्मू और कश्मीर	डोडा	2633.60	2370.24

124	जम्मू और कश्मीर	कठुआ	2136.60	1922.94
125	जम्मू और कश्मीर	सांबा	1882.00	1693.80
126	जम्मू और कश्मीर	सोपोर	3353.16	3017.84
127	जम्मू और कश्मीर	सुंदर्बनि	930.71	837.64
128	जम्मू और कश्मीर	अनंतनाग	3689.23	3320.31
129	जम्मू और कश्मीर	उधमपुर	2882.00	2593.80
	जम्मू और कश्मीर कुल		18685.28	16816.75
130	झारखंड	चास	3324.19	2659.35
131	झारखंड	देवधर	4737.77	3790.22
	झारखंड कुल		8061.96	6449.57
132	कर्नाटक	बिजापुर	6277.57	5022.06
133	कर्नाटक	बिरुर	1339.00	1071.20
134	कर्नाटक	चिक्कोड़ी	2039.91	1631.93
135	कर्नाटक	दवंगेरे	355.80	284.64
136	कर्नाटक	गजेंद्रगढ़-नरेगल	3632.44	2905.95
137	कर्नाटक	हिरकेरुर	1617.00	1293.60
138	कर्नाटक	होब्लि धारवाड़	990.21	792.17
139	कर्नाटक	होलेनरसिंपुर	89.79	71.83
140	कर्नाटक	हुंगुंद - इल्काल -किस्तगि	5821.20	4656.96
141	कर्नाटक	केरुर	1173.23	938.58
142	कर्नाटक	मुल्बगलु	1894.76	1515.81
143	कर्नाटक	मुंद्रोद	376.58	301.26
144	कर्नाटक	शिगगांव - सवनूर - बनकापुर	3975.70	3180.56
145	कर्नाटक	शिराहट्टी - मुलंगुद	2595.58	2076.46
146	कर्नाटक	सिद्पुर	524.90	419.92
147	कर्नाटक	विजयपुर	1109.62	887.70

148	कर्नाटक	यारगोल (कोलार-बांगरपेट-मालूर)	7992.00	6393.60
	कर्नाटक कुल		4105.29	33444.23
149	केरल	अलप्पुज्ह	9194.00	7355.20
150	केरल	चंगनस्सेर्य	391.91	313.53
151	केरल	चवक्कद	1900.67	1520.54
152	केरल	चित्तूर-थथमंगलम	650.00	520.00
153	केरल	गुरुवयूर	3144.33	2515.46
154	केरल	कालपेट्टा	3217.00	2573.60
155	केरल	मलप्पुरम	1976.00	1580.80
156	केरल	ओत्तपल्लम	1800.00	1440.00
157	केरल	पय्यन्नुर	4019.00	3215.20
158	केरल	पेरिंथलमन्न	811.00	648.80
159	केरल	थलस्येर्य	4120.00	3296.00
160	केरल	थिरुवल्ल	627.92	502.34
161	केरल	वदकर	2291.75	1833.40
	केरल कुल		34143.58	27314.86
162	मध्य प्रदेश	आगर	1005.80	804.64
163	मध्य प्रदेश	आश्त	980.40	784.32
164	मध्य प्रदेश	बियोरा	709.47	567.58
165	मध्य प्रदेश	बुद्नि	194.60	155.68
166	मध्य प्रदेश	छत्तरपुर	1593.80	1275.04
167	मध्य प्रदेश	डाबरा	1112.10	889.68
168	मध्य प्रदेश	डाबरा	1441.84	1153.47
169	मध्य प्रदेश	दमोह	874.20	699.36
170	मध्य प्रदेश	दमोह	130.17	104.14
171	मध्य प्रदेश	देवास	5837.00	4669.60

172	मध्य प्रदेश	गर्हकोत	596.36	477.09
173	मध्य प्रदेश	हरद्रा	1787.00	1429.60
174	मध्य प्रदेश	हौशंगाबाद	1615.26	1292.21
175	मध्य प्रदेश	इटारसी	1467.83	1174.26
176	मध्य प्रदेश	जओरा	663.00	530.40
177	मध्य प्रदेश	कटनी	4080.95	3264.76
178	मध्य प्रदेश	खंडवा	10672.30	8537.84
179	मध्य प्रदेश	मलज्खंद	525.42	420.34
180	मध्य प्रदेश	मंडसौर	1552.45	1241.96
181	मध्य प्रदेश	नसरुल्लागंज	488.96	391.17
182	मध्य प्रदेश	पन्ना	1808.37	1446.70
183	मध्य प्रदेश	रतलाम	3265.10	2612.08
184	मध्य प्रदेश	रेहली	602.75	482.20
185	मध्य प्रदेश	रेहित	276.48	221.18
186	मध्य प्रदेश	रेवा	1427.87	1142.30
187	मध्य प्रदेश	सनवद	729.68	583.74
188	मध्य प्रदेश	सेहोरे	1454.52	1163.62
189	मध्य प्रदेश	शाजापुर	996.00	796.80
190	मध्य प्रदेश	शिवपुरि	5964.66	4771.73
191	मध्य प्रदेश	शुजलपुर	1745.32	1396.26
192	मध्य प्रदेश	सिरोंज	622.95	498.36
193	मध्य प्रदेश	टीकमगढ़	983.18	786.54
194	मध्य प्रदेश	विदिशा	1557.52	1246.02
	मध्य प्रदेश कुल		58763.31	47010.65
195	महाराष्ट्र	अचलपुर	3759.00	3007.20
196	महाराष्ट्र	अहमदनगर-फेज-1	2549.00	2039.20

197	महाराष्ट्र	अहमदनगर-फेज-2	7305.00	5844.00
198	महाराष्ट्र	अकोट	1957.00	1565.60
199	महाराष्ट्र	अमलनेर	2487.00	1989.60
200	महाराष्ट्र	अंबेजोगई	1102.30	881.84
201	महाराष्ट्र	आरवी	729.30	583.44
202	महाराष्ट्र	आश्ता	673.50	538.80
203	महाराष्ट्र	औरंगाबाद	35967.00	28773.60
204	महाराष्ट्र	बालापुर	605.00	484.00
205	महाराष्ट्र	बारमति	1368.00	1094.40
206	महाराष्ट्र	बस्मथ	3213.00	2570.40
207	महाराष्ट्र	बींद	2076.00	1660.80
208	महाराष्ट्र	भद्रावती	1725.20	1380.16
209	महाराष्ट्र	भोर	319.20	255.36
210	महाराष्ट्र	चालिसगांव	407.00	325.60
211	महाराष्ट्र	चिपलुन	956.00	764.80
212	महाराष्ट्र	चोपाडा	486.00	388.80
213	महाराष्ट्र	दपोली	142.00	113.60
214	महाराष्ट्र	गधिंगलाज	898.05	718.44
215	महाराष्ट्र	गोंडीया	6138.26	4910.61
216	महाराष्ट्र	हदगांव	214.62	171.70
217	महाराष्ट्र	हिंगोली	4576.92	3661.54
218	महाराष्ट्र	इचलकरंजे	3694.82	2955.86
219	महाराष्ट्र	इस्लामपुर	1454.00	1163.20
220	महाराष्ट्र	जालना	12399.00	9919.20
221	महाराष्ट्र	जामनेर	768.60	614.88
222	महाराष्ट्र	जयसिंगपुर	691.20	552.96

223	महाराष्ट्र	जींतुर	909.00	727.20
224	महाराष्ट्र	जुनेर	660.66	528.53
225	महाराष्ट्र	कराद	2910.00	2328.00
226	महाराष्ट्र	करमाला	939.86	751.89
227	महाराष्ट्र	कतोल	1918.00	1534.40
228	महाराष्ट्र	खेमगांव	4328.18	3462.54
229	महाराष्ट्र	खोपोली	1483.00	1186.40
230	महाराष्ट्र	कोल्हापुर	5844.00	4675.20
231	महाराष्ट्र	कुर्दुवाडी	766.84	613.47
232	महाराष्ट्र	मालेगांव	4611.00	3688.80
233	महाराष्ट्र	मंगलवेधा	796.50	637.20
234	महाराष्ट्र	मंमद	336.00	268.80
235	महाराष्ट्र	मुर्तिजपुर	1767.00	1413.60
236	महाराष्ट्र	नंदुरबार	2405.18	1924.14
237	महाराष्ट्र	उसमानाबाद	10349.42	8279.54
238	महाराष्ट्र	पचोरा	1818.00	1454.40
239	महाराष्ट्र	परभणी	10448.00	8358.40
240	महाराष्ट्र	परोला	403.00	322.40
241	महाराष्ट्र	पथ्रि	1043.00	834.40
242	महाराष्ट्र	पेन	1297.00	1037.60
243	महाराष्ट्र	फलटन	3284.87	2627.90
244	महाराष्ट्र	पुसाद	838.90	671.12
245	महाराष्ट्र	रहीमतपुर	403.60	322.88
246	महाराष्ट्र	सेंलु	1189.00	951.20
247	महाराष्ट्र	सांगानेर	878.00	702.40
248	महाराष्ट्र	सांगली, मिराज, कुपवाड, (सांगली - जलापूर्ति)	7902.00	6321.60

249	महाराष्ट्र	संगोल	2145.00	1716.00
250	महाराष्ट्र	सतारा	4715.90	3772.72
251	महाराष्ट्र	शहृद	1724.00	1379.20
252	महाराष्ट्र	शेगांव	3880.64	3104.51
253	महाराष्ट्र	श्रीरामपुर	4357.00	3485.60
254	महाराष्ट्र	सिल्लोद	1236.88	989.50
255	महाराष्ट्र	सोलपुर	7198.95	5759.16
256	महाराष्ट्र	सोनेपथ	298.00	238.40
257	महाराष्ट्र	तासगांव	1456.00	1164.80
258	महाराष्ट्र	तेल्हर	614.00	491.20
259	महाराष्ट्र	उम्रेद	1516.00	1212.80
260	महाराष्ट्र	वदगांव	664.00	531.20
261	महाराष्ट्र	वैजपुर	3490.60	2792.48
262	महाराष्ट्र	विता	747.80	598.24
263	महाराष्ट्र	वाश्मि	2997.00	2397.60
264	महाराष्ट्र	यवतमल	1096.00	876.80
265	महाराष्ट्र	येवला	1012.65	810.12
	महाराष्ट्र कुल		207342.40	165873.92
266	मणिपुर	विश्नुपुर	1209.00	1088.10
267	मणिपुर	जिरिबन	576.00	518.40
268	मणिपुर	कक्चिंग	1327.00	1194.30
269	मणिपुर	मोइरंग	1779.00	1601.10
270	मणिपुर	थोबल	1386.00	1247.40
	मणिपुर कुल		6277.00	5649.30
271	मिजोरम	लुंगलेइ	867.44	780.70
272	मिजोरम	सेर्छिप	687.60	618.84
	मिजोरम कुल		1555.04	1399.54

273	उड़ीसा	अंगुल	1273.32	1018.66
274	उड़ीसा	बारगढ़	3033.00	2426.40
275	उड़ीसा	बरहामपुर	520.15	.416.12
276	उड़ीसा	भवानीपटना	972.00	777.60
277	उड़ीसा	कोरापुट	87.50	70.00
278	उड़ीसा	नयागढ़	2048.66	1638.93
279	उड़ीसा	पारलेखमुंडी	527.74	422.19
280	उड़ीसा	फूलबनी	748.45	598.76
281	उड़ीसा	सम्बलपुर	976.00	780.80
282	उड़ीसा	तल्चर	1069.00	855.20
283	उड़ीसा	व्यसनगर	1429.87	1143.90
	उड़ीसा कुल		12685.69	10148.55
284	पुडुचेरी	यनम	3918.00	3134.40
	पुडुचेरी कुल		3918.00	3134.40
285	पंजाब	आदमपुर	51.00	40.60
286	पंजाब	भटिंडा	2642.00	2113.60
287	पंजाब	फतेह्गई चुरिअन	106.00	84.80
288	पंजाब	फिरोजपुर	834.00	667.20
289	पंजाब	जालंधर (फेज-1)	336.46	269.17
290	पंजाब	कपुरथला	92.00	73.60
291	पंजाब	मजिथ	121.00	96.60
292	पंजाब	मुक्तसर	1541.08	1232.86
293	पंजाब	सुनाम	207.00	165.60
	पंजाब कुल		5930.54	4744.43
294	राजस्थान	ब्यावर	4979.31	3983.45
295	राजस्थान	मक्रन	4870.41	3896.33

296	राजस्थान	उदयपुर	5395.00	4316.00
	राजस्थान कुल		15244.72	12195.78
297	सिक्किम	मंगन	1580.82	1422.74
	सिक्किम कुल		1580.82	1422.74
298	तमिलनाडु	ए. वेल्ललपत्य	347.30	277.84
299	तमिलनाडु	आबिरमम	339.00	271.20
300	तमिलनाडु	अमूर	110.00	88.00
301	तमिलनाडु	अरक्कोनम	844.70	675.76
302	तमिलनाडु	अरंथंगि	340.00	272.00
303	तमिलनाडु	बूथिपुराम	61.18	48.94
304	तमिलनाडु	चेत्तिपलयम	71.07	56.86
305	तमिलनाडु	चिदम्बरम	615.60	492.48
306	तमिलनाडु	देवकोट्टी	30.00	24.00
307	तमिलनाडु	इरोड	588.16	470.53
308	तमिलनाडु	गंधिनगर	29.15	23.32
309	तमिलनाडु	गुदलोरे	165.10	132.08
310	तमिलनाडु	गुडलुर	525.00	420.00
311	तमिलनाडु	इलयंकुदि	1121.00	896.80
312	तमिलनाडु	कलिंजुर	105.27	84.22
313	तमिलनाडु	कमुधि	801.00	640.80
314	तमिलनाडु	करुमथम्पत्ति	561.41	449.13
315	तमिलनाडु	करुर	110.38	88.30
316	तमिलनाडु	कीलकरै	2015.50	1612.40
317	तमिलनाडु	कोम्बै	223.00	178.40
318	तमिलनाडु	मंदपम	893.00	714.40
319	तमिलनाडु	मनिमुथरु	130.84	104.67

320	तमिलनाडु	मरैमलैनगर	254.00	203.20
321	तमिलनाडु	मरुंगूर	31.26	25.01
322	तमिलनाडु	मेथुर	1247.19	997.75
323	तमिलनाडु	मूलकरैपत्ति	226.00	180.80
324	तमिलनाडु	मुदुकुलथुर	1127.00	901.60
325	तमिलनाडु	म्य्लद्रि	25.91	20.73
326	तमिलनाडु	नल्लूर	62.69	50.15
327	तमिलनाडु	नमक्काल	990.50	792.40
328	तमिलनाडु	नेर्कूप्पै	314.00	251.20
329	तमिलनाडु	ओद्दंचतराम	581.17	464.94
330	तमिलनाडु	ओथकल्मंदपम	51.52	41.22
331	तमिलनाडु	पलयम	159.18	127.34
332	तमिलनाडु	पल्लदम	891.23	712.98
333	तमिलनाडु	पनैपुराम	155.37	124.30
334	तमिलनाडु	पर्मकुदि	5824.30	4659.44
335	तमिलनाडु	पोन्नमरवथ्य	721.00	576.80
336	तमिलनाडु	आर.एस. मंगलम	567.00	453.60
337	तमिलनाडु	रामनाथपुरम	4770.00	3816.00
338	तमिलनाडु	रामेश्वरम	3376.50	2701.20
339	तमिलनाडु	रसिपुरम	669.20	535.36
340	तमिलनाडु	समलपुराम	337.87	270.30
341	तमिलनाडु	सर्कर्समकुलम	78.27	62.62
342	तमिलनाडु	सयल्कुदि	853.60	682.88
343	तमिलनाडु	सेवुगपत्ति	141.84	113.47
344	तमिलनाडु	शेंबक्कम	78.65	62.92
345	तमिलनाडु	सिवगंगै	3279.90	2623.92

346	तमिलनाडु	श्रिविल्लिपुथुर	2949.19	2359.35
347	तमिलनाडु	थंजावुर	904.00	723.20
348	तमिलनाडु	थेवराम	252.25	201.80
349	तमिलनाडु	थिमिरि	101.00	80.80
350	तमिलनाडु	थिरुकज्हुकुंदराम	105.00	84.00
351	तमिलनाडु	थिरुमलयम्पलयम	57.62	46.10
352	तमिलनाडु	थिरुपथुर (शिवगंगा जिला)	1447.00	1157.60
353	तमिलनाडु	थिरुपथुर (वेल्लोर जिला)	648.00	518.40
354	तमिलनाडु	थिरुथानि	512.30	409.84
355	तमिलनाडु	थोंदि	930.00	744.00
356	तमिलनाडु	वल्पै	221.40	177.12
357	तमिलनाडु	वेदसंदुर	236.68	189.34
358	तमिलनाडु	वेल्लकोइल	947.06	757.65
359	तमिलनाडु	विक्रम्सिंगपुराम	246.00	196.80
360	तमिलनाडु	विल्लुपुरम	955.00	764.00
	तमिलनाडु कुल		47355.31	37884.25
361	उत्तर प्रदेश	बस्ती	973.26	778.61
362	उत्तर प्रदेश	फतेहपुर (जिला-फतेहपुर)	1570.04	1256.03
363	उत्तर प्रदेश	फिरोजाबाद	2638.88	2111.10
364	उत्तर प्रदेश	सिद्धर्थनगर	203.36	162.69
365	उत्तर प्रदेश	उन्नाव	385.09	308.07
366	उत्तर प्रदेश	बलिया	804.23	643.38
367	उत्तर प्रदेश	एटा	962.48	769.98
368	उत्तर प्रदेश	बुलंदशहर	1937.86	1550.29
369	उत्तर प्रदेश	गोंडा	985.71	788.57
370	उत्तर प्रदेश	बरुआसागर	718.62	574.90

371	उत्तर प्रदेश	फैजाबाद	1880.82	1504.66
372	उत्तर प्रदेश	गोरखपुर	1598.85	1279.08
373	उत्तर प्रदेश	लोनी	4983.63	3986.90
374	उत्तर प्रदेश	बागपत	318.15	254.52
375	उत्तर प्रदेश	गाजीपुर	681.58	545.26
376	उत्तर प्रदेश	खुर्जा (बुलंदशहर)	1243.81	995.05
377	उत्तर प्रदेश	मुरादाबाद	3719.24	2975.39
378	उत्तर प्रदेश	मुजफ्फरनगर	3214.33	2571.46
379	उत्तर प्रदेश	हापुड़	2848.96	2279.17
380	उत्तर प्रदेश	लहरपुर (सीतापुर)	178.25	142.60
381	उत्तर प्रदेश	मोदीनगर	2339.17	1871.34
382	उत्तर प्रदेश	नंपरा (बहराइच)	237.78	190.22
383	उत्तर प्रदेश	सम्भल	1201.29	961.03
384	उत्तर प्रदेश	बदायुं	1118.74	894.99
385	उत्तर प्रदेश	बलरामपुर	616.29	493.03
386	उत्तर प्रदेश	बिजनौर	1036.94	829.55
387	उत्तर प्रदेश	देवरिया	1104.06	883.25
388	उत्तर प्रदेश	कन्नौज	885.26	708.21
389	उत्तर प्रदेश	लखीमपुर	1190.31	952.25
390	उत्तर प्रदेश	मउ	555.93	444.74
391	उत्तर प्रदेश	रामनगर	591.93	473.54
392	उत्तर प्रदेश	शाहजहांपुर	999.77	799.82
393	उत्तर प्रदेश	आजमगढ़	458.34	366.67
394	उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद (पीटी-1)	3108.12	2486.50
395	उत्तर प्रदेश	पदुर्न	615.25	492.20

396	उत्तर प्रदेश	संदिल	693.58	554.86
	उत्तर प्रदेश कुल		48599.91	38879.93
397	बंगाल	अरमबाग	1122.21	897.77
398	पश्चिम बंगाल	बेर्हम्पोरे	1270.00	1016.00
399	पश्चिम बंगाल	कोंटाइ	2317.88	1854.30
400	पश्चिम बंगाल	धुलिअन	2062.64	1650.11
401	पश्चिम बंगाल	डायमंड हार्बर	3479.90	2783.92
402	पश्चिम बंगाल	गुश्कर	780.27	624.22
403	पश्चिम बंगाल	हल्दिया	558.57	446.86
404	पश्चिम बंगाल	कलियगंज	1167.84	934.27
405	पश्चिम बंगाल	कांदी	3740.29	2992.23
406	पश्चिम बंगाल	कातवा	1298.14	1038.51
407	पश्चिम बंगाल	खरर	679.17	543.34
408	पश्चिम बंगाल	खिपैं	946.34	757.07
409	पश्चिम बंगाल	कृष्णानगर	1243.00	994.40
410	पश्चिम बंगाल	नलहाटी	567.62	454.10
411	पश्चिम बंगाल	ओल्ड मालदा	1819.86	1455.89
412	पश्चिम बंगाल	रम्पुर्हत	715.67	572.54
413	पश्चिम बंगाल	शांतीपुर	1724.00	1379.20
414	पश्चिम बंगाल	सिलिगुडी	2271.00	1816.80
415	पश्चिम बंगाल	सुरी	965.73	772.58
416	पश्चिम बंगाल	तहेरपुर	867.75	694.20
417	पश्चिम बंगाल	तामलुक	1135.60	908.48
418	पश्चिम बंगाल	तरकेश्वर	927.58	742.06
	पश्चिम बंगाल कुल		31661.06	25328.85
	सकल योग		786721.36	634440.34

वित्त वर्ष 2007-08 में स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य	शहर	सेक्टर	परियोजनाओं का नाम	केन्द्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति द्वारा अनुमोदन की तारीख	अनुमोदित लागत (लाख रु. में)	निर्धारित अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (लाख रु. में)	उपयोगिता हेतु जारी एसीए की राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद	जलापूर्ति	कृष्णा पेयजल आपूर्ति परियोजना (फेज-II)	26 नवम्बर, 07	60650.00	21227.50	21227.50
2	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद	जलापूर्ति	पुराना हैदराबाद नगर निगम के दस जोनों में वितरण नेटवर्क समेत मौजुदा फीडर प्रणाली का पुनर्वितरण	28 जनवरी 07	23222.00	8127.70	2031.92
3	आन्ध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	जलापूर्ति	जीवीएमसी (फेज-II) क्षेत्र के गाजुवाका में जला आपूर्ति वितरण प्रणाली प्रदान करना	7 दिसम्बर 07	4600.00	2300.00	575.00
4	आन्ध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	जलापूर्ति	बाहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति बढ़ाना	28 दिसम्बर 07	24074.00	12037.00	2407.40
5	असम	गुवाहाटी	जलापूर्ति	गुवाहाटी मेट्रो नगर विकास क्षेत्र में दक्षिण गुवाहाटी पश्चिम जल आपूर्ति स्कीम का प्रस्ताव	29 फरवरी 08	28094.00	25284.60	0.00
6	गुजरात	सूरत	जलापूर्ति	सूरत नगर निगम के नव पूर्वी जोन क्षेत्रों में जल आपूर्ति प्रणाली	29 फरवरी 08	16743.43	8371.71	0.00
7	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर	जलापूर्ति	ग्रेटर श्रीनगर के तंग नगर जोन (जोन-V) को जल आपूर्ति प्रणाली	23 नवम्बर 07	14837.00	13353.30	3338.33
8	कर्नाटक	मैसूर	जलापूर्ति	मैसूर के लिए जल आपूर्ति परियोजना	7 मार्च 08	10881.99	8705.59	0.00
9	मध्य प्रदेश	भोपाल	जलापूर्ति	भोपाल के लिए नर्मदा जल आपूर्ति परियोजना	15 फरवरी 08	30604.16	15302.08	3825.52

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	मध्य प्रदेश	उज्जैन	जलापूर्ति	जल आपूर्ति स्कीम का पुनर्गठन	7 मार्च 08	6686.44	5349.15	1337.28
11	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुम्बई	जलापूर्ति	मालावार हिल जलाशय से क्रास मैदान तक भूमिगत टनल (3.6 कि.मी.)	20 जुलाई, 07	9398.79	3289.58	822.39
12	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	जलापूर्ति	मरोशी से रुपारेल कॉलेज तक भूमिगत सुरंग तक (12 कि.मी.)	7 सितम्बर 07	29486.76	10320.37	2580.09
13	मिजोरम	आइजल	जलापूर्ति	ग्रेटर आइजोल जल आपूर्ति स्कीम फेज-II का पंपिंग मशीनरी एवं उपकरणों का नवोकरण एवं ट्रांसमिशन प्रणाली	23 नवम्बर, 07	1681.80	1513.62	378.41
14	राजस्थान	अजमेर - पुष्कर	जलापूर्ति	अजमेर-पुष्कर के लिए जलापूर्ति	28 दिसम्बर 07	16642.00	13313.00	0.00
15	तमिलनाडु	चेन्नई	जलापूर्ति	पोरपुर टाउन पंचायत को जल आपूर्ति में सुधार	18 मई, 07	1235.79	432.53	108.13
16	तमिलनाडु	चेन्नई	जलापूर्ति	मदुरावाइल को जलापूर्ति में सुधार	20 जुलाई, 07	2330.00	815.50	203.88
17	तमिलनाडु	चेन्नई	जलापूर्ति	कच्चे जल शोधन संयंत्र के लिए पुंडी जलाशय निकट 90 क्यूसेक नहर से अधिक संप कंप पंप गृह का निर्माण	6 अगस्त, 07	911.00	318.85	79.71
18	तमिलनाडु	चेन्नई	जलापूर्ति	आवाडी नगर निगम की व्यापक जलापूर्ति स्कीम	26 अक्टूबर 07	10384.00	3634.40	908.60
19	तमिलनाड	चेन्नई	जलापूर्ति	नेरकुन्दरम ग्राम पंचायत सुधार जल आपूर्ति	18 फरवरी, 08	1917.00	670.95	67.09
20	तमिलनाडु	चेन्नई	जलापूर्ति	उल्ग्राम पुझुथिवाकम नगर निगम को व्यापक जल आपूर्ति स्कीम प्रदान करना	23 नवम्बर 07	2424.00	848.40	212.10
21	उत्तर प्रदेश	आगरा	जलापूर्ति	आगरा जलापूर्ति	22 फरवरी 08	8270.50	4135.25	1033.81
22	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद	जलापूर्ति	इलाहाबाद नगर की जलापूर्ति कम्पोनेंट	6 अगस्त, 07	8969.00	4484.50	1121.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	उत्तर प्रदेश	कानपुर	जलापूर्ति	कानपुर शहर के इंदर ओल्ड एरिया का जलापूर्ति निर्माण	26 अक्टूबर 07	27094.89	13547.44	2709.49
24	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	जलापूर्ति	लखनऊ जलापूर्ति निर्माण (फेज 1 पार्ट 1 खंड। से V)	7 सितम्बर 07	38861.00	19430.50	4857.63
25	उत्तर प्रदेश	मेरठ	जलापूर्ति	मेरठ के लिए जल आपूर्ति	11 जनवरी, 08	27301.00	13650.00	3412.63
26	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	जलापूर्ति	बनारस की जलापूर्ति घटक प्राथमिकता	6 अगस्त 07	11102.00	5551.00	1387.75
27	उत्तराखंड	देहरादून	जलापूर्ति	जलापूर्ति स्कीम (फेज-।)	28 दिसम्बर 07	7002.70	5602.16	840.32
28	उत्तराखंड	हरिद्वार	जलापूर्ति	जल आपूर्ति पुनर्गठन स्कीम	28 जनवरी, 08	4784.43	3827.54	574.13
29	उत्तराखंड	नैनीताल	जलापूर्ति	जलापूर्ति भाग-। की शुरुआत और नवीकरण	28 दिसम्बर 07	547.00	437.60	109.40
30	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	जलापूर्ति	हावड़ा नगर निगम में शामिल किए गए क्षेत्रों हेतु जलापूर्ति स्कीम	18 मई, 07	9068.91	3174.12	793.53
31	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	जलापूर्ति	सार्क लेक में सैक्टर-V, नाबा डीजीअंता इन्डस्ट्रियल टाउन शिप में जलापूर्ति और सीवरेज प्रणाली का विकास और प्रबंधन	28 दिसम्बर 07	2606.62	912.32	228.08
32	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	जलापूर्ति	बैरकपुर और नॉर्थ बैरकपुर नगरीय क्षेत्र	11 जनवरी, 08	12950.88	4532.81	226.64
33	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	जलापूर्ति	चन्द्रानगौर नगर निगम हेतु 24x7 जलापूर्ति स्कीम	8 फरवरी 08	2521.87	882.67	44.13
34	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	जलापूर्ति	नेहाटी हालीशहर कंचरापाडा गेसपुर और कल्याणी के असम्मिलित क्षेत्रों, कोलकाता के नगरीय क्षेत्रों हेतु भूतल जलापूर्ति स्कीम	22 फरवरी, 08	14194.25	4967.98	0.00

वित्त वर्ष 2008-09 में स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य	शहर	सेक्टर	परियोजनाओं का नाम	केन्द्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति द्वारा अनुमोदन की तारीख	अनुमोदित लागत (लाख रु. में)	निर्धारित अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (लाख रु. में)	उपयोगिता हेतु जारी एसीए की राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	आन्ध्र प्रदेश	विशालखापट्टनम	जलापूर्ति	ग्रेटर विशाखापट्टनम नगर निगम के केन्द्रीय क्षेत्र में पूर्वोत्तर क्षेत्र में व्यापक जलापूर्ति को दुरुस्त करना	22 जनवरी 09	19018.00	9509.00	2377.25
2	आन्ध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	जलापूर्ति	ग्रेटर विशाखापट्टनम में ओल्ड सिटी में प्रस्तावित जलापूर्ति	22 जनवरी 09	4973.48	2396.74	599.18
3	बिहार	पटना	जलापूर्ति	फुलवा शरीफ जलापूर्ति स्कीम	29 दिसम्बर 08	2470.26	1235.13	123.51
4	बिहार	पटना	जलापूर्ति	खागुल जलापूर्ति स्कीम	29 दिसम्बर 08	1315.43	657.72	154.43
5	बिहार	बोधगया	जलापूर्ति	बोधगया जलापूर्ति परियोजना	14 जनवरी 09	3355.72	2684.57	671.14
6	बिहार	पटना	जलापूर्ति	दानारपुरजलापूर्ति परियोजना	13 फरवरी 09	6896.45	3448.23	862.06
7	बिहार	पटना	जलापूर्ति	पटना शहर के जलापूर्ति प्रणाली का सुधार एवं संवर्धन	20 फरवरी 09	42698.00	21349.00	0.00
8	गुजरात	सूरत	जलापूर्ति	दक्षिण पूर्वी जोन क्षेत्र हेतु जलापूर्ति वितरण प्रणाली	6 फरवरी 09	20109.67	10055.00	2514.00
9	गुजरात	बड़ोदरा	जलापूर्ति	बड़ोदरा, गुजरात, फेज-2 के जलापूर्ति (कैनाल आधारित के लिए स्रोत संवर्धन)	13 फरवरी 09	3839.00	1919.00	480

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	हरियाणा	फरीदाबाद	जलापूर्ति	फरीदाबाद टाउन, हरियाणा हेतु जलापूर्ति का संवर्धन	14 फरवरी, 09	49349.00	24674.50	6168.61
11	हिमाचल प्रदेश	शिमला	जलापूर्ति	शिमला शहर हेतु जलापूर्ति वितरण प्रणाली का पुनर्वास	20 फरवरी 09	7236.00	5788.80	0.00
12	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर	जलापूर्ति	ग्रेटर श्रीनगर के जोन 4 हेतु जलापूर्ति का संवर्धन	13 फरवरी 09	12100.00	10000.00	2500.00
13	झारखंड	रांची	जलापूर्ति	रांची हेतु जलापूर्ति परियोजना	19 अगस्त 08	28839.15	23071.32	5767.83
14	झारखंड	धनबाद	जलापूर्ति	धनबाद के लिए जलापूर्ति का सुधार	21 नवम्बर 08	36585.00	18292.65	914.63
15	मध्य प्रदेश	भोपाल	जलापूर्ति	भोपाल का जलापूर्ति वितरण नेटवर्क	14 जनवरी 09	41545.64	20772.82	5193.2
16	मध्य प्रदेश	जबलपुर	जलापूर्ति	रनझी, पफगुआ में मौजूदा पंपिंग स्टेशन का पुनर्वास और गोंगाद्वारा डब्ल्यूटीपी में नए पंपिंग स्टेशन का निर्माण	20 फरवरी 09	1406.00	703.00	0.00
17	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	जलापूर्ति	कल्याण, डुमलीवली नगर निगम का 150 एमएलडी जलापूर्ति स्कीम	14 अक्टूबर 08	10681.49	3738.52	373.85
18	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	जलापूर्ति	नवी मुंबई - नवी मुंबई नगर निगम हेतु जलापूर्ति वितरण प्रणाली का संवर्धन	30 अक्तूबर 08	23052.03	8068.21	2017.05
19	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	जलापूर्ति	उल्हास नगर - जलापूर्ति वितरण प्रणाली	19 दिसम्बर 08	12765.23	4467.83	223.30
20	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	जलापूर्ति	कल्याण डुमिलीवली नगर निगम के मौजूदा जलापूर्ति का संवर्धन	6 फरवरी 09	25363.48	8876.51	2219.13
21	महाराष्ट्र	पुणे	जलापूर्ति	पीसीएमसी जलापूर्ति, फेज-2	14 जनवरी 09	13511.82	6755.91	1751.1
22	महाराष्ट्र	नागपुर	जलापूर्ति	46 समूहों में एनआईटी क्षेत्र फेज-2, तृतीयक वितरण नेटवर्क हेतु जलापूर्ति	13 फरवरी 09	29639.55	14819.78	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	महाराष्ट्र	नागपुर	जलापूर्ति	पीपीपी फ्रेमवर्क में नागपुर के लिए 24x7 जलापूर्ति स्कीम के कार्यान्वयन के लिए पुनर्वास योजना	13 फरवरी 09	38786.00	19393.00	0.00
24	मेघालय	शिलांग	जलापूर्ति	शिलांग के लिए जलापूर्ति के संवर्धन हेतु ग्रेटर शिलांग जलापूर्ति परियोजना, फेज-3	19 अगस्त 08	19349.72	17414.75	4353.69
25	उड़ीसा	पुरी	जलापूर्ति	पुरी कस्बे के लिए 24x7 जलापूर्ति	18 जुलाई, 08	16690.00	13352 .00	3338.00
26	तमिलनाडु	चेन्नई	जलापूर्ति	थिरुवेट्यूर नगर पालिका के लिए व्यापक जलापूर्ति स्कीम मुहैया कराना	21 नवम्बर, 08	8511.70	2979. 00	745.00
27	तमिलनाडु	चेन्नई	जलापूर्ति	अलनडूर नगर पालिका के लिए व्यापक जलापूर्ति स्कीम	29 दिसम्बर 08	6439.00	2254.00	564.00
28	तमिलनाडु	कोयंबटूर	जलापूर्ति	कोयम्बटूर शहरी समूह में 16 कस्बा पंचायतों के लिए जलापूर्ति सुधार स्कीम	6 फरवरी 09	5882.36	2941.18	735.30
29	तमिलनाडु	चेन्नई	जलापूर्ति	अम्बाटूर नगरपालिका के पूरे क्षेत्र में व्यापक जलापूर्ति मुहैया कराना	14 जनवरी 09	26708.00	9347.00	2336.95
30	तमिलनाडु	मदुरै	जलापूर्ति	मदुरै शहरी समूह के लिए संयुक्त जलापूर्ति स्कीम	20 फरवरी 09	20141.00	10070.50	0.00
31	त्रिपुरा	अगरतला	जलापूर्ति	अगरतला जलापूर्ति परियोजना (उत्तरी जोन)	19 सितम्बर 08	7826.00	7043.40	1760.85
32	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद	जलापूर्ति	इलाहाबाद शहर (भाग-2) का जलापूर्ति घटक	29 दिसम्बर 08	16234.00	8117.00	1623.00
33	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	जलापूर्ति	सीएस वरुण क्षेत्र की जलापूर्ति (भाग-2)	30 अक्टूबर 08	8610.00	4305.00	1076.25
34	उत्तर प्रदेश	कानपुर	जलापूर्ति	कानपुर के शेष क्षेत्रों के लिए जलापूर्ति (भाग-2)	22 जनवरी 09	37778.92	18889.46	4722.37
35	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	जलापूर्ति	लखनऊ के लिए जलापूर्ति (फेज-1 भाग-2)	20 फरवरी 09	14656.60	7328.25	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	जलापूर्ति	तल्लाहप्लाटा डेडीकेटेड ट्रांसमिशन मेन	16 मई, 08	30492.48	10672.37	2668.09
37	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	जलापूर्ति	गरुलिया नगर पालिका के लिए 24x7 जलापूर्ति स्कीम	14 अक्टूबर 08	4719.26	1651.74	412.94
38	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	जलापूर्ति	दमदम, नार्थ दमदम और साउथ दमदम नगर पालिकाओं के लिए ट्रांसम्यूनिसिपल सतही जलापूर्ति स्कीम	22 जनवरी 09	31272.08	10945.23	2736.31
39	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	जलापूर्ति	भद्रेश्वर नगर पालिका क्षेत्र कोलकाता अर्बन एरिया के लिए जलापूर्ति स्कीम	20 फरवरी 09	7462.89	2612.01	0.00
40	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	जलापूर्ति	बजबज नगर पालिका कोलकाता अर्बन एरिया के लिए 24x7 जलापूर्ति स्कीम	26 फरवरी 09	8164.12	2857.44	0.00
	कुल							

वित्त वर्ष 2009-10 में स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य	शहर	सेक्टर	परियोजनाओं का नाम	स्वीकृति का वर्ष	केन्द्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति द्वारा अनुमोदन की तारीख	अनुमोदित लागत (लाख रु. में)	निर्धारित अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (लाख रु. में)	उपयोग हेतु जारी एसीए धनराशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद	जलापूर्ति	जीएचएमसी के राजेन्द्र नगर निगम सरकल के चयनित प्राथमिकता वाले ज़ोन हेतु सीवरेज मास्टर प्लान का कार्यान्वयन तथा व्यापक जलापूर्ति नेटवर्क	2009-10	22 जनवरी 10	31426.00	9000.00	0.00
2	चंडीगढ़	चंडीगढ़	जलापूर्ति	जलापूर्ति फेज-5 चंडीगढ़ में वृद्धि करना	2009-10	20 नवम्बर-09	13421.00	10738.80	0.00
3	गुजरात	वडोदरा	जलापूर्ति	वडोदरा शहर में क - वर्षा जलनिकासी क्षेत्र ख-जलापूर्ति क्षेत्र में कान्स के पुनर्वास के विकास हेतु बुनियादी सेवा	2009-10	29 सितम्बर 09	16789.88	8394.94	2098.73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	गुजरात	वडोदरा	जलापूर्ति	वडोदरा शहर के आजवा जोन में जलापूर्ति के लिए अनुपूरक डीपीआर	2009-10	9-फरवरी-10	2059.26	605.50	151.37
5	पंजाब	अमृतसर	जलापूर्ति	वाल्ड सिटी एरिया अमृतसर के लिए मौजूदा जलापूर्ति का पुनर्वास	2009-10	20-नवम्बर-09	4578.00	2289.00	572.25
6	सिक्किम	गंगटोक	जलापूर्ति	ग्रेटर गंगटोक के लिए कच्चा जल मुख्य मार्ग और जल शोधन संयंत्र का उन्नयन और आधुनिकीकरण	2009-10	20-नवम्बर-09	7261.66	6535.49	1663.87
7	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	जलापूर्ति	वाराणसी शहर के वरुण पार क्षेत्र के लिए जलापूर्ति घटक (प्राथमिकता 2)	2009-10	25-सितम्बर 09	20916.00	9000.00	2250.00
8	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	जलापूर्ति	20 एमजीडी धापा जल शोधन संयंत्र के कमांड जोन में व्यापक वितरण नेटवर्क	2009-10	24-अप्रैल-09	21555.27	7544.34	1886.06
9	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	जलापूर्ति	भाटपारा नगरपालिका क्षेत्र के लिए जलापूर्ति स्कीम	2009-10	28 अगस्त 09	24970.42	8739.65	2184.91
10	पश्चिम बंगाल	आसनसोल	जलापूर्ति	दुर्गापुर के लिए 24x7 जलापूर्ति स्कीम (फेज-3)	2009-10	11-दिसम्बर-09	12681.40	6340.70	1585.18
11	पश्चिम बंगाल	असानसोल	जलापूर्ति	कुल्टी नगर पालिका आसनसोल अर्बन एरिया के लिए 24x7 जलापूर्ति स्कीम	2009-10	22-जनवरी-10	13370.60	6685.30	1671.33
12	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	जलापूर्ति	चन्द्र नगर निगम के लिए जलापूर्ति प्रणाली की मीटरिंग	2009-10	22-जनवरी-10	1369.41	479.29	119.82
13	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	जलापूर्ति	बल्ली नगरपालिका कोलकाता के लिए 27 जलापूर्ति स्कीम	2009-10	19 मार्च-10	13849.36	4847.28	0.00
	कुल						184248.26	81200.29	14183.52

गैर-सरकारी संगठनों हेतु विदेशी अंशदान

4. **श्री पी.सी. मोहन : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सक्षम प्राधिकारियों को सहकारी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत अन्य संगठनों के माध्यम से तथा विदेशी अंशदान प्राप्त करने की पूर्वानुमति के साथ विदेशी अंशदान प्राप्त करने के लिए गैर-सरकारी संगठन को स्वीकृति प्रदान करने की अनुमति है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान सहकारी पंजीकरण, दिल्ली के अंतर्गत पंजीकृत संगठनों को दी गई ऐसी अनुमति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गैर-सरकारी संगठनों तथा इनके संगठनों का ब्यौरा क्या है जिनके माध्यम से धनराशि प्राप्त हो गई?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अंतर्गत दिल्ली में पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों को दिनांक 1.1.2008 से 31.12.2010 तक की अवधि के दौरान प्रदान की गई ऐसी अनुमति की संख्या वर्ष 2010 के दौरान केवल 'एक' है।

टी.वी. चैनलों के परिचालन की अनुमति

5. **श्री जी.एम. सिद्देश्वर :**
श्री पी.के. बिजू :
क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कार्यरत/प्रचालनरत कितने समाचार तथा मनोरंजन टी.वी. चैनल हैं तथा नए टी.वी. चैनलों के प्रचालन हेतु सरकार को कितने अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या सरकार के पास देश में निजी समाचार तथा मनोरंजन चैनलों के प्रचालन को अनुमति प्रदान करने के लिए बड़ी संख्या में आवेदन लंबित हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं तथा इन पर अब तक क्या कार्रवाई की गई;

(घ) क्या इस संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की सिफारिशें सरकार द्वारा मंजूर कर ली गई हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा विहित मानदंडों/दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं करने वाले कितने विद्यमान टीवी चैनल हैं तथा उनके खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ) : (क) दिनांक 19.01.2011 तक की स्थिति के अनुसार मंत्रालय ने 314 गैर-समाचार एवं समसामयिक विषयक चैनलों और 312 समाचार एवं समसामयिक विषयक चैनलों को अनुमति प्रदान की है। नए टीवी चैनलों को प्रचालित करने के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु इस मंत्रालय में 293 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग) टीवी चैनल प्रचालित करने हेतु अनुमति देने के लिए मंत्रालय में 293 आवेदन प्राप्त हुए हैं। मंत्रालय में नए आवेदनों की प्राप्ति एक सतत प्रक्रिया है। प्राप्त हुए आवेदनों पर अपलिंकिंग/डाउनलिंकिंग दिशानिर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाती है और गृह मंत्रालय, अंतरिक्ष विभाग और राजस्व विभाग, यथास्थिति, से अनापत्तियां प्राप्त होने के पश्चात अनुमति जारी की जाती है।

(घ) और (ङ) मंत्रालय में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की सिफारिशों पर विचार किया गया है और प्रत्येक सिफारिश पर मंत्रालय की राय/विचार को दिनांक 02.02.2011 को आगे की अनुशंसा हेतु ट्राई के पास भेज दिया गया है। मंत्रालय के विचारों को मंत्रालय की वेबसाइट www.mib.in पर भी डाल दिया गया है।

(च) जनवरी, 2008 से दिनांक 17.02.2011 तक की अवधि के दौरान विभिन्न चैनलों द्वारा कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिताओं के उल्लंघन के 75 मामले ध्यान में लाए गए हैं। मंत्रालय ने केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले चैनलों के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई की है।

आटा मिलों के लिए गेहूं

6. **श्री के.सी. सिंह 'बाबा' : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम के अंतर्गत पंजीकृत कितनी रोलर आटा मिले हैं तथा इनमें कितनी मिलों को भारतीय खाद्य निगम से गेहूं की आपूर्ति की जाती है एवं गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान राज्यवार प्रति सप्ताह औसत कितनी मात्रा संवितरित की गई;

(ख) इन मिलों को किन दरों पर गेहूं की आपूर्ति की गई तथा उस समय ऐसे गेहूं का बाजार मूल्य कितना था;

(ग) क्या भारतीय खाद्य निगम ने दिसंबर, 2009 के दौरान बोलियां शुरू होने के बाद इन मिलों को सस्ती दर पर गेहूं प्रदान करने के लिए प्रदूषण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने सहित कतिपय शर्तें लगाई हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप अयोग्य ठहराई गई मिलों की संख्या बताते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पहल का उपभोक्ताओं पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) रोलर फ्लोर मिलों आदि का पैनल बनाने की पद्धति 1.12.2009 से शुरू की गई है। दिल्ली में फिलहाल भारतीय खाद्य निगम के पास 57 रोलर फ्लोर मिलों का पैनल है। खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के अधीन केवल दिल्ली में, न कि अन्य राज्यों में, इन क्रेताओं को गेहूं बेचा जाता है।

दिल्ली क्षेत्र में 2007-08 के दौरान खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के अधीन गेहूं का कोई स्टाक नहीं बेचा गया था। 2008-09 के दौरान 85 क्रेताओं को निविदाओं के जरिए गेहूं बेचा गया था। विभिन्न निविदाओं में बेचे गए गेहूं की मात्रा बताते हुए क्रेतावार ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं।

वर्ष 2009-10 और 2010-11 में दिल्ली में निविदाओं के जरिए बेचे गए गेहूं के ब्यौरे क्रमशः विवरण-II और III में दिए गए हैं।

(ख) गेहूं के स्टाक की बिक्री उच्च स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित आरक्षित मूल्य पर अथवा निविदाकर्ताओं द्वारा यदि उच्चतर मूल्य की पेश की जाती है तो उस पर निविदाओं के जरिए की जाती है। जनवरी, 2009 से फरवरी, 2011 तक की अवधि के लिए गेहूं के वर्षवार प्रचलित थोक मूल्य विवरण-IV में दिए गए हैं। वर्ष 2008-09 से 2010-11 तक के आरक्षित मूल्य बताने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-V में दिया गया है।

(ग) से (ङ) जी, हां। अनुमोदित दिशा निर्देशों के अनुसार महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम (क्षेत्र) की अध्यक्षता वाली समिति को थोक उपभोक्तओं को खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के अधीन गेहूं की बिक्री करने की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं। दिल्ली क्षेत्र में पात्र थोक उपभोक्ताओं का पैनल बनाते समय सक्षम समिति ने दिल्ली के रिहायशी/अपुष्ट क्षेत्रों में स्थित मिल वाले थोक उपभोक्ताओं के संबंध में विचार नहीं किया क्योंकि भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने एमसी मेहता बनाम भारत संघ और अन्य रिट याचिका (सी) संख्या 4677/985 के मुकदमें में उद्योगों को अपुष्ट क्षेत्रों से स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने पुष्टि की है कि 56 मिलें अनुमोदित औद्योगिक क्षेत्र/गैर रिहायशी क्षेत्रों में स्थित थी और उन्हें या तो उनकी सहमति प्राप्त थी अथवा सहमति दिए जाने/उसका नवीकरण करने के लिए उनके मामले विचाराधीन थे। महाप्रबंधक (दिल्ली क्षेत्र), भारतीय खाद्य निगम की अध्यक्षता वाली समिति ने इन 56 मामलों में पैनल बनाने और खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के तहत गेहूं की थोक बिक्री करने पर विचार किया था। शेष 44 मिलें जो रिहायशी/एमपीडी-2021 में पुनर्विकास के लिए औद्योगिक आवासीय/अपुष्ट समूहों में स्थित थी उन्हें महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम (दिल्ली क्षेत्र) की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा पात्र नहीं माना गया था। बाद में भारतीय खाद्य निगम द्वारा एक और क्रेता को पात्र के रूप में पैनल में रखा गया था।

दिल्ली राज्य के थोक उपभोक्ताओं के लिए किए गए गेहूं के 2,26,608 टन आबंटन के प्रति भारतीय खाद्य निगम ने अक्तूबर, 2009 से दिसम्बर, 2010 तक 2,18,810 टन गेहूं बेचा है। इसी प्रकार दिल्ली राज्य के थोक उपभोक्ताओं किए गए 1,57,000 टन गेहूं के आबंटन के प्रति भारतीय खाद्य निगम ने जनवरी, 2011 से फरवरी, 2011 तक (15.2.2011 की स्थिति के अनुसार) 64,360 टन गेहूं बेचा है।

विवरण-I

2008-09 के दौरान खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) बल्क के तहत पार्टीवार गेहूं आबंटन का विवरण

क्रम सं.	पार्टी का नाम	23.10.2008 की पहली निविदा के प्रति	21.11.2008 की दूसरी निविदा के प्रति	23.12.2008 की तीसरी निविदा के प्रति	28.01.2009 की चौथी निविदा के प्रति	16.02.2009 की पांचवीं निविदा के प्रति	24/25.02.2009 की छठी निविदा के प्रति	कुल मात्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	बवाना दाल एंड फ्लोर मिल्स, सेक्टर-4, जे-120, इंडस्ट्रीयल एरिया बवाना, दिल्ली	1000	470	1000	400	390	207	3467

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	शक्ति भोग फूड्स लि., 24 एसएसआई इंडस्ट्रीयल एरिया, जी.टी. रोड़, दिल्ली-110033	1000	470	1000	380	460	850	4160
3	बजरंग फ्लोर मिल्स, पी-19, सेक्टर-01, डीएसआईडीसी, बवाना, दिल्ली	800	455	1000	380	410	980	4025
4	जे जे फूड्स प्रा. लि., एफ-1738, डीएसआईडीसी काम्पलैक्स, इंडस्ट्रीयल एरिया, नरेला, दिल्ली-110040	1000	470	1000	400	390	1000	4260
5	श्री कालका फ्लोर मिल्स, सी-29, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस-1, नई दिल्ली	115	550	220	210	500	1845	250
6	सहरावत फ्लोर मिल्स, जी-46, सेक्टर-2, डीएसआईडीसी, बवाना, दिल्ली	500	235	800	320	310	740	2905
7	जुगल किशोर हरबंश लाल, बी-40/1 और 40/2, लॉरेंश रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, दिल्ली-110035	1000	550	1000	400	390	1000	4340
8	सुरज फ्लोर मिल्स, 86, प्रहलाद्पुर बांगर, दिल्ली-110042	200	100	500	200	190	335	1525
9	गौरव इंटरप्राइजेज, सेक्टर-4, एच 1-6, इंडस्ट्रीयल एरिया, बवाना, दिल्ली	100	100	400	160	150	79	989
10	गोयल फ्लोर मिल्स, एफ-273, सेक्टर-1, डीएसआईडीसी, बवाना, दिल्ली	300	140	600	240	230	550	2060
11	विकास पल्सेस प्रा. लि., सी-463-64, डीएसआईडीसी इंडस्ट्रीयल एरिया, नरेला, दिल्ली-110040	1000	470	1000	300	490	960	4220
12	नरेश कुमार सुनील कुमार, डी-1519, डीएसआईडीसी इंडस्ट्रीयल कॉम्पलैक्स, नरेला, दिल्ली-110040	600	280	900	360	350	186	2676
13	मै. राजकुमार आहूजा, सी-6/11, लॉरेंश रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, दिल्ली-110035	750	615	1000	645	640	1000	4650

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	गंगा रोलर फ्लोर मिल्स प्रा. लि., बी-37, लॉरेंश रोड़, इंडस्ट्रीयल एरिया, दिल्ली-110035	1000	615	1000	645	645	1000	4905
15	महालक्ष्मी रोलर फ्लोर मिल्स, सी-35/14, लॉरेंश रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, दिल्ली-110035	1000	615	1000	640	645	1000	4900
16	विक्रम रोलर फ्लोर मिल्स प्रा. लि., बी-71/1-2, लारेंश रोड़, इंडस्ट्रीयल एरिया, दिल्ली-110035	1000	615	1000	645	645	1000	4905
17	मार्डंग फ्लोर मिल्स प्रा. लि., बी-15, लॉरेंश रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली-110035	1000	615	1000	645	640	1000	4900
18	दि दिल्ली फ्लोर मिल्स कंपनी लि., 8381, रोशनआरा रोड़, दिल्ली-110007	1000	1000	1000	1000	1000	1000	6000
19	अशोका रोलर फ्लोर मिल्स, बी-40, लारेंश रोड इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली-110035	700	615	1000	640	645	1000	4600
20	श्री बांके बिहारी रोलर फ्लोर मिल्स, सी-12, लारेंश रोड इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली-110035	1000	615	1000	645	640	1000	4900
21	राजधानी रोलर फ्लोर मिल्स प्रा. लि., सी-32, लारेंश रोड इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली-110035	1000	615	1000	645	640	1000	4900
22	मोदी फ्लोर मिल्स, ओखला इंडस्ट्रीयल एस्टेटट, फेस-3, नई दिल्ली-110020	1000	615	1000	645	640	1000	4900
23	विक्टोरिया फूड्स प्रा. लि., बी-32, लारेंश रोड इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली-110035	1000	615	1000	645	640	1000	4900
24	यादव फ्लोर मिल्स लि., एस-12 और 13, बादली इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस-1 दिल्ली -110042	1000	615	1000	640	645	1000	4900
25	सदाशिव एग्रो फूड्स प्रा. लि., सी-35/16, लारेंश रोड इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली-110035	100	100	200	100	100	250	850

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	महेन्द्र फ्लोर मिल्स, 51 पॉकेट-एम, सेक्टर-1, डीएसआईडीसी काम्प्लैक्स, बवाना, दिल्ली-110039	500	290	800	320	310	740	2960
27	तिरुपति फूड्स प्रोडक्ट्स, 22/12/1, गली नं. 4, समयपुर, दिल्ली	300	285	800	320	280	625	2610
28	नील कंठ फूड प्रोडक्ट्स, एफ-1755, डीएसआईडीसी इंडस्ट्रीयल काम्प्लैक्स, भोरगढ़ (नरेला), दिल्ली	200	100	500	200	190	460	1650
29	कुमार फ्लोर मिल्स, 839 जी, नजफगढ़, नांगलोई रोड, दिल्ली	200	100	500	200	190	455	1645
30	ओम प्रकाश गुप्ता एसोसिएट्स, ए-10, लारेंश रोड इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली	500	235	800	320	310	740	2905
31	राम करन फ्लोर मिल्स प्रा. लि., डी-1582, डीएसआईडीसी, नरेला, दिल्ली-110040	800	200	1000	400	390	207	2997
32	गोयल फूड प्रोडक्ट्स, ए-16, डीएसआईडीसी, नरेला, दिल्ली-110040	150	100	450	180	170	405	1455 श्र
33	छाबड़ा फ्लोर मिल्स, 29, ग्रुप इंडस्ट्रीज, लारेंश रोड, दिल्ली-110035	300	150	500	300	190	455	1895
34	सोढ़ी फ्लोर मिल्स, सी-35, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस-1, नई दिल्ली-110020	1000	615	1000	640	645	1000	4900
35	गोगिया फ्लोर मिल्स, जीआई-30, लारेंश रोड इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली-10035	700	300	1000	400	390	940	3730
36	महावीर दाल मिल, बी-150, सेक्टर-2, डीएसआईडीसी, बवाना, दिल्ली-110039	900	400	1000	400	390	940	4030
37	श्री हनुमान फ्लोर मिल्स, सी-9/3, लारेंश रोड, दिल्ली -110035	150	495	500	200	190	455	1990
38	गोल्डेन फूड प्रोडक्ट्स, जीआई-25, लारेंश रोड इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली-110035	500	235	900	360	350	840	3185

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	प्रियांशु फ्लोर मिल्स, ए-65, गली नं.7, टीचर्स कालोनी, समयपुर इंडस्ट्रीयल एरिया, बादली, दिल्ली-110042	300	140	450	180	170	405	1645
40	अशोका फ्लोर मिल्स, जीआई-40/3, लारेंश रोड इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली-110035	300	275	800	300	250	600	2525
41	एम.के. फ्लोर मिल्स, गांव मुंडेला खुर्द, नजफगढ़, नई दिल्ली-110073	100	100	400	160	150	360	1270
42	जिन्दल इंडस्ट्रीज, ए-228, डीएसआईडीसी, भोरगढ़, दिल्ली-110040	200	100	500	200	190	100	1290
43	सहरावत फ्लोर मिल्स, द्वारका, खसरा सं. 56, गांव अम्बेरहई, सेक्टर 19, द्वारका, दिल्ली-110045	150	100	450	180	170	90	1140
44	सत्या रोलर मिल्स, खसरा सं. 56, गांव अम्बेरहई, सेक्टर 19, द्वारका, दिल्ली-110045	500	235	600	140	280	670	2425
45	हरि फ्लोर मिल, खसरा सं. 56, अम्बेरहई, सेक्टर 19, पप्पनकलां, नई दिल्ली-110045	500	235	800	320	310	745	2910
46	न्यू निरंकारी आयल और जनरल मिल्स, बी-40/3, लारेंश रोड इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली-110035	1000	470	1000	400	390	1000	4260
47	आहार कंज्यूमर प्रोडक्ट्स प्रा. लि., जी-37, लारेंश रोड इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली-110035	400	265	1000	380	290	695	3030
48	शक्ति भोग फूड्स लि., 112 और 112ए, गली नं. 6, समयपुर इंडस्ट्रीयल एरिया, दिल्ली	1000	470	1000	400	390	1000	4260
49	सुरज फ्लोर मिल, खसरा सं. 56, गांव अम्बेरहई, सेक्टर-19, द्वारका, नई दिल्ली-110045	100	100	400	160	150	360	1270
50	श्री कृष्णा फ्लोर मिल्स, 40/6, स्ट्रीट सं.1, इंडस्ट्रीयल एरिया, समयपुर, दिल्ली-42		100	200	100	100	250	750

1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	मै. जीवन दास फ्लोर मिल, एम-38, सेक्टर-5, डीएसआईडीसी, बवाना दिल्ली-39		100	400	160	150	360	1170
52	मै. सुरेन्द्र कुमार और कं., 87/3, गांव लामपुर, नरेला, दिल्ली-110040			400	100	200	600	1300
53	आरती फूड प्रोडक्ट्स, के.सं. 80, गली नं. 4, समयपुर, दिल्ली-110042		100	200	100	100	360	860
54	श्री भगवान सतीश कुमार आयल और जन. मिल्स, 49, मदनपुर डबास, दिल्ली-110081			200	100	100	250	650
55	हरि भोग, एम-183, डीएसआईडीसी, सेक्टर-3, बवाना, नई दिल्ली			200	100	100	200	600
56	किसान फ्लोर मिल्स, गांव और पीओ ककरौला, नई दिल्ली-110043		100	400	160	150	360	1170
57	गजराज फ्लोर मिल्स, प्लाट नं. 201, नांगली सकरावती, नजफगढ़, नई दिल्ली-110043		100	400	160	150	360	1170
58	यादव आटा चक्की, गांव पपरावट, नजफगढ़, नई दिल्ली-110043		100	400	160	150	79	889
59	जय माता फ्लोर मिल, 230-ए, नवादा बाजार, नजफगढ़, नई दिल्ली-110043			400	160	150	360	1070
60	अजय इंडस्ट्रीज, 19/28, एमजीपी रोड़, नांगली सकरावती, नजफगढ़ रोड़, दिल्ली-110043			400	160	150	79	789
61	एसके फूड इंडस्ट्रीज, जी-1093, डीएसआईडीसी, इंडस्ट्रीयल काम्प्लैक्स, नरेला, दिल्ली-110040			400	400	400	800	2000
62	कुमार फ्लोर मिल, सोप सं. 12, इंदिरा नगर मार्केट, दिल्ली-110033			100	100		200	400

1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	शक्ति कैटल फीड उद्योग, खसरा सं. 45/5/2, महाकाली मंदिर वाली गली, प्रहलादपुर, दिल्ली-110042			200	100		66	366
64	एम.बी. फ्लोर मिल्स, बी-149, सेक्टर-2, डीएसआईडीसी, बवाना इंडस्ट्रीयल एरिया, दिल्ली-110039		100	400	160	150	360	1170
65	मै. जानकी दास मुकेश चंद जैन जी-82, सेक्टर-3, बवाना इंडस्ट्रीयल एरिया, दिल्ली-110039		100	400	160	150	360	1170
66	गौरव फूड्स, एफ-1705, डीएसआईडीसी, इंडस्ट्रीयल एरिया, नरेला, दिल्ली-110040		615	400	160	150	79	1404
67	सेरप्रोस सिरियल्स प्रा. लि., 8/35-36, , कीर्ति नगर इंडस्ट्रीयल एरिया, नजफगढ़ रोड, दिल्ली-110015		100	1000	640	645	1000	3385
68	रामा फ्लोर मिल्स, जी-11, लारेंश रोड इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली-110035		100	200	100	100	200	700
69	एसके फूड प्रोडक्ट्स, खसरा सं. 22/12/2, गली नं.4, समयपुर इंडस्ट्रीयल एरिया, दिल्ली-42		100	400	160	150	360	1170
70	मै. राजेश फूड्स, सी-6/9, लारेंश रोड इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली-110035		100	500	200	190	455	1445
71	केएफएम एग्रो प्रा. लि., जी-35 और जी-36/1, ग्रुप इंडस्ट्रीयल, लारेंश रोड, दिल्ली-110035		100	300	220	150	360	1130
72	अर्वेत एग्रो प्रा. लि., एफ-1818, डीएसआईडीसी इंडस्ट्रीयल काम्प्लैक्स, नरेला, दिल्ली-110040		100	400	160	150	360	1170
73	गोयल इंडस्ट्रीज, 3995, नया बाजार, दिल्ली-110006		100	200	160	150	360	970
74	आशीष उद्योग, प्लाट सं. 36, मोहन नगर, गली नं.1, समयपुर इंडस्ट्रीयल एरिया, दिल्ली-110042				100	100	250	450

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75	श्री दुर्गा फ्लोर मिल्स, सी-42/5, लारेंश रोड, दिल्ली			300	160	150	400	1010
76	जगत आटा चक्की, नई रोशनपुरा, नजफगढ़, नई दिल्ली-43			200	100	100	44	444
77	ज्योति फ्लोर मिल, बी-2701, डीएसआईडीसी, नरेला, दिल्ली-110040			200	100	100	240	640
78	डीएस फ्लोर मिल, 1/9247, प. रोहताश नगर, शाहदरा, दिल्ली-110032			100	100	195	200	595
79	शिव रोलर फ्लोर मिल्स, 31-बी, लारेंश रोड इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली-35			1000	640		1000	2640
80	अमन इंटरप्राइजेज, खसरा सं. 80, गली नं.4, समयपुर, दिल्ली-42			200	160	150	360	870
81	आर.के. फूड प्रोडक्ट्स, खसरा सं. 80, गली नं.4, समयपुर, दिल्ली-42			200	160	150	360	870
82	गोपी राम आयल, दाल और फ्लोर मिल, खसरा सं. 497-98, कुरेनी रोड, नरेला, दिल्ली-110040				100	150	200	450
83	श्री गोपाल इंडस्ट्रीज, नजफगढ़, नई दिल्ली				100	100	44	244
84	यादव फ्लोर मिल, एच-169, सेक्टर-1, डीएसआईडीसी, बवाना, दिल्ली-39				100	100	200	400
83	आहार इंटरनेशनल (इंडिया) लि., जी-37, ग्रुप इंडस्ट्रीज, लारेंश रोड, दिल्ली-110035		100	200		150	300	750
84	एएफएम फ्लोर मिल्स, ए-51, मंगोलपुरी इंड. एरिया, फेस-1, दिल्ली					100	200	300
85	आर्यन फ्लोर मिल्स, खसरा सं. 195/2, प्लाट सं. 323, इंडस्ट्रीयल एरिया, नांगली, सकरावती, नई दिल्ली					100	200	300
		30050	19930	50000	25000	24400	46140	195520

विवरण-II

खुला बिक्री योजना (घरेलू) थोक के अधीन गेहूं के लिए 31.12.2009, 4.1.2010, 18.1.2010 और 17.02.2010 को खोली गई निविदा इंक्वायरी के प्रति दिल्ली के पैनल में रखे गए थोक उपभोक्ताओं को पेशकश/रिलीज गेहूं की मात्रा का विवरण

आंकड़े टन में

क्रम सं	पार्टी का ब्यौरा/नाम	31.12.2009 को खोली गई निविदा इंक्वायरी के प्रति आबंटित मात्रा	4.1.2010 को खोली गई निविदा इंक्वायरी के प्रति आबंटित मात्रा	18.1.2010 को खाली गई निविदा इंक्वायरी के प्रति आबंटित मात्रा	25.1.2010 को खोली गई निविदा इंक्वायरी के प्रति आबंटित मात्रा	02.02.2010 को खोली गई इंक्वायरी के प्रति आबंटित मात्रा	09.02.2010 को खोली गई निविदा इंक्वायरी के प्रति आबंटित मात्रा	17.02.2010 को खोली गई निविदा इंक्वायरी के प्रति आबंटित मात्रा	रिलीज की गई प्रणाली मात्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	जीवन दास फ्लोर मिल्स	600		400	शून्य	270	शून्य		1270
2	नरेश कुमार सुनील कुमार	1000		500	200	350	शून्य	500	2550
3	सदाशिव एग्रो फूड्स प्रा. लि.	500		300	शून्य		शून्य		800
4	जुगल किशोर हरबंश लाल	1000		1000	शून्य	500	500	500	3500
5	विकास पल्सेस प्रा. लि.	1000		1000	शून्य	500	400	300	3200
6	मार्डन फ्लोर मिल्स	1000		1000	शून्य	500	शून्य		2500
7	गोगिया फ्लोर मिल्स	1000		1000	1000	500	600	1000	5100
8	अशोका रोलर मिल्स	1000		1000	1000	500	500	1000	5000
9	बजरंग फ्लोर मिल्स	1000		600	600		600	500	3300
10	अशोका फ्लोर मिल्स	1000		500	500	500	500	500	3500
11	रामा फ्लोर मिल्स	400		350	100		शून्य		850
12	जिन्दल इंडस्ट्रीज	500		500	शून्य	350	शून्य		1350
13	विक्रम रोलर फ्लोर मिल्स प्रा. लि.	500		1000	शून्य		शून्य		1500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	राजधानी रोलर फ्लोर मिल्स	1000		1000	1000	1000	1000	1000	6000
15	गोल्डन फूड प्रोडक्ट्स	1000		1000	1000		700	750	4450
16	जेजे फूड्स प्रा. लि.	1000		1000	शून्य		शून्य		2000
17	छाबड़ा फ्लोर मिल्स प्रा. लि.	500		300	शून्य		200		1000
18	अंजना फूड प्रोडक्ट्स	1000		700	700		शून्य	1000	3400
19	बवाना दाल और फ्लोर मिल्स	1000		1000	500		शून्य	500	3000
20	यादव फ्लोर मिल्स	500			शून्य		शून्य		500
21	मै. सोढी फ्लोर मिल	1000		1000	शून्य	500	500		3000
22	सहरावत फ्लोर मिल	800		700	शून्य		350		1850
23	एस.के फूड इंडस्ट्रीज	1000		1000	1000	1000	शून्य		4000
24	महेन्द्र फ्लोर मिल्स	1000		1000	500	500	500	600	4100
25	मै. महावीर दाल मिल्स	1000		900	शून्य	500	300	350	3050
26	एम.बी. फ्लोर मिल्स	900		800	शून्य	200	शून्य		1900
27	हरि फ्लोर मिल्स	1000		500	शून्य	500	600	500	3100
28	मै. गंगाराम रोलर फ्लोर मिल्स प्रा. लि.	1000		1000	1000	1000	1000	1000	6000
29	बेस्ट हेल्थ फूड प्रोसेसर्स	1000		1000	शून्य		1000	1000	4000
30	सेरपास सीरियल्स प्रा. लि.		1000	1000	1000	1000	1000	1000	6000
31	श्री बांके बिहारी रोलर फ्लोर मिल्स		1000	1000	1000	1000	1000	1000	6000
32	महालक्ष्मी रोलर फ्लोर मिल्स		1000	300	शून्य	350	शून्य		1650
33	शिव रोलर फ्लोर मिल्स		1000	1000	1000	1000	1000	1000	6000
34	यादव फ्लोर मिल्स लि.		1000	1000	शून्य	1000	1000	1000	4000
35	विक्टोरिया फूड्स प्रा. लि.		1000	1000	1000	1000	1000	1000	6000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	राजकुमार आहूजा		1000	1000	शून्य		शून्य		2000
37	मोदी फ्लोर मिल्स		1000	1000	1000	1000	1000	1000	6000
38	आहार कंज्यूमर प्रोडक्ट्स प्रा. लि.		1000	1000	1000	1000	100	400	4500
39	एवेंट एग्रो प्रा. लि.		1000	1000	500	200	500	300	3500
40	न्यू निरंकारी आयल जनरल मिल्स		1000	1000	1000	1000	1000	1000	6000
41	श्री मंगत राम इंडस्ट्रीज		200	300			350		850
42	श्री हनुमान फ्लोर मिल्स		1000	1000	300		300	400	3000
43	शिव शक्ति रोलर फ्लोर मिल्स		1000	0			शून्य		1000
44	ओम प्रकाश गुप्ता एसोसिएट्स		1000	1000	500	250	शून्य	550	3300
45	शक्ति भोग फूड्स लि.		1000	1000	1000	1000	1000	1000	6000
46	जानकी दास मुकेश चंद जैन		650	850	300		150	100	2050
47	गोयल फूड प्रोडक्ट्स	500		500		180	शून्य		1180
48	रामकरन फ्लोर मिल प्रा. लि	1000		850	250	500	150	350	3100
49	नीलकंठ फूड प्रोडक्ट्स 900	900			400	200	शून्य	200	1700
50	श्री दुर्गा फ्लोर मिल्स	1000		1000			500		2500
51	गोयल फ्लोर मिल्स	800		200			शून्य		1000
52	दुर्गा फ्लोर मिल्स		400	1000	400	300	शून्य	300	2400
53	राजेश फूड्स		1000	1000			शून्य		2000
54	गौरव इंटरप्राइजेज	1000			1000		शून्य		2000
55	गौरव फूड	500			300		शून्य		800
56	ज्योति फ्लोर मिल्स	500	शून्य			200	शून्य		700
		31400	17250	41050	21050	20150	19500	20600	171000

विवरण-III

खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) थोक के अधीन वर्ष 2010-11 (पिछली 9.2.2011 तक) के दौरान ई-निविदा के जरिए दिल्ली के पैनलबद्ध थोक उपभोक्ताओं (57) को रिलीज किए गए गेहूं की मात्रा के ब्यौरे

(आंकड़े टन में)

क्रम सं.	पार्टी के ब्यौरे नाम	16.6.2010 को ई-निविदा	23.6.2010 को ई-निविदा	20.10.2010 को ई-निविदा	10.11.2010 को ई-निविदा	17.11.2010 को ई-निविदा	24.11 2010 को ई-निविदा	01.12.2010 को ई-निविदा	06.12.2010 को ई-निविदा	15.12 2010 को ई-निविदा	22.12.2010 को ई-निविदा	06.01 2011 को ई-निविदा	12.01.2011 को ई-निविदा	19.01.2011 को ई-निविदा	27.01.2011 को ई-निविदा	02.02.2011 को ई-निविदा	09.02.2011 को ई-निविदा	रिलीज की गई प्रगामी मात्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	आहार कंज्यूमर्स प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	0				100		100					200	300				700
2	अंजना फूड प्रोडक्ट्स					400		150		200		500	480	350	200		150	2430
3	अशोका फ्लोर मिल्स											500			100	200	200	1000
4	अशोका रोलर फ्लोर मिल्स													1000	1000	500		2500
5	एवेंट एग्रो प्रा. लि.								200	200			300	500	200	350	100	1850
6	बजरंग फ्लोर मिल्स						100		150	100		500	500	500	300	200	350	2700
7	बवाना दाल एंड फ्लोर मिल्स											300	750	450				1500
8	बेस्ट हेल्थ फूड प्रोसेसर्स	250	300															550
9	सरप्रोस सिरियल्स प्रा. लि.					200	500	200	700	500	300	500	100	700	600	500	100	4900
10	छाबड़ा फ्लोर मिल्स प्रा. लि.														100	100	100	300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
11	दुर्गा फ्लोर मिल्स		100				100		100	150			250	200	150	150	100	1300
12	गौरव इंटरप्राइजेज					300				450		500	490	500				2240
13	गौरव फूड									100				150				250
14	गोगिया फ्लोर मिल्स											70		1000	1000	500		2570
15	गोल्डन फूड प्रोडक्ट्स													1000		300		1300
16	गोयल फ्लोर मिल्स						100	100	150	150		230		350	150	120		1350
17	गोयल फूड प्रोडक्ट्स																	0
18	हरी फ्लोर मिल्स					160	200		150	300			250	350			100	1510
19	जेजे फूड्स प्रा. लि.																	0
20	जयश्री फ्लोर मिल्स					100		100		200				150				550
21	जानकी दास मुकेश चंद जैन												200	250	200	100		750
22	जिंदल इंडस्ट्रीज																	0
23	जीवनदास फ्लोर मिल्स														100		100	
24	जुगल किशोर हरबंश लाल																	0
25	ज्योति फ्लोर मिल्स													200			100	300
26	एम.बी. फ्लोर मिल्स							200		250	100		300	150				1000
27	मै. गंगा रोलर फ्लोर मिल्स प्रा. लि.					100						300	500	500	300	1000		2700
28	मै. सोढ़ी फ्लोर मिल					500				500			500	300	300		300	2400
29	मै. महावीरलाल मिल					200	200		150	250	200		300	300	200	200	200	2200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
30	महालक्ष्मी रोलर फ्लोर मिल्स														300	200	300	800
31	महेन्द्र फ्लोर मिल्स									150		200			200		200	750
32	मॉडर्न फ्लोर मिल्स	100				300	500			400			400	400	400	500	200	3100
33	मोदी फ्लोर मिल्स									500		700	1000	1000	500	1000	1000	5700
34	नरेश कुमार सुनील कुमार									350			300	380		230	450	1710
35	नीलकंठ फूड प्रोडक्ट्स							200	100	150		150	100	200			100	1000
36	न्यू निरंकारी ऑयल जनरल मिल्स																	0
37	ओम प्रकाश गुप्ता			200		200	100	300		500	300	500		300	200	300	300	3200
38	राजकुमार आहूजा													200		280		480
39	राजधानी रोलर फ्लोर मिल्स					500		500	700	1000	240	800	1000	1000		1000	1000	7740
40	राजेश फूड्स																	0
41	रामा फ्लोर मिल्स																	0
42	रामकरण फ्लोर मिल्स प्रा. लि.	200		350	200	200	200	200	200	350		350	200	250	200	200	300	3200
43	एस.के. फूड इंड.					100	200	200	200	310		200	180	450				1840
44	सदाशिव एग्रो फूड्स प्रा. लि.										200	300	300					800
45	सहरावत फ्लोर मिल												200	250			100	550

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
46	शक्तिभोग फूड्स लि.	100																100
47	शिव रोलर फ्लोर मिल्स					1000		700	1000	600	300	1000						4600
48	शिवशक्ति रोलर फ्लोर मिल्स																	0
49	श्री बांकेबिहारी रोलर फ्लोर मिल्स					1000	1000	1000			1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	10000
50	श्री मंगतराम इंडस्ट्रीज																	0
51	श्री दुर्गा फ्लोर मिल							100				200		200	200	150		850
52	श्री हनुमान फ्लोर मिल्स																	0
53	विक्टोरिया फूड्स प्रा. लि.																	0
54	विकास पल्सेस प्रा. लि.					200				400		500	200	1000	100	400	400	3200
55	विक्रम रोलर फ्लोर मिल्स प्रा. लि.														400			400
56	यादव फ्लोर मिल (बवाना)																	0
57	यादव फ्लोर मिल्स लि. (बादली)									300		700		1000	1000	1000	500	4500
	सकल जोड़	750	400	550	200	5560	3200	4050	3800	8360	2640	10000	10000	16830	9300	10580	7650	88970

विवरण-IV

एनआईसी

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

उपभोक्ता मामले विभाग

(मूल्य मॉनीटरिंग सेल)

गेहूं का मासिक औसत थोक मूल्य

	जन.	फर.	मार्च.	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सित.	अक्तू.	नव.	दिस.
केन्द्र/माह	2009	2009	2009	2009	2009	2009	2009	2009	2009	2009	2009	2009
दिल्ली	1164.21	1185	1176	1110.28	1080	1078.81	1092.83	1112.22	1166	1242.37	1382.19	1383.24

जन.	फर.	मार्च.	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सित.	अक्तू.	नव.	दिस.	जन.	फर.
2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2011	2011
1368.93	1406.84	1376.84	1253.75	1146.25	1208.09	1227.05	1232.73	1222.38	1231.25	1241.75	1287.05	1344	1338.18

विवरण-V

खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के अधीन वर्ष 2009-2010 और 2010-11 के दौरान थोक उपभोक्ताओं/लघु निजी व्यापारियों को गेहूं की बिक्री बताने वाला विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अक्तूबर, 2009 के लिए खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) की दरें (दर : रुपए प्रति क्विंटल)	नवम्बर, के लिए खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) की दरें (दर : रुपए प्रति क्विंटल)	दिसम्बर, 2009 के लिए खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) की दरें (3.12.09 तक) (दर : रुपए प्रति क्विंटल)	दिसम्बर 2009 के लिए खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) की दरें (04.12.09 से प्रभावी) (दर : रुपए प्रति क्विंटल)	खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) की दरें 25.12.09 से प्रभावी (दर : रुपए प्रति क्विंटल)	खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) की दरें 01.01.2010 से प्रभावी (दर : रुपए प्रति क्विंटल)	खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) की दरें 13.04.2010 से 30.06.2010 तक प्रभावी (दर : रुपए प्रति क्विंटल)	जुलाई, 2010 से सितम्बर, 2010 तक खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) की दरें (दर : रुपए प्रति क्विंटल)	खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) की दरें 12.10.2010 से मार्च 2011 तक (दर : रुपए प्रति क्विंटल)	खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) की दरें 09.11.2010 से मार्च 2011 तक (दर : रुपए प्रति क्विंटल)	खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) की दरें 07.02.11 से मार्च 2011 तक (दर : रुपए प्रति क्विंटल)
1	दिल्ली	1404.14	1420.94	1437.90	1437.90	1245.08	1254.08	1254.08	1252.15	1254.08	1254.08	1254.08

वर्ष 2008-09 के लिए खुदरा उपभोक्ताओं को वितरण करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को गेहूं की बिक्री करने हेतु दरें और खुली निविदा के जरिए खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के अधीन थोक उपभोक्ताओं को गेहूं की बिक्री हेतु आधार मूल्य को दर्शाने वाला विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) मूल्य 18.09.08 से 18.11.08 तक प्रभावी (रुपए प्रति क्विंटल)	खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) मूल्य 19.11.08 से 31.01.09 तक प्रभावी (रुपए प्रति क्विंटल)	खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) मूल्य 01.02.09 से 28.02.09 तक प्रभावी (रुपए प्रति क्विंटल)	खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) मूल्य 01.03.09 से 31.03.09 तक प्रभावी (रुपए प्रति क्विंटल)
दिल्ली	1027	1029.20	1031.47	लागू नहीं

बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम

7. **श्री नरहरि महतो :**
श्री नृपेन्द्र नाथ राय :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न नगर स्थानीय जनसंख्या तथा स्थानीय विशेषज्ञों से बिना परामर्श किए नगर के बीच में बस रैपिट ट्रांजिट सिस्टम (बीआरटीएस) लागू कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का बीआरटीएस गलियारा की दुर्घटना संभावित प्रकृति, वृद्ध, अक्षम व्यक्तियों तथा महिलाओं को इससे संभावित जोखिम का अध्ययन कराने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) देश के उच्च जनसंख्या घनत्व वाले नगरों में बीआरटीएस के विकास की अनुमति देने तथा इसके संवर्धन हेतु विचारित मुख्य मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या मुम्बई तथा दिल्ली सहित सड़कों के बीच चल रही ट्राम प्रणाली को कतिपय प्रमुख नगरों से हटाने के निर्णय को देखते हुए केन्द्र सरकार का विचार राज्य सरकारों को बीआरटीएस का विकल्प चुनने के पूर्व स्थानीय दशाओं का उचित अध्ययन कराने का निदेश देने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) वैश्विक अनुभवों के अनुसार, बीआरटीएस एक ऐसी सुस्थापित बस आधारित जन परिवहन प्रणाली है जो 30 से अधिक वर्षों से संतोषजनक ढंग से काम कर रही है। इसकी कारगरता, क्षमता एवं आरोध्यता के कारण इस विकल्प को विश्व के कई देशों में और भारत में भी अपनाया जा रहा है। चूंकि यह चढ़ने एवं उतरने के लिए सतह प्रदान करता है इसलिए यह वृद्ध, अक्षम व्यक्तियों एवं महिलाओं सहित सभी को सुरक्षित एवं आरामदायक यात्रा प्रदान करती है।

(ङ) विभिन्न डिजाइन, यातायात मांग एवं क्षमता अपेक्षाओं को शामिल करके राज्य सरकारों से प्राप्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति हेतु बीआरटीएस प्रस्तावों पर विचार किया जाता है।

(च) और (छ) चूंकि बीआरटीएस राज्य सरकारों द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव स्थानीय दशाओं एवं अन्य डिजाइन पैरामीटरों के बाद प्रस्तुत किए जाते हैं इसलिए केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को कोई और निर्देश जारी करने की इच्छुक नहीं है।

खाद्य प्रौद्योगिकी में अनुसंधान

8. **श्री हमदुल्लाह सईद : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में खाद्य प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान सुविधा प्रदान करने के लिए संस्थानों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में ऐसे और संस्थान स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन संस्थानों के कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) नीचे किए गए उल्लेख के अनुसार, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के पास दो संस्थान है जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों में लगे हुए हैं -

(i) भारतीय फसल प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीपीटी) जिसे पूर्व में धान प्रसंस्करण तंजावुर अनुसंधान केन्द्र, (पीपीआरसी) के रूप में जाना जाता था। यह मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्तशासी संगठन है। संस्थान का अधिदेश खाद्यान्न, दालों, मोटा अनाज और तिलहनों, दलदली, बाढ़ प्रभावित एवं तूफान बाहुल्य क्षेत्रों की फसलों जिनमें बागान, मसाले और अन्य महत्वपूर्ण फसलें शामिल हैं, के फसलोत्तर प्रसंस्करण, परिरक्षण एवं विकास हेतु मौलिक, व्यावहारिक एवं अंगीकृत अनुसंधान एवं विकास करना व प्रोत्साहन देना है तथा शिक्षाविदों, किसानों, उद्योग आदि में लगे व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना है।

(ii) राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता तथा प्रबंधन संस्थान (निफ्टेम), कुण्डली सोनीपत, हरियाणा में स्थापित किया जा

रहा है। यह खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए एक वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र होगा। यह संस्थान सीमांत क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास कार्य करने, नए उत्पादों का विकास करने, उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक और अनुसंधान कार्यक्रम, खाद्य उद्योग विशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रम प्रस्तुत करने और खाद्य मानकों तथा कारोबार इन्क्यूबेशन सुविधाओं के बारे में रेफरल परामर्श देने के लिए एक शीर्ष विश्वस्तरीय संस्थान होगा।

इसके अतिरिक्त, कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के अंतर्गत विभिन्न संस्थान हैं जो खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

इसके अलावा, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (डीएआरई) के अंतर्गत केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (सीएफटीआरआई) और रक्षा मंत्रालय, मैसूर के अंतर्गत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) के अंतर्गत रक्षा खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला (डीएफआरएल) जैसे अन्य संस्थान तथा विभिन्न राज्य विश्वविद्यालय और उनके संबद्ध विश्वविद्यालय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं।

(ख) मंत्रालय का और अधिक ऐसे संस्थान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान सुविधा उपलब्ध कराने वाले आईसीएआर संस्थानों की सूची

1 भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली

2 राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल, हरियाणा

3 भारतीय दाल अनुसंधान संस्थान कानपुर, उत्तर प्रदेश

4 भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश

5 भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलोर, कर्नाटक

6 मखाना केंद्र समेत पूर्वी क्षेत्र हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान परिसर, पटना बिहार

7 केंद्रीय उप शीतोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश

8 केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला, हिमाचल प्रदेश

9 केंद्रीय ट्यूबर क्रॉप्स अनुसंधान संस्थान, त्रिवेन्द्रम, केरल

10 केंद्रीय बागान फसल अनुसंधान संस्थान, कैसरगोड, केरल

11 भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, कालीकट, केरल

12 केंद्रीय एरेडजोन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर, राजस्थान

13 केंद्रीय कृषि इंजीनियरी संस्थान, भोपाल, मध्य प्रदेश

14 केंद्रीय फसलोत्तर इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, लुधियाना, पंजाब

15 केंद्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान, कोचीन, केरल

16 राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केन्द्र, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश

17 काजू अनुसंधान निदेशालय, पुत्तुर, आंध्र प्रदेश

डीएवीपी द्वारा जारी विज्ञापन

9. **श्री हरिश्चंद्र चव्हाण : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गत कुछ माह से कई समाचार पत्रों को अदायगी नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में सरकार को जन-प्रतिनिधियों से कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन पर क्या कार्रवाई की गई;

(ङ) क्या सरकार ने विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय के कार्यकरण की कोई जांच/पुनरीक्षा की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) डीएवीपी के कार्यकरण को सुचारु बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ) : (क) और (ख) विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) के माध्यम से जारी किए गए विज्ञापनों हेतु बिलों का भुगतान एक सतत प्रक्रिया है और किसी विशेष समयावधि में कुछ एक मामले लंबित पाए जा सकते हैं।

(ग) और (घ) इस संबंध में जन प्रतिनिधियों सहित विभिन्न क्षेत्रों से समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त होते रहते हैं और डीएवीपी द्वारा बिलों के संबंध मे शीघ्रातिशीघ्र भुगतान करने के लिए सभी संभव प्रयास किये जाते हैं।

(ङ) से (छ) माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री/सचिव, सूचना एवं प्रसारण आदि के स्तर पर आवधिक बैठकें आयोजित करके डीएवीपी के कार्यकरण की नियमित अंतराल में समीक्षा की जाती है। योजना आयोग द्वारा भी आवधिक समीक्षाएं की जाती हैं। हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन परामर्शदात्री विकास केंद्र को डीएवीपी के आधुनिकीकरण हेतु उपायों के बारे में सुझाव देने का कार्य सौंपा गया है।

[हिन्दी]

गोदामों को मजबूत बनाना

10. **श्री पन्ना लाल पुनिया :**

श्री मुकेश भैरवदानजी गढ़वी :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार कितने गोदाम हैं तथा इनकी क्षमता कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार नए गोदामों का निर्माण करने तथा विद्यमान गोदामों को मजबूत बनाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) भारतीय खाद्य निगम के पास 30.9.2010 की स्थिति के अनुसार उपलब्ध गोदामों की संख्या के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। भारतीय खाद्य निगम के पास 31.1.2011 की स्थिति के अनुसार उपलब्ध देश में गोदामों की राज्यवार क्षमता (ढकी हुई/कैप/अपनी/किराए की संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ख) और (ग) 11वीं पंचवर्षीय योजना में योजना आयोग ने भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों द्वारा खाद्यान्नों के लिए भंडारण गोदामों का निर्माण करने के लिए 149 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है जिन्हें सहायता अनुदान के रूप में रिलीज किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप लगभग 1.88 लाख टन भंडारण क्षमता का निर्माण होने की संभावना है। इसके अलावा, अतिरिक्त भंडारण क्षमता का सृजन करने के लिए सरकार ने निजी उद्यमियों के जरिए भंडारण गोदामों का निर्माण करने की स्कीम तैयार की है। इस स्कीम के अधीन भारतीय खाद्य निगम अब सुनिश्चित किराए के लिए 10 वर्ष की गारंटी देगा। इस स्कीम के अधीन निजी उद्यमियों और केन्द्र तथा 19 राज्य भंडारण निगमों के जरिए 19 राज्यों में लगभग 150 लाख टन क्षमता सृजित की जानी है।

विवरण-I

30.09.2010 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निमग के पास उपलब्ध डिपु (अपने और किराए के/ढके हुए और कैप) की राज्यवार संख्या बताने वाला विवरण

क्षेत्र/यूटी का नाम	ढकी हुई							कैप (खुली)			सकल जोड़
	भा.खा.नि. के अपने	जिससे किराए पर लिए गए: राज्य सरकार	केभनि	राभ नि	प्राइवेट पार्टी	कुल किराए की	कुल ढकी	अपनी	किराए की	जोड़	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
बिहार	14	1	9	17	10	37	51	6	0	6	57
झारखंड	6	1	2	8	2	13	19	1	0	1	20
उड़ीसा	23	0	10	35	1	46	69	0	0	0	69
पश्चिम बंगाल	23	2	9	0	7	18	41	8	0	8	49
सिक्किम	1	1	0	0	0	1	2	0	0	0	2
कुल (पूर्व जोन)	67	5	30	60	20	115	182	15	0	15	197

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
असम	17	0	3	3	10	16	33	0	0	0	33
अरुणाचल प्रदेश	4	8	0	0	0	8	12	0	0	0	12
मेघालय	3	0	1	2	0	3	6	0	0	0	6
मिजोरम	5	1	0	0	0	1	6	0	0	0	6
त्रिपुरा	4	2	1	0	0	3	7	0	0	0	7
मणिपुर	3	2	0	0	0	2	5	0	0	0	5
नागालैंड	4	0	1	0	0	1	5	0	0	0	5
कुल (पूर्वोत्तर जोन)	40	13	6	5	10	34	74	0	0	0	74
दिल्ली	6	0	0	0	0	0	6	4	0	4	10
हरियाणा	35	33	24	47	9	113	148	29	3	32	180
हिमाचल प्रदेश	6	8	3	0	0	11	17	0	0	0	17
जम्मू व कश्मीर	16	2	0	0	5	7	23	0	0	0	23
पंजाब	108	13	16	92	21	142	250	91	25	116	366
चण्डीगढ़	9	3	6	8	0	17	26	9	2	11	37
राजस्थान	36	2	21	70	21	114	150	21	29	50	200
उत्तर प्रदेश	52	2	20	36	5	63	115	33	3	36	151
उत्तराखंड	5	3	5	6	1	15	20	2	3	5	25
जोड़ (उत्तर जोन)	273	66	95	259	62	482	755	189	65	254	1009
आंध्र प्रदेश	34	3	39	115	9	166	200	13	0	13	213
अंडमान निकोबार	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
केरल	23	0	0	0	0	0	23	5	0	5	28
कर्नाटक	21	1	22	37	1	61	82	9	0	9	91
तमिलनाडु	11	0	8	8	3	19	30	3	0	3	33
पांडिचेरी	4	0	1	0	0	1	5	3	0	3	8
जोड़ (दक्षिण जोन)	94	4	70	160	13	247	341	33	0	33	374
गुजरात	15	2	11	0	0	13	28	5	0	5	33
महाराष्ट्र	17	0	17	29	12	58	75	5	1	6	81
गोवा	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
मध्य प्रदेश	23	6	11	30	46	93	116	6	0	6	122
छत्तीसगढ़	20	2	9	25	2	38	58	0	0	0	58
जोड़ (पश्चिम जोन)	76	10	48	84	60	202	278	16	1	17	295
सकल जोड़	550	98	249	568	165	1080	1630	253	66	319	1949

विवरण-II

31-01-2011 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास राज्यवार भंडारण क्षमता को दर्शाने वाला विवरण

(आंकड़े लाख टन में)

जोनक्षेत्रक्षेत्र/यूटी			भा.खा.नि. के अपने	राज्य सरकार	के.भ.नि.	ढकी किराए की रा.भ.नि.	निजी पार्टी	किराए के कुल	कुल ढकी	कैप अपनी	किराए की	जोड़	सकल जोड़	रखा स्टॉक	उपयोग (%)	क्षेत्र के अनुसार कुल प्रभावी भंडारण क्षमता	प्रभावी क्षमता पर उपयोग (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
पूर्व	1	बिहार	3.66	0.03	0.80	1.02	0.47	2.32	5.98	1.00	0.00	1.00	6.98	3.73	53.00	6.28	59
	2	झारखंड	0.66	0.03	0.19	0.19	0.20	0.61	1.27	0.05	0.00	0.05	1.32	1.21	92.00	1.32	92
	3	उड़ीसा	3.02	0.00	0.80	2.37	0.15	3.32	6.34	0.00	0.00	0.00	6.34	2.34	37.00	6.34	37
	4	पश्चिम बंगाल	8.59	0.19	0.87	0.00	0.87	1.93	10.52	0.51	0.00	0.51	11.03	4.71	43.00		
	5	सिक्किम	0.10	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.11	0.00	0.00	0.00	0.11	0.10	91.00	10.43	46
कुल (पूर्व जोन)			16.03	0.26	2.66	3.58	1.69	8.19	24.22	1.56	0.00	1.56	25.78	12.09	47.00	24.37	50
पूर्वोत्तर	6	असम	2.07	0.00	0.23	0.11	0.37	0.71	2.78	0.00	0.00	0.00	2.78	1.31	47.00	2.72	48
	7	अरुणाचल प्रदेश	0.18	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.22	0.00	0.00	0.00	0.22	0.07	32.00	0.22	32
	8	मेघालय	0.14	0.00	0.07	0.05	0.00	0.12	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	0.04	15.00	0.26	15
	9	मिजोरम	0.22	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.23	0.00	0.00	0.00	0.23	0.08	35.00	0.23	35
	10	त्रिपुरा	0.29	0.05	0.18	0.00	0.00	0.23	0.52	0.00	0.00	0.00	0.52	0.22	42.00	0.52	42
	11	मणिपुर	0.20	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.21	0.00	0.00	0.00	0.21	0.04	19.00	0.21	19
	12	नागालैण्ड	0.20	0.00	0.13	0.00	0.00	0.13	0.33	0.00	0.00	0.00	0.33	0.27	82.00	0.33	82
कुल (पूर्वोत्तर जोन)			3.30	0.11	0.61	0.16	0.37	1.25	4.55	0.00	0.00	0.00	4.55	2.03	45.00	4.49	45
उत्तर	13	दिल्ली	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.36	0.31	0.00	0.31	3.67	1.80	49.00	2.86	63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	14	हरियाणा	7.68	4.03	3.03	5.46	2.53	15.05	22.73	3.33	0.11	3.44	26.17	21.08	81.00	26.17	81
	15	हिमाचल प्रदेश	0.14	0.06	0.05	0.00	0.00	0.11	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25	0.10	40.00	0.25	40
	16	जम्मू व कश्मीर	1.03	0.15	0.00	0.00	0.03	0.18	1.21	0.10	0.00	0.10	1.31	0.78	60.00	1.12	70
	17	पंजाब	21.17	0.57	4.52	38.08	4.11	47.28	68.45	7.14	3.28	10.42	78.87	56.00	71.00		
	18	चण्डीगढ़	1.07	0.20	0.83	1.18	0.00	2.21	3.28	0.17	0.15	0.32	3.60	2.26	63.00	82.47	71
	19	राजस्थान	7.06	0.00	1.69	3.38	1.94	7.01	14.07	1.85	1.47	3.32	17.39	16.75	96.00	17.25	97
	20	उत्तर प्रदेश	14.95	0.07	4.11	9.98	0.22	14.38	29.33	5.19	0.00	5.19	34.52	22.55	65.00	32.29	70
	21	उत्तराखंड	0.66	0.27	0.48	0.59	0.05	1.39	2.05	0.21	0.11	0.32	2.37	1.78	75.00	2.31	77
जोड़ (उत्तर जोन)			57.12	5.35	14.71	58.67	8.88	87.61	144.73	18.30	5.12	23.42	168.15	123.10	73.00	164.72	75
दक्षिण	22	आंध्र प्रदेश	12.66	0.00	6.88	18.95	2.10	27.93	40.59	2.62	0.00	2.62	43.21	35.07	81 00		
	23	अंडमान निकोबार	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	000	007	0.00	0.00	0.00	0.07	0.05	71.00	34.42	102
	24	केरल	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.17	0.20	0.00	0.20	5.37	3.69	69.00	5.33	69
	25	कर्नाटक	3.78	0.00	1.56	1.62	0.25	3.43	7.21	1.16	0.00	1.16	8.37	6.96	83.00	8.37	83
	26	तमिलनाडु	5.80	0.00	2.35	0.51	0.57	3.43	9.23	0.62	0.00	0.62	9.85	6.66	68.00		
	27	पांडिचेरी	0.44	0.00	0.08	0.05	0.00	0.13	0.57	0.05	0.00	0.05	0.62	0.49	79.00	10.04	71
जोड़ (दक्षिण जोन)			27.92	0.00	10.87	21.13	2.92	34.92	62.84	4.65	0.00	4.65	67.49	52.92	78.00	58.16	91
पश्चिम	28	गुजरात	5.00	0.14	1.60	0.00	0.00	1.74	6.74	0.27	0.00	0.27	7.01	5.82	83.00	6.94	84
	29	महाराष्ट्र	11.90	0.00	2.58	3.10	2.46	8.14	20.04	1.12	0.00	1.12	21.16	13.08	62.00		
	30	गोवा	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15	0.11	73.00	17.88	74
	31	मध्य प्रदेश	3.37	0.13	1.36	1.06	1.99	4.54	7.91	0.36	0.00	0.36	8.27	6.21	75.00	8.14	76
	32	छत्तीसगढ़	5.12	0.06	0.74	2.49	0.23	3.52	8.64	0.00	0.00	0.00	8.64	8.02	93.00	8.64	93
जोड़ (पश्चिम जोन)			25.54	0.33	6.28	6.65	4.68	17.94	43.48	1.75	0.00	1.75	45.23	33.24	73.00	41.60	80
सकल जोड़			129.91	6.05	35.13	90.19	18.54	149.91	279.82	26.26	5.12	31.38	311.20	223.38	72.00	293.34	76

प्रभावी क्षमता - क्षेत्र द्वारा यथासूचित खाद्यान्नों के भंडारण के लिए भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध क्षमता

[अनुवाद]

सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन

11. **श्री पी. बलराम :** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आंध्र प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में कला एवं संस्कृति के संवर्धन हेतु छोटे शहरों तथा जिलों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितनी राशि जारी की गई तथा व्यय की गई; और

(घ) प्रत्येक राज्य से अब तक क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) जी हां। क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र, बड़े शहरों के अलावा छोटे नगरों और जिलों में भी सांस्कृतिक समारोह आयोजित करते हैं। इन समारोह को आयोजित करने का उद्देश्य आंध्र प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों की कला और संस्कृति को बढ़ावा देना है।

(ख) और (ग) गत तीन वर्षों के दौरान देश में विभिन्न क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों को कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु छोटे नगरों और बड़े शहरों में सांस्कृतिक समारोह आयोजित करने के लिए 1674.13 लाख रु. (2007-08), 2616.19 लाख रु. (2008-09) और 2116.40 लाख रु. (2009-10) जारी किए गए। चालू वर्ष में अभी तक क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों को 2195.16 लाख रु. जारी किए गए हैं।

(घ) समूचे भारत में आयोजित किए गए सांस्कृतिक समारोह की दर्शकों ने बहुत सराहना की।

जीईक्यूडी का सीएफएसएल में विलय

12. **श्री हरिभाऊ जावले :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का गवर्नमेंट एक्जामिनर ऑफ क्वेश्चंड डोक्यूमेंट (जीईक्यूडी) का सेंट्रल फोरेंसिक सांइस लेबोरेट्री (सीएफएसएल) में विलय के संबंध में आपत्ति दर्ज की जानेवाला कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) विभिन्न विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं की संगठनात्मक अवसंरचना/स्थापना, कार्मिक नीतियों, प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं इत्यादि का पुनगर्ठन और आधुनिकीकरण करने के उद्देश्य से गृह मंत्रालय ने इस बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए दो विशिष्ट वैज्ञानिकों को यह कार्य सौंपा था। प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में की गई सिफारिशों में से एक सिफारिश प्रश्नगत दस्तावेजों के सरकारी जांचकर्ता (जीईएसक्यूडी) का केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं (सीएफएसएल) के साथ समामेलन करने की थी। व्यक्तियों एवं संगठनों से प्राप्त अभ्यावेदनों को सुना गया और उन पर विचार-विमर्श किया गया था/तथापि, सावधानीपूर्वक विचार-विमर्श करने के पश्चात, सरकार द्वारा परामर्शदाताओं की सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया था और हैदराबाद, कोलकाता और शिमला स्थित जीईएसक्यूडी कार्यालयों को दिनांक 13 अगस्त, 2010 के आदेश संबंधित केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं अर्थात् हैदराबाद, कोलकाता और चण्डीगढ़ के निदेशकों के प्रशासनिक नियंत्रण में कर दिया गया है और इसके साथ-साथ प्रश्नगत दस्तावेजों के वैज्ञानिक जांच के क्षेत्र में उनकी कार्यात्मक स्वायत्ता को बनाए रखा गया है।

उपभोक्ता हेल्पलाइन को मजबूत बनाना

13. **श्री के. सुगुमार :** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपभोक्ता हेल्पलाइन अब तक अपना उद्देश्य प्राप्त करने में विफल रहा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन के समन्वयन के साथ उपभोक्ता हेल्पलाइन को मबजूत करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) भारत सरकार ने एक नेशनल कंज्यूमर हैल्पलाइन को प्रोत्साहित किया है। यह हेल्पलाइन सफलतापूर्वक कार्य कर रही है।

(ग) और (घ) नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के प्रयासों को सबल प्रदान करने के लिए, भारत सरकार ने राज्यों में कंज्यूमर हेल्पलाइनों की स्थापना हेतु योजना-स्कीम प्रतिपादित की है। इस स्कीम के अनुसार, राज्य सरकारों को 16.25 लाख रुपयों की अनावर्ती अनुदान मिलता है। उन्हें पांच वर्ष की अवधि के लिए आवर्ती अनुदान भी मिला है जो राज्यों में जिलों की संख्या पर निर्भर करता है।

नेफेड का कार्यकरण

14. **श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) के कार्यकरण में ढांचागत तथा प्रणालीगत सुधार करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने हेतु एक समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा क्या सिफारिशें की गई; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव) : (क) और (ख) जी हां। समिति द्वारा की गई मुख्य संस्तुतियों का सारांश संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) सरकार द्वारा समिति की रिपोर्ट स्वीकार कर ली गई है।

विवरण

समिति की मुख्य संस्तुतियों का सारांश

(i) नैफेड के उपनियम 3से "गैर- कृषि एवं अपारम्परिक" हटा दिए जाएं।

(ii) उप नियम सं. 34 (iii) को एमएससीएस अधिनियम की धारा 52 के प्रावधान एवं 35 (ii) के प्रावधानों के अनुरूप बनाने के लिए निरस्त/संशोधित किया जाए ताकि सोसाइटी के दैनिक प्रबंधन की जिम्मेदारी मुख्य कार्यकारी अर्थात् प्रबंध निदेशक की बनी रहे एवं अध्यक्ष के कोई कार्यकारी कार्य न हों जो प्रबंधक के प्राधिकार को कम करे।

(iii) एमएससीएस अधिनियम की धारा 41 के अनुसार वित्त, विपणन, पीएसएस कार्यक्रमों, एचआरडी एवं सहकारिता विकास इत्यादि में विशेषज्ञता रखने वाले चार पूर्ण कालिक कार्यकारी निदेशकों को नैफेड के निदेशक मंडल में नामित करने के लिए नेफेड के उपनियमों में एक प्रावधान शामिल किया जाए।

(iv) कृषि जिन्सों की बिक्री/निपटान की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए एवं इसे पारदर्शी बनाया जाए।

(v) निर्यात समेत नैफेड के वाणिज्यिक कार्यक्रमों के लिए कृषि जिन्सों की सारी खरीद इसके मूल्य पर ध्यान दिए बगैर खुले बाजार/खुले टेन्डरों के माध्यम से की जानी चाहिए।

(vi) विद्यमान वेब-आधारित, समेकित एमआईएस को सरल बनाया जाए एवं इसे अधिक कुशल तरीके से कार्यान्वित किया जाए।

(vii) जब तक फारवर्ड मार्केट कमीशन के साथ परामर्श करने एवं कार्मिकों को आवश्यक प्रशिक्षण देने के पश्चात प्रबंधन निदेशक द्वारा व्यापक दिशानिर्देशों को अंतिम रूप न दिए जाएं तब तक नैफेड वायदा कारोबार के व्यापार को वर्तमान में किए जाने वाले व्यापार से अधिक न बढ़ाए। बोर्ड वायदा कारोबार के व्यापार/कार्यकलापों के लिए अधिकतम सीमा निश्चित करे।

(viii) नैफेड में समवर्ती/आन्तरिक लेखा परीक्षा को सुदढ़ बनाना चाहिए जिसमें नैफेड की सभी शाखाएं एवं नैफेड द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली सभी परियोजनाएं शामिल हों। नैफेड द्वारा समवर्ती/आन्तरिक लेखा-परीक्षा के लिए लेखा-परीक्षकों को सीएजी की पैनल सूची में से चयनित किया जाए। आन्तरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट के लिए कार्यकरण के सभी पहलुओं को कवर करने के लिए एक फार्मेट निर्धारित किया जाए।

(ix) अतिदेयों की वसूली के लिए उपायों/तंत्र को सरल बनाया जाए।

(x) नैफेड द्वारा अपने किसी भी व्यापार सहभागी के पक्ष में किसी अग्रिम अथवा ऋण पत्र या गारंटी की अनुमति न दी जाए।

(xi) भविष्य में विभिन्न व्यापार हेतु निजी पक्षों/व्यापार सहभागियों के साथ समझौता ज्ञापनों/करारों पर हस्ताक्षर करते समय नैफेड यह स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करे कि सभी विवाद दिल्ली न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगे।

(xii) नैफेड द्वारा प्रस्तुत किए गए वित्तीय पुनर्सरचना के प्रस्ताव पर सरकार के अंतिम निर्णय लंबित होने तक निदेशक मंडल के अनुरोध पर प्रबंध निदेशक, नैफेड के रूप में एक वरिष्ठ

सरकारी अधिकारी को रखने की विद्यमान पद्धति को जारी रखा जाए।

(xiii) प्रबन्ध निदेशक, नैफेड द्वारा जोनल समन्वयकों समेत नैफेड के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किए गए पीएसएस कार्यक्रमों की मानीटरिंग/पर्यवेक्षण की प्रणाली बनाई जाए एवं सरकार की जानकारी के अधीन नैफेड द्वारा ऐसे निरीक्षणों के लिए प्रारूप बनाया जाए।

[हिन्दी]

बीजों का संरक्षण

15. **श्री अनुराग सिंह ठाकुर : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बीजों के पुराने भंडार के संरक्षण तथा उनकी बड़ी मात्रा में उत्पादन के संबंध में कोई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रोहरू क्षेत्र में पैदा किए जा रहे मूल्यवान लाल चावल के बीज का संरक्षण करने की कोई योजना है ताकि चावल के इस किस्म की पैदावार बढ़ सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव) : (क) और (ख) जी हां। हिमाचल प्रदेश की लगभग सभी भू-प्रजातियों और विभिन्न फसलों की किसानों की किस्मों के जर्मप्लाज्म को एकत्र कर लिया गया है एवं राष्ट्रीय पौध आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो, नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय जीन बैंक में संरक्षित (बाह्य स्थाने) कर लिया गया है।

(ग) और (घ) हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रोहरु क्षेत्र में उत्पादित किए जाने वाले लाल चावल के जर्मप्लाज्म भी राष्ट्रीय पौध आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो, नई दिल्ली में राष्ट्रीय जीन बैंक में संरक्षित किए गये हैं एवं रोहरु के लाल चावल के "छोहरटू लाल चावल" के नाम से पंजीकरण हेतु प्रस्ताव पौध किस्म एवं किसान अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली को पहले ही प्रस्तुत कर दिया गया है। लाल चावल के उत्पादन एवं आनफार्म प्रबंधन को बढ़ाने के लिए किसानों का दक्षता उन्नयन उनके किसान समूह बनाकर किया जा रहा है। विश्व बैंक/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय कृषि नवाचारी परियोजना (जैव विविधता) के माध्यम से स्थानीय कृषक समुदाय के आजीविका विकल्प बढ़ाने के लिए लाल चावल के मूल्यवर्धन को भी शुरू किया गया है।

[अनुवाद]

नियंत्रण रेखा पर युद्ध विराम का उल्लंघन

16. **श्री ई.जी. सुगावनम : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हाल में भारत तथा पाकिस्तान की सेनाओं के बीच बार-बार गोलीबारी की घटनाओं की खबर थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पाकिस्तानी सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पर तथा अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर युद्ध विराम का उल्लंघन किया;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरूदास कामत) : (क) से (ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, हाल में नियंत्रण रेखा सहित भारत-पाकिस्तान सीमा पर युद्ध विराम के उल्लंघन सहित सीमा-पार से गोलीबारी की कुछ घटनाओं की सूचना मिली है।

सीमा सुरक्षा बल (बी एस एफ) ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर युद्ध विराम के उल्लंघन के सभी मामलों में पाकिस्तान रेंजर्स के पास सख्त विरोध दर्ज कराया है। युद्ध विराम के उल्लंघन के मामले को 25 फरवरी, 2010 को नई दिल्ली में और 24 जून, 2010 को इस्लामाबाद में आयोजित विदेश सचिव स्तरीय वार्ताओं में भी पाकिस्तान सरकार के साथ उठाया गया था। इस मामले को 15 जुलाई, 2010 को इस्लामाबाद में आयोजित विदेश मंत्री स्तर की वार्ताओं के दौरान भी उठाया गया था।

अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं का आधुनिकीकरण

17. **श्री पी.के. बिजू : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं के आधुनिकीकरण हेतु धनराशि प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान अलग-अलग केरल सहित राज्य-वार विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा कुल कितनी धनराशि मंजूर की गई/जारी की गई/उपयोग की गई; और

(ग) देश में अग्नि शमन एवं बचाव सेवाओं के आधुनिकीकरण हेतु सरकार द्वारा किए गए अन्य उपायों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) (i) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनावधि की शेष अवधि अर्थात वर्ष 2009-2012 में खर्च किए जाने हेतु नवम्बर, 2009 में 200 करोड़ रुपए के परिव्यय से अग्निशमन एवं आपात सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए योजना शीर्ष के तहत एक केन्द्र प्रायोजित योजना आरंभ की गई है। उपकरणों के प्रापण के संबंध में केन्द्र और राज्य का अंशदान 75:25 के अनुपात में और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में अभिनिर्धारित है और शेष मदें केन्द्र सरकार द्वारा पूर्णत: वित्त-पोषित की जानी है।

(ii) योजना के प्रमुख कार्यकलाप और आबंटित की गई कुल केन्द्रीय निधियों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

कार्यकलाप	आबंटित निधियां (करोड़ रुपए में)
- मूल मदों यथा एडवांस्ड फायर टेण्डर, मिस्ट प्रौद्योगिकी वाले हाई प्रेशर पम्प, क्विक रिस्पान्स टीम वाहन और खोज एवं बचाव कम्बी टूल्स का प्रापण	178.12
- जागरूकता पैदा करना/विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम	4.38
- ढह गई अवसंरचनाओं में खोज एवं बचाव तथा आग बुझाने के उन्नत पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	5.00
- आग का जोखिम और खतरा विश्लेषण	10.00
- परियोजना प्रबंधन एवं निगरानी	2.50

(iii) केन्द्र सरकार द्वारा केरल सहित राज्य सरकारों को वर्षवार जारी की गई निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(iv) आज की तारीख तक राज्यों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, कुल 6.86 करोड़ रुपए की निधियों का उपयोग किया गया है। तथापि, वर्ष 2009-2012 और 2010-2011 में जारी की गई शेष राशि से संबंधित उपयोग के ब्यौरे क्रमश: दिनांक 31.03.2011 और 31.03.2012 तक प्राप्त होने की आशा है।

(ग) अग्नि शमन एवं बचाव सेवाओं का आधुनिकीकरण करने के लिए सरकार द्वारा किए गए अन्य उपाय निम्नानुसार हैं :-

(i) वर्ष 2010 से 2013 तक की अवधि के दौरान 205 करोड़ रुपए के परिव्यय से राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कालेज, नागपुर का एक उत्कृष्ट संस्थान के रूप में उन्नयन करने की एक योजना कार्यान्वयनाधीन है।

(ii) तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, शहरी स्थानीय निकायों को 87,519 करोड़ रुपए का अनुदान आबंटित किया गया है। जिसका एक भाग उनके संबंधित क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अग्निशमन सेवाओं के लिए पुनरुद्धार के लिए उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मिजोरम, उड़ीसा, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश (वाराणसी) और पश्चिम बंगाल राज्यों को अग्निशमन सेवाओं के पुनरुद्धार के लिए 472 करोड़ रुपए की निधियां आबंटित की गई हैं।

विवरण

देश में अग्निशमन एवं आपास सेवाओं के सुदृढ़ीकरण की योजना
(केन्द्र सरकार द्वारा जारी निधियों की राज्यवार स्थिति)

(लाख रुपए में)

		वित्तीय वर्ष 2010	वित्तीय वर्ष 2011
		1	2
1	आंध्र प्रदेश	92.93	217.07
2	अरुणाचल प्रदेश	52.36	119.64
3	असम	16.50	64.50
4	बिहार	23.10	79.90
5	छत्तीसगढ़	72.64	162.36

		1	2
6	गोवा	6.60	19.40
7	गुजरात	101.42	227.58
8	हरियाणा	16.50	48.50
9	हिमाचल प्रदेश	69.34	146.66
10	जम्मू और कश्मीर	13.20	42.80
11	झारखंड	13.20	42.80
12	कर्नाटक	16.50	64.50
13	केरल	13.20	42.80
14	मध्य प्रदेश	101.42	249.58
15	महाराष्ट्र	33.00	107.00
116	मणिपुर	77.84	159.16
17	मेघालय	66.04	140.96
18	मिजोरम	66.04	142.96
19	नागालैंड	74.54	159.46
20	उड़ीसा	91.04	219.96
21	पंजाब	13.00	44.80
22	राजस्थान	101.42	237.58
23	सिक्किम	32.08	68.92
24	तमिलनाडु	102.83	238.17
25	त्रिपुरा	6.60	19.40
26	उत्तर प्रदेश	33.00	141.00
27	उत्तराखंड	13.20	36.80
28	पश्चिम बंगाल	19.80	55.73

पर्यावास का पर्यावरणीय श्रेणीकरण

18. **श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पर्यावासों की पर्यावरणीय श्रेणीकरण शुरू करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए क्या मानदंड अपनाए गए है; और

(ग) इस संबंध में राज्यों, विशेषज्ञों तथा गैर-सरकारी संगठनों के दृष्टिकोण क्या हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

शहरी स्वच्छता

19. **श्री मिलिंद देवरा : क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा यथा तैयार राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति के उद्देश्य तथा अधिदेश क्या हैं;

(ख) इसके लिए निर्धारित मात्रात्मक लक्ष्य, यदि कोई निर्धारित किए गए हों, तो उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या शहरी भारत के कुल मानवजनित मल का 37 प्रतिशत से अधिक हिस्से का असुरक्षित तरीके से निपटान होता है जिससे जन-स्वास्थ्य को अत्यधिक खतरा होता है तथा पर्यावरणीय लागत बढ़ता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने भारतीय नगरों में स्वच्छता पर कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(च) यदि हां, तो विशेष रूप से मुम्बई के लिए रिपोर्ट के निष्कर्ष क्या हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) राष्ट्रीय शहरी सफाई नीति (एनयूएसपी) का विजन "सभी भारतीय शहर एवं कस्बे पूरी तरह से स्वच्छ, स्वास्थ्य एवं जीने योग्य हों और शहरी गरीबों एवं महिलाओं के लिए स्वास्थ्यकर एवं किफायती सफाई सुविधाओं पर विशेष जोर देते हुए अपने सभी नागरिकों के लिए अच्छी जन स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय परिणाम सुनिश्चित करें एवं उन्हें बनाए रखें है।

(ख) एनयूएसपी के अंतर्गत कोई मात्रावार लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

(ग) जी हां।

(घ) वर्ष 2004 में राज्य सरकारों से एकत्र की गई सूचना के आधार पर सफाई सुविधाएं (सीवरेज प्रणाली एवं सेप्टिक टैंक) प्राप्त करने वाली आबादी केवल 63 प्रतिशत थी। इसके अतिरिक्त, यह आकड़ा सुविधाओं की पहुंच दर्शाता है और मानदण्ड के अनुसार कवरेज नहीं दर्शाता है।

(ङ) जी हां। जनगणना 2001 के अनुसार 423 श्रेणी-I शहरों की रेटिंग नवंबर, 2009 एवं मार्च 2010 की अवधि के बीच की गई है।

(च) मुम्बई शहर सहित अपेक्षित ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न हैं।

विवरण

1	चंडीगढ़	चंडीगढ़	73.48	36.250	21.080	16.150
2	मैसूर	कर्नाटक	70.65	33.080	25.070	12.500
3	सूरत	गुजरात	69.08	29.750	23.833	15.496
4	एन.डी.एम.सी.	दिल्ली	68.265	36.000	19.715	12.550
5	दिल्ली सीएएनटीटी	दिल्ली	33.469	30.750	19.417	11.200
6	तिरुचिरापल्लि	तमिलनाडु	33.46	21.160	27.010	10.850
7	जमशेदपुर	झारखंड	33.406	31.720	17.000	9.240
8	मैंगलोर	कर्नाटक	33.197	20.840	22.500	14.000
9	राजकोट	गुजरात	33.25	21.833	21.525	12.760
10	कानपुर	उत्तर प्रदेश	33.252	23.545	21.475	10.320
11	नवी मुंबई	महाराष्ट्र	33.13	28.000	21.016	4.900
12	बैंगलोर	कर्नाटक	33.121	21.700	18.870	13.067
13	चेन्नई	तमिलनाडु	33.102	25.500	20.660	7.470
14	राउरकेला इंडस्ट्रीयल टाउनशिप	उड़ीसा	33.09	22.500	18.200	12.700
15	मंडगा	कर्नाटक	33.01	18.740	20.590	14.000
16	विधननगर	वेस्ट बंगाल	32.995	25.170	18.000	9.650
17	नोएडा	उत्तर प्रदेश	32.8	23.360	20.500	8.050
18	शिलांग	मेघालय	32.771	18.900	22.850	9.800
19	एएचएमडीएबीएडी•	गुजरात	32.75	21.167	21.160	8.960
20	अलंदुर	तमिलनाडु	32.73	22.240	21.000	7.000

21	रदार	उत्तराखंड	32.61	24.750	17.150	7.950
22	बिदर	कर्नाटक	32.53	17.170	21.450	11.200
23	अचलपुर	महाराष्ट्र	32.497	16.500	15.616	17.550
24	विजयवाड़ा	आंध्र प्रदेश	32.4	22.369	20.811	5.880
25	कोलकाता	वेस्ट बंगाल	32.3	17.330	23.002	8.633
26	थंजावुर	तमिलनाडु	32.217	20.270	19.300	9.250
27	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	32.15	17.046	24.474	7.000
28	एस.ए.एस. नगर (एमओएचएएलआई)	पंजाब	32.133	21.900	19.880	6.650
29	अकोला	महाराष्ट्र	32.118	17.500	15.000	15.450
30	सेरम्पोरे	वेस्ट बंगाल	32.071	21.500	19.400	7.000
31	नेय्वलि	तमिलनाडु	32.05	23.240	21.000	3.360
32	कानपुर (सीबी)	उत्तर प्रदेश	31.95	19.333	13.417	14.800
33	सतारा	महाराष्ट्र	31.936	15.000	13.500	18.950
34	इचलकरंजे	महाराष्ट्र	31.71	20.450	15.200	11.767
35	सीतापुर	उत्तर प्रदेश	31.398	15.250	23.390	8.300
36	चंद्रपुर	महाराष्ट्र	31.326	19.500	18.200	9.217
37	हलिसहर	वेस्ट बंगाल	31.28	16.500	20.900	9.450
38	तिरुनेल्वेलि	तमिलनाडु	31.248	15.920	24.600	6.300
39	पल्लवराम	तमिलनाडु	31	17.990	22.700	5.850
40	तम्बारम	तमिलनाडु	31	20.500	21.940	3.750
41	हावड़ा	वेस्ट बंगाल	30.828	17.978	21.520	6.440
42	गाजियाबाद (एम सीओआरपी)	उत्तर प्रदेश	30.8	26.750	15.250	3.850
43	गुंटूर	आंध्र प्रदेश	30.76	16.589	23.511	5.600
44	उडुपि	कर्नाटक	30.738	13.670	19.480	12.250
45	अगरतला	त्रिपुरा	30.65	19.200	16.990	9.100

46	ग्रेटर मुम्बई	महाराष्ट्र	30.64	14.250	23.593	7.233
47	चिकमगलूर	कर्नाटक	30.539	14.920	19.950	10.150
48	कोट्टायम	केरल	30.533	26.000	13.400	5.600
49	बोकारो स्टील सिटी	झारखंड	30.4	20.000	15.050	9.800
50	अमरावती	महाराष्ट्र	30.227	15.000	16.850	12.400
51	दक्षिण दमदम	वेस्ट बंगाल	30.21	18.740	18.850	6.650
52	मेरठ	उत्तर प्रदेश	30.206	11.653	18.797	13.700
53	नगेर्चोइल	तमिलनाडु	30.187	18.920	21.140	3.850
54	वर्रच्कपुर	वेस्ट बंगाल	30.15	19.250	18.650	5.950
55	पनवेल	महाराष्ट्र	30.05	19.410	20.400	3.850
56	बल्लय	वेस्ट बंगाल	30.016	17.000	20.700	5.950
57	गोंदिय	महाराष्ट्र	29.95	11.500	16.500	15.500
58	गोंडा	उत्तर प्रदेश	29.906	14.250	16.500	12.650
59	गुवाहाटी	आसाम	29.85	15.330	19.930	8.050
60	इरोड	तमिलनाडु	29.76	19.160	19.900	4.200
61	इंदौर	मध्य प्रदेश	29.63	14.539	17.400	11.320
62	पांडिचेरी	पांडिचेरी	29.583	17.990	21.700	3.500
63	भुसावल	महाराष्ट्र	29.567	22.500	11.757	8.867
64	मध्यमाराम	वेस्ट बंगाल	29.48	18.265	17.829	7.000
65	हलद्वानी सह काठगोदाम (एमबी)•	उत्तराखंड	29.47	13.912	20.235	8.750
66	पुणे	महाराष्ट्र	29.4	20.917	16.213	5.600
67	उत्तर वर्रच्कपुर	वेस्ट बंगाल	29.369	16.896	19.170	6.650
68	रिश्र	वेस्ट बंगाल	29.25	17.833	17.750	6.650
69	पलवल	हरियाणा	29.238	16.500	11.450	14.000
70	हापुड़	उत्तर प्रदेश	29.182	15.250	14.040	12.600

71	वैद्यवति	वेस्ट बंगाल	29.08	13.974	19.100	8.750
72	होसपेट	कर्नाटक	28.919	12.670	20.050	9.100
73	कटक	उड़ीसा	28.8	15.978	21.900	3.850
74	तिरुवनंतपुरम	केरल	28.769	18.420	18.040	5.250
75	जोरहाट	आसाम	28.716	16.619	18.390	6.650
76	मोदीनगर	उत्तर प्रदेश	28.7	14.000	13.600	14.000
77	बीजापुर	कर्नाटक	28.7	11.020	20.001	10.500
78	कुकत्पल्लय	आंध्र प्रदेश	28.414	14.810	19.930	6.650
79	बालेश्वर	उड़ीसा	28.36	15.000	15.750	10.600
80	दुर्ग	छत्तीसगढ़	28.25	15.713	17.087	8.500
81	पीआईएमपीआरआई-चिंचवाड़	महाराष्ट्र	28.25	16.977	17.828	6.417
82	कोचि	केरल	28.248	16.170	19.300	5.600
83	दमदम	वेस्ट बंगाल	28.24	19.500	15.950	5.600
84	थाना	महाराष्ट्र	28.2	12.417	17.273	11.320
85	तिरुपपुर	तमिलनाडु	28.129	17.660	21.000	2.100
86	पनिहति	वेस्ट बंगाल	28.1	14.889	19.500	6.300
87	तिरुवन्नामलाइ	तमिलनाडु	28.03	14.660	20.000	5.950
88	गुड़गांव	हरियाणा	28.025	18.500	12.300	9.800
89	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	28.023	16.342	17.958	6.300
90	पुरी	उड़ीसा	27.903	14.806	21.234	4.550
91	बेलगाम	कर्नाटक	27.835	16.830	12.480	11.200
92	विशाखापट्टनम	आंध्र प्रदेश	27.8	17.114	16.500	6.880
93	कोयंबटूर	तमिलनाडु	27.667	16.200	18.690	5.600
94	बरसत	वेस्ट बंगाल	27.65	17.833	14.570	8.050
95	खड़गपुर	वेस्ट बंगाल	27.586	17.080	15.250	8.050
96	कुतबुल्लपुर	आंध्र प्रदेश	27.489	18.417	16.980	4.900

97	दार्जिलिंग	वेस्ट बंगाल	27.45	18.170	13.000	9.100
98	गंगवति	कर्नाटक	27.42	11.500	19.000	9.700
99	मदुरै	तमिलनाडु	27.4	16.160	19.520	4.480
100	नासिक	महाराष्ट्र	27.15	16.728	17.514	5.880
101	बरनगर	वेस्ट बंगाल	27.084	18.667	15.000	6.300
102	हासन	कर्नाटक	27.03	13.250	17.720	8.950
103	झांसी	उत्तर प्रदेश	26.95	15.156	18.107	6.650
104	गजुवक	आंध्र प्रदेश	26.893	15.667	11.940	12.250
105	महेश्तल	वेस्ट बंगाल	26.8	13.500	20.400	5.950
106	गुना	मध्य प्रदेश	26.787	7.492	22.500	9.800
107	ब्रह्मपुर	उड़ीसा	26.569	18.058	15.012	6.650
108	बलुरघाट	वेस्ट बंगाल	26.435	15.840	15.800	8.050
109	इम्फाल	मणिपुर	26.4	17.750	15.255	6.650
110	राजेन्द्रनगर	आंध्र प्रदेश	26.358	17.000	14.260	8.400
111	ऐजवल	मिजोरम	26.28	19.080	12.400	8.050
112	सेरिलिंगम्पल्लथ	आंध्र प्रदेश	26.23	14.000	20.272	5.250
113	आगरा	उत्तर प्रदेश	26.2	20.305	12.765	6.440
114	थ्रिस्सुर	केरल	26	14.740	16.000	8.750
115	कुम्बकोनम	तमिलनाडु	25.96	12.440	20.000	7.000
116	राजपुर सोनरपुर	वेस्ट बंगाल	25.9	14.333	19.500	5.600
117	तिरुपति	आंध्र प्रदेश	25.88	17.613	12.500	9.250
118	रांची	झारखंड	25.856	14.000	19.300	5.950
119	रायगढ़	छत्तीसगढ़	25.78	16.479	17.900	4.750
120	पुदुकोत्तै	तमिलनाडु	25.767	12.920	20.600	5.600
121	उन्नाव	उत्तर प्रदेश	25.621	13.306	18.800	7.000
122	सालेम	तमिलनाडु	25.6	15.670	19.850	3.500

123	रोहतक	हरियाणा	25.23	18.250	7.100	13.650
124	पानीपत•	हरियाणा	25.172	18.500	10.350	10.150
125	भुवनेश्वर	उड़ीसा	25.11	19.250	15.520	4.200
126	पलक्कद	केरल	24.98	14.580	21.200	3.150
127	उत्तर दमदम	वेस्ट बंगाल	24.95	15.500	16.805	6.550
128	मल्काजगिरि	आंध्र प्रदेश	24.92	15.250	19.690	3.850
129	मेहसाणा	गुजरात	24.909	12.000	13.428	10.600
130	बारिपाड़ा	उड़ीसा	24.817	16.100	17.002	5.600
131	अशोकनगर कल्यंगाई	वेस्ट बंगाल	24.75	15.750	16.600	6.300
132	नांदयाल	आंध्र प्रदेश	24.6	8.500	23.290	6.850
133	सिलिगुड़ी	वेस्ट बंगाल	24.6	13.167	19.830	5.600
134	राउरकेला	उड़ीसा	24.58	12.795	17.200	8.600
135	जलगांव	महाराष्ट्र	24.433	14.513	19.502	4.550
136	कमर्हति	वेस्ट बंगाल	24.32	13.420	19.190	5.950
137	कोल्हापुर	महाराष्ट्र	24.251	17.765	15.687	4.900
138	उल्हासनगर	महाराष्ट्र	24.224	13.934	18.453	5.950
139	मुरादाबाद	उत्तर प्रदेश	24.02	13.872	13.900	10.550
140	अपपाल कलन	आंध्र प्रदेश	24	12.800	19.200	6.300
141	परभणी	महाराष्ट्र	23.875	12.000	16.100	10.150
142	जोधपुर	राजस्थान	23.875	19.565	11.650	7.000
143	भिलवाड़ा	राजस्थान	23.78	12.784	12.800	12.600
144	पटना	बिहार	23.768	14.114	17.050	7.000
145	मैनपुरी	उत्तर प्रदेश	23.65	12.814	12.700	12.650
146	पोर्बंदर	गुजरात	23.525	12.000	13.390	12.767
147	रजर्हत गोपालपुर	वेस्ट बंगाल	23.46	16.920	12.400	8.750
148	कोझीकोडे	केरल	23.393	14.920	19.554	3.500

149	एसएएनजीएलआई-मिराज कुप्वद	महाराष्ट्र	23.221	16.227	16.827	4.900
150	बरहमपुर	वेस्ट बंगाल	23.131	11.000	21.181	5.600
151	नेल्लोरे	आंध्र प्रदेश	23.007	15.580	15.900	6.300
152	राजहुंद्रय	आंध्र प्रदेश	22.95	14.238	11.540	12.000
153	तितगार्ह	वेस्ट बंगाल	22.905	13.258	17.800	6.650
154	नदियद	गुजरात	22.86	13.500	13.959	10.150
155	भवनगर	गुजरात	22.713	13.500	14.284	9.800
156	भरूच	गुजरात	22.66	13.214	14.100	10.267
157	अवदि	तमिलनाडु	22.473	12.740	17.800	7.000
158	रॉबर्टसन पेट	कर्नाटक	22.3	12.920	15.200	9.400
159	लाटूर	महाराष्ट्र	22.25	19.500	17.948	0.000
160	एएचएमइडीएनएजीआर•	महाराष्ट्र	22.18	16.382	14.950	6.100
161	मेदिनिपुर	वेस्ट बंगाल	22.15	12.473	20.400	4.550
162	गंधिनगर	गुजरात	21.982	21.917	8.800	6.650
163	वेल्लौर	तमिलनाडु	21.95	13.500	21.400	2.450
164	डिब्रुगढ़	आसाम	21.93	16.500	13.800	7.000
165	रज्नंदगांव	छत्तीसगढ़	21.916	11.750	20.090	5.350
166	तिनसुकिया	आसाम	21.85	13.476	16.300	7.350
167	खर्दह	वेस्ट बंगाल	21.734	15.830	14.920	6.300
168	शिमोग	कर्नाटक	21.6	13.170	14.037	9.800
169	कोल्लम	केरल	21.58	19.170	15.000	2.800
170	डीएमसी (यू)	दिल्ली	21.484	18.643	12.487	5.833
171	विजिअनगरम	आंध्र प्रदेश	21.449	11.650	19.700	5.600
172	मुजफ्फरपुर	बिहार	21.323	16.490	14.850	5.600
173	हुग्लि - चिंसुरह	वेस्ट बंगाल	21.26	13.417	18.500	4.900
174	कल्याण	महाराष्ट्र	20.95	14.833	17.400	4.550

175	गुलबर्ग	कर्नाटक	20.937	12.920	17.910	5.950
176	कान्हनगड़	केरल	20.705	18.250	14.000	4.500
177	कोल्लर	कर्नाटक	20.649	16.080	14.330	6.300
178	जगध्रि	हरियाणा	20.633	21.000	7.650	8.050
179	मंडसौर	मध्य प्रदेश	20.5	8.429	16.500	11.600
180	कंचीपुरम	तमिलनाडु	20.428	13.320	16.900	6.300
181	बेल्लारी	कर्नाटक	20.308	12.050	17.440	7.000
182	सोनीपत	हरियाणा	20.233	11.583	12.247	12.600
183	सहारनपुर	उत्तर प्रदेश	20.2	19.617	12.500	4.200
184	भद्रावती	कर्नाटक	20.15	11.920	13.390	10.850
185	तुमकुर	कर्नाटक	20.008	9.610	22.000	4.550
186	यमुनानगर	हरियाणा	19.48	16.000	13.134	7.000
187	जम्मू	जम्मू एवं कश्मीर	18.9	14.914	21.200	0.000
188	बरेली	उत्तर प्रदेश	18.38	16.551	11.600	7.950
189	भिलाई नगर	छत्तीसगढ़	17.97	15.092	12.808	8.150
190	राय बरेली	उत्तर प्रदेश	17.329	13.750	20.162	2.000
191	नैहति	वेस्ट बंगाल	16.983	17.250	11.900	6.650
192	लुधियाना	पंजाब	16.968	19.700	12.787	3.150
193	नवसारी	गुजरात	16.75	13.500	14.194	7.817
194	हल्दिया	वेस्ट बंगाल	33.469	13.840	16.400	5.250
195	यवतमल	महाराष्ट्र	33.46	15.850	13.500	5.950
196	वर्धा	महाराष्ट्र	33.406	17.913	13.524	3.850
197	हुबली-धारवाड़	कर्नाटका	33.197	10.770	19.210	5.250
198	कुरनूल	आंध्र प्रदेश	33.25	13.417	16.848	4.900
199	नांदेड़-वाघेला	महाराष्ट्र	33.252	11.407	20.255	3.500
200	गोरखपुर	उत्तर प्रदेश	33.13	12.250	15.800	7.000

201	उत्तर्पर कोत्रुंग	वेस्ट बंगाल	33.121	14.750	15.000	5.250
202	एलुरु	आंध्र प्रदेश	33.102	18.000	10.700	6.300
203	रेवाड़ी	हरियाणा	33.09	18.000	6.800	10.150
204	कोरबा	छत्तीसगढ़	33.01	18.026	13.974	2.800
205	एंग्लिशबजर मालदा	वेस्ट बंगाल	32.995	12.500	18.800	3.500
206	शिवपुरि	मध्य प्रदेश	32.8	11.464	19.828	3.500
207	कप्र	आंध्र प्रदेश	32.771	15.917	13.249	5.600
208	नवद्विप	वेस्ट बंगाल	32.75	13.333	16.180	5.250
209	बंकुरा	वेस्ट बंगाल	32.73	13.090	16.700	4.900
210	आसनसोल	वेस्ट बंगाल	32.61	11.170	18.463	5.040
211	सेचुंदेरबाद सीएएनटी, बोर्ड	आंध्र प्रदेश	32.53	11.262	14.300	9.100
212	रायचूर	कर्नाटका	32.497	10.500	12.280	11.750
213	बसिरहाट	वेस्ट बंगाल	32.4	13.250	15.270	5.950
214	बर्द्धमान	वेस्ट बंगाल	32.3	14.330	13.350	6.650
215	भिवानी	हरियाणा	32.217	15.350	7.600	11.317
216	वेरावल	गुजरात	32.15	14.250	10.216	9.800
217	कंच्रपर	वेस्ट बंगाल	32.133	13.792	13.800	6.650
218	सिलचर	आसाम	32.118	13.820	14.100	6.300
219	मुर्वर (केएटीएनआई)	मध्य प्रदेश	32.071	8.489	16.100	9.600
220	छिंडवाड़ा	मध्य प्रदेश	32.05	14.160	14.100	5.900
221	बंस्बेरिअ	वेस्ट बंगाल	31.95	14.500	12.700	6.950
222	जीएडीएजी-बेतिगेरि	कर्नाटक	31.936	8.760	16.960	8.400
223	गोधरा	गुजरात	31.71	16.000	12.513	5.600
224	चम्पदनि	वेस्ट बंगाल	31.398	15.860	13.700	4.550
225	चंदननगर	वेस्ट बंगाल	31.326	12.750	14.700	6.650
226	ओज्हुकरै	पांडिचेरी	31.28	15.830	15.100	3.150

227	राजपलायम	तमिलनाडु	31.248	11.390	16.200	6.300
228	अलीगढ़	उत्तर प्रदेश	31	11.433	16.500	5.950
229	बर्शी	महाराष्ट्र	31	12.000	15.517	6.300
230	जयपुर	राजस्थान	30.828	10.292	15.385	8.000
231	बहादुरगढ़	हरियाणा	30.8	14.357	12.300	7.000
232	जबलपुर	मध्य प्रदेश	30.76	9.267	15.200	9.160
233	वड़ोदरा	गुजरात	30.738	16.750	12.395	4.480
234	बिलासपुर	छत्तीसगढ़	30.65	15.476	14.980	3.150
235	एमआईआरए-भयंदर	महाराष्ट्र	33.469	15.269	13.300	4.900
236	अम्बत्तुर	तमिलनाडु	33.46	12.560	12.900	8.000
237	भागलपुर	बिहार	33.406	14.056	13.400	5.950
238	नागपुर	महाराष्ट्र	33.197	14.246	15.394	3.640
239	करनाल	हरियाणा	33.25	17.250	9.000	7.000
240	फरीदाबाद	हरियाणा	33.252	19.722	7.650	5.880
241	गया	बिहार	33.13	11.330	16.550	5.250
242	भद्रेश्वर	वेस्ट बंगाल	33.121	11.970	15.201	5.950
243	कलोल	गुजरात	33.102	11.750	12.902	8.450
244	शांतिपुर	वेस्ट बंगाल	33.09	12.250	15.240	5.600
245	धनबाद	झारखंड	33.01	14.970	10.200	7.840
246	देहरादून	उत्तराखंड	32.995	18.225	11.970	2.800
247	सासाराम	बिहार	32.8	13.500	14.050	5.250
248	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	32.771	17.871	14.900	0.000
249	औरंगाबाद	महाराष्ट्र	32.75	8.500	18.400	5.850
250	पुर्णिया	बिहार	32.73	13.580	11.800	7.350
251	लाल बहादुर नगर	आंध्र प्रदेश	32.61	12.310	14.700	5.600
252	हावड़ा	वेस्ट बंगाल	32.53	14.330	14.000	4.200

253	भोपाल	मध्य प्रदेश	32.497	10.667	15.466	6.360
254	कुड्डालोर	तमिलनाडु	32.4	10.480	17.170	4.750
255	पंच्कुल अर्बन संपदा	हरियाणा	15.750	7.077	9.450	
256	पाली	राजस्थान	32.217	12.000	6.900	13.317
257	वीएएसएआई-वीरार	महाराष्ट्र	32.15	11.500	15.750	4.900
258	फतेहपुर	उत्तर प्रदेश	32.133	10.433	14.700	7.000
259	भिवंडी	महाराष्ट्र	32.118	13.000	16.318	2.800
260	ओरइ	उत्तर प्रदेश	32.071	17.351	7.717	7.000
261	छत्तरपुर	मध्य प्रदेश	32.05	14.500	13.000	4.550
262	उदयपुर	राजस्थान	31.95	15.750	9.200	7.000
263	जामनगर	गुजरात	31.936	13.000	11.236	7.700
264	तिरुवोत्तियुर	तमिलनाडु	31.71	7.960	19.900	3.850
265	बथिंद	पंजाब	31.398	12.898	12.510	6.000
266	धुले	महाराष्ट्र	31.326	9.750	17.026	4.550
267	बीकानेर	राजस्थान	31.28	14.250	10.030	7.000
268	रेवा	मध्य प्रदेश	31.248	7.533	16.115	7.600
269	सम्बलपुर	उड़ीसा	31	10.750	14.300	5.950
270	गुंतकल	आंध्र प्रदेश	31	12.250	14.900	3.850
271	बुरहानपुर	मध्य प्रदेश	30.828	12.478	16.250	2.100
272	अमरोहा	उत्तरप्रदेश	30.8	15.500	6.700	8.600
273	अलवर	राजस्थान	30.76	14.250	9.510	7.000
274	रायपुर	छत्तीसगढ़	30.738	15.250	12.688	2.800
275	मुजफ्फरनगर	उत्तर प्रदेश	30.65	18.000	6.000	6.650
276	डिंडिगुल	तमिलनाडु	30.64	14.840	10.900	4.900
277	अम्बाला	हरियाणा	30.539	11.889	9.900	8.750

278	जलपाईगुड़ी	वेस्ट बंगाल	30.533	9.083	15.500	5.950
279	मानगो	झारखंड	30.4	12.667	10.000	7.700
280	दुर्गापुर	वेस्ट बंगाल	30.227	13.267	11.710	5.250
281	चित्तूर	आंध्र प्रदेश	30.21	11.000	9.360	9.850
282	उज्जैन	मध्य प्रदेश	30.206	9.356	15.950	4.900
283	कोटा	राजस्थान	30.187	13.250	6.670	10.267
284	थूथुक्कुदि	तमिलनाडु	30.15	12.500	15.200	2.450
285	कृष्णनगर	वेस्ट बंगाल	30.05	12.000	11.750	6.300
286	आनंद	गुजरात	30.016	11.362	13.054	5.600
287	बोनगांव	वेस्टबंगाल	29.95	11.670	14.080	4.200
288	सिवान	बिहार	29.906	12.256	13.100	4.550
289	खांडवा	मध्य प्रदेश	29.85	12.727	10.000	7.150
290	भत्पर	वेस्ट बंगाल	29.76	13.230	10.930	5.600
291	फगवाड़ा	पंजाब	29.63	18.350	11.285	0.000
292	शिमला	हिमाचल प्रदेश	29.583	10.403	13.177	6.000
293	पुरुलिया	वेस्ट बंगाल	29.567	14.667	7.900	7.000
294	अलप्पुझह	केरल	29.48	11.230	11.250	7.000
295	पाटन	गुजरात	29.47	13.750	11.870	3.850
296	श्री गंगानगर	राजस्थान	29.4	9.000	13.750	6.650
297	अजमेर	राजस्थान	29.369	13.619	7.750	8.000
298	एटा	उत्तर प्रदेश	29.25	10.650	6.300	12.300
299	काकीनाड़ा	आंध्र प्रदेश	29.238	10.910	8.328	10.000
300	फैजाबाद	उत्तर प्रदेश	29.182	10.882	11.300	7.000
301	रायगंज	वेस्ट बंगाल	29.08	10.160	15.770	3.150
302	सोलपुर	महाराष्ट्र	28.919	9.568	17.602	1.750
303	मुरैना	मध्य प्रदेश	28.8	9.300	13.893	5.600

304	भुज	गुजरात	28.769	11.500	12.719	4.550
305	नगांव	आसाम	28.716	12.716	11.800	4.200
306	मथुरा	उत्तर प्रदेश	28.7	11.500	11.000	6.200
307	कुल्टि	वेस्ट बंगाल	28.7	8.250	14.150	6.300
308	चंदौसि	उत्तर प्रदेश	28.414	17.114	6.400	4.900
309	किशनगढ़	राजस्थान	28.36	11.250	10.810	6.300
310	कैथल	हरियाणा	28.25	8.000	15.350	4.900
311	हजारीबाग	झारखंड	28.25	15.000	7.300	5.950
312	भीमावरम	आंध्र प्रदेश	28.248	12.000	9.948	6.300
313	एमआईआरझेडएपीयूआर-सीयूएम-विंध्याचल	उत्तर प्रदेश	28.24	19.440	8.800	0.000
314	सिरसा	हरियाणा	28.2	12.500	8.710	7.000
315	ओंगोले	आंध्र प्रदेश	28.129	10.129	6.439	11.600
316	जालना	महाराष्ट्र	28.1	11.500	15.900	0.700
317	देवरिया	उत्तर प्रदेश	28.03	14.730	6.000	7.300
318	दमोह	मध्य प्रदेश	28.025	10.000	12.775	5.250
319	जेतपुर	गुजरात	28.023	12.500	9.106	6.417
320	मालेगांव	महाराष्ट्र	27.903	13.250	12.903	1.750
321	जिंद	हरियाणा	27.835	13.675	7.162	7.000
322	ब्यावर	राजस्थान	27.8	15.000	5.800	7.000
323	हाथरस	उत्तर प्रदेश	27.667	9.167	8.301	10.200
324	अदोनी (एम)	आंध्र प्रदेश	27.65	8.750	14.000	4.900
325	विदिशा	मध्य प्रदेश	27.586	9.143	15.343	3.100
326	पालनपुर	गुजरात	27.489	14.875	8.764	3.850
327	प्रोड्डातुर	आंध्रप्रदेश	27.45	13.750	7.750	5.950
328	रानीगंज	वेस्ट बंगाल	27.42	9.000	13.870	4.550

329	खरगोने	मध्य प्रदेश	27.4	14.750	9.500	3.150
330	रमगुंदम	आंध्र प्रदेश	27.15	8.000	15.003	4.150
331	वाराणसी	उत्तर प्रदेश	27.084	9.164	10.600	7.320
332	दानापुर निजमत	बिहार	27.03	10.080	11.000	5.950
333	मुंगेर	बिहार	26.95	9.750	9.500	7.700
334	हिसर	हरियाणा	26.893	13.393	7.197	6.300
335	गुडिवाड़ा	आंध्र प्रदेश	26.8	10.000	5.502	11.300
336	देवास	मध्य प्रदेश	26.787	12.717	9.167	4.900
337	हाजीपुर	बिहार	26.569	9.269	11.800	5.500
338	भरतपुर	राजस्थान	26.435	10.635	12.650	3.150
339	वारंगल	आंध्र प्रदेश	26.4	12.058	9.410	4.900
340	अम्बाला सदर	हरियाणा	26.358	7.750	13.361	5.250
341	मोगा	पंजाब	26.28	11.982	12.304	2.000
342	बटाला	पंजाब	26.23	12.750	7.477	6.000
343	पठानकोट	पंजाब	26.2	14.200	12.015	0.000
344	शाहजहांपुर	उत्तर प्रदेश	26	19.119	5.900	1.000
345	पटियाला	पंजाब	25.96	14.375	11.578	0.000
346	सम्भल	उत्तर प्रदेश	25.9	14.910	5.436	5.600
347	चेर्थल	केरल	25.88	8.850	14.230	2.800
348	हनुमानगढ़	राजस्थान	25.856	13.386	5.820	6.650
349	खन्ना	पंजाब	25.78	15.750	10.035	0.000
350	निजामाबाद	आंध्र प्रदेश	25.767	10.917	8.900	5.950
351	हरदोई	उत्तर प्रदेश	25.621	9.851	9.118	6.650
352	नलगोंडा	आंध्र प्रदेश	25.6	9.000	11.700	4.900
353	जुनगध	गुजरात	25.23	10.750	12.030	2.450
354	अम्बरनाथ	महाराष्ट्र	25.172	8.672	12.300	4.200

355	चित्रदुर्ग	कर्नाटक	25.11	8.760	10.750	5.600
356	उलुबेरिअ	वेस्ट बंगाल	24.98	8.580	13.250	3.150
357	दवनगेरे	कर्नाटक	24.95	9.670	11.080	4.200
358	सतना	मध्य प्रदेश	24.92	8.670	11.700	4.550
359	होशियारपुर	पंजाब	24.909	17.409	7.499	0.000
360	मचिलिपत्नम	आंध्र प्रदेश	24.817	13.417	6.500	4.900
361	रतलाम	मध्य प्रदेश	24.75	9.500	10.000	5.250
362	बिहार शरीफ	बिहार	24.6	10.000	11.100	3.500
363	जमुरिअ	वेस्ट बंगाल	24.6	13.750	5.600	5.250
364	तेनाली	आंध्र प्रदेश	24.58	9.500	6.677	8.400
365	सवाई माधोपुर	राजस्थान	24.433	12.233	6.600	5.600
366	ललितपुर	उत्तर प्रदेश	24.32	9.540	8.133	6.650
367	गांधीधाम	गुजरात	24.251	11.250	10.201	2.800
368	गांधीधाम	आंध्र प्रदेश	24.224	11.124	6.801	6.300
369	श्रीकाकुलम	आंध्र प्रदेश	24.02	10.750	6.968	6.300
370	बीद	महाराष्ट्र	24	15.000	4.100	4.900
371	खम्माम	आंध्र प्रदेश	23.875	6.625	10.600	6.650
372	कुडप्पा	आंध्र प्रदेश	23.875	10.625	8.700	4.550
373	हिंदपुर	आंध्र प्रदेश	23.78	11.000	6.485	6.300
374	थनेसर	हरियाणा	23.768	11.868	6.300	5.600
375	अदीलाबाद	आंध्र प्रदेश	23.65	11.750	5.600	6.300
376	नीमच	मध्य प्रदेश	23.525	9.525	10.500	3.500
377	एफआरआरयूकेएचबी एडी-सीयूएम-फतेहगढ़	उत्तर प्रदेश	23.46	11.010	5.450	7.000
378	ग्वालियर	मध्य प्रदेश	23.393	8.993	12.300	2.100
379	बस्ती	उत्तर प्रदेश	23.221	9.621	6.600	7.000

380	सागर	मध्य प्रदेश	23.131	5.731	10.779	6.600
381	अनंतपुर	आंध्र प्रदेश	23.007	11.357	6.396	5.250
382	इटावा	उत्तर प्रदेश	22.95	10.650	6.300	6.000
383	बुलंदशहर	उत्तर प्रदेश	22.905	11.885	4.375	6.650
384	मदनपल्ले	आंध्र प्रदेश	22.86	10.750	6.860	5.250
385	बांदा	उत्तर प्रदेश	22.713	13.813	8.950	0.000
386	फिरोजाबाद	उत्तर प्रदेश	22.66	11.500	4.514	6.650
387	सीकर	राजस्थान	22.473	11.500	2.400	7.000
388	जालंधर	पंजाब	22.3	14.497	7.813	0.000
389	मलेरकोटला	पंजाब	22.25	14.000	8.247	0.000
390	बेतिया	बिहार	22.18	8.030	11.000	3.150
391	लोनी	उत्तर प्रदेश	22.15	11.250	4.600	6.300
392	मौनाथ भंजन	उत्तर प्रदेश	21.982	11.342	1.987	8.650
393	भिंड	मध्य प्रदेश	21.95	10.900	5.800	5.250
394	डेहरी	बिहार	21.93	9.580	7.100	5.250
395	तदेपल्लिगुडम	आंध्र प्रदेश	21.916	9.500	6.116	6.300
396	बहरीच	उत्तर प्रदेश	21.85	10.250	5.300	6.300
397	मोर्वि	गुजरात	21.734	7.750	9.784	4.200
398	करीमनगर	आंध्र प्रदेश	21.6	9.5.0	5.911	6.200
399	आदित्यपुर	झारखंड	21.58	9.000	8.030	4.550
400	आरा	बिहार	21.484	9.234	9.100	3.150
401	बलिया	उत्तर प्रदेश	21.449	10.449	1.013	10.000
402	अबोहर	पंजाब	21.323	13.393	7.933	0.000
403	जौनपुर	उत्तर प्रदेश	21.26	12.000	2.960	6.300
404	कटिहार	बिहार	20.95	8.000	9.100	3.850
405	अमृतसर	पंजाब	20.937	10.967	9.973	0.000

406	चिरल	आंध्र प्रदेश	20.705	10.205	6.998	3.500
407	सुरेन्द्रनगर	गुजरात	20.649	5.000	14.249	1.400
408	सिंगरौली	मध्य प्रदेश	20.633	7.933	7.800	4.900
409	टोंक	राजस्थान	20.5	7.000	1.500	12.000
410	रामपुर	उत्तर प्रदेश	20.428	9.628	5.200	5.600
411	गाजीपुर	उत्तर प्रदेश	20.308	10.408	2.927	7.000
412	धर्मावरम	आंध्र प्रदेश	20.233	7.083	7.900	5.250
413	छपरा	बिहार	20.2	12.250	2.000	5.950
414	सुल्तानपुर	उत्तर प्रदेश	20.15	11.250	1.900	7.000
415	दरभंगा	बिहार	20.008	10.508	5.300	4.200
416	सहरसा	बिहार	19.48	12.580	2.000	4.900
417	बुदौन	उत्तर प्रदेश	18.9	10.000	8.900	0.000
418	मोतीहारी	बिहार	18.38	7.680	7.200	3.500
419	झुंझुनुन	राजस्थान	17.97	4.250	7.770	5.950
420	श्रीनगर	जम्मू और कश्मीर	17.329	9.679	7.650	0.000
421	पीलीभीत	उत्तर प्रदेश	16.983	11.423	5.563	0.000
422	लखीमपुर	उत्तर प्रदेश	16.968	12.568	4.400	0.000
423	चूरु	राजस्थान	16.75	7.500	3.300	5.950

माओवादी अलगाववादी गतिविधियों का प्रसार

20. **डॉ. क्रुपारानी किल्ली : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्यों से माओवादियों तथा उग्रवादियों द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पैर जमाने की कोशिश करने की रिपोर्ट है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे संगठनों से तथाकथित संबंध रखने के आरोप में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है; और

(ग) ऐसी कार्रवाइयों को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाये जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि पूर्वोत्तर राज्यों के माओवादियों और उग्रवादियों द्वारा राष्ट्रीय राजधानी में पैर जमाने की कोशिश की जा रही है। विगत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में ऐसे गुटों के साथ कथित संबंध रखने की वजह से गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :-

वर्ष	गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या
2008	1
2009	11
2010	14

(ग) ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए किए जा रहे उपायों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :-

(i) दिल्ली पुलिस का विशेष प्रकोष्ठ पूर्वोत्तर राज्यों से आने वाले माओवादियों और आतंकवादियों की गतिविधि पर कड़ी नजर रखता है।

(ii) उनकी गतिविधियों की निगरानी करने के लिए विशेष प्रकोष्ठ में एक नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

(iii) प्रत्येक पुलिस स्टेशन में एक निरीक्षक की तैनाती, आतंकवादी-रोधी अधिकारी के रूप में की गई है और सामरिक स्थानों में त्वरित कार्रवाई दल (क्यू आर टी) की तैनाती की गई है।

(iv) पुलिस स्टेशन स्तर पर स्थानीय आसूचना भी एकत्र की जाती है।

राष्ट्रीय पुलिस सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र

21. **श्री के.आर.जी. रेड्डी : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा देश में राष्ट्रीय पुलिस सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र खोला गया है;

(ख) यदि हां, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे पुलिस विभाग को किस हद तक लाभ पहुंचने की संभावना है; और

(घ) इस संबंध में सरकार ने राज्य-वार कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) केन्द्र सरकार द्वारा देश में ऐसे केन्द्र नहीं खोले गए हैं।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय स्मारकों की स्थिति की समीक्षा

22. **श्री ओम प्रकाश यादव : क्या संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए एस आई) द्वारा संरक्षित राष्ट्रीय स्मारकों की कोई समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समीक्षा के परिणाम संतोषजनक हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) से (घ) जी, हां। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण समस्त देश में स्मारकों की स्थिति की आवधिक समीक्षा करता है। यह समीक्षा बिहार में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित 70 राष्ट्रीय स्मारकों के संबंध में भी की जाती है। अधिकांश स्मारक पर्याप्त रूप से भलीभांति परिरक्षित हैं।

[अनुवाद]

खाद्य प्रसंस्करण संबंधी नीति

23. **श्री मनोहर तिरकी :**

श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को अपने राज्यों के लिए खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक नीति तैयार करने का निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन राज्यों ने अपनी स्वयं की खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक नीति तैयार की है तथा उन्हें सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है;

(घ) ऐसे राज्यों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने अब तक ऐसी नीति तैयार नहीं की है; और

(ङ) शेष राज्य सरकारों को इस संबंध में प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) और (ख) राज्य खाद्य प्रसंस्करण नीति तैयार करना राज्य सरकार का विषय है। तथापि, मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को सुझाव दिया है कि वे अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त खाद्य प्रसंस्करण नीतियां तैयार करें।

(ग) से (ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार अब तक केवल 7 राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश ने अपनी खाद्य प्रसंस्करण नीतियां तैयार की हैं। इस प्रयोजन हेतु राज्य सरकारों को अलग से कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है।

कृषि महाविद्यालय

24. **श्री मुकेश भैरवदानजी गढ़वी : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के प्रत्येक जिले में एक कृषि महाविद्यालय की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनकी स्थापना कब तक होने की संभावना है; और

(ग) देश में अब तक स्थापित कृषि महाविद्यालयों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) से (ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। कृषि शिक्षा एक राज्य का विषय होने के कारण कृषि महाविद्यालय संबद्ध राज्य सरकारों द्वारा स्थापित किये जाते हैं।

[हिन्दी]

शहरी गरीबी उपशमन योजनाओं का प्रभाव

25. **श्री जयप्रकाश अग्रवाल : क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महानगरों और मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों की प्रति व्यक्ति आय कितनी है;

(ख) क्या मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों सरकार को शहरी गरीबी उपशमन योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) प्रेस सूचना ब्यूरो, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 31.01.2011 के प्रेस नोट के अनुसार वर्ष 2004-05 मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2008-09 में 31,801/रु. की तुलना में वर्ष 2009-10 में 33,731 रुपए अनुमानित हैं। चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय पूर्व वर्ष के लिए 40,605/रु. की तुलना में वर्ष 2009-10 में 46,492/रु. अनुमानित है। प्रति व्यक्ति आय के संबंध में मेट्रोपोलिटन शहरों और स्लम-वार आंकड़े सूचित नहीं किए जाते हैं।

(ख) और (ग) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) नामक स्कीम कार्यान्वित कर रहा है जिसका उद्देश्य शहरी गरीबों को व्यक्तिगत/समूह उद्यम स्थापित करने हेतु सहायता प्रदान करने के साथ-साथ सामाजिक रूप से उपयोगी सार्वजनिक परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए उनके श्रम का उपयोग करके उन्हें लाभप्रद रोजगार का प्रावधान करना है। जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं तथा एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम घटक) का उद्देश्य स्लम वासियों सहित शहरी गरीबों को समुचित आश्रय के साथ जल, सफाई, प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा तथा मालिकाना हक मुहैया कराना है। पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान इन स्कीमों के अंतर्गत सहायता प्राप्त स्लम वासियों सहित शहरी गरीबों की राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या क्रमशः संलग्न विवरण-I और II में दी गई है।

विवरण-I

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (एस आर जे एस वाई) के अंतर्गत राज्य-वार, वर्ष वास्तविक प्रगति

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2007-08			2008-09			2009-10			2010-11		
		व्यक्गित/समूह माक्रो उद्यम लगाने हेतु सहायता प्राप्त शहरी गरीबों की सं.	प्रशिक्षण मुहैय्या कराए गए शहरी गरीबों की सं.	सृजित कार्य के कार्य दिवसों की संख्या (लाख रु. में)	व्यक्गित/समूह माक्रो उद्यम लगाने हेतु सहायता प्राप्त शहरी गरीबों की सं.	प्रशिक्षण मुहैय्या कराए गए शहरी गरीबों की सं.	सृजित कार्य के कार्य दिवसों की संख्या (लाख रु. में)	व्यक्गित/समूह माक्रो उद्यम लगाने हेतु सहायता प्राप्त शहरी गरीबों की सं.	प्रशिक्षण मुहैय्या कराए गए शहरी गरीबों की सं.	सृजित कार्य के कार्य दिवसों की संख्या (लाख रु. में)	व्यक्गित/समूह माक्रो उद्यम लगाने हेतु सहायता प्राप्त शहरी गरीबों की सं.	प्रशिक्षण मुहैय्या कराए गए शहरी गरीबों की सं.	सृजित कार्य के कार्य दिवसों की संख्या (लाख रु. में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	आन्ध्र प्रदेश	16436	27599	5.66	29156	45369	8.23	7389	23914	2.01	270768	16404	0.16
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0.07	0	0	0.00	16	20	0.86	9	9	0.01
3	असम	30	102	1.89	479	420	3.43	472	420	3.43	164	205	16.15
4	बिहार	0	0	0.00	1347	2315	0.00	0	0	0.00	0	17134	0.00
5	छत्तीसगढ़	3910	3247	0.77	1522	1909	0.40	1993	1083	0.00	489	398	0.17
6	गोवा	0	0	0.00	655	1570	1.96	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
7	गुजरात	8707	11283	0.58	8008	4039	0.59	19324	23754	0.59	3351	6420	0.06
8	हरियाणा	4427	6638	0.80	2052	5745	0.42	3348	5495	0.30	1416	3014	0.13
9	हिमाचल प्रदेश	166	243	0.00	122	199	0.00	16	149	0.00	0	0	0.00
10	जम्मू तथा कश्मीर	488	1347	0.90	339	3357	0.24	0	0	0.00	0	0	0.00
11	झारखंड	0	0	0.00	0	0	0.00	364	209	0.00	0	0	0.00
12	कर्नाटक	13955	11502	11.47	17536	13462	4.70	2870	15853	1.73	0	0	0.00
13	केरल	3432	3982	0.16	3820	3632	0.00	813	2696	0.00	0	0	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	मध्य प्रदेश	17043	14200	4.91	5272	16493	1.24	15232	33088	0.35	3776	26290	1.03
15	महाराष्ट्र	42370	78002	5.02	49482	55523	5.57	6074	40693	2.42	10075	1123	2.48
16	मणिपुर	6	1256	0.37	7	737	0.34	8	2469	1.54	8	97	0.00
17	मेघालय	144	1692	0.76	99	51	0.00	24	47	0.00	0	0	0.00
18	मिजोरम	0	2149	1.84	0	0	1.05	29	230	0.00	0	0	0.00
19	नागालैंड	255	255	0.47	276	10	0.19	142	46	0.01	326	154	0.09
20	ओडिसा	9719	7657	0.78	1094	3317	0.46	5907	5697	0.64	2440	1731	0.56
21	पंजाब	0	1315	0.32	383	0	0.00	14	0	0.00	0	0	0.00
22	राजस्थान	8832	4645	0.96	4833	4037	1.27	5876	3054	1.04	2825	1956	0.89
23	सिक्किम	71	350	0.19	479	1478	3.71	86	0	0.00	50	280	0.00
24	तमिलनाडु	13026	8193	0.78	23659	73024	8.23	2065	1224	8.20	8585	2330	14.45
25	त्रिपुरा	655	4316	0.24	272	1826	0.24	200	1014	0.01	229	1586	31.16
26	उत्तराखंड	0	0	0.00	736	1414	5.00	992	1744	0.00	268	695	0.41
27	उत्तर प्रदेश	26080	54869	5.20	27302	54802	9.13	3145	15281	1.88	4849	40909	3.65
28	प. बंगाल	9468	1547	0.38	4690	2268	0.00	3787	5549	0.24	2920	3959	0
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	53	0	0.00	29	1	0.01	43	1	0.00	0	0	0.00
30	चंडीगढ़	30	745	0.00	607	5459	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
31	दादर एंड नगर हवेली	0	0	0.00	67	219	0.94	0	0	0.00	0	0	0.00
32	दमन एंड दीव	0	0	0.00	68	0	0.04	0	0	0.00	0	0	0.00
33	दिल्ली	1297	250	0.00	275	325	0.00	95	109	0.00	80	109	0.00
34	पुडुचेरी	450	880	0.86	70	417	0.05	306	44	0.05	356	0	0.06
	कुल	181050	248264	45.39	184736	303418	57.44	80630	183883	25.30	312984	124803	71.46

विवरण-II

जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत अनुमोदित रिहायशी मकानों (नए+उन्नयन) की राज्यवार, वर्षवार संख्या

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11	
		शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सुविधाएं (बीएसयूपी)	एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी)	शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सुविधाएं (बीएसयूपी)	एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी)	शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सुविधाएं (बीएसयूपी)	एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी)	शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सुविधाएं (बीएसयूपी)	एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	आंध्र प्रदेश	14675	4087	40699	18639	0	0	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	100	0	752	176	0	0	0	0
3	असम	1232	4780	1028	1974	0	1301	0	0
4	बिहार	14596	2333	7776	3264	0	3192	0	0
5	छत्तीसगढ़	44112	0	888	3076	1136	0	0	0
6	गोवा	155	0	0	0	0	0	0	0
7	गुजरात	15136	12205	7580	6364	10960	3655	0	0
8	हरियाणा	0	0	0	1785	0	0	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	384	816	0	800	0	0	0	0
10	जम्मू तथा कश्मीर	5208	2654	1469	3408	0	608	0	0
11	झारखंड	7218	1292	5008	6576	0	0	0	3676
12	कर्नाटक	7335	8983	6272	4184	0	0	0	0
13	केरल	17460	6379	1369	5800	0	7636	0	0
14	मध्य प्रदेश	1320	2518	8157	1708	0	1869	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	महाराष्ट्र	30034	16720	32506	58828	14323	1488	0	0
16	मणिपुर	0	1103	1250	663	0	1063	0	0
17	मेघालय	600	456	168	456	0	0	0	0
18	मिजोरम	408	500	688	1450	0	0	0	0
19	नागालैंड	0	0	0	0	0	265	0	0
20	ओडिसा	2316	4884	192	7709	0	456	0	0
21	पंजाब	5152	3938	0	720	0	0	0	0
22	राजस्थान	0	11526	0	3214	0	3215	5814	11802
23	सिक्किम	52	0	202	0	0	39	0	0
24	तमिलनाडु	41586	6832	5711	15500	0	2322	0	0
25	त्रिपुरा	256	400	0	1150	0	1565	0	0
26	उत्तराखंड	524	231	249	0	1026	4801	0	0
27	उत्तर प्रदेश	17072	204	46240	29733	0	5456	0	5610
28	पश्चिम बंगाल	54929	20061	24872	19706	0	7580	0	0
29	अंडमान एंड निकोबार द्वीपसमूह	0	40	0	0	0	0	0	0
30	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0
31	दादरा एंड निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	144	0	0
32	दमन एंड दीव	0	16	0	0	0	0	0	0
33	दिल्ली	0	0	3328	0	0	0	26380	0
34	पुडुचेरी	1304	432	0	0	1660	0	0	0
	कुल	283164	113390	196404	196883	29105	46655	32194	21088

[अनुवाद]

एमपीलैड्स योजना में अनियमितताएं

26. **श्रीमती जयश्रीबेन पटेल : क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** एमपीलैड्स योजना में अनियमितताओं के बारे में दिनांक 3 मार्च, 2010 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1029 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय ने एमपीलैड्स योजना की संवैधानिक वैधता के संबंध में अपना निर्णय दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (डॉ. एम.एस. गिल) : (क) जी हां।

(ख) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया है कि प्रतिवादित एमपीलैड स्कीम वैध है और संविधान के अधिकाराधीन है तथा सभी रिट याचिकाएं व हस्तांतरित मामले योग्यता के अभाव के आधार पर खारिज करने योग्य हैं, अत: उन्हें खारिज किया जाता है।

प्रसार भारती कर्मचारियों की शिकायतें

27. **श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रसार भारती के कर्मचारियों ने हाल ही में देशव्यापी हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं एवं उक्त कर्मचारियों की शिकायतों और मांगों का ब्यौरा क्या है और शिकायतों का सौहार्द्रपूर्ण हल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में प्राप्त अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए प्रसार भारती अधिनियम, 1990 को निरसित करने का है;

(घ) यदि हां, तो उक्त अधिनियम के विरुद्ध क्या आपत्तियां उठाई गई हैं;

(ङ) क्या हाल ही में प्रसार भारती के संबंध में गठित मंत्री समूह द्वारा की गई सिफारिशों को सरकार ने मंजूर कर लिया है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इनके कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ) : (क) जी, हां। राष्ट्रीय आकाशवाणी एवं दूरदर्शन कर्मचारी संघ-परिसंघ के (एनएफएडीई) द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए प्रसार भारती के कर्मचारियों द्वारा दिनांक 23 नवम्बर, 2010 से 25 नवम्बर, 2010 तक 48 घंटों के लिए अपने कर्तव्यों/दायित्वों का बहिष्कार किया गया।

(ख) प्रसार भारती के लगभग 22,000 कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले राष्ट्रीय आकाशवाणी एवं दूरदर्शन कर्मचारी संघ-परिसंघ (एनएफएडीई) द्वारा हड़ताल के आवाहन के परिणास्वरूप देश भर में आकाशवाणी और दूरदर्शन की सेवाओं में व्यवधान उत्पन्न हुआ। संघ द्वारा 13 से 16 दिसंबर, 2010 तक एक अन्य आंदोलन के लिए नोटिस जारी किया गया और तत्पश्चात अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवाहन भी किया गया। कर्मचारियों ने प्रसार भारती अधिनियम, 1990 को निरस्त करने की मांग की। इसके विकल्प के रूप में, उन्होंने आकाशवाणी और दूरदर्शन की परिसंपत्तियों एवं कर्मचारियों को भारत सरकार के पास बनाए रखने की मांग की। इस संबंध में क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय) द्वारा एक समाधान-प्रक्रिया चलाई गई। परिसंघ के साथ हुई वार्ता-बैठकों के दौरान उन्होंने मांग की कि प्रसार भारती अधिनियम में व्यापक संशोधनों पर चर्चा करने के लिए एनएफएडीई के 5 सदस्यों को शामिल करते हुए मंत्रालय द्वारा एक समिति का गठन किया जाए। इसके प्रत्युत्तर में, मंत्रालय ने सूचित किया है कि यद्यपि वह मंत्रालय में एक समिति गठित करने के सुझाव को आवश्यक नहीं मानता है, तथापि वह विभिन्न संघों सहित विभिन्न स्टेकहोल्डरों के सुझावों व विचारों पर यथोचित रूप से विचार करने और साथ ही एनएफएडीई द्वारा दिए गए सुझावों पर उसके प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श करने के लिए सहमत हैं। मंत्रालय और प्रसार भारती द्वारा आश्वासन दिए जाने पर हड़ताल के आवाहन को वापस ले लिया गया था।

(ग) एनएफएडीई द्वारा की गई मांग के तहत प्रसार भारती अधिनियम, 1990 को निरस्त करने के संबंध में सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, प्रसार भारती (पीबी) ने वर्ष 1997 में उक्त अधिनियम के प्रचालित होने के फलस्वरूप घटित घटनाक्रम के आलोक में अधिनियम में किए जाने वाले यथावश्यक संशोधनों पर विचार करने और तत्पश्चात उसे मंत्री-समूह के विचारार्थ प्रस्तुत करने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को अधिदेशित किया है।

(घ) परिसंघ की मांग थी कि आकाशवाणी एवं दूरदर्शन की परिसंपत्तियों व कर्मचारियों को सरकार के पास बनाए रखा जाए।

(ङ) और (च) मंत्री-समूह की सिफारिशों पर सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई विभिन्न चरणों में है।

खाद्य राज-सहायता

28. **श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2010-11 की खाद्य राज-सहायता में चिंताजनक वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) वर्ष 2010-11 के दौरान खाद्य राजसहायता के लिए 59354.56 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई थी जबकि उसकी तुलना में 2009-10 के दौरान 58242.45 करोड़ रुपये रिलीज किए गए थे। वास्तविक उठान के आधार पर चालू वर्ष के लिए खाद्य राजसहायता हेतु 14877.63 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मांग की गई है। खाद्य राजसहायता में वृद्धि के मुख्य कारणों में निम्नलिखित शामिल हैं :-

(i) केंद्रीय पूल में खाद्यान्नों की खरीदारी में वृद्धि

(ii) खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) के न्यूनतम समर्थन मूल्य में लगातार वृद्धि और जुलाई 2002 से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत केंद्रीय निर्गम मूल्य को संशोधित न करना

(iii) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं के तहत राजसहायता प्राप्त खाद्यान्नों के उठान में वृद्धि होना।

(iv) गरीबी रेखा से ऊपर/गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों और खुली बिक्री के लिए चालू वर्ष के दौरान खाद्यान्नों के अतिरिक्त आवंटन क्रमशः अतिरिक्त राजसहायता प्राप्त खाद्यान्न उपलब्ध करने और खुले बाजार में मूल्य वृद्धि को रोकने हेतु किया जाना।

[हिन्दी]

लेवी चीनी की कमी

29. **श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भंडारों की अनुपलब्धता के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत भागलपुर सहित बिहार के विभिन्न जिलों में लेवी चीनी की लगातार कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा लेवी चीनी के आबंटित कोटे की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार बिहार सरकार को लेवी चीनी के पूरे कोटे का आबंटन कर रही है। संबंधित चीनी मिलों से आबंटित लेवी चीनी का उठान करने की जिम्मेदारी बिहार सरकार की है ताकि इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों में वितरण किया जा सके। केन्द्रीय सरकार ने बिहार सहित सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों से अनुरोध किया है कि वे लेवी चीनी के मासिक आबंटन के प्रति लेवी चीनी के उठान से संबंधित सूचना भेजें। तथापि, अनुस्मारकों के बावजूद अपेक्षित सूचना बिहार सरकार से प्राप्त नहीं हो रही है। बिहार सरकार से सूचना के अभाव में केन्द्रीय सरकार के लिए यह बता पाना संभव नहीं है कि भागलपुर सहित बिहार में लेवी चीनी की कोई कमी है या नहीं।

मेट्रो निर्माण में निजी क्षेत्र

30. **श्रीमती ऊषा वर्मा : क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी भागीदारी के कारण दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो लाइन का काम समय पर पूरा नहीं हो पाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या डी एम आर सी ने विभिन्न शहरों में योजना आयोग द्वारा प्रस्तावित मेट्रो रेल का निर्माण करने से मना कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) निजी भागीदारी के साथ मेट्रो रेल के निर्माण में किस प्रकार की कठिनाइयां आ रही हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) और (ख) दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने यह सूचित किया है कि एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो लाइन को दिनांक 30.9.2010 तक शुरू किया जाना था जिसमें प्रमुख सिविल कार्य डीएमआरसी द्वारा पूरे किए गए थे तथा सिस्टम (अर्थात् ट्रेक्शन, सिगनलिंग, दूर संचार, स्वचालित किराया एकत्रीकरण, वातानुकूलन, टनल वायु संचार आदि) और रालिंग स्टाक गैर-सरकारी ग्राहियों द्वारा स्थापित किए गए थे। तथापि, यह समय पर शुरू नहीं की जा सकी क्योंकि ग्राही मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त से स्वीकृति, दिल्ली फायर सर्विस से अनुमोदन तथा सरकार से सुरक्षा स्वीकृति समय पर प्राप्त नहीं कर सका।

(ग) डीएमआरसी को योजना आयोग से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) इस समय गैर-सरकारी भागीदारी से मेट्रो रेल के निर्माण में हुई कठिनाइयों के बारे में बताना असामयिक है।

झुग्गी बस्ती

31. **श्री अरविन्द कुमार चौधरी :**
श्री संजय सिंह चौहान :

क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार शहरी क्षेत्रों को झुग्गीमुक्त बनाने के लिए निजी क्षेत्र की सहायता लेने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्तमान राजीव आवास योजना और जवाहर लाल नेहरु राष्ट्रीय नवीकरण मिशन योजना को निजी क्षेत्र को सौंपे जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या देश को सभी शहरीकृत क्षेत्रों को झुग्गी बस्ती मुक्त बनाने की निजी क्षेत्र की गारंटी प्राप्त किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में कार्रवाई कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने राजीव आवास योजना का प्रस्ताव 10 फरवरी, 2011 को आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया है। इस स्कीम का उद्देश्य स्लमों के पुनर्विकास हेतु आश्रय एवं बुनियादी नागरिक एवं सामाजिक सेवाओं हेतु सहायता प्रदान करना एवं उन राज्यों के लिए किफायती आवासों का निर्माण करना है जो स्लमवासियों को सम्पत्ति का अधिकार प्रदान करने के इच्छुक हैं। इस स्कीम में उन क्षेत्रों में उचित सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल अपनाए जाने की परिकल्पना की गयी है जहां व्यवहारिक हो।

(ख) जी नहीं।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना

32. **श्री जोस के. मणि :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस) में शामिल फसलों और इसके अंतर्गत भुगतान संबंधी मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार एएआईएस में संशोधन करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) संशोधित एनएआईएस के अंतर्गत किसानों के कितना लाभान्वित होने की संभावना है तथा चालू वर्ष के दौरान इसके परिणामस्वरूप सरकार पर कितना अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव) : (क) एनएआईएस सभी खाद्य फसलों (अनाज, कदन्न एवं दलहनों), तिलहनों और वार्षिक व्यावसायिक/बागवानी फसलों को कवर करता है जिसके संबंध में पिछले पर्याप्त कई वर्षों का उत्पादन डाटा उपलब्ध है। एनएआईएस के प्रावधानों के अनुसार, कार्यान्वियन राज्य विभिन्न खरीफ एवं रबी फसलों के लिए बीमा के इकाई क्षेत्र अधिसूचित करते हैं। यदि इकाई क्षेत्र की वास्तविक उपज न्यूनतम निर्धारित उपज/गारन्टीड उपज से कम होती है तो बीमित किसान न्यूनतम निर्धारित उपज से वास्तविक उपज में कमी के मूल्य के बराबर के दावे के पात्र होंगे।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने ग्यारहवीं योजना के शेष

वर्षों हेतु वर्ष रबी 2010-11 से 50 जिलों में पायलट आधार पर कार्यान्वयन के लिए संशोधित एनएआईएस को पहले ही अनुमोदित कर दिया है। संशोधित एनएआईएस की संरचना अधिक किसान हितैषी है क्योंकि इसमें निम्नलिखित विभिन्न सुधार शामिल हैं जैसे (i) किसानों को 40% से 75% तक की प्रीमियम में राजसहायता के साथ बीमांकिक प्रीमियम (ii) प्रमुख फसलों हेतु बीमा का इकाई क्षेत्र घटाकर ग्राम पंचायत स्तर पर कर दिया है (iii) बाधित बुआई/रोपण जोखिमों का कवरेज (iv) तटवर्तीय क्षेत्रों में चक्रवात के कारण फसलोंपरान्त हानियों का कवरेज (v) संभावित दावों का तुरन्त राहत के रूप में 25% तक अग्रिम आन अकांउट भुगतान (vi) न्यूनतम निर्धारित उपज की गणना के लिए और दक्ष आधार (vii) न्यूनतम क्षतिपूर्ति स्तर 60% के बजाय 70% आदि।

(घ) उपर्युक्त उन्नत विशेषताओं के शामिल किए जाने के कारण किसानों के अतिरिक्त जोखिम कवरेज, दावों के और अधिक स्टीक आकलन और दावों के अग्रिम/समय पर भुगतान के कारण लाभान्वित होने की आशा है। स्कीम के प्रावधानों के अनुसार, एनएआईएस को उन क्षेत्रों से हटा लिया गया है जहां संशोधित एनएआईएस कार्यान्वित की जा रही है। रबी 2010-11 में 12 राज्यों ने 34 जिलों में संशोधित एनएआईएस का कार्यान्वयन अधिसूचित किया है। किसानों को अपफ्रंट प्रीमियम राजसहायता हेतु भारत सरकार की प्रतिबद्ध देयता के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को 25 करोड़ रु. की धनराशि निर्मुक्त कर दी गई है। संशोधित एनएआईएस के तहत दावों के निपटान की जिम्मेदारी बीमा कंपनियों की है।

आपदा राहत कोष

33. श्री बद्रीराम जाखड़ : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त आयोग ने प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में आपदा राहत कोष की शेष धनराशि को राज्य योजना में शामिल करने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जी, नहीं। 13वें वित्त आयोग ने आपदा राहत निधि (सी आर एफ) का संबंधित राज्यों की राज्य आपदा कार्रवाई निधि (एस डी आर एफ) में विलय करने की सिफारिश की है।

वित्त आयोग ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश भी की थी कि राज्य सी आर एफ के अंतर्गत 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार शेष राशि को संबंधित एस डी आर एफ में अंतरित कर दिया जाए। अत: सी आर एफ सी शेष राशि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में राज्य योजना में अंतरित नहीं की जा सकती।

[अनुवाद]

अग्रिम संविदा अधिनियम

34. श्री असादुद्दीन ओवेसी : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 में वस्तु वायदा बाजारों के विनियमन और वायदा बाजार आयोग की स्थापना की व्यवस्था है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बाजार आयोग को एक स्वायत्त निकाय बनाने के लिए उक्त अधिनियम में संशोधन करने का है;

(ग) यदि हां, तो इसे स्वायत्त निकाय का दर्जा देने के बाद एफ. एम. सी. को क्या काम सौंपे जाने की संभावना है; और

(घ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) अग्रिम संविदा (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2010 में वायदा बाजार आयोग की पुर्नसंरचना और सशक्तिकरण तथा उसको वित्तीय, कार्यात्मक और प्रशासनिक स्वायत्ता प्रदान करने का प्रस्ताव है। विधेयक में केन्द्रीय सरकार की मौजूदा अधिकांश शक्तियों को वायदा बाजार आयोग को देकर निम्नलिखित सहित उसकी शक्तियों में वृद्धि करने का प्रस्ताव है :

- कमोडिटी एसोसिएशनों/एक्सचेंजों को मान्यता देना अथवा आहरित करना।
- यदि आवश्यक हो, तो मान्यता प्राप्त एसोसिएशनों के शासी निकाय का अधिक्रमण करना।
- इसकी जांच और दांडिक प्राधिकार की शक्तियों में वृद्धि करना।

इन बढ़ी हुई शक्तियों से वायदा बाजार आयोग निम्नलिखित के लिए सक्षम बनेगा :

(i) स्व-विनियामक संगठनों का संवर्धन और विनियमन करना;

(ii) एसोसिएशनों और बिचौलियों के व्यापार को विनियमित करना;

(iii) एजेंसियों से सूचना मांगना;

(iv) बाजार भागीदारों के अधिकारों को संरक्षित करना;

(v) कपटपूर्ण और अनुचित व्यापार पद्धतियों को रोकना;

(vi) इनसाइडर व्यापार को रोकना;

(vii) निवेशक शिक्षा और बिचौलियों के प्रशिक्षण को बढ़ावा देना;

(viii) न्यायनिर्णय देना और विनियम बनाना; और

(ix) बिचौलियों या कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट से जुड़े व्यक्तियों की जांच पड़ताल करना।

विधेयक के पारित हो जाने के पश्चात केन्द्रीय सरकार के पास समय समय पर वायदा बाजार आयोग को निर्देश जारी करने की शक्ति होगी।

(घ) अग्रिम संविदा (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2010 को 6 दिसम्बर, 2010 को लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया था। लोक सभा के माननीय अध्यक्ष ने 16 दिसम्बर, 2010 को उक्त विधेयक को जांच और रिपोर्ट के लिए विभाग से संबंधित खाद्य, उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण पर संसदीय स्थायी समिति को भेजा।

महिला किसानों का कल्याण

35. **श्रीमती जे. शांता :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में महिला किसानों के कल्याण के लिए महिला घटक योजना के लिए बजट में कुछ परिव्यय निर्धारित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान निर्धारित परिव्यय का ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में महिला किसानों के लिए इसका उपयोग विशेषकर कर्नाटक में किस तरह किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव) : (क) जी हां।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) निधियों का उपयोग महिला कृषकों को स्वयं सहायता समूहों में संघटित करने एवं महिला कृषकों को प्रशिक्षण देने, प्रदर्शन, एक्सपोजर दौरों, आदान, राजसहायता एवं सहायता देने में किया जा रहा है। इसके अलावा, केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं, 'कृषि क्लिनिक एवं कृषि व्यापार की स्थापना, 'समेकित तिलहन, दलहन आयलपाम एवं मक्का स्कीम (आइसोपाम)', 'ग्रामीण गोदामों के निर्माण/पुनरोद्धार के लिए पूंजी निवेश राजसहायता स्कीम', 'भारत में कीट प्रबंधन पद्धति का सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण' के अधीन महिला कृषकों को उच्च राजसहायता भी दी जा रही है। कर्नाटक में विभिन्न योजनाओं जैसे पौध संरक्षण, बीज वितरण, कृषि प्रसंस्करण इकाई, फार्म मशीनीकरण, सूक्ष्म सिंचाई, फसलोपरान्त प्रौद्योगिकी, जैविक कृषि, कपास लघु मिशन-II, तिहलन विकास कार्यक्रम एवं गन्ना विकास कार्यक्रम के तहत निधियों का उपयोग किया जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ मितव्ययता एवं आय सृजन कार्यकलाप विकसित करने के लिए शिमोगा में केवल महिलाओं के विकास हेतु परियोजना भी चला रहा है।

विवरण

वर्ष 2008-09 से 2010-11 तक की अवधि के लिए महिला घटक योजना (डब्ल्यूसीपी) हेतु प्रभाग वार स्वीकृत परिव्यय

(करोड़ रु. में)

क्रम सं.	प्रभाग का नाम	2008 - 2009		2009 - 2010		2010 - 2011	
		बजट आकलन	डब्ल्यूसीपी के लिए निर्धारित परिव्यय	बजट आकलन	डब्ल्यूसीपी के लिए निर्धारित परिव्यय	बजट आकलन	डब्ल्यूसीपी के लिए निर्धारित परिव्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	फसल	1201.00	377.70	1421.00	456.10	1370.00	443.10
2.	टीएमओपी	328.00	98.40	328.00	98.40	509.00	152.40

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	बागवानी	2176.00	713.10	2166.00	674.00	2800.38	900.25
4.	समेकित पोषक तत्व प्रबंधन	83.00	24.90	77.00	23.10	40.00	14.50
5.	बीज	178.00	55.40	432.00	127.48	419.45	125.00
6.	पौध संरक्षण	47.00	00.00	47.00	00.00	58.78	00.00
7.	यंत्रीकरण और प्रौद्योगिकी	18.00	6.00	34.00	10.20	32.00	05.50
8.	वर्षा सिंचित खेती प्रणाली	352.00	110.30	157.00	46.12	30.00	00.00
9.	राष्ट्रीय संसाधन प्रबंधन	11.00	00.00	14.00	4.20	15.78	00.00
10.	ऋण	752.00	250.20	752.00	223.60	1100.00	315.00
11.	सहकारिता	87.00	26.10	87.00	26.10	37.05	11.00
12.	विस्तार	407.00	128.10	407.00	120.10	376.76	117.00
13.	कृषि अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय	91.00	00.00	106.00	00.00	130.50	00.00
14.	कृषि संगणना	20.00	00.00	20.00	06.00	16.50	00.00
15.	कृषि विपणन	168.00	50.40	168.00	49.40	284.80	84.00
16.	सूचना प्रौद्योगिकी	25.00	7.50	25.00	07.50	50.00	15.00
17.	व्यापार	01.00	00.00	01.00	00.00	1.00	00.00
18.	सचिवालय आर्थिक सेवा	5.00	00.00	8.00	00.00	8.00	00.00
19.	वृहत्त प्रबंधन	950.00	221.90	950.00	287.70	1000.00	301.25
	कुल	6900.00	2070.00	7200.00	2160.00	8280.00	2484.00

अति विशिष्ट व्यक्तियों को खतरा

36. **श्री अधीर चौधरी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में अति विशिष्ट व्यक्तियों को होने वाले खतरों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में अति विशिष्ट व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोई विशेष योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (घ) जी, हां। विभिन्न अति विशिष्ट व्यक्तियों को केन्द्रीय सुरक्षा एजेंसियों से प्राप्त खतरे के मूल्यांकन संबंधी रिपोर्ट के आधार पर सुरक्षा प्रदान की जाती है। चूंकि कानून और व्यवस्था राज्य का

विषय है, इसलिए समय-समय पर प्राप्त खतरे के ब्यौरे की जानकारी राज्य पुलिस प्राधिकारियों और अन्य संबंधित एजेंसियों को भी दी जाती है। अति विशिष्ट व्यक्तियों के लिए सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाएं समय-समय पर बनाए गए विस्तृत अनुदेशों/प्रावधानों/मार्गनिर्देशों के अनुसार की जाती है।

[हिन्दी]

खाद्यान्नों में कीटनाशी अवशिष्ट

37. श्री गोपीनाथ मुंडे : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कीटनाशी पदार्थों तथा उर्वरक अवशिष्ट की उच्च स्तर की उपस्थिति के कारण खाद्यान्न संदूषित हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस वर्ष चावल की बोरो किस्म में विषैले पदार्थ की उपस्थिति खतरनाक स्तर तक पहुंच गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) खाद्यान्न संदूषण के कारण स्वास्थ्य पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव और इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव) : (क) और (ख) भारत सरकार एक केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम, "राष्ट्रीय स्तर पर कीटनाशी अवशिष्टों की मानीटरिंग" कार्यान्वित कर रही है जिसके तहत कीटनाशी अवशिष्टों की उपस्थिति के लिए खाद्य जिन्सों के नमूनों का विश्लेषण किया जाता है। अप्रैल, 2008 से मार्च, 2010 के दौरान, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से अनाजों (चावल और गेहूं) के 2,777 नमूने इकट्ठे किए गए। 72 (2.6%) नमूनों में कीटनाशी अवशिष्ट खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम (पीएफए), 1954 के तहत निर्धारित अधिकतम अवशिष्ट सीमा से अधिक पाए गए।

(ग) से (च) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने विधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, मोहनपुर की अगुवाई वाली उप-परियोजना, "खाद्य-श्रृंखला में विषैले पदार्थ कारण, प्रभाव एवं शमन" पर एक राष्ट्रीय कृषि अभिनव परियोजना (एनएआईपी) स्वीकृत की है। यद्यपि बोरो चावल अनाज में विषैले पदार्थों की उपस्थिति रिकार्ड की गई है परन्तु यह खतरे की सीमा तक नहीं पहुंची है।

(छ) भारत सरकार कृषक फील्ड स्कूलों के जरिए समेकित कीट प्रबंधन (आईपीएम) प्रोत्साहित कर रही है जो अनुमोदित कीटनाशकों एवं अन्य कीट प्रबंधन पद्धतियों के सुरक्षित, विवेकपूर्ण एवं आवश्यकता आधारित उपयोग पर ध्यान केन्द्रित करती है।

खेल-कूद अवसंरचना का सृजन

38. श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो :
श्री हसन खान :
श्री हमदुल्लाह सईद :
श्री प्रेमचन्द गुड्डू :
श्री यशवंत लागुरी :

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान खेल-कूद स्टेडियमों के निर्माण तथा खेल-कूद अवसंरचना के विकास हेतु विभिन्न राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों की राज्यवार संख्या कितनी है तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या सरकार ने खेलों के विकास/संवर्धन हेतु धनराशि आबंटित/स्वीकृत तथा जारी की है;

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान जम्मू-कश्मीर और लक्षद्वीप सहित तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(घ) लंबित प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दे दिये जाने की संभावना है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान सभी राज्यों के खिलाड़ियों को प्रदान कराई गई वित्तीय सहायता/खेल सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) वर्तमान में राज्यों को खेल स्टेडियम और संबंधित खेल अवसंरचना के निर्माण के लिए सहायता हेतु कोई केन्द्रीय या केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम नहीं है। 1.4.2005 से पहले केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमें थीं, जिनके अंतर्गत ऐसी सहायता प्रदान की जाती थी। स्कीमों के बंद होने के बाद अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) या विशेष केन्द्रीय सहायता (एसपीए) के एक हिस्से के रूप में राज्यों को प्रतिबद्ध देयता के लिए 62.51 करोड़ रु. प्रदान किए गए। स्कीम का राज्य-वार ब्रेक-अप संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (ङ) मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) की विभिन्न स्कीमों अर्थात प्रतिभा खोज एवं प्रशिक्षण की स्कीम (टीएसटी), राष्ट्रीय खेल विकास निधि की स्कीम (एनएसडीएफ), राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता स्कीम (एनएसटीसी), साई प्रशिक्षण केन्द्र (एसटीसी) स्कीम, विशेष क्षेत्र खेल (एसएजी) स्कीम, सेना बाल खेल कंपनी (एएसबीसी) स्कीम और उत्कृष्टता केन्द्रों (सीओई) की स्कीम के अंतर्गत खेल उत्कृष्टता में संवर्धन के उद्देश्य से युवा प्रतिभावान खिलाड़ियों को प्रशिक्षण के लिए वित्तीय समर्थन/सहायता प्रदान की जाती है। पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान टीएस एण्ड टी, एनएसडीएफ तथा साई की स्कीमों के अंतर्गत आबंटन का ब्यौरा निम्नलिखित है :-

करोड़ रु.

क्रम सं.	स्कीम का नाम	आबंटित राशि			
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 (बजट अनुमान)
1	भारतीय खेल प्राधिकरण	157.80	150.00	206.15	321.00
2	प्रतिभा खोज एवं प्रशिक्षण स्कीम	53.37	39.50	50.53	150.00
3	राष्ट्रीय खेल विकास निधि स्कीम	5.00	10.25	8.12	20.00

विवरण

पूर्व की खेल अवसंरचना स्कीम की राज्य-वार प्रतिबद्ध देयताएं

(लाख रु.)

क्रम सं.	राज्य का नाम	यु.का. खेल मंत्रालय द्वारा संस्तुत परियोजनाओं की सं.	यु.का. खेल मंत्रालय द्वारा संस्तुत कुल प्रतिबद्ध देयताएं	योजना आयाग द्वारा वार्षिक योजना (2009-10) में 1.4.2010 को राज्यों को स्वीकृत राशि	
				परियोजनाओं की संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6
1	आंध्र प्रदेश	16	805.20	16	805.20
2	अरुणाचल प्रदेश	14	851.39	14	851.39
3	असम	17	396.34	17	396.84
4	हरियाणा	15	23.64	-	-
5	हिमाचल प्रदेश	6	54.88	-	-
6	कर्नाटक	5	116.50	-	-
7	मध्य प्रदेश	22	409.97	-	-
8	महाराष्ट्र	17	345.22	-	-
9	मिजोरम	9	1,190.83	9	1,190.83

1	2	3	4	5	6
10	नागालैण्ड	5	368.00	5	368.20
11	उड़ीसा	5	560.00	-	-
12	पंजाब	1	15.00	-	-
13	राजस्थान	2	242.21	2	242.21
14	तमिलनाडु	3	65.73	-	-
15	उत्तर प्रदेश	11	33.95	11	33.94
16	उत्तराखंड	5	156.50	-	-
17	जम्मू व कश्मीर	32	14.82	-	-
18	केरल	2	60.76	2	60.76
19	सिंथेटिक सतह	6	539.80	3*	300.00*
	कुल	193	6,250.74	76	4,249.37

*राजस्थान को दो सिंथेटिक सतह के लिए 200 लाख रु. और पुदुचेरी के लिए 1 सिंथेटिक सतह के लिए 100 लाख रु.।

[अनुवाद]

जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बल

39. **श्री गुरुदास दासगुप्त :**
श्री यशवीर सिंह :
श्री नीरज शेखर :
श्रीमती जयाप्रदा :
श्री भूदेव चौधरी :
श्री आर. थामराईसेलवन :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जम्मू-कश्मीर घाटी में केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों की संख्या में कमी करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस पहल के विरुद्ध विभिन्न क्षेत्रों से आपत्तियां प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ङ) राज्य में शांति बनाए रखने के लिए केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरुदास कामत) : (क) और (ख) कश्मीर घाटी में केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती निरन्तर मूल्यांकन एवं समीक्षा का विषय है। बल के स्तरों को कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने के लिए राज्य सरकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाए रखा जाता है। सरकार का यह प्रयास रहा है कि सी पी एम एफ की तैनाती को क्रमिक रूप से घटाया जाए ताकि कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने के लिए राज्य बल को अधिक-से-अधिक जिम्मेदारी सौंपी जा सके। जबकि वर्ष 2009 के दौरान घाटी से सी पी एम एफ की 10 बटालियनों को वापस बुला लिया गया था, वहीं चूंकि, घाटी में स्थिति में सुधार हो रहा है और, सरकार के क्षमता निर्माण के प्रयासों के परिणामस्वरूप राज्य पुलिस बेहतर क्षमताएं अर्जित कर रही है और पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ रही है इसलिए बलों की और अधिक वापसी पर विचार किया जा रहा है तथा इसकी जांच की जा रही है।

(ग) जम्मू एवं कश्मीर में केन्द्रीय अर्धसैनिक बल की

क्षमता में समस्त समायोजन सभी पहलुओं, दृष्टिकोणों तथा बुनियादी परिस्थितियों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद किए जाते हैं।

(घ) कश्मीर घाटी में बल के स्तरों को राज्य सरकार के पास गहन विचार-विमर्श करके बनाए रखा जाता है।

(ङ) वर्ष 2010 के ग्रीष्मकाल में हिंसा के चक्र के बाद, प्रधानमंत्री ने दिनांक 10.08.2010 को राज्य के एक सर्व दलीय प्रतिनिधिमण्डल से मुलाकात की और शांति, वार्ता एवं समाधान के लिए अपील की। प्रधानमंत्री ने दिनांक 15 सितम्बर, 2010 को जम्मू एवं कश्मीर पर एक सर्वदलीय बैठक का भी आयोजन किया और राज्य के समक्ष जटिल मुद्दों के संबंध में संसद में प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न राजनीतिक दलों से मार्गदर्शन मांगा। इस बैठक में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में, एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमण्डल ने दिनांक 21 एवं 22 सितम्बर, 2010 को जम्मू एवं कश्मीर का दौरा किया तथा समाज के सभी वर्गों से मुलाकात की। सर्वदलीय प्रतिनिधिमण्डलीय एवं राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के आधार पर, सरकार ने एक 8-सूत्री कार्यक्रम अनुमोदित किया जिसके अंतर्गत जम्मू एवं कश्मीर की जनता के सभी वर्गों के साथ सतत एवं निर्बाध वार्ता करने के लिए वार्ताकारों के एक दल की नियुक्ति की गई थी।

[हिन्दी]

राष्ट्रमंडल खेल के बकाए का भुगतान न होना

40. **श्री अनंत कुमार हेगड़े :**
श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह :
श्री रुद्रमाधव राय :

क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार/आयोजन समिति द्वारा हाल ही में सम्पन्न हुए राष्ट्रमंडल खेल, 2010 में सम्मिलित अनेक विदेशी/घरेलू फर्मों की बकाया धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है/रोक लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रत्येक फर्म की बकाया तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या उक्त विदेशी और घरेलू फर्में बकाया का तुरंत भुगतान करने का दबाव डाल रही हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी फर्मों को उक्त भुगतान कब तक किए जाने की संभावना है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (ङ) आयोजन समिति ने सूचित किया है कि 37 विदेशी वेण्डरों को विधि सम्मत भुगतान कर दिया गया है। निम्नलिखित 8 विदेशी वेण्डरों के भुगतान उनके मामलों को अंतिम रूप देने के लिए कतिपय स्पष्टीकरण के अभाव में रोक दिए गए हैं:

(करोड़ रु. में)

क्रम सं.	वेण्डर का नाम	भारतीय रु. में प्रदत्त राशि	भारतीय रु. में भुगतान किए जाने वाला बकाया
1	स्विस टाइमिंग	103.15	5.94
2	इन्फोस्ट्राडा	6.72	2.82
3	के. इवेन्ट्स एसआरएल	33.60	1.82
4	मार्क फिशर	0.69	0.23
5	ग्रेट बिग इवेन्ट	3.48	0.39
6	स्पेक्टेक प्रोडक्शन	8.98	1.48
7	उत्पादन संसाधन समूह	14.36	1.59
8	ईकेएस	9.45	2.36

आयोजन समिति ने घरेलू तथा विदेशी दोनों वेण्डरों के साथ लगभग 550 करार किए थे जिनमें से अंतिम रूप से भुगतान केवल 70 वेण्डरों के लिए ही बाकी है। आयोजन समिति ने आगे सूचित किया है कि वर्तमान में चार आपूर्तिकर्ताओं की जांच की जा रही है और इसलिए, इसने इन वेण्डरों को पूर्णतया अंतिम भुगतान नहीं किया है।

जहां तक भारत सरकार के कई अन्य मंत्रालयों/विभागों के जरिए किए गए राष्ट्रमंडल खेल-2010 के कार्यों के संबंध में वेण्डरों/आपूर्तिकर्ताओं के बकाए के भुगतान का प्रश्न है, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग यथाशीघ्र विधि सम्मत बकायों का भुगतान करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहे हैं।

[अनुवाद]

अपर्याप्त स्वच्छता

41. **श्री आनंद प्रकाश परांजपे :**
श्रीमती सुप्रिया सुले :
डॉ. संजीव गणेश नाईक :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने हाल ही में जारी अपनी रिपोर्ट में देश के अपर्याप्त स्वच्छता के प्रतिकूल प्रभाव के बारे में बताया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) देश के शहरी और ग्रामीण निर्धनों पर अल्प-स्वच्छता सुविधाओं का क्या प्रभाव पड़ा है; और

(घ) देश में स्वच्छता की स्थिति में सुधार करने के लिए उठाए गए कदमों/उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) जी हां।

(ख) विश्व बैंक के जल एवं स्वच्छता कार्यक्रम के तहत अपर्याप्त सफाई व्यवस्था के आर्थिक प्रभाव पर अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन में भारत में एक वर्ष में अपर्याप्त सफाई का कुल आर्थिक प्रभाव का आकलन 2.44 ट्रिलियन रु. किया गया है जो कि वर्ष 2006 में भारत में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 6.4 प्रतिशत के समतुल्य था। भारत सरकार ने राष्ट्रीय शहरी सफाई नीति (एनयूएसपी) अपनाई है जिसमें खुले में शौच करने से शहरों को मुक्त करने और शहर व्यापी सफाई के लक्ष्य को पूरा करते हुए जागरूकता पैदा करने एवं व्यवहारिक परिवर्तन के विशेष संदर्भ के साथ एक एकीकृत रूप में सफाई से संबंधित मुद्दों को निपटाया गया है।

(ग) रिपोर्ट में उल्लेख है कि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले 20 प्रतिशत निर्धनतम परिवारों में 1699 रु. (37.5 अमेरिकन डॉलर) की अपर्याप्त सफाई का उच्चतम प्रति व्यक्ति आर्थिक प्रभाव पड़ता है। 20 प्रतिशत ग्रामीण निर्धनतम परिवारों को 1000 रु. (22 अमेरिकन डालर) से अधिक प्रति व्यक्ति हानि उठानी पड़ती है।

(घ) उपर्युक्त 'ख' में उल्लिखित राष्ट्रीय शहरी सफाई नीति के अलावा, शहरी विकास मंत्रालय ने विभिन्न स्कीमों यथा जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, छोटे और मझौले कस्बों में शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यूआईडीएसएसएमटी) इत्यादि के तहत सफाई से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं का समर्थन किया है। राष्ट्रीय शहरी सफाई नीति के तहत राज्यों राज्य सफाई कार्यनीतियां बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है तथा शहरों को एक व्यापक एवं समग्र रूप से सफाई के मुद्दे को निपटाने की दृष्टि से शहर सफाई योजना बनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।

एनएसएफ का कुप्रबंधन

42. **श्री अंजनकुमार एम. यादव :**
श्री पन्ना लाल पुनिया :
श्री एस. अलागिरी :
श्री भक्त चरण दास :

क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय खेल संघ (एनएसएफ) के कुप्रबंधन के दृष्टांत सरकार की जानकारी में आये हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान संघ-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) एनएसएफ के कुप्रबंधन के विरुद्ध एक जनहित याचिका में सुनवाई के बाद निर्मित दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन की आज की तारीख में स्थिति क्या है;

(घ) इन दिशा-निर्देशों को लागू न करने के क्या कारण हैं;

(ङ) एनएसएफ के कुप्रबंधन को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) जी हां। सरकार को (i) भारतीय जिम्नास्टिक परिसंघ और (ii) भारतीय तैराकी परिसंघ के विरुद्ध सरकारी अनुदान के दुरुपयोग के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। भारतीय जिम्नास्टिक परिसंघ ने दो लाख रु. के सरकारी अनुदान को अन्यत्र राष्ट्रीय चैम्पियनशिप आयोजित करने के लिए खर्च कर दिया जिसे 1.50 लाख रु. और 0.50 लाख रु. की दो किस्तों में क्रमशः 21.11.1997 और 8.6.1998 को निर्गत किया गया था। परिसंघ को 5.3.2008 को 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया था और उसे उचित वित्तीय उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए चेतावनी दी गई थी। परिसंघ द्वारा अन्यत्र इस्तेमाल की गई राशि की भी वसूली दण्डब्याज के साथ की गई। वित्तीय अनियमितताओं के बारे में भारतीय तैराकी परिसंघ के विरुद्ध आरोपों की जांच की जा रही है और जब तक वस्तुस्थिति का पता नहीं लग जाता तब तक आगे कोई निधि निर्गत नहीं की जाएगी।

(ग) आयु और समयसीमा संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालन माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार किया जा रहा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सरकार ने राष्ट्रीय भारतीय खेल विकास संहिता, 2011 प्रकाशित की है जिसमें राष्ट्रीय खेल परिसंघों के समुचित प्रबंधन सहित खेलों में उत्तम संचालन का उन्नयन शामिल है।

[हिन्दी]

पुलिस कर्मियों का अनुपात

43. **श्री गणेश सिंह :**
डॉ. पी. वेणुगोपाल :
श्री पी. कुमार :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मौजूदा समय में पुलिस-जनता का राज्यवार अनुपात संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त अनुपात संयुक्त राष्ट्र की सिफारिशों के अनुरूप है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) देश में पुलिस-जनता अनुपात में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ङ) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने इस संबंध में अपने स्वयं के पुलिस कानून बनाये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (घ) पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बी पी एंड डी) द्वारा संकतिल किए गए आंकड़ों के अनुसार, दिनांक 01.01.2009 की स्थिति के अनुसार राज्यवार पुलिस-जनसंख्या अनुपात दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। न्यूनतम संयुक्त राष्ट्र (यू एन) मानदण्ड 220 है और संयुक्त राष्ट्र मानदंडों से तुलना करने पर, हमारे यहां पुलिस कार्मिकों की कमी है।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पुलिस' राज्य का विषय होने की वजह से पुलिस बलों में रिक्तियों को भरने की जिम्मेदारी और पुलिस-जनसंख्या अनुपात में सुधार करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। तथापि, राज्य सरकारों को विभिन्न फोरमों में अर्थात् दिनांक 06.01.2009, 17.08.2009, 07.02.2010 और 01.02.2011 को हुए मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में इस मंत्रालय द्वारा समय-समय पर पुलिस बलों में विद्यमान रिक्तियों को भरने का परामर्श दिया गया है।

(ङ) विभिन्न राज्यों को समुचित विचार के लिए गृह मंत्रालय द्वारा अक्तूबर, 2006 में परिचालित किए गए मॉडल पुलिस अधिनियम की धारा 4(1) में इस आशय का प्रावधान है कि पुलिस सेवा में विभिन्न रैंकों के अधिकारियों की संख्या इतनी होगी और इनका संगठन ऐसा होगा, जैसाकि राज्य सरकार सामान्य अथवा विशेष आदेशों के द्वारा निर्धारित करे। अब तक, 12 राज्यों ने अपने विद्यमान पुलिस अधिनियम में संशोधन किए हैं अथवा नए अधिनियम अधिनियमित किए हैं। इनमें से अधिकांश राज्यों जैसे कि असम, बिहार, सिक्किम, उत्तराखंड, त्रिपुरा, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा ने अपने अधिनियमों में इसी प्रकार के प्रावधान किए हैं।

विवरण

दिनांक 1.1.2009 को पुलिस-जनसंख्या अनुपात

क्रम सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	प्रति एक सौ हजार जनसंख्या पर कुल पुलिस कर्मी	
		स्वीकृत	वास्तविक
1	2	3	4
1	आंध्र प्रदेश	147.23	122.63
2	अरुणाचल प्रदेश	595.04	568.82
3	असम	279.76	207.90
4	बिहार	90.35	63.38
5	छत्तीसगढ़	194.40	138.16
6	गोवा	359.36	279.17
7	गुजरात	133.73	99.91
8	हरियाणा	248.05	193.72
9	हिमाचल प्रदेश	245.73	198.56
10	जम्मू और कश्मीर	751.74	656.20
11	झारखंड	181.71	140.06
12	कर्नाटक	169.61	133.92
13	केरल	128.00	113.76

1	2	3	4
14	मध्य प्रदेश	110.91	100.86
15	महाराष्ट्र	188.09	161.02
16	मणिपुर	835.69	577.43
17	मेघालय	443.81	400.86
18	मिजोरम	1028.90	1084.99
19	नागालैंड	1038.13	1034.68
20	उड़ीसा	128.51	99.69
21	पंजाब	268.54	248.47
22	राजस्थान	119.86	112.30
23	सिक्किम	649.67	602.68
24	तमिलनाडु	154.54	134.51
25	त्रिपुरा	1161.78	936.69
26	उत्तर प्रदेश	190.75	74.74
27	उत्तराखंड	225.81	171.18
28	पश्चिम बंगाल	100.32	89.34
29	अं. और नि. द्वीपसमूह	697.60	632.21
30	चंडीगढ़	429.31	412.99
31	दादरा और नगर हवेली	79.40	77.53
32	दमन और दीव	128.80	110.99
33	दिल्ली	431.29	390.55
34	लक्षद्वीप	491.55	415.49
35	पुदुचेरी	303.13	260.18
	अखिल भारत	177.67	134.28

[अनुवाद]

वरिष्ठ नागरिकों के विरुद्ध अपराध

44. **श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वरिष्ठ नागरिकों के विरुद्ध अपराध की घटनाओं में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान, हत्या और लूट के अलग-अलग मामलों सहित राज्य-वार और अपराध-वार ऐसे कितने मामले दर्ज किए गये हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितने आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी तथा कितने मामले सुलझे/अनसुलझे हैं और सभी मामलों के हल के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने देश में वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों को कोई परामर्श जारी किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरुदास कामत) : (क) से (ग) राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एन सी आर बी) द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार एनसीआरबी द्वारा वृद्ध व्यक्तियों, जो हत्या, बलात्कार, हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध, अपरहरण और व्यपहरण के शिकार होते हैं, के बारे में सूचना एकत्र की जाती है। वर्ष 2007 से 2009 के दौरान वृद्ध पीड़ितों (50 वर्ष से अधिक की आयु वाले) के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I और II में दिए गए हैं। एनसीआरबी द्वारा की गई सूचना के अनुसार, वृद्ध पीड़ितों (50 वर्ष की आयु से अधिक) के संबंध में पीड़ितों की संख्या को छोड़कर कोई अन्य सूचना पृथक रूप में नहीं रखी जाती है।

(घ) और (ङ) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य का विषय है और, अतः वरिष्ठ नागरिकों के प्रति अपराध सहित अपराध के निवारण, पता लगाने, पंजीकरण, जांच पड़ताल और अभियोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की होती है। तथापि, केन्द्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिनांक 27.3.2008 को विस्तृत सलाह जारी की है, जिसमें उन्हें वरिष्ठ नागरिकों की पहचान करने, वृद्ध व्यक्तियों की सुरक्षा और संरक्षा के संबंध में पुलिस कार्मिकों को सुग्राही बनाने; बीट स्टाफ द्वारा नियमित दौरा करने, निःशुल्क वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन की स्थापना करने, वरिष्ठ नागरकि सुरक्षा प्रकोष्ठ स्थापित करने, घरेलू नौकरों और ड्राइवरों का सत्यापन करने जैसी पहलों के माध्यम से वृद्ध व्यक्तियों की सुरक्षा एवं संरक्षा सुनिश्चित करने और उनके प्रति सभी प्रकार की उपेक्षा, दुर्व्यवहार और हिंसा को समाप्त करने के लिए तत्काल उपाय करने की सलाह दी गई है।

विवरण-I

वर्ष 2007-09 के दौरान हत्या की कोटि में न जाने वाले सदोष मानव वध, और अपहरण एवं व्यपहरण के शिकार हुए 50 वर्ष के ऊपर की आयु के व्यक्तियों का ब्यौरा

		हत्या की कोटि में न आने वाला सदोष मानव वध									अपहरण और व्यपहरण								
		2007			2008			2009			2007			2008			2009		
क्रम सं.	राज्य	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	आंध्र प्रदेश	19	7	26	19	3	22	23	5	28	29	17	46	32	5	37	26	3	29
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
3	असम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	2	0	2
4	बिहार	10	1	11	27	1	28	15	1	16	8	0	8	16	2	18	4	0	4
5	छत्तीसगढ़	2	0	2	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	गोवा	2	0	2	2	1	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0
7	गुजरात	0	0	0	4	3	7	0	1	1	7	2	9	2	0	2	3	0	3
8	हरियाणा	2	1	3	3	1	4	7	1	8	7	0	7	6	2	8	4	29	33
9	हिमाचल प्रदेश	0	1	1	0	0	0	3	1	4	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	झारखंड	2	0	2	3	0	3	6	1	7	11	0	11	5	0	5	1	1	2
12	कर्नाटक	1	0	1	5	1	6	3	0	3	14	2	16	13	3	16	8	0	8
13	केरल	14	1	15	17	2	19	23	10	33	11	0	0	4	1	5	7	1	8
14	मध्य प्रदेश	9	2	11	20	1	21	2	3	5	9	1	10	5	0	5	7	1	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
15	महाराष्ट्र	10	3	13	15	5	20	16	3	19	15	3	18	13	2	15	18	2	20
16	मणिपुर	0	0	0	1	0	1	0	0	0	9	0	9	17	0	17	21	0	21
17	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	7	1	0	1
20	उड़ीसा	0	0	0	10	7	17	0	0	0	0	4	4	7	1	8	4	5	9
21	पंजाब	9	4	13	8	4	12	9	3	12	9	2	11	8	1	9	8	0	8
22	राजस्थान	6	2	8	4	0	4	6	0	6	16	12	28	18	21	39	17	10	27
23	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	तमिलनाडु	3	0	3	1	1	2	3	0	3	9	0	9	11	2	13	20	2	22
25	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	4	0	4	0	0	0
26	उत्तर प्रदेश	150	13	163	114	9	123	117	14	131	33	0	0	10	0	10	17	0	17
27	उत्तराखंड	2	0	2	3	0	3	6	0	6	1	0	1	0	0	0	0	0	0
28	पश्चिम बंगाल	6	7	13	31	2	33	41	16	57	1	5	6	0	0	0	28	0	28
	कुल राज्य	247	42	289	288	41	329	284	61	345	192	48	192	185	40	225	200	54	254
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	चंडीगढ़	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
31	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
32	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	दिल्ली संघ शासित	3	0	3	2	0	2	3	0	3	6	0	6	3	2	5	4	0	4
34	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	पुदुचेरी	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
	कुल संघ शासित	4	0	4	3	0	3	5	0	5	6	0	6	5	2	7	4	0	4
	कुल अखिल भारत	251	42	293	291	41	332	289	61	350	198	48	192	191	42	228	204	54	258

स्रोत: भारत में अपराध

विवरण-II

वर्ष 2007-09 के दौरान हत्या और बलात्कार के शिकार हुए 50 वर्ष के ऊपर की आयु के व्यक्तियों का ब्यौरा

		हत्या									बलात्कार		
		2007			2008			2009					
क्रम सं.	राज्य	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	आंध्र प्रदेश	206	67	273	221	82	303	184	91	275	7	11	14
2	अरुणाचल प्रदेश	1	0	1	2	0	2	0	0	0	0	0	0
3	असम	97	0	97	55	0	55	40	0	40	14	21	14
4	बिहार	152	14	166	96	18	114	125	18	143	0	24	0
5	छत्तीसगढ़	156	71	227	112	40	152	117	44	161	13	3	9
6	गोवा	4	4	8	6	5	11	3	3	6	0	2	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	गुजरात	99	28	127	78	29	107	56	34	90	1	1	1
8	हरियाणा	53	7	60	100	12	112	83	15	98	3	5	3
9	हिमाचल प्रदेश	14	2	16	10	4	14	14	9	23	2	1	0
10	जम्मू और कश्मीर	16	2	18	16	2	18	10	4	14	0	0	2
11	झारखंड	102	27	129	73	25	98	81	8	89	5	2	0
12	कर्नाटक	133	41	174	129	43	172	121	66	187	7	1	4
13	केरल	57	28	85	54	23	77	58	18	76	5	6	10
14	मध्य प्रदेश	217	64	281	248	64	312	267	77	334	43	20	11
15	महाराष्ट्र	259	89	348	262	73	335	216	104	320	13	5	8
16	मणिपुर	8	2	10	12	0	12	16	2	18	0	0	1
17	मेघालय	9	0	9	9	0	9	7	1	8	0	0	3
18	मिजोरम	2	0	2	एन ए	एन ए	एन ए	0	0	0	2	0	0
19	नागालैंड	3	0	3	3	0	3	1	0	1	0	0	0
20	उड़ीसा	38	6	44	51	47	98	118	40	158	0	12	7
21	पंजाब	67	18	85	66	17	83	42	14	56	3	5	1
22	राजस्थान	103	25	128	101	30	131	124	35	159	8	10	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	सिक्किम	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
24	तमिलनाडु	228	86	314	234	93	327	246	93	339	1	0	2
25	त्रिपुरा	17	8	25	13	4	17	7	4	11	0	0	0
26	उत्तर प्रदेश	378	68	446	331	65	396	354	81	435	0	0	0
27	उत्तराखंड	18	7	25	25	3	28	13	1	14	0	0	0
28	पश्चिम बंगाल	57	21	78	149	16	165	88	25	113	5	1	0
	कुल राज्य	2495	685	3180	2456	695	3151	2382	787	3169	132	130	94
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2	1	3	2	0	2	0	0	0	0	0	0
30	चंडीगढ़	0	1	1	1	1	2	1	0	1	0	0	0
31	दादरा और नगर हवेली	0	2	1	3	1	0	1	0	0	0	0	0
32	दमन और दीव	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	दिल्ली संघ शासित	28	13	41	36	7	43	23	18	41	1	6	1
34	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	पुदुचेरी	1	2	3	3	2	5	2	1	3	0	0	0
	कुल संघ शासित	35	17	52	44	11	55	27	19	46	1	6	1
	कुल अखिल भारत	2530	702	3232	2500	706	3206	2409	806	3215	133	136	95

स्रोत : भारत में अपराध

खाद्यान्नों का निर्यात

45. **श्री एन.एस.वी. चित्तन : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में खाद्यान्नों का कुल कितना स्टॉक है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान वर्षवार खाद्यान्न की कितनी प्रमात्रा जारी की गई तथा उठान किया गया;

(ग) उक्त अवधि के दौरान वर्ष-वार निर्यातकों को दी गई राजसहायता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उपरोक्त अवधि के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जारी किए खाद्यान्नों, उठाए गए खाद्यान्नों तथा खाद्यान्नों के मूल्यों का ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान भारतीय खाद्य निगम के गोदाम में रखा खाद्यान्नों का स्टाक निम्नानुसार है :-

(लाख टन में)

निम्न तारीख को स्टाक	जोड़
31.3.2008	117.49
31.3.2009	192.58
31.3.2010	225.64
31.01.2011	223.38

(ख) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान निर्यात के लिए कोई खाद्यान्न रिलीज नहीं किए गए थे।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10 और 2010-11 (दिसम्बर, 2010 तक) के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गेहूं और चावल के आबंटन और उठान के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन 1.7.2001 से आज की तारीख तक प्रभावी गेहूं और चावल के केन्द्रीय निर्गम मूल्य निम्नानुसार हैं :-

(दर : रुपये प्रति क्विंटल)

स्कीम	चावल	
	साधारण	ग्रेड ए
गरीबी रेखा से ऊपर	795•	830
गरीबी रेखा से नीचे	565	565
अंत्योदय अन्न योजना ••	300	300
गेहूं		
गरीबी रेखा से ऊपर	610	
गरीबी रेखा से नीचे	415	
अंत्योदय अन्न योजना ••	200	

टिप्पणी (•) - केवल जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर राज्य, सिक्किम और उत्तराखंड के लिए लागू।

(••) अंत्योदय अन्न योजना के अधीन 2000-01 में इसकी शुरूआत से गेहूं और चावल क्रमश: 200 रुपये और 300 रुपये प्रति क्विंटल पर जारी किया जा रहा है।

विवरण

वर्ष 2007-2008 के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आबंटन और उठान को दर्शाने वाला विवरण

22.4.2008 को संशोधित (अनंतिम (मात्रा टन में)

राज्य/संघ राज्य के नाम	गेहूं								चावल							
	आबंटन				उठान				आबंटन				उठान			
	एपीएल	बीपीएल	एएवाई	जोड़	एपीएल	बीपीएल	एएवाई	जोड़	एपीएल	बीपीएल	एएवाई	जोड़	एपीएल	बीपीएल	एएवाई	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
बिहार	25442	447744	408000	881186	7999	282326	365028	655353	2280	1272060	611988	1886328	0	462644	507369	970013
झारखंड	33876	170476	137315	341667	11633	148472	127891	287996	16680	482925	214776	714381	904	343102	195146	539152
उड़ीसा	133310	0	0	133310	131318	0	0	131318	66168	1165572	531120	1762860	22818	539598	367771	930187
पश्चिम बंगाल	731020	597096	272592	1600708	690871	577399	230844	1499114	92400	956484	349092	1397976	89960	395096	300736	785792
सिक्किम	4386	0	0	4386	4494	0	0	4494	23043	11304	6936	41283	23612	11302	6938	41852
कुल	928034	1215316	817907	2961257	846315	1008197	723763	2578275	200571	3888345	1713912	5802828	137294	1751742	1377960	3266996
असम	255062	0	0	255062	262077	775	0	262852	310200	475470	295446	1081116	354893	480022	298027	1132942
अरुणाचल प्रदेश	8090	3072	0	11162	6001	2267	0	8268	58272	22452	15972	96696	41142	15742	10857	67741
त्रिपुरा	23582	0	0	23582	20587	0	0	20587	114060	77962	45938	237960	106510	81585	41252	229347
मणिपुर	9200	1272	0	10472	8408	1152	0	9560	26175	45432	23028	94635	26025	44113	21447	91585
नागालैंड	25550	6204	3912	35666	25723	6721	4170	36614	52320	25908	16056	94284	51457	25767	17264	94488
मिजोरम	9312	0	0	9312	8045	0	0	8045	56863	21640	12920	91423	46370	19489	11620	77479
मेघालय	9790	0	0	9790	9833	0	0	9833	51252	47376	29484	128112	49899	46049	28978	124926
कुल	340586	10548	3912	355046	340674	10915	4170	355759	669142	716240	438844	1824226	676296	712767	429445	1818508
दिल्ली	376066	87785	32791	496582	367783	90200	28057	486040	187164	38089	13115	238368	165739	38506	11304	215549

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
हरियाणा	116574	139092	122820	378486	1333	136706	116987	255026	240	69480	0	69720	0	61146	0	61146
हिमाचल प्रदेश	136924	47580	35460	219964	142882	44879	34205	221966	118320	85560	47280	251160	109628	78654	45817	234099
जम्मू व कश्मीर	190510	50172	21144	261826	187500	50066	21572	259138	313404	151524	86244	551172	249354	151422	86139	486915
पंजाब	82836	97481	59683	240000	50726	64456	35968	151150	0	33642	5730	39372	136	5955	1837	7928
चंडीगढ़	300	408	0	708	119	843	639	1601	0	2532	888	3420	0	2308	548	2856
राजस्थान	282468	390140	378600	1051208	239832	386243	360862	986937	0	202392	12888	215280	0	149826	6523	156349
उत्तर प्रदेश	52864	910344	565872	1529080	40168	816524	524087	1380779	11520	1855356	1153608	3020484	12062	219081	156497	387640
उत्तरांचल	53358	48516	18984	120858	53872	47572	18280	119724	78228	97140	44532	219900	14862	27840	12289	54991
कुल	1291840	1771518	1235354	4298712	1084215	1637489	1140657	3862361	708876	2535715	1364285	4608876	551781	734738	320954	1607473
आंध्र प्रदेश	64002	0	0	64002	42344	0	0	42344	2113068	1052088	654288	3819444	1792673	1104534	698389	3595596
केरल	213102	83556	0	296658	203087	83523	0	286610	256008	318792	250260	825060	215387	284241	217911	717539
कर्नाटक	91740	130544	87384	309668	65970	124059	82621	272650	1279080	639840	416508	2335428	592658	638828	401568	1633054
तमिलनाडु	90180	0	0	90180	89735	0	0	89735	2711436	1259232	783144	4753812	773321	1265537	794611	2833469
पांडिचेरी	2200	0	0	2200	1036	0	0	1036	28440	21564	13548	63552	4488	10612	6540	21640
अंडमान व निकोबार	5012	732	252	5996	3430	462	147	4039	17268	4308	1548	23124	10014	2861	1158	14033
लक्षद्वीप	300	0	0	300	100	0	0	100	3360	713	464	4537	3660	971	632	5263
कुल	466536	214832	87636	769004	405702	208044	82768	696514	6408660	3296537	2119760	11824957	3392201	3307584	2120809	8820594
गुजरात	122826	230624	176576	530026	51159	231897	153215	436271	147360	293844	155604	596808	51598	254264	140358	446220
महाराष्ट्र	136002	886047	518001	1540050	94695	739524	440519	1274738	34800	830586	503670	1369056	25967	673172	425481	1124620

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
गोवा	7114	0	0	7114	7942	0	0	7942	6000	5460	6108	17568	11450	5431	5037	21918
मध्य प्रदेश	97620	703576	559692	1360888	79191	706685	536525	1322401	25560	325238	92970	443768	22134	317626	92571	432331
छत्तीसगढ़	18624	31320	0	49944	10268	23214	0	33482	30608	441368	301944	773920	0	15	0	15
दमन और दीव	300	84	60	444	0	28	25	53	720	960	576	2256	229	265	152	646
दादर और नगर हवेली	796	192	156	1144	30	32	26	88	4296	4332	2040	10668	751	391	217	1359
जोड़	383282	1851843	1254485	3489610	243285	1701380	1130310	3074975	249344	1901788	1062912	3214044	112129	1251164	663816	2027109
कुल जोड़	3410278	5064057	3399294	11873629	2920191	4566025	3081668	10567884	8236593	12338625	6699713	27274931	4869701	7757995	4912984	17540680

नोट: विकेंद्रीकृत खरीददारी योजना के तहत उठान उपर्युक्त आंकड़ों में शामिल नहीं है।

वर्ष 2008-2009 के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आबंटन और उठान को दर्शाने वाला विवरण

15.5.2009 को संशोधित (अनंतिम (मात्रा टन में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नाम	गेहूं								चावल							
	आबंटन				उठान				आबंटन				उठान			
	एपीएल	बीपीएल	एएवाई	जोड़	एपीएल	बीपीएल	एएवाई	जोड़	एपीएल	बीपीएल	एएवाई	जोड़	एपीएल	बीपीएल	एएवाई	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
बिहार	217860	447744	408000	1073604	18136	279393	314248	611777	470	1272060	611988	1884518	22	458744	455057	913823
झारखंड	59553	161196	150360	371109	10457	136300	143350	290107	885	458760	235176	694821	197	369308	223751	593256
उड़ीसा	158458	0	0	158458	126743	512	0	127255	11633	1165572	531120	1708325	5940	413258	276412	695610
पश्चिम बंगाल	739683	597096	272592	1609371	729177	587753	237188	1554118	91995	956484	349092	1397571	91145	146138	180242	417526
सिक्किम	2940	0	0	2940	2939	0	0	2939	23040	11304	6936	41280	22602	12123	6937	41661
कुल	1178494	1206036	830952	3215482	887452	1003958	694786	2586196	128023	3864180	1734312	5726515	119906	1399571	1142399	2661876

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
असम	224364	0	0	224364	219982	0	0	219982	410976	475224	295692	1181892	412061	473790	295009	1180860
अरुणाचल प्रदेश	6360	3072	0	9432	6118	2991	0	9109	49125	22452	15972	87549	43771	22318	15860	81949
त्रिपुरा	22044	0	0	22044	17820	0	0	17820	114060	76380	47520	237960	123516	77797	48879	250192
मणिपुर	10500	1272	0	11772	10500	1272	0	11772	26184	41736	26724	94644	27361	36000	22905	86266
नागालैंड	22476	6204	3912	32592	25144	6204	3980	35328	52320	25872	16056	94248	58279	28171	17266	103716
मिजोरम	7488	0	0	7488	7510	0	0	7510	36860	13640	8920	59420	42278	15440	10070	67788
मेघालय	14160	0	0	14160	14653	0	0	14653	53256	47376	29484	130116	53320	48021	29739	131080
कुल	307392	10548	3912	321852	301727	10467	3980	316174	742781	702680	440368	1885829	760586	701537	439728	1901851
दिल्ली	319564	75516	45060	440140	320698	63026	37952	421676	101204	33180	18024	152408	99597	25333	15209	140139
हरियाणा	271941	196992	122820	591753	77792	187164	112235	377191	160	11580	0	11740	0	10425	0	10425
हिमाचल प्रदेश	160514	68937	44343	273794	164449	67826	44200	276475	83782	64203	38397	186382	87166	57257	39503	183926
जम्मू व कश्मीर	170316	50172	21144	241632	160444	49597	20552	230593	277404	151524	86244	515172	294057	154961	90671	539689
पंजाब	465608	121176	75360	662144	354574	104231	46466	505271	776	0	0	776	0	0	0	0
चंडीगढ़	1800	417	0	2217	0	414	0	414	0	2589	822	3411	0	2570	526	3096
उत्तर प्रदेश	414968	1150344	565872	2131184	157345	198250	97851	453446	24706	1615356	1153608	2793670	17601	82000	69412	169013
उत्तरांचल	122792	48516	18984	190292	87181	29880	11964	129025	30288	97140	44532	171960	9653	42513	19915	72081
कुल	2270617	2307870	1282923	5861410	1611155	1287404	747627	3646186	518810	2009304	1343775	3871889	508459	402222	236392	1147073

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
आंध्र प्रदेश	33048	0	0	33048	32831	0	0	32831	1576008	1052088	654288	3282384	1819699	1035657	644569	3499925
केरल	141324	83556	0	224880	162023	83543	0	245566	204672	318792	250260	773724	203390	312581	223838	739809
कर्नाटक	62133	129024	87384	278541	59879	130206	87927	278012	661453	669840	416508	1747801	587847	669611	415802	1673260
तमिलनाडु																
पांडिचेरी	125396	0	0	125396	123103	0	0	123103	1515060	1259232	783144	3557436	594850	1241323	827174	2663347
अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	2890	0	0	2890	1514	0	0	1514	297	21564	13548	35409	50	12605	4759	17414
लक्षद्वीप	5233	732	252	6217	3180	454	189	3823	17268	4308	1548	23124	7740	3556	1260	12556
कुल	0	0	0	0	0	0	0	0	3360	756	492	4608	2455	756	492	3703
गुजरात	370024	213312	87636	670972	382530	214203	88116	684849	3978118	3326580	2119788	9424486	3216031	3276089	2117894	861004
महाराष्ट्र	210273	343625	184476	738374	63722	314776	190329	568827	5218	142844	155604	303666	7143	130572	150424	288139
गोवा	230194	885348	524700	1640242	226691	828122	463592	1518405	51287	824076	510180	1385543	31864	717638	439031	1188533
मध्य प्रदेश	2709	0	0	2709	6390	0	0	6390	12078	5460	6108	23646	16752	5460	5356	27568
छत्तीसगढ़	349373	912902	560196	1822471	22333	144783	129996	297112	3834	155314	104064	263212	3489	127258	92745	223492
दमन व दीव	138182	31320	0	169502	19681	18326	0	38007	11884	454368	301944	768196	0	0	0	0
दादरा और नागर हवेली	407	84	60	551	0	25	29	54	283	960	576	1819	88	210	71	369
बिहार	189	192	156	537	15	16	13	44	1245	4332	2040	7617	99	361	170	630
जोड़	931327	2173471	1269588	4374386	338832	1306048	783959	2428839	85829	1587354	1080516	2753699	59435	981499	687797	1728731
कुल जोड़	5057854	5911237	3475011	14444102	3521696	3822080	2318468	9662244	5453561	11490098	6718759	23662418	4664417	6760918	4624210	16049545

नोट : विकेंद्रीकृत खरीददारी योजना के तहत उठान उपर्युक्त आंकड़ों में शामिल नहीं है।

विवरण

वर्ष 2009-2010 के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आबंटन और उठान को दर्शाने वाला विवरण

10.5.2010 को संशोधित (अनंतिम (मात्रा टन में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नाम	गेहूं								चावल							
	आबंटन				उठान				आबंटन				उठान			
	एपीएल	बीपीएल	एएवाई	जोड़	एपीएल	बीपीएल	एएवाई	जोड़	एपीएल	बीपीएल	एएवाई	जोड़	एपीएल	बीपीएल	एएवाई	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
बिहार	641832	447744	408000	1497576	217480	407207	376557	1001244	888	1272060	611988	1884936	10145	721537	541088	1272770
झारखंड	233136	161196	150360	544692	75011	148520	144930	368461	2304	458760	235176	696240	438	436756	232625	669819
उड़ीसा	392820	0	0	392820	367953	0	3164	371117	26340	1165572	531120	1723032	3916	145634	228123	377673
पश्चिम बंगाल	1037580	597096	272592	1907268	1080378	588286	239459	1908123	83700	956484	349092	1389276	85166	104912	56939	247017
सिक्किम	2940	0	0	2940	2940	0	0	2940	23040	11304	6936	41280	22961	11301	6999	41261
कुल	2308308	1206036	30952	4345296	1743762	1144013	764110	3651885	136272	3864180	1734312	5734764	122626	1420140	1065774	2608540
असम	224364	0	0	224364	223130	0	0	223130	410976	475224	295692	1181892	409371	472792	294940	1177103
अरुणाचल प्रदेश	6360	3072	0	9432	6193	2791	0	8984	53700	22452	15972	92124	53184	21855	15515	90554
त्रिपुरा	28044	0	0	28044	24320	0	0	24320	150060	76380	47520	273960	132615	73998	48243	254856
मणिपुर	12000	1272	0	13272	13000	1272	0	14272	26184	41736	26724	94644	32089	46954	28787	107830
नागालैंड	22476	6204	3912	32592	23535	6204	3844	33583	52320	25908	16056	94284	53552	28603	18794	100949
मिजोरम	7488	0	0	7488	7464	0	0	7464	46860	17640	10920	75420	42451	16140	9620	68211

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
मेघालय	17160	0	0	17160	16719	0	0	16719	53256	47376	29484	130116	52361	46972	29263	128596
कुल	317892	10548	3912	332352	314361	10267	3844	328472	793356	706716	442368	1942440	775623	707314	445162	1928099
दिल्ली	324768	75516	45060	445344	340821	59147	36570	436538	96000	33180	18024	147204	101696	24147	14894	140737
हरियाणा	649080	208572	122820	980472	195149	194958	111564	501671	0	0	0	0	0	0	0	0
हिमाचल प्रदेश	173880	76056	47304	297240	169993	72379	47458	289830	85416	57084	35436	177936	84613	52928	34441	171982
जम्मू व कश्मीर	152816	50172	21144	224132	151003	51119	21018	223140	294904	151524	86244	532672	308837	147259	79618	535714
पंजाब	1017384	121176	75360	1213920	825103	112253	50170	987526	0	0	0	0	0	0	0	0
चंडीगढ़	21600	500	0	22100	21637	412	0	22049	0	3072	624	3696	0	3033	194	3227
राजस्थान	772320	629532	391488	1793340	907216	627407	384712	1919335	0	0	0	0	0	0	0	0
उत्तर प्रदेश	2174760	1198344	565872	3938976	358825	153367	71526	583718	0	1567356	1153608	2720964	0	0	0	0
उत्तरांचल	177192	48516	18984	244692	96857	28051	11009	135917	27888	97140	44532	169560	1949	0	0	1949
आंध्र प्रदेश	33048	0	0	33048	30160	0	0	30160	1576008	1052088	654288	3282384	1846089	1025602	624841	3496532
केरल	141324	83556	0	224880	140409	83554	0	223963	375672	318792	250260	944724	251665	277249	194636	723550
कर्नाटक	65004	140544	87384	292932	65358	142212	88496	296066	691956	669840	416508	1778304	690383	681348	424395	1796126
तमिलनाडु	165396	0	0	165396	211115	0	0	211115	1515060	1259232	783144	3557436	481434	1214759	781254	2477447
पांडिचेरी	19080	0	0	19080	3326	0	0	3326	5418	21564	13548	40530	3155	16893	8943	28991
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	8826	732	252	9810	4058	278	113	4449	17268	4383	1548	23199	10067	2734	1239	14040

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	3360	756	498	4614	2447	756	504	3707
कुल	432678	224832	87636	745146	454426	226044	88609	769079	4184742	3326655	2119794	9631191	3285240	3219341	2035812	8540393
गुजरात	796440	308124	184476	1289040	277656	274492	161282	713430	0	173844	155604	329448	3098	163346	149347	315791
महाराष्ट्र	1122000	885348	524700	2532048	784477	834208	480340	2099025	221160	824076	510180	1555416	237297	766366	473329	1476992
गोवा	5976	0	0	5976	6273	0	0	6273	26664	5460	6108	38232	27990	5461	5584	39035
मध्य प्रदेश	1174560	949068	560196	2683824	344760	443236	324652	1112648	0	119148	104064	223212	630	34197	42987	77814
छत्तीसगढ़	206877	31320	0	238197	127224	28572	0	155796	97443	454368	301944	853755	0	440	1310	1750
दमन और दीव	1884	84	60	2028	0	24	27	51	756	960	576	2292	206	225	69	500
दादरा और नगर हवेली	288	192	156	636	0	0	0	0	1872	4332	2040	8244	0	0	0	0
जोड़	3308025	2174136	1269588	6751749	1540390	1580532	966301	4087223	347895	1582188	1080516	3010599	269221	970035	672626	1911882
कुल जोड़	11830703	6023936	3480120	21334759	7119543	4259949	2556891	13936383	5966473	11389095	6715458	24071026	4949805	6544197	4348521	15842523

नोट: विकेंद्रीकृत खरीददारी योजना के तहत उठान उपर्युक्त आंकड़ों में शामिल नहीं है।

विवरण

वर्ष 2010-2011 के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आबंटन और उठान को दर्शाने वाला विवरण

31.1.2011 को संशोधित (अनंतिम (मात्रा टन में))

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गेहूं								चावल							
	आबंटन				उठान				आबंटन				उठान			
	एपीएल	बीपीएल	एएवाई	जोड़	एपीएल	बीपीएल	एएवाई	जोड़	एपीएल	बीपीएल	एएवाई	जोड़	एपीएल	बीपीएल	एएवाई	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
बिहार	561714	370676	314120	1246510	287553	374821	297103	959478	54226	1065625	471159	1591010	6821	840598	446345	1293764
झारखंड	165810	53584	49523	268917	62806	50755	47765	161326	59820	472585	239623	772028	16124	373349	228866	618339
उड़ीसा	327814	0	0	327814	277510	2441	0	279951	74263	958483	398340	1431086	11789	43695	55638	111122

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
पश्चिम बंगाल	871625	498702	204444	1574771	821093	447917	170990	1440000	202935	798867	261819	1263621	174250	139842	56043	370135
सिक्किम	2205	0	0	2205	2205	0	0	2205	17305	9578	5202	32085	17260	8532	5129	30921
कुल	1929168	922962	568087	3420217	1451167	875934	515858	2842960	408549	3305138	1376143	5089830	226244	1406016	792021	2424281
असम	238388	0	0	238988	222445	0	0	222445	437767	403350	221769	1062886	400735	366877	219704	987316
अरुणाचल प्रदेश	4770	2608	0	7378	3941	1756	0	5697	40275	19067	11979	71321	33892	13775	9231	56898
त्रिपुरा	21113	0	0	21113	15610	0	0	15610	112980	64825	35640	213445	83489	60736	32504	176729
मणिपुर	17255	1078	0	18333	4658	461	0	5119	37648	35422	20043	93113	11509	11361	6689	29559
नागालैंड	16857	5265	2934	25056	21506	5572	3002	30080	39240	21987	12042	73269	48406	25351	13172	86929
मिजोरम	5616	0	0	5616	3949	0	0	3949	25569	14970	8190	48729	23391	14836	7408	45635
मेघालय	17065	0	0	17065	15551	0	0	15551	52957	40212	22113	115282	41671	33248	21634	96553
कुल	321664	8951	2934	333549	287660	7789	3002	298451	746436	599833	331776	1678045	643093	526184	310342	1479619
दिल्ली	245171	63901	33795	342867	272809	57540	26705	357054	73060	28077	13518	114655	78985	23511	10486	112982
हरियाणा	271285	176597	92115	539997	198005	166067	92036	456108	0	0	0	0	0	0	0	0
हिमाचल प्रदेश	145155	64546	35478	245179	148346	50659	36366	235371	71302	48445	26577	146324	70803	39735	27477	138015
जम्मू व कश्मीर	114237	42309	15858	172404	118252	36736	15968	170956	221553	127775	64683	414011	225416	114501	64871	404788
पंजाब	445828	102846	56520	605194	372844	93107	38166	504117	0	0	0	0	0	0	0	0
चंडीगढ़	20700	480	0	21180	16853	308	0	17161	0	2925	468	3393	65	2621	120	2806
राजस्थान	707960	534289	293616	1535865	681748	515057	292163	1488968	32180	0	0	32180	16204	0	0	16204
उत्तर प्रदेश	1700930	989678	424404	3115012	1601314	891119	421867	2914300	77315	1357557	865206	2300078	53412	246375	187750	487537

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
उत्तरांचल	168079	41488	14653	224220	98273	24591	8592	131456	26456	79097	34373	139926	1576	629	0	2205
कुल	3819345	2016134	966439	6801918	3508444	1836184	931863	6275491	501866	1643876	1004825	3150667	446461	427372	290704	1164537
आंध्र प्रदेश	67956	0	0	67956	35802	0	0	35802	1350246	892922	490716	2733884	1275063	836282	483809	2595154
केरल	126933	70915	0	197848	127924	71018	0	198942	406099	270566	1877695	864360	318803	213042	145017	676862
कर्नाटक	80953	119280	65538	265771	76103	112706	59467	248276	644467	568492	312381	1525340	601937	559699	297603	1459239
तमिलनाडु	124047	0	0	124047	125499	0	0	125499	1136295	1068732	587358	2792385	192145	881061	591851	1665057
पांडिचेरी	7015	0	0	7015	5305	0	0	5305	9085	18321	10161	37567	6465	15192	9798	31455
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	7209	649	189	8047	3968	208	64	4240	12951	4072	1161	18184	6819	2147	730	9696
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	2520	643	378	3541	2085	0	52	2137
कुल	414113	190844	65727	670684	374601	183932	59531	618064	3561663	2823748	1589850	7975261	2403317	2507423	1528860	6439600
गुजरात	730070	319465	138357	1187892	482605	319025	138931	940561	33185	120227	89088	242500	8715	141976	117183	267874
महाराष्ट्र	1065360	750515	393525	2209400	642248	693115	366060	1701423	221835	698573	3852635	1303043	211217	629857	353720	1194794
गोवा	8562	0	0	8562	8686	2	0	8688	22718	5323	4581	32622	23592	5169	4532	33293
मध्य प्रदेश	613580	657480	420147	1691207	22519	85149	55222	162890	27890	249122	78048	355060	2670	60726	14064	77460
छत्तीसगढ़	160360	26582	0	186942	147564	29327	0	176891	131280	385612	226458	743350	0	0	0	0
दमन और दीव	1523	71	45	1639	0	10	18	28	1007	804	432	2243	105	125	35	265
दादरा और नगर हवेली	306	244	117	667	0	3	0	3	1764	3991	1530	7285	83	25	7	115
जोड़	2579761	1754357	952191	5286309	1303622	1126631	560231	2990484	439679	1463652	782772	2686103	246382	837878	489541	1573801
कुल जोड़	9064051	4893248	2555378	16512677	6925494	4029470	2070485	13025450	5658193	9836247	5085366	20579806	3965497	5704873	3411468	13081838

नोट: विकेंद्रीकृत खरीददारी योजना के तहत उठान उपर्युक्त आंकड़ों में शामिल नहीं है।

बीस सूत्री कार्यक्रम का कार्यान्वियन

46. **श्री रमेश डेका : क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वियन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों द्वारा बीस सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वियन संबंधी प्रगति की निगरानी करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चालू वर्ष में केन्द्र सरकार को असम सहित विभिन्न राज्यों से इस संबंध में कोई प्रगति रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त अवधि के दौरान उक्त कार्यक्रमों/योजनाओं के अंतर्गत आबंटित धनराशि का पूर्ण उपयोग कर लिया गया था; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वियन मंत्री (डॉ. एम.एस. गिल) : (क) जी हां, केन्द्र सरकार का सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वियन मंत्रालय राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा प्रस्तुत प्रगति रिपोर्ट के आधार पर बीस सूत्री कार्यक्रम-2006 (टीपीपी-06) की 65 मदों वाले 20 सूत्रों की वास्तविक प्रगति की निगरानी करता है। इन मदों में से 15 मदों की 19 मानदंडों से केन्द्रीय नोडल मंत्रालयों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार मासिक आधार पर निगरानी की जाती है। टीपीपी-06 के अंतर्गत शामिल की गई स्कीमों की भी वित्तीय तथा वास्तविक प्रगति, दोनों के लिए, संबंधित केन्द्रीय नोडल मंत्रालयों द्वारा निगरानी रखी जाती है।

(ख) टीपीपी-06 की 65 मदों वाले 20 सूत्रों तथा मासिक आधार पर निगरानी किए जाने वाले 19 मानदंडों को दर्शाने वाले विवरण-I और II संलग्न हैं।

(ग) जी हां। असम राज्य सरकार टीपीपी-06 संबंधी अपनी मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत कर रही है।

(घ) चालू वर्ष के दौरान उपलब्ध नवीनतम अवधि अप्रैल-नवम्बर, 2010 के लिए असम में मासिक आधार पर निगरानी की जा रही स्कीमों की प्रगति को दर्शाने वाला विवरण-III संलग्न है।

(ङ) केन्द्रीय नोडल मंत्रालयों द्वारा आबंटित निधि का उपयोग पूरे वित्त वर्ष के दौरान कार्यान्वियन करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है और आबंटित निधि के पूर्ण उपयोग का ब्यौरा वित्त वर्ष की समाप्ति पर उपलब्ध हो जाता है।

(च) चालू वर्ष के दौरान टीपीपी-06 के अंतर्गत शामिल कार्यक्रमों/स्कीमों के लिए निधि उपयोग की स्थिति का ब्यौरा 31 मार्च, 2011 के बाद उपलब्ध हो पाएगा।

विवरण-I

बीसूका-2006 के अंतर्गत शामिल मदों की सूची

सूत्र सं.	मद सं.	सूत्रों/मदों के नाम
1	2	3
I		**गरीबी हटाओ**
		ग्रामीण क्षेत्र
	1	महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम के अधीन रोजगार पैदा करना
	2	स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना
	3	पंचायतों के साथ साझेदारी में ग्रामीण व्यापार केन्द्र
	4	स्व सहायता ग्रुप
		शहरी क्षेत्र
	5	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना

1	2	3
II		**जन शक्ति**
	6	स्थानीय स्वायत्त सरकार (पंचायती राज एवं शहरी स्थानीय निकाय)
		-प्रकार्यों के अंतरण के लिए कार्यवाही योजना
		-निधियों का बजट बनाना
		-कार्मिकों के कार्य
	7	शीघ्र और किफायती न्याय-ग्राम न्यायालय और न्याय पंचायत
	8	जिला योजना समितियां
III		**किसान मित्र**
	9	वाटर शैड तैयार करना
	10	किसानों को विपणन तथा आधारी संरचना संबंधी सहायता
	11	कृषि के लिए सिंचाई सुविधा (सूक्ष्म तथा बृहत सिंचाई सहित)
	12	किसानों को ऋण
	13	भूमिहीनों को परती जमीन का वितरण
IV		**श्रमिक कल्याण**
	14	कृषिगत तथा असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा
	15	न्यूनतम मजदूरी लागू करना (कृषिगत श्रमिकों सहित)
	16	बाल श्रम की रोकथाम
	17	महिला श्रम कल्याण
V		**खाद्य सुरक्षा**
	18	**खाद्य सुरक्षा :**
		(i) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली,
		(ii) अंत्योदय अन्न योजना
		(iii) वैसे क्षेत्रों में फसल बैंकों का गठन जहां खाद्य की भारी कमी है
VI		**सबके लिए आवास**
	19	ग्रानीण आवास-इंदिरा आवास योजना
	20	शहरी क्षेत्रों में ईडब्ल्यूएस/एलआईजी मकान

1	2	3
VII		**शुद्ध पेयजल**
	21	ग्रामीण क्षेत्र-तीव्र ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम
	22	शहरी क्षेत्र-तीव्र शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम
VIII		**जन-जन का स्वास्थ्य**
	23	बड़ी बीमारियों का नियंत्रण एवं रोकथाम :
		(क) एचआईवी/एड्स
		(ख) टी.बी.
		(ग) मलेरिया
		(घ) कुष्ठ
		(ङ) अंधापन
	24	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
	25	बच्चों का टीकाकरण
	26	- ग्रामीण क्षेत्रों
		-शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता कार्यक्रम
	27	सांस्थानिक प्रसव
	28	कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम
	29	माताओं एवं बच्चों के लिए सम्पूरक पोषण आहार
	30	दो बच्चों का सिद्धांत
IX		**सबके लिए शिक्षा**
	31	सर्व शिक्षा अभियान
		-अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा
	32	मिड डे मील योजना
X		**अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्प संख्यक एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण**
	33	सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति के परिवार
	34	सफाईकर्मियों का पुर्नवास
	35	सहायता प्राप्त अनुसूचित जनजातियों का परिवार

1	2	3
	36	वनवासियों-छोटे वानिकी उत्पाद के मालिक, के अधिकार
	37	विशेषकर कमजोर जनजाति समूह
	38	आदिवासीय भूमि का अहस्तांतरण
	39	पंचायत कार्यान्वयन (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम (पीईएसए)
	40	अल्पसंख्यकों का कल्याण
	41	सभी अल्पसंख्यक समुदायों के बीच प्रोफेशनल शिक्षा
	42	शिक्षा
		- रोजगार में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण
XI		**महिला कल्याण**
	43	महिला कल्याण के लिए वित्तीय सहायता
	44	(क) पंचायतों
		(ख) नगरपालिकाओं
		(ग) राज्य विधान मंडलों
		(घ) संसद में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना
XII		**बाल कल्याण**
	45	आईसीडीएस योजना का सार्वभौमिकरण
	46	कार्यशील आंगनवाड़ी
XIII		**युवा विकास**
	47	ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में सबके लिए खेल
	48	राष्ट्रीय सद्भावना योजना
	49	राष्ट्रीय सेवा योजना
XIV		**बस्ती सुधार**
	50	सात सूत्री चार्टर अर्थात् भू-अवधि, सस्ते मकान, जल, स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत सहायता प्राप्त शहरी गरीब परिवारों की संख्या
XV		**पर्यावरण संरक्षण एवं वन वृद्धि**
	51	वनरोपण
		(क) वृक्षरोपण के अंतर्गत शामिल क्षेत्र-सार्वजनिक एवं वन भूमि
		(ख) रोपित पौधों की संख्या-सार्वजनिक एवं वन भूमिक
	52	नदियों एवं जलाशयों के प्रदूषण की रोकथाम

1	2	3
	53	ग्रामीण क्षेत्रों
		- शहरी क्षेत्रों में ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन
XVI		**सामाजिक सुरक्षा**
	54	विकलांगों एवं अनाथों का पुर्नवास
	55	वृद्ध कल्याण
XVII		**ग्रामीण सड़क**
	56	ग्रामीण सड़क-पीएमजीएसवाई
XVIII		**ग्रामीण ऊर्जा**
	57	बायो-डीजल उत्पादन
	58	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना
	59	नवीकरणीय ऊर्जा
	60	पंपसेटों को बिजली
	61	विद्युत आपूर्ति
	62	किरोसीन एवं एलपीजी की आपूर्ति
XIX		**पिछड़ा क्षेत्र विकास**
	63	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि
XX		**ई-शासन (सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा सुलभ बनाया गया ई-शासन)**
	64	केन्द्रीय एवं राज्य सरकारें
	65	पंचायतें एवं नगरपालिकाएं

विवरण-II

निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार मासिक आधार पर निगरानी किए जाने वाले बीस सूत्री कार्यक्रम-2006 के मानदंड

मानदंड सं.	मद का विवरण
1	2
1	स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सहायताप्राप्त व्यक्तिगत स्वरोजगारी की कुल संख्या
2	एसजीएसवाई के अंतर्गत स्व-सहायता ग्रुप जिन्हें आय सृजित करने के कार्यकलाप प्रदान किए गए हैं
	- खाद्य सुरक्षा :
3	(i) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) एएवाई, एपीएल और बीपीएल के लिए
4	(ii) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली केवल अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के लिए
5	(iii) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली केवल गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के लिए
6	इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण आवास

1	2
7	शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/निम्न आय वर्ग आवास
	- ग्रामीण क्षेत्र:
8	(i) त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम - शामिल बसावटें (एनसी एण्ड पीसी)
9	(ii) छूटी हुई बसावटें तथा जल गुणवत्ता की समस्या वाली बसावटों में कार्यों की शुरूआत-एआरडब्ल्यूएसपी
10	सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति परिवार
11	आईसीडीएस योजना का सार्वभौमिककरण
12	क्रियाशील आंगनवाड़ियां
13	सात सूत्री चार्टर अर्थात् भूमि का पट्टा, वहन योग्य लागत पर मकान, जल, साफ-सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत सहायता प्राप्त शहरी निर्धन परिवारों की संख्या
	- वनरोपण
14	(i) वृक्षारोपण के अंतर्गत शामिल क्षेत्र - सार्वजनिक एवं वन भूमि पर
15	(ii) रोपित पौधों की संख्या - सार्वजनिक एवं वन भूमि पर
16	प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत निर्मित ग्रामीण सड़कें
17	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत विद्युतीकृत गांव
18	पंपसेटों को बिजली
19	विद्युत आपूर्ति

विवरण-III

बीस सूत्री कार्यक्रम (बीसूका)-2006 के अंतर्गत असम की उपलब्धि

क्रम सं.	उप क्रम सं.	मद/मानदंड का नाम (इकाइयां)	उपलब्धि अप्रैल, 2010-नवम्बर, 2010
1	2	3	4
1		राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अधीन रोजगार पैदा करना	
	(i)	जारी जॉब कार्डों की सं. (संख्या)	10,887
	(ii)	सृजित रोजगार (संख्या)	1,51,48,000
	(iii)	दी गई मजदूरी (रुपए में)	1,55,82,16,000
2		स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	
	(i)	सहायताप्राप्त व्यक्तिगत स्वरोजगारी (संख्या)	3,756
	(ii)	सहायताप्राप्त व्यक्तिगत अनुसूचित जाति स्वरोजगारी (संख्या)	566
	(iii)	सहायताप्राप्त व्यक्तिगत अनुसूचित जनजाति स्वरोजगारी (संख्या)	1,317
	(iv)	सहायताप्राप्त व्यक्तिगत महिला स्वरोजगारी (संख्या)	1,606
	(v)	सहायताप्राप्त व्यक्तिगत विकलांग व्यक्ति स्वरोजगारी (संख्या)	267
3		स्व-सहायता ग्रुप (एसएचजी)	
	(i)	एसजीएसवाई के अधीन गठित (संख्या)	13,675

1	2	3	4
	(ii)	जिन्हें आय पैदा करने के कार्यकलाप प्रदान किए गए हैं {संख्या}	5,071
4		भूमिहीनों को परती भूमि का वितरण	
	(i)	कुल वितरित भूमि {हेक्टेयर}	उ.न.
	(ii)	अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को वितरित भूमि {हेक्टेयर}	उ.न.
	(iii)	अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को वितरित भूमि {हेक्टेयर}	उ.न.
	(iv)	अन्य व्यक्तियों को वितरित भूमि {हेक्टेयर}	उ.न.
5		न्यूनतम मजदूरी लागू करना (खेतिहर मजदूर सहित)	
	(i)	खेतिहर मजदूर एवं काश्तकार : किए गए निरीक्षण {संख्या}	उ.न.
	(ii)	खेतिहर मजदूर एवं काश्तकार : पता लगाई गई अनियमितताएं {संख्या}	उ.न.
	(iii)	खेतिहर मजदूर एवं काश्तकार : दूर की गई अनियमितताएं {संख्या}	उ.न.
	(iv)	खेतिहर मजदूर एवं काश्तकार : फाइल किए गए दावे {संख्या}	उ.न.
	(v)	खेतिहर मजदूर एवं काश्तकार : निपटाए गए दावे {संख्या}	उ.न.
	(vi)	खेतिहर मजदूर एवं काश्तकार : लंबित अभियोजन मामले {संख्या}	उ.न.
	(vii)	खेतिहर मजदूर एवं काश्तकार : फाइल किए गए अभियोजन मामले {संख्या}	उ.न.
	(viii)	खेतिहर मजदूर एवं काश्तकार : निर्णीत अभियोजन मामले {संख्या}	उ.न.
	(ix)	खेतिहर मजदूर एवं काश्तकार : अन्य {संख्या}	उ.न.
6		खाद्य सुरक्षा -	
		लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (एपीएल+बीपीएल+एएवाई)	
	(i)	उठाया गया अनाज (टन)	10,59,661
		लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (केवल एएवाई)	
	(ii)	उठाया गया अनाज (टन)	1,94,351
		लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (केवल बीपीएल)	
	(iii)	उठाया गया अनाज (टन)	3,23,626
7		ग्रामीण आवास-इंदिरा आवास योजना	
	(i)	निर्मित आवास {संख्या}	79,695
8		शहरी क्षेत्रों में ईडब्ल्यूएस/एलआईजी आवास	
	(i)	निर्मित आवास {संख्या}	उ.न.

1	2	3	4
9		ग्रामीण क्षेत्र - त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम	
	(i)	छूटी हुई बसावटों तथा जल गुणवत्ता की समस्याओं वाली बसावटों में कार्यों की शुरूआत - एआरडब्ल्यूएसपी (संख्या)	2,434
10		ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कार्यक्रम	
	(i)	निर्मित व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय (संख्या)	2,55,155
11		सांस्थानिक प्रसव	
	(i)	संस्थानों में प्रसव (संख्या)	2,04,937
12		सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति परिवार	
	(i)	सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति परिवार (संख्या)	15,300
13		आईसीडीएस योजना का सार्वभौमिकरण	
	(i)	आईसीडीएस ब्लॉक ऑपरेशन (संचयी) (संख्या)	228
14		कार्यात्मक आंगनवाड़ियां	
	(i)	कार्यात्मक आंगनवाड़ियां (संचयी) (संख्या)	55,642
15		सात सूत्री चार्टर के अंतर्गत सहायता प्राप्त शहरी गरीब परिवारों की संख्या	
	(i)	सहायता प्राप्त गरीब परिवार (संख्या)	789
16		वनरोपण (सार्वजनिक एवं वन भूमि)	
	(i)	वृक्षारोपण के अंतर्गत शामिल क्षेत्र (हेक्टेयर)	300
	(ii)	रोपित पौधे (संख्या)	80,29,000
17		ग्रामीण सड़कें - पीएमजीएसवाई	
	(i)	निर्मित सड़क की लंबाई (कि.मी.)	759
18		राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	
	(i)	विद्युतीकृत गांव (संख्या)	2,213
19		बिजली आपूर्ति	
	(i)	की गई बिजली आपूर्ति (मिलियन यूनिट्स)	3,477

टिप्पणी : उ.न. - इन मानदंडों के संबंध में सूचना संबंधित नोडल मंत्रालय/राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई।

वृक्षों की सुरक्षा

47. श्री जयवंत गंगाराम आवले : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विभिन्न सिविक एजेंसियों द्वारा पौधा/वृक्ष सुरक्षा कार्यक्रम की कमी के कारण प्रत्येक वर्ष अनेक वृक्ष एवं पौधे प्रभावित होते हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान क्षेत्र-वार कुल कितने वृक्ष गिर गये/उखड़ गये;

(ग) क्या सरकार के पास पौधों एवं वृक्षों की सुरक्षा हेतु भारतीय वन संस्थान, देहरादून सहित विशेष एजेंसियों से सहायता प्राप्त करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जी, नहीं। दिल्ली छावनी बोर्ड (डी सी बी) और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एन डी एम सी) ने सूचित किया है कि सुरक्षा के अभाव में वृक्षों एवं पौधों के प्रभावित होने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। दिल्ली नगर निगम (एम सी डी) ने सूचित किया है कि वह पर्याप्त सावधानी बरतता है ताकि कोई पेड़ क्षतिग्रस्त न हो और सड़क-किनारे लगाए गए वृक्षों के आस-पास कंक्रीट रहित पर्याप्त स्थान छोड़ा जाता है जिससे पानी पेड़ की जड़ों तक पहुंच सके।

तथापि, विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान वृक्षों की आयु और तूफान आदि जैसे प्राकृतिक कारणों की वजह से एन डी एम सी क्षेत्र में गिरे अथवा उखड़े पेड़ों की संख्या निम्नानुसार है :-

वर्ष	हवा आदि के कारण गिरे पेड़ों की संख्या
2007-08	71
2008-09	92
2009-10	84
2010-11	52

(दिसम्बर, 2010 तक की स्थिति के अनुसार)

इसी प्रकार, विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान एम सी डी क्षेत्र में वर्षा और तूफान के कारण उखड़े वृक्षों की संख्या निम्नानुसार है :-

वर्ष	वर्षा और तूफान के कारण उखड़े पेड़ों की संख्या
2007-08	63
2008-09	261
2009-10	245
2010-11 (आज की तारीख तक)	283

(ग) और (घ) एम सी डी और डी सी बी के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून, ने एन डी एम सी क्षेत्र में 48 सड़कों और सेन्ट्रल विस्टा के आस-पास वृक्षों के स्वास्थ्य का सर्वेक्षण किया था। कुल 6288 वृक्षों की जांच की गई जिनमें से 5507 वृक्ष स्वस्थ पाए गए, 435 वृक्ष मृत अथवा क्षतिग्रस्त पाए गए, 86 वृक्ष विकृत पाए गए, 221 वृक्ष रुग्ण पाए गए और 145 वृक्षों पर वास्तविक चोटें पाई गईं। इनमें से 196 वृक्षों को हटाने/उनका उपचार करने की सिफारिश की गई थी।

[हिन्दी]

कृषि पर तापमान का प्रभाव

48. **श्री लालचन्द कटारिया :**
श्री रूद्रमाधव राय :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सहित विभिन्न एजेंसियों द्वारा किये गये हाल के अध्ययनों के अनुसार कृषि पर बढ़ते तापमान के प्रभाव के कारण खाद्यान्न का उत्पादन गिर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारी उपाय किये गये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) और (ख) तापमान में वृद्धि के कारण देश में खाद्यान्न उत्पादन में कमी का अब तक कोई निश्चित संकेत नहीं मिला है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने कृषि फसलों, बागवानी, वानिकी, पशुधन, मात्स्यिकी आदि पर जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए दसवीं योजना के दौरान जलवायु परिवर्तन पर एक नेटवर्क परियोजना शुरू की थी। इस परियोजना के तहत सीमित अध्ययन किए गए हैं जिससे यह संकेत मिलता है कि गेहूं के पुनर्उत्पादन स्तर के दौरान तापमान में न्यूनतम 1° से. की वृद्धि से 7-10 प्रतिशत तक पैदावार कम हो सकती है।

(ग) बढ़ते तापमान सहित जलवायु परिवर्तन के प्रति भारतीय कृषि की लोच को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा 2010-12 की अवधि के लिए 350 करोड़ रुपये के परिव्यय से जलवायु सहिष्णु कृषि पर राष्ट्रीय पहल नामक नई स्कीम शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश में कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों पर जलवायु परिवर्तन के

प्रभाव का मूल्यांकन करना और लागत प्रभावी अनुकूलन और न्यूनीकरण रणनीतियां तैयार करना है। इसके अलावा, मध्यावधि में आकस्मिक योजनाओं और मौसम आधारित कृषि परामर्शों के माध्यम से कृषि क्रियाओं को प्रभावित किया जाता है।

[अनुवाद]

आकाशवाणी पर कार्यक्रमों की गुणवत्ता

49. **श्री हसन खान :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी (एआईआर) के लेह और कारगिल केन्द्रों द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम अपनी लोकप्रियता खोते जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार/प्रसार भारती का विचार आकाशवाणी स्टेशनों से प्रसारित कार्यक्रमों में गुणवत्ता का समावेशन करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इन क्षेत्रों के टीवी कवरेज में सुधार करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कदम उठाये गये?

सूचना और प्रसार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) प्रसार भारती (आकाशवाणी) ने सूचित किया है कि आकाशवाणी केंद्रों से प्रसारित कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार लाना एक सतत प्रक्रिया है।

(ङ) और (च) प्रसार भारती (दूरदर्शन) ने सूचित किया है कि लद्दाख क्षेत्र (लेह एवं कारगिल जिले) में 33 टीवी ट्रांसमीटर (एचपीटी-1, एलपीटी-2, एवं वीएलपीटी-30) कार्यशील हैं। जम्मू एवं कश्मीर में रेडियो एवं टीवी कवरेज को सुदृढ़ बनाने की स्कीम के भाग के रूप में लद्दाख क्षेत्र में एक अन्य एचपीटी की स्थापना करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया है।

स्थलीय ट्रांसमीटरों द्वारा कवर न किए गए सभी क्षेत्रों के साथ-साथ देश के शेष भाग में दूरदर्शन की फ्री-टु-एयर डीटीएच सेवा "डीडी डायरेक्ट प्लस" के जरिए बहु-चैनल टीवी कवरेज मुहैया कराई गई है, इस सेवा के सिगनलों को लघु आकार की डिश अभिग्रहण इकाइयों की मदद से लद्दाख क्षेत्र सहित देश के किसी भी भाग में प्राप्त किया जा सकता है।

दालों का उत्पादन

50. **श्री एस.आर. जेयदुरई :**

श्री कोडिकुन्नील सुरेश :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान देश में दालों का राज्य-वार कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या दाल के कृषि क्षेत्र में वृद्धि होने के बावजूद देश में दालों की मांग एवं आपूर्ति में अभी भी बहुत अन्तर है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस अन्तर को कम करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव) : (क) विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष अर्थात् 2007-08 से 2010-11 के दौरान दलहन के उत्पादन के राज्य वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) 2004-05 से 2009-10 तक के दौरान देश में दलहन की क्षेत्र व्याप्ति लगभग 22 से 24 मिलियन हैक्टेयर की सीमा में रही है। हालांकि, 2010-11 के दौरान दलहनों का क्षेत्र बढ़कर 25.51 मिलियन हेक्टेयर (दूसरे अग्रिम अनुमान) हो गया है तथा यदि मौसमी दशाएं अनुकूल रहीं तो दलहनों के उत्पादन के 16.51 मिलियन टन के रिकार्ड स्तर पर पहुंचने की संभावना है। 11वीं पंचवर्षीय योजना हेतु गठित योजना आयोग के कार्यकारी समूह के अनुसार तथा सरकार द्वारा कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों को ध्यान में रखते हुए 2007-08 से 2010-11 के दौरान उत्पादन में अन्तर/कमी के साथ देश में दलहनों की प्रक्षेपित मांग तथा अनुमानित उत्पादन निम्नलिखित सारणी में दिए गए हैं :-

(मिलियन टन)

वर्ष	अनुमानित उत्पादन	अनुमानित मांग	अन्तर/कमी
2007-08	14.76	16.77	2.01
2008-09	14.57	17.51	2.94
2009-10	14.66	18.29	3.63
2010-11	16.51*	19.08	2.57

*दिनांक 09.02.2011 को जारी दूसरे अग्रिम अनुमान

दलहनों का उत्पादन तथा उत्पादकता वर्षासिंचित दशाओं के अंतर्गत सीमान्त भूमि पर इसकी खेती, कीटों तथा बीमारियों के जोखिम के कारण कम क्षेत्र व्याप्ति और अन्य प्रतिस्पर्धी फसलों की अधिक लाभप्रदता के कारण कम हो रही है। दलहनों की मांग और आपूर्ति के बीच अन्तर को आयात द्वारा पूरा किया जाता है।

(घ) देश में दलहनों के उत्पादन तथा उत्पादकता को फसल विकास योजनाओं तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), कृषि वृहद प्रबंधन पद्धति, 60000 दलहन तथा तिलहन ग्रामों, पूर्वी भारत में हरित क्रांति की शुरूआत के माध्यम से बढ़ावा दिया जा रहा है। हाल ही में, दहलन फसलों के और गहन प्रसार हेतु बढ़ी हुई संभावना के साथ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) को मजबूत बनाया गया है। एकीकृत तिलहन, दलहन, पॉम आयल तथा मक्का योजना (आइसोपॉम), के दलहन घटक को एनएफएसएम के साथ विलय कर दिया गया है तथा आइसोपाम तथा एनएफएसएम राज्यों में शामिल सभी जिले अब एनएफएसएम-दलहन के अंतर्गत शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, झारखंड के 15 जिलों तथा असम के 10 जिलों को भी दलहन विकास हेतु उनकी क्षमता के आधार पर एनएफएसएम-दलहन के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त एक नई पहल यथा "त्वरित दलहन उत्पादन कार्यक्रम (ए3पी)" भी 2010-11 से एनएफएसएम-दलहन के भाग के रूप में प्रारंभ किया गया है। ए3पी के अंतर्गत प्रमुख दलहन फसलों यथा तूर, उड़द, मूंग, चना तथा मसूर/लेन्टिल के एक मिलियन हैक्टेयर संभावित दलहन क्षेत्रों को घने ब्लॉकों में प्रौद्योगिकी के बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हेतु शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त, किसानों को दलहनों की खेती के प्रति प्रोत्साहन देने के लिए 2010-11 हेतु दलहनों का न्यूनतम समर्थन मूल्य उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया गया है।

विवरण

वर्ष 2007-08 से 2010-11 के दौरान राज्यवार दालों का उत्पादन

राज्य/संघ शासित प्रदेश	उत्पादन ('000 टन)			
	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11*
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	1697.0	1448.0	1429.0	1477.8
अरुणाचल प्रदेश	8.3	9.0	9.7	#
असम	63.0	64.5	64.6	24.9
बिहार	497.1	469.1	472.4	394.5
छत्तीसगढ़	536.8	498.6	488.7	528.6
गोवा	11.3	10.2	8.5	#
गुजरात	743.0	609.0	517.0	691.0
हरियाणा	101.8	178.1	100.0	184.0

1	2	3	4	5
हिमाचल प्रदेश	36.0	23.5	20.7	14.6
जम्मू और कश्मीर	15.4	14.2	13.6	21.8
झारखंड	301.8	280.7	223.7	267.1
कर्नाटक	1265.0	972.0	1118.0	1222.7
केरल	8.4	6.3	10.3	1.7
मध्य प्रदेश	2453.6	3683.1	4304.6	3300.8
महाराष्ट्र	3024.0	1656.0	2370.0	2788.4
मणिपुर	7.2	6.5	7.2	#
मेघालय	3.3	3.9	3.5	#
मिजोरम	2.7	3.9	6.5	#
नागालैंड	41.6	39.7	34.7	#
उड़ीसा	383.5	387.3	399.4	391.0
पंजाब	23.0	21.7	18.0	24.0
राजस्थान	1552.8	1826.4	713.7	2520.5
सिक्किम	11.6	11.8	12.9	#
तमिलनाडु	185.0	164.5	204.2	214.3
त्रिपुरा	4.7	4.4	4.5	#
उत्तर प्रदेश	1576.9	1998.1	1901.4	2117.0
उत्तराखंड	50.0	39.0	46.0	67.0
पश्चिम बंगाल	147.6	128.5	150.3	154.1
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1.3	1.2	1.8	#
दादर और नागर हवेली	5.6	5.5	4.9	#
दिल्ली	0.7	0.7	0.8	#
दमन और दीव	1.1	1.1	1.1	#
पांडिचेरी	0.4	0.5	0.3	#
अन्य	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	105.0
अखिल भारत	14761.5	14566.7	14661.9	16510.8

*# दिनांक 09.02.2011 को जारी दूसरे अग्रिम अनुमान, एन.ए. : लागू नहीं # अन्य में शामिल

विकेन्द्रीकृत खरीद

51. **श्री एस. सेम्मलई : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा की जा रही खरीद की तुलना में विकेन्द्रीकृत खरीद के तुलनात्मक गुण/अवगुण क्या हैं; और

(ख) किसी क्षेत्र विशेष के लिये विकेन्द्रीकृत खरीद का विकल्प लेने हेतु किन मानदंडों का पालन किया जाता है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) केन्द्रीय खरीद प्रणाली की तुलना में विकेन्द्रीकृत खरीद योजना के लाभ और हानि संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) राज्यों द्वारा विकेन्द्रीकृत खरीद योजना के जरिए खरीदारी करना वैकल्पिक है। राज्य सरकारें खरीदारी के लिए अपेक्षित इंफ्रास्ट्रक्चर और जनशक्ति, भंडारण और आवश्यक संभार तंत्र जैसे अन्य संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर स्कीम में शामिल होने का निर्णय ले सकती हैं।

विवरण

सामान्य खरीद स्कीम की तुलना में विकेंद्रित स्कीम की गुण-दोष निम्नानुसार हैं -

1 डी.सी.पी. स्कीम के गुण

(क) राज्य खाद्यान्नों के उत्पादन, खरीद एवं वितरण में आत्मनिर्भर होने के लिए प्रेरित होता है और इस प्रकार खाद्यान्नों की खरीद एवं वितरण के लिए केन्द्र सरकार की एजेंसियों पर उसकी निर्भरता कम होती है।

(ख) स्थानीय कृषि को बढ़ावा मिल सकता है और न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ किसानों तक पहुंच सकता है।

(ग) चूंकि उपभोक्ता राज्य खरीदे गए स्टॉक के स्वयं संरक्षक होते हैं, इसलिए गुणवत्ता एवं मात्रा की दृष्टि से अपेक्षाकृत कम शिकायतें मिलेंगी।

(घ) स्थानीय रूप से अधिक उत्पादन व खरीदारी होने से स्टॉक को क्षेत्र के बाहर से लाने में भाड़े पर आने वाली अधिक लागत की बचत होगी।

(ङ) अधिक उत्पादन और खरीदारी से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन होगा तथा साथ ही राज्य सरकार को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

(च) राज्य को केन्द्रीय पूल में अधिक योगदान करने का प्रोत्साहन मिलता है जिससे खाद्य सुरक्षा बढ़ेगी।

2 डी.सी.पी. स्कीम के दोष

(क) डी.सी.पी. स्कीम की सफलता इतना बड़ा कारोबार सम्पन्न करने के लिए अधिकतर संबंधित राज्य सरकार के पास उपलब्ध अवसंरचना एवं संसाधनों पर निर्भर करती है। विकेंद्रित खरीद ऐसे राज्यों में व्यवहार्य होती है जहां राज्य के पास अपेक्षित और अवसंरचना और संसाधन नहीं होते हैं।

(ख) डी.सी.पी. स्कीम की सफलता पुन: संबंधित डी.सी.पी. राज्यों को निधियां तेजी से रिलीज करने पर निर्भर करती है। बहुधा यह देखा जाता है कि लेखा परीक्षित लेखाओं को अंतिम रूप देने में देरी होती है जिससे कि हर तरीके से पूर्ण लेखापरीक्षित लेखाओं को प्रस्तुत करने में संबंधित डी.सी.पी. राज्य सरकार से चूक एवं देरी होने के कारण ही मुख्यत: अंतिम भुगतान करने में विलंब होता है।

(ग) डी.सी.पी. राज्यों द्वारा खराब नियोजन एवं उत्पादन/खरीद संबंधी पूर्वानुमान के कारण भी भारतीय खाद्य निगम को पहले उनके द्वारा खरीदे गए स्टॉक को सुपुर्द करना होता है और फिर जब उन्हें कमी होती है, तब वितरण के प्रयोजनों से उन्हें वापिस लेना होता है। इससे अतिरिक्त हैंडलिंग/ढुलाई आदि के प्रति निष्फल खर्च बढ़ सकता है।

[हिन्दी]

कला और संस्कृति को बढ़ावा देना

52. **डॉ. संजय जायसवाल : क्या संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को बिहार सहित विभिन्न राज्यों से कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्यवाही की गई;

(ग) कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा राज्य-वार कितनी निधियां प्रदान की गईं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) और (ख) जी हां। संस्कृति मंत्रालय को विभिन्न राज्यों से अनुरोध प्राप्त होता है और मंत्रालय देश में कला और संस्कृति के संवर्धन और विकास के लिए अनेक स्कीमें चलाता है। मंत्रालय संबंधित स्कीमों के अंतर्गत निर्धारित मानदण्ड पूरा करने वाले संस्थानों, व्यक्तियों, गैर-सरकारी संगठनों, स्वैच्छिक सांस्कृतिक संगठनों और सरकारी सहायता प्राप्त सांस्कृतिक संगठनों को अनुदान या वित्तीय सहायता देता है। तथापि, स्कीमों को राज्यवार आधार पर नहीं चलाया जाता है और न ही राज्य सरकारों को कोई निधियां जारी की जाती हैं।

(ग) चल रही स्कीमों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

1 स्टूडियो थियेटर सहित भवन अनुदान की स्कीम

2 बौद्ध एवं तिब्बती कला एवं संस्कृति के विकास हेतु वित्तीय सहायता

3 महापुरुषों की शताब्दियां/वर्षगांठ मनाने हेतु वित्तीय सहायता

4 बाल परिसरों सहित बहुउद्देशीय सांस्कृतिक परिसरों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम

5 क्षेत्रीय एवं स्थानीय संग्रहालयों के संवर्धन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वित्तीय सहायता

6 राष्ट्रीय स्मारकों के विकास व अनुरक्षण हेतु स्वैच्छिक संगठनों/सोसायटियों को सहायता अनुदान

7 साहित्य, कला और जीवन के ऐसे अन्य क्षेत्रों में विशिष्ट व्यक्तियों, जो दीनहीन परिस्थितियों में है, और उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता।

8 विशिष्ट रंगमंच कला परियोजनाओं के व्यावसायिक समूहों और व्यक्तियों को वित्तीय सहायता। इस स्कीम के दो भाग हैं :

1 मंच कला समूहों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में स्थापित होने के लिए उन्हें वेतन अनुदान सहायता

2 इन क्षेत्रों में अनुमोदित परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों को निर्माण अनुदान दिया जाना है।

9 विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों को शिक्षावृत्तियों की स्कीम

10 गैर-लाभार्थी संगठनों द्वारा सांस्कृतिक विषयों पर सेमिनार, उत्सव तथा प्रदर्शनियां आयोजित करने हेतु वित्तीय सहायता की स्कीम/सांस्कृतिक समारोह अनुदान स्कीम

11 टैगोर राष्ट्रीय सांस्कृतिक शोध अध्येतावृति

12 टैगोर स्मरणोत्सव अनुदान स्कीम (टीसीजीएस)

13 हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण व विकास हेतु वित्तीय सहायता

14 संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट व्यक्तियों को अध्येतावृति प्रदान करने की स्कीम

[अनुवाद]

प्याज का उत्पादन

53. **श्री एंटो एंटोनी :**
श्री अधीर चौधरी :
क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में प्याज का राज्य-वार कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान प्याज के उत्पादन में कोई गिरावट आई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) देश में प्याज के उत्पादन में वृद्धि हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान देश में प्याज उत्पादन के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। हाल ही के वर्षों में, देश में प्याज का कुल उत्पादन 12.19 से 13.9 मिलियन टन के बीच है।

(घ) कृषि एवं सहकारिता विभाग दो केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों का कार्यान्वियन कर रहा है अर्थात् (i) पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों हेतु बागवानी मिशन (एचएमएनईएच) और (ii) राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) ताकि एक क्षेत्र आधारित क्षेत्रीय रूप से विशिष्ट सामूहिक दृष्टिकोण को अपनाकर प्याज सहित बागवानी फसलों का समग्र विकास किया जा सके। इन स्कीमों के तहत सब्जी बीजों के उत्पादन, समेकित कीट एवं पोषण प्रबंधन, जैविक कृषि प्रदर्शन के माध्यम से प्रौद्योगिकी प्रसार, मानव संसाधन विकास, यंत्रीकरण, प्राथमिक/मोबाइल प्रसंस्करण, शीतगारों एवं विपणन सहित फसलोपरान्त प्रबंधन हेतु अवसंरचना विकास हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध है। एचएमएनईएच स्कीम के तहत प्याज की खेती हेतु भी सहायता प्रदान की जाती है।

विवरण

वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10 और 2010-11 के दौरान प्याज का राज्यवार क्षेत्र एवं उत्पादन

(क्षेत्र 000 है, उत्पादन 000 एमटी में)

क्रम सं.	राज्य	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11 (अनंतिम)	
		क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन
1	आंध्र प्रदेश	35.6	606.0	39.0	662.6	39.0	662.6	40.4	628.7
2	बिहार	51.3	1019.6	51.6	946.6	53.0	972.0	54.0	1080.0
3	छत्तीसगढ़	8.8	136.7	8.8	136.7	9.1	160.3	10.1	179.7
4	गुजरात	84.3	2238.3	57.6	1409.6	43.4	1078.6	72.1	1616.4
5	हरियाणा	17.7	346.6	18.8	347.9	18.4	330.3	22.0	468.5
6	झारखंड	12.1	242.1	15.1	301.8	12.0	240.0	14.7	305.5
7	कर्नाटक	157.3	2887.4	165.1	3031.8	141.3	2266.2	140.2	2248.6
8	मध्य प्रदेश	39.0	648.6	53.0	881.8	57.3	952.3	58.3	1022.1
9	महाराष्ट्र	254.5	4003.1	250.0	3932.5	200.0	3146.0	170.0	2800.0
10	उड़ीसा	28.8	262.4	31.5	289.6	32.1	298.8	33.1	318.1
11	पंजाब	8.0	171.7	8.1	173.6	8.1	175.1	8.2	175.4
12	राजस्थान	42.7	391.6	41.0	369.1	45.0	742.5	48.5	750.0
13	तमिलनाडु	32.1	280.3	35.0	305.5	35.3	339.7	35.7	515.2
14	उत्तर प्रदेश	21.6	295.8	22.3	308.0	24.3	320.3	23.6	370.9
15	उत्तरांचल	3.4	35.2	3.6	40.5	3.6	40.5	4.2	45.0
16	पश्चिम बंगाल	18.7	248.8	20.0	273.8	21.0	290.0	21.3	298.0
17	दिल्ली	1.3	23.4	1.2	23.5	1.2	23.5	1.4	25.0
18	अन्य	3.7	62.8	13.5	129.7	12.7	152.0	15.0	300.0
	कुल	820.9	13900.4	835.4	13564.5	756.8	12190.7	772.8	13147.1

[हिन्दी]

पद्म पुरस्कार

54. श्री यशवीर सिंह :

श्री नीरज शेखर :

श्रीमती जयाप्रदा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पद्म पुरस्कार 2011 हेतु श्रेणी-वार कुल कितने नामांकन प्राप्त हुए;

(ख) कितने नामांकन पुरस्कार चयन समिति को भेजे गए थे;

(ग) प्रत्येक वर्ष श्रेणी-वार कुल कितने पुरस्कार स्वीकृत किये गये;

(घ) पद्म प्राप्तकर्ताओं के चयन हेतु क्या प्रक्रिया एवं मानदंड अपनाये गये;

(ङ) क्या सरकार ने पद्म प्राप्तकर्ताओं की सूची की घोषणा की है जिसमें पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की संख्या स्वीकृत से अधिक थी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) पद्म पुरस्कार-2011 के लिए प्राप्त हुए नामांकनों की कुल संख्या 1331 थी। श्रेणी-वार पद्म विभूषण-92, पद्म भूषण-254 और पद्म श्री-985 नामांकन प्राप्त हुए।

(ख) 1331 नामांकन, पद्म पुरस्कार समिति को भेजे गए थे।

(ग) प्रत्येक वर्ष मंजूर किए गए श्रेणी-वार पुरस्कारों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) पुरस्कार को शासित करने वाले वर्तमान नियमों और विनियमों के संदर्भ में पद्म विभूषण, कार्यकलाप के किसी भी क्षेत्र में "असाधारण और विशिष्ट सेवा" के लिए, पद्म भूषण, "उच्च श्रेणी की विशिष्ट सेवा" के लिए और पद्म श्री, "विशिष्ट सेवा" के लिए दिया जाता है।

पद्म पुरस्कारों को विनियमित करने वाली वर्तमान प्रक्रिया/मार्गनिर्देशों के संदर्भ में पुरस्कारों के लिए नामांकन, सभी के लिए खुले हैं। राज्यों/संघ राज्य सरकारों, केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, उत्कृष्ट संस्थानों जैसे संस्थागत स्रोतों और भारत रत्न और पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं से नामांकन आमंत्रित करने के अलावा राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, केबिनेट के मंत्रियों, संसद सदस्यों, निजी संस्थाओं/निकायों और अलग-अलग व्यक्ति जैसे अन्य विभिन्न स्रोतों से भी बड़ी संख्या में सिफारिशें प्राप्त होती हैं। मंत्रालय में प्राप्त सभी नामांकनों/सिफारिशों को पद्म पुरस्कार समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है। पद्म पुरस्कार समिति, प्रस्तुत किए गए सभी नामांकनों/सिफारिशों की संवीक्षा करती है और अनुमोदन के लिए अपनी सिफारिशें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को प्रस्तुत करती है।

(ङ) और (च) सरकार ने वर्ष 2011 के लिए 128 पद्म पुरस्कारों की सूची की घोषणा की है जिसमें विदेशियों/ एनआरआई/पीआईओ/मरणोपरांत की श्रेणी में 12 लोग शामिल हैं। एक वर्ष में 120 पद्म पुरस्कार दिए जा सकते हैं। 120 पुरस्कारों की इस सीमा में विदेशी/एनआरआई/पीआईओ और मरणोपरांत दिए जाने वाले पुरस्कार शामिल नहीं होते हैं।

विवरण

पुरस्कारों का वर्ष-वार वितरण

(1954-2011)

वर्ष	पद्म विभूषण	पद्म भूषण	पद्म श्री	कुल
1	2	3	4	5
1954	6	23	17	49
1955	2	12	14	31
1956	3	13	9	25
1957	3	16	16	36
1958	0	16	19	36
1959	3	14	20	37
1960	1	10	20	31
1961	0	13	26	41
1962	3	27	25	56
1963	3	12	21	38
1964	2	18	13	33
1965	3	25	34	62
1966	1	14	30	46
1967	4	24	41	69
1968	5	28	44	77
1969	5	29	55	89

1	2	3	4	5
1970	7	28	69	104
1971	6	41	83	131
1972	9	50	89	148
1973	6	17	62	85
1974	4	21	57	82
1975	8	15	43	67
1976	7	16	55	79
1977	6	16	35	57
1978	किसी पुरस्कार	की घोषणा	नहीं की गई	0
1979	किसी पुरस्कार	की घोषणा	नहीं की गई	0
1980	2	1	0	4
1981	2	9	27	38
1982	1	15	31	47
1983	0	17	53	71
1984	0	17	52	69
1985	2	21	47	70
1986	3	14	30	47
1987	4	12	32	49
1988	3	13	27	44
1989	3	14	27	44
1990	6	24	69	101
1991	8	24	83	118
1992	10	33	87	133
1993	किसी पुरस्कार	की घोषणा	नहीं की गई	0
1994	किसी पुरस्कार	की घोषणा	नहीं की गई	0
1995	किसी पुरस्कार	की घोषणा	नहीं की गई	0
1996	किसी पुरस्कार	की घोषणा	नहीं की गई	0
1997	किसी पुरस्कार	की घोषणा	नहीं की गई	0
1998	4	18	32	59
1999	14	14	34	66
2000	13	20	42	75
2001	11	32	66	111
2002	5	25	65	95
2003	4	32	55	91
2004	3	19	74	96
2005	8	28	55	91
2006	9	37	60	106
2007	10	32	78	120
2008	13	35	71	119
2009	10	31	93	135
2010	6	43	80	129
2011	13	31	84	128
कुल	264	1109	2351	3765

[अनुवाद]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में महिलाएं

55. **श्री निशिकांत दुबे : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में अधिक से अधिक महिलाओं को रोजगार प्रदान करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में राज्य-वार कुल कितनी महिलाओं को रोजगार मिला है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव) : (क) खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा कोई विशिष्ट स्कीम नहीं चलाई जा रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में रोजगार प्राप्त महिलाओं के संबंध में आंकड़े खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा नहीं रखे जाते हैं।

खरीद मानदण्डों में छूट देना

56. **श्री नामा नागेश्वर राव :**
श्री तथागत सत्पथी :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश और उड़ीसा सहित कुछ राज्यों के किसान रंग उतरने एवं मान्य औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) मानदण्डों के कारण भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और अन्य एजेंसियों द्वारा चावल/धान की खरीद नहीं किये जाने के कारण समस्याओं का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्यों ने एफएक्यू मानदण्डों में छूट देने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) एफसीआई एवं अन्य एजेंसियों ने किसानों के संपूर्ण धान की खरीद को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) से (ङ) खरीफ विपणन मौसम 2010-11 के दौरान धान की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाली बेमौसमी वर्षा होने के कारण धान/चावल की खरीदारी की एक समान विनिर्दिष्टियों के मानदंडों में ढील देने के लिए आंध्र प्रदेश और उड़ीसा सहित कुछ राज्य सरकारों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं। गुणवत्ता मानदंडों में ढील देने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध प्राप्त होने पर खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, भारतीय खाद्य निगम और संबंधित राज्य सरकार के अधिकारियों के एक संयुक्त दल ने प्रभावित क्षेत्रों से धान के नमूने एकत्र किए और फील्ड नमूनों के विश्लेषण परिणामों के आधार पर सरकार द्वारा एक समान विनिर्दिष्टियों में ढील की अनुमति दी गई है ताकि किसानों की कठिनाइयों को दूर किया जा सके और मजबूरन बिक्री से बचा जा सके। खरीफ विपणन मौसम 2010-11 के लिए विभिन्न राज्यों हेतु अनुमत धान/चावल की एक समान विनिर्दिष्टियों में दी गई ढील के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

खरीफ विपणन मौसम 2010-11 के लिए धान/चावल की एक-समान विनिर्दिष्टियों में दी गई छूट का ब्यौरा

1 आंध्र प्रदेश

धान

क्षतिग्रस्त, बदरंग, अंकुरित और घुन लगे दानों में मौजूदा 4.0 प्रतिशत की छूट के प्रति 10.0 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक की छूट इस शर्त के अध्यधीन दी गई कि क्षतिग्रस्त, अंकुरित और घुन लगे दाने सभी 5 प्रतिशत से अधिक न हों।

चावल

1 कस्टम मिल तथा लेवी चावल के लिए कच्चे चावल में मौजूदा 3 प्रतिशत की सीमा के प्रति कच्चे चावल में कोने टूटे हुए दाने सहित क्षतिग्रस्त/मामूली रूप से क्षतिग्रस्त दानों में 4 प्रतिशत तक की सीमा की छूट दी गई।

2 कस्टम मिल तथा लेवी चावल के लिए कच्चे चावल में वर्तमान में 25 प्रतिशत की सीमा तक की छूट है जबकि कच्चे चावल में टूटे दानों में 30 प्रतिशत तक की सीमा की छूट दी गई।

3 कस्टम मिल तथा लेवी चावल के लिए वर्तमान में 3 प्रतिशत की छूट के प्रति कच्चे चावल में बदरंग दानों में 7 प्रतिशत तक की सीमा की छूट दी गई है।

धान और चावल में छूट 8 प्रभावित जिलों नामतः पूर्व गोदावरी,

विशाखापटनम, गुंटूर, विजयनगरम, श्रीकाकुलम, पश्चिम गोदावरी, कृष्णा और प्रकाशम में लागू है। इसके अतिरिक्त धान में छूट नालगोंडा और खमाम जिलों में भी लागू होगी तथा चावल के मामले में कस्टम मिल चावल सहित, छूट प्राप्त विनिर्दिष्टियों के तहत नालगोंडा में एक लाख टन चावल और खमाम जिलों में 20 हजार टन चावल की खरीद की जा सकती है।

2 छत्तीसगढ़

धान

क्षतिग्रस्त, बदरंग, अंकुरित और घुन लगे दानों में मौजूदा 4.0 प्रतिशत की छूट के प्रति 10.0 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक की छूट इस शर्त के अध्यधीन दी गई कि क्षतिग्रस्त, अंकुरित और घुन लगे दाने सभी 5 प्रतिशत से अधिक न हों।

यह छूट छत्तीसगढ़ के 7 प्रभावित जिलों नामत: रायपुर, धामतारी, कनकेर, जगदलपुर, दुर्ग, कबीरधाम और बिलासपुर में लागू हैं।

3 उड़ीसा

धान

क्षतिग्रस्त, बदरंग, अंकुरित और घुन लगे दानों में मौजूदा 4.0 प्रतिशत की छूट के प्रति 10.0 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक की छूट इस शर्त के अध्यधीन दी गई कि क्षतिग्रस्त, अंकुरित और घुन लगे दाने सभी 5 प्रतिशत से अधिक न हों।

2 अपरिपक्व, सिकुड़े हुए और कुम्हलाए हुए दानों में वर्तमान में एक-समान विनिर्दिष्टियों के तहत 3 प्रतिशत की छूट की व्यवस्था के प्रति अधिकतम 5 प्रतिशत तक की छूट दी गई है।

धान में छूट उड़ीसा के 11 प्रभावित जिलों नामत: संबलपुर, बारागढ़, सुबर्नपुर, बोलांगीर, कालाहांडी, नुवापांडा, गंजम, गजपति, रायगढ़, कोरापुट और नबरंगपुर में लागू है।

4 पंजाब

धान

क्षतिग्रस्त, बदरंग, अंकुरित और घुन लगे दानों में मौजूदा 4.0 प्रतिशत की छूट के प्रति 10.0 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक की छूट इस शर्त के अध्यधीन दी गई कि क्षतिग्रस्त, अंकुरित और घुन लगे दाने सभी 5 प्रतिशत से अधिक न हों।

चावल

कस्टम मिल तथा लेवी चावल के लिए कच्चे चावल में मौजूदा 3 प्रतिशत की सीमा के प्रति कच्चे चावल में कोने टूटे हुए दाने सहित क्षतिग्रस्त/मामूली रूप से क्षतिग्रस्त दानों में 4 प्रतिशत तक की सीमा की छूट दी गई है।

5 तमिलनाडु

धान

1 क्षतिग्रस्त, बदरंग, अंकुरित और घुन लगे दानों में मौजूदा 4.0 प्रतिशत की सीमा तक की छूट के प्रति 5 प्रतिशत तक की छूट दी गई है।

2 एक-समान विनिर्दिष्टियों के तहत धान के दानों में नमी की मौजूदा अधिकतम सीमा 17 प्रतिशत के प्रति 20 प्रतिशत तक की छूट दी गई है।

यह छूट तमिलनाडु में तंजावर, तिरुवरूर और नागापटनम में लागू है।

[हिन्दी]

शहरों के विकास हेतु सरकारी/निजी भागीदारी

57. श्री आर. थामराईसेलवन : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में शहरों के विकास हेतु सरकारी-निजी भागीदारी शुरू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सक्षम प्राधिकारी देश में बुनियादी ढांचे का सुधार करने में असफल रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) और (ख) सरकार विभिन्न स्कीमों यथा जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम), छोटे और मझौले कस्बों हेतु शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यूआईडीएसएसएमटी) सेटेलाइट कस्बों में शहरी अवस्थापना स्कीम (यूआईडीएसएसटी) के तहत देश में शहरों के विकास हेतु सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं को प्रोत्साहन दे रही है जिसके लिए शहरों/राज्यों को इस प्रयोजन हेतु अनिवार्य सुधार करने की आवश्यकता है।

(ग) और (घ) शहरों में अवस्थापना में सुधार हेतु अपेक्षित समग्र निवेश का निवेशों के वर्तमान स्तर की अपेक्षा उच्चतर स्तर पर मूल्यांकन किया जाएगा। इसके अलावा, नीतियों और परियोजनाओं का सफल कार्यान्वयन करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों (शहरी स्थानीय निकायों) की क्षमता में काफी अन्तर है। उपर्युक्त कारकों के कारण, शहरों की अवस्थापना वांछित सेवा स्तर तक पहुंचने के लिए अपर्याप्त है।

[अनुवाद]

कृषि उत्पाद का विपणन

58. **श्री उदय सिंह :**

श्री एस. पक्कीरप्पा :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कृषि उत्पादों/वस्तुओं के विपणन क्षेत्र को कारपोरेट और बड़े खुदरा विक्रेताओं हेतु खोलने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या माडल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी (एपीएमसी) अधिनियम में भी इस प्रकार के प्रावधान हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) अब तक किन राज्यों में मॉडल एपीएमसी अधिनियम का क्रियान्वयन किया है;

(च) क्या सरकार का विचार मौजूदा एपीएमसी अधिनियम में संशोधन करने का है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) इस संशोधन के किसानों के लिए किस सीमा तक लाभकारी होने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव) : (क) से (ङ) जी हां। किसानों को उनके उत्पाद को बेहतर व लाभगारी मूल्य पर बिक्री के लिए वैकल्पिक विपणन चैनल्स का चुनाव मुहैया कराने की दृष्टि से और मण्डी अवसंरचना व आपूर्ति श्रृंखलाओं के विकास में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए, कृषि मंत्रालय ने एक मॉडल कृषि उत्पाद विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2003 प्रतिपादित किया है और इसे सभी राज्यों/के.शा. प्रदेशों को इसे मण्डी सुधारों को सरल व कारगर बनाने के लिए अपने संबंधित कृषि उत्पाद विपणन समिति (एपीएमसी) अधिनियम में अपनाने हेतु परिचालित किया है।

मॉडल अधिनियम में सीधे विपणन, ठेका कृषि और निजी व सहकारी क्षेत्रों में मण्डी की स्थापना का प्रावधान है। सुधार की स्थिति संलग्न विवरण में दर्शाई गई है।

(च) से (ज) ठेका कृषि, कॉर्पोरेट/सीधे विपणनकर्ता द्वारा सीधे विपणन तथा निजी व सहकारी मण्डियों की स्थापना के प्रावधानों से किसानों तक बेहतर मण्डी पहुंच सरल होगी, परिवहन लागत तथा फसल कटाई पश्चात की हानियों में कमी आएगी और इस तरह से किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। कृषि विपणन राज्य का विषय होने के कारण, भारत सरकार राज्यों/के.शा. प्रदेशों को उनके संबंधित एपीएमसी अधिनियम को संशोधित करने के लिए कह रही है। देश में मण्डी सुधारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषि विपणन के प्रभारी राज्य मंत्रियों की एक समिति गठित की गई है तथा समिति प्रासंगिक मुद्दों पर विचार-विमर्श कर रही है।

विवरण

तालिका 10.1 : 31.01.2011 की स्थिति के अनुसार सुधारों की स्थिति

क्रम सं.	सुधारों के स्तर	राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के नाम
1	2	3
1	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों जहां सीधे विपणन, ठेका कृषि और निजी व सहकारी क्षेत्रों में मंडियों हेतु एपीएमसी अधिनियम में सुधार कर लिए हैं।	आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम और त्रिपुरा
2	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश जहां एपीएमसी अधिनियम में आंशिक रूप से सुधार कर लिया गया है।	(क) सीधा विपणन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, मध्य प्रदेश

1	2	3
		(ख) ठेका कृषि
		हरियाणा, पंजाब और चण्डीगढ़, मध्य प्रदेश
		(ग) निजी मण्डियां
		पंजाब और चण्डीगढ़
3	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश जहां कोई एपीएमसी अधिनियम नहीं है अतः सुधारों की जरूरत नहीं है।	बिहार*, केरल, मणिपुर, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव और लक्षद्वीप
4	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश जहां एपीएमसी अधिनियम में पहले ही सुधार के प्रावधान हैं।	तमिलनाडु
5	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश जहां सुधारों के लिए प्रशासनिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।	मेघालय, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, प. बंगाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पांडिचेरी

*1.9.2006 से एपीएमसी अधिनियम निरस्त कर दिया गया है।

एपीएमसी नियमों की स्थिति : अब तक केवल आंध्र प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश (केवल एक मण्डी से अधिक के लिए विशेष लाइसेंस हेतु) और हरियाणा (केवल ठेका कृषि हेतु) ने ऐसे संशोधित नियम अधिसूचित किए हैं।

सिर पर मैला ढोने की प्रथा पर रोक

59. श्री किसनभाई वी. पटेल :

श्री प्रदीप माझी :

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों से "मैनुअल स्कैवेन्जर्स एण्ड कांसट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रीन्स (प्रोहिबेशन) एक्ट", 1993 को लागू करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र एवं राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इस संबंध में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(घ) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सिर पर मैला ढोने की अमानवीय प्रथा को रोकने हेतु उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में अब तक की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएनआरसी) ने मानव अधिकारों की वैश्विक घोषणा की 60वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कार्यक्रम के एक भाग के रूप में नई दिल्ली में 28 अगस्त, 2008 को एक राष्ट्रीय मैला ढोना और स्वच्छता कार्यशाला का आयोजन किया था। कार्यशाला में किए गए विचार-विमर्शों के आधार पर एनएचआरसी ने अन्यों के साथ-साथ यह सिफारिश की कि जम्मू एवं कश्मीर और दिल्ली अधिनियम को अपनाने की गति तेज करें, जिसे यथाशीघ्र किया जाना चाहिए। आयोग ने यह सिफारिश भी की कि मैला ढोने वालों की परिभाषा सफाई कर्मियों से भिन्न है और सभी प्राधिकरण मैला ढोने वालों को रोजगार तथा शुष्क शौचालयों का निर्माण (निषेध) अधिनियम, 1993 में दी गई मैला ढोने वालों की परिभाषा का अनुपालन करें।

(ख) और (ग) मैला ढोने वालों को रोजगार तथा शुष्क शौचालयों का निर्माण (निषेध) अधिनियम, 1993 को 23 राज्यों तथा सभी संघ राज्यों द्वारा अपनाया गया है। शेष 5 में से दो राज्यों नामतः मणिपुर और मिजोरम ने सूचित किया है कि राज्य में कोई शुष्क शौचालय नहीं है अथवा वे मैला ढोने वालों से मुक्त हैं। राजस्थान और हिमाचल प्रदेश ने अपने स्वयं के अधिनियम बनाए हैं। उक्त अधिनियम को जम्मू और कश्मीर राज्य द्वारा अपनाए जाने संबंधी पुष्टि प्रतीक्षित है।

(घ) और (ङ) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय एकीकृत कम लागत स्वच्छता स्कीम (आईएलसीएस) के संशोधित दिशानिर्देश कार्यान्वित कर रहा है जिसमें मुख्य रूप से देश के शहरी क्षेत्र में सभी विद्यमान शुष्क शौचालयों को दो गर्त वाले जलवाही शौचालयों में परिवर्तित करने तथा उसके द्वारा सिर पर मैला ढोने वालों को इस घृणित प्रथा से मुक्त करने का प्रावधान है। उक्त स्कीम के तहत 25% निधि देश के शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उन परिवारों, जिनके पास कोई शौचालय नहीं है, के लिए नये शौचालयों के निर्माण हेतु भी निर्दिष्ट की गई है। अब तक आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने 12 राज्यों नामत: बिहार, जम्मू और कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 251963 शुष्क शौचालयों को परिवर्तित करने और 50698 नये यूनिटों के निर्माण हेतु परियोजनाएं स्वीकृत की हैं।

[हिन्दी]

कम लागत वाली आवास इकाइयां

60. **श्री सुरेश काशीनाथ तवारे :**
श्री पी. विश्वनाथन :

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न वर्गों हेतु आवास की कमी की अनुमानित संख्या क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार देश में शहरों एवं कस्बों में रहने वाले गरीब लोगों को कम लागत वाली आवास इकाइयां देने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने इस संबंध में केन्द्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा एवं वर्तमान स्थिति क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार सभी श्रेणी के लोगों के कम लागत वाले सस्ते मकान प्रदान करने की कोई महत्वाकांक्षी योजना शुरू करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा नये मकानों का निर्माण कब तक किये जाने की संभावना है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) शहरी आवास की कमी का आकलन करने के लिए वर्ष 2006 में मंत्रालय द्वारा गठित तकनीकी दल ने यह अनुमान लगाया है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना (2007-08) के अंत में देश में कुल आवासीय कमी 24.71 मिलियन थी। तकनीकी दल ने श्रेणीवार कमी का भी अनुमान लगाया है जो इस प्रकार है :-

श्रेणी	रिहायशी मकान मिलियन में
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)	21.78
निम्न आय समूह (एलआईजी)	2.89
मध्यम आय समूह (एमआईजी)	0.04
उच्च आय समूह (एचआईजी)	24.71

(ख) से (घ) सरकार द्वारा वर्ष 2005 में शुरू किए गए जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) में शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाओं (बीएसयूपी) संबंधी उप मिशन के अंतर्गत 65 विशिष्ट शहरों तथा एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के अंतर्गत अन्य शहरों और कस्बों के स्लमों में शहरी गरीबों को आवास तथा बुनियादी सेवाओं का प्रावधान करने में सहायता प्रदान की जाती है। जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत किए गए 7 वर्षीय आबंटन का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। बीएसयूपी और आईएचएसडीपी के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा क्रमश: संलग्न विवरण-II और III में दिया गया है।

(ङ) से (छ) प्रस्तावित राजीव आवास योजना (आरएवाई) का उद्देश्य स्लम पुनर्विकास के लिए आश्रय तथा बुनियादी नागरिक और सामाजिक सेवाओं के लिए सहायता प्रदान करना तथा उन राज्यों हेतु किफायती आवासों का निर्माण करना है जो स्लम वासियों को संपत्ति का अधिकार देने के इच्छुक हैं। यह स्कीम अनुमोदन हेतु प्रतिक्षारत हैं तथा इस स्तर पर कार्यक्रम संबंधी घटकों के लिए कोई समय-सीमा नहीं बतायी जा सकती है।

विवरण-I

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम)
वित्तीय प्रगति (बीएसयूपी एवं आईएचएसडीपी)

क्रसं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	7 वर्षीय नए आबंटन		
		बीएसयूपी	आईएचएसडीपी	कुल
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.00	27.29	27.29
2	आंध्र प्रदेश	1547.42	764.57	2311.99
3	अरुणाचल प्रदेश	43.95	24.52	68.47
4	असम	121.94	67.25	189.19
5	बिहार	531.54	168.07	699.61
6	चंडीगढ़	446.13	0.00	446.13
7	छत्तीसगढ़	385.21	158.83	544.04
6	दादरा और नगर हवेली	0.00	20.56	20.56
9	दमन एवं दीव	0.00	21.97	21.97
10	दिल्ली	1481.28	0.00	1481.28
11	गोवा	11.43	35.79	47.22
12	गुजरात	1015.56	256.25	1271.81
13	हरियाणा	57.31	209.70	267.01
14	हिमाचल प्रदेश	31.29	37.07	68.36
15	जम्मू एवं कश्मीर	140.18	117.34	257.52
16	झारखंड	351.09	136.00	487.09
17	कर्नाटक	407.97	222.69	630.66
18	केरल	250.00	198.83	448.83
19	लक्षद्वीप	0.00	21.03	21.03
20	मध्य प्रदेश	351.10	276.64	627.74
21	महाराष्ट्र	3372.56	1130.60	4503.16
22	मणिपुर	43.91	32.35	76.26
23	मेघालय	40.35	28.97	69.32
24	मिजोरम	80.11	29.78	109.89
25	नागालैंड	105.60	44.14	149.74
26	उड़ीसा	78.74	176.33	255.07
27	पुडुचेरी	83.20	26.95	110.15
28	पंजाब	444.46	172.56	617.02
29	राजस्थान	383.46	424.56	808.02
30	सिक्किम	29.06	20.90	49.96
31	तमिलनाडु	1107.80	349.38	1457.18
32	त्रिपुरा	23.66	28.36	52.02
33	उत्तर प्रदेश	1165.22	854.41	2019.63
34	उत्तरांचल	97.84	63.58	161.42
35	पश्चिम बंगाल	2126.98	681.04	2808.02
	कुल	16356.35	6828.31	23184.66

विवरण-II

शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाएं (उप मिशन-2)-जेएनएनयूआरएम

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2007-08						
		अनुमोदित परियोजनाओं की सं.	अनुमोदित कुल परियोजना लागत	अनुमोदित केन्द्रीय अंश	अनुमोदित रिहायशी ईकाइयों की कुल सं. (नयी + उन्नयन)	जारी एसीए (परियोजना)	अनुमोदित परियोजनाओं की सं.	अनुमोदित कुल परियोजना लागत
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	आंध्र प्रदेश	5	511.27	250.63	14675	149.83	17	1302.40
2	अरुणाचल प्रदेश	1	4.10	3.36	100	0.84	1	45.15
3	असम	1	53.95	48.56	1232	12.14	1	54.49
4	बिहार	9	367.72	179.54	14596	44.89	9	342.27
5	छत्तीसगढ़					0.00	1	28.79
6	चंडीगढ़ (यूटी)					5		
7	दिल्ली	10	1203.93	497.12 4.6	44112	157.72	3	150.70
8	गोवा	1	10.22	4.6	155	1.15		
9	गुजरात	3	240.55	115.63	15136	86.97	3	168.02
10	हरियाणा					3.22		
11	हिमाचल प्रदेश	1	14.01	11.21	384	2.81		
12	जम्मू एवं कश्मीर	2	105.17	84.88	5208	21.22	3	57.22
13	झारखंड	5	195.29	132.91	7218	33.23	6	175.38
14	कर्नाटक	4	271.43	147.57	7335	40.53	11	236.91
15	केरल	3	234.92	165.22	17460	38.81	1	39.55
16	मध्य प्रदेश	1	17.41	13.26	1320	18.87	3	183.98
17	महाराष्ट्र	5	1200.85	632.62	30034	185.59	19	1739.27
18	मेघालय	2	30.44	23.77	600	5.94	1	21.30
19	मणिपुर					0	1	51.23
20	मिजोरम	2	34.33	28.91	406	7.23	2	56.99
21	उड़ीसा	5	67.17	48.77	2316	12.19	1	7.45
22	पंजाब	2	72.43	36.15	5152	9.04		
23	पुडुचेरी	2	43.97	32.31	1304	8.08		
24	सिक्किम	1	3.25	2.79	52	0.7	2	30.33
25	नागालैंड					26.28		
26	राजस्थान					17.45		

विवरण-II

शहरी गरीबों की बुनियादी सेवाएं (उप मिशन-2)-जैएनएनयूआरएम

(करोड़ रु. में)

2008-09			2009-10				
अनुमोदित केन्द्रीय अंश	अनुमोदित रिहायशी ईकाइयों की कुल सं. (नयी + उन्नयन)	जारी एसीए (परियोजना)	अनुमोदित परियोजनाओं की सं.	अनुमोदित कुल परियोजना लागत	अनुमोदित केन्द्रीय अंश	अनुमोदित रिहायशी ईकाइयों की कुल सं. (नयी + उन्नयन)	जारी एसीए (परियोजना)
10	11	12	13	14	15	16	17
650.50	40699	211.57					240.89
40.59	752	0.00					10.99
49.04	1028	0.00					24.40
133.22	7776	33.30					0.00
23.03	888	0.00	1	42.25	29.77	1136	83.80
		94.03					89.91
63.11	3328	15.78					0
		0.00					
78.75	7580	175.34	3	273.06	130.72	10960	137.25
		15.59					
		0.00					
49.56	1468	7.47					4.92
118.69	5008	9.67					1.80
134.99	6272	21.88					74.37
31.18	1369	0.00					24.00
87.59	817	17.80					51.63
834.00	32506	436.48	5	943.11	467.99	14323	232.55
16.58	168	0					10.09
43.91	1250	0					10.98
51.20	688	0					12.80
5.41	192	1.35					0
		0					8.32
		0	1	92.00	50.89	1660	13.78
26.26	202	0					6.56
		11.01					0
		0					0

विवरण-II

शहरी गरीबों की बुनियादी सेवाएं (उप मिशन-2)-जेएनएनयूआरएम

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2007-08						
		अनुमोदित परियोजनाओं की सं.	अनुमोदित कुल परियोजना लागत	अनुमोदित केन्द्रीय अंश	अनुमोदित रिहायशी ईकाइयों की कुल सं. (नयी + उन्नयन)	जारी एसीए (परियोजना)	अनुमोदित परियोजनाओं की सं.	अनुमोदित कुल परियोजना लागत
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	तमिलनाडु	5	1303.85	587.69	41586	132.15	27	193.21
28	त्रिपुरा	1	16.73	13.96	256	3.49		
29	उत्तर प्रदेश	7	355.58	162.50	17072	38.66	55	1893.13
30	उत्तराखंड	4	22.88	18.08	524	3.80	4	13.24
31	पश्चिम बंगाल	31	1241.80	610.01	54929	124.99	15	881.74
		113	7623.05	3842.05	283164	1192.80	186	7672.75

*दिल्ली के लिए दो परियोजनाओं को रद्द किया गया है जिन्हें वर्ष 2007-08 और 2008-09 के दौरान अनुमोदित किया गया था।

विवरण-III

एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2007-08						
		अनुमोदित परियोजनाओं की सं.	अनुमोदित कुल परियोजना लागत	अनुमोदित केन्द्रीय अंश	अनुमोदित रिहायशी ईकाइयों की कुल सं. (नयी + उन्नयन)	जारी एसीए (परियोजना)	अनुमोदित परियोजनाओं की सं.	अनुमोदित कुल परियोजना लागत
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	आंध्र प्रदेश	32	385.30	300.55	4087	172.23	20	451.87
2	अरुणाचल प्रदेश					0.00	1	9.95
3	असम	9	26.07	22.32	4780	11.46	3	28.78
4	बिहार	3	31.92	23.21	2333	20.92	6	113.39
5	छत्तीसगढ़					29.74	4	49.10
6	गोवा					0.00		
7	गुजरात	18	155.43	101.30	12205	53.52	9	114.58
8	हरियाणा					41.87	3	33.42
9	हिमाचल प्रदेश	3	23.44	16.19	816	1.71	3	31.90
10	जम्मू एवं कश्मीर	10	42.40	32.23	2654	16.12	15	42.60

विवरण-II

शहरी गरीबों की बुनियादी सेवाएं (उप मिशन-2)-जेएनएनयूआरएम

2008-09			2009-10				
अनुमोदित केन्द्रीय अंश	अनुमोदित रिहायशी ईकाइयों की कुल सं. (नयी + उन्नयन)	जारी एसीए (परियोजना)	अनुमोदित परियोजनाओं की सं.	अनुमोदित कुल परियोजना लागत	अनुमोदित केन्द्रीन अंश	अनुमोदित रिहायशी ईकाइयों की कुल सं. (नयी + उन्नयन)	जारी एसीए (परियोजना)
10	11	12	13	14	15	16	17
94.44	5711	57.83					126.71
		3.49					6.98
937.76	46240	235.57					71.14
9.93	249	3.20	4	49.91	37.33	1026	0.00
440.87	24872	211.13					87.84
3920.61	196404	1562.49	14	1400.33	716.70	29105	1331.73

विवरण-III

एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी)

2008-09			2009-10				
अनुमोदित केन्द्रीय अंश	अनुमोदित रिहायशी ईकाइयों की कुल सं. (नयी + उन्नयन)	जारी एसीए (परियोजना)	अनुमोदित परियोजनाओं की सं.	अनुमोदित कुल परियोजना लागत	अनुमोदित केन्द्रीय अंश	अनुमोदित रिहायशी ईकाइयों की कुल सं. (नयी + उन्नयन)	जारी एसीए (परियोजना)
10	11	12	13	14	15	16	17
271.98	18639	48.91					195.03
8.96	176	0.00	0			0	
23.38	1974	7.39	1	17.92	13.73	1301	11.17
64.21	3284	32.10	4	81.10	38.51	3192	
36.82	3076	0.00					43.57
0.00		0.00					
73.22	6364	33.84	6	39.71	17.13	3655	13.99
26.74	1785	0.00					13.37
20.88	800	6.39					10.44
34.50	3408	13.80	12	25.72	17.86	608	9.01

विवरण-III

एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2007-08						
		अनुमोदित परियोजनाओं की सं.	अनुमोदित कुल परियोजना लागत	अनुमोदित केन्द्रीय अंश	अनुमोदित रिहायशी ईकाइयों की कुल सं. (नयी + उन्नयन)	जारी एसीए (परियोजना)	अनुमोदित परियोजनाओं की सं.	अनुमोदित कुल परियोजना लागत
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	झारखंड	1	19.67	15.58	1292	7.79	6	123.67
12	कर्नाटक##	20	190.86	103.74	8983	57.95	9	138.81
13	केरल	11	71.98	54.03	6379	22.46	11	56.50
14	मध्य प्रदेश	10	44.72	33.07	2518	39.77	4	28.48
15	महाराष्ट्र	18	229.91	169.42	16720	55.53	68	1390.85
16	मणिपुर	2	16.50	12.37	1103	0.00	1	10.83
17	मेघालय	1	21.82	8.97	456	0.91	2	19.68
18	मिजोरम	1	8.27	6.21	500	0.00	7	31.00
19	नागालैंड					12.44		
20	उड़ीसा	15	83.63	59.13	4884	14.92	16	184.06
21	पंजाब	2	42.40	25.55	3938	12.77	1	21.01
22	राजस्थान	10	186.37	122.24	11526	67.25	4	83.37
23	सिक्किम					0.00		
24	तमिलनाडु	8	79.61	56.64	6832	34.03	52	249.24
25	त्रिपुरा	1	7.19	6.33	400	3.17	2	20.01
26	उत्तर प्रदेश	1	4.29	2.78	204	0.00	124	771.75
27	उत्तराखंड	2	5.85	2.91	231	1.45		
28	पश्चिम बंगाल	44	365.43	260.70	20061	110.00	34	377.09
29	दिल्ली					0.00		
30	पुडुचेरी	1	17.03	5.48	432	1.35		
31	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	5.27	4.74	40	2.37	1	9.88
32	चंडीगढ़					0.00		
33	दादरा एवं नगर हवेली	1	0.50	0.45	0	0.23		
34	लक्षद्वीप					0.00		
35	दमन एवं दीव	1	0.69	0.58	16	0.29		
		223	2066.55	1446.7	113390	792.239	406	4390.78

• वर्ष 2009-10 में अतिरिक्त केन्द्रीय अंश के रूप में 193.41 करोड़ रु. अनुमोदित किए गए थे जबकि परियोजनाओं को वर्ष 2008-09 के दौरान अनुमोदित किया गया था।

विवरण-III

एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी)

(करोड़ रु. में)

2008-09			2009-10				
अनुमोदित केन्द्रीय अंश	अनुमोदित रिहायशी ईकाइयों की कुल सं. (नयी + उन्नयन)	जारी एसीए (परियोजना)	अनुमोदित परियोजनाओं की सं.	अनुमोदित कुल परियोजना लागत	अनुमोदित केन्द्रीय अंश	अनुमोदित रिहायशी ईकाइयों की कुल सं. (नयी + उन्नयन)	जारी एसीए (परियोजना)
10	11	12	13	14	15	16	17
72.39	6576	33.33					
76.93	4184	0.00					38.46
42.18	5800	47.82	16	80.59	55.29	7636	8.24
21.88	1708	10.94	7	48.90	28.87	1869	12.48
918.17	58628	386.79	1	30.50	20.19	1488	92.29
8.33	663	6.18	3	16.04	11.66	1063	4.48
13.46	456	3.58					6.72
23.57	1450	3.77					11.12
0.00		0.00	1	2.39	0.60	265	7.85
123.30	7709	55.34	1	16.99	9.45	456	17.92
8.22	720	3.54					
52.12	3214	40.24	5	81.85	45.94	3216	43.94
0.00		0.00	1	19.91	17.92	39	8.96
184.17	15500	77.38	2	40.97	18.73	2322	90.85
17.60	1150	0.00	2	16.44	14.11	1565	19.02
509.10	29733	256.50	10	160.35	100.63	5456	18.49
0.00		0.00	19	155.42	87.66	4801	26.99
297.60	19706	227.42	26	159.61	117.72	7580	72.14
0.00		0.00				0	
0.00		0.96					0.43
8.90	0	0.00					3.16
0.00		0.00					
0.00		0.00	1	5.24	2.89	144	
0.00		0.00					
0.00		0.00					
2938.61	196883	1296.21	118	999.65	618.89	48855	780.72

[अनुवाद]

केन्द्र/राज्य पुलिस बलों हेतु हथियार

61. **श्रीमती सुप्रिया सुले :**
डॉ. संजीव गणेश नाईक :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने आतंकवाद/माओवादी गतिविधियों से निपटने तथा देश में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति में सुधार करने हेतु राज्य सरकारों और केन्द्रीय अर्ध-सैन्य बलों को अत्याधुनिक उपकरण एवं हथियार प्रदान किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में राज्य के पुलिस कार्मिक एवं केन्द्रीय अर्ध-सैन्य बलों को पर्याप्त हथियार नहीं प्रदान किये जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई; और

(ङ) देश में इन पुलिस कार्मिकों को पर्याप्त एवं अत्याधुनिक हथियार एवं उपकरण प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जी, हां। राज्य पुलिस बल के आधुनिकीकरण की योजना के अंतर्गत, केन्द्रीय सरकार राज्यों को राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना (एम पी एफ योजना) के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ एके 47 राइफल, एम पी 5 कार्बाइन, गलॉक पिस्तौल, आधुनिक असॉल्ट राइफल, अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर (यू बी जी एल), मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर (एम जी एल), ऑटोमैटिक ग्रेनेड लॉन्चर (ए जी एल), रॉकेट लॉन्चर, आधुनिक कार्बाइन, 9 एम एम पिस्तौल, एस एल आर, 5.56 एम एम इन्सास राइफल/एल एम जी, आश्रु गैस बन्दूकों, स्निपर राइफल, 51 एम एम मोर्टार, दंगे-रोधी बन्दूकों जैसे अत्याधुनिक हथियारों और बी पी जैकेट, नाइट विजन डिवाइस, हथियारों के लिए नाइट साइट, संचार उपस्कर, बमों का पता लगाने और उन्हें निष्क्रिय करने वाले उपस्कर, धमाकों का पता लगाने वाले उपस्कर, बुलेट प्रूफ/माइन प्रोटेक्टड वाहन, प्रोटेकित गीयर, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्ट्र, सी सी टी वी और मोशन सेंसर, एक्स-रे बैगेज स्कैनर, वीडियों कैमरे, डिजीटल कैमरे, माइन स्वीपर, ब्लास्टिंग मशीन, जैमिंग डिवाइस, ड्रैगन लाइट, जी पी एस, सैटेलाइट फोन इत्यादि जैसे उपस्करों के प्रापण के लिए सहायता शामिल है। इसी प्रकार के उपस्कर केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों को भी उपलब्ध कराए जाते हैं।

(ग) और (घ) माननीय उच्चतम न्यायालय से इस प्रकार का कोई निर्णय प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) केन्द्रीय सरकार अत्याधुनिक हथियार/उपस्कर के प्रापण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के अतिरिक्त, केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों और राज्य पुलिस बलों दोनों को अनुमति की मंजूरी/सीमा शुल्क में छूट प्रदान करके और केन्द्रीकृत खरीद के माध्यम से ऐसे हथियारों/उपस्करों के आयात को भी सुकर बनाती है।

[हिन्दी]

भारतीय ओलंपिक संघ पर जुर्माना

62. **डॉ. मुरली मनोहर जोशी :**
श्री दिनेश चन्द्र यादव :

क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सूचना आयोग ने भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) पर सूचना का अधिकार अधिनियम का अनुपालन नहीं करने पर अर्थ दण्ड लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा जुर्माने के रूप में दी गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) भारतीय ओलंपिक संघ ने सूचित किया है कि श्री सुभाष चन्द्र अग्रवाल के दिनांक 12.7.2010 और 23.8.2010 के दो आरटीआई आवेदनों का उत्तर देने में विलंब हुआ था।

(ग) दिनांक 12.7.2010 के आवेदन का समय से जवाब न देने पर दंड के रूप में 25000/रु. तथा दिनांक 23.8.2010 के आवेदन के लिए दंड के रूप में 20,000/-रु. आईओए द्वारा 14.1.2011 को अदा किए गए। इसके अतिरिक्त आईओए द्वारा 2000/-रु. मुआवजे के रूप में आवेदक को अदा किए गए।

[अनुवाद]

यूथ हॉस्टल

63. **श्री वैजयंत पांडा :** क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य-वार, स्थान-वार देश में कुल कितने यूथ हॉस्टल स्थापित/कार्यरत हैं;

(ख) उड़ीसा के भुवनेश्वर जिला सहित इन हॉस्टलों की स्थापना हेतु राज्य सरकारों से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए तथा उक्त प्रस्तावों पर राज्य-वार सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई/की जा रही है;

(ग) प्रत्येक प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान यूथ हॉस्टलों के निर्माण हेतु वर्ष-वार एवं राज्य-वार कितनी निधियां निर्धारित/आवंटित/जारी की गईं; और

(ङ) उड़ीसा के भुवनेश्वर जिला सहित उक्त राज्यों में यूथ हॉस्टल की स्थापना कब तक किये जाने की संभावना है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) इस समय देश में 68 युवा छात्रावास कार्यरत हैं, इनका ब्यौरा निम्नलिखित है :-

क्रम सं.	राज्य/सं.रा. क्षेत्र का नाम	यूथ हॉस्टलों की सं.	यूथ हॉस्टलों की स्थिति
1	2	3	4
1	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	1	पोर्टब्लेयर
2	आंध्र प्रदेश	7	नागार्जुनसागर, सिकन्दराबाद, तिरूपति, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, विजयानगरम, वारंगल
3	बिहार	1	पटना
4	गोवा	2	पदम मापुसा, पणजी
5	गुजरात	1	गांधीनगर
6	हरियाणा	7	भिवानी, गुड़गांव, कुरूक्षेत्र, पंचकुला, रेवाड़ी, सिरसा, यमुना नगर
7	हिमाचल प्रदेश	1	डलहौजी
8	जम्मू व कश्मीर	3	पटनीटॉप, श्रीनगर, उधमपुर
9	कर्नाटक	4	हासन, मैसूर, सोगालु, तीर्थरामेश्वर
10	केरल	3	कोचि (एर्नाकुलम), कोझीकोड (कालीकट), तिरूवनंतपुरम
11	मध्यप्रदेश	3	भोपाल, जबलपुर, खजुराहो
12	महाराष्ट्र	1	औरंगाबाद
13	उड़ीसा	4	गोपालपुर-आन-सी, जोशीपुर, कोरापुट, पुरी
14	पांडिचेरी	1	पाण्डिचेरी
15	पंजाब	5	अमृतसर, पटियाला, रोपड़, संगरूर, तरनतारन
6	राजस्थान	4	अजमेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर
17	तमिलनाडु	5	चेन्नै, मदुरै, उटी, थंजावुर, त्रिची
18	उत्तर प्रदेश	2	आगरा, लखनऊ
19	उत्तराखंड	4	बद्रीनाथ, मसूरी, नैनीताल, उत्तरकाशी

1	2	3	4
20	पश्चिम बंगाल	1	दार्जिलिंग
21	असम	2	गुवाहाटी, तेजपुर
22	मणिपुर	1	इम्फाल
23	मेघालय	1	शिलांग
24	मिजोरम	1	एजवाल
25	नागालैण्ड	1	दीमापुर
26	सिक्किम	1	गंगटोक
27	त्रिपुरा	1	अगरतला
	कुल	68	

(ख) और (ग) उड़ीसा के भुवनेश्वर जिले में युवा छात्रावास के प्रस्ताव सहित राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों पर, योजना आयोग की टिप्पणियों और 11वीं योजना में आबंटित बजट को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा विचार किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि जिन स्थलों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है और/या जहां निर्माण पर कोई व्यय नहीं हुआ है पर आगे कार्रवाई नहीं की जाएगी।

(घ) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान युवा छात्रावास स्कीम के अंतर्गत चिन्हित/आवंटित निधि का ब्यौरा निम्नलिखित है :-

क्रम सं.	वर्ष-वार चिन्हित/आबंटित निधि (करोड़ रु. में)			
	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
1	2.00	3.50	4.00	5.00

युवा छात्रावास स्कीम के अंतर्गत व्यक्तिगत युवा छात्रावास को निधि आबंटित की जाती है।

(ङ) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

चीनी का आयात

64. **श्री सोनवणे प्रताप नारायणराव :** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 2008-09 के दौरान निम्न उत्पादन एवं बाद में मूल्यों की वृद्धि के मद्देनजर शुल्क मुक्त चीनी के आयात को अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कितनी मात्रा में चीनी का आयात किया गया तथा किन देशों से आयात किया गया;

(ग) क्या चीनी के उत्पादन में लक्षित वृद्धि के मद्देनजर सरकार का विचार उक्त योजना को बंद करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) जी हां। केन्द्रीय सरकार ने 2008-09 और 2009-10 चीनी मौसमों में चीनी के कम उत्पादन के मद्देनजर. चीनी के घरेलू स्टॉक में वृद्धि करने के लिए चीनी मिलों/व्यापारी आयातकों को 31.03.2011 तक शून्य शुल्क पर कच्ची और व्हाइट/रिफाइंड चीनी के आयात की अनुमति दी है।

(ख) राजस्व विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार 2008-09 और 2009-10 चीनी मौसमों (अगस्त, 2010 तक) के दौरान मुख्य रूप से ब्राजील से कुल 56.33 लाख टन कच्ची चीनी और 9.94 लाख टन व्हाइट चीनी का आयात किया गया।

(ग) और (घ) वर्तमान में 31.03.2011 के पहले कच्ची और व्हाइट/रिफाइंड चीनी के आयात को रोकने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

खाद्यान्नों को अन्यत्र भेजना

65. श्री अब्दुल रहमान :

श्री कोडीकुन्नील सुरेश :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत गरीबों के लिए लक्षित खाद्यान्नों को खुले बाजार में या कुछ पड़ोसी देशों में तस्करी करके ले जाया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में कुछ राज्यों से सूचना मांगी है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार तत्संबधी ब्यौरा क्या है तथा कुल कितना खाद्यान्न अन्यत्र भेजा गया या तस्करी में चला गया; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं कि सार्वजनिक वितरण हेतु राज्यों को आबंटित खाद्यान्न खुले बाजार में न ले जाया जाए या तस्करी में न चला जाये?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) से (ङ) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्द्र सरकार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के अधीन चलाई जाती है। केन्द्र सरकार खाद्यान्नों की खरीदारी, आबंटन और भारतीय खाद्य निगम के नामित डिपुओं तक इनकी ढुलाई के लिए जिम्मेदार है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अंदर आबंटित खाद्यान्नों का प्रचालानात्मक दायित्व, गरीबी रेखा से नीचे के पात्र परिवारों की पहचान करने, उन्हें राशन कार्ड जारी करने और उनका पर्यवेक्षण करने तथा उचित दर वाली दुकानों की कार्यप्रणाली की मॉनीटरिंग की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की होती है।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों के विपथन के बारे में रिपोर्टें मिली हैं। तथापि, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्नों के विपथन की मात्रा का सही आकलन उपलब्ध नहीं है।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण को सुप्रवाही बनाने के लिए 2006 में एक 9 सूत्री कार्य योजना तैयार की गई थी।

सरकार ने नियमित रूप से समीक्षा की है और मानीटरिंग तंत्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सतर्कता में सुधार करके, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण में पारदर्शिता बढ़ाकर, संशोधित नागरिक अधिकार पत्र अपना कर और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी यंत्रों का उपयोग करके लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण को मजबूत करने के लिए अनुदेश जारी किए हैं। भारत से खाद्यान्नों और अन्य वस्तुओं की तस्करी रोकने के लिए राजस्व विभाग (वित्त मंत्रालय) और सीमा पर तैनात सुरक्षा बल अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर निगरानी रखते हैं तथा अपेक्षित निवारणात्मक कार्रवाई करते हैं।

धान उत्पादन में बाधाएं

66. श्री वरुण गांधी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में 44 मिलियन हेक्टेयर में से समस्याग्रस्त धान क्षेत्र 24 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र हैं जो कि धान उत्पादन के स्थायी होने के लिए बहुत बड़ी चुनौती पेश करता है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार सूखा-रोधी बीजों के साथ पारंपरिक बीजों जैसे कालजीरा धान को समस्याग्रस्त धान क्षेत्रों में शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरूण यादव) : (क) से (घ) भारत में लगभग 44 प्रतिशत चावल क्षेत्र सिंचित है। 31 प्रतिशत वर्षासिंचित है, 11.4 प्रतिशत बाढ़ प्रवण है एवं 14.6 प्रतिशत उच्च भूमि परिस्थितियों के अधीन है। चावल के उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, भारत सरकार विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं अर्थात चावल के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, वृहद प्रबंधन के तहत चावल आधारित फसलन पद्धति क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कार्यान्वित कर रही है। इसके अलावा चावल समेत कृषि फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए एक नई योजना पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाने के लिए असम समेत पूर्वी राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है। इन योजनाओं के तहत दबाव

अवस्थाओं के कारण होने वाली फसल हानि को कम करने के लिए दबाव सहिष्णु किस्मों जैसे सुवर्णा सब1 (जल प्लावन सहिष्णु), सहभागी धान (सूखा सहिष्णु) एवं सीएसआर 30, सीएसआर 36 (लवणता एवं क्षारीयता सहिष्णु) को प्रोत्साहित किया जा रहा है। तथापि, कालजीरा, उड़ीसा की एक स्थानीय पारंपरिक चावल किस्म है जिसे स्थानीय खपत के लिए प्रीमियम किस्म के रूप में उगाया जाता है।

[हिन्दी]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना

67. **श्री वीरेन्द्र कश्यप :**
श्री अनुराग सिंह ठाकुर :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या हिमाचल प्रदेश की विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों तथा आर्थिक कार्यकलापों के अभाव को देखते हुए संघ सरकार ने राज्य में प्रचुर मात्रा में उत्पादित फलों पर आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसका कारण क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) जी नहीं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण स्कीम के अंतर्गत प्रस्ताव विभिन्न उद्यमियों से ई-पोर्टल के जरिए विभिन्न उद्यमियों से प्राप्त होते हैं।

(ख) ई-पोर्टल डाटा के अनुसार, गत तीन वर्षों में हिमाचल प्रदेश में फल एवं सब्जी पर आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/अपग्रेडेशन हेतु 9 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ग) और (घ) मंत्रालय हिमाचल प्रदेश के उद्यमियों समेत उद्यमियों को खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/प्रौद्योगिकी उन्नयन/आधुनिकीकरण के लिए सहायता देता है। हिमाचल प्रदेश के मामले में सहायता की मात्रा तकनीकी सिविल कार्य एवं संयंत्र और मशीनरी की लागत के 33.33% अधिकतम 75.00 लाख रुपए है।

मीडिया विषय-वस्तु का विनियमन

68. **श्री रामकिशुन :**
डॉ. एम. तम्बिदुरई :
श्री सुरेश काशीनाथ तवारे :
श्री हमदुल्लाह सईद :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विभिन्न निजी चैनलों और दूरदर्शन के चैनलों तथा प्रिंट मीडिया में टीवी कार्यक्रमों तथा विज्ञापनों तथा रियलिटी कार्यक्रमों में हिंसा, अश्लीलता, फुहड़ता, खतरनाक दृश्यों आदि के चित्रण की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान सरकार को कितनी शिकायतें चैनल-वार और मीडिया-वार प्राप्त हुई हैं;

(ग) चैनल-वार और मीडिया-वार केवल टीवी, नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और प्रेस परिषद् अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता के उल्लंघन के लिए उक्त टीवी-चैनलों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है/कितने एहतियाती निर्देश, चेतावनी तथा आदेश जारी किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार टीवी चैनलों पर प्रसारित किए जा रहे ऐसे कार्यक्रमों तथा रियलिटी कार्यक्रमों पर रोक लगाने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या सुधारात्मक उपायों किये गये/किए जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ) : (क) निजी टीवी चैनलों पर हिंसा, अश्लीलता और अशिष्टता आदि से युक्त कार्यक्रम प्रदर्शित किए जाने के कुछ मामले सरकार के ध्यान में लाए गए हैं। जहां तक निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों का संबंध है, ऐसे चैनलों पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की कोई पूर्व-सेंसरशिप नहीं है। तथापि, ऐसे सभी टीवी चैनलों द्वारा केबल टीवी नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत निर्धारित कार्यक्रम और विज्ञापन

संहिताओं का कड़ाई से अनुपालन किया जाना अपेक्षित है। जब कभी इन संहिताओं के किसी तरह के उल्लंघन का मामला मंत्रालय के ध्यान में लाया जाता है, तो उक्त अधिनियम के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

जहां तक प्रिंट मीडिया का संबंध है, भारत में प्रेस सरकारी नियंत्रण से मुक्त है। प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखने हेतु अपनी नीति के अनुसरण में सरकार इसकी कार्यप्रणाली में हस्तक्षेप नहीं करती है। तथापि, भारत में समाचारपत्रों और समाचार एजेंसियों से संबंधित मानकों को बनाए रखने तथा उनमें सुधार करने के लिए और प्रेस के बीच स्व-विनियमन के सिद्धांतों को अंतर्विष्ट करने के लिए प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के अंतर्गत एक सांविधिक स्वायत्तशासी निकाय - भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) का गठन किया गया है। तदनुसार, भारतीय प्रेस परिषद ने प्रेस को स्व-विनियमन के सिद्धांत को व्यवहार में लाने हेतु प्रवृत्त करने के लिए प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 13(2) (ख) के अंतर्गत पत्रकारिता आचरण संबंधी मानक तैयार किए हैं। भारतीय प्रेस परिषद प्रिंट मीडिया में प्रकाशित विषयवस्तु की मॉनीटरिंग करती है तथापि प्रथमदृष्टया पत्रकारिता आचार संहिता का उल्लंघन करते पाई गई विषय-वस्तु का स्वप्रेरणा से अथवा शिकायत मिलने पर संज्ञान लेती है। प्रिंट मीडिया में प्रकाशित विषयवस्तु जोकि पत्रकारिता आचरण के मानकों का उल्लंघन करने वाली होती है, के संबंध में शिकायतों पर अधिनिर्णय भारतीय प्रेस परिषद द्वारा प्रेस परिषद (जांच प्रक्रिया) विनियम, 1979 के साथ पठित प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 14 के अंतर्गत किया जाता है।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों और प्रिंट मीडिया के विरुद्ध की गई कार्रवाई को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सभी निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों द्वारा केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 में विनिर्धारित कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं का कड़ाई से अनुपालन करना अपेक्षित है। जब कभी किसी प्रकार का उल्लंघन ध्यान में लाया जाता है, तो उक्त अधिनियम के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

जहां तक प्रिंट मीडिया का संबंध है, भारतीय प्रेस परिषद द्वारा प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 13(2)(ख) के अंतर्गत 'पत्रकारिता आचरण संबंधी मानक' तैयार किए गए हैं। इन मानकों में पत्रकारिता के सामान्य सिद्धांत और आचार नीति के साथ-साथ सांप्रदायिक व्यवधान, उग्रवाद, एड्स, वित्तीय पत्रकारिता, चुनाव रिपोर्टिंग आदि जैसे विशिष्ट मुद्दों से संबंधित दिशानिर्देश शामिल होते हैं। भारतीय प्रेस परिषद के 'पत्रकारिता आचरण संबंधी मानक' वर्षों से तैयार किए जाते रहे हैं और वर्तमान में प्रेस द्वारा वर्ष 2010 के संस्करण का अनुसरण किया जा रहा है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन निजी उपग्रह टीवी चैनलों के विरुद्ध हिंसा, अश्लीलता और अभद्रता से संबंधित प्राप्त शिकायतें और उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई का विवरण

क्रम सं.	चैनल का नाम	कारण बताओ नोटिस जारी करने के कारण	कारण बताओ नोटिस जारी करने की तारीख	की गई कार्रवाई
1	2	3	4	5
		वर्ष 2008		
1	एमटीवी	'न्यू एक्स डियोड्रेंट' के अश्लील विज्ञापन का प्रसारण	22.02.2008	चैनल को दिनांक 02.05.2008 के आदेश के तहत तीन दिन तक क्षमायाचना स्क्रोल चलाने का निदेश दिया गया था। चैनल ने इसका पालन किया। **मामला बंद कर दिया गया।**
2	स्टार न्यूज	'न्यू एक्स डियोड्रेंट' के अश्लील विज्ञापन का प्रसारण	22.02.2008	चैनल को दिनांक 02.05.2008 के आदेश के तहत तीन दिन तक क्षमायाचना स्क्रोल चलाने का निदेश दिया गया था। चैनल ने इसका पालन किया। **मामला बंद कर दिया गया।**

1	2	3	4	5
3	इंडिया न्यूज	एमएमएस पर आधारित समाचार प्रसारित करने के लिए, जिसमें आरुषि और हेमराज की यौन गतिविधियों को दर्शाया गया था।	09.06.2008	दिनांक 05.09.2008 को चेतावनी जारी की गई। **मामला बंद कर दिया गया।**
4	हैडलाइंस टुडे	बिकनी के 62 वर्ष पूरे होने पर आधारित बर्थ डे स्यूट नामक अश्लील समाचार का प्रसारण	11.8.2008	चैनल को दिनांक 23.03.2009 को सलाह पत्र जारी किया गया। **मामला बंद कर दिया गया।**
5	एमटीवी	'स्पिलट्सविला' नामक अश्लील रियलिटी शो का प्रसारण	11.08.2008	कोई उल्लंघन नहीं पाया गया। **मामला बंद कर दिया गया।**
6	ईटीवी बांग्ला	'एक्स डार्क टेम्पटेशन डिओड्रेंट' का अभद्र एवं अश्लील विज्ञापन प्रसारित करने के लिए	22.08.2008	विज्ञापन को संशोधित कर दिया गया है।
7	आज तक	'एक्स डार्क टेम्पटेशन डिओड्रेंट' का अभद्र एवं अश्लील विज्ञापन प्रसारित करने के लिए	22.08.2008	विज्ञापन को संशोधित कर दिया गया है।
8	डिस्कवरी	'एक्स डार्क टेम्पटेशन डिओड्रेंट' का अभद्र एवं अश्लील विज्ञापन प्रसारित करने के लिए	22.08.2008	विज्ञापन को संशोधित कर दिया गया है।
9	बिंदास	'दादागिरी' नामक अश्लील कार्यक्रम के लिए।	11.09.2008	दिनांक 25.11.2008 को चेतावनी जारी की गई। **मामला बंद कर दिया गया।**
10	स्टार मूवीज	'विर्जिन मोबाइल' का अश्लील विज्ञापन प्रसारित करने के लिए।	19.09.2008	विज्ञापन वापस ले लिया गया है। **मामला बंद कर दिया गया।**
11	डिस्कवरी	'विर्जिन मोबाइल' का अश्लील विज्ञापन प्रसारित करने के लिए।	19.09.2008	विज्ञापन वापस ले लिया गया है। **मामला बंद कर दिया गया।**
12	हंगामा	'शिन-चैन' नामक कार्टून शो प्रसारित करने के लिए जिसमें अश्लील दृश्य दिखाए गए हैं जिससे बच्चों की बदनामी होती है।	23.09.2008	कोई कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि कार्यक्रम पहले ही बंद कर दिया गया है। **मामला बंद कर दिया गया है।**
13	चैनल (वी)	'गेट जॉर्जियस 5' नामक अश्लील रियलिटी ब्यूटी शो प्रसारित करने के लिए	08.10.2008	दिनांक 03.07.2009 को चेतावनी जारी की गई। **मामला बंद कर दिया गया है।**
14	न्यूज 24	'बिग बॉस सीजन-2' नामक रियलिटी शो के प्रसारण के लिए	28.11.2008	दिनांक 03.06.2009 को चेतावनी जारी की गई। **मामला बंद कर दिया गया है।**

1	2	3	4	5
15	कलर्स	'बिग बॉस सीजन-2' नामक रियलिटी शो के प्रसारण के लिए	28.11.2008	दिनांक 03.06.2009 को सलाहपत्र जारी किया गया। **मामला बंद कर दिया गया है।**
16	इंडिया टीवी	'ये बच्चों का खेल नहीं' नामक समाचार प्रसारित करने के लिए जिसमें बच्चों को बदनाम किया गया है।	12.12.2008	इंडिया टीवी चैनल ने एनसीपीसीआर को अभ्यावेदन दिया तथा उसे संतोषजनक पाए जाने के बाद उन्होंने मंत्रालय से अनुरोध किया कि मामले को आगे न बढ़ाया जाए। अत: मामले पर आगे कार्रवाई नहीं की गई। अत: मामला बंद कर दिया गया है।
		वर्ष 2009		
1	एमटीवी	एमटीवी रोडिस नामक अश्लील, आपत्तिजनक तथा अभद्र कार्यक्रम का प्रसारण।	31.03.2009	दिनांक 01.07.2009 के आदेश के तहत चैनल को तीन दिन के लिए क्षमा याचना स्क्रोल चलाने का निदेश दिया गया। **मामला बंद कर दिया गया है।**
2	एमटीवी चैनल	'वोडाफोन एमटीवी स्पिलिट्सविला-2' कार्यक्रम का प्रसारण जिसमें एक प्रतिभागी द्वारा दूसरे पर अनुचित टिप्पणी की गई थी।	02.06.2009	दिनांक 04.01.2010 को चैनल को तीन दिन के लिए क्षमा याचना स्क्रोल चलाने का निदेश दिया गया। चैनल ने इसका अनुपालन किया था। **मामला बंद कर दिया गया है।**
3	रियल टीवी	'सरकार की दुनिया' नामक अभद्र रियल्टी शो का प्रसारण	30.06.2009	दिनांक 16.12.2009 को चेतावनी जारी की गई। **मामला बंद कर दिया गया है।**
4	एनडीटीवी इंडिया	'सरकार की दुनिया' नामक आपत्तिजनक रियल्टी शो पर आधारित समाचार का प्रसारण।	~~30.06.2009~~	दिनांक 26.12.2009 को चेतावनी जारी की गई। **मामला बंद कर दिया गया है।**
5	स्टार प्लस	'सच का सामना' नामक अश्लील अभद्र और आपत्तिजनक रियल्टी गेम शो का प्रसारण।	22.07.2009	चैनल को दिनांक 27.11.2009 को चेतावनी जारी की गई। **मामला बंद कर दिया गया है।**
6	9Xटीवी	डरावने दृश्य दर्शाने वाले 'ब्लैक' नामक धारावाहिक का प्रसारण।	27.07.2009	दिनांक 04.01.2010 को चेतावनी जारी की गई। **मामला बंद कर दिया गया है।**
7	एनडीटीवी इमेजिन	'बंदिनी' नामक धारावाहिक में अशोभनीय दृश्यों का प्रसारण।	28.07.2009	दिनांक 01.12.2009 को सलाह पत्र जारी किया गया। **मामला बंद कर दिया गया है।**

1	2	3	4	5
8	बिंदास	'सुन यार चिल मार' नामक अशोभनीय धारावाहिक का प्रसारण।	29.07.2009	दिनांक 29.12.2009 को सलाह पत्र जारी किया गया। **मामला बंद कर दिया गया है।**
9	चैनल (वी)	'लांच पैड' ' नामक अशोभनीय कार्यक्रम का प्रसारण	29.07.2009	दिनांक 11.12.2009 को चेतावनी जारी की गई। **मामला बंद कर दिया गया है।**
10	बीएच 1	'सेटरडे नाइट लाइव' नामक कार्यक्रम का प्रसारण जिसमें अशोभनीय दृश्य दिखाए गए थे।	19.08.2009	दिनांक 08.12.2009 को चेतावनी जारी की गई। **मामला बंद कर दिया गया है।**
11	बिंदास	'दादागीरी' रियल्टी शो का प्रसारण।	26.08.2009	दिनांक 04.03.2010 को चेतावनी जारी की गई। **मामला बंद कर दिया गया है।**
12	सोनी	'इस जंगल से मुझे बचाओ' रियल्टी शो का प्रसारण।	26.08.2009	दिनांक 11.12.2009 को चेतावनी जारी की गई। **मामला बंद कर दिया गया है।**
13	एफटीवी.कॉम इंडिया	अश्लील दृश्यों का प्रसारण	11.09.2009	दिनांक 10.03.2010 के आदेश के तहत 9 दिन तक चैनल प्रसारण पर रोक लगाई गई।
14	कलर्स चैनल	'बिग बॉस सीजन-3' नामक रियल्टी शो का प्रसारण।	26.10.2009	दिनांक 18.12.2009 को चेतावनी जारी की गई। **मामला बंद कर दिया गया है।**
		वर्ष 2010		
1	बिंदास	इमोशनल अत्याचार नामक रियल्टी शो का प्रसारण	02.02.2010	चैनल को रियल्टी शो का समय बदल कर रात्रि 11.00 बजे करने का निदेश देते हुए पत्र जारी किया गया है।
2	एमटीवी	'स्प्लिट्सविला-3' नामक रियल्टी शो का प्रसारण	03.02.2010	दिनांक 26.04.2010 को चेतावनी जारी की गई और चैनल को तीन दिन के लिए क्षमा याचना स्क्रोल चलाने का निदेश दिया गया। **मामला बंद कर दिया गया है।**
3	टीवी 5	अश्लील दृश्यों वाले चिंतामणि और बिग स्क्रील नामक कार्यक्रमों का प्रसारण	25.02.2010	दिनांक 18.08.2010 को क्षमा याचना स्क्रोल चलाने के निदेश देते हुए चेतावनी जारी की गई। चैनल ने इसका अनुपालन किया। **मामला बंद कर दिया गया है।**

1	2	3	4	5
4	एनडीटीवी	टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम की नग्न तस्वीरों का प्रसारण	26.04.2010	चैनल को दिनांक 16.11.2010 को चेतावनी जारी की गई।
5	फॉक्स हिस्ट्री चैनल	मेंडवेंचर्स' नामक कार्यक्रम का प्रसारण जिसमें नग्न लेटे हुए आदमी के दृश्य दिखाए गए थे और उस पर शुशी फैली हुई थी	26.04.2010	चैनल को दिनांक 23.08.2010 को चेतावनी जारी की गई।
6	जय हिंदी टीवी	लाइफ स्केचेज नामक कार्यक्रम का प्रसारण जिसमें महिलाओं का अभद्रता के साथ चित्रण किया गया था।	26.04.2010	चैनल को दिनांक 23.08.2010 को चेतावनी जारी की गई।
7	एसएस म्यूजिक	'सिजलिंग हिट्स' नामक कार्यक्रम का प्रसारण जो अश्लील और अशोभनीय प्रतीत होता है।	13.05.2010	दिनांक 16.11.2010 के आदेश के तहत चैनल का प्रसारण/पुनप्रसारण 7 दिन के लिए बंद कर दिया गया। चैनल ने माननीय उच्च न्यायालय, मद्रास में रिट याचिका दायर की और अपने पक्ष में निर्णय प्राप्त कर लिया। मंत्रालय ने माननीय उच्च न्यायालय, मद्रास की खण्ड न्यायपीठ के समक्ष अपील दायर की है।
8	हंगामा	शिनचान नामक एनीमेटेड धारावाहिक का प्रसारण जिसमें अश्लील और अभद्र सामग्री है।	06.07.2010	कोई उल्लंघन नहीं पाया गया।
9	स्टार प्लस	'तेरे लिए' धारावाहिक का प्रसारण जिसमें अभद्र टिप्पणी की गई जो किसी विशेष समुदाय के प्रति आपत्तिजनक हो सकती है।	26.08.2010	मामला विचाराधीन है।
10	टीवी 5	आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री डा वाई.एस. राजशेखर रेड्डी की मृत्यु के संबंध में गलत समाचार का प्रसारण जोकि तथ्यों पर आधारित नहीं था।	11.10.2010	मामला विचाराधीन है।
11	इमेजिन टीवी	'राखी का इंसाफ' नामक रियल्टी शो का प्रसारण जोकि अप्रतिबंधित लोक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त नहीं था।	कोई कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया।	चैनल को शो का समय बदल कर रात्रि 11.00 बजे के बाद करने का निदेश देते हुए दिनांक 16.11.2010 को आदेश जारी किया गया। चैनल ने निदेश का अनुपालन किया।

1	2	3	4	5
12	कलर्स	'बिग बास-4' नामक रियल्टी शो का प्रसारण जोकि शालीनता और भद्रता के विरुद्ध है तथा अप्रतिबंधित लोक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त नहीं था।	09.12.2010	चैनल को रियल्टी शो का समय बदल कर रात्रि 11.00 बजे के बाद करने का निदेश देते हुए दिनांक 23.12.2010 को आदेश जारी किया गया तथा क्षमायाचना स्क्रोल चलाने का निदेश दिया गया। चैनल ने माननीय उच्च न्यायालय, मुंबई से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिए है। जनवरी, 2011 में कार्यक्रम समाप्त हो गया है। मामला बंद कर दिया गया है।
13	कलर्स	'रिश्तों से बड़ी प्रथा' टेलीविजन धारावाहिक का प्रसारण जिसमें अत्यधिक हिंसा और औरतों को बदनाम किया गया है जोकि अप्रतिबंधित लोक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त नहीं था।	29.12.2010	मामला विचाराधीन है।
14	इमेजिन टीवी	'अरमानों का बलिदान - आरक्षण' टेलीविजन धारावाहिक का प्रसारण जोकि शालीनता और भद्रता के विरुद्ध है जिससे हिंसा, जातीय विवाद और द्वेष को बढ़ावा मिलता है।	30.12.2010	मामला विचाराधीन है।

अश्लील/नग्न समाचारों/फोटोग्राफों संबंधी मामलों का विवरण-प्रिंट मीडिया के संबंध में

1 अप्रैल, 2007-मार्च, 2008

क्रम सं.	शिकायतकर्ता	प्रतिवादी	विषय	की गई कार्रवाई
1	श्री संजय कुमार बंसल, अधिवक्ता, मुरादाबाद	राष्ट्रीय सहारा, नोएडा	अश्लील/नग्न फोटोग्राफों का प्रकाशन	खेद व्यक्त
2	श्री बी.के. सिन्हा, आय कर अधिकारी, हजारीबाग, झारखंड	दैनिक जागरण, रांची	टैनिस खिलाड़ी कुमारी सानिया मिर्जा की सौम्य नग्न चीज/वस्तु के रूप में तस्वीरें	समाप्त
3	यथोपरि	विचार सारांश, नई दिल्ली	यथोपरि	समाप्त
4	श्री अशोक बासप्पा उदयावार और अन्य तथा श्रीमती शीतला विवेक मेहता, वसाई और अन्य थाणे, महाराष्ट्र	महाराष्ट्र बुलंद टाइम्स, थाणे, महाराष्ट्र	अशालीन और स्पष्ट फोटोग्राफों का प्रकाशन	परिनिंदित
5	स्वतः कार्रवाई	डेबोनेयर, मुम्बई	अश्लील फोटोग्राफों और लेखों का प्रकाशन	परिनिंदित

1 अप्रैल, 2008-31 मार्च, 2009

क्रम सं.	शिकायतकर्ता	प्रतिवादी	विषय	की गई कार्रवाई
1	श्री चन्द्रहास शुक्ल, नेता, शिव सेना, दिल्ली	पंजाब केसरी नई दिल्ली	हिन्दू संस्कृति के विरुद्ध अश्लील और अर्ध नग्न तस्वीरों का प्रकाशन	आश्वासन
2	श्री संजय कुमार बंसल, अधिवक्ता, मुरादाबाद	अमर उजाला, मेरठ	महिलाओं की अश्लील, अभद्र तस्वीरों और यौन संबंधी विज्ञापन का प्रकाशन	समाप्त
3	यथोपरि	पंजाब केसरी, नई दिल्ली	यथोपरि	समाप्त
4	श्री वी.पी. गोयल, लखनऊ	टाइम्स ऑफ इंडिया	मालिश कक्ष (मसाज पार्लर) संबंधी विज्ञापनों का प्रकाशन	समर्थित
5	श्री मयूर कुमार शाह, पूर्व प्रमुख, शिव सेना, भावनगर, गुजरात	सांझ समाचार, राजकोट, गुजरात	फुटबाल खिलाड़ी डेविस बेकहम और उनकी पत्नी के फोटोग्राफों आपत्तिजनक सामग्री का प्रकाशन	निंदित
6	श्री निसरूद्दीन अहमद जेड्डी, अधिवक्ता, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	डेक्कन क्रॉनिकल, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश	महिलाओं के नग्न फोटोग्राफों यौन संबंधी समाचारों का प्रकाशन झूठे पूर्व प्रकाशित समाचार और रिपोर्टिंग	निपटान
7	श्री एन. रवीन्द्रन, चेन्नई	डेक्कन क्रॉनिकल, चेन्नई	अश्लील और अशालीन मुद्रा में नग्न पुरूष एवं महिलाओं के फोटोग्राफों का प्रकाशन	प्रेक्षणों सहित समाप्त
		अक्टूबर 2009 प्रेस परिषद समीक्षा		
1	सुश्री प्रतिभा नैथानी, मुंबई	मुंबई मिरर, मुंबई	अश्लील सामग्री का प्रकाशन	भर्त्सना
2	श्री सितेन्द्र कादियान एवं श्री संदीप कादियान, अधिवक्ता, पानीपत, हरियाणा	पंजाब केसरी, जालंधर	नग्न/अल्प वस्त्रों में महिलाओं का प्रकाशन	निपटान
3	सुश्री प्रतिभा नैथानी, मुंबई	मुंबई मिरर, मुंबई	'विनम्र कैप्ट किसिंग भी' शीर्षक के अंतर्गत अश्लील सामग्री का प्रकाशन	परिनिंदित
4	श्री धीरज जिंदल, नई दिल्ली	मैट्रो नाऊ नई दिल्ली	हॉलीवुड अभिनेत्री एन्जलीना जूली के नग्न और अश्लील फोटोग्राफ का प्रकाशन	समाप्त
		अप्रैल 2010 प्रेस परिषद् समीक्षा		
1	श्री राजेश कुमार शर्मा, दिल्ली	दी टाइम्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली	महिलाओं के नकारात्मक चित्रांकन संबंधी प्रकाशन	सावधान किया गया
2	श्री संजीव गुप्ता, दिल्ली	मैट्रो नाऊ, नई दिल्ली	महिलाओं के नग्न फोटोग्राफों का प्रकाशन	प्रेक्षणों सहित समाप्त

30.7.2010 को निर्णीत मामले

क्रम सं.	शिकायतकर्ता	प्रतिवादी	विषय	की गई कार्रवाई
1	श्री आर.वी. शारदा, राज्याध्यक्ष, श्रमजीवी पत्रकार संघ, मध्यप्रदेश, भोपाल	दैनिक नवभारत भोपाल	अश्लील और यौन संबंधी विज्ञापन का प्रकाशन	परामर्श सहित निपटान
2	श्री संजय बंसल, अधिवक्ता/अध्यक्ष, देश कल्याण समिति, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश	दैनिक जागरण, कानपुर, उत्तर प्रदेश	महिलाओं के अश्लील चित्रों का प्रकाशन	प्रेक्षणों सहित निपटान
3	अध्यक्ष, प्रगतिशील पत्रकार एसोसिएशन, आगरा, उत्तर प्रदेश	आई-नेक्स्ट कानपुर उत्तर प्रदेश	अश्लील और अशालीन फोटोग्राफों का प्रकाशन	भर्त्सना
4	श्री सुखदेव सिंह, सीकर	राजस्थान पत्रिका, जयपुर राजस्थान	यौन संबंधी आपत्तिजनक विज्ञापनों का प्रकाशन	समाप्त
5	श्री इदारा गोपी चंद, राज्य महासचिव, अश्लीलता विरोधी मंच, गंतूर, आंध्र प्रदेश	1 आंध्र ज्योति और 2 इराडु	फिल्मी सितारों की अश्लील और अशालीन फोटोग्राफों का प्रकाशन	दिशा निर्देश पुनः जारी करने के निदेश सहित निपटान
		29.10.2010 को निर्णीत मामले		
1	श्री आर.एस. सक्सेना मुम्बई	टी टाइम्स ऑफ इंडिया मुम्बई	अश्लील फोटोग्राफों का प्रकाशन	सावधान किया गया
2	श्री एन.वी. रामकृष्ण, कोट्टयम, केरल	फायर मैगजीन	आपत्तिजनक सामग्री	परिनिंदित
3	श्रीसिद्धेश्वर आचार्य, पश्चिम बंगाल	1 दी टाइम्स ऑफ इंडिया 2 बोयर देश, कोलकाता और 3 दी संडे इंडियन, नई दिल्ली	महिलाओं के अर्ध नग्न फोटोग्राफों का प्रकाशन	परामर्श सहित निपटान

किसानों को ऋण

69. **श्री हुक्मदेव नारायण यादव : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन वित्तीय संस्थाओं तथा निजी साहूकारों का ब्यौरा क्या है जिनकी धनराशि देश में आत्महत्या करने वाले किसानों के पास बकाया थी तथा वह बकाया राशि कितनी है;

(ख) ऐसे किसानों के परिवार के सदस्यों को उपलब्ध कराई गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संकर बीजों से खेती करने के कारण उन्हें हानि उठाना पड़ा था; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे बीज विनिर्माता कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव) : (क) देश में आत्महत्या करने वाले किसानों के बारे में वित्तीय संस्थानों एवं निजी साहूकारों से बकाया एवं शेष राशि के संबंध में सूचना राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) एवं वित्तीय संस्थानों के वर्तमान सूचना संकलन पद्धति के इकट्ठी नहीं की जाती तथापि देश में आत्महत्या करने वाले किसानों समेत किसानों पर बकाया कुल सांस्थानिक कृषि ऋण 31.12.2010 तक 582106.88 करोड़ रुपए था।

(ख) भारत सरकार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल एवं महाराष्ट्र के 31 आत्महत्या प्रवण जिलों में किसानों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक विशेष पुनर्वास पैकेज कार्यान्वित कर रही है। इस पैकेज के अधीन 31 दिसम्बर, 2010 तक 19531.05 करोड़ रुपए की राशि निर्मुक्त की जा चुकी है। इसके अलावा, सरकार ने कृषि ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना 2008 भी कार्यान्वित की है जिसके तहत अनंतिम आंकलन के अनुसार लगभग 3.69 करोड़ किसानों को 6538.33 करोड़ रुपए राशि की ऋण माफी/ऋण राहत प्रदान की गई है। इसके अलावा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र राज्य सरकार ने आत्महत्या करने वाले किसानों के निकट संबंधी को एक लाख रुपए एवं केरल सरकार ने 50,000 रुपए की अनुग्रह सहायता उपलब्ध कराई है। कुछ राज्य सरकारों द्वारा ऐसे परिवारों को राजसहायता प्राप्त/मुफ्त शिक्षा सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। राज्य सरकारें आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवार के सदस्यों को आजीविका समर्थन उपलब्ध कराने के लिए उपाय भी करती हैं।

(ग) और (घ) छत्तीसगढ़ सरकार से राज्य के 8 जिलों में खरीफ 2010 में वितरित किए गए धान संकर केआरएच-2 की अनुपजाऊपन के साथ पुष्पण के समय में अंतराल एवं पौधों की लम्बाई में भिन्नता के संबंध में सूचना प्राप्त हुई है। राज्य सरकार को ऐसे मामलों पर कार्रवाई करने का अधिकार है।

कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देना

70. **श्री हंसराज गं. अहीर :**

श्री ए.टी. नाना पाटील :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 'कृषिप्रभा' नामक कोई योजना आरंभ करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना को कानूनी स्तर प्रदान करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) जी, हां।

(ख) विवरण नीचे दिए गए हैं :-

परियोजना का शीर्षक	कृषि प्रभा-भारतीय कृषि शोध प्रबंध कोष (इंडियन एग्रीकल्चर डिसर्टिफिकेशन रिपोसिट्री)
परियोजना परिव्यय	127.148 लाख रुपये
आरंभ की तिथि	1.10.2007
समाप्ति की तिथि	31.3.2011

परियोजना का उद्देश्य

- भारतीय कृषि के डॉक्टल शोध निबंधों के प्रमाणि ज्ञान आधार को डिजिटल रूप से विकसित और संगठित करना तथा इसे आन लाइन पर उपलब्ध कराना।
- राज्य कृषि विश्वविद्यालयों/मानद कृषि विश्वविद्यालयों (डाटा केन्द्रों) द्वारा मुख्य केन्द्रों को ई-थीसिस प्रस्तुत करने के लिए एक मानक प्रारूप विकसित करना।
- राज्य कृषि विश्वविद्यालयों/मानद कृषि विश्वविद्यालयों/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों के मानव संसाधनों की दक्षता को बढ़ाना।
- डाटाबेस से इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप/हार्ड कॉपी के रूप में एक जर्नल को प्रकाशित करना।

प्रगति

- 7000 से ज्यादा पीएच डी थीसिसों का (2008-2009 के दौरान) डिजिटाइजेशन का कार्य पूरा करके उसे इंटरनेट पर डाला गया (http:www.hau.ennet.in)

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

शहरी परिवहन प्रणाली

71. **श्री एम.बी. राजेश :**

श्री एन. चेलुवराया स्वामी :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों

में समेकित परिवहन प्रणाली पर बल देते हुए राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति (एनयूटीपी) तैयार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक ऐसी नीति के क्या उद्देश्य और प्रयोजन तैयार किए गए हैं;

(ग) कर्नाटक सहित प्रत्येक राज्य के लिए इस संबंध में कितनी निधियां निर्धारित की गई हैं;

(घ) सरकार ने शहरी परिवहन प्रणाली की प्रभावकारिता में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ङ) क्या अवसंरचना के विकास पर कोई विशेष ध्यान दिया जा रहा है;

(च) यदि हां, तो 11वीं योजना के दौरान इस प्रयोजन हेतु कितना निवेश किया गया है और ऐसी परियोजनाओं के लिए बजटीय सहायता की सीमा क्या है;

(छ) क्या राष्ट्रीय सतत आवास मिशन में शहरी परिवहन प्रणाली में सुधार करने हेतु कोई उपबंध है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) जी नहीं। क्योंकि केन्द्र सरकार ने पहले ही अप्रैल 2006 में राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति (एनयूटीपी) तैयार कर ली है।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) नीति के तहत धनराशि का कोई आबंटन नहीं है।

(घ) और (ङ) शहरी परिवहन नीति शहरी विकास से परस्पर जुड़ी हुई है जोकि राज्य का विषय है। इसलिए परिवहन परिदृश्य को सुधारने का दायित्व मुख्यतः राज्य सरकार का है। तथापि, शहरी परिवहन की तेजी से बढ़ती समस्या की गंभीरता को देखते हुए, केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति (एनयूटीपी) तैयार करने, शहरी परिवहन के लिए बसों के वित्तपोषण, बस रैपिड ट्रांजिट प्रणाली परियोजनाएं, जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के तहत शहरी परिवहन के अंतर्गत ट्रैफिक ट्रांजिट प्रबंधन केन्द्रों और विभिन्न शहरों के लिए मेट्रो रेलवे परियोजनाओं की स्वीकृति जैसे सक्रिय कदम उठाए हैं।

(च) मेट्रो रेल परियोजनाओं सहित विभिन्न शहरी परिवहन परियोजनाओं के लिए 11वीं योजना के दौरान राज्यों/संघ शासित राज्यों को मुहैया की गई वित्तीय सहायता की धनराशि 17404 करोड़ रु. है।

(छ) और (ज) बसावों की स्थिरता को प्रोन्नत करने का प्रमुख तत्व शहरी परिवहन है। इस संबंध में राष्ट्रीय सस्टेनेबिल हैबिटाट मिशन व्यापक मोबिलिटी योजना में सहायता का प्रस्ताव करता है जिसमें परिवहन आयोजना और भू-उपयोग समेकन, विभिन्न सार्वजनिक परिवहन के लिए मॉडल शिफ्ट को प्रोन्नत करना, समुचित पार्किंग मानदण्डों और कार्यनीतियों का विकास, पैदल मार्ग और संस्थानों का सुदृढ़ीकरण से संबंधित मुद्दों का समाधान किया जा सकेगा। इस संबंध में व्यापक मोबिलिटी योजनाओं से स्थिर बसाव के मानदंडों को पूरा किया जा सकेगा।

भूख और गरीबी पर नियंत्रण

72. **श्री के.जे.एस. पी. रेड्डी : क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 11वीं योजना अवधि के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर भूख और गरीबी पर नियंत्रण लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इस प्रयोजन हेतु अब तक स्वीकृत/जारी और व्यय की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) और (ख) 11वीं योजना की प्रमुख परिकल्पना एक ऐसे विकास प्रक्रिया शुरू करने के लिए सामर्थ्य जुटाने की है जो लोगों खास तौर पर गरीबों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जातियों, विकलांगों और महिलाओं के जीवन की गुणत्ता में व्यापक रूप से सुधार सुनिश्चित कर सके। इस व्यापक परिकल्पना में, त्वरित विकास जिसमें गरीबी में कमी आती है और रोजगार के अवसर बनते हैं, विशेषकर गरीबों के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा, आवश्यक सेवाओं की सुलभता, अवसरों की समानता, शिक्षा और कौशल विकास के जरिए अधिकारिता, रोजगार अवसर, पर्यावरणीय सुस्थिरता और बेहतर शासन जैसे परस्पर संबंधित घटक शामिल हैं।

(ग) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री द्वारा कार्यान्वित स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) और जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत शहरी गरीबों हेतु बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी) तथा एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) घटकों के तहत राज्यवार स्वीकृत/जारी तथा खर्च की गई धनराशि का विवरण क्रमशः संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

विवरण-I

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) के अंतर्गत आबंटित, जारी और खर्च की गई केन्द्रीय धनराशि

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2007-08			2006-09			2009-10			2010-11		
		केन्द्रीय अस्थाई नियतन	जारी वास्तविक केन्द्रीय राशि	सूचित खर्च (केन्द्रीय अंश)*	केन्द्रीय अस्थाई नियतन	जारी वास्तविक केन्द्रीय राशि	सूचित खर्च (केन्द्रीय अंश)*	केन्द्रीय अस्थाई नियतन	जारी वास्तविक केन्द्रीय राशि	सूचित खर्च (केन्द्रीय अंश)*	केन्द्रीय अस्थाई नियतन	जारी वास्तविक केन्द्रीय राशि	सूचित खर्च (केन्द्रीय अंश)*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	आंध्र प्रदेश	2058.41	2058.41	2058.42	3115.78	4327.22	2318.94	3390.53	3390.53	3162.76	3790.43	3790.43	3839.19
2	अरुणाचल प्रदेश	148.64	148.64	0.00	222.53	0.00	0.00	207.85	103.93	173.59	201.79	100.90	9.90
3	असम	1974.81	1974.81	1957.81	2956.48	2947.90	385.27	2956.05	1478.03	2947.90	2869.96	2869.96	0.00
4	बिहार	1225.54	1225.54	586.83	1855.09	1980.98	1114.42	1790.24	895 12	102.39	2001.40	0.00	0.00
5	छत्तीसगढ़	741.48	741.48	492.38	1122.37	637.36	589.35	1075.14	881.30	273.14	1201.95	1201.95	649.13
6	गोवा	73.29	0.00	1.12	110.94	0.00	0.00	90.56	0.00	0.00	101.24	0.00	0.00
7	गुजरात	958.18	958.18	975.69	1450.38	1548 80	156.53	1501.44	1501.44	750.75	1678.53	839.27	0.00
8	हरियाणा	361.47	553.09	800.20	547.14	1334.27	486.48	585.34	585.34	388.03	654.37	654.37	483.26
9	हिमाचल प्रदेश	7.70	7.69	20.09	11.64	12.43	12.62	12.15	12.15	5.62	50.00	25.00	0.00
10	जम्मू एवं कश्मीर	105.86	105.86	88.69	160.24	0.00	17.17	120.93	0.00	824.60	135.21	42.84	0.00
11	झारखंड	480.90	480.90	0.00	727.93	0.00	0.00	728.91	0.00	1101.02	814.88	0.00	0.00
12	कर्नाटक	2410.37	2410.37	2102.72	3648.54	4896.14	2319.30	3524.71	3524.71	1010.70	3940.45	3940.45	0.00
13	केरल	629.74	629.74	263.17	953.22	1017.91	746.21	948.13	948.13	716.75	1059.96	0.00	0.00
14	मध्य प्रदेश	3120.18	3120 18	3050.94	4722.97	5043.48	2847.07	4087.96	4087.00	2125.04	4570.13	4570.13	1255.83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	महाराष्ट्र	5944.50	5944.50	6885.97	8998.10	9608.72	7439.95	8075.96	8075.96	1906.71	9028.52	9028.52	374247
16	मणिपुर	297.28	297.28	116.97	445.06	445.71	92.55	461.88	461.88	528.88	448.43	448.43	1512.35
17	मेघालय	254.81	254.81	166.27	381.46	190.74	0.00	369.51	0.00	0.00	358.74	000	0.00
18	मिजोरम	233.58	233.58	116.79	349.70	350.20	349.69	36951	369.51	252.26	358.74	179.37	0.00
19	नागालैंड	191.11	191.11	191.11	286.11	286.53	143.06	277.13	277.13	0.00	269.06	134.53	134.53
20	उड़ीसा	1099.33	1099.33	730.39	1664.03	1776.95	931.06	1476.69	1476.59	433.13	1650.75	1650.75	1512.35
21	पंजाब	159.24	159.24	23.25	241.04	120.52	39.53	358.93	0.00	33.44	401.27	0.00	49.00
22	राजस्थान	1832.21	1832.21	563.62	2773 39	1574.91	764.08	2623.52	1311.76	402.49	2932.96	1466.48	501.62
23	सिक्किम	42.47	115.77	52.85	63.58	63.67	106.75	46.19	46.19	27.83	44.84	0.00	21.44
24	तमिलनाडु	2650.59	2650.59	2650.59	4012.17	4284.44	3370.20	3817.38	3817.38	0.00	4267.63	4267.63	610.43
25	त्रिपुरा	297.28	297.28	264.38	445.06	248.84	0.00	461.88	0.00	0.00	448.43	224.25	0.00
26	उत्तराखंड	350.61	350.81	51.01	530.71	566.72	0.00	488.70	488.70	255.55	546.34	546.34	211.61
27	उत्तर प्रदेश	4545.23	4545.23	3649.91	6880.05	8846.94	5929.37	6462.43	6462.43	1487.36	7224.67	7224.67	4381.72
28	पश्चिम बंगाल	1205.19	1205.19	894.10	1824.27	1948.07	1477.54	1940.44	1940.44	1888.40	2169.31	2169.31	1030.40
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	43.55	0.00	20.03	43.55	0.00	5.25	37.50	0.00	24.53	37.50	0.00	0.00
30	चंडीगढ़	58.06	0.00	64.47	58.06	0.00	6.82	78.52	0.00	0.00	78.52	39.26	0.00
31	दादरा और नगर हवेली	25.81	0.00	9.47	25.81	0.00	0.00	17.58	17.58	0.00	17.58	8.79	0.00
32	दमन और दीव	22.58	0.00	0.00	22.58	0.00	0 00	16.41	0.00	0.00	16.41	0.00	0.00
33	दिल्ली	92.20	0.00	56.81	92.20	0.00	1.25	93.34	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
34	पुडुचेरी	7.80	100.00	89.14	7.80	7.80	0.00	6.66	6.66	45.27	50.00	25.00	6.15
	कुल	33650.00	33691.56	28995.19	50750.00	4067.25	31650.47	48500.00	42160.85	20868.18	53620.00	45448.63	19951.38

• यह स्कीम चालू स्कीम है इसलिए सूचित खर्च में पूर्ण वर्ष के दौरान जारी तथा इस वर्ष अग्रेषित की गई केन्द्रीय राशि का खर्च शामिल है।

विवरण-II

जेएनएनयूआरएम-शहरी गरीबों हेतु बुनियादी सेवाएं के तहत अनुमोदित परियोजना लागत तथा केन्द्रीय अंश

(लाख रुपए में)

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11	
		अनुमोदित कुल परियोजना लागत	अनुमोदित कुल केन्द्रीय अंश	अनुमोदित कुल परियोजना लागत	अनुमोदित कुल केन्द्रीय अंश	अनुमोदित कुल परियोजना लागत	अनुमोदित कुल केन्द्रीय अंश	अनुमोदित कुल परियोजना लागत	अनुमोदित कुल केन्द्रीय अंश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	आंध्र प्रदेश	511.27	250.63	1302.40	650.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	अरुणाचल प्रदेश	4.10	3.36	45.15	40.59	0.00	0.00	0.00	0.00
3	असम	53.95	48.56	54.49	49.04	0.00	0.00	0.00	0.00
4	बिहार	367.12	179.54	342.27	133.22	0.00	0.00	0.00	0.00
5	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	28.79	23.03	42.25	29.77	0.00	000
6	गोवा	10.22	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	गुजरात	240.55	115.63	168.02	78.75	273.06	130.72	0.00	0.00
8	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	हिमाचल प्रदेश	14.01	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	जम्मू एवं कश्मीर	105.17	84.88	57.22	49.56	0.00	0.00	0.00	0.00
11	झारखंड	195.29	132.91	175.38	118.69	0.00	0.00	0.00	0.00
12	कर्नाटक	271.43	147.57	236.91	134.99	0.00	0.00	0.00	0.00
13	केरल	234.92	155.22	39.55	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00
14	मध्य प्रदेश	17.41	13.26	183.98	87.59	0.00	0.00	0.00	0.00
15	महाराष्ट्र	1200.65	632.62	1739.27	834.00	943.11	467.99	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	मणिपुर	0.00	0.00	51.23	43.91	0.00	0.00	0.00	0.00
17	मेघालय	30.44	23.77	21.30	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00
18	मिजोरम	34.33	28.91	56.99	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00
19	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	उड़ीसा	67.17	48.77	7.46	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21	पंजाब	72.43	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.50	88.11
23	सिक्किम	3.25	2.79	30.33	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00
24	तमिलनाडु	1303.85	587.69	193.21	94.44	0.00	0.00	0.00	0.00
25	त्रिपुरा	16.73	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	उत्तराखंड	22.88	18.08	13.24	9.93	49.92	37.33	0.00	0.00
27	उत्तर प्रदेश	355.58	162.50	1893.13	937.76	0.00	0.00	11.67	5.40
28	पश्चिम बंगाल	1241.80	610.01	881.74	440.87	0.00	0.00	0.00	0.00
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	दादरा और नागर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	दिल्ली	1203.93	497.12	150.70	63.11	0.00	0.00	1429.15	669.05
34	पुडुचेरी	43.97	32.31	0.00	0.00	92.00	50.89	0.00	0.00
	कुल	7623.05	3842.05	7672.76	3920.60	1400.34	716.70	1622.32	762.56

जेएनएनयूआरएम - एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम के तहत अनुमोदित परियोजना लागत तथा केन्द्रीय अंश

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11	
		अनुमोदित कुल परियोजना लागत	अनुमोदित केन्द्रीय अंश	अनुमोदित कुल परियोजना लागत	अनुमोदित कुल केन्द्रीय अंश	अनुमोदित कुल परियोजना लागत	अनुमोदित कुल केन्द्रीय अंश	अनुमोदित कुल परियोजना लागत	अनुमोदित कुल केन्द्रीय अंश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	आंध्र प्रदेश	385.30	300.55	451.87	271.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	9.95	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00
3	असम	26.07	22.32	28.76	23.38	17.92	13.73	0.00	0.00
4	बिहार	31.92	23.21	113.39	64.21	81.10	38.51	0.00	0.00
5	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	49.10	36.82	0.00	0.00	0.00	0.00
6	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	गुजरात	155.43	101.30	114.58	73.22	39.71	17.13	0.00	0.00
8	हरियाणा	0.00	0.00	33.42	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00
9	हिमाचल प्रदेश	23.44	16.19	31.90	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00
10	जम्मू एवं कश्मीर	42.40	32.23	42.60	34.51	25.72	17.86	3.74	3.37
11	झारखंड	19.67	15.58	123.67	72.40	0.00	0.00	74.59	43.35
12	कर्नाटक	190.86	103.74	138.81	76.93	0.00	0.00	0.00	0.00
13	केरल	71.98	54.03	55.50	42.18	80.59	55.29	0.00	0.00
14	मध्य प्रदेश	44.72	33.07	28.48	21.88	48.90	28.87	0.00	0.00
15	महाराष्ट्र	229.91	169.42	1390.85	918.17	30.5	20.19	0.00	0.00
16	मणिपुर	16.50	12.37	10.83	8.33	16.04	11.65	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	मेघालय	21.82	8.97	19.66	13.46	0.00	वळ	0.00	0.00
18	मिजोरम	8.27	6.21	31.00	23.57	0.00	0.00	व.वव	0.00
19	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	2.39	0.60	0.00	0.00
20	उड़ीसा	83.63	59.13	184.06	123.30	16.99	9.45	0.00	0.00
21	पंजाब	42.40	25.55	21.01	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22	राजस्थान	186.37	122.24	83.37	52.11	81.85	45.94	275.69	180.86
23	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	19.91	17.92	0.00	0.00
24	तमिलनाडु	79.61	56.64	249.24	184.16	40.97	18.73	0.00	0.00
25	त्रिपुरा	7.19	6.33	20.02	17.60	16.44	14.11	0.00	0.00
26	उत्तराखंड	5.85	2.91	0.00	0.00	155.42	87 66	0.00	0.00
27	उत्तर प्रदेश	4.29	2.78	771.75	509.10	160.35	100.63	199.68	117.12
28	पश्चिम बंगाल	365.43	260.70	377.09	297.60	159.61	117.72	0.00	0.00
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	5.27	4.75	9.88	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00
30	चंडीगढ;	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	दादरा और नगर हवेली	0.50	0.45	0.00	0.00	5.25	2.90	0.00	0.00
32	दमन और दीव	0.69	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	पुडुचेरी	17.03	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	2086.55	1446.73	4390.79	2938.61	999.66	618.89	553.70	344.70

पाकिस्तान को डोजियर भेजना

73. **श्री मनीष तिवारी : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा मुंबई में 26.11.2008 को हुए आतंकी हमले में पाक नागरिकों की मिलीभगत संबंधी साक्ष्य देते हुए पाकिस्तान सरकार को भेजे गए डोजियारों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त डोजियरों में दिए गए साक्ष्यों के मुख्य बिंदुओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा पाकिस्तान सरकार से किए गए अनुरोध का ब्यौरा क्या है जिसके अनुसरण में उक्त डोजियर भेजे गए;

(घ) उक्त डोजियरों पर पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही;

(ङ) क्या पाकिस्तान 26/11 के हमले के आरोपियों का प्रत्यर्पण करने के भारत सरकार के अनुरोध को मानने के लिए तैयार हैं;

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(छ) क्या मौजूदा कानूनों के अनुसार 26/11 के हमले के संबंध में भारत और पाकिस्तान में एक ही अपराध के लिए एक साथ दो मुकदमे चलाए जा सकते हैं; और

(ज) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरूदास कामत) : (क) से (घ) पाकिस्तान सरकार द्वारा मुम्बई आतंकी हमले के मामले के संबंध में 12 डोजियर भेजे गए हैं। इन डोजियरों में, अन्य बातों के साथ-साथ, एफ आई ए, इस्लामाबाद द्वारा दर्ज एफ आई आर की प्रति, उनकी जांच-पड़ताल का संक्षिप्त विवरण, की गई गिरफ्तारियों के ब्यौरे, घोषित अपराधियों की सूची और पाकिस्तान सरकार द्वारा दायर किए गए आरोप-पत्र की प्रति शामिल हैं और ये सभी मुम्बई आतंकी हमले के मामले से संबंधित हैं। भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान सरकार को कुल 12 डोजियर दिए गए हैं जिनमें से 6 डोजियरों में मुम्बई आतंकी हमले के मामले में पाकिस्तानी राष्ट्रिकों की संलिप्तता और पाकिस्तान की भूमि का प्रयोग करने के बारे में साक्ष्य हैं। इन डोजियरों में मुम्बई आतंकी हमले में वांछित पाकिस्तानी आतंकवादियों की सूची एवं ब्यौरे, पाकिस्तान में शरण लेने वाले भारतीय भगोड़ों और हूजी के इलियास कश्मीरी से संबंधित डोजियर भी शामिल है। शेष 6 डोजियर मुम्बई आतंकी हमले के संबंध में पाकिस्तान सरकार से किए गए विशेष अनुरोध के प्रत्युत्तर में हैं।

(ङ) और (च) चूंकि भारत और पाकिस्तान में न्यायिक कार्यवाहियां चल रही हैं, अतः इस संबंध में इस समय कोई निश्चित निष्कर्ष निकालना मुश्किल होगा।

(छ) और (ज) एक ही अपराध के लिए दो समवर्ती विचारण भारत में नहीं हो सकते हैं। तथापि, एक सम्प्रभु देश होने के नाते पाकिस्तान के स्वयं अपने दाण्डिक एवं प्रक्रियात्मक कानून हैं, इसलिए वह अपने उन नागरिकों के विरुद्ध अभियोजन चला सकता है जो ऐसे किसी अपराध में अभियुक्त हैं जो दूसरे देश में हुआ है। भारतीय दण्ड संहिता और दण्ड प्रक्रिया संहिता में इस अतिरिक्त क्षेत्रीय अधिकारिता की भी परिकल्पना की गई है।

काचर चीनी मिल का बंद होना

74. **श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काचर चीनी मिल गत बीस वर्षों से बंद पड़ी हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त चीनी मिल के बंद होने से कितने श्रमिक बेरोजगार हुए थे;

(घ) क्या सरकार का विचार उक्त मिल को फिर से चालू करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) से (ङ) असम सरकार ने सूचित किया है कि मिल का प्रचालन भारी संचित हानियों और पर्याप्त कच्चे माल की अनुपलब्धता के कारण बंद किया गया है। इसके बंद होने से 83 कामगार बेरोजगार हो गए हैं। मिल 27.04.2007 से बंद घोषित कर दी गई है और इसे फिर से चालू करने का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष नहीं है। केन्द्रीय सरकार को यह सूचना दी गई थी कि मिल 1990-91 से 1995-96 चीनी

मौसमों के दौरान और 1999-2000 चीनी मौसम से आगे नहीं चल रही थी और 1996-97 से 1998-99 चीनी मौसमों में यह कार्य कर रही थी।

कृषि संबंधी कार्य समूह

75. श्री एल. राजगोपाल :
श्री हर्ष वर्धन :
श्री अब्दुल रहमान :
श्री दिनेश चन्द्र यादव :
श्री कोडिकुन्नील सुरेश :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि उत्पादन के संबंध में किसी कार्य समूह का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्य समूह की संरचना और उसका उद्देश्य क्या है;

(ग) क्या उक्त कार्य समूह ने अपना प्रतिवेदन सरकार को सौंप दिया है;

(घ) यदि हां, तो की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने उन पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) मुख्यमंत्री, हरियाणा की अध्यक्षता में एक कार्य दल गठित किया गया था जिसमें पंजाब, पश्चिम बंगाल और बिहार के मुख्यमंत्री सदस्य के रूप में थे।

कार्य दल के विचारार्थ मुद्दा सतत कृषि वृद्धि के लिए दीर्घकालिक नीतियों सहित कृषि उत्पादन व उत्पादकता बढ़ाने के लिए उपायों पर विचार-विमर्श करना और उपायों की सिफारिश करना था। कार्यदल को आदानों अर्थात् बीजों, उर्वरकों, जल, ऊर्जा, ऋण, मशीनरी आदि से संबंधित विभिन्न मुद्दों की उपलब्धता और प्रबंधन पर विचार-विमर्श करने का कार्य भी सौंपा गया था। कार्य दल से उपज अंतरों को पूरा करने, फसल विशिष्ट रणनीतियां-दलहनों व तिलहनों पर विशेष संकेन्द्रण, बीजों, पोषक तत्वों, जल, ऊर्जा हेतु आदान डिलीवरी तंत्र को मजबूत करने, विस्तार प्रशासन को तेज बनाने, विपणन सुधार, भूमि और श्रम संबंधी मुद्दों का समाधान करने आदि के लिए रणनीतियों/कार्य योजनाओं का सुझाव देना भी अपेक्षित था।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) सिफारिशों और की गई अनुवर्ती कार्रवाई का ब्यौरा विवरण में दिया है।

विवरण

सिफारिशों और की गई कार्रवाई का ब्यौरा

क्रम सं.	उद्देश्य	रणनीतियां/कार्रवाई के अभिबल क्षेत्र/शुरू की गई अनुवर्ती कार्रवाई
1	2	3
1	क्षैतिज एवं उर्ध्वाधर उपज अंतरों को पूरा करना	- कम उत्पादकता दर्ज कर रहे राज्यों के लिए रणनीतियां - समय पर बुआई - उर्वरकों और मृदा सुधारकों के संतुलित उपयोग के लिए समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (आईएनआरएम) पर विशेष जोर - विशेषकर पूर्वी भारत में सिंचाई के लिए भू-जल के सतत उपयोग को बढ़ावा देना - विशेषकर पूर्वी भारत में फसलन गहनता बढ़ाना - परम्परागत प्रजनन प्रणाली विज्ञान को मजबूत करने के लिए ऐसी किस्में विकसित करके जो कीट, रोगों और प्रतिकूल

1	2	3
		मौसम स्थितियों का सामना कर सकें, वर्षासिंचित कृषि का विकास करना और जैव-प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना।
2	विशेषकर दलहनों और तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए रणनीतियां	- बीज प्रतिस्थापन दरों में सुधार लाना - अंतर्फसलन को बढ़ावा देना - चावल की परती भूमियों में खेती को बढ़ावा देना - ग्रीष्म मूंग को बढ़ावा देना।
3	बीजों, पोषक तत्वों, जल, ऋण, ऊर्जा आदि के लिए आदान डिलीवरी तंत्र को मजबूत बनाना	- आदान डिलीवरी तंत्र में सुधार लाना - जल उपयोग कुशलता, उच्च बीज प्रतिस्थापन दर, कुशल व जरूरत आधारित उर्वरक उपयोग, जैव ऊर्जा और जैव उर्वरकों के उपयोग आदि पर जोर दिया जाना - संकर बीजों के उत्पादन को बढ़ावा देना - सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) को प्रोत्साहित करना - राज्य बीज निगमों का पुनरुद्धार करना - समुचित कीटनाशक/जैव-कीटनाशक गुणवत्ता नियंत्रण व्यवस्था सृजित करना - फरो सिंचाई, मल्चिंग, ड्रिल व स्प्रिंकलर सिंचाई आदि जैसी नई सिंचाई प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना तथा स्वःस्थाने जल संरक्षण को बढ़ावा देना - ऋण के न्यायसंगत प्रवाह के लिए पूरे राज्यों में संस्थागत विकास को बढ़ावा देना - कृषि क्षेत्र के लिए समर्पित ऊर्जा उपलब्धता हेतु सम्भरकों को पृथक करना तथा सौर ऊर्जा, बायो मॉस व वायु शक्ति के उपयोग को प्रोत्साहित करना। - आधुनिक आईसीटी औजारों और तकनीकों (एसएमएस, पंचायत ई-सर्विसेज, एफएम रेडियो, आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि) का उपयोग करके किसानों को दैनिक स्थितियों के साथ मण्डी सूचना मुहैया कराना - महत्वपूर्ण खाद्य फसलों व पशुधन के लिए बीमा कवरेज मुहैया कराना
4	विस्तार प्रणाली को तेज करना	- विस्तार सेवाओं को किसानों तक पहुंचाने में और अधिक प्रभावी व कुशल बनाना - किसानों को कस्टम हायर सर्विसेज उपलब्ध कराने के लिए एग्री-क्लीनिकों की एक प्रणाली तथा प्रौद्योगिकी एजेंटों का कैडर बनाना - केवीके और विस्तार निदेशालयों में रिक्तियों को भरना

1	2	3
5	विपणन एवं ऋण सुधार	- किसानों को प्रोत्साहन के रूप में महत्वपूर्ण फसलों के लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करना - किसानों को मण्डियों तथा ऋण संस्थाओं से जोड़ना - ग्रामीण मंडियों और भंडारण प्रणाली के लिए अवसंरचना तैयार करना - मण्डी अवसंरचना का विकास करने के लिए निजी क्षेत्र के निवेश लाना।
6	भूमि और श्रम संबंधी मुद्दों का समाधान किया जाना	- उत्पादन और उत्पादकता में पिछड़ रहे राज्यों में भूमि सुधार प्रक्रिया तेज करना - सबसे अधिक व्यस्तता के मौसम (पीक सीजन) के दौरान श्रम उपलब्धता सुनिश्चित करना - फार्म यंत्रीकरण पर जोर देना - कस्टम हायरिंग के अधीन किसानों को मशीनरी खरीद, रखरखाव और मुहैया कराने के लिए स्वावलंबी समूहों द्वारा कृषि व्यवसाय केन्द्रों की स्थापना को प्रोत्साहित करना - औजारों, उपस्करों, मशीनरी व उपकरणों के आयात को उदार बनाना - छोटे और सीमांत किसानों के लिए फार्म पर और फार्म के बाहर दोनों पर रोजगार सृजित करने के लिए समेकित खेती प्रणालियां विकसित करना - भूमि पट्टा और ठेका कृषि को सरल बनाना।

शुष्क भूमि खेती

76. **श्री हरीश चौधरी :**
श्री एस. अलागिरी :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के कुल बुवाई क्षेत्र में शुष्क भूमि और वर्षा सिंचित क्षेत्र का कुल क्षेत्र और प्रतिशत हिस्सेदारी क्या है; और

(ख) देश के उक्त क्षेत्रों में कृषि विकास के लिए किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव) : (क) देश में 140.86 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र में से निवल बोए गए क्षेत्र का लगभग 56 प्रतिशत शुष्क भूमि और वर्षासिंचित क्षेत्र है।

(ख) वर्षासिंचित/शुष्क भूमि खेती को बढ़ावा देन के लिए कृषि मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा समेकित पनधारा प्रबंधन दृष्टिकोण के माध्यम से विभिन्न पनधारा कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं। कृषि मंत्रालय के सभी प्रमुख कार्यक्रमों में वर्षासिंचित/शुष्क क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया जाता है। कार्यक्रमों का ब्यौरा इस प्रकार है :

(क) पनधारा कार्यक्रम

(i) कृषि मंत्रालय

1 वर्षासिंचित क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना (एनडब्ल्यूडीपीआरए)

2 नदी घाटी परियोजना और बाढ़ प्रवण नदी के आवाह क्षेत्रों में मृदा संरक्षण (आरवीपी एण्ड एफपीआर)

3 झूम खेती क्षेत्रों में पनधारा विकास परियोजना (डब्ल्यूडीपीएससीए)

(ii) ग्रामीण विकास मंत्रालय

समेकित पनधारा प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी)

(ख) अन्य मुख्य कार्यक्रम

1 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)

2 बृहत कृषि प्रबंधन (एमएमए)

3 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम)

4 राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम)

5 सूक्ष्म सिंचाई (एमआई)

6 समेकित तिलहन, दहलन, आयलपाम और मक्का स्कीम (आइसोपाम)

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा अखिल भारतीय शुष्क भूमि कृषि समन्वित अनुसंधान परियोजना (एआईसीआरपीडीए) के अधीन भी शुष्क भूमि कृषि पर अनुसंधान परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

[हिन्दी]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का संवर्धन

77. **श्रीमती सुमित्रा महाजन :**
श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार :
श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे :
श्री नृपेन्द्र नाथ राय :
श्री नरहरि महतो :
श्री मनोहर तिरकी :
श्री यशवंत लागुरी :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का संवर्धन करने की सुविधाओं की आवश्यकता और उपलब्धता का मूल्यांकन करने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) मध्य प्रदेश सहित देश में गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान स्वीकृत/स्थापित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों और इसके लिए आबंटन का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान बंद हुए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या ऐसे उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(च) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में पुनरुद्धार किए गए उद्योगों की राज्य-वार संख्या क्या है; और

(छ) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में किए गए/किए जाने वाले निवेश का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने देश में खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं की अनुमानित आवश्यकता तथा राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में ऐसी सुविधाओं की उपलब्धता के बारे में कोई सर्वेक्षण नहीं कराया है।

(ग) स्थापित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की संख्या संबंधी आंकड़े मंत्रालय द्वारा नहीं रखे जाते हैं। मंत्रालय अपने कार्यक्रम के अंतर्गत आवेदन करने वालों को सहायता अनुदान प्रदान करता है। गत तीन वर्षों के दौरान देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण स्कीम के अंतर्गत जिन यूनिटों को सहायता दी गई है और जिन्हें सहायता प्राप्त हुई है उनका ब्यौरा मध्य प्रदेश की यूनिटों समेत संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) देश में खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों को बंद करने संबंधी आंकड़े मंत्रालय द्वारा केंद्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

(ङ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रोत्साहन एवं विकास हेतु विभिन्न स्कीमें चला रहा है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय वित्तीय सहायता एवं अन्य प्रोत्साहन उपायों हेतु अपनी विभिन्न स्कीमों के माध्यम से प्रसंस्करण सुविधाओं समेत जिनका लक्ष्य बरबादी को कम करना, मूल्यवृद्धि करना तथा शेल्फ लाइफ को बढ़ाना है, खाद्य संबंधी अवसंरचना के सृजन को सुगम बनाना है।

(च) देश में पुनरोज्जीवित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों संबंधी आंकड़े मंत्रालय द्वारा नहीं रखे जाते हैं।

(छ) मंत्रालय 11वीं योजना अवधि में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में किए गए कुल निवेश/संभावित निवेश संबंधी आंकड़े नहीं रखता है क्योंकि निवेश विभिन्न मंत्रालयों द्वारा अपनी स्कीमों, राज्य सरकारों, वित्तीय संस्थानों और निजी क्षेत्र द्वारा किया जाता है। जहां तक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का संबंध है 11वीं योजना के अंतिम 4 वर्षों में विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत 1132.00 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है।

विवरण

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10 और 2010-11 के दौरान राज्यवार अनुमोदित और वित्तीय सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या

राज्य का नाम	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11	
	अनुमोदित	जारी की गई राशि	अनुमोदित	जारी की गई राशि	अनुमोदित	जारी की गई राशि	अनुमोदित	जारी की गई राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	43	947.49	48	908.999	41	677.05	27	288.915
अंडमान एवं निकोबार	0	0	0	0	0	0	0	0
अरुणाचल प्रदेश	0	0	1	17.67	3	376.14	0	0
असम	12	442.17	8	176.79	22	418.74	11	247.54
बिहार	5	83.915	2	42.3	2	35.59	6	102.11
चंडीगढ़	6	138.08	0	0	0	0	0	0
छत्तीसगढ़	0	0	10	163.725	4	45.46	26	228.495
दिल्ली	0	0	7	160.65	2	50	1	16.3
गोवा	1	17.00	1	24.57	1	24.26	2	40.6
गुजरात	32	544.06	39	714.81	42	665.18	54	1092.716
हरियाणा	19	418.72	23	349.415	11	134.96	11	255.78
हिमाचल प्रदेश	12	325.09	5	152.745	10	269.58	7	175.34
जम्मू और कश्मीर	9	109.855	3	22.05	7	59.73	4	48.59
झारखंड	2	9.09	0	0	3	44.09	4	84.00
कर्नाटक	34	529.62	35	629.895	24	269.55	20	435.74
केरल	47	876.8	32	545.37	33	567.53	16	241.69
मध्य प्रदेश	10	172.32	14	201.87	18	273.03	14	207.185

1	2	3	4	5	6	7	8	9
महाराष्ट्र	95	1696.805	121	1802.633	113	1717.3	61	902.965
मणिपुर	3	61.74	3	45.51	6	163.75	0	0
मेघालय	1	8.19	2	159.57	2	123.02	2	66.62
मिजोरम	0	0	0	0	1	11	0	0
नागालैंड	1	27.485	4	178.205	1	64.99	0	0
उड़ीसा	6	129.41	2	38.68	6	84.4	10	213.28
पांडिचेरी	2	31.3	0	0	0	0	0	0
पंजाब	32	481.45	61	841.36	13	172.37	16	271.49
राजस्थान	35	566.075	44	551.975	27	325.46	48	643.939
सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0
तमिलनाडु	53	951.79	36	594.355	41	672.11	26	405.94
त्रिपुरा	2	39.98	1	13.86	0	0	0	0
उत्तर प्रदेश	63	1123.425	43	875.475	32	560.63	46	894.33
उत्तराखंड	9	339.78	6	163.15	12	307.57	9	191.3
पश्चिम बंगाल	35	653.56	19	390.135	10	136.48	8	155.76
कुल	569	10725.2	579	9765.767	487	8249.97	429	7210.625

आठवीं अनुसूची में भाषाओं को शामिल किया जाना

78. **श्री अर्जुन राम मेघवाल :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से संविधान की आठवीं अनुसूची में और भाषाओं को शामिल किए जाने के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो राजस्थानी सहित राज्य-वार और भाषा-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी भाषाओं को कब तक संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की संभावना है साथ ही इसे शामिल किए जाने में विलंब के क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरुदास कामत) : (क) से (ग) भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में और अधिक भाषाओं को शामिल करने हेतु वस्तुपरक मानदण्डों का एक सैट तैयार करने के लिए श्री सीताकान्त मोहापात्र की अध्यक्षता में वर्ष 2003 में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट वर्ष 2004 में प्रस्तुत की। इस समिति की रिपोर्ट केन्द्र सरकार के संबंधित विभागों के परामर्श से विचाराधीन है। आठवीं अनुसूची में और अधिक भाषाओं को शामिल किए जाने संबंधी मांगों पर विचार के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

[अनुवाद]

आतंकवादियों को वित्त पोषण

79. **श्री पी. करुणाकरन :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आतंकवादियों के कई संगठन सक्रिय हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे आतंकवादी संगठनों को अंतर्राष्ट्रीय गिरोहों सहित विदेशों से धन प्राप्त हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने वित्त पोषण के ऐसे स्रोतों को बंद करने और देश में आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरूदास कामत) : (क) से (घ) धारा 35 के तहत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (यू ए पी ए) की अनुसूची में उन 35 प्रविष्टियों/संघों की सूची है जिन्हें आतंकवादी संगठनों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ये संगठन, अंतर राज्य/राज्य के अंदर/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करते हैं जो उनके क्रियाकलापों के क्षेत्र पर निर्भर करता है। ऐसे संगठनों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। इसके अलावा, यू ए पी ए की ध ारा 3 के तहत 9 संगठनों को विधिविरुद्ध संघ के रूप में अधिसूचित भी किया गया है। इनमें से कुछ संगठन, आतंकवादी संगठन हैं। उपर्युक्त संगठनों के अतिरिक्त, आतंकवादी/उग्रवादी क्रियाकलापों में अपनी संलिप्तता के कारण कुछ अन्य संगठन भी सरकार की जानकारी में आए हैं।

उपलब्ध सूचना के अनुसार भारत में सक्रिय कुछ उग्रवादी/आतंकवादी, हवाला के माध्यम से विदेश से धन प्राप्त करते हैं और बैकिंग चैनलों से उस धन को अंतरित करते हैं। तथापि, अभी तक कोई अंतर्राष्ट्रीय गिरोह जानकारी में नहीं आया है।

(ङ) केन्द्रीय आसूचना/सुरक्षा एजेंसियों, राज्यों की अपनी समकक्ष एजेंसियों के साथ मिल कर कार्य करती हैं जिसके परिणामस्वरूप अन्य बातों के साथ-साथ कई ऐसे व्यक्ति गिरफ्तार किए गए जो आतंकवाद के लिए धन देने/वित्त पोषण करने में संलिप्त थे। विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 में वर्ष 2008 में संशोधन किया गया है ताकि आतंकवाद को रोकने के लिए दंडात्मक उपबंधों को सुदृढ़ बनाया जा सके जिसमें आतंकवाद की वित्तीय सहायता करने से रोकने के उपबंधों को सुदृढ़ बनाया जाना शामिल है। कालेधन का वैधीकरण निवारण अधिनियम में संशोधन किया गया था और वर्ष 2009 में अधिसूचित किया गया था तथा संशोधित उपबंधों में अन्य बातों के साथ-साथ यू.ए.पी.ए. के अपराधों के साथ-साथ कतिपय अन्य आई पी सी अपराधों को काले-धन का वैधीकरण निवारण अधिनियम के तहत अनुसूचित अपराधों में शामिल किया गया है।

विवरण

विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 के अंतर्गत आतंकवादी संगठनों की सूची

1 बब्बर खालसा इन्टरनेशनल

2 खालिस्तान कमाण्डो फोर्स

3 खालिस्तान जिन्दाबाद फोर्स

4 इन्टरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन

5 लश्कर-ए-तैयबा/पास्बान-ए-अहले हदीस

6 जैश-ए-मोहम्मद/तहरीक-ए-फरकान

7 हरकत-उल-मुजाहिद्दीन/हरकत-उल-अंसार/हरकत-उल-जेहाद-ए-इस्लामी

8 हिज्ब-उल-मुजाहिद्दीन/हिज्ब-उल-मुजाहिद्दीन पीर पंजाबल रेजिमेंट

9 अल-उमर-मुजाहिद्दीन

10 जम्मू एवं कश्मीर इस्लामिक फ्रंट

11 यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा)

12 नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैण्ड (एन डी एफ बी)

13 पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पी एल ए)

14 यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यू एन एल एफ)

15 पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कंगलेइपाक (प्रीपाक)

16 कंगलेइपाक कम्यूनिस्ट पार्टी (के सी पी)

17 कंगलेइ याओल कंबा लूप (के वाइ के एल)

18 मणिपुर पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट (एम पी एल एफ)

19 ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स

20 नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा

21 लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम (एल टी टी ई)

22 स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया

23 दीनदार अंजुमन

24 कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) पीपुल्स वार, इसकी समस्त शाखाएं एवं अग्रणी संगठन

25 माओवादी कम्युनिस्ट सेन्टर (एम सी सी), इसकी समस्त शाखाएं एवं अग्रणी संगठन

26 अल बदर

27 जमायत-उल-मुजाहिद्दीन

28 अल-कायदा

29 दुखतरन-ए-मिलात (डी ई एम)

30 तमिलनाडु लिबरेशन आर्मी (टी एन एल ए)

31 तमिल नेशनल रिट्रीवल ट्रुप्स (टी एन आर टी)

32 अखिल भारत नेपाली एकता समाज (एम बी एन ई एस)

33 यूनाइटेड नेशन्स (सिक्यूरिटी कौंसिल) एक्ट, 1947, (1947 का 43) की धारा 2 तथा समय-समय पर किए गए संशोधन के अंतर्गत बनाए गए यू.एन. प्रीवेंशन एण्ड सप्रेशन ऑफ टेररिज्म (इंप्लिमेंटेशन ऑफ सिक्युरिटी कौंसिल रिजोल्यूशन्स) आर्डर, 2007 की अनुसूची में सूचीबद्ध संगठन

34 कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया (माओवादी), इसकी समस्त शाखाएं तथा अग्रणी संगठन

35 इण्डियन मुजाहिद्दीन और इसकी समस्त शाखाएं तथा अग्रणी संगठन

शीतागार श्रृंखला सुविधाएं

80. **श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार :**

श्री मनोहर तिरकी :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में शीतागार श्रृंखला सुविधाएं और बैकवर्ड लिंकेजों की स्थापना को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में अपर्याप्त अवसंरचना कृषि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के मार्ग में एक बड़ी बाधा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) से (घ) जी हां। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय वित्तीय सहायता और अन्य संवर्धनात्मक उपायों के लिए अपनी विभिन्न स्कीमों के जरिए, प्रसंस्करण सुविधाओं समेत फसलोत्तर अवसंरचना के सृजन में सहायता करता है जिसका उद्देश्य बरबादी में कमी लाना, मूल्यवृद्धि करना और शेल्फ लाइफ को बढ़ाना है। देश में शीत श्रृंखला सुविधाओं की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार अनेक योजना स्कीमें चला रही है जिनके अंतर्गत शीतागार/शीत श्रृंखला सुविधाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय शीत श्रृंखला बुनियादी ढांचा विकास के लिए सरकारी/निजी संगठनों से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों को वित्तीय सहायता देने के लिए 11वीं योजना के दौरान शीत श्रृंखला, मूल्यवृद्धि और परिरक्षण बुनियादी ढांचा विकास संबंधी एक योजना स्कीम चला रहा है। इस स्कीम में संयंत्र और मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की सामान्य क्षेत्रों में कुल लागत के 50% की दर पर और पूर्वोत्तर के राज्यों और दुर्गम क्षेत्रों में 75% की दर पर परन्तु अधिकतम 10.00 करोड़ रुपए की सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता देने की परिकल्पना की गई है। इन पहलों का लक्ष्य आपूर्ति श्रृंखला में अन्तर को दूर करना, शीत श्रृंखला अवसंरचना को मजबूत करना, अवसंरचनात्मक सुविधाओं जैसे छंटाई, ग्रेडिंग, पैकेजिंग तथा जैविक उत्पाद, समुद्री उत्पाद, डेयरी, पॉल्ट्री आदि समेत बागवानी के लिए मूल्यवृद्धि का सृजन करना है। सरकार की अन्य एजेंसियां जैसे राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी), कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (अपीडा), राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) और राज्य सरकार भी अपनी संबंधित स्कीमों के अंतर्गत शीतागार के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है।

अवसंरचना की कमी से कृषि उपज की बरबादी होती है और इससे देश के कृषि खाद्य प्रसंस्करण के विकास में भी बाधा आती है। 11वीं योजना में मंत्रालय ने मजबूत बैकवर्ड एवं फॉरवर्ड लिंकेजों के साथ पूर्व में पहचाने गए क्लस्टर आधार पर देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए अत्याधुनिक अवसंरचना उपलब्ध कराने की

दृष्टि से तथा मांग आधारित पॉल्ट्री, मांस, डेयरी, मात्स्यिकी आदि समेत कृषि वस्तुओं को मूल्यवृद्धि उपलब्ध कराने के लिए मेगा खाद्य पार्क स्थापित करने के लिए योजना स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। इस स्कीम में भूमि घटक को छोड़कर परियोजना लागत की सामान्य क्षेत्रों में 50% और दुर्गम क्षेत्रों में 75% तक परन्तु अधिकतम 50.00 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की परिकल्पना की गई है।

सरकार ने केंद्रीय बजट 2010-11 में बाजार से मार्केट पहल के हिस्से के रूप में कृषि एवं संबद्ध उपज, समुद्री उत्पादों तथा मांस के परिरक्षण या भण्डारण हेतु खेत स्तरीय प्री-कूलिंग समेत शीतागार या शीतकक्ष सुविधाओं के लिए बाहरी वाणिज्यिक उधारी की अनुमति तथा शीतागारों की स्थापना में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त सरकार ने कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों की उपजों के परिरक्षण या भण्डारण के लिए खेत प्री-कूलरों समेत शीतागारों, शीतकक्ष की प्रारंभिक स्थापना एवं विस्तार के लिए सेवा कर से पूरी छूट सहित 5% रियायती सीमा शुल्क की परियोजना आयात स्थिति तथा रेफ्रिजरेटिड वैनों अथवा ट्रकों के विनिर्माण हेतु अपेक्षित रेफ्रिजरेशन यूनिटों के लिए सीमा शुल्क से पूरी छूट की भी घोषणा की है।

किसानों द्वारा आत्महत्या के कारण

81. **श्री के.डी. देशमुख : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फसलों के बरबाद होने और भारी ऋण के कारण देश में किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो फसल बरबाद होने और अत्यधिक ऋण के कारण गत तीन वर्षों के दौरान देश में कितने किसानों ने आत्महत्या की है; और

(ग) सरकार ने किसानों के हित में फसलों को बरबाद होने से रोकने और कृषि को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव) : (क) और (ख) राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार तथा जैसा कि विभिन्न अध्ययनों द्वारा पुष्टि हुई है किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने के कई कारण हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ फसल नष्ट होना, ऋणग्रस्तता सूखा, सामाजिक-आर्थिक और व्यक्तिगत कारण शामिल हैं। यद्यपि फसलों की क्षति और ऋणग्रस्तता भी कारण है लेकिन किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने के वे ही कारण नहीं हैं।

राज्य सरकारों द्वारा यथा सूचित पिछले तीन वर्षों के दौरान कृषि संबंधी कारणों की वजह से किसानों द्वारा की गई आत्महत्याओं की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) फसल क्षति को रोकने के लिए कृषि मंत्रालय बीजों, पोषक तत्वों, पादप संरक्षण रसायनों, मशीनरी आदि जैसे आदानों की खरीद के लिए किसानों को विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित और केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों के अधीन सहायता मुहैया कराने के माध्यम से राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रयासों का अनुपूरण करता है। कीट/रोगों की मानिटरिंग, जैव नियंत्रण एजेंटों/जैव-कीटनाशकों से उत्पादन व निर्मुक्ति, जैव-नियंत्रण एजेंटों के संरक्षण तथा कृषक फील्ड स्कूलों के आयोजन द्वारा मानव संसाधन विकास के लिए समेकित कीट प्रबंधन (आईपीएम) पादप संरक्षण रणनीति का मुख्य आधार है।

सतत आधार पर कृषि को बढ़ावा देने तथा किसानों की स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार ने विभिन्न कदम उठाए हैं, जिनमें मुख्य बातों के साथ-साथ विभिन्न स्कीमों जैसे कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, वर्ष 2010-11 के दौरान वर्षासिंचित क्षेत्रों में 60,000 "दलहन एवं तिलहन ग्रामों" की स्कीम, पूर्वी भारत तक हरित क्रांति का विस्तार किए जाने हेतु स्कीम, पनधारा प्रबंधन एवं मृदा स्वास्थ्य आदि के माध्यम से कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश में महत्वपूर्ण वृद्धि शामिल है। पिछले पांच वर्षों के दौरान मुख्य अनाजों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में भारी वृद्धि की गई है।

भारत सरकार ने कृषि संबंधी विपत्ति की समस्या के समाधान के लिए शुरू में 3 वर्षों की अवधि के लिए चार राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र के 31 जिलों को कवर करते हुए वर्ष 2006 में 16978.69 करोड़ रुपए का एक पुनर्वास पैकेज अनुमोदित किया था। पैकेज के गैर-ऋण घटकों के कार्यान्वियन हेतु अवधि को और 2 वर्षों तक अर्थात् 30 सितम्बर 2011 तक बढ़ाया गया था। 3 लाख रुपए तक फसल ऋणों के समय पर पुनर्भुगतान हेतु वर्ष 2010-11 के लिए ब्याज छूट को भी 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 2 प्रतिशत कर दिया गया है। इस तरह से ऐसे किसानों, जो अपने फसल ऋण का पुनर्भुगतान समय पर करते हैं, के लिए ब्याज की प्रभावी दर 5 प्रतिशत वार्षिक होगी।

सरकार ने कृषि ऋण माफी एवं ऋण राहत स्कीम, 2008 भी कार्यान्वित की है जिसमें अनंतिम आंकड़ों के अनुसार 65,318.33 करोड़ रुपए की अनुमानित धनराशि से लगभग 3.69 करोड़ किसान लाभान्वित हुए हैं।

विवरण

राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 2008 से 2010 के दौरान कृषि संबंधी कारणों से किसानों द्वारा आत्महत्या की संख्या दर्शाने वाली सारणी -

क्रम सं.	राज्य का नाम	अवधि रिपोर्ट की तारीख	आत्महत्याओं की संख्या
1	2	3	4
1	आंध्र प्रदेश	2008	439
		2009	248
		2010 (19.11.2010)	18 (अक्तूबर, 2010 तक)
2	कर्नाटक	2008-09	156
		2009-10	128
		2010-11 (13.01.2011)	22 (30.10.2010 तक)
3	महाराष्ट्र	2008	627
		2009	503
		2010 (10.11.2010)	234 (31.08.2010)
4	केरल	2008	22
		2009	03
		2010 (25.11.2010)	शून्य
5	पंजाब	2008	12
		2009	15
		2010 (20.09.2010)	04 (जुलाई 2010 तक)
6	तमिलनाडु	10.10.2010	शून्य
7	गुजरात	25.11.2010	शून्य
8	असम	15.12.2010	शून्य
9	अरुणाचल प्रदेश	28.09.2010	शून्य
10	बिहार	03.12.2010	शून्य
11	छत्तीसगढ़	06.01.2011	शून्य
12	गोवा	22.11.2010	शून्य
13	हरियाणा	19.11.2010	शून्य
14	हिमाचल प्रदेश	25.11.2010	शून्य
15	जम्मू व कश्मीर	24.12.2010	शून्य
16	झारखंड	18.06.2010	शून्य

1	2	3	4
17	मणिपुर	02.12.2010	शून्य
18	मेघालय	05.08.2010	शून्य
19	मध्य प्रदेश	19.08.2010	शून्य
20	मिजोरम	07.10.2010	शून्य
21	नागालैंड	18.08.2010	शून्य
22	उड़ीसा	25.11.2010	शून्य
23	राजस्थान	23.11.2010	शून्य
24	सिक्किम	16.10.2010	शून्य
25	त्रिपुरा	14.12.2010	शून्य
26	उत्तर प्रदेश	30.08.2010	शून्य
27	उत्तराखंड	03.12.2010	शून्य
28	पश्चिम बंगाल	13.12.2010	शून्य
29	अं.नि.द्वी.स.	14.01.2010	शून्य
30	रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार	25.11.2010	शून्य
31	दमन एव दीव	19.11.2010	शून्य
32	दादरा व नागर हवेली	15.12.2010	शून्य
33	लक्षद्वीप	04.12.2010	शून्य
34	पुडुचेरी	24.03.2010	शून्य
35	चंडीगढ़	29.11.2010	शून्य

[हिन्दी]

फार्म हाउसों की स्थिति

82. **श्री यशवंत लागुरी :**
श्री गोरख प्रसाद जायसवाल :
क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में आज की तिथि के अनुसार फार्म हाउसों की क्या स्थिति है;

(ख) क्या ऐसे परिसरों में निर्माण कार्यों की अनुमति है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन कार्यों की अनुमति प्रदान करने/रोक लगाने संबंधी संगत प्रावधान क्या हैं;

(घ) क्या दिल्ली नगर निगम और दिल्ली विकास प्राधिकरण ऐसे प्रावधानों को लागू करने में विफल रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और सराकर ने इस संबंध में उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है और उसके क्या परिणाम रहे हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) दिल्ली मास्टर प्लान (एमपीडी)-2021 के प्रावधानों के अनुसार फार्म हाऊस "हरित क्षेत्र" में एक अनुमेय कार्यकलाप है। एमपीडी-2021 में यह भी व्यवस्था है कि "क्षेत्रीय पार्क" में दिनांक 1.8.1990 से पहले के स्वीकृत अनुमोदित फार्म हाऊस जारी रह सकते हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। एमपीडी-2021 के प्रावधानों के अनुसार फार्म हाऊसों में अनुमेय कार्यकलापों में फार्म हाउस, देखभाल एवं वार्ड आवास (20 वर्ग मीटर तक) शामिल हैं। फार्म हाऊस के लिए निम्नलिखित विकास नियंत्रण है।

	भूखण्ड क्षेत्र	
	1 हेक्टेयर एवं उससे अधिक लेकिन 2.0 हेक्टेयर से कम	2.0 हेक्टेयर एवं उससे अधिक
अधिकतम फर्शी क्षेत्र	100 वर्ग मी.	150 वर्ग मी.
अधिकतम ऊंचाई	6 मी. (एक मंजिल)	6 मी. (एक मंजिल)

फार्म हाऊसों के लिए अन्य नियंत्रण

i. रिहायशी मकान में सेट बैक संपत्ति के किसी चाहरदीवारी सीमा से 15 मी. दूर होनी चाहिए।

ii. जहां संपत्ति शहरी सड़क से लगा हुआ वहां रिहायशी आवास भवन उस सड़के के मध्य रेखा से 60 मी. तक सेट बैक होना चाहिए। जहां संपत्ति गांव की सड़क से लगा हुआ हो वहां भवन उस सड़क के मध्य रेखा से 30 मी. स्थित होना चाहिए।

iii कोई भी रिहायशी इकाई किसी राष्ट्रीय राजमार्ग के मार्गाधिकार 400 मी. तक नहीं बननी चाहिए।

(घ) और (ङ) इस संबंध में स्थानीय निकाय/एजेंसियां कानून के संगत प्रावधानों के अनुसार समय-समय पर अनधिकृत निर्माण हटाने के लिए कार्रवाई करती हैं। अपने क्षेत्र में आने वाले फार्म हाऊसों के संबंध में सर्वेक्षण कराने के बाद दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने कई फार्म हाऊसों के संबंध में दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई शुरू की थी जहां उल्लंघन पाए गए थे। डीडीए के क्षेत्राधिकार में आने वाले फार्म हाऊसों के लिए एक सर्वेक्षण में सीलिंग-सह-डेमोलिशन सहित कार्रवाई करने के आदेश दिए गए थे जहां दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के संगत प्रावधानों के अंतर्गत उल्लंघन पाए गए थे। दिनांक 1 जनवरी, 2006 की स्थिति के अनुसार स्वीकार्य भवन सीमा से अधिक निर्माण वाले मौजूदा फार्म हाऊसों के संबंध में दण्डात्मक कार्रवाई दिनांक 4.7.2007 को घोषित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानूनी (विशेष प्रावधान) अध्यादेश एवं इसके पश्चात, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) द्वितीय अधिनियम, 2009 सहित जो कि 31.12.2010 तक प्रभावी था। इसी प्रकार के विधानों के प्रावधानों के आलोक में संभव नहीं था।

[अनुवाद]

सीमावर्ती राज्यों हेतु पृथक मंत्रालय

83. श्री दुष्यंत सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सीमावर्ती राज्यों से, सामरिक रूप से महत्वपूर्ण सीमावर्ती राज्यों के विकास हेतु एक पृथक मंत्रालय के गठन के अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सीमावर्ती राज्यों के विकास हेतु सरकार की कोई कार्य-योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जी, नहीं। गृह मंत्रालय के अधीन पहले से ही सीमा प्रबंधन विभाग मौजूद है।

(ग) से (ङ) केन्द्र सरकार सीमा प्रबंधन के संबंध में व्यापक नीति के एक भाग के रूप में राज्य सरकारों के माध्यम से एक सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी ए डी पी) का कार्यान्वयन करती आ रही है जिसका उद्देश्य अवसंरचना के विकास एवं सुधार के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों का संतुलित विकास करना और सीमावर्ती लोगों में सुरक्षा और खुशहाली की भावना का संवर्धन करना है। इस कार्यक्रम के 17 राज्यों (नामत: अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बंगाल) जिनकी पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय भू-सीमाएं लगती हैं, के 96 सीमावर्ती जिलों के 366 पहचान किए गए सीमावर्ती खण्डों (ब्लॉकों) में कार्यान्वित किया जाता है। बी ए डी पी के अंतर्गत सामाजिक अवसंरचना के सृजन, सम्पर्क सड़कों, रोजगार सृजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों इत्यादि जैसी सभी विकासात्मक गतिविधियां

शामिल हैं। राज्यों को ये निधियां व्यपगत न होने वाले शत प्रतिशत (100%) केन्द्रीय अनुदान के रूप में उपलब्ध करायी जाती हैं। चालू वित्तीय वर्ष के लिए बी ए डी पी के तहत वार्षिक योजनागत आबंटन 691 करोड़ रुपए है। राज्यों को निधियों का आंतरिक विभाजन योजना आयोग द्वारा अनुमोदित फार्मूले के आधार पर किया जा रहा है। बी ए डी पी प्रभावकारी निगरानी के लिए आवधिक समीक्षा और बैठकों का एक संस्थागत तंत्र विद्यमान है।

संपत्ति के मालिकों को राहत

84. **श्री इन्दर सिंह नामधारी : क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लंबे समय तक किराएदारी से पैदा होने वाले मुद्दों से संपत्ति के मालिकों को राहत देने हेतु प्रावधान करते हुए संसद द्वारा कोई अधिनियम लागू नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और उक्त अधिनियम को कब तक लागू किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार का विचार प्रभावित संपत्ति मालिकों को वैकल्पिक समाधान प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में किराया, मरम्मत और रखरखाव तथा परिसर से बेदखली आदि के विनियमन हेतु प्रावधान करने के लिए दिल्ली किराया अधिनियम, 1995 अधिनियमित किया गया था। यह उस तारीख को प्रभावी होगा जो केन्द्र सरकार सरकारी गजट में अधिसूचित किए जाने हेतु निर्धारित करे। अधिनियम, 1995 को अधिनियमित करने के तुरंत बाद अधिसूचना जारी नहीं की जा सकी क्योंकि मुख्यत: मानित (डीम्ड) किराया, किरायेदारी पंजीकरण, किरायेदारी उत्तरधिकारिता, किराए में बढ़ोत्तरी और किराएदार की बेदखली संबंधित प्रावधानों के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। यह निर्णय लिया गया कि संशोधनों के पश्चात अधिनियम को प्रवृत्त किया जाए। राज्य सभा में 20.7.1997 को प्रस्तुत संशोधित विधेयक संसद की स्थायी समिति को अग्रेषित कर दिया गया। स्थायी समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए संशोधित विधेयक के औपचारिक संशोधन राज्य सभा में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। इसलिए इस चरण में स्पष्ट समय सीमा का उल्लेख नहीं किया जा सकता।

(ग) और (घ) जी नहीं।

खेलों में निजी क्षेत्र की भागीदारी

85. **श्री डी.वी. सदानन्द गौडा : क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में खेल अवसंरचना के विकास और प्रबंधन के लिए निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) निजी क्षेत्र को इस संबंध में किस प्रकार की सहायता दिए जाने की संभावना है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) ऐसी कोई नीति तैयार नहीं की गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

मेटोफ्लुथ्रिन का पंजीकरण

86. **श्री एम.के. राघवन : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ कंपनियों ने देश में मेटोफ्लुथ्रिन का कीटनाशक के रूप में पंजीकरण करने हेतु आवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) केन्द्रीय कीटनाशक बोर्ड ने उक्त पंजीकरण प्रक्रिया के लिए क्या मानदण्ड अपनाया है;

(घ) क्या मानव स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी पर इसके प्रभाव के संबंध में कोई परीक्षण किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव) : (क) और (ख) जी, हां। पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान केवल एक कंपनी अर्थात मैसर्स समीटोमो कैमिकल इण्डिया प्रा. लि. ने ही कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 9(3) के अधीन (i) मेटाफ्लुथ्रिन टैक्नीकल के आयात के लिए (ii) मेटोफ्लुथ्रिन 5% ईसी के स्वदेशी

विनिर्माण के लिए और (iii) मेटोफ्लुथ्रिन 0.005% मास्क्यूटो कॉयल के स्वदेशी विनिर्माण के लिए पंजीकरण की मंजूरी हेतु आवेदन किया है। पंजीकरण समिति ने मामले के समीक्षा के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) को भेजने का निर्णय लिया है।

(ग) कीटनाशी अधिनियम, 1968 और उसके अधीन बनाए गए नियमों की धारा 5 के अधीन गठित पंजीकरण समिति, विभिन्न मापदंडों जैसे कि कैमिस्ट्री, बायो-एफिकेसी, पैकेजिंग और प्रसंस्करण तथा मानव, पशुओं की सुरक्षा के लिए विषाक्ता और उससे संबंधित मामलों संबंधी पंजीकरण समिति के दिशानिर्देशों के अनुसार आवेदनों की जांच के पश्चात कीटनाशकों का पंजीकरण मंजूर करती है।

(घ) और (ङ) जी, हां। स्वास्थ्य मानिटरिंग अध्ययन पर आवेदक द्वारा आयोजित किए जाने वाले प्रयोगों के लिए पंजीकरण समिति ने प्रोटोकाल अनुमोदित किया है। आवेदक ने मानव वालंटियर्स पर स्वास्थ्य मानिटरिंग अध्ययन के आंकड़े प्रस्तुत किए। जांच के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला गया कि पारिवारिक भागीदारों को जब प्रयोग स्थिति के तहत मेटोफ्लुथ्रिन 0.005% मास्क्यूटो कॉयल के प्रभाव क्षेत्र में रखा गया तो उन्होंने कोई क्लीनिकल, आफ्तालमोलोजिकल, हीमाटो-लोजिकल, बायोकेमिकल परिवर्तनों या यूरिन पैरामीटरों में परिवर्तन प्रस्तुत नहीं किए और यह कि उन्होंने किसी पता लग सकने वाले स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के बिना कॉयल प्रति सहिष्णुता प्रदर्शित की।

राष्ट्रीय कल्याण निधि (एनडब्ल्यूएफ) के उद्देश्य

87. **श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा :** क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कल्याण निधि (एनडब्ल्यूएफ) का खिलाड़ियों संबंधी नीति हेतु क्या प्रयोजन है;

(ख) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उक्त नीति के अंतर्गत कितनी निधियों का आबंटन किया गया है/निधियां जारी की गई हैं और कितना व्यय किया गया है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान इस नीति से लाभान्वित हुए खिलाड़ियों की खेल स्पर्धा-वार और राज्य-वार संख्या कितनी है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) खिलाड़ी योजना के लिए राष्ट्रीय कल्याण निधि (एनडब्ल्यूएफ) के उद्देश्य निम्न प्रकार हैं :-

(i) अब विपन्न स्थिति में जीवन यापन कर रहे उत्कृष्ट खिलाड़ियों को उपयुक्त सहायता प्रदान करना;

(ii) प्रतियोगिताओं के लिए प्रशिक्षण अवधि तथा प्रतियोगिताओं के दौरान चोट के स्वरूप के आधार पर चोटिल उत्कृष्ट खिलाड़ियों को उपायुक्त सहायता प्रदान करना;

(iii) जिन उत्कृष्ट खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में देश को गौरव दिलाया है और जो कठिन प्रशिक्षण या अन्य कारणवश अपंग हो गये हैं उन्हें उपयुक्त सहायता प्रदान करना तथा चिकित्सा के लिए उन्हें सहायता प्रदान करना;

(iv) आमतौर पर खिलाड़ियों तथा उनके आश्रितों को जो विपन्न या कष्टदायक स्थिति में हैं उनके कल्याण के लिए निधि के धन को संचालित और प्रदान करना;

(v) सक्रिय खिलाड़ियों के लिए व्यक्तिगत रूप से या समूह के रूप में सामूहिक रूप से निधि के धन को संचालित और प्रदान करना;

(vi) उदीयमान खिलाड़ियों को खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के उनके प्रयासों में उन्हें नकद या अन्य (खेल उपस्कर किट आदि) के रूप में सहायता प्रदान कर प्रोत्साहित करना;

(vii) उपर्युक्त उद्देश्यों से जुड़ी बातों को भी करना;

(ख) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण निधि (एनडब्ल्यूएफ) को वर्षवार बजटीय आबंटन तथा निर्गत निधियों के ब्यौरे नीचे तालिका में दिये गए हैं।

(लाख रु.)

वर्ष	किया गया बजटीय आबंटन	एनडब्ल्यूएफ को निर्गत निधि	निधि से लाभार्थियों को दी गई सहायता
2007-08	5.00	0.00	11.40
2008-09	5.00	5.00	45.61
2009-10	100.00	100.00	48.07
2010-11	100.00	100.00	52.41 31.1.2011 तक

(ग) राष्ट्रीय कल्याण निधि से जिन खिलाड़ियों/संस्थानों को विगत तीन वर्षों के दौरान सहायता प्रदान की गई उनकी संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्रम सं.	वर्ष	जितने खिलाड़ियों/संस्थानों को निधि से सहायता प्रदान की गई उनकी सं.	राज्य/खेल विधा का ब्यौरा
1	2	3	4
1	2008	32	आंध्र प्रदेश-1
			फुटबाल-1
			दिल्ली-1
			कुश्ती-1
			केरल-6
			फुटबाल-4
			जिम्नास्टिक-1
			भारोत्तोलन-1
			कर्नाटक-4
			कैरम-1
			एथलेटिक-1
			फुटबाल-1
			जिम्नास्टिक-1
			मध्य प्रदेश-1
			वालीबाल-1
			महाराष्ट्र-1
			खो-खो-1
			उड़ीसा-3
			कुश्ती-1
			क्रिकेट-1
			फुटबाल-1
			पंजाब-3
			साइक्लिंग-1
			कबड्डी-1
			एथलेटिक-1
			पश्चिम
			बंगाल-12
			वाटरपोलो-2
			फुटबाल-5
			साइक्लिंग-2
			कुश्ती-2
			तैराकी-1
2	2009	15	आंध्र प्रदेश-1
			फुटबाल-1
			झारखंड-1
			फुटबाल-1
			महाराष्ट्र-3
			हॉकी-1
			फुटबाल-2
			पंजाब-1
			एथलेटिक-1
			कर्नाटक-5
			फुटबाल-4
			मुक्केबाजी-1
			दिल्ली-2

1	2	3	4
			फुटबाल-1
			एथलेटिक-1
			पश्चिम बंगाल-2
			लंबीकूद-1
			एथलेटिक-1
3	2010	12	जम्मू व कश्मीर-2
			आइस-हाकी-2
			हिमाचल प्रदेश-1
			एथलेटिक-1
			हरियाणा-1
			पोल वाल्टर-1
			महाराष्ट्र-2
			कुश्ती-2
			केरल-2
			फुटबाल-1
			वालीबाल-1
			उत्तर प्रदेश-1
			शतरंज-1
			दिल्ली-1
			फुटबाल-1
			पश्चिम बंगाल-2
			फुटबाल-1
			कुश्ती-1
4	2011	2	केरल-1
			कुश्ती-1
			दिल्ली-1
			फुटबाल-1

सांस्कृतिक केंद्र

88. **श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण : क्या संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश के अंदर और विदेशों में कार्य कर रहे सांस्कृतिक केन्द्रों के माध्यम से गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष की गई गतिविधियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) कला और संस्कृति के प्रोत्साहन और विकास की दिशा में क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं;

(ग) क्या सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए सांस्कृतिक स्रोत और प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की है; और

(घ) यदि हां, तो उनके कार्यों और उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है और उनकी क्या उपलब्धियां रही हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कृषि क्षेत्र पर व्यय

89. **शेख सैदुल हक : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कृषि क्षेत्र पर गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य-वार कुल कितनी धनराशि व्यय की गई है; और

(ख) देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का कुल कितना प्रतिशत है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राजीव आवास योजना

90. **श्री संजय दिना पाटील :**
डॉ. संजीव गणेश नाईक :
श्री पी. विश्वनाथन :

क्या आवास और **शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजीव आवास योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ख) देश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आवास उपलब्ध कराने में यह किस प्रकार सहायक होगा; और

(ग) राजीव आवास योजना के कार्यान्वियन की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इस योजना के अंतर्गत राज्य-वार कितने परिवार लाभान्वित हुए हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) और (ख) आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने राजीव आवास योजना का प्रस्ताव 10 फरवरी, 2011 को आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया है। इस स्कीम का उद्देश्य स्लमों के पुनर्विकास हेतु आश्रय एवं बुनियादी नागरिक एवं सामाजिक सेवाओं हेतु सहायता प्रदान करना एवं उन राज्यों के लिए किफायती आवासों का निर्माण करना है जो स्लम-वासियों को सम्पत्ति का अधिकार प्रदान करने के इच्छुक हैं। इस स्कीम में उन क्षेत्रों में उचित सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल अपनाए जाने की परिकल्पना की गयी है जहां व्यवहारिक हो।

(ग) यह स्कीम अभी शुरू नहीं की गई है।

शत्रु संपत्ति

91. **श्री मानिक टैगोर :**

श्री ए. गणेशमूर्ति :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में शत्रु संपत्ति की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों की मिलीभगत से बहुत कम धनराशि में कुछ शत्रु संपत्तियों की बिक्री की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे कुल कितने मामलों की जानकारी मिली है तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और और वर्तमान वर्ष के दौरान आरोपियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) सरकार ने भविष्य में ऐसे मामलों पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरूदास कामत) : (क) कुल = 3329 - आंध्र प्रदेश (25), असम (17), अंडमान (01), बिहार (41), छत्तीसगढ़ (01), दिल्ली (67), दीव (01), गोवा (122), गुजरात (53), हरियाणा (02), झारखंड (03), कर्नाटक (15), केरल (26), मध्य प्रदेश (28), महाराष्ट्र (25), मेघालय (17), राजस्थान (14), तमिलनाडु (07), त्रिपुरा (01), उत्तर प्रदेश (2462), उत्तरांचल (15), पश्चिम बंगाल (386)।

(ख) और (ग) यह सूचना दी गई थी कि चर्च मिशन रोड, फतेहपुरी, दिल्ली में 7 शत्रु सम्पत्तियां संख्या 177 एवं 183-188 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य सरकार के अधिकारियों की मिलीभगत से 5,00,000/-रु. में धोखे से बेच दी गई है। शत्रु सम्पत्ति कार्यालय के अभिरक्षक ने दिल्ली में ए डी एम (सेंट्रल)/शत्रु सम्पत्ति के उप अभिरक्षक से जांच रिपोर्ट मंगाई है।

इस मामले में एक केस वाद सं. 29/1980 (एक्स नं. 116/2006) जिया-उ-द्दीन बनाम पीर अब्दुल मजीद एवं अन्य के तहत सिविल जज, दिल्ली के कोर्ट में दायर किया गया था जिसमें भारत के शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक के खिलाफ निर्णय दिया गया था और यह कहा था कि उक्त सम्पत्तियां शत्रु सम्पत्तियां नहीं है। अभिरक्षक ने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, दिल्ली के कोर्ट में अपील सं. 70/2010 के तहत उक्त निर्णय के खिलाफ अपील दायर की है।

(घ) भारत के शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक ने दिनांक 12.12.2009 के पत्र के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से निम्नलिखित कार्रवाई करने का अनुरोध किया था :

(i) उक्त सम्पत्तियों के संबंध में कोई रजिस्ट्री/दाखिल-खारिज अथवा होना अन्तरण अथवा जनरल पावर ऑफ एटॉर्नी आदि नहीं होनी चाहिए।

(ii) "भारत के शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक" का नाम समस्त राजस्व रिकार्डों/सम्पत्ति रिकार्डों नगरपालिका रिकार्डों इत्यादि में दर्ज किया जाना चाहिए।

(iii) भारत संघ के हित में कोई भी अन्य उपयुक्त कार्रवाई, जो उचित समझी जाए।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने निम्नलिखित कार्रवाई करने के लिए दिनांक 14.01.2010 को आदेश पारित किया :

(i) शत्रु सम्पत्ति के रूप में घोषित सम्पत्तियों के संबंध में कोई रजिस्ट्री/दाखिल-खारिज नहीं किया जाएगा।

(ii) शत्रु सम्पत्ति के संबंध में हस्तांतरण लिखत और/अथवा स्वामित्व के अन्तरण अथवा किसी तरह के हित के सृजन अथवा परिवर्तन को पंजीकृत नहीं किया जाएगा।

(iii) "भारत के शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक" का नाम शत्रु सम्पत्तियों से संबंधित समस्त राजस्व/सम्पत्ति रिकार्डों में दर्ज किया जाएगा।

(iv) इन निर्देशों के गैर-अनुपालन को गंभीरता से लिया जाएगा।

केन्द्र सरकार ने भी दिनांक 24.02.2010 को भारत में शत्रु सम्पत्तियों के संरक्षण/प्रबंधन के संबंध में समस्त राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है।

खाद्यान्नों की आवश्यकता

92. **श्री ए. सम्पत : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली और सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही अन्य कल्याण योजनाओं के लिए चावल और गेहूं की पिछले तीन वर्षों के दौरान वार्षिक आवश्यकता कितनी थी;

(ख) उक्त अवधि के दौरान केन्द्रीय पूल में चावल और गेहूं का कितना भंडार था; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान ऐसी योजनाओं के लिए आयातित चावल और गेहूं का मूल्य, प्रमात्रा तथा किस्म का ब्यौरा क्या है तथा इस पर कितनी धनराशि व्यय की गई?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) सरकार ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वितरण करने के लिए 2007-2008 में 438.23 लाख टन, 2008-09 में 429.17 लाख टन और 2009-10 में 518.14 लाख टन चावल और गेहूं आबंटित किया है।

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) का निम्नानुसार स्टाक रहा है :-

(लाख टन में)

निम्न तारीख को	वर्ष के दौरान स्टाक स्थिति		
	2007-08	2008-09	2009-2010
पहली अप्रैल	178.75	196.38	350.33
पहली जुलाई	239.03	361.61	525.38
पहली अक्तूबर	156.10	298.88	438.06
पहली जनवरी	191.87	357.88	474.45

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा केन्द्रीय पूल के स्टाक के लिए चावल का आयात नहीं किया गया है। सरकार द्वारा 2007-08 के दौरान 14,755.32 रुपए प्रति टन के भारित औसत मूल्य पर केन्द्रीय पूल के स्टाक के लिए 17.69 लाख टन गेहूं आयात किया गया है। केन्द्रीय पूल के लिए 2008-09 और 2009-10 के दौरान गेहूं का कोई आयात नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

आईओसी द्वारा निदेश

93. **श्री ए.टी. नाना पाटील :**
श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी :
क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ (आईओसी) ने देश के खेल संघों से संबंधित नियमों के बारे में अवरोध को दूर करने के लिए निदेश दिए हैं

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार/खेल संघों द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या आईओसी ने अपने संविधान में संशोधन करने का भी निदेश दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में आईओसी ने अभी तक क्या कार्रवाई की है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (घ) जी नहीं। तथापि चूंकि आईओए की संरचना आईओसी चार्टर में निर्धारित कुछ अपेक्षाओं के अनुसार नहीं है, इसमें इलेक्ट्रोरल कालेज की संरचना भी शामिल है, आईओए ने आईओसी के निर्देश पर अपने संविधान के संशोधन की प्रक्रिया आरंभ की है। आईओए ने सरकार को सूचित किया है कि अपेक्षित संशोधनों को उनकी सामान्य सभा ने अनुमोदित कर दिया है और संशोधित संविधान आईओसी के अनुमोदन के लिए भेजा गया है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अवैध निर्माण

94. **प्रो. रंजन प्रसाद यादव : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध निर्माण की अनेक रिपोर्टें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान ऐसे कितने मामले दर्ज किए गए और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई;

(ग) क्या सरकार को दिल्ली पुलिस और नगर निगम (एमसीडी) के अधिकारियों द्वारा ऐसे मामलों का पंजीकरण न किए जाने के संबंध में कोई शिकायतें मिली हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान आरोपित अधिकारियों के खिलाफ पृथक-वार क्या कार्रवाई की गई; और

(ङ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आगे और अवैध निर्माण को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान दिल्ली छावनी बोर्ड (डीसीबी) द्वारा किए गए अवैध निर्माणों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

वर्ष	सूचित किए गए मामलों की संख्या
2007-08	06
2008-09	13
2009-10	87
2010-11	46

बोर्ड, छावनी अधिनियम, 2006 और सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के उपबंध के तहत ऐसे निर्माणों के विरुद्ध कार्रवाई करता है।

जहां तक नई दिल्ली नगर पालिका परिषद का संबंध है छोटी मोटी मरम्मत/नवोन्मेष, शेड, छोटे कमरे, शौचालय आदि को छोड़कर किसी बड़े अवैध निर्माण की सूचना नहीं मिली है।

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान परिषद द्वारा बुक किए गए ऐसे मामलों की संख्या नीचे दी गई है :-

वर्ष	सूचित किए गए मामलों की संख्या
2008	157
2009	137
2010	101
2011	10

ऐसे मामलों में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद अधिनियम 1994 के संगत उपबंधों के तहत परिषद द्वारा कार्रवाई की जाती है।

जहां तक दिल्ली नगर निगम का संबंध है, विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आंचलिक कार्यालयों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार अपराधिकृतिक/अवैध निर्माण के कारण 10416 संपत्तियां बुक की गई थीं। इनमें से 5399 संपत्तियों के विरुद्ध गिराये जाने और सील किए जाने की कार्रवाई की गई है। वर्षवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

वर्ष	बुक की गई संपत्तियों की संख्या	उन संपत्तियों की संख्या जिनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है।
2008	2039	1256
2009	3979	1522
2010	4153	2402
2011	245	219
	10416	5399

अवैध निर्माण करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मामलों और गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों का वर्षवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के उपबंधों के तहत

	वर्ष			
	2008	2009	2010	2011 (31.1.2011 तक)
सूचित किए गए मामले	16	21	41	-
गिरफ्तार किए गए व्यक्ति	16	25	49	-

कानूनों के अन्य उपबंधों के तहत

	वर्ष			
	2008	2009	2010	2011 (31.1.2011 तक)
सूचित किए गए मामलें	03	23	92	-
गिरफ्तार किए गए व्यक्ति	07	24	87	-

(ग) और (घ) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि वर्ष 2008, 2009, 2010 और 2011 (31.01.2011 तक) के दौरान इसके अधिकारियों द्वारा अवैध निर्माण के मामलों को दर्ज न किए जाने के संबंध में उसे ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। दिल्ली नगर निगम (एम सी डी) ने सूचित किया है कि उसे 2008-2011 की अवधि के दौरान अवैध निर्माण के संबंध में 7562 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। आरोपों की गंभीरता के आधार पर एम सी डी के सर्तकता विभाग द्वारा 299 शिकायतों की जांच पड़ताल की गई है। इस अवधि के दौरान एम सी डी ने 428 अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की। तथापि, एम सी डी के सतर्कता विभाग द्वारा अवैध निर्माण की रिपोर्टों को दर्ज न करने के बारे में किसी शिकायत की जांच पड़ताल नहीं की गई है।

(ङ) अवैध निर्माण रोकने के लिए नागरिक प्राधिकारियों द्वारा निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :-

दिल्ली छावनी बोर्ड

फील्ड स्टाफ को निर्देश दिए गए हैं कि वे किसी अवैध निर्माण को रोकने के लिए क्षेत्र में कड़ी सतर्कता बरतें।

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद

इसके क्षेत्र को अवैध निर्माण के विरुद्ध फील्ड अधिकारियों द्वारा करीबी नजर रखने के लिए चार अंचलों में विभाजित किया गया है। एन डी एम सी क्षेत्र में अवैध निर्माण के विरुद्ध शिकायत, एन डी एम सी के नियंत्रण कक्ष या एन डी एम सी की वैबसाइट के माध्यम से चौबीसों घंटे दर्ज की जा सकती है।

दिल्ली नगर निगम

अप्रधिकृत/अवैध निर्माण पर दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाती है। अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खतरे के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए आंचलिक उपायुक्त और आंचलिक इंजीनियरों को समय-समय पर निर्देश भी जारी किए जाते हैं। इसके अलावा, अप्रधिकृत/अवैध निर्माणों के विरुद्ध कार्रवाई पर नजर रखने के लिए नोडल स्क्रीनिंग समिति का गठन किया गया है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का विकास

95. **श्री अर्जुन चरण सेठी : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रोत्साहन और विकास के लिए कौन-कौन सी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं;

(ख) क्या सरकार देश में खाद्य संबंधी अवसंरचना के सृजन को सुकर बनाने के लिए कोई प्रोत्साहन विशेषकर वित्तीय सहायता और अन्य प्रोत्साहन संबंधी उपाय उपलब्ध कराती है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ओडिशा राज्य के विशेष संदर्भ सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ऐसे उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई इस प्रकार की सहायता प्राप्त करने से वंचित रहने वाले खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) ओडिशा राज्य में वित्तीय सहायता प्राप्त करने से वंचित रहने वाले खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव) : (क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के प्रोत्साहन और विकास के लिए विभिन्न योजना स्कीमों अर्थात् (i) प्रमुख घटकों अर्थात मेगा फूड पार्क, शीत श्रृंखला, मूल्यवृद्धि परिरक्षण अवसंरचना एवं बूचड़खानों का आधुनिकीकरण (ii) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण स्कीम (iii) गुणता आश्वासन, कोडेक्स मानक और अनुसंधान एवं विकास स्कीम (iv) मानव संसाधन विकास स्कीम (v) संस्थान सुदृढ़ीकरण स्कीम, और (vi) स्ट्रीट फूड गुणवत्ता उन्नयन स्कीम का कार्यान्वियन कर रहा है।

(ख) और (ग) अवसंरचना विकास स्कीम के अंतर्गत अवसंरचना से संबंधित खाद्य प्रसंस्करण के सृजन को सुगम बनाने के लिए, सरकर ने मेगा खाद्य पार्क, शीत श्रृंखला, मूल्यवृद्धि तथा परिरक्षण अवसंरचना और बूचड़खानों के आधुनिकीकरण संबंधी स्कीम अनुमोदित की है। गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा समेत विभिन्न राज्यों को इन घटकों के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण स्कीम के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को वित्तीय सहायता ई-पोर्टल अनुरोध और आवश्यक कागजात प्रस्तुत करने पर जारी की जाती है। मंत्रालय ने ओडिशा के किसी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को वित्तीय सहायता से वंचित नहीं किया है, परन्तु बजटीय बाध्यता के कारण दावे भुगतान हेतु लंबित पड़े हैं।

विवरण

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2007-08, 2008-09 और 2009-10 और चालू वर्ष के दौरान मेगा खाद्य पार्क, शीत श्रृंखला और बूचड़खानों के लिए विभिन्न राज्यों में उपलब्ध कराई गई राज्य-वार वित्तीय सहायता

खाद्य पार्क और मेगा खाद्य पार्क 2008-09 के दौरान व्यय

क्रम सं.	खाद्य पार्क/मेगा खाद्य पार्क का नाम	राशि (करोड़ रु.)
1	मैसर्स केरल इंडस्ट्रियल इन्फ्रा डेवलपमेंट कारपोरेशन, अडूर, केरल	0.97
2	मैसर्स कुनाल इंटरनेशनल लिमिटेड, उत्तर प्रदेश	1.00
3	मैसर्स अक्षय फूड पार्क लिमिटेड, हिरीयूर, कर्नाटक	1.00
4	मैसर्स मणिपुर फूड इंडस्ट्रीज कारपोरेशन, मणिपुर	0.40
5	मैसर्स स्रीनी मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड, आंध्र प्रदेश	5.00
6	मैसर्स झारखण्ड मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड, झारखण्ड	5.00
7	मैसर्स पातंजलि फूड एंड हर्बल पार्क लिमिटेड, उत्तराखण्ड	5.00
8	मैसर्स नॉर्थ-ईस्ट मेगा फूड पार्क लिमिटेड, असम	4.46
	कुल	22.83

खाद्य पार्क और मेगा खाद्य पार्क 2009-10 के दौरान व्यय

क्रम सं.	खाद्य पार्क/मेगा खाद्य पार्क का नाम	राशि (करोड़ रु.)
1	मैसर्स स्रीनी मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड, आंध्र प्रदेश	10.00
2	मैसर्स जांगीपुर बंगाल मेगा फूड पार्क, पश्चिम बंगाल	5.00
3	मैसर्स नॉर्थ-ईस्ट मेगा फूड पार्क लिमिटेड, असम	0.54
4	मैसर्स एल एंड एफएस (प्रोफेशनल फीस)	2.95
	कुल	18.49

खाद्य पार्क और मेगा खाद्य पार्क 2010-11 के दौरान व्यय

क्रम सं.	खाद्य पार्क/मेगा खाद्य पार्क का नाम	राशि (करोड़ रु.)
1	मैसर्स पातंजलि फूड एंड हर्बल पार्क लिमिटेड, उत्तराखण्ड	10.000
2	मैसर्स तमिलनाडु मेगा फूड पार्क लिमिटेड, तमिलनाडु	5.000
3	मैसर्स स्रीनी मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड, आंध्र प्रदेश	15.000
4	मैसर्स पातंजलि फूड एंड हर्बल पार्क लिमिटेड, उत्तराखण्ड	15.000
5	मैसर्स नॉर्थ-ईस्ट मेगा फूड पार्क लिमिटेड, असम	10.000
6	मैसर्स अक्षय फूड पार्क लिमिटेड, हिरीयूर, कर्नाटक	1.000
7	मैसर्स उड़ीसा इंडस्ट्रियल इन्फ्रा डेवलपमेंट कारपोरेशन, उड़ीसा (खुर्दा-एफपी)	1.000
8	मैसर्स त्रिपुरा इंडस्ट्रियल इन्फ्रा डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, बोधजंग नगर (नार्थ ईस्ट)	1.000
9	मानेरी में फूड पार्क, मध्य प्रदेश	1.000
	कुल	59.000

क्रम सं.	स्थान/राज्य	कार्यान्वियन एजेंसी	परियोजना लागत	सहायता अनुदान की अनुमोदित राशि	2008-09 (जारी की गई अनुदान राशि)	2009-10 (जारी की गई अनुदान राशि)	2010-11 (जारी की गई अनुदान राशि)	निजी निवेश समेत किया गया कुल व्यय
1	उप्पल इंडस्ट्रियल एरिया हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	मैसर्स क्रीमलाइन डेयरी प्रोडक्ट लिमिटेड	23.86	9.75	2.44	4.88	0.00	21.77
2	रामजनपुर, बेगुसराय, बिहार	मैसर्स गंगा डेयरी लिमिटेड	22.60	10.00	0.00	2.50	5.00	11.21
3	276 ब्लाक, पोस्ट ऑफिस बालेश्वर, रिलीफ होटल के सामने एनएचः 08, पालसाना-394317, सूरत गुजरात	मैसर्स हाईटेक फ्रोजन फैसिलीटीज प्रा. लि.	16.83	7.19	0.00	5.39	1.80	18.56
4	राय फूड पार्क, सोनीपत, हरियाणा	मैसर्स सूरी एग्रो फ्रेश प्रा. लि.	23.52	9.84	0.00	7.39	2.46	25.24
5	हासन, दोबासपेट (बंगलौर रूरल) और बेल्जियम ऑफ कर्नाटक	मैसर्स अथर्वास ट्रेडर्स प्रा. लि.	28.61	10.00	0.00	2.50	0.00	4.49
6	ताल्लुक डीनडोरी, जिला नाशिक, महाराष्ट्र	मैसर्स फ्रेशट्रॉप फ्रूट्स लिमिटेड	32.75	10.00	0.00	7.50	0.00	33.27
7	ई-446, चोपान्की इंडस्ट्रियल एरिया, भिवाडी के पास, जिला अलवर, राजस्थान	मैसर्स झुन्संस कैमिकल्स प्रा. लि	17.73	7.33	1.83	3.66	0.00	15.41
8	थेनी, तमिलनाडु और होसूर, कृष्णागिरी, तमिलनाडु	मैसर्स फार्म फ्रेश बनाना	15.54	6.057	1.51	3.02	1.527	16.54
9	पी.ओ.एन. आश्रम, रामगढ़, जिला नैनीताल, उत्तराखंड	मैसर्स बायो लाइफ फूड्स प्रा. लि.	17.71	9.81	2.45	4.92	0.00	8.27
10	दुर्गापुर, गांव, पी.ओ. भस्तारा, पीएस गुराप, धानीखली, जिला हुगली, पश्चिम बंगाल	मैसर्स एस्कॉन एग्रो प्रोडक्ट्स एक्सपोर्टस एंड बिल्डर्स प्रा. लि.	21.27	6.96	0.00	1.74	3.48	13.97
	कुल	220.42		86.937	8.23	43.50	14.267	168.73

अब तक जारी किया गया कुल अनुदान : 65.997

बूचड़खानों का आधुनिकीकरण

क्रम सं.	निष्पादनकर्ता का नाम	राज्य	कुल परियोजना लागत (लाख रुपए)	स्वीकृत की गई कुल राशि (लाख रुपए)	संवितरित कुल राशि (लाख रुपए) वर्ष 2008-09 के दौरान	संवितरित कुल राशि (लाख रुपए) वर्ष 2009-10 के दौरान	संवितरित कुल राशि (लाख रुपए) वर्ष 2010-11 के दौरान	संवितरित कुल राशि (लाख रुपए) आज तक
1	कोलकाता नगर निगम	पश्चिम बंगाल	2845	1287.34	128.73	-	-	128.73
2	दीमापुर नगर परिषद	नागालैंड	2288	1437.50	143.50	431.25	575.00	1150.00
3	जम्मू नगर निगम	जम्मू एवं कश्मीर	2300	1500.00	150.00	-	-	150.00
4	ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम	आंध्र प्रदेश	3284	1478.98	147.90	-	-	147.90
5	नगर निगम शिमला	हिमाचल प्रदेश	1966	1142.00	114.20	-	-	114.20
6	नगर निगम, पटना	बिहार	2638	1097.21	109.72	-	-	109.72
7	ए एच वी निदेशालय, शिलांग	मेघालय	2643	1500.00	-	150.00	-	150.00
8	जम्मू एवं कश्मीर शीप एंड शीप प्रोडक्टस डेवलपमेंट बोर्ड, श्रीनगर	जम्मू एवं कश्मीर	2800	1410.00	-	141.00	-	141.00
9	अहमदनगर गोट फेडरेशन कॉपरेटिव लिमिटेड	महाराष्ट्र	2352	851.02	-	85.10	595.72	680.82
10	नगर निगम रांची	झारखण्ड	1867	864.595		79.00	7.46	86.46
	कुल		24983	12568.65	794.30	886.35	1,178.18	2858.83

हाउसिंग सोसाइटियों को भूमि

96. **श्री रघुवीर सिंह मीणा : क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली भू-संपत्ति प्रोत्साहन, प्रबंधन और विनियमन विधेयक, 2009 को लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है और इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार का विचार दिल्ली में पंजीकृत कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों को समयबद्ध रूप से भूमि आबंटन करने का है;

(घ) यदि हां, तो सोसाइटी-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) किन-किन कॉऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों को मार्च 2011 तक भूमि आबंटित किए जाने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) और (ख) प्रारूप विधेयक तैयार कर लिया गया है और अन्तर-मंत्रालयी परामर्श कर लिया गया है। इसमें अंतर्ग्रस्त प्रशासनिक और कानूनी मुद्दों को देखते हुए इस चरण में प्रस्तावित विधेयक प्रस्तुत करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

(ग) से (ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने सूचित किया है कि पंजीयक, सहकारी समितियों (आरसीएस) द्वारा पूर्व में स्वीकृत सभी प्रतीक्षारत 135 समितियों को पुन: सत्यापन हेतु 27.9. 2004 को आरसीएस को अग्रेषित कर दिया गया था। डीडीए ने यह भी सूचित किया है कि समिति की पंजीकरण वरिष्ठता के आधार और भूमि की उपलब्धता की शर्त पर आरसीएस से भूमि के आबंटन हेतु स्वीकृति/सिफारिश की प्राप्ति के पश्चात ही आगे की कार्रवाई की जा सकती है।

तेजाब से हमले

97. **श्री राजय्या सिरिसिल्ला : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में महिलाओं और बालिकाओं पर तेजाब से हमले होने संबंधी अनेक मामलों की जानकारी मिली है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कुल कितने मामलों की जानकारी मिली है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान महिलाओं/बालिकाओं/बच्चों सहित राज्य-वार कुल कितने व्यक्ति मारे गए/घायल हुए;

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार कुल कितने आरोपी व्यक्ति गिरफ्तार किए गए और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई;

(घ) क्या सरकार ने ऐसे पीड़ितों के चिकित्सा उपचार के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है;

(ङ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान राज्यवार कुल कितनी धनराशि प्रदान की गई;

(च) क्या सरकार का ऐसी स्थिति से निपटने के लिए अधिक प्रभावी कानून बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरूदास कामत) : (क) से (ग) तेजाब से हमले की घटनाओं की सूचना प्राप्त हुई है, परन्तु इस संबंध में राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एन सी आर बी) द्वारा केन्द्रीय स्तर पर अलग से जानकारी नहीं रखी जाती है। तथापि, वर्ष 2007-2009 के दौरान घायल, जिसमें पुरूष एवं महिलाएं शामिल हैं, के तहत दर्ज किए गए मामलों, आरोपपत्रित मामलों, दोषसिद्ध मामलों, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों, आरोपपत्रित व्यक्तियों तथा दोषसिद्ध व्यक्तियों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) से (छ) तेजाब से हमले के पीड़ितों को मुआवजे के संबंध में, दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2008 के माध्यम से दण्ड प्रक्रिया संहिता में एक नई धारा 357 क शामिल की गयी है, जिसमें अपराध के पीड़ितों को मुआवजा के लिए प्रावधान है। इसके अंतर्गत केन्द्र सरकार के सहयोग से राज्य सरकार द्वारा एक पीड़ित मुआवजा योजना तैयार किया जाना अपेक्षित है। बलात्कार कानून की समीक्षा से संबंधित मामले की जांच करने के लिए गृह सचिव की अध्यक्षता में गठित की गई उच्चाधिकार समिति ने "दाण्डिक कानून (संशोधन) विधेयक, 2011 के मसौदे में धारा 326क एवं 326 ख, तेजाब के हमले से घायल को शामिल करने की सिफारिश की है।"

विवरण

वर्ष 2007-2009 के दौरान घायल के तहत दर्ज किए गए मामले (सीआर), आरोपपत्रित मामले (सीएस), दोषसिद्ध मामले (सीवी), गिरफ्तार किए गए व्यक्ति (पीआर), आरोपपत्रित व्यक्ति (पीसीएस) तथा दोषसिद्ध व्यक्ति (पीसीवी)

		2007						2008						2009					
क्र.स.	राज्य	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	आन्ध्र प्रदेश	46122	44607	9683	68572	69664	16594	48167	45920	10144	69502	70279	13445	44488	41399	8345	65042	63710	13271
2	अरुणाचल प्रदेश	375	307	39	467	405	60	479	329	61	586	482	80	526	353	92	739	471	104
3	असम	5175	3461	669	6927	4828	700	6107	3611	252	6711	4645	636	6547	3931	446	9487	5421	717
4	बिहार	16288	14273	1095	37674	35223	1906	16644	13233	987	36301	33153	2031	14746	10424	972	26915	24882	2349
5	छत्तीसगढ़	6801	6377	1146	12060	11739	1777	8565	8257	1628	15048	14941	2167	9543	9288	1344	16261	16418	2149
6	गोवा	150	127	21	258	232	31	185	157	16	319	299	24	191	151	18	316	258	30
7	गुजरात	10989	10618	597	24009	24012	1329	10897	10657	578	22896	23372	1128	9456	9041	639	20253	20301	1049
8	हरियाणा	5031	4601	655	13249	12992	1550	4504	4194	826	11806	11980	1917	3977	3569	904	10220	10303	2049
9	हिमाचल प्रदेश	1318	1169	147	1957	1797	187	1258	1132	219	1893	1899	288	1230	1195	139	1919	1955	215
10	जम्मू और कश्मीर	374	333	10	655	656	11	273	225	15	466	467	26	331	323	34	727	727	50
11	झारखंड	3783	2843	486	7675	6922	938	2826	2506	451	6215	5614	1140	4132	3791	944	6023	6366	1584
12	कर्नाटक	18963	20612	549	30093	29408	1125	19159	18046	664	31532	29699	1199	20105	17993	424	30678	29462	933

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
13	केरल	18975	17531	1387	27307	26461	2190	19178	17276	1027	29646	29411	1821	18274	17485	1138	27732	27899	2026
14	मध्य प्रदेश	36643	35923	7585	71520	71548	17418	36344	35374	9791	73120	घ2694	21971	37132	37147	9815	84031	83816	19909
15	महाराष्ट्र	29622	26822	929	58127	54830	1686	29742	27924	982	58130	57164	1936	28326	26717	908	55593	53046	1576
16	मणिपुर	377	4	0	216	4	0	301	1	1	162	1	2	224	1	0	199	1	0
17	मेघालय	124	49	12	83	62	19	204	63	13	75	69	18	207	113	4	118	177	9
18	मिजोरम	85	69	25	79	89	63	118	98	94	152	130	127	120	140	91	151	217	197
19	नागालैंड	52	34	22	60	43	31	46	35	25	51	47	42	38	43	18	66	60	38
20	उड़ीसा	7478	6435	667	9690	9288	1396	7013	6629	346	10876	10906	1151	6816	5919	401	10308	10109	1227
21	पंजाब	5663	4330	481	10719	10966	1381	5597	4348	632	10140	10285	1744	5498	4149	688	10321	9597	1732
22	राजस्थान	19720	17829	7990	38146	38162	15466	21117	18892	7526	38706	38702	15659	21652	19256			6429	39019
23	सिक्किम	95	67	21	121	88	21	100	128	28	163	91	28	91	110	24	129	110	34
24	तमिलनाडु	16967	15092	8185	28555	27377	14735	20529	16494	7488	37222	33710	13116	18147	15814	4979	34011	33528	12922
25	त्रिपुरा	546	432	62	928	762	94	924	756	33	957	789	44	1047	934	37	2072	1162	59
26	उत्तर प्रदेश	10694	8050	3083	21087	18310	7627	11683	9290	3764	22706	20876	9371	10934	8841	3567	23735	21000	10474
27	उत्तराखंड	886	770	397	1460	1327	1011	937	717	271	910	855	696	1198	1019	297	1156	1182	330
28	पश्चिम बंगाल	6909	5740	369	8944	8726	550	9033	6675	596	10728	8667	370	11196	8089	325	10877	10108	394
	कुल राज्य	270205	248505	46312	480638	465921	89896	281930	252967	48458	497019	481227	92177	276172	247235	43022	488098	471301	91598
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	99	95	17	175	212	30	107	83	7	162	141	13	89	80	1	114	123	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
30	चंडीगढ़	78	41	15	116	79	37	73	48	20	121	82	38	63	44	11	101	88	24
31	दादरा और नगर हवेली	25	19	0	37	29	0	26	19	1	31	31	3	23	19	1	36	36	1
32	दमन और दीव	20	15	2	33	20	9	12	14	0	25	24	0	14	12	1	12	18	2
33	दिल्ली संघ शासित	1736	1477	418	2602	2380	538	1936	1866	445	3071	3132	893	1938	1773	465	3106	3337	798
34	लक्षद्वीप	0	0	0	0	1	0	12	0	0	11	0	0	14	10	0	73	1	0
35	पुदुचेरी	904	900	69	1616	1764	267	873	822	216	1697	1390	527	901	970	27	1825	2138	57
	कुल संघ शासित	2862	2547	521	4579	4485	881	3039	2852	689	5118	4800	1474	3042	2908	506	5267	5741	883
	कुल अखिल भारत	273067	251052	46833	485217	470406	90777	284969	255819	49147	502137	486027	93651	279214	250143	43528	493365	477042	92481

स्रोत: भारत में अपराध

टिप्पणी: पुलिस तथा न्यायालयों द्वारा निपटान की जानकारी में पूर्व वर्षों से लंबित मामलों की जानकारी भी शामिल है।

[हिन्दी]

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

98. **श्री तूफानी सरोज : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विश्व के अन्य देशों की तुलना में पिछड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेदश (एफडीआई) का प्रवाह कम है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) देश में समग्र खाद्य प्रसंस्करण स्तर लगभग 10% ही है जो अन्य तुलनात्मक देशों से बहुत कम है। कुछ क्षेत्रों में प्रसंस्करण स्तर जैसे दूध का 35% फल और सब्जी 2.2% और पॉल्ट्री 6% है।

(ख) मूल्य श्रृंखला के साथ खंडित आपूर्ति श्रृंखला और पर्याप्त प्रसंस्करण अवसंरचना के अभाव के कारण देश में प्रसंस्करण स्तर बहुत कम है जिसके कारण कृषि और बागवानी उपज की काफी मात्रा में बरबादी होती है। सरकार ने विजन डॉक्यूमेंट 2015 अपनाया है जिसमें खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की तीव्र वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए रणनीति सुझाई गई है। अपनाए गए विजन 2015 में शीघ्र सड़ने-गलने होने वाली वस्तुओं के प्रसंस्करण स्तर में वर्ष 2015 तक 20% बढ़ोतरी करने, मूल्यवृद्धि 35% और विश्व खाद्य व्यापार में भारत के हिस्से को 1.5% से बढ़ाकर 3% करने की व्यवस्था की गई है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वर्ष 2015 तक 1 लाख करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता हो सकती है। इसमें से, 10,000 करोड़ रुपये सरकार से प्राप्त होंगे। तदनुसार मंत्रालय ने इस क्षेत्र में अपेक्षित निवेश आकर्षित करने के लिए 11वीं योजना स्कीमें तैयार की हैं।

(ग) और (घ) खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर्याप्त उत्साहवर्धक है। वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान नवम्बर, 2010 तक भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के 5344.22 करोड़ रुपए के कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की तुलना में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अंतर्वाह की राशि 576.50 करोड़ रुपए है।

(ङ) मेगा फूड पार्क जैसी स्कीमों के माध्यम से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने के अलावा, सरकार ने वित्त वर्ष के दौरान खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए अनेक वित्तीय प्रोत्साहन भी दिए हैं जैसे

(i) मधुवाटिका, बागवानी, डेरी, पॉल्ट्री, जलीय और समुद्री उत्पाद और मांस के परिरक्षण और उनके प्रसंस्करण, भण्डारण अथवा परिवहन के लिए विशिष्ट उपकरणों को उत्पाद शुल्क से पूर्ण छूट दी गई है।

(ii) परिरक्षण अथवा भण्डारण हेतु शीतागार, शीत कक्ष (फार्म-प्री कूलरों सहित) या कृषि, मधुवाटिका, बागवानी, डेरी, पॉल्ट्री, जलीय और समुद्री उत्पादों और मांस के प्रसंस्करण हेतु औद्योगिक इकाई की प्रारंभिक स्थापना या पर्याप्त विस्तार को सीमाशुल्क के 5% रियायती दर के साथ परियोजना आयात स्थिति प्रदान की गई है।

(iii) प्रशीतित वैनों/ट्रकों का निर्माण करने वाली ट्रक प्रशीतन इकाइयों को मूल सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट दी गई है।

(iv) उत्थापन, प्रचालन अथवा अधिष्ठापन से संबंधित सेवाएं निम्नलिखित को उपलब्ध कराने के लिए सेवा कर से छूट दी गई है।

- मेकेनाइज्ड फूड ग्रेन हैंडलिंग सिस्टम आदि
- शीतागारों की स्थापना अथवा महत्वपूर्ण विस्तार के लिए उपकरण; और
- कृषि, डेयरी, पॉल्ट्री, जलीय, समुद्री अथवा मांस उत्पादों के प्रसंस्करण हेतु इकाइयों की प्रारंभिक स्थापना अथवा महत्वपूर्ण विस्तार के लिए मशीनरी/उपकरण।

सेवा कर की छूट के दायरे में फल, सब्जी, अण्डों और दूध के अतिरिक्त, खाद्यान्न और दालों को भी शामिल किया गया है।

[अनुवाद]

बागवानी को प्रोत्साहन

99. **श्री भक्त चरण दास : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में बागवानी को प्रोत्साहन देने के लिए क्षेत्रों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बागवानी के क्षेत्र में नवीनतम अनुसंधान कार्यक्रम चलाने और बागवानी अपनाने वाले किसानों को राजसहायता उपलब्ध कराने के लिए कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव) : (क) से (घ) जी, हां। कृषि एवं सहकारिता विभाग बागवानी फसलों के विकास के लिए क्षेत्र आधारित, क्षेत्र विशिष्ट समूह दृष्टिकोण अपना कर कृषि के समग्र विकास के लिए दो केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें अर्थात् (i) उत्तर-पूर्व और हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन (एचएमएनईएच) और (ii) शेष राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) कार्यान्वित कर रहा है। एनएचएम और एचएमएनईएच स्कीमों के अंतर्गत कवर किए गए जिलों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण I क और I ख में दिए गए हैं।

दोनों स्कीमों के अंतर्गत बागवानी विकास जैसे गुणवत्ताप्रद पौधरोपण सामग्री का उत्पादन, गुणवत्ता पद पौधरोपण सामग्री के बड़े पैमाने पर बहुलीकरण हेतु कलम ब्लॉकों की स्थापना, अधिक उपज देने वाली किस्मों के जरिए क्षेत्र कवरेज, अधिक उच्च घनत्व पौध रोपण और छतरी प्रबंधन, सब्जी बीज उत्पादन, पुराने और जराग्रस्त बागानों का सुधार/पुनःपौधरोपण, जल संसाधनों का सृजन, संरक्षित खेती, जैविक खेती, समेकित पोषक तत्व प्रबंधन/समेकित नाशकजीव प्रबंधन का संवर्धन, मधुमक्खी पालन के जरिए परागण सहायता, बागवानी यंत्रीकरण, प्रदर्शन के जरिए प्रौद्योगिकी प्रसार, मानव संसाधन विकास, किसानों के विगोपन दौरे, समेकित कटाई पश्चात प्रबंधन तथा विपणन अवसंरचना की स्थापना जैसे बागवानी विकास से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

बागवानी मे किए गए नवीनतम अनुसंधानों को किसानों को राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों तथा कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा प्रदर्शनों के जरिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों और प्रौद्योगिकी विस्तार के माध्यम से पहुंचाया जाता है।

पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा जनवरी 2011 तक वर्तमान वर्ष के दौरान एनएचएम और एचएमएनईएच के अंतर्गत दी गई वित्तीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II क और II ख में दिया गया है।

विवरण-I (क)

राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत कवर किए गए राज्यवार जिलों को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	राज्यों/संघ शा. क्षेत्रों के नाम (जिलों की कुल सं.)	जिलों के नाम	फसल का नाम
1	2	3	4
1	अं.नि.द्वी.स. (2)	उत्तरी अंडमान एवं मध्य अंडमान एवं दक्षिणी अंडमान (2)	आम, केला, मसाले और फूल
2	आंध्र प्रदेश (23)	आदिलाबाद, करीमनगर, मेडक, नैलोर, वारंगल, अनंतपुर, चित्तूर, कुड्डपा, गंटूर, खम्मम, कुरनूल, निजामाबाद, विशाखापट्टनम (पडेरू), पूर्वी गोदावरी (राम्पाछोडरम), पश्चिमी गोदावरी, मजबूब नगर, प्रकाशम, श्रीकाकुलम और रंगा रेड्डी (20)	आंवला, केला, आम, पपीता, पामग्रानेट, सापोटा, मीठा संतरा, काजू, मसाले और फूल
3	बिहार (38)	दरभंगा, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, जुमई, सहरसा, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, भागलपुर, बांका, मुंगेर, गया, नालंदा, पटना, बेगुसराय, मधुबनी, औरंगाबाद और रोहतास (23)	केला, अमरूद, लीची, आम, ओनला और बेल

1	2	3	4
4	छत्तीसगढ़ (16)	सरगुजा, रायगढ़, कोर्बा, बिलासपुर, कबीरधाम, दुर्ग, जगदलपुर, रायपुर, राजनन्दगांव, जसपुर और कोरिया (11)	आंवला, केला, अमरूद, साइट्रस कागजी लाईम लीची, आम, काजू सगुंधित पौधे, मसाले और फूल
5	दिल्ली (1)	दिल्ली (1)	आंवला, अमरूद और मस्क मेलन और फूल
6	गोवा (2)	उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा (2)	केला, पाईनएपल, काकुम नोनी आम, काली मिर्च, नटमेग, औषधीय पौधे, और सुगंधित पौधे, काजू और फूल
7	गुजरात (26)	अहमदाबाद, आनंद, बनासकांठा, भावनगर, खेड़ा, मेहसाणा, साबरकांठा, भरूच, वड़ोद्रा, कच्छ, अमरेली, जूनागढ़, नवसारी, सूरत और वलसाड़ (15)	आंवला, साइट्रस, डेट पाम, अमरूद, आम, पोमग्रेनेट, सापोटा, केला, पपीता, मसाले और फूल
8	हरियाणा (20)	भिवानी, फतेहाबाद, गुड़गांव, हिसार, जींद, महेन्द्रगढ़, मेवात, रोहतक, सिरसा, फरीदाबाद, झज्जर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर (17)	आंवला, बेर, अमरूद, साइट्रस, आम, सपोटा, साइट्रस मसाले और सगुंधित पौधे, और फूल
9	झारखंड (22)	जमतारा, पश्चिमी सिंहभूम, लातेहर, चतरा, पलामू, गुमला, पाकुर, हजारीबाग, लोहरदगा, रांची, सिमडेगा, दुमका, देवघर, पूर्व सिंहभूम, सरायकेला, खुंटी और रामगढ़ (17)	केला, काजू, साइट्रस, अमरूद, लीची, आम, पपीता, स्टोन फ्रूट, जैक फ्रूट, फूल, (कारनेशसन, गेरबेरा मैरीगोल्ड, गलाडिओस, रोज) मसाले (हल्दी, मिर्च, अदरक, लहसुन) और सुगंधित पौधे
10	कर्नाटक (29)	बगलकोट, बेलगाम, बेलारी, बिदर, चामराजनगर, चिकमंगलूर, धारवाड़, कोप्पल, मैसूर, शिमोगा, बंगलौर ग्रामीण, बीजापुर, कोलार, टुमकुर, दक्षिण कन्नडा, कोडगु, उत्तर कन्नडा, गुलबर्गा, हसन, चित्रदुर्गा, उडुपी, रामनगर, चिकबालपुर और रायचूर, गडग, हावेरी, दावांगेरे, मंडया और बंगलोर (शहरी) (29)	आम, अंगूर, पोमग्रेनेट, सपोटा, मीठा संतरा, केला, पाइनएप्पल, काजू, कोका, फूल और मसाले (अदरक काली मिर्च)
11	केरल (14)	कासरगोड, अलपुझा, एर्नाकुलम, इदुकी, कोझीकोड, मालापुरम, पालकाड, थिरुवनंतपुरम, थिरूसुर, वायनाड, कन्नूड, पाथानमथिटा, कोलाम और कोटयम (14)	आंवला, आम, पपीता, केला, पाइनएप्पल, काजू, कोका, फूल और मसालें (अदरक, काली मिर्च) और सुगंधित पौधे
12	लक्षद्वीप (1)	लक्षद्वीप (1)	फूल, मसाले और सुगंधित पौधे
13	महाराष्ट्र (33)	हिंगोली, जलगांव, ओस्मानाबाद, अकोला, अमरावती, बांद्रा, बुलधाना, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधदुर्ग, थाणे, वर्द्धा, वशीम, यवतमाल, धुले, नांदुरबार, अहमदनगर, कोल्हापुर, नासिक, पुणे, सांगली, सतारा, सोलापुर, गड़चिरोली, औरंगाबाद, बीड, जालना, लातूर, नान्देड़, परभनी, चन्द्रपुर, गोंदिया और नागपुर (33)	आंवला, आम, पोमग्रेनेट, अंगूर, अमरूद, सपोटा, साइट्रस, स्ट्रोबरी, फिग, बेर, केला, पपीता, पाइन एप्पल, काजू, पफूल, मसाले और सुगंधित पौधे

1	2	3	4
14	मध्य प्रदेश (50)	बदवानी, भोपाल, बुरहानपुर, देवास, धार, डिंडोरी, गुना, इंदौर, जबलपुर, झबुआ, खण्डवा, खरगौन, मंडया, राजगढ़, रतलाम, रीवा, सागर, सिहोर, शाहजनपुर, उज्जैन, विदिशा, बेतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, मंदसौर, छतरपुर, ग्वालियर, हरदा, नीमच, सतना, सीद्धी, अशोक नगर, अलीराजपुर, सिंगरोली, रायसेक, दतिया, दामोह, टीकमगढ़ और पन्ना (39)	आंवला, अमरूद, आम, बेर, पोमग्रेनेट, केला मसाले और फूल
15	उड़ीसा (30)	बालासोर, क्योंझर, मयूरभंज, अंगुल, बारगढ़, कटक, देवदास, गंजम, खुर्दा, कोरापुट, नवरंगपुर, नयागढ़, फूलबनी, पुरी, सम्बलपुर, सुंदरगढ़, बोलांगीर, कालाहांडी, नौपारा, सोनेपुर, गजपाती, मलकानगिरी, रायागाडा और धेनकनाल (24)	आम, काजू, साइट्रस, केला, फूल, मसाले (अदरक, हल्दी) और सुगंधित पौधे
16	पंजाब (21)	फरीदकोट, गुरूदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर, संगरूर, एसएएस नगर (मोहाली), भटिंडा, फिरोजपुर, मुक्तसर, तरण तारण, अमृतसर, फतेहगढ़ साहिब, पटियाला, जालंधर, कपूरथला और लुधियाना (16)	आंवला, साइट्रस, अमरूद, आम, लीची, पीर, स्टोन फ्रूट, फूल, मसाले और सुगंधित पौधे
17	पुडुचेरी (4)	पुडुचरी, कराइकल, यनाम, और माहे (4)	आम, केला, अमरूद, सपोटा, साइट्रस, आंवला, मसाले और फूल
18	राजस्थान (32)	टोंक, अजमेर, बांसवाड़ा, डुंगरपुर, जलोर, जोधपुर, करौली, पाली, सवाई माधोपुर, सिरोही, बारान, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, जयपुर, झालवार, कोटा, नागौर, श्री गंगानगर, झुन्झनु, भिलवाड़ा, अलवर, बूंदी, उदयपुर और जैसलमेर (24)	आंवला, बेल, बेर, पोमग्रेनेट, कागजी लाइम, अमरूद, आम, पपीता, मसाले, (मिर्च, कोरींडर, कुमीन, फेनल, फेनग्रीक, लहसुन, अदरक और हल्दी) सुगंधित पौधे (एलोवेरा, इसबगोल, लेमन ग्रास, मेहनदी, पालमा रोस) और फूल
19	तमिलनाडु (29)	कोयम्बटूर, धर्मापुरी, डिंडीगुल, कन्याकुमारी, कृष्णागिरी, मदुरई, पुडुकोटई, सलेम, थेनी, त्रिचिरापली, थिरूनलवाली, वेल्लोड़, विल्लुपुरम, विरूद्धनगर, तंजौर, पेराम्बटूर, कुडलोर, इरोडे, नीलगिरी और रामनाथपुरम (20)	आंवला, अमरूद, आम, केला, काजू, कोका, सुगंधित पौधे, मसाले और फूल
20	उत्तर प्रदेश (72)	आगरा, इलाहाबाद, बांदा, बरेली, बुलन्दशहर, इटावा, फैजाबाद, गाजीपुर, गोरखपुर, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर, कौशाम्बी, कुशी नगर, महराजगंज, मैनपुरी, मथुरा, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, राय बरेली, सहारनपुर, सन्त कबीरनगर, सन्त रविदास नगर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, बलिया, बाराबंकी, बस्ती, फर्रुखाबाद, हाथरस, लखनऊ, मुरादाबाद, सीतापुर, उन्नाव, वाराणसी, सिद्धार्थनगर, मेरठ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, जालौन, चित्रकूट, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा (45)	आम, लीची, अमरूद, आंवला, साइट्रस, बेल, बेर, केला, जामुन, जैकफ्रूट, कस्टर्ड एप्पल, बेटेलविन, मसाले, सुगंधित पौध और फूल

1	2	3	4
21	पश्चिम बंगाल (18)	बांकुरा, कूचबिहार, हुगली, मालदा, मुर्शिदाबाद, नाडिया, उत्तरी 24 परगना, पूर्वी मिदनापुर, पुरूलिया, दक्षिणी-24 परगना, बीरभूम, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और पश्चिमी मिदनापुर (14)	आम, संतरा, अमरूद, लाइम, लीची, काजू, केला, पाइनएप्पल, मसाले और फूल
कुल	483	371	

कवर किए गए जिलों की कुल संख्या-371 (वर्ष 2009-10 और 2010-11 के दौरान नए जोड़े गए जिलों को मोटे अक्षरों में दर्शाया गया है)

विवरण-I (ख)

उत्तर-पूर्व और हिमालयी राज्य के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत कवर किए गए राज्यवार जिन्सों को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपए में)

क्रम सं.	राज्य का नाम (कुल जिलों की संख्या)	एचएमएनईएच के अंतर्गत कवर किए गए जिले
1	2	3
1	अरुणाचल प्रदेश (16)	तवांग, पश्चिम केमांग, ईस्ट केमांग, पपुमपारे, लोवर सुबनसिरी, अपर सुबनसिरी, कुरूंग कुमेय, पश्चिम सियांग, ईस्ट सियांग, उपर सैंग, दिबांग वैली, रोइंग, लोहित, अंजाव, चांगलांग और तिराप
2	असम (27)	धुबरी, काकराझार, बोगाईगांव, चिरांग, गौलापारा, बारपेटा, नलबाड़ी, बक्सा, कामरूप, मारीगांव, नागांव, गोलाघाट, जोरहाट, सिवासागर, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, दरांग, उदलगिरी, सोनितपुर, लखीमपुर, धीमाजी, कच्छार, करीमगंज, हेलाकांडी, कारबी, आमलांग, एनसी हिल्स और निदेशालय
3	हिमाचल प्रदेश (12)	बिलासपुर, चम्बा, हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, लाहुल, और स्पीति, मण्डी, शिमला, सिरमौर, सोलन और उना
4	जम्मू व कश्मीर (22)	अनंतनाग, बड़गाम, बारामुला, डोडा, जम्मू, कारगिल, कठुआ, कुपवाड़ा, लेह, पुलवामा, पुंछ, राजौरी, श्रीनगर, उधमपुर, साम्बा, रायसी, रामबान, किश्तवाड़, कुलगाम, शोपिया, गंदेरबाल, बांदीपुरा
5	मणिपुर (9)	उखरूल जिला, सेनापति, इम्फाल पश्चिम, इम्फाल पूर्व, बिशेनपुर जिला, चंदेल जिला, तामेंगलांग जिला और चुराचांदपुर
6	मेघालय (7)	पूर्वी खासी हिल्स, जैयंतिया हिल्स, पश्चिम खासी हिल्स, रिभोई पश्चिम गारो हिल्स, पूर्वी गारो हिल्स और दक्षिणी गारो हिल्स
7	मिजोरम (8)	आईजोल, कोलासिब, लुंगलेई, सैहा, मामिट, लावंगलाई, सेरछीप और चम्फाई
8	नागालैण्ड (11)	कोहिमा, मोकोकचुंग, तुनसांग, वोखा, जुन्हेबोतो, फेंक, मोन, दीमापुर, पेरेन, लोगलिंग, किफेरे

1	2	3
9	सिक्किम (4)	उत्तरी जिले, पूर्वी जिले, दक्षिणी जिले, पश्चिम जिले
10	त्रिपुरा (4)	दक्षिण त्रिपुरा जिला, पश्चिमी त्रिपुरा जिला, धलाई जिला, उत्तरी त्रिपुरा जिला
11	उत्तराखण्ड (13)	उधमसिंह नगर, नैनीताल, अलमोड़ा, बागेश्वर, पिथौनरागढ़, चम्पावत, हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, पौरी, चमौली, रूद्रप्रयाग, उत्तरकाशी।
कुल	133	133

विवरण-II (क)

2007-08 से 2009-10 के दौरान राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत निर्मुक्त और चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान आबंटित राज्यवार निधि के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपए में)

क्रम सं.	राज्य/संघ शा. क्षेत्र	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5	6
1	आंध्र प्रदेश	7836.94	12968.39	9566.59	8800
2	बिहार	269.72	3122.48	2435.17	0.00
3	छत्तीसगढ़	6252.41	3000.00	6000.00	7914
4	गोवा	3.19	100.45	150.00	162
5	गुजरात	1954.24	3531.83	2521.32	3797
6	हरियाणा	6476.49	3300.31	5600.00	5150
7	झारखण्ड	781.00	5000.00	3084.00	1600
8	कर्नाटक	8751.05	12536.88	8001.67	8525
9	केरल	6147.73	7517.29		1900
10	मध्य प्रदेश	5537.49	6000.00	3545.00	5100
11	महाराष्ट्र	13224.97	13021.70	9173.20	8648
12	उड़ीसा	3812.16	2341.00	3500.00	3259
13	पंजाब	2409.99	1412.48	2578.00	2500
14	राजस्थान	5673.19	4097.71	2500.00	3000
15	तमिलनाडु	8536.82	9688.00	6180.00	7250

1	2	3	4	5	6
16	उत्तर प्रदेश	9425.90	6372.78	9143.38	5400
17	पश्चिम बंगाल	681.82	607.20		1600
18	दिल्ली	–	–	–	0
19	लक्षद्वीप	29.90	0.00	0	0
20	अं.न. दीप समूह	0.00	0.00	200.00	152
21	पुडुचेरी			33.25	36.34
	कुल	87625.01	94618.50	74211.59	74793.34

विवरण-II (ख)

पूर्वोत्तर और हिमालयीय राज्यों के लिए बागवानी मिशन के अंतर्गत 2007-08 से 2009-10 के दौरान निर्मुक्त और चालू वित्तीय वर्ष में आबंटित निधियों का राज्यवार और एजेंसीवार ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

		निर्मुक्त निधि			
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
		1	2	3	4
क	**मिनी मिशन-I (अनुसंधान)**				
1	सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एनआरसी, आर्चिड	440	500	400	592.00
2	जम्मू कश्मीर के लिए सीआईटीएच, श्रीनगर	296.99	200	200	392.00
3	हिमाचल प्रदेश के लिए सीपीआरआई	150	100	200	478.00
4	उत्तराखंड के लिए वीपीकेएएस, अल्मोड़ा	365	200	200	477.00
ख.	**मिनी मिशन-II (उत्पादन और उत्पादकता)**				
1	अरुणाचल प्रदेश	2830	1765	1492	2022.00
2	असम	2680	3675	3743	2000.00
3	मणिपुर	2228	2500	3029	2532.00
4	मेघालय	2700	2862.5	1932	1875.00
5	मिजोरम	3095	3050	3500	2413.00
6	नागालैण्ड	2500	2450	3950	3700.00
7	सिक्किम	3110	2675	3428.2	1855.00

		1	2	3	4
8	त्रिपुरा	2400	1700	3000	1970.00
9	जम्मू व कश्मीर	2000	1815	1700	1580.00
10	हिमाचल प्रदेश	2400	2100	1589	500.00
11.	उत्तराखंड	2839.94	2000	1700	2200.00
	सेवा प्रभार तथा अन्य परियोजना आधारित प्रस्ताव	266.35	145.12	58.93	336.43
ग. मिनी मिशन-III (कटाई पश्चात प्रबंधन और विपणन)					
	पूर्वोत्तर एवं हिमायीय राज्यों के लिए एसएफएसी और एनएचबी	1175	801.95	400	600.00
घ. मिनी मिशन-II (प्रसंस्करण)					
		700	600	2050	1376
	सकल योग	32176.28	29139.57	32572.13	39931.14

[हिन्दी]

शहरीकरण में अड़चनें

100. **डॉ. चरण दास महन्त : क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तीव्र शहरीकरण को ध्यान में रखते हुए 3 लाख या इससे अधिक की जनसंख्या वाले शहरों में आगामी दशकों में भूमि, जल और पर्यावरण की उपलब्धता और इन पर पड़ने वाले संभावित दबाव का कोई स्वतंत्र आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) और (ख) तेजी से बढ़ रही शहरी आबादी के कारण नागरिक अवसंरचना और अनिवार्य सेवाओं पर भारी दबाव पड़ा है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 65वें दौर के अनुसार 74% शहरी परिवारों को नल के पानी की जल आपूर्ति की गयी है जिससे 26% आबादी नलकूपों और हैंडपंपों आदि जैसे अन्य स्रोतों द्वारा जलापूर्ति में शामिल किये जाने हेतु शेष रहती है। 423 श्रेणी-I के शहरों में कराए गए सफाई आकलन से यह तथ्य सामने आया कि उपभोक्ता स्तर पर जल की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए कराये गये सभी तीन मूल परीक्षणों गदलापन, अवशिष्ट क्लोरीन और थर्मो टोलरेंट कोलिफॉर्म बैक्टीरिया (टीटीसी) में मात्र 39 शहरों के पेयजल नमूने योग्य पाये गये। एनएसएस के 65वें दौर की रिपोर्ट में कहा गया है कि 11% शहरी परिवारों के पास शौचालय नहीं थे, 8% गर्त शौचालयों का उपयोग कर रहे थे और 77% शहरी परिवार या तो सेप्टिक टैंक का अथवा जलवाही शौचालयों का उपयोग कर रहे थे। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार एक तिहाई से भी कम शहरी परिवार सीवर प्रणाली से जुड़े थे। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की 2009 की रिपोर्ट के अनुसार स्थापित शोधन क्षमता केवल 30% की गयी थी। वर्ष 2008 में वास्तविक शोधन 72.2% होने का अनुमान था जो यह बताता है कि श्रेणी-I और शहरों और श्रेणी-II कस्बों में निपटान से पूर्व लगभग 20% सृजित सीवेज का ही शोधन किया गया था (2001 की जनगणना के अनुसार)। वर्ष 2005 में प्रकाशित सीपीसीबी की रिपोर्ट के अनुसार देश में प्रतिदिन लगभग 1,15,000 मीट्रिक टन नगरीय ठोस कचरा उत्पन्न होता है। भारत में शहरी परिवहन का 22% सार्वजनिक परिवहन के कारण हैं। 0.5 मिलियन या उससे अधिक आबादी वाले 85 शहरों में से केवल 20 कस्बों में सिटी बस सेवा है। भारत की जनगणना, 2001 के अनुसार 52.4 मिलियन लोग 1743 कस्बों में स्लमों में रहते थे जो इन कस्बों की आबादी का 23.5% बनता है। आवासीय कमी के आकलन संबंधी तकनीकी समूह ने वर्ष 2007 में शहरी क्षेत्रों में रिहायशी इकाईयों की कुल कमी 24.71 मिलियन दर्शाया है और बैकलाग सहित योजना अवधि (2007-12) के दौरान 26.53 मिलियन की कमी का आकलन किया गया है जिसमें से 99% शहरी आबादी के ईडब्ल्यूएस एवं एलआईजी वर्गों से संबंधित है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

फसलों की बुआई में गिरावट

101. **श्री जगदीश ठाकोर :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में गेहूं, दहलन, चावल और मोटे अनाज की बुआई में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव) : (क) और (ख) 2009-10 की तुलना में 2010-11 के दौरान गेहूं, दलहन, चावल तथा मोटे अनाजों के अंतर्गत बोए गए क्षेत्र के तुलनात्मक ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :-

(लाख हैक्टेयर)

फसल	बोया गया क्षेत्र	
	2009-10	2010-11*
गेहूं	284.57	282.52
दलहन	232.82	255.52
चावल	419.18	422.13
मोटे अनाज	276.75	270.66

*दिनांक 09.02.2011 को जारी दूसरे अग्रिम अनुमान

चालू वर्ष के दौरान दलहनों और चावल की क्षेत्र व्याप्ति अपेक्षाकृत अधिक रही है जबकि गेहूं और मोटे अनाज की क्षेत्र व्याप्ति विगत वर्ष की तुलना में मामूली रूप से कम रही है।

(ग) देश में विभिन्न फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने के उद्देश्य से, सरकार अनेक योजनाएं यथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, एकीकृत तिलहन, दलहन, पाम आयल एवं मक्का योजना (आइसोपाम) तथा एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत, देश के अभिज्ञात जिलों में क्षेत्रीय विस्तार एवं उत्पादकता में बढ़ोतरी के माध्यम से 11वीं योजना अर्थात् 2011-12 के अंत तक चावल, गेहूं एवं दालों के उत्पादन में क्रमशः 10, 8 एवं 2 मिलियन टन तक वृद्धि करने का लक्ष्य है। इन योजनाओं के अलावा, 11वीं योजना में, कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र में 4% वृद्धि दर प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), सार्वजनिक पूंजीनिवेश में वृद्धि पर ध्यान केन्द्रित करने हेतु एक अम्ब्रेला कार्यक्रम पर विचार कर रही है। इसके अलावा, उत्पादकता में बढ़ोतरी के लिए, सराकर ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के तहत विभिन्न संस्थानों द्वारा अनुसंधान पहलों के माध्यम से फसलों की उन्नत किस्मों को विकसित करने संबंधी अनेक उपाय भी किए हैं।

[अनुवाद]

एथनॉल का उत्पादन

102. **श्री रामसिंह राठवा :** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में पेट्रोल में एथनॉल का मिश्रण करने के निर्णय के मद्देनजर एथनॉल के उत्पादन को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है वर्ष 2009-10 और 2010-11 के दौरान देश में एथनॉल का कुल उत्पादन कितना रहा; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान एथनॉल का न्यूनतम और अधिकतम बिक्री मूल्य कितना रहा?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) सरकार ने देश के अधिकांश राज्यो/संघ राज्य क्षेत्रों में पेट्रोल में अनिवार्य रूप से ईथॉल मिलाने के कार्यक्रम को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है। एल्कोहल और ईथानॉल का उत्पादन मुख्य रूप से चीनी, गन्ना और शीरे के उत्पादन पर निर्भर करता है, जिसमें चक्रीय प्रकृति के कारण उतार-चढ़ाव आता रहता है। सरकार उन्नत सिंचाई, अनुसंधान, गन्ने की उन्नत किस्मों के उत्पादन के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने और ईथानॉल परियोजना स्थापित करने के लिए चीनी उद्योग को प्रोत्साहन देकर गन्ने के उत्पादन और पिराई में वृद्धि करने के लिए कदम उठा रही है। वर्ष 2009-10 के दौरान ईथानॉल का अनुमानित उत्पादन 1611 मिलियन लीटर था। वर्ष 2010-11 के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि मौसम अभी समाप्त नहीं हुआ है।

(ग) वर्ष 2006 में 31 अक्तूबर, 2009 तक 17.23 रुपये प्रति लीटर से 21.50 रुपये प्रति लीटर के रेंज में ईथानॉल के मूल्य को अंतिम रूप दिया गया था। सरकार द्वारा अक्तूबर, 2010 तक की अवधि के लिए अक्तूबर, 2007 में 21.50 रुपये प्रति लीटर के एक समान कारखाना निकासी मूल्य को अनुमोदित किया गया था। दिनांक 16 अगस्त, 2010 को सरकार ने तदर्थ आधार पर 27.00 रुपये प्रति लीटर के मूल्य रखने का निर्णय लिया जो विशेषज्ञ समिति द्वारा संस्तुत और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए गए फार्मूले/सिद्धांत के आधार पर नियत किए जाने वाले अंतिम मूल्य के संदर्भ में समायोजन के अध्यधीन हैं।

आईसीएआर में वैज्ञानिकों की रिक्ति

103. **डॉ. पी. वेणुगोपाल :**
श्री पी. कुमार :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) में वैज्ञानिकों के अनेक पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त रिक्तियों को भरने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) और (ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) में दिनांक 31.12.2010 तक 690 वैज्ञानिकों, 1006 वरिष्ठ वैज्ञानिकों और 264 प्रधान वैज्ञानिकों तथा उससे ऊपर के पदों को शामिल करते हुए वैज्ञानिक कैडर (1960 पदों) में से 30 प्रतिशत पद खाली हैं।

(ग) इन पदों को शीघ्र भरने के लिए आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं।

खेलों में प्रतिबंधित दवाओं के उपयोगकर्ता

104. **श्री एस.एस. रामासुब्बू :**
श्रीमती जे. शांता :

क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को देश में विभिन्न खेल स्पर्धाओं में प्रतिबंधित दवाओं का उपयोग करने वाले खिलाड़ियों की बढ़ती कुप्रवृत्ति की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान खेल स्पर्धा-वार कितने मामले जानकारी में आए; और

(ग) ऐसे दोषियों को सजा देने तथा इस प्रकार की कुप्रवृत्ति को रोकने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा की गई कार्रवाई/उठाए गए अथवा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) जी हां।

(ख) ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :-

खेलविधा	2008	2009	2010	2011	कुल
1	2	3	4	5	6
एथलेटिक्स	18	13	39	–	70
जलक्रीड़ा	–	–	01	–	01
शरीर शौष्ठव	–	33	31	–	64
बास्केटबाल	1	–	01	–	02
मुक्केबाजी	04	04	08	06	22
क्रिकेट	–	01	–	–	01
साइक्लिंग	02	03	04	01	10
फुटबाल	–	–	–	01	01
हाकी	–	–	02	–	02
जूडो	01	02	03	–	06
नेटबाल	–	–	01	–	01
कबड्डी	–	–	44	–	44
पावरलिफ्टिंग	17	03	23	07	50
रग्बी	–	–	03	–	03
तैराकी	01	01	03	–	05
ताइक्वांडो	–	–	02	–	02
वालीबाल	01	–	01	–	02

1	2	3	4	5	6
भारोत्तोलन	18	11	23	10	62
वुशु	03	-	-	-	03
कुश्ती	03	05	11	-	19
साफ्ट टेनिस	-	-	01	-	01
मलेशिया गेम्स	-	-	03	-	03
कुल	69	76	204	25	374

(ग) राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) जो भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्तशासी निकाय है, ने वाडा (विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी) कोड के अनुसरण में राष्ट्रीय डोपिंग रोध नियमावली प्रकाशित की है जिसमें डोपिंग रोधी उल्लंघनों के लिए जुर्माने तथा ऐसे जुर्माने लगाने की विधि निर्धारित की गई है। नाडा इन नियमों के अनुसार डोप उल्लंघन कर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई करता है। नाडा की डोपिंग रोधी नियमावली के अंतर्गत तीन समितियां यथा डोपिंग रोधी अनुशासनिक पैनल, डोपिंग रोधी अपीलीय पैनल या नैदानिक प्रयोग छूट समिति अपेक्षित है जिनका गठन भी 2009 में किया गया है जिसमें ख्याति प्राप्त न्यायविद, शीर्ष चिकित्सक, खेल प्रशासक तथा खिलाड़ी शामिल हैं जो डोप उल्लंघनकर्ताओं पर कार्रवाई करते हैं। ये पैनल पूरी तरह से संचालित हो गए हैं। ये नाडा से स्वतंत्र हैं। इन नियमों के प्रख्यापन से पूर्व संबंधित परिसंघ अपने अंतर्राष्ट्रीय चार्टर के अनुसार दण्ड देने के लिए उत्तरदायी थे।

रबी फसलों की बुआई

105. **श्री जी.एम. सिद्देश्वर : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस सर्दी के दौरान (2010-11) उत्तर भारत में दुष्कर मौसम संबंधी स्थितियों के कारण इस क्षेत्र में राज्य-वार किस हद तक रबी फसलों की बुआई प्रभावित हुई है;

(ख) क्या बुआई का समय बीत जाने की भरपाई के लिए बुआई कार्य में तेजी लाने के लिए किसानों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की मांग की तुलना में राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव) : (क) से (ग) रबी 2010-11 के दौरान, विशेषकर नवम्बर और दिसम्बर, 2010 में जब प्रमुख रबी फसलों की बुआई चलती है, देश में मौसमी दशाएं अनुकूल रहीं। दिनांक 9 फरवरी, 2011 को जारी दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार, 2010-11 के दौरान रबी खाद्यान्नों का क्षेत्र रबी 2009-10 के लगभग उसी स्तर पर रहा है। इसके अतिरिक्त, रबी 2010-11 के दौरान तिहलनों का क्षेत्र रबी 2009-10 की तुलना में उल्लेखनीय रूप से अधिक रहने का अनुमान है।

देश में कृषि फसलों की क्षेत्र व्याप्ति तथा उनके उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार बहुत-सी योजनाएं यथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), कृषि वृहद प्रबंधन प्रणाली आदि कार्यान्वित कर रही है। भारत सरकार इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को निधियां जारी करती हैं तथा किसानों को अपेक्षित सहायता प्रदान करती है। हालांकि, देश के विभिन्न भागों में बुआई कार्यों में तेजी लाने के लिए रबी 2010-11 के दौरान राज्यों को विशेष सहायता का प्रावधान नहीं दिया गया।

[हिन्दी]

उत्तराखंड में ऐतिहासिक स्मारक

106. **श्री के.सी. सिंह "बाबा" : क्या संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तराखंड में केंद्र संरक्षित स्मारकों और ऐतिहासिक स्थ्लों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इनके संरक्षण और परिरक्षण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गई है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) और (ख) उत्तराखंड में 42 केंद्रीय संरक्षित स्मारक हैं। इनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

गत तीन वर्षों के दौरान संरक्षण/नवीनीकरण पर किए गए खर्च और चालू वित्तीय वर्ष के प्रावधान का ब्यौरा इस प्रकार है :-

राशि लाख रुपए में

क्रम सं.	वर्ष	किया गया खर्च
1	2	3
1	2007-08	177.50
2	2008-09	169.40
3	2009-10	130.52
4	2010-11	170.00 (चालू वर्ष के लिए प्रावधान)

विवरण

उत्तराखंड में केंद्रीय संरक्षित स्मारकों की सूची

क्रम सं.	अधिसूचित स्मारक/स्थल का नाम	स्थान	जिला
1	2	3	4
1	बद्रीनाथ मंदिर समूह	द्वारहाट	अल्मोड़ा
2	बानदेव मंदिर	द्वारहाट	अल्मोड़ा
3	गूजारदेव मंदिर	द्वारहाट	अल्मोड़ा
4	कचेरी मंदिर समूह	द्वारहाट	अल्मोड़ा
5	कुटुम्बरी मंदिर	द्वारहाट	अल्मोड़ा
6	मनियान मंदिर समूह	द्वारहाट	अल्मोड़ा
7	मृत्युंजय समूह	द्वारहाट	अल्मोड़ा
8	रतनदेव मंदिर	द्वारहाट	अल्मोड़ा
9	सूर्य मंदिर	कटरमल	अल्मोड़ा
10	दण्डेश्वर मंदिर	कटुली एवं चन्द्योक गुन्ठ (जागेश्वर)	अल्मोड़ा
11	चांदी का मंदिर	फुलई गुन्ठ, जागेश्वर	अल्मोड़ा
12	जागेश्वर मंदिर	फुलई गुन्ठ, जागेश्वर	अल्मोड़ा
13	कुबेर मंदिर	फुलई गुन्ठ, जागेश्वर	अल्मोड़ा
14	मृत्युंजय मंदिर	फुलई गुन्ठ, जागेश्वर	अल्मोड़ा
15	नंदा देवी या नौ दुर्गा	फुलई गुन्ठ, जागेश्वर	अल्मोड़ा
16	नव-ग्रह मंदिर	फुलई गुन्ठ, जागेश्वर	अल्मोड़ा
17	पिरामिडीय देव मंदिर	फुलई गुन्ठ, जागेश्वर	अल्मोड़ा

1	2	3	4
18	सूर्य को समर्पित मंदिर	फुलई गुन्ठ, जागेश्वर	अल्मोड़ा
19	प्राचीन मंदिर समूह, जिसमें शिव का मुख्य मंदिर तथा 17 अनुषंगी मंदिर हैं।	बैजनाथ, या वैद्यनाथ	बागेश्वर
20	लक्ष्मी नारायण, राक्षस देवल और सत्य नारायण नामक इन्डो-आर्यन शिखर प्रकार के तीन मंदिर	ताली हाट, टीला कटचुर	बागेश्वर
21	16 मंदिरों के अवशेष	आदिबद्री	चमोली
22	दीवारों सहित किला और इसके अन्दर आवासीय मकानों के अवशेष तथा सीढ़ियां	चांदपुर	चमोली
23	शाफ्ट युक्त लौह त्रिशूल जिस पर एक प्राचीन तथा तीन आधुनिक लेख उत्कीर्ण हैं	गोपेश्वर	चमोली
24	दो मंदिर	पांडुकेश्वर	चमोली
25	रूद्रनाथ मंदिर	गोपेश्वर	चमोली
26	सर्वेक्षण भू खण्ड संख्या 89 में शैल उत्कीर्ण लेख	गांव मण्डल	चमोली
27	महासु को समर्पित मंदिर	हनोल या ओनोल	देहरादून
28	प्राचीन स्थल	जगतराम	देहरादून
29	अशोक का उत्कीर्ण शैल अभिलेख	कलसी	देहरादून
30	कलिंग स्मारक	करनपुर	देहरादून
31	मंदिर एवं इसके आस पास मूर्तिया	लाखा मण्डल	देहरादून
32	बालेश्वर मंदिर समूह	चम्पावत	चम्पावत
33	कोतवाली चबूतरा	चम्पावत	चम्पावत
34	बालेश्वर मंदिरों से लगा नौला या ढका हुआ झरना	चम्पावत	चम्पावत
35	खेरा की बंदी, पुराना कब्रिस्तान	रूड़की	हरिद्वार
36	पुराना कब्रिस्तान	शैकपुरी एवं गणेशपुर	हरिद्वार
37	वैराटापट्टना के साथ स्थानीय तौर पर पहचान किए गए प्राचीन भवनों के अवशेष	ढिकुली	नैनीताल
38	द्रोणसागर स्थित उत्खनित स्थल (केवल प्रारंभिक अधिसूचना जारी)	मौजा उज्जैन काशीपुर	उधमसिंह नगर

1	2	3	4
39	सीता को समर्पित पुराना मंदिर	सीताबनी	नैनीताल
40	उत्खनित स्थल एवं अवशेष	खावली गांव सेरा, पुरोला	उत्तरकाशी
41	पाताल भुवनेश्वर गुफाएं	डिडीहाट, पाताल, भुवनेश्वर	पिथौरागढ़
42	कुछ पुराने मंदिरों के अवशेष एवं एक उत्कीर्ण ईंट वाला कुआं	गंगोली हाट	पिथौरागढ़

[अनुवाद]

अवसंरचनात्मक सुविधाओं की कमी

107. **श्री नरहरि महतो :**

श्री नृपेन्द्र नाथ राय :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने मास्टर प्लान 2021 के लिए कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं और अपेक्षित अवसंरचनात्मक सुविधाओं की कमी की ओर ध्यान आकृष्ट किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य

108. **राजकुमारी रत्ना सिंह :**

डॉ. संजय सिंह :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सहित देश में किसानों को अपनी उत्पादन लागत के अनुरूप अपनी फसलों की कीमत नहीं मिल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश सहित देश में किसानों की दयनीय स्थिति को सुधारने के लिए कोई पैकेज उपलब्ध कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव) : (क) और (ख) सरकार, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों पर प्रमुख कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों (एमएसपी) का निर्धारण करती है। उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों से एकत्र किए गए आंकड़ों के आधार पर तथा अन्य बातों के साथ-साथ संबंधित फसलों की उत्पादन लागत आदि के आधार पर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाता है।

सरकार, केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों तथा सहकारी एजेंसियों के माध्यम से उत्तर प्रदेश सहित राज्यों में न्यूनतम समर्थन मूल्यों के अंतर्गत शामिल फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रापण कार्य संचालित कर किसानों को मूल्य समर्थन प्रदान करती है।

(ग) और (घ) सरकार उत्तर प्रदेश सहित कृषि उत्पादकता व उत्पादन में वृद्धि करने तथा उत्तर प्रदेश सहित राज्यों में किसानों के समग्र हित को ध्यान में रखते हुए बहुत से कार्यक्रम/योजनाएं कार्यान्वित करती है जिनमें अन्य के साथ-साथ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), एकीकृत तिलहन, दलहन, पॉम आयल तथा मक्का योजना (आइसोपॉम) आदि शामिल हैं।

[अनुवाद]

पुलिस हिरासत में मौतें

109. **श्री हमदुल्लाह सईद :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में पुलिस हिरासत में राज्य-वार कितनी मौतों की जानकारी मिली है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार कुल कितने आरोपी/व्यक्ति गिरफ्तार किए गए और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई;

(ग) क्या देश में ऐसी मौतों को रोकने के लिए कोई तंत्र मौजूद है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या निवारात्मक कानूनी उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरूदास कामत) : (क) और (ख) वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10 और 2010-11 (31.10.2011) तक के दौरान पुलिस हिरासत में हुई मौतों के संबंध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) द्वारा दर्ज किए गए मामलों की संख्या के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। मानवाधिकार उल्लंघन के 187 सिद्ध मामलों, जिनमें पुलिस अभिरक्षा में पीड़ित की मृत्यु हो गई, में मानवाधिकार आयोग द्वारा दिनांक 01.04.2007 से 31.12.2010 की अवधि के दौरान मृतक के सगे-संबंधियों को मौद्रिक राहत के रूप में कुल 3,14,25,000/- रुपए की राशि की सिफारिश की गई है। दोषमुक्त और दोषसिद्ध व्यक्तियों से संबंधित आंकड़े केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

(ग) और (घ) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय हैं। यह राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे प्रत्येक अपराध के मामले में कार्रवाई करें। इसको देखते हुए केन्द्र सरकार हिरासत में हुई मौतों के मामलों में सीधे हस्तक्षेप नहीं करती है बल्कि केवल सलाह जारी करती है, जबकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, दिशानिर्देश और सिफारिशें जारी करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हिरासत में होने वाली स्वभाविक अथवा अन्य सभी प्रकार की मौतों के संबंध में इनके घटित होने के 24 घंटे के भीतर सूचना देने के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं। आयोग, लोक सेवक द्वारा किए गए किसी गलत कार्य, जिसकी वजह से हिरासत में मौत हुई, का पता लगाने के लिए विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट भी मंगाता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 176 को दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2005 के तहत संशोधित किया गया है जिसमें यह प्रावधान है कि पुलिस की हिरासत के दौरान किसी व्यक्ति की मृत्यु होने अथवा गुम होने अथवा महिला के साथ बलात्कार होने के मामलों में अनिवार्य न्यायायिक जांच की जाएगी और मृत्यु होने के मामले में मृत्यु होने के चौबीस घण्टे के भीतर शव की जांच करायी जाएगी। केन्द्र सरकार, समय-समय पर, राज्य सरकारों को ऐसे दिशानिर्देश भी जारी करती रही है जिसमें उन्हें यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि हिरासत में प्रताड़ना और मौत की घटनाओं को रोकने के लिए समुचित कदम उठाए जाएं।

प्रताड़ना निवारण विधेयक, 2010 नामक एक विधेयक जिसे दिनांक 26.4.2010 को लोक सभा में पेश किया गया था और दिनांक 06.05.2010 को पारित किया गया था, पर अब राज्य सभा प्रवर समिति द्वारा विचार किया गया है। विधेयक में, अन्य बातों के साथ-साथ, उन लोगों को सजा देने का प्रावधान है जो प्रताड़ना के अपराध में संलिप्त हैं।

विवरण

वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10 और 2010-11 (31.01.2011 तक) के दौरान पंजीकृत किए गए पुलिस अभिरक्षा में हुई मौत के मामलों के राज्यवार ब्यौरे

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 (31.01.2011 तक)
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	9	12	9	10
अरुणाचल प्रदेश	0	2	0	0

1	2	3	4	5
असम	12	7	6	5
बिहार	8	5	4	5
चंडीगढ़	1	1	0	0
छत्तीसगढ़	2	1	1	1
दादरा और नगर हवेली	0	1	0	0
दिल्ली	6	0	0	3
गोवा	0	0	0	1
गुजरात	16	12	9	8
हरियाणा	9	6	6	2
हिमाचल प्रदेश	1	0	3	0
जम्मू और कश्मीर	3	0	0	2
झारखंड	3	2	5	5
कर्नाटक	5	2	3	4
केरल	6	2	6	2
मध्य प्रदेश	10	5	8	4
महाराष्ट्र	25	23	20	26
मणिपुर	0	0	0	2
मेघालय	3	1	1	0
मिजोरम	0	0	0	2
नागालैण्ड	0	0	1	1
उड़ीसा	6	2	3	6
पंजाब	7	4	3	4
राजस्थान	2	4	4	1
सिक्किम	1	0	0	0
तमिलनाडु	6	6	8	4

1	2	3	4	5
त्रिपुरा	1	1	0	1
उत्तर प्रदेश	32	24	16	15
उत्तराखंड	5	0	0	4
पश्चिम बंगाल	8	4	8	4
कुल	187	127	124	122

क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना

110. **श्री हरिश्चंद्र चव्हाण : क्या संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संस्कृति के विकास को प्रोत्साहन और बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक राज्य में क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है

(ग) इस संबंध में राज्य-वार क्या वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है और इन केंद्रों की कब तक स्थापना किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या आदिवासी नृत्य और महाराष्ट्र की लोक कला को प्रोत्साहन देने के लिए महाराष्ट्र में मुक्त प्रेक्षालयों की स्थापना का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) से (ग) हालांकि आंचलिक सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, तथापि, सरकार ने समूचे देश में 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र (जेडसीसी) स्थापित किए हैं जिनके मुख्यालय पटियाला, उदयपुर, इलाहाबाद, कोलाकता, दीमापुर, नागपुर और तंजावुर में हैं। इन केंद्रों का मुख्य उद्देश्य देश की पारंपरिक कलाओं का विकास, परिरक्षण, संवर्धन और प्रसार करना है। इन प्रत्येक केंद्रों में शामिल राज्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है, लेकिन कुछेक राज्यों में दो क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों द्वारा सेवाएं दी जाती है।

गत तीन वर्षों और चालू वर्ष में क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों को प्रदान की गई निधियां इस प्रकार हैं :

लाख रु. में

वित्त वर्ष	जारी की गई राशि
2007-08	1674.13
2008-09	2616.19
2009-10	2116.40
2010-11	2195.16 (अद्यतन स्थिति के अनुसार)

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों के सदस्य राज्यों का ब्यौरा

क्रम सं.	केन्द्र का नाम	मुख्यालय	सदस्य राज्य
1	2	3	4
1	उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र	पटियाला	जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान और संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़

1	2	3	4
2	पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र	उदयपुर	राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, संघ राज्य क्षेत्र, दमन व दीव तथा दादर व नगर हवेली
3	दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र	तंजावुर	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, संघ राज्य क्षेत्र, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पुदुचेरी
4	दक्षिण-मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र	नागपुर	आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र
5	पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र	कोलकाता	असम, बिहार, झारखंड, मणिपुर, उड़ीसा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल तथा संघ राज्य क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह
6	उत्तर-मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
7	उत्तर-पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र	दीमापुर	अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा

बुआई क्षेत्र

111. **श्री पोन्नम प्रभाकर :**
श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विभिन्न फसलों के लिए बुआई क्षेत्र में अंतर है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान रबी और खरीफ फसलों सहित विभिन्न फसलों के लिए बुआई क्षेत्र का राज्य-वार तुलनात्मक तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आगामी वर्ष में इस स्थिति के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव) : (क) और (ख) जी हां, महोदया। वर्ष 2007-08 से 2010-11 के दौरान प्रमुख फसलों के बुआई क्षेत्र के राज्य-वार तथा मौसम-वार अनुमान संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) देश में विभिन्न फसलों के क्षेत्र, उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए सरकार बहुत सी योजनाएं यथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), एकीकृत तिलहन, दलहन, पॉम आयल तथा मक्का योजना (आइसोपॉम) तथा एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। एनएफएसएम के अंतर्गत देश के अभिज्ञात जिलों में क्षेत्र विस्तार तथा उत्पादकता वृद्धि के माध्यम से चावल, गेहूं तथा दालों के उत्पादन में वृद्धि करने का लक्ष्य है। इन योजनाओं के अलावा, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीआई) जो एक छत्र (अम्ब्रेला) कार्यक्रम है, 11वीं योजना में कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश में वृद्धि पर ध्यान केन्द्रित कर रही है।

उपरोक्त योजनाओं के अतिरिक्त 2010-11 के दौरान पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाने तथा वर्षा सिंचित क्षेत्रों में 60000 दलहन तथा तिलहन ग्रामों के एकीकृत विकास हेतु दो नए कार्यक्रम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के अंतर्गत प्रारंभ किए गए हैं। आइसोपाम के दलहन घटक तथा दलहन उत्पादन हेतु दो संभावित राज्यों नामतः असम तथा झारखंड के विलय के साथ दिनांक 01.04.2010 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को मजबूत बनाया गया है। ब्लॉक प्रदर्शनों के रूप में एक नया कार्यक्रम "त्वरित दलहन उत्पादन कार्यक्रम (ए3पी)" देश के 16 दलहन उत्पादक राज्यों में प्रारंभ किया गया है। इसके अतिरिक्त, 2010-11 के दौरान वर्षासिंचित क्षेत्रों में 60,000 दलहन तथा तिलहन ग्रामों को संगठित करने के लिए दलहनों तथा तिलहनों हेतु एक विशेष पहल के रूप में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के अंतर्गत एक नई उप-योजना प्रारंभ की गई है।

विवरण

वर्ष 2007-08 के दौरान भिन्न-भिन्न फसलों की क्षेत्र व्याप्ति के राज्यवार अनुमान

(000, हेक्टेयर)

राज्य	चावल			गेहूं	मोटे अनाज			दालें			खाद्यान्न			तिलहन			कपास	गन्ना
	खरीफ	रबी	कुल	रबी	खरीफ	रबी	कुल	खरीफ	रबी	कुल	खरीफ	रबी	कुल	खरीफ	रबी	कुल	खरीफ	खरीफ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
आंध्र प्रदेश	2578.0	1406.0	3984.0	9.0	826.0	455.0	1281.0	863.0	1250.0	2113.0	4267.0	3120.0	7387.0	2029.0	628.0	2657.0	1134.0	247.0
अरुणाचल प्रदेश	124.0	–	124.0	3.6	61.1	3.9	65.0	3.7	4.0	7.7	188.8	11.5	200.3	4.8	21.8	26.6	–	1.2
असम	2001.0	323.0	2324.0	56.0	25.0	–	25.0	6.0	107.0	113.0	2032.0	486.0	2518.0	23.0	243.0	266.0	1.0	26.0
बिहार	3462.2	110.4	3572.6	2162.5	295.1	390.8	685.9	84.0	523.6	607.6	3841.3	3187.3	7028.6	8.8	132.0	140.8	–	108.6
छत्तीसगढ़	3752.4	–	3752.4	93.3	319.4	3.3	322.7	223.0	692.6	915.6	4294.8	789.2	5084.0	249.1	112.7	361.8	0.1	11.1
गोवा	52.2	–	52.2	–	0.3	–	0.3	0.5	10.9	11.4	35.1	28.8	63.9	0.5	3.2	3.7	–	1.0
गुजरात	726.0	33.0	759.0	1274.0	1520.0	47.0	1567.0	656.0	225.0	881.0	2902.0	1579.0	4481.0	2438.0	482.0	2920.0	2422.0	211.0
हरियाणा	1075.0	–	1075.0	2462.0	730.0	40.0	770.0	56.0	113.0	169.0	1861.0	2615.0	4476.0	6.3	523.0	529.3	483.0	140.0
हिमाचल प्रदेश	78.6	–	78.6	366.6	309.8	23.5	333.3	21.9	12.0	33.9	410.3	402.1	812.4	4.3	10.4	14.7	0.1	2.7
जम्मू और कश्मीर	263.2	–	263.2	278.3	332.4	14.4	346.8	27.5	2.8	30.3	623.1	295.5	918.6	6.2	56.8	63.0	–	0.1
झारखंड	1643.7	10.0	1653.7	86.3	266.7	19.7	286.4	277.0	133.0	410.0	2187.4	249.0	2436.4	31.0	93.4	124.4	–	6.0
कर्नाटक	1051.0	365.0	1416.0	276.0	2619.0	1177.0	3796.0	1598.0	785.0	2383.0	5268.0	2603.0	7871.0	1499.0	777.0	2276.0	403.0	306.0
केरल	183.4	45.4	228.8	–	4.4	–	4.4	3.0	6.8	9.8	190.8	52.2	243.0	3.4	–	3.4	1.3	2.0
मध्य प्रदेश	1558.9	–	1558.9	3742.3	1910.1	51.4	1961.5	896.9	3129.3	4026.2	4365.9	6923.0	11288.9	5573.7	684.4	6258.1	630.4	75.2
महाराष्ट्र	1535.0	39.0	1574.0	1253.0	3345.0	2979.0	6324.0	2577.0	1479.0	4056.0	7457.0	5750.0	13207.0	3257.0	568.0	3825.0	3195.0	1093.0
मणिपुर	166.1	–	166.1	–	3.0	–	3.0	9.4	5.1	14.5	178.5	5.1	183.6	0.9	1.2	2.1	–	0.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
मेघालय	94.8	11.6	106.4	0.6	19.7	–	19.7	1.3	2.7	4.0	115.8	14.9	130.7	2.7	7.3	10.0	7.2	0.1
मिजोरम	54.4	0.2	54.6	–	7.2	0.2	7.4	4.1	1.0	5.1	65.7	1.4	67.1	3.4	0.1	3.5	0.1	0.9
नागालैंड	172.5	–	172.5	1.5	93.0	0.0	93.0	20.0	15.0	35.0	285.5	16.5	302.0	36.8	39.2	76.0	0.2	5.0
उड़ीसा	4118.1	333.7	4451.8	5.6	169.7	2.9	172.6	542.8	316.2	859.0	4830.6	658.4	5489.0	210.1	113.1	323.2	50.1	19.8
पंजाब	2610.0	–	2610.0	3488.0	160.1	16.0	176.1	21.2	7.4	28.6	2791.3	3511.4	6302.7	11.3	48.1	59.4	604.0	110.0
राजस्थान	127.8	–	127.8	2591.8	6768.1	249.8	7017.9	2604.4	1265.5	3869.9	9500.3	4107.1	13607.4	1498.5	2496.9	3995.4	369.2	10.4
सिक्किम	14.0	–	14.0	4.5	49.3	0.7	50.0	6.1	6.4	12.5	69.4	11.6	81.0	3.6	5.0	8.6	–	–
तमिलनाडु	1636.5	152.7	1789.2	–	557.6	140.9	698.5	148.6	461.2	609.8	2342.7	754.8	3097.5	459.6	199.7	659.3	99.3	354.2
त्रिपुरा	173.3	63.9	237.2	1.0	2.1	–	2.1	3.8	3.0	6.8	179.2	67.9	247.1	2.2	1.8	4.0	11	1.0
उत्तर प्रदेश	5690.0	19.0	5709.0	9115.0	1922.7	181.3	2104.0	741.0	1415.0	2156.0	8353.7	10730.3	19084.0	357.3	982.8	1340.1	4	2179.0
उत्तराखंड	276.0	13.0	289.0	397.0	233.0	24.0	257.0	41.0	22.0	63.0	550.0	456.0	1006.0	16.0	14.0	30.0	–	124.0
पश्चिम बंगाल	4208.1	1511.6	5719.7	352.6	52.7	44.7	97.4	48.1	138.0	186.1	4308.9	2046.9	6355.8	211.8	495.3	707.1	8.2	16.9
अंडमान निकोबार	7.3	–	7.3	–	0.2	–	0.2	0.1	2.1	2.2	7.6	2.1	9.7	–	–	0.0	–	0.2
दादरा और नगर हवेली	13.6	–	13.6	0.6	2.2	–	2.2	3.1	3.4	6.5	18.9	4.0	22.9	0.1	–	0.1	–	–
दिल्ली	7.4	–	7.4	17.5	10.5	0.1	10.6	0.4	0.0	0.4	18.3	17.6	35.9	–	3.1	3.1	–	–
दमन और दीव	2.0	–	2.0	–	0.3	–	0.3	0.0	1.3	1.3	2.3	1.3	3.6	–	–	0.0	–	–
पांडिचेरी	15.8	4.6	20.4	–	0.2	–	0.2	0.6	4.2	4.8	16.6	8.8	25.4	0.9	–	0.9	0.1	2.3
अखिल भारत	39454.4	4460.0	43914.4	28038.6	22615.9	5865.6	28481.5	11489.5	12143.5	23633.0	73559.8	50507.7	124067.5	17949.3	8743.3	26.692.6	9413.7	5055.2

वर्ष 2008-09 के दौरान भिन्न-भिन्न फसलों की क्षेत्र व्याप्ति के राज्यवार अनुमान

('000 हैक्टेयर)

राज्य	चावल			गेहूं	मोटे अनाज			दालें			खाद्यान्न			तिलहन			कपास	गन्ना
	खरीफ	रबी	कुल	रबी	खरीफ	रबी	कुल	खरीफ	रबी	कुल	खरीफ	रबी	कुल	खरीफ	रबी	कुल	खरीफ	खरीफ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
आंध्र प्रदेश	2803.0	1584.0	4387.0	14.0	755.0	515.0	1270.0	733.0	1038.0	1771.0	4291.0	3151.0	7442.0	1983.0	616.0	2599.0	1399.0	196.0
अरुणाचल प्रदेश	126.8	-	126.8	3.3	58.7	6.5	65.2	3.9	4.6	8.5	189.4	14.4	203.8	5.8	25.9	31.7	-	1.4
असम	2123.9	360.3	2484.2	50.1	22.8	-	22.8	5.4	108.3	113.7	2152.1	518.7	2670.8	20.9	233.8	254.7	1.3	28.6
बिहार	3390.5	105.5	3496.0	2158.3	269.6	410.1	679.7	72.8	512.9	585.7	3732.9	3186.8	6919.7	8.2	129.9	138.1	-	111.9
छत्तीसगढ़	3734.0	-	3734.0	88.9	277.2	3.4	280.6	221.4	638.4	859.8	4232.6	730.7	4963.3	280.4	101.1	381.5	0.1	10.6
गोवा	50.0	-	50.0	-	0.3	-	0.3	0.4	9.5	9.9	35.0	25.2	60.2	0.6	3.2	3.8	-	1.0
गुजरात	722.0	25.0	747.0	1091.0	1311.0	130.0	1441.0	597.0	187.0	784.0	2630.0	1433.0	4063.0	2560.8	424.0	2984.8	2353.6	221.0
हरियाणा	1210.0	-	1210.0	2462.0	702.3	53.0	755.3	53.9	127.9	181.8	1966.2	2642.9	4609.1	6.3	535.0	541.3	455.0	90.0
हिमाचल प्रदेश	77.7	-	77.7	360.0	306.1	22.6	328.7	21.2	9.8	31.0	405.0	392.4	797.4	4.1	9.6	13.7	0.0	2.3
जम्मू और कश्मीर	257.6	-	257.6	278.7	349.5	13.5	363.0	27.3	3.3	30.6	634.4	295.5	929.9	5.4	59.9	65.3	-	0.0
झारखंड	1670.3	13.3	1683.6	99.9	236.6	27.1	263.7	237.0	150.6	387.6	3143.9	290.9	2434.8	29.9	100.7	130.6	-	5.7
कर्नाटक	1130.0	384.0	1514.0	269.0	2315.0	1276.0	3591.0	1190.0	897.0	2087.0	4635.0	2826.0	7461.0	1371.0	807.0	2178.0	409.0	281.0
केरल	184.5	49.8	234.3	-	3.2	-	3.2	1.9	5.8	7.7	189.6	55.6	245.2	2.3	-	2.3	1.2	2.2
मध्य प्रदेश	1682.3	-	1682.3	3785.2	1803.5	82.5	1886.0	902.9	3656.9	4559.8	4388.7	7524.6	11913.3	5650.9	838.7	6489.6	624.8	70.5
महाराष्ट्र	1500.0	22.0	1522.0	1022.0	2461.0	3330.0	5791.0	1848.0	1234.0	3082.0	5809.0	5608.0	11417.0	3533.0	447.0	3980.0	3146.0	768.0
मणिपुर	168.4	-	168.4	-	4.3	-	4.3	7.8	5.1	12.9	180.5	5.1	185.6	0.5	0.4	0.9	-	0.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
मेघालय	95.3	12.8	108.1	0.4	19.5	–	19.5	1.8	2.7	4.5	116.6	15.9	132.5	3.2	7.3	10.5	7.1	0.1
मिजोरम	51.9	0.1	52.0	–	9.2	0.4	9.6	2.6	1.4	4.0	63.7	1.9	65.6	2.7	0.5	3.2	0.2	1.3
नागालैंड	173.1	–	173.1	1.4	76.4	0.0	76.4	16.0	17.0	33.0	265.5	18.4	283.9	30.3	32.3	62.6	0.1	4.3
उड़ीसा	4123.7	331.0	4454.7	5.3	160.2	2.3	162.5	507.0	297.9	804.9	4790.9	636.5	5427.4	194.6	103.7	298.3	57.9	10.8
पंजाब	2735.0	–	2735.0	3526.0	159.1	16.0	175.1	17.9	6.0	23.9	2912 0	3548.0	6460.0	11.0	48.7	59.7	527.0	81.0
राजस्थान	133.4	–	133.4	2294.8	6817.1	287.7	7104.8	2384.2	1288.3	3672.5	9334.7	3870.8	13205.5	1808.7	2840.3	4649.0	302.5	6.5
सिक्किम	14.7	–	14.7	5.8	45.4	1.1	46.5	6.1	6.5	12.6	66.2	13.4	79.6	3.9	5.8	9.7	–	–
तमिलनाडु	1766.9	164.9	1931.8	–	563.9	160.1	724.0	140.3	395.8	536.1	2471.1	720.8	3191.9	408.6	176.8	585.4	114.5	308.9
त्रिपुरा	166.5	76.0	242.5	0.6	2.1		2.1	3.3	2.8	6.1	171.9	79.4	251.3	1.7	1.8	3.5	1.0	1.0
उत्तर प्रदेश	6012.0	22.0	6034.0	9513.0	1786.2	201.0	1987.2	709.3	1514.0	2223.3	8507.5	11250.0	19757.5	375.4	970.8	1346.2	3.6	2084.0
उत्तराखंड	281.0	15.0	296.0	398.0	243.0	28.0	271.0	40.0	24.0	64.0	564.0	465.0	1029.0	12.0	14.0	26.0	–	107.0
पश्चिम बंगाल	4379.0	1556.7	5935.7	307.0	53.3	56.8	110.1	52.3	130.3	182.6	4484.6	2050.8	6535.4	210.7	493.0	703.7	2.8	17.6
अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	7.9	–	7.9	–	0.2	–	0.2	0.0	2.1	2.1	8.1	2.1	10.2	–	–	0.0	–	0.2
दादर और नगर हवेली	13.6	–	13.6	0.6	2.2	–	2.2	3.1	3.3	6.4	18.9	3.9	22.8	0.0	–	0.0	–	–
दिल्ली	7.4	–	7.4	17.1	10.4	0.1	10.5	0.3	0.0	0.3	18.1	17.2	35.3	–	3.9	3.9	–	–
दमन और दीव	1.8	–	1.8	–	1.9	–	1.9	0.0	1.3	1.3	3.7	1.3	5.0	0.0	–	0.0	–	–
पांडिचेरी	15.8	5.0	20.8	–	0.1	–	0.1	0.0	2.5	2.5	15.9	7.5	23.4	0.9	–	0.9	0.0	1.9
अखिल भारत	40794.3	4743.1	45537.4	27752.4	20826.3	6623.2	27449.5	9808.1	12285.0	22093.1	71428.7	51403.7	122832.4	18526.6	9031.0	27557.8	9406.7	4415.4

वर्ष 2009-10 के दौरान भिन्न-भिन्न फसलों की क्षेत्र व्याप्ति के राज्यवार अनुमान

('000 हैक्टेयर)

राज्य	चावल			गेहूं	मोटे अनाज			दालें			खाद्यान्न			तिलहन			कपास	गन्ना
	खरीफ	रबी	कुल	रबी	खरीफ	रबी	कुल	खरीफ	रबी	कुल	खरीफ	रबी	कुल	खरीफ	रबी	कुल	खरीफ	खरीफ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
आंध्र प्रदेश	2063.0	1378.0	3441.0	10.0	802.0	481.0	1283.0	780.0	1152.0	1932.0	3645.0	3021.0	6666.0	1505.0	567.0	2072.0	1467.0	158.0
अरुणाचल प्रदेश	121.5	-	121.5	3.2	58.9	6.1	65.0	4.2	4.7	8.9	184.6	14.0	198.6	4.6	25.9	30.5	-	1.5
असम	2135.5	360.3	2495.8	58.4	26.1	-	26.1	6.2	109.1	115.3	2167.8	527.8	2695.6	22.7	252.6	275.3	1.6	27.1
बिहार	3117.9	95.8	3213.7	2193.3	246.1	416.2	662.3	69.0	495.9	564.9	3433.0	3201.2	6634.2	7.0	131.8	138.8	-	115.9
छत्तीसगढ़	3670.7	-	3670.7	112.2	268.8	3.1	271.9	227.4	581.5	808.9	4166.9	696.8	4863.7	229.6	100.5	330.1	0.2	12.4
गोवा	47.1	-	47.1	-	0.3	-	0.3	0.4	7.5	7.9	31.9	23.4	55.3	0.6	2.3	2.9	-	0.9
गुजरात	558.0	21.0	679.0	878.0	1266.0	138.0	1404.0	580.0	153.0	733.0	2504.0	1190.0	3694.0	2498.0	295.0	2793.0	2464.0	154.0
हरियाणा	1205.0	-	1205.0	2492.0	669.0	42.0	711.0	42.0	90.0	132.0	1916.0	2624.0	4540.0	5.4	528.0	533.4	507.0	74.0
हिमाचल प्रदेश	76.7	-	76.7	352.5	303.3	21.2	324.5	20.6	9.8	30.4	400.6	383.5	784.1	3.7	10.3	14.0	0.0	2.2
जम्मू और कश्मीर	259.9	-	259.9	288.9	342.8	14.2	357.0	27.3	2.4	29.7	630.0	305.6	935.6	4.6	60.5	65.1	-	0.0
झारखंड	981.7	13.3	995.0	99.7	184.0	24.0	208.0	187.0	128.7	315.7	1352.7	265.7	1618.3	23.9	117.6	141.5	-	6.5
कर्नाटक	1102.0	385.0	1487.0	283.0	2451.0	1255.0	3706.0	1341.0	1138.0	2479.0	4894.0	3061.0	7955.0	1302.0	699.0	2001.0	457.0	337.0
केरल	184.7	49.3	234.0	-	2.9	-	2.9	4.5	5.8	10.3	192.2	55.1	247.3	1.9	-	1.9	1.0	3.0
मध्य प्रदेश	1445.7	-	1445.7	4275.9	1710.0	87.3	1797.3	970.2	3970.3	4940.5	4125.9	8333.5	12459.4	5855.8	909.3	6765.1	610.9	62.1
महाराष्ट्र	1450.0	20.0	1470.0	1081.0	2950.0	5235.7	6185.7	1985.0	1391.0	3376.0	6385.0	5727.7	12112.7	3448.0	436.0	3884.0	3495.0	756.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
मणिपुर	169.4	–	169.4	–	4.8	–	4.8	9.4	5.1	14.5	183.6	5.1	188.7	0.5	0.4	09	–	0.6
मेघालय	95.4	12.8	108.2	0.4	19.6	–	19.6	1.3	2.8	4.0	116.2	15.9	132.2	2.7	7.2	9.9	6.9	0.1
मिजोरम	47.1	0.1	47.2	–	8.3	0.2	8.5	2.4	1.5	3.9	57.8	1.8	59.6	2.4	0.4	2.8	0.2	1.4
नागालैंड	168.6	–	168.6	2.0	78.0	0.0	78.0	15.3	18.2	33.5	261.9	20.2	282.1	28.1	73.2	101.3	0.1	5.1
उड़ीसा	4100.3	264.8	4365.1	4.0	167.5	2.3	169.8	550.4	316.8	867.2	4818.2	587.9	5406.1	193.2	99.0	292.2	54.0	8.0
पंजाब	2802.0	–	2802.0	3522.0	145.0	14.0	159.0	14.4	5.7	20.1	2961.4	3541.7	6503.1	9.8	51.8	61.6	511.0	60.0
राजस्थान	150.7	–	150.7	2394.2	7001.9	224.1	7226.0	2581.0	920.0	3501.0	9733.6	3538.3	13271.9	1819.9	2313.2	4133.1	444.4	6.0
सिक्किम	13.0	–	13.0	5.2	46.0	1.0	47.0	6.7	6.5	13.2	65.7	12.7	78.4	4.0	5.8	9.8	–	–
तमिलनाडु	1688.0	157.5	1845.5	–	510.9	141.7	652.6	134.4	400.3	534.7	2333.3	699.5	3032.8	358.6	136.4	495.0	104.1	293.2
त्रिपुरा	167.8	77.8	245.6	0.7	2.0	–	2.0	3.4	3.1	6.4	173.2	81.5	254.7	1.8	1.7	3.5	1.0	0.9
उत्तर प्रदेश	5173.0	13.7	5186.7	9668.0	1750.6	176.0	1926.6	930.3	1610.4	2540.7	7853.9	11468.1	19322.0	430.0	654.0	1084.0	5.0	1977.0
उत्तराखंड	278.0	16.0	294.0	395.0	232.0	24.0	256.0	38.0	26.0	64.0	548.0	461.0	1009.0	14.0	15.0	29.0	–	96.0
पश्चिम बंगाल	4200.4	1429.7	5630.1	315.9	51.3	63.1	114.4	47.3	134.6	181.9	4299.0	1943.3	6242.3	192.3	490.3	682.6	1.3	13.8
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	8.1	–	8.1	–	0.2	–	0.2	0.3	2.6	2.9	8.6	2.6	11.2	–	–	0.0	–	0.1
दादर और नगर हवेली	12.5	–	12.5	0.7	2.0	–	2.0	2.5	3.4	5.9	17.1	4.0	21.2	0.2	–	0.2	–	–
दिल्ली	6.8	–	6.8	21.3	3.3	0.0	3.3	0.4	0.0	0.4	10.5	21.3	31.8	–	3.9	3.9	–	–
दमन और दीव	2.0	–	2.0	–	0.3	–	0.3	0.0	1.3	1.3	2.3	1.3	3.6	–	–	0.0	–	–
पांडिचेरी	15.8	5.1	20.9	–	0.1	–	0.1	0.0	2.0	2.0	15.9	7.1	23.0	0.6	0.0	0.6	0.0	1.8
अखिल भारत	37602.3	4316.0	41918.3	28457.4	21305.4	6370.2	27675.3	10582.4	12700.0	23282.3	69489.8	51843.6	121333.4	17970.9	7988.1	25958.9	10131.7	4174.6

वर्ष 2010-11 के दौरान भिन्न-भिन्न फसलों की क्षेत्र व्याप्ति के राज्यवार अनुमान दिनांक 09.02.2011 को जारी दूसरे अग्रिम अनुमान)

('000 हैक्टेयर)

राज्य	चावल			गेहूं	मोटे अनाज			दालें			खाद्यान्न			तिलहन			कपास	गन्ना
	खरीफ	रबी	कुल	रबी	खरीफ	रबी	कुल	खरीफ	रबी	कुल	खरीफ	रबी	कुल	खरीफ	रबी	कुल	खरीफ	खरीफ
आंध्र प्रदेश	2924.0	1639.0	4563.0	9.0	688.0	443.0	1131.0	998.0	1026.8	2024.8	4610.0	3117.8	7727.8	1833.0	489.0	2322.0	1740.0	192.0
असम	2060.0	400.0	2460.0	55.0	18.0	0.0	18.0	6.0	39.5	45.5	2084.0	494.5	2578.5	22.0	244.7	266.7	-	30.0
बिहार	2639.6	110.5	2750.1	2074.53	274.9	229.8	504.7	84.4	346.3	430.7	2999.0	2761.1	5760.0	9.2	119.6	128.8	-	300.0
छत्तीसगढ़	3705.7	-	3705.7	98.6	149.4	3.7	153.1	217.1	667.8	884.9	4072.2	770.1	4842.3	221.9	93.2	315.1	0.0	8.2
गुजरात	776.0	21.0	797.0	1126.0	1052.0	119.0	1171.0	669.0	217.0	886.0	2497.0	1483.0	3980.0	2433.9	248.0	2681.9	2633.0	188.0
हरियाणा	1250.0	-	1250.0	2475.0	716.0	45.0	761.0	58.0	141.0	199.0	2024.0	2661.0	4685.0	5.0	570.0	575.0	433.0	102.0
हिमाचल प्रदेश	78.2	-	78.2	357.0	309.1	22.3	331.4	20.3	9.7	30.0	407.7	389.0	796.7	3.8	10.0	13.8	-	2.3
जम्मू और कश्मीर	260.3	-	260.3	282.0	336.9	14.0	350.9	43.5	2.6	46.0	640.6	298.6	939.2	5.4	59.2	64.6	-	0.0
झारखंड	717.4	13.3	730.7	101.1	217.3	9.0	226.3	271.7	135.3	407.0	1206.4	258.7	1465.1	56.6	124.8	181.4	-	6.6
कर्नाटक	1090.0	330.0	1420.0	261.0	2394.0	1081.0	3475.0	1594.0	1106.0	2700.0	5078.0	2778.0	7856.0	1114.0	483.0	1597.0	525.0	421.0
केरल	165.1	49.3	214.4	-	0.7	0.0	0.7	0.8	0.5	1.3	166.6	49.8	216.4	1.5	0.0	1.5	0.5	1.7
मध्य प्रदेश	1563.6	-	1563.6	3865.9	1618.1	66.7	1684.8	967.0	3829.1	4796.1	4148.7	7761.7	11910.4	6131.4	881.3	7012.7	651.0	75.8
महाराष्ट्र	1547.0	34.0	1581.0	1269.0	2879.0	2759.0	5638.0	2631.0	1525.0	4156.0	7057.0	5587.0	12644.0	3018.0	293.0	3311.0	3973.0	964.0
उड़ीसा	4022.1	300.0	4322.1	4.4	204.4	2.2	206.5	461.1	336.1	797.2	4687.5	642.6	5330.2	197.9	129.5	327.4	75.0	9.9
पंजाब	2820.0	-	2820.0	3500.0	138.0	18.0	156.0	15.0	11.0	26.0	2973.0	3529.0	6502.0	9.0	61.0	70.0	530.0	70.0
राजस्थान	117.5	-	117.5	2479.2	7381.5	295.3	7676.8	2836.1	1664.8	4500.9	10335.1	4439.4	14774.5	1792.0	3194.0	4986.0	200.0	7.1
तमिलनाडु	1728.1	161.2	1889.3	-	544.4	279.5	823.8	331.2	197.0	528.2	2603.7	637.6	3241.3	383.6	255.2	638.8	130.0	325.6
उत्तर प्रदेश	5657.0	13.7	5670.7	9518.0	1892.0	261.0	2153.0	851.5	1824.0	2675.5	8400.5	11616.7	20017.2	432.0	1046.0	1478.0	-	2125.0
उत्तराखंड	274.0	16.0	290.0	403.0	232.0	24.0	256.0	39.0	38.0	77.0	545.0	481.0	1026.0	13.0	20.0	33.0	-	107.0
पश्चिम बंगाल	3544.0	1215.5	4759.5	340.0	56.6	62.4	119.0	45.4	134.1	179.5	3646.0	1752.0	5398.0	212.3	486.2	698.5	-	15.0
अन्य	859.2	111.6	970.8	33.4	223.8	7.3	231.1	52.5	65.2	117.7	1135.5	217.5	1353.1	45.4	120.8	166.2	75.5	10.9
अखिल भारत	37798.7	4415.1	42213.9	28252.1	21326.0	5742.2	27068.3	12192.6	13316.7	25509.4	71317.4	51726.2	123043.6	17940.9	8928.6	26869.5	11056.0	4962.0

प्राचीन भाषाओं के लिए सुविधाएं

112. **श्री पी. बलराम : क्या संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तेलुगु और तमिल भाषाओं सहित प्राचीन भाषाओं के विकास तथा प्रचार के लिए विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कर रही है;

(ख) यदि हां, तो ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भाषा-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) से (ग) तेलगू और कन्नड़ को 'प्राचीन भाषाओं' के रूप में वर्गीकृत करने के लिए सरकार के 31.1.2008 के निर्णय के अनुसरण ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अनुवर्ती कार्रवाई की है और स्थायी वित्त समिति का मसौदा नोट, केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर में प्राचीन कन्नड़ और प्राचीन तेलगू में अध्ययन हेतु उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित करने सहित प्राचीन कन्नड़ और प्राचीन तेलगू में लब्धप्रतिष्ठित विद्वानों को वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय देने के संबंध में योजना आयोग के 'सिद्धांत रूप में' अनुमोदन प्राप्त करने के लिए उसे भेजा गया है।

जहां तक प्राचीन तमिल का संबंध है, तमिल को अक्तूबर, 2004 में प्राचीन भाषा के रूप में वर्गीकृत किए जाने के परिणाम स्वरूप जुलाई, 2005 में केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर को तमिल के विकास की केन्द्रीय योजना स्कीम सौंपी गई थी। इसके बाद केन्द्रीय मंत्रिमंडल में जनवरी, 2008 में केन्द्रीय प्राचीन तमिल संस्थान (सीआईसीटी) चेन्नई की स्थापना का अनुमोदन किया, जिसने औपचारिक रूप से 30.06.2008 से कार्य करना शुरू किया। सीआईसीटी के तहत मुख्य स्कीम पुरस्कार, 10 प्रमुख परियोजनाएं, अध्येतावृत्तियां, अल्प कालिप परियोजनाओं, कार्यक्रमों (बैठक, कार्यशालाएं, प्रशिक्षण और सेमिनार) के लिए सहायता अनुदान, पुस्तकालय, अपना वेबसाइट तैयार करने के अलावा प्रकाशन (न्यूजलेटर, पुस्तकें और सीडी) हैं। भारत सरकार ने प्राचीन तमिल भाषा के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार का प्रावधान किया है। वर्ष 2005-06, 2007-08, 2008-09, 2009-10 और 2010-11 (15 फरवरी, 2011 तक) के दौरान प्राचीन तमिल पर क्रमशः 0.46 करोड़ रु., 2.82 करोड़ रु., 4.01 करोड़ रु., 4.47 करोड़ रु., 8.61 करोड़ रु. और 8.89 करोड़ रु. खर्च किए गए।

सरकार पहले ही तीन विश्वविद्यालय केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयों नामत: राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (आरएसकेएस) नई दिल्ली, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ (एसएलबीएसआरएसवी) नई दिल्ली और राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ (आरएसवी), तिरूपति के माध्यम से प्राचीन भाषा संस्कृत का प्रसार कर रही है। सरकार की संस्कृत के विद्वानों को सम्मान प्रमाणपत्र के रूप में राष्ट्रपति पुरस्कार देने की स्कीम है।

असम में उग्रवाद

113. **श्री के. सुगुमार : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में नेशनलन डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड द्वारा उग्रवादी गतिविधियों को बढ़ाने तथा कत्लेआम करने की जानकारी प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार ने राज्य में ऐसी कार्रवाइयों को रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2009 में नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोरोलैण्ड (एन डी एफ बी) हिंसा की 168 घटनाओं में संलिप्त था जिनके परिणामस्वरूप 63 लोग (3 सुरक्षा बल कार्मिकों सहित) मारे गए। वर्ष 2010 में यह गुट हिंसा की 146 घटनाओं में 46 व्यक्तियों (4 सुरक्षा बल कार्मिकों सहित) की हत्या केलिए जिम्मेदार था।

(ख) और (ग) राज्य सरकार से आसूचना एजेंसियों को चुस्त बनाने सहित सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने और स्थिति से निपटने के लिए कार्य योजना तैयार करने का अनुरोध किया गया था। वर्ष 2010 के दौरान, 71 एन डी एफ बी काडरों का सफाया किया गया, 177 को गिरफ्तार किया गया और 88 काडरों ने आत्मसमर्पण किया था।

एन डी एफ बी ने 30 दिसम्बर, 2010 से छह माह की अवधि के लिए राष्ट्रविरोधी गतिविधियों को एकतरफा विराम देने की घोषणा की है। राज्य और केन्द्र दोनों स्तरों पर स्थिति की नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है।

मृदा संरक्षण

114. **श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मृदा की स्थिति तथा इसकी उत्पादकता में सुधार करने के लिए तथा उर्वरकों के विवेक सम्मत उपयोग को बढ़ावा देने हेतु नेशनल प्रोजेक्ट आन मेनेजमेंट आफ स्वाइल हैल्थ फर्टिलिटी नामक परियोजना आरंभ की है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता प्रबंधन परियोजना वर्ष 2008-09 से लागू की गई है। इस परियोजना के अंतर्गत देश में मृदा स्वास्थ्य और इसकी उर्वरता में सुधार करने के लिए मृदा परीक्षण को बढ़ावा देने के लिए 119 स्थैतिक मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं, 116 गतिशील मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं, 14 उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना और विद्यमान 155 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं तथा 39 उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण को मंजूरी दी गई है। परियोजना के अंतर्गत आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम/प्रदर्शन भी मृदा परीक्षण और उर्वरकों के संतुलित अनुप्रयोग के संबंध में जागरूकता बढ़ाने में सफल हुए हैं। परिणामस्वरूप मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की क्षमता 69.7 लाख नमूनों (2006-07) से बढ़कर 78.32 लाख (2009-10) हो गई है।

[हिन्दी]

खेलकूद को बढ़ावा

115. **श्री नारनभाई कछाड़िया :** क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान विभिन्न खेलकूद क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के लिए आबंटित की गई/जारी की गई तथा व्यय की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का कबड्डी, फुटबाल, हॉकी, बॉस्केटबॉल, वालीबाल और अन्य पारंपरिक खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए विशेष बल देने तथा खिलाड़ियों को विशेष खेल प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजनार्थ कितने प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं तथा स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान विभिन्न खेल परिसंघों के निर्गत निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय खेल परिसंघों को वित्तीय सहायता के लिए अपनी स्कीम के अंतर्गत सरकार राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है ताकि वे संबंधित खेल परिसंघों और भारतीय खेल प्राधिकरण के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने के लिए तैयार करने हेतु प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें। इसके अतिरिक्त सरकार शीर्ष खिलाड़ियों को भारतीय और विदेशी कोचों के अंतर्गत विशेष प्रशिक्षण, भारत और विदेश में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भागीदारी, प्रतिभा खोज और प्रशिक्षण से संबंधित स्कीम और राष्ट्रीय खेल विकास निधि के अंतर्गत सीधे तौर पर भी वित्तीय सहायता प्रदान करती है। बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी और वालीबाल की विधा में अत्यधिक भागीदारी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इन विधाओं को स्तरोन्नत कर प्राथमिकता श्रेणी में रखा है ताकि अधिक सहायता का उपयोग किया जा सके। कबड्डी की विधा पहले ही प्राथमिकता श्रेणी में है। अत्या-पत्ता, मलखंभ आदि जैसे अन्य पारंपरिक खेलों को भी राष्ट्रीय चैम्पियनशिप आयोजित करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

भाखेप्रा के अनेक प्रशिक्षण केंद्र हैं और विद्यमान सुविधाओं को समेकित करने का प्रयास किया जा रहा है।

विवरण

राष्ट्रीय खेल परिसंघ को सहायता की योजना तथा राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के लिए भारतीय दल तैयार करने के तहत वर्ष 2007-08 से 2010-11 के दौरान राष्ट्रीय खेल परिसंघ को जारी अनुदान का विवरण

(करोड़ में)

क्रम सं.	परिसंघों के नाम	2007-08	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5
1	भारतीय एथलेटिक परिसंघ, नई दिल्ली	2.33	2.32	3.10

1	2	3	4	5
2	भारतीय तीरंदाजी संघ, नई दिल्ली	0.81	0.96	5.26
3	अखिल भारतीय शतरंज परिसंघ, चेन्नै	2.39	2.21	2.71
4	भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ, नई दिल्ली	7.17	4.21	6.65
5	अखिल भारतीय टेनिस संघ, नई दिल्ली	0.92	1.37	2.64
6	भारतीय जूडो परिसंघ, नई दिल्ली	0.92	0.62	0.92
7	भारतीय रोइंग परिसंघ सिकंदराबाद	0.65	0.55	1.35
8	भारतीय टेबल टेनिस परिसंघ, नई दिल्ली	3.32	1.79	3.88
9	भारतीय तैराकी परिसंघ, अहमदाबाद	0.84	0.15	1.53
10	भारतीय स्क्वैश रैकेट परिसंघ, चेन्नै	0.11	0.57	1.73
11	भारतीय एमेच्योर बाक्सिंग परिसंघ, नई दिल्ली	1.54	1.85	1.91
12	हाकी (पु.) एवं हाकी (महिला) से संबंधित संगठन	3.16	3.45	7.82
13	भारतीय भारोत्तोलन परिसंघ, नई दिल्ली	0.00	0.26	1.11
14	भारतीय बैडमिंटन संघ	1.99	2.66	4.58
15	भारतीय घुड़सवारी परिसंघ, नई दिल्ली	0.61	0.86	0.08
16	अखिल भारतीय फुटबाल परिसंघ, दिल्ली	0.68	0.52	0.42
17	भारतीय गोल्फ यूनियन, नई दिल्ली	0.56	0.18	0.20
18	भारतीय कुश्ती परिसंघ, आईजी स्टेडियम, दिल्ली	0.06	1.18	4.76
19	भारतीय याटिंग संघ, नई दिल्ली	1.17	0.36	2.33
20	भारतीय एमेच्योर कबड्डी परिसंघ, जयपुर	0.25	0.32	0.18
21	भारतीय वालीबाल परिसंघ, चेन्नै	1.04	0.63	1.04
22	भारतीय जिम्नास्टिक परिसंघ, जोधपुर	0.39	0.18	0.90
23	भारतीय एमेच्योर हैण्डबाल परिसंघ, जम्मू व कश्मीर	0.18	0.72	0.24
24	भारतीय बास्केबाल परिसंघ	0.71	0.44	0.62
25	भारतीय फेंसिंग संघ, पटियाला	0.06	0.24	0.50
26	भारतीय कयाकिंग व केनोइंग संघ, नई दिल्ली	0.43	0.30	0.52

1	2	3	4	5
27	बधिरों हेतु अखिल भारतीय खेल परिषद, नई दिल्ली	0.17	0.42	0.48
28	पैराओलंपिक कमिटि, भारत	2.19	0.40	3.43
29	विशेष ओलंपिक भारत, नई दिल्ली	0.87	0.53	0.04
30	अखिल भारतीय कैरम परिसंघ, नई दिल्ली	0.15	0.19	0.16
31	अखिल भारतीय कराटे डू परिसंघ, चेन्नई	0.00	0.00	0.00
32	भारतीय एमेच्योर बेसवाल परिसंघ, नई दिल्ली	0.09	0.11	0.14
33	भारतीय आत्या-पात्या परिसंघ, नागपुर	0.08	0.16	0.08
34	भारतीय बाल बैडमिंटन परिसंघ	0.00	0.00	0.00
35	भारतीय साइकल-पोलो परिसंघ, नई दिल्ली	0.14	0.15	0.12
36	भारतीय बाडी बिल्डिंग परिसंघ	0.00	0.00	0.00
37	भारतीय पोलो संघ, नई दिल्ली	0.02	0.06	0.00
38	भारतीय भारोत्तोलन परिसंघ, जमशेदपुर	0.11	0.16	0.12
39	भारतीय खो-खो परिसंघ, कोलकाता	0.00	0.00	0.04
40	भारतीय कोर्फबाल परिसंघ, नई दिल्ली	0.13	0.12	0.13
41	भारतीय नेटबाल परिसंघ, नई दिल्ली	0.14	0.18	0.65
42	भारतीय रोलर स्केटिंग परिसंघ, कोलकाता	0.00	0.00	0.00
43	भारतीय सेपक टाकरों परिसंघ, नागपुर	0.11		0.10
44	भारतीय शूटिंग बाल परिसंघ, नई दिल्ली	0.00	0.09	0.24
45	भारतीय साफ्टबाल परिसंघ, इंदौर	0.09	0.00	0.13
46	भारतीय ताइक्वांडो परिसंघ, बंगलौर	0.00	0.00	0.12
47	भारतीय टेनीक्वाइट परिसंघ, बंगलौर	0.09	0.16	0.09
48	भारतीय टेनिस बाल क्रिकेट परिसंघ, गोरखपुर	0.08	0.16	0.07
49	भारतीय रस्काकशी परिसंघ, नई दिल्ली	0.03	0.06	0.10
50	भारतीय वुशू संघ, नई दिल्ली	0.11	0.31	0.31
51	भारतीय थ्रो-बाल परिसंघ, बंगलौर	0.19	0.00	0.00

1	2	3	4	5
52	भारतीय बिलियडर्स एवं स्नूकर परिसंघ, कोलकाता	0.33	0.37	0.44
53	भारतीय रग्बी फुटबाल यूनियन, मुम्बई	0.00	0.00	2.02
54	भारतीय शीतकालीन खेल परिसंघ, नई दिल्ली	0.00	0.02	2.02
55	भारतीय महिला क्रिकेट परिसंघ, दिल्ली (इसे बीसीसीआई के साथ मिला दिया गया है)	0.01	0.00	0.00
56	भारतीय साइक्लिंग परिसंघ, दिल्ली	0.27	0.00	0.49
57	भारतीय मलखंभ परिसंघ	0.03	0.09	0.0016
58	भारतीय एमेच्योर साफ्ट टेनिस परिसंघ	0.00	0.06	0.11
59	भारतीय ब्रिज परिसंघ	0.00	0.03	0.00
60	आइस हॉकी (एनएसपीओ)	0.00	0.01	0.00
61	भारतीय स्कूल गेम्स परिसंघ, भोपाल	0.00	0.13	0.72
62	भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन, नई दिल्ली	2.44	2.38	2.59
63	भा.खे.प्रा., जे.एन. स्टेडियम, नई दिल्ली	17.00	71.00	209.72
64	भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एनएसपीओ)	-	-	1.58
65	भारतीय टेनपिन परिसंघ	-	-	-
66	भारतीय बालिंग परिसंघ	-	0.02	0.57

2010-11 उपर्युक्त योजना के तहत 93.43 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है। (67.79 करोड़ रु. राष्ट्रीय खेल परिसंघ को सहायता की योजना तथा 25.64 करोड़ रु. राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के लिए भारतीय दल तैयार करने के तहत)

[अनुवाद]

एनएसएफ और बीसीसीआई का पंजीकरण

116. **श्री ई.जी. सुगावनम : क्या युवा कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) सहित सभी राष्ट्रीय खेल संघों (एनएसएफ) को पंजीकृत कराने का निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा एवं उद्देश्य क्या है;

(ग) उनके पंजीकरण पर सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाएं क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम/की गई कार्रवाई क्या है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) जी हां। सरकार ने वर्ष 2010 से वार्षिक मान्यता की एक प्रणाली शुरू की है तदनुसार बीसीसीआई समेत सभी राष्ट्रीय खेल परिसंघों से संविधान/संगम नियमावली, वार्षिक रिपोर्ट, परीक्षित लेखें, राष्ट्रीय चैम्पियनशिप आयोजित करने के ब्यौरे, अंतर्राष्ट्रीय परिसंघ तथा एशियाई परिसंघ से मान्यता के समर्थन में दस्तावेज, डोपिंग मुक्त खेल के उपायों के अनुपालन तथा खेल में आयु संबंधी

धोखाधड़ी जैसे विभिन्न दस्तावेज मुहैया कराने का अनुरोध किया गया था।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय खेल परिसंघ जिन्हें वार्षिक मान्यता प्रदान की जाती है वे मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता तथा सीमा शुल्क छूट, आयकर छूट आदि जैसे अन्य लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। जो परिसंघ सरकारी दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करते वे ऐसी सुविधाएं पाने के पात्र नहीं है।

केंद्रीय योजनाओं का कार्यान्वयन

117. **श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार ने हाल में पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्य मंत्रियों की बैठक बुलायी थी;

(ख) यदि हां, तो इसमें विचारित मुद्दों तथा लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस क्षेत्र के कुछ राज्य अपने राज्यों में केंद्र प्रायोजित योजनाओं को लागू नहीं कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं एवं इस संबंध में कौन से सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री बी.के. हान्डिक) : (क) से (घ) गृह मंत्रालय द्वारा 01 फरवरी, 2011 को नई दिल्ली में आंतरिक सुरक्षा पर देश के सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में अन्य के साथ-साथ उत्तर-पूर्वी राज्यों के मुख्य मंत्रियों/मुख्य सचिवों/पुलिस महानिदेशकों ने भाग लिया था। सम्मेलन में देश की आंतरिक सुरक्षा से संबंधित प्रमुख मामलों जैसे - उत्तर-पूर्वी राज्यों में उग्रवाद, पुलिस बल का आधुनिकीकरण आदि पर चर्चा की गई थी।

[हिन्दी]

वर्ष 2011 की जनगणना में विदेशी नागरिकों का समावेशन

118. **श्री राधा मोहन सिंह : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न राज्यों में वर्ष 2011 की जनगणना प्रारंभ हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसे पूरा करने में कितना समय लगने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त जनगणना में उन बांग्लादेशी नागरिकों को भी शामिल करने का है जो देश के विभिन्न भागों में अवैध रूप से रह रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा ऐसे विदेशी नागरिकों की किस तारीके से पहचान किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरूदास कामत) : (क) और (ख) जी हां। जनगणना कार्य दो चरणों में किया जाता है। जनगणना 2011 का प्रथम चरण-मकान सूचीकरण और मकानों की गणना 1 अप्रैल, 2010 से शुरू हुआ और देश के ज्यादातर हिस्सों में 30 सितम्बर, 2010 तक पूरा कर लिया गया था। केवल छत्तीसगढ़ राज्य में समय-सीमा को 31 अक्तूबर, 2010 तक बढ़ाया गया था। जनगणना के दूसरे चरण "जनसंख्या की गणना" का कार्य भी 9 फरवरी, 2011 को शुरू हो चुका है और इसे 28 फरवरी, 2011 तक पूरा कर लिया जाएगा तथा 1 मार्च से 5 मार्च, 2011 के दौरान जांच कार्य किया जाएगा। कुछ क्षेत्र फरवरी माह में हिमपात के कारण अगम्य होते हैं अत: ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या की गणना का कार्य अग्रिम तौर पर 11 सितम्बर, 2010 से 30 सितम्बर, 2010 तक किया गया तथा इसकी जांच का कार्य 1 अक्तूबर, 2010 से 5 अक्तूबर, 2010 तक किया गया। आंकड़े एकत्रित करने के बाद आंकड़ों का संसाधन किया जाएगा तथा इसके पश्चात आंकड़ों के प्रसार का कार्य किया जाएगा।

(ग) और (घ) जनगणना में गणना के लिए निम्नलिखित व्यक्ति पात्र हैं :

(i) वे सभी व्यक्ति जो सम्पूर्ण गणना अवधि अर्थात् 9 फरवरी से 28 फरवरी, 2011 (दोनों दिन शामिल हैं) के दौरान सामान्यत: उस परिवार में रहते हैं और उपस्थित हैं;

(ii) वे भी जो सामान्यत: वहां के निवासी के रूप में जाने जाते हैं और जो गणना अवधि (9 फरवरी से 28 फरवरी, 2011) के कुछ भाग के दौरान परिवार में वास्तव में रहे हैं लेकिन प्रगणक के पहुंचने के समय उपस्थित नहीं हैं;

(iii) वे भी जो परिवार के सामान्य निवासी के रूप में जाने जाते हैं और प्रगणक के पहुंचने के समय उपस्थित नहीं है लेकिन 28 फरवरी, 2011 तक जिनकी वापसी की प्रत्याशा है; और

(iv) आगंतुक जो प्रगणक द्वारा गणना किए गए परिवार में उपस्थित हैं और सम्पूर्ण गणना अवधि के दौरान जिनकी अपने सामान्य निवास स्थान से दूर रहने की संभावना है।

अत: ऐसे विदेशी जिनकी संूपर्ण गणना अवधि के दौरान देश की भौगोलिक सीमा के भीतर रहने की संभावना है उनकी गणना उनके रहने के स्थान पर की जाती है। तथापि राजनयिक स्थिति वाले विदेशियों और उनके परिवार की गणना नहीं की जाती है। जनगणना में व्यक्ति की राष्ट्रीयता नहीं पूछी जाती है।

[अनुवाद]

भ्रामक विज्ञापनों का प्रकाशन

119. **श्री एस. पक्कीरप्पा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विज्ञापनों के प्रकाशन के लिए ठोस नीति के अभाव के कारण भ्रामक विज्ञापनों का निर्बाध प्रकाशन हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे विज्ञापनों का विरोध करने के लिए किसी प्रभावी नीति के निर्माण करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी घोषणा कब तक किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ) : (क) से (ङ) जी, नहीं। प्रैस परिषद अधिनियम, 1978 के अंतर्गत भारतीय प्रैस परिषद (पीसीआई) नामक स्वायत्तशासी निकाय की स्थापना प्रैस की स्वाधीनता को परिरक्षित करने तथा भारत में समाचारपत्रों एवं समाचार एजेंसियों के मानकों को बरकरार रखने व उनमें सुधार लाने और प्रैस के बीच स्व-विनियमन के सिद्धांतों को आत्मसात कराने के उद्देश्य से की गई थी। प्रैस परिषद ने भारतीय प्रैस परिषद अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत पत्रकारिता संबंधी आचरण के मानदण्ड विकसित किए हैं जिनमें पत्रकारिता से संबंधित सिद्धांत एवं आचार संहिता शामिल हैं। प्रिंट मीडिया द्वारा विज्ञापनों को स्वीकार करते समय इन मानदण्डों का अनुसरण किया जाना चाहिए। प्रैस परिषद विज्ञापनों के संबंध में निगरानी भी करती है और स्व-प्रेरणा से अथवा शिकायतें प्राप्त होने पर ऐसे भ्रामक विज्ञापनों का संज्ञान लेती है जिनके बारे में वह प्रथम दृष्टया इस बात से संतुष्ट होती है कि उनके प्रशासन से पत्रकारिता की आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है। विज्ञापनों के संबंध में 'पत्रकारिता संबंधी आचरण के मानदण्ड' का पैरा 36 संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

पत्रकारिता के आचरण के मानक

35 **विज्ञापन :**

(i) वाणिज्यिक विज्ञापन वैसी ही जानकारी होते हैं जैसी सामाजिक, आर्थिक अथवा राजनीतिक जानकारी। इतना ही नहीं, विज्ञापन जीवन की रीति तथा प्रवृत्ति को कम से कम वैसे ही निरूपित करते हैं जैसे अन्य प्रकार की जानकारी तथा टीका। पत्रकारिता की मर्यादा की यह मांग है कि विज्ञापन समाचार-पत्र में प्रकाशित अन्य सामग्री से स्पष्ट रूप से अलग दिखाई दें।

(ii) ऐसा कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जाएगा जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सिगरेट, तंबाकू उत्पादों, शराब, मदिरा, अलकोहल तथा अन्य मादक द्रव्यों के उत्पादन, बिक्री या सेवन को प्रोत्साहित करे।

(iii) समाचार-पत्र ऐसा कोई विज्ञापन प्रकाशि नहीं करेगा जिसमें समाज के किसी वर्ग या समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की अथवा समग्र रूप से अहित करने की प्रवृत्ति हो।

(iv) **जो विज्ञापन औषधि और चमत्कारिक उपचार (आक्षेप्रणीय विज्ञापन) अधिनियम, 2002 में यथा संशोधित उपबंधों या अन्य किसी कानून का उल्लंघन करते हों, उन्हें अस्वीकृत कर दिया जाए।**

(v) समाचार-पत्र ऐसी किसी बात वाले विज्ञापन को प्रकाशित न करें जो अवैध या गैर-कानूनी हो या लोक मर्यादा, सुरुचि अथवा पत्रकारिता की आचारनीति अथवा औचित्य के विरुद्ध हो।

(vi) पत्रकारिता की मर्यादा की यह मांग है कि विज्ञापन समाचार-पत्र में प्रकाशित संपादकीय सामग्री से स्पष्ट अलग दिखाई दे। विज्ञापन प्रकाशित करते समय समाचार पत्र उनके लिए वसूल की गई राशि विनिर्दिष्ट करेंगे। इसके पीछे तर्क यह है कि विज्ञापनों के लिए राशि उसी दर से ली जाए जिससे

सामान्यत: समाचार-पत्र द्वारा ली जाती है क्योंकि सामान्य दर से अधिक भुगतान समाचार-पत्र को सहायता माना जाएगा।

(vii) डम्मी तथा उठाए गए विज्ञापनों का प्रकाशन जिनके लिए न तो भुगतान किया गया हो और न ही विज्ञापकों द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, पत्रकारिता की आचार नीति का उल्लंघन है, विशेषत: जब समाचार पत्र उन विज्ञापनों के लिए बिल भेजे।

(viii) किसी विज्ञापन को जान बूझकर समाचार पत्र की सभी प्रतियों में प्रकाशित न करना पत्रकारिता की आचार नीति के मानकों के प्रति अपराध है और घोर व्यावसायिक कदाचार है।

(ix) प्रकाशन के लिए प्राप्त किसी विज्ञापन के कानूनी औचित्य अथवा अनौचित्य पर विचार करने के मामले में समाचार पत्र के विज्ञापन विभाग तथा संपादन विभाग के बीच पूर्ण समन्वय तथा संचार होना चाहिए।

(x) संपादकों को चाहिए कि विज्ञापनों को स्वीकार या अस्वीकार करने में अंतिम निर्णय के अपने अधिकार पर आग्रह करें, विशेषत: उनको जो शालीनता तथा अश्लीलता के बीच वाली सीमा रेखा पर हों अथवा उसे पार कर रहे हों।

(xi) समाचारपत्र वैवाहिक विज्ञापनों के साथ निम्नलिखित शब्दों में सावधानता सूचना प्रकाशित करें।

"पाठकों को सलाह दी जाती है कि किसी विज्ञापन पर क्रिया करने से पहले पूरी तरह उपयुक्त जांच पड़ताल कर लें। यह समाचार पत्र वर/वधू की स्थिति, आयु, आय के विवरण के बारे में विज्ञापक द्वारा किए गए दावे या उल्लेख की पुष्टि समर्थन नहीं करता।"

- पाद टिप्पणी : दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय ने श्रीमती हरजीत कौर बनाम श्री सुरिंदर पाल सिंह के एफएओ सं. 65/1998 के संबंध में भारतीय प्रेस परिषद को निर्देश दिए हैं कि समाचार पत्रों को वर्गीकृत/वैवाहिक विज्ञापन के साथ उक्त सावधानता सूचना प्रकाशित करने के लिए कहा जाए।

(xii) समाचार पत्र में प्रकाशित सभी बातों के लिए, विज्ञापनों सहित, संपादक उत्तरदायी होगा। यदि उत्तरदायित्व न लेना हो तो इसका पहले से स्पष्ट उल्लेख कर दिया जाए।

(xiii) मनोरंजक बातचीत और सांकेतिक (अश्लील) दूर वार्ता (टेलीटॉक) हेतु दिए गए नंबर डायल करने के लिए आम जनता को आमंत्रित करते हुए संपूर्ण देश में समाचार-पत्रों द्वारा दिए गए टेली-फ्रैंडशिप (दूर मैत्री) विज्ञापन किशोरों के विचारों को प्रदूषित करने अनैतिक सांस्कृतिक लोकाचार को बढ़ावा दे सकते हैं। प्रैस को ऐसे विज्ञापन अस्वीकार कर देने चाहिए।

(xiv) गुप्त प्रलोभन के संकेतक, अशोभनीय भाषाओं का प्रयोग करते हुए स्वास्थ्य और शारीरिक स्वस्थता सेवाओं के वर्गीकृत विज्ञापन विधि के साथ-साथ नीति का उल्लंघन करते हैं। समाचार-पत्र को यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रलोभनकारी विज्ञापन दिए जाएं, ऐसे विज्ञापन के पुनरीक्षण के लिए कोई तंत्र अपनाना चाहिए।

(xv) हमारे सामाजिक परिवेश और स्वीकृत परंपरागत मूल्यों, जो कि हमारे देश में प्रिय माने गए हैं, में गर्भ निरोधक विज्ञापन तथा विज्ञापन के साथ ब्रांड आइटम को संलग्न करना नैतिक नहीं है। एक समाचार-पत्र का परम धर्म है कि वह एड्स से बचने के लिए एहतियाती कार्रवाई के बारे में लोगों को शिक्षित करे और विज्ञापन, चाहे वे सामाजिक कल्याण संगठन द्वारा जारी किए गए हों, को स्वीकार करने में अपेक्षाकृत अधिक दूरदर्शिता दिखाएं।

(xvi) रोजगार समाचार जिस पर सरकारी नौकरियां के प्रमाणिक समाचार के व्यवस्थापक के रूप में विश्वास किया जाता है, को केवल वास्तविक प्राइवेट निकायों के विज्ञापन स्वीकार करने में अधिक सावधान रहना चाहिए।

(xvii) शैक्षणिक संस्थानों के विज्ञापन स्वीकार करते हुए समाचार-पत्रों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे विज्ञापनों में यह अनिवार्य विवरण दिया जाए कि संबद्ध संस्थानों को कानून के संगत अधिनियमनों के तहत मान्यता दी गई है।

(xviii) आज के समाज के सरोकारों तथा मूल्यों के निर्धारण में विज्ञापन अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं और चूंकि उसके प्रति अधिकाधिक उदारवादी दृष्टिकोण रखा जा रहा है जोकि मानक नहीं है, लोकानुभूमति में ऐसे मामलों की स्वीकार्यता में तेजी आ सकती है परंतु किस कीमत पर यह विचारणीय महत्वपूर्ण बिंदु है। यह ध्यान रखना चाहिए कि संबद्ध विश्व दौड़ में हमें उन मूल्यों को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए जिनके कारण ही भारत को नैतिकता और आचार के धरातल पर संपूर्ण विश्व में अद्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय बागवानी मिशन

120. **श्री सैयद शाहनवाज हुसैन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2009-10 और 2010-11 के दौरान बिहार सहित देश के विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत निष्पादित कार्यों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान आबंटित, जारी की गई और वास्तव में प्रयुक्त की गई निधियों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव) : (क) वर्ष 2009-10 और 2010-11 के दौरान बिहार सहित देश के विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एन एच एम) के अंतर्गत निष्पादित कार्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) वर्ष 2009-10 और 2010-11 के दौरान (एन एच एम) के अंतर्गत आबंटित, निर्मुक्त और प्रयुक्त निधियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

वर्ष 2009-10 और 2010 (16.02.2011 तक) के दौरान राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत निष्पादित कार्य का राज्य वार ब्यौरा

राज्य	नर्सरी की संख्या	क्षेत्र कवरेज (हैक्टेयर)	पुनरुद्वार (हैक्टेयर)	जैविक कृषि (है.)	आई पी एम (है.)	आई पी एम अवसंरचना (सं.)	कटाई बाद प्रबंधन (सं.)	मण्डी (सं.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	2	42124	25806	2193	24109	5	52	0
बिहार	14	15033	136	346	1150	1	6	0
छत्तीसगढ़	21	45141	500	2241	10000	0	311	0
दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0
गोवा	0	785	1165	348	10	0	0	0
गुजरात	10	16700	970	5000	5409	12	53	0
हरियाणा	10	15933	152	7003	10230	15	69	6
झारखंड	5	21738	75	0	0	12	0	18
कर्नाटक	35	48247	8310	8656	226321	4	471	1
केरल	123	64296	23615	6082	7293	9	1	6
मध्य प्रदेश	20	41925	3656	0	1401	0	9	1
महाराष्ट्र	10	49971	34688	1422	1488	14	422	2
उड़ीसा	68	61322	1200	0	200	0	5	0
पांडिचेरी	0	855	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
पंजाब	1	11748	1273	4500	2000	6	88	1
राजस्थान	15	26312	656	908	8398	6	13	1
तमिलनाडु	23	84839	6756	1534	4302	320	0	76
उत्तर प्रदेश	13	33573	3521	0	4835	5	111	0
पश्चिम बंगाल	21	19032	2266	640	3703	4	24	0
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	12	240	0	90	200	0	0	0
कुल	403	599814	114746	40963	311049	413	1635	112

विवरण-II

वर्ष 2009-10 और 2010-11 (16.2.2011 तक) के दौरान राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत आबंटित, निर्मुक्त और प्रयुक्त निधियों का राज्यवार ब्यौरा

(लाख रु. में)

राज्य	2009-10			2010-11		
	आबंटित निधि	निर्मुक्त निधि	प्रयुक्त निधि	आबंटित निधि	निर्मुक्त निधि	प्रयुक्त निधि
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	13405.58	9566.59	10415.14	10518.75	8800.00	8340.52
बिहार	3825.00	2435.17	2658.65	3825.00	-*	1337.24
छत्तीसगढ़	6990.40	6000.00	6687.34	9775.00	7914.00	6457.52
गोवा	336.03	150.00	145.77	425.00	162.00	120.45
गुजरात	6300.00	2521.32	3421.87	6290.00	3797.00	3313.63
हरियाणा	8547.73	5600.00	6829.22	6885.00	5150.00	3572.01
झारखंड	4766.31	3084.00	4183.66	4250.00	1600.00	2366.99
कर्नाटक	11220.00	8001.67	11368.69	11220.00	8525.00	6216.99
केरल	4740.87		8194.42	7130.10	1900.00	3622.11
मध्य प्रदेश	6800.00	3545.00	6284.12	8500.00	5100.00	3752.27
महाराष्ट्र	16347.62	9173.20	18598.02	12750,00	8648.00	4297.91

1	2	3	4	5	6	7
उड़ीसा	6520.25	3500.00	5556.68	5525.00	3259.00	3977.03
पंजाब	3853.89	2578.00	3605.29	4250.00	2500.00	2288.52
राजस्थान	5978.80	2500.00	3665.73	5950.00	3000.00	2575.27
तमिलनाडु	10200.00	6180.00	8000.58	11050.00	7250.00	4151.23
उत्तर प्रदेश	11477.09	9143.38	11165.73	10625.00	5400.0	4171.04
पश्चिम बंगाल	3627.38		2147.76	4409.80	1600.00	3050.54
दिल्ली	287.18	-	41.56	-	-	14.36
लक्षद्वीप	263.55	-	-	135.50	-	
अंडमान निकोबार	435.32	200.00	152.44	400.00	152.00	104.98
पांडिचेरी	113.47	33.25	27.78	84.15	36.34	4.15
कुल	126036.47	74211.58	113150.45	123998.30	74793.34	63734.76

*राज्य सरकार ने यह कहते हुए कि पिछले वर्षों की अव्ययित शेष बहुत अधिक है, इस वर्ष निर्मुक्त न करने को कहा है।

लावारिश लाशें

121. **श्रीमती ऊर्षा वर्मा : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी खबर है कि दिल्ली नगर निगम के शवदाह गृह ने दिल्ली में लावारिश लाशों का दाह-संस्कार करने से इंकार कर दिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्मचारियों की मनमानी के कारण लावारिश लाशें शव दाह गृहों में कई दिनों तक सड़ती रहती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या जनवरी 2011 में शवों के दाह संस्कार के मुद्दे पर पुलिस और दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों के बीच विवाद संबंधी कोई शिकायत सरकार को प्राप्त हुई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (घ) जी, नहीं। इस प्रकार की कोई घटना दिल्ली नगर निगम (एम सी डी) और दिल्ली पुलिस के ध्यान में नहीं आई है।

(ङ) से (च) जनवरी, 2011 के महीने के दौरान दिल्ली पुलिस को शवों के दाह-संस्कार के बारे में पुलिस और दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों के बीच विवाद के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

[अनुवाद]

आदान राजसहायता

122. **श्री सुरेश कुमार शेटकर : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिशा निर्देशों के अनुसार विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्यों को आदान राजसहायता/अनुदान सहायता जारी कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक

योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों की वास्तविक मांगों एवं उन्हें जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बादल फटने से हुआ नुकसान

123. **श्री असादुद्दीन ओवेसी :** क्या गृह मंत्री बादल फटने के कारण हुए नुकसान के बारे में 9.11.2010 के अतारांकित प्रश्न संख्या 81 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तब से जानकारी एकत्रित कर ली गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास की वर्तमान स्थिति क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (ग) राज्यों से प्राप्त जानकारी के अनुसार मानसून 2010 के दौरान बादल फटने की दो घटनाएं हुई, अर्थात् (i) दिनांक 6 अगस्त 2010 को जम्मू व कश्मीर के लेह में, जिसके कारण क्षेत्र में बाढ़ आ गई और मिट्टी धंस गई जिसमें 231 लोगों की जान गई, 1805 पशुधन का नुकसान हुआ और 13658.35 हेक्टेयर फसली क्षेत्र प्रभावित हुआ (ii) दिनांक 19 अगस्त 2010 को उत्तराखंड में बागेश्वर जिले में, जिसके कारण 25 लोगों की जान गई।

प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में बचाव एवं राहत उपायों को शुरू करने की प्राथमिक जिम्मेवारी संबंधित राज्य सरकार की है। संबंधित राज्य सरकार को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सहायता की मदों एवं मानदण्डों के अनुरूप तत्काल प्रकृति के राहत कार्य पर व्यय करना होता है। केन्द्र सरकार उपयुक्त वित्तीय एवं संभारतंत्रीय सहायता प्रदान करके राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता प्रदान करती है। इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य आपदा कार्रवाई निधि (एस डी आर एफ) का गठन किया गया है, जिसके लिए वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर कुछ धनराशि आबंटित की गई है। गंभीर प्रकृति की आपदाओं के मामलों में, एस डी आर एफ की कमी को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई निधि (एन डी आर एफ) से पूरा किया जाता है।

उत्तराखंड एवं जम्मू व कश्मीर राज्य से ज्ञापन प्राप्त होने पर, केन्द्रीय दलों का गठन किया गया था, जिन्होंने वर्ष 2010 के दौरान बादल फटने सहित बाढ़/भूस्खलन की वजह से हुई क्षति का स्थल पर आकलन करने के लिए 19-21 अक्टूबर 2010 को उत्तराखंड तथा 14-17 सितम्बर 2010 को जम्मू एवं कश्मीर का दौरा किया।

उत्तराखंड के संबंध में, यह बताया गया है कि उच्च-स्तरीय समिति (एच एल सी) ने दिनांक 13.12.2010 को हुई अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ ज्ञापन, केन्द्रीय दल की रिपोर्ट, उस पर अंतर-मंत्रालयी दल की सिफारिशों तथा सी आर एफ/एस डी आर एफ एवं एन डी आर एफ से सहायता की वर्तमान मदों एवं मानदंडों पर विचार किया और निम्नलिखित सहायता की मंजूरी प्रदान की :-

- वर्ष 2010 के बाढ़/भूस्खलनों/बादल फटने के प्रबंधन के लिए 624.07 करोड़ रुपए, बशर्ते बादल फटने सहित तत्काल आपदाओं के लिए राज्य के एस डी आर एफ खाते में उपलब्ध 75% शेष को समायोजित किया जाए।
- पेयजल आपूर्ति कार्यों से संबंधित क्षतिग्रस्त ढांचे की मरम्मत के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन आर डी डब्ल्यू पी) के विशेष घटक से 71.10 करोड़ रुपए।

जम्मू एवं कश्मीर के संबंध में, केन्द्रीय दल की रिपोर्ट पर अन्तर-मंत्रालयी दल (आई एम जी) द्वारा दिनांक 18 जनवरी, 2011 को हुई इसकी बैठक में विचार किया गया है। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, आई एम जी की सिफारिशों को उच्च-स्तरीय समिति (एच एल सी) के समक्ष शीघ्र ही होने वाली इसकी अगली बैठक में राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई निधि (एन डी आर एफ) से निधि की मात्रा पर विचार करने के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है।

जेलों का विस्तार

124. **श्री के. सुधाकरण :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कई जेल क्षमता से अधिक कैदियों को रखने के कारण समस्याग्रस्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में जेलों के विस्तार की स्थिति/गति क्या है;

(घ) क्या सरकार का कोई विचार देश में अधिक संख्या में जेलों की स्थापना करने सहित जेलों की वर्तमान क्षमता का विस्तार करने का है ताकि वर्तमान जेलों पर दबाव कम हो सके; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में कितनी धनराशि राज्य-वार ख़र्च किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरूदास कामत) : (क) से (ख) जी, हां। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2008 के अन्त में, देश में जेलों में 2,97,777 कैदियों की कुल प्राधिकृत क्षमता की तुलना में कैदियों की कुल संख्या 3,84,753 थी। इस प्रकार, जेलों में क्षमता से 29.2% अधिक भीड़भाड़ है।

(ग) से (ङ) संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II के अंतर्गत "कारागार" राज्यों का विषय है और इसलिए कारागार प्रशासन, मुख्य रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। तथापि, कारागारों की स्थिति में सुधार लाने के लिए केन्द्र सरकार ने 1800 करोड़ रुपए के परिव्यय से वर्ष 2002-2003 में अतिरिक्त कारागारों के निर्माण, वर्तमान कारागारों की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार, स्वच्छता एवं जल-आपूर्ति व्यवस्था का सुधार और कारागार स्टाफ के लिए रिहायशी आवासों का निर्माण करने हेतु 27 राज्यों (अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर) में "कारागारों का आधुनिकीकरण" नामक एक योजना आरंभ की थी जिसमें केन्द्र और राज्य सरकारों की लागत की साझेदारी क्रमशः 75:25 के अनुपात में है। अब यह योजना दिनांक 31.03.2009 को बंद हो चुकी है। इस योजना के तहत राज्य सरकारों को निर्गत कुल केन्द्रीय निधि को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

कारागारों के आधुनिकीकरण की योजना के तहत राज्य सरकारों को निर्गत निधियां

क्रम सं.	राज्य का नाम	जारी निधि (करोड़ रुपए में)
1	2	3
1	आंध्र प्रदेश	81.25
2	असम	29.37
3	बिहार	134.57
4	छत्तीसगढ़	28.02
5	गोवा	10.19
6	गुजरात	49.73
7	हरियाणा	77.07
8	हिमाचल प्रदेश	15.14
9	जम्मू और कश्मीर	21.69
10	झारखंड	31.69
11	कर्नाटक	40.35
12	केरल	24.55
13	मध्य प्रदेश	116.36
14	महाराष्ट्र	96.85
15	मणिपुर	11.79
16	मेघालय	12.27
17	मिजोरम	13.30
18	नागालैंड	11.85
19	उड़ीसा	80.54
20	पंजाब	55.86
21	राजस्थान	48.83
22	सिक्किम	13.64
23	तमिलनाडु	71.50
24	त्रिपुरा	20.99
25	उत्तर प्रदेश	173.44
26	उत्तराखंड	22.74
27	पश्चिम बंगाल	53.94
	कुल	1347.17

[हिन्दी]

नक्सल गतिविधियां

125. **डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :**
श्री के.डी. देशमुख :
श्री सोनवणे प्रताप नारायणराव :

श्री एस. सम्पत :
श्री विश्व मोहन कुमार :
प्रो. रंजन प्रसाद यादव :
श्री आर.के. सिंह पटेल :
श्री भक्त चरण दास :
श्री पी. विश्वनाथन :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सहित देश के विभिन्न भागों में हाल में नक्सलियों द्वारा जबरन वसूली तथा हिंसा की वारदातें बढ़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान ऐसी दर्ज घटनाओं की संख्या, मारे गए नागरिकों/सुरक्षाकर्मियों की संख्या तथा क्षतिग्रस्त संपत्ति एवं इन घटनाओं के शिकार हुए परिवारों को प्रदत्त मुआवजा/सहायता राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने बिहार सहित नक्सल प्रभावित राज्यों/क्षेत्रों में कोई विकास संबंधी पहल की है तथा प्रभावित राज्यों/क्षेत्रों में सुरक्षा से संबंधित व्यय योजना के अंतर्गत और जिलों को शामिल करने के लिए कार्रवाई की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में नक्सली गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या ठोस कदम उठाये गये हैं/उठाये जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरूदास कामत) : (क) और (ख) संलग्न विवरण में वर्ष 2009 और 2010 में नक्सली हिंसा की घटनाओं, मारे गए सिविलियनों और सुरक्षा बलों के कार्मिकों के बारे में दर्शाया गया है।

सुरक्षा से संबंधित व्यय (एसआरई) योजना में नक्सली हमलों के कारण मारे गए सिविलयनों के परिवार को एक लाख रुपए और सुरक्षा कार्मिकों के परिवार को तीन लाख रुपए के अनुग्रह भुगतान का प्रावधान किया गया है। आतंकवाद, साम्प्रदायिक और नक्सली हिंसा के शिकार सिविलियनों/पीड़ितों के परिवार को सहायता की केन्द्रीय योजना के तहत मृत्यु या स्थाई रूप से अपंग होने के प्रत्येक मामले में प्रभावित परिवार को तीन लाख रुपए की राशि दी जाती है। इसके अलावा, कार्रवाई में मारे गए केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों के कार्मिकों के निकट संबंधी को पन्द्रह लाख रुपए के अनुग्रह मुआवजे का भुगतान किया जाता है। इसके अलावा नक्सली हमलों में मारे गए सिविलियनों और सुरक्षा कार्मिकों के परिवारों को अनुग्रह का भुगतान करने के लिए राज्य सरकारों की अपनी नीति है।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने 60 जिलों के लिए एकीकृत कार्ययोजना, सड़क भर्ती योजना जैसी नक्सल प्रभावित राज्यों में कई योजनाओं के साथ-साथ अनुपूरक पोषाहार (आईसीडीएस), सर्व शिक्षा अभियान, सड़क से जोड़ने (पी एम जी एस वाई), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, आवास (इंदिरा आवास योजना), स्वास्थ्य (एन आर एच एम), विद्युतीकरण (आरजीजीवीवाई), पेयजल आपूर्ति, आश्रम विद्यालय और वन अधिकार अधिनियम जैसे विभिन्न फ्लैगशिप कार्यक्रमों को शुरू किया है। सरकार को बिहार के सात जिलों सहित वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित सात राज्यों से एस आर ई योजना में 30 जिलों को शामिल किए जाने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। बिहार के पंद्रह जिलों को पहले ही एस आर ई योजना में शामिल कर दिया गया है।

(ङ) 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था', राज्य के विषय होने के कारण कानून और व्यवस्था बनाये रखने की मुख्य जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है जो राज्यों में नक्सली क्रिया-कलापों से संबंधित विभिन्न मुद्दों से निपटते हैं। केन्द्र सरकार भी स्थिति पर नजर रखती है और सुरक्षा तथा विकास दोनों क्षेत्रों में योजनाओं की व्यापक रेंज के माध्यम से उनके प्रयासों में सहायता करती है।

विवरण

राज्य	2009		2010	
	घटनायें	मारे गए सिविलियन और सुरक्षा बलों के कार्मिक	घटनायें	मारे गए सिविलियन और सुरक्षा बलों के कार्मिक
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	66	48	100	34
बिहार	232	72	307	97
छत्तीसगढ़	529	290	625	343

1	2	3	4	5
झारखंड	742	208	501	157
महाराष्ट्र	154	93	94	45
मध्य प्रदेश	01	-	07	01
उड़ीसा	266	67	218	79
उत्तर प्रदेश	08	02	06	01
पश्चिम बंगाल	255	158	350	256
अन्य	05	-	04	0
कुल	2258	908	2212	1003

[अनुवाद]

दूध की उपलब्धता

126. श्री राम सुन्दर दास :
श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी :
श्री राधे मोहन सिंह :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता यहां की जनसंख्या की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में और वृद्धि करने संबंधी कोई योजना बनायी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव) : (क) और (ख) देश में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता आबादी की पौषणिक आवश्यकता को पूरा कर पाने के लिए पर्याप्त नहीं है। वर्ष 2009-10 में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता का राज्यवार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ) सरकार देश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित कर रही है :-

1 सघन डेयरी विकास कार्यक्रम

2 गुणवत्ता और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए मूलभूत सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण

3 डेयरी उद्यमशीलता विकास योजना

4 राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना

5 आहार और चारा विकास योजना

6 पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम

विवरण

2009-10 के दौरान प्रतिव्यक्ति दूध की उपलब्धता

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2009-10 (प्रतिदिन ग्राम में)
1	2	3
1	आंध्र प्रदेश	342
2	अरुणाचल प्रदेश	59
3	असम	69
4	बिहार	175
5	छत्तीसगढ़	110
6	गोवा	96
7	गुजरात	418

1	2	3
8	हरियाणा	662
9	हिमाचल प्रदेश	342
10	जम्मू एवं कश्मीर	382
11	झारखंड	130
12	कर्नाटक	226
13	केरल	203
14	मध्य प्रदेश	278
15	महाराष्ट्र	190
16	मणिपुर	88
17	मेघालय	83
18	मिजोरम	29
19	नागालैंड	96
20	उड़ीसा	112
21	पंजाब	944
22	राजस्थान	395
23	सिक्किम	210
24	तमिलनाडु	237
25	त्रिपुरा	77
26	उत्तर प्रदेश	283
27	उत्तराखंड	387
28	पश्चिमी बंगाल	133
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	137
30	चंडीगढ़	95
31	दादर एवं नागर हवेली	86
32	दमन एवं दीव	15
33	दिल्ली	72
34	लक्षद्वीप	84
35	पुडुचेरी	96
	अखिल भारतीय	263

नोट : दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता भारत के महापंजीकार के कार्यालय द्वारा 1 अक्तूबर, 2009 को दूध उत्पादन और प्रक्षेपित जनसंख्या के अनुमान के आधार पर आधारित है।

स्रोत: राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के पशुपालन विभाग

आई.टी.बी.पी. में भर्ती

127. श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर :
डॉ. बलीराम :
श्री एस.आर. जेयदुरई :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री कोडिकुन्नील सुरेश :
श्री मधु गौड यास्खी :
डॉ. भोला सिंह :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आई.टी.बी.पी.) ने 3 फरवरी 2011 को बरेली में भर्ती अभियान का आयोजन किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या अफरातफरी, अव्यवस्था और कुप्रबंधन के फलस्वरूप कई व्यक्तियों की जानें चली गयीं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस मामले की जांच करने के लिए किसी जांच समिति का गठन किया गया है;

(ङ) यदि हां, इस जांच समिति में कौन-कौन लोग शामिल हैं तथा इसके विचारार्थ विषय क्या हैं; और

(च) मृतकों और घायलों के परिवारों को प्रदान किए जा रहे मुआवजे का ब्यौरा क्या है तथा इन मुआवजों को कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरूदास कामत) : (क) भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आई टी बी पी) ने आई टी बी पी परिसर, बरेली में

समूह 'ग' कांस्टेबल (फालोअर्स) के 416 पदों की भर्ती के लिए बरेली (उत्तर प्रदेश) में पहली फरवरी, 2011 में भर्ती रैली का आयोजन किया था।

(ख) और (ग) बड़ी संख्या में उम्मीदवारों के आने की आशा/अनुमान लगा करके सैक्टर उप-महानिरीक्षक, आई टी बी पी, बरेली ने दिनांक 17 जनवरी, 2011 को जिला मजिस्ट्रेट (डी एम), बरेली से अनुरोध किया था कि वे कानून और व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था करें। इस पत्र में यह भी उल्लेख किया गया था कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस व्यवस्था, बस स्टैंड के साथ-साथ रेलवे स्टेशन के आस-पास भी की जाए। इसके बाद जिला मजिस्ट्रेट, बरेली ने डी आई जी पुलिस, बरेली और जिला सी एम ओ, बरेली को आवश्यक व्यवस्था करने के लिए लिखा।

(ii) आई टी बी पी ने पहली फरवरी, 2011 की सुबह, पंजीकरण करने के लिए परिसर के अंदर पर्याप्त व्यवस्था की। आई टी बी पी परिसर में प्रवेश करने और यहां से बाहर जाने के पृथक बिन्दु भी बनाए गए। सबसे पहले सभी आवेदकों को दर्ज करने और इसके बाद प्रति दिन 600 के बैच में उम्मीदवारों को बुलाए जाने और तब तक उन्हें आराम देने की योजना थी। शुरू में लगभग 5000 से 6000 उम्मीदवार परिसर में आए और आई टी बी पी ने उनका पंजीकरण करना शुरू कर दिया था।

(iii) आई टी बी पी निदेशालय की प्राथमिक रिपोर्ट के अनुसार परिसर के बाहर लगभग 90,000 लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और वे बैचेन हो गए। लोगों से बार-बार इस आशय की घोषणा की गई थी कि चाहे कितना भी समय लगे सभी उम्मीदवारों का नाम दर्ज किया जाएगा लेकिन इसके बावजूद कम पुलिस कार्मिकों की मौजूदगी का लाभ उठा कर भीड़ आक्रामक हो गई और लोगों ने पत्थर फेंकने शुरू कर दिए और कुछ दुकानों को भी लूटा। अतिरिक्त बल तैनात करने और पुनः आश्वासन देने के बाद भीड़ तितर-बितर हो गई और उस क्षेत्र को खाली कर दिया गया।

(iv) आई टी बी पी परिसर क्षेत्र छोड़ने के बाद संभवतः अपनी वापसी यात्रा में कुछ उम्मीदवार आदि रेलगाड़ियों, बसों आदि पर सवार हो गए। बाद में मीडिया ने सूचित किया कि उनमें से कुछ लोग यात्री डिब्बों की छत पर चढ़ गए। मीडिया में दी गई सूचना के अनुसार इसके बाद बरेली से लगभग 100 कि.मी. दूर अर्थात् रोजा रेलवे स्टेशन के निकट उस समय दुर्घटना घट गई जब रेलगाड़ी के डिब्बों की छत पर यात्रा कर रहे यात्री, ओवर ब्रिज से टकरा गया। सूचना मिली है कि इस दुर्घटना में लगभग 19 व्यक्ति मारे गए।

(घ) और (ङ) दिनांक 7 फरवरी, 2011 के आदेश के तहत पहले ही अदालती जांच के आदेश दे दिए गए हैं। यह जांच आई जी रैंक के अधिकारी द्वारा की जाएगी।

जांच के विचारार्थ विषय निम्नवत हैं :-

(i) आई टी बी पी परिसर में पहली फरवरी, 2011 से होने वाली भर्ती रैली के बारे में डी आई जी, आई टी बी पी, बरेली द्वारा दिनांक 17 जनवरी, 2011 को जिला मजिस्ट्रेट, बरेली को सूचित किए जाने के बावजूद क्या बरेली में सैक्टर मुख्यालय, बरेली और जिला प्रशासन/पुलिस प्राधिकारियों के बीच समन्वय में कोई कमी रह गई थी। यदि हां, तो प्रस्तावित रैली की समन्वय व्यवस्था के अफसल हो जाने के लिए कौन जिम्मेदार था।

(ii) क्या निर्धारित मानक परिचालन प्रक्रिया अपनाई गई या नहीं। क्या भर्ती रैली आयोजित किए जाने के संबंध में मानक परिचालन प्रक्रिया में कोई अस्पष्टता थी।

(iii) क्या इस भर्ती रैली के लिए समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन में उम्मीदवारों को दिए गए निर्देशों में कोई अस्पष्टता थी? यदि हां तो वे अस्पष्टतायें क्या थीं।

(iv) अत्यधिक संख्या में उम्मीदवारों के आ जाने से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए क्या सैक्टर मुख्यालय, आई टी बी पी, बरेली ने कोई आपात योजना बनाई थी। यदि नहीं तो क्यों नहीं और आपात योजना न बनाए जाने के लिए कौन जिम्मेदार है।

(v) क्या अपनाई जाने वाली भर्ती प्रक्रिया में अंतिम समय में कोई परिवर्तन किया गया था जिसके कारण उम्मीदवारों में भ्रांति फैल गई हो? यदि हां तो क्यों और ऐसे परिवर्तन किए जाने के लिए कौन जिम्मेदार है।

(च) चूंकि यह दुर्घटना राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र और रेलगाड़ी में घटी है इसलिए यदि कोई मुआवजा दिया जाना है तो उस पर रेल मंत्रालय और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाना है। रेल प्राधिकारियों और राज्य सरकार के प्राधिकारियों से यह सुनिश्चित किया गया है कि अभी तक किसी मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

चीनी को नियंत्रण मुक्त करना

128. **श्री राजू शेट्टी : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी को पूरी तरह नियंत्रण मुक्त करने के किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार नई मिलों की स्थापना के लिए चालू मिलों से न्यूनतम दूरी सहित शर्तों को शिथिल करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या नए शासन के अंतर्गत गन्ने को भी नियंत्रण मुक्त करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

आतंकवादी गतिविधियों से निबटना

129. **श्री नित्यानंद प्रधान :**
श्री बैजयंत पांडा :
श्रीमती सुप्रिया सुले :
क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में आतंकवादी गतिविधियों से निबटने के लिए तैयारियों के संबंध में कोई आकलन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे खतरों से निबटने के लिए तकनीकी रूप से सुसज्जित इकाइयों के सृजन का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान देश में कितने आतंकवादी पकड़े गए/उनके छिपने के कितने ठिकानों का पर्दाफाश किया गया और उनके कितने गुप्त ठिकानों को ध्वस्त किया गया?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरूदास कामत) : (क) और (ख) आतंकवादी खतरे से निपटने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों की क्षमता को बढ़ाना; सीमा पर बाड़ लगाने, तेज रोशनी की व्यवस्था करने, निगरानी उपकरण लगाने के माध्यम से प्रभावी सीमा प्रबंधन करना; संयुक्त उद्यम तथा निजी औद्योगिक उपक्रमों में सी आई एस एफ की विधि सम्मत तैनाती करना; चैन्ने, हैदराबाद एवं मुम्बई में एन एस जी हबों की स्थापना करना; सख्त आप्रवासन नियंत्रण, इत्यादि शामिल हैं। आतंकवाद से निपटने के लिए दण्डात्मक उपायों को सुदृढ़ बनाने हेतु विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (यू ए पी ए) को वर्ष 2008 में संशोधित एवं अधिसूचित किया गया है। अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमों के अंतर्गत अपराधों, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, यू ए पी ए के अंतर्गत आने वाले अपराध शामिल हैं, की जांच करने तथा अभियोजन चलाने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 के तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी का गठन किया गया है।

(ग) और (घ) राज्यों में आतंक-रोधी इकाइयों की स्थापना करने के अतिरिक्त, राज्य सरकारों को त्वरित कार्रवाई दल (क्यू आर टी)/विशेष हस्तक्षेप इकाइयों (एस आई यू) का सृजन करने की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। अधिकांश राज्य सरकारों ने पुष्टि की है कि क्यू आर टी का गठन कर दिया गया है। इसके अलावा, मल्टी-एजेंसी सेंटर को सुदृढ़ बनाया गया है और पुनर्गठित किया गया है जिससे कि यह अन्य आसूचना एवं सुरक्षा एजेंसियों के साथ आसूचना के सही समय पर मिलान एवं आदान-प्रदान के लिए 24x7 आधार पर कार्य कर सके। आसूचना जानकारी का सुस्थापित तंत्र के माध्यम से संबंधित राज्यों के साथ भी आदान-प्रदान किया जाता है, जो राज्य तथा केन्द्रीय सुरक्षा एवं कानून प्रवर्तन एजेंसी के बीच आसूचना के गहन समन्वय एवं आदान-प्रदान तथा जानकारी के निर्बाध प्रवाह को सुनिश्चित करता है। इसके परिणामस्वरूप आतंकवादी मॉड्यूलों को ध्वस्त किया जा सका है तथा कई संभावित आतंकवादी हमलों को टाला जा सका है।

(ङ) गिरफ्तार किए गए आतंकवादियों/उग्रवादियों/नक्सलवादियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

जम्मू एवं कश्मीर राज्य, पूर्वोत्तर राज्यों तथा नक्सल प्रभावित राज्यों में गिरफ्तार किए गए आतंकवादियों/उग्रवादियों/नक्सलवादियों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

जम्मू एवं कश्मीर

वर्ष	गिरफ्तार किए गए आतंकवादियों/उग्रवादियों/नक्सलवादियों की संख्या
2008	305
2009	187
2010 (31.12.2010 तक)	155

पूर्वोत्तर राज्य

वर्ष	गिरफ्तार किए गए आतंकवादियों/उग्रवादियों/नक्सलवादियों की संख्या
2008	2566
2009	2162
2010 (31.12.2010 तक)	2213

नक्सल प्रभावित राज्य

वर्ष	गिरफ्तार किए गए आतंकवादियों/उग्रवादियों/नक्सलवादियों की संख्या
2008	1743
2009	1981
2010 (31.12.2010 तक)	2916

इदुक्की पैकेज

130. **श्री पी.टी. थॉमस : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इदुक्की पैकेज के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाओं/इंटरवेशंस तथा इनके कार्यान्वयन की प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) अनुमोदन हेतु लंबित परियोजनाओं/इंटरवेशंस का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न विभागों द्वारा परियोजना रिपोर्ट नहीं जमा करने के कारण इस पैकेज को लागू करने में देरी हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में उठाए गए सुधारात्मक उपाय क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव) : (क) और (ख) भारत सरकार ने केरल के इदुक्की जिले में कृषि संबंधी दबाव को कम करने के लिए एम.एस. स्वामीनाथन अनुसंधान प्रतिष्ठान द्वारा सुझाए गए विभिन्न कार्यक्रमों/हस्तक्षेपों के क्रियान्वयन के लिए 764.45 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मुहैया कराने हेतु "सैद्धांतिक" अनुमोदन प्रदान किया है। 31 दिसम्बर, 2010 की स्थिति के अनुसार केरल सरकार की संबंधित एजेंसियों द्वारा 44 परियोजनाओं को शामिल करते हुए 389.00 करोड़ रुपए के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) प्रस्तुत की गई है जिनमें से 37 परियोजनाओं को कवर करते हुए 213.36 करोड़ रु. की राशि विभिन्न गतिविधियों के लिए स्वीकृत की गई है। केरल सरकार द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार कोई परियोजना/हस्तक्षेप अनुमोदन के लिए लंबित नहीं है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

गन्ना उत्पादन

131. **श्री एन. चेलुवरया स्वामी :**
श्री सुरेश काशीनाथ तवारे :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गन्ने का उत्पादन घट रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्पादित गन्ने की राज्यवार मात्रा कितनी है तथा इसके उत्पादन क्षेत्र राज्यवार कितने है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान विश्व औसत की तुलना में औसत उत्पादन एवं प्रति व्यक्ति उपज कितनी है; और

(घ) देश में गन्ने का उपज क्षेत्र तथा उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव) : (क) और (ख) देश में गन्ने का अनुमानित उत्पादन 2007-08 के दौरान 348.19 मिलियन टन से कम होकर 2008-09 के दौरान 285.03 मिलियन टन रह गया। हालांकि, 2009-10 के दौरान गन्ने का उत्पादन मामूली रूप से

बढ़कर 292.30 मिलियन टन हो गया। दिनांक 09.02.2011 को जारी दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार, चालू वर्ष अर्थात् 2010-11 के दौरान देश में गन्ने का कुल उत्पादन 336.70 मिलियन टन पर फिर भी अधिक रहने का अनुमान है। विगत तीन वर्षों अर्थात् 2007-08 से 2009-10 के दौरान गन्ने का अनुमानित उत्पादन तथा इसके अंतर्गत उत्पादन क्षेत्र के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए है।

(ग) 2007 से 2009 के दौरान विश्व में गन्ने के उत्पादन और प्रति हेक्टेयर उपज की तुलना में देश में इसके उत्पादन तथा प्रति हैक्टेयर उपज के ब्यौरे निम्नलिखित सारणी में दिये गये हैं।

वर्ष	विश्व		भारत	
	उत्पादन (मिलियन टन)	उपज (कि.ग्रा./हेक्टेयर)	उत्पादन (मिलियन टन)	उपज (कि.ग्रा./हेक्टेयर)
2007	1617.2	70675	348.2	68877
2008	1736.3	71577	285.0	64553
2009	1682.6	70912	292.3	70020

(घ) देश में गन्ने का उपज क्षेत्र तथा उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि की वृहद् प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत गन्ना आधारित फसल प्रणाली क्षेत्र के सतत विकास (सुबाक्स) पर एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना विभिन्न गन्ना उत्पादक राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है। सुबाक्स का उद्देश्य क्षेत्र प्रदर्शनों, किसानों के प्रशिक्षण, कृषि उपकरणों की आपूर्ति, पौध सामग्रियों के उत्पादन में वृद्धि करने, जल के कुशलतापूर्वक प्रयोग, पौध सामग्रियों के उपचार आदि के माध्यम से किसानों को प्रौन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकी हस्तांतरित करना है। बीज उत्पादन, नर्सरियों की स्थापना हेतु रियायती दरों पर चीनी फैक्ट्रियों को ऋण, उत्पादकों को गन्ने की प्रौन्नत किस्म, एकीकृत कीट व रोग प्रबंधन, सिंचाई योजनाएं, पेड़ी (रैटून) प्रबंधन आदि अपनाने के लिए प्रोत्साहन भी प्रदान किया जाता है।

विवरण

2007-08 से 2009-10 के दौरान गन्ने के उत्पादन और क्षेत्र के राज्यवार अनुमान

राज्य/संघ शासित प्रदेश	क्षेत्र ('000 हैक्टेयर)			उत्पादन ('हजार टन)		
	2007-08	2008-09	2009-10	2007-08	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	247.0	196.0	158.0	20296.0	15380.0	11708.0
अरुणाचल प्रदेश	1.2	1.4	1.5	21.8	23.4	27.1
असम	26.0	28.6	27.1	980.0	1099.7	1059.0
बिहार	108.6	111.9	115.9	3854.9	4959.9	5032.6
छत्तीसगढ़	11.1	10.6	12.4	27.5	25.4	29.2
गुजरात	211.0	221.0	154.0	15190.0	15510.0	12400.0
गोवा	1.0	1.0	0.9	56.0	49.3	52.3
हरियाणा	140.0	90.0	74.0	8860.0	5130.0	5335.0

1	2	3	4	5	6	7
हिमाचल प्रदेश	2.7	2.3	2.2	58.4	53.1	45.6
जम्मू और कश्मीर	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
झारखंड	6.0	5.7	6.5	150.0	348.8	447.0
कर्नाटक	306.0	281.0	337.0	26240.0	23328.0	30443.0
केरल	2.0	2.2	3.0	218.0	275.5	285.0
मध्य प्रदेश	75.2	70.5	62.1	3180.0	2975.0	2535.0
महाराष्ट्र	1093.0	768.0	756.0	88437.0	60648.0	64159.0
मणिपुर	0.5	0.6	0.6	16.8	21.3	21.3
मेघालय	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.2
मिजोरम	0.9	1.3	1.4	0.8	13.7	12.4
नागालैंड	5.0	4.3	5.1	247.3	185.8	152.9
उड़ीसा	19.8	10.8	8.0	1096.2	646.2	489.9
पंजाब	110.0	81.0	60.0	6690.0	4670.0	3700.0
राजस्थान	10.4	6.5	6.0	593.8	388.2	344.5
तमिलनाडु	354.2	308.9	293.2	38071.0	32804.4	29745.6
त्रिपुरा	1.0	1.0	0.9	46.7	51.7	44.9
उत्तर प्रदेश	2179.0	2084.0	1977.0	124665.3	109048.0	117140.0
उत्तरांचल	124.0	107.0	96.0	7686.0	5590.0	5842.0
पश्चिम बंगाल	16.9	17.6	13.8	1272.0	1638.3	1000.8
अण्डमान एवं निकोबार	0.2	0.2	0.1	3.5	3.0	2.0
पुदुचेरी	2.3	1.9	1.8	228.4	162.3	247.3
अखिल भारत	5055.2	4415.4	4174.6	348187.9	285029.3	292301.6

[हिन्दी]

एम.पी. लैड निधि का अनुपयोग

132. **डा. बलीराम : क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास (एम.पी.लैड) योजना के अंतर्गत निधियों के अनुपयोग के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार एवं संघ क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) एम.पी. लैड निधियों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (डॉ. एम.एस. गिल) : (क) और (ख) जी हां। एमपीलैड्स निधियों के कम उपयोग होने के बारे में शिकायतों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) एमपीलैड्स संबंधी संसदीय समितियों के स्तर पर तथा केन्द्र/राज्य/संघ राज्यक्षेत्र और जिला स्तर पर स्कीम के कार्यान्वयन की निगरानी की जाती है। एमपीलैड स्कीम के तहत निधियों का इष्टतम उपयोग और कारगर निगरानी सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रालय राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की सरकारों के प्राधिकारियों के साथ सावधिक समीक्षा बैठकें आयोजित करता है। संबंधित जिला प्राधिकारियों को स्कीम के तहत कार्यों के शीघ्र निष्पादन और एमपीलैड्स दिशा-निर्देशों के अनुसार एमपीलैड्स निधियों को जारी करने से संबंधित दस्तावेज समय पर उपलब्ध कराने के बारे में समय-समय पर निर्देश भी दिए जाते हैं।

विवरण

क्रम सं.	शिकायतकर्ता का नाम	जिला नोडल एजेंसी	शिकायत की विषय-वस्तु	की गई कार्रवाई
1	श्रीमती चन्द्रेश कुमारी, माननीय सांसद, लोक सभा, जोधपुर	जोधपुर	श्रीमती चन्द्रेश कुमारी (लोक सभा) ने शिकायत की है कि उन्होंने एमपीलैड्स निधियों से 1.60 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि मंजूर की थी लेकिन जिला प्राधिकारी द्वारा 35.40 लाख रुपए की राशि ही समय से जारी की गई और कार्य संपन्न कराए गए। शेष कार्यों को वित्तीय मंजूरी नहीं दी गई है।	राज्य सरकार के प्राधिकारियों से वस्तु-स्थिति की जानकारी मांगी गई थी। नवीनतम सूचना के अनुसार, कुल अनुशंसित 94 कार्यों में से, 86 कार्यों को प्रशासनिक मंजूरी दी जा चुकी है तथा शेष 8 अनुशंसित कार्य दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार नहीं थे और माननीय सांसद को तदनुसार सूचित कर दिया गया था।
2	श्री एस.एस. अहलुवालिया, सांसद (राज्य सभा), झारखंड	देवघर	उनके नोडल जिले तथा झारखंड के अन्य जिलों में उनके द्वारा अनुशंसित कार्यों को पूरा न किया जाना।	मामले को झारखंड सरकार तथा जिला प्राधिकारियों के साथ अलग-अलग उठाया गया है।
3	श्री यशवंत सिन्हा, सांसद (लोक सभा), हजारीबाग, झारखंड	हजारीबाग	सांसद (राज्य सभा) के रूप में कार्यकाल (8.7.2004-16.5.2009) और लोक सभा के मौजूदा सांसद के रूप में कार्यकाल के दौरान एमपीलैड स्कीम के तहत उनके द्वारा अनुशंसित कार्यों को पूरा तथा निष्पादित न किया जाना।	मामले को झारखंड सरकार के साथ उठाया गया है।
4	श्री ब्रतीन सेन गुप्ता, भूतपूर्व राज्य सभा सांसद	कोलकाता	श्री ब्रतीन सेन गुप्ता, भूतपूर्व राज्य सभा सांसद ने उनके द्वारा अनुशंसित एमपीलैड्स कार्यों को कार्यान्वित न करने और लंबे समय से लंबित रखने की शिकायत की है।	पश्चिम बंगाल सरकार को मामले की जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान अनियमितताएं

133. **श्री बिभू प्रसाद तराई :**
श्री गुरूदास दासगुप्त :
श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह :
श्री एस.आर. जेयदुरई :
श्री यशवीर सिंह :
श्री नामा नागेश्वर राव :
श्री असादूद्दीन आवेसी :
श्री रामकिशुन :
श्री नीरज शेखर :
श्रीमती जयाप्रदा :
श्री हर्ष वर्धन :
श्रीमती सुमित्रा महाजन :
श्री ई.जी. सुगावनम :

क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्नीसवें राष्ट्रमंडल खेल 2010 से संबंधित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के कथित मामलों की जांच कर रहे पैनल ने अपनी अंतरित रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो उसके प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं तथा उक्त पैनल द्वारा की गयी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त पैनल द्वारा दिए गए निष्कर्षों/की गयी सिफारिशों के आधार पर दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा कोई कार्रवाई आरंभ की गयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा सरकार को इस संबंध में कब तक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) जी हां। श्री वी.के. शुंगलू की अध्यक्षता में राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के आयोजन और संचालन से संबंधित मुद्दों की जांच करने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने मेजबान प्रसारण से संबंधित मुद्दों पर अपनी प्रथम स्टैंड एलोन रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। प्रमुख निष्कर्ष सिफारिशों आदि से संबंधित रिपोर्ट भारत सरकार के पोर्टल www.india.gov.in पर उपलब्ध है।

(ग) से (ङ) रिपोर्ट की जांच की जा रही है। सरकार को अंतिम रिपोर्ट 31.3.2011 तक प्रस्तुत कर दिये जाने की संभावना है।

किसानों के लिए पेंशन

134. **श्री पी. लिंगम :**
श्री प्रबोध पांडा :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कुछेक राज्यों में किसानों के लिए पेंशन योजनाएं प्रारंभ की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार इस संबंध में उन्हें सहायता प्रदान करके ऐसे राज्य सरकारों के प्रयासों को आगे बढ़ाने तथा देश के अन्य राज्यों में ऐसी योजना प्रारंभ करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

बंधक गारंटी निधि

135. **श्री धर्मेन्द्र यादव :**
श्री आनंदराव अडसुल :
श्री अधलराव पाटील शिवाजी :

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शहरी क्षेत्रों में संपत्ति मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि को देखते हुए गरीबों के लिए आवास ऋण जोखिम को कवर करने के लिए बंधक गारंटी निधि की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा कब तक निर्णय लिये जाने की संभावना है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) और (ख) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने दिनांक 10 फरवरी, 2011 को आर्थिक कार्य

संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति को राजीव आवास योजना का प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत किया है। इस स्कीम का उद्देश्य स्लम पुनर्विकास के लिए आश्रय और बुनियादी नागरिक और सामाजिक सेवाओं के लिए सहायता तथा उन राज्यों के लिए किफायती आवासों का निर्माण करना है जो स्लमवासियों को संपत्ति का अधिकार देने के इच्छुक हैं। इस स्कीम के अंततर्गत, केन्द्र सरकार से 1000 करोड़ रुपए की प्रारंभिक निधि के साथ 5 लाख रुपए तक के ऋण ईडब्ल्यूएस/एलआईजी परिवारों को किफायती आवास के लिए ऋण लेने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु मार्टगेज जोखिम गारंटी कोष स्थापित करने का भी प्रस्ताव है।

(ग) इस संबंध में निर्णय लिए जाने के निश्चित समय के बारे में इस स्तर पर नहीं बताया जा सकता।

खाद्यान्नों की क्षति

136. **श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो :**
डॉ. संजय सिंह :
डॉ. संजय जायसवाल :
श्री हरीश चौधरी :
श्री अम्बिका बनर्जी :
श्री बद्रीराम जाखड़ :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में खुले में और विभिन्न गोदामों में रखे गए खाद्यान्नों को नुकसान पहुंचने की खबरें आयी हैं;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान ऐसे गोदामों की राज्य-वार एवं एजेंसीवार संख्या, उन में नुकसान पहुंचे खाद्यान्न की मात्रा एवं इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार जरूरतमंद लोगों को कम कीमत पर सरप्लस भंडारों को वितरित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भविष्य में ऐसे नुकसानों को रोकने के लिए कौन से सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 31.1.2011 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम में 8881 टन क्षतिग्रस्त/जारी न करने योग्य खाद्यान्न उपलब्ध थे। 31.1.2010 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम में डिपुओं की संख्या के क्षेत्रवार ब्यौरे और उसके गोदामों में क्षतिग्रस्त/जारी न करने योग्य हो गए खाद्यान्नों के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। भारतीय खाद्य निगम में 2008-09 और 2009-10 के दौरान क्षतिग्रस्त/जारी न करने योग्य हुए स्टाक के क्षेत्रवार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गये हैं।

पंजाब और हरियाणा राज्य सरकार की एजेंसियों के पास रखे स्टाक में क्षतिग्रस्त/जारी न करने योग्य हुए खाद्यान्नों के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय पूल में फिलहाल उपलब्ध खाद्यान्नों के अधिशेष स्टाक को देखते हुए सरकार गरीबी रेखा से नीचे के मूल्यों पर तदर्थ आधार पर सितम्बर, 2010 और जनवरी, 2011 में प्रत्येक बार गेहूं और चावल की 25 लाख टन अतिरिक्त मात्रा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटित की है।

(ङ) राज्य सरकारों और भारतीय खाद्य निगम को समय-समय पर अनुदेश दिए गए हैं कि वे ढके हुए गोदामों और कैप भंडारण में खाद्यान्नों का उचित और सुरक्षित भंडार करने के लिए अपेक्षित उपाय करें। हाल ही में सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और भारतीय खाद्य निगम को खाद्यान्नों के केन्द्रीय पूल के स्टाक का उचित परिरक्षण और सुरक्षित भंडारण करने के लिए पग उठाने हेतु 24 जनवरी, 2011 को निम्नलिखित अनुदेश फिर से भेजे गए हैं :-

(i) सभी फील्ड कार्यकर्ताओं को सचेत करना;

(ii) वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा स्टाक का निरीक्षण किया जाना;

(iii) नियमित आधार पर इन उपायों के परिणामों की मानीटरिंग करना; और

(iv) चूककर्ताओं के खिलाफ कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई करना।

भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा खाद्यान्नों के केन्द्रीय पूल के स्टाक में क्षति को रोकने के लिए निम्नलिखित सावधानी/उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं/किए जाने होते हैं :-

(i) सभी गोदामों का निर्माण विनिर्दिष्टियों के अनुसार कराया जाना होता है।

(ii) खाद्यान्नों का भंडारण उचित वैज्ञानिक तरीकों को अपनाते हुए किया जाना होता है।

(iii) जमीन से नमी को आने से रोकने के लिए लकड़ी के क्रेट, बांस की चटाइयों, पॉलीथीन की शीटों जैसे पर्याप्त डनेज सामग्री का इस्तेमाल किया जाना होता है।

(iv) सभी गोदामों में भंडारित अनाज को कीट जन्तुबाधा से बचाने के लिए प्रधूमन कवर, नाइलॉन की रस्सियां, जाल तथा कीटनाशक उपलब्ध कराए जाने होते हैं।

(v) भंडारित अनाज को कीट जन्तुबाधा से बचाने के लिए गोदामों में नियमित रूप से तथा समय पर रोग निरोधी (कीटनाशकों का छिड़काव) और रोग-हर (प्रधूमन) उपचार किए जाने होते हैं।

(vi) ढके हुए गोदामों और कैप भंडारण, दोनों में प्रभावी मूसक नियंत्रक उपाय किए जाने होते हैं।

(vii) कवर तथा प्लिंथ (कैप) में खाद्यान्नों का भंडारण एलीवेटेड प्लिंथ में किया जाना होता है और डनेज सामग्री के रूप में लकड़ी के क्रेट इस्तेमाल किए जाते हैं। चट्टों को विशेष रूप से बनाए गए कम घनत्व वाले काले रंग के पोलीथीन वाटर प्रूफ कवर से उचित ढंग से ढका जाता है और उन्हें नाइलॉन की रस्सियों/जाल से बांधा जाता है।

(viii) वरिष्ठ अधिकारियों सहित योग्य और प्रशिक्षित स्टाफ द्वारा स्टॉक/गोदामों का नियमित आवधिक निरीक्षण किया जाना होता है।

(ix) जहां तक संभव हो, प्रथम आमद-प्रथम निर्गम के सिद्धांत को अपनाया जाना होता है, ताकि गोदामों में खाद्यान्नों के लंबे समय तक भंडारण से बचा जा सके।

(x) खाद्यान्नों के संचलन के लिए केवल ढकी हुई वैगन इस्तेमाल की जाती हैं ताकि मार्गस्थ-क्षति से बचा जा सके।

विवरण-I

31.1.2011 की स्थिति के अनुसार क्षेत्रवार डिपुओं की संख्या और भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में उपलब्ध क्षतिग्रस्त/जारी न करने योग्य खाद्यान्नों को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	क्षेत्र	गोदामों की संख्या	मात्रा (टन में)
1	2	3	4
1	बिहार	7	129
2	झारखंड	2	17
3	पश्चिम बंगाल	15	196
4	असम	10	133
5	पूर्वोत्तर सीमांत प्रदेश	1	41
6	अरुणाचल प्रदेश	2	27
7	हरियाणा	1	27
8	जम्मू और कश्मीर	1	11
9	पंजाब	6	6836
10	राजस्थान	11	33
11	उत्तर प्रदेश	16	480
12	उत्तराखंड	1	448
13	केरल	7	80
14	कर्नाटक	13	29
15	तमिलनाडु	1	1
16	गुजरात	10	227
17	महाराष्ट्र	11	104
18	मध्य प्रदेश	14	62
जोड़		129	8881

विवरण-II

भारतीय खाद्य निगम में वर्ष 2008-09 और 2009-10 के दौरान क्षतिग्रस्त/जारी न करने योग्य खाद्यान्नों का क्षेत्रवार स्टाक बताने वाला ब्यौरा

क्रम सं.	क्षेत्र	2008-09	2009-10
1	2	3	4
1	बिहार	14	726
2	झारखंड	15	17
3	उड़ीसा	84	0
4	पश्चिम बंगाल	1789	1357
5	असम	83	38

1	2	3	4
6	पूर्वोत्तर सीमांत राज्य	212	77
7	नागालैंड और मणिपुर	6	0
8	दिल्ली	0	5
9	हरियाणा	16	0
10	जम्मू और कश्मीर	0	11
11	पंजाब	16798	2273
12	राजस्थान	0	12
13	उत्तर प्रदेश	62	14
14	उत्तराखंड	4	0
15	केरल	98	19
16	कर्नाटक	74	70
17	तमिलनाडु	1	1
18	गुजरात	655	814
19	महाराष्ट्र	189	245
20	मध्य प्रदेश	14	49
21	छत्तीसगढ़	0	974
	जोड़	20114	6702

[अनुवाद]

महाराष्ट्र की परियोजनाएं

137. **श्रीमती प्रिया दत्त : क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमिगत जल निकासी योजना सहित महाराष्ट्र सरकार की अनेक परियोजनाएं सरकार के सक्रिय विचाराधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या योजना के लिए संस्वीकृत निधियों को जारी न किए जाने के कारण योजनाओं के कार्यान्वियन में बाधा आ रही है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है तथा अपेक्षित निधियों को कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) शहरी विकास मंत्रालय की स्कीमों के तहत भूमिगत जल निकास स्कीम सहित महाराष्ट्र सरकार की कोई नई परियोजना विचाराधीन नहीं है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

चीनी का निर्यात

138. **श्री अनंत कुमार हेगड़े :**
डॉ. मुरली मनोहर जोशी :
श्री के. सुगुमार :
श्री गोपीनाथ मुंडे :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पांच लाख टन चीनी के निर्यात को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, इसके कारण क्या हैं, ऐसे निर्यात के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है और चीनी के निर्यात मूल्य/घरेलू मूल्य तथा अंतर्राष्ट्रीय मूल्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने वर्ष 2010-11 के दौरान विशेषकर पिराई में विलंब के मद्देनजर निर्यात के लिए अनुमति प्रदान करते हुए भंडार तथा घरेलू उपलब्धता का आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ङ) घरेलू बाजार में चीनी की आपूर्ति बनाए रखने तथा मूल्यों को स्थिर बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने खुले सामान्य लाइसेंस (ओजीएल) के अधीन 5 लाख टन चीनी के निर्यात की अनुमति देने का निर्णय किया था ताकि अनुकूल अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों का लाभ लिया जा सके। तथापि, बाद में इसे रोकने और 5 लाख टन चीनी के निर्यात का प्रस्ताव मंत्रियों के शक्तिप्राप्त समूह के समक्ष रखने का निर्णय किया

गया। इस निर्यात को 31 मार्च, 2011 तक पूरा करने का विचार रखा गया था। इसे रोकने के सरकार के अद्यतन निर्णय के मद्देनजर अब कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है। 14 दिसम्बर, 2010 (जिस तारीख को 5 लाख टन के निर्यात की घोषणा की गई थी) को मार्च, 2011 माह के लिए प्रेषण के लिए उद्धृत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी का मूल्य 769.40 अमरीकी डालर प्रति टन था और एस-30 ग्रेड की चीनी का घरेलू निकासी मूल्य 25700-28650 रुपये प्रति टन की रेंज में था।

(ग) और (घ) 2010-11 चीनी मौसम में देश के कुछ भागों में लंबे समय तक वर्षा के कारण इन क्षेत्रों में स्थित चीनी मिलों ने अपना पेराई कार्य विलंब से आरंभ किया। 2010-11 चीनी मौसम में स्टॉक और घरेलू उपलब्धता का आकलन इस प्रकार किया गया है :-

विवरण	2010-11 (लाख टन में) (अनुमानित)
आरंभिक स्टॉक	49
चीनी का उत्पादन	245
चीनी का आयात	0
उपलब्धता	294
घरेलू खपत के लिए रिलीज	220-225

(ङ) घरेलू बाजार में चीनी की आपूर्ति बनाए रखने और मूल्यों को स्थिर रखने के लिए केन्द्रीय सरकार ने चीनी के बड़े उपभोक्ताओं पर स्टॉक रखने की सीमा 14.02.2011 से आगे 180 दिनों के लिए और चीनी/खांडसारी चीनी व्यापारियों पर स्टॉक रखने की सीमा और कारोबार की सीमा 31.3.2011 तक बढ़ा दी है।

[अनुवाद]

खेलों हेतु सुविधाएं

139. **श्री दानवे रावसाहेब पाटील : क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खेल प्रशिक्षकों के कार्यकाल और आयु की सीमा तय करने हेतु विधान लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विभिन्न खेल स्थलों/स्टेडियमों पर खिलाड़ियों को मानक प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश के दूरवर्ती, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए जा रहे हैं और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित/जारी की गई?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने भारतीय ओलंपिक संघ सहित राष्ट्रीय खेल परिसंघों के पदाधिकारियों के संबंध में आयु और कार्यकाल सीमा लागू करने संबंधी कार्यकारी अनुदेश जारी कर दिये हैं जिसे आगे राष्ट्रीय खेल विकास संहिता, 2011 (एनएसडीसी 2011) में दोहराया गया है। प्रावधान के अनुसार पदाधिकारियों के संबंध में आयु तथा कार्यकाल संबंधी परिसीमा निम्न प्रकार है :-

'संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार किसी राष्ट्रीय खेल परिसंघ का अध्यक्ष व्यवधान या बिना व्यवधान के अधिकतम 12 वर्ष के कार्यकाल का पात्र है और महासचिव और कोषाध्यक्ष के दो पदों या एक पद में प्रत्येक के लिए चार वर्ष के अधिकतम दो कार्यकाल हो सकते हैं। दो लगातार कार्यकाल के बाद चार वर्ष की कूलिंग आफ अवधि अनिवार्य है। दिशा निर्देशों में किसी पदाधिकारी के लिए 70 वर्ष की आयु सीमा भी निर्धारित है।

एनएसडीसी 2011 राष्ट्रीय खेल विकास से संबंधित प्रस्तावित विधान का एक हिस्सा होगा।

(ग) सरकार ने दिल्ली सहित सभी क्षेत्रीय केंद्रों में अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं स्थापित करने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण को सहायता प्रदान की है। इनमें सिन्थेटिक खेल मैदान, आवश्यक खेल उपस्कर, कोच और सहायक स्टाफ, वैज्ञानिक सहायता आदि का प्रावधान शामिल है।

(घ) सरकार ने स्कूलों में खेलों के संवर्धन के लिए भारतीय स्कूल खेल परिसंघ तथा कालेजों तथा विश्वविद्यालयों में खेलों के संवर्धन के लिए भारतीय विश्वविद्यालय संघ को मान्यता दी है। इसके अलावा, पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पायका) के अंतर्गत सरकार ने राज्य सरकारों को अंतर विद्यालय प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए सहायता प्रदान की है। 11वीं योजना के दौरान एसजीएफआई, एआईयू, एनवाईकेएस को जारी निधि का ब्यौरा निम्नलिखित है :-

एसजीएफआई	:	0.85 करोड़ रु.	(11वीं योजना के लिए कोई विशिष्ट परिव्यय नहीं)
एआईयू	:	1.58 करोड़ रु.	(11वीं योजना के लिए कोई विशिष्ट परिव्यय नहीं)
एनवाईकेएस (पायका अंतर-स्कूल प्रतिस्पर्धाओं के संचालन हेतु)	:	7.31 करोड़ रु.	(11वीं योजना के लिए 1500 करोड़ रु. का परिव्यय)

[हिन्दी]

बाजार हस्तक्षेप योजना

140. श्री अनुराग सिंह ठाकुर :
श्री वीरेन्द्र कश्यप :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाजार हस्तक्षेप योजना में किसानों को शोषण से बचाने की परिकल्पना है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या देश के अन्य राज्यों के मुकाबले पूर्वोत्तर राज्यों के संबंध में बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों के बीच लागत के वहन हेतु भिन्न-भिन्न मानदंड हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार का विचार पूर्वोत्तर राज्यों और हिमाचल प्रदेश में समान भौगोलिक दशाओं के मद्देनजर हिमाचल प्रदेश सहित पहाड़ी राज्यों हेतु समान वित्त पोषण पद्धति का अनुकरण करने का है;

(च) क्या केन्द्र सरकार का विचार इस योजना के अंतर्गत खरीद की कुल लागत के अधिकतम 25 प्रतिशत तक की सीमा को समाप्त करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव) : (क) और (ख) जी, हां। पिछले तीन वर्षों (2007-08 से 2010-11) के दौरान इस विभाग ने बाजार हस्तक्षेप स्कीम (एम आई एस) के अंतर्गत विभिन्न राज्यों से 32 प्रस्ताव प्राप्त किए हैं। वर्षवार, राज्यवार प्रस्तावों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) एम आई एस के दिशा निर्देशों के अनुसार हानि के केन्द्रीय हिस्से की केन्द्रीय और राज्य सरकार के बीच 50:50 आधार पर हिस्सेदारी की जाती है। तथापि पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में उनकी लाभरहित दशाओं के कारण 75:25 आधार पर हानि की हिस्सेदारी की जाती है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 2007-08 से 2010-11 तक कार्यान्वित एम आई एस

क्रम सं.	जिन्स का नाम	राज्य	वर्ष
1	2	3	4
1	अदरक	मिजोरम	2007-08
2	टमाटर	कर्नाटक	2007-08
3	मिर्च	मिजोरम	2007-08
4	पैशन फ्रूट	मिजोरम	2007-08
5	हल्दी	आंध्र प्रदेश	2007-08
7	सेब सी ग्रेड	हिमाचल प्रदेश	2007-08
8	सेब सी ग्रेड	उत्तराखंड	2007-08
9	माल्टा सी ग्रेड	उत्तराखंड	2007-08
10	प्याज	कर्नाटक	2007-08
11	प्याज	महाराष्ट्र	2008-09

1	2	3	4
12	आलू	उत्तर प्रदेश	2008-09
13	आलू	गुजरात	2008-09
14	मिर्च	मिजोरम	2008-09
15	आलू	पश्चिम बंगाल	2008-09
16	पैशन फ्रूट	मिजोरम	2008-09
17	सेब सी ग्रेड	उत्तराखंड	2008-09
18	सेब सी ग्रेड	हिमाचल प्रदेश	2008-09
19	माल्टा सी ग्रेड	उत्तराखंड	2008-09
20	चॉउ चॉउ (इस्कट)	मिजोरम	2008-09
21	अदरक	नागालैंड	2008-09
22	ऑयल पॉम	आंध्र प्रदेश	2008-09
23	सुपारी	कर्नाटक	2008-09
24	आलू	उत्तर प्रदेश	2008-09
25	संतरा	नागालैंड	2008-09
26	ऑयल पॉम	कर्नाटक	2008-09
28	सुपारी	कर्नाटक	2009-10
29	आलू	पश्चिम बंगाल	2009-10
30	आलू	उत्तर प्रदेश	2009-10
31	ऑयल पॉम	आंध्र प्रदेश	2010-11
32	सेब	हिमाचल प्रदेश	2010-11

शहरी गरीबों हेतु धनराशि का उपयोग

141. **श्री मनसुखभाई डी. वसावा :**

श्री अंजन कुमार एम. यादव :

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरी गरीबों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने हेतु आबंटित धनराशि का इष्टतम उपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार कितने राज्यों में कुल आबंटित धनराशि में से 50% से कम धनराशि का उपयोग किया गया है;

(घ) ऐसे राज्यों द्वारा आबंटित धनराशि के कम उपयोग के क्या कारण हैं;

(ङ) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) इस मामले को दोषी राज्यों के साथ उठाने और धनराशि का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) और (ख) जी, नहीं। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के घटकों-शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी) एवं एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के अंतर्गत शहरी गरीबों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए आबंटित निधि की समग्र उपयोगिता संतोषजनक है लेकिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच प्रगति अनियमित है।

(ग) बीएसयूपी एवं आईएचएसडीपी के अंतर्गत राज्यवार, वर्षवार आबंटन नहीं किया जाता है। अब तक कुल आबंटित निधि का 50% से कम प्राप्त करने वाले राज्यों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) ऐसे राज्यों द्वारा आबंटित निधि के कम उपयोग के कारण निम्न है :-

(i) स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत न करना।

(ii) प्रक्रियात्मक कठिनाइयों के कारण परियोजना की धीमी प्रगति।

(iii) मुकदमा रहित भूमि की उपलब्धता की कमी।

(iv) परियोजना के कार्यान्वयन हेतु शहरी स्थानीय निकायों की क्षमता की कमी; और

(v) परियोजना की लागत वृद्धि को पूरा करने के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों की कमी।

(ङ) और (च) सरकार ने सभी राज्यों को एक कार्ययोजना तैयार करने तथा जिन परियोजनाओं का मौजूदा कठिनाइयां दूर करने के बाद शुरू किया जा सकता है, उन्हें यथा शीघ्र शुरू/कार्यान्वित करने की और जिन परियोजनाओं को शुरू ही नहीं किया जा सकता हो उन्हें वापस लेने/रद्द करने/संशोधित करने संबंधी एक कार्ययोजना 31.3.2011 तक प्रस्तुत करने संबंधी सलाह जारी की है।

विवरण

राज्यों को मिशन अवधि के लिए आबंटित एवं जारी बीएसयूपी धनराशि

क्रम सं.	राज्य	आबंटन	जारी	उपयोगिता का %
1	2	3	4	5
1	अरुणाचल प्रदेश	43.95	11.83	27
2	असम	118.98	48.8	41
3	बिहार	531.54	78.19	15
4	चंडीगढ़ (यूटी)	446.13	188.95	42
5	छत्तीसगढ़	385.21	169.29	44
6	दिल्ली (एनसीटी)	1481.28	228.29	15
7	गोवा	11.43	1.15	10
8	हिमाचल प्रदेश	31.29	4.57	15
9	जम्मू	140.18	33.61	24
10	झारखंड	351.09	62.9	18
11	कर्नाटक	407.97	164.49	40
12	लक्षद्वीप	0	0	0
13	मध्य प्रदेश	351.1	147.9	42
14	महाराष्ट्र	3352.37	1409.69	42
15	मणिपुर	43.91	10.98	25
16	मेघालय	40.35	16.03	40
17	मिजोरम	80.11	27.26	34
18	उड़ीसा	56.01	13.54	24
19	पांडिचेरी (यूटी)	83.2	21.86	26
20	पंजाब	444.46	26.4	6
21	राजस्थान	289.56	85.47	30
22	तमिलनाडु	1085.08	494.41	46
23	उत्तर प्रदेश	1165.22	531.77	46
24	उत्तराखंड	68.56	17.61	26
25	पश्चिम बंगाल	1876.98	682.64	36

18.2.2011 की स्थिति

राज्यों को मिशन अवधि के लिए आबंटित एवं जारी आईएचएसडीपी धनराशि

क्रम सं	राज्य	आबंटन	जारील	उपयोगिता का %
1	2	3	4	5
1	अंडमान एवं निकोबार	27.29	5.53	20
2	अरुणाचल प्रदेश	24.52	4.48	18
3	बिहार	168.07	81.24	48
4	चंडीगढ़ (यूटी)	20.56	0	0
5	दादरा और नगर हवेली	20.56	1.68	8
6	दमन और दीव	21.97	0.29	1
7	दिल्ली (एनसीटी)	0	0	0
8	गोवा	35.79	0	0
9	गुजरात	256.25	119.35	47
10	जम्मू	117.34	41.23	35
11	झारखंड	136	55.06	40
12	लक्षद्वीप	21.03	0	0

1	2	3	4	5
13	मध्य प्रदेश	276.64	115.73	42
14	मणिपुर	32.35	13.02	40
15	मेघालय	28.97	11.21	39
16	उड़ीसा	199.06	92.9	47
17	पांडिचेरी (यूटी)	26.95	2.74	10
18	पंजाब	172.56	16.89	10
19	राजस्थान	518.46	192.57	37
20	सिक्किम	20.9	8.96	43
21	उत्तर प्रदेश	854.41	366.83	43
22	उत्तराखंड	92.86	45.29	49

18.2.2011 की स्थिति

[अनुवाद]

जाली करेंसी नोटों का प्रचलन

142. श्री सुभाष बापूराव वानखेडे :
श्री संजय धोत्रे :
श्री विश्व मोहन कुमार :
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जाली करेंसी नोटों के बड़े पैमाने पर प्रचलन की रिपोर्टें हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत एक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में ऐसे कितने मामलों का पता चला, कितने करेंसी नोट बरामद किए गए, कितने व्यक्ति/अधिकारी गिरफ्तार किए गए और कितने मामले दर्ज किए गए;

(ग) क्या सरकार ने देश में ऐसे करेंसी नोटों के अत्यधिक मात्रा में आने से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रति खतरे से निपटने हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) देश में जाली करेंसी के प्रचलन को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरूदास कामत) : (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, देश में जाली भारतीय करेंसी नोटों (एफ आई सी एन) के परिचालन के कई मामलों की सूचना प्राप्त हुई है।

(ख) वर्ष 2010 के दौरान लगभग 1850 मामलों का पता लगाया गया है; कुल 258272889/- रुपए मूल्य के एफ आई सी एन को जब्त किया गया है और 1265 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

(ग) से (ङ) एफ आई सी एन की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। आसूचना एजेंसियों के बीच आपसी सम्पर्क एवं समन्वय को सुदृढ़ बनाया गया है तथा इस प्रक्रिया में राज्य पुलिस विभागों, डी आर आई, सी बी आई तथा एन आई ए द्वारा कई माड्यूलों को निष्क्रिय किया गयाा है।

एफ आई सी एन का रैकेट चलाने वाले व्यक्तियों की निगरानी करने तथा उनको समाप्त करने के लिए एक व्यापक नीति तैयार करने हेतु आसूचना एजेसियों के अधिकारियों एवं अन्य वरिष्ठ स्तरीय पुलिस अधिकारियों सहित गृह सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। राज्य स्तर पर राज्य समितियां भी विद्यमान हैं।

आर्थिक आसूचना परिषद ने भी राजनयिक चैनल के माध्यम से मामले को उठाने हेतु पड़ोसी देशों से हो रही एफ आई सी एन की तस्करी के संबंध में, विदेश मंत्रालय को निरन्तर आधार पर युक्तिपूर्ण न्यायिक साक्ष्य उपलब्ध कराने के लिए समस्त प्रवर्तन/आसूचना एजेंसियों को निदेश जारी किया है। एफ आई सी एन के मुद्दे को देश के विभिन्न हिस्सों में कार्यरत 22 क्षेत्रीय आसूचना समिति के स्थायी एजेंडे में शामिल किया गया है।

केंद्रीय परियोजनाओं का कार्यान्वयन

143. श्री आनंद प्रकाश परांजपे :
श्रीमती सुप्रिया सुले :
डॉ. संजीव गणेश नाईक :
श्री गणेश सिंह :

क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल, सड़क और राजमार्ग अवसंरचना परियोजनाओं सहित विभिन्न केंद्रीय क्षेत्र परियोजनाओं की लागत अधिक हो गई है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अधिकांश केंद्रीय परियोजनाओं की रेल और राजमार्ग वाली महत्वपूर्ण परियोजनाओं के सामने अधिक समय लगने और लागत अधिक होने की स्थिति है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त सभी परियोजनाओं में विलंब और लागत वृद्धि को प्रभावी रूप से न्यूनतम करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (डॉ. एम.एस. गिल) : (क) और (ख) 31 अक्टूबर, 2010 की स्थिति के अनुसार सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा निगरानी की जा रही 150 करोड़ रु. अथवा उससे अधिक की लागत वाली 559 केंद्रीय क्षेत्र परियोजनाओं में से 293 परियोजनाएं संशोधित अनुमोदित समय-सीमा की तुलना में समय-सीमा से पीछे चल रही हैं। रेलवे, सड़क तथा राजमार्ग परियोजनाओं सहित समय में देरी एवं लागत वृद्धि दर्शाने वाली विलंब से चलने वाली क्षेत्रवार 293 परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) विलंब से चलने वाली 293 परियोजनाओं में से 25 परियोजनाएं रेलवे से संबंधित हैं जबकि 111 परियोजनाएं सड़क एवं राजमार्ग परियोजनाओं से संबंधित हैं। अन्य बातों के साथ-साथ, विशेषकर रेलवे, सड़क एवं राजमार्ग परियोजनाओं के मामलों में विलंब के कारण हैं, भूमि अधिग्रहण, राहत एवं पुनर्वास में होने वाला विलंब, निधि निर्गमन में बाधा, इस्पात, सीमेंट आदि की कीमतों में तेजी से वृद्धि, ठेकेदारों द्वारा धीमी प्रगति, उपकरणों की आपूर्ति में विलंब, ठेका देने में देरी तथा कानून एवं व्यवस्था की समस्या।

(ङ) विलंब एवं लागत वृद्धि को प्रभावी रूप से कम करने के लिए सरकार ने जो कदम उठाए हैं, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) मासिक तथा तिमाही आधार पर सरकार द्वारा परियोजनाओं की गहन निगरानी;

(ii) समय एवं लागत वृद्धि के लिए जिम्मेदारी तय करने के लिए मंत्रालयों/विभागों में स्थायी समितियों का गठन;

(iii) प्रत्येक परियोजना के साथ उसकी अवधि जारी रहने तक के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति; तथा

(iv) मानक बोली दस्तावेजों के मामलों में दिशानिर्देश जारी करना।

(v) केंद्रीय क्षेत्र परियोजनाओं को भूमि अधिग्रहण जैसी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनके संबंध में राज्य सरकारों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई।

विवरण

लागत वृद्धि की प्रतिशतता तथा विलंब की सीमा के साथ विलंब से चलने वाली परियोजनाओं (31.10.2010 की स्थिति के अनुसार) की क्षेत्रवार सूची

क्रम सं.	क्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या	वास्तविक लागत	अनुमानित लागत	लागत वृद्धि (%)	विलंब की सीमा (महीने में)
1	2	3	4	5	6	7
1	परमाणु ऊर्जा	3	20876.00	23601.00	11	12-36
2	नागर विमानन	3	2690.86	2690.86	0	2-6
3	कोयला	18	13227.46	15837.21	20	8-64
4	खान	1	4091.51	4401.76	8	
5	पेट्रोलियम	33	40415.32	58558.19	45	1-74
6	विद्युत	41	105637.36	110225.38	4	1-83
7	रेलवे	25	16929.08	34663.44	105	3-225

1	2	3	4	5	6	7
8	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग	111	32064.76	32429.76	1	1-90
9	जहाज रानी एवं पत्तन	10	6074.59	6183.41	2	3-61
10	इस्पात	8	30672.04	36331.04	19	6-25
11	दूरसंचार	37	17864.99	18358.63	3	1-58
12	शहरी विकास	2	15070.00	30503.36	102	5-15
13	जल संसाधन	1	542.90	1187.00	119	
	कुल	293	306157.87	374431.04		

[हिन्दी]

मानवाधिकार उल्लंघन

144. श्री गणेश सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मानवाधिकारों के उल्लंघन के अनेक मामलों की जानकारी प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश सहित देश में राज्यवार ऐसे कितने मामलों की जानकारी प्राप्त हुई, कितने दोषियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई;

(ग) क्या सरकार ने देश में मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने हेतु कोई उपाय किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरूदास कामत) : (क) और (ख) वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10 और 2010-11 (दिनांक 31.01.2011 तक) के दौरान मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन के संबंध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) द्वारा प्राप्त शिकायतों/सूचना के आधार पर उसके द्वारा दर्ज किए मामलों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। दिनांक 1.04.2007 से दिनांक 31.12.2010 की अवधि के दौरान मानवाधिकारों के सिद्ध हुए उल्लंघनों के 1438 मामलों में आयोग ने पीड़ितों या मृतकों के निकट संबंधियों को मौद्रिक राहत के रूप में कुल 29,78,52,500/-रुपए की राशि की सिफारिश की है। ऐसे 1438 मामलों में से आयोग ने 56 मामलों में अनुशासनिक कार्रवाई और 10 मामलों में अभियोजन चलाने की भी सिफारिश की है। अभियुक्तों और गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के संबंध में केन्द्रीय स्तर पर आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) और (घ) मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 3(1) के अनुसरण में एनएचआरसी का गठन, अधिनियम के तहत उसे सौंपे गए कार्यों को करने और प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए किया गया है। अधिनियम की धारा 18 के तहत आयोग को शक्तियां प्राप्त हैं कि वह मानवाधिकारों के उल्लंघन के पीड़ितों को मुआवजे/मौद्रिक राहत की सिफारिश करे और मानवाधिकारों के उल्लंघन में संलिप्त लोक सेवकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने/अभियोजन चलाने की सिफारिश करे। तदनुसार, अब तक देश में 19 राज्य मानवाधिकार आयोगों का गठन किया गया है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 30 के अनुसार कुछ राज्यों ने मानवाधिकारों के उल्लंघन के कारण हुए अपराधों का तेजी से विचारण करने के लिए मानवाधिकार अदालतें गठित की हैं। चूंकि मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन में स्थानीय लोगों और गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) की महत्वपूर्ण भूमिका होती है इसलिए मानवाधिकारों के क्षेत्र में कार्य कर रहे एनजीओ और संस्थानों के प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए एनएचआरसी ने एनजीओ के कोर ग्रुप स्थापित किए हैं।

एनएचआरसी, मानवाधिकार के विभिन्न मुद्दों पर कार्यशालाएं, सेमिनार और बैठकें भी आयोजित करता है जिसमें एनजीओ और सिविल सोसाइटी संगठनों के प्रतिनिधि भी आमंत्रित किए जाते हैं। मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए मानवाधिकारों के मुद्दों पर सरकारी पदाधिकारियों और सिविल सोसाइटी को सुग्राही बनाने के लिए एनएचआरसी के अध्यक्ष, सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी विभिन्न राज्यों का दौरा भी करते हैं।

विवरण

वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10 और 2010-11 के दौरान दर्ज की गई शिकायतों का राज्य-वार ब्यौरा

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2007-08			2008-09			2009-10			2010-11 (31.01.2011 तक)		
	पंजीकरण	लंबित	निपटाए गए	पंजीकरण	लंबित	निपटाए गए	पंजीकरण	लंबित	निपटाए गए	पंजीकरण	लंबित	निपटाए गए
1	2	3	4	6	6	7	8	9	10	11	12	13
अंडमान और निकोबार	22	2	20	22	0	22	19	1	18	17	1	16
आन्ध्र प्रदेश	1583	60	1523	996	64	932	979	69	910	1005	72	933
अरुणाचल प्रदेश	34	1	33	29	6	23	20	4	16	27	10	17
असम	237	29	208	210	26	184	212	42	170	269	109	160
बिहार	4595	60	4535	3490	51	3439	2893	90	2803	2410	74	2336
चंडीगढ़	146	4	142	109	3	106	94	1	93	112	9	103
छत्तीसगढ़	774	25	749	577	7	570	455	28	427	403	47	356
दादरा और नगर हवेली	12	0	12	9	0	9	5	0	5	20	1	19
दमन और दीव	18	0	18	9	0	9	13	0	13	6	0	6
दिल्ली	6210	45	6165	5433	35	5398	5228	82	5146	5014	261	4753
गोवा	45	1	44	67	2	65	50	3	47	50	5	45
गुजरात	1963	35	1928	2892	75	2817	1288	108	1180	1197	63	1134
हरियाणा	3686	42	3644	3382	42	3340	2921	122	2799	2804	229	2575
हिमाचल प्रदेश	141	0	141	172	0	172	139	11	128	136	15	120
जम्मू और कश्मीर	218	13	205	202	10	192	189	18	171	190	33	157
झारखंड	1710	44	1666	1552	39	1513	1306	61	1245	1324	117	1207

1	2	3	4	6	6	7	8	9	10	11	12	13
कर्नाटक	1750	37	1713	738	32	706	531	24	507	565	35	530
केरल	465	12	453	326	13	313	295	19	276	514	25	489
लक्षद्वीप	5	0	5	0	0	0	0	0	0	6	1	5
मध्य प्रदेश	2838	28	2810	2317	46	2271	2228	82	2146	1962	72	1890
महाराष्ट्र	2821	66	2755	4321	123	4198	2609	95	2514	1954	99	1855
मणिपुर	55	16	39	48	24	24	63	34	29	51	25	26
मेघालय	29	3	26	23	0	23	44	13	31	22	11	13
मिजोरम	16	0	16	23	0	23	13	2	11	20	11	9
नागालैंड	9	0	9	12	0	12	9	1	8	14	4	10
उड़ीसा	1208	24	1184	800	13	787	1126	458	668	1439	182	1257
पुदुचेरी	73	2	71	78	1	77	52	5	47	43	1	42
पंजाब	2132	13	2119	999	11	988	986	32	954	951	46	905
राजस्थान	2976	35	2941	2535	28	2507	2249	51	2198	2327	74	2253
सिक्किम	20	1	19	14	1	13	8	0	8	6	1	4
तमिलनाडु	2419	47	2372	2617	56	2561	1466	58	1408	1223	76	1147
त्रिपुरा	51	1	50	44	6	38	37	5	32	42	9	33
उत्तर प्रदेश	58865	412	58453	53492	280	53212	51270	1028	50242	41978	1592	40386
उत्तराखंड	2047	20	2027	1806	24	1782	1870	56	1814	1742	147	1595
पश्चिम बंगाल	1129	31	1098	1168	33	1135	927	56	871	1012	92	920
कुल	100302	1109	99193	90512	1051	89461	81594	2659	78935	70853	3547	67306

* राज्यवार आंकड़ों में अखिल भारत और विदेशी शीर्षकों के तहत दर्ज की गई शिकायतों का पंजीकरण शामिल नहीं है।

[अनुवाद]

खाद्यान्नों का वितरण

145. श्री रमेन डेका :
श्री प्रेमचन्द गुड्डू :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस)/लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के अंतर्गत आबंटित, जारी और उठाए गए खाद्यान्नों और अन्य आवश्यक वस्तुओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पीडीएस/टीपीडीएस के अंतर्गत वितरण की निगरानी करने हेतु कोई तंत्र है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) से (ग) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों, मिट्टी के तेल और चीनी का आबंटन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को किया जाता है। खुले बाजार में प्रचलित दालों के अधिक मूल्य को देखते हुए नवम्बर, 2008 में "राज्य सरकारों द्वारा राजसहायता प्राप्त दरों पर आयातित दालों का वितरण" की स्कीम अनुमोदित की गई थी और यह 31.3.2011 तक प्रचालन में है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान खाद्यान्नों (चावल और गेहूं), मिट्टी के तेल, चीनी और आपूर्ति की गई दाल के आबंटन और उठान के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I से IV में दिए गए हैं।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रचालन भारत सरकार और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की संयुक्त जिम्मेदारी के अधीन किया जाता है। भारत सरकार द्वारा आबंटित खाद्यान्नों का उठान करने, लाभार्थियों की पहचान करने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली नेटवर्क के जरिए लाभार्थियों के बीच इसके वितरण आदि की मानीटरिंग करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की होती है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण को सुप्रवाही बनाने के लिए 9 सूत्री कार्ययोजना क्रियान्वित करने का निदेश दिया गया है। भारत सरकार सम्मेलन, समीक्षा बैठकें आयोजित करके और परामर्श जारी करके लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण के क्रियान्वयन की नियमित रूप से समीक्षा करती है।

विवरण-I

2007-08, 2008-09 और 2009-10 के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) का आबंटन और उठान

(मात्रा हजार टन में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2007-08		2008-09		2009-10	
		आबंटन	उठान	आबंटन	उठान	आबंटन	उठान
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आन्ध्र प्रदेश	3884.823	3637.95	3577.682	3532.766	3,884.250	3,526.692
2	अरुणाचल प्रदेश	103.548	76.009	101.556	91.058	101.556	99.538
3	असम	1345.527	1395.794	1406.256	1400.842	1,485.966	1,400.233
4	बिहार	2768.031	1625.366	2958.122	1529.022	3,437.481	2,274.014
5	छत्तीसगढ़	825.416	780.621	937.698	805.755	1,091.952	1,005.898
6	दिल्ली	748.181	701.589	592.548	561.815	592.548	577.275

1	2	3	4	5	6	7	8
7	गोवा	32.182	29.86	36.355	33.958	46.708	45.308
8	गुजरात	1130.035	882.491	1042.04	856.966	1,618.488	1,025.464
9	हरियाणा	451.917	316.172	603.493	387.616	980.472	501.671
10	हिमाचल प्रदेश	477.496	456.065	463.176	460.401	497.466	461.812
11	जम्मू व कश्मीर	823.595	746.053	776.804	770.282	756.804	758.854
12	झारखंड	1057.736	827.148	1065.93	883.363	1,311.792	1,038.280
13	कर्नाटक	2647.031	1905.704	2033.342	1951.272	2,167.492	2,092.192
14	केरल	1184.607	1150.792	1164.604	1120.931	1,301.604	1,233.443
15	मध्य प्रदेश	1807.026	1754.732	2085.683	1985.462	3,030.870	2,953.426
16	महाराष्ट्र	2880.683	2399.358	3165.785	2706.938	4,509.359	3,576.017
17	मणिपुर	107.657	101.145	106,416	98.038	117.146	122.104
18	मेघालय	140.417	134.759	144.276	145.733	147.276	145.315
19	मिजोरम	85.047	85.112	82.908	75.298	82.908	75.675
20	नागालैंड	130.887	131.102	126.876	139.044	129.546	134.532
21	उड़ीसा	1900.067	1627.519	1866.783	1826.342	2,115.852	2,080.701
22	पंजाब	280.025	159.181	662.92	505.338	1,213.920	987.526
23	राजस्थान	1274.968	1143.286	1364.624	1280.799	1,945.464	1,919,335
24	सिक्किम	45.792	46.349	44.22	44.599	44.220	44.206
25	तमिलनाडु	4847.881	3712.624	3682.832	3806.151	3,767.832	3,951.112
26	त्रिपुरा	263.211	249.934	275.004	268.012	302.004	279.176
27	उत्तर प्रदेश	4550.69	4215.77	4925.854	4255.337	7,039.894	6,455.013
28	उत्तराखंड	341.541	284.05	362.252	308.118	436.002	408.472
29	पश्चिम बंगाल	3023.204	2652.009	3031.942	2718.517	3,316.544	3,145.293
30	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	29.244	18.066	29.341	16.379	31.959	18.489
31	चण्डीगढ़	4.128	4.383	5.628	3.51	25.796	25.276

1	2	3	4	5	6	7	8
32	दादरा और नगर हवेली	11.812	10.449	8.154	8.088	8.880	2.973
33	दमन और दीव	2.7	0.699	2.37	0.423	4.320	1.346
34	लक्षद्वीप	4.837	5.363	4.608	3.703	4.614	3.707
35	पुडुचेरी	65.802	22.676	38.349	18.928	53.712	32.317
	जोड़	39,277.744	33,290.180	38,776.431	34,600.804	47,602.697	42,402.685

विवरण-II

2009-10 के दौरान राज्य सरकारों को आपूर्ति की आयातित दालों की मात्रा

(टन में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	मात्रा
1	2	3
1	आंध्र प्रदेश	102469
2	हरियाणा	7098
3	हिमाचल प्रदेश	13450
4	केरल	12902
5	महाराष्ट्र	11905
6	राजस्थान	999
7	तमिलनाडु	36362
8	उत्तर प्रदेश	65591
	जोड़	250776

विवरण-III

पिछले तीन वर्षों 2007-08, 2008-09 और 2009-10 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी के तेल का आबंटन और उठान

(मात्रा मीट्रिक टन में)

क्रम सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	2007-08		2008-09		2009-10	
		आबंटन	उठान	आबंटन	उठान	आबंटन	उठान
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	5816	5623	5816	6094	5659	5630
2	आन्ध्र प्रदेश	517158	517712	517158	516991	517102	518508
3	अरुणाचल प्रदेश	9257	9340	9257	9212	9170	9048
4	असम	258007	262766	258007	257889	257893	257682
5	बिहार	647430	662623	647430	652585	643786	640675
6	चण्डीगढ़	13067	8912	9999	8401	7181	6732

1	2	3	4	5	6	7	8
7	छत्तीसगढ़	146938	145329	146938	145981	145822	144686
8	दादरा व नगर हवेली	2782	2674	2782	2756	2785	2746
9	दमन व दीव	2118	2061	2118	2058	2073	1952
10	दिल्ली	168484	164729	160935	140530	135235	130760
11	गोवा	19212	19089	19212	19190	19209	19191
12	गुजरात	743759	743877	743759	743717	742668	742917
13	हिमाचल प्रदेश	145619	145816	145619	143901	144830	144745
14	हरियाणा	50537	47499	49409	45941	45466	44707
15	जम्मू व कश्मीर	76044	69757	76044	71467	75326	70957
16	झारखंड	211175	210867	211175	210843	210964	210584
17	कर्नाटक	461478	462219	461478	461256	461340	465201
18	केरल	216308	216327	216308	216312	216310	216352
19	लक्षद्वीप	795	532	795	710	795	794
20	मध्य प्रदेश	488609	484753	488609	487500	487845	499970
21	महाराष्ट्र	1276876	1271373	1276876	1276257	1276588	1276732
22	मणिपुर	19907	19296	19907	19648	19743	19721
23	मेघालय	20401	20505	20401	20322	20359	20319
24	मिजोरम	6217	6220	6217	6194	6181	6139
25	नागालैंड	13312	13325	13312	13308	13318	13314
26	उड़ीसा	314977	311581	314977	323768	314334	312213
27	पुडुचेरी	12257	12247	12257	12382	12249	12255
28	पंजाब	237192	235216	237192	233823	234700	230713
29	राजस्थान	398913	400254	398913	398263	398431	398129
30	सिक्किम	5582	5888	5582	5559	5566	5556
31	तमिलनाडु	558929	563892	558929	563722	558428	558398

1	2	3	4	5	6	7	8
32	त्रिपुरा	30832	30713	30832	30694	30740	30468
33	उत्तर प्रदेश	1241772	1241151	1241772	1242002	1240789	1240590
34	उत्तराखंड	89849	89339	89849	88833	89845	90340
35	पश्चिम बंगाल	752103	750418	752103	751636	751536	754262
	जोड़	9163712	9153923	9151967	9129745	9104266	9102985

टिप्पणी: सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी के तेल के अतिरिक्त आबंटन सहित

विवरण-IV

2007-08, 2008-09 और 2009-10 चीनी मौसम (अक्टूबर-सितम्बर) के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत लेवी चीनी के आबंटन का राज्यवार ब्यौरा

(मात्रा हजार टन में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2007-08*	2008-09* (विशेष त्यौहार कोटा सहित)	2009-10*
1	2	3	4	5
1	आन्ध्र प्रदेश	124.46	132.48	124.37
2	अरुणाचल प्रदेश*	10.32	11.29	10.29
3	असम*	224.29	233.26	224.38
4	बिहार	84.60	97.58	165
5	छत्तीसगढ़	54.12	59.92	55.26
6	दिल्ली	36.49	37.76	37.16
7	गोवा	1.58	2.48	1.58
8	गुजरात	75.35	79.66	75.44
9	हरियाणा	31.16	33.64	32.08
10	हिमाचल प्रदेश	56.74	59.62	57.07
11	जम्मू व कश्मीर#	88.47	91.57	88.04
12	झारखंड	0.12	4.90	84.87
13	कर्नाटक	109.64	115.89	109.66

1	2	3	4	5
14	केरल	52.92	53.02	52.92
15	मध्य प्रदेश	155.53	161.13	155.80
16	महाराष्ट्र	171.89	189.45	176.37
17	मणिपुर #	21.93	22.73	21.88
18	मेघालय #	20.86	21.76	20.96
19	मिजोरम #	8.35	8.65	8.35
20	नागालैंड #	14.49	15.14	14.64
21	उड़ीसा	106.99	111.42	108.52
22	पंजाब	20.77	21.70	20.87
23	राजस्थान	97.05	99.30	94.54
24	सिक्किम	4.68	4.91	4.70
25	तमिलनाडु	136.74	146.44	140.14
26	त्रिपुरा	32.94	34.38	32.88
27	उत्तर प्रदेश	412.02	433.35	412.20
28	उत्तराखंड	73.28	75.78	73.38
29	पश्चिम बंगाल	169.62	188.43	178.58
30	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह #	4.60	4.74	4.77
31	चण्डीगढ़	0.90	0.93	0.91
32	दादरा और नगर हवेली	0.60	0.63	0.60
33	दमन और दीव	0.12	0.13	0.12
34	लक्षद्वीप #	1.32	1.34	1.32
35	पुडुचेरी	2.12	2.32	2.12
	जोड़	2407.06	2557.73	2591.77

*चीनी मौसम अक्टूबर से सितम्बर तक माना जाता है।

यह लेवी चीनी के आबंटन एवं उठान के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा संचलित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र हैं।

टिप्पणी : केन्द्र सरकार द्वारा किये गये आबंटन के प्रति लेवी चीनी के वास्तविक उठान का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

चीनी निर्यात

146. **श्री हरिभाऊ जावले : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी चीनी के मौसम में चीनी के निर्यात हेतु सरकार द्वारा अपनाई जा रही नीति क्या है;

(ख) चालू तथा आगामी चीनी के मौसम के दौरान निर्यात हेतु जारी की जाने वाली चीनी की मात्रा का ब्यौरा क्या है;

(ग) निर्यात के लिए अतिरिक्त कोटा जारी करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या उक्त निर्णय से थोक चीनी मूल्यों में अचानक गिरावट के चलते निर्यात प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए चीनी उठाने वाली निजी चीनी उत्पादकों को लाभ पहुंचा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) आगामी चीनी मौसम 2011-12 के दौरान चीनी के निर्यात की नीति का निर्धारण अभी करना जल्दबाजी होगी। तथापि, चीनी के निर्यात की नीति मौसम विशेष के दौरान चीनी के अनुमानित उत्पादन, पिछले मौसम से आगे लाए गए चीनी के स्टॉक और घरेलू खपत के लिए चीनी की आवश्यकता पर निर्भर करती है। विदेश व्यापार नीति 2009 के अनुसार खुले सामान्य लाइसेंस (ओजीएल) के तहत चीनी का निर्यात खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में शर्करा निदेशालय द्वारा जारी किए जाने वाले रिलीज आदेश के जरिये नियंत्रण के अध्यधीन है।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने अग्रिम प्राधिकार (पूर्व में अग्रिम लाइसेंस) धारकों, जिन्होंने 21.09.2004 से 15.04.2008 और 17.02.2009 से 30.09.2009 तक की अवधि के दौरान टन-दर-टन आधार पर कच्ची चीनी का आयात किया, को अपने लंबित निर्यात दायित्व पूरा करने की अनुमति देने का निर्णय किया है। 21.09.2004 से 15.04.2008 के दौरान किए गए आयातों के लिए निर्यात दायित्व पूरा करने की अंतिम तारीख 31.03.2011 है। तथापि, 17.02.2009 से 30.09.2009 के दौरान किए गए आयातों के संबंध में निर्यात दायित्व अग्रिम प्राधिकार जारी होने की तारीख से 36 माह के भीतर पूरा किया जा सकता है, इसलिए कुछ दायित्व को पूरा करने का काम आगामी चीनी मौसम में भी किया जा सकता है।

(ग) वर्तमान मौसम में खुले सामान्य लाइसेंस (ओजीएल) के अधीन चीनी के निर्यात के लिए 5 लाख टन चीनी रिलीज करने का निर्णय किया गया था ताकि अनुकूल अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों का लाभ लिया जा सके। तथापि, बाद में इसे रोकने और प्रस्ताव को मंत्रियों के शक्तिप्राप्त समूह के समक्ष रखने का निर्णय किया गया।

(घ) और (ङ) अग्रिम लाइसेंस धारक सहकारी चीनी मिल सहित किसी भी चीनी मिल से चीनी खरीद सकते हैं। अत: यह बताना संभव नहीं है कि अग्रिम प्राधिकार स्कीम के अधीन उक्त निर्यात से केवल निजी चीनी विनिर्माताओं को लाभ मिला है।

गेहूं की खरीद

147. **श्री के.आर.जी. रेड्डी : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने सितंबर, 2011 को समाप्त होने वाले 2010-11 मौसम हेतु गेहूं की खरीद में संभावित खरीद का अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक की गई तैयारी का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गेहूं की खरीद की वर्तमान स्थिति क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) से (ग) 7 फरवरी, 2011 को गेहूं की खरीदारी करने वाले राज्यों के खाद्य सचिवों की बैठक के दौरान गेहूं की संभावित खरीद के अनुमानों पर चर्चा की गई थी। अनंतिम स्तर पर, आगामी रबी विपणन मौसम 2011-12 जो 1 अप्रैल से शुरू होगा, में खाद्य सचिवों द्वारा लगभग 260 लाख टन गेहूं की संभावित खरीदारी होने की सूचना दी है। तथापि, मार्च, 2011 में मौसम संबंधी स्थितियों, खरीद मौसम के दौरान बाजार स्थितियों और राज्य सरकारों द्वारा की गई खरीद तैयारियों पर निर्भर करते हुए वास्तविक खरीदारी की मात्रा भिन्न हो सकती है।

[हिन्दी]

मलिन बस्ती रहित कस्बा/शहर परियोजना

148. **श्री लालचन्द कटारिया : क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मलिन बस्ती रहित कस्बा/शहर परियोजना को कार्यान्वित करने हेतु राजीव आवास योजना की प्रायोगिक योजना के अंतर्गत आवासों के निर्माण के लिए 6000 करोड़ रुपए का अनुदान वितरित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत कितनी आवासीय इकाइयों का निर्माण किए जाने की संभावना है और इनका निर्माण कब तक किए जाने की संभावना है; और

(घ) इस योजना को किन-किन राज्यों में शुरू किए जाने की संभावना है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

गरीबों हेतु मकानों का निर्माण

149. श्री संजय सिंह चौहान :
श्री अरविन्द कुमार चौधरी :
क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार अगले वित्त वर्ष के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा गरीब व्यक्तियों हेतु मकानों के निर्माण के लिए योजना को स्वीकृति देने का है;

(ख) यदि हां, तो इसमें कुल कितने मकानों का निर्माण किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या इसके अंतर्गत लाभान्वित होने वाले गरीब व्यक्तियों की संख्या का आकलन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन श्रेणियों का आय-वार ब्यौरा क्या है जिनके अंतर्गत फ्लैटों का वर्गीकरण किए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) जी, नहीं। तथापि, डीडीए ने सूचित किया है कि वह जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के तहत सिरसपुर नरेला में 4740 मकानों का, जहांगीरपुरी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 228 मकानों का और नरेला, रोहिणी तथा द्वारका में 18600 ईडब्ल्यूएस मकानों का निर्माण कर रहा है।

(ख) से (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आईसीएआर को धनराशि

150. श्री एस.आर. जेयदुरई :
श्री इज्यराज सिंह :
श्री यशवंत लागुरी :
क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आज तक देश में कृषि उत्पादन में वृद्धि करने हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के विभिन्न संस्थानों द्वारा चलाई गई अनुसंधान परियोजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त प्रयोजनार्थ आईसीएआर को आबंटित धनराशि और अवधि के दौरान उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में आईसीएआर की उपलब्धियां क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) महोदया, डेयर/भा.कृ.अ.प. के पास देश भर में फैले संस्थानों का एक नेटवर्क है; जिसमें कृषि अनुसंधान और शिक्षा के लिए 45 अनुसंधान संस्थान, 4 मानद विश्वविद्यालय, 6 राष्ट्रीय ब्यूरो, 17 राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र, 25 निदेशालय परियोजना निदेशालय 61 अखिल समन्वित अनुसंधान परियोजनाएं, 8 क्षेत्रीय परियोजना निदेशालय, 17 नेटवर्क परियोजनाएं, एक केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय और 589 कृषि विज्ञान केन्द्र (केवीके) शामिल हैं। ये सभी संस्थान तथा 46 राज्य कृषि विश्वविद्यालय देश में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए परियोजनाएं चला रहे हैं। परिषद, वर्तमान में 74 योजनागत स्कीमों को चला रही है जिसमें ग्यारहवीं योजना अवधि के पहले तीन वर्षों में 4489.48 करोड़ रु. वर्तमान वित्तीय वर्ष में 2300 करोड़ रुपये और अगले वित्तीय वर्ष में 2800 करोड़ रुपये का व्यय आकलन शामिल है।

(ख) वर्ष 2007-08, 2008-09 और 2009-10 के वर्षों के लिए निधियों का वार्षिक उपयोग संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की महत्वपूर्ण प्रमुख उपलब्धियों को संक्षिप्त रूप में संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के ग्यारहवीं योजना के पहले तीन वर्षों के लिए वर्षवार योजना व्यय

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	वास्तविक व्यय
2007-08	1260.33
2008-09	1588.15
2009-10	1641.00

विवरण-II

(2007-08 - 2010-11)

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में डेयर/भा.कृ.अ.प. की महत्वपूर्ण उपलब्धियां

क्रियान्वित नई पहलें

- राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना (एनएआईपी) का प्रारंभ जुलाई, 2006 में 6 वर्षों के लिए किया गया जिसका कुल परिव्यय 1190 करोड़ रुपये है। परियोजना की मुख्य विशेषताओं में उत्पादन से उपभोग प्रणाली (बाजार) पर अनुसंधान, अलाभकारी क्षेत्रों (निर्धनता) हेतु टिकाऊ आजीविका तथा अनुसंधान के अग्रणी क्षेत्रों में मूल तथा नीतिगत अनुसंधान सम्मिलित हैं।

- कृषि शिक्षा, अनुसंधान, सेवा तथा व्यावसायिक संपर्क में आपसी सहमति से शिक्षा एवं शिक्षण संसाधनों पर प्रारंभिक ध्यान सहित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की खोज, खाद्य प्रसंस्करण, उप-उत्पादों तथा जैव ईंधनों का उपयोग, जैव प्रौद्योगिकी तथा जल प्रबंधन के लिए भारत-यूएस ज्ञान पहल का प्रारंभ।

- क्षमता निर्माण तथा मूल एवं नीतिगत अनुसंधान के लिए "नेशनल फंड फार बेसिक एंड स्ट्रेटिजिक रिसर्च इन एग्रिकल्चरल साइंसेज" का आरंभ।

- गुणवत्ता बीज उत्पादन तथा बीज प्रतिस्थापना दर को बढ़ाने के लिए कृषि फसलों तथा मात्स्यिकी में क्वालिटी बीज उत्पादन पर एक परियोजना प्रारंभ की गई। एक वर्ष में दुगुने से भी अधिक बीज उत्पादन प्राप्त हुआ।

- बौद्धिक संपदा प्रबंधन तथा पेटेंट रिजीम को संबोधित करने के लिए "द गाइडलाइन्स फार इंटेलेक्चुअल प्रापर्टी मेनेजमेंट तथा कामर्सिलाइजेशन आफ टेक्नालोजीज इन आईसीएआर" तैयार किया तथा इसे क्रियान्वित किया गया।

टिकाऊ तथा उच्च उत्पादकता के लिए विकसित उन्नत किस्में तथा संकर

- उत्पादकता तथा उत्पादन बढ़ाने के लिए चार सौ से भी अधिक किस्में तथा संकर विकसित किए गए जिनमें बागवानी तथा सब्जियां शामिल हैं तथा इन्हें देश के विभिन्न भागों में उगाने के लिए जारी/पहचाना गया।

- मक्का की उत्पादकता तथा उत्पादन में 'एकल क्रास संकर' के विकास से उल्लेखनीय वृद्धि संभव है, यह केवल उत्पादन में ही अधिक नहीं बल्कि पोषकता की दृष्टि से भी श्रेष्ठ है। इसे क्वालिटी प्रोटीन मक्का कहा जाता है। क्वालिटी प्रोटीन मक्का अनिवार्य अमिलो एसिड से भरपूर है इसे ट्राइप्टोफान कहा जाता है तथा लाइसिन मानव पोषण हेतु एक महत्वपूर्ण स्रोत है तथा पोल्ट्री, फिशरी, पिगरी तथा पशुधन के लिए कम खर्चीला तथा अच्छा आहार है।

- मौजूदा किस्मों के 272 आवेदन 'पौध किस्मों तथा फामर्स राइट अथॉरिटी' को पंजीकरण हेतु प्रस्तुत किए गए।

- सेल कल्चर का उपयोग करते हुए बर्डफ्लू के लिए टीके विकसित किए गए। वैक्सीन के परीक्षणों में यह आयातित वैक्सीन से बेहतर पाई गई।

- भेड़ में ब्लू टंग, गोट पॉक्स तथा एविएन इनफ्लूंजा के नियंत्रण के लिए एक निष्क्रिय पेंटावेलेंट वैक्सीन विकसित की गई।

- सकर प्रौद्योगिकी को बढ़ाने के लिए कुल उर्वरता रेस्टोरेशन के साथ ब्रेसिका जुंसिया में साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरायल लाईस का विकास किया गया।

- पपीता, तरबूज तथा केले के महत्वपूर्ण विषाणु का पता लगाने के लिए डाइग्नोस्टिक टेक्नीक किट का विकास किया गया।

- जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा बैंगन से प्ररोह व फल बेधक तथा टमाटर में फल भेदक के लिए प्रतिरोधी ट्रांसजेनिक पौधों का विकास।

- आलू विषाणु के लिए आण्विक नैदानिकी का विकास।

- टमाटर, बैंगन और मिर्च के व्यावसायिक संकरों की आनुवंशिक शुद्धता की जांच के लिए आण्विक नैदानिकी का विकास किया गया।

- लवणीय/क्षारीय इलाकों के लिए चावल की अधिक उपज वाली लवण सहिष्णु किस्में (सीएसआर 36) तथा भारतीय सरसों(सीएसआर 54) को जारी किया गया।

- आठ राज्यों के लिए जस्ता, तांबा, मैग्नीज और लोहे से संबंधित मृदा सूक्ष्म तत्वों के न्यूनता मानचित्र तैयार किए गए।

- जल के बहु-उपयोग की पद्धति तथा जलमग्न भूमि के लिए जलाशय में मछली और बत्तख पालन, बंड व रूटिंग जल से खाद्य फसलों बागवानी के लिए माडल का विकास।

व्यावसायीकरण के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियां

- लगभग एक मिलियन हैक्टर में जीरो टिलेज टेक्नालाजी का प्रसार जिससे 250 करोड़ रु. की कुल वार्षिक बचत हुई। इससे सिंधु गंगा के मैदानी क्षेत्रों में 10 मिलियन हैक्टर क्षेत्र में अपनाकर प्रति वर्ष 25000 करोड़ रु. की बचत की जा सकती है।
- गेहूं में पारंपरिक पद्धति की तुलना में क्यारी-रोपण से (72%) समय, श्रम (62%) ऊर्जा (84%) जल (34%) तथा कीमत में (78%) की बचत हुई।
- केले में पनामा रोग के नियंत्रण के लिए प्रभावी जैव-नियंत्रण पद्धतियों का विकास किया गया तथा जिन्हें संशोधित वातावरण में लगभग 135 दिनों तक केलों को भंडारित किया जा सकता है।
- सेब व आम के पुराने बागानों में छंटाई, समेकित पौध संरक्षण तथा सही पोषण द्वारा जीर्णोद्धार तकनीक का मानकीकरण किया गया।
- मूल्य संवर्धित उत्पाद जैसे आंवला से च्यवनप्राश व आंवला श्रेड, बेर, बेल तथा अनार से आरटीएस तथा खेजरी से बिस्कुट तैयार किए गए।
- खेत में गन्नों के ट्रेश की कटिंग के लिए पावर चालित स्लेशर कम इनकॉरपोरेटर का विकास किया गया तथा इनका खेतों में पारथीनियम पौधों को कतरने में उपयोग भी किया गया।
- सूक्ष्म-बूंदों के प्रवाह तथा उपयोग दक्षता को बढ़ाने के लिए ट्रैक्टर चालित बागान स्प्रेयर विकसित किया गया।
- चारे की कमी और सूखे के दौरान पशुओं के खाने के लिए पूर्ण आहार ब्लाक्स बनाये गये तथा पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए विशेष खनिज मिश्रण तैयार किए गए।
- संक्रमित पशुओं के सीरम से गेस्ट्रोइन्टेसटाइनल पैरासिटिक संक्रमण का जल्दी पता लगाने के लिए इम्यूनो-डाइग्नोस्टिक किट का विकास किया गया।
- मुक्त वातावरण में गांवों में पालन के लिए वनराजा तथा ग्रामप्रिया किस्मों का विकास किया गया तथा विभिन्न गैर सरकारी संगठनों द्वारा इन्हें ग्रामीण परिवारों तथा छोटे किसानों को उपलब्ध कराया गया।
- ग्रामीण पोल्ट्री विकास के लिए जल्दी तैयार होने वाली सफेद आवरणीय अंडे वाली भूरे पंखों की बटेर का विकास किया गया जो 72 हफ्तों में 223 अंडे देती है तथा 87.5 प्रतिशत विदेशी वंशानुक्रम वाली सूअर नस्ल का विकास किया गया।
- 150 किलोग्राम क्षमता युक्त हस्तचालित 'लाइव फिश ट्रांसपोर्ट यूनिट' तथा ईको फ्रेंडली सोलर फिश ड्रायर का डिजाइन तैयार कर विकास किया गया।

कृषि शिक्षा

- कृषि शिक्षा के लिए राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता में अत्यधिक वृद्धि की गई।
- अग्रणी विज्ञान में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए 34 विशिष्ट क्षेत्रों के लिए राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को सहायता प्रदान की गई।
- भा.कृ.अ.प. के संस्थानों, ऑफ कैंपस विद्यालयों तथा आईसीएआर/एसएयू के क्षेत्रीय केन्द्रों तथा 35 राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों को आपस में जोड़ने के लिए आईसीएआरनेट की स्थापना की गई।

किसानों तक पहुंच

- इस योजना अवधि में आईसीएआर ने 38 कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना की है तथा इनकी कुल संख्या 589 हो गई है। इन कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा अभी तक प्रौद्योगिकी/उत्पादों के मूल्यांकन, परिष्करण तथा प्रदर्शन के साथ-साथ प्रसार कार्मिकों तथा किसानों को प्रशिक्षण के माध्यम से मानव संसाधन विकास में सहायता दी जाती है। इनको अग्र पंक्ति के प्रदर्शनों को आयोजित करने का अधिदेश प्राप्त है। आईसीएआर के संस्थानों द्वारा बड़ी संख्या में विकसित प्रौद्योगिकी को किसानों, ग्रामीण महिलाओं तथा युवकों के लाभ हेतु इन कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा प्रसार किया जाता है।

  200 कृषि विज्ञान केंद्रों को सूचना के आदान प्रदान तथा प्रौद्योगिकी को अद्यतन करने के लिए ई कनेक्टिविटी प्रदान की गई है। 210 कृषि विज्ञान केंद्रों में मृदा तथा जल परीक्षण की सुविधाओं का प्रावधान भी किया गया है।
- खेतिहर महिलाओं में श्रम को कम करने के लिए महिलाओं के प्रौद्योगिकी सश्क्तिकरण के लिए 200 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

- 220 मोथबीन और 225 क्यूक्यूमिक प्रविष्टियों के एसएसआर जीनोटाइपिंग का कार्य पूरा किया गया।
- प्रोटीन-प्रोटीन इंटरएक्शन पर आधारित एवीआर-पीआईकेएच जीन के दो मॉडलों की पहचान की गई।
- 25 विग्ना, 15 क्यूक्यूमिस तथा 15 एबेल्मोस्कम प्रजातियों में कुल मिलाकर 5 आर डीएनए, 5 एमटी डीएनए तथा 5 सीपी डीएनए रीजन की सीक्वेंसिंग की गई।
- तीन जीनों तथा एलईसी1, बीएबीएवाईबीओओएम, एसईआरके 1 की बाइनरी वैक्टर में क्लोनिंग की गई।
- इन जीनों का विस्तार (एम्प्लीफाई) कर उन्हें इंटरमीडिएट वेक्टर में क्लोन किया गया।
- दो जीनों के साथ सरसों में जीन पिरामिडिंग प्राप्त की गई।
- 2 राइस लैंड रेसेज से तीन प्रध्वंश प्रतिरोधी जीनों के लिए एलील्स की माइनिंग की गई।
- दो गेहूं की प्रजातियां पूसा बंसत (एचडी 2985), एचडब्ल्यू 1095 (सीओडब्ल्यू (एसडब्ल्यू)2 तथा एक द्वि उद्देश्यीय जौ की किस्म पूसा लोसर (बीएचएस 380) को जारी किया गया।
- गेहूं की एक किस्म पूसा सिंधु गंगा (एचडी-2967), सरसों की दो किस्मों यथा पूसा सरसों 26 (एनपीजे-113) तथा पूसा सरसों 27 (ईजे-17) तथा एक बैंगन की किस्म (डीबीएल-02) की पहचान कर उन्हें जारी किया गया।
- खाद्यान्न एवं बागवानी फसलों को बड़ी संख्या में प्रभावित करने वाले पोटीवाइरस की जांच के लिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबाडीज विकसित की गई हैं।
- मृदा में नाइट्रोजन का संतुलन तथा इनपुट, आउटपुट की मात्रा को निर्धारित करने, जीएचजी उत्सर्जन तथा नाइट्रोजन उपयोग दक्षता के लिए धान में प्रबल नाइट्रोजन प्रबंधन प्रौद्योगिकी पर इन्फो नाइट्रो (धान में नाइट्रोजन प्रबंधन प्रौद्योगिकी पर सूचना) नामक एक निर्णय आधारित प्रणाली (डीएसएस) विकसित की गई।
- 'बेसिलस थूरिनजिएंजिस के सिंथेटिक जीन इंकोडिंग क्राई 1 फॉल डेल्टा-एंडोटाक्सिन' पर पेटेंट प्रदान किया गया।
- कैलस इंडक्शन क्षमता के लिए 15 इन्ब्रेड लाइन्स का परीक्षण किया गया।
- एसएसआर मारकरों के प्रयोग द्वारा 43 मक्के के जीनोटाइपों का आण्विक लक्षणीकरण किया गया।
- मध्यम अवधि के भंडारण के लिए कुल 23145 प्रविष्टियों का संरक्षण किया गया, जिनमें से कुल 6716 प्रविष्टियों का दोहरीकरण (डुप्लीकेशन) किया गया।
- बीज उत्पादन के मूल स्थान पर नए संकरों यथा सीएसएच 24 एमएफ तथा सीएसएच 25 के लिए बीज उत्पादन प्रौद्योगिकी का मानकीकरण किया गया।
- 50 मूसा जननद्रव्यों का मूल्यांकन किया गया जिनमें से 37 को सूत्रकृमि के विरुद्ध सहिष्णु पाया गया।
- आलू के 16 संकरणों से 11060 पौदों का मूल्यांकन किया गया जिनमें से 892 को लेट ब्लाइट के प्रति सहिष्णु पाया गया।
- नार्थ और ईस्ट इंडियन आम के 150, अंगूर की 72, काजू की 31 तथा छोटी इलायची की 96 प्रविष्टियों की डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की गई।
- अदरक और हल्दी की 10 मौजूदा किस्मों को पीपीवीएफआरए, नई दिल्ली में पंजीकृत कराया गया।
- अमरूद, जामुन, बेल, इमली और अनार की पांच फल किस्मों में प्रत्येक से एक सब्जियों की 12 किस्में (आलू-1, डालिकस बीन-2, स्पंज गोर्ड-1, प्याज-6 तथा फ्रेंचबीन, पुष्पों की 7 किस्में (ग्लेडिओलस-2, हाएंथस-1, ट्यूबरोज-1, क्रासेंड्रा-2 तथा गुलदाउदी-1) को जारी किया गया।
- खेतों में आलू के विषाणुओं की जांच के लिए एक स्ट्रिप आधारित नैदानिकी विकसित की गई।
- केले की किस्म ग्रांड नैने में 10 सैल्स/मिली की दर से इंडोफाइटिक बैक्टीरियल एंटेगोनिस्टिक आइसोलेट्स के प्रयोग की अनुशंसा की गई जो कि केले में सिगाटोका लीफ स्पाट रोग की तीव्रता को कम करने में सहायक है।
- नारियल और सुपारी के वृक्षों में चढ़ने की तकनीक विकसित की गई।

- अलफांजो, दशहरी, तोतापरी और अर्का अनमोल के अस्मोसिस द्वारा सुखाए गए आम के स्लाइस को मानक प्रक्रिया के प्रयोग द्वारा तैयार किया गया और उन्हें 12 से 15 प्रतिशत नमी के स्तर तक सुखा कर एक साल तक भंडारण के लिए पनेट्स में पैक किया गया।

- एनडीआरआई में गरिमा-2, एक अन्य क्लोंन्ड भैंस के बछड़े को नई और उन्नत 'हैंड गाइडेड क्लोनिंग तकनीक' से पैदा किया गया। इस मामले में प्रयोग में लाए गए डॉनर सैल एक एंब्रायनिक स्टेम सैल था।

- एनडीआरआई, करनाल में जन्मा 'श्रेष्ठ' नामक भैंस के बछड़े को नई और उन्नत 'हैंड-गाइडेड क्लोनिंग तकनीक' द्वारा तैयार किया गया था, जो कि पहले के क्लोन्ड बछड़ों से भिन्न प्रकार का था क्योंकि इस मामले में पोषक मां का प्रसव सामान्य था।

- डोडा बरफी के लिए व्यावहारिक प्रौद्योगिकी : बैक्टीरियोसिन, माइक्रोगार्ड, पोटेशियम सारबेट तथा सोडियम ईडीटीए के प्रयोग द्वारा डोडा बरफी की शैल्फ लाइफ 27 दिन तक बढ़ाई गई जबकि पारंपरिक तरीकों से 30 डिग्री सैल्शियस पर इसकी शैल्फ लाइफ 12-15 दिन होती है।

- बाजरे की खीर की प्रक्रिया का इष्टतमीकरण : डेयरी व्हाइटनर का प्रयोग करते हुए बाजरे को मुख्य घटक के तौर पर इस्तेमाल करके बाजरे की खीर बनाने की विधि विकसित की गई।

- मेघालय और आसाम के घुंघरू तथा स्थानीय सुअरों से डीएनए को अलग किया गया।

- याक के संकरों से भ्रूण उत्पन्न किए गए।

- विभिन्न केंद्रों पर 1200 से अधिक सूअर के बच्चों की उन्नत नस्ल पैदा की गई।

- एफएमडी वैक्सीन में समानता लाने के लिए एफएमडी वैक्सीन उद्योग को वैक्सीन वायरस के स्ट्रेन की आपूर्ति की गई। 31 टाइप ओ, 8 टाइप ए और दो टाइप एशिया-1 फील्ड आइसोलेट्स को रिपाजिटरी में जोड़ा गया।

- माननीय कृषि मंत्री जी द्वारा एफएमडी रोग के लिए 'दीवा' किट को जारी किया गया।

- रिफरेंस हाइपरइम्यून सीरा के प्रयोग द्वारा अप्रत्यक्ष एलिसा का मानकीकरण किया गया।

- बकरियों के सीमेन को जमाने के लिए दक्षता की जांच हेतु डेक्सट्रान नामक नए क्रायोप्रोटेक्टेंट का परीक्षण किया गया।

- प्लाजमिड्स में एसओडी के कापर शैपरोन के प्रविष्टि की जांच पर उसकी सीक्वेंसिंग की गई।

- उठी हुई तथा सपाट क्यारियों के लिए एकीकृत टेलर सहित स्ट्रा रीपर, नैरो व्हील ट्रैक्टर व अन्य उपकरण, चारा हार्वेस्टर तथा उच्च क्षमता वाला चैफ कटर तथा बैल से चलने वाले इंजन आपरेटेड स्प्रेयर विकसित किए गए।

- ट्रैक्टर ट्रेलर के लिए रियर ओवरटर्निंग सुरक्षा व्यवस्था, बहु फसली थ्रेसरों के लिए सुरक्षित फीडिंग कन्वेयिंग प्रणाली तथा नारियल के वृक्षों पर चढ़ने के लिए एरगो-रिफाइंड सुरक्षित चढ़ने की डिवाइस विकसित की गई।

- सुपारी के वृक्ष पर चढ़ने के लिए कटाई के यंत्रों सहित एक एरिका नट ट्री क्लाइंबर, आंवला प्रोसेसिंग प्रौद्योगिकी तथा मोटरयुक्त एरिका नट स्ट्रिपर का विकास किया गया।

- महिलाओं के लिए अनुकूल एक सुपारी का छिलका निकालने का यंत्र तथा चाय तोड़ने के यत्र का विकास किया गया।

- कैश्यू शैल के गैसीकरण को विकसित किया गया।

- कृषि-औद्योगिक उत्प्रवाह के लिए एक उच्च दर वाला जैव मीथेनीकरण प्रणाली विकसित की गई और शोभाकारी जूट फैब्रिक्स के लिए हैंडलूम और जूट स्टिक थ्रेडर विकसित किया गया।

- मुलायम गेहूं तथा मत्स्य डेबोनर के लिए मछली सुखाने वाला एक पॉली-हाउस ड्रायर पायलट संयंत्र विकसित किया गया।

- गुग्गुल टेपिंग टूल तथा मांग पर आधारित आटोमेटिक फिश फीडर विकसित कर सस्योत्तर नुकसान का मूल्यांकन किया गया।

भंडारण उपयोग

151. **श्री एस. सेम्मलई : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भंडारण उपयोग का वर्तमान इष्टतम स्तर क्या है;

(ख) क्या इस संबंध में किसी मानदंड का पालन किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त मानदंडों को निर्धारित करने का आधार क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) से (ग) औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो द्वारा दिए गए भंडारण के लिए इष्टतम क्षमता उपयोग मानदंड 75 प्रतिशत है। तथापि, इस संबंध में किसी प्रकार के निर्धारित मानदण्ड का अनुसरण नहीं किया जाता है, क्योंकि उपयोग विभिन्न कारकों जैसे खाद्यान्नों की खरीद, उठान और संचलन पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

कृषि उपकरणों पर राजसहायता

152. **डॉ. संजय जायसवाल :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में बंजर भूमि को कृषि हेतु उपयोगी बनाने के लिए किसानों को सस्ती दरों पर कृषि उपकरणों और उपस्करों को उपलब्ध कराने हेतु किसी योजना को कार्यान्वित कर रही है/कार्यान्वित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना के अंतर्गत किस प्रकार के उपकरण और उपस्कर उपलब्ध कराए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव) : (क) कृषि मंत्रालय किसानों को कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि के अधिक उपजाऊ प्रयोग हेतु राजसहायता प्राप्त दरों पर कृषि उपकरण और उपस्कर उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र स्कीमों नामतः वृहत कृषि प्रबंधन (एम एम ए) राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एन एच एम) और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन एफ एस एम) कार्यान्वित कर रहा है।

(ख) उपर्युक्त स्कीमों के अंतर्गत राजसहायता पर उपलब्ध उपकरणों और उपस्करों का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत राजसहायता पर उपलब्ध उपकरणों और उपस्करों की सूची :

वृहत कृषि	(एन एफ एस एम)	(एन एच एम)
1	2	3
40 एच पी. तक के ट्रैक्टर	रोटावेटर	रोटावेटर/उपकरण के साथ पावर मशीन (20 बीएचपी तक के)
पावर टिल्लर	पावर वीडर	सहायक उपकरणों/उपस्करों सहित 20 बी एच पी और अधिक के पावर मशीन
कम्बाइन हार्वेस्टर्स उपकरण	सीड ड्रिल पशु (ट्रैक्टर चालित)	विद्युत आरी और पादप सुरक्षा उपकरणों सहित विद्युत चालित मशीन/उपकरण
हस्तचालित रीपर, पैडी ट्रांसप्लांटर और उसी प्रकार के हस्तचालित मशीन	मल्टी क्रॉप प्लांटर	--
विशेष विद्युत चालित उपकरण जैसे पोटैटो प्लांटर, पोटैटो डिग्गर, ग्राउंडनट डिग्गर, स्ट्रिप टिल ड्रिल, क्लिनर-कम-ग्रेडर ड्रायर, मोबाइल फ्रूट हार्वेस्टर्स, पावर, वीडर, मिनी राइस मिल, दाल मिल, जीरो टिल सीड ड्रिल रेस्ड बेड प्लांटर, शुगरकेन कटर प्लांटर, पोस्ट हॉल डिग्गर, रोटावेटर, एट्रॉ रीपर, रीपर-कम-बाइंडर, हैप्पी सीडर, वेजिटेबल ट्रांसप्लांटर आदि	खेती के छोटे उपकरण हैंड वीडर, हील हो, रेक, रोटरी टिल्लर, रिजर, मार्कर, फरो आपनर आदि	-

1	2	3
हस्तचालित उपकरण/उपस्कर पशु चालित उपकरण	सिंचाई पम्प	--
पशुचालित टूल कैरियर जैसे कि मल्टी टूल कैरियर और पैडी सीडर	कोनो वीडर	-
विद्युत चालित उपकरण ट्रैक्टर विद्युत टिल्लर चालित जैसे एम बी डिस्क हल, हैरो, कल्टीवेटर सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल	जीरो टिल ड्रिल	-
पावर थ्रेशर (सभी प्रकार के)	नैपसैक स्प्रेयर्स	-
डीजल/इलेक्ट्रिक पम्प सेट	पम्प सेट	-
कोनो वीडर	स्प्रिंकलर सेट	-
पादप संरक्षण उपकरण जैसे हस्तचालित, विद्युतचालित, टैक्ट्रर मॉउन्टेड, एयरो ब्लास्ट स्प्रेयर	-	-

[अनुवाद]

सीपीएफ कार्मिकों द्वारा आत्महत्या

153. **श्री एंटो एंटोनी :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों (सीपीएफ) में आत्महत्या करने और सहकर्मियों पर गोली चलाने के कई मामले हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) सहित बल-वार ऐसे कितने मामलों की सूचना प्राप्त हुई;

(ग) क्या ऐसी घटनाओं हेतु कारणों/परिस्थितियों का पता लगाने हेतु अध्ययन के बारे में कोई जांच कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इस बारे में क्या निष्कर्ष निकाले गए और सिफारिशें की गईं तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) अर्धसैनिक बलों के कार्मिकों की सेवा से जुड़े तनाव को कम करने और उनके कार्य की दशा और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करने हेतु सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरूदास कामत) : (क) और (ख) केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों (सी पी एम एफ) में आत्महत्याएं करने और सहकर्मियों पर गोली चलाने की घटनाएं निम्नानुसार हैं :-

सी पी एफ का नाम	आत्महत्याओं/सहकर्मियों पर गोली चलाने के मामलों की संख्या	वर्ष			
		2008	2009	2010	2011 (आज तक)
1	2	3	4	5	6
असम राइफल्स	आत्महत्याएं	10	09	09	02
	सहकर्मियों पर गोली चलाने के मामले	01	01	-	-
बीएसएफ	आत्महत्याएं	29	26	29	05
	सहकर्मियों पर गोली चलाने के मामले	04	01	05	-

1	2	3	4	5	6
सीआईएसएफ	आत्महत्याएं	12	16	17	02
	सहकर्मियों पर गोली चलाने के मामले	-	02	-	-
सीआरपीएफ	आत्महत्याएं	46	28	28	05
	सहकर्मियों पर गोली चलाने के मामले	04	05	04	-
आईटीबीपी	आत्महत्याएं	04	06	05	01
	सहकर्मियों पर गोली चलाने के मामले	00	01	00	00
एनएसजी	आत्महत्याएं	-	-	-	-
	सहकर्मियों पर गोली चलाने के मामले	-	-	-	-
एसएसबी	आत्महत्याएं	07	11	12	01
	सहकर्मियों पर गोली चलाने के मामले	03	01	-	-

(ग) और (घ) जी, हां। ऐसी प्रत्येक घटना में इसके कारणों एवं परिस्थितियों का पता लगाने के लिए न्यायिक जांच कराई जाती है। अधिकांश मामलों में ऐसी घटनाओं का कारण सामान्यत: निजी एवं घरेलू समस्याएं रही हैं जैसे कि वैवाहिक मतभेद, निजी वैमनस्यता, मानसिक बीमारी, अवसाद, इत्यादि और इनका बलों से कोई संबंध नहीं था।

(ङ) जी, हां। बलों के माध्यम से सरकार द्वारा उठाए गए सुधारात्मक कदम इस प्रकार हैं: ड्यूटी के समय को विनियमित करना ताकि उपयुक्त विश्राम एवं राहत सुनिश्चित किया जा सके, जरूरतमंद कर्मियों को पात्र अवकाश की स्वीकृति देना, मनोरंजन की सुविधाओं का प्रावधान करना, टीम स्पोर्ट एवं गेम के लिए अवसर प्रदान करना, योग एवं ध्यान में प्रशिक्षण, डॉक्टरों एवं अन्य विशेषज्ञों द्वारा वार्ताओं का आयोजन, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सैन्यकर्मियों के साथ नियमित विचार-विमर्श करना, आदि।

धान की खरीद

154. **श्री नामा नागेश्वर राव : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) स्वयं खरीद कार्य करने के बजाय अप्रत्यक्ष रूप से राइस मिल से के माध्यम से किसानों से धान खरीद रहा है जिसके कारण किसानों को विलंब/कम भुगतान की असुविधा हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं; और

(ग) एफसीआई द्वारा प्रत्यक्ष खरीद सुनिश्चित करने हेतु क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम अन्य राज्य एजेंसियों के साथ किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदता है और कस्टम मिलिंग प्रक्रिया द्वारा इसे चावल में तब्दील करवाता है। चावल मिल-मालिक अपने वाणिज्यिक कारोबार के लिए भी धान की खरीद करते हैं और लेवी आदेशों के अनुसार चावल का एक हिस्सा भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों को सुपुर्द कर देते हैं। मिल-मालिकों के जरिए इस प्रकार की गई चावल की खरीद को लेवी खरीदारी कहते हैं जिसे संबंधित राज्य सरकारों द्वारा जारी लेवी नियंत्रण आदेश के सांविधिक प्रावधानों के जरिए विनियमित किया जाता है।

(ग) किसानों से धान की सीधी खरीद को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों तक न्यूनतम समर्थन मूल्य के लाभ पहुंचाने के लिए सहकारी समितियों/स्वयं सहायता समूहों को कमीशन सहित अनेक कदम उठाए हैं और राज्य सरकार से पर्याप्त संख्या में खरीद केंद्रों को खोलने का अनुरोध किया है।

दुग्ध उत्पादन

155. **श्री आर. थामराई सेलवन :**

श्री रायापति सांबासिवा राव :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में आंध्र प्रदेश सहित देश में दुग्ध उत्पादन की अनुमानित वृद्धि दर क्या है;

(ख) प्रत्येक राज्य विशेषकर आंध्र प्रदेश में दूध की वास्तविक मांग और खपत क्या है;

(ग) क्या दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के बावजूद गत चार वर्षों के दौरान डेयरी उत्पादों के मूल्यों में 100 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) दुग्ध डेयरी उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव) : (क) वर्ष 2008-09 की तुलना में वर्ष 2009-10 में देश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि की अनुमानित दर 3.64% था। आंध्र प्रदेश सहित राज्य-वार ब्यौरा विवरण-I के रूप में संलग्न है।

(ख) दूध की वास्तविक मांग से संबंधित सूचना का रखरखाव नहीं किया जा रहा था। तथापि, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय से उपलब्ध सूचना के अनुसार जुलाई, 2004 से जून, 2005 तक प्रत्येक राज्य, विशेषकर आंध्र प्रदेश में दूध की खपत को संलग्न विवरण-II में दर्शाया गया है।

(ग) विगत चार वर्षों में दूध के दाम में 100% की वृद्धि नहीं हुई है। तथापि, दूध के बिक्री मूल्य में निम्नलिखित कारणों से वृद्धि हुई है:-

(i) किसानों को दुग्ध उत्पादन में बढ़ते लागत की प्रतिपूर्ति के लिए दूध की खरीद मूल्य में बढ़ोतरी।

(ii) चारे के दाम में वृद्धि।

(iii) विगत चार वर्षों में गोपशु आहार घटकों के मूल्य में 50% से अधिक की वृद्धि।

(घ) और (ङ) केन्द्र सरकार डेयरी उत्पादों के मूल्य को विनियमित नहीं करती है। सरकार ने घरेलू बाजार में तरल दूध की उपलब्धता को बढ़ाने और दूध और दुग्ध उत्पादों के मूल्यों को स्थिर करने के लिए वर्ष 2011-12 में निम्नलिखित उपाय किए हैं :-

(i) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को तरल दूध की घरेलू मांग को पूरा करने के लिए राज्य दुग्ध परिसंघों और मेट्रो डेयरियों द्वारा दूध के पुनर्गठन के लिए 0% आयात शुल्क पर 30,000 मि.ट. दूध पाउडर और 15,000 मि.ट. बटर आयल/एनहाइड्रस दूध वसा (एएमएफ) आयात करने की अनुमति दी गई है।

(ii) केसिन के आयात के लिए शुल्क हकदारी पास बुक (डीईपीबी) योजना लाभ को 24.1.2011 से वापिस ले लिया गया है।

(iii) दुग्ध परिसंघों से कमी वाले मौसम में आवश्यकता को पूरा करने के लिए दूध पाउडर का पर्याप्त स्टॉक कायम करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है।

विवरण-I

2008-09 की तुलना में 2009-10 में दुग्ध उत्पादन की अनुमानित विकास दर (% में)

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	वृद्धि दर (% में)
1	2	3
1	आंध्र प्रदेश	8.98
2	अरुणाचल प्रदेश	7.81
3	असम	0.43
4	बिहार	3.20
5	छत्तीसगढ़	5.33
6	गोवा	0.26
7	गुजरात	5.45
8	हरियाणा	4.54
9	हिमाचल प्रदेश	-5.44
10	जम्मू एवं कश्मीर	2.52
11	झारखंड	-0.25
12	कर्नाटक	6.26
13	केरल	3.93

1	2	3
14	मध्य प्रदेश	4.55
15	महाराष्ट्र	3.01
16	मणिपुर	-1.12
17	मेघालय	0.76
18	मिजोरम	-37.02
19	नागालैंड	45.47
20	उड़ीसा	3.32
21	पंजाब	0.02
22	राजस्थान	0.60
23	सिक्किम	-5.80
24	तमिलनाडु	1.85
25	त्रिपुरा	4.72
26	उत्तर प्रदेश	3.40
27	उत्तरांचल	11.93
28	पश्चिम बंगाल	2.96
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	-7.83
30	चंडीगढ़	-0.30
31	दादरा एवं नागर हवेली	1.12
32	दमन एवं दीव	0.93
33	दिल्ली	14.24
34	लक्षद्वीप	0.61
35	पुडुचेरी	0.83
	अखिल भारत	3.64

स्रोतः राज्य/संघ शासित प्रदेश पशुपालन विभाग

विवरण-II

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 61वें चरण (जुलाई 2004 से जून 2005) के अनुसार दूध की प्रति व्यक्ति मासिक खपत का अनुमान

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	(जुलाई 2004 से जून 2005)	
		ग्रामीण	शहरी
1	2	3	4
1	आंध्र प्रदेश	3.05	4.38
2	अरुणाचल प्रदेश	0.63	1.47
3	असम	1.31	2.00
4	बिहार	2.98	3.81
5	छत्तीसगढ़	0.67	2.99
6	गोवा	3.19	3.92
7	गुजरात	4.98	6.70
8	हरियाणा	13.13	9.59
9	हिमाचल प्रदेश	8.72	8.17
10	जम्मू एवं कश्मीर	8.02	8.31
11	झारखंड	1.44	3.94
12	कर्नाटक	3.30	4.87
13	केरल	2.82	3.66
14	मध्य प्रदेश	3.41	4.33
15	महाराष्ट्र	2.73	4.39
16	मणिपुर	0.17	0.33
17	मेघालय	0.77	1.91
18	मिजोरम	0.40	1.82
19	नागालैंड	0.29	0.87
20	उड़ीसा	0.78	2.25

1	2	3	4
21	पंजाब	11.55	10.57
22	राजस्थान	9.50	7.38
23	सिक्किम	5.57	4.92
24	तमिलनाडु	2.48	4.82
25	त्रिपुरा	1.07	2.11
26	उत्तर प्रदेश	4.64	5.10
27	उत्तरांचल	6.60	6.40
28	पश्चिम बंगाल	1.45	2.59
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1.45	1.58
30	चंडीगढ़	8.18	10.46
31	दादर एवं नागर हवेली	0.87	5.69
32	दमन एवं दीव	3.55	4.83
33	दिल्ली	6.54	8.20
34	लक्षद्वीप	0.22	0.27
35	पुडुचेरी	2.92	4.88
	अखिल भारत	3.87	5.11

स्रोतः राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, एमओएसपीआई, भारत सरकार

विदेशियों के प्रवेश पर प्रतिबंध

156. **श्री उदय सिंह : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मणिपुर और नागालैंड सहित पूर्वोत्तर राज्यों के प्रतिबंधित/गैर प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश पर कोई प्रतिबंध लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन राज्यों में पर्यटन क्षेत्र पर इसके क्या प्रभाव पड़े हैं;

(ग) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में मौजूदा पर्यटन अवसंरचना को बढ़ावा देने हेतु ऐसे प्रतिबंध हटाने का निर्णय किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैण्ड का संपूर्ण राज्य तथा सिक्किम के कुछ हिस्से गृह मंत्रालय द्वारा विदेशी विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 3 के तहत जारी किए गए विदेशी विषयक (संरक्षित क्षेत्र) आदेश, 1958 के अंतर्गत 'संरक्षित क्षेत्र' हैं। सिक्किम के कुछ क्षेत्रों को विदेशी विषयक (प्रतिबंधित क्षेत्र) आदेश, 1963 के तहत 'प्रतिबंधित क्षेत्र' के रूप में घोषित किया गया है। विदेशी विषयक (संरक्षित क्षेत्र) आदेश, 1958 तथा विदेशी विषयक (प्रतिबंधित क्षेत्र) आदेश, 1963 के अनुसार कोई भी विदेशी केन्द्र सरकार अथवा इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा प्राधिकृत किए गए किसी अधिकारी द्वारा जारी किए गए परमिट के अनुसार और इसके तहत आने वाले मामलों को छोड़कर किसी संरक्षित क्षेत्र/प्रतिबंधित क्षेत्र में न तो प्रवेश कर सकता है या न ही रह सकता है। पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, गृह मंत्रालय द्वारा समय-समय पर संरक्षित क्षेत्र परमिट/प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट की प्रणाली से छूट के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

(ग) से (ङ) चूंकि मणिपुर, मिजोरम तथा नागालैण्ड राज्य सरकारों से उनके राज्यों में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु विदेशियों पर से प्रतिबंध हटाने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए थे, इसलिए मामले पर इस मंत्रालय द्वारा विचार किया गया था और यह निर्णय लिया गया है कि कुछ विशिष्ट शर्तों के अध्यधीन दिनांक 1 जनवरी, 2011 से प्रारंभ में एक वर्ष की अवधि के लिए विदेशी विषयक (संरक्षित क्षेत्र) आदेश, 1958 के अंतर्गत अधिसूचित संरक्षित क्षेत्र की प्रणाली से मणिपुर, मिजोरम एवं नागालैण्ड राज्यों के संपूर्ण क्षेत्र को बाहर कर दिया जाए। इस संबध में आवश्यक अधिसूचना दिनांक 30 दिसम्बर, 2010 को जारी की गई थी।

अरुणाचल प्रदेश राज्य अभी भी विदेशी विषयक (संरक्षित क्षेत्र) आदेश, 1958 के तहत एक संरक्षित क्षेत्र बना हुआ है। सिक्किम के कुछ क्षेत्र भी विदेशी विषयक (संरक्षित क्षेत्र) आदेश, 1958 एवं विदेशी विषयक (प्रतिबंधित क्षेत्र) आदेश, 1963 के तहत संरक्षित क्षेत्र/प्रतिबंधित क्षेत्र बने हुए हैं। तथापि, अरुणाचल प्रदेश एवं सिक्किम राज्यों में चुनिन्दा पर्यटन सर्किटों में संरक्षित क्षेत्र परमिट/प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट की प्रणाली से छूट देने के लिए विगत में आदेश जारी किए गए हैं जिससे इन पर्यटन सर्किटों में विदेशी पर्यटकों की यात्रा को बढ़ावा मिल सके।

[हिन्दी]

दुग्ध केन्द्र

157. **श्री जयप्रकाश अग्रवाल :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार दिल्ली दुग्ध योजना (डीएमएस) के अंतर्गत चल रहे दुग्ध केन्द्रों की स्थान-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या कुछ दिल्ली दुग्ध योजना केन्द्र मलिन बस्ती क्षेत्रों में स्थित हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार ऐसे दुग्ध केन्द्रों को मलिन बस्ती क्षेत्रों में भी खोलने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव) : (क) दिल्ली दुग्ध योजना के 1606 बिक्री केन्द्र हैं, जिनमे आज तक प्रचालनगत वितरकों के बिक्री केन्द्र भी शामिल हैं। ऐसे बिक्री केन्द्रों की सूची विवरण-I में दी गई है।

(ख) और (ग) जी, हां। वितरकों के बिक्री केन्द्र सहित 1606 बिक्री केन्द्रों में से 248 बिक्री केन्द्र झुग्गी-झोंपड़ी वाले इलाकों में चल रहे हैं। इन बिक्री केन्द्रों का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(घ) से (च) (ख) और (ग) को देखते हुए, लागू नहीं होता।

विवरण-I

दिल्ली दुग्ध योजना के बिक्री केन्द्रों की संख्या और उनके स्थान को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	स्थान/क्षेत्र	बिक्री केन्द्रों की संख्या
1	2	3
1	अशोक नगर	16
2	पटेल नगर	40
3	कीर्ति नगर	15
4	इन्द्र पुरी	12
5	मोतीनगर	14
6	ओल्ड राजेन्द्र नगर	16
7	डब्ल्यू ई ए क्षेत्र	16
8	टैगोर गार्डन	33
9	कर्मपुरा	15
10	देवनगर	13
11	गोल मार्किट	49
12	नारायणा	28
13	हरी नगर	15
14	पहाड़गंज	26
15	आजाद मार्किट	16
16	मॉडल टाउन	16
17	शक्ति नगर	15
18	दरिया गंज	18
19	जनकपुरी	54
20	आर.के. पुरम	61
21	सरोजनी नगर	62
22	लाजपत नगर	59
23	सादिक नगर	15
24	ग्रेटर कैलाश	25
25	सुल्तानपुरी	12
26	बदरपुर	11
27	यमुना विहार	15
28	मालवीय नगर	18

1	2	3
29	पीतमपुरा	15
30	लोक विहार	16
31	मोहन गार्डन	23
32	पश्चिम विहार	16
33	मिन्टो रोड	19
34	लक्ष्मी नगर	15
35	लोधी कालोनी	36
36	हौज खास	34
37	लारेंस रोड	17
38	मंगलीपुरी	27
39	दिलशाद गार्डन	32
40	मल्का गंज	15
41	कैलाश नगर	14
42	तिमारपुर	35
43	तिलक नगर	39
44	मोतीबाग	17
45	मदनगिरी	13
46	मधु विहार	07
47	जंगपुरा	17
48	कालकाजी	35
49	गीता कालोनी	30
50	गुड़गांव	01
51	फरीदाबाद	01
52	नजफगढ़	07
53	संगम विहार	28
54	गीता कालोनी	01
55	नोएडा	19

1	2	3
56	द्वारका	16
57	रोहिणी	39
58	मयूर विहार	10
59	संगम विहार	02
60	सौरव विहार	04
61	जैतपुर	01
62	हरी नगर	01
63	मीठापुरी	01
64	मोलड़बंद	01
65	हरी नगर पॉकेट 2	01
66	गंजन पुर जे.जे. कालोनी	01
67	अलीगांव	01
68	संजय कालोनी जे.जे. कालोनी	01
69	भाटी माइन्स (संजय कालोनी)	01
70	माहिलपुर (रंगपुरी)	01
71	ईस्ट मेहराम नगर	01
72	विजवासन (जे.जे. कालोनी)	03
73	भरथल	01
74	पोचनपुर	01
75	द्वारका (जे.जे. कालोनी)	01
76	पालम	01
77	साध नगर	04
78	इंद्रा पार्क	01
79	साहबाद	01
80	मधु विहार	01
81	वेस्ट सागरपुर	04
82	ईस्ट सागरपुर	01

1	2	3
83	मोहन गार्डन-2	02
84	धर्मपुरा एक्सटेंशन-2	02
85	कुतुब विहार	1
86	विजय विहार	2
87	जय विहार	1
88	तिलांग पुर	1
89	ककरौला जे.जे. कालोनी	2
90	नंगली	1
91	अमर कालोनी	1
92	के. सिंह नगर	1
93	शिवराम पार्क	1
94	अध्यापक नगर	2
95	जे.जे. कालोनी पार्ट-1 (मंगलापुरी)	1
96	तिलांगपुर कोटला	1
97	प्रेम नगर पार्ट-1	2
98	तिलांग पुर पार्ट-2	2
99	तिलांग पुर पार्ट-3	5
100	हरिदास नगर	1
101	स्वर्ण पार्क मुंडका	2
102	निहाल विहार	4
103	इंदु इंक्लेव	2
104	मुबार पुर अगर नगर	3
105	अगर नगर	3
106	घेवड़ा	1
107	निठानी	2
108	अमर नगर	1
109	टिगरी बोर्डर	1

1	2	3
110	करण विहार	2
111	प्रताप विहार	2
112	बवाना	3
113	जे.जे. कालोनी बवाना	2
114	डालमिया पुर	1
115	बेगमपुर	2
116	राजीव विहार	1
117	वरवाला	1
118	पूथ	1
119	सुल्तानपुर	1
120	सुल्तानपुरी	2
121	जहांगीरपुरी	2
122	मंगोलपुरी	24
123	नरेला	4
124	जे.जे. कालोनी	1
125	भगाऊ	1
126	बुध विहार	1
127	कलन्दर कालोनी	1
128	स्वर्ण जयन्ती पार्क (जे.जे. कालोनी)	3
129	अलीपुरी	1
130	समयपुर बादली एरिया	3
131	यादव नगर	3
132	खेडा खुर्द	1
133	खेड़ा कलां	1
134	शाहबाद डॉन	2
135	सिरासपुर	2
136	ओल्ड बादली	1

1	2	3
137	मेट्रो विहार (जे.जे. कालोनी)	1
138	होलांबी कलां	1
139	लिवास पुर	1
140	राजीव विहार	1
141	स्वरूप नगर	2
142	संजय पार्क	1
143	प्रहलाद पुर	2
144	मकोली	1
145	खामपुर	1
146	बक़्तावर पुर	1
147	हिमांकी	1
148	इब्राहम पुर	1
149	नथूपुरा	2
150	मुकुंदपुर	3
151	संतनगर	3
152	झड़ौदा	1
153	कोमल विहार	2
154	कड़ी विहार	2
155	स्वरूप विहार	1
156	सत्य विहार	1
157	इंद्रपुरी जे.जे. कालोनी	2
158	पांडव नगर	1
159	हस्तसाल उत्तर नगर	18
160	रघुवीर नगर	2
161	स्वामी नगर	1
162	गोविन्द पुरी एक्सटेंशन	1
163	प्रेम नगर (सेवा नगर)	1
164	हरीनगर	1
165	इंस्टिट्यूशंस	63
166	चाणक्यपुरी	2
167	दरियागंज	1
168	पटेल नगर	1
169	राजौरी गार्डन	2
170	जयदेव पार्क	1
171	कमला नगर	1
172	आश्रम नगर	1
173	मीठापुरी बदरपुर	2
174	टैंक रोड बदरपुर	1
175	संभीका	1
176	जैतपुर	1
177	विकास नगर	1
178	रामहोला	1
179	मिलादन नजफगढ़	1
180	नांगलोई	1
181	वेस्ट सागरपुर	1
182	राम विहार	1
183	बाबा हरिदास कालोनी टिकरी बोर्डर	1
184	विकास नगर	1
185	प्रेम नगर-3 नांगलोई	3
186	प्रेम नगर-2 नांगलोई	4
187	इंद्र इंक्लेव	1
188	मुखमेल पुर	1
189	बुराड़ी	1
190	नरेला	4
191	राजा विहार बादली	1
	कुल	1606

विवरण-II

दिल्ली के झुग्गी वाले क्षेत्रों में स्थित दिल्ली दुग्ध योजना (डी एम एस) के बिक्री केन्द्र और उनके स्थान

क्रम सं.	स्थान/क्षेत्र	बिक्री केन्द्रों की संख्या
1	2	3
1	संगम विहार	12
2	सौरव विहार	4
3	जैतपुर	1
4	हरिनगर	1
5	मीठापुर	2
6	मूलाबंद	1
7	हरि नगर पॉकेट, 11	1
8	गजनपुर (जे.जे. कालोनी)	1
9	अलीगांव	01
10	संजय कालोनी (जे.जे. कालोनी)	01
11	भाटी म्यान (संजय कालोनी)	01
12	माहीपालपुर (रंगपुरी)	01
13	ईस्ट मेहरम नगर	01
14	बिजवासन (जे.जे. कालोनी)	03
15	भरतल	01
16	पोजनपुर	01
17	द्वारका (जे.जे. कालोनी)	01
18	पालम	04
19	साधनगर	01
20	इन्द्रापार्क	01
21	साहबाद	01
22	मधुविहार	01
23	पश्चिमी सागरपुर	08
24	पूर्वी सागरपुर	01
25	मोहन गार्डनII	14
26	धरमपुरा एक्स-II	02
27	कुतुब विहार	1
28	विजय विहार	3
29	जय विहार	1
30	तेलंग पुर	1
31	ककरोला जे जे कालोनी	2
32	नगली-I	1
33	अमर कालोनी	1
34	के सिंह नगर	1
35	शिवराम पार्क	1
36	अध्यापक नगर	2
37	जे.जे. कालोनी पार्ट-I (मगलापुरी)	1
38	तेलंगपुर कोटला	1
39	प्रेम नगर पार्ट-I	2
40	तेलंगपुर पार्ट-II	2
41	तेलंगपुर पार्ट-III	5
42	हरिदास नगर	1
43	सावन पार्क मुंडका	2
44	निहाल विहार	4
45	इन्दु एन्कलेव	2
46	मुबारकपुर अगरनगर	3
47	अगर नगर	3
48	धेवरा	1
49	निथानी	2
50	अमर नगर	1

1	2	3
51	टिकरी बोर्डर	1
52	करन विहार	2
53	प्रताप विहार	2
54	बवाना	3
55	जे.जे. कालोनी बवाना	2
56	डालमिया पुर	1
57	बेगमपुर	2
58	राजीव विहार	1
59	बरवाला	1
60	पूथ	1
61	सुल्तानपुर	1
62	सुल्तानपुरी	4
63	जहांगीरपुरी	2
64	रोहिणी	3
65	नरेला	4
66	जे.जे. कालोनी टीकड़ी खुर्द	1
67	भगोह	1
68	बुध विहार	1
69	कलेंदर कालोनी	1
70	स्वान जयंती पार्क (जे.जे. कालोनी)	3
71	अलीपुर	1
72	समयपुर बादली एरिया	3
73	यादव नगर	3
74	खेरा खुर्द	1
75	खेरा कलन	1
76	समयपुर बादली	1
77	शाहबाद डान	2
78	सिरासपुर	2
79	ओल्ड बादली	1
80	मेट्रो विहार (जे.जे. कालोनी)	1
81	होलबीकला	1
82	लिबासपुर	1
83	राजीव विहार	1
84	सरूप नगर	2
85	संजय पार्क	1
86	प्रहलादपुर	2
87	मकोली	1
88	खामपुर	1
89	भक्तवारपुर	1
90	हिमांकी	1
91	इब्राहिमपुर	1
92	नाथुपुर	2
93	मुकंदपुर	3
94	संतनगर	3
95	झडोदा	1
96	कोमल विहार	2
97	कादी विहार	2
98	सरूप विहार	1
99	सत्य विहार	1
100	इन्द्रपुरी (जे.जे. कालोनी)	2
101	पांडव नगर	1
102	हस्ताल उत्तम नगर	17
103	ट्रेगोर गार्डन	2
104	स्वामी नगर	1

1	2	3
105	गोविन्दपुर एक्स	1
106	प्रेमनगर (सेवा नगर)	1
107	हरिनगर	1
108	मीठापुर बदरपुर	2
109	टैंक रोड बदरपुर	2
110	सम्बिका	1
111	जैतपुर	1
112	विकास नगर	1
113	रामहुल्ला	1
114	मिलदन नजफगढ़	1
115	नांगलोई	1
116	पश्चिम सागरपुर	1
117	राम विहार	1
118	बाबा हरिदास कालोनी तिकरी बोर्डर	1
119	विकास नगर	1
120	प्रेम नगर-III नांगलोई	3
121	प्रेम नगर-II नांगलोई	4
122	इन्द्र एन्कलेव	1
123	मुखमेलपुर	1
124	बुराड़ी	1
125	नरेला	4
126	राजा विहार बादली	1
	कुल	248

[अनुवाद]

राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषण परियोजना

158. **श्री किसनभाई वी. पटेल :**

श्री प्रदीप माझी :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और विश्व बैंक देश में राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषण परियोजना का कार्यान्वियन कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा उसका उद्देश्य क्या है;

(ग) उक्त परियोजना के अंतर्गत विश्व बैंक द्वारा अब तक जारी की गई राशि का ब्यौरा क्या है तथा उसकी शर्तें क्या हैं; और

(घ) उक्त परियोजना के कार्यान्वियन से फसलोपरांत हानि में कितनी कमी आई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) भारत में विश्व बैंक और भारत सरकार की वित्तीय सहायता से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना (एनएआईपी) कार्यान्वित की जा रही है।

(ख) इसका मुख्य उद्देश्य खाद्य-स्वावलंबन के माध्यम से भारतीय कृषि को टिकाऊ बनाने में योगदान करना है जिसमें गरीबी उन्मूलन तथा आय सृजन के लिए बाजार का अनुस्थापन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसका विशिष्ट उद्देश्य सहयोगी विकास को तेज करना और सार्वजनिक अनुसंधान संगठनों, किसानों, निजी क्षेत्र तथा अन्य पक्षों के बीच कृषि की अधुनातन विधियों का प्रयोग करना है।

(ग) अभी तक एनएआईपी के अंतर्गत खर्च की गई राशि की प्रतिपूर्ति के रूप में विश्व बैंक से कुल रु. 407.97 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है। परियोजना की कुल लागत 250.00 मिलियन अमेरिकी डालर है जिसमें से 200 मिलियन अमेरिकी डालर विश्व बैंक से और सहयोगी निधिकरण के रूप में भारत सरकार से 50 मिलियन अमेरिकी डालर की राशि शामिल है। उपरोक्त निधि, विश्व बैंक और भारत सरकार के बीच हुए समझौते के द्वारा आर्थिक मामले विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से प्राप्त होती है।

(घ) परियोजना में 4 घटक हैं जिन्हें 188 उप-परियोजनाओं द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। उत्पादन से खपत प्रणाली अनुसंधान पर आधारित एक घटक है जिसे मूल्य श्रृंखला (वेल्यू चैन) भी कहा जाता है। किसानों, प्रसंस्करणकार्ताओं तथा श्रृंखला में अन्य को शामिल करते हुए उच्च प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए इसका लक्ष्य खपत प्रणाली के लिए चयनित कृषि उत्पादन के टिकाऊ सुधार के अनुसंधान परिणामों को व्यवसायिक उद्यमों के साथ जोड़ना है।

इस परियोजना में फसलोपरांत हानि में कमी पर कोई विशेष परियोजना सम्मिलित नहीं है।

[हिन्दी]

पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान योजना

159. **श्रीमती जयश्रीबेन पटेल :**
श्री मानिक टैगोर :
श्री अर्जुन चरण सेठी :
श्री ए. गणेशमूर्ति :

क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पी.वाई.के.के.ए.) योजना के अंतर्गत राज्यवार आबंटित/जारी तथा खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) उपर्युक्त योजना के अंतर्गत राशि आबंटित करने संबंधी मानदंड का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विद्यालयों और कालेजों में आबंटित राशि के उपयोग की निगरानी हेतु देश के विभिन्न जिलों में कोई समिति गठित की गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या उक्त योजना के अंतर्गत आबंटित राशि के उपयोग की निगरानी के लिए उक्त समिति/अन्य समितियों के गठन हेतु कोई मानक/मानदंड बनाया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या गुजरात राज्य में खेल मैदानों के विकास/निर्माण कार्यों का केवल 20 प्रतिशत कार्य पूरा किया गया; और

(छ) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पायंका) योजना के अंतर्गत पिछले दो वर्षों (2008-09 एवं 2009-10) तथा चालू वित्त वर्ष 31 जनवरी 2011 तक वर्ष-वार बजट का आबंटन तथा इनकी उपयोगिता नीचे दी गई है :

(रुपए करोड़ में)

क्रम सं.	वर्ष	बजट आबंटन	बजट उपयोगिता		
			अवसंरचना घटक	प्रतियोगिताएं	कुल
1	2008-09	92.00	83.85	8.15	92.00
2	2009-10	135.00	105.00	30.00	135.00
3	2010-11	413.00	189.75	84.85	274.60
	कुल	640.00	378.60	123.00	501.60

• जनवरी 2011 तक के आंकड़े

पिछले दो वित्तीय वर्षों तथा चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् 2010-11 (31 जनवरी 2011 तक) का राज्यवार आबंटन तथा जारी की गई निधि संलग्न विवरण-I से IV में दी गई है।

(ख) योजना के अंतर्गत निश्चित किया गया सहायता-अनुदान पूरे देश के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दस वर्ष की अवधि में चरणबद्ध तरीके से 10 प्रतिशत सामान्य राज्य तथा 20 प्रतिशत उत्तर-पूर्वी तथा विशेष श्रेणी के राज्यों को वार्षिक कवरेज देते हुए ग्राम तथा ब्लाक पंचायतों में खेल अवसंरचना के सृजन हेतु मुहैया कराया गया है। योजना के अंतर्गत ब्लाक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर वार्षिक प्रतियोगिताओं का आयोजन करने के लिए सहायता-अनुदान भी मुहैया कराया गया है।

(ग) से (ङ) पायका की जिला स्तर कार्यपालक समिति (डीएलईसी) जिसकी अध्यक्षता जिला पंचायत के अध्यक्ष करते हैं जिला स्तर की मिशन योजना को अंतिम रूप देने तथा जिले के अंतर्गत संसाधनों का पुनः आबंटन करने का अधिकार रखती है तथा यह पंचायत, ब्लाक और राज्य स्तर पर योजना के कार्यान्वयन की संवीक्षा कर इस पर अपना निर्देश देती है और मानीटरिंग करती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कहा गया है कि वह डीएलईसी में संसद सदस्य को अपना सहयोगी बना लें।

(च) और (छ) पहले दो वर्ष (2008-09 और 2009-10) के लिए गुजरात राज्य में गांव/ब्लाक पंचायतों को 20% कवरेज हेतु अनुमोदित। गुजरात राज्य द्वारा योजना में निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर राज्य को सहायता-अनुदान जारी किया जाता है जिसमें पिछले वर्षों के लिए लिए गए अनुदान हेतु उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा प्रगति रिपोर्ट शामिल है।

विवरण-I

पायका योजना के अंतर्गत वर्ष 2008-09 के दौरान राज्य-वार अनुमोदन तथा जारी किया गया अवसंरचना अनुदान

(करोड़ रु. में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	अनुमोदित ग्राम पंचायतों की सं.	अनुमोदित ब्लाक पंचायतों की सं.	कुल अनुमोदित राशि	जारी की गई राशि
1	2	3	4	5	6
1	आंध्र प्रदेश	2190	113	25.98	12.99
2	असम	333	22	4.81	-
3	बिहार	847	53	10.44	5.22
4	छत्तीसगढ़	982	14	10.11	-
5	गोवा	19	04	0.35	-
6	गुजरात	900	22	9.65	-
7	हरियाणा	619	12	6.51	3.26
8	हिमाचल प्रदेश	324	08	4.02	2.01
9	जम्मू व कश्मीर	413	14	5.32	2.66
10	केरल	100	15	1.60	0.80
11	मध्य प्रदेश	2304	31	23.65	11.82
12	महाराष्ट्र	2689	35	27.55	8.91
13	मणिपुर	79	04	1.08	0.87
14	मिजोरम	82	03	1.07	0.85
15	नागालैंड	110	05	1.48	1.18
16	उड़ीसा	623	31	7.34	3.67
17	पंजाब	1233	14	12.55	6.27
18	राजस्थान	869	24	9.43	3.71
19	सिक्किम	16	10	0.67	0.54

1	2	3	4	5	6
20	तमिलनाडु	1261	38	13.82	5.00
21	त्रिपुरा	104	04	1.36	1.09
22	उत्तर प्रदेश	5203	82	53.91	10.00
23	उत्तराखंड	750	10	8.89	3.00
24	पश्चिम बंगाल	335	33	4.63	-
25	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धाएं आयोजित करने हेतु भाखेप्रा को जारी किया गया अनुदान				8.15
	कुल	22385	601	246.22	92.00

विवरण-II

पायका योजना के अंतर्गत वर्ष 2008-09 के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अनुमोदन तथा जारी किया गया अवसंरचना अनुदान

(करोड़ रु. में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अनुमोदित ग्राम पंचायतों की सं.	अनुमोदित ब्लाक पंचायतों की सं.	कुल अनुमोदित राशि	जारी की गई राशि
1	2	3	4	5	6
1	आंध्र प्रदेश				12.99
2	अरुणाचल प्रदेश	355	32	5.56	4.44
3	असम	-	-	-	3.85
4	बिहार	-	-	-	5.02
5	छत्तीसगढ़	-	-	-	5.06
6	गोवा	-	-	-	0.18
7	गुजरात	-	-	-	7.10
8	हरियाणा	-	-	-	3.25
9	हिमाचल प्रदेश	-	-	-	2.01
10	जम्मू व कश्मीर	-	-	-	2.10
11	झारखंड	403	21	4.79	2.39
12	कर्नाटक	565	18	6.22	3.12
13	केरल	-	-	-	0.80
14	महाराष्ट्र	-	-	-	4.86

1	2	3	4	5	6
15	मेघालय	83	08	1.32	1.06
16	मिजोरम	164	05	2.08	0.21
17	नागालैण्ड	-	-	-	0.30
18	उड़ीसा	623	31	7.34	8.05
19	पंजाब	-	-	-	6.27
20	राजस्थान	-	-	-	4.72
21	सिक्किम	32	20	1.35	0.13
22	तमिलनाडु	-	-	-	1.91
23	उत्तर प्रदेश	-	-	-	16.96
24	उत्तराखंड	-	-	-	5.90
25	पश्चिम बंगाल	-	-	-	2.32
26	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धाएं आयोजित करने के लिए भाखेप्रा को जारी अनुदान				30.00
	कुल	2225	135	28.67	135.00

विवरण-III

वर्ष 2010-11 (31 जनवरी, 2011 तक) पायका योजना के अंतर्गत राज्य-वार अनुमोदन तथा जारी किया गया अवसंरचना अनुदान

(करोड़ रु. में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	अनुमोदित ग्राम पंचायतों की सं.	अनुमोदित ब्लाक पंचायतों की सं.	कुल अनुमोदित राशि	जारी की गई राशि•
1	2	3	4	5	6
1	आंध्र प्रदेश	2,190	113	25.98	25.98
2	अरुणाचल प्रदेश	355	32	5.56	6.68
3	गुजरात	-	-	-	2.55
4	हरियाणा	619	12	6.51	7.92
5	हिमाचल प्रदेश	324	08	4.02	4.77
6	कर्नाटक	564	18	6.23	9.34
7	केरल	100	15	5.70	11.18
8	महाराष्ट्र	2752	35	28.16	41.93

1	2	3	4	5	6
9	मेघालय	83	08	1.32	1.19
10	मिजोरम	–	–	–	2.26
11	नागालैंड	220	10	2.96	2.96
12	उड़ीसा	–	–	–	5.98
13	पंजाब	1,233	14	12.55	15.32
14	सिक्किम	–	–	–	1.35
15	त्रिपुरा	208	08	2.72	3.24
16	उत्तर प्रदेश	–	–	–	26.95
17	उत्तराखंड	750	10	8.89	10.58
18	पश्चिम बंगाल	–	–	–	2.31
संघ राज्य क्षेत्र					
19	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	60	06	1.06	1.06
20	लक्षद्वीप	02	09	0.51	0.51
21	पुडुचेरी	50	05	0.69	0.69
	कुल	9,510	303	112.86	184.75

*इसमें (31 जनवरी, 2011 के अनुसार) पिछले वर्षों (अर्थात् 2008-09 और 2009-10) में अनुमोदित किया गया अनुदान शामिल है।

इसमें एनएसडीएफ-पायका को पांच करोड़ रु. का हस्तांतरण शामिल नहीं है।

विवरण-IV

2010-11 के दौरान (31.1.2011 तक) वार्षिक प्रतिस्पर्धा के लिए जारी निधियों के ब्यौरे

(करोड़ रु. में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	ग्रामीण प्रतिस्पर्धा			महिला प्रतिस्पर्धाएं		
		ब्लाकों की संख्या	जिलों की संख्या	जारी राशि@	जिलों की सं.	जारी राशि@	कुल [(5) + (7)]
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आंध्र प्रदेश	1,108	22	11.26	–	–	11.26
2	अरुणाचल प्रदेश	161	16	2.05	–	–	2.05
3	असम	219	27	2.96	27	0.38	3.34
4	बिहार	534	38	6.19	–	–	6.19

1	2	3	4	5	6	7	8
5	छत्तीसगढ़	146	18	2.01	-	-	2.01
6	गोवा	04	02	0.18	02	0.08	0.26
7	गुजरात	202	23	2.69	-	-	2.69
8	हरियाणा	92	18	1.50	21	0.31	1.81
9	हिमाचल प्रदेश	77	12	1.18	12	0.15	1.33
10	जम्मू व कश्मीर	143	22	2.10	-	-	2.10
11	झारखंड	212	24	2.81	24	0.35	3.16
12	कर्नाटक	176	30	2.52	30	0.42	2.94
13	केरल	98	10	1.32	-	-	1.32
14	मध्य प्रदेश	283	46	4.13	50	0.66	4.79
15	महाराष्ट्र	309	29	3.88	35	0.48	4.36
16	मेघालय	39	07	0.67	07	0.12	0.79
17	मिजोरम	26	08	0.58	08	0.13	0.71
18	नागालैंड	-	-	-	11	0.13	0.13
19	उड़ीसा	314	30	3.85	30	0.42	4.27
20	पंजाब	104	16	1.55	20	0.30	1.85
21	तमिलनाडु	385	31	4.66	32	0.44	5.10
22	त्रिपुरा	40	04	0.67*	04	0.11	0.78
23	उत्तर प्रदेश	820	71	9.47	-	-	9.47
24	उत्तराखंड	95	13	1.38	13	0.09	1.47
25	पश्चिम बंगाल	292	15	3.31	-	-	3.31
26	चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र	-	-	-	-	0.03	0.03
27	एवाईकेएस के द्वारा	263	25	3.22	-	-	3.22
	कुल	6,142	557	76.14	326	4.60	80.74
28	626 जिलों एवं 35 राज्यों को अंतर विद्यालय प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए एनवाईकेएस को निधि जारी की गई।						7.31#
	कुल योग						88.05

* निम्न स्तर के उत्तर-पूर्वी खेलों के आयोजन हेतु त्रिपुरा सरकार को जारी की गई 7.2 लाख रु. की राशि इसमें शामिल है।

@ इसमें राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं की राशि भी शामिल है।

इसमें एनएस, एनआईएस, पटियाला द्वारा एनवाईकेएस को जारी की गई 3.20 करोड़ रु. की राशि शामिल है जो आगे विद्यालयों में खेल-क्रीड़ा को बढ़ावा देगी।

खाद्य तेलों के मूल्यों में वृद्धि

160. **श्री पी.सी. मोहन :**

श्री सोनवणे प्रताप नारायणराव :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही के माह में खाद्य तेलों के मूल्यों में तीव्र वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का सोयाबीन सहित खाद्य तेलों का आयात करने का प्रस्ताव है ताकि उपलब्धता में सुधार किया जा सके और मूल्यों पर लगाम लगाई जा सके;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) खाद्य तेलों की उपलब्धता में सुधार करने तथा उनके मूल्यों पर लगाम लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं साथ ही इसमें कितनी सफलता हासिल हुई?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) पिछले 3 महीनों के दौरान सोयाबीन तेल, मूंगफली तेल, सरसों का तेल, सूरजमुखी तेल और आरबीडी पामोलीन जैसे खाद्य तेलों के थोक घरेलू मूल्यों में 0.35% से 12.92% की वृद्धि हुई है। तथापि, पिछले 1 माह में सोयाबीन तेल, मूंगफली के तेल और सूरजमुखी तेल के मूल्यों में 0.33% से 1.38% तक की कमी हुई है।

देश में खाद्य तेलों के घरेलू मूल्यों में वृद्धि प्रतिवर्ष लगभग 6% तक खाद्य तेलों की खपत में लगातार बढ़ोतरी होने, 2008-09 की तुलना में तेल वर्ष 2009-10 (अक्तूबर-नवम्बर) में खाद्य तेलों के घरेलू उत्पादन में कमी और उनके अधिक अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के कारण हुई है, क्योंकि आधी घरेलू मांग आयात से पूरी की जाती है।

(ग) और (घ) घरेलू उपभोक्ताओं के लिए खाद्य तेलों की उपलब्धता को बढ़ाने और मूल्य वृद्धि पर काबू रखने के लिए उनके आयात को सुविधाजनक बनाया गया है। दिनांक 1.4.2008 से कच्चे तथा परिष्कृत खाद्य तेलों पर आयात शुल्क को कम करके क्रमश: 0% और 7.5% किया गया है। शुल्क का यह ढांचा सितम्बर, 2011 तक जारी रखा गया है। आयात शुल्क के इस उदार ढांचे के कारण 2009-10 (नवम्बर-अक्तूबर) के दौरान देश में 88.23 लाख टन खाद्य तेलों को आयात किया गया है।

(ङ) खाद्य तेलों के आयात को सुविधाजनक बनाए जाने के अतिरिक्त, देश में खाद्य तेलों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और उनके मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं -

i. सरकार राजसहायताप्राप्त आयातित खाद्य तेलों के वितरण के लिए 2008-09 से एक योजना को क्रियान्वित कर रही है। इस योजना के तहत, सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों द्वारा आयातित आरबीडी पामोलीन और सोयाबीन तेल राशन कार्डधारकों को वितरित किए जाने हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के सुपुर्द किए जा रहे हैं। सरकार इस योजना के तहत वितरित इन खाद्य तेलों पर 15 रुपये प्रति किलोग्राम की राजसहायता उपलब्ध कराती है। तेल वर्ष 2009-10 (अक्तूबर-नवम्बर) के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों ने 3.76 लाख टन खाद्य तेलों का आयात किया है।

ii. कोचीन पत्तन के जरिए नारियल तेल, अप्रधान वन उत्पादों से निकाले गए तेलों तथा 5 किलोग्राम तक के उपभोक्ता पैकों में खाद्य तेलों की थोड़ी मात्रा को छोड़कर 17.3.2008 से प्रमुख खाद्य तेलों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

iii. सरकार ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को तिलहनों और खाद्य तेलों पर स्टाक रखने की सीमाएं लागू करने की अनुमति दी है।

iv. खाद्य तेलों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रयास किए गए हैं।

इन उपायों से खाद्य तेलों की घरेलू उपलब्धता में वृद्धि हुई है, उनके मूल्यों में होने वाली वृद्धि पर रोक लगी है और अनेक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राशन कार्डधारकों, विशेषकर गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को राजसहायताप्राप्त आयातित खाद्य तेलों की सुपुर्दगी हुई है।

कृषि उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य

161. **श्री रामकिशुन :**

श्री जोस के. मणि :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की कोपरा, धान, चावल, गेहूं तथा खाद्यान्नों सहित कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक फसल के लिए निर्धारित एमएसपी सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या धान खरीद केन्द्रों पर धान सीधे किसानों से खरीदने की बजाय बिचौलियों के माध्यम से खरीदा गया तथा किसानों को एमएसपी से कम मूल्य दिया गया;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ङ) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्रवाई की गई;

(च) क्या सरकार का धान और कोपरा के लिए किसी प्रोत्साहन/बोनस की घोषणा करने की कोई योजना है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है साथ ही इसके परिणामस्वरूप किसानों को क्या लाभ पहुंचने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव) : (क) और (ख) वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 हेतु सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य नीचे दिए गए हैं :

(रुपए प्रति क्विंटल)

जिन्स	2009-10 के न्यूनतम समर्थन मूल्य	2010-11 के न्यूनतम समर्थन मूल्य
1	2	3
धान (सामान्य)	950	1000
धान (ग्रेड 'ए')	980	1030
गेहूं	1100	1120
ज्वार	840	880
बाजरा	840	880
मक्का	840	880
जौ	750	780
रागी	915	965
चना	1760	2100
अरहर (तूर)	2300	3000
मूंग	2760	3170
मसूर (लेन्टिल)	1870	2250
उड़द	2520	2900
कपास	2500	2500
मूंगफली छिलका सहित	2100	2300
सूरजमुखी बीज	2215	2350
सोयाबीन	1350	1400
तिल	2850	2900
रामतिल	2405	2450
रेपसीड/सरसों	1830	1850
कुसुम्भ	1680	1800
तोरिया	1735	1780
खोपरा	4450	4450
छिलका रहित नारियल	1200	1200
पटसन	1375	1575
गन्ना #	129.84	139.12

उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी)

(ग) से (ङ) प्रापण केन्द्रों पर किसानों से सीधे प्रापण के स्थान पर मध्यस्थों के माध्यम से धान की खरीदारी की सूचना नहीं है।

(च) जी नहीं, महोदया।

(छ) प्रश्न ही नहीं उठता।

एमपीलैड योजना का कार्यान्वयन

162. **श्री हुक्मदेव नारायण यादव : क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड) के अंतर्गत अधूरी पड़ी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या ऐसी परियोजनाओं/योजनाओं में भूतपूर्व संसद सदस्यों (एम.पी.) द्वारा सिफारिश की गई परियोजनाएं 'योजनाएं' भी शामिल है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी परियोजनाओं की कुल लागत कितनी है तथा विलंब के कारण लागत में कितनी वृद्धि हुई है; और

(घ) वर्तमान संसद सदस्यों की निधियों के उपयोग सहित सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए जाने की संभावना है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वियन मंत्री (डॉ. एम.एस. गिल) : (क) से (ग) संसद सदस्यों तथा भूतपूर्व संसद सदस्यों का कार्य-वार ब्यौरा मंत्रालय स्तर पर नहीं रखा जाता है। जैसा कि एमपीलैड्स दिशा-निर्देशों में निर्धारित किया गया है, संबंधित नोडल जिला प्राधिकारी कार्य संबंधित रजिस्टर रखते हैं जिनमें सांसदों द्वारा अनुशंसित प्रत्येक कार्य की स्थिति और लागत आदि का ब्यौरा होता है।

(घ) एमपीलैड्स संबंधी दिशा-निर्देशों में विभिन्न स्तरों अर्थात् एमपीलैड्स संबंधी संसदीय समिति के स्तर पर और साथ ही केन्द्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र तथा जिला स्तर पर कार्यान्वयन की निगरानी तथा समीक्षा के प्रावधान भी निर्धारित किए गए हैं। एमपीलैड स्कीम के तहत निधियों का इष्टतम उपयोग और कारगर निगरानी सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रालय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के प्राधिकारियों के साथ सावधिक समीक्षा बैठकें आयोजित करता है। संबंधित जिला प्राधिकारियों को स्कीम के तहत कार्यों के शीघ्र निष्पादन और एमपीलैड्स दिशा-निर्देशों के अनुसार एमपीलैड्स निधियों को जारी करने से संबंधित दस्तावेज समय पर उपलब्ध कराने के बाद में समय-समय पर निर्देश भी दिए जाते हैं।

जैविक खाद

163. **श्री ओम प्रकाश यादव :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान राष्ट्रीय जैविक कृषि परियोजना के अंतर्गत जैविक खाद के उत्पादन हेतु कितनी इकाइयां स्थापित की गई हैं;

(ख) ऐसी इकाइयों की स्थापना के लिए कितना आबंटन किया गया है; और

(ग) किसानों को जैविक खेती के इष्टतम प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव) : (क) राष्ट्रीय जैव कृषि परियोजना के अंतर्गत वर्ष 2009-10 के दौरान 268.37 लाख रु. के राज-सहायता अनुदान से 216 जैविक खाद और जैव उर्वरक उत्पादन यूनिटों की स्थापना की गई है।

(i) फल एवं सब्जी मंडी कचरा कम्पोस्ट-2 सं.

(ii) जैव उर्वरक यूनिट-3 सं.

(iii) वर्मी कल्चर हैचरी-211 सं.

(ख) वर्ष 2009-10 के दौरान ऐसी यूनिटों की स्थापना हेतु बजट आबंटन 10 करोड़ रु. था।

(ग) जैविक खाद के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ जैविक खादों के लाभ के संबंध में जागरूकता बढ़ाना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम), राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता प्रबंधन परियोजना (एनपीएमएसएफ) और राष्ट्रीय जैव खेती परियोजना (एनपीओएफ) जैसी स्कीमों के अंतर्गत जैविक खादों हेतु प्रोत्साहनों का प्रावधान शामिल है।

खाद्य सुरक्षा योजना का आंकलन

164. **श्री हंसराज गं. अहीर : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा योजना/अधिनियम की उपयोगिता के संबंध में कोई आकलन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) सरकार का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाने का प्रस्ताव है जिसके तहत सांविधिक आधार पर एक ढांचा उपलब्ध होगा जो गरीबी रेखा से नीचे के प्रत्येक परिवार को राजसहायता दरों पर खाद्यान्नों की एक निश्चित मात्रा पाने के लिए खाद्य सुरक्षा के बारे में आश्वस्त करता है। इस कानून का सार्वजनिक वितरण प्रणाली में व्यापक प्रणालीगत सुधार लाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय कृषक आयोग

165. श्री एम.बी. राजेश :
श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी :
क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कृषक आयोग द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और इसके कार्यान्वयन की स्थिति क्या है;

(ख) क्या उक्त सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए कोई तंत्र स्थापित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने किसानों के संबंध में उक्त आयोग द्वारा पहल की गई सिफारिशों के बारे में किसान सहकारिता को प्रोत्साहित करने के लिए कोई पहल की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव) : (क) से (ग) राष्ट्रीय किसान आयोग (एनसीएफ) की सिफारिशों के आधार पर तथा राज्य सरकारों और संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के साथ किए गए परामर्शों के आधार पर भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति (एनपीएफ), 2007 का अनुमोदन किया। राष्ट्रीय किसान नीति के मुख्य लक्ष्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

अंतरमंत्रालयीय समिति ने एनपीएफ, 2007 को कार्य रूप दिए जाने के लिए कार्य योजना को अंतिम रूप दिया। कार्य योजना को उनकी ओर से आवश्यक कार्रवाई करने के लिए संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को परिचालित किया गया। कार्यान्वयन की प्रगति का सर्वेक्षण करने के लिए एक नियमित निगरानी (मानीटरन तंत्र) की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 में निहित प्रावधानों को सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों द्वारा समाधान किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 में छोटे और सीमांत किसानों के लाभ के लिए उनके कृषि कार्यों में कुशलता तथा मानक अर्थ-व्यवस्था (इकोनामिज ऑफ स्केल) प्राप्त करने के लिए प्रणालियों में से एक के रूप में सहकारी कृषि और सेवा सहकारी समितियों की व्यवस्था की गई है। विस्तार सुधारों हेतु राज्य विस्तार कार्यक्रमों को सहायता (एटीएमए) स्कीम, 2010 हेतु दिशा-निर्देशों में कृषक सहकारी समितियों सहित सभी मुख्य जिंसों तथा विभिन्न प्रकार के कृषक समूहों को संघटित करने के लिए जिंस हित समूहों के गठन का प्रावधान है। सरकार की अन्य चल रही स्कीमों के अंतर्गत कृषक सहकारी समितियों को भी बढ़ावा दिया जा सकता है।

विवरण

राष्ट्रीय किसान नीति के प्रमुख लक्ष्य निम्नांकित हैं :-

(क) किसान की निवल आय में व्यापक वृद्धि के लिए खेती की आर्थिक व्यवहारिता में सुधार करना और यह सुनिश्चित करना कि कृषि प्रगति उस आय को सुधारने में हुई प्रगति द्वारा मापी जाए।

(ख) भूमि, जल, जैव विविधता तथा अनुवांशिक संसाधनों के संरक्षण व सुधार में किसानों की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करना जो कि उत्पादकता और लाभकारिता में सतत वृद्धि एवं प्रमुख कृषि प्रणालियों को स्थायित्व के लिए आवश्यक है।

(ग) किसानों के लिए बीज, सिंचाई, विद्युत, मशीनरी और उपकरणों, उर्वरकों तथा ऋण पर्याप्त मात्रा में उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए समर्थन सेवाओं का विकास करना।

(घ) फसलों, पशुओं और मछली की जैव सुरक्षा तथा किसान की जीविका को सुरक्षित करने के लिए वन वृक्षों और किसान परिवारों की आय सुरक्षा तथा राष्ट्र की स्वास्थ्य एवं व्यापार सुरक्षा को मजबूत करना।

(ङ) किसानों की आय बढ़ाने के लिए उचित मूल्य और व्यापार नीति तंत्र प्रदान करना।

(च) किसानों के लिए उपयुक्त और समयबद्ध क्षतिपूर्ति के लिए उपयुक्त जोखिम प्रबंधन के उपाय प्रदान करना।

(छ) भूमि सुधारों के अधूरे एजेंडा को पूरा करना तथा परिसम्पत्ति और जल कृषि में व्यापक सुधार आरंभ करना।

(ज) कृषि संबंधी सभी नीतियों और कार्यक्रमों में मानवीय और लैंगिक आयामों को मुख्य धारा के साथ जोड़ना।

(झ) ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधनों को स्थायित्व एवं निरंतरता देने के लिए स्पष्ट रूप से ध्यान देना।

(ट) ग्रामीण भारत में समुदाय-केन्द्रित भोजन, पानी और ऊर्जा के

लिए सुरक्षा प्रणालियों को प्रोत्साहित करना तथा प्रत्येक बच्चे, महिला और पुरूष के लिए पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना।

(ठ) ऐसे उपाय आरंभ करना जिनसे खेती को बौद्धिक रूप से प्रेरक और आर्थिक रूप से लाभप्रद बनाकर उच्चतर मूल्य वर्धन के लिए कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण करना जिससे युवाओं को खेती की ओर आकर्षित करने और उसमें बनाए रखने में मदद मिल सके।

(ड) सतत कृषि के लिए जरूरी आगतों के उत्पादन और आपूर्ति तथा जैव-प्रौद्योगिकी तथा सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.) के माध्यम से विकसित उत्पादों और प्रक्रियाओं में भारत को विश्व आउट सोर्सिंग (ठेके पर काम के लिए) का केन्द्र बनाना।

(ढ) कृषि और गृह विज्ञान के प्रत्येक स्नातक को एक उद्यमी बनाने व कृषि शिक्षा को लिंग संवेदी बनाने के लिए शिक्षा शास्त्रीय विधियों और कृषि पाठयक्रम की पुनर्सरचना करना।

(ण) किसानों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली विकसित करके लागू करना।

(त) किसान परिवारों के लिए गैर-कृषि क्षेत्र में रोजगार के लिए समुचित उपाय करके उपयुक्त अवसर प्रदान करना।

सूखा रोधी फसलें

166. **डॉ. एम. तम्बिदुरई : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि विश्वविद्यालयों और राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद ने सूखा रोधी फसल और बीज विकसित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसी फसलों और बीजों के प्रयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) और (ख) जी, हां। कृषि विश्वविद्यालयों तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने गेहूं, चावल, जौ, मूंगफली, तोरिया-सरसों, सोयाबीन, चना (काबुली), लेथाइरस, मोठबीन, चना, ग्वार, मक्का, ज्वार, बाजरा, छोटे मोटे अनाज, कपास, तम्बाकू, गन्ना और पटसन आदि की सूखा प्रतिरोधी/सहिष्णु किस्मों का विकास कर उन्हें जारी किया है।

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (भा.कृ.अनु.प.) इन फसलों के प्रजनक बीजों का प्रचुर मात्रा में उत्पादन कर रहा है तथा मूल (फाउण्डेशन) एवं प्रमाणिक बीजों के उत्पादन हेतु विभिन्न एजेंसियों को सप्लाई कर रहा है। विभिन्न राज्यों के कृषि विभागों के साथ-साथ भारत सरकार का कृषि एवं सहकारिता विभाग, मिनी किट ट्रायल खेत प्रदर्शन तथा समेकित पोषण प्रबंध, रोगों तथा नाशीजीव के समेकित प्रबंध द्वारा किसानों को इन फसलों/बीजों के लिए प्रोत्साहन देकर इन्हें लोकप्रिय बना रहे हैं।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय का कार्यकरण

167. **श्री मनीष तिवारी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूचना और प्रसारण मंत्रालय के मुख्य कार्यकरण क्या हैं;

(ख) क्या मंत्रालय प्रशासनिक और कार्यकरण की दृष्टि से संगठित है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत कितने स्वतंत्र/स्वायत्तशासी संगठन हैं;

(ङ) देश भर में मंत्रालय में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(च) क्या विभिन्न शाखाओं/स्वायत्तशासी संगठनों के निष्पादन की आवधिक समीक्षा की जाती है;

(छ) यदि हां, क्या मंत्रालय अपने मुख्य उद्देश्यों के निर्वहन में सफल रहा है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ) : (क) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के बुनियादी कार्यों को भारत सरकार (कार्य नियतन) नियम, 1961 में परिलक्षित किया गया है। नियमों का संगत उद्हरण संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) मंत्रालय को अपने कार्यों के निष्पादन हेतु तीन स्कंधों यथा सूचना स्कंध, फिल्म स्कंध एवं प्रसारण स्कंध में बांटा गया है।

प्रत्येक स्कंध की अध्यक्षता संयुक्त सचिव द्वारा की जाती है। सभी माध्यमों एककों, स्वायत्तशासी निकायों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को संबंधित स्कंधों के अंतर्गत समूहीकृत किया गया है और उनकी अध्यक्षता पर्याप्त रूप से एक उच्चतर अधिकारी द्वारा की जाती है। प्रत्येक संगठन स्वयं को निर्दिष्ट किए गए कार्यों के दायरे के अंतर्गत कार्य करता है।

(घ) 7(सात), प्रसार-भारती सहित।

(ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(च) जी, हां।

(छ) जी, हां।

(ज) मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन विभिन्न माध्यम एककों और स्वायत्तशासी संगठनों के योजनागत एवं योजनेत्तर कार्यकलापों की नियमित रूप से आवधिक समीक्षा की जाती है।

विवरण

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

I प्रसारण नीति और प्रशासन

1 लोक सभा और राज्य की विधान सभाओं के चुनावों के दौरान मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों द्वारा आकाशवाणी और दूरदर्शन के प्रयोग के विनियमन सहित संघ के भीतर रेडियो और टेलीविजन प्रसारण से संबंधित सभी मामले तथा उच्च पदाधिकारी के निधन पर राष्ट्रीय शोक की अवधि के दौरान सरकारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया।

2 निजी भारतीय कंपनियों अथवा राष्ट्रिकों द्वारा भारत में रेडियो और टेलीविजन प्रसारण से संबंधित कानून का निरूपण और कार्यान्वयन।

3 प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 (1990 का 25) की प्रसारण मॉनीटरिंग और प्रशासन।

4 प्रसार भारती को सौंपे जाने तक भारतीय प्रसारण (कार्यक्रम) सेवा और भारतीय प्रसारण (अभियांत्रिकी) सेवा से संबंधित सभी मामले।

II केबल टेलीविजन नीति

5 केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1955 (1955 का 7)।

III रेडियो

6 घरेलू कार्यक्रमों, विदेशों और विदेश स्थित भारतीयों के लिए कार्यक्रमों में समाचार सेवाओं को समाविष्ट करने वाले आकाशवाणी से संबंधित सभी कार्य, रेडियो जर्नल्स, प्रसारण अभियांत्रिकी के क्षेत्र में अनुसंधान, विदेशी प्रसारणों की मॉनीटरिंग, कार्यक्रम आदान-प्रदान और प्रतिलेखन सेवाएं, सामुदायिक श्रवण स्कीम आदि के अंतर्गत राज्य सरकारों को सामुदायिक प्रापक सेटों की आपूर्ति।

7 समूचे संघ में रेडियो प्रसारण का विकास, रेडियो स्टेशनों और ट्रांसमीटरों की स्थापना और उनका रखरखाव तथा प्रसारण सेवाओं का प्रचालन।

IV दूरदर्शन

8 टेलीविजन कार्यक्रमों के सांस्कृतिक आदान-प्रदान सहित आदान प्रदान।

9 टेलीविजन कार्यक्रम निर्माण केन्द्रों और ट्रांसमीटरों की स्थापना, रखरखाव और प्रचालन तथा टेलीविजन सेवाओं का प्रचालन।

10 दूरदर्शन के बाहर टेलीविजन कार्यक्रमों के निर्माण को बढ़ावा।

V फिल्में

11 संघ की सूची की प्रविष्टि 60 के अंतर्गत विधान अर्थात् 'प्रदर्शन के लिए सिनेमाटोग्राफ फिल्मों की स्वीकृति'।

12 सिनेमाटोग्राफ अधिनियम, 1952 (1952 का 37) का प्रशासन।

13 थियेटर में देखने हेतु और थियेटर से इतर अवलोकन हेतु फीचर और लघु फिल्मों का आयात।

14 फीचर और लघु दोनों तरह की भारतीय फिल्मों का निर्यात।

15 अप्रदर्शित सिनेमाटोग्राफ फिल्मों और फिल्म उद्योग के लिए आवश्यक विभिन्न प्रकार के उपकरणों का आयात।

16 विकासात्मक और उससे संबंधित उन्नयक गतिविधियों सहित फिल्म उद्योग से संबंधित सभी मामले।

17 भारत में निर्मित फिल्मों के लिए राज्य पुरस्कारों की शुरूआत करके तथा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि. के माध्यम से सहायता द्वारा अच्छे सिनेमा को बढ़ावा देना।

18 आंतरिक और बाह्य प्रचार के लिए वृतचित्रों और न्यूजरीलों तथा अन्य फिल्मों और फिल्म स्ट्रिपों का निर्माण और उनका वितरण।

19 फिल्मों और फिल्मी सामग्री का अनुरक्षण।

20 भारत में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों का आयोजन तथा विदेश में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भारत की प्रतिभागिता।

21 सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों के अंतर्गत फिल्म समारोहों का आयोजन।

22 फिल्म सोसायटी मूवमेंट

VI **विज्ञापन और दृश्य प्रचार**

23 भारत सरकार की ओर से विज्ञापनों का निर्माण करना और उन्हें जारी करना।

VII **प्रेस**

24 प्रेस के माध्यम द्वारा भारत सरकार की नीतियों और गतिविधियों का प्रस्तुतीकरण और उनकी व्याख्या।

25 प्रेस से संबंधित सूचना समस्याओं पर सरकार को सलाह देना, प्रेस में परिलक्षित जनता के विचार की मुख्य प्रवृत्तियों के बारे में सरकार को संसूचित रखना तथा सरकार और प्रेस के बीच संपर्क बनाना।

26 सशस्त्र बलों का तथा उनके लिए प्रचार।

27 आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धाराओं 95 और 96 के प्रशासन को छोड़कर प्रेस के साथ सरकारी संबंधों का सामान्य आचार व्यवहार।

28 समाचारपत्रों से संबंधित प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 (1867 का 25) का प्रशासन।

29 प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 (1978 का 37) का प्रशासन।

30 समाचारपत्रों को न्यूज प्रिंट का आबंटन।

VIII **प्रकाशन**

31 देश में और विदेश में रहने वाली आम जनता को भारत के बारे में अद्यतन और सही सूचना प्रदान करने के विचार से आंतरिक और बाह्य प्रचार के लिए राष्ट्रीय महत्व के मामलों से संबंधित लोकप्रिय पेम्फलेटों, पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओं का निर्माण, बिक्री और वितरण।

IX **अनुसंधान और संदर्भ**

32 प्रकाशित रचनाओं आदि के अनुसंधान से संबंधित सामग्री के संचयन, संकलन और उसे तैयार करने में सूचना और प्रसारण-मंत्रालय के माध्यम एककों को सहायता प्रदान करना।

33 मंत्रालय के माध्यम एककों के प्रयोगार्थ महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी का एक सार-संग्रह तैयार करना तथा समसामियकी व अन्य विषयों पर मार्गदर्शी और पृष्ठभूमि नोट्स तैयार करना।

X **विविध**

34 भारत सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के लिए प्रचार।

35 पत्रकार कल्याण निधि का प्रशासन।

36 आकाशवाणी और मंत्रालय के अन्य एककों की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले विशिष्ट संगीतज्ञों (कल्प और बाद्य दोनों), नृतकों/नृत्यांगनाओं और नाटककारों अथवा दीन-हीन परिस्थितियों में रहने वाले उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता।

37 एशिया-प्रशांत प्रसारण संघ, राष्ट्रमंडल प्रसारण संघ और गुट निरपेक्ष समाचार एजेंसी पूल से संबंधित सभी मामले।

38 भारतीय सूचना सेवा (समूह 'क' और 'ख') का संवर्ग प्रबंधन।

XI **सम्बद्ध और अधीनस्थ संगठन**

39 (क) आकाशवाणी स्वायत निकाय, प्रसार भारती के अंतर्गत आते हैं,

(ख) दूरदर्शन जिसका गठन संसद के अधिनियम द्वारा किया गया था।

(ग) पत्र सूचना कार्यालय।

(घ) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय।

(ङ) प्रकाशन विभाग।

(च) भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक का कार्यालय।

(छ) केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड।

(ज) फिल्म प्रभाग।

(झ) फिल्म समारोह निदेशालय।

(ञ) राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय।

(ट) क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय।

(ठ) गीत और नाटक प्रभाग।

(ड) अनुसंधान, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग।

(ढ) फोटो प्रभाग।

(ण) प्रधान लेखा कार्यालय।

(त) केन्द्रीय मॉनीटरिंग सेवा।

XII स्वायत्त संगठन

40 (क) भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे।

(ख) सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान, कोलकाता।

(ग) बाल चित्र समिति, भारत।

(घ) भारतीय जनसंचार संस्थान।

(ङ) भारतीय प्रेस परिषद।

(च) भारतीय फिल्म सोसायटी संघ।

XIII सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

41 राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि.

42 ब्रोडकास्ट इंजीनियर्स कंसलटेंट्स (इंडिया) लि.

अनाजों के उत्पादन में कमी

168. श्री मुकेश भैरवदानजी गढ़वी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषकर गुजरात में ज्वार सहित अनाजों के उत्पादन में भारी कमी आयी है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान अनाजों के उत्पादन का फसल-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन अनाजों के उत्पादन में कमी के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार विशेषकर गुजरात में इन फसलों का उत्पादन बढ़ाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव) : (क) से (ग) वर्ष 2009-10 के दौरान देश में अनाजों का अनुमानित उत्पादन पिछले वर्ष अर्थात् 2008-09 के दौरान 219.90 मि.टन की तुलना में 203.45 मि. टन था। वर्ष 2009-10 के दौरान देश में तथा साथ ही गुजरात राज्य में अनाजों का उत्पादन देश के विभिन्न भागों में मुख्यत: सूखे/सूखे जैसी स्थिति के कारण प्रभावित हुआ। तथापि, वर्ष 2010-11 के दौरान देश में तथा साथ ही गुजरात राज्य में अनाजों का उत्पादन 2009-10 के दौरान 203.45 मि.टन तक और 5.24 मि. टन के उनके तदनुरूपी उत्पादन के तुलना में अधिक क्रमश: 215.56 मि.टन और 5.81 मि.टन हुआ। वर्ष 2009-10 के दौरान अनाजों के उत्पादन का राज्यवार और फसलवार ब्यौरा, पिछले दो वर्षों अर्थात् 2008-09 और 2009-10 के दौरान अनाजों के उत्पादन राज्यवार और फसलवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) देश में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार कई स्कीमें/कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है, यथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम चावल/गेहूं), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) और चावल/गेहूं/मोटे अनाज आधारित फसलन प्रणाली क्षेत्रों (आईसीडीपी-चावल/गेहूं/मोटे अनाज) में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम को बृहद कृषि प्रबंधन प्रणाली में मिला दिया गया।

विवरण

वर्ष 2008-09 से 2009-10 के दौरान फसलवार अनाजों के उत्पादन का राज्यवार अनुमान

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	चावल		गेहू		ज्वार		बाजरा		मक्का		मोटे अनाज		कुल अनाज	
	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
आंध्र प्रदेश	14241.0	10538.0	16.0	10.0	436.0	437.0	60.0	53.0	4152.0	2762.0	4716.0	3318.0	18973.0	13866.0
अरुणाचल प्रदेश	163.9	215.8	5.2	4.8	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी	58.8	60.2	77.7	78.6	246.8	299.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
असम	4008.5	4335.8	54.6	63.5	एनजी	दह	एनजी	एनजी	12.6	14.1	15.4	17.2	4078.5	4416.5
बिहार	5590.3	3599.3	4410.0	4570.8	2.5	1.8	3.6	3.3	1714.0	1478.7	1751.3	1508.1	11751.6	9678.2
छत्तीसगढ	4391.8	4110.4	92.5	121.9	7.0	5.9	0.0	0.0	140.3	143.3	184.4	181.8	4668.7	4414.1
गोवा	123.3	100.6	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी	0.6	0.6	0.8	0.8	124.1	101.4
गुजरात	1303.0	1292.0	2593.0	2352.0	208.0	171.0	961.0	828.0	739.0	533.0	1976.0	1600.0	5872.0	5244.0
हरियाणा	3298.0	3625.0	10808.2	10500.0	41.0	36.0	1079.0	932.0	24.4	27.0	1329.4	1132.0	15435.6	15257.0
हिमाचल प्रदेश	118.3	105.9	547.3	327.1	एनजी	एनजी	0.1	0.1	876.6	543.2	712.1	563.5	1377.7	996.5
जम्मू व कश्मीर	563.1	497.4	483.6	289.9	2.5	2.5	10.6	10.9	633.2	487.0	660.4	513.3	1707.1	1300.6
झारखंड	3420.2	1538.4	153.9	173.2	0.3	0.1	0.1	0.0	304.0	190.7	333.9	216.9	3908.0	1928.5
कर्नाटक	3802.0	3691.0	247.0	251.0	1629.0	1406.0	187.0	153.0	3029.0	3013.0	6254.0	5895.0	10303.0	9837.0
केरल	590.3	598.3	एनजी	एनजी	1.2	1.0	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी	1.7	2.2	592.0	600.5
मध्य प्रदेश	1559.7	1260.6	6521.9	8410.0	574.3	564.9	240.6	247.5	1144.4	1045.2	2149.9	2041.2	10231.5	11711.8
महाराष्ट्र	2284.0	2183.0	1516.0	1740.0	3586.6	3566.0	662.0	766.0	1560.0	1828.0	5971.6	6293.3	9771.6	10216.3
मणिपुर	397.0	319.9	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी	11.5	11.7	11.5	11.7	408.5	331.7
मेघालय	203.9	206.7	0.7	0.7	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी	25.7	26.3	27.8	28.2	232.4	235.6
मिजोरम	46.0	44.4	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी	9.3	11.5	9.3	11.5	55.3	55.9
नागालैंड	345.1	240.3	2.1	2.4	0.1	0..1	0.0		115.9	73.2	127.3	76.8	474.5	319.5
उड़ीसा	6812.7	6917.5	7.4	5.8	5.6	5.8	1.8	1.7	134.7	175.1	191.7	230.4	7011.8	7153.7
पंजाब	11000.0	11236.0	15733.0	15169.0	0.1	0.1	5.0	4.0	514.0	475.0	575.1	527.1	27308.1	26932.1
राजस्थान	241.1	228.3	7287.0	7500.9	332.9	104.2	4283.4	2034.9	1828.2	1145.7	7325.7	3907.2	14853.8	11636.4
सिक्किम	21.7	24.3	7.8	5.9	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी	58.2	66.0	66.2	74.2	95.7	104.4
तमिलनाडु	5182.7	5665.2	एनजी	एनजी	214.1	2217	84.1	82.3	1257.8	1144.3	1755.1	1642.0	6937.8	7307.2
त्रिपुरा	627.1	640.0	1.2	1.3	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी	2.0	2.0	2.0	2.0	630.3	643.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
उत्तर प्रदेश	13097.0	10807.1	28554.0	27518.0	195.0	169.0	1302.0	1389.0	1198.0	1039.0	3080.2	2968.8	44731.2	41293.9
उत्तराखंड	582.0	608.0	797.0	845.0	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी	43.0	38.0	347.0	297.0	1726.0	1750.0
पश्चिम बंगाल	15037.2	14340.7	764.5	846.7	0.5	0.6	0.0	0.0	343.5	385.2	365.4	404.0	16167.1	15591.3
अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	22.1	24.9	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी	0.6	0.4	0.6	0.4	22.7	25.3
दादरा व नागर हवेली	23.4	13.5	1.1	1.0	0.4	0.4	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी	2.7	1.9	27.2	16.4
दिल्ली	31.4	29.0	74.4	92.7	8.5	3.2	2.9	0.0	0.1	0.0	11.7	3.3	117.5	125.0
दमन व दीव	3.8	3.3	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी	13.8	0.5	एनजी	एनजी	3.8	0.5	7.6	3.8
पांडिचेरी	50.8	52.4	एनजी	एनजी	0.0	0.0	0.1	0.1	एनजी	एनजी	0.2	0.2	51.0	52.6
अखिल भारत	99182.4	89093.0	80679.4	80803.6	7245.6	6698.2	8887.1	6506.4	19731.4	16719.5	40037.9	33549.2	219899.7	203445.8

एनजी - नहीं उपजाया गया, 0.0 नगण्य का संकेत देता है।

उत्तर-पूर्व क्षेत्र की लड़कियों के विरुद्ध अपराध

169. **श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में उत्तर-पूर्व क्षेत्र की लड़कियों के विरुद्ध अनेक अपराध दर्ज किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान छेड़छाड़ सहित अपराध-वार ऐसे कितने मामले प्रकाश में आए हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कुल कितने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसे अपराधों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (ग) दिल्ली पुलिस की जानकारी में ऐसे दृष्टांत आये हैं जिनमें पूर्वोत्तर की लड़कियां शिकार हुई हैं। वर्ष 2008, 2009, 2010 और 2011 (31.01.2011 तक) के दौरान दर्ज किए उन मामलों का ब्यौरा नीचे दिया गया है जिनमें पूर्वोत्तर की महिलायें/लड़कियां शिकार हुई हैं :-

अपराध शीर्ष	2008		2009		2010		2011 (31.01.2011 तक)	
	सूचित किए गए	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति	सूचित किए गए	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति	सूचित किए गए	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति	सूचित किए गए	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
हत्या	-	-	03	03	-	-	-	-
बलात्कार	01	01	05	04	01	05	-	-
लूटपाट	-	-	-	-	01	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
छेड़छाड़	04	11	09	10	07	03	03	03
अपहरण	-	-	02	03	01	04	-	-
छिनाझपटी	-	-	01	-	02	-	-	-
दंगे	-	-	-	-	-	-	-	-
दुर्घटना	-	-	01	01	-	-	-	-
घायल करना	-	-	-	-	-	-	-	-
धमकी देना	-	-	01	01	-	-	-	-
परेशान करना	-	-	01	01	-	-	-	-
विविध	-	-	-	-	03	03	-	-
कुल	05	12	23	23	15	15	03	03

(घ) दिल्ली पुलिस ने महिलाओं की रक्षा के लिए कई उपाय किए हैं और ये उपाय पूर्वोत्तर की महिलाओं पर भी लागू होते हैं। इसके अलावा, उन सभी पाकेटों की पहचान की गई है जहां पूर्वोत्तर निवासी रह रहे हैं और संबंधित पुलिस स्टेशनों को निर्देश दिये गये हैं कि वे उनके साथ निकट संपर्क बनायें और गश्त भी तेज कर दें। इसके अतिरिक्त, पूर्वोत्तर के निवासियों से संबंधित सभी मुद्दों को हल करने के लिए दिल्ली में तीन रेंज के लिए तीन डीसीपी स्तर के अधिकारियों को विशेष रूप से नोडल अधिकारियों के रूप में नामित किया गया है।

उपर्युक्त के अलावा, पूर्वोत्तर क्षेत्र के निवासियों तक पहुंचने और उनके द्वारा उठायी गयी समस्याओं और मुद्दों को हल करने के लिए एसएचओ द्वारा अपने-अपने क्षेत्राधिकार में रह रहे लोगों के साथ बैठकें भी आयोजित की जाती हैं।

पीसीआर वाहनों और पुलिस स्टेशनों के कार्मिकों को सुग्राही बनाने के लिए विस्तृत निर्देश जारी किये गये हैं ताकि उन्हें दिल्ली में रह रहे पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों की समस्याओं और शिकायतों के प्रति और अधिक संवदेनशील और सहानुभूतिपूर्वक बनाया जा सके। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में नार्थ ईस्ट कनेक्ट नामक एक सैल बनाया गया है जो पूर्वोत्तर के सभी आठ राज्यों के क्षेत्रीय आयुक्तों और पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी राज्यों विद्यार्थियों/नागरिक निकायों के साथ समन्वय बिन्दु के रूप में काम करेगा।

एनआईसी के साथ परामर्श करके पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों के लिए विशेष रूप से समर्पित एक इंटरएक्टिव वैबसाइट विकसित की गई है और पूर्वोत्तर राज्यों के क्षेत्रीय आयुक्तों से कहा गया है कि वे इस का व्यापक प्रचार करें।

जलवायुसह कृषि

170. श्री एल. राजगोपाल :
डॉ. क्रुपारानी किल्ली :
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जलवायुसह कृषि संबंधी राष्ट्रीय पहल नामक योजना आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) उक्त योजना से देश में किसानों और कृषि क्षेत्र को कितना लाभ मिलने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) और (ख) सरकार ने 2010-2012 की अवधि के लिए 350 करोड़ रुपये के परिव्यय से "जलवायु सहकृषि पर राष्ट्रीय पहल" नामक एक योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य देश में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों

पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का मूल्यांकन तथा लागत प्रभावी अनुकूलन तथा राहत नीतियों का विकास करना है। योजना के घटकों में, (i) अनुकूलन तथा न्यूनीकरण हेतु प्राकृतिक संसाधनों, प्रमुख खाद्य फसलों, पशुधन, समुद्री तथा ताजे पानी की मात्स्यिकी पर नीतिगत अनुसंधान, (ii) देश के 100 अधिक अति संवदेनशील जिलों में किसानों के खेतों पर उपलब्ध जलवायु सहयोगी कृषि क्रियाओं का प्रदर्शन (iii) जलवायु परिवर्तन संबंधी अनुकूलन पर दीर्घावधि अनुसंधान शुरू करने हेतु अनुसंधान की बुनियादी संरचना एवं वैज्ञानिक क्षमता निर्माण का सुदृढ़ीकरण तथा (iv) प्रायोजित अनुसंधान शामिल हैं।

(ग) वर्ष 2011-12 से आगे देश के सर्वाधिक अतिसंवेदनशील 100 जिलों में किसानों के खेतों पर सूखा, बाढ़, ग्रीष्म लहर, शीत लहर तथा पाले का सामना करने के लिए उन्नत क्रियाओं का प्रदर्शन किया जायेगा। इसके अंतर्गत सीधे ही एक लाख किसानों को सम्मिलित किया जाएगा। जिलों के पड़ोसी किसानों को इन क्रियाओं से परिचित करवाया जायेगा। बढ़ते तापमान एवं सूखा से संबंधित समस्याओं का सामना करने के लिए दीर्घकाल में गर्मी एवं सूखा सहिष्णु किस्मों के विकास पर अनुसंधान किया जायेगा।

[हिन्दी]

दूरदर्शन/आकाशवाणी के कार्यक्रमों की कवरेज

171. **श्री हरीश चौधरी :**
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण :
श्री अर्जुन चरण सेठी :
श्री अंजनकुमार एम. यादव :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश में दूरदर्शन और आकाशवाणी के कार्यक्रमों के कवरेज-प्रसारण का विस्तार करने के लिए उठाए गए कदमों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गत कुछ वर्षों में कुछ दूरदर्शन और आकाशवाणी केन्द्रों को चालू नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं और ऐसे स्टेशनों पर व्यय की गई कुल राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) ओडिशा सहित राज्य-वार ऐसे दूरदर्शन और आकाशवाणी केन्द्रों को पूरी तरह कब तक चालू किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. जगतरक्षकन) : (क) दूरदर्शन समय-समय पर तैयार किए गए विभिन्न विस्तार योजनाओं में टीवी कवरेज के विस्तार को वरीयता देता रहा है। वर्तमान में, देश में 1415 टीवी ट्रांसमीटर कार्यरत हैं (राज्यवार संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है)। उपर्युक्त ट्रांसमीटर देश की लगभग 92% आबादी को टीवी कवरेज प्रदान करते हैं, जिनमें पिछड़े एवं ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी का एक बड़ा हिस्सा शामिल है।

जम्मू एवं कश्मीर में आकाशवाणी व टीवी कवरेज के अतिरिक्त विस्तार हेतु 100 करोड़ रु. के परिव्यय की एक स्कीम को अनुमोदित किया गया है। इस स्कीम के भाग के रूप में, जम्मू एवं कश्मीर में पांच उच्च शक्ति टीवी ट्रांसमीटरों को स्थापित किए जाने की परिकल्पना की गई है।

देश के शेष क्षेत्रों सहित, स्थलीय प्रसारण द्वारा कवर न किए गए सभी क्षेत्रों को, दूरदर्शन की फ्री-टु-एयर डीटीएच सेवा "डीडी डायरेक्ट प्लस" (केयू-बैंड) के जरिए बहु-चैनल टीवी कवरेज मुहैया कराई गई है, जिसके सिगनल छोटे आकार के डिश रिसीव यूनिटों की सहायता से पिछड़े एवं ग्रामीण क्षेत्रों सहित, देश में (अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह को छोड़कर) कहीं भी प्राप्त किए जा सकते हैं। विशेष रूप से अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह हेतु 10 चैनलों के बुके सहित सी-बैंड में डीटीएच सेवा मुहैया कराई गई है।

इस समय, देशभर में 238 स्थानों से आकाशवाणी की प्रसारण सेवा मुहैया कराई जा रही है। आकाशवाणी की स्थलीय कवरेज, क्षेत्र के अनुसार 91.85% तथा आबादी के अनुसार 99.18% है जिसमें पिछड़े/ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों की आबादी शामिल है। इसके अतिरिक्त, आकाशवाणी केयू-बैंड पर डीडी डायरेक्ट प्लस मंच पर 21 रेडियो चैनल भी मुहैया करा रहा है, जो अंडमान एवं निकोबाद द्वीपसमूह को छोड़कर पूरे भारत में उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, 41 अतिरिक्त स्थानों पर 100 वाट एफएम ट्रांसमीटर (रिले) पहले ही अधिष्ठापित किए जा चुके हैं और डब्ल्यूपीसी विंग, दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय से फ्रीक्वेंसी अनापत्ति प्राप्त होने के पश्चात वे नियमित सेवा में शामिल हो जायेंगी।

आकाशवाणी की योजना देश की आबादी के शत प्रतिशत को कवरेज मुहैया कराने की है। कवरेज को बढ़ाने के उद्देश्य से, क्रमशः विवरण-II और III में दिए गए ब्यौरे के अनुसार 11वीं योजना के दौरान देशभर में आकाशवाणी के मौजूदा 28 ट्रांसमीटरों की क्षमता को अपग्रेड किया जा रहा है तथा विभिन्न क्षमताओं के 297

अतिरिक्त ट्रांसमीटर अधिष्ठापित भी किए जा रहे हैं। ये ट्रांसमीटर ग्रामीण/पिछड़े/दुर्गम क्षेत्रों में भी कवरेज मुहैया कराएंगे।

(ख) और (ग) इस समय दूरदर्शन की किसी पूरी कर ली गई परियोजना का शुभारंभ किया जाना लंबित नहीं है। तथापि, 46 अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (एलपीटी) पर्याप्त स्टाफ की अनुपलब्धता के कारण आंशिक रूप से प्रसारण रिले कर रहे हैं। उपर्युक्त एलपीटी की अनुमोदित लागतों सहित उनके राज्य-वार अवस्थान संलग्न विवरण-IV में दिए गए हैं।

5 आकाशवाणी केंद्र तकनीकी रूप से तैयार हैं, लेकिन ओऐंडएम स्टाफ संस्वीकृति की प्राप्ति नहीं होने के कारण उनका शुभारंभ नहीं हो सका है तथा ओऐंडएम स्टाफ संस्वीकृति की प्राप्ति नहीं होने के कारण निर्माण सुविधाओं की उपलब्धता के बावजूद 23 केंद्र/चैनल कार्यक्रमों को सिर्फ रिले कर रहे हैं, जिनकी लागत सहित ब्यौरे क्रमशः विवरण-V और VI में दिए गए हैं।

(घ) अपेक्षित पदों की संस्वीकृति प्राप्त होने तथा स्टाफ की तैनाती हो जाने के पश्चात यथाशीघ्र।

विवरण-I

दूरदर्शन ट्रांसमीटर

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ट्रांसमीटर की संख्या
1	2
आंध्र प्रदेश	105
अरुणाचल प्रदेश	45
असम	29
बिहार	42
छत्तीसगढ़	28
गोवा	2
गुजरात	58
हरियाणा	23
हिमाचल प्रदेश	54
झारखंड	27
जम्मू और कश्मीर	125
कर्नाटक	68
केरल	33
मध्य प्रदेश	78
महाराष्ट्र	122
मणिपुर	8
मेघालय	10
मिजोरम	8
नागालैंड	14
उड़ीसा	95
पंजाब	13
राजस्थान	99
सिक्किम	8
तमिलनाडु	71
त्रिपुरा	10
उत्तर प्रदेश	84
उत्तराखंड	54
पश्चिम बंगाल	36
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	28
चंडीगढ़	1
दादरा और नागर हवेली	1
दमन और दीव	2
दिल्ली	3
लक्षद्वीप	16
पुदुचेरी	5
कुल	1415

विवरण-II

स्थानों की सूची जहां प्रेषित्रों की क्षमता को 11वीं योजना के अंतर्गत अपग्रेड किया जाना है

क्रम सं.	स्थान	राज्य	वर्तमान क्षमता	प्रस्तावित क्षमता
1	2	3	4	5
1	आदिलाबाद	आंध्र प्रदेश	1 किवा मी.व.	10 किवा एफ.एम.
2	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	6 किवा एफ.एम.	10 किवा एफ.एम.
3	विजयवाड़ा	आंध्र प्रदेश	1 किवा मी.व	10 किवा एफ.एम.
4	गुवाहाटी बी	असम	10 किवा मी.व	20 किवा मी.व
5	ईटानगर	अरुणाचल प्रदेश	100 किवा मी.व	200 किवा मी.व
6	पासीघाट	अरुणाचल प्रदेश	10 किवा मी.व	100 किवा मी.व
7	तबांग	अरुणाचल प्रदेश	10 किवा मी.व	20 किवा मी.व
8	सूरत	गुजरात	6 किवा एफ.एम.	10 किवा एफ.एम.
9	कुरूक्षेत्र	हरियाणा	6 किवा एफ.एम.	10 किवा एफ.एम.
10	जम्मू	जम्मू एवं कश्मीर	3 किवा एफ.एम.	5/6 किवा एफ.एम.
11	जमशेदपुर	झारखंड	1 किवा मी.व	10 किवा एफ.एम.
12	कोचीन	केरल	6 किवा एफ.एम.	10 किवा एफ.एम.
13	औरंगाबाद	महाराष्ट्र	1 किवा मी.व	10 किवा एफ.एम.
14	मुम्बई	महाराष्ट्र	5 किवा एफ.एम.	20 किवा एफ.एम.
15	नागपुर	महाराष्ट्र	6 किवा एफ.एम.	10 किवा एफ.एम.
16	पुणे	महाराष्ट्र	6 किवा एफ.एम.	10 किवा एफ.एम.
17	शोलापुर	महाराष्ट्र	1 किवा मी.व	10 किवा एफ.एम.
18	कटक	उड़ीसा	1 किवा मी.व	10 किवा एफ.एम.
19	क्योंझर	उड़ीसा	1 किवा मी.व	10 किवा एफ.एम.
20	जालंधर	पंजाब	1 किवा मी.व	10 किवा एफ.एम.
21	अलवर	राजस्थान	6 किवा एफ.एम.	10 किवा एफ.एम.
22	बंसवारा	राजस्थान	6 किवा एफ.एम.	10 किवा एफ.एम.

1	2	3	4	5
23	चित्तौड़गढ़	राजस्थान	6 किवा एफ.एम.	10 किवा एफ.एम.
24	जयपुर	राजस्थान	1 किवा मी.व	10 किवा एफ.एम.
25	कानपुर	उत्तर प्रदेश	1 किवा मी.व	10 किवा एफ.एम.
26	वाराणसी	उत्तर प्रदेश	1 किवा मी.व	10 किवा एफ.एम.
27	कावारती	संघ शासित क्षेत्र	1 किवा मी.व	10 किवा मी. व.
28	करिसियौंग	पश्चिम बंगाल	1 किवा मी.व	10 किवा एफ.एम.

विवरण-III

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में स्थापित होने वाले नए आकाशवाणी ट्रांसमीटरों की सूची

क्रम सं.	स्थान	राज्य	प्रस्तावित ट्रांसमीटर का क्षमता
1	2	3	4
1	कडप्पा	आंध्र प्रदेश	1 किलोवाट एफ.एम.
2	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	10 किलोवाट एफ.एम.
3	महबूब नगर	आंध्र प्रदेश	10 किलोवाट एफ.एम.
4	श्रीकाकुलम्	आंध्र प्रदेश	1 किलोवाट एफ.एम.
5	सूर्यापेट	आंध्र प्रदेश	10 किलोवाट एफ.एम.
6	अनीनी	अरुणाचल प्रदेश	1 किलोवाट एफ.एम.
7	बोमडीला	अरुणाचल प्रदेश	1 किलोवाट एफ.एम.
8	चांगलैंग	अरुणाचल प्रदेश	1 किलोवाट एफ.एम.
9	खोन्सा	अरुणाचल प्रदेश	1 किलोवाट एफ.एम.
10	डापोरीजो	अरुणाचल प्रदेश	1 किलोवाट एफ.एम.
11	डिब्रूगढ़	असम	1 किलोवाट एफ.एम.
12	गोलपारा	असम	1 किलोवाट एफ.एम.
13	करीमगंज	असम	1 किलोवाट एफ.एम.
14	लुमडिंग	असम	1 किलोवाट एफ.एम.
15	तेजपुर	असम	1 किलोवाट एफ.एम.
16	सिलचर	असम	5 किलोवाट एफ.एम.

1	2	3	4
17	पटना	बिहार	10 किलोवाट एफ.एम.
18	चंडीगढ़	चंडीगढ़ (संघ शासित क्षेत्र)	10 किलोवाट एफ.एम.
19	अम्बिकापुर	छत्तीसगढ़	5 किलोवाट एफ.एम.
20	रायपुर	छत्तीसगढ़	10 किलोवाट एफ.एम.
21	भुज	गुजरात	5 किलोवाट एफ.एम.
22	जूनागढ़	गुजरात	10 किलोवाट एफ.एम.
23	श्रीनगर	जम्मू एवं कश्मीर	10 किलोवाट एफ.एम.
24	द्रास	जम्मू एवं कश्मीर	100 किलोवाट एफ.एम.
25	ग्रीनरिज उरी तेहसिल	जम्मू एवं कश्मीर	10 वाट एफ.एम.
26	हिमबोतिंगला (कारगिल)	जम्मू एवं कश्मीर	10 किलोवाट एफ.एम.
27	कारगिल	जम्मू एवं कश्मीर	100 किलोवाट एफ.एम.
28	नथाटौप (उधमपुर)	जम्मू एवं कश्मीर	10 किलोवाट एफ.एम.
29	नौसेरा (मंगलादेवी फोर्ट)	जम्मू एवं कश्मीर	10 किलोवाट एफ.एम.
30	पदम	जम्मू एवं कश्मीर	100 वाट एफ.एम.
31	तिसुरू (लद्दाख)	जम्मू एवं कश्मीर	100 वाट एफ.एम.
32	शिमला	हिमाचल प्रदेश	10 किलोवाट एफ.एम.
33	रोहतक	हरियाणा	10 किलोवाट एफ.एम.
34	धनबाद	झारखंड	10 किलोवाट एफ.एम.
35	रांची	झारखंड	10 किलोवाट एफ.एम.
36	बेल्लारी	कर्नाटक	10 किलोवाट एफ.एम.
37	भद्रावती	कर्नाटक	1 किलोवाट एफ.एम.
38	गुलबर्गा	कर्नाटक	10 किलोवाट एफ.एम.
39	त्रिचूर	केरल	1 किलोवाट एफ.एम.
40	छतरपुर	मध्य प्रदेश	5 किलोवाट एफ.एम.
41	ग्वालियर	मध्यप्रदेश	5 किलोवाट एफ.एम.
42	उज्जैन	मध्यप्रदेश	5 किलोवाट एफ.एम.
43	अमरावती	महाराष्ट्र	10 किलोवाट एफ.एम.

1	2	3	4
44	जलगांव	महाराष्ट्र	5 किलोवाट एफ.एम.
45	परभणी	महाराष्ट्र	1 किलोवाट एफ.एम.
46	रत्नागिरी	महाराष्ट्र	1 किलोवाट एफ.एम.
47	सांगली	महाराष्ट्र	1 किलोवाट एफ.एम.
48	तमेंगलेंग	मणिपुर	1 किलोवाट एफ.एम.
49	उखरूल	मणिपुर	1 किलोवाट एफ.एम.
50	तुरा	मेघालय	5 किलोवाट एफ.एम.
51	चेरापूंजी	मेघालय	1 किलोवाट एफ.एम.
52	कोलासिब	मिजोरम	1 किलोवाट एफ.एम.
53	ट्यूपेंग	मिजोरम	1 किलोवाट एफ.एम.
54	चम्फई	मिजोरम	1 किलोवाट एफ.एम.
55	कोहिमा	नागालैंड	10 किलोवाट एफ.एम.
56	फेक	नागालैंड	1 किलोवाट एफ.एम.
57	वोखा	नागालैंड	1 किलोवाट एफ.एम.
58	जूनहेबोटो	नागालैंड	1 किलोवाट एफ.एम.
59	भवानीपटना	उड़ीसा	5 किलोवाट एफ.एम.
60	जैपोर	उड़ीसा	1 किलोवाट एफ.एम.
61	सम्बलपुर	उड़ीसा	5 किलोवाट एफ.एम.
62	रायरंगपुर	उड़ीसा	1 किलोवाट एफ.एम.
63	अमृतसर	पंजाब	20 किलोवाट एफ.एम.
64	फाजिल्का	पंजाब	20 किलोवाट एफ.एम.
65	अजमेर	राजस्थान	5 किलोवाट एफ.एम.
66	बीकानेर	राजस्थान	10 किलोवाट एफ.एम.
67	चौटन हिल	राजस्थान	20 किलोवाट एफ.एम.
68	कोटा	राजस्थान	1 किलोवाट एफ.एम.
69	उदयपुर	राजस्थान	10 किलोवाट एफ.एम.
70	डुंगरपुर	राजस्थान	1 किलोवाट एफ.एम.
71	गंगटोक	सिक्किम	10 किलोवाट एफ.एम.

1	2	3	4
72	मदुरई	तमिलनाडु	10 किलोवाट एफ.एम.
73	तिरूनवेली	तमिलनाडु	10 किलोवाट एफ.एम.
74	तूतीकोरिन	तमिलनाडु	1 किलोवाट एफ.एम.
75	लौंगथराय	त्रिपुरा	5 किलोवाट एफ.एम.
76	नूतन बाजार	त्रिपुरा	1 किलोवाट एफ.एम.
77	उदयपुर	त्रिपुरा	1 किलोवाट एफ.एम.
78	आगरा	उत्तर प्रदेश	5 किलोवाट एफ.एम.
79	बांदा	उत्तर प्रदेश	10 किलोवाट एफ.एम.
80	गोरखपुर	उत्तर प्रदेश	10 किलोवाट एफ.एम.
81	लखीमपुर खीरी	उत्तर प्रदेश	10 किलोवाट एफ.एम.
82	मउनाथभंजन	उत्तर प्रदेश	10 किलोवाट एफ.एम.
83	रायबरेली	उत्तर प्रदेश	20 किलोवाट एफ.एम.
84	रामपुर	उत्तर प्रदेश	1 किलोवाट एफ.एम.
85	बागेश्वर	उत्तराखंड	5 किलोवाट एफ.एम.
86	चंपावत	उत्तराखंड	1 किलोवाट एफ.एम.
87	देहरादून	उत्तराखंड	10 किलोवाट एफ.एम.
88	गैरसेन	उत्तराखंड	1 किलोवाट एफ.एम.
89	हल्दवानी	उत्तराखंड	10 किलोवाट एफ.एम.
90	न्यू टीहरी	उत्तराखंड	1 किलोवाट एफ.एम.
91	अल्मोड़ा	उत्तराखंड	5 किलोवाट एफ.एम.
92	बालूरघाट	पश्चिम बंगाल	10 किलोवाट एफ.एम.
93	वर्द्धमान	पश्चिम बंगाल	10 किलोवाट एफ.एम.
94	दार्जिलिंग	पश्चिम बंगाल	10 किलोवाट एफ.एम.
95	कूचविहार	पश्चिम बंगाल	10 किलोवाट एफ.एम.
96	करसियांग	पश्चिम बंगाल	5 किलोवाट एफ.एम.
97	पांडिचेरी	पांडिचेरी संघ शासित क्षेत्र	10 किलोवाट एफ.एम.
98-197	100 वाट लघु क्षमता एफ एम ट्रांसमीटर उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में 100 जगहों पर		
198-297	100 वाट लघु क्षमता एफ एम ट्रांसमीटर पूरे देश भर में 100 जगहों पर		

विवरण-IV

राज्य	आंशिक प्रसारण दे रहे अल्प शक्ति ट्रांसमीर	राज्य में अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों की अनुमोदित लागत (करोड़ रुपए)
1	2	3
आंध्र प्रदेश	पंगान्नूर	9.04
	मिरयालगुड	
	कंदुकुर	
	कोलापुर	
	मदुगुला	
	पेड्डापल्ली	
	सिरपुर	
	सिरसिल्ला	
	तलकोंडापल्ली	
	वेमलवाडु	
बिहार	बांका	2.28
	भुबुआ	
	रामनगर	
छत्तीसगढ़	खरोद	2.28
	कोंटा	
	पंडरिया	
हरियाणा	फतेहाबाद	2.16
	कैथल	
कर्नाटक	इंदी	5.37
	कोप्पा	
	मुढोल	
	मुंडार्गी	
	सिंधनूर	
	तलिकोटा	
मध्य प्रदेश	सेंधवा	3.04
	बरेली	
	बडवानी	
	लखनडोन	
महाराष्ट्र	भामरागड	2.36
	धडगांव	
	शिर्डी	
मेघालय	चेरापूंजी	0.91
उड़ीसा	बौध	9.69
	अठामलिक	
	बहल्डा	
	बलिगुडा	
	भुवन	
	बीरमित्रपुर	
	दुदूरकोट	
	पदमपुर	
	रायराखोल	
	सोहेला	
तमिलनाडु	मदुरै (डीडी न्यूज)	8.35
त्रिपुरा	अंबास्सा	1.62
	जोलईबाड़ी	
पश्चिम बंगाल	कूच बिहार	0.76

विवरण-V

तकनीकी रूप से तैयार योजनाओं की सूची (05 न.)

क्रम सं.	आकाशवाणी केन्द्र का नाम	राज्य	ट्रांसमीटर क्षमता	व्यय (रु. लाख में)
1	2	3	4	5
1	धर्मानगर	त्रिपुरा	1 किवा मी.व.	390.70
2	लांगथराई	त्रिपुरा	5 किवा एफ.एम.	475.00

1	2	3	4	5
3	डुंगरपुर	राजस्थान	1 किवा मी.व.	280.00
4	सूर्यापिट	आंध्र प्रदेश	10 किवा एफ.एम.	42.16
5	रायरंगपुर	उड़ीसा	1 किवा एफ.एम.	275.00

विवरण-VI

रिले केन्द्रों के रूप में कार्यरत आकाशवाणी केन्द्रों के नाम

क्रम सं.	आकाशवाणी केन्द्र का नाम	राज्य	ट्रांसमीटर क्षमता	केन्द्र स्थापना की तिथि	व्यय लाख (रु. में)
1	2	3	4	5	6
1	मचरेला	आंध्र प्रदेश	3 किवा एफ.एम.	02.12.07	300.95
2	ईटानगर	अरुणाचल प्रदेश	10 किवा एफ.एम.	02.10.07	490.00
3	सरायपल्ली	छत्तीसगढ़	1 किवा एफ.एम.	18.06.05	244.64
4	रोहतक	हरियाणा	1 किवा एफ.एम. (अंतरिम सेटअप)	15.08.05	147.74
5	बेल्लारी	कर्नाटक	1 किवा एफ.एम. (अंतरिम सेटअप)	09.08.03	131.33
6	गुलबर्गा	कर्नाटक	1 किवा एफ.एम. (अंतरिम सेटअप)	15.08.05	132.00
7	मंजेरी	केरल	3 किवा एफ.एम.	23.01.06	358.60
8	मांडला	मध्य प्रदेश	1 किवा एफ.एम.	21.06.05	162.69
9	राजगढ़	मध्य प्रदेश	3 किवा एफ.एम.	23.06.05	277.01
10	ओरस (एल.आर.एस)	महाराष्ट्र	5 किवा एफ.एम.	28.08.09	300.00
11	इम्फाल	मणिपुर	10 किवा एफ.एम.	01.07.05	333.00
12	शिलांग	मेघालय	10 किवा एफ.एम.	27.12.05	305.00
13	आइजोल	मिजोरम	6 किवा एफ.एम.	02.10.07	352.00
14	कोहिमा	नागालैंड	1 किवा एफ.एम. (अंतरिम सेटअप)	02.10.07	181.05
15	सोरो (एल.आर.एस)	उड़ीसा	1 किवा मी.व	02.12.07	282.00
16	माउंट आबू	राजस्थान	6 किवा एफ.एम.	10.06.97	129.65
17	धर्मापुरी	तमिलनाडु	10 किवा एफ.एम.	02.10.07	466.62

1	2	3	4	5	6
18	मदुरई	तमिलनाडु	1 किवा एफ.एम. (अंतरिम सेटअप)	15.08.05	160.00
19	अगरतला	त्रिपुरा	10 किवा एफ.एम.	15.08.05	160.00
20	गोरखपुर	उत्तर प्रदेश	1 किवा एफ.एम. (अंतरिम सेटअप)	02.09.05	206.00
21	वाराणसी	उत्तर प्रदेश	1 किवा एफ.एम. (अंतरिम सेटअप)	02.10.07	87.00
22	शांतिनिकेतन	पश्चिम बंगाल	3 किवा एफ.एम.	01.11.02	340.00
23	गोपेश्वर (चमोली)	उत्तराखंड	1 किवा मी.व	07.02.01	91.18

भारतीय खेल प्राधिकरण के खेल प्रशिक्षण केंद्र

172. **श्री अर्जुन मेघवाल :**
श्री चंद्रकांत खैरे :
श्री इज्यराज सिंह :

क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि कुछ राज्यों में भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) का कोई खेल प्रशिक्षण केंद्र मौजूद नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा देश में ऐसे केंद्र स्थापित करने के मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ग) साई के ऐसे केंद्रों को स्थापित करने के राज्य-वार कितने प्रस्ताव सरकार के पास लंबित हैं और इसमें विलंब के क्या कारण हैं तथा ऐसे प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है;

(घ) सरकार/साई द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश में प्रतिभाओं को तलाशने और उन्हें खेल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कार्यान्वित योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त योजनाओं से प्राप्त उपलब्धियों एवं इसमें किए गए सुधारों संशोधनों का ब्यौरा क्या है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) का प्रशिक्षण केंद्र नहीं है।

(ख) भारतीय खेल प्राधिकरण ने विशेष क्षेत्र खेल (एसएजी) योजना, भाखेप्रा प्रशिक्षण केंद्र (एसटीसी) योजना, उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) योजना की अपनी मुख्य योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए हैं। देश के सभी 28 राज्यों में एक या अधिक ऐसे प्रशिक्षण केंद्र हैं। अतः ऐसा कोई राज्य ऐसे किसी केंद्र के बिना नहीं है।

भाखेप्रा में नये प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना के लिए प्रस्तावों पर राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित जैसे भूमि, हॉस्टल, खेल सुविधाओं आदि के स्थानीय और अवसंरचना सहायता की खेल संभावना के आधार पर विचार किया जाता है।

(ग) नये केंद्र खोलना भाखेप्रा, एक स्वायत्तशासी निकाय का प्रशासनिक विषय है जो सकल वित्तीय और सक्षमताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। तथापि, वित्तीय कठिनाइयों के कारण आज विद्यमान यूनिटों को सुदृढ़ करने पर बल दिया जाता है न कि नये केंद्र खोलने पर।

(घ) भारतीय खेल प्राधिकरण निम्नानुसार मुख्यतः 5 योजनाएं क्रियान्वित करता है :-

1 राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता (एनएसटीसी) योजना

2 सेना बाल खेल कंपनी (एबीएससी) योजना

3 भाखेप्रा प्रशिक्षण केंद्र (एसटीसी) योजना

4 विशिष्ट क्षेत्र खेल (एसएजी) योजना

5 उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) योजना

उपरोक्त योजनाओं के माध्यम से भाखेप्रा सब-जूनियर (8-14 वर्ष की आयु), जूनियर (14-18 वर्ष की आयु) और सीनियर स्तर

पर देश में क्षमतावान खिलाड़ियों की पहचान करता है और योग्य प्रशिक्षकों के माध्यम से संबंधित खेल विधा में उन्हें वैज्ञानिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराता है। कुल मिलाकर 14,290 प्रशिक्षु हैं।

इस प्रक्रिया में ग्रामीण, जनजातीय और दूर-दराज क्षेत्रों को भी शामिल किया जाता है। इन योजनाओं में प्रशिक्षार्थियों का चयन/प्रवेश भाखेप्रा द्वारा आयोजित परीक्षणों की श्रृंखला के साथ-साथ राज्य और जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में प्रदर्शन पर आधारित होता है। उन्हें नि:शुल्क आवास एवं भोजन सुविधाएं, खेल किट, खेल उपस्कर और प्रतियोगिता में भाग लेने के अवसर भी उपलब्ध कराए जाते हैं। गैर-आवासीय प्रशिक्षार्थियों को आवास एवं भोजन के स्थान पर मासिक वजीफा दिया जाता है। उत्कृष्टता केंद्रों में प्रशिक्षार्थियों को विशेष प्रशिक्षण के साथ-साथ अत्याधुनिक सुविधाएं, उपस्कर और वैज्ञानिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

(ङ) विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत भाखेप्रा द्वारा दिये जाने वाले प्रशिक्षण की गहन और वैज्ञानिक विधि के परिणामस्वरूप विगत तीन वर्षों के दौरान भाखेप्रा प्रशिक्षुओं के द्वारा राष्ट्रीय विधाओं में कुल 2171 पदक तथा अंतर्राष्ट्रीय विधाओं में 712 पदक जीते गये हैं। भारत ने राष्ट्रमंडल खेल, 2010 में दूसरा स्थान प्राप्त करते हुए रिकार्ड 101 पदक जीते और एशियाई खेल, 2010 में कुल रैंकिंग में छठा स्थान प्राप्त करते हुए 64 पदक जीते।

योजनाओं की समीक्षा करने भाखेप्रा का आवधिक कार्यकलाप है और इसके परिणामस्वरूप हाल ही में यूनिटों को दिया जाने वाला वार्षिक अनुरक्षण अनुदान 7.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये तक कर दिया गया है जो यूनिट की प्रशिक्षु क्षमता पर निर्भर है और प्रति प्रशिक्षु भोजन प्रभार, प्रतिस्पर्धा प्रदर्शन आदि को भी बढ़ा दिया गया है।

[अनुवाद]

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवास

173. **श्री दुष्यंत सिंह :**

श्री गजानन ध. बाबर :

क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषकर शहरी क्षेत्रों में आवास की मांग को पूरा करने के लिए 3 करोड़ आवासों की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या झुग्गी बस्तियों में लगभग 9.3 करोड़ लोग रह रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निम्न आय वर्गों के लोगों को ऋण प्रदान करने में बैंकों और आवास वित्त कंपनियों की आशंका को दूर करने के लिए किसी गारंटी कोष का गठन करने पर विचार कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों को आवास उपलब्ध कराने के लिए अन्य क्या कदम उठाए हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) शहरी आवास की कमी के आकलन के लिए मंत्रालय द्वारा गठित तकनीकी दल ने अनुमान लगाया है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना (2007-08) के अंत तक देश में कुल 24.71 मिलियन आवासों की कमी थी। तकनीकी दल ने यह भी अनुमान लगाया है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2007-2012) के दौरान कुल 26.53 मिलियन आवासों की आवश्यकता होगी।

(ख) मंत्रालय द्वारा गठित स्लम सांख्यिकी/जनगणना संबंधी समिति ने 2011 के लिए 9.3 करोड़ स्लम आबादी का अनुमान लगाया है।

(ग) प्रस्तावित राजीव आवास स्कीम का उद्देश्य उन राज्यों को आश्रय और स्लम पुनर्विकास के लिए बुनियादी नागरिक तथा सामाजिक सुविधाओं तथा किफायती आवास स्टॉक के सृजन के लिए सहायता देना है जो स्लम वासियों को संपत्ति का अधिकार देना चाहते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों/अल्प आय समूह परिवारों हेतु किफायती आवास के लिए केन्द्र सरकार से 1000 करोड़ रुपए के प्रारंभिक शेष से 5 लाख रुपए तक के ऋणों के लिए ऋण देने को प्रोत्साहित करने हेतु मॉर्टगेज जोखिम गारंटी कोष स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(घ) सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के आवास को सुविधाजनक बनाने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए हैं :-

- सरकार द्वारा वर्ष 2005 में शुरू किए गए जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) में शहरी गरीबों हेतु बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी) उप मिशन के तहत 65 चुनिंदा शहरों तथा अन्य शहरों एवं नगरों में एकीकृत

आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के अंतर्गत स्लमों में शहरी गरीबों के आवास तथा बुनियादी सेवाओं के प्रावधान में सहायता की जाती है। स्कीमें मांग आधारित हैं और इस प्रयोजन के लिए अब तक 15,60,102 मकान स्वीकृत किए गए हैं तथा 20787.90 करोड़ रुपए के केन्द्रीय अंश की वचनबद्धता दी गई हैं।

- शहरी गरीबों के आवास हेतु ब्याज सब्सिडी स्कीम में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) और अल्प आय समूह को साख समर्थ उपायों के भाग के रूप में आवास ऋणों पर ब्याज सब्सिडी मुहैया की जाती है और इन परिवारों को मकानों के निर्माण/अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु वाणिज्यिक बैंकों/आवास वित्त कंपनियों के जरिए ऋण सुविधाएं लेने और 1 लाख रुपए तक के ऋण पर ब्याज भुगतान में 5% सब्सिडी का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस स्कीम का उद्देश्य 11वीं योजना अवधि में 3.10 लाख लाभार्थियों को शामिल करना है।

- भागीदारी में किफायती आवास स्कीम का उद्देश्य किफायती मकानों के निर्माण के लिए भूमि जुटाना है और इसमें आंतरिक तथा बाहरी अवस्थापना संपर्कों के प्रावधान के लिए केन्द्रीय सहायता दी जाती है। वर्ष 2009 में 5000 करोड़ रुपए के परिव्यय से शुरू की गई इस स्कीम का उद्देश्य ईडब्ल्यूएस/एलआईजी/मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) के लिए 1 मिलियन मकानों पर निर्माण करना है जिसमें कम से कम 25% ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए होंगे।

पनधारा विकास कार्यक्रम

174. श्री डी.वी. सदानन्द गौडा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने पनधारा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत नई परियोजनाएं अनुमोदित की हैं और विश्व बैंक पनधारा विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन को एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव) : (क) और (ख) विश्व बैंक ने पनधारा विकास कार्यक्रमों के तहत किसी ऐसी नई परियोजना का अनुमोदन नहीं किया है जिसे कृषि मंत्रालय के तकनीकी पर्यवेक्षण में क्रियान्वित किया जा रहा है। तथापि, असम कृषि प्रतिस्पर्धा परियोजना एक बहु क्षेत्रीय परियोजना है जिसमें कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र शामिल हैं तथा जिसे असम राज्य में क्रियान्वित किया जा रहा है। इसकी अवधि को 31 मार्च, 2010 से 31 दिसंबर, 2010 तक बढ़ा दिया गया है।

खाद्य प्रसंस्करण पार्क

175. श्री एम.के. राघवन :
श्री नृपेन्द्र नाथ राय :
श्री नरहरि महतो :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल और पश्चिम बंगाल सहित देश में ग्यारहवीं योजनावधि के दौरान स्थापित खाद्य प्रसंस्करण पार्कों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश भर में और अधिक संख्या में खाद्य प्रसंस्करण पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) सरकार ने 11वीं योजना अवधि के दौरान परिकल्पित 30 मेगा खाद्य पार्कों में से अवसंरचना विकास स्कीम के अंतर्गत प्रथम चरण में आंध्र प्रदेश, असम, झारखण्ड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 10 मेगा खाद्य पार्कों की स्थापना का अनुमोदन दिया था।

(ख) से (घ) जी हां। सरकार ने द्वितीय चरण में पांच और मेगा खाद्य पार्कों की स्थापना का अनुमोदन दिया है। 10 राज्यों अर्थात् मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर, केरल, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा से आवेदन-पत्र मांगे गए हैं। आवेदन-पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि 28.02.2011 है।

[हिन्दी]

प्याज की कीमत

176. श्री सोनवणे प्रताप नारायणराव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में प्याज की कीमतों में अचानक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के अन्य शहरों में प्याज की कीमतें स्थित हैं;

(घ) यदि हां, तो मुंबई-नासिक हैदराबाद-कोलकाता, चेन्नई और नागपुर जैसे शहरों में अक्तूबर, 2010 से आज की तिथि तक प्याज की कीमतों में हुई वृद्धि का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार दिल्ली की तर्ज पर देश के अन्य शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में कम कीमतों पर प्याज उपलब्ध कराने के लिए वहां प्याज की पर्याप्त आपूर्ति कर रही है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या प्याज उत्पादकों को देश भर में प्याज की 60 से 75 रुपए प्रति किलो की दर से बिक्री होने के बावजूद कम लाभकारी मूल्य मिल रहा है; और

(ज) यदि हां, तो प्याज उत्पादन करने वाले किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव) : (क) और (ख) दिल्ली में प्याज के मूल्य मांग-आपूर्ति दशाओं में बदलावों विशेषकर खरीफ प्याज उत्पादक राज्यों के कुछ भागों में देरी से आए मानसून, अपर्याप्त वर्षा तथा असमय व अनियमित वर्षा के कारण जिनसे फसल को नुकसान पहुंचाया, के कारण घटते-बढ़ते रहे हैं। हाल के महीनों में दिल्ली में प्याज के मूल्य नीचे दर्शाए गए हैं :-

प्याज के थोक मूल्य (रुपए प्रति क्विंटल)

	अक्तूबर 2010	नवम्बर 2010	दिसम्बर 2010	जनवरी 2011	फरवरी 2011
दिल्ली	1355	1625	2170	2428	976

स्रोत : उपभोक्ता मामले विभाग

(ग) और (घ) अन्य नगरों में भी फसलों में हुए नुकसान के कारण आपूर्ति में बाधाएं आई हैं जिसका परिणाम प्याज के मूल्यों में उतार-चढ़ाव के रूप में सामने आया है। प्रमुख नगरों में अक्तूबर, 2010 से प्याज के मूल्य निम्नानुसार हैं :

प्याज के थोक मूल्य (रुपए प्रति क्विंटल)

	अक्तूबर 2010	नवम्बर 2010	दिसम्बर 2010	जनवरी 2011	फरवरी 2011 (दूसरे सप्ताह तक)
मुम्बई	1677	2296	3222	2910	1084
नासिक	1410	1934	3012	2513	956
हैदराबाद	1995	2167	2770	2817	1509
कोलकाता	1932	2600	3609	3120	1100
चेन्नई	1665	2530	3140	3230	1230
नागपुर	1787	1777	2994	3020	1438

स्रोत : उपभोक्ता मामले विभाग तथा नेफेड

(ङ) और (च) प्याज जैसी आवश्यक जिन्स की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना संबंधित राज्य सरकारों का विषय है तथा उनके संबंधित नागरिक आपूर्ति विभाग अपने क्षेत्र में प्याज की आपूर्ति करने के लिए अपने स्तर पर कदम उठा रहे हैं।

(छ) और (ज) जब मूल्य ऊंचे होते हैं तब स्वभाविक रूप से किसान लाभकारी मूल्य प्राप्त करते हैं। जब कभी मूल्य लाभकारी स्तर से नीचे गिरने लगते हैं तब राज्य सरकार बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) के अंतर्गत सहायता हेतु भारत सरकार से अनुरोध कर सकती है।

[अनुवाद]

तटीय पुलिस थाने

177. **श्री अब्दुल रहमान :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने तटीय पुलिस थाने स्थापित किए गए हैं और ऐसे कितने पुलिस थाने स्थापित किए जाने की संभावना है;

(ख) क्या ऐसे पुलिस थानों को तटों की सुरक्षा हेतु प्रभावी रूप से सक्षम बनाने के लिए आवश्यक अवसंरचना प्रदान की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (ग) कार्यान्वयन हेतु जनवरी 2005 में अनुमोदित चालू तटीय सुरक्षा योजना एक अनुपूरक योजना है, जिसका उद्देश्य तटीय क्षेत्रों की गश्त एवं निगरानी के लिए अवसंरचना को सुदृढ़ बनाते हुए तटीय सतर्कता को बढ़ाना है और गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल के 9 तटीय राज्यों एवं दमन एवं दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी एवं अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह के चार संघराज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना को जून, 2010 में सरकार द्वारा 95 करोड़ रुपए (अनुमानित) के अतिरिक्त गैर-आवर्ती परिव्यय के साथ मार्च, 2011 तक बढ़ा दिया गया है। तटीय सुरक्षा योजना के तहत, तट पर और तट के नजदीकी समुद्र में आवाजाही के लिए 204 नावों, 153 जीपों एवं 312 मोटरसाइकिलों के साथ सज्जित कुल 73 तटीय पुलिस थानों की स्थापना की जानी है। उपकरण, कम्पयूटरों तथा फर्नीचर इत्यादि के लिए 10 लाख रुपए प्रति तटीय पुलिस थाना की एक मुश्त सहायता भी प्रदान की जाती है। इन 73 तटीय पुलिस थानों में से 71 तटीय पुलिस थानों को चालू कर दिया गया है।

तटरक्षक एवं संबंधित तटीय राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के साथ परामर्श करके देश की तटीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए तैयार की गई तटीय सुरक्षा योजना (चरण-II) 1 अप्रैल, 2011 से 5 वर्षों की अवधि के लिए समस्त नौ तटीय राज्यों तथा चार संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित कर दी गयी है। 180 नावों, 131 चार-पहिया वाहनों एवं 242 मोटरसाइकिलों के साथ सज्जित किए जाने हेतु, तटीय सुरक्षा योजना (चरण-II) में कुल 131 तटीय पुलिस थानों की स्वीकृति प्रदान की गई है। उपकरणों, कम्प्यूटरों तथा फर्नीचर इत्यादि के लिए 15 लाख रुपए प्रति तटीय पुलिस थाना (सी पी एस) की एकमुश्त सहायता प्रदान की जाएगी।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

खाद्य आवश्यकता

178. श्री वरूण गांधी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2020 तक देश की खाद्य सुरक्षा आवश्यकता को पूरा करने के लिए चावल सहित खाद्यान्नों की आवश्यकता के संबंध में योजना आयोग द्वारा कोई अनुमानित आकलन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव) : (क) से (ग) खाद्य सुरक्षा एवं पोषण के अनुसार योजना आयोग के 2020 दस्तावेज परिदृश्य में घरेलू खाद्यान्न मांग का 240.64 मि.टन होना प्रक्षेपित किया गया है जिसमें 2020 तक 118.39 मि. टन चावल शामिल है।

देश में खाद्यान्न फसलों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा राज्य सरकारों के माध्यम से विभिन्न फसल विकास स्कीमों और कार्यक्रमों जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), समेकित तिलहन, दलहन, मक्का एवं आयलपाम स्कीम (आइसोपाम), वृहत कृषि प्रबंधन के अंतर्गत चावल/गेहूं/मोटे अनाजों के लिए समेकित अनाज विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है।

2010-11 में उपरिलिखित स्कीमों के अतिरिक्त पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाने से संबंधित दो नए कार्यक्रमों और वर्षासिंचित क्षेत्रों में समेकित 60,000 दलहन एवं तिलहन ग्राम विकास को आरकेवीवाई के अंतर्गत शुरू कर दिया गया है। दलहन उत्पादन के लिए असम और झारखंड के दो नए राज्यों को समाविष्ट करते हुए और आइसोपाम के दलहन घटक का विलयन करते हुए 1.4.2010 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को सुदृढ़ किया जा रहा है। देश के 16 दलहन उत्पादक राज्यों में 5 दलहन फसलों के प्रत्येक 1000 हैक्टे. की 1000 इकाइयों को कवर करने के लिए खंड प्रदर्शनों के रूप में एक नए कार्यक्रम त्वरित दलहन उत्पादन कार्यक्रम (ए 3पी) को शुरू किया गया है।

द्वितीय हरित क्रांति

179. श्रीमती जे. शांता : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कृषि क्षेत्र में उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से देश में द्वितीय हरित क्रांति लाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव) : (क) और (ख) पूर्वी भारत की क्षमता का दोहन करने के लिए केन्द्रीय बजट 2010 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल सहित देश के पूर्वी क्षेत्र में हरित क्रांति का विस्तार करने के लिए 400 करोड़ रु. का

अतिरिक्त आबंटन किया गया था। इस स्कीम का उद्देश्य फसलों, मुख्य रूप से चावल, गेहूं, मक्का, दालों की उत्पादकता में संस्तुत कृषि प्रौद्योगिकी तथा पद्धतियों के पैकेज के संवर्द्धन के जरिए गहन खेती के माध्यम से वृद्धि करना है।

राज्यों को आबंटन निम्नलिखित है -

राज्य	आबंटन (करोड़ रु. में)
बिहार	63.94
झारखंड	29.6
पूर्वी उत्तर प्रदेश	57.27
छत्तीसगढ़	67.15
उड़ीसा	79.67
पश्चिम बंगाल	102.37
असम	35

सचिव (कृषि एवं सहकारिता) की अध्यक्षता में केन्द्रीय संचालन समिति; अपर सचिव/संयुक्त सचिव, कृषि विभाग की अध्यक्षता में प्रत्येक राज्य के लिए राज्य स्तरीय मानिटरिंग दल तथा जिला कृषि अधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय मानिटरिंग दल को शामिल करते हुए तीन स्तरीय मानिटरिंग प्रणाली गठित की गई थी ताकि किसानों को वांछित प्रौद्योगिकियां उपलब्ध कराई जा सकें। केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान को इस कार्यक्रम की मानीटरिंग के लिए नोडल एजेंसी के रूप में अभिनामित किया गया है।

फलों और सब्जियों में प्रतिबंधित रसायनों का उपयोग

180. श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण :
श्री अर्जुन राम मेघवाल :
श्री एस. अलागिरी :
क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फलों और सब्जियों को कृत्रिम ढंग से पकाने और उनके आकार और वजन को बढ़ाने के लिए प्रतिबंधित रसायनों और हार्मोनों का प्रयोग प्रचलन में है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान प्रकाश में आए मामलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान गिरफ्तार किए गए/दोषसिद्ध साबित किए गए व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या कितनी है और इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव) : (क) से (ग) मीडिया से ऐसी रिपोर्टें आ रही है कि फलों और सब्जियों के वजन और आकार को बढ़ाने के लिए कुछ खतरनाक रसायनों का प्रयोग किया जा रहा है। खाद्य अपमिश्रण रोकथाम अधिनियम और नियमावली का कार्यान्वयन राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों के पास है। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा आयुक्तों से अनुरोध किया गया है कि फलों को पकाने के लिए खतरनाक रसायनों के प्रयोग पर कड़ी निगरानी रखें और अधिनियम/नियमावली के उल्लंघन के लिए कानूनी कार्रवाई करें। केन्द्रीय सरकार द्वारा मामलों, पकड़े गए और अपराधी व्यक्तियों के ब्यौरे नहीं रखे जाते।

केन्द्र क्षेत्रीय स्कीम "राष्ट्रीय स्तर पर कीटनाशी अवशेषों की निगरानी" के अंतर्गत संग्रहीत फलों एवं सब्जियों सहित कृषि जिंसों के नमूनों के विश्लेषण से कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अंतर्गत प्रतिबंधित किसी कीटनाशी के प्रयोग का संकेत नहीं मिलता।

कृषि क्षेत्र में कामगार

181. शेख सैदुल हक : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ वर्षों में कृषि क्षेत्र में कामगारों की संख्या में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कृषि क्षेत्र में रोजगार के अतिरिक्त अवसरों के सृजन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव) : (क) और (ख) जनगणना 1991 के अनुसार, कृषि में संलग्न देश में किसानों तथा खेतिहर मजदूरों की कुल संख्या 210.68 मिलियन थी। यह दस वर्षों में 11.11% की वृद्धि दर्ज करते हुए 2001 की जनगणना में बढ़कर में 234.10 मिलियन हो गई है। रोजगार और बेरोजगारी पर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) के हाल ही में सम्पन्न दो पंचवर्षीय दौरों के अनुसार, कृषि क्षेत्र में सामान्य स्थिति के अनुसार,

रोजगार 1999-2000 (55वें दौर) में 239.73 मिलियन व्यक्ति थे जो 2004-05 (61वें दौर) में बढ़कर 258.59 मिलियन व्यक्ति हो गए हैं जो पांच वर्षों में 7.86% की बढ़ोतरी दर्शाता है। इस प्रकार कृषि पर निर्भरता बढ़ी है।

(ग) कृषि क्षेत्र में प्रारंभ की गई बहुत-सी योजनाओं का उद्देश्य उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाना है तथा इस प्रक्रिया से भी अतिरिक्त रोजगार के अवसर सृजित होते हैं। कृषि क्षेत्र में प्रमुख कार्यक्रमों में कृषि का वृह्द प्रबंधन (एमएएम), चावल, गेहूं तथा मोटे अनाजों हेतु एकीकृत विकास कार्यक्रम (आईसीडीपी), ग्रामीण भण्डारण योजना, कृषि विपणन ढांचे का विकास, सूक्ष्म सिंचाई, ग्रामीण ऋण, एकीकृत तिलहन, दलहन, पॉम आयल तथा मक्का योजना (आइसोपाम) तथा राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) शामिल हैं।

हाल ही में सरकार ने दो योजनाएं यथा (i) चावल, गेहूं तथा दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) तथा (ii) कृषि क्षेत्र में राज्यों/संघशासित प्रदेशों को और अधिक निवेश के लिए प्रोत्साहित करने हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) प्रारंभ की है। यद्यपि ये योजना उत्पादन में वृद्धि हेतु हैं, फिर भी उनमें अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा करने की क्षमता है। कृषि एव गैर-कृषि रोजगार सृजन के अतिरिक्त, इन कार्यक्रमों से किसानों की आय में वृद्धि होने की संभावना है।

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना

182. **श्री संजय दिना पाटील : क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत प्रारंभ किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या हैं;

(ख) क्या इस योजना के अंतर्गत बैंक द्वारा संवितरित किया गया ऋण चिंता का विषय है; और

(ग) यदि हां, तो शहरी समाज की महिलाओं, निर्धनों और कमजोर वर्गों को और अधिकतम लाभ प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) का प्रयास व्यक्तिगत/समूह उद्यमों की स्थापना में शहरी गरीबों की सहायता तथा सामाजिक रूप से उपयोगी सार्वजनिक परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए उनके श्रम का उपयोग करके उन्हें लाभप्रद रोजगार प्रदान करना है। वर्ष 2009 में, स्कीम के निम्नलिखित पांच घटक हैं :-

(1) शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम (यूएसईपी)

(2) शहरी महिला स्व-सहायता कार्यक्रम (यूडब्ल्यूएसपी)

(3) शहरी गरीबों में रोजगार प्रोत्साहन हेतु कौशल प्रशिक्षण (स्टेप-अप)

(4) शहरी मजदूर रोजगार कार्यक्रम (ईडब्ल्यूईपी)

(5) शहरी सामुदायिक विकास नेटवर्क (यूसीडीएन)

(ख) और (ग) जी, हां। राज्यों को राज्य एवं शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर, बैंकर्स समिति की बैठकों में स्व-रोजगार एवं अन्य कार्यकलापों के लिए एसजेएसआरवाई के अंतर्गत शहरी गरीबों को ऋण देने संबंधी एजेंडा के अनुसार काम करने की सलाह दी गई है। बैंकों को उचित सलाह जारी करने के लिए मामले को भारतीय रिजर्व बैंक के स्तर पर भी उठाया गया है।

पृथक खेल कानून

183. **श्री चंद्रकांत खैरे :**
श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर :

क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का एक पृथक खेल कानून/राष्ट्रीय खेल विकास विधान अधिनियमित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कानून विधान की मुख्य विशेषताएं तथा इसका उद्देश्य क्या है;

(ग) उक्त कानून को कब तक लागू किए जाने की संभावना है; और

(घ) इससे देश में किस सीमा तक खेलकूद का विकास होगा?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (घ) जी हां। राष्ट्रीय खेल विकास के लिए विधान अधिनियमित करने की संभावना का पता लगाने संबंधी

प्रारंभिक प्रस्ताव है जो अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, राष्ट्रीय खेल परिसंघों द्वारा खेलों के विकास और संवर्धन में उत्तम संचालन प्रथाओं को संवर्धित करेंगे। यह भारतीय ओलंपिक संघ सहित राष्ट्रीय खेल परिसंघों में स्वच्छ और पारदर्शी चुनाव संचालित करने जैसे मुद्दों की खासकर जांच करेगा, राष्ट्रीय खेल परिसंघों के प्रबंधन में खिलाड़ियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करेगा, खेलों में डोपिंग रोधी उपायों को सुदृढ़ करेगा और देश में स्वस्थ खेल विकास को संवर्धित करने जैसे अन्य उपाय करेगा।

राष्ट्रीय खेल विकास संबंधी विधेयक के प्रारूप का संसद द्वारा इसे पारित किए जाने के बाद तथा इसके स्टेकधारकों और जनसाधारण के साथ व्यापक परामर्श के बाद कानून के रूप में अधि ानियमित होने पर राष्ट्रीय खेल विकास पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा।

गरीबी का कारण

184. **श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वास्थ्य पर अधिक व्यय से लोग गरीबी की ओर बढ़ते जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) से (ग) 11वीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज के अनुसार शहरी गरीबी के कारणों में निम्नलिखित घटक शामिल हैं :-

(i) संरचनात्मक-जिसमें अल्प आय समूहों के लिए अवसरों की समाज जनित कठिनाइयां शामिल हैं।

(ii) बड़ी संख्या में कामगारों का शहरों में आना जबकि उस अनुपात में नौकरी के अवसर तथा आवास और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है।

(iii) स्वास्थ्य देखभाल तथा चिकित्सा सुविधाओं, आवास, परिवहन तथा शिक्षा की लागत सहित जीवन यापन की अधिक लागत।

(iv) विशेषकर अल्प आय श्रेणियों के आवास के लिए शहरी आयोजना का और अनौपचारिक क्षेत्र कार्यकलापों के लिए भूमि के प्रावधान की कमी।

(v) गरीबों के आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त विनियमनों का न होना; और

(vi) शहरी आयोजना और विकास प्रक्रिया में गरीबों की सहभागिता की कमी।

शहरी गरीबी कांटो भरी होती है। शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य पर अधिक खर्च करना शहरी गरीबी का एक कारण है।

शहरी क्षेत्रों में गरीबी के मुद्दों के समाधान के लिए आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय दिनांक 1.12.1997 से अखिल भारत आधार पर स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार नामक एक रोजगार परक शहरी गरीबी उपशमन केन्द्र प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। इस स्कीम का उद्देश्य गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे शहरी गरीबों को रोजगार उद्यम स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करके तथा सामाजिक और आर्थिक रूप से उपयोगी सार्वजनिक परिसंपत्तियों के निर्माण में उनके श्रम का उपयोग करके शहरी बेरोजगार तथा अल्प बेरोजगार गरीबों को लाभप्रद रोजगार मुहैया कराना है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना को वर्ष 2009-10 से व्यापक रूप से संशोधित किया गया है। शहरी गरीबों के आश्रय और बुनियादी सेवाओं के मुद्दों को देखने के लिए यह मंत्रालय 65 चुनिंदा शहरों के लिए जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाओं संबंधी उप मिशन तथा 65 चुनिंदा शहरों को छोड़कर अन्य शहरों/कस्बों में एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) भी वर्ष 2005 से कार्यान्वित कर रहा है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य स्लमवासियों/शहरी गरीबों को उत्तम आश्रय और मालिकाना हक की सुरक्षा के साथ जल, सफाई, प्राथमिक चिकित्सा, प्राथमिक शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराना है।

मत्स्य पोताश्रय

185. **श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गुजरात सहित राज्य-वार मौजूदा कितने मत्स्य पोताश्रय तथा मछली उतराई केन्द्र हैं;

(ख) क्या राज्यों को इन मत्स्य पोताश्रय तथा मछली उतराई केन्द्रों के आधुनिकीकरण तथा विस्तार के लिए कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या नए मत्स्य पोताश्रय तथा मछली उतराई केन्द्रों की स्थापना करने का भी कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव) : (क) देश की तटीय रेखा पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता से 6 बड़े मात्स्यिकी बंदरगाह, 45 छोटे मात्स्यिकी बंदरगाह और 180 मछली उतारने वाले केन्द्रों का निर्माण किया गया है। मौजूदा मात्स्यिकी बंदरगाह और मछली उतारने वाले केन्द्रों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी, हां। कृषि मंत्रालय केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत तटीय राज्य सरकारों, संघशासित क्षेत्रों, पोर्ट ट्रस्टों, मछुआरा सहकारी समितियों/संघों और निजी उद्यमियों को नए मात्स्यिकी बंदरगाह तथा मछली उतारने वाले केन्द्रों के विकास तथा मौजूदा बंदरगाहों और केंद्रों के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय मछुआरा विकास बोर्ड मात्स्यिक बंदरगाहों और मछली उतारने वाले केन्द्रों के आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए तटीय राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को आवश्यकता के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान करता है। विगत तीन वर्षों के दौरान प्रदान की गई वित्तीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) और (ङ) जी हां। राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्रों तथा अन्य एजेंसियों से प्राप्त व्यवहार्य प्रस्तावों के आधार पर नए मात्स्यिकी बंदरगाह और मछली उतारने वाले केन्द्रों के निर्माण के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत अभी तक कुल 38 नई परियोजनाएं आरंभ की गई हैं जिनमें 22 लघु मात्स्यिकी बंदरगाह तथा 16 मछली उतारने वाले केन्द्र शामिल हैं और इनका राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण-I

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	मत्स्यन बंदरगाह			मछली उतारने के केन्द्र	
		पूरे किए गए बड़े मत्स्यन बंदरगाह	छोटे मत्स्यन बंदरगाह पूरे किए गए	निर्माणाधीन	पूरे किए गए	निर्माणाधीन
1	प. बंगाल	1+1*	5	-	13	-
2	उड़ीसा	1	4	1	25	3
3	आंध्र प्रदेश	1	4	-	17	4**
4	तमिलनाडु	1	7	3	20	1
5	पांडिचेरी	-	1	3	1	-
6	केरल	1	8	9	25	2
7	कर्नाटक	-	8	3	13	-
8	गोवा	-	-	-	4	1
9	महाराष्ट्र	1	2	1	35	1
10	गुजरात	-	5	2	21	-
11	दमन एवं दीव	-	-	-	2	-
12	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	-	1	-	1	4**
13	लक्षद्वीप	-	-	-	3	-
	कुल	7	45	22	180	16

*निर्माणाधीन बड़े मत्स्यन बंदरगाह।

**सुनामी पुनर्वास पैकेज के तहत अनुमोदित मछली उतारने के केन्द्र।

विवरण-II

क्रम सं.	राज्य का नाम	मत्स्यन बंदरगाह का नाम	स्वीकृत राशि	जारी राशि	टिप्पणी
		वित्तीय वर्ष 2008-09			
1	गुजरात	मंगरोल एफएच	614.52	25.00	सीएसएस के तहत अनुमोदित
2	कर्नाटक	कारवार एफएच	115.37	115.37	एनएफडीबी योजना के तहत अनुमोदित
	कुल		729.89	104.37	
		वित्तीय वर्ष 2009-10			
1	केरल	बोचीन एफएच	980.20	300.00	सीएसएस के तहत अनुमोदित
2	कर्नाटक	होन्नावार एफएच	348.78	348.78	एनएफडीबी योजना के तहत अनुमोदित
	कुल		1328.98	648.78	
		वित्तीय वर्ष 2010-11			
1	केरल	नींदकारा एफएच	713.00	355.00	एनएफडीबी योजना के तहत अनुमोदित
2	केरल	सक्थिकुलंगढ़ एफएच	290.00	145.00	एनएफडीबी योजना के तहत अनुमोदित
3	केरल	थंगासेरी एफएच	254.50	127.25	एनएफडीबी योजना के तहत अनुमोदित
4	केरल	पुथियप्पा एफएच	280.00	280.00	एनएफडीबी योजना के तहत अनुमोदित
5	केरल	कयमकुलम एफएच	259.00	130.00	एनएफडीबी योजना के तहत अनुमोदित
6	आंध्र प्रदेश	काकीनाडा एफएच	95.75	95.75	एनएफडीबी योजना के तहत अनुमोदित
7	आंध्र प्रदेश	निजामपटनम एफएच	59.11	41.00	एनएफडीबी योजना के तहत अनुमोदित
8	आंध्र प्रदेश	मछलीपटनम एफएच	59.87	30.00	एनएफडीबी योजना के तहत अनुमोदित
	कुल		2011.23	1204.00	

टिप्पणी : सीएसएच - केन्द्रीय प्रायोजित योजना

एनएफडीबी - राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड

एफ एच - मत्स्यन बंदरगाह

[हिन्दी]

सरकारी योजनाओं पर जागरूकता अभियान

186. **श्री पन्ना लाल पुनिया : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं तथा कार्यक्रमों के प्रचार के लिए पद्धति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का प्रदर्शनियों के माध्यम से आम आदमी के लाभ के लिए अपनी विभिन्न योजनाओं तथा कार्यक्रमों के लिए जागरूकता प्रचार अभियान चलाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो उत्तर-प्रदेश सहित राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से उक्त प्रयोजनार्थ ऐसी प्रदर्शनियां आयोजित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर स्थान-वार और राज्य-वार क्या कार्यवाही की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ) : (क) सरकार की स्कीमों के बारे में जागरूकता अभियान चलाने के लिए निम्नलिखित प्रचार माध्यमों का प्रयोग किया जाता है:

(i) विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) द्वारा मुद्रण विज्ञापन, श्रव्य-दृश्य विज्ञापन, बाह्य प्रचार, प्रदर्शनियां एवं मुद्रित प्रचार।

(ii) मंत्रालय के गीत एवं नाटक प्रभाग की पंजीकृत गैर-सरकारी रंगमंडलियों, पैनलबद्ध कलाकारों एवं स्टाफ कलाकारों के माध्यम से लोक व पारंपरिक कलाओं का प्रयोग करके सजीव प्रस्तुतियों के जरिए।

(iii) क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय (डीएफपी) द्वारा फिल्म शो, सामूहिक विचार-विमर्श, विशेष अंतक्रियात्मक कार्यक्रम, रैली और मौखिक संचार।

(iv) पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) मंत्रालय के अन्य माध्यम एककों के संयुक्त सहयोग से विभिन्न जिलों के ग्रामीण/शहरी मलिन बस्तियों में केन्द्र सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रमों पर सूचना अभियान चलाता है। इन अभियानों को स्थानीय जिला प्रशासन, जोकि मुख्य भागीदार के रूप में कार्य करता है, की सक्रिय सहभागिता से आयोजित किया जाता है। पीआईबी प्रैस ब्रीफिंग, प्रैस सम्मेलनों, साक्षात्कारों एवं प्रैस दौरों का भी आयोजन करता है।

(ख) सरकार अपनी स्कीमों के बारे में जनता के बीच जागरूकता का प्रसार करने के लिए वर्ष भर प्रदर्शनियों का आयोजन करती है।

(ग) आयोजित किए गए जागरूकता अभियानों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) जी, हां।

(ङ) (i) दसारा प्रदर्शनी प्राधिकरण, कर्नाटक सरकार के अनुरोध पर क्षेत्रीय प्रदर्शनी कार्यालय, डीएवीपी बंगलौर ने दिनांक 08.12.2010 से 31.01.2011 तक भारत निर्माण एवं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया।

(ii) सूचना एवं जन संपर्क विभाग, तमिलनाडु सरकार के अनुरोध पर क्षेत्रीय प्रदर्शनी कार्यालय, डीएवीपी चेन्नै ने दिनांक 16.04.2010 से 06.06.2010 तक मदुरै, दिनांक 02.10.2010 से 04.10.2010 तक गांधी मण्डप, दिनांक 13.11.2010 से 22.11.2010 तक तिरूवन्नामलई और दिनांक 19.12.2010 से 04.02.2011 तक वेल्लौर में प्रदर्शनियों का आयोजन किया। दिनांक 10.02.2010 से दिनांक 10.04.2011 तक की अवधि के लिए कोयम्बदूर में एक प्रदर्शनी पहले से ही चल रही है।

तथापि, उत्तर प्रदेश में, डीएवीपी ने केन्द्र सरकार के दैनन्दिन प्रचार कार्यकलाप के भाग के रूप में सात प्रदर्शनियों का आयोजन किया।

विवरण

विभिन्न स्कीमों एवं आयोजित कार्यक्रमों पर जागरूकता/प्रचार अभियानों/प्रदर्शनियों का राज्य-वार ब्यौरा

क. विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय

क्रम सं.	राज्यों के नाम	वर्ष 2010 के लिए प्रदर्शनियां
1	2	3
	मुख्यालय दिल्ली	
1	केंद्र शासित क्षेत्र दिल्ली (मुख्यालय)	64
2	हिमाचल प्रदेश (शिमला)	9
3	जम्मू एवं कश्मीर (जम्मू)	21
4	उत्तराखंड (देहरादून)	6
5	केंद्र शासित क्षेत्र, चंडीगढ़ (चंडीगढ़)	7
6	राजस्थान (जयपुर)	12
7	उत्तर प्रदेश (लखनऊ)	7
8	बिहार (पटना)	64
9	झारखंड (रांची)	52
10	पश्चिम बंगाल (कोलकाता)	23
11	उड़ीसा (भुवनेश्वर)	5
12	मध्य प्रदेश (भोपाल)	8
13	छत्तीसगढ़ (रायपुर)	9
	क्षेत्रीय कार्यालय, बंगलौर	14
14	आंध्र प्रदेश (हैदराबाद)	
15	कर्नाटक (बंगलौर)	11
16	तमिलनाडु (चेन्नै)	18
17	केरल (त्रिवेन्द्रम)	13
18	अंडमान (पोर्ट ब्लेयर)	10
19	महाराष्ट्र (मुंबई)	13

1	2	3
20	गुजरात (अहमदाबाद)	62
	क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी	20
21	असम (गुवाहाटी)	
22	मेघालय (शिलांग)	8
23	अरुणाचल प्रदेश (ईटानगर)	11
24	नागालैंड (कोहिमा)	1
25	मणिपुर (इंफाल)	5
26	मिजोरम (आइजोल)	4
27	त्रिपुरा (अगरतला)	11

ख. आम लोगों के लाभार्थ गीत एवं नाटक प्रभाग द्वारा :

1 जनसंख्या स्थिरीकरण पर निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए गए :

राज्यों के नाम	आयोजित कार्यक्रमों की संख्या
मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान	684
उत्तर प्रदेश	726
झारखंड	542
बिहार	687

2 वर्ष 2010-11 के दौरान नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल पर निम्नलिखित अभियान आयोजित किए गए :

राज्यों के नाम	जिलों की संख्या	कार्यक्रमों की संख्या
कर्नाटक	07	105
छत्तीसगढ़	12	180
मध्य प्रदेश	31	465
राजस्थान	15	225
आंध्रप्रदेश	04	60
पंजाब	04	60
जम्मू एवं कश्मीर	04	60
असम	03	45
उड़ीसा	19	285
पश्चिम बंगाल	06	90
उत्तर प्रदेश	41	615
उत्तराखंड	02	30
महाराष्ट्र	03	45
गुजरात	06	90
बिहार	28	420
झारखंड	15	240

ग. पत्र सूचना कार्यालय

वर्ष 2010-2011 में पूरे किए जा चुके/पूरे किए जाने वाले भारत निर्माण (जन सूचना अभियान - पीआईसी)

(कुल 144 पीआईसी)

राज्य	पीआईसी की कुल संख्या	स्थान व स्थल	दिनांक
1	2	3	4
हरियाणा	3	जिला-पानीपत	28-30 सितम्बर, 2010
		नगीना-जिला मेवात	14-16 दिसम्बर, 2010
		पुंडरी-जिला, कैथल	9-11 फरवरी, 2011
पंजाब	4	जिला-अमृतसर-चौगांव	7-11 जून, 2010
		जिला-मोगा-कोटइसा खान	4-6 अगस्त, 2010

1	2	3	4
		जिला-पटियाला, नाभा	5-7 जनवरी, 2011
		जिला-गुरदासपुर-कलानौर/नरोट नेहरा	मार्च, 2011
जम्मू व कश्मीर	6	जिला-अनंतनाग (दक्षिण कश्मीर)	1-3 जून, 2010
		जिला रामबन	23-25 अक्टूबर, 2010
		जिला डोडा	28-30 दिसम्बर, 2010
		जिला साम्भा	3-5 फरवरी, 2011
		राजौरी	फरवरी, 2011
		जिला-उरी, बारामूला	मार्च, 2011
उत्तराखंड	3	भवाली, जिला-नैनीताल	14-16 जून, 2010
		जिला रूद्रप्रयाग	25-27 नवम्बर, 2010
		जिला बागेश्वर/पिथौरागढ़	मार्च, 2011
हिमाचल प्रदेश	3	जिला किन्नौर	13-15 जुलाई, 2010
		थाना कलां, जिला ऊना	11-13 नवम्बर, 2010
		जिला कांगड़ा	9-11 फरवरी, 2011
कर्नाटक	5	तुमकुर	24-26 जुलाई, 2010
		पंडवापुरा, जिला मांड्या	22-24 सितम्बर, 2010
		मैसूर जिला	21-23 जनवरी, 2011
		गंगावटी, कोप्पाल जिला	5-7 मार्च, 2011
		सिरसी, उत्तर कन्नाडा जिला	19-21 मार्च, 2011
आंध्र प्रदेश	9	महेश्वरम, रंगारेड्डी जिला	3-5 अगस्त, 2010
		रामाभद्रपुरम, विजयनगरम	1-3 सितम्बर, 2010
		पालकोंडा, श्रीकाकुलम जिला	15-17 सितम्बर, 2010
		मीरयालागुडा, नालगोंडा जिला	29 सितम्बर से 01 अक्तूबर, 2010
		नांद्याल, कुरनूल, जिला	13-15 नवम्बर, 2010
		बापटाला, गूंटूर, जिला	5-7 जनवरी, 2011
		भीमावरम, पश्चिम गोदावरी जिला	5-7 फरवरी, 2011

1	2	3	4
		निजामाबाद जिला	9-11 फरवरी, 2011
		महबूबनगर जिला	मार्च, 2011 का दूसरा सप्ताह
त्रिपुरा	4	दुकली, पश्चिम त्रिपुरा जिला	18-22 जून, 2010
		मानुघाट, दलाई जिला	9-11 सितम्बर, 2010
		कदमतला, उत्तर त्रिपुरा जिला	30 दिसम्बर से 1 जनवरी, 2011
		उदयपुर, दक्षिण त्रिपुरा जिला	3-5 मार्च, 2011
पश्चिम बंगाल	6	कुलपी, दक्षिण 24 परगना	29-31 अक्टूबर, 2010
		हावड़ा, श्यामपुर	13-15 नवम्बर, 2010
		सागर, दक्षिण 24 परगना	27-29 नवम्बर, 2010
		पूर्वास्थली, बर्धमान जिला	11-13 दिसम्बर, 2010
		पूर्व मैदिनीपुर	30 जनवरी से 1 फरवरी, 2011
		पश्चिम मैदिनीपुर, सार्बोंग	12-14 फरवरी, 2011
उड़ीसा	7	लोईसिन्धा, जिला बोलनागीर	30 सितम्बर से 2 अक्टूबर, 2010
		नौपाडा (खारीयर)	26-28 नवम्बर, 2010
		कालाहांडी (भवानीपटना)	11-13 दिसम्बर, 2010
		फुलबनी, कंधमाल जिला	21-23 दिसम्बर, 2010
		बालासोर जिला	19-21 फरवरी, 2011
		जयपुर	7-9 मार्च, 2011
		कोरापुट	मार्च, 2011
सिक्किम	4	रींनचीनपोंग-कलुक, पश्चिम जिला	29 सितम्बर से 1 अक्टूबर, 2010
		कबी-टीनदा, नार्थ जिला	16-18 नवम्बर, 2010
		सुमबुक, दक्षिण सिक्किम	27-29 दिसम्बर, 2010
		दूगा-ईस्ट जिला	2-4 फरवरी, 2011
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह			
महाराष्ट्र	12	जालना, मराठवाड़ा	25-28 जुलाई, 2010
		अचलपुर, जिला अमरावती	1-3 अगस्त, 2010

1	2	3	4
		शीलोद, जिला औरंगाबाद	6-8 अगस्त, 2010
		भिवंडी, जिला थाने	26-28 सितम्बर, 2010
		रत्नागिरी	13-15 दिसम्बर, 2010
		मलवान, सिंधुदुर्ग, जिला	19-21 दिसम्बर, 2010
		देसालगंज (वाडसा) गढ़चिरौली	20-22 दिसम्बर, 2010
		रामटेक, जिला नागपुर	28-30 जनवरी, 2011
		शाहपुर, जिला-थाने	12-14 फरवरी, 2011
		कागल, जिला कोल्हापुर	18-20 फरवरी, 2011
		तिरोदा, जिला गोंडिया	24-26 फरवरी, 2011
		औंध, जिला हिंगोली	मार्च, 2011 का दूसरा सप्ताह
गुजरात	6	अमीरगढ़, जिला बनसकान्टा	2-4 अक्टूबर, 2010
		ब्लाक, जासदान, जिला राजकोट	16-18 दिसम्बर, 2010
		हरीज, जिला पाटन	11-13 फरवरी, 2011
		बरेजा ट्राइबल ब्लाक, अहमदाबाद	28 फरवरी से 2 मार्च, 2011
		कावन्त, मनगरोल, जिला महसाना	मार्च, 2011 का पहला सप्ताह
		दीसा, जिला बनसकांटा	मार्च, 2011 का तीसरा सप्ताह
गोवा	3	दरवनंडोरा, साउथ गोवा	14-16 अक्तूबर, 2010
		कोरगांव, पीरनेम	21-23 जनवरी, 2011
		शिवोलीम, मनड्रेम	28-30 जनवरी, 2011
मिजोरम	3	लुंगलेई जिला	22, 24-25 जून, 2010
		बिलख्वातलिर, कोलासिब जिला	12-14, अक्तूबर 2010
		ममित जिला	23, 25 तथा 27 नवम्बर, 2010
अरुणाचल प्रदेश	-		
मेघालय	3	मॉकिर्वात, जिला पश्चिम खासी हिल्स	23-25 जून, 2010
		अमलारेम, जिला-जयंतिया हिल्स	21-23 अक्टूबर, 2010
		बिर्नीहाट, रिभोई जिला	9-11 मार्च, 2011

1	2	3	4
मणिपुर	3	कीनौ, बिशेनपुर जिला	5-7 अक्टूबर, 2010
		यैरिपोक थौबल जिला	25-27 नवम्बर, 2010
		इंफाल पश्चिम जिला	16-18 फरवरी, 2011
असम	6	अभयापुरी, जिला बोंगाईगांव	2-5 जून, 2010
		धुबरी, जिला धुबरी	21-23 सितम्बर, 2010
		उत्तर लखीमपुर, जिला लखीमपुर	1-3 नवम्बर, 2010
		मोरीगांव, मोरीगांव जिला	14-16 दिसम्बर, 2010
		बेजेरा, कामरूप जिला	20-22 जनवरी, 2011
		जखालाबंधा, नागांव जिला	10-12 फरवरी, 2011
नागालैंड	1	कोहिमा जिला	10-12 मार्च, 2011
राजस्थान	9	चौतन, बाड़मेर जिला	28-30 अगस्त, 2010
		भंडारेज, दौसा जिला	11-13 सितंबर, 2010
		केकरी, अजमेर जिला	8-10 अक्तूबर, 2010
		सेवा कस्बा-दुदु, जयपुर जिला	13-15 नवंबर, 2010
		नौखा, बीकानेर जिला	26-28 नवंबर, 2010
		बसनी, नागौर जिला	18-20 दिसंबर, 2010
		अरनोद, प्रतापगढ़ जिला	23-25 जनवरी, 2011
		किशनगंज, बारा जिला	14-16 फरवरी, 2011
		सलुंबेर, उदयपुर जिला	19-21 फरवरी, 2011
छत्तीसगढ़	4	कबीरधाम-कावर्धा	4-6 अक्तूबर, 2010
		जगदलपुर, बस्तर जिला	14-16 दिसंबर, 2010
		धमधा, दुर्ग जिला	6-8 जनवरी, 2011
		जशपुर	3-5 मार्च, 2011
मध्यप्रदेश	7	हर्दा	12-14 नवंबर, 2010
		अगर, शाहाजापुर, जिला	27-29 नवंबर, 2010
		उबैदुल्लागंज, रायसेन जिला	9-11 दिसंबर, 2010
		सीहोरा, जबलपुर जिला	28-30 जनवरी, 2011

1	2	3	4
		बुरहानपुर	4-6 फरवरी, 2011
		उमरिया	19-21 फरवरी, 2011
		डिंडोरी	27 फरवरी से 1 मार्च, 2011
उत्तर प्रदेश	10	बिर्धा, ललितपुर	12-14 नवंबर, 2010
		चंदौली	26-28 नवंबर, 2010
		त्रिलोकपुर, बाराबंकी जिला	11-13 दिसंबर, 2010
		झांसी	7-9 जनवरी, 2011
		सोनभद्र	28-30 जनवरी, 2011
		रायबरेली	4-7 फरवरी, 2011
		फर्रूखाबाद	25-27 फरवरी, 2011
		बलिया	26-28 फरवरी, 2011
		फिरोजाबाद	1-3 मार्च, 2011
		जी.बी. नगर (नोएडा)	10-12 मार्च, 2011
बिहार	3	देहरी ऑन सोन, रोहतास	19-21 अगस्त, 2010
		आरा (भोजपुर)	19-21 जनवरी, 2011
		दरभंगा अथवा पटना जिला	26-28 फरवरी, 2011
झारखंड	4	रामगढ़	21-23 सितम्बर, 2010
		पलामू	17-19 जनवरी, 2011
		हजारीबाग	21-23 फरवरी, 2011
		जामताड़ा	13-15 मार्च, 2011
केरल	7	वेल्लारदा, जिला-तिरूवनंतपुरम	15-19 जून, 2010
		कुमली, जिला-इदुकी	20-22 नवंबर, 2010
		पोइलकाव, कोषिकोड जिला	22-24 दिसंबर, 2010
		वाइपीन आइलैंड, एर्नाकुलम जिला	9-11 जनवरी, 2011
		कुलशेखरपुरम, कोल्लम जिला	18-20 जनवरी, 2011

1	2	3	4
		वंडूर, मलप्पुरम जिला	19-21 जनवरी, 2011
		कोन्नि, पत्तनमतिट्टा जिला	14-16 फरवरी, 2011
तमिलनाडु	9	गुडल्लूर, जिला-नीलगिरीज	16-20 जून, 2010
		मनमदुरै, जिला-शिवगंगई	29-31 जुलाई, 2010
		परमक्कुडी, जिला रामनाड़	7-9 अगस्त, 2010
		जिला-तेनी	21-23 अगस्त, 2010
		पलनी, जिला-डिंडीगुल	2-4 सितंबर, 2010
		अरियलूर जिला	7-9 अक्टूबर, 2010
		तिरूपत्तुर, वेल्लोर जिला	15-17 दिसंबर, 2010
		कलपक्कम, कांचीपुरम जिला	2-4 फरवरी, 2011
		पुदुचेरी	मार्च, 2011

[अनुवाद]

प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता

187. **श्री पी.के. बिजू : क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या देश के युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को भारतीय खेल प्राधिकरण तथा राष्ट्रीय खेल परिसंघों के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के अधीन प्रशिक्षण के लिए कोई वित्तीय सहायता दी जाती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान उक्त खिलाड़ियों पर खर्च की गई राशि का योजना-वार और खेल-वार ब्यौरा क्या है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण की राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता स्कीम, प्रतिभा खोज और प्रशिक्षण स्कीम, राष्ट्रीय खेल विकास निधि स्कीम, राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता स्कीम, भाखेप्रा प्रशिक्षण केंद्र स्कीम, विशेष क्षेत्र खेल स्कीम, सेना बाल खेल कंपनी स्कीम और उत्कृष्टता केंद्र स्कीम जैसी सहायता स्कीमों के अंतर्गत खेलों में उत्कृष्टता के संवर्धन के उद्देश्य से युवा प्रतिभावान खिलाड़ियों को प्रशिक्षण के लिए वित्तीय समर्थन/सहायता प्रदान की जाती है।

(ख) एनएसएफ को सहायता स्कीम, टीएसएंडटी स्कीम, एनएसडीएफ और भाखेप्रा की स्कीम को सहायता स्कीम के लिए आबंटन के ब्यौरे नीचे की तालिका में दिए गए हैं :

करोड़ रु.

क्रम सं.	स्कीम का नाम	आबंटित राशि			
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 (बजट अनुमान)
1	भारतीय खेल प्राधिकरण	157.80	150.00	206.15	321.00
2	राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता योजना	53.37	39.50	50.53	150.00
3	प्रतिभा खोज और प्रशिक्षण योजना	4.00	1.50	1.50	10.00
4	राष्ट्रीय खेल विकास निधि	5.00	10.25	8.12	20.00

एनएसएफ को सहायता स्कीम से विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एनएसएफ को दिए गए अनुदानों के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। शीर्ष खिलाड़ियों को एनएसडीएफ से दी गई सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता

(करोड़ में)

क्रम सं.	परिसंघों के नाम	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 31.10.2010 तक
1	2	3	4	5	6
1	भारतीय एथलेटिक परिसंघ, नई दिल्ली	2.33	2.32	3.10	0.50
2	भारतीय तीरंदाजी संघ, नई दिल्ली	0.81	0.96	5.26	0.08
3	अखिल भारतीय शतरंज परिसंघ, चेन्नै	2.39	2.21	2.71	0.95
4	भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ, नई दिल्ली	7.17	4.21	6.65	0.67
5	अखिल भारतीय टेनिस संघ, नई दिल्ली	0.92	1.37	2.64	0.17
6	भारतीय जूडो परिसंघ, नई दिल्ली	0.92	0.62	0.92	0.34
7	भारतीय रोइंग परिसंघ सिकंदराबाद	0.65	0.55	1.35	0.65
8	भारतीय टेबल टेनिस परिसंघ, नई दिल्ली	3.32	1.79	3.88	0.67
9	भारतीय तैराकी परिसंघ, अहमदाबाद	0.84	0.15	1.53	0.01
10	भारतीय स्क्वैश रैकेट परिसंघ, चेन्नै	0.11	0.57	1.73	0.09
11	भारतीय एमेच्योर बाक्सिंग परिसंघ, नई दिल्ली	1.54	1.85	1.91	0.44
12	हाकी (पु.) एवं हाकी (महिला) से संबंधित संगठन	3.16	3.45	7.82	0.85
13	भारतीय भारोत्तोलन परिसंघ, नई दिल्ली	0.00	0.26	1.11	0.87
14	भारतीय बैडमिंटन संघ	1.99	2.66	4.58	0.33
15	भारतीय घुड़सवारी परिसंघ, नई दिल्ली	0.61	0.86	0.08	0.00
16	अखिल भारतीय फुटबाल परिसंघ, दिल्ली	0.68	0.52	0.42	2.44
17	भारतीय गोल्फ यूनियन, नई दिल्ली	0.56	0.18	0.20	0.06
18	भारतीय कुश्ती परिसंघ, आईजी स्टेडियम, दिल्ली	0.06	1.18	4.76	0.65
19	भारतीय याटिंग संघ, नई दिल्ली	1.17	0.36	2.33	0.63
20	भारतीय एमेच्योर कबड्डी परिसंघ, जयपुर	0.25	0.32	0.18	0.10

1	2	3	4	5	6
21	भारतीय वालीबाल परिसंघ, चेन्नै	1.04	0.63	1.04	1.05
22	भारतीय जिम्नास्टिक परिसंघ, जोधपुर	0.39	0.18	0.90	0.16
23	भारतीय एमेच्योर हैण्डबाल परिसंघ, जम्मू व कश्मीर	0.18	0.72	0.24	0.22
24	भारतीय बास्केबाल परिसंघ	0.71	0.44	0.62	0.13
25	भारतीय फेंसिंग संघ, पटियाला	0.06	0.24	0.50	1.28
26	भारतीय कयाकिंग व केनोंइंग संघ, नई दिल्ली	0.43	0.30	0.52	0.18
27	बधिरों हेतु अखिल भारतीय खेल परिषद, नई दिल्ली	0.17	0.42	0.48	0.39
28	पैराओलंपिक कमिटि, भारत	2.19	0.40	3.43	1.25
29	विशेष ओलंपिक भारत, नई दिल्ली	0.87	0.53	0.04	00
30	अखिल भारतीय कैरम परिसंघ, नई दिल्ली	0.15	0.19	0.16	0.13
31	अखिल भारतीय कराटे डू परिसंघ, चेन्नई	0.00	0.00	0.00	0.04
32	भारतीय एमेच्योर बेसवाल परिसंघ, नई दिल्ली	0.09	0.11	0.14	0.12
33	भारतीय आत्या-पात्या परिसंघ, नागपुर	0.08	0.16	0.08	0.09
34	भारतीय बाल बैडमिंटन परिसंघ	0.00	0.00	0.00	0.00
35	भारतीय साइकल पोलो परिसंघ, नई दिल्ली	0.14	0.15	0.12	0.03
36	भारतीय बाडी बिल्डिंग परिसंघ	0.00	0.00	0.00	0.00
37	भारतीय पोलो संघ, नई दिल्ली	0.02	0.06	0.00	0.00
38	भारतीय भारोत्तोलन परिसंघ, जमशेदपुर	0.11	0.16	0.12	0.00
39	भारतीय खो-खो परिसंघ, कोलकाता	0.00	0.00	0.04	0.11
40	भारतीय कोर्फबाल परिसंघ, नई दिल्ली	0.13	0.12	0.13	0.04
41	भारतीय नेटबाल परिसंघ, नई दिल्ली	0.14	0.18	0.65	0.00
42	भारतीय रोलर स्केटिंग परिसंघ, कोलकाता	0.00	0.00	0.00	0.00
43	भारतीय सेपक टाकरों परिसंघ, नागपुर	0.11	0.12	0.10	0.09
44	भारतीय शूटिंग बाल परिसंघ, नई दिल्ली	0.00	0.09	0.24	0.03
45	भारतीय साफ्टबाल परिसंघ, इंदौर	0.09	0.00	0.13	0.09
46	भारतीय ताइक्वांडो परिसंघ, बंगलौर	0.00	0.00	0.12	0.45
47	भारतीय टेनीक्वाइट परिसंघ, बंगलौर	0.09	0.16	0.09	0.13
48	भारतीय टेनिस बाल क्रिकेट परिसंघ, गोरखपुर	0.08	0.16	0.07	0.09
49	भारतीय रस्काकशी परिसंघ, नई दिल्ली	0.03	0.06	0.10	0.13

1	2	3	4	5	6
50	भारतीय वुशू संघ, नई दिल्ली	0.11	0.31	0.31	0.00
51	भारतीय थ्रो-बाल परिसंघ, बंगलौर	0.19	0.00	0.00	0.00
52	भारतीय बिलियडर्स एवं स्नूकर परिसंघ, कोलकाता	0.33	0.37	0.44	0.16
53	भारतीय रग्बी फुटबाल यूनियन, मुम्बई	0.00	0.00	2.02	0.11
54	भारतीय शीतकालीन खेल परिसंघ, नई दिल्ली	0.00	0.02	0.00	0.00
55	भारतीय महिला क्रिकेट परिसंघ, दिल्ली (इसे बीसीसीआई के साथ मिला दिया गया है)	0.01	0.00	0.00	0.00
56	भारतीय साइक्लिंग परिसंघ, दिल्ली	0.27	0.00	0.49	0.01
57	भारतीय मलखंभ परिसंघ	0.03	0.09	0.0016	0.00
58	भारतीय एमेच्योर साफ्ट टेनिस परिसंघ	0.00	0.06	0.11	0.13
59	भारतीय ब्रिज परिसंघ	0.00	0.03	0.00	0.00
60	आइस हॉकी (एनएसपीओ)	0.00	0.01	0.00	0.00
61	भारतीय स्कूल गेम्स परिसंघ, भोपाल	0.00	0.13	0.72	0.00
62	भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन, नई दिल्ली	2.44	2.38	2.59	7.57
63	भा.खे.प्रा., जे.एन. स्टेडियम, नई दिल्ली	17.00	71.00	209.72	34.05
64	भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एनएसपीओ)	-	-	1.58	0.00
65	भारतीय टेनपिन परिसंघ	-	-	-	0.42
66	भारतीय बालिंग परिसंघ	-	0.02	0.57	0.26

विवरण-II

राष्ट्रीय खेल विकास निधि से खिलाड़ियों के लिए वित्तीय सहायता

2007-08 से 2010-11

क्रम सं.	खिलाड़ी का नाम	खेल विधा	राशि (रु. में)			
			2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 (31.01.11 तक)
1	2	3	4	5	6	7
1	अनिल कुमार	एथलीट			640,977.00	
2	अनूप श्रीधरन	बैडमिंटन		516,195.00	73,808.00	
3	परिमारजन नेगी	शतरंज	1,391,176.00	1,093,237.00	1,685,418.00	505,208.00
4	तानिया सचदेव	शतरंज		463,599.00	673,869.00	
5	अभिनव बिंद्रा	शूटिंग	601,248.00	981,229.00	9,054,728.00	6,379,820.00
6	अंजलि भागवत	शूटिंग		1,004,572.00	90,177.00	
7	अनवर सुल्तान	शूटिंग	432,887.00	143,165.00		

1	2	3	4	5	6	7
8.	अवनीत कौर	शूटिंग		1,061,287.00	126,277.00	
9	गगन नारंग	शूटिंग		1,061,379.00	116,973.00	
10	ले.क. राज्यवर्धन राठौड़	शूटिंग	687,124.00			
11	मानवजीत सिंह संधु	शूटिंग	1,873,932.00	4,375,418.00	5,419,244.00	5,585,058.00
12	मन्शेर सिंह	शूटिंग	1,632,578.00	4,840,220.00	3,450,038.00	3,973,507.00
13	रंजन सोढ़ी	शूटिंग	1,432,028.00	4,336,584.00	4,720,986.00	5,605,336.00
14	संजीव राजपूत	शूटिंग		1,061,287.00	117,511.00	
15	सुश्री सूमा शिरूर	शूटिंग	586,124.00	290,027.00		
16	समरेश जंग	शूटिंग		1,606,969.00	64,801.00	
17	विक्रम भटनागर	शूटिंग	878,154.00	109,002.00		
18	जोरावर सिंह संधु	शूटिंग	394,890.00	600,928.00		
19	नरेश कुमार शर्मा	शूटिंग (पैरालिम्पिक)		2,312,904.00	1,636,489.00	
20	संदीप सेजवाल	तैराकी		344,045.00		
21	वीरधवल खाडे	तैराकी	320,590.00	1,030,656.00		
22	शिव केशवन केपी	लुगे (विंटर गेम्स)			1,624,008.00	
23	जयमंग नमगियाल	अल्पाइन स्कीइंग			869,322.00	
24	ताशी लुनडप	क्रास कंट्री स्कीइंग			756,805.00	
25	सोमदेव वर्मन	टेनिस				619,005.00
26	लेंडर पेस	टेनिस				2,208,675.00
27	भारतीय जूडो परिसंघ के जरिए दो खिलाड़ी	जूडो		445744.00	12690.00	
28	भारतीय रोइंग परिसंघ के जरिए तीन खिलाड़ी	रोइंग		1278081.00	75101.00	
29	भारतीय मुक्केबाजी परिसंघ के जरिए नौ खिलाड़ी	मुक्केबाजी		1164158.00		
30	भारतीय कुश्ती परिसंघ के जरिए ग्यारह खिलाड़ी	कुश्ती				291133.00
31	भारतीय टेनिस परिसंघ के जरिए तीन खिलाड़ी	टेनिस		1492400.00		
	कुल		10,230,731.0	32,113,086.0	31,209,220.0	25,167,742.0

खाद्य प्रसंस्करण सुविधाएं

188. **डॉ. कृपारानी किल्ली : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पर्याप्त प्रसंस्करण सुविधाओं के अभाव के कारण बड़ी मात्रा में कृषि खाद्य उत्पाद बर्बाद हो जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मात्रा तथा निवेश के संदर्भ में आवश्यक खाद्य प्रसंस्करण क्षमता/सुविधाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्तमान में देश में उपलब्ध प्रसंस्करण क्षमता/सुविधाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में अपेक्षित क्षमता को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) और (ख) केन्द्रीय फसलोत्तर अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान लुधियाना द्वारा कराए गए अध्ययन के अनुसार, वर्ष 2009 में फसलोत्तर हानियां 44 हजार करोड़ रुपए की आंकी गई थी।

(ग) मंत्रालय के विजन 2015 दस्तावेज के अनुसार, अनुमान लगाया गया है कि शीघ्र सड़ने-गलने वाले पदार्थों के प्रसंस्करण स्तर को 20% करने मूल्यवृद्धि 35% करने एवं विश्व व्यापार में हिस्से को 3% तक करने के लिए 2005 से 2015 तक 1,00,000 करोड़ रुपए का निवेश अपेक्षित होगा। राज्य-वार आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

(घ)मंत्रालय देश में इस प्रकार की क्षमताओं/सुविधाओं के बारे में आंकड़े नहीं रखता है। तथापि, 'भारतीय विनिर्माण उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना नीति बनाने में सहायता' के बारे में राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता परिषद की मार्च 2009 की रिपोर्ट के अनुसार, देश में 25152 पंजीकृत खाद्य प्रसंस्करण फैक्ट्रियां प्रचलन में थी।

(ङ) मंत्रालय देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षमताओं/सुविधाओं की स्थापना में उद्यमियों को सहायता देने के लिए अनेक योजना स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है।

दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन के पास लंबित मामले

189. **श्री राजय्या सिरिसिल्ला : क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन के पास कतिपय परियोजना/मुद्दे लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) लंबित पड़ी उक्त परियोजनाओं/मुद्दों को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) और (ख) दिल्ली नगर कला आयोग (डीयूए) ने सूचित किया है कि दिनांक 18.02.2011 की स्थिति के अनुसार उसने दिनांक 24.01.2011 तक प्राप्त पूर्ण प्रस्तावों पर विचार किया है। डीयूसी के यह भी सूचित किया है कि उसके पास 32 प्रस्ताव लंबित है जिन पर पहले आओ, पहले पाओ आधार पर विचार किया जाएगा।

(ग) प्रक्रियात्मक एवं दस्तावेज संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने की आवश्यकता को देखते हुए और प्रस्तावों पर विचार के दौरान आयोग द्वारा की गई टिप्पणियों, यदि कोई है, के अनुपालन में लंबित प्रस्तावों की मंजूरी हेतु कोई स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

खाद्यान्न भंडारण पद्धति

190. **श्री जोस के. मणि : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत देश में खाद्य भंडारण की क्षमता खाद्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस संबंध में उठाये गये उपचारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चीन के पास भारत की तुलना में भंडारण क्षमता लगभग पांच गुना ज्यादा है और वह बेहतर मैत्रीकृत संचालन, संरक्षण तकनीकों तथा तापमान नियंत्रण है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार चीन की तरह देश में खाद्य भंडारण प्रणाली का विकास करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) प्रस्तावित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी पहलू जिसमें इसका कवरेज, हकदारी, खाद्यान्नों की कुल आवश्यकता इत्यादि शामिल हैं सरकार के विचाराधीन हैं।

(ग) और (घ) चीन में खाद्यान्न के लिए भंडारण क्षमता के संबंध में किसी प्रकार की विशिष्ट सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, जून, 2010 में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के भारतीय प्रतिनिधि मंडल के चीन दौरे के दौरान मालूम की गई सूचना के अनुसार चीन के अनाज उत्पादन का लगभग 30% - 40% आरक्षित अनाज के रूप में साइलो और पारंपरिक फ्लैट भंडारण में भंडारित किया जाता है।

जहां तक भारत में खाद्यान्न भंडारण की मौजूदा प्रणाली का संबध है, स्टाकों को सुरक्षित भंडारण के लिए वैज्ञानिक पद्धतियों और परिरक्षण तकनीकियों का पालन करते हुए भंडारित किया जाता है।

(ङ) और (च) सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

स्वतंत्रता सेनानियों पर धारावाहिक

191. श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान दूरदर्शन पर जनजातीय तथा अन्य समुदायों के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन पर राज्य-वार और दूरदर्शन केन्द्र-वार कितने टी. वी. धारावाहिक बनाये गये और उनका प्रसारण किया गया;

(ख) क्या सरकार का विचार अन्य स्वतंत्रता सेनानियों की जीवनियों/जीवन पर नये धारावाहिक बनाने तथा प्रसारित करने/निर्माण करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ) : (क) स्वतंत्रता सेनानियों पर दूरदर्शन द्वारा निर्मित/प्रसारित कार्यक्रमों के संबंध में प्रसार भारती द्वारा प्रदान की गई केंद्रवार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि चालू वर्ष में दूरदर्शन द्वारा श्री रवीन्द्र नाथ टैगोर और स्वामी विवेकानन्द पर धारावाहिकों का निर्माण/प्रसारण करने का प्रस्ताव है। उसने यह भी सूचित किया है कि दूरदर्शन के सभी क्षेत्रीय केंद्रों को अपने-अपने क्षेत्र के जनजातीय समुदायों के स्वतंत्रता सेनानियों सहित विभिन्न स्वतंत्रता सेनानियों पर धारावाहिकों का निर्माण करने की संभावना का पता लगाने के लिए निर्देश दिए गए हैं।

विवरण

जनजातीय और अन्य समुदायों से संबंधित स्वतंत्रता सेनानियों का राज्य-वार/केंद्रवार विवरण

राज्य	चैनल/केंद्रों के नाम	शीर्षक
1	2	3
नेशनल	डीडी नेशनल	लाल बहादुर शास्त्री को "धरती का लाल भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री" नामक 5 कड़ियों को संस्कृति मंत्रालय द्वारा निधि उपलब्ध कराई गई।
नेशनल	डीडी उर्दू	निम्नलिखित स्वतंत्रता सैनानियों पर कार्यक्रमों का प्रसारण किया गया 1) अशफाकुल्ला खान 2) मौलाना अबुलकलाम आजाद 3) महात्मा गांधी 4) डॉ. जाकिर हुसैन 5) बहादुर शाह जफर मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय द्वारा कार्यक्रम बनाए गए और डीडी उर्दू द्वारा प्रसारित किए गए :

1	2	3
		1) 1857 की बगावत।
		2) मौलाना आजाद एक हमपहलू शख्सियत
		3) महात्मा गांधी और हिंदुस्तान की आजादी
इंटरनेशनल	डीडी इंडिया	1) भारत रत्न डा. जाकिर हुसैन
		2) सरोजिनी नायडू पर विशेष कार्यक्रम "भारत कोकिला"
		3) बंकिम चंद्र चटोपाध्याय पर विशेष कार्यक्रम
		4) अरुणा आसिफ अली
		5) शहीद चंद्रशेखर आजाद पर कार्यक्रम आजाद की याद
		6) स्व. प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री पर विशेष कार्यक्रम एक व्यक्ति एक देश
		7) "पंडित गोविंद वल्लभ भाई पंत" के जीवन और जीवनकाल के क्षण
		8) अशफाकुल्ला खान
		9) नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर विशेष कार्यक्रम "द सुपरीम लीडर"
		10) महात्मा द ग्रेट सोल
		11) शहीद भगत सिंह के जयंती के असवर पर कार्यक्रम "ए लाइफ सेकरेड बियांड वर्ड्स"
		12) युगदृष्टा गांधी जी
		13) पं. जवाहर लाल नेहरू की आत्मकथा "मिरर टू एन एज"
		14) महात्मा (महात्मा गांधी पर वृत्तचित्र)
		15) राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर श्रृंखला "बापू जी"
		16) आजादी की राह पर - सुभाष चंद्र बोस
		17) डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर पर कार्यक्रम - एक उतंग व्यक्तित्व
		18) श्री भगत सिंह की जयंती पर विशेष कार्यक्रम - लगेंगे हर बरस मेले
		19) शहीद भगत सिंह पर विशेष कार्यक्रम
असम	दूरदर्शन केंद्र, गुवाहाटी	असम के राभा जनजातीय समुदाय से संबंधित स्वर्गीय विष्णु प्रसाद राभा पर धारावाहिक 'फेरंगादाव'

1	2	3
बिहार	दूरदर्शन केंद्र, पटना	बाबू जगजीवन राम
दिल्ली	दूरदर्शन केंद्र, दिल्ली	क) स्वामी विवेकानंद
		ख) सुभाष चंद्र बोस
		ग) महात्मा गांधी
		घ) डॉ. बी.आर. अम्बेडकर
		ङ) पंडित नेहरू
		च) लाल बहादुर शास्त्री
		छ) रवींद्रनाथ टैगोर
		ज) शहीद भगत सिंह
		झ) बिपिन चंद्र पाल
		ञ) चंद्र शेखर आजाद
हरियाणा	दूरदर्शन केंद्र, हिसार	रणबीर हुडा
जम्मू एंड कश्मीर	दूरदर्शन केंद्र, श्रीनगर	क) स्व. बक्शी गुलाम मोहम्मद
		ख) स्व. शेख मोहम्मद अब्दुल्ला
		ग) स्व. गुलाम मोहम्मद सादिक
		घ) स्व. मौलाना मोहम्मद सैयद मसूदी
		ङ) स्व. मक्बूल शीरवानी
		च) स्व. सैयद मीर कासिम
		छ) स्व. पीर गल्यास-उद्-दीन
		ज) स्व. बेगम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला
		झ) स्व. जैनब बेगम
		ञ) सुश्री महमूदा अहमद अली शाह
		ट) डॉ. जगत मोहनी
		ठ) स्वतंत्रता सेनानी बाबा जट्टू पर धारावाहिक
	दूरदर्शन केंद्र, जम्मू	क) ब्रिगेडियर राजिंद्र सिंह
केरल	दूरदर्शन केंद्र, तिरुवनंतपुरम	क) डॉ. बी.आर. अंबेडकर
		ख) अय्यकली

1	2	3
		ग) सी.केसान
	दूरदर्शन केंद्र, त्रिस्सुर	क) वी.आर. कृष्णनझुटचन
मध्य प्रदेश	दूरदर्शन केंद्र, भोपाल	क) चंद्र शेखर आजाद
		ख) वीरांगना झल्कारी बाई
महाराष्ट्र	दूरदर्शन केंद्र, मुम्बई	क) एनी बेसेंट
		ख) मौलाना आजाद
		ग) गोपाल कृष्ण गोखले
		घ) बाल गंगाधर तिलक
		ङ) वीर सावरकर
		च) राजगुरु
		छ) डॉ. बी.आर. अम्बेडकर
उड़ीसा	दूरदर्शन केंद्र, भुवनेश्वर	क) बिरसा मुंडा
		ख) शहीद लमन नायक
		ग) वीर सुरेंद्र साई
		घ) उत्कल गौरव मधुसूदन दास
पंजाब	दूरदर्शन केंद्र, जालंधर	क) लाला लाजपत राय
		ख) शहीद उधम सिंह
		ग) शहीद भगत सिंह
		घ) शहीद सुखदेव
		ङ) नेताजी सुभाष चंद्र बोस
		च) सतुगुरु राम सिंह जी
		छ) दीवान सिंह कालेपानी
		ज) भगर सिंह बिल्गा
राजस्थान	दूरदर्शन केंद्र, जयपुर	क) मंगल पांडे
		ख) तांत्या टोपे
		ग) मोहन लाल सुखाड़िया
		घ) ठाकुर कुशल सिंह

1	2	3
		ङ) हरि देव जोशी
		च) भोगी लाल पांडे
		छ) सागर माल गोपा
		ज) शिव चरण माथुर
तमिलनाडु	दूरदर्शन केंद्र, चेन्नै	क) विदुतलै वेल्वियिल वीर तमिझार
		ख) सुब्बारमन
		ग) मुनुस्वामी
		घ) राममिर्तम अम्माल
		ङ) कैप्टन जानकी देवर
		च) कल्लुप्पट्टी सुब्रमण्य आयर
		छ) रवींद्रनाथ टैगोर
		ज) मयांडी भारती
		झ) विजयलक्ष्मी पंडित
		ञ) मूवान्नम
		ट) मोती लाल नेहरु
		ठ) विपिन चंद्र बालर
		ड) वीर सावरकर
		ढ) चितरंजन दास
		ण) ठक्कर बाबा
पश्चिम बंगाल	दूरदर्शन केंद्र, कोलकाता	क) बिरसा मुंडा
		ख) सिदु कानु

[अनुवाद]

खाद्यान्नों का परिवहन

192. **श्री भक्त चरण दास : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यान्नों की ढुलाई और वितरण किसी विशिष्ट नीति/दिशानिर्देशों से शासित होते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को सड़क तथा रेल मार्ग से ढुलाई के दौरान खाद्यान्नों के नुकसान की कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान रिपोर्ट किए गए इस प्रकार के मामलों की संख्या कितनी है तथा हुए घाटे का परिणाम और उसका मूल्य कितना है; और

(ङ) भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं में कमी लाए जाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) खाद्यान्नों की ढुलाई उपभोक्ता क्षेत्रों की आवश्यकता, रिक्त भंडारण क्षमता और खरीद क्षेत्रों में स्थान खाली करने की जरूरत आदि के आधार पर किया जाता है। सामान्यत: स्टाक को प्रथम आदम प्रथम निर्गम के सिद्धांत पर भेजा जाता है। सामान्यत: खाद्यान्नों की ढुलाई रेल द्वारा की जाती है, केवल उन स्थानों में जहां सड़क द्वारा ढुलाई सस्ती होती है अथवा वैगनों या भंडारण स्थान की उपलब्धता में रुकावट होती है, सड़क द्वारा ढुलाई की जाती है।

भारतीय खाद्य निगम नामित डिपुओं तक खाद्यान्नों की ढुलाई के लिए जिम्मेदार है। इन नामित डिपुओं से खाद्यान्नों का उठान करने और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अंदर आबंटित खाद्यान्नों का वितरण करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की होती है।

(ग) और (घ) जी, हां। सड़क और रेल के जरिए एक राज्य से दूसरे राज्य तक ढुलाई के दौरान खाद्यान्नों को क्षति होने की रिपोर्टें मिली हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे सूचित मामलों की संख्या और एक राज्य से दूसरे राज्य को ढुलाई के दौरान क्षतिग्रस्त हुए खाद्यान्नों की मात्रा और कीमत के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

वर्ष	मात्रा (टन में)	अंतर्ग्रस्त कीमत (लाख रुपए में)
2010-11 (जुलाई, 2010 तक)	145.5	9.05
2009-10	328	19.22
2008-09	552	33.94

(ङ) भविष्य में ऐसी त्रुटियों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए पग उठाए गए हैं। फील्ड कार्यकर्ताओं को हानियों को अनुमेय सीमा से नीचे लाने के लिए प्रयास करने हेतु समय-समय पर परामर्श दिया गया है।

[हिन्दी]

सब्जियों का उत्पादन

193. **डॉ. चरण दास महन्त :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सब्जियों की बढ़ती मांग को देखते हुए इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई व्यापक योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक राज्य में सब्जियों की खेती के अंतर्गत कृषि योग्य क्षेत्र का मद-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कुछ राज्यों में कृषि योग्य क्षेत्र में कमी दर्ज की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव) : (क) और (ख) जी, हां। कृषि एवं सहकारिता विभाग दो केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों यथा - (I) पूर्वोत्तर और हिमालयीय राज्यों के लिए बागवानी मिशन (एचएमएनईएच) और (II) क्षेत्र आधारित क्षेत्रीय रूप से भिन्न समूह दृष्टिकोण को अपनाते हुए सब्जियों सहित बागवानी फसलों के समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन का कार्यान्वयन कर रहा है। इन मिशनों के अंतर्गत सब्जी बीजों के उत्पादन, समेकित कीट एवं पोषक तत्व प्रबंधन, जैविक कृषि, प्रदर्शन के माध्यम से प्रौद्योगिकी प्रसारण, मानव संसाधन विकास, यंत्रीकरण प्राथमिक/चल संसाधन इकाइयां, कटाई पश्चात प्रबंधन एवं विपणन की अवसंरचना विकास के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध है। एचएमएनईएच के अंतर्गत सब्जी फसलों की खेती के लिए भी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

(ग) से (ङ) प्रत्येक राज्य में सब्जियों के अंतर्गत कृषि योग्य क्षेत्र का मदवार ब्यौरे दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(क्षेत्र '000 है. में)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	बैंगन				बंदगोभी				फूलगोभी				भिण्डी				मटर			
	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2007-08	2003-09	2009-10	2010-11	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
अंडमान निकोबार	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
आंध्र प्रदेश	26.6	26.6	24.3	25.0	9.0	9.0	9.1	9.5	0.0	0.0	3.6	3.7	29.3	29.3	33.5	34.8	0.1	0.1	0.6	0.6
अरुणाचल प्रदेश	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
असम	0.0	15.5	15.9	16.2	0.0	29.2	29.8	30.4	0.0	19.8	20.5	20.9	0.0	10.3	10.9	11.1	0.0	19.4	21.2	21.6
बिहार	54.6	55.1	55.3	55.5	37.4	38.3	38.7	39.0	60.7	61.0	62.2	62.5	57.2	58.2	59.3	58.5	9.0	9.1	9.3	9.5
चंडीगढ़	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
छत्तीसगढ़	22.3	24 2	25.2	25.2	11.3	13.6	13.7	13.8	16.6	16.1	16.1	16.2	23.0	23.5	23.9	24.0	9.9	10.3	10.6	10.8
दादरा और नगर हवेली	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
दमन और दीव	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	व.व	0.0	0.0
दिल्ली	1.6	1.6	1.6	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	6.2	6.2	6.2	2.0	2.2	2.2	2.2	0.5	0.4	0.4	0.4
गोवा	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
गुजरात	55.8	62.6	65.8	61.0	23.0	23.0	25.6	23.0	17.4	18.5	19.8	18.5	41.5	44.9	49.5	46.8	0.0	0.0	0.0	0.0
हरियाणा	13.5	13.3	13.0	13.0	11.3	11.2	12.2	12.2	24.2	25.9	25.7	25.7	14.9	15.4	15.9	15.9	10.0	10.6	10.6	10.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
हिमाचल प्रदेश	0.8	0.9	1.1	1.1	3.9	4.5	4.6	4.6	2.3	2.8	2.9	2.9	1.8	2.2	2.4	2.4	17.4	18.9	21.7	21.7
जम्मू व कश्मीर	1.0	2.3	2.5	2.5	1.1	3.6	2.9	2.9	1.6	3.8	3.8	3.8	2.1	2.1	2.1	2.1	2.3	4.4	7.6	7.6
झारखंड	19.0	22.7	0.0	0.0	11.4	15.4	26.8	26.8	20.7	27.3	20.6	20.6	24.5	29.8	29.0	29.0	0.0	12.1	20.5	20.5
कर्नाटक	14.9	15.3	15.7	16.1	8.2	8.6	8.9	9.3	4.1	4.3	5.0	5.2	7.7	6.1	8.6	9.0	1.5	1.6	1.6	1.7
केरल	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
लक्षद्वीप	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
मध्य प्रदेश	14.9	21.4	20.5	20.5	6.5	7.1	7.9	7.9	10.9	11.9	10.7	10.7	9.2	10.1	8.8	8.8	21.5	23.7	20.0	20.0
महाराष्ट्र	29.4	28.9	30.0	30.0	15.1	15.0	17.0	17.0	13.1	13.0	0.0	0.0	26.3	25.0	27.0	27.0	6.0	6.0	7.0	7.0
मणिपुर	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	4.0	4.0	4.0	16	1.9	1.9	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	3.5	3.5	3.5
मेघालय	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
मिजोरम	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	3.0	2.4	2.5	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.2	0.0	0.0	व.व	0.0
नागालैंड	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
उड़ीसा	129.0	130.0	132.4	134.5	33.8	34.8	35.8	38.3	452	46.1	46.5	47.1	71.3	73.3	73.9	74.2	4.9	5.3	5.1	5.2
पांडिचेरी	0.3	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
पंजाब	3.0	3.1	3.2	3.2	4.0	4.1	4.3	4.4	6.4	7.9	8.1	8.6	2.3	2.5	2.6	2.6	18.5	18.5	19.1	19.7
राजस्थान	5.7	5.9	5.6	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	3.5	5.1	6.3	15.8	13.0	12.5	15.6
सिक्किम	0.3	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
तमिलनाडु	6.8	7.2	11.9	12.4	2.5	2.7	1.3	1.4	0.7	0.8	0.7	0.7	3.9	4.2	7.1	7.4	0.0	0.0	0.0	0.0
त्रिपुरा	2.8	2.9	2.9	2.9	2.1	1.9	1.9	1.9	1.9	1.7	1.7	1.7	1.5	1.1	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
उत्तर प्रदेश	3.1	2.9	3.0	3.0	2.2	1.8	1.3	1.3	7.7	8.3	8.8	9.0	9.2	10.1	11.6	11.8	158.1	159.4	159.0	162.1
उत्तराखंड	1.7	1.8	2.1	2.1	4.9	5.1	5.5	5.5	2.5	2.5	2.6	2.8	2.8	2.6	3.0	3.0	11.1	10.8	10.6	10.8
पश्चिम बंगाल	153.9	155.3	156.8	158.4	73.2	74.1	74.3	75.3	66.9	6388	6982	70.0	71.5	72.6	73.1	74.0	20.9	21.1	21.1	21.4
कुल	561.4	600.3	589.5	592.1	266.2	310.2	328.2	331.2	312.4	348.9	336.7	338.7	406.9	431.6	451.5	453.9	312.5	348.1	362.1	370.4

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	टमाटर				प्याज				आलू				शकरकन्द			
	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2007-09	2008-09	2009-10	2010-11	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
अंडमान निकोबार	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0
आंध्र प्रदेश	74.1	74.1	87.0	91.0	35.6	39.0	41.1	43.1	6.6	6.6	6.9	0.0	0.7	0.7	1.3	1.4
अरुणाचल प्रदेश	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.0	0.0	86.8	0.0	0.0	0.0	0.0
असम	0.0	15.6	16.3	15.6	0.0	7.1	7.0	8.0	79.3	79.7	86.6	316.0	8.3	6.7	8.9	9.1
बिहार	46.2	46.4	46.5	47.0	51.3	51.6	52.7	54.0	315.5	310.3	313.6	0.0	0.3	0.3	0.3	0.4
चंडीगढ़	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.6	0.0	0.0	0.0	0.0
छत्तीसगढ़	37.7	39.2	41.3	41.9	8.8	8.8	9.1	10.1	31.0	32.1	32.6	0.0	3.7	3.8	3.6	3.8
दादरा और नगर हवेली	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	[illegible]	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
दमन और दीव	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	00	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0
दिल्ली	1.7	1.7	1.7	1.7	1.3	1.2	1 2	1.2	1.4	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
गोवा	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	59.0	0.0	0.0	0.0	0.0
गुजरात	30.8	30.5	33.8	32.0	84.3	57.6	43.4	72.1	65.2	57.0	60.1	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
हरियाणा	19.2	22.0	22.6	22.6	17.7	18.8	18.4	18.4	19.8	23.2	23.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
हिमाचल प्रदेश	9.4	9.6	10.1	10.1	1.6	1.9	2.0	2.0	14.0	16.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
जम्मू व कश्मीर	1.7	3.5	8.3	8.3	1.8	3.0	2.6	2.6	5.6	6.5	2.0	45.8	0.0	0.0	0.0	0.0
झारखंड	17.5	21.8	21.5	21.8	12.1	15.1	11.4	11.4	40.0	38.2	36.2	83.8	0.0	0.0	0.0	0.0
कर्नाटक	50.9	53.4	48.3	50.8	157.3	165.1	141.3	140.2	67.8	71.6	81.1	0.4	2.8	2.8	2.4	2.5
केरल	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.7	0.5	0.5	0.5
लक्षद्वीप	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0
मध्य प्रदेश	22.7	30.0	24.3	24.3	39.0	53.0	55.0	55.0	500	66.2	60.8	22.0	4.2	4.6	4.5	4.5
महाराष्ट्र	32.2	33.0	50.0	54.0	254.5	250.0	200.0	270.0	19.1	18.0	38.9	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0
मणिपुर	1.6	1.8	1.8	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.7	1.7	20.3	0.0	0.0	0.0	0.0
मेघालय	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.8	20.3	20.3	1.7	5.4	5.5	5.5	5.5
मिजोरम	0.0	0.6	0.6	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	2.9	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0
नागालैंड	0.7	0.7	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5	1.5	14.1	0.1	0.1	0.1	0.1
उड़ीसा	100.7	101.1	102.9	104.6	28.8	31.5	32.1	33.1	12.9	13.3	13.1	0.0	472	49.2	50.5	50.8
पांडिचेरी	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	63.5	0.0	0.0	0.0	0.0
पंजाब	8.4	6.1	6.2	6.3	8.0	8.1	8.1	8.2	79.0	81.1	83.1	12.6	0.0	0.0	0.0	0.0
राजस्थान	16.6	12.6	13.5	18.0	42.7	41.0	46.0	48.5	11.3	9.1	8.5	10.2	2.1	1.5	1.2	2.1
सिक्किम	0.9	1.1	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	7.8	6.1	9.8	4.7	0.3	0.0	0.0	0.0
तमिलनाडु	24.3	26.5	26.1	27.2	32.1	35.0	34.3	35.7	5.6	6.1	4.5	0.0	1.2	13	0.8	0.8
त्रिपुरा	1.3	1.3	1.3	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	0.0	551.6	क.0	0.0	0.0	0.0
उत्तर प्रदेश	7.7	5.8	6.4	6.5	21.6	22.3	24.3	24.8	504.9	527.3	540.8	24.4	22.3	22.7	16.8	17.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
उत्तराखंड	8.5	7.6	7.9	7.9	3.4	3.8	3.8	3.8	23.7	25.1	24.3	380.0	0.0	0.0	0.0	0.0
पश्चिम बंगाल	51.1	52.3	53.5	54.1	1ठ.7	20.0	21.0	21.3	400.8	400.6	370.0	0.0	23.3	22.5	22.5	22.9
कुल	566.3	599.1	633.5	651.6	821.0	834.2	755.0	863.5	1795.0	1828.3	1824.7	1894.0	122.6	124.3	118.9	121.3

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	टैपिकोका				अन्य				कुल			
	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
अंडमान निकोबार	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.0	5.2	5.2	4.0	4.0	5.2	5.2
आंध्र प्रदेश	17.9	17.9	16.5	16.7	99.0	121.3	109.7	112.6	298.9	324.6	333.4	345.5
अरुणाचल प्रदेश	0.0	0.0	0.0	0.0	19.8	19.8	0.2	0.2	23.8	23.8	0.2	0.2
असम	2.8	2	3.6	3.7	238.6	31.8	34.7	35.4	328.9	240.1	255.2	259.6
बिहार	0.0	0.0	0.0	0.0	191.6	196.5	198.9	200.8	823.8	826.9	835.8	843.2
चंडीगढ़	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
छत्तीसगढ़	0.0	0.0	0.0	0.0	128.3	131.0	139.5	143.5	292.6	302.6	315.4	323.9
दादर और नगर हवेली	0.0	0.0	00	0.0	0.2	02	0.2	0.2	1.0	1.0	1.0	1.0
दमन और दीव	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.2
दिल्ली	0.0	0.0	0.0	0.0	28.3	21.3	21.3	21.3	42.7	36.1	36.1	36.1
गोवा	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5	5.7	5.7	5.7	8.5	5.7	5.7	5.7
गुजरात	0.0	0.0	0.0	0.0	93.7	100.8	106.8	103.9	411.7	394.8	406.8	387.2
हरियाणा	0.0	0.0	0.0	0.0	143.9	158.1	159.4	159.4	274.5	298.4	300.9	300.9
हिमाचल प्रदेश	0.0	0.0	0.0	0.0	12.6	17.9	19.1	19.1	63.8	74.7	63.8	63.8
जम्मू व कश्मीर	0.0	0.0	0.0	0.0	41.4	31.2	32.3	32.3	58.6	60.7	64.3	64.3
झारखंड	0.0	0.0	0.0	0.0	93.6	59.8	43 1	43.1	238.8	242.1	211.4	211.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कर्नाटक	1.0	1.0	1.0	1.1	111.3	116.1	1273	133.0	427.4	448.0	441.2	454.2
केरल	90.3	8.9	74.9	74.9	75.9	75.9	75.9	75.9	166.9	163.6	151.6	151.7
लक्षद्वीप	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
मध्य प्रदेश	0.0	0.0	0.0	0.0	30.6	63.5	35.9	71.1	209.4	291.7	248.4	283.6
महाराष्ट्र	0.0	0.0	0.0	0.0	59.6	59.4	102.0	102.0	455.3	448.3	471.9	525.9
मणिपुर	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	3.7	3.7	3.7	12.1	16.6	16.6	16.6
मेघालय	4.3	4.9	4.9	4.9	14.0	13.7	13.7	13.7	42.5	44.3	44.3	44.3
मिजोरम	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	7.6	4.7	5.0	3.0	14.4	10.6	11.0
नागालैंड	1.0	1.0	1.0	1.0	6.5	6.5	6.5	6.5	10.4	10.4	10.4	10.4
उड़ीसा	0.0	0.0	0.0	0.0	186.8	187.9	201.9	204.8	660.8	672.5	694.2	706.7
पांडिचेरी	0.1	0.6	0.6	0.6	1.2	3.2	3.2	3.2	2.7	4.5	4.5	4.5
पंजाब	0.0	0.0	0.0	0.0	42.0	46.9	48.6	51.7	171.6	178.4	183.3	188.2
राजस्थान	0.0	00	0.0	0.0	44.8	39.0	40.5	46.5	143.1	125.6	132.9	156.6
सिक्किम	0.3	0.0	0.0	0.0	3.4	12.1	13.7	14.4	20.1	21.5	23.5	24.6
तमिलनाडु	151.5	165.1	129.4	134.6	34.3	37.3	46.5	48.3	262.7	286.3	262.7	273.2
त्रिपुरा	0.0	0.0	0.0	0.0	18.2	16.7	17.4	17.4	33.7	25.6	26.7	26.7
उत्तर प्रदेश	0.0	0.0	0.0	0.0	224.0	227.2	248.3	249.4	960.8	987.8	1020.1	1036.6
उत्तराखंड	0.0	0.0	0.0	0.0	21.9	22.6	22.8	22.8	80.5	81.8	82.8	82.9
पश्चिम बंगाल	0.0	0.0	0.0	0.0	432.8	436.2	441.3	445.9	1313.1	1323.6	1302.7	1323.3
कुल	269.7	280.2	231.9	237.4	2414.4	2275.4	2332.3	2398.4	7848.3	7980.7	7964.2	8169.6

स्रोत : राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, डाटाबे (2007-08-2008-09) कृषि एवं सहकारिता विभाग (2009-10)

खाद्यान्न संकट

194. **श्री जगदीश ठाकोर :**

श्री पी. बलराम :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में खाद्यान्न और आवश्यक वस्तुओं की कमी के संकट का सामना करना पड़ रहा है जिससे हाल में कीमतों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या 2025 तक खाद्य सुरक्षा की स्थिति के संबंध में आंशकाएं व्यक्त की गयी हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्यान्नों की अनुमानित मांग और उपलब्धता कितनी है;

(ङ) देश में विशेषकर गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के भविष्य की खाद्यान्न की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बनाए गए विजन/कार्य योजना का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों को खाद्यान्न का बफर स्टॉक बनाए रखने के लिए निदेश जारी किए हैं ताकि खाद्यान्न संकट का समाधान किया जा सके और कीमतों को भविष्य में नियंत्रित रखा जा सके; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) से (ग) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान गेहूं और चावल का उत्पादन निम्नानुसार है :-

(आंकड़े लाख टन में)

	फसल वर्ष 2007-08	फसल वर्ष 2008-09	फसल वर्ष 2009-10
गेहूं	785.70	806.80	808.00
चावल	966.90	991.80	890.90

2007 और 2008 से गेहूं और चावल के उठान में लगातार वृद्धि हुई है और वर्षवार ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

(आंकड़े लाख टन में)

	फसल वर्ष 2007-08	फसल वर्ष 2008-09	फसल वर्ष 2009-10
	रबी विपणन मौसम 2008-09	रबी विपणन मौसम 2009-10	रबी विपणन मौसम 2010-2011
गेहूं	226.89	253.82	225.14
	फसल वर्ष 2007-08	फसल वर्ष 2008-09	फसल वर्ष 2009-10
	खरीफ विपणन मौसम 2007-08	खरीफ विपणन मौसम 2008-09	खरीफ विपणन मौसम 2009-2010
चावल	287.36	341.04	320.34

दिल्ली में गेहूं और चावल के थोक मूल्य के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

गेहूं (दड़ा)

(रुपये प्रति क्विंटल)

आज की तारीख	1 माह पहले	1 माह पहले	3 माह पहले	6 माह पहले	1 वर्ष पहले
11.02.11	04.02.11	11.01.11	11.11.10	11.08.10	11.02.10
1335	1340	1335	1240	1235	1430

चावल (परमल)

(रुपये प्रति क्विंटल)

आज की तारीख	1 सप्ताह पहले	1 माह पहले	3 माह पहले	6 माह पहले	1 वर्ष पहले
11.02.11	04.02.11	11.01.11	11.11.10	11.08.10	11.02.10
1925	1925	1975	1875	1875	1975

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों का पर्याप्त स्टाक है। सरकार खुले बाजार में मूल्यों में नियंत्रण में रखने के लिए खुला बाजार बिक्री योजना के अधीन राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर अतिरिक्त स्टाक भी रिलीज करती है।

(घ) और (ङ) विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए खाद्यान्नों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार का उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अधिनियमित करने का है जिसके अधीन प्रत्येक पात्र और पहचान किया गया परिवार राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर खाद्यान्नों की एक निश्चित मात्रा प्राप्त करने का हकदार होगा।

(च) और (छ) किसी भी समय पर्याप्त खाद्यान्न सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक तिमाही हेतु गेहूं और चावल के लिए बफर स्टाक और रणनीतिक रिजर्व बनाए रखने के लिए मानदंड विहित किए गए हैं। 1.1.2011 की स्थिति के अनुसार स्टाक स्थिति निम्नानुसार है :-

	रणनीतिक रिजर्व सहित बफर मानदंड	1.1.2011 को स्टाक की वास्तविक स्थिति
गेहूं	112	215.40
चावल	138	255.80

[अनुवाद]

सड़कों के किनारे बिकने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता

195. **श्री रामसिंह राठवा : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सड़कों के किनारे बिकने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में सुधार के लिए कोई केन्द्रीय योजना कार्यान्वित कर रही है या राज्यों को कोई अनुदेश जारी किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने 11वीं योजना के दौरान कार्यान्वयन हेतु 'स्ट्रीट फूड गुणवत्ता उन्नयन' के संबंध में स्कीम का प्रस्ताव किया था। इस स्कीम को अनुमोदन नहीं दिया गया है। तथापि 11 शहरों अर्थात् रांची, नागपुर, कोची, लुधियाना, जयपुर, आगरा, गुवाहाटी, अगरतला, शिलांग, पणजी और सूरत में "सुरक्षित खाद्य नगर" घटक और तिरूपति, हैदराबाद, अमृतसर, वाराणसी, उदयपुर और गुवाहाटी 6 शहरों में "फूड स्ट्रीट" घटक के लिए राज्य सरकारों के स्थानीय निकायों के माध्यम से वर्ष 2008-09 से प्रारंभिक तैयारी का कार्य शुरू किया गया था।

चीनी का मूल्य

196. **श्री जी.एम. सिद्देश्वर : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भंडारण/स्टॉक की सीमा तय करने, शुल्क रहित आयात की अनुमति देने तथा अन्य उपचारात्मक उपायों के बावजूद चीनी की कीमतों में निरंतर वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा वर्तमान वर्ष के दौरान चीनी के उत्पादन, उपभोग उपलब्धता तथा मांग का ब्यौरा क्या है; और

(घ) चीनी की कीमतों को नियंत्रित करने और गन्ने तथा चीनी के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पिछले तीन चीनी मौसमों और वर्तमान चीनी मौसम के दौरान चीनी का मौसम-वार उत्पादन, खपत और उपलब्धता दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है।

(घ) केन्द्रीय सरकार ने चीनी के घरेलू स्टॉक में वृद्धि करने और चीनी के मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए कुछ उपाय किए हैं जैसाकि संलग्न विवरण-II में दिया गया है। सरकार ने देश में गन्ने और चीनी के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए भी कई उपाय किए हैं जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

पिछले तीन चीनी मौसमों और वर्तमान चीनी मौसम के दौरान चीनी का उत्पादन, खपत और उपलब्धता दर्शाने वाला विवरण

(लाख टन)

विवरण	2007-08	2008-09	2009-10 (अ.)	2010-11 (अनुमानित)
आरंभिक स्टॉक	105	100	30	49
चीनी का उत्पादन	263	147	188	245
चीनी का आयात	0	23*	40**	0
उपलब्धता	368	270	258	294
आंतरिक मांग को पूरा करने के लिए घरेलू खपत के लिए निर्मुक्तियां	215	231	212***	220-225

(अ.) = अनंतिम।

* इसमें लगभग 22 लाख टन आयातित कच्ची चीनी के बराबर व्हाइट/रिफाइंड चीनी शामिल है।

** इसमें लगभग 34 लाख टन आयातित कच्ची चीनी के बराबर व्हाइट/रिफाइंड चीनी शामिल है।

*** इसमें बड़े उपभोक्ताओं द्वारा अनुमानित रूप से आयात की गई 3.2 लाख टन चीनी शामिल है।

विवरण-II

2008-09 और 2009-10 चीनी मौसमों में चीनी की उपलब्धता बढ़ाने और उसके मूल्यों को संतुलित करने के लिए किए गए उपाय

1 17.02.2009 को चीनी मिलों को अग्रिम प्राधिकार स्कीम के तहत टन-टू-टन आधार पर 30.9.2009 तक कच्ची चीनी का शुल्कमुक्त आयात करने की अनुमति दी गई।

2 चीनी मिलों को 17.4.2009 को खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन कच्ची चीनी का शुल्कमुक्त आयात करने की अनुमति दी गई। यह सुविधा बाद में जॉब आधार पर निजी व्यापार को दी गई। वर्तमान में यह सुविधा 31.3.2011 तक लागू है।

3 17.4.2010 को आरंभ में राज्य व्यापार निगम/खनिज और धातु व्यापार निगम/पी ई सी और नैफेड को 1 मिलियन टन तक व्हाइट/रिफाइंड चीनी का शुल्कमुक्त आयात करने की अनुमति दी गई। बाद में, बिना किसी मात्रात्मक सीमा के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति केन्द्रीय/राज्य सरकार की अन्य एजेंसियों और निजी व्यापार को भी दे दी गई। वर्तमान में यह सुविधा 31.3.2011 तक लागू है।

4 समस्त आयातित कच्ची चीनी और व्हाइट/रिफाइंड चीनी के संबंध में लेवी देयता समाप्त कर दी गई है। व्हाइट/रिफाइंड चीनी को आयात करने वाले संगठनों के विवेक पर बेचने की भी अनुमति दी गई है और आयातित कच्ची चीनी से तैयार प्रसंस्कृत चीनी त्वरित रिलीज के अध्यधीन है।

5 दिनांक 13.03.2009 की अधिसूचना द्वारा चीनी के व्यापारियों पर स्टॉक रखने और कारोबार की सीमाएं लागू कर दी गईं। इसके अतिरिक्त, खंडसारी चीनी को भी स्टॉक रखने और

कारोबार की सीमाओं के अंतर्गत ला दिया गया है। वर्तमान में ये सीमाएं 31.3.2011 तक लागू हैं।

6 दिनांक 22 अगस्त, 2009 की अधिसूचना द्वारा चीनी के बड़े उपभोक्ताओं पर स्टॉक रखने की सीमाएं लागू कर दी गई हैं। वर्तमान में ये सीमाएं 13.08.2011 तक लागू हैं।

7 वायदा बाजार आयोग ने 30.09.2010 तक चीनी में फ्यूचर्स व्यापार आस्थगित कर दिया है। तथापि, 27.12.2010 से फ्यूचर व्यापार पुन: आरंभ हो गया है।

8 चीनी के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कवर होने वाले परिवारों के लिए चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए चीनी मौसम 2009-10 के लिए चीनी फैक्ट्रियों पर लेवी देयता पूर्व की 10% से बढ़ाकर 20% कर दी गई थी। तथापि, चीनी मौसम 2010-11 के लिए लेवी देयता पुन: 10% कर दी गई है।

विवरण-III

चीनी और गन्ना उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय :

(क) अब केन्द्रीय सरकार ने 2010-11 चीनी मौसम के लिए चीनी मिलों द्वारा देय गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 9.5% की रिकवरी दर पर 139.12 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है जिसमें 9.5% से अधिक रिकवरी में प्रत्येक 0.1 प्रतिशत प्वाइंट की वृद्धि के लिए 1.46 रुपये की वृद्धि करने की व्यवस्था है।

(ख) गन्ना आधारित फसल पद्धति का सतत् विकास (सुबाक्स) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम नामत: कृषि स्कीम का संशोधन मैक्रो प्रबंधन (आरएमएमए) का एक अवयव है। गन्ना आधारित फसल पद्धति का सतत् विकास (सुबाक्स) का मुख्य जोर खेत पर प्रदर्शनों के जरिये किसानों को उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण करने, किसानों के प्रशिक्षण, कृषि उपकरणों की आपूर्ति, रोपण सामग्रियों के उत्पादन में वृद्धि, जल के कुशल उपयोग, रोपण सामग्रियों के उपचार आदि पर है।

(ग) केन्द्रीय सरकार चीनी फैक्ट्रियों को संयंत्र व मशीनरी के आधुनिकीकरण, पेराई क्षमता के विस्तार, विद्युत के सह-उत्पादन के लिए खोई और इथनॉल के उत्पादन के लिए शीरे जैसे सह-उत्पादों के उपयोग, प्रौद्योगिकी के उन्नयन और बेहतर सिंचाई सुविधाओं, बीज की उन्नत किस्मों, पेडी प्रबंधन आदि सहित गन्ना विकास के लिए चीनी विकास निधि से 4% वार्षिक ब्याज की रियायती दर पर ऋण मुहैया करती है।

(घ) पिछले वित्तीय वर्ष में गन्ना विकास के लिए एक अल्पकालिक स्कीम की घोषणा की गई थी जिसके तहत चीनी फैक्ट्रियों को बीजों, उर्वरकों और कीटनाशकों आदि की खरीद के लिए उनकी पेराई क्षमता के अनुसार चीनी विकास निधि से 4% साधारण ब्याज पर 1.0 से 2.5 करोड़ रुपये के ऋण उपलब्ध कराए गए जो ब्याज की इसी दर पर किसानों को अंतरित किए जाने थे।

(ङ) पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान एक अल्पकालिक स्कीम की भी घोषणा की गई थी जिसके तहत चीनी फैक्ट्रियों को पेरे गए गन्ने के रस से चीनी के संसाधन के साथ-साथ कच्ची चीनी का संसाधन करने के लिए बैलेंसिंग उपकरण स्थापित करने के लिए चीनी विकास निधि से 4% साधारण ब्याज पर 1.0 से 2.5 करोड़ रुपये के ऋण उपलब्ध कराए गए।

[हिन्दी]

खाद्य सुरक्षा पर व्यय

197. **श्री के.सी. सिंह 'बाबा' : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रस्तावित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के कार्यान्वयन पर होने वाले संभावित व्यय के संबंध में कोई आंकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या सरकार ने तेंदुलकर समिति द्वारा उपलब्ध कराए गए गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के आंकड़ों के अनुसार उक्त योजनाओं को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) से (घ) सरकार का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाने का प्रस्ताव है जिसे तहत सांविधिक आधार पर एक ढांचा उपलब्ध होगा जो गरीबी रेखा से

नीचे के प्रत्येक परिवार को राजसहायता दरों पर खाद्यान्नों की एक निश्चित मात्रा पाने के लिए खाद्य सुरक्षा के बारे में आश्वस्त करता है। प्रस्तावित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी पहलुओं जिसमें इसका कवरेज, हकदारी आदि शामिल है, पर सरकार विचार कर रही है।

[अनुवाद]

सांस्कृतिक विरासत का संवर्धन

198. **श्री हमदुल्लाह सईद : क्या संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में शास्त्रीय संगीत शिक्षा की स्थिति की समीक्षा के लिए किसी विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत के सांस्कृतिक क्रियाकलाप तथा शास्त्रीय विरासत के समर्थन और संवर्धन में कारपोरेट क्षेत्र को शामिल किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या निबंधन और शर्तें तैयार की गई हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय संस्कृति निधि (एनसीएफ) का उद्देश्य भारत की मूर्त और अमूर्त, दोनों तरह की सांस्कृतिक विरासत के संवर्धन, संरक्षण और परिरक्षण के विशेष कार्य में निगमित क्षेत्र, गैर सरकारी एजैंसियों, राज्य सरकारों, निजी/सार्वजनिक क्षेत्र और व्यक्तियों की भागीदारी आमंत्रित करना है।

राष्ट्रीय संस्कृति निधि के मुख्य मार्गदर्शी सिद्धांत इस प्रकार हैं:

(i) राष्ट्रीय संस्कृति निधि मुख्य रूप से अक्षय निधि से अर्जित ब्याज और दानकर्ताओं के अंशदानों में से सरकारी और गैर सरकारी संगठनों को अनुदान मंजूर करती है।

(ii) सरकारी और गैर सरकारी संगठनों को राष्ट्रीय संस्कृति निधि के तहत वित्तीय सहायता भारत की समकालीन संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत के समपोषण तथा दोनों को यथा संभव अधिक से अधिक नागरिकों की पहुंच में लाने के लिए दी जाती है। तथापि ऐसे संगठनों को सहायता नहीं दी जाती है जिन्हें पहले संस्कृति मंत्रालय के अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों या स्वायत्त संगठनों से या मंत्रालय की किसी स्कीम के तहत सहायता मिल चुकी है।

(iii) राष्ट्रीय संस्कृति निधि प्राथमिक सहायता, विरासत संरक्षण से संबद्ध समस्याओं के अध्ययन सहित तकनीकी सहायता, विशेषज्ञों की व्यवस्था, उपस्कर की आपूर्ति, आपातकालीन सहायता, संवर्धनात्मक कार्यकलापों के लिए प्रशिक्षण और सहायता से संबंधित परियोजनाएं स्वीकार कर सकती है।

(iv) राष्ट्रीय संस्कृति निधि वित्त पोषण की अपेक्षा वाली अनेक परियोजनाओं को तैयार रखने में प्रयासरत है और यह समय-समय पर इन परियोजनाओं का नवीकरण, उन्नयन और परिवर्धन करेगी। दानकर्ता वित्त पोषण और सहायता हेतु मुक्त रूप से किसी भी परियोजना को चुन सकते हैं और नई परियोजनाओं का सुझाव दे सकते हैं।

(v) दानकर्ता, राष्ट्रीय संस्कृति निधि को दान करते समय इस संबंध में सामान्य नीतिगत मार्गदर्शी सिद्धांतों और नियमों, यदि कोई हो, के अध्यधीन राष्ट्रीय संस्कृति निधि को वित्त पोषण हेतु किसी विशिष्ट स्थान/पहलू सहित किसी परियोजना और साथ ही परियोजना के निष्पादन हेतु किसी एजेंसी का उल्लेख कर सकता है। राष्ट्रीय संस्कृति निधि संभव सीमा तक दानकर्ता की पसंद का सम्मान करती है। जब दानकर्ता की परियोजना में विश्व विरासत स्थल शामिल होता है तो ऐसे मामले में स्थल के आसपास के परिवेश की देखरेख की आवश्यकता और साथ ही इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से विचार किए जाने की आवश्यकता होगी कि उनके लिए प्रयास वित्त पोषण पहले से पारंपरिक स्रोतों से उपलब्ध हो सकता है और कुछेक महत्वपूर्ण स्मारकों पर ही निधियां लगाए जाने से बचना चाहिए।

(vi) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80जी(2)(iii एचएच) के तहत राष्ट्रीय संस्कृति निधि में दान/अंशदान की राशियां शतप्रतिशत कर से मुक्त हैं लेकिन यह छूट उक्त धारा और संगत नियमों में निर्धारित सीमाओं और शर्तों के अनुसार दी जाती है।

प्रापण और संभलाई हेतु राज सहायता

199. **श्री हरिश्चंद्र चव्हाण : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष भारतीय खाद्य निगम द्वारा नियत किए गए गेहूं और चावल की विभिन्न किस्मों का राज्य-वार प्रापण मूल्य कितना है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं, चावल और चीनी पर प्रति टन कितनी वार्षिक राजसहायता दी गयी है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान गेहूं, चावल और चीनी पर भारतीय खाद्य निगम को प्रति क्विंटल कितने संभलाई प्रभार का भुगतान किया गया है; और

(घ) इस बढ़ते व्यय को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) गेहूं और धान, जिससे चावल निकाला जाता है, की खरीदारी भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो संपूर्ण देश में एक समान है, जमा बोनस (यदि कोई हो) पर भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों द्वारा की जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान गेहूं और धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य और लागू बोनस दिया गया है :-

(रुपये प्रति क्विंटल)

विपणन मौसम	गेहूं (रबी विपणन मौसम)	विपणन मौसम	धान (खरीफ विपणन मौसम) ग्रेड ए	धान (खरीफ विपणन मौसम) साधारण
2006-07	650+50*	2006-07	610+40*	580+40*
2007-08	750+100*	2007-08 23.6.08 तक	675+100*	645+100*
		2007-08 24.6.08 से 30.9.08 तक	880	850
2008-09	1000	2008-09	880+50*	850+50*
2009-10	1080	2009-10	980+50*	950+50*

*बोनस

(ख) विभिन्न स्कीमों के अधीन भारतीय खाद्य निगम द्वारा दी गई सूचना के अनुसार गेहूं, चावल और चीनी जारी करने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा वहन की गई प्रति टन औसत राजसहायता निम्नानुसार है :-

(रुपये प्रति टन)

	गेहूं	चावल	चीनी
2007-08	8543.30	9390.70	3049
2008-09	8592.90	11478.30	3645.50
2009-10 (अनंतिम)	8680.50	12279.50	7269.50#

भारत सरकार द्वारा निर्धारित निकासी मूल्य बढ़ाने के कारण अंतर है।

(ग) विभिन्न स्कीमों के अधीन गेहूं, चावल और चीनी जारी करने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा वहन किए गए प्रति क्विंटल हैंडलिंग प्रभार (भाड़ा श्रम, ब्याज, भंडारण, प्रशासनिक प्रभार और कमियां) निम्नानुसार हैं :-

	गेहूं	चावल	चीनी
2007-08	244.43	297.82	33.10
2008-09	245.42	280.76	47.13
2009-10 (अनंतिम)	185.64	176.09	36.66

(घ) गेहूं और चावल पर खाद्य राजसहायता को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :-

(i) खाद्यान्नों की विकेंद्रीकृत खरीदारी और वितरण को प्रोत्साहित करना।

(ii) सरकार की गारंटी द्वारा समर्थित निम्नतर कूपन दरों पर भारतीय खाद्य निगम द्वारा बांड जारी किया जाना।

(iii) भारतीय खाद्य निगम की प्रचालनात्मक दक्षता में सुधार करना।

चीनी के संबंध में सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन लेवी चीनी की आपूर्ति को पुनर्संरचित किया है और इसकी आपूर्ति को पूर्वोत्तर राज्यों, पहाड़ी राज्यों (जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड) और द्वीपसमूहों, जहां यह गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए भी दी जाती है, को छोड़कर गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए सीमित कर दिया गया है।

प्रसारण विनियामक निकाय

200. **श्री पी. विश्वनाथन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रसारण विनियामक प्राधिकरण की स्थापना और प्रस्तावित प्रसारण सेवाएं विनियमन विधेयक के संबंध में कोई सर्वसम्मति बनी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और प्रसारण सेवाएं विनियमन विधेयक को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार मीडिया क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो इसका मीडिया-वार ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

(ग) एक स्वतंत्र प्रसारण विनियामक की आवश्यकता, कार्यक्षेत्र, अधिकार क्षेत्र, संगठनात्मक संरचना, शक्तियों एवं कार्यों तथा विषय-वस्तु के विनियमन से संबंधित मुद्दों पर स्टेकहोल्डरों के परिप्रेक्ष्य को समझने के लिए उनके साथ व्यापक रूप से परामर्श करने तथा सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के उद्देश्य से 27 नवम्बर, 2009 को सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की अध्यक्षता में एक कार्यबल का गठन किया गया है। कार्यबल ने अभी तक सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

(घ) और (ङ) प्रसारण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमाओं पर ट्राई की सिफारिशें इस मंत्रालय के जांचाधीन हैं।

चीनी मिलों की स्थिति

201. **श्री पी. बलराम : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में लाभ अर्जित करने वाली, घाटे में चल रही और बंद पड़ी सहकारी चीनी मिलों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) राज्यों में सहकारी चीनी मिलों के घाटे में चलने और बंद होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन मिलों को फिर से चालू किए जाने तथा इन्हें अर्थक्षम बनाए जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन शर्करा निदेशालय में देश में लाभ अर्जित करने वाली और घाटे में चल रही चीनी मिलों के बारे में आंकड़े नही रखे जाते हैं। जहां तक बंद पड़ी सहकारी चीनी मिलों का संबंध है, पिछले चीनी मौसम 2009-10 के दौरान देश में 95 सहकारी चीनी मिलों ने काम नहीं किया और बंद पड़ी रहीं। इनका राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) सहकारी चीनी मिलों के घाटे/बंद पड़ी रहने के प्रमुख कारण पर्याप्त कच्चे माल की अनुपलब्धता, गन्ने से कम रिकवरी, अलाभकर आकार, आधुनिकीकरण, उन्नयन और विविधीकरण की कमी, कार्यशील पूंजी की ऊंची लागत, कुछ राज्यों द्वारा गन्ने के उच्च राज्य परामर्शित मूल्य की घोषणा, शीरे का नियंत्रण, पेशेवर प्रबंधन की कमी, स्टाफ की अधिकता आदि। सहकारी चीनी मिल सहित किसी चीनी मिल को उपर्युक्त कारणों में से एक या अन्य कारणों से हानि हो सकती है या बंद करना पड़ सकता है।

(ग) इन चीनी मिलों को पुनर्जीवित करने के लिए आवश्यक कदम उठाना संबंधित उद्यमी का दायित्व है। तथापि, चीनी विकास निधि नियम 1983 मे यह व्यवस्था है कि संभावित रूप से व्यवहार्य रुग्ण चीनी उपक्रम (i) प्लांट और मशीनरी का आधुनिकीकरण या पुनर्स्थापन और (ii) गन्ना विकास के लिए चीनी विकास निधि से

ऋण ले सकता है। सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों के मामले में चीनी विकास निधि ऋण की सिफारिश पुनर्स्थापन समिति द्वारा की जानी चाहिए जो राज्य सरकारों द्वारा अनुशंसित मामलों को देखती है।

विवरण

चीनी मौसम 2009-10 के दौरान जिन सहकारी चीनी मिलों ने कार्य नहीं किया और बंद पड़ी रहीं, उनका राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

क्रम संख्या	राज्य का नाम	चीनी मिलों की संख्या
1	पंजाब	6
2	हरियाणा	2
3	राजस्थान	1
4	उत्तर प्रदेश	3
5	मध्य प्रदेश	2
6	गुजरात	6
7	महाराष्ट्र	58
8	असम	2
9	उड़ीसा	2
10	आंध्र प्रदेश	5
11	कर्नाटक	5
12	तमिलनाडु	2
13	केरल	1
	अखिल भारत	95

टेलीविजन पर दिखाए जाने वाले ट्वीट्स

202. **श्री के. सुगुमार : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि हाल ही में, किसी विशेष विषय/दल के पक्ष में दर्शकों के विचारों को प्रभावित करने के लिए टी.वी. न्यूज चैनलों पर मिथ्या ट्वीटर टिप्पणियां प्रसारित की गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए किसी योजना पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ) : (क) से (ङ) मंत्रालय की जानकारी में यह लाया गय है कि कतिपय समाचार चैनलों ने विभिन्न मुद्दों नामतः मिस्र में संकट, आरुषि हत्याकांड, 2जी घोटाला, डा. विनायक सेन के कारावास आदि पर ट्वीट प्रसारित किए हैं। तथापि, इस संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई है। निजी सेटेलाइट टीवी चैनलों पर प्रसारित विषय-वस्तु की पूर्व-सेंसरशिप का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, सभी निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों के लिए केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत निर्धारित कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिताओं का कड़ाई से अनुपालन करना आवश्यक होता है। जब कभी कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिताओं के किसी प्रकार के उल्लंघन का मामला सरकार के ध्यान में आता है तो उक्त अधिनियम के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

दलहन की कमी

203. **श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान देश में दलहन की कुल खपत में अत्यधिक वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार का इस कमी को किस प्रकार पूरा करने का विचार है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) देश में पिछले दो सालों के दौरान दालों की अनुमानित मांग के ब्यौरे विवरण संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। दालों की मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

पिछले दो सालों के दौरान दालों की अनुमानित मांग को दर्शाने वाली तालिका।

(मात्रा मि. टन में)

वर्ष	मांग
2009-10	18.29
2010-11	19.08

स्रोत: योजना आयोग के ग्यारहवीं योजना कार्यकारी समूह के अनुमान।

विवरण-II

सरकारी उपाय

1.1 **निर्यात पर रोक/आयात/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा आयात पर शुल्क में कमी।**

- दालों के आयात पर शून्य शुल्क को 31.3.2012 तक आगे बढ़ाया गया है।
- दालों (काबुली चने को छोड़कर) और आर्गेनिक दालों (प्रति वर्ष अधिकतम 10000 टन तक) के निर्यात पर रोक को 31.3.2012 तक आगे बढ़ाया गया।
- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए दालों के आयात पर हुए घाटे के 15% तक ओर सी आई एफ वेल्यू के 1.2% के सेवा प्रभार की प्रतिपूर्ति की मौजूदा व्यवस्था को 31.3.2011 तक आगे बढ़ाया गया है।

1.2 **सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से दालों की आपूर्ति**

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से दालों के वितरण की स्कीम को 31.3.2011 तक आगे बढ़ाया गया है।

1.3 **स्टॉक सीमा पर**

- दालों के मामले में राज्य सरकारों द्वार स्टॉक सीमा आदेश अधिरोपित किया जाना 30.9.2011 तक जारी रखा गया है।

1.4 वर्ष 2010-11 के दौरान चने का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़कर 2100 रुपए प्रति क्विंटल, मसूर 2250 रुपए प्रति क्विंटल, अरहर 3000 रुपए प्रति क्विंटल, मूंग 3170 रुपए प्रति क्विंटल और उड़द 2900 रुपए प्रति क्विंटल हो गया।

1.5 मध्यकालीन अवधि में सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन - दाल कार्यक्रम को दाल उगाने वाले 16 प्रमुख राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है जो देश के लगभग 97.5% क्षेत्र को कवर करते हैं। इसके अलावा मैक्रो मैनेजमेंट एग्रीकल्चरल स्कीम के तहत उन राज्यों को दालों के विकास के लिए भी सहायता दी जाती है जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और आई एस ओ पी ओ एम कार्यक्रम के तहत कवर नहीं होते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन - दालों के तहत संभावित क्षेत्रों दालों के गहन अधिक संवर्धन के लिए एक तीव्र दाल उत्पादन कार्यक्रम की संकल्पना की गई है। इसी प्रकार दाल उत्पादन बढ़ाने में अन्य स्कीमों के प्रयासों को संबल प्रदान करने के लिए प्रमुख दाल उगाने वाले राज्यों में '60,000 दालें और तिलहन ग्राम आयोजन' के नई पहल कार्यान्वित की जा रही है।

1.6 यैलो पीज की खपत को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रचार अभियान शुरू किए गये हैं।

एफ आई आर दर्ज करना

204. श्री सुरेश कुमार शेटकर : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास पुलिस स्टेशनों में महिला, वरिष्ठ नागरिकों और अल्पसंख्यकों से प्राप्त होने वाली सभी शिकायतों को प्रथम सूचना रिपोर्ट के रूप में माने जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरूदास कामत) : (क) से (ग) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं और, इसलिए, राज्य सरकारें अपराध की रोकथाम करने, पता लगाने, पंजीकरण करने और जांच-पड़ताल करने तथा अपनी विधि प्रवर्तन एजेंसियों के माध्यम से अपराधियों पर अभियोजन चलाने के साथ-साथ नागरिकों के जानमाल की सुरक्षा करने के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी हैं। तथापि, संघ सरकार अपराध की रोकथाम के मामले को अत्यधिक महत्व देती है और इसलिए दाण्डिक न्याय प्रणाली के प्रशासन को सुधारने और अपराध की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए यथावश्यक उपाय

करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से आग्रह करती रही है। अपराध की रोकथाम, पंजीकरण, जांच पड़ताल और अभियोजन के संबंध में दिनांक 16 जुलाई, 2010 को एक सलाह जारी की गई है।

[हिन्दी]

कृषि विज्ञान केन्द्र

205. **श्री गोरख प्रसाद जायसवाल :**
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :
श्री ओम प्रकाश यादव :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन जिलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जहां कृषि विज्ञान केन्द्र कार्यरत हैं;

(ख) उक्त केन्द्रों द्वारा शुरू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा उनसे लाभान्वित किसानों की संख्या राज्य-वार कितनी है;

(ग) क्या सरकार का बिहार सहित कुछ राज्यों में और अधिक संख्या में केन्द्रों की स्थापना करने और मौजूदा केन्द्रों के उन्नयन का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यह कब तक किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव) : (क) देश में 589 कृषि विज्ञान केन्द्र काम कर रहे हैं। उन जिलों का राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है जहां कृषि विज्ञान काम कर रहे हैं।

(ख) कृषि विज्ञान केन्द्र स्कीम के तहत किसानों के लाभ के लिए चलाए जा रहे कार्यकलापों/कार्यक्रमों में किसानों के खेतों में कृषि प्रौद्योगिकियों का परीक्षण और प्रदर्शन, किसानों का प्रशिक्षण, विभिन्न विस्तार कार्यक्रमों द्वारा उन्नत प्रौद्योगिकी पर जागरूकता सृजन और मोबाइल फोन पर कृषि परामर्श शामिल हैं। इसके अलावा कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा किसानों को उपलब्ध कराने के लिए बीज, रोपण सामग्री तथा पशुपधन नस्लों का उत्पादन किया जाता है। वर्ष 2010-11 के दौरान विभिन्न कृषि विज्ञान केन्द्रों के कार्यकलापों से 133.76 लाख से ज्यादा किसान लाभान्वित हुए हैं। लाभान्वित किसानों की राज्य/केन्द्र-शासित प्रदेश-वार संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ग) से (ङ) अठहत्तर और कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना की स्वीकृति दी गई है। जहां यह कृषि विज्ञान खोले जाने हैं उन जिलों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है। बिहार में 38 कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं अत: बिहार में और अधिक कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण-I

क्रम सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	कृषि विज्ञान केन्द्रों की संख्या	कृषि विज्ञान केन्द्रों वाले जिलों की संख्या
1	2	3	4
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2	पोर्ट ब्लेयर, निकोबार
2	आंध्र प्रदेश	30	अनन्तपुर, पश्चिम गोदावरी, वारंगल, श्रीकाकुलम, विजयनगरम, कडपा, कृष्णा, नेल्लौर, आदिलाबाद, प्रकाशम, खम्मम, निजामाबाद, पूर्वी गोदावरी, रंगारेड्डी, महबूबनगर, नलगोंडा, चित्तूर, करीमनगर, कुरनूल, विशाखापटनम, मेडक गूंटूर, अनन्तपुर (2) कुरनूल (2) महबूब नगर (2) पूर्व गोदावरी (2) नलगोंडा (2) वारंगल (2) पश्चिम गोदावरी, (2) करीम नगर (2)
3	अरुणाच प्रदेश	12	पश्चिम सियांग, पश्चिम कामेंग, तिरप, लोअर दिबांग वैली, लोअर सुबानसिरी, पापुम्पारें, ऊपरी सियांग, पूर्वी कामेंग, तवोंग, लोहित, अपर सुबानसिरी, पूर्वी सियांग
4	असम	21	सोनितपुर, कछार, गोलाघाट, कोकराझार, शिवसागर, नलबाड़ी, बारपेटा, बोंगईगांव, कार्बी, ओंग्लोंग, कामरूप, उत्तर लखीमपुर, नगांव तिनसुकिया, करीमगंज, धुबरी, धेमाजी, डिब्रूगढ़, दारांग, जोरहाट तथा हेलाकंडी, गोलपाड़ा

1	2	3	4
5	बिहार	38	दरभंगा, मुंगेर, वैशाली, बेगुसराय, सहरसा, नालंदा, बांका, पटना, शेखपुरा, मुजफ्फरपुर, मधेपुरा, भागलपुर, रोहतास, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, समस्तीपुर, सिवान, पश्चिम चंपारण, जहानाबाद, सारण, सुपौल, गया, शिवहर, औरंगाबाद, लखीसराय, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, गोपालगंज, बक्सर, भोजपुर, नवादा, कैमूर, जमुई, मधुबनी, खगड़िया, सीतामढ़ी, और अरवल
6	छत्तीसगढ़	16	बिलासपुर, सरगुजा, दुर्ग, बस्तर, रायपुर, जांजगिर-चंपा, रायगढ़, धमतरी, महासमुंद, दंतेवाड़ा, कोरबा, जशपुर, कांकेर, कावर्धा, कोरिया, राजनांदगांव
7	दिल्ली	1	उजवा नई दिल्ली
8	गोवा	2	नार्थ गोवा, साउथ गोवा
9	गुजरात	26	बनासकांठा, साबरकांठा, दाहोद, आनंद, अहमदाबाद सूरत, नवसारी, डांगा, नर्मदा, अमरेली, राजकोट, जामनगर, परबंदर, सुरेन्द्रनगर, गांधीनगर, वलसाड, खेड़ा, पंचमहल, मेहसाणा, भरूच, बड़ोदरा, पाटन, कच्छ, कच्छ (2), भावनगर, जूनागढ़
10	हरियाणा	18	पानीपत, कैथल, जींद, हिसार, कुरुक्षेत्र, फरीदबाद, यमुनानगर, सोनीपत, रोहतक, सिरसा, महेन्द्रगढ़, फतेहाबाद, झज्जर, भिवानी, करनाल, गुड़गांव, अंबाला, रेवाड़ी
11	हिमाचल प्रदेश	12	कुल्लू, ऊना, मंडी सिरमौर, हमीरपुर, कांगड़ा, लाहौल एवं स्पीति, बिलापुर, किन्नौर, चंबा, शिमला, सोलन
12	जम्मू एवं कश्मीर	14	जम्मू, राजौरी, डोडा, ऊधमपुर, पुंछ, लेह, पुलवामा, श्रीनगर, बड्‌गाम, कारगिल, बारामूला, कुपवाड़ा, अनंतनाग, कठुआ
13	झारखंड	22	पश्चिमी सिंहभूम, दुमका, पलामू, पाकुर, लोहारदंगा, गिरीडीह, बोकारो, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, साहिबगंज, चतरा, गढ़वा, सिमडेगा, लातेहर, जामताड़ा, कोडरमा, देवघर, रांची, हजारीबाग, गुमला, तथा सेराईकेला
14	कर्नाटक	28	रायचूर, हावेरी, बीदर, धारवाड़, कोप्पल, गुलबर्गा, बीजापुर, उत्तर कन्नड़, बागलकोट, हसन, मंड्या, शिमोगा, तुमकुर, उडुपी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, दक्षिण कन्नड़, चमराजनगर, कोलार, बैंगलूर ग्रामीण कोडगु, मैसूर, बेलगाम, गडग, कन्नड़ दावनगेरे, रामनगरम, तुमकुर, दक्षिण कन्नड़
15	केरल	14	पालघाट, कोल्लम, वयाद, कोट्टयम, कन्नूर, मलप्पुरम, त्रिशूर, कासरगोड़, अलिप्पी, एर्नाकुलम, कोझिकोड (कालीकट), तिरुवनंतपुरम, इडुक्की, पथानमथीट्टा
16	लक्षद्वीप	1	किलताब द्वीप लक्षद्वीप
17	मध्य प्रदेश	47	छिंदवाड़ा, झाबुआ, सीधी, शहडोल, खंडवा, टीकमगढ़, सिवनी भिंड, राजगढ़, गुना, बालाघाट, बैतूल, पन्ना, धार, डिंडोरी, ग्वालियर, रीवा, होशंगाबाद, मुरैना, सागर, उज्जैन खरगोन, शाजापुर, मंदसौर, जबलपुर, हरदा, दमोह, नरसिंहपुर, देवास, पादरिया, छतरपुर, शिवपुरी, नीमच, मंडला, बड़वानी, उमरिया, सेओपुर, दतिया, भोपाल, रतलाम, विदिशा, सतना, इंदौर, सीहोर, रायसेन, बुरहानपुर, अशोकनगर
18	महाराष्ट्र	39	वर्धा, भंडारा, चंद्रपुर, यवतमाल, गोंडिया, गढ़चिरोली, औरंगाबाद, उस्मानाबाद, रत्नागिरी, रायगढ़, धुले, नागपुर, नासिक, परभनी, कोल्हापुर, बुलढाणा (1) अमरावती (1) अमरावती (2), नांदेड़, सोलापुर, वाशिम, सिंधुदुर्ग, ठाणे, जलगांव, बीड (1), सतारा, पुणे, अहमदनगर, सांगली, जालना, हिंगोली, नंदुरबार, लातूर, पुणे, (2), जलगांव, अकोला, सतारा (2), बीड (2), बुलढाणा (2;
19	मणिपुर	9	इम्फाल पश्चिम, चुराचांदपुर, तामेंगलोंग, चंदेल, सेनापति, बिश्नुपुर, इम्फाल पूर्व, थौबल, उखरूल

1	2	3	4
20	मेघालय	5	पश्चिम गारो हिल्स, रीभोई, जयंतिया हिल्स, पूर्वी खासी हिल्स, पश्चिम खासी हिल्स
21	मिजोरम	8	लुंगलेई, कोलासिब, चितमुईपुई, लावनतगाई, मामित, चम्पाई, सरपिच, आइजोल
22	नागालैंड	8	दीमापुर, मेदजिफेमा, वोखा, मोकोकचुंग, कोहिमा, तुएनसांग, मोन, जुन्हेबोटो
23	उड़ीसा	30	कोरापुट, केंद्रपाड़ा, क्योंझर, बालासोर, गनाजम, बरगढ़, कंधमाल (फूलबनी), कालाहांडी, जयपुर, ढेंकनाल, अंगुल भद्रक, नबारंगपुर, सुंदरगढ़, सुन्दरगढ़, नयागढ़, संबलपुर, जगतसिंहपुर, गजपति, रायगढ़, नुआपाड़ा, बोद्ध, मयूरभंज सोनपुर, मल्कानगिरी, देवघर, झारसुगुडा, पुरी, कटक, खुर्दा
24	पांडिचेरी	2	कराईकल, पांडिचेरी
25	पंजाब	17	फरीदकोट, गुरदासपुर, फिरोजपुर, बठिंडा, होशियारपुर, पटियाला, कपूरथला, संगरूर, नवानशहर, रूपनगर, लुधियाना, अमृतसर, मुक्तसर, फतेहगढ़ साहिब, मोगा, जालंधर, मनसा
26	राजस्थान	32	दौसा, झुनझुनु बीकानेर, सवाई माधोपुर, अजमेर, धोलपुर, सीकर, जालौर, अलवर, भरतपुर, जैसलमेर, नागौर, श्रीगंगानगर, करौली, डूंगरपुर बांसवाड़ा, बारान, सिरोही, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, झालावाड़, राजसमंद, भीलवाड़ा, जोधपुर, पाली, टोंक, जयपुर, उदयपुर, चुरू, बाड़मेर, हनुमानागढ़
27	सिक्किम	4	पूर्वी सिक्किम, उत्तर सिक्किम, पश्चिम सिक्किम, दक्षिण सिक्किम
28	तमिलनाडु	30	सलेम, कुड्डालोर, विर्धाचलम, तिरूचिरापल्ली, पेराम्बलूर, पुडुकोट्टई, रामनाथपुरम, कन्याकुमारी, मदुरै, विल्लुपुरम, वेल्लोर, तिरूवल्लुर, तिरूवरूर, नागपट्टिपम, विरधुनगर, धर्मपुरी, कांचीपुरम, शिवगंगाई, नामक्कल, डिंडीगुल, कोयंबटूर, थेनी, नीलगिरी, तिरूवन्नामलई, तिरूनेलवेली, कृष्णागिरी, तंजावुर, तूतीकोरिन, करूर, अरियालुर
29	त्रिपुरा	4	पश्चिम त्रिपुरा, दक्षिण त्रिपुरा धलई, उत्तरी त्रिपुरा
30	उत्तर प्रदेश	67	शाहजहांपुर, बिजनौर, सहारनपुर, बदायूं, गाजियाबाद, रामपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, पीलीभीत, बागपत, मुरादाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बहराइच, बलिया, मऊ, वाराणसी, बस्ती, फैजाबाद, गोरखपुर, महाराजगंज, सोनभद्रा, सिद्धार्थ नगर, आजमगढ़, बाराबंकी, जौनपुर, चंदौली, बलरामपुर, संत कबीर नगर, मथुरा, झांसी, रायबरेली, फतेहपुर, अलीगढ़, कानपुर (देहात), मैनपुरी, महोबा, इटावा, कन्नौज, फिरोजाबाद, हमीरपुर, जालौन, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, लखनऊ, बरेली, कुशीनगर, एटा, आगरा, इलाहाबाद, संत रविदास नगर, मिर्जापुर, बुलंदशहर, सुल्तानपुर, गोंडा, चित्रकूट, उन्नाव, प्रतापगढ़, गाजीपुर, सिधोली, कौशाम्बी, औरैया, देवरिया, बांदा, महामायानगर तथा अंबेडकरनगर
31	उत्तराखंड	13	चम्पावत, टिहरी गढ़वाल, नैनीताल, चमोली, हरिद्वार, अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल, रूद्रप्रयाग, उधमसिंह नगर, पिथौरागढ़, देहरादून, उत्तरकाशी, बागेश्वर
32	पश्चिम बंगाल	17	दार्जिलिंग, कूचबिहार, मालदा, दक्षिण दिनाजपुर, उत्तर दिनाजपुर, हावड़ा, हुगली नादिया, जलपाईगुड़ी, 24 उत्तर परगना, मुर्शिदाबाद, 24 परगना दक्षिण, मिदनापुर, पश्चिम, पुरूलिया, वर्धमान, बीरभूम, बांकुड़ा
	कुल	589	

विवरण-II

वर्ष 2010-11 के दौरान कृषि विज्ञान केन्द्रों की गतिविधियों से लाभान्वित हुए किसानों की राज्यवार/केन्द्र शासित प्रदेशवार संख्या

क्रम सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	कृषि विज्ञान केन्द्रों की गतिविधियों से लाभान्वित किसानों की संख्या							
		खेत पर परीक्षण और प्रदर्शन	प्रशिक्षण कार्यक्रम	बीज और रोपण सामग्री	मिट्टी और जल का परीक्षण	पशुधन और मात्स्यिकी वंशक्रम	विस्तार कार्यक्रम	मोबाइल कृषि सलाहकार	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	42	340	62	97	0	902	2835	4278
2.	आंध्र प्रदेश	4040	49653	15512	7119	4077	220926	6402	307729
3.	अरुणाचल प्रदेश	1707	5390	1794	114	465	8037	10300	27807
4.	असम	4940	8457	13865	765	3800	18340	31947	82114
5.	बिहार	5347	89886	14117	5531	34	169617	276480	561012
6.	छत्तीसगढ़	2085	19803	2446	408	423	155331	1008	181504
7.	दिल्ली	126	390	6214	0	0	1210	661	8601
8.	गोवा	332	3324	1034	0	10	6673	0	11373
9.	गुजरात	4363	55601	5699	52054	22	1061206	3882	1182827
10	हरियाणा	2205	47716	606	1970	134	132605	6510	191746
11.	हिमाचल प्रदेश	3360	19466	3945	709	0	85236	3890	116606
12.	जम्मू और कश्मीर	2092	15045	7626	486	191	30186	0	55626
13.	झारखंड	3802	38244	1733	3718	48	101138	143616	292299
14.	कर्नाटक	7415	107201	74523	9329	380	5460095	21752	5680695
15.	केरल	1491	42282	47753	1735	2992	342644	4593	443490
16.	लक्षद्वीप	16	10746	0	10	0	1789	0	12561
17.	मध्य प्रदेश	6666	56933	7036	1172	1218	446578	3168	522771
18.	महाराष्ट्र	10362	92797	10410	57567	3673	364139	32240	571188

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	मणिपुर	1889	3530	2803	90	2005	6500	24180	40997
20.	मेघालय	484	1890	907	67	287	3868	26344	33847
21.	मिजोरम	1354	3132	2177	0	568	6081	370	13682
22.	नागालैंड	436	3648	1230	55	844	5476	10416	22105
23.	उड़ीसा	4395	37131	4589	765	794	291247	1800	340721
24.	पुडुचेरी	181	4868	4342	37	204	28324	0	37956
25.	पंजाब	1350	26718	11626	4846	0	409959	7609	462108
26.	राजस्थान	4769	72922	14011	37624	57	286501	29455	445339
27.	सिक्किम	972	2452	38	54	126	2600	4530	10772
28.	तमिलनाडु	6847	163828	40715	5934	1754	190881	8499	418458
29.	त्रिपुरा	489	1640	937	112	239	2300	38953	44670
30.	उत्तर प्रदेश	8985	67395	10700	23631	1720	297613	45000	455044
31.	उत्तराखण्ड	3618	9612	600	501	0	96461	15000	125792
32.	पश्चिम बंगाल	3587	40991	6760	3883	103	80271	535500	671095
	कुल	99747	1103031	315810	220383	26168	10314734	1296940	13376813

विवरण-III

ग्यारहवीं योजना के दौरान राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों के उन प्रस्तावित 78 जिलों की सूची, जहां पर कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना की जानी है

क्रम सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	नये सृजित जिले जहां पर कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना की जानी है	जिलें में स्थापित किए जाने वाले अतिरिक्त कृषि विज्ञान केन्द्र	10वीं योजना के दौरान अनुमोदित और ग्यारहवीं योजना के दौरान स्थापित किए जाने वाले कृषि विज्ञान केन्द्र	कुल
1	2	3	4	5	6
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	उत्तर और मध्य अंडमान (मायाबुन्दर) (1)	-	-	1
2	आंध्र प्रदेश	-	गुंटूर, प्रकासम, चित्तूर, कृष्णा (4)	-	4

1	2	3	4	5	6
3	अरुणाचल प्रदेश	अंजाव (1)	-	दिबांग घाटी, कुरुंग कुमे, चांगलांग (3)	4
4	असम	बासका, चिरांग, उदालगुरी (3)	-	उत्तरी कछार, मोरीगांव (2)	5
5	छत्तीसगढ़	नारायणपुर, बीजापुर (2)	रायपुर, सरगुजा (2)	-	4
6	दादरा एवं नगर हवेली	-	-	सिलवासा (1)	1
7	दमन व दीव	-	-	दमन, दीव (2)	2
8	गुजरात	तापी (1)	बनासकांठा, राजकोट (2)	-	3
9	हरियाणा	मेवात (1)	-	पंचकुला (1)	2
10	जम्मू व कश्मीर	रियासी, सांबा, रामबन, किश्तवाड़, गांदरबल, कुलगाम, बंदीपोरा, शोपियां (8)	लेह (1)	-	9
11	झारखंड	रामगढ़, खूंटी (2)	-	-	2
12	कर्नाटक	चिकबेलापुर (1)	गुलबर्गा, बेलगाम (2)	-	3
13	मध्य प्रदेश	-	-	अनुपपुर (1)	1
14	महाराष्ट्र	-	अहमदनगर, शोलापुर, नाशिक, यवतमाल, नांदेड़, औरंगाबाद (6)	-	6
15	मेघालय	-	-	दक्षिण गारो हिल्स, पूर्वी गारो हिल्स (2)	2
16	नागालैंड	पारीन, काईफीरे, लौंगलैंग (3)	-	-	3
17	उड़ीसा	-	मयूरभंज, गंजाम, सुंदरगढ़ (3)	-	3
18	पुडुचेरी	-	-	माहे, यनम (2)	2
19	पंजाब	तरनतारन, बरनाला, मोहाली (3)	-	-	3
20	राजस्थान	प्रतापगढ़ (1)	बाड़मेर, नागपुर, बीकानेर, जोधपुर, चुरू, जयपुर, जैसलमेर, अलवर, हनुमानगढ़ (9)	-	10
21	उत्तर प्रदेश	-	इलाहाबाद, सीतापुर (2)	श्रावस्ती, ज्योतिबा फुले नगर (2)	4
22	पश्चिम बंगाल	-	दक्षिण 24 परगना, मुर्शिदाबाद, बर्धमान (3)	पूर्व मिदनापुर (1)	4
	कुल	27	34	17	78

[अनुवाद]

खाद्य सुरक्षा संबंधी समिति

206. **श्री सी.आर. पाटिल :**
श्री असादुद्दीन ओवेसी :
श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा विधेयक से संबंधित रंग राजन समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या समिति द्वारा की गई सिफारिश किसी अन्य समिति द्वारा की गई सिफारिश से अलग है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और समिति द्वारा इसके क्या कारण बताए गए हैं;

(ङ) क्या प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा योजना के अधीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खाद्यान्नों की वर्तमान उपलब्धता पर्याप्त है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और

(छ) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) से (छ) प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष डा. रंगराजन की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक संबंधी विशेषज्ञ समिति ने जनवरी, 2011 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ प्राथमिकता आबादी के लिए खाद्यान्नों की पात्रता, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार और मिशन मोड में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उपाय क्रियान्वित करने की सिफारिश की है।

राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने जनता से टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा कानून संबंधी फ्रेमवर्क नोट की सिफारिश की है और इसे अपनी वेबसाइट पर डाला है ताकि प्रस्तावित बिल के प्रावधानों पर अपनी सिफारिशों को वह अंतिम रूप दे सके।

प्रस्तावित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के कवरेज, पात्रता आदि सहित सभी पहलू सरकार के विचाराधीन हैं।

[हिन्दी]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों से संबंधित प्रदर्शनी

207. **श्री राम सुन्दर दास :**
श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी :
श्री राधे मोहन सिंह :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष तथा वर्तमान वर्ष के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के संवर्धन के लिए सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रदर्शनियों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का देश में खाद्य सुरक्षा और खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण के संबंध में राष्ट्रीय प्रदर्शनी आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और राज्य-वार अवस्थिति क्या है; और

(घ) इससे क्या लाभ होने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अपने स्तर पर प्रदर्शनियां आयोजित नहीं करता है। तथापि, मंत्रालय की संवर्धनात्मक कार्यकलाप संबंधी एक योजना स्कीम है। स्कीम के प्रावधानों के अनुसार, मंत्रालय मामला-दर-मामला के आधार पर वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन और अन्य प्रतिष्ठित सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों द्वारा आयोजित प्रदर्शनियों/मेलों में भाग लेता है। इन कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता भी दी जाती है।

गत एक वर्ष और चालू वर्ष (17 फरवरी, 2011 तक) के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की भागीदारी/सहायता प्राप्त प्रदर्शनियों/प्रदर्शनी-सह-सेमिनारों (स्थान समेत) के राज्यवार ब्यौरे क्रमशः विवरण-I और II में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) मंत्रालय सीधे तौर पर प्रदर्शनी/मेले आयोजित नहीं करता है। तथापि, यह मामला-दर-मामला आधार पर खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के संवर्धन हेतु ऐसे कार्यक्रमों को आंशिक रूप से/पूर्ण रूप से प्रायोजित करता है।

(घ) संवर्धनात्मक कार्यकलाप स्कीम का उद्देश्य सूचना का प्रसार करने, उत्पादन और पैकेजिंग की आधुनिक तकनीकों से विद्यमान और भावी उद्यमियों को सुपरिचित कराने, बाजार के विकास, प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों को लोकप्रिय बनाने तथा निवेश आकर्षित करने के माध्यम से जागरूकता सृजित करके खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का विकास करना है।

विवरण-I

क्रम सं.	राज्य का नाम	भाग लिए गए/ सहायताप्राप्त प्रदर्शनियों और प्रदर्शनी-सह-सेमिनारों की कुल संख्या	कार्यक्रमों के ब्यौरे (स्थान समेत)
1	दिल्ली	2	नई दिल्ली में 28 अक्तूबर, 2009 तक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन-सह-प्रदर्शनी पांचवा न्यू ट्रस्यूटिकल शिखर सम्मेलन और न्यू फूड्स: इनग्रेडियन्डस और प्रोड्क्टस एक्सपो आयोजित करने के लिए सीएफटीआरआई, मैसूर को सहायता दी।
			2. मंत्रालय ने 10 से 14 मार्च, 2010 तक प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आईटीपीओ द्वारा आयोजित आहार-2010 में अपीडा के साथ संयुक्त रूप से भाग लिया।
2	कर्नाटक	1	फूड साइंटिस्ट और टैक्नॉलाजिस्ट इंडिया, मैसूर को 21 से 23 दिसम्बर, 2009 तक बंगलौर में 20वें इंडियन कन्वेंशन ऑफ फूड साइंटिस्ट एंड टैक्नॉलोजी आईसीएफओएमटी आयोजित करने के लिए सहायता दी।
3	महाराष्ट्र	3	फिक्की, नई दिल्ली को 26 से 27 नवम्बर, 2009 तक मुम्बई में खाद्य कारोबार संबंधी विश्व सम्मेलन आयोजित करने के लिए सहायता दी।
			2. ह्यूमन सर्विन फाउण्डेशन, नासिक को 26 से 30 नवम्बर, 2009 तक नासिक में कृषि-09 के दौरान "भारतीय वाइन शो - 2009 - अंगूर प्रसंस्करण उद्योग के बारे में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला और सम्मेलन" आयोजित करने के लिए सहायता दी।
			3. संशिडो कम्यूनिकेशन, मुम्बई से 10 से 12 फरवरी, 2010 तक मुम्बई में पैनेसिया-2010 फोर्थ नेचुरल प्रोडक्टस एक्सपो इंडिया - इंटरनेशनल ट्रेडफेयर ऑन नेचुरल एंड आर्गेनिक प्रोडक्टस पर एक सेमिनार आयोजित करने के लिए सहायता दी।
4	तमिलनाडु	2	चेन्नई ट्रेड सेंटर, चेन्नई में 27 से 29 अगस्त, 2009 तक आहार इंटरनेशनल मेले में भाग लिया।
		2	2. समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) को 19 से 21 फरवरी, 2010 तक समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) केरल और सी-फूड एक्सपोर्टर एसोसिएशन इंडिया द्वारा आयोजित चेन्नई ट्रेड सेंटर, चेन्नई में द्विवार्षिक इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो-आईआईएसएस-2010 आयोजित करने के लिए समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, केरल को सहायता दी।
5	त्रिपुरा	1	आश्रय कैलाशहर, त्रिपुरा को 3 से 4 जनवरी, 2010 तक सुमहाती मेला आयोजित करने के लिए सहातया दी।
6	पश्चिम बंगाल	2	1. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और बागवानी विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार, कोलकाता को 9 से 13 जनवरी, 2010 तक कोलकाता में हॉटी फूड फैस्ट, 2009 कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सहायता दी।
			2. इंडियन चेम्बर ऑफ कामर्स (आईसीसी), कोलकाता को 5 से 7 नवम्बर, 2009 तक कोलकाता में "खाद्य सुरक्षा एवं वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित करते हुए प्रोटेक एग्रो 2009 तथा 2 ई-कृषि कारोबार शिखर सम्मेलन आयोजित करने के लिए सहायता दी।"
	जोड़	11	

विवरण-II

क्रम सं.	राज्य का नाम	भाग लिए गए/सहायताप्राप्त प्रदर्शनियों और प्रदर्शनी-सह-सेमिनारों की कुल संख्या	कार्यक्रमों के ब्यौरे (स्थान समेत)
1	असम	1	एनईटीपीडीसी, गुवाहाटी, असम को 3 से 16 दिसम्बर, 2010 तक मणिराव दीवान व्यापार केन्द्र, बेटकुची, गुवाहाटी में पांचवा एसोम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2010 आयोजित करने के लिए सहायता दी।
2	दिल्ली	2	1. इंडियन चेम्बर ऑफ कामर्स, कोलकाता को एनएएससी काम्पलेक्स, पूसा नई दिल्ली में 8 से 9 जुलाई तक द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय पोटेटो एक्सपो आयोजित करने के लिए सहायता दी। 2. एग्रीकल्चर टुडे, नई दिल्ली को एनएसी काम्प्लेक्स, पूसा नई दिल्ली में 29 से 30 सितम्बर, 2010 तक एग्रीकल्चर लीडरशिप सम्मिट, 2010 आयोजित करने के लिए सहायता दी।
3	गोवा	1	ट्रिनिटी चैंबर्स-डिवाइम कार्क मुम्बई को 3 से 5 सितम्बर, 2010 तक दयानंद बंडोडकर ग्राउण्ड्स पणजी गोवा में सातवें एनुअल फूड एंड बेवरेज प्रोसेसिंग+हॉस्पिटैलिटी वर्ल्ड एक्सपो एंड कान्फ्रेंस आयोजित करने के लिए सहायता दी।
4	हरियाणा	1	करनाल, हरियाणा में 10 से 12 फरवरी, 2011 तक पिक्सी कन्सल्टिंग सॉल्यूशन्स लिमिटेड, करनाल द्वारा इसरीमैक्स इंडिया द्वारा आयोजित आईएसआरएमएएक्स इंडिया 2011 में भाग लिया।
5	कर्नाटक	1	11 से 14 जून, 2010 तक केटीपीओ ट्रेड सैंटर, बंगलौर, कर्नाटक में ऑल फूड टैक 2010= खाद्य प्रसंस्करण कन्वैंशन एंड ट्रेड शो आयोजित करने के लिए एडस स्टेशन बंगलौर को सहायता दी।
6	केरल	1	कॉलेज ऑफ फिशरीज, केरल एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय, कोच्ची को 17 से 20 जनवरी, 2011 तक ली=मैरिडियन रेजार्ट एंड कन्वैंशन सैंटर, कोच्ची में "एशियन पैसिफिक एक्वाकल्चर, 2011 और जायंट प्रान=2011" आयोजित करने के लिए सहायता दी।
7	महाराष्ट्र	2	सीआईआई, मुम्बई द्वारा 29 से 31 अक्तूबर, 2010 तक बॉम्बे एग्जीबिशन सैंटर, मुम्बई में फूड एंड बेवटैक 2010 में भाग लिया। 2. अखिल भारतीय उद्योग संघ, मुम्बई द्वारा 27 से 29 जनवरी, 2011 तक विश्व व्यापार केंद्र, मुम्बई से द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय निर्यात शिखर सम्मेलन और एक्सपो 2011 में भाग लिया।
8	तमिलनाडु	2	1. आईटीपीओ द्वारा 26 से 28 अगस्त, 2010 तक आहार फैयर चेन्नई के क्षेत्रीय एडिशन में भाग लिया। 2. चेन्नई ट्रेड सैंटर, चेन्नई में 6 से 8 फरवरी, 2011 तक "एक्वा एक्वेरिया=इंडिया 2011" आयोजित करने के लिए समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) कोच्ची को सहायता दी।
	जोड़	11	

[अनुवाद]

जम्मू और कश्मीर में मोबाइल सेवा पर प्रतिबंध

208. **श्री पोन्नम प्रभाकर :**
श्री राजय्या सिरिसिल्ला :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जम्मू और कश्मीर में मोबाइल सेवा पर प्रतिबंध लगाया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने उक्त राज्य में मोबाइल सेवा पर लगे प्रतिबंध को हाल में हटाने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संचार और सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरुदास कामत) (क) से (घ) जी, हां। समाज-विरोधी/राष्ट्र-विरोधी तत्वों द्वारा प्री-पेड मोबाइल सेवाओं के दुरुपयोग को देखते हुए, जम्मू और कश्मीर में प्री-पेड मोबाइल सेवाओं पर 01 फरवरी, 2004 से प्रतिबंध लगाया गया था और ये सेवाएं 23 नवम्बर, 2004 से पुनः शुरू कर दी गई थीं। तदनंतर, 01 नवम्बर, 2009 से प्री-पेड मोबाइल सेवाओं पर पुनः प्रतिबंध लगाया था, जिसे 20 जनवरी, 2010 से हटा लिया गया था।

उद्यान विकास

209. **श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर :**
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ :
श्री अब्दुल रहमान :
श्री मधु गौड यास्खी :
डॉ. कृपारानी किल्ली :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश के ऐसे सभी शहरों जिनकी जनसंख्या कम से कम दस लाख है, में उद्यान विभाग बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे स्थानों का क्षेत्र-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कार्य का उद्देश्य क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस प्रयोजनार्थ भूमि अर्जित की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव) : (क) से (ग) वर्तमान में देश में वनस्पति पार्क की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि कृषि एवं सहकारिता विभाग देश में बागवानी के समग्र विकास के लिए 2001-02 से 11 राज्यों में पूर्वोत्तर तथा हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन तथा 2005-06 से शेष 18 राज्यों तथा अंडमान एवं निकोबार, लक्षद्वीप तथा पुडुचेरी के तीन संघ शासित क्षेत्रों में राष्ट्रीय बागवानी मिशन से संबंधित दो केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें क्रियान्वित कर रहा है।

इन स्कीमों के अंतर्गत, वनस्पति बीज उत्पादन, संरक्षित दशाओं (ग्रीन हाउस, शेडनेट हाउस तथा प्लास्टिक टनेल) में उच्च मूल्य वनस्पति की खेती तथा सब्जियों की जैविक खेती के जरिये सब्जियों की खेती को बढ़ावा देने के लिए धनराशि प्रदान की जाती है। एच एम एन ई एच के तहत खुले खेत की दशाओं में सब्जी की खेती के लिए भी किसानों को सहायता दी जाती है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों के लिए राशन-कार्ड

210. **राजकुमारी रत्ना सिंह :**
श्री मनसुखभाई डी. वसावा :
श्री एस.एस. रामासुब्बू :
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गरीबी रेखा से नीचे के कई व्यक्तियों को उनकी पात्रतानुसार राशन-कार्ड जारी नहीं हुए हैं और कुछ अन्य व्यक्ति नकली राशन-कार्ड बनवाकर उनको दिए जाने वाले लाभ का उपयोग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने नकली राशन कार्डों को हटाने तथा सभी पात्र परिवारों को कार्ड जारी करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई अभियान शुरू किया है/करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम निकला है; और

(ङ) नकली कार्ड हटाने तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को जारी निर्देशों/परामर्शों का ब्यौरा क्या है तथा इस पर राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) से (ङ) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्द्र और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की संयुक्त जिम्मेदारी के अधीन चलाई जाती है। केन्द्र सरकार द्वारा अपनाए गए योजना आयोग के अनुमानों के आधार पर गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना के पात्र परिवारों की पहचान करने, उन्हें राशन कार्ड जारी करने आदि की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की होती है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को पात्र आवेदकों को राशन कार्ड जारी करने और अपात्र तथा जाली राशन कार्डों और राशन कार्डों में जाली यूनिटों को हटाने के लिए राशन कार्डों की आवधिक जांच करने का अधिकार दिया गया है।

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ परामर्श करके वर्ष 2006 में एक 9 सूत्री कार्य योजना तैयार की गई थी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ गरीबी रेखा से नीचे/अंत्योदय अन्न योजना की सूचियों की लगातार समीक्षा करना और खाद्यान्नों का लीकेज मुक्त वितरण सुनिश्चित करने के लिए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने सहित जाली/अपात्र राशन कार्ड समाप्त करना शामिल है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से यह अनुरोध भी किया गया था कि वे जाली/अपात्र राशन कार्ड जारी करने के लिए जिम्मेदार पाए गए सरकारी कर्मचारियों और ऐसे राशन कार्ड धारक परिवारों/व्यक्तियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई शुरू करें। सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को यह अनुदेश भी जारी किए गए हैं कि वे गरीबी रेखा से नीचे/अंत्योदय अन्न योजना परिवारों की मौजूदा सूचियों की समीक्षा करने और अपात्र/जाली राशन कार्डों को समाप्त करने के लिए अक्तूबर, 2009 से दिसम्बर, 2009 तक गहन अभियान चलाएं। इसके परिणामस्वरूप 31.1.2011 तक 26 राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने 208.57 लाख जाली/अपात्र राशन कार्ड समाप्त करने की सूचना दी है।

सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को यह अनुदेश भी जारी किए गए हैं कि वे समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर जाली राशनकार्ड वापस करने के लिए जाली राशन कार्डधारकों को चेतावनी जारी करें।

[अनुवाद]

वाहनों में लगाई जाने वाली प्रणाली

211. **श्री नित्यानंद प्रधान :**
श्री बैजयंत पांडा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस का वाहनों में ऐसी प्रणाली लगाने का प्रस्ताव है जिसके जरिये वाहनों की नंबर-प्लेटों को पढ़कर उनके विरुद्ध लंबित चालानों की त्वरित सूचना प्राप्त हो सके ताकि आगे कार्रवाई की जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी प्रणालियों को प्रभावी रूप से इस्तेमाल करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा इनको कब तक प्रचालित किये जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (ग) इस समय दिल्ली यातायात पुलिस का वाहनों में ऐसी प्रणाली लगाने का प्रस्ताव नहीं है जिसके जरिए वाहनों की नंबर प्लेटों को पढ़कर उनके विरुद्ध लंबित चालानों की त्वरित सूचना प्राप्त हो सके और आगे अभियोजन की कार्रवाई की जा सके।

[हिन्दी]

दूध की बढ़ती कीमत

212. श्री जगदीश शर्मा :
डॉ. बलीराम :
श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दूध, पनीर, तथा मक्खन जैसे दुग्ध पदार्थों और कुक्कुट उत्पादों की कीमतें बढ़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या चारे के कम उपलब्ध होने से दूध उत्पादन में कमी आई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) उक्त उत्पादों की कीमतें कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव) : (क) और (ख) 5 फरवरी, 2011 को समाप्त सप्ताह के लिए दूध की मुद्रा स्फीति की दर वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 11.66% थी और अंडा, मीट और मछली के लिए यह दर 15.14% थी। मूल्यों में वृद्धि मुख्यत: उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण बताई जाती है।

(ग) जी नहीं।

(घ) दुग्ध उत्पादन 2008-09 के दौरान 108.58 मिलियन टन से बढ़कर 2009-10 के दौरान 112.54 मिलियन टन हो गया है।

(ङ) दूध के मूल्य को केन्द्र सरकार द्वारा विनियमित नहीं किया जाता है। घरेलू बाजार में तरल दूध की उपलब्धता को बढ़ाने और दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों के मूल्यों को स्थिर करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :-

1 राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को राज्य दुग्ध संघों और मैट्रो डेयरियों द्वारा दूध के पुनर्गठन के लिए वर्ष 2011-12 के लिए शुल्क दर कोटा के तहत 0% रियायती शुल्क पर 30,000 मीट्रिक टन स्किम्ड दुध चूर्ण और संपूर्ण दुग्ध चूर्ण तथा 15,000 मीट्रिक टन बटर, बटर ऑयल और एन्हीड्रॉस दूध का आयात करने की अनुमति दी गई है।

2 केसिन के निर्यात के लिए शुल्क पात्रता पास बुक (डीईपीबी) लाभ को 24.1.2011 से वापस ले लिया गया है।

3 राज्य दुग्ध संघों को निर्देश दिया गया है कि वे उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर तरल दूध की पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई करें।

गुमशुदा बच्चे

213. डा. भोला सिंह :
श्री धर्मेन्द्र यादव :
श्री आनंदराव अडसुल :
श्री सोनवणे प्रताप नारायणराव :
श्री भक्त चरण दास :
श्री अधलराव पाटील शिवाजी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित देश भर में बच्चों के गुम होने के कई मामले प्रकाश में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार तथा बालक/बालिकावार ऐसे कुल कितने मामले दर्ज हुए तथा कितने बच्चों का पता लग पाया/नहीं लग पाया;

(ग) क्या बच्चों का अपहरण करने तथा उन्हें वेश्यावृत्ति, बंधुआ मजदूरी, भीख मांगने तथा अन्य प्रकार की अवैध गतिविधियों में संलिप्त करने के पीछे संगठित गिरोहों का हाथ होने की खबर है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उक्त अवधि के दौरान दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित देश भर में ऐसे अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु राज्यवार क्या समन्वित प्रयास किए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और देश में पुलिस कर्मियों द्वारा गुमशुदा बच्चों के बारे में रिपोर्ट दर्ज न करने संबंधी कोई शिकायत मिली है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा उक्त अवधि के दौरान दिल्ली रा.रा. क्षेत्र तथा देश में दोषारोपित पुलिस कर्मियों के विरुद्ध क्या कार्यवाई की गई?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरूदास कामत) : (क) से (ग) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा प्रदान किए गए, आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2007, 2008 और 2009 के प्रत्येक वर्ष के लिए 'लापता'/'पता लगाए गए', अपहरण एवं व्यपहरण किए गए बच्चों की संख्या से संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार सूचना संलग्न विवरण-I में और II में दी गई है। दिल्ली पुलिस द्वारा प्रदत्त आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2008-2010 के दौरान लापता सूचित किए गए बच्चों की कुल संख्या 6268, 5946 और 5091 थी और अपहरण किए गए बच्चों की कुल संख्या 1198, 2254, और 2975 थी। वर्ष 2008-2010 की अवधि के लिए कुल 5829, 5336 और 3774 बच्चों का पता लगाया गया और कुल 439, 610 और 1317 बच्चों का पता नहीं लगाया जा सका।

(घ) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय हैं इसलिए अपराध रोकने, पता लगाने, दर्ज करने, जांच पड़ताल करने और अभियोजन चलाने की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। तथापि, भारत सरकार बच्चों के कल्याण के संबंध में अत्यधिक चिन्तित है और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को विभिन्न योजनाओं और सलाह के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में उनकी सहायता करती रहती है।

केन्द्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को दिनांक 14 जुलाई, 2010 को विस्तृत सलाह जारी की है जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे स्कूलों/संस्थानों, विद्यार्थियों द्वारा प्रयुक्त सार्वजनिक परिवहन, बच्चों के पार्कों/खेल के मैदानों, रिहाइशी स्थानों/सड़कों आदि की सुरक्षा की स्थिति में सुधार करने के लिए हर संभव कदम उठाना सुनिश्चित करें। यह भी सलाह दी गई है कि अपराध संभावित क्षेत्रों की पहचान की जाये और विद्यार्थियों विशेष रूप से बालिकाओं की रक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसे क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की व्यतिक्रम पर नजर रखने के लिए तंत्र स्थापित किए जायें। इस प्रयोजन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निम्नलिखित कदम उठाने की सलाह दी गई है :-

(i) बीट कांस्टेबलों की संख्या बढ़ाना;

(ii) विशेष रूप से दूर दराज और सुनसान क्षेत्रों में पुलिस सहायता बूथ/कियोस्क की संख्या बढ़ाना;

(iii) विशेष रूप से रात के दौरान पुलिस ग्रस्त बढ़ाना।

(iv) अपराध संभावित क्षेत्रों में पुलिस आधारभूत संरचना के साथ पूरी तरह से लैस पर्याप्त संख्या में पुलिस अधिकारियों, विशेष रूप से महिला अधिकारियों की तैनाती करना।

इसके अलावा, दिल्ली पुलिस ने कई कदम उठाये हैं जिनमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लापता व्यक्तियों की सूचना देने के लिए 24x7 हैल्प लाइन संख्या, लोकप्रिय समाचार पत्रों में विज्ञापन देना, प्राथमिकी दर्ज करना, वेब आधारित कम्प्यूटर आवेदन पत्र का विकास करना जोनल इन्टीग्रेटेड पुलिस नैट (जिपनैट) स्थापित करना शामिल है जो लापता बच्चों से संबंधित सूचना एकत्र करता है। दिल्ली पुलिस ने 18 वर्ष और इससे कम की आयु की पता न लगाई गई बालिकाओं और 12 वर्ष या इससे कम आयु के पता न लगाए गए बालकों की प्रत्येक घटना में प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में संशोधित स्थायी आदेश संख्या 258/09 में स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं।

(ङ) और (च) इस संबंध में कोई विशिष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है। तथापि, इस मंत्रालय की सलाह में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को विशेष रूप में यह सलाह दी गई है कि बच्चों के प्रति होने वाले सभी प्रकार के अपराधों में एफ आई आर दर्ज करने में किसी भी तरह का विलंब नहीं होना चाहिए। एफ आई आर में नामित सभी अभियुक्तों को पकड़ने के लिए यथासंभव सभी प्रयास किए जाने चाहिए ताकि पीड़ितों और उनके परिवार के सदस्यों में विश्वास पैदा हो सके। प्रशासन और पुलिस को बच्चों के प्रति होने वाले अपराधों का पता लगाने और जांच करने में अत्यधिक सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए और यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई तथ्य छिपाया न जाए।

विवरण-I

वर्ष 2007-2009 के दौरान लापता हुए/पता लगाए गए बच्चों की (लिंगवार) संख्या

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2007				2008				2009			
		पुरुष		महिला		पुरुष		महिला		पुरुष		महिला	
		लापता	पता लगाए गए	लापता	पता लगाए गए	लापता	पता लगाए गए	लापता	पता लगाए गए	लापता	पता लगाए गए	लापता	पता लगाए गए
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	10	10	25	25	21	20	35	33	16	15	30	29
2	आन्ध्र प्रदेश	348	254	426	281	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
3	अरुणाचल प्रदेश	4	4	3	3	6	6	6	4	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
4	असम	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
5	बिहार	354	250	122	96	232	428	328	178	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
6	चंडीगढ़	105	86	67	53	51	34	67	43	51	26	68	42
7	छत्तीसगढ़	1159	1050	1769	1337	1089	1023	1617	1523	997	913	1826	1441
8	दादरा और नगर हवेली	12	9	3	2	8	5	15	12	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
9	दमन और दीव	5	5	6	3	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
10	दिल्ली	98	65	133	63	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
11	गोवा	103	85	169	134	107	87	150	121	90	75	146	131
12	गुजरात	1175	964	1207	1026	1158	1008	1486	1176	1071	883	1647	1238
13	हरियाणा	567	303	187	97	580	367	265	123	598	328	317	163
14	हिमाचल प्रदेश	163	102	116	60	192	117	170	95	131	73	139	92
15	जम्मू और कश्मीर	287	207	158	112	155	104	121	59	209	136	157	111
16	झारखंड	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	कर्नाटक	1347	1075	2283	1947	1818	1535	2374	2199	1697	1489	2299	2058
18	केरल	447	372	521	457	496	427	710	602	401	344	595	524
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0	एनआर	एनआर	1	1	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
20	मध्य प्रदेश	4413	4050	4439	3775	3857	3341	4798	3899	4121	3948	5377	4782
21	महाराष्ट्र	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
22	मणिपुर	29	16	10	9	29	12	16	8	28	27	17	15
23	मेघालय	9	4	27	8	28	22	43	39	65	55	103	91
24	मिजोरम	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
25	नागालैंड	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	64	42	64	35	50	28	67	38
26	उड़ीसा	675	427	982	598	620	344	1113	555	633	246	1249	422
27	पुडुचेरी	30	30	38	38	31	31	45	45	25	25	32	32
28	पंजाब	433	613	131	179	188	1	80	0	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
29	राजस्थान	1480	1327	945	830	1385	1129	1092	883	1248	1044	1483	1179
30	सिक्किम	110	67	186	116	82	50	136	82	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
31	तमिलनाडु	774	607	1013	875	683	498	1130	959	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
32	त्रिपुरा	56	54	137	135	67	56	225	202	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
33	उत्तर प्रदेश	3223	2764	1040	896	2624	2122	973	766	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
34	उत्तराखंड	240	168	116	84	295	144	119	140	260	198	171	133
35	पश्चिम बंगाल	4740	2433	6957	3292	4220	1923	6872	2673	3926	1370	7601	1985
	कुल	22396	17401	23216	16531	20086	14876	24051	16455	15617	11223	23324	14506

टिप्पणी : जिन राज्यों से भी आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं उनके लिए 'एनआर' दर्शाया गया है।

विवरण-II

वर्ष 2007-09 के दौरान बच्चों के अपहरण एवं व्यपहरण के तहत पंजीकृत मामले (सीआर), आरोप पत्रित मामले (सीएस), दोषसिद्ध मामले (सीवी), गिरफ्तार व्यक्ति (पीएआर), आरोपपत्रित व्यक्ति (पीसीएस), दोषसिद्ध व्यक्ति (पीसीवी)

क्रम सं.	राज्य	2007						2008						2009					
		सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	आंध्र प्रदेश	609	447	35	654	651	54	433	380	11	563	619	35	632	467	22	638	552	55
2	अरुणाचल प्रदेश	3	8	0	3	5	0	13	11	0	11	11	0	17	13	0	12	13	0
3	असम	29	24	10	29	22	10	7	13	1	9	16	2	5	8	0	7	6	0
4	बिहार	421	130	6	603	243	16	496	328	15	931	694	17	722	364	7	988	740	17
5	छत्तीसगढ़	103	82	9	87	85	14	96	94	16	105	104	10	121	103	26	102	106	16
6	गोवा	7	3	2	5	3	3	24	8	0	28	9	0	21	14	2	24	27	2
7	गुजरात	436	317	18	505	464	19	521	421	14	606	618	18	503	377	8	528	549	11
8	हरियाणा	107	31	5	138	141	28	104	82	17	89	92	22	149	77	15	121	114	29
9	हिमाचल प्रदेश	61	32	2	32	29	0	78	39	4	89	59	6	72	51	8	67	53	5
10	जम्मू और कश्मीर	8	20	0	9	9	0	3	4	0	6	4	0	10	1	0	1	1	0
11	झारखंड	7	8	6	6	7	17	18	11	1	36	25	1	8	3	3	10	9	3
12	कर्नाटक	62	46	1	62	54	1	99	41	1	69	61	1	67	63	0	92	80	0
13	केरल	73	58	4	96	91	8	87	72	2	93	111	2	83	64	4	105	82	4
14	मध्य प्रदेश	283	205	47	271	285	85	264	246	53	357	351	82	427	329	49	547	542	74
15	महाराष्ट्र	590	415	8	650	614	13	598	476	13	699	627	17	534	479	17	629	624	19
16	मणिपुर	42	0	0	17	0	0	61	0	0	5	0	0	52	0	0	34	0	0
17	मेघालय	9	3	0	7	3	0	21	7	0	12	11	0	9	5	0	4	7	0
18	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	2	2	0	1	1	0	1	1	1	2	2	1
19	नागालैंड	2	2	1	2	2	1	3	1	0	3	1	0	0	1	0	0	1	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
20	उड़ीसा	36	29	0	36	34	0	8	11	0	24	29	0	30	17	0	36	31	0
21	पंजाब	296	127	12	165	128	29	184	95	11	160	143	12	355	143	21	451	211	31
22	राजस्थान	589	278	19	300	298	23	504	226	29	251	247	35	761	349	43	465	468	57
23	सिक्किम	5	1	0	3	2	0	3	1	1	1	1	1	6	3	3	4	3	3
24	तमिलनाडु	197	84	3	197	115	12	275	181	19	216	231	19	300	190	7	325	255	12
25	त्रिपुरा	11	8	2	9	8	3	23	17	2	25	24	2	12	13	0	1	4	0
26	उत्तर प्रदेश	1041	729	372	1563	1240	607	2224	1308	532	3043	2061	928	1535	1046	531	2370	1913	933
27	उत्तराखंड	46	31	6	49	38	13	24	21	9	39	47	11	10	8	6	11	16	13
28	पश्चिम बंगाल	88	38	1	110	51	1	196	136	2	154	165	5	199	105	3	167	131	1
	कुल राज्य	5161	3156	569	5638	4622	957	6369	4232	753	7603	6362	1226	6641	4292	776	7741	6540	1286
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	7	2	0	6	3	0	12	5	0	9	9	0	10	2	0	5	2	0
30	चंडीगढ़	30	8	10	36	20	14	36	13	7	39	15	8	27	15	7	15	18	9
31	दादरा और नगर हवेली	6	4	0	4	4	0	11	7	0	17	9	0	8	8	2	11	17	3
32	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	दिल्ली संघ शासित प्रदेश	1161	236	41	410	383	48	1208	335	46	388	353	68	2248	381	65	326	385	35
34	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	पुडुचेरी	12	13	0	10	17	0	14	4	0	10	5	0	11	12	0	14	13	0
	कुल संघ शासित	1216	263	51	466	427	62	1281	364	53	463	391	76	2304	418	74	371	435	47
	कुल अखिल भारत	6377	3419	620	6104	5049	1019	7650	4596	806	8066	6753	1302	8945	4710	850	8112	6975	1333

स्रोत : भारत में अपराध

नोट : पुलिस और न्यायालयों द्वारा निपटान संबंधी जानकारी में पिछले वर्षों के लंबित मामलों की जानकारी शामिल है।

बीटी कॉटन बीज

214. श्री भूदेव चौधरी :
श्री मनसुखभाई डी. वसावा :
श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई रादड़िया :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बीटी कॉटन की खेती की आर्थिक संभाव्यता और दुष्प्रभाव का आकलन करने हेतु कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में ऐसे बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु कोई कदम उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव) : (क) से (घ) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के तहत खतरनाक सूक्ष्म जीव/आनुवंशिक रूप से विकसित जीवों या कोशिकाओं के उत्पादन, उपयोग, आयात, निर्यात तथा भण्डारण नियमावली 1989 के अंतर्गत सभी आनुवंशिक रूप से आशोधित जीवों का विनियमन किया जाता है। आनुवंशिक रूप से आशोधित बीजों की सुरक्षा, प्रभाव तथा सस्य वैज्ञानिक निष्पादन से संबंधित विभिन्न मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यीकरण के लिए किसी भी जी एम ओ के अनुमोदन के पहले व्यापक मूल्यांकन एवं विनियमन अनुमोदन प्रक्रिया अपनाई जाती है। सी आई सी आर, नागपुर ने भी फसल उत्पादकता के मामले में बी.टी. कपास की खेती के प्रभाव का विश्लेषण किया है। उपरोक्त अध्ययनों से सभी कपास उत्पादक क्षेत्रों में तथा विविध सस्य-जलवायवीय दशाओं में बी.टी. कपास का सकारात्मक असर स्थापित हुआ है। कपास की फसल के लिए अपेक्षित कीटनाशकों के छिड़काव की बारम्बारता में कमी लाई गई है तथा कपास फसल की उपज में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

[अनुवाद]

आतंकवादी हमले

215. श्री संजय धोत्रे :
श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े :
श्री यशवीर सिंह :
श्री नीरज शेखर :
श्रीमती जयाप्रदा :
श्री भूदेव चौधरी :
श्री ए. सम्पत :
श्री विश्वमोहन कुमार :
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :
श्री एस.एस. रामासुब्बू :
श्री रायापति सांबासिवा राव :
श्री एस. पक्कीरप्पा :
श्री बद्रीराम जाखड़ :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान वाराणसी सहित देश में हुए बम-विस्फोटों/आतंकवादी हमलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) वाराणसी सहित देश में हुई ऐसी घटनाओं में मारे गए/घायल हुए लोगों के बारे में ब्यौरा क्या है;

(ग) दिल्ली और वाराणसी में हुए विस्फोटों के शिकार व्यक्तियों सहित ऐसे बम-विस्फोटों/आतंकवादी हमलों से पीड़ित व्यक्तियों/उनके परिजनों के लिए घोषित किए गए मुआवजे और उसके भुगतान का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्रीय आसूचना एजेंसियों ने उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को ऐसे आतंकी हमले के बारे में आगाह कर दिया था;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा वाराणसी में इस हमले को रोकने में विफलता के क्या कारण हैं; और

(च) ऐसी घटनाएं रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरूदास कामत) : (क) और (ख) प्रासंगिक जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) आतंकवादी/साम्प्रदायिक हिंसा के पीड़ितों को वित्तीय सहायता देने की एक केन्द्रीय योजना 1 अप्रैल, 2008 से चल रही है। नक्सली हिंसा के सिविलियन पीड़ितों को कवर करने के लिए दिनांक 22.06.2009 से इस योजना का विस्तार किया गया है। इस योजना के तहत मारे गए अथवा स्थायी रूप से अपंग हुए नागरिकों के सगे-संबंधियों को जिला मजिस्ट्रेट/जिला कलेक्टर, राज्य सरकार की सिफारिश पर 3 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत संवितरित की गई राशि वर्ष 2008 में 2.13 करोड़

रुपए, वर्ष 2009 में 4.56 करोड़ रुपए और वर्ष 2010-11 के दौरान 4.41 करोड़ रुपए है। केन्द्रीय योजना के अतिरिक्त, जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार ने वाराणसी धमाके के पीड़ितों के मामले में मृतक के सगे-संबंधियों को 1 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायल हुए व्यक्ति को 50 हजार रुपए और मामूली रूप से घायल लोगों को 25 हजार रुपए प्रदान किए हैं।

(घ) से (च) जी, हां। इंडियन मुजाहीद्दीन/एलईटी की भीड़-भाड़ वाले धार्मिक स्थलों, व्यस्त बाजारों, रेलवे स्टेशनों, शॉपिंग मालों और मनोरंजन स्थलों को निशाना बनाने की योजना के बारे में उत्तर प्रदेश पुलिस को आगाह करते हुए आसूचना अलर्ट जारी किए गए थे।

सरकार आतंकवाद से निपटने के लिए एक बहु-आयामी रणनीत अपनाती रही है और इस संदर्भ में सुरक्षा व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय किए गए हैं। जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों की क्षमता को बढ़ाना, सीआई एस एफ अधिनियम में संशोधन करना, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और मुम्बई में एन एस जी हबों की स्थापना करना और बहु-एजेन्सी केन्द्रों एवं राज्य की विशेष शाखाओं के बीच सुरक्षा संपर्क स्थापित करना शामिल है।

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान बम धमाकों/आतंकवादी हमलों के ब्यौरे

क्रम सं.	तारीख	घटना	हताहत	
			मारे गए	घायल हुए
1	07.12.2010	वाराणसी (उ.प्र.) में बम धमाका	02	42
2	19.09.2010	जामा मस्जिद (दिल्ली) में गोलीबारी एवं विस्फोट	-	02
3	17.04.2010	चिन्नास्वामी स्टेडियम धमाका	-	14
4	13.2.2010	पुणे में बम विस्फोट	17	55
5	16.10.2009	मडगांव धमाका	02	-
6	26.11.2008-28.11.2008	मुम्बई में आतंकवादी हमला	174	292
7	29.9.2008	मालेगांव, महाराष्ट्र में बम धमाका	06	29
8	29.8.2008	साबरकांठा, गुजरात में बम धमाका	01	10
9	27.09.2008	महरौली, दिल्ली में बम धमाका	01	23
10	13.09.2008	दिल्ली में 5 श्रृंखलाबद्ध-बम धमाके	22	131
11	26.7.2008	अहमदाबाद में श्रृंखलाबद्ध 18 बम धमाके	57	157
12	23.07.2008	बंगलौर में श्रृंखलाबद्ध 8 बम धमाके	01	08
13	13.05.2008	जयपुर में श्रृंखलाबद्ध बम धमाके	68	150
14	01.01.2008	रामपुर स्थित सी आर पी एफ ग्रुप कैम्प पर हमला	08	03

[हिन्दी]

कृषि-उत्पाद का मूल्य

216. **श्रीमती सुशीला सरोज :**
श्री गणेश सिंह :
श्री पी. बलराम नायक:
श्रीमती ऊषा वर्मा :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न कृषि उत्पादों की उत्पादन लागत में बढ़ोतरी की दर कितनी रही;

(ख) क्या विगत वर्षों के दौरान कृषिकर्म में प्रयुक्त होने वाले आदानों की लागत वृद्धि तथा कृषि उत्पाद के मूल्य में वृद्धि के बीच भारी अंतर रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में सरकार की वर्तमान नीति क्या है;

(ङ) क्या सरकार का उक्त नीति में बदलाव करने तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करते समय किसानों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव) : (क) से (ग) वर्ष 2005-06 से 2008-09 के दौरान लागतों और न्यूनतम समर्थन मूल्य में प्रतिशत वृद्धि के फसल-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I से III में दिए गए हैं।

(घ) से (च) कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर किसानों को उनके उत्पादों का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किए जाते हैं। अनेक फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश संबंधी कार्य प्रारंभ करने में सरकार द्वारा आयोग को दिए गए विचारार्थ विषयों के द्वारा मार्गदर्शन दिया जाता है। समय-समय पर आयोग के विचारार्थ विषयों में सुधार किया गया है तथा उनका देश में कृषि परिप्रेक्ष्य में आए बदलाव के साथ सामंजस्य बनाए रखने के लिए विस्तार किया गया है।

आयोग के घटकों में कृषि समुदाय का प्रतिनिधित्व होता है। कृषि समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले गैर-सरकारी सदस्य, आयोग द्वारा किसानों सहित भिन्न-भिन्न सम्बद्ध पक्षों की बैठकों में किसानों से परामर्श कर अनेक फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने की प्रक्रिया में योगदान देते हैं।

विवरण-I

वर्ष 2005-06 से 2008-09 के दौरान विभिन्न फसलों की लागत में वृद्धि दर (%) तथा सी 2 लागत

फसल	सी 2 लागत (प्रति क्विंटल)				गत वर्ष % बदलाव		
	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5	6	7	8
खरीफ फसल							
धान (सामान्य)	557.60	569.45	594.63	618.76	2.13	4.42	4.06
ज्वार (हाईब्रिड)	677.27	702.33	724.27	764.63	3.70	3.12	5.57
बाजरा	604.01	620.25	598.27	642.93	2.69	-3.54	7.46
रागी	722.57	807.63	805.10	832.17	11.77	-0.31	3.36
मक्का	575.47	590.25	601.33	679.64	2.57	1.88	13.02
तूर (अरहर)	1341.50	1436.02	1513.82	1609.08	7.05	5.42	6.29
मूंग	1824.82	1913.79	1981.03	2293.13	4.88	3.51	15.75
उड़द	1695.81	1701.25	1740.68	1994.33	0.32	2.32	14.57
मूंगफली	1508.65	1459.85	1483.62	1659.10	-3.23	1.63	11.83
सूरजमुखी के बीज	1753.53	1906.39	2004.32	2010.93	8.72	5.14	0.33

1	2	3	4	5	6	7	8
सोयाबीन (पीला)	961.53	1003.20	1058.39	1180.88	4.33	5.50	11.57
तिल	2055.48	2131.81	2176.13	2497.78	3.71	2.08	14.78
कपास (एफ 414 और एच 777)	2076.84	2124.54	2110.53	2087.72	2.30	-0.66	-1.08
रबी फसल							
गेहूं	515.56	541.52	573.58	624.46	5.04	5.92	8.87
जौ	494.80	520.94	524.75	554.51	5.28	0.73	5.67
चना	1221.46	1258.95	1281.70	1386.69	3.07	1.81	8.19
लेन्टिल (मसूर)	1234.87	1278.95	1270.80	1333.51	3.57	-0.64	4.94
रेपसीड और सरसों	1164.52	1186.14	1200.98	1197.54	1.86	1.25	-0.29
कुसुम्भ	1449.06	1474.76	1486.13	1605.21	1.77	0.77	8.01
अन्य							
गन्ना	72.24	73.76	75.59	75.86	2.10	2.48	0.36
जूट	906.61	986.95	1052.08	1090.82	8.86	6.60	3.68

लागत सी 2 में लागत ए 2 पारिवारिक श्रम का आरोपित मूल्य स्वामित्व प्राप्त अचल पूंजीगत परिसम्पित्तियों के मूल्य पर ब्याज स्वामित्वप्राप्त भूमि का किराया मूल्य शामिल है।

विवरण-II

वर्ष 2005-06 से 2008-09 के दौरान लागत ए2+एफ एल तथा पारिवारिक श्रम (ए2+एफएल) सहित आदान लागत में वृद्धि दर

फसल	ए2+एफएल (प्रति क्विंटल)				गत वर्ष पर % बदलाव		
	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5	6	7	8
खरीफ फसल							
धान (सामान्य)	406.95	420.32	438.64	455.92	3.29	4.36	3.94
ज्वार (सामान्य)	510.33	520.97	546.37	586.03	2.08	4.88	7.26
बाजरा	479.22	485.09	443.96	473.51	1.23	-8.48	6.66
रागी	583.99	669.09	672.81	719.73	14.57	0.56	6.97
मक्का	436.25	451.92	448.73	513.37	3.59	-0.70	14.41
तूर (अरहर)	898.93	952.58	1039.98	1074.02	5.97	9.17	3.27

1	2	3	4	5	6	7	8
मूंग	1367.92	1437.74	1463.67	1730.94	5.10	1.80	18.26
उड़द	1201.62	1234.89	1268.85	1437.81	2.77	2.75	13.32
मूंगफली	1178.19	1104.55	1119.58	1251.93	-6.25	1.36	11.82
सूरजमुखी के बीज	1343.40	1433.99	1440.05	1555.39	6.74	0.42	8.01
सोयाबीन (पीला)	709.34	725.85	760.74	863.83	2.33	4.81	13.55
रामतिल	990.21	1131.85	1188.19	1775.89	14.30	4.98	49.46
कपास (एफ 414 और एच 777)	1549.01	1538.93	1528.11	1541.35	-0.65	-0.70	0.87
रबी फसल							
गेहूं	342.93	362.51	386.99	403.87	5.71	6.75	4.36
जौ	350.25	366.68	362.75	364.82	4.69	-1.07	0.57
चना	759.98	809.17	827.08	876.52	6.47	2.21	5.98
लेन्टिल (मसूर)	706.65	767.68	756.84	780.15	8.64	-1.41	3.08
रेपसीड और सरसों	782.43	772.01	755.70	748.34	-1.33	-2.11	-0.97
कुसुम्भ	930.57	944.17	1079.17	1206.11	1.46	14.30	11.76
अन्य							
गन्ना	49.82	50.60	48.81	49.79	1.55	-3.53	2.01
जूट	683.99	766.11	833.41	850.45	12.01	8.78	2.04

लागत ए2+एफएल में मानव श्रम (पारिवारिक श्रम सहित) पर वहन की गयी लागत, बैल, श्रम, मशीन श्रम बीज उर्वरक तथा खाद सिंचाई प्रभार कार्यशील पूंजी पर ब्याज और पट्टे पर ली गई भूमि हेतु भुगतान किया गया किराया शामिल है।

विवरण-III

विगत तीन वर्षों के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि दर

फसल	न्यूनतम समर्थन मूल्य (प्रति क्विंटल)				न्यूनतम समर्थन, मूल्य में गत वर्ष पर % बदलाव)		
	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5	6	7	8
खरीफ फसल							
धान (सामान्य)	570.00	620.00	745.00	900.00	8.77	20.16	20.81
ज्वार (हाईब्रिड)	525.00	540.00	600.00	840.00	2.86	11.11	40.00

1	2	3	4	5	6	7	8
बाजरा	525.00	540.00	600.00	840.00	2.86	11.11	40.00
रागी	525.00	540.00	600.00	915.00	2.86	11.11	52.50
मक्का	540.00	540.00	620.00	840.00	0.00	14.81	35.48
तूर (अरहर)	1400.00	1410.00	1590.00	2000.00	0.71	12.77	25.79
मूंग	1520.00	1520.00	1740.00	2520.00	0.00	14.47	44.83
उड़द	1520.00	1520.00	1740.00	2520.00	0.00	14.47	44.83
मूंगफली	1520.00	1520.00	1550.00	2100.00	0.00	1.97	35.48
सूरजमुखी के बीज	1500.00	1500.00	1510.00	2215.00	0.00	0.67	46.69
सोयाबीन (पीला)	1010.00	1020.00	1050.00	1390.00	0.99	2.94	32.38
तिल	1550.00	1560.00	1580.00	2750.00	0.65	1.28	74.05
रामतिल	1200.00	1220.00	1240.00	2405.00	1.67	1.64	93.95
कपास (एफ 414 और एच 777)	1760.00	1770.00	1800.00	2500.00	0.57	1.69	38.89
रबी फसल							
गेहूं	640.00	700.00	850.00	1000.00	9.38	21.43	17.65
जौ	540.00	550.00	565.00	650.00	1.85	2.73	15.04
चना	1425.00	1435.00	1445.00	1600.00	0.70	0.70	10.73
लेन्टिल (मसूर)	1525.00	1535.00	1545.00	1700.00	0.66	0.65	10.03
रेपसीड और सरसों	1700.00	1715.00	1715.00	1800.00	0.88	0.00	4.96
कुसुम्भ	1550.00	1565.00	1565.00	1650.00	0.97	0.00	5.43
अन्य							
गन्ना	79.50	80.25	81.18	81.18	0.94	1.16	0.00
जूट	910.00	1000.00	1055.00	1250	9.89	5.50	18.48

*धान हेतु 2009-10 के दौरान 50 रुपए की सीमा तक बोनस स्वीकृत किया गया।

भूखंडों और आवासों के पंजीकरण की एक समान योजना

217. श्री संजय सिंह चौहान :

श्री अरविन्द कुमार चौधरी :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में भूखंडों और आवासों के पंजीकरण हेतु एक समान प्रणाली लाने के योजना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को इस संबंध में राज्य सरकारों से सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) से (ङ) जी, नहीं। शहरी विकास मंत्रालय पूरे देश में प्लाटों और मकानों के पंजीकरण हेतु कोई एक समान प्रणाली शुरू करने की योजना पर विचार नहीं कर रहा है।

[अनुवाद]

वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों हेतु एकीकृत कार्य-योजना

218. **डॉ. संजीव गणेश नाईक :**
श्री नामा नागेश्वर राव :
श्री रामकिशुन :
श्रीमती सुप्रिया सुले :
श्री मानिक टैगोर :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के विकास हेतु सहायता उपलब्ध कराने की दृष्टि से एकीकृत कार्य-योजनाएं तैयार करने हेतु कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके अंतर्गत कितनी योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं;

(ग) क्या सरकार ने वामपंथी उग्रवादी/नक्सलवाद से प्रभावित राज्यों के क्षेत्रों हेतु उक्त परियोजनाओं/कार्ययोजनाओं के अंतर्गत वित्त उपयोग संबंधी कोई मार्गनिर्देश बनाए/परिचालित किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्यों द्वारा उक्त मार्गनिर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने तथा वामपंथी उग्रवाद की चुनौतियों से सफलतापूर्वक निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरूदास कामत) : (क) और (ख) वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 48 जिलों सहित चुने हुए 60 आदिवासी और पिछड़े जिलों के लिए दिनांक 25 नवम्बर, 2010 को एकीकृत कार्य योजना (आई ए पी) का अनुमोदन किया गया है और इसका कार्यान्वियन किया जा रहा है। आई ए पी में शामिल किए गए जिलों को वर्ष 2010-11 में 25 करोड़ रुपए का ब्लॉक अनुदान प्रदान किया गया है और वर्ष 2011-12 के दौरान प्रति जिला 30 करोड़ रुपए प्रदान किया जाएगा। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता और पुलिस अधीक्षक तथा जिला वन अधिकारी को मिला करके बनाई गई समिति, योजना के कार्यान्वियन के लिए जिम्मेदार होगी। जिला स्तरीय समिति द्वारा किए गए आकलन के आधार पर जरूरत के अनुसार राशि खर्च करने के लिए इसे लचीला रवैया अपनाने का अधिकार होगा।

(ग) जिला स्तरीय समिति को विद्यालय के भवन, आंगनवाड़ी केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पेयजल आपूर्ति, ग्रामीण सड़क जैसी सार्वजनिक अवसंरचना और सेवायें, पी एच सी और विद्यालयों आदि जैसी सार्वजनिक स्थलों पर बिजली की रोशनी करने के ठोस प्रस्तावों वाली योजना बनानी है।

इन परियोजनाओं पर किया जाने वाला व्यय, राज्य/केन्द्रीय/केन्द्रीय स्तर पर प्रायोजित नियमित योजनाओं पर किए जा रहे व्यय के न्यूनाधिक होना चाहिए। समिति को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एक ही परियोजना पर दोबारा व्यय नहीं किया जा रहा है। व्यय, राज्य सरकार के वर्तमान वित्तीय दिशानिर्देशों/नियमों के अनुसार किया जाना चाहिए।

(घ) यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है, राज्य का विकास आयुक्त/विकास का समतुल्य प्रभारी अधिकारी, आई ए पी के व्यय और मानीटरिंग की संवीक्षा करने के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा, आई ए पी की मैक्रो-लेवल मानीटरिंग, सदस्य सचिव, योजना आयोग की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा की जानी है।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का विकास

219. **श्री नृपेन्द्रनाथ राय :**
श्री नरहरि महतो :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की विकास-दर राज्य-वार कितनी रही;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान यह विकास-दर काफी धीमी रही;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार ने इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र से निवेश आमंत्रित किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इससे खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को कितना लाभ होने की आशा है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) वर्ष 2004 में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की वार्षिक विकास दर 7% थी जो वर्ष 2010 में बढ़कर 14% से अधिक हो गई है। राज्य-वार विकास दर के आंकड़े मंत्रालय द्वारा नहीं रखे जाते हैं।

(ख) और (ग) जी नहीं। क्षेत्र की विकास दर सामान्य तौर पर संतोषजनक रही है।

(घ) से (च) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय उद्यमियों को सहायता प्रदान करा कर खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के प्रोत्साहन और विकास हेतु विभिन्न योजना स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है ताकि इस क्षेत्र में निजी निवेशकों को प्रोत्साहित किया जा सके। ये स्कीमें हैं (i) प्रमुख घटक अर्थात मेगा खाद्य पार्क, शीत श्रृंखला, मूल्यवृद्धि केन्द्र, परिरक्षण अवसंरचना एवं बूचड़खानों को आधुनिकीकरण समेत अवसंरचना विकास स्कीम (ii) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण (iii) गुणता आश्वासन, मानक एवं अनुसंधान एवं विकास स्कीम (iv) मानव संसाधन विकास स्कीम (v) संस्थान सुदृढ़ीकरण स्कीम और (vi) स्ट्रीट फूड गुणवत्ता उन्नयन स्कीम।

"एग्रो-टैक-2010" मेला

220. श्री प्रदीप मांझी :
श्री किसनभाई वी. पटेल :
क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में "एग्रोटैक-2010" नाम से एक मेले का आयोजन किया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका उद्देश्य क्या था;

(ग) इसमें निजी क्षेत्र की कितनी भागीदारी रही; और

(घ) देश के कृषि क्षेत्र में मशीनी उपयोग बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव) : (क) और (ख) भारतीय उद्योग संघ (सीआईआई) द्वारा चण्डीगढ़ में 3 से 6 दिसम्बर, 2010 तक एग्रोटेक 2010 मेला आयोजित किया गया था। मुख्य विषय के रूप में संधारणीय कृषि के साथ एग्रो टेक 2010 मेले का उद्देश्य किसानों-विशेषज्ञों के सम्पर्क पर विशेष केन्द्रण के साथ प्रौद्योगिकीधारकों और प्रयोगकर्ता उद्योग के बीच सम्पर्क के रूप में कार्य करना था। इसका उद्देश्य मशीनरी और कृषि दोनों प्रथाओं को नवीनतम उत्कृष्ट प्रौद्योगिकियों के साथ किसानों को आमने सामने लाना था। मेले को चौथे दिन के दौरान कृषि उत्पादों और सेवाओं के प्रदर्शन, अंतर्राष्ट्रीय क्रेता-विक्रेता भेंट और भारतीय कृषि में समकालीन विषयों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के अतिरिक्त विभिन्न उपलब्ध कृषि व्यापार अवसरों के संबंध में किसानों को शिक्षित करने के लिए किसान गोष्ठियां आयोजित की गई।

(ग) मेले में निजी क्षेत्र से अत्यधिक संख्या में सहभागिता रही। एग्रोटेक 2010 मेले में 9 देशों से 63 कंपनियों सहित 230 कंपनियों ने अपने उत्पादों तथा सेवाओं का प्रदर्शन किया।

(घ) कृषि मंत्रालय देश में कृषि क्षेत्र में यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए कई स्कीमें क्रियान्वित कर रहा है। उनमें से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर के वी वाई), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन एफ एस एम) वृहत कृषि प्रबंधन (एम एम ए) राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एन एच एम) आदि प्रमुख हैं, जिसके अंतर्गत किसानों को सब्सिडाईज्ड दरों पर कृषि उपकरण तथा औजार उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके अतिरिक्त एक केन्द्र क्षेत्रीय स्कीम "प्रशिक्षण, परीक्षण तथा प्रदर्शन के माध्यम से कृषि यंत्रीकरण का संवर्धन एवं सुदृढ़ीकरण" भी क्रियान्वित की जा रही है जिसके अंतर्गत राज्य सरकारों तथा भा.कृ.अनु.परि. तथा केन्द्रीय/राज्य सरकारी संगठनों को किसानों के बीच जागरूकता पैदा करने तथा कृष्य उत्पादन व्यवस्था में नई प्रौद्योगिकी को शुरू करने में सहायता करने के लिए नव विकसित/उन्नत उपकरणों के प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण आयोजन के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

कपास का उत्पादन

221. श्री हर्षवर्धन :
डॉ. एम. तम्बिदुरई :
श्री मुकेश भैरवदानजी गढ़वी :

श्री जगदीश शर्मा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान कपास के उत्पादन में गिरावट का रुख रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या कपास के अपेक्षाकृत कम उत्पादन से प्रभावित किसानों को सहायता उपलब्ध कराने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव) : (क) और (ख) जी, नहीं। कपास का उत्पादन 2009-10 में 242.25 लाख गांठों से बढ़कर 2010-11 में 339.27 लाख गांठे (दूसरा अग्रिम अनुमान) हो गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति

222. **श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर :**
श्रीमती जे. शांता :
श्री एस.एस. रामासुब्बू :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति के तहत शहरों का श्रेणीकरण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का ऐसे राज्यों को जिन्होंने अपने शहरों में उत्तम स्वच्छता स्तर बनाए रखा है, खास सुविधाएं उपलब्ध कराने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति ने राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति के कार्यान्वियन के विभिन्न विशिष्टीकृत लक्ष्य वाली समयबद्ध कार्ययोजना तैयार की है; और

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) सफाई व्यवस्था राज्य का विषय है और इससे संबंधित अवस्थापना की योजना, कार्यान्वियन एवं निगरानी करना राज्य सरकार/शहरी स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी है। रेटिंग प्रक्रिया सफाई व्यवस्था की प्राथमिकता हेतु आवश्यकता के संबंध में राज्यों एवं शहरों को सुग्राही बनाने के लिए अभिप्रेत करती है। यह विचार किया गया है कि जो शहर सफाई के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, निर्मल शहर पुरस्कार से सम्मानित किए जायेंगे। शहरी विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न स्कीमों में भी सफाई व्यवस्था को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

सफाई व्यवस्था पर शहरों की रैंक-2009-2010

राष्ट्रीय शहरी सफाई नीति

क्रम सं.	शहर	राज्य	कुल	आउटपुट	प्रक्रिया	आउटकम
1	2	3	4	5	6	7
1	चंडीगढ़	चंडीगढ़	76.48	36.250	21.080	16.150
2	मैसूर	कर्नाटका	70.65	33.080	25.070	12.500

1	2	3	4	5	6	7
3	सूरत	गुजरात	69.08	29.750	23.833	15.496
4	एन.डी.एम.सी.	दिल्ली	68.27	36.000	19.715	12.550
5	दिल्ली सीएएनटीटी	दिल्ली	61.37	30.750	19.417	11.200
6	तिरुचिरापल्लि	तमिलनाडु	59.02	21.160	27.010	10.850
7	जमशेदपुर	झारखंड	57.96	31.720	17.000	9.240
8	मैंगलोर	कर्नाटका	57.34	20.840	22.500	14.000
9	राजकोट	गुजरात	56.12	21.833	21.525	12.760
10	कानपुर	उत्तर प्रदेश	55.34	23.545	21.475	10.320
11	नवी मुंबई	महाराष्ट्र	53.92	28.000	21.016	4.900
12	बैंगलोर	कर्नाटका	53.64	21.700	18.870	13.067
13	चेन्नई	तमिलनाडु	53.63	25.500	20.660	7.470
14	राउरकेला इंडस्ट्रीयल टाउनशिप	उड़ीसा	53.4	22.500	18.200	12.700
15	मंडया	कर्नाटका	53.33	18.740	20.590	14.000
16	विधनगर	वेस्ट बंगाल	52.82	25.170	18.000	9.650
17	नोएडा	उत्तर प्रदेश	51.91	23.360	20.500	8.050
18	शिलांग	मेघालय	51.55	18.900	22.850	9.800
19	एचएएमईडीएबीएडी*	गुजरात	51.29	21.167	21.160	8.960
20	अलंदुर	तमिलनाडु	50.24	22.240	21.000	7.000
21	हरिद्वार	उत्तराखंड	49.85	24.750	17.150	7.950
22	बिदर	कर्नाटका	49.82	17.170	21.450	11.200
23	अचलपुर	महाराष्ट्र	49.67	16.500	15.616	17.550
24	विजयवाड़ा	आंध्र प्रदेश	49.06	22.369	20.811	5.880
25	कोलकाता	वेस्टबंगाल	48.97	17.330	23.002	8.633
26	थंजावुर	तमिलनाडु	48.82	20.270	19.300	9.250

1	2	3	4	5	6	7
27	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	48.52	17.046	24.474	7.000
28	एस.ए.एस. नगर (एमओएचएएलआई)	पंजाब	48.43	21.900	19.880	6.650
29	अकोला	महाराष्ट्र	47.95	17.500	15.000	15.450
30	सेरम्पोरे	वेस्ट बंगाल	47.9	21.500	19.400	7.000
31	नेय्वलि	तमिलनाडु	47.6	23.240	21.000	3.360
32	कानपुर (सीबी)	उत्तर प्रदेश	47.55	19.333	13.417	14.800
33	सतारा	महाराष्ट्र	47.45	15.000	13.500	18.950
34	इचलकरंजे	महाराष्ट्र	47.42	20.450	15.200	11.767
35	सीतापुर	उत्तर प्रदेश	46.94	15.250	23.390	8.300
36	चंद्रपुर	महाराष्ट्र	46.92	19.500	18.200	9.217
37	हलिसहर	वेस्ट बंगाल	46.85	16.500	20.900	9.450
38	तिरुनेल्वेलि	तमिलनाडु	46.82	15.920	24.600	6.300
39	पल्लवराम	तमिलनाडु	46.54	17.990	22.700	5.850
40	तम्बारम	तमिलनाडु	46.19	20.500	21.940	3.750
41	होव्रह	वेस्ट बंगाल	45.94	17.978	21.520	6.440
42	गाजियाबाद (एम सीओआरपी)	उत्तर प्रदेश	45.85	26.750	15.250	3.850
43	गुंटूर	आंध्र प्रदेश	45.7	16.589	23.511	5.600
44	उडुपि	कर्नाटका	45.4	13.670	19.480	12.250
45	अगरतला	त्रिपुरा	45.29	19.200	16.990	9.100
46	ग्रेटर मुम्बई	महाराष्ट्र	45.08	14.250	23.593	7.233
47	चिकमगलूर	कर्नाटका	45.02	14.920	19.950	10.150
48	कोट्टायम	केरल	45	26.000	13.400	5.600
49	बोकारो स्टील सिटी	झारखंड	44.85	20.000	15.050	9.800

1	2	3	4	5	6	7
50	अमरावती	महाराष्ट्र	44.25	15.000	16.850	12.400
51	दक्षिण दमदम	वेस्ट बंगाल	44.24	18.740	18.850	6.650
52	मेरठ	उत्तर प्रदेश	44.15	11.653	18.797	13.700
53	नगेर्चोइल	तमिलनाडु	43.91	18.920	21.140	3.850
54	वर्रच्कपुर	वेस्ट बंगाल	43.85	19.250	18.650	5.950
55	पनवेल	महाराष्ट्र	43.66	19.410	20.400	3.850
56	बल्लय	वेस्ट बंगाल	43.65	17.000	20.700	5.950
57	गोंदिय	महाराष्ट्र	43.5	11.500	16.500	15.500
58	गोंडा	उत्तर प्रदेश	43.4	14.250	16.500	12.650
59	गुवाहाटी	आसाम	43.31	15.330	19.930	8.050
60	इरोड	तमिलनाडु	43.26	19.160	19.900	4.200
61	इंदौर	मध्य प्रदेश	43.26	14.539	17.400	11.320
62	पांडिचेरी	पांडिचेरी	43.19	17.990	21.700	3.500
63	भुसावल	महाराष्ट्र	43.12	22.500	11.757	8.867
64	मध्यमाराम	वेस्ट बंगाल	43.09	18.265	17.829	7.000
65	एचएएलडीडब्ल्यूएएनआई-सीयूएम-कथ्गोदम(एमबी)*	उत्तराखंड	42.9	13.912	20.235	8.750
66	पुणे	महाराष्ट्र	42.73	20.917	16.213	5.600
67	उत्तर वर्रच्कपुर	वेस्ट बंगाल	42.71	16.896	19.170	6.650
68	रिश्र	वेस्ट बंगाल	42.23	17.833	17.750	6.650
69	पलवल	हरियाणा	41.95	16.500	11.450	14.000
70	हापुड़	उत्तर प्रदेश	41.89	15.250	14.040	12.600
71	वैद्यवति	वेस्ट बंगाल	41.82	13.974	19.100	8.750
72	होसपेट	कर्नाटका	41.82	12.670	20.050	9.100
73	कटक	उड़ीसा	41.73	15.978	21.900	3.850

1	2	3	4	5	6	7
74	तिरुवनंतपुरम	केरल	41.71	18.420	18.040	5.250
75	जोरहाट	आसाम	41.66	16.619	18.390	6.650
76	मोदीनगर	उत्तर प्रदेश	41.6	14.000	13.600	14.000
77	बीजापुर	कर्नाटका	41.52	11.020	20.001	10.500
78	कुकत्पल्लय	आंध्र प्रदेश	41.39	14.810	19.930	6.650
79	बालेश्वर	उड़ीसा	41.35	15.000	15.750	10.600
80	दुर्ग	छत्तीसगढ़	41.3	15.713	17.087	8.500
81	पीआईएमपीआरआई-चिंचवाड़	महाराष्ट्र	41.22	16.977	17.828	6.417
82	कोचि	केरल	41.07	16.170	19.300	5.600
83	दमदम	वेस्ट बंगाल	41.05	19.500	15.950	5.600
84	थाना	महाराष्ट्र	41.01	12.417	17.273	11.320
85	तिरुपपुर	तमिलनाडु	40.76	17.660	21.000	2.100
86	पनिहति	वेस्ट बंगाल	40.69	14.889	19.500	6.300
87	तिरुवन्नामलाइ	तमिलनाडु	40.61	14.660	20.000	5.950
88.	गुड़गांव	हरियाणा	40.6	18.500	12.300	9.800
89	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	40.6	16.342	17.958	6.300
90	पुरी	उड़ीसा	40.59	14.806	21.234	4.550
91	बेलगाम	कर्नाटका	40.51	16.830	12.480	11.200
92	विशाखापट्टनम	आंध्र प्रदेश	40.49	17.114	16.500	6.880
93	कोयंबटूर	तमिलनाडु	40.49	16.200	18.690	5.600
94	बरसत	वेस्ट बंगाल	40.45	17.833	14.570	8.050
95	खड़गपुर	वेस्ट बंगाल	44.38	17.080	15.250	8.050
96	कुतबुल्लपुर	आंध्र प्रदेश	40.3	18.417	16.980	4.900
97	दार्जिलिंग	वेस्ट बंगाल	40.27	18.170	13.000	9.100
98	गंगवति	कर्नाटका	40.2	11.500	19.000	9.700

1	2	3	4	5	6	7
99	मदुरै	तमिलनाडु	40.16	16.160	19.520	4.480
100	नासिक	महाराष्ट्र	40.12	16.728	17.514	5.880
101	बरनगर	वेस्ट बंगाल	39.91	18.667	15.000	6.300
102	हासन	कर्नाटका	39.92	13.250	17.720	8.950
103	झांसी	उत्तर प्रदेश	39.97	15.156	18.107	6.650
104	गजुवक	आंध्र प्रदेश	39.86	15.667	11.940	12.250
105	महेश्तल	वेस्ट बंगाल	39.85	13.500	20.400	5.950
106	गुना	मध्य प्रदेश	39.79	7.492	22.500	9.800
107	ब्रह्मपुर	उड़ीसा	39.72	18.058	15.012	6.650
108	बलुरघाट	वेस्ट बंगाल	39.69	15.840	15.800	8.050
109	इम्फाल	मणिपुर	39.67	17.750	15.255	6.650
110	राजेन्द्रनगर	आंध्र प्रदेश	39.66	17.000	14.260	8.400
111	ऐजवल	मिजोरम	39.53	19.080	12.400	8.050
112	सेरिलिंगम्पल्लय	आंध्र प्रदेश	39.52	14.000	20.272	5.250
113	आगरा	उत्तर प्रदेश	39.51	20.305	12.765	6.440
114	थ्रिस्सुर	केरल	39.49	14.740	16.000	8.750
115	कुम्बकोनम	तमिलनाडु	39.44	12.440	20.000	7.000
116	राजपुर सोनपुर	वेस्ट बंगाल	39.43	14.333	19.500	5.600
117	तिरुपति	आंध्र प्रदेश	39.36	17.613	12.500	9.250
118	रांची	झारखंड	39.25	14.000	19.300	5.950
119	रायगढ़	छत्तीसगढ़	39.13	16.479	17.900	4.750
120	पुदुकोत्तै	तमिलनाडु	39.12	12.920	20.600	5.600
121	उन्नाव	उत्तर प्रदेश	39.11	13.306	18.800	7.000
122	सालेम	तमिलनाडु	39.02	15.670	19.850	3.500
123	रोहतक	हरियाणा	39	18.250	7.100	13.650

1	2	3	4	5	6	7
124	पानीपत*	हरियाणा	39	18.500	10.350	10.150
125	भुवनेश्वर	उड़ीसा	38.97	19.250	15.520	4.200
126	पलक्कद	केरल	38.93	14.580	21.200	3.150
127	उत्तर दुम्दुम	वेस्ट बंगाल	38.86	15.500	16.805	6.550
128	मल्कजगिरि	आंध्र प्रदेश	38.79	15.250	19.690	3.850
129	मेहसाड़ा	गुजरात	38.74	12.000	13.428	10.600
130	बारिपाड़ा	उड़ीसा	38.7	16.100	17.002	5.600
131	अशोकनगर कल्यंगढ़	वेस्ट बंगाल	38.65	15.750	16.600	6.300
132	नांदयाल	आंध्र प्रदेश	38.64	8.500	23.290	6.850
133	सिलिगुड़ी	वेस्ट बंगाल	38.6	13.167	19.830	5.600
134	राउरकेला	उड़ीसा	38.6	12.795	17.200	8.600
135	जलगांव	महाराष्ट्र	38.57	14.513	19.502	4.550
136	कमर्हति	वेस्ट बंगाल	38.56	13.420	19.190	5.950
137	कोल्हापुर	महाराष्ट्र	38.35	17.765	15.687	4.900
138	उल्हासनगर	महाराष्ट्र	38.34	13.934	18.453	5.950
139	मुरादाबाद	उत्तर प्रदेश	38.32	13.872	13.900	10.550
140	अपपाल कलन	आंध्र प्रदेश	38.3	12.800	19.200	6.300
141	परभणी	महाराष्ट्र	38.25	12.000	16.100	10.150
142	जोधपुर	राजस्थान	38.22	19.565	11.650	7.000
143	भिलवाड़ा	राजस्थान	38.18	12.784	12.800	12.600
144	पटना	बिहार	38.16	14.114	17.050	7.000
145	मैनपुरी	उत्तर प्रदेश	38.16	12.814	12.700	12.650
146	पोर्बंदर	गुजरात	38.16	12.000	13.390	12.767
147	रजर्हत गोपालपुर	वेस्ट बंगाल	38.07	16.920	12.400	8.750
148	कोझीकोडे	केरल	37.97	14.920	19.554	3.500

1	2	3	4	5	6	7
149	एसएएनजीएलआई-मिराज कुप्वद	महाराष्ट्र	38.95	16.227	16.827	4.900
150	बरहमपुर	वेस्ट बंगाल	37.78	11.000	21.181	5.600
151	नेल्लोरे	आंध्र प्रदेश	37.78	15.580	15.900	6.300
152	राजहमुंद्रय	आंध्र प्रदेश	37.78	14.238	11.540	12.000
153	तितगार्ह	वेस्ट बंगाल	37.71	13.258	17.800	6.650
154	नदियद	गुजरात	37.61	13.500	13.959	10.150
155	भवनगर	गुजरात	37.58	13.500	14.284	9.800
156	भरूच	गुजरात	37.58	13.214	14.100	10.267
157	अवदि	तमिलनाडु	37.54	12.740	17.800	7.000
158	रॉबर्टसन पेट	कर्नाटका	37.52	12.920	15.200	9.400
159	लाटूर	महाराष्ट्र	37.45	19.500	17.948	0.000
160	अहमदनगर	महाराष्ट्र	37.43	16.382	14.950	6.100
161	मेदिनिपुर	वेस्ट बंगाल	37.42	12.473	20.400	4.550
162	गंधिनगर	गुजरात	37.37	21.917	8.800	6.650
163	वेल्लौर	तमिलनाडु	37.35	13.500	21.400	2.450
164	डिब्रुगढ़	आसाम	37.3	16.500	13.800	7.000
165	राजनंदगांव	चत्तिगर्ह	37.2	11.750	20.090	5.350
166	तिनसुकिया	आसाम	37.13	13.476	16.300	7.350
167	खर्दह	वेस्ट बंगाल	37.05	15.830	14.920	6.300
168	शिमोग	कर्नाटका	37.01	13.170	14.037	9.800
169	कोल्लम	केरल	36.97	19.170	15.000	2.800
170	डीएमसी (यू)	दिल्ली	36.96	18.643	12.487	5.833
171	विजिअनगरम	आंध्र प्रदेश	36.95	11.650	19.700	5.600
172	मुजफ्फरपुर	बिहार	36.94	16.490	14.850	5.600
173	हुग्लि - चिंसुरह	वेस्ट बंगाल	36.82	13.417	18.500	4.900

1	2	3	4	5	6	7
174	कल्याण	महाराष्ट्र	36.78	14.833	17.400	4.550
175	गुलबर्ग	कर्नाटका	36.78	12.920	17.910	5.950
176	कान्हनगड़	केरल	36.75	18.250	14.000	4.500
177	कोल्लर	कर्नाटका	36.71	16.080	14.330	6.300
178	जगधि	हरियाणा	36.7	21.000	7.650	8.050
179	मंडसौर	मध्य प्रदेश	36.53	8.429	16.500	11.600
180	कंचीपुरम	तमिलनाडु	36.52	13.320	16.900	6.300
181	बेल्लारी	कर्नाटका	36.49	12.050	17.440	7.000
182	सोनीपत	हरियाणा	36.43	11.583	12.247	12.600
183	सहारनपुर	उत्तर प्रदेश	36.32	19.617	12.500	4.200
184	भद्रावती	कर्नाटका	36.16	11.920	13.390	10.850
185	तुमकुर	कर्नाटका	36.16	9.610	22.000	4.550
186	यमुनानगर	हरियाणा	36.13	16.000	13.134	7.000
187	जम्मू	जम्मू एवं कश्मीर	36.11	14.914	21.200	0.000
188	बरेली	उत्तर प्रदेश	36.1	16.551	11.600	7.950
189	भिलाई नगर	छत्तीसगढ़	36.05	15.092	12.808	8.150
190	राए बरेली	उत्तर प्रदेश	35.91	13.750	20.162	2.000
191	नैहति	वेस्ट बंगाल	35.8	17.250	11.900	6.650
192	लुधियाना	पंजाब	35.64	19.700	12.787	3.150
193	नवसारी	गुजरात	35.51	13.500	14.194	7.817
194	हल्दिया	वेस्ट बंगाल	35.49	13.840	16.400	5.250
195	यवतमल	महाराष्ट्र	35.3	15.850	13.500	5.950
196	वर्धा	महाराष्ट्र	35.29	17.913	13.524	3.850
197	हुबली-धारवाड़	कर्नाटका	35.23	10.770	19.210	5.250
198	कुरनूल	आंध्र प्रदेश	35.17	13.417	16.848	4.900

1	2	3	4	5	6	7
199	नांदेड़-वाघेला	महाराष्ट्र	35.16	11.407	20.255	3.500
200	गोरखपुर	उत्तर प्रदेश	35.05	12.250	15.800	7.000
201	उत्तर्पर कोत्रुंग	वेस्ट बंगाल	35	14.750	15.000	5.250
202	एलुरु	आंध्र प्रदेश	35	18.000	10.700	6.300
203	रेवाड़ी	हरियाणा	34.95	18.000	6.800	10.150
204	कोरबा	छत्तीसगढ़	34.8	18.026	13.974	2.800
205	एंग्लिशबजर मालदा	वेस्ट बंगाल	34.8	12.500	18.800	3.500
206	शिवपुरि	मध्य प्रदेश	34.79	11.464	19.828	3.500
207	कप्र	आंध्र प्रदेश	34.77	15.917	13.249	5.600
208	नवद्विप	वेस्ट बंगाल	34.76	13.333	16.180	5.250
209	बंकुरा	वेस्ट बंगाल	34.69	13.090	16.700	4.900
210	आसनसोल	वेस्ट बंगाल	34.67	11.170	18.463	5.040
211	सेचुंदेरबाद सीएएनटी, बोर्ड	आंध्र प्रदेश	34.66	11.262	14.300	9.100
212	रायचूर	कर्नाटका	34.53	10.500	12.280	11.750
213	बसिरहाट	वेस्ट बंगाल	34.47	13.250	15.270	5.950
214	बर्द्धमान्	वेस्ट बंगाल	34.33	14.330	13.350	6.650
215	भिवानी	हरियाणा	34.27	15.350	7.600	11.317
216	वेरावल	गुजरात	34.27	14.250	10.216	9.800
217	कंच्रपर	वेस्ट बंगाल	34.24	13.792	13.800	6.650
218	सिलचर	आसाम	34.22	13.820	14.100	6.300
219	मुर्वर (केएटीएनआई)	मध्य प्रदेश	34.19	8.489	16.100	9.600
220	छिंदवाड़ा	मध्य प्रदेश	34.16	14.160	14.100	5.900
221	बंस्बेरिअ	वेस्ट बंगाल	34.15	14.500	12.700	6.950
222	जीएडीएजी-बेतिगेरि	कर्नाटका	34.12	8.760	16.960	8.400
223	गोधरा	गुजरात	34.11	16.000	12.513	5.600

1	2	3	4	5	6	7
224	चम्पदनि	वेस्ट बंगाल	34.11	15.860	13.700	4.550
225	चंदननगर	वेस्ट बंगाल	34.1	12.750	14.700	6.650
226	ओज्हुकरै	पांडिचेरी	34.08	15.830	15.100	3.150
227	राजपलायम	तमिलनाडु	33.89	11.390	16.200	6.300
228	अलीगढ़	उत्तर प्रदेश	33.88	11.433	16.500	5.950
229	बर्शी	महाराष्ट्र	33.82	12.000	15.517	6.300
230	जयपुर	राजस्थान	33.68	10.292	15.385	8.000
231	बहादुरगढ़	हरियाणा	33.66	14.357	12.300	7.000
232	जबलपुर	मध्य प्रदेश	33.63	9.267	15.200	9.160
233	वड़ोदरा	गुजरात	33.63	16.750	12.395	4.480
234	बिलासपुर	छत्तीसगढ़	33.61	15.476	14.980	3.150
235	एमआईआरए-भयंदर	महाराष्ट्र	33.47	15.269	13.300	4.900
236	अम्बत्तुर	तमिलनाडु	33.46	12.560	12.900	8.000
237	भागलपुर	बिहार	33.41	14.056	13.400	5.950
238	नागपुर	महाराष्ट्र	33.2	14.246	15.394	3.640
239	करनाल	हरियाणा	33.25	17.250	9.000	7.000
240	फरीदाबाद	हरियाणा	33.25	19.722	7.650	5.880
241	गया	बिहार	33.13	11.330	16.550	5.250
242	भद्रेश्वर	वेस्ट बंगाल	33.12	11.970	15.201	5.950
243	कलोल	गुजरात	33.1	11.750	12.902	8.450
244	शांतिपुर	वेस्ट बंगाल	33.09	12.250	15.240	5.600
245	धनबाद	झारखंड	33.01	14.970	10.200	7.840
246	देहरादून	उत्तराखंड	33	18.225	11.970	2.800
247	सासाराम	बिहार	32.8	13.500	14.050	5.250
248	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	32.77	17.871	14.900	0.000

1	2	3	4	5	6	7
249	औरंगाबाद	महाराष्ट्र	32.75	8.500	18.400	5.850
250	पुर्निअ	बिहार	32.73	13.580	11.800	7.350
251	लाल बहादुर नगर	आंध्र प्रदेश	32.61	12.310	14.700	5.600
252	हावड़ा	वेस्ट बंगाल	32.53	14.330	14.000	4.200
253	भोपाल	मध्य प्रदेश	32.5	10.667	15.466	6.360
254	कुड्डालोर	तमिलनाडु	32.4	10.480	17.170	4.750
255	पंच्कुल अर्बन संपदा	हरियाणा	32.3	15.750	7.077	9.450
256	पाली	राजस्थान	32.22	12.000	6.900	13.317
257	वीएएसएआई-वीरार	महाराष्ट्र	32.15	11.500	15.750	4.900
258	फतेहपुर	उत्तर प्रदेश	32.13	10.433	14.700	7.000
259	भिवंडी	महाराष्ट्र	32.12	13.000	16.318	2.800
260	औरइया	उत्तर प्रदेश	32.07	17.351	7.717	7.000
261	छत्तरपुर	मध्य प्रदेश	32.05	14.500	13.000	4.550
262	उदयपुर	राजस्थान	31.94	15.750	9.200	7.000
263	जामनगर	गुजरात	31.95	13.000	11.236	7.700
264	तिरुवोत्तियुर	तमिलनाडु	31.71	7.960	19.900	3.850
265	बथिंद	पंजाब	31.4	12.898	12.510	6.000
266	धुले	महाराष्ट्र	31.33	9.750	17.026	4.550
267	बीकानेर	राजस्थान	31.28	14.250	10.030	7.000
268	रेवा	मध्य प्रदेश	31.25	7.533	16.115	7.600
269	सम्बलपुर	उड़ीसा	31	10.750	14.300	5.950
270	गुंतकल	आंध्र प्रदेश	31	12.250	14.900	3.850
271	बुरहानपुर	मध्य प्रदेश	30.83	12.478	16.250	2.100
272	अमरोहा	उत्तरप्रदेश	30.8	15.500	6.700	8.600
273	अलवर	राजस्थान	30.76	14.250	9.510	7.000

1	2	3	4	5	6	7
274	रायपुर	छत्तीसगढ़	30.74	15.250	12.688	2.800
275	मुजफ्फरनगर	उत्तर प्रदेश	30.63	18.000	6.000	6.650
276	डिंडिगुल	तमिलनाडु	30.64	14.840	10.900	4.900
277	अम्बाला	हरियाणा	30.54	11.889	9.900	8.750
278	जलपाईगुड़ी	वेस्ट बंगाल	30.53	9.083	15.500	5.950
279	मैंगो	झारखंड	30.4	12.667	10.000	7.700
280	दुर्गापुर	वेस्ट बंगाल	30.23	13.267	11.710	5.250
281	चित्तूर	आंध्र प्रदेश	30.21	11.000	9.360	9.850
282	उज्जैन	मध्य प्रदेश	30.21	9.356	15.950	4.900
283	कोटा	राजस्थान	30.19	13.250	6.670	10.267
284	थूथुक्कुदि	तमिलनाडु	30.15	12.500	15.200	2.450
285	कृष्णनगर	वेस्ट बंगाल	30.05	12.000	11.750	6.300
286	बोनगांव	वेस्ट बंगाल	30.02	11.362	13.054	5.600
287	आनंद	गुजरात	29.95	11.670	14.080	4.200
288	सिवान	बिहार	29.91	12.256	13.100	4.550
289	खांडवा	मध्य प्रदेश	29.85	12.727	10.000	7.150
290	भत्पर .	वेस्ट बंगाल	29.76	13.230	10.930	5.600
291	फगवाड़ा	पंजाब	29.63	18.350	11.285	0.000
292	शिमला	हिमाचल प्रदेश	29.58	10.403	13.177	6.000
293	पुरुलिया	वेस्ट बंगाल	29.57	14.667	7.900	7.000
294	अलप्पुझह	केरल	29.48	11.230	11.250	7.000
295	पाटन	गुजरात	29.47	13.750	11.870	3.850
296	श्री गंगानगर	राजस्थान	29.4	9.000	13.750	6.650
297	अजमेर	राजस्थान	29.37	13.619	7.750	8.000
298	एटा	उत्तर प्रदेश	29.25	10.650	6.300	12.300

1	2	3	4	5	6	7
299	काकीनाड़ा	आंध्र प्रदेश	29.24	10.910	8.328	10.000
300	फैजाबाद	उत्तर प्रदेश	29.18	10.882	11.300	7.000
301	रायगंज	वेस्ट बंगाल	29.08	10.160	15.770	3.150
302	सोलपुर	महाराष्ट्र	28.92	9.568	17.602	1.750
303	मुरैना	मध्य प्रदेश	28.8	9.300	13.893	5.600
304	भुज	गुजरात	28.77	11.500	12.719	4.550
305	नगांव	आसाम	28.72	12.716	11.800	4.200
306	मथुरा	उत्तर प्रदेश	28.7	11.500	11.000	6.200
307	कुल्लि	वेस्ट बंगाल	28.7	8.250	14.150	6.300
308	चंदौसि	उत्तर प्रदेश	28.41	17.114	6.400	4.900
309	किशनगढ़	राजस्थान	28.36	11.250	10.810	6.300
310	कैथल	हरियाणा	28.25	8.000	15.350	4.900
311	हजारीबाग	झारखंड	28.25	15.000	7.300	5.950
312	भीमावरम	आंध्र प्रदेश	28.25	12.000	9.948	6.300
313	एमआईआरझेडएपीयूआर-सीयूएम-विंध्यचल	उत्तर प्रदेश	28.24	19.440	8.800	0.000
314	सिरसा	हरियाणा	28.2	12.500	8.710	7.000
315	ओंगोले	आंध्र प्रदेश	28.13	10.129	6.439	11.600
316	जालना	महाराष्ट्र	28.1	11.500	15.900	0.700
317	देवरिया	उत्तर प्रदेश	28.03	14.730	6.000	7.300
318	दमोह	मध्य प्रदेश	28.03	10.000	12.775	5.250
319	जेतपुर	गुजरात	28.02	12.500	9.106	6.417
320	मालेगांव	महाराष्ट्र	27.9	13.250	12.903	1.750
321	जिंद	हरियाणा	27.84	13.675	7.162	7.000
322	ब्यावर	राजस्थान	27.8	15.000	5.800	7.000

1	2	3	4	5	6	7
323	हाथरस	उत्तर प्रदेश	27.67	9.167	8.301	10.200
324	अदोनी (एम)	आंध्र प्रदेश	27.65	8.750	14.000	4.900
325	विदिशा	मध्य प्रदेश	27.59	9.143	15.343	3.100
326	पालनपुर	गुजरात	27.49	14.875	8.764	3.850
327	प्रोड्डातुर	आंध्रप्रदेश	27.45	13.750	7.750	5.950
328	रानीगंज	वेस्ट बंगाल	27.42	9.000	13.870	4.550
329	खरगोने	मध्य प्रदेश	27.4	14.750	9.500	3.150
330	रमगुंदम	आंध्र प्रदेश	27.15	8.000	15.003	4.150
331	वाराणसी	उत्तर प्रदेश	27.08	9.164	10.600	7.320
332	दानापुर निजमत	बिहार	27.03	10.080	11.000	5.950
333	मुंगेर	बिहार	26.95	9.750	9.500	7.700
334	हिसर	हरियाणा	26.89	13.393	7.197	6.300
335	गुडिवाड़ा	आंध्र प्रदेश	26.8	10.000	5.502	11.300
336	देवास	मध्य प्रदेश	26.79	12.717	9.167	4.900
337	हाजीपुर	बिहार	26.57	9.269	11.800	5.500
338	भरतपुर	राजस्थान	26.44	10.635	12.650	3.150
339	वारंगल	आंध्र प्रदेश	26.4	12.058	9.410	4.900
340	अम्बाला सदर	हरियाणा	26.36	7.750	13.361	5.250
341	मोगा	पंजाब	26.28	11.982	12.304	2.000
342	बटाला	पंजाब	26.23	12.750	7.477	6.000
343	पठानकोट	पंजाब	26.2	14.200	12.015	0.000
344	शाहजहांपुर	उत्तर प्रदेश	26	19.119	5.900	1.000
345	पटियाला	पंजाब	25.96	14.375	11.578	0.000
346	सम्भल	उत्तर प्रदेश	25.9	14.910	5.436	5.600
347	चेर्थल	केरल	25.88	8.850	14.230	2.800

1	2	3	4	5	6	7
348	हनुमंगर्ध	राजस्थान	25.86	13.386	5.820	6.650
349	खन्ना	पंजाब	25.78	15.750	10.035	0.000
350	निजामाबाद	आंध्र प्रदेश	25.77	10.917	8.900	5.950
351	हरदोई	उत्तर प्रदेश	25.62	9.851	9.118	6.650
352	नलगोंडा	आंध्र प्रदेश	25.6	9.000	11.700	4.900
353	जुनगध	गुजरात	25.23	10.750	12.030	2.450
354	अम्बरनाथ	महाराष्ट्र	25.17	8.672	12.300	4.200
355	चित्रदुर्ग	कर्नाटका	25.11	8.760	10.750	5.600
356	उलुबेरिअ	वेस्ट बंगाल	24.98	8.580	13.250	3.150
357	दवनगेरे	कर्नाटका	24.95	9.670	11.080	4.200
358	सतना	मध्य प्रदेश	24.92	8.670	11.700	4.550
359	होशियारपुर	पंजाब	24.91	17.409	7.499	0.000
360	मचिलिपत्लम	आंध्र प्रदेश	24.82	13.417	6.500	4.900
361	रतलाम	मध्य प्रदेश	24.75	9.500	10.000	5.250
362	बिहार शरीफ	बिहार	24.6	10.000	11.100	3.500
363	जमुरिअ	वेस्ट बंगाल	24.6	13.750	5.600	5.250
364	तेनाली	आंध्र प्रदेश	24.58	9.500	6.677	8.400
365	सवाई माधोपुर	राजस्थान	24.43	12.233	6.600	5.600
366	ललितपुर	उत्तर प्रदेश	24.32	9.540	8.133	6.650
367	गंधिधम	गुजरात	24.25	11.250	10.201	2.800
368	महबूबनगर	आंध्र प्रदेश	24.22	11.124	6.801	6.300
369	श्रीकाकुलम	आंध्र प्रदेश	24.02	10.750	6.968	6.300
370	बीद	महाराष्ट्र	24	15.000	4.100	4.900
371	खम्माम	आंध्र प्रदेश	23.88	6.625	10.600	6.650
372	कुडप्पा	आंध्र प्रदेश	23.88	10.625	8.700	4.550

1	2	3	4	5	6	7
373	हिंदपुर	आंध्र प्रदेश	23.78	11.000	6.485	6.300
374	थनेसर	हरियाणा	23.77	11.868	6.300	5.600
375	अदीलाबाद	आंध्र प्रदेश	23.65	11.750	5.600	6.300
376	नीमच	मध्य प्रदेश	23.53	9.525	10.500	3.500
377	एफएआरआरयूकेएचएबीएडी-सीयूएम-फतेहगढ़	उत्तर प्रदेश	23.46	11.010	5.450	7.000
378	ग्वालियर	मध्य प्रदेश	23.34	8.993	12.300	2.100
379	बस्ती	उत्तर प्रदेश	23.22	9.621	6.600	7.000
380	सागर	मध्य प्रदेश	23.13	5.731	10.779	6.600
381	अनंतपुर	आंध्र प्रदेश	23.01	11.357	6.396	5.250
382	इटावा	उत्तर प्रदेश	22.95	10.650	6.300	6.000
383	बुलंदशहर	उत्तर प्रदेश	22.91	11.885	4.375	6.650
384	मदनपल्ले	आंध्र प्रदेश	22.86	10.750	6.860	5.250
385	बांदा	उत्तर प्रदेश	22.71	13.813	8.950	0.000
386	फिरोजाबाद	उत्तर प्रदेश	22.66	11.500	4.514	6.650
387	सीकर	राजस्थान	22.47	11.500	2.400	7.000
388	जालंधर	पंजाब	22.3	14.497	7.813	0.000
389	मलेरकोटला	पंजाब	22.25	14.000	8.247	0.000
390	बेतिया	बिहार	22.18	8.030	11.000	3.150
391	लोनी	उत्तर प्रदेश	22.15	11.250	4.600	6.300
392	मौनाथ भंजन	उत्तर प्रदेश	21.98	11.342	1.987	8.650
393	भिंड	मध्य प्रदेश	21.95	10.900	5.800	5.250
394	देहिर	बिहार	21.93	9.580	7.100	5.250
395	पदेपल्लिगुडम	आंध्र प्रदेश	21.92	9.500	6.116	6.300
396	बहरीच	उत्तर प्रदेश	21.85	10.250	5.300	6.300

1	2	3	4	5	6	7
397	मोर्वि	गुजरात	21.73	7.750	9.784	4.200
398	करीमनगर	आंध्र प्रदेश	21.6	9.500	5.911	6.200
399	आदित्यपुर	झारखंड	21.58	9.000	8.030	4.550
400	आरा	बिहार	21.48	9.234	9.100	3.150
401	बलिया	उत्तर प्रदेश	21.45	10.449	1.013	10.000
402	अबोहर	पंजाब	21.32	13.393	7.933	0.000
403	जौनपुर	उत्तर प्रदेश	21.26	12.000	2.960	6.300
404	कटिहार	बिहार	20.95	8.000	9.100	3.850
405	अमृतसर	पंजाब	20.94	10.967	9.973	0.000
406	चिरल	आंध्र प्रदेश	20.71	10.205	6.998	3.500
407	सुरेन्द्रनगर	गुजरात	20.65	5.000	14.249	1.400
408	सिंगरौली	मध्य प्रदेश	20.63	7.933	7.800	4.900
409	टौंक	राजस्थान	20.5	7.000	1.500	12.000
410	रामपुर	उत्तर प्रदेश	20.43	9.628	5.200	5.600
411	गाजीपुर	उत्तर प्रदेश	20.31	10.408	2.927	7.000
412	धर्मावरम	आंध्र प्रदेश	20.23	7.083	7.900	5.250
413	छपरा	बिहार	20.2	12.250	2.000	5.950
414	सुल्तानपुर	उत्तर प्रदेश	20.15	11.250	1.900	7.000
415	दरभंगा	बिहार	20.01	10.508	5.300	4.200
416	सहरसा	बिहार	19.48	12.580	2.000	4.900
417	बंदायूं	उत्तर प्रदेश	18.9	10.000	8.900	0.000
418	मोतीहारी	बिहार	18.38	7.680	7.200	3.500
419	झुंझुनुन	राजस्थान	17.97	4.250	7.770	5.950
420	श्रीनगर	जम्मू कश्मीर	17.33	9.679	7.650	0.000
421	पीलीभीत	उत्तर प्रदेश	16.98	11.423	5.563	0.000
422	लखीमपुर	उत्तर प्रदेश	16.97	12.568	4.400	0.000
423	चूरु	राजस्थान	16.75	7.500	3.300	5.950

[हिन्दी]

सीमापार से घुसपैठ

223. श्री विश्वमोहन कुमार :
श्री राधा मोहन सिंह :
श्री भूदेव चौधरी :
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :
श्री नारनभाई कछाड़िया :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत-बांग्लादेश सीमा से देश के उत्तर-पूर्वी राज्यों में बांग्लादेशियों के बड़ी संख्या में घुसपैठ करने से उत्पन्न हो रही गंभीर समस्याओं, यथा: जनसांख्यिकी में बदलाव, मतदाता-वर्ग में परिवर्तन तथा अवैध हथियारों की तस्करी, इत्यादि का जायजा लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इस मामले की जांच की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उच्चतम न्यायालय ने ऐसे घुसपैठियों की शिनाख्त करने तथा उन्हें वापस भेजने हेतु कोई निदेश दिए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (घ) सरकार को देश के विभिन्न भागों में बांग्लादेश से अवैध प्रवास/घुसपैठ की जानकारी है। तथापि, क्योंकि यह क्रियाकलाप गुपचुप तरीके से होता है इसलिए उन व्यक्तियों की संख्या के बारे में विशिष्ट ब्यौरा उपलब्ध नहीं होता है जो अवैध माध्यमों से देश में घुसपैठ करते हैं। गुपचुप तरीके से घुसपैठ करने के बारे में उल्लिखित क्रियाकलाप को देखते हुए बांग्लादेश के कुछ अवैध प्रवासियों/विदेशियों के नाम जनगणना में और चुनाव सूची में शामिल करने की संभावना से बिल्कुल ही इंकार नहीं किया जा सकता है।

अवैध रूप से रह रहे विदेशी राष्ट्रिकों या अवैध रूप से देश में घुसपैठ करने वाले लोगों का पता लगाना और उन्हें वापस भेजना एक निरन्तर प्रक्रिया है और जब कभी ऐसे मामलों का पता चलता है तो संबंधित प्राधिकारी द्वारा अवैध प्रवासियों/विदेशियों के नाम हटाने/रद्द करने की कार्रवाई की जाती है। बांग्लादेशी राष्ट्रिकों सहित अवैध रूप से रह रहे विदेशी राष्ट्रिकों की पहचान करने और उन्हें वापस भेजने की शक्तियां, विदेशियों विषयक अधिनियम की धारा 3(2) (ग) के तहत राज्या सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को प्रत्यायोजित की गई है।

इसके अलावा, सीमा सुरक्षा बल को सुदृढ़ बनाने और उसे आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित करने, सीमा चौकियों के बीच की दूरी कम करने और गश्त तेज करने के लिए कदम उठाये गये हैं। भारत-बांग्लादेश सीमा पर बड़ी संख्या में हथियार और गोली बारूद जब्त किया गया है। बांग्लादेशी सीमा पर सीमा बाड़ मजबूत बनाई जा रही है और सीमा के साथ तेज रोशनी की व्यवस्था करने वाली योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है। बांग्लादेश से अवैध प्रवासियों का मुद्दा, विभिन्न मंचों पर नियमित रूप से उठाया जाता है और समन्वित गश्त लगाने, सुभेद्य दूरियों का पता लगाने, नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में गश्त को सुदृढ़ बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं। बांग्लादेश सरकार से भी कहा गया है कि वे भारत में, विशेष रूप से सुभेद्य और नदी के तटवर्ती क्षेत्रों के माध्यम से अपने राष्ट्रिकों की अवैध आवाजाही को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठायें।

(ङ) और (च) भारत के उच्चतम न्यायालय ने सरबानंद सोनोवाल बनाम भारत संघ के मामले में रिट याचिका संख्या 131/2000 में दिनांक 12.7.2005 के अपने निर्णय के तहत अन्य बातों के साथ-साथ निर्देश दिया कि असम में अवैध प्रवासियों के सभी मामलों के निर्णय विदेशियों विषयक अधिनियम, इसके तहत बनाए गए नियमों और विदेशियों विषयक (अभिकरण) आदेश, 1964 के तहत निर्धारित प्रक्रिया में किये गये प्रावधान के अनुसार लिये जायेंगे। सरकार को यह निर्देश भी दिया गया कि वह विदेशियों विषयक (अभिकरण) आदेश, 1964 के तहत पर्याप्त संख्या में अभिकरणों का गठन करें ताकि उन विदेशियों के मामलों को प्रभावी ढंग से निपटाया जा सके जो बांग्लादेश से अवैध रूप से आये हैं या असम में अवैध रूप से रह रहे हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्देश के अनुसार असम में 25 अतिरिक्त विदेशियों विषयक अभिकरण स्थापित किये गये हैं।

[अनुवाद]

फसल का नुकसान

224. श्री तथागत सत्पथी :
श्री बिभू प्रसाद तराई :
श्री गणेश सिंह :
श्री प्रबोध पांडा :
डा. मुरली मनोहर जोशी :

श्री दिनेश चन्द्र यादव :
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी :
श्री रमेश बैस :
श्री गोपीनाथ मुंडे :
श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शीतलहर, पाला, बाढ़ और बेमौसम बरसात जैसी प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण में देश में फसल को नुकसान पहुंचने की खबर है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान रबी और खरीफ की फसलों का राज्य-वार और फसल-वार कितना नुकसान हुआ है;

(ग) उक्तावधि के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कितनी वित्तीय सहायता चाही गई तथा वास्तविक रूप से उन्हें कितनी सहायता प्रदान की गई;

(घ) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश सहित अन्य प्रभावित राज्यों में हुए नुकसान का आकलन करने के लिए हाल ही में एक दल भेजा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंध में उक्त दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) इस पर सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

युवा कौशल विकास तथा रोजगार

225. श्री गजानन ध. बाबर :
श्री धर्मेन्द्र यादव :
श्री अधलराव पाटील शिवाजी :
श्री आनंदराव अडसुल :
श्री दुष्यंत सिंह :

क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के नक्सली प्रभावित और उग्रवाद से पीड़ित क्षेत्रों में युवाओं के कौशल विकास तथा उनके लिए रोजगार-अवसर सृजित करने हेतु कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रस्तावित योजना को कार्यान्वित करने के लिए उनके मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से कोई वित्तीय सहायता मांगी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर वित्त मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा युवाओं की शक्ति का उपयोग करने तथा उनकी ऊर्जा को राष्ट्र-निर्माण में लगाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) भारत सरकार अपने युवा आधारित शीर्ष संगठन नेहरू युवा केन्द्र संगठन के माध्यम से देश के 200 सीमावर्ती/जनजातीय/पर्वतीय जिलों में बालिकाओं के लिए कुशलता उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम (एसयूटीपी) को कार्यान्वित कर रही है। विशेषकर युवाओं के लिए इन व्यावसायिक कार्यक्रमों की सृजनात्मक संभावना को पहचानते हुए भारत सरकार सक्रिय रूप से युवा रोजगारोन्मुखी कुशलता नामक प्रायोगिक परियोजना पर भी सक्रियता से विचार कर रही है जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी राज्यों में स्वयंसेवकों और युवा क्लब सदस्यों को विशिष्ट कुशलता प्रदान करने पर बल दिया जाना है।

(ङ) सरकार ने युवाओं की संभावनाओं का दोहन करने तथा उनकी ऊर्जा को राष्ट्रीय निर्माण में लगाने के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान 'राष्ट्रीय युवा कोर' नामक नई योजना शुरू की है। इस योजना में 20,000 स्वयंसेवकों को नामांकित करने की परिकल्पना है जिसमें से 8000 स्वयंसेवकों को जम्मू व कश्मीर में तथा 12,000 स्वयंसेवकों को अन्य राज्यों में तैनात किया जाना है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान

226. श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई रादड़िया :
श्री नारनभाई कछाड़िया :
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन :
श्री मनसुखभाई डी. वसावा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के कितने जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान संचालित है तथा वहां की फसलों और सामग्री का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उक्त योजना के दौरान राज्य-वार कितनी धनराशि मंजूर व जारी की गई;

(ग) क्या सरकार ने इस योजना के परिणामों का आकलन करने हेतु कोई सर्वेक्षण/अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इस योजना के अंतर्गत कोई भौतिक लक्ष्य निर्धारित किए हैं और यदि हां, तो इन्हें कब तक हासिल किए जाने की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव) : (क) से (च) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन देश के 17 राज्यों के 476 जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है। इस मिशन की शुरूआत 2007-08 में की गई थी तथा इसका उद्देश्य ग्यारहवीं योजना (2011-12) के अंत तक 20 मिलियन टन अतिरिक्त खाद्य उत्पादन अर्थात् 10 मिलियन टन चावल, 8 मिलियन टन गेहूं तथा 2 मिलियन टन दालें, हासिल करना है।

फसलवार अभिज्ञात जिले निम्नलिखित हैं -

एनएफएसएम-चावल : एनएफएसएम-चावल 14 राज्यों के 138 जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है, अर्थात् - आंध्र प्रदेश (11 जिले), बिहार (18 जिले), छत्तीसगढ़ (10 जिले), गुजरात (2 जिले), झारखंड (7 जिले), कर्नाटक (7 जिले), केरल (1 जिला), मध्य प्रदेश (9 जिले), महाराष्ट्र (6 जिले), उड़ीसा (15 जिले), तमिलनाडु (5 जिले), उत्तर प्रदेश (26 जिले) तथा पश्चिम बंगाल (8 जिले)।

एनएफएसएम-गेहूं: एनएफएसएम-गेहूं 9 राज्यों के 141 जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है, अर्थात्-बिहार (25 जिले), गुजरात (4 जिले), हरियाणा (7 जिले), मध्य प्रदेश (30 जिले), महाराष्ट्र (8 जिले), पंजाब (10 जिले), राजस्थान (15 जिले), उत्तर प्रदेश (38 जिले), तथा पश्चिम बंगाल (4 जिले)।

एनएफएसएम-दलहन: एनएफएसएम-दलहन के तहत 16 राज्यों के 467 जिले शामिल हैं - आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु तथा कर्नाटक नामक राज्यों के सभी जिले तथा असम के 10 जिले और झारखण्ड के 15 जिले एनएफएसएम-दलहन के तहत शामिल हैं।

उक्त स्कीम के तहत विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान मंजूर की गई तथा निर्मुक्त की गई धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

स्कीम के प्रचालनात्मक दिशा-निर्देशों के प्रावधान के अनुसार एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा मिशन के परिणामों/निष्कर्षों का विश्लेषण करने के लिए स्कीम के मध्यावधि मूल्यांकन की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी गई है।

विवरण

स्कीम का नाम : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007-08 से 2010-11 तक राज्यवार आबंटन तथा निर्मुक्ति (रुपये करोड़ में) - 14.02.2011 की स्थिति के अनुसार

क्रम सं.	वर्ष	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		योग	
	राज्य	आबंटन	निर्मुक्ति	आबंटन	निर्मुक्ति	आबंटन	निर्मुक्ति	आबंटन	निर्मुक्ति	आबंटन	निर्मुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	आंध्र प्रदेश	44.62	44.82	106.03	84.15	144.94	123.81	135.20	95.60	430.99	348.18
2	असम	11.67	11.40	32.63	27.06	42.36	36.16	38.19	36.48	124.85	111.10
3	बिहार	31	36.31	109.61	81.05	127.32	44.14	83.18	51.56	356.42	213.06
4	छत्तीसगढ़	14.55	14.55	87.52	71.65	93.34	21.16	63.49	19.54	258.90	126.90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	गुजरात	7.37	7.37	21.55	8.33	23.54	15.08	39.09	13.11	91.55	43.89
6	हरियाणा	21.51	21.14	27.21	11.05	34.62	28.65	39.28	31.25	122.62	92.09
7	झारखंड	0.00	0.00	13.07	9.80	17.94	4.93	27.20	16.49	58.21	31.22
8	कर्नाटक	7.87	7.87	35.81	30.15	65.74	47.65	90.32	69.52	199.74	155.19
9	केरल	0.00	0.00	1.89	1.89	3.91	2.78	2.62	2.10	8.42	6.77
10	मध्य प्रदेश	46.47	46.11	114.58	64.38	125.70	59.33	214.76	140.72	501.51	310.54
11	महाराष्ट्र	14.14	14.14	78.88	72.17	116.60	107.40	168.58	124.29	378.20	318.00
12	उड़ीसा	11.34	11.34	69.26	62.24	67.02	63.41	66.56	58.53	214.18	195.52
13	पंजाब	32.88	32.88	45.19	35.69	64.75	61.22	48.41	33.57	191.23	163.36
14	राजस्थान	24.62	24.59	41.70	18.83	54.17	39.15	107.60	76.05	228.09	158.62
15	तमिलनाडु	13.87	12.81	47.82	33.51	46.92	30.58	48.44	30.08	157.05	106.98
16	उत्तर प्रदेश	83.79	83.79	192.25	155.20	312.67	226.28	294.12	143.36	882.83	608.63
17	पश्चिम बंगाल	16.00	13.00	70.39	63.36	100.53	71.65	65.43	33.94	252.35	181.95
	योग	387.21	381.92	1095.39	830.51	1442.07	983.38	1532.47	976.19	4457.14	3172.00

[अनुवाद]

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अपराध-दर

227. **श्री कोडिकुन्नील सुरेश :**
श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े :
श्री संजय धोत्रे :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अपराध अभिलेखों ब्यूरो द्वारा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रिकार्ड की गई अपराध-दर अन्य महानगरों की तुलना में उच्चतम पाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन्य महानगरों की अपेक्षा दिल्ली रा.रा. क्षेत्र में अपराध-दर उच्च रहने के कारण निश्चित करने के लिए कोई गहन अध्ययन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) दिल्ली रा.रा. क्षेत्र में अपराध-दर को नीचे लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) एन सी आर बी के वार्षिक प्रकाशन 'भारत में अपराध-2009' के अनुसार, दिल्ली में अन्य महानगरीय शहरों अर्थात् चेन्नई, कोलकाता और मुम्बई की तुलना में कुल संज्ञेय अपराधों की उच्चतर दर (प्रति लाख आबादी में अपराध) है। दिल्ली में कुल संज्ञेय अपराध की दर 353.7 थी, जबकि चेन्नई, कोलकाता और मुम्बई में यह दर क्रमश: 169.7, 103.0 और 191.0 थी।

(ग) और (घ) मुम्बई, कोलकाता और चेन्नई जैसे अन्य महानगरीय शहरों की तुलना में दिल्ली में उच्चतर अपराध दर के कारणों का पता लगाने के लिए कोई गहन अध्ययन नहीं कराया गया है।

(ङ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अपराध दर को कम करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा किए गए उपाय निम्नलिखित हैं :-

(i) बीट गश्त प्रणाली को चुस्त-दुरुस्त करना।

(ii) पुलिस मौजूदगी और गश्त को बढ़ाना।

(iii) प्रत्येक पुलिस स्टेशन में अपराध के पैटर्न के आधार पर संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करना।

(iv) बाइकर गैंगों पर ध्यान केन्द्रित करना और मोटर-बाइक पर चलने वाले युवाओं को लक्ष्य बनाकर चेकिंग करना।

(v) क्षेत्र में पुलिस की बढ़ी हुई मौजूदगी के माध्यम से समय पर त्वरित कार्रवाई करना।

(vi) सक्रिय आपराधिक गैंगों के विरुद्ध जिला पुलिस और विशेष इकाइयों द्वारा वृहत आसूचना (मैक्रो-इन्टेलीजेन्स) एकत्र करना।

(vii) जाने-माने अपराधियों पर गहन निगरानी रखना।

(viii) दोषसिद्धि अथवा जमानत पर रिहा होने के बाद जेल से बाहर आने वाले अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखना।

(ix) घोषित अपराधियों को पकड़ने के सतत प्रयास करना।

(x) दिल्ली पुलिस की 'आंख एवं कान योजना' जैसी योजनाओं के माध्यम से अपराध नियंत्रण में सार्वजनिक सहभागिता।

[हिन्दी]

पारंपरिक कृषि

228. **श्री संजय निरूपम :**
श्री पोन्नम प्रभाकर :
श्री हरिभाऊ जावले :
श्री राजय्या सिरिसिल्ला :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकतर भारतीय किसान अभी भी पारंपरिक कृषि विधियों से ही खेती कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने 11वीं योजना की अवधि के दौरान देश में कृषि के आधुनिकीकरण तथा सुधार के लिए पहल की;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर योजना-वार कितना व्यय हुआ;

(ङ) क्या सरकार ने उक्त योजनाओं के परिणामों का कोई मूल्यांकन किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

आंतरिक सुरक्षा पर सम्मेलन

229. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :**
श्री असादूद्दीन ओवेसी :
श्री अधीर चौधरी :
श्री चंद्रकांत खैरे :
श्री विश्व मोहन कुमार :
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश मे आंतरिक सुरक्षा को सुदढ़ करने साथ ही वैकल्पिक रणनीति तैयार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने हाल ही में आंतरिक सुरक्षा पर राज्य सरकारों के मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन/बैठक आयोजित की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसमें क्या सिफारिशें की गई हैं तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या विभिन्न राज्यों ने आंतरिक सुरक्षा के सुदृढ़ीकरण, पुलिस बलों का आधुनिकीकरण, पुलिस कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने, आतंकवाद/माओवादी गतिविधियों को रोकने तथा पुलिस सुधारों के लिए विशेष पैकेज प्रदान करने हेतु सम्मेलन/बैठक में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरूदास कामत) : (क) केन्द्र

सरकार, देश की आंतरिक सुरक्षा की स्थिति पर निगरानी रखती है और समय-समय पर उसकी समीक्षा करती है और इस प्रक्रिया में राज्य सरकारों के साथ सूचना का आदान-प्रदान करने के अलावा उनके साथ निकट संपर्क भी स्थापित करती है। वैकल्पिक रणनीतियों के रूप में केन्द्र और राज्य दोनों स्तरों पर आसूचना एजेंसियों की क्षमतायें बढ़ाने और उन्नयन करने के साथ-साथ केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच सूचना का आदान-प्रदान करने और परिचालनात्मक समन्वय बढ़ाने के लिए कदम उठाये गए हैं। आसूचना ब्यूरो में बहु-एजेंसी केन्द्र को सुदृढ़ बनाया गया है और उसका पुनगर्ठन किया गया है ताकि यह 24x7 आधार पर कार्य कर सके। जब कभी आवश्यक होता है राज्य सरकारों को सलाह भी दी जाती है। कई अवसरों पर केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों के अनुरोध पर स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राज्यों की सहायता करने हेतु केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों की तैनाती के रूप में सहायता भी प्रदान करती है।

(ख) और (ग) जी, हां। संघ सरकार ने दिनांक 1.2.2011 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आंतरिक सुरक्षा पर सभी राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों का हाल में सम्मेलन आयोजित किया है। सम्मेलन में देश की सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा की गई और पुलिस बलों के लिए स्वीकृत संख्या की तुलना में रिक्त स्थानों को भरने; आतंकवाद-रोधी क्षमताओं को सुदृढ़ बनाने; आसूचना विंग को सुदृढ़ बनाने; आर्थिक अपराध; अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और प्रणाली का कार्यान्वयन (सी सी टी एन एस) करने; पुलिस सुधार; तटीय सुरक्षा; सीमा प्रबंधन; और वामपंथी उग्रवाद (एल डब्ल्यू ई) जैसे आंतरिक सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई।

(घ) और (ङ) मुख्यमंत्रियों ने बड़े शहरों की पुलिस व्यवस्था की विश्वसनीय योजना, अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और प्रणाली (सी सी टी एन एस), पुलिस बलों की आधुनिकीकरण या सुरक्षा से संबंधित व्यय (एस आर ई) के तहत केन्द्रीय निधि समय पर जारी करने और हथियारों तथा अन्य पुलिस उपकरणों के लिए केन्द्रीय स्तर पर प्लेटफार्म बनाए जाने की कई प्रकार की मांग की थी।

राज्य सरकारों से अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया था कि वे राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल (एस आई एस एफ) गठित करने, केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों में उपलब्ध प्रशिक्षण स्लॉट का उपयोग करने, उचित रूप से नया पुलिस अधिनियम पारित करने और विभिन्न महत्वपूर्ण क्रियाकलापों के लिए निर्धारित की गई समय सीमा का पालन किए जाने को प्राथमिकता दें ताकि सी सी टी एन एस परियोजना, प्राथमिकता के आधार पर और समयबद्ध ढंग से कार्यान्वित की जा सके।

आलू का उत्पादन

230. श्री शिवराज भैया :
श्री एस. पक्कीरप्पा :
क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आलू के उत्पादन तथा इसके परिरक्षण को प्रोत्साहन देने हेतु कोई योजना कार्यान्वयनाधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न राज्यों में आलू के खुदरा मूल्य तथा उत्पादन लागत के बीच बड़ा अंतर है जिसके परिणामस्वरूप किसानों की बजाय बिचौलिये लाभ का बड़ा हिस्सा प्राप्त करते हैं;

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव) : (क) और (ख) जी, हां। कृषि एवं सहकारिता विभाग क्षेत्र आधारित आंचलिक दृष्टि से विभेदित समूहन प्रणाली अपनाकर (i) पूर्वोत्तर तथा हिमालयन राज्यों के लिए बागवानी मिशन (एचएमएनईएच) तथा राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) नामक दो केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें लागू कर रहा है। ताकि आलू सहित बागवानी फसलों का समग्र विकास किया जा सके। इन मिशनों के अंतर्गत बीज आलू के उत्पादन, एकीकृत प्रबंधन तथा पोषक प्रबंधन, जैविक खेती, प्रदर्शन के द्वारा तकनीकी, मानव संसाधन, विकास, मशीनीकरण, प्राथमिक/चल प्रसंस्करण, पोस्ट बुआई प्रबंधन तथा विपणन के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध है। एच.एम. एन.ई.एच. के तहत आलू की फसल की बुआई के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) और (घ) रिटेल लागत कई घटकों पर निर्भर है प्रथमतया मांग-आपूर्ति स्थिति, शीत भंडारण की लागत आदि। देश में रिटेल लागत तथा आलू के उत्पादन मूल्य में अंतर है। आलू के उत्पादन की कीमत सामान्यत: 2 से 3 रुपये प्रति किलोग्राम होती है।

जनवरी, 2011 के दौरान विभिन्न राज्यों में आलू के थोक आदर्श कीमत की दर निम्नलिखित है -

क्रम सं.	राज्य	जनवरी, 2011 के दौरान थोक मॉडल मूल्य का रेंज (रुपये प्रति क्विंटल)
1	बिहार	440-450
2	छत्तीसगढ़	530-600
3	गुजरात	475-550
4	हरियाणा	275-310
5	कर्नाटक	500-1100
6	महाराष्ट्र	488-900
7	उड़ीसा	425-450
8	राजस्थान	285-362
9	उत्तर प्रदेश	211-400
10	पश्चिम बंगाल	380-470

स्रोत: राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास फाउंडेशन।

(ङ) बागवानी उत्पादों के रिटेल मूल्य के लिए अधिक प्रभावी उपाय देश में बेहतर फसलोपरान्त प्रबंधन सरंचना की स्थापना करना है, जिसके लिए एन एच एम तथा एच एम एन ई एच के अंतर्गत भारत सरकार सहायता प्रदान करती है। इनमें शीत भण्डार की स्थापना, टर्मिनल मण्डियों का निर्माण, उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर फलों तथा सब्जियों की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए तथा किसानों को लाभप्रद मूल्य प्रदान करने के लिए थोक मण्डी तथा ग्रामीण प्राथमिक मण्डी/अपनी मण्डी की स्थापना शामिल है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा "बागवानी उत्पादों के लिए निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के शीत भण्डारण के लिए केपिटल निवेश सब्सिडी" स्कीम भी क्रियान्वित कर रही है।

कृषि एवं सहकारिता विभाग सामान्यतया खराब होने वाली तथा जिन्हें मण्डी हस्तक्षेप स्कीम के तहत शामिल नहीं किया गया है, आलू सहित, कि भिनन बागवानी जिंसों की खरीद के लिए मण्डी हस्तक्षेप स्कीम क्रियान्वित करता है। एम आई एस के क्रियान्वयन का उद्देश्य इन जिंसों के उत्पादकों को बहुतायत फसल की स्थिति में जब मण्डी में माल की अधिकता होती है जिससे मूल्य आर्थिक स्तर/उत्पादन की लागत से नीचे गिर जाते हैं, संकटकालीन बिक्री से बचना है, खरीद करने वाली एजेंसियों द्वारा वहन की गई हानि, यदि कोई हो, को केन्द्रीय सरकार तथा संबंधित राज्य सरकार के बीच 50:50 के आधार पर बांटा जाता है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : अब हम सभा पटल पर रखे गए पत्रों पर विचार करेंगे।

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : मैं शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 19, 20, 22 से 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :-

(एक) सा.का.नि. 905 (अ) जो 11 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वे शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 24 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार को प्रदत्त शक्तियों का उन सभी क्षेत्रों में प्रयोग करेंगे जहां उन्हें तैनात किया जाता है या कोई ड्यूटी करने के लिए बुलाया जाता है।

(दो) सा.का.नि. 904 (अ) जो 11 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 19, धारा 22 की उपधारा (2) और धारा 23 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे और उन सभी क्षेत्रों में, जहां उन्हें तैनात किया जाता है या कोई ड्यूटी करने के लिए बुलाया जाता है, कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

[ग्रंथालय में रखे गए, *देखिए* संख्या एल.टी. 3883/15/11]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : मैं भारतीय खाद्य निगम के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई, *देखिए* संख्या एल.टी. 3884/15/11]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरूदास कामत) : मैं केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 22 की उपधारा (3) के अंतर्गत केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सुरक्षा स्कंध (अधीनस्थ रैंक) समूह 'ख' और समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2010 जो 2 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसचूना संख्या सा.का.नि. 469 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई, *देखिए* संख्या एल.टी. 3885/15/11[

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) (एक) सत्यजीत रे फिल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षत लेखे।

(दो) सत्यजीत रे फिल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, *देखिए* संख्या एल.टी. 3886/15/11]

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. जगतरक्षकन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) (एक) फिल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षत लेखे।

(दो) फिल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, *देखिए* संख्या एल.टी. 3887/15/11]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) पादप किस्म और किसानों के अधिकार की सुरक्षा अधिनियम, 2001 की धारा 97 के अंतर्गत पादप किस्म और किसानों के अधिकार की सुरक्षा (संशोधन) नियम, 2010 जो 3 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 949 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा उसका एक शुद्धिपत्र जो 29 दिसम्बर, 2010 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1032 (अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 3888/15/11]

(2) गुजरात स्टेट सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 2009-10 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 3889/15/11]

अपराह्न 12.02 बजे

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

[अनुवाद]

महासचिव : अध्यक्ष महोदया, मैं अंतिम रिपोर्ट को सभा पटल पर 10 नवम्बर, 2010 के बाद रखे जाने के बाद से पन्द्रहवीं लोकसभा के छठे सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित 4 विधेयक सभा पटल पर रखता हूं।

1 विनियोग (सं. 5), विधेयक 2010;

2 विनियोग (सं. 6), विधेयक 2010;

3 विनियोग (रेल) सं. 5 विधेयक 2010; और

4 विनियोग (रेल) सं. 6 विधेयक 2010

अपराह्न 12.02¼ बजे

वित्त संबंधी स्थायी समिति

31वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री यशवंत सिन्हा (हजारीबाग) : मैं भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक विधि) संशोधन विधेयक, 209 के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति (2010-11) का 31वां प्रतिवेदन* (हिंदी तथा अंग्रेजी) प्रस्तुत करता हूं।

[अनुवाद]

अपराह्न 12.02½ बजे

गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति

(एक) 148वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : अध्यक्ष महोदया, मैं नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (संशोधन) विधेयक, 2010 के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति का 148वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(दो) साक्ष्य

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : अध्यक्ष महोदया, मैं नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (संशोधन) विधेयक, 2010 के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य की एक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

---

*यह प्रतिवेदन, निदेश 71क के अंतर्गत 25 जनवरी, 2011 को जब सभा सत्र में नहीं थी, माननीय अध्यक्ष को प्रस्तुत किया गया और अध्यक्ष ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 280 के अंतर्गत प्रतिवेदन के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन का आदेश दिया।

अपराह्न 12.04 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद के विकास के लिए कानून बनाए जाने की आवश्यकता पर राष्ट्रीय स्तर पर बहस शुरू करने तथा उससे संबंधित सभी विषयों पर कार्रवाई करने के संबंध में सरकार की मंशा

[अनुवाद]

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : अध्यक्ष महोदया, मैं इस सम्मानित सदन में राष्ट्रीय स्तर पर खेलों के विकास और उससे जुड़े सभी मामलों से निपटने के लिए एक विधान की आवश्यकता पर एक राष्ट्रीय बहस आरम्भ करने की सरकार की इचछा के संबंध मे एक स्वः वक्तव्य देना चाहता हूं। इस उद्देश्य के लिए, हमारा प्रस्तावित राष्ट्रीय खेल विधान के संबंध में एक प्रकटन मसौदा दस्तावेज पब्लिक डोमेन में रखने का प्रस्ताव है। मसौदा दस्तावेज में निम्नलिखित मुख्य सिद्धांत शामिल है:-

क. भारतीय ओलम्पिक कांग्रेस द्वारा प्रस्तावित तथा XIII ओलम्पिक कांग्रेस द्वारा पृष्ठांकित 'अच्छे शासन के मूल सार्वभौमिक सिद्धांत' में बतलाए गए कुछ प्रमुख सिद्धांत, जिनमें उचित और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया, पदधारियों के संबंध में आयु तथा समय सीमा, और निर्णय लेने की प्रक्रिया में धावकों की भागीदारी शामिल है।

ख. अन्य देशों में प्रचलित खेलों के विधि सम्मत ढांचे से अभिज्ञात सर्वोत्तम खेल प्रक्रिया।

ग. विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी (डब्ल्यू ए डी ए) कोड के समान एंटी डोपिंग विनियमों को विधायी समर्थन दिया जाना है। यूनेस्को कन्वेंशन के हस्ताक्षरकर्ता होने के नाते, भारत ने डोपिंग के विरुद्ध अभियान में उच्चतम वचनबद्धता दर्शायी है। यह विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी का एक सदस्य है और इसने डब्ल्यू ए डी ए की लाइन पर अपनी राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी का गठन किया है।

घ. माननीय सर्वोत्तम न्यायालय द्वारा विशाखा निर्णय में दिए गए दिशानिर्देशों को अपनाते हुए महिलाओं के शोषण को रोकने के लिए उपाय।

ङ खेलों में आयु से संबंधित मिथ्या आचरण का पता लगाने और रोकने हेतु पूरी तरह सही दिशा दिर्नेश।

च. एक राष्ट्रीय खेल जांच अधिकारी नियुक्त करके सुलह तथा मध यस्थता प्रक्रिया के जरिए धावकों की शिकायतों को दूर करने सहित खेल संबंधी विवादों का प्रभावी और त्वरित हल।

अध्यक्ष महोदया, आपके माध्यम से मैं इस प्रस्ताव के बारे में सम्मानित सदन को सूचित करना चाहता हूं तथा इस कदम को आगे बढ़ाने में उनका समर्थन और सहयोग चाहता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया, *देखिये* संख्या एल.टी. 3890/15/11]

अपराह्न 12.04½ बजे

समितियों के लिए निर्वाचन

(एक) प्राक्कलन समिति

[अनुवाद]

श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना (दक्षिण गोवा) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूँ:

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 311 के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 2011 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2012 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 30 सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 311 के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 2011 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2012 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 30 सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.05 बजे

(दो) लोक लेखा समिति

[हिन्दी]

डॉ. मुरली मनोहर जोशी (वाराणासी) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूँ:-

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 309 के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 2011 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2012 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 15 सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 309 के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 2011 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2012 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 15 सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

डॉ. मुरली मनोहर जोशी (वाराणसी) : महोदया, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूँ:-

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 1 मई, 2011 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2012 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की लोक लेखा समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा के सात सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:-

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 1 मई, 2011 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2012 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा के सात सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

...(व्यवधान)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदया : इसे समाप्त करें।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.05½ बजे

(तीन) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

[अनुवाद]

श्री वी. किशोर चन्द्र देव (आरूकु) : महोदया मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 312ख के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 2011 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2012 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 15 सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 312ख के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 2011 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2012 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 15 सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री वी. किशोर चन्द्र देव (आरूकु) : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ:-

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 1 मई, 2011 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2012 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा के सात सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हों और राज्य सभा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है :-

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 1 मई, 2011 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2012 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राजय सभा के सात सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हों और राज्य सभा इस नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)....**

अपराह्न 12.06 बजे

(चार) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

[अनुवाद]

श्री गोबिन्द चन्द्रा नास्कर (बनगांव) : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 331ख के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 2011 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2012 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 20 सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है कि:

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 331ख के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 2011 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2012 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 20 सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री गोबिन्द चन्द्रा नास्कर : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 1 मई, 2011 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2012 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की अनुसूचित जतियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा के 10 सदस्य नामनिर्दिष्ट

*कार्यवाही-वृत्तांत मे सम्मिलित नहीं किया गया।

करने के लिए सहमत हों और राज्य सभा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है कि:

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 1 मई, 2011 से आरंभ होने वाली और 20 अप्रैल, 2012 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा के 10 सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : अब हम "शून्य काल" लेंगे। श्री एल. राजगोपाल।

...(व्यवधान)

डॉ. मन्दा जगन्नाथ (नागरकुरनूल) : महोदया, मैं सभा का *ध्यान अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहूंगा...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : कुछ माननीय सदस्यों ने शून्य काल के दौरान विषय उठाने के लिए नोटिस दिए हुए हैं। मैंने श्री एल. राजगोपाल का नाम पुकारा है। उन्हें बोलने दीजिए। केवल श्री एल. राजगोपाल का भाषण कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री एल. राजगोपाल (विजयवाड़ा) : महोदया, मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं अमरीका में ट्राई वैली विश्वविद्यालय के छात्रों के मुददे को उठाना चाहूँगा *...(व्यवधान)* अमरीका के ट्राई वैली विश्वविद्यालय में 1500 से अधिक विधार्थियों ने प्रवेश लिया है। वहां एक बहुत बड़ा मुद्दा था। विश्वविद्यालय को बन्द कर दिया गया है*...(व्यवधान)*

महोदया, अमरीका के कैलिफोर्निया राज्य के पैलासंटोन स्थित ट्राई वैली विश्वविद्यालय में 1500 से अधिक विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया था। हाल ही में विश्वविद्यालय को बंद कर दिया गया है। जिनमें से 1000 से अधिक विद्यार्थी आंध्र प्रदेश से है, इनमें से भी अधिकांश अनंतपुर, महबूबनगर, आदिलाबाद, श्रीकाकुलम और विजयनगरम् जैसे पिछड़े जिलों से आते हैं। जो कि पिछड़े क्षेत्र हैं। वे सभी समाज के गरीब वर्गों से आते हैं। वे सभी अब कठिनाई में हैं।

"हाल ही में संयुक्त राज्य अमरीका ने अपराधियों और पशुओं की तरह उनकी एड़ी में रेडियो कालर लगा दिए हैं। वे इस प्रकार की हताशा पूर्ण स्थिति में रह रहे हैं। हाल ही में तेलुगू ऐसोसिएशन आफ नार्थ अमेरिका (टीएएनए), अमेरिकन तेलुगू ऐसोसिएशन (एटीए) और नॉर्थ अमेरिका तेलुगू एसोसिएशन सभी ने इस मुद्दे को उठाया है। उन्होंने एक वकील भी नियुक्त किया है। दूतावास को वहां एक वकील की सेवाएं लेनी चाहिए और यह सुनिशिचित करना चाहिए कि जो विश्वविद्यालय से देश के विभिन्न भागों में भाग गए हैं, उन्हें उचित संरक्षण ओर मार्ग दर्शन दी जाए। दूतावास उनके भविष्य की देख-रेख कर सकता है और उन्हें अन्य विश्वविद्यालयों में प्रवेश दिलाने का प्रयास कर सकता है क्योंकि वहां आंध्र प्रदेश से 1000 से अधिक विद्यार्थी हैं। वे विभिन्न जिलों और वह भी पिछड़े जिलों से आते हैं। वे समाज के निर्धनतम वर्ग से संबंधित है। वहां के प्राधिकारियों ने उनकी एड़ी में रेडियो कालर लगा दिए हैं। वे अत्यंत अपमानजनक स्थिति में रह रहे हैं। अतः हम चाहते हैं कि अमरीका सरकार और भारत सरकार दोनों मिलकर काम करें। वहाँ भारतीय दूतावास को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एक वकील की नियुक्ति की जाए ताकि सभी विद्यार्थी दूतावास से संपर्क कर सकें और उचित समाधान और मार्गदर्शन प्राप्त कर सके। मैं भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि वह तत्काल कार्रवाई करे धन्यवाद।*...(व्यवधान)*

डॉ. रामचन्द्र डोम (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय,। मैं भी उनसे सम्बद्ध होना चाहता हूं। यह एक गंभीर मामला है।*...(व्यवधान)* यह काफी अपमानजनक है।

अध्यक्ष महोदया : डॉ. डोम यदि आप अपने को उनके समय सम्बद्ध करना चाह रहे हैं तो कृपया पटल पर अपना नाम भेजें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप इन से सम्बद्ध हो रहे हैं। कृपया अपना नाम भेजें।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री देवजी एम. पटेल (जालौर) : अध्यक्ष महोदया श्री एल. राजगोपाल द्वारा उठाए गए मामले ट्राई वेली यूनिवर्सिटी से मैं खुद को सम्बद्ध करता हूं।

[अनुवाद]

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम) : महोदया, मैं ट्राई वैली विश्वविद्यालय मुद्दे पर श्री एल. राजगोपाल के साथ सम्बद्ध होता हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : धन्यवाद, मैं जानती हूं कि यह चिन्ता का विषय है।

डा. जगन्नाथ या कोई भी सदस्य जो नोटिस देते हैं मैं उस पर विचार करूंगी।

अब श्री कौशलेन्द्र कुमार जी बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा) : अध्यक्ष महोदया, तेलंगाना राज्य के निर्माण के लिये इसी सत्र में प्रस्ताव लाना चाहिये, हम साथ देने के लिये तैयार है। सरकार इसके लिये इस सत्र में बिल लेकर आये, यह हमारी सरकार से मांग है।

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : अध्यक्ष महोदया, केन्द्र सरकार ने बिहार में 65 लाख बीपीएल परिवारों का निर्धारण किया है जब कि वास्तव में वहां डेढ़ करोड़ बीपीएल परिवार हैं जिसकी सूची राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को सौंप दी है। इसलिये 65 लाख और डेढ़ करोड़ के बीच के लोगों को बीपीएल स्कीम के अंतर्गत अनाज वगैरह नहीं मिल पा रहा है। इसके कारण उनके बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं और बचपन में ही कुपोषण की गंभीर समस्या से ग्रसित होकर मर जाते हैं। कुपोषण के कारण शिशु मृत्यु दर में इजाफा हो रहा है और बच्चे रोग ग्रसित हो रहे हैं। इसके कारण उनका शारीरिक और मानसिक विकास भी रुक जाता है।

मैं इस सम्मानित सदन के माध्यम से यह मांग करता हूं कि केंद्र सरकार बिहार राज्य के डेढ़ करोड़ परिवारों को बीपीएल करार देकर इस गंभीर समस्या से थोड़ा निजात दिलाये। अभी बीपीएल में जो अनाज बंट रहा है, उसमें इजाफा करे। यही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदया : श्रीमती जयश्रीबेन पटेल।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर) : महोदया, हम इनकी बात से अपने को एसोसिएट करते हैं। बिहार में बीपीएल सूची की वजह से बहुत अन्याय हो रहा है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : ठीक है। श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन और श्री कीर्ति आज़ाद अपने आपको श्री कौशलेन्द्र कुमार जी से सम्बद्ध करते हैं। अब आप जयश्रीबेन पटेल जी को बोलने दीजिए।

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (महेसाणा) : महोदया, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं। भारत में पहली बार किमियन कांगो हैमोरेजिक फीवर पाया गया है। अहमदाबाद जिले में कोलाट गांव, साणंद तालुका में कॉंगो बुखार की शुरूआत हुई। यह बुखार मध्य तथा दक्षिण अफ्रीका से आने का अनुमान है। यह बुखान जानवरों के माध्यम से आता है व छूत से फैलता है। गुजरात सरकार ने इसके लिए पुख्ता उपाय किए हैं एवं कर रही है। मुख्य समस्या यह है कि इस रोग के परीक्षण हेतु कोई सुविधा नहीं है, अत: सैम्पल एन.आई.वी. पुणे को भेजने पड़ते हैं। समय के दरम्यान परिणाम आने के पहले मृत्यु की संभावना होती है। तीन व्यक्ति जिनमें एक मरीज, उसकी देखभाल करने वाला डॉक्टर व नर्स की भी मृत्यु अहमदाबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में हुई है।

अत: मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि इस रोग के लिए गुजरात को एक प्रयोग परीक्षण केंद्र उपलब्ध कराए। इस रोग की रोकथाम के लिए कोई भी दवाईयां उपलब्ध नहीं हैं। मेरा नम्र निवेदन है कि भारत की 70 प्रतिशत आबादी देहातों में स्थित है और जिनका मुख्य जीवन निर्धारण करने का एक ही मार्ग कृषि और पशुपालन है। कृपया सरकार इस मामले में सावधानी से सक्षम कदम उठाए।

[अनुवाद]

श्री एस. सेम्मलई (सलेम) : अध्यक्ष महोदया, उन विस्थापित परिवारों, जिनकी भूमि तमिलनाडु में सेलेम इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए अधिग्रहीत कर ली गई है, के वैध उत्तराधिकारियों को नौकरी प्रदान करने के मुद्दे को उठाने की अनुमति प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद।

जैसे आशाएँ चूर हो गई हों और अपेक्षाओं के साथ विश्वासघात हुआ हो-कुछ इस प्रकार का भाव मैं उन विस्थापित परिवारों के वैध उत्तराधिकारियों के चेहरों पर देखता हूं जिनकी भूमि सलेम इस्पात संयंत्र के लिए अधिग्रहीत कर ली गई है। जब भी इस मुद्दे पर चर्चा होती है, इस्पात मंत्री इस मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का

वायदा करते हैं, लेकिन अब तक कुछ भी एक सकारात्मक परिणाम नहीं निकला है।

अब एक अवसर सामने आया है। सलेम इस्पात संयंत्र में शीघ्र ही अर्धकुशल कार्मिकों की भर्ती होने वाली है। उसके लिए आइ.टी.आई. प्रशिक्षित तथा डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों को छांटा गया है। इस मामले में एक बात अब अच्छी हो रही है कि सलेम इस्पात संयंत्र के अधिकारी स्थानीय उम्मीदवारों तथा विस्थापित परिवारों के उम्मीदवारों को सलेम में स्थिति एक स्थानीय कॉलेज में प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं ताकि वे प्रतिस्पर्धा का सामना कर सकें। मैं इस कदम का स्वागत करता हूं।

साथ ही, मैं माननीय मंत्री जी से 'अन्य बातें समान हों' की धारणा त्याग देने का भी अनुरोध करता हूं। विस्थापित परिवारों के वैध उत्तराधिकारियों को वरीयता दी ही जानी चाहिए। माननीय मंत्री जी अब तक अपनाई गई 'अन्य बातें समान हों' की धारणा न ही रखें तो अच्छा है। मैं अनुरोध करता हूं कि सलेम इस्पात संयंत्र में आगामी भर्ती के दौर में विस्थापित परिवारों के वैध उत्तराधिकारियों को भर्ती करते हुए दूसरों की तुलना में तरजीह मिलनी चाहिए। उनकी भूमि अधिग्रहीत करते समय सरकार द्वारा किए गए वायदे को निभाने का यह मौका है।

"मुझे पूरी आशा और विश्वास है कि माननीय मंत्री जी इस मुद्दे की गहनता को समझेंगे और विस्थापित परिवारों को वैध उत्तराधिकारियों को उपयुक्त नौकरियां प्रदान करके-चूंकि अभी भर्ती प्रक्रिया चल रही है-के लिए सलेम इस्पात संयंत्र के अधिकारियों को निदेशित करेंगे।

श्री अर्जुन चरण सेठी (भद्रक) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपका ध्यान कोलकाता पत्तन न्यास द्वारा दिनांक 10.11.2010 की अधिसूचना सं. 493 के द्वारा जारी सूचना की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। कलकत्ता पत्तन ने पत्तन-सीमाओं में संशोधन किया है। पोत परिवहन मंत्रालय ने दिनांक 22.10.10 को एस.ओ.सं. 2609 ई. के द्वारा इस संशोधन को मंजूरी दी। ऐसा पूर्व में कभी नहीं हुआ और उचित भी नहीं है चूंकि कलकत्ता पत्तन न्यास ने अपने अधिकार-क्षेत्र का एकपक्षीय ढंग से विस्तार कर लिया है जबकि उसे ऐसी शक्ति प्राप्त नहीं है। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि केंद्र सरकार, अर्थात् सं.प्र.ग. सरकार के पोत परिवहन मंत्रालय ने इसकी मंजूरी दी है। जैसा मैंने कहा, इसमें कोई शक नहीं कि यह अनोखी बात है।

महोदया, हमारी शासन प्रणाली संघीय प्रणाली है और निर्णय लेते वक्त सामान्यतः संबंधित राज्य सरकार से परामर्श किया जाता है। पर इस मामले में उन्होंने ऐसा नहीं किया गया और अधिकार क्षेत्र को एकपक्षीय ढंग से सीमा से परे जाकर बढ़ा किया गया है। उड़ीसा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक ने पोत परिवहन मंत्री से भेंट की और माननीय पोत परिवहन मंत्री श्री वासन ने आश्वासन दिया है कि कुछ समय के भीतर वे दोनों पक्षों की बैठक करेंगे, लेकिन अभी तक यह बैठक नहीं हुई है।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि पोत परिवहन मंत्रालय को संबंधित पक्ष के साथ बैठक करने का निदेश दिया जाए और यह कहा जाए कि उक्त पत्तन का अधिकतर क्षेत्र बढ़ाने से पूर्व वह संबंधित राज्य सरकार से परामर्श करें। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो यह राज्य की स्वयत्तता के विरुद्ध होगा। अतः, अध्यक्ष महोदया, मैं आपसे पुनः अनुरोध करता हूं कि पोत परिवहन मंत्रालय को आवश्यक बैठक करने के लिए निदेशित किया जाए ताकि वह परामर्शपूर्वक ही ऐसा कोई निर्णय ले जिससे उड़ीसा के हितों को नुकसान न हो। आपसे मेरा यही निवेदन है। धन्यवाद।

डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी (भुवनेश्वर) : महोदया, मैं इससे संबद्ध होना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदया : ठीक है। कृपया अपना नाम सभा पटल पर भेज दीजिए।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : धन्यवाद, महोदया। पश्चिम एशियाई तथा उत्तर-अफ्रीकी देशों में बदलाव की बयार बह रही है। अरब-अफ्रीकी पश्चिम एशिया क्षेत्र के लोग काफी समय से बदलाव की आशा करते हुए हताश हो चले थे। वे ऐसे दबंगों की अधीनता में रहने के लिए विवश थे जिन्होंने अकूत दौलत जोड़ी और विरोध को दबाया; इस्लामी कट्टरपंथियों के अलावा उनके पास और कोई विकल्प शेष नहीं रहता था और उन्होंने अपनी कठोर मान्यताएं लोगों पर लादीं और विरोध को दबाया।

सउदी अरब और ईरान जैसे देशों में ताकतवर और कट्टरपंथी मिलकर एक हो गए और कहीं भी लोगों को अपनी यह पसंद जताने का अधिकार नहीं मिल रहा था कि वे किस प्रकार का शासन चाहते हैं पश्चिम में इस हताशा के सामने यह सोचते हुए समर्पण कर दिया कि केवल दबंग और असरदार लोग ही अतिकट्टरपंथियों को दबाने में सक्षम हैं। दमन से चूर हो रहे ऐसे क्षेत्र में अचानक युवा पीढ़ी ने आवाज बुलंद की और वरिष्ठों को पीछे छोड़ते हुए वे परिवर्तन के अग्रदूत बन गए। दो महीने पहले ट्यूनीशिया के एक फल-विक्रेता मोहम्मद बौज़ीजी ने आत्मदाह कर लिया। और फिर ट्यूनीशिया की जनता और उसके बाद मिस्त्र की जनता सड़कों पर उतर पड़ी और करिश्माई ढंग से उन तानाशाहों को घुटने टेकने पर विवश कर दिया जो बरसों से सत्ता पर काविज थे।

पिछले कुछ दिनों में हजारों आदमियों ने तेहरान में प्रदर्शन किया। छोटे से बहरीन तक में लोगों ने अपनी जान दी। लीबिया में कई लोग मारे गए। अलजीरिया में अस्थिरता है।

अध्यक्ष महोदया : आप यह बताइए कि आप केंद्र सरकार से क्या चाहते हैं?

श्री भर्तृहरि महताब : जी, महोदया। यमन सुलग रहा है; शंघाई और बीजिंग तक में इसकी गूँज सुनाई दे रही है। जन शक्ति के मद में चूर आक्रांता जनता पर जुल्म ढा रहे हों, जैसा कि त्रिपोली और शंघाई में दिखा, हमें एक एटी विकल्प को चुनना होगा क्योंकि शेष विश्व की भी एक भूमिका है। भारत को गैर सरकार को सत्य का साथ देना होगा। उसका परिणाम कुछ नए लोकतंत्रवादी देशों के उदय के रूप में सामने आ सकते हैं; पौलैण्ड या चेक गणतंत्र नहीं, बल्कि तुर्की और, संभवतः, इण्डोनीशिया भी। कल अपना भाषण पढ़ते समय महामहिम राष्ट्रपति जी ने मिस्त्र के बारे में एक टिप्पणी की। पश्चिम एशिया और अफ्रीकी देशों के लोग अब कुटिल आपनिवेशिक शक्तियों से न घबराकर अपने राजनैतिक अधिकारों के बारे में सजग हो रहे हैं। आर्थिक लाभ और लोकतांत्रिक आज़ादी दो अलग-अलग बातें हैं। लोगों को आंशिक लाभ भले हो न हो, उससे लोकतंत्र की उनकी लालसा नहीं दबती। चीन में भी आखिर यह दिख रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी तथा हमें यह बात अवश्य ध्यान में रखनी होगी। चाहें वाशिंगटन हो या दिल्ली, या विश्व में कहीं भी हो, इस महत्वपूर्ण बदलाव के लिए तैयार रहते हुए उसका स्वागत करना होगा।

महोदया, मैं आपके माध्यम से इस सभा से अनुरोध करना चाहता हूं कि यह सभा स्वतंत्रता के लिये लोगों के आंदोलन के समर्थन में एक संकल्प भी स्वीकार करे। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदया : श्री अर्जुन मेघवाल, श्री डी. बी. सदानंद गौडा, श्री वीरेन्द्र कश्यप तथा श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय के नाम भर्तृहरि महताब द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ सम्बद्ध है।

....(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए। आपको बुलाइये।

....(व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र यादव (बदायूँ) : महोदया, हमने सबसे पहले नोटिस दिया था। *....(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आपको बुलवाएंगे। जिन्होंने भी नोटिस दिया है, उन सभी को बुलवाएंगे।

....(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री जोस के. मणि (कोट्टायम) **:** महोदया, ट्यूनिशिया में हाल में घटित राजनीतिक घटनाएं बाद में मिश्र तक फैल गई और अब यह लीबिया को अपने अंदर ले लिया है। यह बहुत चिंता का विषय है कि लीबिया में हजारों भारतीय जिनमें अधिकांशतः केरल की नर्सें हैं वे अपने कार्यस्थलों और होस्टलों में फंसी हुई हैं। वे मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार के संकट से गुजर रही हैं और खाना तथा सुरक्षित छत जैसे जरूरी वस्तुओं के बगैर जी रही हों। भारत में जो उनके परिवार परेशान हैं, उनकी उनसे कोई बात नहीं हो पा रही है। भारत में लीबिया के राजदूत के हताशा में इस्तीफा देने की विरोधाभाषी खबरों के कारण स्थिति और बिगड़ गयी है।

सरकारी प्रतिवेदनों के अनुसार, भारतीय मिशन द्वारा किसी भी घटना का सामना करने के लिए स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। परंतु वहां पर फंसे हुए भारतीय समुदाय से यह रिपोर्ट मिली है कि बचाव कार्य अन्य देशों द्वारा शुरू की गयी त्वरित कार्रवाई की तुलना में अभी भी अपर्याप्त है।

इस क्षेत्र के देशों में बिगड़ती स्थिति और विशेषकर खाड़ी देशों में इसके प्रसार को देखते हुए सरकार को अविलम्ब रूप से कार्य करना चाहिए। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि राहत और बचाव कार्यों की निगरानी के लिए विशेष सन्देशवाहकों के भेजा जाना चाहिए। विभिन्न मंत्रालयों जैसे विदेश, प्रवासी भारतीय कार्य, नागर विमानन और रक्षा मंत्रालयों को शामिल कर एकीकृत कमांड का ढांचा बनाया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदया : श्री ए. सम्पत्त का नाम श्री जोस के. मणि द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ सम्बद्ध है।

श्री महेन्द्र कुमार राय (जलपाईगुड़ी) **:** अध्यक्ष महोदया, अविलम्बनीय लोक महत्व के मुद्दे को उठाने की अनुमति दिए जाने के लिए धन्यवाद।

मैं आपका ध्यान पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के दक्षिण बेरूबारी ग्राम पंचायत के प्रतिकूल कब्जे की समस्या के स्थायी समाधान के लिये इंदिरा - मुजीब समझौते को कार्यान्वित किये जाने के लिए कदम उठाए जाने से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता है।

20 जनवरी, 2011 को ढाका में भारत और बंग्लादेश के बीच एक द्विपक्षीय बैठक हुई जिसमें गृह सचिव ने भाग लिया। समाचार पत्र के संस्करण के अनुसार उक्त बैठक में दोनों देशों के बीच अन्तः क्षेत्र को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। परंतु 1974 के इंदिरा-मुजीब समझौते के अनुसार अन्तः क्षेत्र के विनियम का प्रश्न दोनों देशों के प्रतिकूल कब्जे वाले क्षेत्रों में संबंधित है।

दिनांक 23 अगस्त 2005 के अतारांकित प्रश्न सं. 3947 के गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा दिए गए लिखित उत्तर में यह बताया गया कि 1974 के भू सीमा समझौते के अनुसार भारत के पास दक्षिणी बेरुबारी के नकटवर्ती क्षेत्रों के साथ दक्षिणी बेरुबारी यूनियन सं. 12 का आधा दक्षिणी हिस्सा है। तथापि, दक्षिणी बेरुबारी में कुछ छितरे हुए क्षेत्र हैं जो बांग्लादेश के प्रतिकूल कब्जे में है। यह क्षेत्र भारत का अखण्ड हिस्सा है और वितरित कब्जे वाले क्षेत्रों और बेरुबारी के निकटवर्ती दाई खाटा के असीमांकित हिस्से को छोड़कर, इसे तदनुसार मानचित्रों में दर्शाया गया है। वितरित कब्जे वाले क्षेत्र सहित दक्षिणी बेरुबारी क्षेत्र में स्ट्रिप मानचित्र की तैयारी के लिए सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है। तथापि, अभी इन मानचित्रों को न तो अंतिम रूप प्रदान किया गया है और न ही इनका आदान-प्रदान किया गया है।

कि दक्षिण बेरूबारी के लोग नक्शों को अंतिम रूप दिए जाने में अत्यधिक विलंब के खिलाफ तथा प्रतिकूल कब्जे की समस्या के स्थायी समाधान के लिये आंदोलन कर रहे हैं? वे 27 जनवरी, 2011 से धरने पर बैठे हड़ताल कर रहे हैं।

इन परिस्थितियों में, मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि हम मुद्दे के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

[हिन्दी]

श्री सज्जन वर्मा (देवास) : अध्यक्ष महोदया, मध्य प्रदेश राज्य में किसानों द्वारा आत्महत्या की प्रवृत्ति कभी नहीं रही, लेकिन विगत पांच वर्षों में किसानों द्वारा विभिन्न कारणों से आत्महत्या करने के जो सरकारी आंकड़े आए हैं, वे चौकाने वाले हैं। लगभग सात हजार किसानों ने आत्महत्या की है।

अध्यक्ष महोदया, मध्य प्रदेश में विगत दो महीनों में लगभग 42 किसानों ने आत्महत्या कर ली है। इसके जो कारण सामने आए हैं, उनमें प्रमुख कारण अधिक ठंड पड़ने से, पाला पड़ने से, गेहूं, चने व आलू की फसल का सम्पूर्ण नष्ट हो जाना है। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदत्त प्राकृतिक आपदा राशि एवं केन्द्र सरकार द्वारा दी गई राहत राशि का पीड़ित किसानों को मुआवजे के रूप में नहीं बांटा जाना तथा एक प्रमुख कारण जो पीड़ित परिवारों से चर्चा के बाद उभर कर आया है, वह है सन् 2008 के मध्य प्रदेश विधान सभा चुनाव के समय भाजपा की सरकार ने अपने चुनावी घोषणा-पत्र में किसानों से वायदा किया था कि एक बार फिर हमारी सरकार बना दीजिए, हम सौ दिन में हर किसान का 50,000 रुपए तक का कर्जा माफ कर देंगे एवं किसानों को 18 घंटे बिजली देंगे तथा जितनी बिजली उतने दाम लेंगे। वे सारे फायदे मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने 27 महीने के बाद भी पूरे नहीं किए हैं। अब हालात ये हैं कि मुख्यमंत्री के विधान सभा क्षेत्र में विगत 15 दिन में दो किसानों ने आत्महत्या कर ली है। मध्य प्रदेश की गैर जवाबदार सरकार द्वारा आत्महत्या करने वाले किसानों को कहीं पागल बता रही है, वहीं फसल व पाले से नष्ट होने को किसानों का पाप बता रही है।

अतः मेरा केन्द्र से अनुरोध है कि ऐसे असत्य चुनावी घोषणा-पत्र एवं किसानों के साथ अन्याय करने वाली मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए एवं एक सर्वदलीय सांसदों की समिति की समिति बना कर, किन कारणों से किसान आत्महत्या कर रहे हैं, इसकी सघन जांच करवाने का कष्ट करें। धन्यवाद।

श्री कमल किशोर कमांडो (बहराइच) : अध्यक्ष महोदया, उत्तर प्रदेश का बहराइच डिस्ट्रिक्ट सबसे गरीब है, उस इलाके में एक फॉर्म है, जहां लोगों की रोजी-रोटी चला करती थी, वह आज किसानों से छीना जा रहा है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : श्री कमल किशोर, ई. कचरे के पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव के देखते हुए देश में इसके पुनर्चक्रण तथा निपटान पर नियंत्रण के संबंध में आपने सूचना दी थी।

[हिन्दी]

यह पर्यावरण से संबंधित है। अतः आप बाद में बोलिएगा।

[अनुवाद]

श्री नरहरि महतो (पुरूलिया): अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण 'शून्य काल' में भाग लेने का अवसर दिया।

मेरी महत्वपूर्ण सूचना यह है कि मैं कोट शिला रेलवे जंक्शन से पुरूलिया रेलवे जंक्शन तक दोहरी रेल लाईन चाहता हूँ जो केवल 34 कि.मी. है। यह अद्रा डिवीजन के अंतर्गत दक्षिण पूर्व रेलवे में

पड़ता है। लम्बे समय से यह रेल बजट में शामिल नहीं किया जा रहा था और इसकी उपेक्षा की जा रही थी। पुरूलिया के मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में यह लाइन रांची से पुरूलिया को जोड़ती है। रांची झारखंड की राजधानी है और यह लाइन बोकारो स्टील सिटी, जमशेदपुर स्टील सिटी और दुर्गापुर स्टील सिटी से जुड़ी हुई है जो भारत की बेहतरीन स्टील सिटी है। अधिकांश लोग उस रास्ते में रांची, बोकारो, धनबाद, दुर्गापुर और टाटानगर उस रास्ते से जाते हैं। इसके अतिरिक्त माओवादी गतिविधियों के समय कई रेलगाड़ियां रोक दी गई हैं। पुरूलिया या कोटशिला से सियालदह या रांची से कोलकाता, पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी के लिए रेलगाड़ी चलाने के लिए कोई वैकल्पिक रेल लाईन नहीं है।

लोगों की कठिनाइयों पर विचार करते हुए, आगामी रेल बजट में कोटशिला रेलवे जंक्शन से पुरूलिया रेलवे जंक्शन तक दोहरी लाईन को शामिल किया जाना चाहिए। यह आपके माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से निवेदन है।

***श्री सी. शिवासामी** (तिरूपुर): अध्यक्ष महोदया, मैं अपने लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अवस्थित तिरूपुर शहर से संबंधित एक समस्या आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं।

तिरूपुर बुनाई उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और निर्यात उद्योग से प्रति वर्ष 10,000 करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। रंगाई एकक के रूप में कई सम्बद्ध औद्योगिक एकक हैं जो बुनाई उद्योग से जुड़े हुए हैं। मद्रास उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार 700 रंगाई एककों को बंद किए जाने का आदेश दिया गया है और इन एककों को विद्युत की आपूर्ति बंद कर दी गयी है। इसमें पूरा बुनाई उद्योग प्रभावित हुआ है। इससे बड़े पैमाने पर उत्पादन में कमी आ गयी है जिससे 10 लाख औद्योगिक कामगारों को रोजगार से हाथ धोना पड़ेगा। यह एक आसन्न संकट है जिसने भयंकर रूप धारण कर लिया है।

इस बात पर जोर दिया गया है कि रंगाई यूनिटों से छोड़े गए निस्सारी जल में केवल शून्य प्रतिशत लवण अंश अनुमत है शून्य प्रतिशत लवण अंश लगभग संभव और अव्यवहार्य सी बात है क्योंकि हम देखते हैं कि कुएं से निकाले गए पेयजल में भी 200 से 300 टीटीएस होते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत के किसी भी अन्य राज्य में इस बात पर जोर नहीं दिया गया है। अत: मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि तमिलनाडू सरकार को मद्रास उच्च न्यायालय से सम्पर्क करके यह सुनिश्चित करने के लिए कहा जाए कि सरकार स्वयं इन निस्सारी जल शोधन संयंत्रों पर निगरानी रखेगी और इनका प्रचालन करेगी और पानी से जहरीले अंश निकालने के बाद एक पाइपलाइन के जरिए पानी को सीधे समुद्र में छोड़ेंगी। अत: मैं इस बारे में आग्रह करता हूं कि इन 700 रंगाई यूनिटे जो बंद होने के कगार पर हैं, को युद्ध स्तर पर एक प्रभावी कार्रवाई की जाए। इसके माध्यम से बुनाई उद्योग और उसके साथ-साथ इस पर निर्भर श्रमिकों को बचाया जा सकता है तथा भू-जल प्रदूषण को नियंत्रित करके किसानों की कृषि योग्य जमीन को भी बचाया जा सकेगा। एक समारोह में केंद्रीय वस्त्र मंत्री और तमिलनाडू के उपमुख्य मंत्री द्वारा की गई घोषणा के बावजूद एक निस्सारी जल शोधन संयंत्र की स्थापना हेतु दिया जाने वाला अनुदान अभी तक जारी नहीं किया गया है। उक्त राशि बैंक में जमा कर दी गई है और औद्योगिक यूनिटों के हिस्से के प्रति बैंक गारंटी की मांग की जा रही है। बुनाई उद्योग के अस्तित्व, जिस पर लाखों औद्योगिक कामगारों की जीविका निर्भर है, पर गंभीर संकट के मद्देनजर सरकार का यह कदम निंदनीय है। अत: मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि उक्त जिस्सारी जल शोधन संयंत्रों की युद्ध स्तर पर शीघ्रतिशीघ्र स्थापना हेतु अनुदान जारी करना सुनिश्चित करें।

[हिन्दी]

श्री संजय निरूपम (मुम्बई उत्तर) **:** अध्यक्ष महोदया, बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बोलने का परमीशन दी।

मैं महाराष्ट्र के लगभग 4.5 लाख मछुआरों के प्रश्न के ऊपर यहां पर खड़ा हूं उनकी रोजी-रोटी और उनकी आजीविका से जुड़ा हुआ यह विषय है। भारत सरकार की एक नीति के हिसाब से जो मछुआरे मछली मारने के लिए बोट का इस्तेमाल करते हैं, उनको हाई स्पीड डीजल के ऊपर एक प्रकार की सब्सिडी दी जाती है और यह सब्सिडी देते समय एक ऐसी समय एक ऐसी शर्त रखी गई है कि 500 लीटर से ज्यादा उसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इसमें दूसरा जो सबसे दोषपूर्ण आधार है, उसमें यह बताया गया है कि जो बी.पी.एल के तहत रहने वाले मछुआरे हैं, उन्हीं को सब्सिडी दी जायेगी। मुझे यह समझ में नहीं आता कि इस क्राइटीरिया का क्या अर्थ है, क्योंकि बी.पी.एल. तो जो गरीबों की रेखा से नीचे रहने वाले लोग होते हैं, उनके लिए जो क्राइटीरिया हमारे देश में है, उसमें जिनके घर में टेलीविजन होता है, वे भी बी.पी.एल. नहीं हो सकते। जिन मछुआरों के पास अपनी बोट है, जो अपनी बोट चलाता हो और उसके जरिये मछली मारता हो, वह बी.पी.एल. में कभी आ ही नहीं सकता, इसलिए पिछले 2-3 वर्षों से जो स्कीम लागू है उसके हिसाब से देखा जाये तो पूरे देश में सिर्फ तीन करोड़ रुपए खर्च हुए। एक पर्टिकुलर साल की बात है, 2008-09 में सिर्फ तीन करोड़ रुपये खर्च हुए और 1761

*मूलत तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपांतर।

मछुआरों को इसका लाभ मिला तो कहीं न कहीं इस गाइडलाइन में शिथिलता लाने की आवश्यकता है, संशोधन लाने की आवश्यकता हैं एक सर्व-सामान्य गरीब जो हमारा मछुआरा समाज है, उनके लिए यह व्यवस्था होनी चाहिए।

मैं भारत सरकार से यह मांग करता हूं, विशेषकर हमारे कृषि मंत्री शरद पवार जी से, जो स्वयं महाराष्ट्र के हैं, लेकिन यह सिर्फ महाराष्ट्र के मछुआरों का सवाल ही नहीं है, पूरे देश के मछुआरों का सवाल है, मैं उनसे मांग करता हूं, कि यह जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में संशोधन लाकर, सर्व-सामान्य जो गरीब मछुआरे हैं, उनके लिए बोट के इस्तेमाल पर जो डीजल की आपूर्ति होती है, उसके ऊपर पर्याप्त सब्सिडी देने की व्यवस्था की जाये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी भी अपने को सम्बद्ध कर रही हैं।

[हिन्दी]

श्री कमल किशोर कमांडो (बहराइच) **:** महोदया, हमारे देश में इलैक्ट्रानिक उपकरणों की बढ़ती जरूरतों के कारण देश में अनेक प्रकार के इलैक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग हो रहा है। खराब हो जाने पर इन उपकरणों का कचरा देश में जमा होता है। सबसे ज्यादा टेलीविजन तथा मोबाइल फोन के अलग-अलग हिस्सों का कचरा होता है। अनुमानतः भारत में प्रतिवर्ष 3.5 लाख टन इलैक्ट्रॉनिक कचरा पैदा होता है तथा लगभग 50 हजार टन कचरा गैर-कानूनी ढंग से विदेशों से आयात किया जाता है। इस तरह से प्रतिवर्ष चार लाख टन इलैक्ट्रॉनिक कचरा इकट्ठा हो रहा हैं इस कचरे से मानव जाति तथा वातावरण को गंभीर खतरा है। इन कचरों को या तो यूं ही खुले मैदानों में फेंक दिया जाता है या नदियों में, कुछ हानिकारक कचरों को जमीन में भी दबा दिया जाता है। तकनीकी व विकास के नाम पर इन इलैक्ट्रॉनिक कचरों से वातावरण में जहर घुल रहा है। देश के तमाम बड़े राज्यों महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र-प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, कर्नाटक, गुजरात, पंजाब तथा मध्य प्रदेश बड़ी मात्रा में ई-कचरा उत्पन्न कर रहे हैं। तमाम खराबियों के कारण इलैक्ट्रॉनिक उपकरण कबाड़ हो जाते हैं, इनमें अनेक प्रकार की खतरनाक धातुएं वातावरण को प्रदूषित करती हैं। इनसे निकलने वाली किरणें मानव के लिए अत्यन्त घातक होती हैं। यदि बड़े राज्यों में राज्य स्तर ई-कचरा रीसाइक्लिंग करने का इन्तजाम हो जाये तो इसमें काफी कमी आ सकती है।

ई-कचरे को रीसाइक्लिंग करके काम लायक पुर्जों में तब्दील करके दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है। इसके लिए कचरे को डिस्पोज़ करने वाले यूनिटों की स्थापना करना आवश्यक होगा। इस कचरे से मिट्टी, हवा तथा जल का प्राकृतिक स्रोत भी प्रदूषित होता है। ई-कचरे में आधे से ज्यादा मात्रा में आयरन, स्टील, प्लास्टिक तथा नान-फोरस तत्व होते हैं, जो कि जहरीली गैसें व हानिकारक किरणें पैदा करते हैं। जरूरी है कि ईको-फ्रैंडली रीसाइक्लिंग प्रोसेस फैसिलिटी जैनरेट की जाए, ताकि कचरे का ज्यादा हिस्सा रीसाईक्लिंग किया जाए। इलैक्ट्रानिक कचरे से मनुष्य के स्वास्थ्य पर होने वाले खतरे को देखते हुए इन सब कार्यों को मशीनों से किया जाये। यदि समय रहते ई-कचरे को नियंत्रित नहीं किया जायेगा तो आने वाले समय में इसकी काफी नुकसान होगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : श्री पी.टी. थॉमस, श्री जोस के मणि और डा. संजीव गणेश नायक भी एसोसिएट कर रहे हैं।

डॉ. रामचन्द्र डोम (बोलपुर) **:** अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार और सदन का ध्यान लोक/महत्व के अत्यंत आवश्यक मुद्दे, अर्थात् आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बे-रोक टोक बढ़ोतरी, की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आवश्यक वस्तुओं, विशेषतया, खाद्य पदार्थों की कीमतें आसमान छू रही हैं और गत कई वर्षों से बिना किसी रोक टोक के ऐसा हो रहा है।

फिलहाल खाद्य मुद्रास्फीति की दर शिखर पर है और सरकार की दृष्टि में सैंकड़ों हजारों आम आदमी इसके परिणाम स्वरूप परेशानी झेल रहे हैं। मंहगाई के मामले में उनके सामने अनगिनत समस्याएं हैं और पैट्रोलियम उत्पादों की कीमत कई बार बढ़ाकर और बाजार में पैट्रोलियम उत्पादों की कीमत कई बार बढ़ा कर बाजार में पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्य को विनियंत्रित करके आम आदमी की दुर्दशा को सरकार ने और भी बढ़ा दिया है। इससे लोगों की दुर्दशा और बड़ी है। अभी सब्जियों और फलों के मूल्य भी बढ़ गए हैं। फल-सब्जी उत्पादक और उपभोक्ता दोनों परेशान हैं, जबकि जमाखोरी करने वाले और बड़े व्यापारी इस स्थिति का फायदा उठाकर खूब पैसा कमा रहे हैं।

''खाद्य सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार ने इस सदन को आश्वस्त किया था कि वे पीड़ित और गरीब लोगों को बचाने के लिए खाद्य सुरक्षा कानून बनाएंगे। लेकिन इस सरकार ने पीड़ित लोगों, जो खाद्य पदार्थ नहीं खरीद सकते को बचाने के लिए पिछले दो वर्षों से कोई व्यापक उपाय नहीं किये हैं।

अध्यक्ष महोदया : धन्यवाद। कृपया समाप्त कीजिए।

डॉ. रामचन्द्र डोम : प्रति व्यक्ति खाद्य-उपयोग की दर पर रही है, यह सच है। चूंकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को भंग कर दिया गया है अत: अब ऐसी कोई प्रणाली नहीं है। गरिबों को गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्ति के रूप में चिन्हांकित करके सरकार ने उनका विभाजन कर दिया है। जहां 77 प्रतिशत व्यक्ति 20 रुपये प्रतिदिन पर गुजारा कर रहे हो वहां सरकार उसके संरक्षण की अपनी जिम्मेदारी अकेले उठा नहीं पा रही है। सरकार वस्तुतः कुछ नहीं कर रही है।

अध्यक्ष महोदया : आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

डॉ. रामचन्द्र डोम : मैं सरकार से एक व्यापक खाद्य सुरक्षा विधान लाने का आग्रह करता हूं तथा पीड़ित और निर्धन जनों को खाद्य सामग्री, खाद्यान्न तथा सभी आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सार्वभौमिकरण का अनुरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदया : यदि कोई माननीय सदस्य डॉ. डोम द्वारा उठाए गए मुद्दे से स्वयं को संबद्ध करना चाहें तो कृपया सभा-पटल पर अपने नाम भेज दें।

अगले सदस्य हैं : श्री पी.टी. थामस।

...*(व्यवधान)*

डॉ. रामचन्द्र डोम : सार्वजनिक वितरण प्रणाली को देश भर में सुलभ दरों पर लागू किया जाए ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : डॉ. रामचन्द्र डोम आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए।

...*(व्यवधान)**

डॉ. अनूप कुमार साहा (वर्धमान पूर्व) **:** महोदया, मैं स्वयं को डॉ. रामचन्द्र डोम द्वारा उठाए गए मुद्दे से संबद्ध करना चाहूंगा। ...*(व्यवधान)*

श्री पुलिन बिहारी वासके (झाड़ग्राम) **:** महोदया, मैं स्वयं को डॉ. रामचन्द्र डोम द्वारा उठाए गए मुद्दे से संबद्ध करना चाहूँगा ...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुस्मिता बाउरी (विष्णुपुर) **:** महोदया, मैं स्वयं को डा. रामचन्द्र डोम द्वारा उठाए गए मुद्दे से संबद्ध करना चाहूँगा ...*(व्यवधान)*

श्री शक्ति मोहन मालिक (आरामबाग) **:** महोदया, मैं स्वयं को डॉ. रामचन्द्र डोम द्वारा उठाए गए मुद्दे से संबद्ध करना चाहूंगा ...*(व्यवधान)*

श्री महेन्द्र कुमार राय (जलपाईगुड़ी) **:** महोदया, मैं स्वयं को डॉ. रामचन्द्र डोम द्वारा उठाए गए मुद्दे से संबद्ध करना चाहूंगा ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : आपको बुला रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : धर्मेन्द्र जी, आपको भी बुला रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : अब कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : सबको बुला रहे हैं, आप लोग बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : हमने आपको कहा है कि हम बुलायेंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप भी बैठिए

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदया, आपने मुझे आश्वासन दिया था कि आप मुझे बोलने की अनुमति देंगी....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : पी.टी. थामस जी, आप बोलिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी.टी. थॉमस (इदुक्की) : महोदया, मैं सरकार का ध्यान गत माह केरल में धार्मिक स्थल सबरीमाला के निकट इदुक्की जिले में पुल्लुभेदु में हुई भगदड़ की दुखद घटना, जिसमें अनेक लोगों की जानें गईं, की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। उसमें लगभग 102 लोगों की मृत्यु हुई और अनेक लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इस घटना को एक सबक के रूप में लेते हुए यह उचित समय है कि इस संबंध में उपचारात्मक उपाय किए जाएं।

महोदया, सबरीमाला धार्मिक स्थल पर प्रतिवर्ष करोड़ों लोग जाते हैं परंतु, वहां पर्याप्त नागरिक सुविधाएं नहीं हैं। ऐसी दुर्घटना से बचने के लिए सबरीमाला मास्टर प्लान को लागू किया जाना अनिवार्य है और यह कार्य बिना किसी विलंब के किया जाना चाहिए। भीड़ नियंत्रण के लिए एक उचित तंत्र होना चाहिए और केंद्र वहां अर्धसैनिक बलों की तैनाती करने पर विचार करते हुए आवश्यक सहायता प्रदान कर सकती है।

दुर्भाग्यवश, वहां चिकित्सा सुविधाओं का अभाव है। मेरे जिले इदुक्की में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है और रोगियों में तमिलनाडु में सेलम या कोट्टायम स्थित मेडिकल कालेज में ले जाया जाता है, जहां पहुंचने में सामान्यतः साढ़े तीन घंटे का समय लगता है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वर्तमान इदुक्की जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज में परिवर्तित करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं। इसके अतिरिक्त, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, कुमिली का उन्नयन करके उसे एक सामान्य अस्पताल बनाया जाना भी आवश्यक है। इसके लिए केंद्रीय सहायत की भी आवश्यकता है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस बारे में शीघ्र आवश्यक कार्रवाई की जाए। मेरा सरकार से यह भी अनुरोध है कि वह ऐसी घटनाओं से बचने के लिए सबरीमाला तीर्थ यात्रियों को सुविधाएं प्रदान करने हेतु आवश्यक कदम उठाए।

श्रीमती विजया चक्रवर्ती (गुवाहाटी) : खुगा बांध परियोजना, उत्तर पूर्व क्षेत्र में एक बहुउद्देश्यीय बांध परियोजना है जिसे 1.5 मिलियन बाट बिजली का उत्पादन करने, प्रतिवर्ष 15,000 हैक्टेयर भूमि की सिंचाई करने और 50,000 गैलन पेय जल की आपूर्ति करने के लिए 382 करोड़ रुपये की लागत से 1983 में आरंभ किया गया था।

27 वर्ष बीत जाने के पश्चात् 12 नवम्बर, 2010 को खुगा बांध का उद्घाटन किया गया। दुर्भाग्यवश, उद्घाटन के समय ही मुख्य बांध की दीवार में बड़ी दरारें दिखाई दे रही थीं कटाव के कारण मणिपुर का पूरा चारुचंद्रपुर क्षेत्र जोखिम में है। लोग लगातार इस भय के माहौल में जी रहे हैं कि यह बांध किसी भी समय ढह सकता है। विद्युत केंद्र जिसके द्वारा1.5 मिलियन बाट बिजली का उत्पादन किया जाना है वह जलमग्न है और एक बाट बिजली पैदा करने की स्थिति से भी नहीं है और सिंचाई नहरें पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गई हैं।

सौलह गांव बह चुके हैं और हजारों लोग जो कि बेघर हो चुके हैं। उनका यथोचित पुनर्वास नहीं किया गया है। स्थानीय उप-ठेकेदारों को भी 31 करोड़ रुपए तक की उनकी बकाया धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है।

बरसात के मौसम में चारुचंद्रपुर के लोगों को यह आशंका रहती है कि दरार युक्त यह बांध पूरे क्षेत्र को कभी भी बहा सकता है। मैं इस मुद्दे को इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार के मुद्दे शामिल हैं जिन पर तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है ताकि वर्तमान सरकार में लोगों के विश्वास को बनाए रखा जा सके।

[हिन्दी]

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : महोदया, झारखंड राज्य में एमपीलैड स्कीम के तहत जारी निधि का खर्च उचित ढंग से नहीं होने के कारण विकास कार्यबाधित है जबकि सांसदों की अनुशंसा के आलोक में संबंधित जिला कलैक्टर को कार्यों का तत्परता से निष्पादन

करना चाहिए ताकि एक्सपैंडीचर रिपोर्ट भारत सरकार तक आए। वर्तमान में झारखंड राज्य में एमपीलैड स्कीम में जिला कलैक्टर द्वारा टैंडरिंग की बात कही जा रही है जबकि झारखंड राज्य में झारखंड सरकार की जो एजैंसीज हैं, चाहे वह जिला परिषद हो, पीएचईडी हो, आरईओ हो, इन सारी संस्थाओं द्वारा कार्य निष्पादन किया जाए ताकि उसे अविलंब पूरा किया जा सके।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि सांसद निधि के दो करोड़ रुपये को अविलंब बढ़ाने की बात हो ताकि कार्य का निष्पादन किया जा सके, नहीं तो इसे समाप्त कर दिया जाए, चूंक दो करोड़ रुपये में सांसद निधि से कोई कार्य नहीं हो सकता।...*(व्यवधान)* भारत सरकार की योजना में सांसदों की भागीदारी हो ताकि वे अपने क्षेत्रा का काम करवा सकें।

श्री जयवंत गंगाराम आवले (लातूर) : महोदया, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना में फर्जी काम दिखाकर लगभग 98 लाख रुपये का गोलमाल कर लिया गया है और जांच में प्रथम दृष्टया इसकी पुष्टि भी की जा चुकी है। यह संत करीम नगर में हुआ। मनरेगा के लेखा रिकार्ड से साठ चैक गायब हैं। बिना किसी बजट के करीब 36 लाख रुपये का चेक अलग से काट दिया गया है। जांच टीम की रिपोर्ट के हिसाब से 98 लाख का गोलमाल किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक बैंक स्टेटमैंट में कुल 31 चैकों के जरिए 33 लाख 1632 रुपये का नकद भुगतान किया गया है। किन ब्लाक के ग्रांट रजिस्टर पार्ट-टू एवं चैक जारी रजिस्टर में इसका विवरण दर्ज नहीं है। इसी क्रम में 31 जनवरी, 2010 से 30 मार्च, 2010 की अवधि के बीच 65 लाख 9626 रुपये ब्लाक के अभिलेख में दर्ज है।...*(व्यवधान)* लेकिन बैंक के खाते में नहीं है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आवले जी, अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री जयवंत गंगाराम आवले : मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। जांच टीम में इन चैकों की सौदेबाजी की आशंका व्यक्त की गयी है।

महोदया, ये गंभीर अनियमितताएं हैं। देश भर में मनरेगा के तहत हो रहे कार्यों का निरीक्षण करने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। अब तक की गई तमाम ऐसी व्यवस्थाओं के बावजूद भी इस तरह की अनियमितताएं पाना बड़ा गंभीर विषय है। इसे दुरस्त करना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है।

[अनुवाद]

श्री डी. वी. सदानन्द गौडा (उदूपी-चिमंगलूर) : अध्यक्ष महोदया, आज इस मामले पर काफी महत्त्व के साथ प्रश्न संख्या एक के रूप में प्रश्न काल के दौरान पहले ही चर्चा हो चुकी है। 17 फरवरी, 2011 के आदेश के अनुसार कर्नाटक सरकार एंडोसल्फान पर पहले ही प्रतिबंध लगा चुकी है। लेकिन कीटनाशी अधिनियम की धारा 27(1) के अनुसार राज्य सरकार केवल 60 दिनों का प्रतिबंध लगा सकती है और आगे इसमें 30 दिनों की वृद्धि कर सकती है लेकिन अधिनियम की धारा 27(2) के अन्तर्गत पूर्ण प्रतिबंध केंद्र सरकार द्वारा ही लगाया जा सकता है क्योंकि कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों और केरल के तटीय क्षेत्रों में हजारों लोग विकृतता से प्रभावित है और उनका स्वास्थ्य तथा सब कुछ प्रभावित हुआ है। कर्नाटक सरकार ने इस मामले को उठाया है वह उनका पुनर्वास कर रही हैं तथा उन्हें स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं एवं अन्य चीजें प्रदान कर रही हैं। मैं, केंद्र सरकार से इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का अनुरोध करता हूं। जैसा कि हमारे माननीय मंत्री ने ठीक ही कहा है कि कुछ रिपोर्टों में कुछ राय दी गई है लेकिन आज वास्तविकता पर गौर करना चाहिए और इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण विषय और देश के किसानों से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में बोलने की अनुमति दी। यह सत्र और इससे पहले भी लोकसभा के सत्र इस बात के गवाह हैं कि चाहे सत्ता पक्ष के हों या प्रतिपक्ष के हों, देश के सभी चुने हुए जनप्रतिनिधियों को इस बात की चिन्ता है कि आज किसानों की उपजाऊ भूमि को निजी लोगों के हितों के लिए राज्य सरकारों द्वारा अधिगृहित किया जा रहा है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि अजा उन किसानों के समक्ष विभिन्न तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, वे भूमिहीन होते जा रहे हैं। इस पर भारत सरकार विचार कर रही है कि हम भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक लेकर आयेंगे, लेकिन जब तक वह विधेयक पारित नहीं होता तब तक राज्य सरकारों द्वारा, जैसे गौतम बुद्ध नगर में कल जिस तरह से किसानों पर फायरिंग की गयी, उसमें सात लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं।...*(व्यवधान)* पिछले 35 दिनों से वहां लोग धरने पर थे।...*(व्यवधान)* अभी हम टप्पल की बात भी नहीं भूल पाए। उस तरह से यमुना एक्सप्रैस वे क निजी क्षेत्रों में...*(व्यवधान)* आप सुन लीजिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : श्री जगदम्बिका पाल जी की ही बात रिकार्ड में जाएगी।

...*(व्यवधान)**

श्री जगदम्बिका पाल : आज भी वे मौत से जूझ रहे हैं।.... *(व्यवधान)* जिस तरह से अभी फिरोजाबाद की टप्पल किसानों ने.... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : जगदम्बिका पाल जी, अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री जगदम्बिका पाल : टप्पल के तीन किसान मारे गये। ....*(व्यवधान)* अभी उन किसानों की मौत की गूंज भी खत्म नहीं हुई है। ....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : जगदम्बिका पाल जी, आपकी बात हो गयी है, इसलिए आप समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री जगदम्बिका पाल : इससे ज्यादा कोई गंभीर बात ही नहीं है। आज उनकी जमीनों का अधिग्रहण रोका जाये और जो दोषी अधिकारी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाये। जिस तरह से 35 दिनों से....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : जगदम्बिका पाल जी, आपकी बात पूरी हो गयी है, इसलिए आप बैठ जाइये। अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

***अध्यक्ष महोदया** : श्री धर्मेन्द्र यादव।*

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : अब सिर्फ धर्मेन्द्र यादव की बात ही रिकार्ड में जायेगी।

...*(व्यवधान)**

श्री धर्मेन्द्र यादव (बदायूँ) : मैडम, आप पहले हाउस को ऑर्डर में कीजिए।....*(व्यवधान)*

अपराह्न 01.00 बजे

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप लोग बैठ जाइए। श्री धर्मेन्द्र यादव जी को बोलने दीजिए।

*कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

...*(व्यवधान)*

श्री गणेश सिंह (सतना) : महोदया, पूरे उत्तर भारत में किसानों की फसल पाले से नष्ट हुई है, किसानों को नुकसान हुआ है। मध्य प्रदेश के हजारों किसान इससे प्रभावित हुए हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि केंद्र सरकार उसको नेचुलर कैलमिटी नहीं मानती है।....*(व्यवधान)* महोदया, इस विषय को सदन में उठाने दीजिए, यह पूरे देश के किसानों का सवाल है।....*(व्यवधान)*

श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र (सीधी) : मैं श्री गणेश सिंह जी की बात से एशोशिएट करता हूं।

श्री शिवराज भैया (दमोह) : मैं श्री गणेश सिंह जी की बात के साथ स्वयं को एशोशिएट करता हूं।

अध्यक्ष महोदया : पहले उनको बोलने दीजिए।

श्री धर्मेन्द्र यादव जी, आप बोलिए।

श्री धर्मेन्द्र यादव : महोदया, मैंने आपको प्रश्नकाल स्थगन और कार्य स्थगन का नोटिस दिया था। आपके आश्वासन पर हम धैर्य से बैठे रहे, लेनिक बहुत अफसोस है कि उत्तर प्रदेश, जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, उस राज्य की पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था भंग हो गयी है।. ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप लोग बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

***अध्यक्ष महोदया** : सिर्फ श्री धर्मेन्द्र यादव जी की बात रिकॉर्ड में* जाएगी।

[अनुवाद]

कुछ भी कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री धर्मेन्द्र यादव : उत्तर प्रदेश के विधायकों को असामाजिक तत्वों द्वारा विधानसभा में पीटा गया और उनको सदन से बाहर निकाला गया। वहां सभी लोकतांत्रिक संस्थाएं भंग कर दी जा रही हैं, धनबल, सत्ताबल के दम पर, बाहुबलियों के दम पर, लोकतांत्रिक संस्थाओं को खत्म करने का षडयंत्र उत्तर प्रदेश में हो रहा है। मैं आपसे अपील करूंगा कि आप केंद्र सरकार को निर्देशित करें और उत्तर प्रदेश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को बचाने का काम करें।....*(व्यवधान)*

अपराह्न 1.01 बजे

इस समय श्री प्रेमदास और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभापटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

अध्यक्ष महोदया : सिर्फ श्री धर्मेन्द्र यादव जी की बात रिकॉर्ड में जाएगी।

...(व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र यादव : महोदया, पहले उत्तर प्रदेश की सहकारिता, फिर उत्तर प्रदेश की विधान परिषद, फिर जिला पंचायतें, फिर नगर पंचायतें, फिर ब्लॉक प्रमुख आदि सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं के खत्म किया जा रहा है। सभी संसीएं पूरी तरह से बेची जा रही हैं। संविधान के 74वें संशोधन के द्वारा सीधे जनता को जो अधिकार दिए गए थे, उनको खत्म कर दिया गया है। मेरी आपसे मांग है कि आप केंद्र सरकार को निर्देश दें कि वह उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त करे और वहां की लोकतांत्रिक व्यवस्था के बचाने का काम करें। यही मुझे आपसे उम्मीद है। केन्द्र सरकार यह नूराकुश्ती बंद करे। कांग्रेस के लोग और बहुजन समाज पार्टी के लोग मिलकर जो खेल खेल रहे हैं, उसे बंद कीजिए और उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त कीजिए। यही मेरी आपसे अपील है।

अध्यक्ष महोदया : सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.02 बजे

तत्पश्चात लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.00 बजे

लोकसभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदया पीठासीन हुईं)

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यों नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाएगा। जिन सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति दी गई है तथा जो उन्हें सभा पटल पर रखना चाहते हैं वे 20 मिनट के अंदर वैयक्तिक रूप से सभापटल पर पर्चियां सौंप सकते हैं। केवल उन्हीं मामलों को पटल पर रखा गया माना जाएगा। जिनके लिए निर्धारित समय-सीमा के भीतर पर्चियां सभा पटल पर प्राप्त हो जाएगी। शेष को व्यपगत माना जाएगा।

(एक) लक्षद्वीप के द्वीपों और निकोबार द्वीपसमूहों में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को दुर्गम क्षेत्र भत्ता दिए जाने का प्रावधान किए जाने की आवश्यकता।

श्री हमदुल्लाह सईद (लक्षद्वीप) : मैं सरकार का ध्यान लक्षद्वीप के मिनीकाय द्वीप को कार्यरत सरकारी कर्मचारियों को 25 प्रतिशत की दर से जोखिम क्षेत्र भत्ते का भुगतान की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। भारत के संविधान द्वारा लक्षद्वीप को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। लक्षद्वीप के विभिन्न द्वीपों में सेवारत सरकारी कर्मचारियों को मुख्यभूमि से अलग अकेले रहने की पीड़ा झेलनी पड़ती है। देश में ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जो कल्याणकारी राज्य है और एक कल्याणकारी राज्य में सरकार को लाभ की ओर नहीं देखना चाहिए और उसका दृष्टिकोण कल्याणकारी होना चाहिए।

इसलिए, मैं सरकार से लक्षद्वीप के सभी द्वीपसमूहों पर समान रूप से और निकोबार द्वीपसमूहों में 25 प्रतिशत कठिन क्षेत्र भत्ता प्रदान करने का अनुरोध करता हूं। चूंकि सभी द्वीपसमूह समान रूप से कठिन, दुर्गम तथा अलग-थलग हैं।

(दो) रेलगाड़ियों में सुरक्षा तंत्र को मजबूत किए जाने तथा उन्हें निर्धारित समय के अनुसार चलाए जाने की आवश्यकता।

श्री एंटो एंटोनी (पथनमथीट्टा) : मैं भारत सरकार से भारतीय रेल नेटवर्कों की सभी रेलगाड़ियों में सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने का अनुरोध करता हूं। इस वर्ष फरवरी में एक यात्री गाड़ी में सफर कर रही मासूम लड़की की दर्दनाक हत्या कर दी गई। यह घटना इरनाकुलम-शोरनूर यात्री रेलगाड़ी में महिला डिब्बे में अपर्याप्त सुरक्षा तंत्र के कारण हुई। समाज विरोधी तत्व महिला डिब्बों सहित रेल डिब्बों में बिना किसी भय के घूम रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप लोग विशेष रूप से महिलाएं रेलगाड़ियों में यात्रा करने से भयाक्रांत है।

इस अवसर पर मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अनेक रेलगाड़ियां समय सारणी का पालन नहीं कर रही हैं। उदाहरण के लिए 31 जनवरी, 2011 को त्रिवेंद्रम-नई दिल्ली केरल एक्सप्रेस (नं. 12625) में विलम्ब हुआ और यह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन छह घंटे देरी से पहुंची। ऐसी

* सभा पटल पर रखे माने गए।

घटनाएं भारतीय रेल की छवि को धूमिल करती हैं। इसलिए मैं भारत सरकार से इन गंभीर घटनाओं में तत्काल हस्तक्षेप करने और इसका उचित समाधान उपलब्ध कराने की मांग करता हूं।

(तीन) देश में सीमेंट के मूल्यों में हुई तीव्र वृद्धि को वापस लिए जाने की आवश्यकता।

श्री के. सुधाकरण (कन्नूर) : मैं देश में सीमेंट के मूल्यों में तीव्र वृद्धि से संबंधित एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। सीमेंट के मूल्यों में 240 रु. प्रति बोरी से आज की तिथि में 330 रु. प्रति बोरी की अचानक बढ़त से लाखों गरीब लोगों का अपना घर बनाने का स्वप्न चकनाचूर हो गया है। बिना किसी विश्वसनीय कारण के सीमेंट के मूल्यों में तीव्र वृद्धि वह भी जब सीमेंट की आपूर्ति पर्याप्त है, पूर्ण रूप से अस्वीकार्य है। सीमेंट मूल्यों में तीव्र वृद्धि से आम आदमी सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। अगर यह वृद्धि कायम रही तो सभी परियोजनाओं के अनुमानों में वृद्धि हो जाएगी, जिसका परिणामस्वरूप सभी अंतिम उपयोगकर्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। साथ ही ऐसी संभावना है कि सीमेंट के मूल्यों में इस असाधारण् वृद्धि पुनः निर्माण उद्योग को मंदी में धकेल देगा जोकि अर्ध कुशल तथा कुशल कामगारों को सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है। मैं सरकार से इस मुद्दे पर तुरंत नियंत्रण करने और सीमेंट के मूल्यों में वृद्धि को वापस लेकर मूल्यों को समान बनाने के लिए तत्काल कदम उठाए। जिससे अंतिम उपयोगकर्ता पर थोपा गया असामान्य भार कम हो सके।

(चार) महाराष्ट्र की गढ़चिरौली–चिमूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के उन आदिवासियों, जिन्हें वहां जमीन आबंटित की गई है, को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु एक केंद्रीय योजना बनाए जाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे (गडचिरोली–चिमूर) : देश के जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में जन जातीय लोगों को जीविकोपार्जन के लिए कृषि उपज हेतु वनभूमि का आबंटन किया गया है, लेनिक उनके लिए भूमि के सिंचन हेतु जल की कोई सुविधा प्रदान नही की जा रही है, जिस कारण जल के अभाव में आदिवासी लोग अपनी भूमि को कृषि उपज् के लिए उपयोग में लाने में असमर्थ हैं एवं बेकारी की स्थिति में है। जब तक आदिवासी लोगों को आबंटित की गई भूमि के सिंचन हेतु जल की व्यवस्था नहीं कराई जाती है, तब तक वह भूमि उनके किसी उपयेाग की नहीं है।

इस संबंध में यह बताना भी उचित होगा कि आज देश नक्सलवाद से बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। इसका एक प्रमुख कारण इन क्षेत्रों को अविकसित होना ही है। यदि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास करके वहां के लोगों को राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़ने का सतत् प्रयास किया जाए तो नक्सलवाद की समस्या से काफी हद तक निपटा जा सकता है।

अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि देश के जनजातीय क्षेत्रों में विशेषकर महाराष्ट्र राज्य के आदिवासी गड़चिरौली–चिमूर संसदीय क्षेत्र में आबंटित की गई भूमि के लिए केंद्रीय स्तर पर एक कार्यक्रम तैयार करके भूमि सिंचन हेतु पानी उपलब्ध करवाया जाए, जिससे नक्सलवाद से प्रभावित लोग केंद्रीय योजना से लाभान्वित होकर राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ सकें।

(पांच) खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा संचालित खादी भवनों का नवीकरण करने तथा दक्षिण क्षेत्र में कार्य कर रहे ट्रेडिंग स्टाफ की सेवाओं को नियमित किए जाने की आवश्यकता।

[अनुवाद]

श्री चार्ल्स डिएस (नामनिर्देशित) : खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) महात्मा गांधी के स्वराज के संदेश के प्रचार–प्रसार की बात कहता है और यह दावा भी करता है कि उसका सामाजिक उद्देश्य रोजगार प्रदान करना हे। अपने विक्रय केंद्रों के माध्यम से देश भर में विभिन्न खादी उत्पादों की बिक्री के द्वारा कुछ हद तक यह छवि बनी कि केवीआईसी व्यवहारिक रूप से महात्मा गांधी के संदेश को कार्यान्वित करने का प्रयास कर रहा है। त्यौहारों के अवसर पर सरकार द्वारा छूट दिया जाना खादी उत्पादों को खरीदने के लिए लोगों को एक प्रोत्साहन था। परंतु अब क्या हो रहा है कि खादी के अनेक उत्पाद जिनका आम आदमी के द्वारा उपयोग किया जाता है वे शो रूम में नहीं है और कीमतें भी उचित नहीं हैं। छूट समाप्त कर दी गई है।

केवीआईसी स्रोतों के अनुसार दक्षिण क्षेत्र में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पांडिचेरी शामिल हैं और वर्ष 2009–2010 के दौरान यहां केवीआई उत्पादों का अधिकतम उत्पादन और बिक्री हुई। देश में 18,136,98 करोड़ रु. के उत्पादन और 24121.54 करोड़ रु. की बिक्री की तुलना में दक्षिण क्षेत्र में 4,622.31 करोड़ रु. का उत्पादन और 6027.68 करोड़ रु. की बिक्री हुई। यह भी बताया गया है कि विपणन विकास हेतु 272.46 करोड़ रु. निर्धारित किए गए हैं। परंतु इन राज्यों में खादी भवनों की जर्जर स्थिति हैं और इन भवनों में ट्रेडिंग कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया है। नियमित कर्मचारियों

की तुलना में ट्रेडिंग कर्मचारियों की संख्या कम हैं काफी लंबे समय से उन्हें नियमित किए जाने की उनकी मांग को अभी तक पूरा नहीं किया गया हैं मैं केंद्र सरकार से इस मामले में शीघ्र विचार करने और दक्षिण क्षेत्र में खादी भवनों के नवीकरण करने और विक्रय में प्रत्यक्ष रूप से शामिल ट्रेडिंग कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने का आग्रह करता हूं। उनको स्थानांतरित किए जाने के केवीआईसी कदम की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है।

(छह) आंध्र प्रदेश के वारंगल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के काजीपेट में एक वैगन फैक्टरी स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री राजय्या सिरिसिल्ला (वारंगल) : मैं इस सम्माननीय सभा का ध्यान आंध्र प्रदेश में मेरे वारंगल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में काजीपेट में वैगन कारखाना स्थापित किए जाने की आवश्यकता की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। इस उद्देश्य के लिए काजीपेट में 300 एकड़ से अधिक भूमि का प्रबंध किया जा सकता है और आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने पहले ही इस संबंध में माननीय रेल मंत्री को पत्र लिखा है। यदि सरकार काजीपेट में वैगन फैक्टरी स्थापित करती है तो यह न केवल दक्षिण और उत्तर भारत के बीच एक हब बनेगा बल्कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के हजारों लोगों को रोजगार भी प्रदान करेगा। मैं भी यह महसूस करता हू कि ऐसा कारखाना स्थापित करने के लिए काजीपेट एक उपयुक्त स्थान है।

अतः मैं अध्यक्ष पीठ के माध्यम से माननीय रेल मंत्री से निवेदन करता हूं कि आंध्र प्रदेश में मेरे वारंगल संसदीय क्षेत्र के लोगों की काफी समय से लंबित और वास्तवकि मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त निधियां आबंटित करके ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में आंध्र प्रदेश के वारंगल जिले के काजीपेट में वैगन फैक्टर स्थापित करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं।

(सात) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में नशामुक्ति–सह–पुनर्वास केंद खोले जाने के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किए जाने तथा उक्त उद्देश्य के लिए केंद्रीय अनुदान स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्री के. डी. देशमुख (बालाघाट) : भारत सरकार सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, नई दिलली की मद्यपान तथा नशीली दवा दुरुपयोग निवारण योजना के अंतर्गत वर्ष 2009–10 में स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से नशामुक्ति सह पुनर्वास केंद्रों के संचालन के 18 प्रस्ताव, नशामुक्ति सह पुनर्वास केंद्र स्थापना के 17 प्रस्ताव, नशामुक्ति परामर्श सह प्रचार के दो प्रस्ताव तथा आर. आर. टी. सेंटर का एक प्रस्ताव केंद्रीय अनुदान के लिए प्रेषित किए गए थे एवं वित्तीय वर्ष 2010–11 में नशामुक्ति केंद्र संचालन के 8 प्रस्ताव एवं नवीन केंद्र स्थापना के 7 प्रस्ताव केंद्रीय अनुदान के लिए प्रेषित किए गए हैं। इन प्रस्तावों की स्वीकृति भारत सरकार से अपेक्षित है।

अतएव सरकार से मांग है कि जनहित में यथाशीघ्र मध्य प्रदेश राज्य शासन द्वारा भेजे गए उक्त प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की जाए।

(आठ) गुजरात उच्च नयालय में न्यायधीशों की रिक्तियों को भरे जाने की आवश्यकता।

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (महेसाणा) : गुजरात हाईकोर्ट में 42 जजों की नियुक्तियां मंजूर हुई हैं, किंतु यहां केवल 23 जज ही कार्यरत हैं। वर्ष 2009 में नए 12 जजों की नियुक्ति हेतु सिफारिश की गई थी, जिसे केंद्रीय कानून मंत्रालय को स्वीकृति हेतु भेजा गया है। हाईकोर्ट एडवोकेट्स एशोसिएशन बार काउंसिल ऑफ गुजरात द्वारा सुप्रीम कोर्ट, केंद्रीय कानून मंत्री तथा प्रधानमंत्री जी से इस बाबत संपर्क किया गया है, किंतु अभी तक कोई निर्णय नही किया गया है। फलस्वरूप गुजरात हाईकोर्ट के वकीलों को हड़ताल करने पर मजबूर होना पड़ा।

मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि उपरोक्त मामले शीघ्र ही निर्णीत करें एवम् जजों की नियुक्ति बिना विलंब करें।

(नौ) राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा योजना के अंतर्गत हिमालच प्रदेश को हल्के और भारी ड्यूटी क्रेन उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता।

श्री वीरेंद्र कश्यप (शिमला) : मैं आपके माध्यम से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि नेशनल हाईवेज एक्सीडेंट रिलीफ सर्विस स्कीम (एन.एच.ए.आर.एस.एस.) के अंतर्गत पहाड़ी प्रदेशों को केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराने की योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश ने केंद्र सरकार से 10 हैवी ड्यूटी एवं 10 लाइट ड्यूटी क्रेन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिनांक 27.09.2010 को प्रेषित किया था। अभी तक प्रदेश सरकार को केवल पांच स्मॉल रिकवरी क्रेन ही उपलब्ध कराई गई हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश में विषम भौगोलिक परिस्थिति एवं ऊंची–ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के कारण अत्यंत दुर्गम क्षेत्रों में दुर्घटनाएं होने पर स्मॉल रिकवरी क्रेनें बहुत ज्यादा उपयोगी साबित नहीं हो पाती हैं। अत्यंत गहरी खाइयों में गिरे वाहनों को हैवी ड्यूटी क्रेनों द्वारा ही निकाला जा सकता है क्योंकि ढलानदार पहाड़ों में स्मॉल रिकवरी क्रेनें फिसल जाती हैं।

मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से अनुरोध है कि प्रदेश द्वारा मांगी गई 10 हैवी ड्यूटी एवं 10 लाइट ड्यूटी क्रेनें शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराई जायें ताकि दुर्घटना के समय जनजीवन की रक्षा की जा सके एवं गहरी खाइयों में गिरे वाहनों को शीघ्र निकाला जा सके।

(दस) राष्ट्रीय राजमार्ग-3 के इन्दौर-देवास बाईपास को छह लेन वाला बनाए जाने तक इस पर टोल टैक्स के उद्ग्रहण को आस्थगित किए जाने की आवश्यकता।

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर) : राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 3 पर स्थित इन्दौर बाईपास व इन्दौर-देवास 4 लेन मार्ग का निर्माण विश्व बैंक की सहायता से किया गया था। जिस पर किसी भी प्रकार के टोल वसूली का प्रावधान नहीं था और न ही वहां पर टो की वसूली की जा रही है। जब इन्दौर-देवास बाईपास को 4 लेन से 6 लेन में करने की योजना क्रियान्वित की जा रही है। साथ ही आंशिक लम्बाई पर सर्विस रोड बनाने का भी प्रावधान किया जा रहा है। चार लेन से छः लेन में परिवर्तित करने की योजना प्रारंभ किए जाने के पूर्व ही निर्माण एजेंसियों द्वारा टोल प्लाजा निर्माण पर टोल की वसूली की कार्यवाही प्रारंभ की जाने वाली है। छः लेन मार्ग के निर्माण व सर्विस रोड की सुविधा मिलने के पूर्व ही टोल की वसूली लेना पूर्णतः अवैध हैं जब तक मार्ग का निर्माण होकर उसका उपयोग प्रारंभ नहीं होता है तब तक उपयोगकर्ता से कोई वसूली लिया जाना न तो न्यायसंगत है और न ही उचित है। बाईपास निर्माण के साथ उन क्षेत्र में स्थित गांवों का विभाजन हो गया है तथा बाईपास के दोनों ओर छोटी बड़ी टाउनशिप डेवलप हो गई है। इसलिए बाईपास के निर्धारित मापदंडों अनुसार बाईपास के दोनों ओर संपूर्ण दूरी तक सर्विस रोड का प्रावधान नहीं किया गया है, जिससे जिस भाग में सर्विस रोड उपलब्ध नहीं है, वहां के निवासी मजबूरन बाईपास का उपयोग करते हैं, जिससे न केवल दुर्घटनाएं होती हैं, बल्कि राष्ट्रीय आवागमन में भी बाधा उत्पन्न होने से बाईपास का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। मेरा सरकार से निवेदन है कि ऐसी परिस्थितियों में बाईपास के साथ संपूर्ण लंबाई में सर्विस रोड का निर्माण किए जाने का प्रावधान किया जाए तथा चार लेन से छः लेन मार्ग एवं सर्विस रोड का कार्य पूर्ण होने के पूर्व किसी भी प्रकार से टोल की वसूली नहीं की जाये।

(ग्यारह) बिहार में पटना-सहरसा वाया सुपौल के बीच रेल सेवाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता।

श्री विश्व मोहन कुमार (सुपौल) : सदन के माध्यम से माननीया रेल मंत्री जी का ध्यान मिथलांचल में रेलवे के परिचालन में सुधार करने के संबंध में आकृष्ट करते हुए कहना है कि सहरसा से फारबिसगंज वाया सुपौल के लिए सुबह एवं शाम केवल एक ट्रेन की व्यवस्था है, जिससे यात्रियों को परेशानी होती है, क्योंकि इसके अलावा इस मार्ग पर पूरे दिन किसी भी अन्य ट्रेन का परिचालन नहीं होता है। साथ ही साथ पटना-सहरसा कोसी एक्सप्रेस के मेल में पूर्व में लिंक एक्सप्रेस को जोड़ा जाता रहा है जो अभी बंद है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी होती है।

अतः समस्या के निदान हेतु सहरसा से फारबिसगंज वाया सुपौल दोपहर के एक बजे एक ट्रेन चलाने की आवश्यकता है तथा कोसी एक्सप्रेस का मेल लेकर लिंक एक्सप्रेस सहरसा से सुपौल को जोड़ने की जरूरत है, जिससे कि यात्रियों की समस्या का समाधान हो सके।

(बारह) श्रीलंकाई नौसेना द्वारा भारतीय मछुआरों पर की जा रही कथित ज्यादतियों से उनकी रक्षा किए जाने की आवश्यकता।

[अनुवाद]

श्री आर. थामराईसेलवन (धर्मापुरी) : मैं सरकार का ध्यान श्रीलंकाई नौसेना द्वारा भारतीय मछुआरों पर किए जा रहे अत्याचार की ओर दिलाना चाहता हूं। हाल ही में समुद्र के नजदीक तमिलनाडु के तट पर श्रीलंकाई नौसेना द्वारा की गई गोलीबारी में तमिलनाडु के दो लोग मारे गए तथा एक व्यक्ति घायल हो गया। यह गत कई दशकों से चल रहा है और तमिलनाडु में सैकड़ों मछुआरे मारे गए तथा कई श्रीलंकाई सेना के हाथों घायल हुए हैं। लगातार आश्वासनों के बावजूद श्रीलंकाई नौसेना के हमले बरकरार हैं। यह सच है कि कई बार अज्ञानतावश हमारे मछुआरे आजीविका की तलाश में मत्स्यन हेतु हमारी सीमा से बाहर चले जाते हैं परंतु श्रीलंकाई नौसेना द्वारा इस प्रकार का अमानवीय व्यवहार नहीं किया जाए। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह यह मुद्दा श्रीलंका सरकार के साथ उठाए तथा दोनों देशों के बीच ऐसा समझौता करें ताकि भविष्य में मछुआरों के विरुद्ध बल के इस प्रकार के प्रयोग को यथाशीघ्र रोका जा सके।

(तेरह) देश के स्कूलों में मातृभाषा में विशेष राज्य की क्षेत्रीय भाषा में शिक्षण सुनिश्चित कराने के लिए कानून बनाए जाने की आवश्यकता।

श्री ए. सम्पत (अटिंगल) : विभिन्न राज्यों में कुछ स्कूलों ने क्षेत्रीय भाषाओं यहां तक कि बच्चों के बीच अपनी मातृभाषा में अपनी बातचीत पर भी लगभग पाबंदी लगा दी है। कई जगहों से यह पता चला है कि अंग्रेजी भाषा से इतर अपनी मातृभाषा में एक शब्द बोलने

पर भी जुर्माना और अन्य प्रकार के दंड लगाए गए हैं। ऐसी रिपोर्ट पर ध्यान दिया जाना चाहिए। भारतीय भाषाओं विशेषकर बच्चों की मातृ भाषा की महत्त्व को केवल स्कूल प्रबंधन अथवा जो शिक्षा प्रदान करते हैं उनकी इच्छा पर ही नहीं छोड़ देना चाहिए। अतः राष्ट्रीय अखण्डता और सम्मान के हित में तथा बच्चों में अपनी मातृभाषा के संबंध में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि ऐसा कानून बनाया जाए ताकि सभी स्कूलों में उस राज्य की एक क्षेत्रीय भाषा विशेषकर मातृभाषा को पाठ्यक्रम के अंतर्गत पढ़ाया जाए।

(चौदह) वन्य जीव संरक्षण कानून को मजबूत बनाए जाने तथा जंगली जानवरों की शिकारियों से रक्षा के लिए इसका प्रभावी क्रियान्वयन किए जाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर (परभणी) : जंगली जानवरों के शिकार पर प्रतिबंध के बावजूद अनेक राज्यों में इसका शिकार कर बड़ी मात्रा में तस्करी की जा रही है तथा देश में आए दिन वन्य जीवों के अंगों से बने समान भी पकड़ गए हैं। इसका असर वन्य जीवों पर ही नहीं वन्य क्षेत्र के साथ-साथ पर्यावरण एवं वन प्रकृति पर भी साफतौर पर देखा जा सकता है। इससे कई जीवों के साथ ही वन प्रकृति सहित पेड़ पौधों एवं पर्यावरण पर कुप्रभाव पड़ने लगा है, कानून बनाने के बावजूद कोई फर्क नजर नही आ रहा है, इसका मुख्य कारण वन्य जीवों के लिए बने कानून पर पूरी तरह अमल न कर पाना है, इसमें लचरता के कारण संलिप्त लोग कानूनी पेंचीदगी का फायदा उठाकर बच निकलते हैं।

आपके माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि इसमें तुरंत हस्तक्षेप कर वन्य जीवों को बचाने की दिशा में गंभीर प्रयास कर इसमें संलिप्त पाए गए लोगों पर कड़ी कार्यवाही की जाए और वन्य जीव कानून को और कठोर किए जाए एवं इसके बचाव के लिए बने कानून को पूरी तरह अमल में लाया जाए और वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु सुरक्षा कर्मियों की उपयुक्त तैनाती तथा उन्हें उचित सुविधा दी जाए।

(पंद्रह) आंध्र प्रदेश में आदिलाबाद में सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया की इकाई का पुनरुद्धार किए जाने की आवश्यकता।

[अनुवाद]

श्री रमेश राठौड़ (आदिलाबाद) : आंध्र प्रदेश के आदिलाबाद में सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया की एक इकाई को 20 वर्ष पहले बंद किया गया था। आदिलाबाद आंध्रप्रदेश का सबसे पिछड़ा जिला है। इस इकाई का पुनरुद्धार करने का प्रयास किया जाना चाहिएउ। यह आदिलाबाद जिले के युवाओं को भी रोजगार प्रदान करेगा जिसके अभाव में शायद वे नक्सलवाद की ओर उन्मुख हो जाएं।

(सोलह) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजना तीसरे चरण के अंतर्गत छपरा और गोपालगंज के बीच चार लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कराए जाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्री ओम प्रकाश यादव (सिवान) : राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजना फेज-3 के अंतर्गत निर्माणाधीन छपरा से गोपालगंज सड़क मेरे संसदीय क्षेत्र सिवान एवं पड़ोसी प्रदेश उत्तर प्रदेश की मुख्य सड़क है। यही सड़क भगवान बुद्ध की जन्मस्थली बोधगया तथा भगवान बुद्ध की निर्वाण स्थली कुशीनगर को जोड़ती है। इसी सड़क के प्रतिवर्ष हजारों विदेशी पर्यटक आवागमन करते हैं एवं उत्तर प्रदेश सहित बिहार के गोपालगंज एवं सिवान के नागरिकों के लिए पटना एवं मध्य बिहार जाने हेतु ये मुख्य सड़क है। इस सड़क को चार लेन बनने से हजारों पर्यटक बिहार में आयेंगे और साथ ही उत्तर प्रदेश सहित देश के अन्य प्रदेशों से सिवान, गोपालगंज, छपरा एवं हाजीपुर आने में सुविधा होगी।

अतः मैं सदन के माध्यम से केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि जनहित में इस महत्त्वपूर्ण सड़क को चार लेन में बनाने हेतु आवश्यक दिशानिर्देश जारी करें।

अपराह्न 02.01 बजे

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : सभा अब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा आरंभ करेगी। श्री पी. सी. चाको।

श्री पी. सी. चाको (थिसूर) : अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हो रहा हूं—

"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए—

> "कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 21 फरवरी, 2011 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यंत आभारी हैं'।"

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : श्री मनीष तिवारी।

श्री मनीष तिवारी (लुधियाना) : मैं श्री चाको द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं।

अध्यक्ष महोदया : धन्यवाद प्रस्ताव पर जिन माननीय सदस्यों के संशोधन परिचालित किए गए हैं, यदि वे अपने संशोधन प्रस्तुत करने के इच्छुक हैं, तो अपने संशोधन के क्रमांक का उल्लेख करते हुए 15 मिनट के भीतर सभा पटल पर अपनी पर्चियां भेजें।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा) : सब लोग यही शिकायत कर रहे थे कि अमेंडमेंट्स सर्कुलेट ही नहीं हुए हैं इसलिए आपको थोड़ा समय देना होगा।

अध्यक्ष महोदया : मैं अभी करती हूं।

[अनुवाद]

श्री पी. सी. चाको : अध्यक्ष महोदया, मैं आशा करता हूं कि समस्त सभा भारत की राष्ट्रपति के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए प्रस्तुत प्रस्ताव का सर्वसम्मति से समर्थन करेगी।

मुझे विश्वास है कि यह सभा और पूरा देश भारत की महामहिम राष्ट्रपति के प्रेरक अभिभाषण के लिए उनका ऋणी हैं यह अभिभाषण हमारे देश के लिए उज्जवल भविष्य का संकेत कर रहा है।

महोदया, आज भारत एक उभरती अर्थव्यवस्था है। यह एक वैश्विक भविष्यवाणी है कि अगले दशक में भारत एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरेगा। मैं उन दिनों की याद करता हूं कि जब 1947 और शायद स्वतंत्रता के पहले कुछ वर्षों के दौरान भारत को अनाज और दालों के लिए दुनिया का मुंह ताकना पड़ता था। एक अनिश्चितता थी और पूरा विश्व भारत की मांगों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं था।

परवर्ती प्रधानमंत्रियों ने, जो महान दूरदर्शी थे, नीतियां बनाई तथा हरित क्रांति एक और दो के बाद आज भारत गेहूं, चावल और दूध का सर्वाधिक उत्पादक देश बन गया है।

आज यदि पूरा विश्व ही भारत के विरुद्ध प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दे तो भारतवासी भूख से नहीं मरेंगे। यह गारंटी देश में बीते समय में सरकारों की उत्तरवर्ती नीतियों के माध्यम से आई है। आज जब हम अप्रत्याशित संकट का सामना कर रहे हैं तो हमें देखना है कि देश की मौजूदा समस्याओं का सामना करने के लिए पिछले वर्ष सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं।

इससे पहले कि मैं अन्य बिंदुओं पर आऊं, मैं महामहिम राष्ट्रपति द्वारा व्यक्त भावना को साझा करना एवं विचार का समर्थन करना चाहूंगा।

मैं उनके द्वारा की गई बात को उद्धृत करना चाहता हूं। उन्होंने कहा है—

"मैं आशा करती हूं कि यह एक बहुत सार्थक एवं उपयोगी सत्र होगा।"

राष्ट्रपति की यह उत्कट आशा आज इस सदन में प्रधानमंत्री, प्रतिपक्ष के नेता और सभी दलों के नेताओं के बुद्धिमत्तापूर्ण शब्दों में दुहरायी जा रही है। तथ्य वही रहता है कि हम अपने पिछले संसद सत्र को उपयोगी और लाभकारी नहीं बना सके। पूरा सत्र बाधित रहा। देश के समक्ष एक मुद्दा था। देश के समक्ष भ्रष्टाचार का मुद्दा शायद अप्रत्याशित आयाम का, आया था। यह स्वाभाविक था कि विपक्षी दल इस पूरे मुद्दे की जांच की मांग कर रहे थे। मैं उनके साथ पूरी तरह सहमत हूं। यदि हम विपक्ष में होते तो हम भी इस मुद्दे पर संयुक्त संसदीय समिति के गठन की मांग करते। मुझे याद है कि जब हम विपक्ष में थे तो क्या हुआ था। एक बार जब देश के समक्ष एक घृणित घोटाला सामने आया था तब हमने संयुक्त संसदीय समिति की मांग की थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी ने कहा था कि वह संयुक्त संसदीय समिति के लिए तैयार नहीं थे लेकिन सभा में चर्चा कराने के लिए तैयार थे। यदि यह सभा वाद-विवाद और चर्चा के लिए नहीं है तो हम यहां किसलिए हैं।

यह केवल विपक्ष की ही मांग नही थी अपितु कांग्रेस पार्टी के कुछ सदस्य हमारी नेता सोनिया जी और प्रधानमंत्री के पास गए थे और उनसे कहा था कि इस पूरे मुद्दे पर गौर करने के लिए संयुक्त संसदीय समिति के गठन की मांग एक उचित मांग है। हमारे प्रधानमंत्री के साथ-साथ हमारी नेता ने हमें यह आश्वासन दिया था कि वे किसी भी प्रकार की जांच के खिलाफ नहीं थे। उनके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है लेकिन इसके साथ-साथ यदि यह सभा राष्ट्र के समक्ष उत्पन्न किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं कर सकती तो इसका अर्थ होगा कि हम अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में विफल रहे हैं। वे चाहते हैं कि सभा में इस मुद्दे पर वाद-विवाद और चर्चा की जाए। आज यह प्रश्न विचार सभी में दिखाई दे रहा है। हम सभी इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सहमत हैं। मुझे माननीय प्रधानमंत्री के शब्द अब भी याद हैं उन्होंने कहा था कि "कोई निर्णय लेने से पूर्व मैं केवल चर्चा कराना चाहता हूं।" निर्णय कोई भी हो सकता है और प्रत्येक पार्टी को अपना निर्णय लेने का अधिकार है। लेनिक चर्चा नहीं हो सकी और सारा सत्र बेकार चला गया। जिन लोगों ने हमें चुना है वे आशा करते हैं कि हम देश को

प्रभावित करने वाले महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर रहे होंगे लेकिन वे सभी निराश हो गए थे। जो बीत गया वो बीत गया और आज हमने इस मामले पर चर्चा कराने का निर्णय लिया है। सुबह नेताओं ने जो कहा है उससे मुझे आशा है कि यह सत्र सफल सत्र होगा और हम इस सत्र में विगत में हुए समय के नुकसान को पूरा कर पाएंगे।

हमारे समक्ष कुछ दुखद क्षण भी आए थे। राष्ट्रपति जी ने लद्दाख में बादल फटने की गंभीर घटना जिससे वहां के लोग प्रभावित हुए थे, जैसी अनेक त्रासदियों का उल्लेख किया है। लद्दाख में बादल फटने की घटना हो या कोई और प्राकृतिक आपदा हो यह वर्तमान सकार पर निर्भर करता है कि वह लोगों की समस्याओं को किस तरह समाप्त करती है, तथा सरकार लोगों की शिकायतों के निराकरण के लिए क्या कदम उठा रही है। राष्ट्रपति जी ने संयुक्त प्रगतिशील गंठबंधन सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए उन प्रभावी कदमों की तारीफ की है। जब प्राकृतिक आपदा ने लद्दाख के लोगों को बुरी तरह प्रभावित किया था। उस समय संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार की तैयारी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार द्वारा लोगों की मदद के लिए उठाए गए निर्णायक कदमों की राष्ट्रपति जी द्वारा तारीफ की जा रही है।

हमारे समक्ष पंडित भीमसेन जोशी के दुखद निधन का क्षण भी आया है। पंडित भीमसेन जोशी हमारी संस्कृति के महान पुरोधा और हिंदुस्तानी संगीत की महान हस्ती थी, पंडित भीमसेन जोशी के दुखद निधन से हमारे देश को अपूर्णनीय क्षति हुई। हमारे देश में पंडित भीमसेन जोशी जैसी महान विभूतियां हुई हैं। आज वे हमारे बीच नहीं है। लेकिन उनकी यादों से देश में सांस्कृतिक एकता को बनाए रखने में मदद मिलेगी।

राष्ट्रमंडल खेलों के शुरू होने से ठीक पहले हम संसद के विगत सत्र में मिले थे। सदस्यों में इस बात को लेकर काफी चिंता थी कि आयोजन समिति की ओर से पर्याप्त तैयारी नहीं हो पाई थी और इसमें काफी अनियमितताएं अंतर्गस्त है। उस समय जो स्थितियां विद्यमान थी उनसे सभा में कोई भी खुश नहीं था। इस सरकार ने क्या किया है? इस सरकार ने जांच कराई। आयोजन समिति के अध्यक्ष श्री सुरेश कलमाड़ी हमारी पार्टी के वरिष्ठ सदस्य हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री के शब्द उद्धृत करना चाहता हूं और उन्होंने कहा था "कि कम से कम सीजर की पत्नी पर संदेह नहीं करना चाहिए।" श्री कलमाड़ी के विरुद्ध आरोप साबित नहीं हुए और न उनके विरुद्ध आरोप तय किए गए लेकिन हमारी पार्टी के नेतृत्व ने निर्णय लिया कि श्री कलमाड़ी को पार्टी में धारित पद से हट जाना चाहिए। क्या पहले कभी ऐसा हुआ है? क्या कोई इस तरह का उदाहरण दे सकता है?

हमारी पार्टी के वरिष्ठ सदस्य श्री कलमाड़ी से कांग्रेस संसदीय दल के सचिव के पद से त्यागपत्र देने के लए कहा गया था। जांच चल रही है तथा किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इस सरकार ने इस स्थिति से पूरे साहस से निपटा है और शायद, मैं ठीक कह रहा हूं कि इसका श्रेय इस सरकार को जाता है।

एक दूसरा सकारातत्मक पहलू और भी है। राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान हमारे खिलाड़ियों ने हमारे देश का नाम रोशन किया है। मुझे विगत में हुए अनेक अंतरराष्ट्रीय महोत्सवों और राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में याद है। हमारे दल हमेशा किसी त्रासदी के हिरो की तरह वापिस आते थे और तो और छोटे देश भी भारत से अधिक पदक जीतते थे। और हम हमेशा मूकदर्शक बने रहते थे। लेकिन इस बार राष्ट्रमंडल खेलों 2010, में ऐतिहासिक पदक तालिका ने इस देश को गौरवान्वित किया है।

हमें अपने देश के खिलाड़ियों की प्रशंसा करनी चाहिए। इसके आयोजन पक्ष में कुछ चूक हो सकती है तथा सरकार द्वारा इसकी जांच की जा रही है। लेकिन साथ ही, दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल सफल हुए हैं। दिल्ली के लोगों ने खेलों के साथ सहयोग किया है। हमारे खिलाड़ियों ने इन खेलों में अच्छा प्रदर्शन किया है तथा देश को गौरवान्वित किया है। निश्चित रूप से यह ऐसा मामला है जिस पर हम गर्व कर सकते हैं।

महोदया, हमारा देश बहुत मुश्किल दौर से गुजरा है। पिछले वर्ष मुद्रा स्फीति एक समस्या थी। देश के कुछ भागों, विशेषकर कुछ राज्यों में वामपंथी चरमपंथ और कश्मीर घाटी में आतंकी गतिविधियों के कारण बड़े पैमाने पर हिंसा हुई है। सरकार ने किस प्रकार समस्याओं का मुकाबला किया और कर रही है, इसका उल्लेख राष्ट्रपति जी द्वारा किया जा रहा है। मैं इसे पूरी तरह स्पष्ट करना चाहता हूं कि पांच बिंदु, जिनका उल्लेख राष्ट्रपति के अभिभाषण में हुआ था, इस घोषणा का मूल आधार हैं। उनके अभिभाषण के पांच महत्त्वपूर्ण बिंदु, जिनका कार्यान्वियन सरकार करने जा रही है, वह पिछले वर्ष का रिपोर्ट कार्ड तथा अगले वर्ष की कार्य योजना है। सरकार ने इन पांच बिंदुओं पर जो कार्यवाही की है, वह चर्चा का विषय है और हम आज उसकी चर्चा कर रहे हैं । सबसे महत्त्वपूर्ण बात विशेष रूप से खाद्यान्न की बढ़ती कीमतों के प्रभाव से आम आदमी को बचाने के लिए मुद्रास्फीति से लड़ना था। पिछले सत्र में हम महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा नहीं कर सके क्योंकि सभा में चारों ओर प्याज की कीमत को लेकर शोर हो रहा था। कीमत काफी अधिक बढ़ गई थी। यहां 80 रुपए प्रति किलो थी। सभी प्रकार की दालें, अनाज, खाद्य तेल और सारी चीजें आम आदमी की पहुंच से बाहर थीं और यह एक चिंताजनक स्थिति थी। लेकिन आज की स्थिति क्या है। राष्ट्रपति जी ने कहा है कि मुद्रा स्फीति से लड़ना हमारी पहली प्राथमिकता है। क्या हमने इस वक्तव्य के साथ न्याय किया है। क्या हमने इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त कदम

[श्री पी. सी. चाको]

उठाए हैं? खाने की वस्तुओं की मुद्रास्फीति 20 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गई जोकि अभूतपूर्व है। इस सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। मुझे अभी भी याद है कि ऐसा आरोप लगा था कि सरकार की नीतियां असफल हो रही हैं। हमें देखना है कि सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। महत्त्वपूर्ण मदों के मामले में बाधाओं को दूर करने के लिए निर्यात प्रणाली को उदार बनाया गया है। खाद्य तेल और दालों जैसी वस्तुओं के निर्यात पर पाबंदी लगा दी गई है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से दालों की आपूर्ति रियायती दरों पर की जा रही है। सब्जियों को बेचने के लिए सरकारी क्षेत्र की इकाइयों को और अधिक खुदरा केंद्र खोलने का निदेश दिया गया है। इस तरह के कुछ कदम उठाए गए हैं। और संसद के पिछले सत्र में जब हम बैठक कर रहे थे, तब खाद्य पदार्थों की कीमतों के मामले में महंगाई 20 प्रतिशत थी जो आज घटकर 8 प्रतिशत हो गई है। क्या हमें इस सरकार की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, क्या मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का स्वागत नहीं करना चाहिए?

महोदया, आज हम विश्व के विभिन्न देशों की रिपोर्टों को पढ़ते हैं। यदि आज खाद्यान्न की यहां कमी है, तो यह एक ही देश में सीमित नहीं रहेगी। चावल की कीमत 25 रुपए से 30 रुपए प्रति किलो थी। मैं उस राज्य से संबंध रखता हूं, जहां चावल मुख्य भोजन है। लेकिन आज इंडोनेशिया वियतनाम या मलेशिया या विश्व के सभी चावल उत्पादक देशों में चावल की कीमत क्या है? यह 1000 रुपए प्रति बोरी यानि 40 रुपए प्रति किलो है। भारत में चावल 25 रुपए किलो है। यह आम आदमी की पहुंच से बाहर है। और हमें इसे नियंत्रित करना चाहिए। लेकिन साथ ही, तथ्य यह है कि कमी और आपूर्ति की बाधाओं ने विश्व में कीमतों को बढ़ाया है। आज हम पढ़ते हैं कि जलवायु परिवर्तन या किसी अन्य कारण से चीन का उत्पादन प्रभावित हुआ है।

यदि चीन जैसा विशाल देश भी विश्व बाजार में अनाज और दालों की खरीदारी के लिए उतरता है, तो आगे क्या होगा, इसकी कल्पना हम कर सकते हैं। चीन जैसे देश में जहां खाद्य पदार्थों की महंगाई शून्य प्रतिशत थी, आज यह इस देश में 7 प्रतिशत पहुंच चुकी है। एक तरफ चीन में खाद्य पदार्थों की महंगाई शून्य प्रतिशत से बढ़कर सात प्रतिशत हो गई है, तो दूसरी ओर भारत में महंगाई 20 प्रतिशत से घटकर 8 प्रतिशत हो गई है। सरकार ने बहुत से कदम उठाए हैं। लेकिन उनसे हम खुश नहीं हैं। माननीय राष्ट्रीय ने कहा है कि हम आत्म संतुष्ट नहीं हो सकते। हमें कदम उठाने हैं। श्रीमती सोनिया गांधी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सलाहकार समिति ने सुझाव दिया है कि इस देश के बहु संख्यक लोगों को बाजार दर पर नहीं बल्कि रियायती दर पर खाद्य पदार्थों की आपूर्ति की जानी चाहिए। उन्हें रियायत दरों पर खाद्यान्न मिलना चाहिए। खाद्य सुरक्षा विधेयक इसी सत्र में सभा के समक्ष आएगा। राष्ट्रीय सलाहकार समिति ने इस सरकार को सलाह दी है कि देश की अधिसंख्यक जनसंख्या को वहनीय कीमतों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना हमारा परम कर्त्तव्य है। सरकार यह करने के लिए दृढ़ संकल्प है। हमारे खाद्य उत्पादन अर्थात् गेहूं उत्पादन, चावल उत्पादन तथा हमारी खरीद ने अधिकतम रिकार्ड को छू लिया है। हमें यह करना है।

यह प्रश्न उठाया जा रहा है कि हमारे पास उतना भंडार है अथवा नहीं, क्या हम उसे वहन कर सकते हैं या नहीं और खाद्यान्नों पर राजसहायता के कारण कितना व्यय होगा। यह 80,000 करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है यह सरकार इस कार्य को कर सकती है। एक समय था जबकि पीएल–480 के अंतर्गत अमेरिका से चावल का आयात किया गया था। मुझे याद है कि एक स्कूली छात्र के रूप में हमने खाद्य आंदोलन में भाग लिया था। हम बड़े राष्ट्रों पर खाद्यान्नों के लिए निर्भर रहते थे। आज हम उस श्रेणी में नहीं हैं। संभवतः, हमारे यहां कमी है। परंतु, भारतीय पत्तनों से गेहूं और चावल से लदे हुए जहाज अफ्रीकी देशों को जा रहे हैं जहां लोग भूख से मर रहे हैं। क्या हम बुरी स्थिति में हैं? निश्चित रूप से हमारे यहां समस्याएं हैं। परंतु हम एक अच्छी स्थिति में हैं और हमें लोगों की मुश्किलों को दूर करने के लिए कुछ और कदम उठाने हैं। मुद्रास्फीति का सामना करने और मूल्य वृद्धि के प्रभाव से आम आदमी को बचाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की माननीय राष्ट्रपति जी ने प्रशंसा की है और मुझे आशा है कि यह सभा निश्चित रूप से इस बात को स्वीकार करेगी।

महोदया, सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के अभाव के बारे में चिंता व्यक्त की गई थी। आज देश के सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी के मुद्दे पर चर्चा चल रही है। संप्रग सरकार की सर्वप्रथम घोषणा यह थी कि यह सरकार सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी लाने के लिए वचनबद्ध है। प्रश्न यह है कि क्या हम उस दिशा में कदम उठा रहे हैं; क्या हम विदेशी बैंकों में जमा धनराशि को वापस लाने के लिए कदम उठा रहे हैं; क्या हम काला बाजारियों, और जमाखोरों के विरुद्ध कदम उठा रहे हैं? हम भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए क्या कर रहे हैं? मंत्रिमंडलीय समिति को यह कार्य सौंपा गया है। मंत्रियों का एक समूह भ्रष्टाचार को दूर करने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए विधायी और प्रशासनिक सहित सभी उपायों पर विचार कर रहा है। यह सरकार इस मुद्दे पर मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा तैयार सभी ठोस सुझावों के संबंध में इसी सत्र में इस सभा के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करेगी। यह कोई पक्षपात पूर्ण मुद्दा नहीं है यह केवल सरकार का मुद्दा नहीं है। मेरा मानना है क जब भ्रष्टाचार संबंधी कोई मुद्दा हो और हम पूरे विश्व के सामने एक शर्मनाक स्थिति में हों तो हमें एक साथ मिलकर इसका

कोई समाधान तलाशना होगा। इस सरकार का इस संबंध में स्पष्ट मत है और सरकार ने कई अवसरों पर यह कहा है कि तथा स्पष्ट किया है कि वह कुछ भी छिपाना नहीं चाहती। हम कोई ऐसी राजनीति तैयार करें जिसके माध्यम से हम भ्रष्टाचार को दूर कर सकें।

जन सेवकों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों संबंधी मामलों में तेजी लाई जाए। अनेक कदम उठाए जाने हैं। मंत्रियों की विवेकाधीन शक्तियों संबंधी मुद्दे भी हैं। मुझे याद है कि हमारी पार्टी की सभा में पार्टी अध्यक्ष ने यह निर्देश दिए हैं कि मंत्रियों की विवेकाधीन शक्तियों, जिनके दुरुपयोग के अनेक उदाहरण सामने आ रहे उन पर रोक लगाई जाए। यदि कोई कानूनी समाधान हों तो हमें कानूनी समाधानों का सहारा लेना चाहिए; यदि प्रशासनिक समाधान हो तो हमें प्रशासनिक समाधानों को तलाशना चाहिए। परंतु, हमें यह देखना है कि सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष जारी रहना चाहिए और हमें एक ऐसी स्थिति में आना चाहिए। जबकि हम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकार हमें वंछित न किया जा रहा हो।

महोदया, हमें यह सुनिश्चित करते हुए कि विकास की प्रक्रिया में निर्धनों, दुर्बल वर्गों और वंचितों को उचित हिस्सेदारी मिले सतत आर्थिक विकास बनाए रखना है। भारत की वृद्धि दर क्या है?

पूरे विश्व में वित्तीय और आर्थिक संकट छाया हुआ है। विश्व के कुछ विकसित और उन्नत देशों में नकारात्मक वृद्धि हो रही है परंतु भारत ने 8.6 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त की है। सरकार के विरुद्ध राजनैतिक आरोप लग रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री पर राजनैतिक हमले किए जा रहे हैं। हमें इस बात का पूरा विश्वास है कि हम इसका सामना कर लेंगे। परंतु साथ ही मैं सभी पार्टियों के सभी माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करता हूं कि वे पिछले कई वर्षों से प्रधानमंत्री की पूरी निष्ठा पर भी विचार करें। मुझे याद है कि 1991 में नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री के रूप में वह यहां बजट प्रस्तुत करने के लिए खड़े हुए थे। मैं भी 1991 में इस सभा का एक सदस्य था। रुंधे हुए गले से डॉ. मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि हमारे पास पर्याप्त धनराशि नहीं है हम कर्ज के जाल में फंसे हुए हैं। हम विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लिए गए ऋण की वापसी नहीं कर सकते और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक हमारी गर्दन दबाकर बैठा हुआ है।

हम अपने ऋण दायित्वों को पूरा नहीं कर सकते और हम ऋण के जाल में हैं। आज हम कहां हैं? अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक हमें ऋणों की पेशकश कर रह हैं और हमसे पूछ रहे हैं कि क्या हम ऋण लेने में इच्छुक हैं। कभी–कभार हमारे वित्त मंत्री कह रहे हैं कि इस समय हमें इसकी आवश्यकता नहीं है और जब हमें इसकी आवश्यकता होगी हम उन्हें बता देंगे। हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं। यदि हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं तो इस सरकार को क्या श्रेय जाता है। क्या हमें यह स्वीकार नहीं करना चाहिए? जिस प्रकार की विकास दर हमने बनाई हुई है हम उस दिन की ओर अग्रसर हैं वह दिन दूर नहीं जब निकट भविष्य में हम दोहरी अंकों की विकास दर प्राप्त कर लेंगे।

आज हमारे देश में बेरोजगार लोग हैं, बेघर लोग हैं। इस देश के लोगों के समक्ष अनेक समस्याएं हैं। हमारे देश में 1.2 मिलियन लोग हैं। जो कुल मानव जनसंख्या का एक छठवां भाग है। जब भारत में परिवर्तन होता है तो विश्व में परिवर्तन होता है। जब भारत को क्षति पहुंचती है तो विश्व को क्षति पहुंचती है। इसलिए हम पीड़ित नहीं हो सकते और हम पीछे नहीं जा सकते। हमें आगे बढ़ना है। इसके लिए क्या समाधान है? हम गरीबी नहीं बांट सकते और गरीबी को बांटना कोई समाजवाद नहीं है। हमारे कुछ मित्र यह समझते हैं कि हम बाजार आधारित अर्थव्यवस्था है, हम अधिक उदारीकरण की ओर बढ़ रहे हैं। यह एक आरोप है। परंतु हमारे प्रधानमंत्री और संप्रग सरकार ने एक सख्त निर्णय लिया है क हम अपने विकास लक्ष्यों के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते।

आज भारत तेजी से विकास कर रहा है। आज विकास दर 8.6 है। आज पूरे विश्व के लिए वित्तीय और आर्थिक समस्याएं एक पहेली है, इनके होते हुए भी हम 8.6 प्रतिशत की विकास दर बनाए हुए हैं। वित्तीय वर्ष के अंत तक हम 9 प्रतिशत तक पहुंच जाएंगे और हम दोहरी अंकों में विकास दर प्राप्त करने की ओर अग्रसर हैं। यदि हम दो अंकों में विकास दर प्राप्त कर लेते हैं। तो दस वर्षों में क्या होगा? दस वर्षों में भारत का सकल घरेलू उत्पाद दोगुना होगा। मेरा विश्वास है कि इस सभा में बैठे अधिकांश सदस्य भाग्यशाली होंगे जो दस वर्ष के पश्चात भारत को देख पाएंगे, अगले दस वर्षों में भारत में गरीबी नहीं होगी। एक भी नागरिक ऐसा नहीं होगा जो बिना घर के हो अथवा जिसके घर पर छत न हो। ऐसी स्थिति आनी चाहिए।

आज हमारी पीढ़ी बेरोजगारी की मुख्य समस्या से ग्रस्त है। क्या हम इस स्थिति में पहुंच कसते हैं कि कोई भी बेरोजगार नहीं होगा? अनेक लोगों का विचार है कि हम ऐसी स्थिति में कभी नहीं पहुंच सकते। परंतु जिस विकास दर से हम प्रगति कर रहे हैं और आज हमारे समक्ष जो समस्याएं हैं हम इससे थोड़ा–बहुत खुश हो सकते हैं कि दस वर्षों के लिए दस प्रतिशत का अर्थ है 100 प्रतिशत। हम दोगुनी दर से विकास कर रहे हैं। हमारा सकल घरेलू उत्पाद दोगुना होगा। उस स्थिति में हम आज अपने समक्ष जो समस्याएं हैं उनमें से अधिकांश समस्याओं का समाधान कर लेंगे।

[श्री पी. सी. चाको]

इसके विपरीत लक्ष्य और विकास हेतु सरकार द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों की अत्यंत अनुचित आलोचना की जा रही है। और विकास केवल निवेश के अनुपात में ही हो सकता है। मैं एक बात नहीं समझ पाया हूं। हमारे वाम दलों के सदस्यों को कभी कभार ऐसा लगता है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश देश के लिए ठीक नहीं है। कौन सा देश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के विरुद्ध नहीं है? चीन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या है? किस देश में निजी संपत्ति की अनुमति नहीं है। फ्रोवर्स पत्रिका का कहना है क कुछ धनी लोग आज चीन में रहते हैं। कौन सा देश सामाजिक विकास पद्धति का पालन कर रहा है? हम बाजार पर निर्भर नहीं है परंतु हम बाजार की शक्तियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते।

आज शायद भारत का 34 प्रतिशत निवेश अवसंरचना निजी क्षेत्र से आता है। हमे एक ऐसा माहौल तैयार करना होगा जहां देश में निजी निवश हो सके। अर्थव्यवस्था का विकास निवेश के अनुपात में ही हो सकता है। विकास केवल वही होता है जो आप निवेश करते हैं।

इसलिए विकास की निरंतरता बनाए रखने के लिए, विकास दर में सुधार के लिए हमें अधिक से अधिक निवेश करना होगा। सरकार बड़े पैमाने पर निवेश कर रही है। इसके साथ-साथ निजी निवेश को भी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर वैचारिक मतभेद क्यों होना चाहिए? आज जब हम इस बीमारी से ग्रस्त है तो क्या ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी? मेरा विचार है कि आर्थिक विकास की गति को बरकरार रखना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। केवल इसके द्वारा ही वांछित और निर्धन लोगों की समस्या का समाधान हो सकता है।

ऐसा कहा गया है कि "आंतरिक और वाह्य सुरक्षा मोर्चों पर त्रुटिरहित निगरानी बनाई रखी जानी चाहिए।" आज यह देश मुख्यतः दो मोर्चों पर आंतरिक समस्याओं का सामना कर रहा है। एक वाम उग्रवाद है अर्थात नक्सलवाद। मैं विशेष कर अपने वाम दलों के सदस्यों से एक विनम्र प्रश्न पूछता हूं।

वामपंथी उग्रवाद की विचारधारा और प्रेरणा कहां से आ रही है? वामपंथी उग्रवादी, चाहे वे माओवादी हों या अन्य किसी सोच के, मानते हैं कि समस्या का एकमात्र समाधान है : सशस्त्र विद्रोह और वर्ग-संघर्ष। वाम खेमे के हमारे कुछ मित्र वर्ग-संघर्ष और सशस्त्र विद्रोह का विचार त्याग नहीं सके हैं।

हमारे देश ने आजादी शांतिपूर्ण तरीकों से प्राप्त की। यह देश शांतिपूर्ण तरीकों से, लोकतांत्रिक तरीकों से बदला है। लेकिन कुछ लोग मान बैठे हैं कि केवल सशस्त्र विद्रोह और वर्ग संघर्ष ही बदलाव ला सकता है। इतिहास में दर्ज है कि अपनी युवावस्था के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू अक्तूबर क्रांति, जिसका नेतृत्व महान लेनिन ने किया था, के समय सोवियत संघ गए। वहां से वे काफी आशा और प्रेरणा लेकर लौटे। उन्होंने कहा, "इस देश में हमें वैज्ञानिक समाजवाद चाहिए।" आज 75 साल बाद, सोवियत संघ कहां है? आज चीन किस तरह की नीतियां अपना रहा है? हम इस तथ्य की उपेक्षा नहीं कर सकते कि हमारा देश वह देश है जिसने पचास या साठ साल पहले ही अपनी अर्थव्यवथा को मिश्रित अर्थव्यवस्था घोषित कर दिया था। हम सरकारी क्षेत्र के साथ-साथ निजी क्षेत्र को भी प्रोत्साहित करना चाहते हैं। इस बात की आलोचना भी हुई। लेकिन आलोचकों का क्या हुआ? आज पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ओड़िशा जैसे राज्यों में नक्सलवाद का क्रूर चेहरा सामने आ रहा है। पश्चिम बंगाल पर एक ही दल का विगत 35 वर्ष शासन रहा। आज यदि वहां जन-सुविधाएं नहीं हैं; गरीक आदमी त्रस्त है; कीमतें काबू से बाहर हैं और कानून और व्यवस्था की दशा बुरी है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं? जो लोग देश के लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं, जो केरल सरकार की आलोचना ही करते रहते हैं। उन्हें थोड़ा आत्मावलोकन करना चाहिए। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 में हुई। दस साल के भीतर वह अपनी शताब्दी मनाएगी। लेकिन उसका योगदान क्या है? वह बस कांग्रेस पाटी की आलोचना में लगी रहती है। उसका खुद का योगदान क्या है? 35 साल के शासनकाल में उसने भी बंगाल में उसी पूंजीवाद से दोस्ती करने उसे बढ़ने दिया जिसके लिए वह कांग्रेस पार्टी की आलोचना करती रहीं वह इससे अधिक कुछ नहीं कर सकी। वह देश के सामने कोई विकल्प रखने में असमर्थ रही। अतः, नकारातम्क आलोचना करंने की बजाय उसे समस्याओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। कानून और व्यवस्था इस सरकार का सबसे बड़ा सिरदर्द है। मुझे ज्ञात हुआ है कि ओडिशा में एक युवा जिलाधिकारी नक्सलियों की हिरासत में है। हम सबको इस पर बहुत चिंता है। हम प्रार्थना करते हैं कि यह युवा अधिकारी सुरक्षित वापस आ जाए। पूरी सरकार उसकी सुरक्षित रिहाई के बारे में प्रयास कर रही है। लेकिन इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये लोग एक विफल विचारधारा से प्रेरित हैं।

उनका कहना है कि केंद्र सरकार उन्हें सहायता नहीं दे रही है। राज्यों के नक्सलजी आतंकवाद से निपटने के लिए केंद्र सरकार आखिर कितनी मदद दे,? केंद्र उन्हें पुलिस बल मुहैया करा रहा है; वित्तीय सहायता दे रहा है; आसूचनाएं प्रदान कर रहा है और जो कुछ राज्य सरकारें मांग रही हैं, दे रहा है। लेकिन, मूलतः कानून और व्यवस्था राज्यगत विषय है। हमारी संघीय, प्रणाली हैं जब भी केंद्र सरकार कोई कार्रवाई करती है तो तुरंत यह आलोचना होती है कि वह राज्य सरकारों के अधिकार में हस्तक्षेप कर रही हैं अतः, क्या कानून और व्यवस्था की समस्या के लिए अकेले केंद्र सरकार को दोषी माना जा सकता है?

हमारे गृहमंत्री जी एक सजग व्यक्ति हैं और इससे अधिक केंद्र सरकार क्या करे? और मेरा मानना है कि इस मामले में द्विविध रणीनति हो। एक तो विचारधारा के स्तर पर अभियान चलाया जाए। तब किसी गांव में प्राथमिक सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं होती तो किसान और गरीब मजदूर पीड़ित होते हैं ये लोग इस वर्ग की पीड़ा का लाभ उठा रहे हैं। और फिर, यह वर्ग मानने लगता है कि सशस्त्र विद्रोह और वर्ग–संघर्ष के मार्ग से शक्ति हासिल की जा सकती है। यदि इस सबके पीछे यही भ्रामक विचारधारा काम कर रही है तो फिर माओवादी उग्रवाद के इस खतरे से हमारे वामपंथी मित्र खुद को अलग नहीं कर सकते। तथापि, सरकार इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं अब ऐसी घटनाओं में कमी आ रही है। बेशक, नक्सली हमलों की कुछ घटनाएं हमारे लिए चिंता का कारण बनी हुई हैं लेकिन यदि आप पिछले पांच वर्षों की स्थिति देखें तो नक्सली हमलों की घटनाएं और सुरक्षाकर्मियों सहित इनमें मारे गए व्यक्तियों की संख्या–यदि इन संदर्भों में आप देखें तो हम इन्हें प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जैसा माननीय राष्ट्रपति जी ने कहा, हम संतुष्ट होकर नहीं बैठ सकते। संगठित प्रयास होना चाहिए; लेकिन कृपया यह न सोचें कि केंद्र सरकार प्रयास करेगी और हम अपनी मर्जी के मुताबिक कार्य करेंगे। यह बात ठीक नहीं है। देश के सामने यह विकट समस्या है।

कुछ सदस्य जो वहां बैठे थे, वे यहां भी बैठे हैं। लोकतंत्र में ऐसा संभव है। कल भी ऐसा हो सकता है। बीजेपी के लिए यह कुछ मुश्किल प्रतीत होता है....*(व्यवधान)* परंतु मुझे लगता है कि परिवर्तन हमेशा संभव है....*(व्यवधान)* यह एक सामूहिक प्रयास होना चाहिए। ऐसा मुझे लगता है।

महोदया, हमें ऐसी विदेश नीति बनानी चाहिए जो यह सुनिश्चित करे कि वैश्विक स्तर पर हमारी आवाज सुनी जाए और हमारे हितों की भी रक्षा हो सके। मुझे याद है कि जब परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किये गये थे और उस पर इस सभा में चर्चा हुई थी, विपक्ष के हमारे सभी साथियों ने यह आरोप लगाया था कि हम अमेरिका के सामने अपने अधिकारों का समर्पण कर रहे हैं, हम अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का समर्पण कर रहे हैं। सभी लोगों में से यह आरोप केवल कांग्रेस के खिलाफ लगाया गया है। यह वह पार्टी है जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी। एक पार्टी जिसने देश की विदेश नीति बनाई तथा एक ऐसी पार्टी जिसने ऐसी विदेश नीति बनाई जो विश्व के कई देशों के लिए आदर्श है। जब हमने कुछ देशों के साथ परमाणु संधि की तो काफी हल्ला मचा कि हम अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का समर्पण कर रहे हैं। क्या हकीकत में ऐसा है? सुरक्षा परिषद के पांच सदस्य–इंग्लैंड, रूस, चीन, फ्रांस इन सभी बड़े राष्ट्रों के प्रमुखों ने हाल में भारत की यात्रा की है। इन सभी पांच देशों के नेता भारत आए और उन्होंने यह घोषित किया कि भारत विश्व की एक उभरती हुई शक्ति है। उन्होंने कहा कि हम सुरक्षा परिषद में भारत की सदस्यता का समर्थन करेंगे।

अगले ही दिन, अमेरिकी सीनेट ने एक संकल्प पारित किया कि अमेरिकी सरकार भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य बनने में समर्थन करेगी। अगर चीन भारत का समर्थन कर रहा है, अगर ब्रिटेन भारत का समर्थन कर रहा है, अगर फ्रांस भारत का समर्थन कर रहा है और अगर अमेरिका भारत का समर्थन कर रहा है, तो क्या हम कमजोर हैं? इस तरह की आलोचना हमें कहां ले जाएगी? संभवतः आज हमारे विदेशी संबंध, चाहे वह बांग्लादेश, भूटान हो, सभी देशों से बहुत ही अच्छे हैं। सभी राष्ट्रों के प्रमुख भारत की यात्रा कर रहे हैं। समझौते पर हस्ताक्षर हो रहे हैं। दोस्ती का नया माहौल है। हमारे पड़ोसी राष्ट्रों के साथ हमारे संबंध काफी अच्छे हैं। उदाहरण के लिए पाकिस्तान को लें। अगर वे चाहें तो हम चर्चा के लिए तैयार हैं, परंतु बीजेपी के लोगों के अपने पूर्वाग्रह हैं। मैं यह जानता हूं कि कारगिल युद्ध के बाद हम बुरी तरह प्रभावित हुए थे; वर्ष 2004 में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान के साथ समझौता किया था। हम पाकिस्तान के साथ ऐसे किसी समझौते के विरुद्ध नहीं हैं, बस शर्त यही है कि पाकिस्तान सीमा–पार आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगाए। पाकिस्तान को एक जिम्मेदार लोकतांत्रिक राष्ट्र की तरह व्यवहार करना चाहिए। फिर हम पाकिस्तान के साथ अच्छी मित्रता चाहते हैं। सभी पड़ोसी राष्ट्रों और भारत के बीच अच्छे संबंध हैं। विश्व के सुपर पॉवर राष्ट्र यह महसूस करते हैं कि भारत को समर्थन मिलना चाहिए। समूचे विश्व में, अंतर्राष्ट्रीय परिवृश्य पर लागों को लगता है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सूरक्षा परिषद में उचित स्थान मिलना चाहिए। अतः जो भी आलोचना हो, इसका कोई विशेष अर्थ नहीं है।

महोदया, मैं जिस राज्य से संबंध रखता हूं, वहां पर मानव श्रृंखलाएं और मानव दीवारें थीं। इस बात को लेकर विद्रोह था कि कांग्रेस स्वतंत्र विदेश नीति का समर्पण कर रही है। मुझे लगता है कि मेरे मित्र, श्री पी. करूणाकरन अभी सभा में मौजूद नहीं हैं....*(व्यवधान)* परंतु वे सभी मानव श्रृंखलाओं की कड़ियां थे। उनका विद्रोह इस बात को लेकर था कि हम लोग अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का समर्पण कर रहे हैं। परंतु आज, यह भारतीय विदेश नीति का स्वर्णिम उदाहरण है। संपूर्ण विश्व भारत का आदर कर रहा है। परंतु हम निश्चित नहीं हो सकते। मैं यह नहीं कह रहा कि हमें जहां पहुंचना था, वहां हम पहुंच चुके हैं। इसी बीच, कठिन परिश्रम भी आवश्यक है।....*(व्यवधान)*

यह किसी व्यकित की इच्छा का सवाल नहीं है। श्री राजेश कृपया इसे समझिए। मैं आपकी आलोचना को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं।

अध्यक्ष महोदया : कृपया अध्यक्ष पीठ को संबोधित करें।

श्री पी. सी. चाको : हम लोगों को किसी एक देश की इच्छा पर निर्भर नहीं होना चाहिए। मतेरे दोस्त इस पर ध्यान नहीं दे रहे परंतु संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच सदस्यों के प्रमुखों ने गत छह महीनों में भारत की यात्रा की है। उन सभी ने सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की भारत की मांग का समर्थन किया है। महोदया, जिस अमेरिकावाद की वे बात कर रहे हैं, वह एक राजनीतिक प्रपंच है। वे इस बात के प्रति अधिक संवेदनशील नहीं हैं। क्योंकि वाम दल के कई नेताओं के बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे हैं। अतः वे काफी हद तक अमेरिका विरोधी नहीं हैं।

हो सकता है कि राजेश एक बहाना ढूंढ रहे हैं। कुछ समय के लिए वह चूं-चां करते रहेंगे। बस और उसके बाद वह वास्तविकता पर आ जाएंगे।

मूलतः संस्थाओं को कमजोर नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन, दुर्भाग्य से आज ऐसा हो रहा है। एक अन्य दिन, एकता यात्रा के स्वयं सेवकों को विदाई के समय श्री आडवाणी जी भाषण दे रहे थे। वास्तव में, समाचार पत्र पढ़ करमुझे बहुत दुख हुआ। मैं श्री आडवाणी जी का बड़ा आदर करता हूं। लेकिन, मुझे इस बात के कारण काफी दुख हुआ कि आडवाणी जी, कांग्रेस पार्टी, सरकार के खिलाफ प्रधानमंत्री के खिलाफ और सप्रंग की अध्यक्ष के खिलाफ आरोप लगा रहे थे। हालांकि, मुझे हिन्दी की थोड़ी जानकारी है। अतः मैं आडवाणी जी की बातें समझ सका। उनका कहना था कि पंडित नेहरू के समय से अब तक हमने इतना कमजोर प्रधानमंत्री नहीं देखा है। क्या प्रधानमंत्री कमजोर हैं जबकि दुनिया के बड़े देशों के लोग भारत में आकर भारत का समर्थन कर रहे हैं। आज, न केवल अमेरिका, बल्कि विश्व की सभी परमाणु शक्तियों ने भारत के साथ करारों पर हस्ताक्षर किए हैं, तो क्या हम प्रधानमंत्री को कमजोर कहेंगे।

एक दिन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के हम सभी सदस्यों ने मुंबई में बी ए आर सी का दौरा किया। हमन देखा कि वहां वैज्ञानिक अत्यंत प्रफुल्लित हैं। वह हमें संस्थान के बारे में बता रहे थे। समिति में श्री मेघवाल जी हमारे साथ थे। उन्होंने हमें बताया कि विश्व की सारे परमाणु संपन्न देश हमारे साथ समझौते करने के लिए आगे आ रहे हैं। हमारा देश परमाणु रंगभेद की नीति का सामना कर रहा था। हमारा देश अछूत था। हमारी मदद करने वाला कोई नहीं था। क्या इन परिस्थितियों में मेरे कुछ मित्र देश का विश्व पटल पर अलग-अलग देखना चाहेंगे? आज, हमारे मित्र हैं। यह सब हमारी सुदृढ़ विदेश नीति के कारण है। यह हमारे प्रधानमंत्री की नीति के कारण है। क्या आडवाणी जी कह सकते हैं कि डॉ. सिंह एक कमजोर प्रधानमंत्री हैं। मुझे नहीं पता कि उनका तात्पर्य प्रधानमंत्री की शारीरिक शक्ति से है। अथवा नहीं। यदि ऐसा है, तो ठीक है। लेकिन, ऐसा प्रधानमंत्री होना हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है।

महोदया, मैं कुछेक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेता रहा हूं। कुछ विकासशील देशों, कुछ अफ्रीकी देशों के प्रतिनिधियों ने सत्र में भाग लेने के बाद हमारे पास आकर कहा कि "हम दिल्ली आ रहे हैं, हम आपके प्रधानमंत्री जी से मिलना चाहेंगे।" इसलिए, डॉ. मनमोहन सिंह जैसा प्रधानमंत्री पाकर हम खुश हैं...*(व्यवधान)* अनेक विकासशील देशों, अफ्रीकी देश डॉ. मनमोहन सिंह से मुलाकात का समय लेने के लिए अपने दूत दिल्ली भेज रहे हैं ताकि वे हमारे प्रधानमंत्री से मिलकर अपनी रुग्ण अर्थ-व्यवस्था का इलाज ढूंढ सकें। और वह डॉक्टर और कोई नहीं, बल्कि डॉ. मनमोहन सिंह ही हैं।

अब, मैं देश के वृहत-आर्थिक प्रबंधन पर आता हूं। उन्होंने पूरी दुनिया के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत कर दिया है। क्या आडवाणी जी जैसे एक अत्यंत अनुभवी और प्रतिष्ठित व्यक्ति ऐसे प्रधानमंत्री को एक कमजोर प्रधानमंत्री बता सकते हैं। हमें वास्तविकता समझनी चाहिए। हालात बदल सकते हैं। नेता बदल सकते हैं लेकिन हमें अपने कथन के लिए जिम्मेदार होना पड़ेगा।

महोदया, मैं एक अत्यंत दुखद बात उद्धृत करना चाहूंगा। हमारी पार्टी की अध्यक्ष, यूपीए की नेता और हमारी सम्माननीय नेता श्रीमती सोनिया गांधी, श्री आडवाणी जी को पत्र लिखा है। मैं उनके पत्र से उद्धृत करना चाहूंगा...*(व्यवधान)* मेरा तात्पर्य यह है कि सम्भवतः प्रयोग में लाई जा रही शब्दावली, कई बार सीमा से बाहर थी। हालांकि, आडवाणी जी ने इस बारे में खेद व्यक्त किया है। इस सदन में बोलते हुए मैं उतना नियंत्रित नहीं रह सकता। लेकिन, किसी व्यक्ति के विरुद्ध आरोप लगाते समय, हमें अधिक सावधान रहना चाहिए।

जब आप किसी की तरफ एक उंगली उठाते हैं तो तीन उंगलियां आप की तरफ उठी होती हैं।...*(व्यवधान)* सोनिया जी को जब देश के प्रधानमंत्री पद की पेशकश की थी तो उन्होंने कहा, "मैं केवल पार्टी की सेवा करना चाहती हूं।" क्या राजनीति में ऐसे और उदाहरण हैं? सुषमाजी ने एक बार कहा था कि यदि सोनिया जी देश की प्रधानमंत्री बन जाती हैं तो मैं सिर मुंडवा लूंगी और भगवा साड़ी पहनूंगी। मैं नहीं चाहता कि सुषमा जी ऐसा करें क्योंकि सुषमा जी सदन में सबसे बढ़िया परिधान पहनने वाली महिला हैं। और इसलिए मैं नहीं चाहता कि वे अपना सिर मुंडवा कर भगवा साड़ी पहनें। लेकिन, अब राजनीतिक दलों को वास्तविकता से वाकिफ होना होगा।

हम अपनी संस्थाओं को कमजोर नहीं कर सकते। हमें नकारात्मक आलोचना नहीं करनी चाहिए। हम अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते और दूसरे पर दोषारोपण नहीं कर सकते और ऐसा करके हम बच नहीं सकते।

महोदया, देश में विकास का क्या परिदृश्य है? राष्ट्रपति महोदया, ने कहा है कि आगामी एक वर्ष में हम अवसंरचना विकास पर 40 लाख करोड़ रुपए का व्यय करेंगे। भारत जैसा देश अवसंरचना विकास पर एक वर्ष में 40 लाख करोड़ रुपए का व्यय कर रहा है, यह अपने आप में एक उपलब्धि है। कृषि क्षेत्र में क्या स्थिति है ? आज सदन में यह आलोचना हो रही थी कि हमारे देश में कृषि ने केवल 1.1 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की और केवल सेवा क्षेत्र ही ऐसा है जिसमें अधिक वृद्धि हुई है। परंतु आज हमारे लिए यह हर्ष और आश्चर्य का विषय है कि भारत ने कृषि में 3.2 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की है।

जब आशियान समझौते पर हस्ताक्षर किए गए तब यह आलोचना की गई थी कि हमारे देश के किसानों को भारी नुकसान होने जा रहा है और पुनः हमारे राज्यों में बड़े पैमाने पर आंदोलन हो रहे थे। मैं एक ऐसे राज्य से आया हूं जहां सकारात्मक बातों की अपेक्षा आंदोलन अधिक होते हैं। पुनः हमारे कम्यूनिस्ट मित्रों ने एक मानव शृंखला बना कर प्रदर्शन किया और उन्होंने कहा कि हम भारत के हितों का समर्पण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चाय का आयात किया जाने वाला है। नारियल का आयात किया जाने वाला है और अभी चीजों का आयात किया जाने वाला है। ताकि हमारे किसानों को नुकसान हो। सदन की जानकारी के लिए मैं यह कहना चाहता हूं कि आशियान समझौते पर भारत द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। परंतु आज इलायची का मूल्य अधिकतम है, काली मिर्च का मूल्य अधिकतम है, चाय का रिकार्ड मूल्य है और नारियल का अच्छा मूल्य मिल रहा है। किस वस्तु में भारत को नुकसान हुआ है? मैं वामपंथी दलों के अपने साथियों को चुनौती देना चाहता हूं। उनकी मानव शृंखला का क्या हुआ? उनकी मानव दीवार का क्या हुआ? वे आंदोलन कर रहे थे और इस संबंध में अपने साथ शामिल होने के लिए लोगों को कह रहे थे।

महोदया, भारत अपनी समस्याओं से अवगत है, भारत अपनी मजबूती और अपनी कमजोरी दोनों जानता है। हमें विश्व के देशों के साथ कार्य करना है चाहे वह व्यापार हो या कूटनीतिक संबंध हो और हमें अपने कार्य किस तरह से करने हैं, वह हमें पता है। संभवतः भारत आज सफल है परंतु, हमारे सामने अभी भी समस्याएं हैं और हमें उन समस्याओं का सामना करना है, हमें एक सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा। आज सभा को कई अन्य महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर विचार करना है। राष्ट्रपति महोदया ने संक्षेप में यह कहा है कि सरकार ने गत एक वर्ष में क्या किया है और सरकार आगामी एक वर्ष में क्या करने जा रही है। मैं समझता हूं कि सभा में सभी दल बिना किसी और आपत्ति के इस मुद्दे पर सहमत होंगे। इसलिए मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि हम सभा में किए गए इस प्रस्ताव को सभा के सभी वर्गों द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया जाएगा।

श्री एम. बी. राजेश (पालक्काड्) : भ्रष्टाचार के बारे में क्या स्थिति है?

श्री पी. सी. चाको : मैंने भ्रष्टाचार के बारे में पहले ही अपनी बात कर दी है। संभवतः उन्होंने मेरी बात को नहीं सुना है। मार्क्सवादी पार्टी के एक संसद सदस्य के घर पर छापा मारा गया और, आयकर विभाग ने 80 करोड़ रुपए बरामद और उन्होंने यह रिपोर्ट पढ़ी होगी। मैंने यह नहीं कहा कि पूरी मार्क्सवादी पार्टी भ्रष्ट है।

श्री एम. बी. राजेश : यह सही नहीं है ...*(व्यवधान)*

श्री पी. सी. चाको : महोदया, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

मेरे मित्र राजेश जी मुझे अभी भी उकसा रहे हैं। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने अपने प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया है कि सरकार को स्पेक्ट्रम आबंटन में 1.76 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और यह 2जी घोटाला है। इसी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने अपनी एक अन्य रिपोर्ट में कहा कि एक नेता जो राज्य में मंत्री थे उन्होंने अपराध किया है और उनकी इस चूक के कारण एक गरीब राज्य को 250 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। वह नेता कौन हैं, वह राज्य कौन सा है? क्या मैं ये सब बातें अपने मित्र राजेश जी को कहूं? बात यह है कि एक व्यक्ति जो निन्दनीय लवलीन मामले में 250 करोड़ रुपए के नुकसान का जिम्मेवार हैं। अभी भी केरल में भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी के सचिव बने हुए हैं। भ्रष्टाचार व्याप्त है। उन्हें यह बात समझनी चाहिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : कृपया शांत रहिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : श्री चाको की बात के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री पी. सी. चाको : महोदया, यदि वह मुझे अधिक उत्तेजित कर रहे हैं। तो मेरा कहना है कि पूरे देश में एक दल, जो खड़ा नहीं हो

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री पी. सी. चाको]

सकता और विरोध में नहीं बोल सकता, जो किसी व्यक्ति के खिलाफ संकेत कर उंगली नहीं उठा सकता, जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध नैतिक उत्साह नहीं रखता है, वह पश्चिम बंगाल और केरल में सी पी एम पार्टी है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : श्री चाको की बात के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदया : कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठ जाइए। श्री चाको, आप बोलना जारी रखें।

श्री पी. सी. चाको : महोदया, मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। जब मैंने कहा कि एक दल जो अपनी शताब्दी मनाने जा रहा है, वह बुरी तरह से असफल हो रहा है, मैं यह भी जानता हूं कि अन्य दल, एक साम्प्रदायिक दल, जिसका गठन 1951 में हुआ था, ने भारत में सत्ता पर अधिकार जमा लिया था। इसलिए साम्प्रदायिकता, भारत में सर्वोत्तम राजनीतिक दांव बन गया है और मेरी अभी भी इच्छा है कि भाजपा इस साम्प्रदायिक प्रचार से स्वयं को दूर रखे क्योंकि इस देश में, हमें अधिक रोजगार, उद्योगों, विकास की आवश्यकता है। हमें अतिवाद का भी सामना करना पड़ता है और हम कानून और व्यवस्था चाहते हैं। ये सभी समस्याएं हैं।

यदि कोई व्यक्ति सोचता है कि हमारे प्रधानमंत्री कमजोर हैं क्योंकि उन्होंने कभी भी रथ यात्रा नहीं की, तो हो सकता है कि वह सही हो। लेकिन, यहां समस्या यह है कि यदि हम सांप्रदायिक मुद्दों से अधिक सभी एक साथ विकास संबंधी पहलुओं पर अधिक ध्यान देने का निर्णय लेते हैं तो हमें तभी समाधान मिल सकता है।

महोदया, मैंने भारत के महामहिम राष्ट्रपति के भाषण की प्रमुख विशेषताओं की संक्षेप में व्याख्या की है तथा मैं पुनः इस सदन के सभी सदस्यों से अनुरोध और अपील करता हूं कि इस संकल्प का सर्वानुमूति से समर्थन करें।

अपराह्न 2.46 बजे

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यगण, जैसा कि आपको मालूम है, सुस्थापित प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने वाले वक्ता के भाषण की समाप्ति के बाद प्रस्ताव में संशोधनों को प्रस्तुत किया जाता है। उस समय संशोधन को प्रस्तुत करने के बारे में घोषणा की जाती है।

तथापि यह पता चला है कि सभी स्वीकृत संशोधन अभी भी मुद्रित नहीं हुए हैं इसलिए सदस्यों को परिचालित नहीं किए गए हैं। आशा है कि सभी संशोधन आज रात तक मुद्रित किए जाएंगे एवं कल सुबह तक सदस्यों को उनके आवास तक परिचालित कर दिए जाएंगे।

कल जब इस विषय को आगे की चर्चा के लिए लिया जाएगा, तब इस संबंध में अध्यक्षपीठ से घोषणा की जाएगी।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा) : अध्यक्ष महोदया, मैं चाहूंगी कि इसके लिए समय तय दीजिए, क्योंकि मूवर्स को यहां रहना पड़ता है, क्योंकि अमेंडमेंट बिना उसके मूव नहीं करते। उसे या तो बुलेटिन कर दें।

अध्यक्ष महोदया : उसे कर देंगे।

श्रीमती सुषमा स्वराज : कल कितने बजे अमेंडमेंटस मूव होंगी ताकि उस समय मूवर्स रहें, वरना वे अमेंडमेंट्स देते भी हैं और वे उस समय मूव करने के लिए होंगे नहीं। वे पूरे दिन नहीं बैठ सकेंगे, इसलिए टाइम को बुलेटिन कर दें।

अध्यक्ष महोदया : ठीक है।

अपराह्न 2.48 बजे

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव–*जारी*

[हिन्दी]

श्री मनीष तिवारी (लुधियाना) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का समय दिया। माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव श्री पी. सी चाको जी ने रखा है, मैं आज उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदया, भारत 21वीं सदी के दूसरे दशक की दहलीज पर खड़ा है। इस शताब्दी के बारे में कहा गया है कि यह एशिया की शताब्दी होगी। इस शताब्दी के बारे में यह भी कहा गया है कि यह ज्ञान की शताब्दी होगी। अगले जो दो दशक हैं, वे भारत के

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

लिए अति महत्त्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये दो दशक तय करेंगे कि ये शताब्दी भारत और चीन की कहानी होगी या सिर्फ चीन की दास्तां होगी। आज हमारे मुल्क के सामने बुनियादी चुनौती क्या है, बुनियादी चुनौती भारत के सामने यह है कि हमारा जो सकल घरेलू उत्पाद है, जिसे हम जीडीपी कहते है। डेढ़ ट्रिलियन डसॅल्र है। चीन की जी.डी.पी. 5.50 ट्रिलियन डॉलर है। अमरीका की जी.डी.पी. 14 ट्रिलियन डॉलर है।

महोदया, हमारा सबसे मुख्य मकसद यह होना चाहिए कि यह जो फासला है, इसे हम कैसे कम करें। इसके साथ-साथ जो 70 करोड़ लोग भारत के गांवों में बसते हैं, जो खेत, खलिहानों और अन्य स्थानों में मजदूरी कर के अपनी जिंदगी चलाते हैं, उन्हें किस प्रकार से भारत की मुख्य धारा में शामिल किया जाए, यह हमारे सामने बुनियादी चुनौती है। इस चुनौती से निपटने की इस संसद की महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि अगले दो दशक में अगर हमारे पैर लड़खड़ाए, तो इतिहास यही कहेगा कि-

"वक्त की आंखों ने वो फलक भी देखे हैं
लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई है।"

अध्यक्षा जी, जब किसी सरकार का मूल्यांकन होता है, पी.सी. चाको जी ने उन बिंदुओं की ओर इशारा किया था। वह मूल्यांकन छः बिंदुओं पर होता है। सरकार ने कैसी राजनीतिक स्थिरता प्रदान की, सरकार ने इस देश को कैसा आर्थिक शासन दिया, मुल्क में सांप्रदायिक सद्भाव बरकरार रहा कि नहीं, आंतरिक सुरक्षा की स्थिति कैसी रही और इसके साथ-साथ जो सरकार की विदेश नीति है, वह कारगर रही कि नहीं। चूंकि चाको साहब ने उन चीजों के ऊपर बहुत विस्तार से बोला है। इसलिए मैं दुबारा उन बातों को दोहराना नहीं चाहता, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि इन छह बिंदुओं के ऊपर पिछले साढ़े छः साल में यह सरकार पूरी तरह से कामयाब रही है।...*(व्यवधान)*

आपको मौका मिलेगा, तब आप बोलिए। अभी तो आप मुझे बोलने दीजिए।

अध्यक्ष महोदया : मनीष तिवारी जी, आप बोलिए। कृपया आप बीच में मत टोकिए।

श्री मनीष तिवारी : अध्यक्ष जी, इस देश में पिछले 62 सालों में कई क्रांतियां हुई हैं। हरित-क्रांति, श्वेत-क्रांति, तकनीकी क्षेत्र में कंप्यूटर की क्रांति और पिछले 14 वर्षों से संचार क्रांति हुई है। अगर आप राष्ट्रपति जी का अभिभाषण पढ़ें? तो आपको मालूम होगा कि इस देश में आज 80 करोड़ मोबाइल कनैक्शन्स हैं। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यह है कि इस देश के 60 करोड़ नागरिक ऐसे हैं, जिनके हाथ में मोबाइल फोन हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : कृपया उन्हें बोलने दीजिए। आपको बारी आएगी, तब आप बोलिए। मनीष जी, आप बोलिए। श्री मनीष तिवारी जी के भाषण के अलावा और कुछ रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री मनीष तिवारी : अध्यक्षा जी, सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि यह किस कीमत पर हुआ है। मैं बताना चाहता हूं क एक पैसे में एक सैकिंड की कॉल यहां उपलब्ध है। किसी मुल्क में सिर्फ 15 साल में यह क्रांति हुई हो, तो मैं उस सरकार को भी मुबारकवाद देने के लिए तैयार हूं।

महोदया, मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि पिछले चार महीने में इस देश में 2-जी स्पैक्ट्रम को लेकर बहुत सियासत हुई है। ऐसे-ऐसे लोग, जिनको स्पैक्ट्रम का 'स' नहीं आता, वे लोग अपने आपको स्पैक्ट्रम का विशेषज्ञ कहलवाने लगे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने संयुक्त संसदीय समिति का ऐलान किया है।

इस संसद में बहुत विस्तार से बहस होगी, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, पर हां, इतनाजरूश्र कहना चाहूंगा कि इस मूद्दे को परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है और वह परिप्रेक्ष्ययह है कि आज की तारीख में 2जी का जो लाइसेंस है, उस पैन इंडिया लाइसेंस की कीमत 1650 करोड़ रुपए है, 3जी का जो लाइसंस है? उसकी कीमत 16,700 करोड़ रुपए है। अगर आप इन दोनों लाइसेंसेज की तुलना कीजिए तो पहले लाइसेंस की एक मैगाहार्ट्ज की कीमत होती है 133 करोड़ रुपये और दूसरे लाइसेंस की कीमत होती है, 1600 करोड़ रुपये, पर इस हिंदुस्तान में जो ब्रॉडकास्टर हैं, वे 35 हजार रुपये पर मैगाहार्ट्ज देते हैं, क्या वह घोटाला है? वह घोटाला नहीं है, उसकी वास्तविकता यह है कि हर सर्विस की....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : श्री मनीष तिवारी की बात के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

शांत रहिए। जब आपकी बारी आएगी तब आप बोलिएगा।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री मनीष तिवारी : अध्यक्षा जी, ये सुनने के लिए तैयार नहीं हैं।

उसकी वास्तविकता यह है कि हर सर्विस को एक ही कीमत में तौला नहीं जाता। हर सर्विस की अलग-अलग कीमत होती है और आज अगर इस हिंदुस्तान में गरीब आदमी के हाथ में मोबाइल गया है तो उसका श्रेय यू.पी.ए. की सरकार को जाता है, क्योंकि हमारी नीति और नीयत में कभी फर्क नहीं रहा है।

अध्यक्षा जी, पिछले चार महीने में इस देश में कालेधन को लेकर, ब्लैकमनी को लेकर बहुत सियासत हुई है। एक राजनैतिक दल ने तो कालेधन के ऊपर एक रिपोर्ट जारी कर दी। मैं एक दालज बहुत अदब, सम्मान और बहुत जिम्मेदारी के साथ पूछना चाहता हूं, कि इस देश का सारा कालाधन क्या सिर्फ विदेशी बैंकों में है? इस देश में ही देश का कालाधन नहीं है? इस सदन में कितने लोग हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आज आप दिल्ली में या हिंदुस्तान के किसी शहर में कोई घर खरीदने चले जाइए, उसका 30 प्रतिशत पैसा आप चैक से देते हैं और 70 प्रतिशत पैसा आज भी कैश में दिया जाता है। क्या वह कालाधन नहीं है?

मैं दूसरी बात करता हूं कि आप कृषि के लिए भूमि खरीदने चले जाइए....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : श्री माननीय तिवारी के कथन के अलावा कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

आप शांत हो जाइये। जब आपकी बारी आए तो बोलिएगा।

....*(व्यवधान)**

श्री मनीष तिवारी (लुधियाना) : वहां 90 प्रतिशत पैसा कैश में दिया जाता है और सिर्फ 10 प्रतिशत पैसा चैक से दिया जाता है। यह क्या पिछले 22 महीने में हुआ है? मैं बताता हूं कि पिछले 22 महीने में क्या हुआ है। पिछले 22 महीने में....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : रामकिशुन जी, आप बैठ जाइए।

श्री मनीष तिवारी : इस तरह से तो नहीं चलेगा। पिछले 22 महीने में यू.पी.ए. की सरकार ने विदेशी बैंकों में जो कालाधन पड़ा हुआ है....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : श्री मनीष तिवारी के कथन के अलावा कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मनीष तिवारी : उसको वापस लाने के लिए ठोस कदम उठाये हैं। यह यू.पी.ए. की सरकार है, जिसने 10 देशों के साथ टैक्स इन्फोर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट साइन किए। इससे पहले 6 साल एन.डी.ए. की सरकार रही, ऐसा कोई दस्तावेज साइन हुआ कि नहीं हुआ, मैं पूछना चाहता हूं? यह यू.पी.ए. की सरकार है, जिसने पिछले 22 महीनों में 65 मुल्कों के साथ ड्यूअल टैक्स एवायडेंस एग्रीमेंट को ब्रोडन किया, जिससे कि जो सूचना है, वह भारत के पास आ सके और हम उसके ऊपर कार्रवाई कर सकें। उसका परिणाम यह हुआ कि पिछले 22 महीने में यू.पी.ए. की सरकार ने अपने कदमों से 34,601 करोड़ रुपया टैक्स कालेधन को अनअर्थ करके एकत्रित किया है और 48,784 करोड़ रुपये का जो अवैध धन पड़ा हुआ था, उसको डिटैक्ट करने में कामयाब हुई है। यह 22 महीने की यू.पी.ए. सरकार की कारगुजारी रही है।

अध्यक्षा जी, इस सदन में कई बार महंगाई के ऊपर चर्चा हो चुकी है। मेरा तो मानना है कि कई मुद्दे ऐसे हैं, जो सिर्फ रायसीना हिल के ढाई मील के एरिया तक सीमित रहते हैं, पर महंगाई का मुद्दा ऐसा है, जो हर घर को, हर परिवार को छूता है।

अपराह्न 3.00 बजे

चाको जी ने बहुत ही विस्तार से बताया कि यूपीए की सरकार ने महंगाई को कम करने के लिए पिछले 22 महीनों में क्या-क्या कदम उठाएं बीस प्रतिशत से घटकर खाद्यान्न की महंगाई आठ प्रतिशत पर आ गई।

अध्यक्ष महोदया, हम भारत की सर्वोच्च पंचायत में बैठे हैं और सर्वोच्च पंचायत में जिम्मेदारी से बहस होनी चाहिए, इसलिए मैं यह बताना चाहता हूं कि वर्ष 1991 में भारत की जनसंख्या 84 करोड़ थी, जो वर्ष 2011 में बढ़कर 118 करोड़ हो गई। पिछले बीस सालों में तीस करोड़ ऐसे लोग हैं, जिनको गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया जबकि भारत की जनसंख्या में तीस करोड़ से अधिक की वृद्धि हुई है। इसका क्या अर्थ निकलता है? विशेषज्ञ इसका अर्थ निकालते हैं।

[अनुवाद]

कि पिछले 20 वर्षों में भारत ने एक बिलियन अधिक भोजन उपलब्ध कराना पड़ा है।

[हिन्दी]

इसका सीधा असर आपको यहां दिखता है कि एक तरफ जो

* कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

खपत है, वह बढ़ गयी है, लेकिन जो पैदावार है, वह उस हिसाब से नहीं बढ़ी है। इसलिए कीमतों पर इसका असर दिखता है और इसीलिए यूपीए की सरकार ने अपने पिछले बजट में यह उद्घोषणा की थी कि इस देश में एक दूसरी हरित क्रांति की जरूरत है। वह दूसरी हरित क्रांति भारत के पूर्व के हिस्से में होगी। ऐसा नहीं है कि जो खाई है, वह पिछले बाईस महीने में बढ़ी हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जो हमारी आलोचना करते हैं, हमारे ऊपर कटाक्ष करते हैं, जब वे सरकार में थे, तब यह जो एक बुनियादी समस्या डिमांड और सप्लाई की थी, उस तरफ उनका ध्यान क्यों नहीं गया? मुझे लगता है कि इस मुल्क को उनको जवाब देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदया, एक बहुत महत्त्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस मुल्क में पिछले दिनों....*(व्यवधान)* आदर्श मामले पर भी बोलेंगे। इस देश में मालेगांव, मोडासा, अजमेर और हैदराबाद में जो बम धमाके हुए, उनसे जुड़े हुए कुछ तथ्य उजागर हुए हैं। चूंकि इनकी जांच चल रही है, इसलिए मैं इसके ऊपर कोई अनावश्यक टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं कई दूसरे लोगों की तरह जो सबजुडिस रूल है, उसकी रेस्पेक्ट करता हूं। मैं यहां एक बुनियादी सवाल जरूर उठाना चाहूंगा। वह संगठन जो अपने आपको राष्ट्रवादी कहते हैं, वह संगठन जो इस मुल्क की दुहाई देते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं क उनके आगोश में, उनके आस्तीन में ऐसी आतंकवादी प्रवृत्तियां क्यों पनपती हैं? यह एक बहुत बुनियादी सवाल इस मुल्क के समाने हैं। उन संगठनों से जुड़े हुए जो राजनीतिक दल हैं, उनको आत्मचिंतन करना चाहिए और अपने गिरेबान में झांककर देखना चाहिए। जो नैतिक स्टैंड भारत ने सारे देशों के बीच आतंकवाद के मुद्दे को लेकर लिया हुआ है, उस नैतिक स्टैंड के ऊपर और जो हमारा नैतिक पक्ष है, उसके ऊपर इसका सीधा-सादा असर पड़ता है। मैं कोई कटाक्ष नहीं करना चाहता हूं और न ही मैं कोई आलोचना करना चाहता हूं, पर इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अपने गिरेबान में झांककर देखिए, क्योंकि अगर ये प्रवृत्तियां चलती रहीं, तो जो देश है, जो आइडिया आफ इंडिया है, जो भारत की कल्पना है, उस कल्पना को ऐसी प्रवृत्तियां कमजोर करेंगी। इसके ऊपर बहुत गंभीरता से चर्चा करने की जरूरत है।

अध्यक्ष महोदया, भ्रष्टाचार को लेकर उस तरफ से आवाजें आ रही थीं। मैं पूछना चाहता हूं कि आदर्श मामले में कोई तथ्य पूरी तरह से सामने भी नहीं आए थे, तब कांग्रेस पार्टी ही थी, जिसने अपने मुख्यमंत्री को हटाया, जिसने अपने मुख्यमंत्री का इस्तीफा लिया। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : कृपया शांत रहिए, उनकी बात सुन लीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री मनीष तिवारी : मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं कि कर्नाटक में इन्होंने क्या किया?...*(व्यवधान)* इतने बड़े-बड़े घोटालों के मामले सामने आए, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कटघरे में खड़े हुए, लोक आयुक्त से जांच वापिस ले ली गई और इनके कान पर जूं तक नहीं रेंगी।...*(व्यवधान)* मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह नैतिकता है?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : श्री मनीष तिवारी के कथन के अलावा कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मनीष तिवारी : अध्यक्षा जी, चाको साहब ने राष्ट्रमंडल खेलों की बात की। जैसे ही राष्ट्रमंडल खेलों का मामला सामने आया, श्री सुरेश कलमाडी का इस्तीफा लिया गया। उसके साथ-साथ शुंगलू जांच आयोग की घोषणा हुई। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में पुष्प स्टील के मामे में हम लगातार मामला उठाते रहे। दिल्ली में कंपनी उसी दिन रजिस्टर होती है और उसी दिन उसे रायपुर में तीन हजार मील दूर खाद्यान की खान ऐलॉट की जाती है।...*(व्यवधान)* उसके ऊपर इनका जवाब क्यों नहीं आता। मैं इनसे एक और बात पूछना चाहता हूं। 2जी स्पैक्ट्रम के मामले को लेकर इस देश में बहुत सियासत हुई, लेकिन मध्य प्रदेश के भोपाल में एक खुशाभाऊ ठाकरे ट्रस्ट है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मनीष तिवारी : 65 करोड़ रुपये की जमीन एक रुपये में आइत ली गई। उसके ऊपर इसका कोई जवाब नहीं आता।...*(व्यवधान)* इसलिए इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री मनीष तिवारी]

अंत में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। इन्होंने जितनी सियासत की है, उससे ज्यादा सियासत हम कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी सियासत इस मुल्क के भविष्य को सामने रखते हुए करने की जरूरत है। आज इस संसद का उत्तरदायित्व बनता है कि हम पीछे न देखकर आगे देखें। भारत की आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की ओर देखें, क्योंकि ऐसा न हो कि *[अनुवाद]* विन्स्टन चर्चिल ने 1931–35 के बीच ब्रिटेन के बारे में लिखा था कि हमारी राजनीतिक गतिविधियां अगले 20 वर्षों को भारत के लिए परिवर्तन करती रहेगी। यह एक तरह का खतरा है, जिस पर हमें जर रखनी होगी।

अध्यक्ष महोदया, मुझे अवसर देने के लिए धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदया : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि राष्ट्रपति की सेवा में सिम्मलित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए—

"कि इस सत्र में समवेत लोक सभ के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 21 फरवरी 2011 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यंत आभारी हैं।"

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सिंह (गाजियाबाद) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। पूरा सदन जानता है कि भारत के संविधान के आर्टिकल 87 के तहत यह प्रोविजन है कि जब कभी आम चुनाव समाप्त होते हैं, उनके बाद यदि संसद की बैठक होने वाली होती है, तो उस संसद के प्रथम सत्र में दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को महामहिम राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। साथ ही यदि नया वर्ष प्रारंभ होता है तब भी जो भी महामहिम राष्ट्रपति होता है, वह उसे संबोधित करता है। उसी परंपरा के अनुरूप ही महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने इस बार भी संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। मैं महामहिम राष्ट्रपति को धन्यवाद देने के लिए खड़ा हुआ हूं। धन्यवाद प्रस्ताव श्री पी. सी. चाको ने प्रस्तुत किया और उसका समर्थन श्री मनीष तिवारी ने किया है। उन्होंने दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया है। इसके लिए वे धन्यवाद की पात्र हैं। लेकिन इस सच्चाई को भी हम सब जानते हैं कि राष्ट्रपति अभिभाषण का अनुमोदन उस सरकार की कैबिनेट करने का काम करती है। बहुत सारी ऐसी बातें जिनकी अपने में कोई सच्चाई नहीं होती, फिर भी क्योंकि कैबिनेट एप्रूव करती है, इसलिए महामहिम राष्ट्रपति को अपने संबोधन में उसे बोलना ही होता है। यह भी उनकी बाध्यता होती है। हम सहमत हों अथवा न हों, फिर भी हमें धन्यवाद देना ही है। हम उसका विरोध नहीं कर सकते। लेकिन जिस समय महामहिम राष्ट्रपति का अभिभाषण हो रहा था, उस समय एक दृश्य देखने को मिला। मैं 14 वर्षों से राज्य सभा अथवा लोक सभा में संसद सदस्य के रूप में है, लेकिन ऐसा दृश्य मैंने अपनी आंखों से कभी नहीं देखा था। सत्ता पक्ष के लोग ही अभिभाषण के दौरान सैंट्रल हाल में खड़े होकर अपनी पार्टी के अध्यक्ष जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं और तेलंगाना की मांग कर रहे हैं ।....*(व्यवधान)* मैडम स्पीकर, स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में मर्यादाओं का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए।

चाहे वह सत्ता पक्ष हो अथवा विपक्ष हो, सबको अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। लेकिन मैं यह सोच रहा था, हमारी यह कल्पना थी, जिस प्रकार का दृश्य सत्ता पक्ष द्वारा राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान प्रस्तुत किया गया, कि जिस समय धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जायेगा, उस समय प्रस्तावक द्वारा अथवा समर्थक द्वारा उसकी निंदा की जायेगी, भर्त्सना की जायेगी। लेकिन मुझे यह देखकर बेहद पीड़ा हुई कि न तो प्रस्तावक ने और न ही समर्थक ने उस अमर्यादित आचरण की भर्त्सना की। समाचार–पत्रों में भी सत्ता पक्ष के किसी नेता द्वारा उसकी भर्त्सना नहीं की गई। लेकिन मर्यादाओं का पालन करते हुए जो भी कृत्य राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान हुआ है, उसकी मैं निंदा और भर्त्सना करना चाहता हूं। जहां तक तेलंगाना का प्रश्न है।.... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : कृपया आप बैठ जाइए।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : राजनाथ जी, आप चेयर को सम्बोधित करके बोलिए।

....*(व्यवधान)*

श्री राजनाथ सिंह : लेकिन जहां तक तेलंगाना का प्रश्न है, हमारी पार्टी और मैं जानता हूं कि हमारे एनडीए की भी बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां बराबर इस पक्ष की रही हैं कि तेलंगाना अलग राज्य बनना चाहिए।....*(व्यवधान)* मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी ने वर्षों पहले तेलंगाना की ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

....*(व्यवधान)**

---

* कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : राजनाथ जी, आप बोलिए।

...*(व्यवधान)*

श्री राजनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदया, हमारी पार्टी ने वर्षों पहले अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया था कि तेलंगाना राज्य का शीघ्रातिशीघ्र गठन किया जाए। हमारी पार्टी के लोग, वहां पर तेलंगाना राज्य गठन के लिए जो आंदोलन चल रहा है, उसमें पूरी तरह से भाग ले रहे हैं। लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात पर है कि....*(व्यवधान)* आप लोग बैठ जाइए।....*(व्यवधान)* मैं बाद में इसका जवाब दूंगा।....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप लोग बैठ जाइए। राजनाथ जी, आप चेयर को सम्बोधित करके बोलिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)*★

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि तेलंगाना राज्य के गठन की संभावनाओं की तलाश करने के लिए एक कमीशन बनाया गया था। उस कमीशन की रिपोर्ट भी आ चुकी है। लेकिन सरकार उस कमीशन की रिपोर्ट पर क्या कर रही है, मैं समझता हूं इस सदन के किसी सम्मानित सदस्य को कोई जानकारी नहीं है। मैं विनम्रतापूर्वक कांग्रेस लैड यूपीए गवर्नमेंट, प्रधान मंत्री जी और हमारे नेता सदन जो यहां पर मौजूद हैं, उनसे भी अनुरोध करना चाहता हूं, कि जल्दी से जल्दी तेलंगाना राज्य के गठन का बिल संसद में ले आइए। हम सारे लोग उस बिल का समर्थन करेंगे ताकि तेलंगाना राज्य का गठन हो सके। वहां की जनता की जो एक चिरप्रतीक्षित मुराद है, वह पूरी हो सके और तेलंगाना राज्य का विकास हो सके, यह हम सबकी इच्छा है।

अध्यक्ष महोदया, इस बार राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो बहस हो रही है, मैं यह मानता हूं कि अन्य बार भी जो बहस हुई है, उससे कहीं अधिक इसका महत्त्व है। कोई भी यह सोच सकता है कि मैं इस बार की होने वाली बहस के महत्त्व को अधिक आंक रहा हूं, तो क्यों आंक रहा हूं? मैं इसलिए आंक रहा हूं, क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है, संसद के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि पूरा का पूरा चाहे विंटर सैशन रहा हो चाहे बजट सैशन रहा हो या मानसून सैशन रहा हो, कोई एक सैशन बिना कामकाज के पूरी तरह से समाप्त हो गया हो, ऐसा संभवतः कभी नहीं हुआ है। पहली बार हुआ है तो विंटर सैशन में हुआ है इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है। विपक्ष की एक छोटी सी डिमांड थी कि 2 जी स्पेक्ट्रम स्कैम के मामले में एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया जाए। यह डिमांग हम लोगों ने क्यों की? हमने यह देखा, सारे देश ने देखा कि जिस प्रकार से मल्टी डायमैंशनल करप्शन इस देश में तेजी के साथ बढ़ रहा था, उससे हम लोगों को यह प्रतीत हुआ कि अब निश्चित रूप से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा इसकी जांच कराई जानी चाहिए इसलिए हमने उस जांच की मांग की।

सत्तापक्ष ने हमसे पूछा कि जेपीसी ही क्यों, हमने पूछा जेपीसी क्यों नहीं? लेकिन इसका जवाब सत्तापक्ष के द्वारा नहीं मिला, इसकी वजह से पूरा सत्र हो-हल्ले और हंगामे में चला गया।....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप लोग शांत हो जाइए। मानीनय सदस्य को बोलने दीजिए।

श्री राजनाथ सिंह : महोदया, सभी लोग जानते हैं कि संसद के स्मूथ फंक्शनिंग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी रूलिंग पार्टी की होती है। हमने कोई गलत मांग नहीं रखी थी, हमने परंपराओं से हटकर कोई मांग नहीं रखी। इसके पहले भी जब भी सिस्टमिक रिस्क नजर आया है, तब ज्वाइंट पार्लियामेंटरी कमेटी का गठन इसी सदन ने किया है और इसीलिए हम लोगों ने भी मांग की थी क्योंकि इसमें हम लोगों को एक सिस्टमिक रिस्क नजर आ रहा था। यदि इसे रोका नहीं गया, आगे यही सिलसिला चलता रहा, तो देश की हालत कैसी बनेगी, यह बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने, देर आए दुरूस्त आए, आज ज्वाइंट पार्लियामेंटरी कमेटी के गठन की घोषणा कर दी है। मैं उन्हें इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन यह काम देर से किया गया। यदि यही काम पहले कर दिया होता, तो मैं समझता हूं कि विंटर सेशन को ब्लॉक होने से रोका जा सकता था। जिस समय हम लोग इसकी मांग कर रहे थे, उस समय यह कहा जा रहा था कि जो टेलिकॉम पॉलिसी एनडीए सरकार के समय थी, उसी के आधार पर ही कांग्रेस-लेड यूपीए गवर्नमेंट के टेलिकॉम मिनिस्टर ने अपना डिसीजन लिया है। उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि आप जब से जांच कराना चाहते हैं—वर्ष 2002 से, वर्ष 1999 से या वर्ष 1951 से, उसके लिए हम तैयार हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जेपीसी का गठन नहीं किया गया। कभी-कभी मैं यह सोचता हूं कि क्या हमारी एनडीए सरकार द्वारा कोई गलती हो गयी, क्या हमने इस देश में संचार क्रांति

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री राजनाथ सिंह]

लाकर कोई अपराध कर दिया।...*(व्यवधान)* महोदया, यदि ऐसे ही शोर-शराबा होता रहेगा, तो मैं अपनी बात 40-45 मिनट में पूरा नहीं कर पाऊंगा। कृपया आप मुझे संरक्षण दीजिए।...*(व्यवधान)* मैं सोच रहा था कि क्या एनडीए सरकार ने इस देश में संचार क्रांति लाकर कोई गलती कर दी।...*(व्यवधान)*

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री कांति लाल भूरिया) : संचार क्रांति राजीव गांधी जी जाए थे।

श्री राजनाथ सिंह : महोदया, ऐसा मैं इसलिए सोच रहा था कि यदि हम लोग संचार क्रांति न लाए होते, तो शायद 2जी स्पेक्ट्रम स्कीम भी इस देश में न हुआ होता। हमने संचार क्रांति की, तो आपने 2 जी स्पेक्ट्रम स्कैम कर दिया।...*(व्यवधान)* हमने इस देश को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाया, तो इन्होंने खाद्यान्न घोटाला कर दिया। स्पेस साइंस में चंद्रयान अभियान की नींव रखकर हमने लंबी छलांग लगाई, तो इन्होंने एस-बैंड स्पेक्ट्रम घोटाला कर दिया। मैं अन्य सारे घोटालों की चर्चा नहीं करना चाहता हूं। कॉमनवेल्थ गेम्स, आदर्श सोसाइटी आदि घोटाले अपनी जगह हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाएं।

श्री राजनाथ सिंह : प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन पहले टीवी न्यूज चैनल्स के संपादकों को बुलाकर उनके साथ एक प्रैस कांफ्रेंस की थी। मैंने प्रधानमंत्री जी की नीयत पर कभी संदेह नहीं किया और न ही करना चाहता हूं। मैं इस पर कोई सवालिया निशान नहीं लगाना चाहता। लेकिन प्रधान मंत्री जी ने उस प्रैस कांफ्रेंस में जब यह कहा कि मैं उतना दोषी नहीं, जितना दोषी हमें बताया जा रहा है। यह सुनकर पहले तो मेरे मन में यह विचार आया कि उनका कौन मीडिया एडवाइजर है जिसने ऐसा स्टेटमेंट प्रधानमंत्री जी से दिलवाया अथवा भोले-भाले प्रधानमंत्री जी ने स्वतः ही तो नहीं ऐसा स्टेटमेंट दिया। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह तो मैं भी जानता हूं कि इतने बड़े घोटाले हुए हैं, कोई एक, दो या चार व्यक्ति नहीं कर सकते, कई होंगे, इतनी बात तो मैं जानता हूं। लेकिन देश को यह कौन बताएगा कि इतने सारे घोटालों और भ्रष्टाचार के लिए यूपीए और कांग्रेस पार्टी की सरकार तथा प्रधानमंत्री जी जिम्मेदार नहीं हैं। तो फिर कौन है, देश यह बात जानना चाहता है? यह मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं?

सारा देश उन सारी घटनाओं को देख चुका है, चाहे क्वात्रोची के लंदन में एकाउंट की बात हो कि कैसे लंदन के खाते से उसका पैसा कहां ट्रंसफर हो जाता है, जिसका पता नहीं लगता या हसन अली का पैसा विदेश में कहां से कहां चला जाता है और उसका कहीं पता नहीं चलता। सब मिलाकर मैं विचार करता हूं तो इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि पूरे कुएं में ही इस समय भांग पड़ी हुई है।

मैं यहां पर एक प्रसंग की चर्चा करना चाहूंगा। संत सूरदास जी के एक प्रसंग का जिक्र करूंगा जिसमें उन्होंने कहा है कि कैसे श्रीकृष्ण के वियोग में गोपियां व्याकुल थीं, तब भगवान श्रीकृष्ण ने उद्धव से कहा कि आप जाकर गोपियों को समझाएं। जब उद्धव ने एक गोपी को समझाया और फिर दूसरी गोपी की हालत देखी कि वह भी उसी तरह वियोग में कितनी व्याकुल और परेशान है तो उद्धव थक गए और कहने लगे कि इन्हें समझाना बेकार है, क्योंकि सारी गोपियों ने एक ही कुएं का पानी पीया है, जिसमें भांग पड़ी हुई है। अंततः वह भी थक कर बैठ गए और कहने लगे कि छोड़ो, इन्हें समझाने की जरूरत नहीं है।

यहां पर सदन के नेता बैठे हैं, मैं कहना चहाता हूं कि क्या हमारे प्रधानमंत्री जी परेशान हो गए हैं, जो बता नहीं पा रहे हैं कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है और क्या वह थक-हारकर बैठ गए हैं? जितने भी मामले प्रकाश में आए हैं, यह यूपीए-कांग्रेस पार्टी की सरकार क्राइसेज ऑफ क्रेडिबिलिटी की शिकार हो रही है। किसी भी सरकार को चलाने के लिए दो बातें जरूर होनी चाहिए क्रेडिबिलिटी और स्ट्रांग विल पावर। इस सरकार के पास इन दोनों चीजों की कमी दिखाई पड़ती है। वैसे महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस बात का उल्लेख किया है कि बहुत सारे लीगल फ्रेमवर्क तैयार किए जाएंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ यह कार्रवाई होगी, वह कार्रवाई होगी, ऐसी बहुत सी बातें कही गई हैं। लेकिन देश इस समय सुनना नहीं चाहता है कि आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं, बल्कि देखना चहाता है कि इस सकरार के द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या प्रभावी और कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। जनता को इनकी बातों पर इसलिए विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि इस सरकार की कथनी और करनी में फर्क दिखाई दे रहा है।

श्री कांति लाल भूरिया : कर्नाटक के बारे में भी बताएं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : कृपया शांत रहें और आप बैठ जाएं।

अध्यक्ष महोदया : आप चुप बैठ जाइए। शांत हो जाइए।

[अनुवाद]

सभा में व्यवस्था बनाए रखिए।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सिंह : एक संवैधानिक अथॉरिटी कम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है। मैं इस सदन में खड़े होकर कम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को बधाई देना चाहता हूं, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं

कि 2जी स्पेक्ट्रम के मामले में जो स्कैम हुआ था, उसे उजागर करने का काम उन्होंने किया है। लेकिन वहीं पर मैं कांग्रेस और यूपीए सरकार के एक सीनियर मिनिस्टर को कंडेम करना चाहता हूं कि जिसने कम्पट्रोर एंड ऑडिट जनरल की आलोचना की और ए. राजा, जा आज जेल की सींखचों के पीछे हैं उन्हें क्लीन-चिट देने का काम किया। मैडम, यह क्रीमनल अटैम्प्ट है। जब भी नेता सदन जवाब देने के लिए खड़े हों, वे बताएं कि उनके सीनियर मिनिस्टर ने ऐसा क्यों कहा। एत्र राजा, जो आज जेल की सींखचों के पीछे हैं? उनको क्लीनचिट देने का काम किया गया और एक संवैधनिक अथॉरिटी कम्प्ट्रोरल एंड ऑडिटर जनरल को बदनाम करने की क्यों कोशिश की गई?

भ्रष्टाचार का आलम तो इस सीमा तक पहुंच चुका है कि प्रधानमंत्री जी के अधीन भी जो विभाग आता है, उसमें भी एक हजार करोड़ रुपये में, दो लाख करोड़ रुपये की सम्पत्ति बेच दी जाती है, यह हालात आज हो गए हैं। देवास मल्टी-मीडिया और एंट्रीक्स को सभी जानते हैं। एंट्रीक्स, इसरो की एक कमर्शियल विंग है और उकसे साथ डील हो जाती है और मई के महीने में हिंदू बिजनेस लाइन ने इसका रहस्योद्घाटन किया और जुलाई 2010 में स्पेस कमीशन और एडीशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि यह डील नहीं होनी चाहिए, यह डील रद्द कर दी जानी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी यह डील रद्द नहीं हुई थी। फरवरी 2011 में इस डील को स्क्रेप करने का काम भारत सरकार की कैबिनेट ने किया है। इतनी देर क्यों हुई? अब डील तो स्क्रेप हो गई लेकिन कौन लोग इस डील के लिए रिस्पोन्सिबल थे, कम से कम देश को इस बात का पता तो लगना चाहिए, उन्हें तो दंडित किया जाना चाहिए। मैडम, इस कांग्रेस और यूपीए गवर्नमेंट में सभी लोग सही-सलामत हैं, फिर भी भ्रष्टाचार के इतने मामले उजागर हो रहे हैं और इन्हें वे मामले दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं, यह बात मुझे समझ में नहीं आती है। महाभारत के एक प्रसंग का यहां मैं उल्लेख करना चहूंगा। धृतराष्ट्र राजा थे। यहां मैंने सभी को सही-सलामत कहा है, किसी को धृतराष्ट्र नहीं कहा है। लेकिन कुरुक्षेत्र में क्या चल रहा था इसे वे संजय के माध्यम से, लाइव टैलीकास्ट के माध्यम से जानते थे, लेकिन लगता है कि इस गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई संजय नहीं है। एक संजय निरूपम जी यहां बैठे हुए हैं।

अपराह्न 3.29 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

उपाध्यक्ष जी, जहां तक इस गवर्नमेंट की करप्शन से लड़ने की इंटेंशन का प्रश्न है उस पर सवालिया निशान लगाता हूं। सीवीसी के सिलेक्शन का मामला था। यहां अपोजीशन लीडर माननीय सुषमा स्वराज जी बैठी हैं।

सुषमा जी ने इसका सख्त विरोध किया था और कहा था कि ये केरल में पामोलीन आयल के मामले में चार्जशीटेड हैं।

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : मैं अध्यक्षपीठ के ध्यान में लाना चाहूंगा कि मामला न्यायधीन है। क्या हम इस पर यहां चर्चा करना चाहेंगे? यह उन पर निर्भर है।

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : वह एक वरिष्ठ नेता हैं।

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल : माननीय सदस्य बोलते हुए इतने बह न जाएं कि जो भी मन में अए, वह कह जाएं।

श्री राजनाथ सिंह : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मैं कभी बहकता नहीं हूं। बहुत सोच-समझकर बोलने का आदी हूं और बराबर नाप-तौल कर बोलता हूं।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन (भागलपुर) : माले गांव की बात कही गई, क्या वह मैटर सब-ज्यूडिस नहीं है। तब बंसल साहब चुप बैठे रहे।

अपराह्न 3.31 बजे

(श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना *पीठासीन हुए)*

श्री राजनाथ सिंह : महोदय, मैं जानता हूं कि यह मामला सब-ज्यूडिस है। मैं कोई ऐसी बात नहीं बोलूंगा, जिससे न्यायिक प्रक्रिया में किसी प्रकार का हस्तक्षेप हो। मैं केवल सरकार की इन्टेंशन की बात कर रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा फटकार लगाए जाने के बावजूद आप बराबर उस सीवीसी को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इसकी आलोचना करता हूं कि आपकी भ्रष्टाचार से लड़ने की नीयत नहीं है।

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल : मैं यही बात कह रहा था। सभा में यही बात कही जानी थी। चूंकि यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सिंह : महोदय, प्रधानमंत्री जी ने अपनी प्रैस कान्फ्रेंस में कहा कि गठबंधन सरकार की अपनी कुछ मजबूरियां होती हैं। जब प्रधानमंत्री जी थैंक्स मोशन पर रिप्लाई करें, तब कृपया बताएं कि गठबंधन सरकार की क्या–क्या मजबूरियां होती हैं। मैं जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री किस दबाव में हैं।...*(व्यवधान)* क्या मजबूरियें का सहारा लेकर हम इसी प्रकार से भ्रष्टाचार को पनपने देंगे, इस संबंध में भी हमें विचार करने की जरूरत है। मैं इस बात को जानता हूं कि गठबंधन सरकार की कोई बाध्यता नहीं है, क्योंकि जिस समये इंडो–यूएस न्यूक्लियर डील का मामला था, तब कांग्रेस ने यूपीए सरकार को सपोर्ट करने वाली किसी भी वामपंथी पार्टी की एक भी बात प्रधानमंत्री जी ने नहीं सुनी थी। हमें वह दिन अभी तक याद है। आज कौन–सी मजबूरी आ गई, किस गठबंधन पार्टी की मजबूरी है, किसका प्रेशर है कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही नहीं कर पा रहे हैं। कौन–कौन सी ऐसी अदृश्य सत्ता है, जो आपको काम करने से रोक रही है? हम राजनीति करते हैं, तो केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करते हैं, हम देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं, मैं इस सच्चाई को उजागर करना चाहता हूं। बाध्यता क्या होती है, प्रेशर क्या होता है, सरकार है तो वह सरकार के तरीके से ही चलनी चाहिए। देश सरकार के माध्यम से गुड गवर्नेंस चाहता है।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री राजनाथ सिंह के कथन के अलावा कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया सभा में गरिमा बनाए रखें।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सिंह : महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में ब्लैक मनी की चर्चा की है। आपको भी निश्चित रूप से जानकारी होगी कि विश्व की जानी मानी संस्था 'ग्लोब फाइनेंशियल इंट्रीग्रिटी' है, इस संस्था ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि वर्ष 2008 तक लगभग 640 अरब डॉलर भारत का गलत तरीके से कमाया गया पैसा काले धने के रूप में दुनिया के दूसरे देशों में बैंकों में है।

जहां तक भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का प्रश्न है, जिस समय लोकसभा का आम चुनाव हो रहा था उस समय आदरणीय नेता आडवाणी जी ने इस प्रश्न को खड़ा किया था और इस देश की जनता को आश्वस्त किया था कि यदि एनडीए को सरकार बनाने का अवसर मिला तो ब्लैक मनी, जो दुनिया के दूसरे देशों में जमा है उसे भारत में लाएंगे और भारत में गरीबी, बेरोजगारी की जो समस्याएं और चुनौतियां हैं, उससे मजबूती के साथ निपटेंगे। उस ब्लैक मनी को दुनिया के दूसरे देशों से भारत में लाने के लिए वापिस लाने के लिए सरकार द्वारा प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए थे, लेकिन मुझे कुछ ऐसा दिखाई नहीं दिया कि सरकार ने कोई प्रभावी कदम इस देश में ब्लैक मनी को लाने के लिए उठाया है।

अब मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन 2005 में हो चुका है लेकिन आज तक संसद द्वारा जो रेटिफिकेशन होना चाहिए था, इस सरकर ने रेटिफिकेशन कराने की जहमत नहीं उठाई। कैसे मान लिया जाए कि यह सरकार ब्लैक मनी को अपने देश में लाने के लिए गंभीर है? मैं यूएस का उदाहरण देना चाहता हूं कि यूएस के 4500 एकाउंट होल्डर्स स्विट्जरलैंड में थे, यूएस ने उनके नामों की जानकारी स्विट्जरलैंड पर प्रैशर बिल्डअप करके हासिल कर ली। जर्मनी में लिंचेस्टाइन एक छोटा सा द्वीप है? के एलजीटी बैंक में किसी जर्मनी व्यक्ति ने घूस देकर जानकारी हासिल कर ली कि जर्मनी के किन लोगों का ब्लैक मनी जमा है। लेकिन आज तक हमारी सरकार यह जानकारी हासिल नहीं कर पाई कि हमारे देश में रहने वाले कौन से एकाउंट होल्डर्स हैं, जिन्होंने दुनिया के दूसरे देशों की बैंकों में पैसा जमा किया है।

महोदय, यहां बराबर इंटरनेशनल ट्रीटी बाध्यता की बात की जाती हैं यदि अमेरिका इंटनेशनल ट्रीटी करके ब्लैकमनी हासिल कर सकता है, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और यूरोपियन कंट्रीज ब्लैक मनी हासिल कर सकते हैं तो भारत सरकार क्यों हासिल नहीं कर सकती है, यह बात हमारी समझ के परे हैं। मैं यूपीए सरकार से मांग करना चाहता हूं, माननीय प्रणब मुखर्जी नेता सदन यहां बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ब्लैकमनी को लेकर देश काफी चिंतित है। जनमानस कब उद्वेलित हो उठेगा, कब जन आक्रोश भड़क उठेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता इसलिए आप ब्लैकमनी पर एक व्हाइट पेपर जारी कीजिए और देशवासियों को बताइए कि इस वक्त देश का कितना काला धन दूसरे देशों की बेंकों में जमा है। यह किस–किसका है, आप इसकी पूरी

* कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

जानकारी अभी तो नहीं दे पाए। मैं यह पूछना चाहता हूं कि अब तक आपकी सरकार ने ब्लैकमनी को भारत में वापिस लाने के लिए क्या प्रयास किया है? इन सब चीजों पर एक काम्प्रीहेंसिव व्हाइट पेपर जारी किया जाना चाहिए, यह मेरी मांग है

महोदय, जहा तक इकनॉमिक फ्रंट का प्रश्न है, मैं कहना चाहता हूं कि आर्थिक मोर्चे पर यह सरकार पूरी तरह से विफल रही है। यूपीए का साढ़े छः-सात वर्षों का समय सरकार के रूप में काम करते हुए गुजर चुका है। सभापति महोदय, आपने भी यह महसूस किया होगा कि जब से कांग्रेस, यूपीए सरकार आई है तब से महंगाई के निरंतर बढ़ने का सिलसिला जारी है। यहां आंकड़े दिए जा रहे हैं कि रेट ऑफ इन्फलेशन कम हो गया है। कितना कम हुआ है? यह आज भी आठ परसेंट से ज्यादा है। एनडीए ने छः वर्षों तक इस देश में सरकार चलाई है।....*(व्यवधान)*

वह तो 18-19 पहुंच गया था, आज इन्होंने बतलाया तो इन्हीं की बात को सच मान लीजिए। यह डबल डिजिट से नीचे कभी आया ही नहीं। लेकिन जो उन्होंने कहा है, यदि मैं उनकी बात मान भी लूं, इसलिए मैं कह रहा हूं। लेकिन हम लोगों ने भी छः वर्षों तक इस देश में हुकूमत चलाई है। महोदय, आप जानते हैं कि हम लोगों ने रेट ऑफ इंफ्लेशन को 3 से 6 प्रतिशत के बीच लगातार बांधे रखने मे सफलता प्राप्त की है। क्या कारण है, यदि हम छः वर्षों तक रेट ऑफ इंफ्लेशन को कंट्रोल रखने में सफलता हासिल कर सकते हैं तो यह सरकार छः महीने, आठ महीने या एक साल भी रेट ऑफ इंफ्लेशन को बांधने में सफल क्यों नहीं हो पाती है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है?

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : उस समय विकास दर क्या थी? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सिंह : ....*(व्यवधान)* हम लोगों के समय भी ग्रोथ रेट 8 परसेंट तक....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : यह बिलकुल गलत है। कृपया अपने आंकड़ों की जांच कीजिए। आपकी औसत विकास दर 5.80 प्रतिशत थी। हमारी औसत विकास दर 8.5 प्रतिशत थी।....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित कीजिए।

....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सिंह : ग्रोथ रेट को कभी महंगाई के साथ को-रिलेट नहीं किया जा सकता है। ग्रोथ रेट को महंगाई के साथ को-रिलेट मत करिए। पहले की अपेक्षा हमारो ग्रोथरेट ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : कृपया मेरी बात मानिए। हम ऐसा इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि उच्च विकास दर है, इसलिए उच्च मुद्रास्फीति होनी चाहिए। हमने आपसे यही पूछा था। जब आप कम मुद्रास्फीति की बात करते हैं, तो आप अपने दौर में कम विकास दर की बात कीजिए। आपने गलत आंकड़े दिए और मैं केवल आपके आंकड़े ठीक कर रहा था। अगर यहां श्री यशवंत सिन्हा जी होते तो आपके वक्तव्य से काफी शर्मिंदा होते।....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया आपस में बात मत कीजिए।

....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सिंह : सभापति महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि कब तक....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया व्यवधान न डालें।

....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सिंह : कभी यह गवर्नमेंट यह कहकर महंगाई से मुंह चुराने की कोशिश करती है कि ग्लोबल इकोनोमिक रिसैशन है और भारत इस ग्लोबल इकोनोमिक रिसैशन से अछूता नहीं रह सकता है, इस कारण महंगाई बढ़ रही है। कभी यह गवर्नमेंट कहती है कि जीडीपी बढ़ रहा है, इस कारण महंगाई बढ़ रही है। यही सारे तर्क इस गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं। लेकिन मैं कमहना चाहता हूं कि यदि महंगाई बढ़ रही है तो प्रमुख रूप से उसके तीन कारण हैं । प्रथम इस गवर्नमेंट की रांग इकोनोमिक पालिसी, संग इकोनामिक प्लानिंग और करप्शन, कवेल यही तीन कारण हैं और इन्हीं तीन कारणों से इस देश में तेजी से महंगाई बढ़ रही है। महंगाई का आलम इस सीमा तक पहुंच गया है कि कुछ दिनों में यदि कोई व्यक्ति किसी दुकान पर कोई सामान खरीदने के लिए जाएगा तो वह किलो के भाव में चावल नहीं खरीदेगा, वह कहेगा एक रूपया जोड़ी चावल दे दो, एक रुपया जोड़ी गेहूं दे दो, आज महंगाई की यह हालत हो गई है अभी प्याज की कीमत आसमान चूम रही थी। इसमें एक चौथा कारण यह हो सकता है कि प्रधान मंत्री जी ने जो कहा है कि कोएलीशन गवर्नमेंट होने के कारण हमारी सीमाएं हैं, हमारी मजबूरियां हैं। चाणक्य ने अर्थशास्त्र की एक पुस्तक लिखी है,

[श्री राजनाथ सिंह]

जो बहुत मानी–जानी पुस्तक है। यह देश–विदेश में सभी स्थानों पर पढ़ी जाती है। चाणक्य ने जो कहा है, मैं उसका उल्लेख करना चाहता हूं–

[अनुवाद]

"अगर दो राजा हों तो राज्य का विनाश हो जाता है, प्रत्येक राजा आपसी प्रतिद्वंद्विता तथा घृणा के माध्यम से अपने स्वयं के समूह की तरफदारी करता है।"

[हिन्दी]

मुझे लगता है कि सबसे बड़ा यही कारण है कि कई पावर सैन्टर्स हो गए हैं। इन्होंने तो केवल टू पावर सैंटर्स की बात कही है, लेकिन मैं केवल टू पावर सैंटर्स की बात नहीं कह रहा हूं, कई पावर सैंटर्स की बात कर रहा हूं।....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : अगर आप जो भी कह रहे हैं वह ठीक है तो कृपया केवल 1–2 प्रश्नों का उत्तर दें; मैं आपसे विनम्रता से पूछ रहा हूं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया उनका उत्तर दें। उन्हें उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप जो कह रहे हैं वह ठीक है – अगर आपकी सभी नतियां ठीक थीं और हमारी नीतियां गलत थी, लो लोगों ने वर्ष 2004 में एनडीए को क्यों हराया और वर्ष 2009 में उन्होंने एनडीए को क्यों और ज्यादा करारी शिकस्त दी? वे दो राजा कौन हैं जिन्होंने वर्ष 2004 में एनडीए शासन को समाप्त कर दिया?

सभापति महोदय : श्री राजनाथ सिंह के कथन के अलावा कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सिंह : सभापति महोदय, यदि मैं होम मिनिस्टर साहब से यह सवाल करूं तो क्या वे बता सकते हैं कि यदि सैंट्रल गवर्नमेंट की सारी नीतियां अच्छी थीं तो बिहार के चुनावों में कांग्रेस की ऐसी दुर्गति क्यों हुई?

सभापति महोदय, मैं सरकार को एक सुझाव देना चाहता हूं कि वह गठबंधन की सरकार चलाने के लिए अधर्म का सहारा न लें। यदि 1999 में हमने गठबंधन की सरकार को चलाने के लिए अधर्म का सहारा लिया होता तो हमारी एन.डी.ए. सरकार उस समय एक वोट से न गिरती। हमने गठबंधन की सरकार को चलाने के लिए कभी अधर्म का सहारा नहीं लिया हैं क्योंकि हर धर्म से....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण कृपया टिप्पणियां करने से बचें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सिंह : सभापति महोदय, गठबंधन धर्म से बड़ा धर्म अगर कोई होता है तो वह राष्ट्र धर्म होता है। सरकार को अपने राष्ट्र धर्म का पालन करना चाहिए, बारबार गठबंधन धर्म की चिंता नहीं करनी चाहिए और गठबंधन धर्म की मजबूरियों की सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं की जानी चाहिए।....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री राजनाथ सिंह के कथन के अलावा कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सिंह : सभापति महोदय, माननीय होम मिनिस्टर साहब, मैं गांव का रहने वाला हूं। मैं जानता हूं महंगाई के बारे में, कि यदि महंगाई थोड़ी–बहुत बढ़ जाए, यदि गांव में रहने वाले किसानों और गरीबों की हालत कमोबेश कुछ ठीक रहती है तो महंगाई की चुनौती को भी वे स्वीकार कर लेते हैं और महंगाई की मार को भी वे झेल लेते हैं। लेकिन इस सरकार के आने के बाद कृषि क्षेत्र में एक इतना बड़ा संकट पैदा हुआ है कि गांवों में गरीबों और किसानों की हालत पहले से बदतर हुई है। इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट की बात सरकार द्वारा गांवों की जाती है लेकिन इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर कुछ खास अभी तक पिछले साढ़े छह सालों में नहीं हुआ है, मैं आपको यह जानकारी देना चाहता हूं। सरकार द्वारा इस बात का दावा किया जाता है....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

* कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

* कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सिंह : सभापति जी, मैं आपकी तरफ ही देख रहा हूं। जहां तक राईस और व्हीट का सवाल है, उसके लिए सरकार द्वारा दावा किया जाता है कि उसने मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ा दी है। सरकार ने एमएसपी तो बढ़ा दी है। लेकिन इस बात की चिंता सरकार ने नहीं की है कि हमारे किसानों की जो इनपुट कॉस्ट है, वह कितनी बढ़ी है? इनपुट कॉस्ट बढ़ जाने के परिणामस्वरूप भले ही सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ा कर दे रही हो लेकिन किसानों को अपने द्वारा पैदा किए हुए फूडग्रेन्स का जो लाभ मिलना चाहिए था, उसकी उचित कीमत मिलनी चाहिए, वह किसानों को नहीं मिल पा रही है।

सभापति महोदय, मैं एन.एस.एस.ओ. के एक आंकड़े की चर्चा करना चाहूंगा। उसने कहा है कि एक कृषक परिवार की औसत आमदनी वर्ष 2003-04 में 2115 रुपये थी लेकिन वर्ष 2011 में बढ़कर केवल 2400 रुपए हुई है। सरकार कल्पना कर सकती है कि यदि एन.एस.एस.ओ. का आंकड़ा यह कह रहा है कि किसान परिवार की आमदनी केव 2400 रुपए प्रतिवर्ष है तो इसका मतलब है कि हिंदुस्तान का अधिकांश किसान गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन निर्वाह करने के लिए मजबूर है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कृषि क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया किस तरह से व्यवहार कर रहा है? मैं इसी संसद में वे सड़े हुए गेहूं दिखा चुका हूं। जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के वेयरहाऊसेस हैं, उनके बाहर खुले आमसान के नीचे सड़ रहा है लेकिन यह सरकार इतनी असंवेदनशील है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गेहूं खुले आसमान के नीचे सड़ रहा है, गरीबों में इसे मुफ्त बांट दिया जाना चाहिए, लेकिन इस गवर्नमेंट ने दो-टूक जवाब दिया कि हम किसी भी सूरत में मुफ्त गेहूं गरीबों के बीच वितरित नहीं कर सकते हैं। इससे बड़ी असंवेदनशीलता किसी सरकार की और क्या हो सकती है? विकास का दावा भी इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है। मैं भी सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रह चुका हूं। उस समय की एनडीए गवर्नमेंट ने यह फैसला किया था कि वर्ष 2005 तक नेशनल हाइवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का काम हम पूरा कर लेंगे।

महोदय, आज मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि अब हम वर्ष 2011 से गुजर रहे हैं, लेकिन आज तक नेशनल हाइवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के प्रथम फेज का भी काम पूरा नहीं हुआ है। जिन प्रोजेक्ट्स की डीपीआर वर्ष 2006-07 में बन चुकी है, आज तक वे प्रोजेक्ट्स एवॉर्ड नहीं हो पाए हैं। कहा जाता है कि लैंड एक्वीजिशन के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। लैंड एक्वीजिशन की प्रॉब्लम है तो क्यों नहीं लैंड एक्जीविशन अमेंडमेंट बिल आप ले आते हैं? आपने कहा था कि हम जल्दी से जल्दी उसे ले आएंगे। अभी आपने गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा में देखा होगा कि किसान लैंड एकवीजिशन की समस्या को लेकर धरने पर बैठे हुए थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने उन किसानों के ऊपर गोली चलायी है और उकसे कारण चार किसान घायल हुए हैं। लैंड एक्वीजिशन को लेकर सारे देश के किसान उद्वेलित हैं।

महोदय, लैंड एक्वीजिशन अमेंडमेंटबल जितनी जल्द इस सदन में लाया जाना चाहिए, वह नहीं लाया जा रहा है। मैं नेता सदन से आग्रह करूंगा कि जल्दी से जल्दी वह बिल सदन में लाया जाना चाहिए। जहां तक मनरेगा का प्रश्न है, मनरेगा अपने आप में एक अच्छी योजना है। मैं यह मानता हूं कि मनरेगा पर जो किया जा रहा है, वह एक प्रकार का अनप्रोडक्टिव प्रोडक्टिव एक्सपेंस है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप इसमें बजट एलोकेशन भी बढ़ाने जा रहे हैं, आप सोशल ऑडिटिंग भी कराते हैं, लेकिन हमारा इसमें एक सुझाव है। आप जिला स्तर पर चार्टर्ड एकाउंटेंट्स रखिए और उनके द्वारा भी आप इसकी ऑडिटिंग कराइए। तभी जाकर इसकी प्रॉपर ऑडिटिंग और मानीटरिंग हो पाएगी, यह मैं एक सुझाव आपको देना चाहता हूं।

महोदय, जीएसटी, गुड्स, एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में कहना चाहता हूं। वित्त मंत्री जी ने फैसला किया है कि एक अप्रैल 2011 से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रिजिम लागू करने वाले हैं। मैं जानता हूं कि आपने बैठक बुलाई थी, लेकिन उन मिनिस्टर्स की बैठक में कन्सेन्सस नहीं बन पाया है, लेकिन मैं आपसे इतना अनुरोध जरूर करूंगा कि आप इसमें कंसेंसस बनाने की कोशिश कीजिए और तभी आप गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रिजिम लागू कीजिए मुझे उस समय आश्चर्य हुआ जब प्रधानमंत्री जी ने यह कह दिया कि चूंकि अमित शाह, गुजरात के, जो इस समय जेल में पड़े हुए हैं, इसलिए रिएक्शन में गुजरात की सरकार इस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का विरोध कर रही है। ....*(व्यवधान)*

महोदय, नेता सदन जब उत्तर देने के लिए खड़े होंगे तो मैं उनसे जानना चाहूंगा, हमें इसका जवाब मिलना चाहिए कि किस व्यक्ति न प्रधानमंत्री जी को अथवा किसी मंत्री से यह कहा था कि अमित शाह के खिलाफ कार्रवाई मत कीजिए और तब हम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का समर्थन करेंगे। मैं इसका उत्तर चाहूंगा कि यह गुजरात के किस मंत्री ने, मुख्यमंत्री ने अथवा किस भाजपा के नेता ने ऐसा कहा था। केवल अनर्गल किसी के ऊपर आरोप लगा देना, मान्यवर इसे कदापि मर्यादित नहीं कहा जा सकता है, उचित नहीं कहा जा सकता है।....*(व्यवधान)*

[श्री राजनाथ सिंह]

महोदय, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का संकट भी इस कांग्रेस, यूपीए गवर्नमेंट के शासनकाल में निरंतर गहरा हुआ है। जहां तक नक्सलवाद का प्रश्न है, अभी माननीय गृह मंत्री जी चले गए हैं, उन्होंने बहुत दम-खम के साथ यह बात कही थी कि नक्सलवाद के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जायेगी। सारे देश को एक आशा जगी थी कि निश्चित रूप से नक्सलवाद के खिलाफ कोई न कोई कठोर कार्रवाई होगी। तब इसी कांग्रेस पार्टी के ही एक जनरल सेक्रेट्री ने होम मिनिस्टर के ऊपर इंटलेक्चुअल एरोगेंस का आरोप मढ़ दिया और उसका उन्होंने विरोध कर डाला। मैंने देखा कि किसी भी समाचार पत्र में जनरल सेक्रेट्री के उस स्टेटमेंट की कांग्रेस पार्टी के हाई कमान ने कभी भी आलोचना नहीं की। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस कांग्रेस, यूपीए गवर्नमेंट में कई पावर सेंटर्स हैं।

हमारा कहना है कि नक्सलवाद से निपटने के लिए आपकी क्या योजना है, इसकी जानकारी सदन को भी होनी चाहिए। मैं जानता हूं कि नक्सलवाद के संकट से कवेल कठोर कार्रवाई के माध्यम से निपटा नहीं जा सकता बल्कि इसके लिए सोशियो पोलिटिकल एफर्ट्स होने चाहिए, यह भी एक तरीका है। राजनीतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर भी इससे निपटने की कोशिश की जानी चाहिए और कठोर कार्रवाई भी की जानी चाहिए। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर इस नक्सलवाद के संकट से निपटने के लिए हम कोई कार्य योजना बनाएंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में नॉर्थईस्ट के उग्रवाद की बिल्कुल चर्चा नहीं की गई। बंग्लादेशी घुसपैठ जिस तेजी से असम के साथ-साथ नार्थ-ईस्ट के दूसरे राज्यों में हो रही है, उसको रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावी दम उठाए जा रहे हैं, इस संबंध में भी कोई चर्चा नहीं की गई। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि चाहे सुरक्षा का प्रश्न हो, चाहे इस देश की संप्रभुता का प्रश्न हो अथवा स्वाभिमान का प्रश्न हो, सब पर गहरे आघात हो रहे हैं, बराबर उन पर चोट पहुंचाई जा रही है। एक प्रमुख लेखिका हैं जो भारत की राजधानी दिल्ली में आकर तरह-तरह के बयान देकर चली जाती हैं। हुर्रियत कॉनफ्रेंस का कोई लीडर आता है जो यहां बयान देकर चला जाता है कि काश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती।...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी) : किसने कहा कि भारत का हिस्सा नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्री राजनाथ सिंह : यदि सभापति महोदय कहें तो मैं नाम कोट कर दूंगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

माननीय सदस्यगण कृपया आपस में बातचीत न करें। कृपया व्यवधान न डालें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सिंह : मुलायम सिंह जी, क्या उस स्टेटमेंट को आपने नहीं पढ़ा है जिसमें जम्मू काश्मीर के चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि आज तक जम्मू-काश्मीर का भारत में पूर्ण विलय नहीं हुआ।

श्री मुलायम सिंह यादव : आपकी पार्टी के बयान मेरी पार्टी के नेता के खिलाफ आए थे, यह मैंने पूछा था।

श्री राजनाथ सिंह : मैं आपके बारे में नहीं कह रहा हूं।

श्री मुलायम सिंह यादव : पार्टी के बारे में कह रहे हैं।

श्री राजनाथ सिंह : आपकी पार्टी के बारे में भी नहीं कह रहा हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अध्यक्ष पीठ को संबोधित करें।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सिंह : सभापति महोदय, उधर से शोर-शराबा हो रहा है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्य आपको जवाब नहीं देना चाहिए था। कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सिंह : पीडीपी के नेता ने जम्मू काश्मीर का एक मानचित्र दिखाया जिसमें जम्मू काश्मीर के कई हिस्सों को चीन के कब्जे में दिखाया जिसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई करने में सरकार की क्या मजबूरी है, यह हमारी समझ में नहीं आया। लेनिक यदि हमारे कुछ उत्साही नौजवान गणतंत्र दिवस के अवसर पर काश्मीर के लाल चौक पर भारत का तिरंगा झंडा फहराना चाहते हैं तो उनकी गिरफ्तारी कर ली जाती है, उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं। इतना ही नहीं, संसद के दोनों सदनों के विपक्ष के नेता, हमारी लोक

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभा में प्रतिपक्ष की नेता सुषमा स्वराज और राज्य सभा में प्रतिपक्ष के नेता श्री अरुण जेटली को गिरफ्तार किया जाता है।...*(व्यवधान)* बाध्य होकर मुझे भी राजघाट पर अनशन पर बैठना पड़ा। ऐसे हालत पैदा होते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाइये। टिप्पणी मत करें।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए। आपके नेता बोल रहे हैं। कृपया उनकी बात में व्यवधान न डालें।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, क्या अब इस देश में राष्ट्रद्रोहियों का स्वागत होगा और जो राष्ट्रभक्त हैं, उनको लानत झेलनी पड़ेगी, क्या यही अब देश में होगा? कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार को इस संबंध में भी विचार करेन की आवश्यकता है। मैं कहना चाहता हूं के जम्मू कश्मीर के बारे में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार की पॉलिसी केवल कनफ्यूज्ड ही नहीं है बल्कि सैल्फ डिस्ट्रक्टिव है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया टिप्पणी न करें। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाए।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया अपने आचरण का ध्यान रखें। कपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 4.00 बजे

सभापति महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्यगण, कृपया मर्यादा बनाए रखें। आपके नेता बोल रहे हैं और आप अपने नेता के भाषण में व्यवधान डाल रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सिंह : सभापित महोदय, मैं सरकार से यही कहना चाहता हूं कि आपकी नीति विजनरी न होकर ऑग्जलरी है। जम्मू-कश्मीर के संबंध में आपकी क्या पॉलिसी है, कृपया सदन को भी अवगत कराने की कृपा करें। आर्टिकल है 370 के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि अब इसे रिव्यू करने का समय आ गया है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया बैठ जाइए। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सिंह : सभापति महोदय, मैं रिव्यू करने की बात इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि यह देखा जाना चाहिए कि आर्टिकल 370 लगने के बाद से जम्मू-कश्मीर को क्या लाभ हुआ है? क्या इसके लगने से वहां गरीबी और बेरोगारी दूर हुई है? यदि आर्टिकल 370 लगने से वहां की गरीबी दूर हुई है, वहां की बेरोजगारी की समसया दूर हुई है और यदि वहां सुरक्षा का संकट समाप्त हो गया हो तो मैं कहूंगा कि आर्टिकल 370 रहनी चाहिए। लेकिन यदि नहीं हुआ है तो आर्टिकल 370 को समाप्त किया जाना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आर्टिक्ल 370 को रिव्यू करने का समय अब आ गया है।

महोदय, वहां सरकार ने कुछ वार्ताकार भेजे हैं। वहां इंटरलोक्यूटर्स गए हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि अफेयर्स पर वे वहां से लाइव कमैंटरी जारी कर रहे हैं। बराबर कुछ न कुछ बोल रहे हैं। उन्हें अपनी रिपोर्ट सब्मिट करना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके अपनी रिपोर्ट वे सब्मिट करं। लेकिन वहां कोई ऑटोनॉमी की मांग करता है, कोई बार्डर को सॉफ्ट करने की मांग करता है, कोई सेल्फ रूल करने की मांग करते हैं। हमारे जो वार्ताकार वहां गए हैं, अपनी लाइव कमैंटरी में इन सारी चीजों का उल्लेख कर देते हैं। मैं सरकर से यह कहूंगा कि उन वार्ताकारों को रोका जाना चाहिए।

महोदय, मैं मिलिट्री के बारे में एक चर्चा यहां करना चाहता हूं।

* कार्यवाही-वृत्तात में सम्मिलित नहीं किया गया।

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री राजनाथ सिंह]

मिलिट्री ट्रूप्स को विड्रा करने की जहां तक बात है। मैं यह बल देकर कहना चाहता हूं कि किसी भी सूरत में कश्मीर से मिलिट्री ट्रूप्स विड्रा नहीं किए जाने चाहिए। आर्म्ड फोर्सिज स्पेशन पावर एक्ट को डाईल्यूट नहीं किया जाना चाहिए। एएफएसपीए को डाईल्यूट करने की बात सरकार के एक मंत्री ने जब कही थी तो सेना प्रमुख ने इसका विरोध किया था और अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। यदि कोई राजनैतिक स्टेटमेंट आ जाए और उसके बाद सेना प्रमुख को बोलना पड़े तो इसे गंभीरतापूर्वक किया जाना चाहिए, हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। इस प्रकार की घटना तीन बार हो चुकी है, जब सेना के अधिकारियों के बयान इस सरकार के बयानों के खिलाफ आए हैं। यह लोकतंत्र के लिए खतरे का संदेश है। इसे हमें समझना चाहिए।

महोदय, इस सरकार के द्वारा इस समय वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि वोट बैंक की राजनीति को छोड़ दीजिए, क्योंकि देश इस समय संकट के दौर से गुजर रहा है। देश को बचा लीजिए, यही अपील मैं कांग्रेस और यूपीए सरकार से करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पूरी तरह से सरकार को सपोर्ट करने को तैयार है, जहां तक देश की सुरक्षा का प्रश्न होगा, देश की एकता, अखंडता और सम्प्रभुता का प्रश्न होगा, वहां हम सभी लोग इस सरकार के साथ खड़े हैं, यह भरोसा और विश्वास भी मैं दिलाना चाहता हूं। लेकिन वोट बैंक की राजनीति की जाती है। हम लोगों ने कभी नहीं कहा कि आतंकवाद किसी मजहब के द्वारा संचालित होता है। लेकिन इन्होंने हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद के नाम से एक नई टर्मलॉजी का इजाद कर दिया है।

क्या आप माइनोरिटीज् के मन में एक सेंस ऑफ फीयर पैदा करना नहीं चाहते हैं?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्य, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सिंह : सभापति महोदय, मैं कहना चहाता हूं कि यदि देश की एकता....*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : धर्म के नाम पर सरकार ने कभी नहीं कहा।....*(व्यवधान)* मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार हमेशा यह कहती है कि आतंकवाद के साथ किसी धर्म का नाम मत लगाइए। कोई भी अगर आतंकवाद में विश्वास रखता है, वह किसी भी धर्म में विश्वास नहीं रखता।

श्री राजनाथ सिंह : पवन कुमार बंसल जी, होम मिनिस्टर ने भगवा आतंकवाद की बात कही थी और आपके जनरल सैक्रेट्री हिन्दू आतंकवाद की बात करते हैं, आप याद करिए।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जैसी राष्ट्रवादी संस्थचाओं को बदनाम करने में जितनी ताकत लगा रहे हैं, यदि उसकी वन/टेंथ ताकत यह गवर्नमेंट पाक स्पोंसर्ड टेरेरिज्म से लड़ने में खर्च करती तो आज दे की हालत ही कुछ और होती।....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्य कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सिंह : एक हद होती है।....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाए।

....*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सिंह : मैं नेता सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आपके कांग्रेस के जनरल सैक्रेट्री ने एक पुस्तक का विमोचन करते हुए कहा कि 26/11 की, जो मुंबई में आतंकवादी वारदात हुई है, उस आतंकवादी वारदात के पीछे यदि किसी के द्वारा कांसपिरेसी रची गई है तो वह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के द्वारा रची गई है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूं कि क्या आपके जनरल सैक्रेटरी सच बोल रहे हैं? वहां का जो मुख्य अभियुक्त कसाब था, उसकी फांसी की सजा को आज ही बहाल किया है, क्या हाई कोर्ट असत्य बोल रहा है? क्या महाराष्ट्र की पुलिस ने जो जांच की थी, वह गलत थी? ये क्या संदेश देना चाहते हैं? साथ ही साथ हमारी जो गुप्तचर एजेंसियां रही हैं, उनके द्वारा जो जांच की गई, क्या वह भी गलत थी?

---

* कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय, मैं इतना की कहना चाहूंगा कि यह पोलिटीकल नही है, जनरल सैक्रेट्री ने यह स्टेटमेंट दिया है।....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया बीच में व्यवधान न डालें।

....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सिंह : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूं....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सिंह : यह स्टेटमेंट देकर जनरल सैक्रेट्री ने पाकिस्तान के पक्ष को मजबूत किया है और अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत के पक्ष को कमजोर करने का काम किया है। क्या इसके लिए उसे कंडम नहीं किया जाना चाहिए?....*(व्यवधान)*

अपराह्न 4.08 बजे

(डॉ. गिरिजा व्यास *पीठासीन हुईं*)

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से नेता सदन का ध्यान भी इस तरफ आकर्षित करना चाहूंगा कि कांग्रेस के एक बड़े प्रमुख जनरल सैक्रेट्री, जिनकी कांग्रेस में बहुत बड़ी हैसियत है, उन्होंने अमेरिका के राजदूत से बात करते हुए कह दिया कि इस भारत को सबसे बड़ा खतरा है तो हिंदू आतंकवाद से है। यह विकिलिक्स ने उजागर किया।...(व्यवधान) मैं ट्रेजरी बेंच के मित्रों का कहना चाहता हूं कि आतंकवाद को धर्मअथवा मजहब के आधार पर बांटने की कोशिश मत करो। आतंकवाद आतंकवाद होता है, इसकी कोई जाति नहीं होती, इसका कोई मजहब एवं धर्म नहीं होता। भारत एक सेक्युलर स्टेट है, जहां हिंदू, मुसलमान और ईसाई भी रहते हैं। मुसलमानों के 70–72 फिरके होते हैं। दुनिया में यदि किसी देश में....*(व्यवधान)*

श्री सुल्तान अहमद (उलुबेरिया) : इतने फिरके नहीं हैं।....*(व्यवधान)*

श्री राजनाथ सिंह : इतने हैं, आपको नहीं मालूम।

सभापति महोदया : आप आपस में चर्चा न करें। कृपा कर आप अपनी बात को जारी रखें।

....*(व्यवधान)*

श्री राजनाथ सिंह : मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं।....*(व्यवधान)* आप मेरी बात सुनिए।....*(व्यवधान)*

महोदया, लेकिन सारे के सारे फिरके यदि आपको कहीं मिलेंगे, तो वे केवल भारत में मिलेंगे, दुनिया में कहीं और नहीं। जहां तक क्रिश्चियन्स का सवाल है, चाहे रोमन कैथलिक हों, चाहे प्रोस्टैंट हों और चाहे इवेंजलिकस हों, सब कुछ यदि मिलूेगा, तो भारत में ही मिलेगा। सीरियन चर्च भी यदि कहीं मिलेगी, तो वह भारत में ही मिलेगी। इस्टर्न आर्थोडाक्स यदि आपको कहीं मिलेंगे, तो भारत में ही मिलेंगे। यह जो भारत का चरित्र है, वह हिंदू आइडियोलॉजी के कारण ही है। इस यथार्थ को भी दुनिया को नहीं भूलना चाहिए।

सभापति महोदया : माननीय राजनाथ सिंह जी, आपको भाषण देते हुए एक घंटा बीत गया है। आप कितना समय और लेंगे, अपनी पार्टी के समय के हिसाब से बता दं कि आप कितना समय और लेंगे? यह आपकी पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको रिमाइंड करा रही हूं कि आपको बोलते हुए एक घंटा हो गया हैं

श्री राजनाथ सिंह : सभापति महोदया, हमारा यही सैकुलर करैक्टर है कि भारत का विभाजन हो गया। पाकिस्तान में, आज जिन्हें माइनॅरिटीज माना जाता है, हिंदू उनका भले ही परसैंटेज घटा हो, लेकिन हमने हिंदुस्तान में मुस्लिम्स के परसैंटेज को घटने नहीं दिया है। यही हमारा सैकुलर करैक्टर है। इस सैकुलर करैक्टर को हम बनाए रखना चाहते हैं। हम इसे मिटाना नहीं चाहते हैं।

महोदया, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारा पड़ौसी देश पाकिस्तान है। अभी जब 26/11 का, मुम्बई का हादसा हुआ था, आतंकवादी वारदात हुई थी, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया था कि जब तक पाकिस्तान अपनी धरती से संचालित होने वाली गतिविधियों को रोकेगा नहीं, तब तक पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी। मैं जानना चाहता हूं कि इस विषय में पाकिस्तान ने क्या प्रोग्रैस की है, क्यों भारत ने पाकिस्तान के साथ फिरन से डायलाग प्रारंभ कर दिया है, क्यों भारत फिर से बैकफुट पर आ गया है? जब भी राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब सरकार की ओर से दिया जाएगा, तब हम जानना चाहेंगे कि ऐसी क्या प्रोग्रैस हुई है जिसके कारण से फिर से पाकिस्तान के साथ क्रूश्यल डायलॉग प्रारंभ हो गया है। पाकिस्तान हमारा पड़ौसी देश है। पाकिस्तान से हमारे रिश्ते बेहतर होने चाहिए। यह हम भी चाहते

[श्री राजनाथ सिंह]

हैं, लेकिन किस कीमत पर बेहतर होने चाहिए, इस संबंध में भी हमें विचार करना पड़ेगा। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या किसी विदेशी ताकत के दबाव में भारत ने पाकिस्तान के साथ वार्ता प्रारंभ कर दी है अथवा इस वार्ता प्रारंभ करने के पीछे क्या कारण हैं? सब मिलाकर यदि मैं देखूं, तो मुझे इस गवर्नमेंट का डिप्लोमेटिक फेल्योर दिखाइ देता है। कूटनीतिक मोर्चे पर यह रकार पूरी तरह विफल रही है।

महोदया, चायना भी हमारा पड़ौसी देश है। चायना की हालत क्या है, यह आपको भी जानकारी है। वहां ऑन लाइन एक सर्वे कराया जा रहा है कि चायना को भारत पर आक्रमण करना चाहिए कि नहीं। यह ऑनलाइन सर्वे हो रहा है। लोगों से ओपीनियन मांगी जा रही हैं चायना सारी तैयारियां पूरी कर चुका है, लेकिन भारत डिनायल मोड में बैठा हुआ है। यह भारत सरकार इतने डिनायल मोड में क्यों बैठी है, क्या कारण है, हमें चीन से किस बात का डर है, वह अरुणाचल और कश्मीर घाटी के बारे में भी कहता है कि वह भारत का हिस्सा नहीं है। कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश से जो चायना जाना चाहता है, उसके लिए वह स्टेपल्ड वीजा जारी करता है। क्या हम अपने डिप्लोमैटिक करेज का परिचय देते हुए चायना से साफ शब्दों में नहीं कह सकते कि तुम यदि हमारे अरुणाचल और कश्मीर घाटी के रहने वालों को स्टेपल्ड वीजा जारी करोगे, तो हम भी तिब्बत से जो भारत आने वाले हैं उन्हें स्टैप्ल्ड वीजा जारी करेंगे। हम दो टूक शब्दों में क्यों नहीं कहते हैं? जिस दमदारी का हमें परिचय देना चाहिए, वह हमने कभी नहीं दिया।

महोदया, चीन पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आकर 7 हज़ार मैगावाट का हाइड्रो प्रोजैक्ट बना रहा है। हमें जानकारी मिली है कि कराकोरम में छः लेन का हाइवे लगभग बन चुकी है। चीन अपनी साइबर क्षमता को भी बढ़ा रहा है। यहां तक कि हमारी जितनी भी स्ट्रैटजिक लोकेशन्स हैं, उन्हें रेल मार्ग से, वायु मार्ग से और सड़क मार्ग से काफी हद तक जोड़ चुका है, लेकिन इस सरकार की नीति क्या है, सरकार क्या करना चाहती है, उसकी जानकारी तो कम से कम हम देशवासियों को होनी चाहिए? इस मामले में, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि इस सरकार को एक कूटनीतिक साहस का परिचय देने की आवश्यकता है। प्रतिपक्ष पूरी तरह से सरकार के साथ खड़ा दिखाई देगा।

महोदया, अंत में, मैं इतना ही कहकर अपनी बात समापत करना चाहूंगा कि अभी कुछ महीने पहले, यानी पिछले वर्ष अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर ओबामा भारत आए थे।

सेंट्रल हॉल में संसद सदस्यों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था : "भारत उभर नहीं रहा है बल्कि उभर चुका है।" यानि, भारत अब एक उभरती हुई महाशक्ति ही नहीं है, बल्कि महाशक्ति बन गया है। लेकिन हमें विचार करना पड़ेगा कि यह किस दिन से शुरू हुआ है। तमाम विदेशी ताकतों के विरोध को झेलते हुए भी अपने स्ट्रेटैजिक और डिप्लोमेटिक करेज का परिचय देते हुए एन.डी.ए. गवर्नमेंट के जो प्रधानमंत्री थे, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने पोकरण विस्फोट सफलतापूर्वक जिस दिन संपन्न करा दिया, उसी दिन इसकी नींव पड़ गई थी। मि. ओबामा ने जो कुछ भी कहा, वह सचमुच में हमारी जो एन.डी.ए. गवर्नमेंट थी, उसकी सफलता की एक प्रकार से स्वीकारोक्ति थी, उसे स्वीकार किया कि उस समय उसकी नींव पड़ गई थी।

बस, इससे ज्यादा आज के इस अवसर पर न कहते हुए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इस सरकार को अपनी खोई हुई साख को पुनः वापस प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने की जरूरत होगी और समय-समय पर अपने स्ट्रांग विल पावर का भी सरकार को परिचय देना होगा, तभी इस देश को बचाया जा सकता है। मैडम चेयरमैन, यही अनुरोध करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं।

अपराह 4.16 बजे

कार्य मंत्रणा समिति

23वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

सभापति महोदया : श्री पवन कुमार बंसल।

संसदीय कार्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : महोदया, मैं कार्य मंत्रणा समिति का तेरहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 4.17 बजे

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव–जारी

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी) : माननीया सभापति जी, बहुत-बहुत धन्यवाद, जो आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। दो भाषण उधर से हुए और एक इधर से हुआ, तीन भाषण बहुत लंबे भाषण हो चुके हैं। अब मुझे लंबा भाषण नहीं देना है, लेकिन हम यह जानना चाहते हैं। कि हमारे देश की छवि दुनिया के अंदर क्या है,? आज के

दिन तो छवि इतनी खराब हुई है, चाहे हम लोगों ने मिल करके, जाने-अनजाने या जानकर या कह कहने का मौका दिया गया और कुछ विदेशी पत्रकारों, विद्वानों को यह कहने का मौका मिला होगा कि हिंदुस्तान भ्रष्टतम देश है, हमारे देश की यह छवि दुनिया के अंदर जा रही है। देश को सुधारने का, देश के सम्मान को बचाने का क्या उपाय किया जा रहा है, यह हम जानना चाहते हैं? यह बात विदेशी मैगजीनों में भी आप पढ़ लीजिए और कुछ बयान भी विदेशों से आए हैं, वो भी पढ़ लीजिए। अपने देश के लोगों के भी बयान हैं। क्या ऐसा है कि हमारा देश हिंदुस्तान दुनिया का सबसे भ्रष्टतम देश है? यह तो हमारे देश के सम्मान का, स्वाभिमान का सवाल है, यह उससे जुड़ गया है। इसको कैसे सुधारा जाये, यह जिम्मेदारी तो सरकार की है और उसमें सहयोग देना हमारा तथा विपक्ष का काम है। यह काम करना होगा। जहां तक कि हमारा....*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : कृपया शांत रहें। महत्त्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। सीनियर लीडर्स बोलते हैं तो हम लोगों की परंपरा है,

[अनुवाद]

कृपया सभा में शांति बनाए रखें।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : किसानों के बिना हिंदुस्तान का सम्मान नही बढ़ सकता है, न सम्पन्नता बढ़ सकती है, न गरीबी और बेरोजगारी, जो भी है, इसका हल केवल एक किसान है। आज भी 65 फीसदी बेरोजगार लोग हैं, वो खेती में लगे हुए हैं, लेकिन उनकी चर्चा नहीं होती है। 65 फीसदी बेरोजगारों को रोजगार खेती दे रही है, लेकिन खेती को प्राथमिकता अभी तक नहीं दी जा रही है, न पानी को, न बिजली, न खाद, न ही बीज दिए जा रहे हैं, न उनका उत्पादन बढ़ाने को और उन्हें कीमत ठीक से देने का कहीं भी जिक्र नहीं आता है, कहीं यह मुद्दा नहीं बन पा रहा है। हम लोग गांव के लोग हैं, हम सवाल उठाते हैं, संघर्ष करते भी हैं, प्रदर्शन भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन किसानों को न्याय नहीं मिल पा रहा है तो हम इस सदन को अवगत कराना चाहते हैं और माननीय राजनाथ सिंह जी जानते भी हैं कि किसान के बिना देश समृद्ध और शक्तिशाली नहीं हो सकता है। उनकी तादाद भी काफी है और अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा से लेकर पेट भरने तक का काम किसान करता है। आज फौज में किसके लोग हैं? आज सीमा पर जो भी हो रहा है, वह बहुत खतरनाक है। यह सही है कि देश की सीमा खतरे में है। कोई इस बात को स्वीकार करे या न करे, चीन हिंदुस्तान पर हमला करने की तैयारी कर चुका है, पूरी फौजें बाकायदा लग चुकी हैं और हिंदुस्तान की तरफ से अभी तक किसी प्रकार का निर्देश सरकार की ओर से फौज को नहीं दिया गया है। मैं फौज की बात कह रहा हूं। हर हफ्ते सरकार मीटिंग करती है। सुरक्षा परिषद या जो भी संगठन है, प्रधानमंत्री जी एवं रक्षा मंत्री उसमें रहते हैं, हमें पता है, हम रक्षा मंत्री वहां रहे हैं और इसकी मीटिंग तब भी होती थी। मुझे खबर है कि हमारी सेना के चीफ हर हफ्ते रिपोर्ट देते हैं कि चीन हमारे देश पर हमला करने की पूरी तैयारी कर रहा है। यह मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन अफसरों ने यह बताया। मैंने कहा कि क्या इसे समिति के सामने रखते हो, उन्होंने कहा कि हां रखते हैं, लेकिन इसका क्या जवाब मिलता है, जवाब में सब चुप, मौन। आर्थिक दृष्टि से जो बेरोजगारी और दूसी समस्याएं हैं, उनसे तो हम निपटेंगे और भुगतेंगे भी, लेकिन अगर देश के स्वाभिमान और सम्मान के लिए जब इतना बड़ा खतरा है और उसके लिए सरकार चिंतित नहीं है तो यह बड़े अफसोस की बात है। आज सबसे चिंता की यही स्थिति है। सरकार को पता है, उनको वे सेना के वरिष्ट अधिकारी रिपोर्ट देते हैं और फौज के बड़े-बड़े अधिकारियों ने इसके बारे में कहा है।

महोदया, बहुत से माननीय सदस्य बहुत कुछ बोल चुके हैं। मुझे यह नहीं कहना है कि कालाबाजारी है या भ्रष्टाचार है, इन सब पर बहुत चर्चा हो चुकी है। हम लंबा भाषण नहीं देंगे और न ही समय लेंगे। यह सही है कि कालाबाजारी, जमाखोरी और भ्रष्टाचार हो रहा है। उसे रोकने के लिए क्या काम किए गए हैं? इसका उत्तर मांगा गया है और हम भी आपसे मांगते हैं कि यह बताना चाहिए कि इसको कैसे रोका जाएगा?

मैंने अभी किसानों का सवाल उठाया था। किसान के लिए सिंचाई का इंतजाम अब तक पूरा नहीं हो सका है। यह पता है कि अभी तक साठ से पैंसठ फीसदी जमीन ही सिंचित हो पायी है, जबकि पैंतीस से चालीस फीसदी जमीन अभी असिंचित है जिसे पानी नहीं मिल रहा है। हमें पैदावार बढ़ानी है। हिंदुस्तान की जमीन प्रतिवर्ष तीनप फीसदी की दर से घट रही है। निर्माण कार्यों से, सड़कों से, अस्पतालों से और तरह-तरह की इमारतें बन रही हैं, जिससे तीन फीसदी जमीन घट रही है और जनसंख्या बढ़ रही है। जमीन घटेगी, तो पैदावार घटेगी। इसके लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं? मैंने इस सवाल को फिर से उठाया है। हमने मीटिंग में भी कहा था, तब मौके पर प्रधानमंत्री जी भी थे और सभी दलों के नेता भी थे। उसके बाद सदन में भी मैंने इस बात को उठाया था कि सबसे बड़ी चिंता है कि हमारी जमीन घट रही है और जनसंख्या बढ़ रही है। आने वाले समय में हमारे देश में खाने की चीजों का इंतजाम होना चाहिए। अभी तो हम आत्मनिर्भर हैं, लेकिन आगे के लिए खतरा पैदा हो गया है। उसके लिए क्या किया जा रहा है? हम

[श्री मुलायम सिंह यादव]

सरकार को सावधान करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं और चेतावनी भी देना चाहते हैं कि ऐसा उपाय करना चाहिए कि जिससे हमारे देश में कम से कम सभी का पेट भरने का इंतजाम हो।

देश की अर्थव्यवस्था में किसी समय खेती का योगदान सत्तर फीसदी था। देश के विकास में सत्तर फीसदी किसान और खेती के विकास की भूमिका थी, लेकिन अब क्या स्थिति है, यह दर आज क्यों घटी है? आज यह प्रतिशत दर घट गयी है और साठ से पैंसठ फीसदी के बीच रह गई है। जब तक सत्तर फीसदी किसान और खेती के विकास का योगदान रहा, तब तक देश में हमारे स्तर से कोई मुसीबत नहीं आई और न खतरा पैदा हुआ, लेकिन अब खतरा पैदा हो चुका है। हम विदेश से कर्ज ले रहे हैं, कई गुना कर्ज ले रहे हैं और अब खरबों रुपए का कर्ज हमारे ऊपर हैं। आंकड़े देखेंगे तो खरबां रुपया आज हिंदुस्तान पर विदेशी कर्ज है। यह तब नहीं था। अब यह बढ़ता चला जा रहा है। विदेशी कर्जा कम तो दूर, कर्जा बढ़ता ही जा रहा है। देश की ऐसी हालत हो गयी है कि हम उसका ब्याज भी नहीं चुका सकते हैं, हम इतना भी पैदा नही कर पा रहे हैं, जितना विदेशी कर्ज हो चुका है, उसका ब्याज भी हम नहीं दे सकते हैं। आप कहेंगे कि हमने देश का विकास किया है और बहुत तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जब इतना ब्याज है, तो कैसे तेजी से बढ़ रहे हैं? क्या हम आगे बढ़ रहे हैं? हम सब कर्जदार बैठे हुए हैं। हिंदुस्तान का कोई नागरिक ऐसा नहीं है, जिसने आज जन्म लिया हो और उस पर कर्ज है।

आपने शायद 2100 रुपये प्रति व्यक्ति दर कर्ज बताया था, कुछ लोग 2400-2500 रुपए भी कहते हैं। आज बच्चे के जन्म लेते ही उस पर दो हजार रुपये से ज्यादा का कर्ज हो जाता हैं इस तरह से वह कर्ज लेकर पैदा हो रहा है। इस पर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा कि कर्ज बढ़ता जा रहा है, जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है। इस बारे में अभी कहीं पर भी चर्चा नहीं है, न बजट में चर्चा है न और न ही नेताओं, जनप्रतिनिधियों को बुलाकर चर्चा की जाती है। ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार को हम सब नेताओं को बुलाकर बातचीत करनी चाहिए, देश के हित के बारे में कोई रास्ता निकालना चाहिए। अभी माननीय सदस्य ने जो कहा, वह सही है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सब देश के साथ हैं, देश के लिए सब एक हैं। देश के बारे में सहमति लेने की जरूरत क्यों नहीं है। यह ठीक है कि आपकी सरकार है, आप चलाइए। आपका बहुमत है इसलिए सरकार चलेगी, लेकिन देश के सामने काफी सवाल और समस्याएं हैं। देश की सुरक्षा का सवाल है, सीमा की सुरक्षा का सवाल है। इन्हें लेकर कोई बातचीत क्यों नही होती। सीमा की सुरक्षा के लिए अभी तक कोई मीटिंग नहीं बुलाई गई है।

माननीय सभापति जी, मैंने पिछले सत्र में कहा था कि चीन रोज एक इंच जमीन देश की कब्जा कर रहा है। मैंने यह भी कहा था, यदि गलत है तो प्रधानमंत्री या और कोई और मंत्री जवाब देते समय उसका खंडन करें। हिमाचल से लेकर लद्दाख तक, उत्तराखंड से लेकर सिक्किम, अरुणाचल तक, पूरी सीमा पर चीन ने अपने नक्शे बना रखे हैं। उसने सीधे कह दिया है कि अरुणाचल हमारा है। उस बारे में अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है। चीन ने अरूणाचल के लोगों से यहां तक कह दिया कि पासपोर्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे यहां आइए, आप तो मेरे हैं। आज और भी समस्याएं तो जरूर हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि हम देश के सम्मान को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? हम गरीबी, बेकारी से निपट लेंगे, भूखे रह लेंगे, और भी अत्याचार सह लेंगे, लेकिन हमारा देश जा रहा है, वह हमारे देश पर कब्जा कर रहा है। हम उसे कैसे सह लेंगे, कैसे बचाएंगे। उस दिन कुछ लोगों को लगा था कि ऐसा न बोलें, लेकिन मैं आज कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन यदि कोई है तो वह चीन है। आप मानें न मानें, मैं सवधान करना चाहता हूं। 1950 में डॉ. राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि हिंदुस्तान का यदि कोई दुश्मन है तो वह चीन है और वह हमला करेगा। चीन की यह नीति रहती है कि जब वह कमजोर होता है तो छिपकर रहता है और जब मजबूत होता है तब हमला करता है। आप उसका हजारों साल का इतिहास पढ़कर देखिए कि वह तभी हमला करता है और कब्जा करता है, यह चीन की नीति है। चीन हमेशा मिलकर काम करता है। मुझे डर लग रहा है। चाऊ एन लाई साहब 1954 में आए थे। हम उस समय बच्चे थे। चीनी-हिंदी भाई-भाई कहा और 1962 में हमला कर दिया। अबकी बार फिर प्रधान मंत्री आए हैं। मुझे लगता था कि हमला होगा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने सीमा की बात कही, लेकिन चीन के प्रधान मंत्री बोले ही नहीं, वे मौन हो गए। मौन रहने के क्या मायने हैं? हम लोग कहते हैं कि मौन यानी सहमति। उसकी सहमति है कि हां, चीन हमला करेगा। आप यहां पर नोट कर लीजिए, मैं कार्यवाही में दर्ज करवा रहा हूं कि चीन पूरी तैयारी कर चुका है, तिब्बत के आसपास जाकर फौजे तैयार कर ली हैं रायफिलें तोपें हथियार तैयार हैं। मेरे पास बाकायदा इसकी खबर है और यह खबर ऐसी ही नहीं है।...*(व्यवधान)*

हां, उसने अड्डा बना रखा है, उसने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। लेकिन इस बारे में अभी तक सरकार ने क्या किया है।

रक्षा मंत्री जी अभी नहीं बैठे हुए हैं। जब वे यहां बैठे थे तो उन्हें समझाया भी गया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हमारी तैयारी है। आज

ऐसे सवाल पर यहां रक्षा मंत्री बैठे होते तो शायद कुछ करते, प्रधान मंत्री यहां होते तो कुछ करते। यहां नेता सदन भी नहीं बैठे हुए हैं देश की सुरक्षा का गंभीर मामला है। हम यह बात जान-बूझकर कह रहे हैं और सारी बातें माननीय राजनाथ जी ने भी कही हैं। हम देश को बचाने की बात कह रहे हैं। यदि देश ही नहीं बचेगा तो फिर क्या होगा। कांग्रेस कहती है सरकार बचाओ हम चाहते हैं देश बचाओ।

आपकी विदेश नीति क्या है, पता नहीं। आपकी विदेश नीति अमेरिका के हाथ में पूरी बंधक हो गई है। वहां से जो इशारा होगा, उसी के अनुसार कार्य होगा। अमेरिका जो कहेगा, वही विदेश नीति होगी। हमें कम से कम इतना सोचना चाहिए था कि जब तक नेहरू जी रहे तब तक हमारी विदेश नीति कामयाब रही। उन्होंने तीसरी दुनिया के देशों का इकट्ठा करके अपने देश की एक पहचान बनाई। उसका नाम भी आ गया, लेकिन नेहरू जी के बाद ऐसा हो गया कि हमारा कोई विदेशी दोस्त ही नहीं रहा। उन्होंने दोस्ती की थी। कम से कम रूस हमारा दोस्त बन गया था। हम उस वक्त की नेहरू जी की विदेश नीति को बता रहे हैं, क्योंकि आजादी के समय गांधी जी और उनके साथ-साथ तमाम बड़े नेता जिसमें डॉ. राम मनोहर लोहिया थे, उन सबने कहा कि एक ऐसी ही विदेश नीति बनाई जाए। उसे डॉ. राम मनोहर ने बनाया। वे नेहरू जी के विदेश सचिव थे। उनकी बनाई हुई नीति चली, लेकिन आज हमारी विदेश नीति क्या है? आप बता दीजिए कि हमारी विदेश नीति क्या है? आपने कौन से देश को दोस्त बना लिया है? हमारा एक भी दोस्त नहीं है। मैंने पहले भी सदन में कहा था और अब भी कह रहा हूं कि जिसका दुनिया में कोई दोस्त ही नहीं है, तो वह देश कमजोर हो ही जाएगा। कोई उसका साथ नहीं देता। आज यह हालत हमारे देश की है। इसलिए हम इस बात को कहना चाहते हैं।

जहां तक अमेरिका की बात है, पाकिसतान पूरा अमेरिका के साथ जुड़ गया हैं वह चीन के साथ भी है। लेकिन अब चीन और पाकिस्तान का गठजोड़ हो चुका है, यह सूचना मैं इस सदन में दे रहा हूं। पूरा का पूरा गठजोड़ हो चुका है। चीन और पाकिस्तान दोनों हिंदुस्तान पर हमला करना चाहते हैं और दोनों की तैयारी है, दोनों में दोस्ती है। यह मैं ऑन रिकार्ड कह रहा हूं। मैं सदन में रिकार्ड में ला रहा हूं कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती हिंदुस्तान के खिलाफ हो चुकी है। बाकायदा रणनीति भी बन चुकी है। यह हमारी खबर है। अगर हमारी खबर गलत होगी, तो प्रधानमंत्री जी या जो भी सरकार उत्तर दे, वे हमें बताएं कि ऐसा नहीं है। हमें कहीं से रिपोर्ट मिली है कि दोनों एक हैं। चीन पाकिस्तान आधुनिक हथियारों की टेक्नोलॉजी दे रहा है।

हम पूछना चाहते हैं कि देश का क्या स्वाभिमान है? हमारे छात्रों को अमेरिका में बेड़ियां पहना दी जाती हैं। अमेरिका में हमारे छात्रों को बेड़ियां पहनाकर घुमाया जाता है। इंग्लैंड में जो 30 हजार लड़के पढ़ रहे हैं, उनको निकाला जा रहा है। वे आंदोलन कर रहे हैं और सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी तक सरकार की तरफ से कोई रोष व्यक्त नहीं किया गया। वहां छात्र बड़े मन से पढ़ने गए थे कि हम वहां पढ़ाई करेंगे, लेकिन अब उन्हें निकाला जा रहा है। वे सड़कों पर हैं और उनकी पढ़ाई बंद है। गरीब, साधारण परिवार के लोगों ने किस तरह से खर्चा करके अपने बच्चों को वहां पढ़ने के लिए भेजा था। उनके गार्जियन्स भी मिले हैं। अब क्या करें? मैंने कहा था कि जब मौका आएगा तो हम सरकार से आपकी बात कह देंगे।

सभापति महोदया, आप पहल कीजिए। इंग्लैंड से 30 हजार छात्रों को निकाला जा रहा है। जो वहां पढ़ रहे थे, उन्हें खदेड़ा जा रहा है। उनकी पढ़ाई अधूरी पड़ी हुई है। आपकी विदेश नीति क्या है? वहां जो लड़के पढ़ने गए थे, उनको खदेड़ा जा रहा है। कम से कम इंग्लैंड की सरकार से कहना चाहिए था, अमेरिका की सरकार से कहना चाहिए था कि अमेरिका, इंग्लैंड के आगे नहीं रोयेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे, हिंदुस्तान ऐसा नहीं करेगा क्योंकि वह मानवता वादी देश है। लेकिन वे देश जो कर रहे हैं, उस पर एतराज करना चाहिए, रोष व्यक्त करना चाहिए, चिट्ठी लिखनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। सरकार का प्रतिनिधि वहां जाना चाहिए था, उन छात्रों से मिलना चाहिए था। आस्ट्रेलिया में वे पीटे जा रहे हैं। आस्ट्रेलिया उनको पीट-पीटकर बाहर कर रहा है। छात्रों की हत्या भी हुई है। उन्हें घायल भी किया गया है। उनको वहां पढ़ने नहीं दिया जा रहा हैं वहां सड़कों पर हिंदुस्तान के छात्र निकलते हैं, तो आस्ट्रेलिया के लोग उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। आस्ट्रेलिया में कुछ भी अच्छा नहीं है। आपकी विदेश नीति क्या है?

मनरेगा योजना में 100 रुपया दिया जाता है। उस योजना से महात्मा गांधी का नाम हटवा दीजिए, तो बड़ी कृपा होगी। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप निर्देश दीजिए, शायद ये आपका निर्देश मान लें, महातमा गांधी नरेगा योजना में से महात्मा गांधी का नाम हटा लें। इतना भ्रष्टाचार किसी संस्था में नहीं है, जितना इस योजना में है। इसलिए कम से कम इससे महात्मा गांधी जी का नाम हटा दीजिए। आप गांधी जी को भी ले डूबे। आपकी नीति ऐसी है कि आप गांधी जी को ले गए, गांधी जी को वहां बैठा दिया जहां भ्रष्टाचार का पूरा अड्डा बन गया है। आप बताइए क इस योजना में कहां कितना काम हुआ है?

सभापति महोदया : आपकी पार्टी का समय समाप्त हो गया है, इसलिए अब आप वाइंड-अप कीजिए।

श्री मुलायम सिंह यादव : मेहरबानी करके कुछ समय और दीजिए। आपकी आज्ञा का पूरा पालन करेंगे।

सभापति महोदया : मैंने आपकी पार्टी के समय को इंगित किया है। आपकी पार्टी के लिए एलोकेटेड टाइम 20 मिनट है, जो कि पूरा हो चुका है।

श्री मुलायम सिंह यादव : मैं आपकी आज्ञा का पूरा पालन करूंगा, लेकिन मुझे इतनी जल्दी बोलने से रोक दिया गया। आपने ज्यादा ही जल्दी कर दी।

मैं कहना चाहूंगा कि छात्रों की सुरक्षा हो, चाहे इंग्लैंड हो, आस्ट्रेलिया हो, चाहे कोई अन्य देश हो, उनकी पढ़ाई–लिखाई का इंतजाम ठीक होना चाहिए। आप यहां पर जवाब दीजिए कि आप क्या कर रहे है, सरकार क्या कर रही है। चीन हमारी एक इंच जमीन पर रोज कब्जा कर रहा है और तिब्बत के आस–पास अपनी पूरी फौज लगा दी है। पूरी फौज तैयार खड़ी है। सदन को मैं सूचना दे रहा हूं, चीन हमला करेगा। मैं आपको बता रहा हूं कि देश के एक नेता जिसका मैं नाम नहीं लूंगा, ने स्वीकार किया और कहा कि यह बात सच है। दूसरी बात यह है कि चीन नेपाल पर पूरा कब्जा करके, हिंदुस्तान पर कब्जा करना चाहता है। चीन नेपाल पर कब्जा कर रहा है, वहां प्रवेश कर गया है, और नेपाल को कब्जे में लेकर हिंदुस्तान पर कब्जा करेगा। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है। हम उसे अपना देश मानते हैं, भले ही वह दूसरा देश है, लेकिन हम लोग एक संस्कृति के लोग हैं। वहां पहले जो मदद दी जाती थी, उसमें भी कटौती कर दी गई है। नेपाल को हम पहले मदद देते थे और नेपाल हिंदुस्तान के साथ था, अब हिंदुस्तान नेपाल और श्रीलंका को भी ठीक से नहीं रख पा रहा है। क्या है आपकी विदेश नीति? आप कहां खड़े हैं? आपके साथ कौन हैं? आपका दोस्त कौन है? इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि दुनिया में एक भी देश हिंदुस्तान का दोस्त नहीं है। श्रीलंका और नेपाल हमेशा हिंदुस्तान के साथ रहे। जब चीन ने हमला किया, दुनिया में सबसे पहला देश श्रीलंका था, जिसने उसका विरोध किया था और कहा था कि चीन अपनी फौजों को हटाए।

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : भूटान है इनके साथ।

श्री मुलायम सिंह यादव : भूटान अपने आप साथ हो गया है।... *(व्यवधान)*

सभापति महोदया : मुलायम सिंह यादव जी, आप कृपया वाइंट–अप करें।

श्री मुलायम सिंह यादव : चीन से यह खतरा मामूली नहीं है। मैं बाकायदा आपको रिर्पोट दे रहा हूं कि वहां प्रतिदिनि चीन का युद्धाभ्यास हो रहा है, उसने वहां टैंक, लड़ाकू विमान और तोपों को जमा करके हमले की तैयारी कर रखी है। चीनी खतरे को देखते हुए मैं हिमालय नीति का सुझाव आपको दे रहा हूं। एक ही सुझाव है कि 50 हजार लड़के–लड़कियों को रोजगार दीजिए, नौकरी दीजिए, और हथियार दीजिए जिससे वे अपना काम भी करें और देश की सीमा की रक्षा भी करें। इसके अलावा चीन से बचने का कोई और उपाय नहीं है। 50 हजार लड़के–लड़कियों को नौकरी दीजिए और हथियार दीजिए जिससे वे देश की रक्षा भी करें और अपने पेट के लिए जीविका का उपार्जन भी करें।

अगर सीमा की सुरक्षा करना और उसे बचाए रखना है, तो यह उपाय करना होगा, यह कोई साजिश की बात नहीं है। हथियार दीजिए, वे सीमा की रक्षा भी करेंगे, वहीं रहेंगे, वहीं कमाएंगे और वहीं खाएंगे। इसलिए यही एक उपाय है जिससे सीमाओं को बचाया जा सकता है। आप सरकार को बचाने की फिक्र न करें, देश को बचाएं। सरकारें तो आती–जाती रहती हैं इसलिए देश बचाएं। आप सिर्फ सरकार बचाने में लगे हैं और हम देश को बचाने में लगे हैं, यही हमारे और आपके बीच में अंतर है। अब तय आपको करना है कि देश बचाना है या सरकार बचानी है।

सभापति महोदया, चूंकि आपने समय का हवाला दिया है इसलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं और आपने मुझे मौका दिया, उसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूं।

डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क (सम्भल) : सभापति महोदया, हमें भी बता दिया जाए कि मुझे कितना समय बोलने के लिए मिला है।

सभापति महोदया : आपके लीडर ने बताया है कि आपकी पार्टी से तीन सदस्यों को इस विषय पर बोलना है। आप आज अपनी बात कहेंगे और बाकी के दो सदस्य कल बोलेंगे। आपकी पार्टी का समय 19 मिनट हैं। अब आपको तय करना है कि आप कितने मिनट बोलेंगे।

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी) : इन्हें थोड़ा अतिरिक्त समय दे दें, सीनियर सिटीजन समझकर ही दे दें।

डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क : सभापति महोदया, यह देश सबका है औ देश पर चर्चा हो रही है। हमारी राष्ट्रपति महोदया ने कल जो कुछ अपनी स्पीच में कहा, उसमें मुसलमानों को टोटली नजरअंदाज किया गया है। मुसलमानों के विकास के सिलसिले में या उनकी गरीबी कैसे दूर होगी, उन्हें कैसे तालीम दी जाएगी, कोई बात नहीं कही गई है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मुसलमानों को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया है।

इस देश के अंदर मर्दमशुमारी के लिए कुछ भी कहा जाता हो, मैं

समझता हूं 30–40 करोड़ मुसलमान रहते हैं। इतनी बड़ी तादाद होने पर भी उन्हें काफी कुछ कहा जाता रहा है। आज मुसलमानों की हालत इतनी खराब है, इतनी गुरबत है कि उसका कोई ठिकाना नहीं है। सच्चर कमेटी इस बात की गवाह है। हमारी भारत सरकार ने हिंदुस्तान का सर्वे कराया कि मुसलमानों में सामाजिक, तालिमी और इकतिसादी हालत क्या और उसके लिए क्या–क्या किया जा सकता है। इस रिपोर्ट में क्लियर तरीके से दर्ज है कि उनकी हालत दलितों से भी बदत है। इन हालात में दि मुसलमान पिछड़ गए तो यह मुल्क तरक्की नहीं कर पाएगा। जिस तरीके से कोई व्यक्ति पैरोलाइज्ड हो जाए तो उसे हैल्दी नहीं कह सकते, उसी तरह से इस मुल्क की सोसाइटी में कोई भी कौम पिछड़ जाए, कोई हिस्सा पैरेलाइज् हो जाए तो उसे हैल्दी सोसाइटी नहीं कहेंगे।

इस देश में मुसलमान आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा है। उन पर भी बहुत जिम्मेदारियां हैं। वे भी चाहते हैं क इस देश की तरककी हो और उन्हें भी बराबर की हिस्सेदारी मिले। लेकिन हमारे साथ कदम–कदम पर नाइंसाफी की जाती है। कहीं पर दहशतगर्द और कहीं पर टैररिस्ट कहा जाता है। इस मुल्क को आजाद कराने में मुसलमानों ने भी कुर्बानी दी, वे फांसी पर चढ़े, जेल गए और गोलियां खाई, फिर भी उन पर एतबार नहीं किया जाता है। इस देश में मुसलमान हर कुर्बानी देता हैं और खुदा–ना–खास्ता देश पर कोई आंच आ जाए तो मुसलमान पीछे नहीं रहेंगे, हर कुर्बानी देंगे।

राष्ट्रपति के खुतबे के सिलसिलें में मैं कहना चाहूंगा कि सच्चर कमेटी की सिफारिशात को देखते हुए और मुसलमानों को बदहाली को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ही इस बात की जिम्मेदार है। यह देश सबका है और मैं बिल्कुल साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि आजादी के 63 साल में से 48 साल के लगभग कांग्रेस की सरकार रही है और कुछ राज्यों में भी उनकी 40–45 साल हुकूमत रही है, लेकिन उसके बावजूद भी मुसलमानों के साथ झूठे वायदे किए गए और केवल वोट लेने की नीति अपनाई गयी। मुसलमानों का वोट तो लिया गया लेकिन उनकी तरक्की, उनकी तालीम और उनके रोजगार के लिए जो सुविधाएं उन्हें देनी चाहिए थीं, वे नहीं दी गई और आज मुसलमान सबसे ज्यादा बेरोजगार हैं।

इस देश में मुसलमानों को जब तक आप रिजर्वेशन नहीं देंगे, तब तक मुसलमान आगे नहीं बढ़ सकता है। रंगनाथ मिश्रा जी ने भी सिफारिश की है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाए। सच्चर कमेटी की जो सिफारिशें हैं उन पर भी अमल नहीं हो रहा है। इसलिए मेरी मांग है कि मुसलमानों को इस देश में रिजर्वेशन मिलनी चाहिए और कम से कम 13 परसेंट की रिजर्वेशन मिलनी चाहिए जिससे उनकी तालीम का इंतजाम हो सके और वे आगे बढ़ सकें।

आपने माइनोरिटी मिनिस्टरी बनाई, लेकिन वह भी अधूरी है। जब तक उसको पूरी तरह से अधिकार नहीं देंगे, तब तक मुसलमानों को उस माइनोरिटी मिनिस्टरी से कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए मेरी मांग है कि उसे पूरे अधिकार दिए जाएं।

बैंकों के अंदर जब मुसलमान लोन लेने जाते हैं, वहां भी वे वहां धक्के खाते हैं अैर उन्हें लोन नहीं मिलता है और किसी न किसी बहाने उन्हें भगा दिया जाता है।

उत्तर प्रदेश में पहली बार बहुजन समाजवादी पार्टी ने शिक्षा बोर्ड बनाया और उसकी तरक्की के लिए 213 करोड़ रुपये का बजट था जिसे 910 करोड़ रुपये का बहुजन समाजवादी पार्टी ने कर दिया। ...*(व्यवधान)* मैं अगर बहुजन समाजवादी पार्टी की बात कह रहा हूं। तो ठीक बात कह रहा हूं और उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी वालों को नहीं चिल्लाना चाहिए क्योंकि जो भी नाइंसाफी हमारे साथ हुई हैं वे सब कांग्रेस पार्टी की देन है। मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि "जब पड़ा वक्त तो गुलशन को लहु हमने दिया, अब बहार आई है तो कहते हैं तेरा काम नहीं।" हमने हमेशा ही कुर्बानियां दी हैं और मुल्क को आजाद कराया है। इस मुल्क की आजादी में हमारा पूरा हिस्सा है। हम चाहते हैं कि मुल्क को ऊपर उठाने में हमारा सही इस्तेमाल हो। हिंदुस्तान की सरहदों पर भी मुसलमानों को लगाइए, उनकी भर्ती सेना में कीजिए। आज कहीं भर्ती होती है तो उन्हें भर्ती नहीं किया जाता है। ब्रिगेडियर उस्मान ने कश्मीर को बचाया था, अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान का पेटेंट टैंक अपनी जान देकर तोड़ा था, लेकिन गवर्नमेंट इस बात का कोई सिला नहीं देती है। अशफाक–उल्ला जैसे न जाने कितने लोगों ने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। अगर कांग्रेस गवर्नमेंट सही तरीके से सबके साथ इंसाफ करें तो अपोजिशन पार्टीज भी उनका साथ देने के लिए तैयार हैं।

मैं चाहता हूं कि सरकार को सोच–समझ कर कदम उठाने चाहिए। देश को बचाने का सवाल है। देश खतरे में है। इस देश को बचाने के लिए मिल कर चलना चाहिए। सबको हिस्सेदार बनाना होगा। मुसलमानों की देश में हिस्सेदारी बढ़नी चाहिए। मुसलमानों के साथ इंसाफ होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा, तो देश तरककी नहीं कर सकता है। देश की ग्लोबल तरक्की का हम जो ख्वाब देख रहे हैं, वह बिना मुसलमानों की हिस्सेदारी के पूरा नहीं हो सकता है।

[डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क]

ڈاکٹر شفیق الرحمٰن برق (سنبھل): محترمہ یہ ملک سب کا ہے اور ملک پر چرچہ ہو رہی ہے۔ ہماری راشٹر پتی صاحبہ نے کل جو کچھ اپنی تقریر میں کہا اس میں مسلمانوں کو ٹوٹلی نظر انداز کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کی ترقی کے سلسلے میں، یا ان کی غریبی کیسے دور ہوگی، انہیں کیسے تعلیم دی جائے گی، کوئی بات نہیں کی گئی۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ مسلمانوں کو پوری طرح نظر انداز کیا گیا ہے۔ جبکہ اس ملک کے اندر چاہے مردم شماری میں کچھ بھی کہا جاتا ہو میں سمجھتا ہوں 40-30 کروڑ مسلمان رہتے ہیں۔ اتنی بڑی تعداد ہونے پر بھی انہیں کافی کچھ کہا جاتا رہا ہے۔ آج مسلمانوں کی حالت اتنی خراب ہے، اتنی غربت ہے کہ اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ سچر کمیٹی اس بات کی گواہ ہے ہماری بھارت سرکار نے ہندوستان کا سروے کرایا کہ مسلمانوں کی سماجی، تعلیمی اور اقتصادی حالت کیا ہے۔ اس رپورٹ میں صاف طور پر درج ہے کہ مسلمانوں کی حالت دلتوں سے بھی بدتر ہے۔ ان حالات میں اگر مسلمان پچھڑ جائے تو ملک ترقی نہیں کر پائے گا۔ جس طرح کوئی انسان پیرالائزڈ ہو جائے تو اسے آپ healthy صحت مند نہیں کہہ سکتے، اسی طرح اس ملک میں اگر کوئی قوم پچھڑ جائے، کوئی حصہ پیرالائزڈ ہو جائے تو اسے آپ healthy society نہیں کہیں گے۔

اس ملک میں مسلمان آبادی کا ایک بڑا حصہ ہے۔ ان پر بھی بہت ذمہ داریاں ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ اس ملک کی ترقی ہو اور انہیں بھی برابر کی حصہ داری ملے۔ لیکن ہمارے ساتھ قدم قدم پر ناانصافی کی جاتی ہے۔ کہیں پر دہشت گرد کہیں پر ٹیررسٹ کہا جاتا ہے۔ اس ملک کو آزاد کرانے میں مسلمانوں نے بھی قربانیاں دی ہیں، وہ پھانسی پر چڑھے، جیلوں میں گئے اور گولیاں بھی کھائیں ہیں پھر بھی ان پر اعتبار نہیں کیا جاتا ہے۔ اس ملک میں مسلمان ہر قربانی دیتا ہے، اور خدانہ خواستہ اگر ملک پر کوئی آنچ آجائے تو مسلمان پیچھے نہیں رہیں گے، ہر قربانی دیں گے۔

راشٹر پتی کے خطبے کے سلسلے میں، میں کہنا چاہوں گا کہ سچر کمیٹی کی سفارشات کو دیکھتے ہوئے، اور مسلمانوں کی بدحالی کو دیکھتے ہوئے کانگریس پارٹی ہی اس بات کی ذمہ دار ہے۔ میں صاف طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ آزادی کے 62 سال میں سے تقریباً 48 سال کانگریس کی سرکار رہی ہے۔ اور کچھ راجیوں میں بھی ان کی 45-40 سال حکومت رہی ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی مسلمانوں سے جھوٹے وعدے کئے گئے اور صرف ووٹ لینے کی پالیسی اپنائی گئی۔ مسلمانوں کا ووٹ تو لیا گیا لیکن ان کی ترقی نہیں کی گئی، ان کی

تعلیم اوران کے روزگار کے لئے جو سہولیات دینی چاہئے تھیں وہ نہیں دی گئیں۔ اوراس لئے آج مسلمان سب سے زیادہ بےروزگار ہے۔

اس ملک میں آپ جب تک مسلمانوں کو ریزرویشن نہیں دیں گے، تب تک مسلمان آگے نہیں بڑھ سکتا ہے رنگ ناتھ مشرا جی نے بھی سفارش کی ہیں کہ مسلمانوں کو ریزرویشن دیا جائے۔ سچر کمیٹی کی جو سفارشات ہیں ان پر بھی عمل نہیں ہو رہا ہے۔ اس لئے میری مانگ ہے کہ مسلمانوں کو ریزرویشن ملنا چاہئے اور کم سے کم 13 فیصد ریزرویشن ملنا چاہئے تاکہ ان کی غریبی دور ہو سکے اور ان کی تعلیم کا انتظام ہو سکے اور وہ آگے بڑھ سکیں۔

آپ نے مائنورٹی افیرس منسٹری بنائی۔ لیکن وہ بھی ادھوری ہے۔ جب تک اس کو پوری طرح سے ادھیکار نہیں دیں گے تب تک اس مائنورٹی منسٹری سے مسلمانوں کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اس لئے میری مانگ ہے کہ اسے پورے ادھیکار دئے جائیں۔

اترپردیش میں پہلی بار بہوجن سماج پارٹی نے شکشا بورڈ بنایا، اس کی ترقی کے لئے 213 کروڑ روپئے کا بجٹ تھا جسے 910 کروڑ روپئے کا بہوجن سماج پارٹی نے کر دیا۔ میں اگر بہوجن سماج پارٹی کی بات کہہ رہا ہوں تو ٹھیک بات کہہ رہا ہوں اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کانگریس پارٹی کے لوگوں کو چلانا نہیں چاہئے کیونکہ جو بھی ناانصافی ہمارے ساتھ ہوئی ہے وہ سب کانگریس پارٹی کی ہی دین ہے۔ میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ

جب پڑا وقت تو گلشن کو لہو ہم نے دیا
اب بہار آئی ہے تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں

ہم نے ہمیشہ ہی قربانیاں دیں ہیں اور ملک کو آزاد کرایا ہے۔ اس ملک کی آزادی میں ہمارا پورا حصہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ملک کو اوپر اٹھانے میں ہمارا صحیح استعمال ہو۔ ہندوستان کی سرحدوں پر بھی مسلمانوں کو لگائیے، ان کی بھرتی فوج میں کیجئے۔ آج کہیں بھرتی ہوتی ہے تو انہیں بھرتی نہیں کیا جاتا۔ بریگیڈیئر عثمان نے کشمیر کو بچایا تھا، عبدالحمید نے پاکستان کا پیٹینٹ ٹینک اپنی جان دے کر توڑا تھا، لیکن گورنمنٹ اس بات کا کوئی سلہ نہیں دیتی ہے۔ اشفاق اللہ جیسے نہ جانے کتنے لوگوں نے ملک کے لئے قربانیاں دی ہیں۔ اگر کانگریس گورنمنٹ صحیح طریقے سے سب کے ساتھ انصاف کرے تو اپوزیشن پارٹیاں بھی ان کا ساتھ دینے کے لئے تیار ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ سرکار کو سوچ سمجھ کر قدم اٹھانے چاہئے۔ ملک کو بچانے کا سوال ہے، ملک خطرے میں ہے، اس ملک کو بچانے کے لئے مل کر چلنا چاہئے۔ سب کو حصہ دار بننا ہوگا۔ مسلمانوں کی ملک میں حصہ داری بڑھنی چاہئے۔ مسلمانوں کے ساتھ انصاف ہونا چاہئے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو ملک ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ ملک کی گلوبل ترقی کا ہم جو خواب دیکھ رہے ہیں وہ بنا مسلمانوں کی حصہ داری کے پورا نہیں ہو سکتا ہے۔

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंदोपाध्याय (कोलकाता उत्तर) : महोदया, मैं 21 फरवरी को संयुक्त सत्र के दौरान भारत के माननीया राष्ट्रपति द्वारा दिए गए अभि–भाषण पर धन्यवाद देने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मैं श्री राजनाथ सिंह की भ्रष्टाचार से संबंधित एक टिप्पणी से शुरू करना चाहता हूं कि आज ए. राजा जेल में हैं। निश्चित रूप से मैं यह कहूंगा कि ए. राजा के जेल जाने का कारण सरकार स्वयं है। यदि कोई भ्रष्टाचार होता है तो सरकार को भ्रष्टाचार के आरोपी पर मेहरबान नहीं होना चाहिए। डॉ. मनमोहन सिंह ने इस बात को साबित किया कि यद्यपि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो पूरी तरह उनके विभाग के अधीन हैं, तथापि वे एक पूर्व केंद्रीय मंत्री को गिरफ्तार करने में भी कोई संकोच नहीं कर रहे हैं जो कि भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। इसलिए मेरा विश्वास है कि डॉ. मनमोहन सिंह जैसे एक सुदृढ़ व्यक्ति के पूरे समर्थन में यह सब कार्यान्वित किया जा रहा है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण से हमारी संवेदना मुख्यतः भ्रष्टाचार, मूल्यवृद्धि, बेरोजगारी और राज्य प्रायोजित आतंकवाद पर आधारित है जो हमारे राज्य में हो रहा है। हम काले–धन के मुद्दे से भी चिंतित हैं क्योंकि काले–धने के संवेदनशील मुद्दे ने देश पर व्यापक प्रभाव छोड़ा है। सरकार को निश्चित रूप से एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ सामने आना चाहिए। हमें कोई आपत्ति नहीं होगी यदि सरकार की ओर से एक स्पष्ट सूची घोषित की जाती है। कि विदेशी बैंकों विशेषकर स्विस बैंक में किसकी और कितनी राशि जमा है।

महोदया, सर्वप्रथम मैं मूल्य वृद्धि के मुद्दे से अपनी बात शुरू करूंगा। मूल्यवृद्धि के मुद्दे पर हर सत्र के दौरान चर्चा की जाती है। परंतु अब तक हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए हैं कि किस तरीके से मूल्य वृद्धि को नियंत्रित किया जा सकता है मैं उन मुद्दों पर सरकार के विचारार्थ कुछ सकारात्मक विचारों को रखना चाहता हूं जिनके प्रति माननीय राष्ट्रपति ने अपनी चिंता व्यक्त की है। कम से कम 17 आवश्यक मदों जिनका मैं नाम लेकर उल्लेख करना चाहता हूं उन्हें संपूर्ण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत लाया जाना है और जिन्हें राशन कार्ड धारकों मुख्यतः बीपीएल श्रेणी के लोगों को वितरित किया जाना है–चावल, गेहूं, आटा, चना–दाल, अरहर दाल, मूंग दाल, उड़द दाल, मसूर दाल, चाय, दूध, चीनी, वनपस्पति, सरसों तेल, मूंगफली का तेल, आलू, प्याज और नमक को जन–वितरण प्रणाली के पूर्ण नियंत्रण में लाया जाना है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ किए बिना मूल्य वृद्धि को कभी भी नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इस प्रस्ताव पर सरकार के दृष्टिकोण को सामने आने दीजिए। और सभा में उत्तर देने दीजिए कि इस विचार को कार्यान्वित करने में कहां–कहां दिक्कतें आ रही हैं। कीमत मूल्य निगरानी प्रकोष्ठ के हाथों में और अधिकार दिया जाना चाहिए।

महोदया, माननीय राष्ट्रपति ने अपने भाषण में अपना आशय व्यक्त किया कि किसानों को अधिक उत्पादन करने के नारे के साथ उन्हें प्रेरित करना चाहिए। परंतु हमारा अनुभव यह है कि जब किसान अधिक उत्पादन करते हैं उन्हें औने–पौने मूल्यों पर बिक्री भी करनी पड़ती है और उन्हें एक रुपए प्रति किलोग्राम की दर से भी बेचना पड़ता है। इसलिए, उन्हें शीत भंडारण सुविधा की अत्यधिक आवश्यकता होती है जिसका वर्तमान में अभाव है। हमारा यह प्रस्ताव है कि इन शीत भंडारण सुविधाओं को व्यापक पैमाने पर सृजित किया जाना है और किसानों को न्यूनतम मूल्य पर शीत भंडारण सुविधाओं का उपभोग करने की अनुमति दी जाए।

महोदया, हम बेरोजगारी की समस्या से काफी चिंतित है। मैं पिछले कुछ वर्षों से संसद में हूं मैंने कभी ऐसा अवसर नहीं देखा जब बेरोजगारी के मुद्दे पर विस्तार से व्यापक रूप से चर्चा हुई। सरकार का क्या विचार है? क्या विपक्षी दल कुछ निदेश, सुझावों को देने या सरकार को इस बारे में बताने के पात्र हैं कि हम किस तरीके से बेरोजगारी के इस मुद्दे का निपटान कर सकते हैं जो इतनी अधिक ऊंचाई पर पहुंच गई है। हम उन बेरोजगार युवाओं के साथ दृढ़ता से खड़े हैं जिनकी समस्याओं पर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

मैं यह भी कहूंगा कि यदि उनको रोजगार नहीं दिया जाता है तो वे हिंसक हो जाते हैं। वे नक्सलवादी, माओवादी बन जाते हैं और हथियार उठा लेते हैं। वे यह सोचते हैं कि ये हथियार उन्हें भोजन, छत और आजीविका उपलब्ध करा सकते हैं।

यदि हम बेरोजगारी की समस्या का अध्ययन करें हम पाएंगे कि एक बेरोजगार युवा जिसके पास पिछले 20–25 वर्ष से कई बार 30 वर्षों से रोजगार कार्यालय का कार्ड है, उसे रोजगार कार्यालय द्वारा एक बार भी नहीं बुलाया गया। इसलिए, मैं नहीं जानता कि राजग सरकार या संप्रग सरकार बेरोजगारी की समस्या को गंभीरता से नहीं उठा सकती।

त्रणमूल कांग्रेस के हम लोग यह महसूस करते हैं कि बेरोजगारी के इस मुद्दे को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए, और संसद में इस पर व्यापक चर्चा की जानी चाहिए।

अब मैं माननीय राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण के पैरा 54 पर आता हूं जिसमें कानून व्यवस्था के मुद्दे का उल्लेख किया गया है तथा जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति ने यह कहा है कि आतंकवाद, कट्टरवाद, नस्ली हिंसा और वामपंथी उग्रवाद बड़ी चुनौती बनी हुई हैं। राज्य में

क्या हो रहा है? माननीय गृह मंत्री ने एक वक्तव्य में यह कहा है कि ''पश्चिम बंगाल एक ऐसा क्षेत्र बन गया है जहां किसी की भी हत्या की जा सकती है।'' इस बात की कल्पना नहीं की जा सकती कि देश का गृह मंत्री इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करके किसी राज्य पर आरोप लगा रहा है। उन्होंने राज्य के माननीय मुख्य मंत्री को यह कहते हुए एक पत्र लिखा है....*

[हिन्दी]

सभापति महोदया : आप आपस में चर्चा मत करें।

....(व्यवधान)

[अनुवाद]

डॉ. रामचन्द्र डोम (बोलपुर) : मुझे इस टिप्पणी पर आपत्ति है। उन्होंने सी पी आई (एम) का नाम लिया है। कानून व्यवस्था राज्य का विषय है और हम इस मुद्दे पर चर्चा नहीं कर सकते....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदया : आप बैठ जाएं। आब्जेक्शनेबल होगा तो हम देखेंगे।

....(व्यवधान)

अपराह्न 5.00 बजे

[अनुवाद]

सभापति महोदया : कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

सुपीद जी के अलावा कुछ भी रिकार्ड नहीं होगा। प्लीज आप बैठ जाइए।

*(व्यवधान)....**

श्री सुदीप बंदोपाध्याय : मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण से उद्धृत कर रहा हूं....*(व्यवधान)*

डॉ. रामचन्द्र डोम : माओवादियों के साथ कौन सांठ-गांठ कर रहा है? ....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदया : आप भी चेयर को संबोधित करिए। कृपया आप बैठ जाइए।

....(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंदोपाध्याय : माननीय गृह मंत्री ने 'हर्मद' का उल्लेख किया है। क्या वे इस बात से इंकार कर सकते हैं कि माननीय गृह मंत्री ने ''उनके पार्टी कैडर को हर्मद'' कहते हुए मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है?....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदया : सुदीप जी के अलावा कुछ भी रिकार्ड पर नहीं जाएगा।

*....(व्यवधान)**

[अनुवाद]

डॉ. रामचन्द्र डोम : 'हर्मद' से उनकाक्या मतलब है?....*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : कृपया अध्यक्ष पीठ को संबोधित कीजिए।

.....(व्यवधान)

श्री सुदीप बंदोपाध्याय.....**

सभापति महोदया : कृपया अध्यक्ष पीठ को संबोधित कीजिए।

श्री सुदीप बंदोपाध्याय : महोदया, वे सशस्त्र कैंप चला रहे हैं। माओवादियों का सामना करने के लिए केंद्रीय बल भेजे गए हैं।

[हिन्दी]

सभापति महोदया : आप चेयर को संबोधित करिए।

'प्लीज कांटीन्यू'।

....(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंदोपाध्याय : हम इस तरह की राजनीति के पूरी तरह खिलाफ हैं....*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : मेरा आपसे अनुरोध है कि आप बैठ जाइए।

....(व्यवधान)

---

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री सुदीप बंदोपाध्याय : आप लोग भी बोलोगे, यह मत भूलिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

कृपया इस बात को मत भूलिए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : कृपया जारी रखिए और अध्यक्ष पीठ को संबोधित कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री सुदीप बंदोपाध्याय : हम हिंसा की राजनीति के बिल्कुल खिलाफ हैं। परंतु, बंगाल में केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय बल भेजे गए हैं। केंद्र सरकार माओवादियों का मुकाबला करने का प्रयास कर रही है। परंतु मैं वहां क्या हो रहा है? राज्य की पुलिस क्षेत्र केंद्रीय बलों का मार्गदर्शन करती है। राज्य पुलिस और केंद्रीय बल एक साथ मिलकर विशेष रूप सत्ता रूढ़ राजनैतिक दल को प्रश्रय दे रहे हैं और चूंकि बंगाल में चुनाव होने वाले हैं। इसलिए उन्होंने अपने स्वयं के सशस्त्र कैंप स्थापित कर लिए हैं। यह निश्चित है कि 35 वर्षों के पश्चात् जैसा कि श्री पी. सी. चाको ने अपने भाषण में उल्लेख किया है, उनकी सत्ता छिनने जा रही है। इस बात को पूरी तरह जानते हुए कि 34 वर्षों के पश्चात बंगाल की जनता उनको उखाड़ फेंकेगी और अधिक हिंसक हो रहे हैं। अतः धन और बाहुबल तथा इस 'हर्मद' कैंप के बल पर उन्होंने नेताई नामक गांव पर हमला किया।...*(व्यवधान)*

डॉ. रामचन्द्र डोम महोदया, यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदया : जो ऑब्जैक्शनेबल होगा उसे देख लिया जाएगा।

[अनुवाद]

इस संबंध में टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। कृपया बैठ जाइए। जब आपकी बारी आए तो आप उत्तर दीजिए। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री सुदीप बंदोपाध्याय : नेताई में, नौ लोगों की हत्या की गई और माननीय गृह मंत्री ने अपना क्षोभ और रोष व्यक्त किया है। महोदया, आपको जानकारी होगी कि उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया है कि इस घटना की जांच सीबीआई द्वारा की जाए। राज्य सरकार ने जांच हेतु इस मामले का सीआईडी को सौंप दिया है। परंतु, उच्च न्यायालय ने गत तीन दिनों में अपने निर्णय में यह कहा है कि सीआईडी राज्य सरकार के हाथों की कठपुतली बन गई और इस मामले को सीबीआई को सौंपा जाए।

अपराह्न 15.04 बजे

(डॉ. एम. तम्बिदुरई *पीठासीन हुए)*

डॉ. रामचन्द्र डोम : सीबीआई क्या है?

श्री सुदीप बंदोपाध्याय : सीबीआई ने नेताई में जांच प्रक्रिया अपने हाथ में ले ली है। तथा गृह मंत्रालय इस तथ्य से पूर्णतया अवगत है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री सुदीप बंदोपाध्याय : उच्च न्यायालय ने यह कहा है

डॉ. रामचन्द्र डोम : यह सच नहीं है।

श्री सुदीप बंदोपाध्याय : उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की है कि 'वे हत्यारे हैं'...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री सुदीप बंदोपाध्याय के कथन के अतिरिक्त अन्य कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

डॉ. रामचन्द्र डोम : वे उच्च न्यायालय की बात का गलत अर्थ ले रहे हैं। यह मामला न्यायाधीन है। वे इसकी चर्चा यहां कैसे कर सकते हैं?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : मैं रिकार्ड को देखूंगा और यह देखूंगा कि क्या कोई मामला न्यायाधीन है और फिर कार्यवाही करूंगा।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : माननीय सदस्यगण, कृपया ध्यान से सुनें।

...*(व्यवधान)*

* कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : अगर यह मामला न्यायाधीन है, तो मैं रिकार्ड को देखूंगा।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : जी सुदीप बंदोपाध्याय, कृपया अध्यक्ष पीठ को संबोधित कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री सुदीप बंदोपाध्याय : क्या आप इस बात से इंकार करेंगे कि कि उच्च न्यायालय ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं?

सभापति महोदय : यदि कुछ आपत्तिजनक है तो मैं रिकार्ड को देखूंगा।

...*(व्यवधान)*

श्री सुदीप बंदोपाध्याय : यह मुद्दा न्यायाधीन नहीं है। उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया सकारात्मक वक्तव्य है। यह न्यायाधीन नहीं है।...*(व्यवधान)* वे कुछ भी नहीं जानते हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया मेरी बात को ध्यान से सुनें। यदि कुछ आपत्तिजनक कहा गया है तो मैं रिकार्ड को देखूंगा और उसके बाद कार्यवाही करूंगा।

...*(व्यवधान)*

श्री सुदीप बंदोपाध्याय : हर्मद शिविरों की स्थापना की गई है। वहां गंदी राजनीति हो रही है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया टिप्पणी न करें।

...*(व्यवधान)*

श्री सुदीप बंदोपाध्याय : पश्चिम बंगाल में प्रशासनिक अव्यवस्था है।...*(व्यवधान)* सरकार पार्टी मुख्यालय से चलाई जा रही है न कि सचिवालय अथवा राइटर्स बिल्डिंग से। यह स्थिति है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया टीका-टिप्पणी न करें।

...*(व्यवधान)*

श्री सुदीप बंदोपाध्याय : पिछले लोक सभा चुनाव में बुरी तरह पराजित होने के बाद जहां तृण मूल कांग्रेस ने 19 जमा 1 अर्थात् 80 सीटें प्राप्त की थीं और यह पार्टी केवल 9 सीटें ही प्राप्त कर सकी, वे पूर्णतया हताश और निराश हो चुके हैं तथा हाथों में हथियार उठाकर पश्चिम बंगाल में संसदीय लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। वे विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हैं। यहां तक कि नगर निगम चुनावों में तथा नगर पालिका चुनावों में और उपचुनावों में पार्टी कार्यकर्ता प्रशासन की मदद से मतदान केंद्रों पर कब्जा कर लेते हैं।

अतः राष्ट्रपति ने घोषणा की है कि निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित किए जाने चाहिए। हम भी यह दावा करते हैं कि पश्चिम बंगाल में चुनाव कराए जाने की आवश्यकता है और हमें निश्चित तौर पर यह देखना होगा कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हो और हर कोई बिना किसी भय के मतदान कर सके। हम प्रत्येक मतदान केंद्र में केंद्रीय बलों की मांग करते हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया कोई टिप्पणी न करें।

...*(व्यवधान)*

श्री सुदीप बंदोपाध्याय : हम चाहते हैं कि भूमि अधिग्रहण विधेयक तत्काल पारित किया जाना चाहिए। भूमि अधिग्रहण एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा है। इस पर काफी लंबे समय से चर्चा नहीं की जा रही है। हम चाहते हैं कि भूमि अधिग्रहण विधेयक को सभा-पटल पर रखा जाए और किसानों की भूमि पर जबरन कब्जा अथवा अधिग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। बल प्रयोग की अनुमति नहीं होनी चाहिए। जब किसी किसान की भूमि अधिगृहित की जाती है तो उसे एक रोजगार का आश्वासन अथवा गारंटी दी जानी चाहिए। जब रेलवे द्वारा भूमि अधिग्रहित की जाती है तो वह प्रत्येक प्रभावित परिवार को एक रोजगार देकर सकारात्मक आश्वासन के उत्तरदायित्वों का निष्पादन करती है। ऐसा काम चलने और कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए किया जाता है।

इसलिए भूमि अधिग्रहण के मुद्दे को हल किया जाना चाहिए और हम चाहते हैं कि स.प्र.ग. II सरकार को देश के साधन हीन लोगों के हितों का ध्यान रखना चाहिए। अनेक राजनीतिक दल साधन हीन लोगों की बात करते हैं। परंतु अंततः वे संपन्न वर्गों के हितों की पूर्ति करते हैं। जैसे सीपीआई(एम)...*(व्यवधान)* मैं अपने सहयोगी, जो मेरे साथ बैठे हैं, का समर्थन ले रहा हूं।

भारत सरकार द्वारा अनेक अग्रणी कार्यक्रमों की घोषणा की गई है। उनका कार्यान्वयन किया जाना है। उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। हमारा यह विश्वास है कि यदि इन अग्रणी कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जाए तो लोगों को वास्तव में लाभ होगा।

हमारा यह विश्वास है कि संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था का संरक्षण

[श्री सुदीप बंदोपाध्याय]

किया जाना चाहिए, विशेषकर ऐसे देश में जहां लोकतांत्रिक मानदंड और लोकतंत्र का कार्यकरण कड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है। धन और बाहुबल ने परिस्थितियों को अपने कब्जे में ले लिया है। अतः हम सरकार से अपील करते हैं कि सरकार परिस्थितियों पर नजर रखे और यह देखे कि पश्चिम बंगाल राज्य में लोकतांत्रिक व्यवस्था सुदृढ़ रूप से विद्यमान रहें ताकि लोग स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनावों में भाग ले सकें। हम यह मांग भी करते हैं कि वहां केंद्रीय बलों को भेजा जाए। सशस्त्र कैंपों को पूर्णतः नष्ट किया जाए। केंद्रीय बलों को वहां जाना चाहिए और उन्हें सुदृढ़ बनाया जाए, उनकी क्षमता वृद्धि की जाए तथा स्थिति से निपटने के लिए उन्हें खुली छूट दी जानी चाहिए। यदि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं। तो हमारा यह दृढ़ मत है कि 34 वर्षों के शासन के पश्चात्, मिस्र में जो हुआ जहां 30 वर्षों के पश्चात् काले सूट और काले बालों वाले मुबारक को जाना पड़ा, बंगाल में भी सफेद धोती और सफेद कुर्ता वाले एक व्यक्ति को 34 वर्षों के पश्चात राइटर बिल्डिंग से जाना होगा।

अंत में, हम संसद और राज्य विधान मंडलों में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण के पक्ष में हैं। हम इस बात का समर्थन करेंगे। हमारे देश की माननीय राष्ट्रपति एक महिला हैं, यूपीए अध्यक्ष एक महिला है, सभा की अध्यक्ष एक महिला हैं, प्रतिपक्ष की नेता एक महिला हैं और पश्चिम बंगाल की अगली मुख्यमंत्री भी महिला होंगी। हमारा ऐसा दृढ़ विश्वास है।

मेरे मित्र श्री दारा सिंह कह रहे हैं कि विभिन्न राज्य में अनेक महिलाएं नेतृत्व कर रही हैं।

कुछ लोग हैं जो कुमारी ममता बनर्जी की बढ़ती लोकप्रियता से चिंतित हैं। वे काफी लोकप्रिय हो रही हैं और वे पश्चिम बंगाल के सभी लोगों को स्वीकार्य हैं उन्हें पश्चिम बंगाल राज्य का नेतृत्व करना चाहिए। हर्मद ने संसद में भी अपनी उपस्थिति बढ़ा ली है; निसन्देह आज हम बंगाल में नहीं है। परंतु कल वहां हमारी उपस्थित हो सकती है।

मुझे आशा और विश्वास है कि हमारे मुद्दों को प्राथमिकता से लिया जाएगा और अगामी चुनावों में पश्चिम बंगाल पर ध्यान दिया जाएगा।

मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अर्जुन चरण सेठी (भद्रक) : सभापति महोदय, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मैं बहुत संक्षेप और विषय पर केंद्रित होकर बोलूंगा, इसलिए मेरी बात में व्यवधान न डाला जाए।

राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार की कार्य सूची को दर्शाता है और यह सुनने में अच्छा लगता है।

आश्वासनों से ज्यादा राष्ट्र द्वारा इन आश्वासनों का समयबद्ध तरीके से क्रियान्वयन किए जाने की आवश्यकता है। माननीय राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में लद्दाख में बादल फटने तथा वहां के लोगों की स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का उल्लेख किया गया है। हम निश्चित रूप से इसकी सराहना करते हैं तथा प्रभावित लोगों के समयबद्ध तरीके से पुनर्वास को देखने के लिए सेना और अर्ध सैनिक बलों द्वारा किए गए प्रयासों की भी सराहना करते हैं।

सभापति महोदय, मैं गैर–मौसमी बरसात के कारण उड़ीसा, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों के विभिन्न भागों और कुछ हद तक अन्य राज्यों के प्रभावित क्षेत्रों का उल्लेख करना चाहता हूं। तमिलनाडु राज्य भी इसके कारण प्रभावित हुआ। महोदय, आप मुझसे बेहतर जानते हैं क्योंकि आप तमिलनाडु राज्य से हैं। मैं बताना चाहता हूं कि उड़ीसा राज्य में क्या हुआ। उड़ीसा राज्य के माननीय मुख्य मंत्री नवीन पटनायक के अनुरोध पर एक केंद्रीय दल ने राज्यका दौरा किया। उन्होंने केंद्र सरकार को अपनी सिफारिशें दी होंगी लेकिन मुझे यह कहते हुए अफसोस हो रहा है कि अभी तक राहत की कोई घोषणा नहीं हुई है। मैंने कई मंचों पर कई बार कहा है कि राज्य में केंद्रीय दल के दौरे के बावजूद भी केंद्र सरकार ने अभी तक उड़ीसा के लिए राहत पैकेज की घोषणा नहीं की है। वहां कुछ ऐसा हुआ है जो पहले कभी नहीं हुआ और कभी नहीं सुना गया। यदि दल ने राज्य का दौरा किया है। तो इसने अपनी रिपोर्ट भी दी होगी। मुझे नहीं मालूम केंद्र सरकार और वित्त मंत्रालय इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। उड़ीसा राज्य गैर–मौसमी बरसात के कारण बुरी तरह प्रभावित हुआ है। गैर मौसमी बरसात के कारण न केवल किसानों की धान की पूरी फसल नष्ट हुई है। बल्कि धान की गुणवत्ता भी प्रभावित हुई है। माननीय कृषि मंत्री श्री शरद पवार उड़ीसा सरकार के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए सहमत हुए हैं। लेकिन सभापति महोदय, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एफसीआई द्वारा एक पत्र राज्य सरकार को भेजा गया है जिसमें यह उल्लेख है कि गैर मौसमी बरसात के कारण खराब हुए धान का उपभोग उड़ीसा राज्य में रहने वाले लोगों को करना होगा। ऐसा पहले कभी नहीं सुना गया है। धान का नुकसान किसान की गलती के कारण नहीं हुआ बल्कि बे मौसमी बरसात के कारण हुआ है। एफसीआई राज्य सरकार

को ऐसा कैसे लिख सकता है कि गैर-मौसमी बरसात के कारण खराब हुए धान का उपभोग केवल उड़ीसा के लोग करेंगे?

वे इसका उपभोग करेंगे। हम एफसीआई द्वारा जारी पत्र से सहमत नहीं हैं?

मैं दूसरे बिंदु पर प्रकाश डालना चाहता हूं कि आज की तारीख तक केंद्र सरकार द्वारा कोई घोषणा नहीं की गई है कि क्या इस अभूतपूर्व और बे मौसमी बरसात के कारण उड़ीसा के किसानों की मदद करेंगे। मैं सरकार विशेष रूप से यहां उपस्थित माननीय मंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे इस बात पर विचार करें कि उड़ीसा के लोग और किसान इस महान राष्ट्र-भारत के नागरिकों के समान हैं। अन्य राज्यों की तुलना में हमारे साथ भेदभाव क्यों हो। ऐसी चीज पहले कभी नही सुनी गई है और यह एक ऐसी चीज है जिसे लोगों के द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इस पर विचार करें और राज्य सरकार को लिखें कि वह एफसीआई द्वारा जारी इस प्रकार के पत्र को वापस लें।

मतैं अब दूसरे बिंदु पर प्रकाश डालना चाहता हूं। बीजेडी पार्टी, जिससे मैं संबंधित हूं, एक क्षेत्रीय पार्टी है तथा भारत सरकार की कई असफलताओं के कारण हमारे अनुभवी और महान नेता स्वर्गिय बीजू पटनायक ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी उसे और अपनी पार्टी बनाई थी। अब इस पार्टी का नेतृत्व हमारे महान नेता नवीन पट्नायक जी द्वारा कियाजा रहा है। वह हमारे राज्य उड़ीसा जो अन्य राज्यों की तुलना में कम विकसित राज्य हैं, को समृद्ध राज्य और उड़ीसा के लोगों को भी समान रूप में आर्थिक दृष्टि से अच्छा बनाना चाहते हैं। मैं नहीं समझता कि केंद्र उड़ीसा राज्य, विशेष रूप से उड़ीसा के लोगों के खिलाफ क्यों हैं।

इस संबंध में कई उदाहरण हैं।

एक और बात मैं जताना चाहूंगा। पोलावरम परियोजना के सिलसिले में हम बहुत ही आंदोलित रहे हैं और उड़ीसा राज्य सरकार उच्चतम न्यायालय में गई है और यह मामला न्यायाधीन है। जब यह मामला भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीन है तो फिर इसे राष्ट्रीय परियोजना कैसे घोषित किया जा सकता है? श्री पवन कुमार बंसल यहां उपस्थित नही हैं। वे जल संसाधन मंत्री थे और अब श्री सलमान खुर्शीद इस विभाग के मंत्री हैं। वे भी उच्चतम न्यायालय के ख्याति वकील हैं। जब पोलावरम परियोजना का मामला न्यायाधीन है तो फिर उसे राष्ट्रीय परियोजना कैसे घोषित किया जा सकता है? इसका परिणाम यह होगा कि केंद्र से मिलने वाली 90 प्रतिशत धनराशि इस परियोजना के निर्माणार्थ आंध्र प्रदेश को मिल जाएगी। विशेषकर वर्तमान केंद्र सरकार दोहरे मानदंड अपना रही है। वह किस प्रकार दोहरे मानदंड अपना रही है, इस प्रश्न का उत्तर पर्यावरण और वनमंत्री श्री जयराम रमेश जी ने दिया था। मैं आपसे कुछ वाक्य यहां उद्धृत करने की अनुमति चाहता हूं। जिनसे स्पष्ट हो जाएगा कि हालांकि पर्यावरण और वनमंत्रालय ने अभी भी इस परियेाजना को मंजूरी नहीं दी है लेकिन फिर भी इसे देश की एक राष्ट्रीय परियोजना घोषित करते हुए निर्माण कार्य भी आरंभ कर दिया गया है।

मैं नहीं जानता कि इस तरह के कार्यकरण को क्या कहा जाए, लेकिन न सिर्फ यह सरकार की सभी प्रक्रियाओं के विरुद्ध है बल्कि न्यायपालिका प्रक्रिया के भी विरुद्ध है और सबसे बड़ी बात, यह उड़ीसा राज्य की जनता के विरुद्ध है।

महोदय, मैं कुछ वाक्य यहां उद्धृत करना चाहूंगा—

"इसके पश्चात् आंध्र प्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों में जल-प्लावन रोकने के लिए इन राज्यों में सिलेरू और सबेरी नदियों पर तटबंधों के निर्माण का प्रस्ताव किया है जिस पर वर्ष 2005 में पर्यावरणीय मंजूरी देते समय विचार नहीं किया गया था। इस मुद्दे पर एक विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने फरवरी, 2009 में हुई बैठक में विचार किया। जबकि विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में सिलेरू और सबेरी नदियों पर तटबंध-निर्माण के बारे में तकनीकी व्यवहार्यता का जायजा लिया वहीं उसने पर्यावरणिक प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत जन-सुनवाई करने की भी सिफारिश की। आज की तारीख तक, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में जन-सुनवाई नहीं की गई है।"

छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों में जन-सुनवाई अब तक पूरी नहीं हुई लेकिन उक्त नदी परियोजनाओं पर लाभ शुरू हो गया है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दिया है। यह सभी कानूनी मान्यताओं के खिलाफ है; कानूनी प्रावधानों के खिलाफ है और आजादी के बाद से अब तक अपनाई गई समस्त परिपाटियों के खिलाफ है।

महोदय, आपके माध्यम से मैं इस स्थिति की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यदि माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं चर्चा का उत्तर एकमात्र वक्ता के रूप में दें तो उनके पास इस विषय पर बोलने का पर्याप्त समय नहीं होगा; और मैं स्वयं के लिए ही नहीं, उड़ीसा राज्य सरकार के लिए भी कम से कम मौखिक अथवा लिखित उत्तर चाहूंगा कि क्यों यह दोहरे मानदंड अपनाए जा रहे हैं और क्यों कानूनी सिद्धांतों तथा वर्षों से स्थापित प्रक्रियाओं के विरुद्ध जा रहे हैं।

[श्री अर्जुन चरण सेठी]

महोदय, एक अन्य बात जो मैं कहना चाहूंगा वह कोयले, लौह–अयस्क इत्यादि कतिपय खनिजों पर रॉयल्टी के निर्धारण के विषय में है। इसमें सरकार यथा मूल्यता की नीति का पालन नहीं कर रही है बल्कि एक मिली–जुली नीति अपनाई जा रही है। मेरी तो यह समझ में नहीं आता। उड़ीसा सभी प्रकार के खनिजों से समृद्ध प्रदेश है। लेकिन, केंद्र सरकार प्रत्येक तीन वर्ष पश्चात् रॉयल्टी का संशोधन नहीं करती है। कभी तो वह दस वर्ष बाद रॉयल्टी में संशोधन करता है, कभी 7 वर्ष बाद, तो कभी कभी 6 वर्ष बाद। कल्पना की जा सकती है कि रॉयल्टी के देर से संधोशन के कारण संबंधित राज्य सरकारों को कितना नुकसान हुआ होगा। एक उड़ीसा राज्य सरकार ने एक अवसर पर उसमें न सिर्फ शीघ्र संशोधन की मांग की थी बल्कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने अन्य राज्यो के मुख्यमंत्रियों का एक प्रतिनिमंडल लेकर माननीय प्रधानमंत्री से मिले भी थे औ उनसे यह मांग की थी कि रॉयल्टी के संबंध में इन राज्यों के हित सुरक्षित रहें। यदि रॉयल्टी का सही समय पर संशोधन हो तो राज्य सरकारें नुकसान से बच सकती हैं। उड़ीसा ही नहीं, झारखंड जैसे राज्य भी काफी खनिज–समृद्ध हैं। देर से संशोधन के कारण इन राज्यों को वित्तीय हानि हो रही है और यदि समय पर यह कार्य हो जाता है तो राज्य सरकारों को धनराशि उपलब्ध हो सकेगी।

एक बात यह है कि संशोधन इस अधिनियम के अनुसार किया जाना चाहिए एवं दूसरी बात यह कि रॉयल्टी मूल्यानुसार निर्धारित की जानी चाहिए न कि मिश्रित नीति के अनुसार। इस जैसी कई बातें न केवल मेरे निर्वाचन क्षेत्र बल्कि मेरे पूरे राज्य के बारे में भी कही जानी हैं।

माननीय मंत्री श्रीमती अंबिका सोनी यहां उपस्थित नहीं हैं। मैंने इस मामले के बारे में कल भी कहा था। मेरे राज्य में टी वी केंद्र एवं आकाशवाणी केंद्र भी हैं। उन्होंने केंद्रों को चलाने के लिए स्टाफ की नियुक्ति नहीं की है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के सोरो नामक स्थान पर उन्होंने कम से कम 2.18 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और किसी की भी नियुक्ति नहीं की है। पूरा भवन खाली पड़ा है। इस तरह आप कल्पना कर सकते हैं कि आकाशवाणी केंद्र तथा टीवी केंद्रों की उपेक्षा एवं कर्मचारियों की भर्ती नहीं होने के कारण कितने करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है।

माननीय मंत्री, जी पवन कुमार बंसल अब यहां हैं तथा मैं उनका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। आप कल तक जल संसाधन मंत्री थे तथा अब आप जल संसाधन के प्रभारी मंत्री नहीं रहे। आपको पोलावरम के बारे में सारी बातें मालूम हैं। यह मामला न्याय निर्णय हतु भारत के उच्चतम न्यायालय में लंबित है। पर्यावरण और वन मंत्री ने सदन में बताया है कि अभी भी पर्यावरण पहलुओं को मंजूरी कैसे नहीं दी गई है तथा उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ की राज्य सरकारें कल तक केंद्रीय सरकार के समक्ष शिकायतें कर रही थीं। इसे एक राष्ट्रीय परियोजना कैसे घोषित कर दिया गया? मैं इस बात को नहीं समझ पाया। कृपया इस बात को स्पष्ट करें या इस मामले पर राज्य सरकार को कम से कम लिखें तो। वे अभी भी निर्माण क्यों करा रहे हैं तथा अभी भी काम नहीं रोका गया है?

इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात कहने का अवसर मुझे देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

श्री आनंदराव अडसुल (अमरावती) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। सांवैधानिक और पारम्परिक तरीके से बजट सैशन से पहले सरकार का कारोबार और नीतिगत परिचय देने की हमेशा से एक परिपाटी रही है कि महामहिम राष्ट्रपति जी का भाषण होता है। कल भी राष्ट्रपति महोदया का अभिभाषण हुआ। हम यह उम्मीद रखते थे कि सरकार ने क्या अच्छा काम किया है, सरकार की क्या–क्या गलतियां हुई हैं और सरकार कौन–कौन सी नीतियां अपनाने जा रही हैं, इनका उसमें कोई उल्लेख होगा, लेकिन दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि इनमें से कोई बात कल के भाषण में दिखाई नहीं दी।

सभापति जी, अगर मैं यहां से शुरू करूं कि जनतंत्र की एक व्याख्या है। उसके अनुसार जनता ने, जनता के लिए और जनता द्वारा चलाई जाने वाली सरकार ही जनतंत्र कहलाती है। इसमें एक सत्ता पक्ष होता है और दूसरा विपक्ष होता है। विपक्ष हमेशा अपनी जिम्मेदारी का अहसास रखता है। अगर सरकार कोई गलती करती है, तो विपक्ष उसे बताता है। यह इसलिए कि सरकार द्वारा किया जाने वाला कारोबार पारदर्शी और जनता के हित के लिए हो।

सभापति जी, कल जो मैंने देखा उससे लगा कि सरकार के कारोबार में कोई पारदर्शिता नहीं है। अगर है तो भ्रष्टाचार है, अनाचार है, दुराचार है, कानून और व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई गई हैं, महंगाई ने आम आदमी को लपेटा है और इसका जिम्मेदार अगर कोई होता है तो सरकार ही होती है। जब 2 जी स्पैक्ट्रम का घोटाला सामने आया और घोटाले के बारे में जब हमने देखा, सी.ए.जी. की रिपोर्ट में हमने पढ़ा कि दुनिया में सबसे बड़ा घोटाला 1.72 लाख करोड़ रुपये का घोटाला है, इसलिए एक जायज मांग विपक्ष ने की कि यहां जे.पी.सी. का गठन होना चाहिए, लेकिन सरकार ने यह मांग नहीं मानी। उसके कारण पूरा शीतकालीन सत्र बर्बाद हुआ। उसमें क्या गलत था, अगर खुद सरकार ने कुछ बातें सामने लाई हैं। जब आई.पी.एल. के बारे में

एक मंत्री का कुछ घोटाला सामने आया तो उसको मंत्री पद से हटाया गया। 2जी का घोटाला, जो दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है, उसमें भी मंत्री को रैजिग्नेशन देना पड़ा। कॉमनवैल्थ गेम्स में कांग्रेस पार्टी ने अपने सदस्य को महासचिव पद से हटाया। इन डायरैक्टली हमारी सरकार मानती है कि ये घोटालेबाज लोग हैं। एक तो हमारे प्रधानमंत्री जी बात करते हैं कि जब बहुत पार्टियों का गठबंधन करके सरकार चलानी पड़ती है, अभी-अभी राजनाथ सिंह जी ने बोला कि राष्ट्र की नीति करो, गठबंधन की नीति मत करो, धर्म की नीति करो और यही मुद्दा लेकर अगर विपक्ष ने मांग की तो सरकार ने उसे ठुकराया। इस बाजू में अब ये इनडायरैक्टली मानते हैं कि अपनी सरकार में कुछ घोटालेबाज मंत्री हैं, कुछ लोग हैं और दूसरे बाजू में जे.पी.सी. को नाकारते हैं। इसका कारण क्या है, यह जिम्मेदारी हमारे प्रधानमंत्री की बनती है। कभी-कभी ऐसा अहसास होता है कि हमारे प्रधानमंत्री एक व्यक्ति के रूप में बहुत भले आदमी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के नाते हम ऐसा नहीं बोल पाते, क्योंकि इतने घोटालेबाज मंत्री रखकर आप अगर कारोबार करते हैं और जे.पी.सी. गठित नहीं की, नहीं तो सही में घोटालेबाजों के साथ कौन-कौन जुड़ा है, वह सामने आ सकता था। उसमें प्रधानमंत्री को कुछ भी प्रोब्लम नहीं होने वाली थी तो भी उन्होंने वह मांग नहीं मानी, न सरकार ने मानी। यहां तक कि हमें इस बात का दर्द है कि एक महिला सभापति यहां बैठी हैं, सभापति को पूरा अधिकार होता है, अगर समूचा विपक्ष मांग कर रहा था कि जे.पी.सी. होनी चाहिए तो सभापति अपनी सरकार को ऑर्डर कर सकती हैं कि गठन होना चाहिए, लेकिन न सभापति ने यह किया, न सरकार ने किया और एक महीने का पूरा सत्र बर्बाद हो गया। आज सरकार मान रही है। क्यों मान रही है, क्योंकि सरकार को पता है कि अगर बजट पास नहीं होगा तो सरकार को सत्ता पक्ष में बैठने का अधिकार नहीं होगा और इसलिए सत्ता के लालच में भले देरी से, लेकिन आज प्रधानमंत्री ने जे.पी.सी. का प्रस्ताव रखा है तो हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। यह भले देरी से है, लेकिन दुरुस्त है, हम उन्हें इसके लिए धन्यवाद देते हैं।

मैं एक और बात बताना चाहता हूं, इस बात की भी हम उम्मीद करते थे कि हमारी राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण में आना चाहिए था कि सरकार की गलतियां क्या हैं। सरकार कैसे यह अहसास करना चाहती है, नीति में क्या परिवर्तन लाना चाहती है, यह बात भी आनी चाहिए थी।

दूसरी बात महंगाई के संबंध में है जिसे रोकने में हमारी सरकार विफल रही है। हमेशा हमारे मंत्रीगण ने कहा है, प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम 100 दिन में इसे कम करेंगे, एक साल में इसे कर लेंगे। अब तक पौने दो साल का वक्त बीत चुका है और देश में गरीबी रेखा के नीचे 37 पर्सेंट लोग हैं। आज तीस प्रतिशत बेरोजगार लोग हैं। महंगाई आसमान छू रही है। इसके बारे में कौन विचार करेगा? अगर सरकार की ओर से हम सत्ता में बैठते हैं, तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और विपक्ष विचार करती है तो उसे उसका प्रतिफल नहीं मिलता है।

महोदय, एक पीड़ा बहुत दिन से हमारे मन में है। अफजल गुरु जिन्होंने पार्लियामेंट के ऊपर अटैक किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा दी थी, लेकिन हमारी सरकार अभी तक उस संबंध में कोई कदम नहीं उठा सकी है। इसका क्या अर्थ निकलता है? 26/11 के आतंकवादी हमले में कसाब को पकड़ा गया, जिसे कल ही मुंबई हाई कोर्ट ने फांसी की सजा दी या सजा कायम की। आज जनता के मन में यह बात आती है कि अगर अफजल गुरु को फांसी नहीं दी जाती है, तो इसे भी शायद फांसी नहीं दी जाएगी। इसका क्या कारण है? इसका कारण भी हमें समझ में नहीं आता है। जनता एक प्रकार से दुविधावस्था में है। उसके एक बाजू में भ्रष्टाचार है, दूसरे बाजू में महंगाई है और तीसरे बाजू में आतंकवाद है। देशवासियों का जीना मुश्किल हो रहा है। कल के अभिभाषण में सरकार ने इस बारे में न कोई नीति अपनाई है और न ही कोई नीति स्पष्ट रूप से सामने आती है।

आज का विषय है कि राष्ट्रपति महोदया के भाषण के ऊपर हम अपनी टिप्पणी दें। हमारे देश के जो पिछड़े इलाके हैं, उनको बाकी इलाकों के साथ लाना है, उनका विकास करना है, इस बारे में कोई नीति अभिभाषण में प्रदर्शित नहीं हुई। जो पिछड़ा वर्ग है, उसके लिए क्या ठोस कार्यक्रम है? वह कहीं अभिभाषण में दिखाई नहीं दिया।.... *(व्यवधान)* कोई ठोस कार्यक्रम उनके लिए इसमें नहीं दिखाई देता।

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा पेट्रोल के मूल्य की निरंकुशता के संबंध में मूल्य बढ़ाए जाने के और उस पर नियंत्रण किए जाने के संबंध में इसमें कोई उल्लेख नहीं है। कुछ देशों में भारतीयों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है,? इसके बारे में भी सरकार ने कोई उल्लेख नहीं किया है।

महोदय, एक दर्द की बात है कि 26 जनवरी को जब गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था, आम आदमी जो तिरंगे को मानता है, उसके लिए तिरंगा फहराने का दिन था, लेकिन आम आदमी को वह मौका भी श्रीनगर में नहीं मिला। सरकार इस बारे में कुछ नहीं बोलती है। इस बात का क्या मतलब निकलता है? सरकार देशवासियों के लिए है या दूसरे देश के लिए है, यह भी हमें समझ में नहीं आ रहा है। हमने माननीय सदस्य के भाषण में सुना और जो हकीकत भी है कि चीन ने सीमावर्ती एरिया में डेवलपमेंट की है, अच्छी रोड्स बनाई हैं, रेल चलाई हैं, एयरपोर्ट बनाए हैं, टेलीफोन की सुविधा दी है, लेकिन हम अभी तक उस बारे में सतर्क नही हैं। अरूणाचल प्रदेश की बात कल के अभिभाषण

[श्री आनंदराव अडसुल]

में आई, लेकिन अरूणाचल प्रदेश ही सीमावर्ती भाग नहीं हैं, बल्कि दूसरे राज्य भी हैं। उनकी डेवलपमेंट सरकार करना चाहती है या नहीं करना चाहती है। माननीय मुलायम सिंह जी ने यहां कहा कि एक दिन चीन हमारे ऊपर आक्रमण करने वाला है। यह सत्य लगता है। चीन अगर अपनी सीमावर्ती भाग में इतनी डेवलपमेंट कर रहा है तो यह हो सकता है। कुछ हो या नहीं, हमें सतर्कता बरतनी चाहिए, हमें भी डेवलपमेंट करनी चाहिए। ऐसा प्रदर्शित होता है कि उस बारे में हमारी सरकार न कुछ बोलती है और न ही कुछ करना चाहती है। अगर मैं आज की सरकार के बारे में एक वाक्य में बताना चाहूं तो यह एक बहुत दुर्बल सरकार है। इतिहास में लिखा जाएगा कि मनमोहन सिंह जी की सरकार बहुत दुर्बल सरकार निकली। इतना कहकर मैं विराम लेता हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती सुप्रिया सुले (बारामती) : महोदय, मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

मैं यहां अपनी पार्टी की ओर से प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ी हूं। मैं निश्चित रूप से पहली बात पर बल देना चाहूंगी, मैं समझती हूं कि यह महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा किया गया बहुत ही स्पष्ट एवं खरा अभिभाषण रहा है। उनहोंने मुद्रास्फीति पर काबू पाने के लिए बेझिझक कहा है उन्होंने बढ़ती कीमतों के प्रभाव की चिंता के बारे में बात की है। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी एवं निष्ठा की कमी के बारे में कहा है। उन्होंने वंचित और कमजोर वर्ग के लोगों, गरीब लोगों के बारे में भी कहा है।

मैं समझती हूं कि पहले बोल चुके ज्यादातर सदस्यों ने कृषि का व्यापक उल्लेख किया है। मैं समझती हूं कि कृषिगत मुद्रास्फीति के पिरामिड की जड़ में वास्तव में वैश्विक तापन की समस्या रही है। वर्षा हुई है लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता लेकिन मुझे अवश्य कहना चाहिए कि चावल, गेहूं, सब्जी और फल के उत्पादन में किसानों द्वारा किया गया योगदान सराहनीय रहा है। मैं समझती हूं कि हमें उन किसानों की प्रशंसा अवश्य करनी चाहिए जो वास्तव में बहुत कठिन श्रम करते हैं। मैं समझती हूं कि सभी प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद वे देश की खाद्य सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। मैं समझती हूं कि उन्हें इस उच्चतम प्राधिकार द्वारा अवश्य ही सराहा जाना चाहिए।

मैं समझती हूं कि अभी जिस सबसे बड़ी चुनौती पर बल देने की जरूरत है वह चीनी, गेहूं एवं चावल से संबंधित है। हमारा उत्पादन पिछले दो वर्षों में अच्छा रहा, मैं समझती हूं कि चीनी निर्यात, चावल निर्यात और गेहूं निर्यात को जरूर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अब अंतरराष्ट्रीय कीमतें ऊंची हैं। हमारे किसानों के लिए अच्छे लाभप्रद मूल्य पाने का यह एक मौका है। मैं समझती हूं कि यह सं.प्र.ग. सरकार इस देश की खाद्य सुरक्षा के प्रति पूर्ण रूपेण वचनबद्ध है।

आम आदमी की सरकार, इस बार जब हमारी सरकार बनी तो हमने राष्ट्र के प्रति वचनबद्धता व्यक्त की है, के लिए अन्य बड़ी चुनौती थी—ईंधन की अंतरराष्ट्रीय कीमतें जो आज आम आदमी को प्रभावित कर रही हैं। मैं समझती हूं कि मैं वास्तव में यह प्रस्ताव करना चाहती हूं कि किरासन और एलपीजी राज सहायता को जरूर जारी रखनी चाहिए चाहे ईंधन की कीमतें नियंत्रण रहित हों। मैं समझती हूं कि आम आदमी को निश्चित रूप से किरासन और एलपीजी राजसहायता की जरूरत है जो बहुत महत्त्वपूर्ण है।

मेरे विचार से एक अन्य बड़ा विषय दुर्भाग्यवश जिसे वाद–विवाद के दौरान किसी भी सदस्य द्वारा नहीं उठाया गया है, और आज जिसके बारे में माननीय राष्ट्रपति महोदया ने विस्तार से भाषण दिया है, वह शिक्षा है। आज सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्त्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। 60 वर्षों के बाद हम शिक्षा के अधिकार को लागू कर पाए हैं, जिसके माध्मय से देश में 10–14 वर्ष के आयु समूह में प्रत्येक बालक को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। परंतु दुर्भाग्यवश, यदि हम रिपोर्ट की माने जिसमें संपूर्ण देश का प्रतिदर्श सर्वेक्षण किया गया है, आप यह जानकर विस्मयाभिभूत हो जाएंगे और सभा को यह जानकर काफी आश्चर्य होगा कि मूलभूत पठन और गणित के लिए चौथी कक्षा तक मूल शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता 58 प्रतिशत से गिरगर 53 प्रतिशत हो गई है। जो कि एक गंभीर चिंता का विषय है। क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम है। काफी बड़ी संख्या में बच्चे निजी विद्यालयों की ओर जा रहे हैं। पिछले पांच वर्षों के दौरान लगभग 15 प्रतिशत बच्चे जिला परिषद् विद्यालयों और नगर निगम विद्यालयों से निजी विद्यालयों में चले गए हैं जो आज की तिथि में बढ़कर 28 प्रतिशत हो गया है और अभी भी सरकार निजी विद्यालयों को एक विकल्प नहीं मानती अथवा इसे गंभीरता से नहीं लिया है। इसलिए मेरे विचार से सरकार को उस दिशा में काफी गंभीर प्रयास करने पड़ेंगे जिसे वह करना चाहती है। मेरे विचार से जिला परिषद् विद्यालय पिरामिड के निचली पायदान पर है और हमें उन्हें सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है चूंकि मुझे विश्वास है कि अनेक वरिष्ठ सदस्य जो यहां विराजमान हैं ने जिला परिषद् विद्यालयों में अध्ययन किया होगा। मैं भाग्यशाली था कि मुझे निजी विद्यालय में शिक्षा प्राप्त हुई। परंतु कुछ सदस्यगण जो वरिष्ठ हैं और जिनकी आयु 50–60 वर्ष है, उन्होंने जिला परिषद विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त की है। उन्होंने अपने जीवन में काफी तरक्की की है। हम आम

आदमी की सरकार की बात करते हैं। खाद्य और अवसंरचनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित करने के अलावा, मेरे विचार से देश के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती अच्छी और गुणवत्तायुक्त शिक्षा उपलब्ध कराना है। केवल यही एक ऐसी चीज है जो हम सबको समान बनाएगी। मेर विचार से केवल शिक्षा ही एक हमारे देश में एकमात्र समान अवसर प्रदान करने वाला क्षेत्र है। हमें हमारे युवा को बदलने की आवश्यकता है। हमें उन्हें आर्थिक लाभ प्रदान करना होगा। हमें उन्हें भारत की विकास गाथा का एक हिस्सा बनाना है।

एक अन्य चीज जो कि अत्यंत चिंताजनक है वह अन्य पिछड़ा वर्गों को मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति के लिए दी जानी वाली केंद्रीय सहायता है। यह अनेक राज्यों में एक लंबित मुद्दा है और यह समय से प्रदान नहीं की जाती है। अधिकांश छात्र जो बेहतर और गुणवत्ता युक्त शिक्षा पाना चाहते हैं उन्हें कभी भी यह छात्रवृत्ति समय पर नहीं मिलती है। इसलिए उन्हें दाखिला समय से नहीं मिलता है। मेरे विचार से राज्य और केंद्र के बीच एक बड़ा अंतर है। यहां बड़ा बैकलाग विद्यमान है।

शिक्षा में एक अन्य बड़ी समस्या वेतन की है जिसका छठे वेतन आयेाग के तहत हमारे प्राचार्यो और आचार्यों को भुगतान किया जाता है। यह अत्यंत स्वागत योग्य कदम है। परंतु आज छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार हमारे आचार्यों को 43000 रु. और प्राचार्यों को 37,400 रु. का भुगतान किया जाता है। चाहे आपको प्राचार्य अथवा आचार्य की आवश्यकता हो तो शिक्षण के 15 वर्ष अनुसंधान के 5 पत्र तथा पी.एच.डी. अर्हता होती है तथा यह दोनों श्रेणियों के लिए समान है। आज विशेष रूप से राज्यों में लगभग 90 प्रतिशत महाविद्यालय ऐसे हैं जो सहायता प्राप्त नहीं है और उनमें प्राचार्य नहीं है और हम इन पदों को रिक्त नहीं छोड़ सकते हैं। इसलिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वास्तव में बड़े पैमाने पर परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है। मेरे विचार से होटल प्रबंधन विधि और भेषज में पी.एच.डी. करने के इच्छुक लोग नहीं हैं चूंकि हमारे देश में पी.एच.डी. करने का विकल्प चुनने वाले लोग बहुत कम हैं। मेरे विचार से हम वैश्विक शक्ति बनना चाहते हैं। परंतु उस दृष्टि से हमारे देश में अनुसंधान काफी कम हो रहा है। आज शिक्षा में अनुसंधान एक विकल्प नहीं है और मेरे विचार से इससे विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्र भी प्रभावित होने वाला है। जहां पर लोग अनुसंधान का विकल्प नहीं चुन रहे हैं।

शिक्षा के लिए अन्य मुख्य मुद्दा स्वायत्तता का है। छात्रों व विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता के बारे में काफी चर्चा चल रही है। यदि आप पुणे विश्वविद्यालय की बात करें, तो यह देश के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में से एक है। राष्ट्रपति ज्ञान आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जिसके अध्यक्ष सैम पित्रों थे, एक विश्वविद्यालय में कम से कम 150 महाविद्यालय होने ही चाहिए। परंतु आज पुणे विश्वविद्यालय जिसे देश में सर्वोत्तम विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाता है, इसके अंतर्गत 700 महाविद्यालय हैं। उनके लिए इनका प्रबंधन करना असंभव है। मेरे विचार से, यह सब हस्तक्षेप करने होंगे। मेरे विचार से माननीय राष्ट्रपति महोदया ने शिक्षा के संबंध में विस्तार से चर्चा की है।

इसलिए हमें इन चीजों को करने की आवश्यकता है जो इन सभी कार्यक्रमों का पूरक होंगी जो वस्तुतः भारत को विकास के अगले स्तर तक ले जाने वाली हैं।

अन्य क्षेत्र जिसे वास्तव में कुछ सुधारात्मक क्षेत्र की आवश्यकता है वह सेवा क्षेत्र है। आज अर्थव्यवस्था का एक तिहाई सेवा क्षेत्र पर आधारित है। यह एक नया क्षेत्र है और इस क्षेत्र विशेष से 66 करोड़ रुपए कर की वसूली की जाती है और वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65 के अधीन संग्रहित सेवा कर को दी गई सेवा के अनुसार प्रभारित किया जाना है। इसलिए हमें सेवा क्षेत्र के लिए पृथक से एक नए कोड की आवश्यकता है जो सरल, एक समान और हरेक आम व्यक्ति के लिए वहनीय हो जो इसका हिस्सा है।

भारत सरकार का एक अन्य अग्रणी कार्यक्रम जिसके बारे में सभी गर्व से बात करते हैं वह ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है। इसमें हम सिर्फ ग्रामीण गरीबों के लिए प्रति वर्ष सिर्फ 100 दिन के रोजगार की बात करते हैं। शेष 265 दिनों में क्या है और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले समाज के एक संपूर्ण वर्ग का क्या है आज 50 प्रतिशत भारत शहरी क्षेत्रों में रहता है। उनके बारे में क्या है। मैं समझता हूं कि हमें पूरे कार्यक्रम के बारे में पुनर्विचार करने की और हमें समावेशी बनाए जाने की आवश्यकता है क्योंकि यदि आपने कभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री को सुना हो तो वे हमेशा समावेशी विकास की बात करते हैं। जब तक हम इस कार्यक्रम के कार्यक्षेत्र का विस्तार नहीं करते यह देश के उस आखिरी व्यक्ति तक नहीं पहुंचने वाला जिसके लिए हमने यह कार्यक्रम बनाया है।

एक अन्य बहुत महत्त्वपूर्ण मुद्दा जो इससे जुड़ा हुआ है वह असंगठित श्रमिक के लिए सामाजिक सुरक्षा है। जब हम देश में श्रम कानूनों की बात करते हैं, यहां तक कि महामहिम राष्ट्रपति ने भी अपने अभिभाषण में कहा है कि प्रत्येक राज्य का सभी श्रम मुद्दों के समाधान के लिए अपना स्वयं का श्रम अधिकरणों का गठन होना चाहिए। समाज का एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो असंगठित है और वे फेरी वाले, घरेलू काम और, रिक्शा चलाने वाले आदि हैं। मैं सोच्ता हूं कि पूरे असंगठित क्षेत्र को एक छत के नीचे आने की आवश्यकता है। भारत सरकार को वास्तव में इस पर विचार करने की और उन लोगों को किसी प्रकार

[श्रीमती सुप्रिया सुले]

का पेंशन दिए जाने या असंगठित श्रमिकों के लिए कोई संरक्षणात्मक कार्यक्रम लाए जाने की आवश्यकता है।

महामहिम राष्ट्रपति ने न्याय दिए जाने तथा विधिक सुधार किए जाने के लिए राष्ट्रीय मिशन के बारे में विस्तार से बात की है। मैं समझता हूं कि यह बहुत महत्त्वपूर्ण है। हमने देखा है कि महाराष्ट्र में कल क्या हुआ था। जहां कसाब पर फैसला दिया गया था। मैं समझता हूं कि हमें इस प्रकार की स्थिति के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की आवश्यकता है। न्याय और विधिक सुधारों से हमारे लोगों का विधिक व्यवस्था में विश्वास निश्चित रूप से बढ़ेगा क्योंकि अधिकांश भारतीयों का जब भी कोई मामला न्यायालय में चलता है वे सोचते हैं कि इसमें उनके जीवन के पचीस वर्ष लग जाएंगे और अगली पीढ़ी को भी इन मामलों में जूझना पड़ेगा। इसलिए विधिक सुधार बहुत महत्त्वपूर्ण है।

तृणमूल कांग्रेस के मेरे मित्र ने अवसंरचना विकास और भूमि अधिग्रहण के बारे में विस्तार से बात की। हमारे देश में भूमि अधिग्रहण एक गंभीर चुनौती बन गई है। यहां तक कि यदि हमें एक नई सड़क बनानी है तो उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण करना होगा हमने देखा कि महाराष्ट्र में एक बड़ा एस ई जैड रद्द कर दिया गया है। भूमि अधिग्रहण एक ऐसी चीज है जो अपरिहार्य है। परंतु साथ ही अपने किसानों पर विचार करें तो उनकी एकमात्र पहचान उनकी भूमि ही है। उपजाऊ भूमि जो हमारी खाद्य सुरक्षा की देखभाल करती है का बचाव किया जाना आवश्यक है. साथ ही हमें संतुलन भी बनाना होगा जहां अंततः विद्यालय नई सड़कें और विमानपत्तन भी उसी भूमि पर बनने हैं। वे हवा में नहीं बन सकते। इसलिए हमारे पास यथाशीघ्र एक समुचित भूमि अधिग्रहण प्रणाली होनी चाहिए ताकि एक समान अवसर हों और मुआवजा की राशि सबसे महत्त्वपूर्ण है क्योंकि अधिकांश लोग चूंकि मुआवजा एक बड़ी समस्या बन गई है। अपनी भूमि अवसंरचनात्मक विकास के लिए देने से हिचक रहे हैं। यदि उन्हें अन्यत्र भूमि मिल जाती है वे किसी और स्थान पर भूमि देने का वादा करते हैं। परंतु ऐसा नहीं हो पा रहा और वहां पर पानी और बुनियादी संरचना नहीं है।

अतः मेरे विचार से यदि भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है तो इसका अधिग्रहण किया जाना है और यह सरकार द्वारा की गई सभी प्रतिबद्धताओं के लिए भी एक समयबद्ध कार्यक्रम हो एवं बाजार मूल्य को ध्यान में रखना है अन्यथा हमारे देश में विकास नहीं होगा।

मेरे विचार से बिजली विकास का प्रमुख साधन है। आज भारत में भारी घाटा है। वास्तव में जिस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। मुझे पता है कि पर्यावरण की बहुत भारी समस्या है लेकिन यदि हमें विकास करना है तो विकास एवं पर्यावरण तालमेल रखना होगा। उन्होंने कोयला एवं खनिज नीतियों के बारे में बात की है जिससे अंततः हमें हमारे विद्युत कार्यक्रम में सहयोग मिलेगा लेकिन इसके लिए यदि हमें और कोयले की आवश्यकता है तो इस नीति को लागू करने की आावश्यकता है। हमें यह निश्चित करना है कि हमारे सभी प्राकृतिक संसाधन सही तरीके से रखे जाएं एवं उपयोग किए जाएं। इसके अनेकों तरीके हैं एवं पूरे विश्व में खनन हो रहा है लेकिन इसके लिए स्पष्ट नीतियां हैं तथा खनन एवं अवैध खनन में भारी अंतर है। मेरे विचार से हममें से अधिकांश लोग दोनों के बीच में भ्रम में पड़ जाते हैं। इसलिए यदि स्पष्ट नीति हो तथा प्रत्येक राज्य इसे सही तरीके से लागू करे तो मैं नहीं सोचता कि ये पर्यावरणीय मुद्दे वैसे सामने नहीं आएंगे जैसे कि आते रहे हैं।

महोदय, हमें अनेक विमानपत्तनों की आवश्यकता है। हम नवी मुंबई विमानपत्तन देने के लिए भारत सरकार के आभारी हैं। कुछ मुद्दे छूटे हुए हैं। निश्चय ही जिनका समाधान राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ करेगी। लेकिन इसके लिए हमें अनेक विमानपत्तनों विशेषकर पुणे विमानपत्तन की आवश्यकता है। मेरे विचार से इसी पर बहुत विलंब हो रहा है। मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि वह इस मामले पर गौर करे और हमारे लिए एक और विमानपत्तन तैयार करे जो कि निश्चय ही इस राज्य एवं इसके लोगों के हित में होगा।

अंतिम बात जो मेरे सहकर्मी ने अभी-अभी याद दिलाई कि आज मैं अकेली महिला हूं जिसने यहां बोला है। अतः यहां मैं महिला आरक्षण विधेयक के बारे में बात करने से अपने को नहीं रोक सकते। मेरे विचार से महामहिम राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में यौन उत्पीड़न के विरुद्ध महिलाओं की सुरक्षा के बारे में व्यापक रूप से बात की है। लेकिन मेरे विचार से हमने महिला विधेयक के बारे में बात की है। हमने यही वादा किया है तथा मेरा दल इस विधेयक का पूरा समर्थन करता है। मुझे आशा है कि अगली बार चुनाव में जाने से पूर्व हम कोई न कोई निर्णय ले क्योंकि हमने यह वादा किया है। हमने अपनी जिला परिषदों और पंचायत समितियों में इस मामले में 50 प्रतिशत आरक्षण किया है। हमें राज्यों और केंद्र में महिलाओं को समान अवसर देने हेतु महिलाओं जो वास्तव में वे 50 प्रतिशत की हकदार हैं को कम से कम 33 प्रतिशत देने के लिए इस राष्ट्र की महिला के प्रति उत्तरदायी हैं।

महोदय मैं बोलने का यह अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद देती हूं तथा मैं अपने जैसे एक ऐसे शक्तिशाली देश के स्वप्नों एवं आकांक्षाओं के बारे में सोचती हूं तथा यदि हम अपने सभी फ्लैगशिप कार्यक्रमों को एक साथ रखें तो भारत एक प्रतीक्षारत महाशक्ति है जैसा कि डॉ. अब्दुल क्लाम ने 2020 का लक्ष्य निर्धारित किया है। मुझे

विश्वास है कि हम अगली पीढ़ी हेतु अपने स्वप्नों को हकीकत में प्राप्त करेंगे।

सभापति महोदय : श्री जगदम्बिका पाल। आप सायं 6.00 बजे तक बोल सकते हैं तथा उसके बाद आप फिर कल जारी रखेंगे।

[हिन्दी]

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) : महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा संसद के दोनों सदनों के समक्ष दिए गए अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव श्री पी.सी. चाको द्वारा प्रस्तुत किया गया है और श्री मनीष तिवारी ने जिसका समर्थन किया है, के संबंध में मुझे बोलने की अनुमति दी है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

मैं बहुत देर से सदन के विद्वान माननीय सदस्यों के भाषण सुन रहा था। कई माननीय सदस्यों द्वारा यह कहा गया कि महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा दिए गए भाषण को सरकार एप्रूव करती है। मैं खास तौर से कहना चाहता हूं कि महामहिम राष्ट्रपति जी का भाषण सरकार की नीतियां, सरकार के कार्यक्रमों को परिलक्षित करने वाला होता है और यह परंपरा निश्चित तौर से बहुत पुरानी है। इस सरकार के द्वारा आम जनता के लिए जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उन नीतियों और कार्यक्रमों को यह अभिभाषण परिलक्षित करता है। मैं समझता हूं कि इसमें एक स्पष्ट दिशा भी है। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण ने सरकार की दिशाओं को निरूपित किया है, रेखांकित किया है और सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया है। स्पष्ट रूप से प्राथमिकता के आधार परजो पांच कार्यक्रम किए हैं, उनमें हमारी सबसे पहली और सर्वोच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति को रोकने की बात है। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के बारे में यह कहना कि इसमें कोई नई चीज नहीं है, तो मैं समझता हूं कि या तो इस अभिभाषण को पढ़ा नहीं गया, अन्यथा इस देश की आज जो सबसे आवश्यक चीजें हैं, दुनिया में कुछ मुल्क ऐसे होंगे, जहां लोगों की रोजगार देने की गारंटी दी गई होगी, आज कांग्रेस और यूपीए सरकार की ही यह देन है कि हिंदुस्तान के किसी गांव में अगर 18 वर्ष का कोई व्यक्ति रोजगार मांगेगा, तो उसे उसी गांव के अंदर रोजगार दिया जाएगा। मनरेगा के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था इस सरकार ने की है। राइट टू वर्क, राइट टू फूड सिक्योरिटी, जो प्रोशेस में है, में यह व्यवस्था होगी कि देश में किसी भी व्यक्ति को खाद्यान्न के अभाव में मौत के मुंह में नहीं जाने दिया जाएगा। निश्चित तौर पर ये जिम्मेदारियां राज्य सरकारों की हैं, लेकिन वैलफेयर स्टेट होने के कारण यह हमारी चिंता है कि हर व्यक्ति को रोजगार मिले।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री पाल, आप कल बोलना जारी रख सकते हैं।

सभा कल 23 फरवरी 2011 को पूर्वाह्न 11 बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.00 बजे

तत्पश्चात्, लोक सभा बुधवार, 23 फरवरी 2011/4 फाल्गुन, 1932 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध–I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री के. सुधाकरण	1
2.	डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह	2
	श्री नारनभाई कछाड़िया	
3.	श्री राम सुंदर दास	3
	श्री दानवे रावसाहेब पाटील	
4.	श्री पोन्नम प्रभाकर	4
5.	श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी	5
6.	श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर	6
	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड	
7.	राजकुमारी रत्ना सिंह	7
	श्री मनसुखभाई डी. वसावा	
8.	श्री राजू शेट्टी	8
9.	श्री नित्यानंद प्रधान	9
	श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह	
10.	श्री पी. टी. थॉमस	10
	डॉ. एम. तम्बिदुरई	
11.	श्री एन. चेलुवरया स्वामी	11
	डॉ. संजय सिंह	
12.	श्री सुरेश कुमार शेटकर	12
	श्री एस. पक्कीरप्पा	
13	श्री वीरेन्द्र कुमार	13
	श्री पी. लिंगम	
14.	श्री राधा मोहन सिंह	14
	श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े	
15.	डॉ. बलीराम	15
	श्री अधलराव पाटील शिवाजी	
16.	श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी	16
	श्री राधे मोहन सिंह	
17.	श्री बिभू प्रसाद तराई	17
	श्रीमती रमा देवी	
18.	श्री पी. कुमार	18
	डॉ. पी. वेणुगोपाल	
19.	श्री एस. एस. रामासुब्बू	19
	श्री चंद्रकांत खैरे	
20.	श्री धर्मेन्द्र यादव	20
	श्री आनंदराव अडसुल	

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री अधलराव पाटील शिवाजी	135, 213, 225
2.	श्री आनंदराव अडसुल	135, 213, 225
3.	श्री जयप्रकाश अग्रवाल	3, 25, 157
4.	श्री हंसराज गं. अहीर	70, 164
5.	श्री अनंत कुमार हेगड़े	40, 138
6.	श्री जयवंत गंगाराम आवले	47
7.	श्री गजानन ध. बाबर	173, 225
8.	श्री रमेश बैस	224
9.	डॉ. बलीराम	127, 132, 212
10.	श्री अम्बिका बनर्जी	136
11.	श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर	183, 222
12.	श्री शिवराज भैया	230

1	2	3
13.	श्री पी.के. बिजू	5, 17, 187
14.	श्री हरीश चौधरी	76, 136, 171
15.	श्री अरविंद कुमार चौधरी	31, 149, 217
16.	डॉ. महेंद्रसिंह पी. चौहाण	88, 171, 180
17.	श्री संजय सिंह चौहान	31, 149, 217
18.	श्री हरिश्चंद्र चव्हाण	9, 110, 199
19.	श्री एन.एस.वी. चित्तन	45
20.	श्री भूदेव चौधरी	39, 214, 215, 223
21.	श्री अधीर चौधरी	36, 53, 229
22.	श्री भक्त चरण दास	42, 99, 125, 192, 213
23.	श्री रामसुंदर दास	126, 207
24.	श्री गुरुदास दासगुप्त	39, 133
25.	श्री रमेन डेका	46, 145
26.	श्री मिलिंद देवरा	19
27.	श्री के.डी. देशमुख	81, 125
28.	श्री संजय धोत्रे	142, 215, 227
29.	श्री निशिकांत दुबे	55
30.	श्रीमती प्रिया दत्त	3, 137
31.	श्री गढ़वी मुकेश भेरवदानजी	10, 24, 168, 221
32.	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड	127, 209
33.	श्री वरूण गांधी	66, 178
34.	श्री ए. गणेशमूर्ति	91, 159
35.	श्री एल. राजगोपाल	75, 170
36.	श्री डी.वी. सदानंद गौडा	75, 174
37.	शेख. सैदुल हक	89, 191
38.	श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा	87

1	2	3
39.	श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	29, 120, 226
40.	डॉ. संजय जायसवाल	52, 152, 136
41.	श्री गोरख प्रसाद जायसवाल	82, 205
42.	श्री बद्रीराम जाखड़	33, 136, 215
43.	श्री हरिभाऊ जावले	12, 146, 228
44.	श्रीमती जयाप्रदा	39, 54, 133, 215
45.	डॉ. मुरली मनोहर जोशी	62, 138, 224
46.	श्री पी. करुणाकरन	79
47.	श्री वीरेंद्र कश्यप	67, 140
48.	श्री लाल चंद कटारिया	48, 148
49.	श्री चंद्रकांत खैरे	172, 183, 229
50.	श्री हसन खान	38, 49
51.	डॉ. क्रुपारानी किल्ली	20, 170, 188, 209
52.	श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे	1, 77, 191
53.	श्री विश्व मोहन कुमार	125, 142, 215 223, 229
54.	श्री पी. कुमार	43, 103
55.	श्री यशवंत लागुरी	38, 77, 82, 150
56.	श्री पी. लिंगम	134
57.	श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम	27, 185, 210, 229
58.	श्रीमती सुमित्रा महाजन	77, 133
59.	डॉ. चरण दास महंत	100, 193
60.	श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो	38, 136
61.	श्री नरहरि महतो	7, 77, 107, 175 219
62.	श्री प्रदीप माझी	59, 158, 220
63.	श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार	3, 23, 77, 80
64.	श्री जोस के. मणि	32, 161, 190

1	2	3
65.	श्री रघुवीर सिंह मीणा	96
66.	श्री अर्जुन राम मेघवाल	78, 172, 180,
67.	श्री पी.सी. मोहन	1, 4, 160
68.	श्री गोपीनाथ मुंडे	37, 138, 224
69.	श्री पी. बलराम	112, 194, 201, 216, 11
70.	डॉ. संजीव गणेश नाईक	41, 61, 90, 143, 218
71.	श्री नामा नागेश्वर राव	56, 133, 154, 218
72.	श्री इंदर सिंह नामधारी	84
73.	श्री नारनभाई कछाड़िया	115, 223, 226
74.	श्री सोनवणे प्रताप नारायणराव	64, 125, 160, 176, 213
75.	श्री संजय निरुपम	228
76.	श्री असादूद्दीन ओवेसी	34, 123, 133, 206, 229
77.	श्री वैजयंत पांडा	63, 129, 211
78.	श्री प्रबोध पांडा	134, 224
79.	श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय	142, 215, 223, 229
80.	श्री आनंद प्रकाश परांजपे	41, 143
81.	श्री सी.आर. पाटिल	206
82.	श्री आर.के. सिंह पटेल	125
83.	श्रीमती जयश्रीबेन पटेल	26, 159
84.	श्री किसनभाई वी. पटेल	59, 158, 220
85.	श्री संजय दिना पाटील	90, 182
86.	श्री ए.टी. नाना पाटील	70, 93
87.	श्री दानवे रावसाहेब पाटील	139

1	2	
88.	श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर	127, 209
89.	श्री पोन्नम प्रभाकर	111, 208, 228
90.	श्री नित्यानंद प्रधान	129, 211
91.	श्री प्रेमचंद्र गुड्डू	38, 145
92.	श्री पन्ना लाल पुनिया	10, 42, 186
93.	श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ	74, 169
94.	श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई रादड़िया	214, 226
95.	श्री एम.के. राघवन	86, 175
96.	श्री अब्दुल रहमान	65, 75, 177, 209
97.	श्री एम.बी. राजेश	71, 165
98.	श्री रामकिशुन	68, 133, 161, 218
99.	श्री रायापति सांबासिवा राव	18, 117, 155, 215
100.	श्री रामसिंह राठवा	2, 102, 195
101.	श्री रुद्रमाधव राय	40, 48
102.	श्री के.आर.जी. रेड्डी	21, 147
103.	श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	28, 170, 184, 224
104.	श्री अनन्त वैंकटरामी रेड्डी	14, 114, 165, 203, 206
105.	श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी	72, 93, 111, 224
106.	श्री नृपेंद्र नाथ राय	7, 77, 107, 175, 219
107.	श्री एस. अलागिरी	42, 76, 189
108.	श्री एस. सेम्मलई	51, 151
109.	श्री एस. पक्कीरप्पा	58, 119, 215, 230
110.	श्री एस.आर. जेयदुरई	50, 127, 133, 150
111.	श्री एस.एस. रामासुब्बू	104, 210, 215, 222

1	2	3
112.	श्री ए. संपत	92, 125, 215
113.	श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना	44
114.	श्रीमती सुशीला सरोज	216
115.	श्री तूफानी सरोज	98
116.	श्री तथागत सत्पथी	5(, 224
117.	श्री हमदुल्लाह सईद	8, 38, 68, 109, 198
118.	श्री अर्जुन चरण सेठी	95, 159, 171
119.	श्रीमती जे. शांता	35, 104, 179, 222
120.	श्री जगदीश शर्मा	212, 221
121.	श्री नीरज शेखर	39, 54, 133, 215
122.	श्री सुरेश कुमार शेटकर	122, 204
123.	श्री राजू शेट्टी	128
124.	श्री एंटो एंटोनी	53, 153
125.	श्री जी. एम. सिद्देश्वर	5, 105, 196
126.	डॉ. भोला सिंह	127, 213
127.	श्री दुष्यंत सिंह	83, 173, 225
128.	श्री गणेश सिंह	43, 143, 144, 216, 224
129.	श्री इज्यराज सिंह	150, 172
130.	श्री के.सी. सिंह 'बाबा'	6, 106, 197
131.	श्री राधा मोहन सिंह	118, 223
132.	डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह	125, 205
133.	श्री उदय सिंह	58, 156

1	2	3
134.	श्री यशवीर सिंह	39, 54, 133, 215
135.	श्री राधे मोहन सिंह	126, 207
136.	श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह	40, 133, 212
137.	राजकुमारी रत्ना सिंह	108, 210
138.	डॉ. सजय सिंह	108, 136
139.	श्री राजय्या सिरिसिल्ला	97, 189, 208, 228
140.	श्री के. सुधाकरण	124
141.	श्री ई.जी. सुगावनम	16, 116, 133
142.	श्री के. सुगुमार	13, 113, 138, 202
143.	श्रीमती सुप्रिया सुले	41, 61, 129, 143, 218
144.	श्री कोडिकुन्नील सुरेश	50, 65, 75, 127, 227
145.	श्री एन. चेलुवरया स्वामी	71, 131
146.	श्री मानिक टैगोर	91, 159, 218
147.	श्री बिभू प्रसाद तराई	133, 224
148.	श्री सुरेश काशीनाथ तवारे	60, 68, 131
149.	श्री मनीष तिवारी	73, 167
150.	श्री जगदीश ठाकरे	101, 194
151.	श्री अनुराग सिंह ठाकुर	15, 67, 140
152.	श्री आर. थामराई सेलवन	39, 57, 155
153.	डॉ. एम. तम्बिदुरई	68, 166, 221
154.	श्री पी. टी. थॉमस	130
155.	श्री मनोहर तिरकी	3 23, 77, 80

1	2	3
156.	श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी	126, 207
157.	श्री हर्ष वर्धन	75, 133, 221
158.	श्री मनसुखभाई डी. वसावा	141, 210, 14, 226
159.	डॉ. पी. वेगुगोपाल	43, 103
160.	श्रीमती ऊषा वर्मा	30, 121, 216
161.	श्री पी. विश्वनाथन	60, 90, 125, 200
162.	श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े	142, 215, 227
163.	श्री अंजन कुमार एम. यादव	42, 141, 171
164.	श्री धर्मेन्द्र यादव	135, 213, 225
165.	श्री दिनेश चंद्र यादव	62, 75, 224
166.	श्री ओम प्रकाश यादव	22, 163, 205
167.	प्रो. रंजन प्रसाद यादव	94, 125
168.	श्री हुक्मदेव नारायण यादव	69, 162
169.	श्री मधु गौड यास्खी	127, 209

अनुबंध–II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालयवार अनुक्रमणिका

कृषि	:	1, 2, 4, 9, 11, 13, 16
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	:	8, 15
संस्कृति	:	––
उत्तर–पूर्व क्षेत्र विकास	:	––
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	:	18
गृह	:	3, 5, 6, 14, 17, 19
आवास और शहरी गरीबी उपशमन	:	7
सूचना और प्रसारण	:	20
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	:	–
शहरी विकास	:	10, 12
युवक कार्यक्रम और खेल	:	––

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालयवार अनुक्रमणिका

कृषि	:	2, 14, 15, 24, 32, 37, 48, 50, 53, 58, 66, 69, 70, 75, 76, 81, 86, 89, 90, 101, 103, 105, 108, 111, 114, 120, 122, 126, 130, 131, 134, 140, 150, 152, 155, 157, 158, 161, 163, 165, 166, 168, 170, 174, 176, 178, 179, 180, 181, 185, 193, 205, 209, 212, 214, 216, 220, 221, 224, 226, 228, 230
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	:	6, 10, 13, 28, 29, 34, 45, 51, 56, 64, 65, 74, 92, 102, 128, 136, 138, 145, 146, 147, 151, 154, 160, 164, 190, 192, 194, 196, 197, 199, 201, 203, 206, 210
संस्कृति	:	11, 22, 52, 88, 106, 110, 112, 198
उत्तर–पूर्व क्षेत्र विकास	:	
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	:	8, 23, 55, 67, 77, 80, 95, 98, 175, 185, 195, 207, 219
गृह	:	4, 12, 16, 17, 20, 21, 33, 36, 39, 43, 44, 47, 54, 61, 73, 78, 79, 83, 91, 94, 97, 109, 113, 118, 121, 123, 124, 125, 127, 129, 142, 144, 153, 156, 169, 177, 204, 208, 211, 213, 215, 218, 223, 227, 229

आवास और शहरी गरीबी उपशमन	:	1, 18, 25, 60, 72, 90, 135, 141, 148, 173, 182, 184
सूचना और प्रसारण	:	5, 9, 27, 49, 68, 119, 167,171, 186, 191, 200, 202
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	:	26, 46, 132, 143, 162
शहरी विकास	:	3, 7, 19, 30, 31, 41, 57, 59, 71, 82, 84, 96, 100, 107, 117, 137, 149, 189, 217, 222
युवा कार्यक्रम और खेल	:	38, 40, 42, 62, 63, 85, 87, 93, 104, 115, 116, 133, 139, 159, 172, 183, 187, 225

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद–विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी. वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद–विवाद के मूल संस्करण, वाद–विवाद के हिन्दी संस्करण और वाद–विवाद के अंग्रेजी संस्करण, तथा संसद के अन्य प्रकाशन तथा संसद के प्रतीक चिन्ह युक्त स्मारक मदें **विक्रय फलक, स्वागत कार्यालय, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 (दूरभाष : 23034726, 23034495, 23034496)** पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। इन प्रकाशनों की जानकारी उपर्युक्त वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

पी.एल.एस.–48/15/2/2011 (एन.)
230

© 2010 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (तेरहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और सनलाईट प्रिन्टर्स, नई दिल्ली – 110002 द्वारा मुद्रित।